संयुक्त प्रान्तीय

म्यूनिसिपलटीज़ ऐक्ट

नं० २ सन १९१६ ई०

विस्तृत व्याख्या और सन १९२४ ई० तककी नजीरों तथा समग्र संशोधनों एवं तत्सम्बन्धी अन्य कानूनी और उपयोगी विषयो सहित

लेखक

बाबू बृजेशबहादुर बी०ए०; एल०एल०बी०; वकील हाईकोर्ट

प्रकाशक

पं० चन्द्रशेखर शुक्ल

प्रोपाइटर

'हिन्दी-लॉ-जरनल' और 'कानून प्रेस'

मुद्रित

क़ानून प्रेस—कानपुर

सन १९२४ ई०

मूल्य ८) रु० प्रति

पुस्तक मिलने का पता:—

'क़ानून प्रेस' रानीमण्डी-कानपुर

प्राक्-कथन



आज हम संयुक्त प्रान्त का म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट, नं० २ सन् १९१६ ई०, विस्तृत व्याख्या और समग्र नजीरों सहित हिन्दीमें छापकर हिन्दी साहित्य प्रेमी भाइयों के सामने सहर्ष उपस्थित कर रहे हैं। म्यूनिसिपलटियों के कानून का संशोधन इस ऐक्ट के द्वारा, सन १९१६ ई० में विशेष रूप से किया गया, जिसके द्वारा स्थानीय स्वराज्य के विशेष अधिकार प्रजा के निर्वाचित मेम्बरों को दिये गये। म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, यह दोनों स्थानीय स्वराज्य (लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट) की प्रथम सीढ़ी है। म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा शहरों आदि एवं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा देहाती रकबों का शासन सुधार, और उन्नति का भार लोकमत द्वारा निर्वाचित सदस्यों के हाथ में दिया गया है। इस कानून का प्रभुत्व उन सेठ साहूकारों, व्यापारियों, दूकानदारों, रईसों, धनवानों और जायदाद रखने वालों, एवं रहने या काम करने वालों पर है जो संयुक्त प्रान्त के कसबोंऔर शहरों में निवास करते, जायदाद रखते तथा काम करते हैं। जनता को जितना अधिक काम अपने स्थानीय कानूनों से पड़ताहै उतना काम भारतीय कानूनों से नहीं पड़ता। और स्थानीय कानूनों में जनता के लिये म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट की बराबर कोई अन्य कानून महत्वपूर्ण नहीं है, और आशा की जाती है कि यह ग्रन्थ सर्वोपयोगी और अधिक लाभदायक साबित होगा।

अभी तक अंग्रेजी में इस ऐक्ट पर कोई व्याख्या नहीं लिखी गई है, परन्तु प्राय सभी अन्य प्रान्तों के म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट पर कमेन्ट्रिया (व्याख्या) मौजूद हैं। हमारे इस ऐक्ट के संशोधन, रूल्स, आर्डर, सर्क्यूलर, विज्ञापन, सूचनाए, तथा नजीरें किसी किताब में एक जगह संकलित नहीकी गई हैं, इस त्रुटि के पूरा करने के उद्देश्य से यह ग्रन्थ प्रकाशित किया जाता है। आशा है कि अंग्रेजी जानने वाले कानून पेशा लोग तथा म्यूनिसिपलटियों के अंग्रेजी जानने वाले चेयरमैन, मेम्बर और अफसर भी इस ग्रन्थ से लाभ उठा सकेंगे। इस ग्रन्थ के प्रकाशन में हिन्दी साहित्य का विशेष गौरव इस कारण है कि सर्वप्रथम इस उपयोगी कानून पर हिन्दी में सर्वाङ्गपूर्ण ऐसी व्याख्या प्रकाशित हुयी।

इस ग्रन्थ में गवर्नमेन्ट आर्डर, सरक्यूलर रैजोल्यूशन, रूल्स और म्यूनिसिपल मैन्युअल के आवश्यक भाग, हाईकोर्ट की सब नजीरें, ऐक्ट की दफा के साथ यथास्थान दी गयी हैं एवं तत्सम्बन्धी अन्य कानूनों की दफाओं को उसी स्थान में अविकल उद्धृत कर दिया गया है या उसकी उपयुक्त व्याख्या कर दी गई है। क्लिष्ट विषय को व्याख्या में सरल करके और उदाहरण दे के समझा दिया गया है। इस कानून सम्बन्धी आज तक जितनी नजीरें हुई हैं वे सब दफा के अनुसार दे दी गई हैं बल्कि लिखने के पश्चात् और समग्र ग्रन्थ छप चुकने तक जितनी नजीरें हुई वे भी ग्रन्थ के पीछे लगादी गई हैं। एक पेज "चिटों" का इसलिये लगा दिया गया है कि बताये हुये स्थानों पर चिटोंको अलग २ करके पाठक चिपकालें जिससे किसी दफा को पढ़ते हुये उसके सम्ब-

८५ से हाल तक की नजीरों का पता पाठकों को चल जाय। इसके अतिरिक्त पाठकों की सुविधा के लिये अनेक प्रकार की सूचिया भी दी गई है जिससे किसी विषय के देखने की इच्छा होते ही तत्क्षण वह विषय पाठकों को मिल सके। प्रकरणों की सूची, दफ़ावार सूची, शब्दार्थ सूची, सकेताक्षरो की सूची, आदि दी गई है। विशेष कर हम पाठकोका ध्यान "विषय सूची" (Index) की ओर दिलाते है। यद्यपि विषय सूची से ग्रन्थ की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है तथापि हमारा विश्वास है कि अब तक किसी हिन्दी ग्रन्थ मे विषय सूची बनाने का भारी परिश्रम नही उठाया गया है।

प्राथमिक शिक्षा का कानून इस ऐक्टका सम्बन्धी है। इसलिये उसको भी अन्तमे जोड दिया गया है। इडियन एलेक्शन्स आफेन्सेज ऐक्टका आवश्यक भाग भी छाप कर पीछे लगा दिया है। इसमे मेम्बरों के चुनाव के समय के अपराध और उनके लिये दण्ड नियत किये गये है। निर्वाचनों की गर्मा गर्मी मे अनेक लोग बहुत सी कारवाई ऐसी कर बैठते है कि जो कानून मे जुर्म मानी गई है, अतएव इस कानून से सबको परिचित होना चाहिये।

लेखक महोदय ने अनवरत परिश्रम करके यथासाध्य इस ऐक्ट को ऐसा लिखा है कि म्यूनिसिपल बोर्ड के माननीय सभ्य मेम्बरो का केवल इसी एक ही ग्रन्थ से पूरा काम चल सके। उन्हे दूसरे कानूनों या मैन्युअल आदि देखने, पढ़ने का कष्ट न उठाना पड़े, तथा म्यूनिसिपलटियो के शासनाधीन जनता को अपने स्थानीय कानून का पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाय, बोर्ड के अनुचित हुक्मों पर आपत्ति कर सके, अनधिकारी अफसर या मेम्बर के कामो मे हस्ताक्षेप कर सके, और यह जान सकें कि किस अफसर का अधिकार कैसे हुक्म या दड देने का है, किस हुक्म की अपील कितनी मियाद के अन्दर कहा पर किस प्रकार की जायगी। स्थानीय सफाई रखने, पानी पहुँचाने, रोशनी करने, इमारत बनाने की आज्ञा देने, शिक्षा देने, स्वास्थ्य रक्षा करने, दण्ड देने और टैक्स बाधने आदि के क्या नियम है और वे नियम किस प्रकार बरते जाते है इत्यादि। सारांश यह कि जनता अपने और बोर्ड के अधिकार और कर्तव्य पूर्णतया इस ग्रन्थ के द्वारा समझ सकेगी। जनता के अधिकारों और कर्तव्यों की बात कहते हुये यहा पर थोडा सा उल्लेख म्यूनिसिपल मेम्बरों के निर्वाचन के विषय मे करना अनुचित न होगा। नगर के स्वास्थ्य, सफाई, शान्ति आदि के सुप्रबन्ध के लिये अपने प्रतिनिधि चुनना, उन अधिकारो मे जो इस ऐक्ट के द्वारा दिये गये है, सबसे बडा अधिकार है, और वही जनता का सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। जहा पर स्वार्थत्यागी प्रजा प्रतिनिधि चुने जाते है- वे बुद्धिमत्ता से इस कानून का निष्पक्ष सदुपयोग केवल कानून और जनता के मतलबों के लिये करते हैं, और जनता को सब प्रकार का लाभ रहता है। किन्तु इसके विरुद्ध देखा जाता है कि उम्मेदवार मेम्बर वोट लेने के समय लम्बी चौड़ी बाते देश और जनता को सुख शाति पहुँचाने के बारे मे करते है, तथा अनेक प्रकार से विश्वास दिलाते है, मगर मेम्बर होने के पश्चात, तुरन्त या कुछ समय बाद उनकी गति विधि ठीक उलट जाती है। इसलिये मेम्बरोके निर्वाचनमे जनताको किसी व्यक्तिके प्रभावपर कुछ ध्यान न देना चाहिये। निःस्वार्थी,सदविचारशील न्यायपरायण कर्तव्यनिष्ट,समदृष्टि रखने वाले विद्वान व्यक्ति को चुनना चाहिये, चाहे वह किसी वर्ण या जाति का हो और चाहे वह गरीब हो या प्रभावशाली हो। वोट उसी व्यक्ति को देना चाहिये जिसमे निस्वार्थ भाव से निरभिमान योग्य काम करने की शक्ति हो। वोट सदैव स्वतन्त्र विचार से देना चाहिये। साथ

ही साथ उम्मेदवारों से भी हमारा निवेदन है कि मेम्बरी को अपना मान मर्यादा बढाने का एक उपाय समझ कर उसकी चाह करना घोर अन्याय है। मेम्बरी के अधिकारी वही है जिनमे यथेष्ट योग्यता है, जो अपना समय दे सकते है और जिनमे सेवा करने का नियम बद्ध धार्मिक उत्साह है।

हिन्दी की सेवा देश सेवा का एक विशेष अङ्ग है, इसलिये जिन सज्जनो से मुझे इस ग्रन्थ के प्रकाशित करने मे सहायता मिली वे सब सज्जन धन्यवाद के पात्र है। इस ऐक्ट के लिखे जाने का प्रारम्भिक विवरण इस प्रकार है—

नवम्बर सन् १९२२ ई० मे, अंग्रेजी कानूनो का हिन्दी मे छापने और प्रिवी काउन्सिल तथा भारत की प्रधान अदालतो की नयी नजीरों को हिन्दी मे प्रकाशन करने के उद्देश्य से 'कानून प्रेस की स्थापना हुई। हिन्दी मे 'हिन्दी-लॉ-जरनल' नामक मासिक पत्र प्रकाशित हुआ एव कानूनी किताबे छपना प्रारम्भ हुआ। जब हमे हिन्दी प्रेमी जनता द्वारा प्रोत्साहन मिला तो इस ऐक्ट को मूल ही नही बल्कि सर्वाङ्गपूर्ण व्याख्या और समग्र नजीरो सहित छापने के लिये हम प्रस्तुत हुये। अनेक कानून पेशा योग्य सज्जनों से उपरोक्त विधि से इस ऐक्ट के लिखने के लिये निवेदन किया किन्तु सब लोग यह कह कर पीछे हट गये कि अभी तक अंग्रेजी कमेन्ट्री इस पर नही हुई इसलिये यह कार्य दु साध्य है। दृढ संकल्प की सफलता भगवान अवश्य करते है। सन् १९२३ ई० की ग्रीष्म मे स्वास्थ्य लाभ के लिये नैनीताल के समीप घोड़ाखाल नामक स्थान मे मै ठहरा हुआ था, एक दिन यह सुना कि समीप ही एक वकील साहब ठहरे है थोड़ेही समय मे उनके साथ हेल मेल होगया और परस्पर श्रद्धा और मैत्री बढ़ गई। यह सज्जन बाबू कृष्णमुरारीलाल बी० ए०, एल० एल० बी०, बदाऊ के वकील थे। आप के अनुभव द्वारा हमे अपने उक्त उद्देश्य मे बहुमूल्य सहायता मिली और सबसे बढ कर यह सहायता मिली कि आप ही के द्वारा इस ग्रन्थ के लेखक महोदय का परिचय हुआ इसलिये हम सर्व प्रथम श्रीयुत बा० कृष्णमुरारीलाल बी०ए०, एल०एल०बी०, वकील हाईकोर्ट को बहुमान पुरस्सर धन्यवाद देते है।

दूसरे धन्यवाद के पात्र श्रीयुत बा० बृजेशबहादुर बी० ए०,एल०एल० बी०,वकील हाईकोर्ट है। जिनके असीम परिश्रम से ऐसा ग्रन्थ लिखा गया। हम आप के इस उत्साह के लिये विशेष धन्यवाद देते है कि इस ऐक्ट पर व्याख्या लिखने का साहस किया जिस पर अभी तक अंग्रेजी मे व्याख्या नही लिखी गई है। अन्त मे हम अपने कानून प्रेस के सब कर्मचारियो को धन्यवाद देते है जिनके परिश्रम का फल यह हुआ कि हम हिन्दी प्रेमी जनता के सामने इस उपयोगी ग्रन्थको छाप कर प्रस्तुत करने को समर्थ हुए।

इस ग्रन्थ के छपने मे यद्यपि सब बातो का ध्यान रखा गया है किन्तु फिर भी जो अशुद्धिया या त्रुटिया रह गई हों उनके लिये पाठक यह सोच कर क्षमा करे कि अपने ढंग के सर्वप्रथम और इतने बडे ग्रन्थ मे ऐसा होना असम्भव नही है।

हमें विश्वास है कि इस ग्रन्थ से सयुक्त प्रान्त की म्युनिसिपलटियों के शासनाधीन जनता एव बोर्डके मेम्बरों, कर्मचारियो आदिको लाभ पहुंचेगा। यदि किसी अश मे ऐसा हुआ तो हम अपने उद्देश्य और परिश्रम को सफल समझेंगे।

१ अक्टूबर सन १९२४ ई०

चन्द्रशेखर शुक्ल

भूमिका

म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट न० २, सन १९१६ ई० मे संशोधन करने के लिये कई एमेण्डमेंट ऐक्ट पास हो चुके हैं। इस सब ऐक्टोंके हुक्मोंके अनुसार इस ग्रन्थके मूल भाग मे परिवर्तन कर दिये गये हैं। मूलमें जहां कहीं कोई संशोधन किया गया है, हाशिये पर संशोधन करने वाले ऐक्टका नम्बर और सन छाप दिया गया है।

प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये हुये लगभग सब नियम (Rules) ग्रन्थमे मिलेंगे। जो नियम जिस दफा से सम्बन्ध रखता है, उसी दफा के नीचे व्याख्यामे वह छापा गया है। सब आवश्यक गवर्नमेंट आर्डर, सर्क्यूलर, हिदायतें सरकारी विज्ञापन, बोर्ड आव् रेविन्यू तथा सेनिटेरी इंजिनियरके हुक्म इत्यादि इत्यादि भी यथास्थान दिये गये हैं। जहां आवश्यक समझा गया है म्यूनिसिपल मैन्युअलमे दिये हुये नमूने के रेग्युलेशन और बाई-लॉ (Model Regulations and Bye Laws) भी उद्धृत कर दिये गये हैं।

म्यूनिसिपल मैन्युअल के पेजोंके हवाले, सन १९२२ ई० की छपी हुई मैन्युअलके पहले एडिशनके दिये गये हैं।

कानून की भाषा, विशेषकर अनुवादमे, कुछ विशेष ढङ्गकी प्रतीत होना अनिवार्य है। उसका अर्थ लगाने के कुछ मुख्य नियमोंपर आरम्भ ही में विचार करना चाहिये —

१ म्यूनिसिपलटीज ऐक्टके द्वारा म्युनिसिपलटियोंसे सम्बन्ध रखने वाले कानूनका संग्रह किया गया है। अतएव म्युनिसिपलटियोंके सम्बन्धमें जो कानूनी प्रश्न उत्पन्न हो उनके उत्तर के लिये इस ऐक्ट ही को खोजना चाहिये (देखिये गोकुल मन्दर बनाम पद्मानन्द सिंह 29 I A 196=22 Cal 707. P C)

२ ऐक्टकी किसी दफाका अर्थ लगाने के लिये पहले दफा की भाषापर विचार करना चाहिये (नरेन्द्रनाथ बनाम कमल बासिनी I L R 23 Cal 674 F B)

३ ऐक्टकी भाषाका अर्थ व्याकरणके नियमोंके अनुसार लगाना चाहिये। पारिभाषिक शब्दोंका अर्थ वही लगाना चाहिये जो कानूनमें दिया गया हो। अन्य शब्दोंका वही अर्थ लगाना चाहिये जो साधारण बोल चालमे उनका लगाया जाता हो (मातंगिनी बनाम मोकरूरा I L R 19 Cal 674 F B, और ला मेस्युरियर बनाम माजिद हुसेन I L R 29 Cal 890 F B)

४ यदि भाषाका साधारण अथवा व्याकरणके अनुसार अर्थ किये जाने से कानूनमें किसी प्रकारका स्पष्ट विरोध उत्पन्न होता हो, या ऐसा अर्थ लगाने से कोई शब्द निरर्थक जान पड़ते हों, या किसी प्रकारका अन्याय उनके द्वारा होता हो, तो उनका वह अर्थ लगाया जा सकता है जो उस स्थानपर उचित जान पडे। और अर्थ ऐसा लगाना चाहिये जो विषय और प्रसंगके अनुकूल हो (देवनारायण बनाम कुकुर बिन्द, 24 I L R All, 319)

५ म्युनिसिपलटियोंका क़ानून जनताके अनेक प्रकारके अधिकारोंमे हस्तक्षेप करता है ऐसे क़ानूनके शब्दोंका अर्थ बडी होशियारीसे लगाया जाना चाहिये और जहातक संभव हो सके जनताके अधिकारोंकी रक्षाकी जाना चाहिये (दस्सू बनाम सरकार बहादुर 6 A L J 544 और कामतानाथ बनाम चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड इलाहाबाद, 2 A L J 676=28 All I L R 196)

६ म्युनिसिपलटीज ऐक्ट एक टैक्स लगाने वाला क़ानून भी है। ऐसे क़ानूनका सख्तीके साथ अर्थ लगाना चाहिये। सख्तीसे अर्थ लगाने के लिये भाषाका शाब्दिक अर्थ देना जाना चाहिये। ऐसा अर्थ लगानेपर यदि कोई शख्स किसी टैक्सका जिम्मेदार ठहराया जा सके, तो उसपर टैक्स बाधा जाय अन्यथा नही। भाषाका सार लेकर या क़ानूनके साधारण उद्देश्यपर विचार करके किसी को टैक्स देनेका जिम्मेदार नही ठहरा देना चाहिये, (मनिन्द्र चन्द्र बनाम सेक्रेटरी आव स्टेट, I L R 34 Cal 257=5 C L J 148, और मायलापूर हिन्दू पर्मानेन्ट फण्ड बनाम मदरास कारपोरेशन I L R 34 Mad 408=18 M L J 349, और चिलिंग वैलीटी फैक्ट्री बनाम सेक्रेटरी आव स्टेट I L R 34 Cal 257=5 C L J 148)

ऐक्टके मूलका यथासाध्य शब्दिक अनुवाद करनेकी चेष्टा की गई है। भाषाको समझानें अथवा स्पष्ट करने के अभिप्रायसे क़ानूनके मूलको दूसरे शब्दोंमे बदलना सर्वथा खतरनाक होता है (दुर्गा चौधरानी बनाम जवाहिर सिह चौधरी, I L R 18 Cal 23P C) अन्तमे पाठकगणसे यह निवेदन करना आवश्यक समझता हूँ कि अंग्रेजी क़ानूनके शब्दोंका हिन्दमे अनुवाद करने मे, और, इस ऐक्टपर कोई अंग्रेजीकी कमेंट्री न होने के कारण, व्याख्या लिखने मे अनेक कठिनाइया उपस्थित हुई। मेरे मित्र पं० चन्द्रशेखर जी शुक्ल, प्रोप्राइटर क़ानून प्रेस, कानपुर, की प्रेरणा और प्रोत्साहन दिलानेपर ही मैने इस ऐक्टकी व्याख्या लिखनेका साहस किया। पं० चन्द्रशेखर जी का हिन्दी से अगाध प्रेम परम सराहनीय है। जो अशुद्धियां या त्रुटिया इस ग्रंथमे हो उनके लिये पाठक मुझे क्षमा करें और यदि हिन्दी प्रेमियोकी कुछ भी सेवा इस ग्रथसे हो तो उसके लिये धन्यवाद के पात्र श्रीमान् प० चन्द्रशेखर जी है।

बृजेशबहादुर
बी० ए०, एल० एल० बी०,
वकील हाईकोर्ट

एटा

तारीख़ १८ अगस्त सन १९२४ ई०

संकेताक्षरों की सूची

A या All	इन्डियन लॉ रिपोर्टस् इलाहाबाद सीरीज
A. I R (All. S.)	आल इन्डिया रिपोर्टर इलाहाबाद सेक्शन
A L J	इलाहाबाद लॉ जरनल
A W N	इलाहाबाद वीकली नोट्स
Bom I L. R.	इन्डियन लॉ रिपोर्ट्स बम्बई सीरीज
Cal	इन्डियन लॉ रिपोर्ट्स कलकत्ता सीरीज
Cr L J.	क्रिमिनल लॉ जरनल
(Cr S)	क्रिमिनल सेक्शन
C W. N.	कलकत्ता वीकली नोट्स
(F B)	फुलबेन्च
H L J	हिन्दी-लॉ-जरनल (कानपुर)
I C	इन्डियन केसेज
I L R.	इन्डियन लॉ रिपोर्टस्
Mad	इन्डियन लॉ रिपोर्टस् मद्रास सीरीज
O C	अवध केसेज
O L J	अवध लॉ जरनल
(P C)	प्रिवी कौन्सिल
Rev & Cr L J.	रैविन्यु ऐन्ड क्रिमिनल ला जरनल
(Vol)	वाल्यूम

संयुक्त प्रान्त का

म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट नं० २

सन् १९१६ ई० की

दफ़ावार सूची

प्रथम प्रकरण

प्रारम्भिक-विवरण

संयुक्त प्रान्त का

म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट नं० २

सन् १९१६ ई० की

दफावार सूची

प्रथम प्रकरण

आरम्भिक-विवरण

प्रकरण २

म्यूनिसिपलटियों का सङ्गठन और संचालन

(म्यूनिसिपलटियों की स्थापना)

(म्यूनिसिपल बोर्ड)

(निर्वाचन अर्थात् चुनाव)

(निर्वाचन सम्बन्धी अर्जियां)

प्रकरण ३

कामकाज का चलाया जाना

(म्यूनिसिपल मीटिंग और कार्रवाइयाँ)

प्रकरण ४

म्यूनिसिपल कोष और जायदाद

प्रकरण ५

म्यूनिसिपलटीके कर

(करों का लगाया जाना और उनमें परिवर्तन किया जाना)

प्रकरण ६

म्यूनिसिपलटीके कुछ मतलबों अर्थात् तलब की हुई रक़मोंका वसूल किया जाना

प्रकरण ७

इमारतों और सार्वजनिक मोरियों और सार्वजनिक रास्तों और आग बुझाने और मैला उठवाने और पानी पहुँचाने और देनेके सम्बन्ध में अधिकार और दण्ड

(इमारतोंके सम्बन्धमें क़ायदे)

(सार्वजनिक सडके या गलिया)

(पानीका पहुँचाना)

प्रकरण ८

अन्य अधिकार और दण्ड

(बाजार या मडिया बध स्थान, खाद्य पदार्थका बेंचा जाना इत्यादि)

प्रकरण ९

नियम, रेग्युलेशन, और बाई-लॉ

प्रकरण १०

कार्रवाई या ज़ाबता

(म्यूनिसिपलटी के नोटिस)

(मुकद्दमें चलाये जाना)

(बोर्डके हुक्मों की अपील और बोर्डके विरुद्ध मुक़द्दमें)

प्रकरण ११

परिशिष्ट

प्रकरण १२

मुश्तहिरा रकबे

इति

अन्य क़ानूनोंकी दफाएं या हुक्म जिनका विवरण इस ग्रन्थमें यथा स्थान दे दिया गया है

न० शु०	सन्	ऐक्ट न०	नाम क़ानून	दफा या आर्डर	पेज
१	१८६०	४५	ताजीरात हिन्द	दफा १०७	५९
२	१८६०	४५	ताजीरात हिन्द	दफा १६१	१३२
३	१८६०	४५	ताजीरात हिन्द	दफा २६८	३२४
४	१८६०	४५	ताजीरात हिन्द	प्रकरण ९ (ए)	
५	१८६१	५	इन्डियन पुलिस ऐक्ट	दफा ३४	१९४
६	१८७२	९	कानून मुआहिदा	दफा २ (डी)	५८
७	१८७२	१	कानून शहादत	दफा ११५	२६३
८	१८८२	२	इन्डियन ट्रस्ट ऐक्ट	दफा २०	१९६
९	१८८५	१३	इन्डियन टेलीग्राफ ऐक्ट	दफा १०	२८९
१०	१८९४	१	लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट	दफा १८	४०२
११	१८९८	५	जाब्ता फौजदारी	दफा १०९	३६
१२	१८९८	५	जाब्ता फौजदारी	दफा ११०	३७
१३	१८९९	४	गवर्नमेन्ट बिल्डिङ्गस् ऐक्ट	दफा ३	२५७
१४	१८९९	८	इन्डियन पेट्रोलियम ऐक्ट	दफा२(ए)व३(१)	६
१५	१९०१	२	कानून लगान आगरा	दफा ११	३५
१६	१९०४	१	स० प्रान्त का जनरल क्लॉजेज ऐक्ट	दफा ४	१८४
१७	१९०४	१	स० प्रान्त का जनरल क्लॉजेज ऐक्ट	दफा २३	३८२
१८	१९०८	५	जाब्ता दीवानी	दफा १२२	२४१
१९	१९०८	५	जाब्ता दीवानी	आर्डर २९	१५
२०	१९०८	५	जाब्ता दीवानी	आर्डर ४६	२४१
२१	१९०८	५	जाब्ता दीवानी	आर्डर ४६रूल१	५३
२२	१९०८	५	जाब्ता दीवानी	आर्डर ४७रूल१	५४
२३	१९१३	७	इन्डियन कम्पनीज ऐक्ट	दफा २५४	१२९
२४	१९१४	९	लोकल अथारिटीज लोन्स ऐक्ट	दफा ३	२०२
२५	१९१५-१६		गवर्नमेन्ट आव इंडिया ऐक्ट	दफा ८० (३)	२१२
२६	१९१९	७	स०प्रा०का प्राइमरी ऐज्यूकेशन ऐक्ट	समग्र	४४९-४५९
२७	१९२०	३९	इंडियन एलेक्शन्स आफेन्सेज ऐण्ड इनक्वाइरीज़ ऐक्ट	भाग १	४६०-४६८

शब्दार्थ सूची

अ

अवधि—मियाद
अफसर—पदाधिकारी
अपीलाण्ट—अपील करने वाला
आम—सार्वजनिक
आराज़ी—जमीन
ओहदा—पद

इ

इब्तदायी—प्रारम्भिक
इमारत का भाग—देखो पेज ६

उ

उपदफा—दफा का हिस्सा या अंश
उपेक्षा—गफ़लत

ऐ

ऐक्ट—कानून

क

कर—टैक्स, "महसूल" शब्द सर्व जगह 'Rates" के लिये आया है
क़तई—जिसके आगे कोई कार्रवाई न होसके
क़ाबिज—देखो पेज ५
क़ायम मुकाम—प्रतिनिधि
क्लॉज—दफा या उपदफा का एक भाग
कन्टून्मेण्ट—छावनी, फौजी पड़ाव
कंट्रास्ट—मुआहिदा

ग

गजट—गवर्नमेंट गजट
गलीज—मैला, कूड़ा करकट आदि
गाहीं—देखो पेज ८
गैरटी—जिम्मेदारी
गैरमनकूला—स्थावर सम्पत्ति
गैर मुसलिम—जो मुसलमान न हो

च

चश्मा—पानी का सोता, श्रोत
चकले—रण्डियों के रहने की जगहें
चहबच्चे—कुण्ड कुण्डी, मैले पानी का या पीनेके पानी का हौज़
चेयरमैन—सभापति

ज

ज्वलनशील—जल उठने वाली
जायज—जो क़ानून से योग्य हो
जन सख्या—देखो पेज ७
जिम्मेदारी—पाबन्दी, उत्तर दायित्व

ट

टूर्नामेण्ट—खेल, कसरत, दौड़ आदि में स्कूलोंका एक दूसरे से मुक़ाबिला
टेण्डर—रक़म जिस पर कोई व्यक्ति कोई ठेका या काम लेने या करने की तैय्यारी प्रकट करता है
टैक्स—कर

ड

डिस्ट्रिक्ट—जिला, प्रदेश

ढ

ढोर—पशु, जानवर

त

तजवीज—राय, अदालती फैसला
तशख़ीस—जाच के बाद निश्चित करना
तामीरात—काम

द

दीन—मजहब

न

नाजायज—बे क़ानूनी
नामजद—घोषित किया हुआ
नियम—देखो पेज ८
नियत किया हुआ—देखो पेज ७
निवासी—देखो पेज ४
निर्वाचन—चुनाव
निर्दिष्ट—बताया गया
नोटिस—विज्ञापन

प

प्रतिनिधि—क़ायम मुकाम
प्रचलित—रायज
परिशिष्ट—तितम्मा, जुड़ा हुआ
प्रान्त—सूबा
प्रार्वीडेण्ट फंड—जो रुपया तनख्वाह से काट कर जमा रहे और नौकरी छोड़नेपर दिया जाय
प्रिसाइडिंग अफ़सर—वोट जाचनेका अफ़सर
पेट्रोलियम—देखो पेज ६
पैरेफिन—देखो पेज ७
पोल—लिखित सम्मति देना
पोलिंग स्टेशन—वोट देने की जगह

फ

फ़रीक़सानी—प्रतिपक्षी, पक्षकार
फीस—उजरत, मेहनताना
फंड—पूंजी

ब

बजट—तख़मीना आमदनी व ख़र्च
बधस्थान—जानवर क़त्ल करने की जगह
बाई-लॉ—देखो पेज ३
बेञ्जीन—देखो पेज ७
बोर्ड—देखो पेज २
बोर्ड का अफ़सर—देखो पेज ५
बोर्ड का नौकर—देखो पेज ८

म

म्यूनिसिपलटी—देखो पेज ४
मलबा—इमारत का सामान
मनकूला—जंगम सम्पत्ति
मदाख़िलत बेजा—अनुचित दख़ल देना
मात्रा—परिमाण
मालिक—देखो पेज ५
मिनरल आइल—देखो पेज ७
मुहर्रिर—मुंशी
मुआहिदा—कंट्राक्ट
मुकर्रर—नियत
मुताल्लिक़—अनुकूल, सम्बन्ध
मुआइना—निरीक्षण
मुन्तक़िल—हटा देना
मुसका—जानवरों के मुंह बांधनेकी जाली
मुस्तहिरा रक़बा—उन छोटे छोटे क़स्बोंकी म्यूनिसिपलटी, जिनमे आबादी और आमदनी कम होने के कारण म्यूनिसिपलटी के सब काम नहीं किये जाते परन्तु उनमे से कुछ मुख्य कामों के किये जाने का प्रबन्ध कर दिया जाता है
मोरी—देखो पेज ४

र

रक़बा—क्षेत्रफल
रॉक आइल—देखो पेज ७
रास्ता—देखो पेज ८
रूल—सरकार के बनाये नियम
रेग्युलेशन—देखो पेज ८
रेस्पाण्डेण्ट—जिसके विरुद्ध अपील किया जाय

व

भ

म

ब

भ

म

ह

विषय सूची

Index

विषय पेज

ठ

झ

ट

ठ

ल

छप कर तैय्यार हैं--

नाम किताब	मूल्य	डाक खर्च
हिन्दू-लॉ	१२)	१=)
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट सन१९२४ई०संशोधन सहित	२)	।≡)
,, ,, ,, ,, उर्दू	२)	।≡)
पंचायत ऐक्ट पूर्ण व्याख्या सहित	॥)	।=)
म्यूनिसिपलटीज़ ऐक्ट	८)	॥।=)
हिन्दी-लॉ-जरनल सन १९२२—२३ ई०	११॥)	कुछ नहीं
सन १९२३—२४ ई०	१०)	,,

छप रहे हैं:—

म्यूनिसिपलटीज़ ऐक्ट उर्दू
म्यूनिसिपलटीज़ ऐक्ट मूल
इनकम टैक्स पूर्ण व्याख्या और कुल नज़ीरों सहित
ज़ाबता फौजदारी पूर्ण व्याख्या और कुल नज़ीरों सहित

लिखे जा रहे हैं:—

बड़े बड़े क़ानूनी ग्रन्थ पूरी व्याख्या और कुल नज़ीरों सहित लिखे जा रहे हैं।

पता—क़ानून प्रेस, रानीमंडी कानपुर।



संयुक्त प्रान्तीय

म्युनिसिपलटीज़ एक्ट नं० २

सन् १९१६ ई० ×

एक्ट न० १, सन् १९१८ ई० सं० प्रा० का म्युनिसिपलटीज (एमेंडमेंट) एक्ट
एक्ट न० २, सन् १९१९ ई० स० प्रा० का म्युनिसिपलटीज (एमेंडमेंट) एक्ट
एक्ट न० ६, सन् १९१९ ई० स० प्रा० का म्युनिसिपलटीज (एमेंडमेंट) एक्ट
एक्ट न०३८, सन् १९२० ई० डेवोल्यूशन एक्ट
एक्ट न० ९, सन् १९२२ ई० स० प्रा० का म्युनिसिपलटीज (एमेंडमेंट) एक्ट

के संशोधनों सहित

[संयुक्त प्रान्त की म्युनिसिपलटियों से सम्बन्ध रखने वाले कानून का संग्रह और संशोधन करने के लिये एक्ट]

यह उचित जान पड़ता है कि म्युनिसिपलटियोंसे सम्बन्ध रखने वाले क़ानून का संग्रह और संशोधन किया जाय, अतएव नीचे इस लेख के अनुसार क़ानून बनाया जाता है।

× नोट—संयुक्त प्रान्त का प्राइमरी एजूकेशन एक्ट (Primary Education Act) नं० ७ सन् १९१९ ई० अर्थात प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी क़ानून, इस एक्ट का भाग और परिशिष्ट समझा जायगा।

प्रकरण १

प्रारम्भिक विवरण

दफा १ संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ

१ यह एक्ट "संयुक्त प्रान्तीय म्यूनिसिपलटीज एक्ट सन् १९१६ ई०" कहलायेगा।

२ इसका विस्तार उन स्थानोंमें होगा जो संयुक्त प्रान्त के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के शासन में हों।

३ पहली जुलाई सन १९१६ ई० से यह कानून लागू होगा।

दफा २ परिभाषा

इस एक्टमें सिवाय किसी ऐसे स्थानके जहां विषय अथवा प्रसंग की दृष्टि से यह अर्थ अयुक्त या अनुचित हो—(नीचे लिखे शब्दों का वही अर्थ माना जायगा जो उस शब्द का किया गया है)

१ बोर्ड (Board) का अर्थ है म्यूनिसिपल बोर्ड और किसी ऐसी अवस्थामें जब बोर्डको किसी अधिकारका दिया जाना या उस पर किसी कामकी जिम्मेदारी का डाला जाना पाया जाय तो 'बोर्ड' शब्दमें कोई ऐसी कमेटी भी जिसको बोर्डने नियुक्त किया हो तथा बोर्डका कोई मेम्बर अफसर, या नौकर भी जिसको इस एक्ट द्वारा या इस एक्टके अनुसार, उस अधिकारको बरतने या उस कामके करनेका अधिकार या आज्ञा दी गयी हो शामिल समझे जायँगे।

व्याख्या—

बोर्डके अधिकांश अधिकार किसी न किसी मेम्बर कर्मचारी, या कमेटीके द्वारा बरते जाते हैं और बोर्डकी अधिकांश जिम्मेदारियां भी उन्हींके द्वारा पूरी कराई जाती हैं। आवश्यकतानुसार बोर्ड उनको अपने अधिकार और जिम्मेदारियां सौंप दिया करता है। इस लिए कानूनमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि जहां कहीं बोर्डको किसी अधिकारका दिया जाना या उस पर किसी जिम्मेदारी का डाला जाना पाया जाय, तो जिस मेम्बर, कर्मचारी या कमेटीको ऐसा अधिकार या जिम्मेदारी बोर्ड सौंपे, वही कानूनकी दृष्टिमें बोर्ड के स्थान पर मान लिया जायगा, अर्थात् ऐसे मेम्बर, कर्मचारी या कमेटीके अधिकार और जिम्मेदारियां वही मान ली जावेंगी जो स्वयं बोर्डको उस विषयमें प्राप्त हों और ऐसे सौंपे हुये अधिकार या जिम्मेदारीके सम्बन्धमें उक्त मेम्बर, कर्मचारी या कमेटी के द्वारा किये हुये कार्य्य बोर्डहीके किये हुये कार्य्य समझे जायेंगे।

२ इमारत (Building) शब्दका अर्थहै कोई मकान झोपडा उसारा या और किसी प्रकारका छाया हुआ घर चाहे वह किसीभी कामके लिये हो और चाहे वह किसी पदार्थका बनाहो तथा ऐसे मकान झोपडे उसारे, या छाये हुये घरका

प्रत्येक भागभी 'इमारत' शब्दमें शामिलसमझा जायगा, परन्तु डेरा या अन्य कोई वैसाही शरणस्थान जो एक जगहसे दूसरी जगहको उठाके लेजाया जासके और जो अस्थाईहो (अर्थात् जो थोडे समयके लियेही स्थापितकर लियागयाहो) 'इमारत' शब्दमें शामिल न समझा जायगा।

व्याख्या—

'इमारत' शब्दमें डेरे इत्यादिके शामिल न होनेके विषयमें एक्ट नं० १, सन १९०० ई० में कोई हुक्म नहीं था। परन्तु इस सम्बन्धमें हाईकोर्टकी एक स्पष्ट नजीर इस एक्ट नं० २ सन१९१६ई० के पास होनेसे पूर्व हो गयी थी, देखिये कामतानाथ बनाम चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड इलाहाबाद 28 All I L R 196 इस नजीरका मामला यह था कि कामतानाथने कपडोंकी कनातोंसे एक जगह घेरली इसलिये उनपर एक्ट नं० १ सन १९०० ई० की दफा ८७ (देखिये हालके एक्टकी दफा १७८) की आज्ञा के विरुद्ध, विना इजाजतके "इमारत बना लेने का" जुर्म लगाया गया। हाईकोर्टने तजवीज किया कि कनातोंका खडा कर लेना अथवा सिर्की आदिका कोई छोटासा झोपडा बना लेना (जैसे कि प्राय पण्डा कुलियों, मालियों वगैराके लिये बना लिये जाते हैं) इमारतका बनाना किसी हालतमें नहीं कहाजा सकता। कानूनको इस नजीरके अनुकूल बनानेके अभिप्रायसे, डेरे तथा वैसे ही अन्य अस्थाई शरणस्थान अब 'इमारत' शब्दमें शामिल नहीं रखे गये हैं।

यह बात ध्यान देनेके योग्य है कि इस एक्टमें 'इमारत' शब्दमें केवल ऐसे मकान शामिल माने गये हैं जिनके ऊपर छत हो। यदि कोई म्यूनिसिपल बोर्ड चाहे तो विना छतवाले घेरे (Compound) डेरे इत्यादि बनाये जाने या लगाये जानेके विषयमें दफा २९८ (ग) के अनुसार नियम बना सकता है। दफा १२९ में पानीका कर लगाये जानेके विषयमें 'इमारत' शब्दकी व्याख्या देखिये। वह व्याख्या, केवल उक्त दफाहीके लिये है।

२ बाई-लॉ (Bye Law) का अर्थ है ऐसा बाई लॉ जो इस एक्टके द्वारा दिये हुये किसी अधिकारके अनुसार बनाया गया हो।

नोट—बाई-लॉ का शब्दार्थ है कोई ऐसा निजी कानून या कायदा जो कोई सगठित सस्था (Corporate body) जैसे म्यूनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या कोई बैंक या व्यापारी कम्पनी इत्यादि, अपने काम्य के चलानेके अभिप्रायसे बनाले। बाई लॉ बनानेका अधिकार म्यूनिसिपल बोर्डको दफा २९८ में दिया गया है। देखो इस एक्ट की दफा २९८

३ शहर (City) का अर्थ है कोई ऐसी म्यूनिसिपल्टी जिसकी जनसख्या एक लाख (१०००००) या इससे अधिक हो और ऐसी म्यूनिसिपलटी भी जो दफा ३ के अनुसार प्रकाशित किये हुये विज्ञापन द्वारा शहर मान ली गयी हो।

व्याख्या—

इस एक्टसे पूर्व सयुक्त प्रान्तकी म्यूनिसिपल्टिया, अपनी जनसंख्याके अनुसार, ५ श्रेणियोंमें विभक्तकी जाती थीं। परन्तु इस एक्टमें केवल दो श्रेणिया रखी गयी हैं, अर्थात् शहरकी म्यूनिसिपल्टिया और अन्य म्यूनिसिपल्टिया। कुछ निर्दिष्ट बडे नगरोंकी म्यूनिसिपल्टिया शहर मानी गयी हैं, अन्य सबकी गणना सामान्य म्यूनिसिपल्टियोंमें की गयी है, शहरकी म्यूनिसिपल्टियोंका पद ऊचा रखा गया है। जैसे हस्तक्षेप करनेका अधिकार सामान्य म्यूनिसिपल्टियोंमें प्राय कमिश्नर

टीको दिया गया है परन्तु शहरकी म्यूनिसिपलटियोंमें उन्हीं विषयोंमें हस्तक्षेप करनेका अधि अधिकार प्राय प्रान्तीय सरकारको दिया गया है।

सयुक्त प्रान्तमें नीचे लिखी हुई म्यूनिसिपाटियां शहर मानी गयीं हैं, अर्थात् मेरठ, मसूरी, आगरा, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, नैनीताल, लखनऊ और फैजाबाद। (देखो म्यूनिसिपल मैन्युवल पेज १८९)

५ हाता (Compound) का अर्थ है कोई ऐसी जमीन चाहे वह चारों ओर से घिरीहो या नहो, जिसका लगाव किसी इमारतसे हो या सङ्ग सङ्ग कई इमारतोंसे हो।

६ मोरी (Drain) शब्दमे शामिल समझी जायँगी मैलेकी नाली, नल, खाई, पानीके निकासके रास्ते या कोई अन्य युक्ति जो गदापानी कूडा और अशुद्धपानी या बरसातीपानी या जमीनके तलेके किसी स्रोतके जलको बहानेके लियेहो तथा गदगी जमा करनेके लिये गढेहुये बरतन ट्रेप (Trap) चहबच्चे या फ्लश टैंक (Flush tank) और अन्य सहायक युक्तिया, जो उनसे सम्बन्ध रखती हों, भी मोरी शब्द मे शामिल समझी जायँगी।

नोट—ट्रैप (Trap) का अर्थ है मोरीका कोई मोड (Bond) या झुकाव (Sag) या अन्य युक्ति जो इस आशय से बनाई गई हो कि मोरीमें बहने वाली गदगी उसमे ठहरके अशुद्ध वायु या हानिकारक गैस को पीछे लौटने से रोके, परतु जो पानी के बहाव में बाधक न हो। फ्लश टैंक (flush Tank) कोई टकी अथवा हौज जिसमेंसे पानी मोरियोंको साफ करनेके लिये वेगसे निकलता है 'फ्लश टैंक' कहलाता है।

७ निवासी (Inhabitant) अर्थात् 'रहने वाले' शब्दका अर्थ है (जब उसका प्रयोग किसी स्थानीय रकबेके सम्बन्धमे किया गया हो) कोई शख्स जो उक्त रकबेमे साधारणत. रहता हो या काम काज करता हो या जो उस रकबेमें किसी गैर मनकूला (स्थावर) जायदादका मालिक हो या जिसका ऐसी जायदादपर कब्जा हो।

८ ठहरनेका स्थान (Lodging house) में शामिल समझे जायँगे कोई इमारतोंका समूह या कोई इमारत या इमारतका भाग, जो तीर्थ करने वाले यात्रियों और मुसाफिरोंके ठहरानेके काममें लाया जाता हो।

९ म्यूनिसिपलटी शब्दका अर्थ है कोई ऐसा स्थानीय रकबा जो, दफा ३ के अनुसार जारी किये हुये विज्ञापनके द्वारा म्यूनिसिपलटी निश्चित कर दिया गया हो या (उक्त दफाके हुक्मोंके आधीन) कोई ऐसा स्थानीय रकबा जो इस एक्टके आरम्भ होनेके समय म्यूनीसिपलटी था।

व्याख्या—

पहले ऊपर दी हुई ' शहर ' की व्याख्या देखिये। 'म्यूनिसिपल्टी' शब्दमें वह म्यूनिसिपलटियां जो इस एक्टके पास होनेके उपरान्त दफा ३ के अनुसार, स्थापित की जायें तथा

यह म्यूनिसिपलटियां भी जो इस एक्टके पास होनेसे पूर्व मौजूद थीं, दोना सम्मिलित रखी गई हैं परन्तु शर्त यह रखी गई है कि जो म्यूनिसिपलटियां पहलेसे स्थापित थीं वह उसी हालतमें म्यूनिसिपलटियां मानी जायँगी, यदि दफा ३ में दिये हुए हुक्मोंमेंसे कोई हुक्म बाधक न हो जैसा कि ऊपर कहे हुए "उक्त दफाके हुक्मोंके आधीन" शब्दोंसे प्रगट किया गया है।

१० विज्ञापन (Notification) का अर्थ है ऐसा कोई विज्ञापन जो सरकारी गजटमें प्रकाशित किया जावे।

११ क़ाबिज़ (Occupier) शब्दमें शामिल समझा जायगा कोई मालिक जो अपनीही अराजी या इमारत पर वास्तवमें दख़ल रखता हो।

व्याख्या—

'क़ाबिज़' शब्द की व्याख्या करनेमें उसका सम्पूर्ण अर्थ बतानेका उद्योग नहीं किया गया है। इसके अन्तर्गत कौन कौन समझे जायँगे यह प्रश्न खुला छोड़ दिया गया है अतएव इसका निश्चय प्रत्येक मामले पर विचार करने ही से हो सकता है।

प्यारेलाल बनाम सरकार बहादुर 15 All L J 187 के मुकद्दमेमें यह प्रश्न हाई कोर्टके सामने पेश हुआ कि कोई ऐसा शख्स जिसको मन्दिरके पहले अधिकारीने मन्दिरको कायम रखने, साफ करने तथा उसके सम्बन्धके अन्य कार्य्योंको करनेका जिम्मेदार बनाया था, उस मन्दिर पर काबिज माना जा सकता है या नहीं? हाईकोर्टने शब्द काबिजकी इस प्रकार व्याख्या करते हुए कि क़ाबिजका अर्थ है 'कोई शख्स जो किसी जायदाद, जैसे घर अथवा जमीनका वास्तवमें कब्जा ले या जो वास्तवमें उसपर कब्जा रखता हो, या जिसके कब्जेमें वास्तवमें वह हो' यह तजवीज किया कि प्यारेलाल, केवल इस कारण कि मन्दिरके एक पहले अधिकारीने उसको मन्दिरके कायम रखने साफ करने या मन्दिरके अन्य कार्य करनेका जिम्मेदार बना रखा था, किसी तरह उस मन्दिरका काबिज नहीं कहा जा सकता।

इस विषयमें कि प्यारेलालको एक पहलेके अधिकारीने (हालके अधिकारीने नहीं) जिम्मेदार बनाया था हाईकोर्टने तजवीजमें लिखा कि 'मन्दिरको कायम रखने, उसकी सफाई करने और उसके अन्य कार्य्योंको करनेका जिम्मेदार बनाये जानेके कारण यदि प्यारेलाल मन्दिर पर कब्जा रखनेवाला कहा भी जा सके तो भी मिसिलमें केवल इतना ही सुबूत है कि पहले वाले अधिकारीने प्यारेलालको जिम्मेदार बनाया था, इस समय भी मन्दिरका एक अधिकारी है जिसका नाम छगन लाल है, परन्तु नीचे वाली अदालतकी तजवीजमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे यह पता चले कि छगनलालने भी प्यारेलालको उक्त सब कार्योंका जिम्मेदार बना रखा है।'

१२ बोर्डका अफसर (Officer of the Board) का अर्थ है कोई ऐसा शख्स जो किसीऐसे पदपर नियुक्तहो जोपद इस एक्टके द्वारा या इस एक्टके अनुसार कायम किया गयाहो या जारी रखा गयाहो परन्तु उसमें बोर्डका कोई मेम्बर या किसी कमेटीका मेम्बर, केवल बोर्ड या कमेटीका मेम्बर होनेकी हैसियतसे शामिल न समझा जायगा।

१३ मालिक (Owner) शब्द में शामिल समझा जायगा कोई ऐसा शख्स

जो किसी आराजी या इमारतका लगान अथवा किराया या उस लगान अथवा किरायेका कोई भाग पाता हो या पानेका अधिकार रखता हो, चाहे वह शख्स ऐसा किराया या किरायेका भाग अपने निजी हकके द्वारा पाता हो, या ट्रस्टीकी हैसियतसे या किसी शख्सके एजेन्ट होनेकी हैसियतसे या किसी धार्मिक अथवा खैराती कामके लिये या एक रिसीवर (Receiver) की हैसियतसे जो किसी अदालतके द्वारा या अदालतके हुक्मके अनुसार नियुक्त किया गया हो और ऐसा शख्स भी शब्द 'मालिक' में शामिल होगा जो ऊपर गिनाई हुई किसी हैसियतसे ऐसा किराया या किरायेका भाग पानेका अधिकारीहो यदि वह आराजी अथवा इमारत किसी आसामी या किरायेदारको उठा दी जावे।

व्याख्या—

'मालिक' शब्दकी इस कानूनमें जो व्याख्या की गई है उससे यह स्पष्टत प्रगट होता है कि मालिक शब्दमें ऐसे शख्स भी शामिल समझे जायँगे जो किसी आराजी या मकानका लगान या किराया पाने के केवल अधिकारी हों, चाहे यथार्थमें उनको (उस आराजी या मकानके किराये पर उठे न होनेके कारण) कोई किराया मिलता न हो और शब्द किरायाके आगे 'किरायाका कोई भाग' शब्दोंके बढ़ा देनेसे, यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि उस हालतमें जब किसी आराजी या मकानके कई साझीदार हों तो प्रत्येक साझीदार इस एक्टकी दृष्टिमें उसका मालिक समझा जायगा और प्रत्येक साझेदारकी वही जिम्मेदारियां होंगी जो किसी आराजी या मकानके एक अकेले मालिककी इस एक्टमें मानी गई हैं।

१४ इमारतका भाग (Part of the building) में शामिल समझी जायगी कोई दीवार तहखाना या जमीनके नीचेका कोई रास्ता, बरामदा स्थाई प्लेटफार्म (चबूतरा), मकान की कुर्सी, जीना या दरवाजेकी सीढी जो किसी निर्मित इमारतके लगाव में बनी हुई हो या उस इमारतके हातेके भीतर हो या जो ऐसी जमीन पर बनाई गई हो जो भविष्यमें बनाई जाने वाली किसी इमारत का स्थान (Site) या हाता होने वाली हो।

१५ पेट्रोलियम (Petroleum) शब्द का वही अर्थ है जो इंडियन् पेट्रोलियम् एक्ट स० १८९९ ई० मे पेट्रोलियम्' शब्दकी व्याख्यामे दिया गया है।

नोट—इंडियन् पेट्रोलियम एक्ट न० ८ सन १८९९ ई० में पेट्रोलियम शब्दकी व्याख्या इस प्रकारकी गई है —

"शब्द पेट्रोलियममें निम्न प्रकारके द्रव (पतले पदार्थ) भी शामिल हैं —

१ वे सब द्रव जिनको साधारणत रॉक ऑयल् (Rock oil) रगून का तेल, बरमाका तेल, पैरेफिन् तेल (Paraffin oil), मिनरल तेल (Mineral oil), मिट्टीका तेल, पेट्रोलीन (Petroline), गैसोलीन (Gasoline), बेनजोलीन (Benzoine), बेनजीन (Benzine), और बेनजोल (Benzole) के नाम दिये जाते हैं।

२ कोई सहजसे जल उठनेवाला द्रव, जो पेट्रोलियम, कोयला, शिस्ट (Schist) पत्थर,

शेल (Shale) प्रस्तर, पीट (Peat अर्थात् सड़ी हुई जड़ें, छालें इत्यादि), या अन्य शिलाजतुमय पदार्थ (Bituminous), या पट्रोलियमसे निकली हुई किसी वस्तुसे बनाया गया हो।

३ कोई द्रव या लसदार मिश्रित वस्तु जिसकी रचनामें पूर्वोक्त कोई पदार्थ पाया जाता हो।

परन्तु कोई तेल जो साधारणत चिकनाइट देनेके काममें लाया जाता हो और जिसका फ्लैशिंग पॉइंट (Flashing point) फैरनहाट थर्मामीटर (Fahrenheit Thermometer) के दो सौ डिग्री पर या उससे ऊंचा हो, पेट्रोलियम् शब्दमें शामिल न समझा जायेगा।"

फ्लैशिंग पॉइंटका अर्थ है 'तापकी वह कमसे कम डिग्री जिस पर पेट्रोलियममें से ऐसी भाप निकलने लगे कि उसमें से अग्निकी क्षणिक ज्योति या ज्वाला जल उठे, जब कि पेट्रोलियम् एक्टके पहले शिड्यूलमें दी हुई हिदायतोंके अनुसार ऐसे यन्त्र द्वारा उसकी परीक्षाकी जाये जिस पर इस एक्टके आदेशानुसार, परीक्षा करनेसे ठीक पहलेकी पाच वर्षकी अवधिके भीतर मुहर लगाई गई हो या जिसके विषयमें सार्टीफिकेट दिया गया हो और ऐसे संशोधनोंके बाद जिनका काममें लाया जाना परीक्षाके परिणामोंपर पहुचनेके लिये उक्त सार्टीफिकेटमें बताया गया हो। ' पेट्रोलियम ' जिसको ' रॉक ऑयल ' मिनरल ऑयल ' इत्यादिक नाम भी दिये जाते हैं, एक प्रकारका गहरे भूरे अथवा हलके हरे रगका द्रव होता है जो भूगर्भ की ऊपरी तहों से निकलता है। पेट्रोलियम् सहजसे जल उठने वाला द्रव है और रोशनी के लिये जलाने तथा मोटर आदिकी मैशीनोंको चलानेके काममें आता है। पेट्रोलियमको गरम करके साफ करने पर नानाप्रकारकी वस्तुए जैसे **मिट्टीका तेल, बेन्जीन, गैसोलीन, पैरेफिन,** इत्यादि निकलती हैं। **बेन्जीन** रबर गलानेके काममें तथा कपड़ों परसे मैल और चिकनाइट छुड़ानेके कामोंमें आता है। **बेन्जोल** और **बेन्जोलीन** केवल अशुद्ध बेंजीन हैं। **गैसोलीन्** हवाकी गैस (Angas) बनानेके काममें आता है। पेट्रोलियमको साफ करने में एक प्रकारकी मोमके समान वस्तु निकलती है जिसको **पैरेफिन** कहते हैं। अन्य वस्तुओं से मिलाके वह जलाने और चिकनाइट देनेके काममें आता है। पेट्रोलीन एक प्रकारका पैरेफिन है जो रंगूनके पेट्रोलियममें से निकलता है।

'बिटूयुमन' अर्थात् शिलाजतु एक प्रकारकी, कोल तारके समान काली, गाढी वस्तु है जो भूमि में से कैस्पियन और डेड सागरोंके तट पर तथा अन्य स्थानोंमें निकलती है। चूना कंकड़ इत्यादिसे मिलाके इसका सिमेंट (Cement) बनता है जो पुलों, छतों इत्यादिके बनानेके काममें आता है।

१६ जनसंख्या (Population) **का अर्थ है (जब इस शब्दका प्रयोग किसी स्थानीय रकबेके सम्बन्धमें किया जाय) वह जन संख्या जो उस समय पर प्रान्तकी सबसे हालकी सरकारी मर्दुमशुमारीके नकशोंके अनुसार हो।**

१७ नियमित किया हुआ (Prescribed) **का अर्थ है इस एक्टके द्वारा या इस एक्टके अनुसार या किसी अन्य कानूनके अनुसार नियमित किया हुआ।**

१८ आम स्थान या सार्वजनिक स्थान (Public place) **का अर्थ है कोई स्थान जो किसीकी निजकी जायदाद न हो और जिसको काममें लाने अथवा जिससे लाभ उठानेमें सर्वसाधारणको कोई रोक न हो, चाहे ऐसा स्थान म्युनिसिपलटीके अधिकारमें हो या न हो।**

१९ आमरास्ता या सार्वजनिक रास्ता (Public Street) **का अर्थ है—**

(ए) ऐसा रास्ता जिसको बोर्डने दफा २२१ के हुक्मोंके अनुसार आम रास्ता अर्थात् सार्वजनिक रास्ता ठहरा दिया हो। या

(बी) ऐसा रास्ता जो उस ज़मीन (जिस पर रास्ता हो) के मालिककी स्पष्ट या उपलक्षित आज्ञासे म्यूनिसिपल कोष या किसी सार्वजनिक कोष (Fund) से समतल (बराबर) किया गया हो या जिस पर खरजा बनाया गया हो या पक्का किया गया हो या जिस पर पानीका निकास बनाया गया हो या गन्दगीके बहानेके लिये जिस पर नाली बनाई गई हो या जिसकी मरम्मत की गई हो।

२० रेग्यूलेशन (Regulation) का अर्थ है ऐसा रेगूलेशन, जो इस कानून के द्वारा दिये हुये अधिकारके अनुसार बनाया गया हो। (रेगूलेशन को जाबता कहते हैं)

व्याख्या—

बाईलॉज और रेगूलेशनमें यह भेद है कि बाईलॉज वह कायदे कहलाते हैं जो म्यूनिसिपल्टी अपने कर्तव्योंको पालन करनेके सहायतार्थ बनाती है। जैसे सफाई रखना, सड़कें बनवाना हानिकारक व्यापारोंको रोकना इत्यादि म्यूनिसिपलटीके कर्तव्य हैं इन कर्तव्योंके पालन करनेके सम्बन्धमें जो कायदे म्यूनिसिपलटी बनाये वह बाई लॉज कहलाते हैं।

रेगूलेशन वह कायदे होते हैं जिनका, म्यूनिसिपलटियोंके कर्तव्योंसे कोई सम्बन्ध नहीं होता वरन जो स्वय म्यूनिसिपलटीकी संस्थाको चलानेके लिये बनाये जाते हैं। जैसे निम्न लिखित विषयों पर जो कायदे बनाये जाय वे रेगूलेशन कहलायेंगे अर्थात (१) बोर्डकी मीटिंग कहा और कब हो (२) मीटिंगका नोटिस किस प्रकार दिया जाय (३) कमेटियां कैसे बनाई जाय और उनका काम किस प्रकार चलाया जाय (४) चेयरमैनको कौन कौनसे अधिकार सौंपे जाय (५) किस कर्मचारीसे क्या अमानत लीजाये इत्यादि। रेगूलेशन बनानेका अधिकार बोर्डको दफा २९७ में दिया गया है।

२१ नियम (Rule) का अर्थ है ऐसा नियम जो इस कानूनके द्वारा दिये हुये अधिकारके अनुसार बनाया गया हो।

नोट—नियम बनानेका अधिकार इस एक्ट में केवल प्रांतीय सरकार को दफा २९६ में दिया गया है। और दफा ३०० में वह शर्तें जिनके आधीन नियम बनानेका अधिकार है बताई गई है।

२२ बोर्डका नौकर (Servant of the Board) का अर्थ है कोई शख्स जो बोर्डसे तनखाह पाता हो और बोर्डका नौकर हो।

२३ रास्ता (Street) का अर्थ है कोई सड़क, पुल पगडण्डी, गली, चौराहा चौक कूचा या रास्ता जिस परसे सर्वसाधारणको या सर्वसाधारणके किसी भागको निकलनेका अधिकार हो और उसमें दोनों बाजू की मोरियां या नालियां और वह आराजियां जो उस रास्तेसे मिली हुई जायदादों की नियमित हद्दो तक हों, शामिल है चाहे ऐसी आराजियोंके ऊपर कोई बरामदा या इमारतका कोई अन्य ऊपरी खण्ड निकला हुआ हो।

२४ गाड़ी (Vehicle) का अर्थ है कोई पहियेदार सवारी जो रास्ते पर

चलाई जा सके और उसमें बाईसिकल, ट्राईसिकल या मोटरकार भी शामिल समझे जायगे।

२५ घरेलू कामके लिये पानी (Water for domestic purpose) में ऐसा पानी शामिल न समझा जायगा जो चौपायों के या घोडोंके, या गाडिया धोनेके काममें आवे उस हालतमें जबकि उक्त चौपाये घोडे या गाडिया बेचनेके लिये या किरायेके लिये रखी जाती हो या कोई किराये पर माल ढोने वाला (Public Carrier) उनको रखता हो और न उपरोक्त शब्दोंमे ऐसा पानी शामिल समझा जायगा जो किसी व्यापार तैयारी माल (Manufacture) या कारबार चलानेके लिये हो या जो पानी इमारत बनानेके लिये हो या बागोंके सींचने केलिये हो या फोहारों (Fountains) के लिये या किसी सजावटके लिये हो।

२६ पानीका कारखाना (Water works) में सब झीले, तालाब, नदिया, चहबच्चे, नम्मे, पम्प कुए हौज एक्वेडक्ट (Aqueduct) खोदी हुई नालिया दर्रे, बडे नल छोटे नल पलिया इंजिन हाईड्रेण्ट यन्त्र, जबे नलिया और ऐसे सब यन्त्र, आराजिया इमारतें पुल और वह वस्तुए जो पानी पहुँचानेके लिये हो या जो पानी पहुचानेके काममें लाये जायँ, शामिल समझे जायगे।

२७ जब किसी अधिकारीको यह अधिकार दिया जाना प्रगट किया गया हो कि वह किसी शख्सको कोई एक काम या कोई दूसरा काम करनेको हुक्म दे तो उक्त अधिकारीको अधिकार होगा कि अपनी इच्छानुसार उक्त शख्सको दोनो कामोंमें से किसी कामके करनेका हुक्म दे और यदि उस मामलेमे ऐसा करना सम्भव हो तो दोनों कामोंके करनेका हुक्म दे सकता है या वह अधिकारी उक्त शख्सको यह अधिकार दे दे कि वह उन दोनों कामोंमेंसे जिस किसीको करना पसन्द करे उसीको करे।

व्याख्या—

न० २७ का हुक्म इस कारण दर्ज किया गया है कि यह बात स्पष्ट हो जाय कि जब इस एक्टमें बोर्ड या उसके किसी कर्मचारी इत्यादिको यह अधिकार दिया गया हो कि किसी शख्सको दो या अधिक कामोंमसे किसी एकके करनेका हुक्म दे, तो उस शख्सको उन कामोंमेंसे जिस कामके करनेका बोर्ड या उक्त कर्मचारी हुक्म दे वही उस शख्सको करना पडेगा और बोर्ड या उक्त कर्मचारी को वह शख्स इस बात पर मजबूर नहीं कर सकता, कि उसीकी इच्छानुसार उनमेंसे एक काम छाटके उससे कराया जाय। उदाहरणके लिये देखिये दफा २६३ (बी)। किसी कुएके विषयमें बोर्ड उसके मालिकको यह हुक्म दे सकता है कि उसकी मरम्मत करे या उसको सुरक्षित करे या घेर दे। इनमेंसे जिस कामको आवश्यक समझे उसीके करनेके लिये हुक्म दे सकता है और यदि उक्त दफामें ऐसी इजाजत दी गई हो, तो इन सब कामोंके करनेका हुक्म दे सकता है।

नोट "रास्ता" म्युनिसिपल बोर्ड बनारस बनाम रामकृष्णदास (हिंदी लॉ जरनल १९२२ ई० पेज ८७) में इलाहाबाद हाईकोर्टने तय किया कि म्यूनिसिपल्टीके द्वारा रोजाना सफाई होनेके कारण वह गली जनताकी रास्ता नहीं मानी जा सकती। इसका मामला यह था कि बनारस शहरमें एक गली थी। रामकृष्णके मकानका कुछ

हिस्सा इस गली की जमीन के ऊपर था उसका कहना था । कि मेरे मकान का यह हिस्सा बहुत दिनों का बना है मैंने फिर से इसे बना लिया है । म्यूनिसिपलटी ने नोटिस दिया कि गलीके ऊपर का हिस्सा हटादो, यह बिना इजाजत बना है। इस गलीके नीचे एक नाली बीचमें थी । म्यूनिसिपलटीके द्वारा रोजाना गली और नाली की सफाई होती थी। रामकृष्ण पर इस अपराधमें जुर्माना किया गया। रामकृष्णने दीवानीमें दावा कर दिया कि गली की जमीन मेरी है म्यूनिसिपलटी का हक्क उसमें नहीं है। यह गली मुद्दई के मकान तक चल कर खतम होगयी थी। प्रारम्भिक अदालत अपीलने तय किया कि गली पुरानी है और दूसरे आदमियोंके जो मकान उसमें हैं वे उस गली को हक्क आसाइश की तरह काम में लाते हैं मुद्दई गली का मालिक है। हाईकोर्ट ने तय किया कि गली मुसलमान बादशाहों के समय की बनी है। म्यूनिसिपलटी के द्वारा रोजाना सफाई होने के कारण जनता की रास्ता नहीं मानी जायगी। रास्ते के दोनों तरफ अगर नाली हों तो जनता की रास्ता मानी जा सकती है मगर बीच में नाली होने के कारण आम रास्ता नहीं मानी जायगी।



प्रकरण २

म्यूनिसिपलटियों का सङ्गठन और सञ्चालन

म्यूनिसिपलटियों की स्थापना

(Declaration).

दफा ३ म्यूनिसिपलटियों और शहरों (की म्यूनिसिपलटियों) की स्थापना

१ प्रान्तीय सरकारको अधिकार होगा कि विज्ञापन द्वारा—

(ए) किसी स्थानीय रकबेके विषयमें प्रकाशित करदे कि वह म्युनिसिपलटी है

(बी) किसी म्युनिसिपलटीके विषयमें जिसकी जनसंख्या एक लाख (१०००००) से कम हो, यह प्रकाशित कर दे कि वह 'शहर' (City) है।

(सी) किसी म्युनिसिपलटी की हद नियत करे।

(डी) किसी रकबेको किसी म्युनिसिपलटीमें सम्मिलित करे, या उसके बाहर निकाल दे।

(इ) उपरोक्त क्लाजोंके अनुसार दिये हुये किसी विज्ञापनको रद्द करे।

२ उपदफा (१) के अनुसार कोई विज्ञापन प्रकाशित करने का अधिकार इस शर्त के आधीन होगा कि वह विज्ञापन उस पूर्व सूचना के छपने के पश्चात् दिया जाय, जिस के लिये दफा ४ में आज्ञा दी गई है और जब ऐसा विज्ञापन—

(ए) किसी ऐसे स्थानीय रकबेके विषयमेंहो जिसमे या तो कोई पूरी छावनीहो या किसी छावनीका कोई भाग हो।

तो ऐसा विज्ञापन गवर्नर जनरल और उनकी कौंसिलकी मजूरीसे, जो पहलेसे प्राप्त कर ली गई हो, जारी किया जाना चाहिये।

व्याख्या—

दफा ३ की उपदफा २ में से क्लाज (बी) तथा (सी), डेवोल्यूशन एक्ट (Devolution Act), न० ३८, सन १९२० ई० की दफा २, और शिड्यूल १, के द्वारा निकाल दिये गये हैं।

शब्द "शहर" के लिये देखिये इस कानून की दफा २ (४) और "म्यूनिसिपलटी" और "जनसख्या" (आबादी) शब्दों के लिये देखिय दफा २ के (९) और (१६)

सर्क्युलर न० २५ ए तारीख २१ अप्रैल सन १८६८ई० के द्वारा आज्ञा दी गई है कि "जब कभी किसी रकबे के विषय में यह चाहा जाय कि म्यूनिसिपलटीज एक्ट उस पर लागू कर दिया जाय तो निम्न लिखित बातों की रिपोर्ट देना आवश्यक होगा अर्थात —

(१) नयी स्थापित की जाने वाली म्यूनिसिपलटी की हदें, (२) नगर, कसबा, या नगरों के समूह, की जन संख्या, (३) किस वर्ग (Classes) के लोग उनमें रहते हैं, (४) नगर या, नगरों के समूहकी आय कितनी होगी, और किन किन मदों से होगी, (५) बोर्ड में कितने मेम्बर रखे जाने की इच्छा की जाती है।

हदें —म्यूनिसिपलटी की हदें सर्वथा बड़े स्पष्ट रूप से निश्चय की जाना चाहिये। यदि कोई प्रत्यक्ष हद, जैसे सड़क अथवा नदी, मिल जाय तो वही हद मानी जा सकती है। अन्य दशाओं में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीध में जो लकीर पड़े वह हद निश्चय कर ली जाय। ऐसे स्थान, जहां तक सम्भव हो, ईंट, चूने या पत्थर के खम्भों के द्वारा, स्थाई रूप से, नियत कर दिये जायें। हद में, जहां तक सम्भव हो, टेढ़ी लकीरें न डाली जाय सिवाय उस दशा के, जहां कि कोई सड़क या नदी हद मानी जाय। यह ध्यान रखना चाहिये कि इस एक्ट की दफा ३ की आज्ञा यह है कि उन स्थानीय रकबों का, जो किसी म्यूनिसिपलटी में सम्मिलित किये जाने को हों, या किसी म्यूनिसिपलटी से निकाले जाने को हों, पूरा वृत्तान्त दिया जाना चाहिये। केवल उन हदों का वर्णन दे देना जो दुहराये जाने के बाद रखी जायेंगी, काफी नहीं होगा। केवल हदों का वर्णन जब तक कि वह विशेष रूपसे मांगा न जाय, नहीं देना चाहिये। G O न० १६६३XI—३८९ A, तारीख २ जुलाई सन १८९० ई० के अनुसार जब कभी कोई परिवर्तन म्यूनिसिपलटी की हदों में किये जाय तो सेनिटेरी कमिश्नर (Sanitary Commissioner) को तुरन्त उसकी सूचना देना चाहिये, और उस तारीख की भी सूचना देना चाहिये जिससे कि नयी हदें संख्याओं के द्वारा जनता की स्थिति निर्णय (Statistics) करनेके काम में लायी जायगी जब कोई रकबा म्यूनिसिपलटी न रहे, या किसी म्यूनिसिपलटी से बाहर निकाल दिया जाय, तो म्यूनिसिपल कोष (Fund) का क्या किया जायगा, इसके विषय में देखिये दफायें १२१ से १२३ तक।

दफा ४ विज्ञापन से पहले की कारवाई

१ दफा ३ के अनुसार किसी विज्ञापन के जारी किये जाने से कम से कम दो मास पूर्व प्रान्तीय सरकार उसका मसविदा अङ्गरेजी और देशीय भाषाओं में एक नोटिस के सग जिसमें यह लिखा होगा कि सरकारी गजट में छपने के दो मास उपरान्त मसविदा पर विचार किया जायगा सरकारी गजट में प्रकाशित करेगी और ऐसे मसविदा तथा नोटिस को जिला मजिस्ट्रेट की कचहरी में और उस स्थानीय रकबे के भीतर या उससे मिली हुई किसी जगह में एक या एक से अधिक विशेष और प्रत्यक्ष स्थान में लगवा देगी।

२ विज्ञापन जारी करने से पूर्व प्रान्तीय सरकार को उचित होगा कि किसी ऐसे उज्र या राय पर ध्यान दे जो उक्त दो मास की अवधि के भीतर मसविदा के सम्बन्ध में उसके पास लिख के किसी शख्स ने भेजी हो।

दफ़ा ५ म्यूनिसिपलटी में किसी रकबेके मिला लिये जाने का प्रभाव

जब दफ़ा ३ के अनुसार दिये हुये किसी विज्ञापन के द्वारा कोई स्थानीय रकबा किसी म्यूनिसिपलटी मे सम्मिलित कर लिया जाय तो इस प्रकार सम्मिलित किये जाने पर वह रकबा उन सब विज्ञापनों नियमों (Rules) रेग्यूलेशनों (Regulations) बाई लॉ (bye-law) हुक्मों और हिदायतों के आधीन हो जायगा जो इस कानून, या किसी दूसरे कानूनके अनुसार जारी किये गये हों या बनाये गये हों, और जो इस रकबेके सम्मिलित होनेके समय सारी म्यूनिसिपलटी मे प्रचलित हों।

व्याख्या—

पुराने म्यूनिसिपलटीज एक्ट, अर्थात् एक्ट नं० १, सन १९०० ई०, की दफा ८ इस प्रकार तरमीम कर दी गई है कि यह बात स्पष्ट हो जाय कि, वह नियम, रेग्यूलेशन और बाई लॉ, जो अन्य कानूनों के अनुसार बनाये गये हों जैसे किराये की गाडियों का एक्ट, (Hackney Carriage Act) टीका लगाने का एक्ट (Vaccination Act) इत्यादि भी ऐसे सम्मिलित किये हुये रकबे में प्रचलित हो जायगे।

म्यूनिसिपल बोर्ड

दफ़ा ६ म्यूनिसिपल बोर्डों का सगठित किया जाना और उनके साधारण काम

प्रत्येक म्यूनिसिपलटी मे एक म्यूनिसिपल बोर्ड होगा और प्रत्येक ऐसा बोर्ड एक सङ्गठित संस्था (Body Corporate) होगी और बोर्ड को वही नाम दिया जायगा जो उस स्थान का हो, जिसके नाम से म्यूनिसिपलटी प्रसिद्ध हो और प्रत्येक बोर्ड पिछले बोर्ड का सदा उत्तराधिकारी होता जायगा और उस संस्था की एक आम मुहर (Common Seal) होगी और इस कानून या अन्य किसी कानून के द्वारा लगाये हुये बन्धेजो या शर्तों के आधीन उस संस्था को अपने नाम से दावा दायर करने का अधिकार होगा और उसी नामसे उस पर दावा दायरहो सकेगा और उस को मनकूला तथा गैर मनकूला जायदाद (स्थावर और जगम) के प्राप्त करने, अपने कब्जे मे रखने, और अलग करने (मुन्तकिल) का और मुआहिदों मे शरीक होने का अधिकार होगा।

व्याख्या—

कोई सभा, मण्डली या कम्पनी आदि जिसमें बहुतसे सभासद, मेम्बर या साझीदार हों, जिसका सगठन और स्थापना किसी कानूनके द्वारा कीगई हो, और जो कानूनकी दृष्टिमें एक व्यक्तिके समान मानी जाय उसको "सगठित संस्था" कहते हैं। सगठित संस्था (Body Corporate or Corporation) के उदाहरण हैं, म्यूनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रजिस्टरीकी हुई बैंकें, व्यापारी कम्पनिया, इत्यादि। सगठित संस्थाकी निजी सम्पत्ति, अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं, जो

उसके मेम्बरों अथवा साझीदारोंकी निजी सम्पत्ति, अधिकार और जिम्मेदारियोंसे अलग होती हैं। जैसे यदि कोई संगठित संस्था कर्ज ले, तो ऐसा कर्जा केवल ऐसी संस्थाकी सम्पत्ति ही से वसूल किया जासकता है, मानो वह संस्था एक व्यक्ति है जिसकी यह जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्जको अपनी सम्पत्तिसे चुकाये, यदि संस्थाकी सम्पत्तिसे उसका कर्जा पूरा न चुके तो उसके किसी मेम्बर अथवा साझीदारकी निजी जायदादसे ऐसा कर्जा वसूल नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यदि किसी संगठित संस्थाके पास कोई जायदाद हो तो उसके किसी मेम्बर या साझीदारका उस पर कोई निजी अधिकार नहीं होता।

संगठित संस्थाके मेम्बर या साझीदार बदल जानेसे उसकी अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेम्बर आदि बदलते रहते हैं, परन्तु संस्था अपने पुराने नामसे पूर्ववत काम काज करती रहती है। मेम्बरों आदि की जो नयी मण्डलियां बदलती जाती हैं वही उस संस्थाकी सम्पत्ति, अधिकारों, तथा जिम्मेदारियोंके लिये पिछली मण्डलियोंकी उत्तराधिकारी होती जाती हैं, ठीक जैसे किसी व्यक्तिके मर जाने पर उसका लड़का उसका उत्तराधिकारी हो जाता है। यह उत्तराधिकारिता (Succession) संगठित संस्थाका एक विशेष लक्षण है।

म्यूनिसिपल बोर्ड संगठित संस्थाका नया चुनाव होकर जब कोई नया बोर्ड बन जाता है तो यह नया बोर्ड म्यूनिसिपल सम्पत्तिका उसी प्रकार अधिकारी हो जाता है जैसा कि पुराना बोर्ड था। पुराने बोर्डकी सब जिम्मेदारियां उस पर पड़जाती हैं और अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इस सम्बन्धमें देखिये बच्चालाल बनाम सरकार बहादुर, 15 A. L J 530 = 40 I C. 700 = 18 Cr L J 700 इस मामलेमें बच्चालाल पर कोई अपराध करनेका, म्यूनिसिपल एक्टके अनुसार, मुकद्दमा चलाया गया था। बच्चालालने वह काम जिसके कारण वह अपराधी ठहराया जाता था जिस समय किया था तब म्यूनिसिपलटियोंका पुराना एक्ट, नं० १, सन १९०० ई० प्रचलित था। इतनेमें नया एक्ट, नं० २, सन १९१६ ई०, पास हो गया, और बच्चालाल पर मुकद्दमा चलाये जानेकी आज्ञा इसी नये एक्टके अनुसार नये बोर्ड ने दी। बच्चालालने यह उज्र किया कि नये बोर्ड को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि नये एक्टके हुक्मोंके अनुसार किसी ऐसे अपराधके लिये, जो पुराने एक्टके समयमें किया गया था, मुकद्दमा चलाये जानेका हुक्मदे, क्योंकि नये एक्टमें कोई ऐसी दफा नहीं है जो इस बातकी इजाजतदे। परन्तु हाईकोर्टने, दफा ९ के आधार पर, तजवीज किया कि बच्चालालका यह उज्र नहीं चल सकता क्योंकि "म्यूनिसिपल बोर्ड एक संगठित संस्था है जिसमें नया बोर्ड पुराने बोर्डका उत्तराधिकारी होता जाता है, जिसकी एक आम मुहर होती है, और जिसको अपने नामसे मुकद्दमा दायर करनेका अधिकार प्राप्त होता है।"

एक ऐसेही मुकद्दमे में अर्थात् सरकार बहादुर बनाम अमीरहसनखां 15A. L J 159 = 38 I C 736 में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि ऐसे मामलेमें अपराधीको वह दण्ड दिया जाना चाहिये जो नये एक्टमें रखा गया है, या कि वह [illegible] जो, उसी अपराधके लिये, पुराने एक्टमें था। इस विषयमें [illegible] जज [illegible] ई०, (The United Provinces General Claus[illegible] 4) [illegible] पर यह निश्चय किया कि जब अपराध पुराने [illegible] थीं [illegible] दिया जाना चाहिये जो पुराने एक्टमें उस अपराधके लिये [illegible]

प्रत्येक [illegible] सकती। [illegible] कानूनकी आज्ञाये [illegible] जो इस नगरकी [illegible]

हो, जिसमें वह म्यूनिसिपलटी हो, और म्यूनिसिपलटीका बोर्ड भी उसी नामसे कहलाता है। जैसे कानपुर नगरकी म्यूनिसिपलटी "कानपुर म्यूनिसिपलटी" कहलायगी और उसका बोर्ड "कानपुर म्यूनिसिपल बोर्ड" कहलायगा।

प्रत्येक सगठित सस्था अपने नामसे मुकद्दमा दायर करनेकी अधिकारी होती है, और उसी नामसे उस पर दावे किये जाते हैं, अर्थात् यह आवश्यक नहीं होता कि उसके सारे सभासदों या मेम्बरोंके नाम देकर उनको मुकद्दमेमें फरीक बनाया जाय। ऐसे दावोंके नियम जावता दीवानी (Civil Procedure Code) के आर्डर (Order) २९ में दिये गये हैं जिसका सक्षेप वर्णन इस प्रकार है —

"(१) सगठित सस्थाकी ओरसे अर्जीदावे पर दस्तखत और उसकी तसदीक सेक्रेटरी या कोई डायरेक्टर या सगठित सस्थाका कोई अन्य प्रधान अफसर जो मुकद्दमेका हाल जानता हो, कर सकता है। (२) समनकी तामील सेक्रेटरी, या डायरेक्टर (Director), या सस्थाके किसी प्रधान अफसर पर की जायगी, और इस प्रकारभी समनकी तामील मानली जायगी कि सस्थाका पता लिखकर समन सस्थाके दफतरमें पहुचा दिया जावे या डाकके द्वारा भेज दिया जाय। (३) अदालत, सेक्रेटरीको या किसी डायरेक्टर, या प्रधान अफसरको, जो उन प्रश्नोंका उत्तर दे सके, जो मुकद्दमेके सम्बन्धमें किये जावें, किसी समय अदालतमें हाजिर होनेका हुक्म देसकती है।"

एक 'आम मुहर' का होनाभी सगठित सस्थाका एक लक्षण है। आम मुहरकी आवश्यकता यह है कि सगठित सस्थामें बहुतसे सभासद होते हैं, अतएव किसी ऐसे चिह्नका होना (जैसे कि आम मुहर) जरूरी है, कि जिस पत्र पर वह लगा दी जावे तो वह सब मेम्बरोंके दस्तखतोंके तुल्य मानी जासके। G O न० १०९५ X-११३, ता० १४ अक्टूबर सन १८८४ ई०, के द्वारा माना है कि नित्यके सामान्य काम काजोंमें इस मुहरका लगाया जाना आवश्यक नहीं है। परन्तु जो मुआहिदे (Contracts) जरूरी (Important) हों उन सब पर, तथा उन मुआहिदों पर जिनके विषयमें एक्टमें यह आज्ञा दीगई हो कि आम मुहर उन पर लगायी जाय, उसका लगाया जाना आवश्यक है। जैसे एक्टकी दफा १२४ में विशेष रूपसे आज्ञा है कि जब जायदाद का इन्तकाल (Transfer) हो तो यह मुहर अवश्य लगायी जाय।

दफा ७ म्यूनिसिपल बोर्ड के कर्तव्य

१ प्रत्येक बोर्ड का कर्तव्यहोगा कि वह म्यूनिसिपलटी के भीतर नीचे लिखी बातों का उचित प्रबन्ध करे—

(ए) आम सडकों और स्थानों मे रोशनी कराना।

(बी) आम सडकों और स्थानों पर छिडकाव कराना।

(सी) आम सडकों, स्थानों, और मोरियों को साफ कराना, हानिकारक वनस्पति को दूर कराना, और ऐसी सब बातों को दूर कराना, जो जनता के लिये कष्टदायक हों (Nuisances)।

(डी) हानिकारक खतरे वाले, तथा घृणित (Obnoxious) व्यवसायों, पेशों, और व्यवहारों को दूर करना।

(इ) जनताकी कुशल स्वास्थ्य और आरामके हेतु ऐसे रोकों (Obstructions) या, इमारतों के आगे निकले हुये भागों (Projections) को दूर करना जो अनुचित हो।

(एफ) खतरे वाली इमारतों और स्थानों को सुरक्षित बनाना या दूर करना।

(जी) मुर्दों को ठिकाने लगाने (Disposal) के स्थान प्राप्त करना, क़ायम रखना, बदल देना, और उनका प्रबन्ध करना।

(एच) आम (सार्वजनिक) रास्तो पुलियों, बाजारों, बधस्थानों (Slaughter house) बम्पुलिसो (Latrines) पाखानो पेशाबखानों, मोरियों, पानी की निकासी के लिये और मैले पानी को दूर करने की तामीरों को बनाना उनमे परिवर्तन करना और उनको क़ायम रखना।

(आई) सड़को के किनारो पर और अन्य सार्वजनिक स्थानो में पेड लगवाना और उनको क़ायम रखना।

(जे) जहा कहीं जल की प्राप्ति काफी न होने के कारण, या जल स्वास्थ्यकर न होने के कारण, निवासियों के स्वास्थ्य के लिये भय हो, वहा स्वच्छ और स्वास्थ्यकर जल की काफी प्राप्ति का प्रबन्ध करना और जो जल मनुष्यो के काम मे आता हो तो उसको दूषित होने से बचाने के लिये रखवाली करना, और जो जल दूषित हो गया हो उसको मनुष्यों के काम मे न आने देना।

(के) पैदाइश और मौतो को रजिस्टर मे दर्ज कराना।

(एल) जनता के गऊ-थन-सीतला का टीका (Vaccination) लगवाने का प्रबध करना और उसको जारी रखना।

(एम) आम (सार्वजनिक) अस्पताल और औषधालय स्थापित करना क़ायम रखना और उनको आर्थिक सहायता देना और जनता के लिये रोगों की चिकित्साका अपनी ओर से प्रबन्ध करना।

(एन) प्राथमिक शिक्षाके लिये स्कूल जारी करना और उनको कायम रखना।

(ओ) आग बुझाने मे सहायता देना और आग लग जाने पर जान और माल की रक्षा करना।

(पी) जो जायदाद बोर्ड के कब्जे या अधिकार मे हो या जिसका प्रबन्ध उसको सिपुर्द कर दिया गया हो उसको कायम रखना और उसकी उन्नति करना।

(क्यू) ऐसे नक्शे [illegible]) पे [illegible] रिपोर्ट तैयार करना जिनके भेजने [illegible] दे।

(आर) नि[illegible] कानून के द्वारा उस पर

२ परन्तु शर्त यह है कि उस काम के लिये जिसका वर्णन उपदफा (१) के क्लाज (एन) मे किया गया है, कोई प्रबन्ध उचित न समझा जायगा जब तक कि उसमे बोर्ड की साधारण आमदनी का उसमे से विशेष सेवाओ द्वारा आई हुई बोर्ड की आमदनी निकाल के, कम से कम पाच प्रति सैकडा खर्च न किया जाय।

व्याख्या—

क्लाज (डी) के लिये देखिये दफा २४५ जिसमें बोर्डको हानिकारक व्यवसायोंके प्रबन्ध करनका अधिकार दिया गया है। इस एक्टकी दफा २९८ में बोर्डको हानिकारक, खतरे वाले और घृणित व्यवसायोंके लिये बाई लॉज (Bye Laws) बनानेका अधिकार दिया गया है, और दफा ८ की उपदफा (१) के क्लाज (आई) के द्वारा बोर्डको अधिकार है कि ऐसे व्यवसायोंके लिये या तो स्वय उचित स्थान नियत और प्राप्त करे या प्राप्त करनेमें सहायता दे।

क्लाज (ई) के लिये देखिये इस एक्टकी दफायें २०९, २१०, २११ जिनमें सडकों या नालियों पर निकली हुई इमारतें बनाने, या सडकोंके भाग दबा लेनेके विषयमें सजायें और बोर्डके अधिकार दिये गये हैं। दफा २६५ में रास्ते रोकनेके लिये सजा दीगई है और इन सम्बन्धोंमें बाई–लॉ बनानेका अधिकार दफा २९८ की उपदफा (२) की मद (इ) में दिया गया है।

क्लाज (एफ) के लिये देखिये दफा २६३।

क्लाज (जी) के लिये देखिये दफा २८५ और दफा २९८ की उप दफा (२)।

क्लाज (जे) के लिये देखिये दफायें २२४ से २३५ तक।

क्लाज (के) पैदाइशों और मौतोंका हिसाब रखनेके लिये प्रत्येक बोर्डको आज्ञा दी गई है कि दफा २९८ की उपदफा (२) की मद (जे) के क्लाज (बी) के अनुसार बाई–लॉ बनाये। नमूनेके लिये इस सम्बन्धमें बाई-लॉ भी बना दिये गये है जो म्यूनिसिपल मैन्युअलके २७२–२७३ पेजोंमें दिये गये हैं। म्यूनिसिपल मैन्युअलके पेज ३१२–३१३ पर कुछ हिदायतें भी इस विषयमें दी गई हैं जिनका साराश यह है –

"चेयरमैन या एग्जिक्युटिव अफसरके लिये आवश्यक होगा कि वह म्यूनिसिपल कर्मचारियों के कर्तव्य, पैदाइशों और मौतोंकी सूचनाकी जाच इत्यादि करनेके विषयमें, नियम नियत करदे। ठीक ठीक गणना तभी हो सकती है जब दो जरियोंसे सूचना मागी जाय। एक तो जनताको आज्ञा दी जाय कि वह, इस विषयमें नियत किये हुये, किसी दफ्तरमें, या किसी अफसरको, पैदाइश या मौतकी घटनाओंकी सूचना दे। दूसरे, भगियोंके जिम्मे यह कर्तव्य करदे कि वे, जिस अफसरको इसका काम सौंपा गयाहो, उसको इन घटनाओंकी सूचनादें। इतने दिनो के अनुभवसे मालूम हुआ है कि जो भगी किसी घटनाकी सूचनादे उसको कुछ इनाम दिया जाना आवश्यक है। जिन म्यूनिसिपलटियोंमें कि हेल्थ अफसर (Health Officer) रखा गया हो उनमें पैदाइश और मौतोंको रजिस्टरमें दर्ज कराना उसीके जिम्मे होगा। अन्य म्यूनिसिपलटियोंमें यह आवश्यक होगा कि इस कामके लिये कोई विशेष कर्मचारी नियत किया जाय। परन्तु यह कर्मचारी और वह अफसर जिसको भगी सूचनादे, एकही शख्स न होना चाहिये, वरन अलग २ दो शख्स हों। बोर्डके मेम्बर भी इन घटनाओंकी जाच करनेके लिये उत्साहित किये जायें, और हेल्थ अफसरके लिये उचित होगा कि वह नगरके हकीम डाक्टरों आदिसे मिलता जुलता रहे, क्योंकि उनकी सहायतासे मौतोंका कारण पूर्णतया मालूम हो सकता है। कबरस्तानके मुजाविरो, महाब्राह्मणों, और तकियादारोंकी सहा

यता, मौतोंका पता लगानेके लिये, और दाईयोंकी सहायता पैदाइशोंका पता लगानेके लिये, ली जा सकती है। इस विषयमें नमूनेके बाई लॉ जो बना दिये गये हैं वह सक्षेपमें यह है —

(१) घरका मुखिया, सरायका भटियारा, और कोई ऐसा शख्स जिसकी सिपुर्दगीमें किसी धर्मशाला आदिका प्रबन्ध हो, उसका कर्तव्य होगा कि कुटुम्बमें, या उन लोगोंमें जो धर्मशाला आदिमें ठहरें कोई मौत या पैदाइशकी घटना होने पर, तीन दिनके भीतर, या तो स्वय सूचना दे, या किसी अन्य शख्सके हाथ लिखके सूचना भेजें।

(२) बाई लॉ नं० (२) में बताया गया है कि घटनाकी सूचना देनेमें क्या २ बातें लिखना चाहिये, जैसे नाम, अवस्था, जाति, मुहल्ला, स्त्री या पुरुष इत्यादि।

(३) प्रत्येक मुहल्लेके भगीका कर्तव्य यह होगा कि ऐसी किसी घटनाकी, ३ दिनके भीतर, सेनिटेरी इन्सपेक्टरको (Sanitary Inspector), या जो शख्स इस कामके लिये नियत किया गया हो उसको सूचना दे।

(४) यदि कोई शख्स ऐसी घटनाकी सूचना न देगा तो, घरके मुखिया आदि पर, १०) रुपया जुर्माना होगा, और यदि भगी सूचना न दे तो उस पर ५) रु० जुर्माना होगा''।

क्लाज (एल) के लिये देखिये वैक्सिनेशन एक्ट, न० १३, सन १८८० (Vaccination Act, 13 of 1880) और उसके अनुसार बनाये हुये नियम।

क्लाज (एम) किसी बोर्ड के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह स्वय सार्वजनिक अस्पताल इत्यादि स्थापित करे और जारी रखे। यदि कोई बोर्ड किसी ऐसे अस्पताल की, जो किसी अन्य सार्वजनिक सस्था ने स्थापित किया हो, या जारी रखा हो, आर्थिक और अन्य प्रकार की केवल सहायता करता रहे, तो यह माना जायगा कि ऐसे बोर्डने दफा७के क्लाज 'एम' की आज्ञा पालन करदी।

क्लाज (एन) प्राथमिक शिक्षा के स्कूल स्थापित करना और उनको जारी रखना बोर्ड का एक मुख्य कर्तव्य माना गया है, और दफा ७ की उपदफा (२) में आज्ञा दी गई है कि बोर्ड अपनी आय का कम से कम ५ रुपया प्रति सैकड़ा इस मद में व्यय करे। इसके सम्बन्ध में देखिये प्राइमरी एज्युकेशन एक्ट, न० ७ सन १९१९ई० (Primary Education Act, 7 of 1919) जो म्यूनिसिपल्टीज एक्ट सन १९१६ ई० का ही भाग और परिशिष्ट समझा जाता है।

शिक्षा के लिये म्यूनिसिपलटी की ओर से क्या व्यय किया जाय, और म्यूनिसिपल स्कूलों के प्रबन्ध किस प्रकार किया जाना चाहिये, इसके विषय में G O न० ३६७ XI–२९५ E तारीख ३ मार्च सन १९१६, की आज्ञा का सक्षिप्त सार यह है – "सरकार का यह अभिप्राय नहीं है कि म्यूनिसिपल स्कूलों के चलाने के लिये कोई ऐसे नियम बाध दे जिनका बोर्ड अक्षरश पालन करे, परन्तु सरकार से शिक्षा के लिये सहायता प्राप्त करनेके लिये नीचे लिखे नियमोंका पालन किया जाना आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षाके लिये रुपया जो इस एक्टकी आज्ञानुसार प्रत्येक बोर्डको देना पडता है, या तो स्वय बोर्डके वर्नाक्यूलर मिडल प्राइमरी और प्रिपेरेटरी स्कूलों (Vernacular Middle Primary and Preparatoray Schools) में लगाया जायगा, या ऐसे ही स्कूलों में लगाने के लिये डिस्ट्रिक्ट बोर्डको दे दिया जायगा। ऐसे स्कूलोंका प्रबन्ध करनेके बाद यदि कोई रकम शेष रह जाय तो शिक्षा सम्बन्धी किसी अन्य कार्यमें लगाई जा सकती है। स्कूल जो म्यूनिसिपल बोर्ड स्थापित करे, या जारी रखे, उनका मुआइना स्कूलोंके इन्सपेक्टर या नायब इन्स्पेक्टर, इत्यादि बिना रोक टोकके कर सकेंगे। किस प्रकारकी शिक्षा इन स्कूलोंमें देना चाहिये

इस विषयमें यह आज्ञायें दी गई हैं कि प्रथम तो योग्य शिक्षकोंका नियत किया जाना जरूरी है और दूसरे पढाईका इस प्रकार प्रबन्ध किया जाय कि भिन्न भिन्न कक्षाओंकी पढाईमें एक दूसरे से सम्बन्ध रहे, आशा यह की जायगी कि जहां तक सम्भव हो उन नियमोंका अनुसरण किया जाय जो डिस्ट्रिक्ट बोर्डके लिये उक्त विषयोंमें बना दिये गये हैं। स्कूलोंको आर्थिक सहायता देनेसे यह आशाकी जाती है कि उन सब आज्ञाओंका, जहां तक सम्भव हो, अनुसरण किया जाय, जो प्राथमिक शिक्षाकी कमेटीने दी है। विशेष कर सहायता केवल ऐसे स्कूलोंको देना चाहिये जिनकी स्थिति आर्थिक तथा अन्य दृष्टियों से पक्की हो, और जो, यदि स्वयं पूरे प्राइमरी स्कूल न हों, तो किसी प्राइमरी स्कूल से सम्बन्ध रखते हों, और उनमें से पास करके विद्यार्थियों की एक उचित संख्या अपर प्राइमरी (Upper Primary) कक्षा में पहुंचती हो। बोर्डों को ध्यान रखना चाहिये कि प्राइमरी (प्राथमिक) शिक्षा के सम्बन्ध में उनकी साधारण नीति (Policy) ऊपर वर्णन की हुई नीति के अनुसार होना चाहिये। यदि कोई बोर्ड जान बूझ कर उन शर्तों का, जिन पर सरकारी सहायता दी जाती है, उल्लंघन करेगा तो इसका यह परिणाम होगा कि सरकारी सहायता बन्द कर दी जायगी।

क्लाज (ओ) के लिये देखिये दफायें १८७, १८८ और २९८।

क्लाज (पी) के लिये देखिये दफायें ११६ और ११८।

क्लाज (क्यू) के लिये देखिये दफा ९५।

२ म्यूनिसिपलटियों के बोर्ड प्राय "विशेष सेवायें" (Special Services) अपने ऊपर ले लिया करते हैं जैसे निजी बंगलों के हातों में लालटेन जलवाना, अथवा किसी मुहल्ले के पाखाने साफ कराना इत्यादि। इनमें जो व्यय बोर्ड को अपने कोष से लगाना पडता है वह वसूल होने पर "विशेष सेवाओं से आमदनी" की मद में डाला जाता है। वास्तव में यह आमदनी नहीं है वरन जो रुपया बोर्ड खर्च कर चुकता है वही वापिस मिलता है। अतएव प्राथमिक शिक्षा के लिये ५ रुपया प्रति सैकडा देने के लिये बोर्ड की कुल आमदनी में से वह आमदनी निकाल दी जाती है जो "विशेष सेवाओं" के द्वारा उसको होती है।

दफा ८ कार्य जिनके करने या न करनेके लिये बोर्ड स्वाधीन है

ऐक्ट नं० २ सन १९१६ ई०

१ म्यूनिसिपलटी के भीतर बोर्ड नीचे लिखे कार्य्यों को यदि चाहे, कर सकता है, और म्यूनिसिपलटी की हद के बाहर कमिश्नर की मंजूरीसे उनको कर सकता है—

(ए) किसी रकबे में, चाहे उन पर इमारतें बनी हों, या चाहे वह खाली हों, नये सार्वजनिक रास्ते बनवाना, और इस अभिप्रायसे उपरोक्त रास्तोंके किनारे मकान तथा उनके हातो के बनाने के लिये जमीन प्राप्तकरना।

(बी) सार्वजनिक पार्क, बाग पुस्तकालय अजायबघर (Museum) पागलखाने, हाल (Hall) दफ्तर धर्मशाले ठहरनेके स्थान, पडाव, मुरदाजखाने, दुग्धशाला (Dairy) स्नानागार (Baths) नहानेके घाट वस्त्रादि धोनेके घाट पानी पीनेके नल, तालाब कुएँ, बांध, तथा अन्य कोइ तामीर, जो जनता के लिये लाभदायक हो बनवाना, स्थापित, करना, और कायम रखना।

(सी) हानिकर स्थानों का सुधार करके उनको उपयोगी बना लेना ।

(डी) प्राथमिक शिक्षा के स्कूल स्थापित करने और जारी रखने के अतिरिक्त, शिक्षा सम्बन्धी कार्य्यों की उन्नति अन्य उपायो के द्वारा करना ।

(इ) मर्दुमशुमारी करना और ऐसी सूचनाओं के लिये इनाम देना जिनके द्वारा पैदाइश और मौतो की गणना ठीक रे दर्ज हो सके ।

(एफ) पैदाइश (Survey) करना ।

(जी) स्थानीय विपत्तियो (Local Calamities) के पडने पर सहायता देने के लिये काम जारी करके, और उनको कायम रख के, या अन्य प्रकार, से जनता की सहायता करना ।

(एच) ऐसे कुत्तों को जो किसी के पालतू न हों बन्द कर के रखने या मार डालने का प्रबन्ध करना ।

(आई) दफा २९८ की मद (जी) के अश (ए) मे अङ्कित किये हुए किसी व्यवसायोंके लिये अथवा वस्तुयें बनानेके लिये कारखाने जारी करने के लिये, कोई उपयुक्त स्थान प्राप्त करना, अथवा प्राप्त करने में सहायता देना ।

(जे) मैले के ठिकाने लगाने को कोई फार्म (Farm) अर्थात् कृषिक्षेत्र, अथवा कारखाना, जारी करना और उसको कायम रखना ।

(के) ट्रामवे रेल की सडके या गमनागमनके अन्य उपायो को और बिजली की रोशनीके, या बिजलीके कारखाने बनाना, उनको आर्थिक सहायता देना, या उनके मुनाफे की जिम्मेदारी लेना ।

(एल) मेले और प्रदर्शनी (Exhibition) लगाना या स्थापित करना ।

(एम) सिवाय उस उपायके जिसका वर्णन दफा ७ मे, या इस दफाके पूर्वोक्त हुक्मोंमे किया गया है और कोई उपाय हाथमे लेना जिसके द्वारा जनताकी कुशल, स्वास्थ्य और सुखकी वृद्धि होनेकी सम्भावना हो ।

(एन) कोई ऐसा काम करना जिसके व्यय के विषय मे प्रान्तीय सरकार या बोर्ड यह निश्चय करदे कि उक्त व्यय का भार म्युनिसिपल कोष पर पडना उचित है । परन्तु ऐसा निश्चय यदि कोई शहर का बोर्ड करे, तो प्रान्तीय सरकारकी मजूरीसे और यदि कोई अन्य बोर्ड करे तो कमिश्नरकी मजरीसे करे ।

ऐक्ट नम्बर २ सन १९१९ ई०

२ बोर्ड यह भी व्यवस्था कर सकता है कि म्यूनिसिपलटीके किसी कार्यके लाभसे म्यूनिसिपलटीकी हदोंके बाहर भी उपकार हो ।

परन्तु शर्त यह है कि गवर्नर जनरल और उनकी कौंसिलकी इजाजत पहलेसे प्राप्त किये बिना, किसी म्यूनिसिपलटीके पानीके कारखानेके लाभ, किसी ऐसे स्थानीय

फायदेको लाभ पहुचानेके लिये विस्तृत न किये जायगे जो कोई पूरी छावनी या उसका कुछ भागहो, या जिसमें कोई पूरी छावनी या छावनीका कुछ भाग सम्मिलत हो।

व्याख्या—

(ए) के सम्बन्धमें देखिये दफा २११।

(एच) के सम्बन्धमें देखिये दफा २४९। इसके विषयमें बोर्डको बाई लॉ बनानेका अधिकार दफा २९८ की मद H के अश (एच) के अनुसार दिया गया है।

(जे) फार्म स्थापित करनेके विषयमें म्यूनिसिपल मैन्युअल्के पेज ३०७ पर हिदायत दी हुई है। उसके द्वारा म्युनिसिपल बोर्डोंका ध्यान इस बातकी ओर दिलाया गया है कि पाखानों आदिके गदे पानीमें नाइट्रोजन (Nitrogen) बहुत होता है जिससे वह भूमिकी उपजाऊ शक्ति बढानेमें अत्यन्त उपयोगी है। इसलिये जहा कहीं सम्भव हो उसको खेतोंके सींचनेके काममें लाना चाहिये।

(के) देखिये म्यूनिसिपल मैन्युअल्के पेज २७३ से २७७ तक।

यदि कोई बोर्ड बिजलीका कार्य्यालय बनाना चाहे, उसको सरकारी पब्लिक वर्क्स (Public Works) विभागके सेक्रेटरीसे दरख्वास्त करना होगी। उक्त विभाग, खर्चके अन्दाजके लिये, तखमीना बना देगा। बोर्ड उसपर प्रस्ताव पास करके, कमिश्नर की सेवामें इस अभिप्रायसे भेजेगा कि कमिश्नर उसको चीफ इञ्जीनियर (Chief Engineer) के द्वारा सरकारी म्यूनिसिपल विभागको भेज दे। इस पर जब मजूरी मिल जाय तो बिजलीका इन्सपेक्टर (Electrical Inspector) प्लान तखमीना आदि तैय्यार करेगा। उसको चेयरमैन प्रस्तावके द्वारा सरकार की अन्तिम मजूरीके लिये भिजवायेगा। अन्तिम मजूरी मिल जानेपर इण्डियन इलेक्ट्रिक एक्ट (Indian Electricity Act IX 1910) के अनुसार लैसन्स लेना होताहै, तत्पश्चात् कारखानेके बनानेके लिये बोर्ड टेण्डर (Tender) मागेगा, किन्तु बिना प्रान्तीय सरकार की मजूरीके बोर्डको टेण्डर स्वीकार करनेका अधिकार न होगा। कोई शख्स जिसका वेतन २५०) रुपये मासिकसे अधिक होगा बिना प्रान्तीय सरकार की मजूरीके नहीं रखा जा सकता और कोई शख्स कारखानेमें किसी ऐसे पद पर जिसमें बिजलीके कामसे अभिज्ञता होना आवश्यक रखा गया हो बिना इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर की मजूरीके नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। (विज्ञापन न० १९०६ XI–6H तारीख ६ जुलाई सन १९११ई०)

(एल) प्रान्तीय सरकारने निम्न लिखित विषयों पर व्ययका भार म्यूनिसिपल कोष पर डाला जाना उचित माना है —

(१) म्युनिसिपलटीके हदोंके भीतर निमकका गोदाम खोलना।

(२) स्कूलोंके खेलनेके टूर्नामेंट (Tournament) में चन्दा देना। चन्देकी रकम भिन्न भिन्न दशाओंके लिये नियत करदी गयी है।

(३) ऐसे कार्य्योंमें व्यय करना जिसका मुख्य उद्देश जनताको लाभ और आराम पहुँचानेका हो

(४) म्यूनिसिपल कर्मचारियोंको, जो कसौली को कुत्ता काटेका इलाज कराने जाय, वैसी ही आर्थिक सहायता देना जैसी कि सरकारी नौकरोंको सरकार देती है (देखिये म्यूनिसिपल मैन्युअल्के पेज २५३ और २५४)

—हालमें प्रान्तीय सरकारने यह निश्चय कर दिया है कि गवर्नर अथवा गवर्नरजनरलके अतिरिक्त यदि बोर्ड किसीको अभिनन्दन पत्र (Address) दे तो उसपर जो व्यय हो उसका भार

म्यूनिसिपल कोष पर डाला जाना उचित नहीं है। परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि बोर्ड यह मनाई नहीं की गयी है कि अपनी इच्छानुसार जिसको वह चाहे अभिनन्दन पत्र न दे, वरन् यह हुक्म केवल इतनाही है कि दफा ८ के क्लाज (एन) के अनुसार, सिवाय गवर्नर या जनरलके अन्य किसीको अभिनन्दन पत्र देनेका व्यय मंजूर नहीं किया जायगा। हमारी यह हुक्म अधिकारों पर असर डालता है और परिवर्तन शील है।

दफा ९ बोर्ड में साधारणतः कौन शख्स होंगे

१ सिवाय उस दशाके जिसके लिये इसके बाद वाली दफामें कोई हुक्म हो, प्रत्येक बोर्ड में साधारणतः नीचे लिखे शख्स सम्मिलित होंगे —

(ए) निर्वाचित मेम्बरों (Elected) की उतनी संख्या जितनी कि प्रान्तीय सरकार इस अभिप्राय से विज्ञापन द्वारा नियत कर दे।

(बी) जब कोई ऐसा शख्स जो बोर्ड का मेम्बर नहीं है चेयरमैन चुना जाय या नामजद किया जाय तो ऐसा चुना हुआ या नामजद किया हुआ शख्स।

(सी) जिन म्यूनिसिपलटियोंमे दफा ११ के अनुसार भिन्न भिन्न दीनोंको अपने प्रतिनिधि (Separate Representation) भेजनेका अधिकार दिये जाने का हुक्म कर दिया गया है तो वे शख्स जो, उप दफा (२) में बताई हुई विधिके अनुसार नामजद किये गये हो और जिनकी संख्या (यदि कोई हो) निर्वाचित मेम्बरों की नियमित संख्या की एक तिहाई से अधिक न होगी।

(डी) अन्य म्यूनिसिपलटियोंमे ऐसे लोग जो उपदफा (३) में बताई हुई के अनुसार नामजद किये गये हो, और जिन की संख्या (यदि कोई हो) निर्वाचित मेम्बरों की नियमित संख्याकी एक तिहाईसे अधिक न होगी।

२ जो मेम्बर उपदफा (१) के क्लाज (सी) के अनुसार नामजद किये जा है उनमे से दो से अधिक को प्रान्तीय सरकार नामजद करने की अधिकारी न और शेष को ऐसे नामजद करने वाले समुदाय नामजद करेंगे जिनको प्रान्तीय सरकार इस अभिप्राय से कायम कर दे।

परन्तु शर्त यह है कि कोई समुदाय, जिसको दफा ११ के अनुसार अपने प्रतिनिधि अलग भेजने का अधिकार दे दिया गया है नामज़द करने वाला समुदाय न कायम किया जायगा।

३ उपदफा (१) के क्लाज (डी) के अनुसार जो मेम्बर नामजद किये जा सकते है उनको प्रान्तीय सरकार या तो स्वय नामज़द कर सकती है या वह उस विधि से नामज़द किये जायँगे जो प्रान्तीय सरकार नियम द्वारा नियमित कर दे।

व्याख्या—

प्रत्येक प्रकारके मेम्बरोंकी संख्या और उनके निर्वाचन आदिके विषयमें जो उक्त दफामें हुक्म है उनको एक ठिकाने करके समझने में सुविधा होगी इस आशयसे वे नीचे दिये जाते हैं।

(१) चेयर मैन—यदि कोई बाहरी शख्स चेयरमैन बनाया जाय तो बोर्ड का वह भी एक मेम्बर माना जायगा।

(२) निर्वाचित मेम्बर—प्रत्येक म्यूनिसिपलटीके लिये प्रान्तीय सरकार इनकी सख्या निश्चय करदेगी। इनमें से कुछ मेम्बर दफा ११ की उपदफा (१) क्लाज (बी) के अनुसार किसी विशेष 'दीन' (मजहब) के मेम्बर हो सकते हैं।

(३) नामजद मेम्बर—यदि सरकार चाहेतो कुछ मेम्बर नामजद करसक्तीहै परन्तु इनकी सख्या निर्वाचित मेम्बरोंकी एक तिहाईसे अधिक न होगी। इनको चाहे प्रान्तीय सरकार स्वय नामजद करदे या जिस प्रकार चाहे नामजद करादे। जिन म्यूनिसिपलटियों में भिन्न भिन्न दीनों के मेम्बर होंगे उन में नामजद मेम्बरोंकी सख्या निर्वाचित मेम्बरों से चौथाई से अधिक न होगी और उनमें से दोसे अधिक को प्रान्तीय सरकार नामजद न कर सकेगी, शेषको वह समुदाय नामजद करेंगे जिन को प्रान्तीय सरकार अधिकारदे और जो समुदाय उन दीनोंकेन होंगे जो अपने मेम्बर अलग भेजते हों।

—सयुक्त प्रान्तकी, प्रत्येक म्यूनिसिपलटीके लिये भिन्न २ प्रकारके मेम्बरोंकी जो सख्या नियत करदी गईहै उसके लिये देखिये म्यूनेसिपल मैन्युअलके पेज १८९ से १९१ तक।

—मेम्बर नामजद करने वाले समुदायोंके लिये नामजद करनेकी विधि— (१) जब कोई चेम्बर ऑव् कामर्स (Chamber of Commerce अर्थात् व्यापारियोंकी सभा), रेलवे कम्पनी या कोई अन्य सभा या सस्था को, चाहे वह सगठित (Incorporated) हो या न हो, एक्टकी दफा ९ की उपदफा (२) के अनुसार मेम्बर नामजद करनेका अधिकार दिया गयाहो तो यह अधिकार किसी ऐसे शख्सके द्वारा बरता जायगा जिसको उस समय उस सभा या सस्थाके साधारण स्थानीय काम काज चलाने का अधिकार सौंपा गयाहो।

परन्तु शर्त यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय (University) नामजद करनेके अधिकारको सेनट (Senate) के द्वारा बरतेगी। (२) यदि दो या दो से अधिक सभायें या सस्थायें मिलाके एक नामजद करने वाला समुदाय बनाया गयाहो तो, ऊपर दी हुई विधि से, प्रत्येक ऐसी सभा या सस्था एक शख्सको चुन लेगी, और ऐसे चुने हुये शख्सों में फिर जिसके लिये सबसे अधिक वोट (Vote) हों वही उस समुदायकी ओरसे नामजद मेम्बर माना जायगा। यदि ऐसे दो या अधिक शख्सों के लिये बराबर वोटहों तो चिट्ठी डालके उनमेंसे एक चुन लिया जायगा। (३) कोई शख्स जो किसी नामजद करने वाले समुदायकी ओरसे मेम्बर नामजद किया गया हो, उसके लिये यह आवश्यक होगा कि उस तारीख से, जिस पर कि उसके नामजद होने की सूचना चेयरमैन को और जिला मेजिस्ट्रेटको दी गई हो, तीन दिन समाप्त होने तक, न तो बोर्डकी मीटिंग में जाय, और न मेम्बरकी हैसियतसे कोई अन्य कार्य्य करे। (विज्ञापन नं० २०९२—IX—६ H, तारीख १६ अगस्त सन् १९१६ ई०)

—सयुक्त प्रान्तके म्यूनिसिपल्टीज एक्ट १९१६ ई०की दफा ३२७ के द्वारा दिये हुये अधिकारको बरतते हुये प्रान्तीय सरकारने, दफा ९ की उपदफायें (२) और (३), तथा दफा १० के क्लाज (ए) के द्वारा दिये हुये म्यूनिसिपल बोर्डोंके मेम्बर नामजद करनेके अधिकारको, कमिश्नरियों के कमिश्नर को सौंप दियाहै। साधारणत मेम्बरोंकी नामजदगी जिला मजिस्ट्रेटकी सिफारिशके अनुसारकी जायेंगी, और जिला मेजिस्ट्रेट, (सिवाय उस हालतके कि किसी विशेष कारणसे वह बोर्डके मेम्बरों का निर्वाचन हो जानेके बादके लिये अपनी सिफारिशको मुल्तवी करदे) इस बातकी सिफारिश कि किसको नामजद मेम्बर कराना चाहता है, उस तारीखसे कमसे कम तीन मास पूर्व, जिस पर कि उस नामजद किये हुये मेम्बरकी जो उस समय मेम्बर हो, अवधि समाप्त होगी, भेज देगा। (विज्ञापन

नं० ४२७०XI—H४ तारीख २७ नवम्बर सन १९१७ ई० और विज्ञापन न० ५९४XI—१०८ C, तारीख २७ फरवरी सन् १९०५ ई०)

—यदि कोई जज खफीफा (Smallcause Court Judge) या कोई सबजज, या मुन्सिफ बोर्ड का मेम्बर, सेक्रेटरी, या वाइस चेयरमैन निर्वाचित हो, या नामजद किया जाय, तो उस पदको स्वीकार करने से पूर्व उसके लिये आवश्यक होगा कि जिला जजके द्वारा हाईकोर्ट से दरख्वास्त दे कि उसको वह पद स्वीकार करनेकी आज्ञादी जाये। (हाईकोर्ट का सरक्युलर न० १, ता० ३ फरवरी सन् १८८३ ई०)

दफा १० बोर्ड के साधारण सङ्गठनमें परिवर्तन करनेका प्रान्तीय सरकार का अधिकार

१ प्रान्तीय सरकार किसी म्युनिसिपलटी के विषय मे विज्ञापन द्वारा यह निश्चय कर सकती है कि उसकी स्थित के विचार से पूर्वोक्त दफा के हुक्मो का उस म्युनिसिपलटी मे लगाया जाना अनुचित है, और ऐसी हालत मे बोर्ड मे साधारणतः नीचे लिखे शख्स सम्मिलित होगे—

(एं) प्रान्तीय सरकार द्वारा नामजद किये हुये मेम्बरो की ऐसी सख्या जो प्रान्तीय सरकार इस अभिप्रायसे, विज्ञापन द्वारा, नियमित कर दे। और

(बी) निर्वाचित मेम्बरो की ऐसी सख्या जो प्रान्तीय सरकार इस अभिप्राय से, विज्ञापन द्वारा, नियमित कर दे। और

(सी) जब कोई ऐसा शख्स जो मेम्बर नही है, चेयरमैन चुना जाय, या नामजद किया जाय, तो ऐसा चुना हुआ या नामजद किया हुआ शख्स।

२ परन्तु शर्त यह है कि किसी ऐसी म्युनिसिपलटी के विषय मे कोई विज्ञापन उप दफा (१) के अनुसार जारी न किया जायगा जिसका बोर्ड, दफा ९ के हुक्मो के अनुसार, पहले ही सङ्गठित किया जा चुका हो।

व्याख्या—

दफा १० उन म्युनिसिपलटियों पर लागू की जा सकती है जिनमे किसी विशेष कारणोंसे दफा ९ के अनुसार बोर्डका साधारण सगठन रखना उचित नहीं होता। जैसे नैनीतालमें मुख्य आबादी अङ्गरेजों तथा ऐसे परदेशियोंकी होनेके कारण जो केवल ग्रीष्म ऋतुमें आ कर निवास करते हैं, उसके बोर्डका सगठन दफा ९ के अनुसार करना उचित नहीं समझा गया, वरन् उसकी विशेष स्थितिकी दृष्टिसे उस पर दफा १० लागू करके बोर्डमें निर्वाचित तथा नामजद मेम्बरों की सख्या लगभग बराबर रखी गयी है, और उसके बोर्डमे मुसलमानो तथा गैर मुस्लिमों की जगहें भी अलग अलग नहीं रखी गयी हैं।

—परन्तु प्रान्तीय सरकारको यह अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी ऐसी म्युनिसिपलटी के विषयमें जिसका बोर्ड दफा ९ के अनुसार बनाया जा चुका हो, यह निश्चय करे कि उसमें दफा १० लागू करदी जाय, केवल जो नये बोर्ड १ जुलाई सन १९१६ ई० (अर्थात इस एक्टके प्रचलित होने की तारीख) के बाद बनाये जाय उनमेंसे जिनमें चाहे दफा १० लगा दे सकती है ।

— संयुक्त प्रान्तमें अब तक केवल दो बोर्ड हैं जिनका संगठन दफा १० के अनुसार किया गया है अर्थात (१) नैनीताल (२) ललितपुर।

दफा ११ बोर्डमें स्थानीय तथा समुदायोंके विशेष प्रतिनिधि भेजे जानेके सम्बन्धमें हुक्म

१ किसी म्यूनिसिपलटी, या एक से अधिक म्यूनिसिपलटियों के लिये नियम द्वारा प्रान्तीय सरकार नीचे लिखे विषय नियमित कर सकती है —

(ए) म्यूनिसिपलटीकी दो या दो से अधिक हलकों (Wards) में विभक्ति और उन प्रतिनिधियों की संख्या, जो प्रत्येक हलके से चुनी जायगी।

(बी) निर्वाचित मेम्बरों में जनता के किसी समुदाय के विशेष प्रतिनिधि भेजे जाने के विषय में उपाय।

२ परन्तु शर्त यह है कि वह समुदाय जिनको दीन (मजहब) के विचार से प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार होगा वह केवल नीचे लिखे दो समुदाय होंगे अन्य कोई नहीं -

(ए) वह समुदाय जिसमें केवल मुसलमान रखे जायगे।

(बी) वह समुदाय जिसमें मुसलमानों के अतिरिक्त और सब दीनों (मजहब) के शख्स रखे जायगे।

३ परन्तु यह भी शर्त है कि दो प्रतिनिधियोंसे अधिक भेजनेका किसी ऐसे समुदाय को, नियम द्वारा, अधिकार न दिया जायगा जिसको विशेष प्रतिनिधि भेजने का हुक्म दीनके विचारके अतिरिक्त किसी अन्य विचारसे दिया गया हो, जबतक कि म्यूनिसिपलटी किसी नियम के द्वारा, जो इस विषय में हो, विशेष रूपसे इस हुक्मसे विमुक्त न कर दी गई हो।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार दीनकी दृष्टिसे केवल मुसलमानोंको विशेष प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार दिया गया है अन्य किसी दीन (मजहब) को नहीं।

—अन्य विचारोंसे विशेष प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार अनेक म्यूनिसिपलटियों को प्राप्त है। जैसे कानपुर म्यूनिसिपलटीमें मारवाड़ियोंको दो विशेष प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार है। कासगंज म्यूनिसिपलटीमें रेलवेके नौकरों को एक मेम्बर भेजनेका अधिकार है, इत्यादि।

दफा १२ भिन्न भिन्न दीनोंके विशेष प्रतिनिधि भेजे जानेके हुक्म पर शासित शर्तें

१ प्रान्तीय सरकार का, उन नियमों के बनाने का अख्त्यार जिनके द्वारा पूर्वोक्त दफा की उपदफा (२) में निर्दिष्ट किये हुये किसी समुदाय को दीन के विचार से विशेष प्रतिनिधि भेजने का अधिकार इस प्रकार दिया जाय कि उस समुदाय को बोर्ड के निर्वाचित मेम्बरोंकी कुछ जगहें देदीजाय, इस दफामें वर्णित शर्तोंके आधीन होगा।

२ किसी समुदाय को जगहोंकी जो संख्या दी जावेगी वह किसी म्युनिसिपलटी के बोर्ड में निर्वाचित मेम्बरों की जगहों की पूर्ण संख्या के आधार पर निश्चित न की जायगी, वरन उक्त पूर्ण संख्या में से उन सब निर्वाचित मेम्बरों की जगहों को घटा के, जो किसी समुदाय या समुदायों को दीन के विचार के अतिरिक्त, अन्य किसी विचार से दी गई हों, निश्चित की जायगी।

३ उक्त समुदाय को जो जगहें दी गई हों, उनका उपदफा (२) में बताई हुई जगहों की पूर्ण संख्या के साथ वही समानुपात (Proportion) होगा जो किसी म्युनिसिपलटी में उक्त समुदाय की जन संख्या का म्युनिसिपलटी की पूर्ण जन संख्या के साथ समानुपात होगा।

परन्तु शर्त यह है कि, इस दफा में दिये हुये हिसाब के लगाने के लिये, यदि उक्त समुदाय की जन संख्या—

(ए) म्युनिसिपलटीकी पूर्ण जन संख्या के २५ प्रति सैकड़ा से कम होगी तो $\frac{1}{6}$ भर बढ़ा दी जावेगी। और

(बी) यदि म्युनिसिपलटीकी पूर्ण जन संख्याके २५ प्रति सैकडासे अधिक हो परन्तु ३८५ प्रति सैकडा से कम हो तो बढ़ाके उसकी ऐसी संख्या कर दी जायगी जिसका समानुपात (Proportion) पूर्ण जन संख्या के साथ वही हो जो अन्त में बताये हुये समानुपात का है।

४ जब उस हिसाबका जो उपदफा (३) में नियमित किया गयाहै उत्तर (Result) एक भिन्न संख्या (Fraction) आवे या उसमें एक पूर्णाङ्क संख्या (Whole number) और एक भिन्न संख्या, दोनो हों तो सिवाय उस दशा के कि वह भिन्न संख्या ½ से बडी हो और उसका असर किसी ऐसे समुदाय पर पडता हो जिसमें म्युनिसिपलटी की पूर्ण जन संख्या के आधे से कम शख्स शामिल हो, तो भिन्न संख्या काट दीजावेगी परन्तु यदि ऊपर बताई हुई दोनो बातें उपस्थित हो तो प्रान्तीय सरकार दफा ९ या १० के हुक्म के अनुसार, अर्थात् जैसी हालत हो विज्ञापन द्वारा निर्वाचित मेम्बरों की जगहों की संख्या में वर्तमान समय के लिये एक जगह बढा देगी, और पूर्वोक्त हिसाब मे जितनी पूर्णाङ्क संख्या (Whole number) हो उसके ऊपरसे इस नई कायमकी हुई जगह को भी उक्त समुदाय को दे देगी।

५ जब जब कि सूबेकी नई मर्दुमशुमारी (Census) के अन्तिम नक्शे (Returns) प्रकाशित किये जाय प्रान्तीय सरकार उन नक्शोंके आधारपर दशमलव (Decimal) के एक अङ्क तक जिसका अङ्क पूर्णाङ्क संख्याके ज्यादा निकट हो (To one and the nearest place of decimal) यह निश्चय करेगी कि संयुक्त प्रान्त की कुल म्युनिसिपलटियों में (नैनीताल और मसूरी की म्युनिसिपलटियों को छोड कर) उस समय मुसलमानो की आबादी के जोड़ को उक्त म्युनिसिपलटियो की कुल आबादी के जोड से, प्रति सैकड़ा क्या हिसाब है (Percentage) और जो संख्या प्रति सैकड़ा इस प्रकार निश्चय की जावे, उसके विषय में यह समझा जायगा कि वह उपदफा (३) के

क्लाज (बी) में ३८ ५ प्रति सैकड़ा की सख्या (जो उक्त क्लाज में निर्दिष्ट की गयी है) की जगह उस तारीख से जब कि वह विज्ञापन के द्वारा, जो इस विषय में हो, प्रकाशित की जाय बदल के रखी गयी है, और उस समय तक के लिये रखी गयी है, जब तक कि उस उपदफा के अनुसार नया विज्ञापन जारी न हो।

व्याख्या—

दीन के विचारसे जिन समुदायों को दफा ११ की उपदफा (२) के अनुसार विशेष प्रतिनिधि (अर्थात् अपनी सख्याके हिसाबसे जितने प्रतिनिधि भेज सकते हों उससे अधिक) भेजनेका अधिकार दिया गयाहै व केवल दो हैं अर्थात् (१) मुसलिम (२) गैर मुसलिम, इन दोनोंमें से जिसकी जन संख्या किसी विशेष म्यूनिसिपल्टीमें कम होगी उसीको विशेष प्रतिनिधि भेजने का अधिकार हो जायगा और उस को जगहें देनेके बाद जो जगहें बचरहेंगी वह दूसरे समुदायको मिल जायगी। जो नियम दफा १२ में बताया गयाहै वह उस समुदाय के लियेहै जिसको इसकी जन सख्या कम होनेके कारण, विशेष प्रतिनिधि भेजनेका अधिकारहो। प्रत्येक म्यूनिसिपल्टीमें यह वह समुदाय होगा जिसकी जनसख्या दूसरे समुदायकी जनसख्यासे कमहो जैसे आगरा की म्यूनिसिपल्टीमें गैर मुसलिम जनसख्या अधिकहै। इस लिये उसमें मुसल्मानोंको विशेष प्रतिनिधि, दफा १२ के अनुसार दिये जायगे। इसके विपरीत बदायू म्यूनिसिपल्टीमें मुसल्मानोंकी जनसख्या अधिक है इस लिये विशेष प्रतिनिधि भेजने का अधिकार, दफा १२ के अनुसार, केवल गैर मुसलिम समुदायको होगा।

—नीचे लिखे उदाहरणोंके द्वारा उपदफा (२) का अर्थ समझनेमें सुविधा होगी —मान लीजिये कि किसी म्यूनिसिपल्टीमें कुल २० निर्वाचित मेम्बरों की जगहें हैं। उनमेंसे २ मेम्बर चुनने का अधिकार व्यापारियों की किसी सभाको दियागया है, और २ मेम्बर चुननेका अधिकार विद्यविद्यालय को दियागया है। अतएव इन विशेष प्रतिनिधियों की ४ जगहें पहले २० में से घटादी जायगी। शेष १६ जगहें जो बची उनके आधार पर हिसाब लगाया जायगा, कि उनमें से कितनी जगहें मुसलमानोंको, और कितनी गैर मुसलिमोंको दी जाय।

—उपदफा (३) के अनुसार, जिस समुदायको विशेष प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार हो, उसको इन बची हुई १६ जगहोंमें से कितनी जगहें दी जायगी? वह जगहें इस प्रकार बांटी जायगी। मान लीजिये कि उक्त म्यूनिसिपल्टी की कुल जनसख्या ४०,००० है, और उनमें से १०,००० मुसलमान हैं अर्थात् मुसल्मानों की सख्या कुलकी $\frac{१}{४}$ है, तो मुसल्मानों को, १६ की $\frac{१}{४}$ अर्थात ४ जगहें, दी जायेंगी, शेष १२ गैर मुसलिमो को मिलेंगी।

—उस दशा के लिये जब कि दफा ११ की उपदफा (२) में बताये समुदायों में से किसी एक की जन सख्या बहुत कम हो तो कानून के द्वारा उस समुदाय को कुछ विशेष प्रतिनिधि भेजनेका अधिकार दे दिया जाता है, अर्थात् जितने प्रतिनिधि उस समुदायके भागमें संख्याके हिसाब से आवें उनमें कुछ वृद्धि करदी जाती है इस विषयमें यह नियम हैं —

(ए) यदि किसी म्यूनिसिपल्टीमें किसी समुदाय की जन सख्या २५ प्रति सैकड़ासे कम हो तो उसकी जन सख्याका १०० के साथ जो समानुपात (Proportion) हो उस समानुपात में $\frac{३}{१०}$ भर वृद्धि करदी जायगी। यह ध्यान रहे कि $\frac{३}{१०}$ की वृद्धिका अर्थ "प्रति सैकड़ा $\frac{३}{१०}$ की वृद्धि" कर देने का न लगाया जाय, वरन यह

१/१० की वृद्धि समनुपातकी सख्यामें की जावेगी (देखिये प्रश्न न० २ जो उदाहरणार्थ नीचे हल किये गये हैं)

(बी) यदि किसी समुदाय की जन सख्या कुल जन सख्या के २५ प्रति सैकडा से अधिक हो, परन्तु ३८ ५ से कमहो तो ऐसे समुदायकी जन संख्या ३८ ५ प्रति सैकडा मानली जायगी और उसको उतनी जगहेंदे दी जायगी जितनी ३८ ५ प्रति सैकडा के हिसाब से आवें।

स्वाभावत यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह ३८ ५ की सख्या किस प्रकार मान ली गयी है ? सयुक्त प्रान्त की म्यूनिसिपल्टियों की पूर्ण जनसख्या के जोड और उन सब म्यूनिसिपलटियों के मुसलमानों की जन सख्या के जोड का अनुपात (Ratio) है १०० -३८ ५, अर्थात् म्यूनिसिपलटियोंकी आबादीमें १०० पर ३८ ५ मुसलमान हैं इसीसे यह सख्या ले ली गयी है।

उप दफा (४)—मान लीजिये कि उपरोक्त हिसाब लगाने से किसी समुदाय के भाग में जो जगहें आवें वह भिन्न सख्या (Fraction) हो जैसे १/१०, १/३ इत्यादि, अथवा उसमें एक पूर्णाङ्क संख्या (Whole number) आवे, और एक भिन्न सख्या भी, जैसे ४ १/२ तो ऐसी दशा में क्या करना होगा, क्योंकि मेम्बरों की केवल पूर्णाङ्क सख्याही हो सकती है, जैसे १, २, ३ इत्यादि। इस दशा के लिये यह उपाय बताया गया है —

(अ) (१) यदि भिन्न सख्या आधे से अधिक हो, और (२) समुदायकी जन सख्या कुल जन सख्या के १/३ से कम हो, अर्थात् यदि यह दोनों दशायें उपस्थित हों, तो भिन्न संख्या बढाके १ मानली जायगी, अर्थात मेम्बरोंकी जितनी पूर्णाङ्क सख्या हिसाबसे आवे, उसमे एक मेम्बर और बढाके उक्त समुदायको दे दिया जायगा।

[उसूल यह है कि जब थोडे में किसी समुदायके मेम्बर आधेसे कम हों, और भिन्न सख्या इकाई से थोडी सी कम रह जाने के कारण उस ... मेम्बर और कम हुआ जाता हो, तो ऐसी दशामें ऐसे समुदायको एक और मेम्बर ... दूसरे समुदायको ... हानि न होगी। इसके विपरीति यदि किसी समुदायके ... से अधिक मेम्बर ... समुदायके सग ऐसी ... , न्यायके ...

(आ ... में, अर्थात् ... बताई हुई ... सग उपस्थित न हों ... उडादी जायगी।

नीचे ... से दफा १२ ... कायदे ...

प्रश्न ... में, ... की

मेम्बरों की १६ ...

उत्तर ... संख्या ...

में

अब १/३ जो आबादी ६० %, अर्थात् दी जायगी और गैर ...

प्रश्न (२) एक म्यूनिसिपलटी में जिसमें मुसलमानों की आबादी २० प्रति सैकडा है, मेम्बरोंकी १९ जगहेंहैं तो उसमें मुसल्मानाको कितनी जगहें मिलेंगी? मुसलमानाकी आबादी है २०%,

उत्तर— उनके प्रतिनिधियों का अनुपात हुआ $\frac{२०}{१००} = \frac{१}{५}$

परन्तु जब किसी समुदायकी जन सख्या २५ % से कम होती है तो दफा १२ के अनुसार जो अनुपात जन सख्याके हिसाबसे आता है उसमें $\frac{१}{१०}$ भर वृद्धि करदी जाती है, $\frac{१}{५}$ म $\frac{१}{१०}$ भर वृद्धि करदी जायगी, अर्थात –

$\frac{१}{१०}$ का $\frac{१}{५} = \frac{१}{५०}$ भर वृद्धि होगी।

∴ $\frac{१}{५} + \frac{१}{५०} = \frac{११}{५०}$,

अब यह देखना है कि जब एक मेम्बरमें $\frac{११}{५०}$ भर मुसल्मानोंकी जगहें होंगी तो १९ मेम्बरो में कितनी होगी?

१ १९ $\frac{११}{५०}$ $x = १९ \times \frac{११}{५०} = ४\frac{९}{५०}$.

अब यह देखना चाहिये कि $\frac{९}{५०}$ जो भिन्न सख्या उत्तरमें है वह बढाके एक की जा सकती है कि नहीं। $\frac{९}{५०}$ छोटा है $\frac{१}{२}$ से। इस लिये दोनों शर्तें जो ऊपर (अ) में बताई गयी हैं पूरी नहीं होतीं। अतएव $\frac{९}{५०}$ उडा दिया जायगा और मुसल्मानों को केवल ४ जगहें मिलगी।

प्रश्न (३) एक म्युनिसिपलटी में मुसलमानों की आबादी ३५ प्रति सैकडा है और बोर्ड में १८ मेम्बर हैं, तो मुसल्मानों को कितनी जगहें मिलेंगी?

उत्तर—मुसल्मानों की आबादी २५ % से अधिक है, परन्तु ३८ ५ % से कम है, इस लिये दफा १२ के अनुसार उनके सग यह रियायतकी जायगी कि उनकी आबादी ३५ प्रति सैकडाकी जगह ३८ ५ प्रति सैकडा मानली जायगी।

मुसल्मानों के प्रतिनिधियों का अनुपात पडा–

$\frac{३८.५}{१००}=\frac{३८\frac{१}{२}}{१००}=\frac{\frac{७७}{२}}{१००}=\frac{७७}{२}\times\frac{१}{१००}=\frac{७७}{२००}$

इस अनुपातके हिसाबसे यह देखना है कि १८ जगहोंमें मुसल्मानों को कितनी जगहें मिलेंगी?

१ १८ $\frac{७७}{२००}$ $x = १८ \times \frac{७७}{२००} = \frac{१३८६}{२००} = ६\frac{१८६}{२००}$

अब इतना और देखना है कि $\frac{१८६}{२००}$ जो भिन्न सख्या जवाबमें आई है वह उडा दी जायगी या बढाके १ कर दी जायगी।

यह भिन्न संख्या $\frac{१}{२}$ से बडी है और मुसल्मानोंकी जन संख्या ३८ ५ मानी गयी है, अर्थात् यह भी म्यूनिसिपलटीकी कुल जन सख्याके $\frac{१}{२}$ से कम है अतएव यह दोनों शर्तें जो ऊपर (अ) में बताई गई हैं, पूरी होजाती हैं, इसलिये प्रान्तिय सरकार इस भिन्न सख्याको बढाके १ मान लेगी। यह १ जगह भी मुसलमानों को दी जावेगी, अर्थात् मुसल्मानों को ६+१=७ जगहें मिलेंगी।

—उपदफा (५) में जो ३८ ५ प्रति सैकडा अनुपात दिया गयाहै वह हालमें बदल दिया गया है। G O No 2197 /XI–32 तारीख २१ जुलाई सन् १९२३ई० के द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है कि प्रान्तकी मर्दुमशुमारी सन१९२१ई०के अन्तिम नक्शोके आधारपर श्रीमान गवर्नरने अपने वजीरों (Ministors) की सहमतिसे सयुक्त प्रान्त की म्यूनिसिपल्टीज एक्ट सन् १९१६ई० की दफा१२ की उपदफा (५) में प्रान्तकी सब म्यूनिसिपल्टियों की (सिवाय नैनीताल और मसूरी की म्यूनिसिपलटियोंके) कुल जन सम्याके जोडका उक्त म्यूनिसिपल्टियोंके मुसल्मानों की जन सख्याका प्रति सैकडा अनुपात ३७ ६ कायम करने की आज्ञा दे दी है।

१/१० की वृद्धि समनुपातकी सख्यामें की जावेगी (देखिये प्रश्न न० २ जो उदाहरणार्थ नीचे हल किये गये हैं)

(बी) यदि किसी समुदाय की जन सख्या कुल जन सख्या के २५ प्रति सैकडा से अधिक हो, परन्तु ३८'५ से कमहो तो ऐसे समुदायकी जन सख्या ३८ ५ प्रति सैकड़ा मानली जायगी और उसको उतनी जगहेंदे दी जायगी जितनी ३८ ५ प्रति सैकडा के हिसाब से आवें ।

स्वाभावत यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह ३८ ५ की सख्या किस प्रकार मान ली गयी है ? संयुक्त प्रान्त की म्यूनिसिपलटियों की पूर्ण जनसख्या के जोड और उन सब म्यूनिसिपलटियों के मुसलमानों की जन सख्या के जोड का अनुपात (Ratio) है १०० -३८.५, अर्थात म्यूनिसिपलटियोंकी आबादीमें १०० पर ३८ ५ मुसल्मान हैं इसीसे यह संख्या ले ली गयी है।

उप दफा (४)—मान लीजिये कि उपरोक्त हिसाब लगाने से किसी समुदाय के भाग में जो जगहें आवें वह भिन्न सख्या (Fraction) हो जैसे १/१०, २/३ इत्यादि, अथवा उसमें एक पूर्णाङ्क संख्या (Whole number) आवे, और एक भिन्न सख्या भी, जैसे ४ ३/६ तो ऐसी दशा में क्या करना होगा, क्योंकि मेम्बरों की केवल पूर्णाङ्क सख्याही हो सकती है, जैसे १, २, ३ इत्यादि । इस दशा के लिये यह उपाय बताया गया है —

(अ) (१) यदि भिन्न संख्या आधे से अधिक हो, और (२) समुदायकी जन संख्या कुल जन सख्या के १/३ से कम हो, अर्थात् यदि यह दोनों दशायें उपस्थित हों, तो भिन्न सख्या बढ़ाके १ मानली जायगी, अर्थात मेम्बरोंकी जितनी पूर्णाङ्क सख्या हिसाबसे आवे, उसमें एक मेम्बर और बढाके उक्त समुदायको दे दिया जायगा ।

[उसूल यह है कि जब बोर्ड में किसी समुदायके मेम्बर आधेसे कम हों, और भिन्न संख्या इकाई से थोडी सी कम रह जाने के कारण उस समुदाय का एक मेम्बर और कम हुआ जाता हो, तो ऐसी दशामें ऐसे समुदायको एक और मेम्बर मिल जाने से, दूसरे समुदायको कोई विशेष हानि न होगी । इसके विपरीति यदि किसी समुदायके, बोर्ड में, आधे से अधिक मेम्बर हों, तो ऐसे समुदायके सग ऐसी रियायत करना, न्यायके विरुद्ध होगा ।]

(आ) अन्य सब दशाओं में, अर्थात् यदि (अ) में बताई हुई दोनों दशायें सग साथ उपस्थित न हों तो भिन्न सख्या उडादी जायगी ।

नीचे हल किये हुये प्रश्नों से दफा १२ में बताये हुये सब कायदे स्पष्ट हो जायगे ।

प्रश्न (१) एक म्यूनिसिपल्टी में, जिसमें गैरमुसलिमों की आबादी ६० प्रति सैकडा है, मेम्बरों की १६ जगहें हैं । उनमें से गैर मुसलिमों को कितनी जगहें मिलेंगी ?

उत्तर—गैर मुसलिमों की जन संख्या है ६० %,

उनके प्रतिनिधियों का अनुपात हुआ ६०/१०० = ३/५

जब एकमें गैर मुसलिमों का होगा ३/५ मेम्बर तो १६ में कितने होंगे ?

१ १६ ३/५ $x = \frac{३/५ \times १६}{१} = ४८/५ = ९\ ३/५$

अब ३/५ जो भिन्न संख्या जवाबमें आई है, यह १/२ से बडी है, किन्तु गैर मुसलिमों की आबादी ६० %, अर्थात् १/३ से ज्यादा है दोनों दशायें उपस्थित न होने के कारण भिन्न सख्या उड़ा दी जायगी और गैर मुसलिमों को केवल ० जगहें मिलेंगी ।

प्रश्न (२) एक म्यूनिसिपल्टी में जिसमें मुसल्मानों की आबादी २० प्रति सैकडा है, मेम्बरोंकी १६ जगहें हैं तो उसमें मुसलमानोको कितनी जगहें मिलेंगी? मुसलमानोकी आबादी है २०%,

उत्तर— उनके प्रतिनिधियों का अनुपात हुआ $\frac{२०}{१००} = \frac{१}{५}$

परन्तु जब किसी समुदायकी जन सख्या २५ % से कम होती है तो दफा १२ के अनुसार जो अनुपात जन सख्याके हिसाबसे आता है उसमें $\frac{१}{१०}$ भर वृद्धि करदी जाती है, $\frac{१}{५}$ म $\frac{१}{१०}$ भर वृद्धि करदी जायगी, अर्थात –

$\frac{१}{१०}$ का $\frac{१}{५} = \frac{१}{५०}$ भर वृद्धि होगी।

∴ $\frac{१}{५} + \frac{१}{५०} = \frac{११}{५०}$,

अब यह देखना है कि जब एक मेम्बरमें $\frac{११}{५०}$ भर मुसल्मानोंकी जगहें होंगी तो १६ मेम्बरो में कितनी होगी?

१ : १६ :: $\frac{११}{५०}$: $x = १६ \times \frac{११}{५०} = ४\frac{४}{२५}$

अब यह देखना चाहिये कि $\frac{४}{२५}$ जो भिन्न सख्या उत्तरमें है वह बढाके एक की जा सकती है कि नहीं। $\frac{४}{२५}$ छोटा है $\frac{१}{२}$ से। इस लिये दोनों शर्तें जो ऊपर (अ) मे बताई गयी हैं पूरी नहीं होतीं। अतएव $\frac{४}{२५}$ उडा दिया जायगा और मुसल्मानों को केवल ४ जगहें मिलगी।

प्रश्न (३) एक म्यूनिसिपल्टी मे मुसलमानों की आबादी ३५ प्रति सैकडा है और बोर्ड में १८ मेम्बर हैं, तो मुसल्मानों को कितनी जगहें मिलेंगी?

उत्तर—मुसलमानों की आबादी २५ % से अधिक है, परन्तु ३८.५ % से कम है, इस लिये दफा १२ के अनुसार उनके सग यह रियायतकी जायगी कि उनकी आबादी ३५ प्रति सैकडाकी जगह ३८.५ प्रति सैकडा मानली जायगी।

मुसल्मानों के प्रतिनिधियों का अनुपात हुआ–

$\frac{३८.५}{१००} = \frac{३८\frac{१}{२}}{१००} = \frac{\frac{७७}{२}}{१००} = \frac{७७}{२} \times \frac{१}{१००} = \frac{७७}{२००}$

इस अनुपातके हिसाबसे यह देखना है कि १८ जगहोंमें मुसल्मानों को कितनी जगहें मिलेंगी?

१ : १८ :: $\frac{७७}{२००}$: $x = १८ \times \frac{७७}{२००} = \frac{१३८६}{२००} = ६\frac{९३}{१००}$

अब इतना और देखना है कि $\frac{९३}{१००}$ जो भिन्न सख्या जवाबमें आई है वह उडा दी जायगी या बढाके १ कर दी जायगी।

यह भिन्न संख्या $\frac{१}{२}$ से बडी है और मुसलमानोंकी जन सख्या ३८.५ मानी गयी है, अर्थात् वह भी म्यूनिसिपल्टीकी कुल जन सख्याके $\frac{१}{२}$ से कम है अतएव यह दोनों शर्तें जो ऊपर (अ) में बताई गई हैं, पूरी होजाती हैं, इसलिये प्रान्तीय सरकार इस भिन्न सख्याको बढाके १ मान लेगी। यह १ जगह भी मुसल्मानों को दी जावेगी, अर्थात् मुसल्मानों को ६+१=७ जगहें मिलेंगी।

—उपदफा (५) में जो ३८.५ प्रति सैकडा अनुपात दिया गयाहै वह हालमें बदल दिया गया है। G O No 2197 /XI-32 तारीख २१ जुलाई सन् १९२३ई० के द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है कि प्रान्तकी मर्दुमशुमारी सन१९२१ई०के अन्तिम नकशेके आधारपर श्रीमान गवर्नरने अपने वजीरों (Ministors) की सहमतिसे सयुक्त प्रान्त की म्यूनिसिपल्टीज एक्ट सन् १९१६ई० की दफा१२ की उपदफा (५) में प्रान्तकी सब म्यूनिसिपल्टियों की (सिवाय नैनीताल और मसूरी की म्यूनिसिपलटियोंके) कुल जन सख्याके जोडका उक्त म्यूनिसिपलटियोंके मुसल्मानों की जन सख्याका प्रति सैकडा अनुपात ३७.१ कायम करने की आज्ञा दे दी है।

दफा १३ संयोगवश जगह खाली होनेके विषयमें विशेष नियम

जब किसी बोर्डमें कोई जगह किसी निर्वाचित मेम्बरकी मृत्यु, इस्तीफा, या हटा दिये जानेके कारण खाली हो या इस कारण खाली हो कि उस जगहके विषय में यह निश्चय कर दिया गया हो कि उसके भरनेके लिये निर्वाचन न किया जाय, और यदि जिस मेम्बर की जगह इस प्रकार खाली हुई हो उसके पदकी अवधि जगह खाली होने के दिनसे छः मासके भीतर समाप्त होजाने वाली हो तो बोर्डको अधिकार होगा कि यह हुक्म दे दे कि आगामी साधारण निर्वाचन तक वह जगह खाली छोड दी जाय।

व्याख्या—

इस दफा का उद्देश यह है कि थोडे समयके लिये व्यर्थ निर्वाचन का झमेला न करना पडे।

—यदि बोर्ड, दफा १३ के अनुसार, जगह खाली छोड दिये जाने का हुक्म न देगा, तो निर्वाचनके नियम १८ (२) के अनुसार, एक मासके भीतर, ऐसी जगहके लिये निर्वाचन कर लिया जायेगा। ऐसे चुने हुये मेम्बरके पदकी अवधिके लिये देखिये दफा ३८ की उप दफा (३)।

—नामजद मेम्बरों में से किसी की जगहके विषयमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि दफा ३८ के अनुसार नामजद मेम्बर, पूरे तीन वर्ष के लिये नामजद किया जाता है संयोग वश यदि किसी नामजद मेम्बरकी जगह थोडे समयके लिये खाली हो जाती है, तो उसकी जगह दूसरा मेम्बर केवल उतने ही समयके लिये नामजद नहीं किया जाता।

—रेजोल्यूशन No 1244/IX—372E, तारीख १९जून सन् १९१६ई०के द्वारा यह निश्चय कर दिया गया है कि हर तीसरे वर्ष बोर्डके सब मेम्बरों की जगहें खाली होंगी और एक सग सब जगहों के लिये निर्वाचन किया जायगा। इसी तीन वर्ष पर होने वाले निर्वाचनके लिये दफा १३ में शब्द "साधारण निर्वाचन" लाये गये हैं।

निर्वाचन

दफा १४ निर्वाचकों की योग्यतायें

१ कोईशख्स इस एक्ट के या इस एक्ट के अनुसार बने हुये किसी नियम के, किसी उद्देश के लिये, निर्वाचक (Elector) न समझा जायगा जब तक कि उसका नाम निर्वाचकों की नामावली (Electoral roll) मे लिखा न गया हो।

२ नीचे लिखे शख्स यदि उन पर दफा ३ मे वर्णित कोई अयोग्यता लागू न होती हो, निर्वाचकों की नामावली मे दर्ज किये जाने के अधिकारी होंगे :—

(ए) प्रत्येक ऐसा शख्स, जिस पर किसी वर्ष मे, उस तारीख पर जो इस अभिप्राय से नियम द्वारा नियत कर दी गयी हो सीधे (Directly) और उसी की निजी हैसियतपर म्यूनिसिपलटीके कर चुङ्गी (Octroi) टोल (Toll अर्थात् प्रवेश कर) तथा अन्य ऐसे २ करों को छोड़ के, लगाये गये, उन करोंका जोड़, उनकी वार्षिक दर से, उस कम न हो, जो इस अभिप्राय से, नियम द्वारा

एक्ट २०९ सन १९२२ ई०

(बी) प्रत्येक ऐसा शख्स जो उपरोक्त तारीखसे ठीक पहलेके कमसे कम बारह माससे म्युनिसिपलटीमें रह रहा हो और जो उपरोक्त तारीख पर-

(१) किसी विश्वविद्यालयका ग्रेज्युएट (Graduate) हो । या

(२) इनकमटैक्स देता हो । या

(३) किसी ऐसे मकान या इमारत का जो म्युनिसिपलटीमे हो मालिक हो, जिसका वार्षिक मूल्य कमसे कम उतना हो जितना कि नियम द्वारा इस अभिप्रायसे नियत कर दिया गया हो । या

एक्ट नं० ६ सन् १९१९ ई०

(४) म्युनिसिपलटीमें कोई ऐसा मकान या इमारत उसके कब्जेमें हो जिस का वार्षिक मूल्य उतना हो जितना कि नियम द्वारा, इस अभिप्रायसे नियत कर दिया गया हो । या

एक्ट नं० ९ सन् १९१९ ई०

(५) जिसकी वार्षिक आमदनी कमसे कम उतनी हो, जितनी नियम द्वारा इस अभिप्रायसे नियत कर दी गई हो । या

(६) जो स्वय अपने हकसे ऐसी आराजीका मालिक हो जिस पर कमसे कम उतनी मालगुजारी प्रतिवर्ष देना पडती हो जितनी नियम द्वारा इस अभिप्रायसे नियत कर दी गई हो । या

(७) जो स्वय अपने हकसे ऐसी आराजीका मालिक हो जिस पर मालगुजारी माफ हो, यदि मालगुजारी की वह रकम जो उस आराजी पर अबवाब (Rates) के निर्णय करनेके आशयसे नाममात्रको लगाई गई हो अकेली या और मालगुजारियोंके सहित, जो उपरोक्त आराजीका मालिक अन्य आराजियोंके विषयमें अदा करता हो कमसे कम उतनी हो जितनी कि नियम द्वारा इस अभिप्रायसे नियत कर दी गई हो । या

(८) जो किसी ऐसी आराजीका असामी साकित-उल-मिल्कियत (Ex-proprietory tenant) या असामी मौरूसी (Occupancy tenant) या स्थिर दरसे लगान देने वाला असामी (Fixed rate tenant) हो, जिस पर कमसे कम उतना लगान बधा हो जितना कि, नियम द्वारा इस अभिप्रायसे नियत कर दिया गया हो, या कमायूं की कमिश्नरी की पहाडी पट्टियोंमे खयकरका असामी हो ।

एक्ट नं० २ सन् १९१९ ई०

परन्तु शर्त यह है कि कोई योग्यतामें जिनका वर्णन क्लाज (बी) के (२) से (८) तक अशोंमें किया गयाहै, किसी म्युनिसिपलटीसे सम्बन्ध न रखेगी, जब तक कि वह नियम द्वारा उस म्युनिसिपलटीमें लगा न दी गयी हों ।

परन्तु शर्त यह भी है कि कोई योग्यताय जो (३) (४) (६) (७) (८) अशोंमें अङ्कित की गई है उन योग्यताओंसे ऊची न रखी जायगी जो उन्ही विषयो में, सयुक्त प्रान्त की व्यवस्थापिका सभा (U P Legislative Council) के निर्वाचकों को उसकी निर्वाचकों की नामावलीमें दर्ज किये जानेके लिये नियमित की गई हैं ।

दफा १३ संयोगवश जगह खाली होनेके विषयमें विशेष नियम

जब किसी बोर्डमें कोई जगह किसी निर्वाचित मेम्बरकी मृत्यु, इस्तीफा, या हटा दिये जानेके कारण खाली हो या इस कारण खाली हो कि उस जगहके विषय मे यह निश्चय कर दिया गया हो कि उसके भरनेके लिये निर्वाचन न किया जाय, और यदि जिस मेम्बर की जगह इस प्रकार खाली हुई हो उसके पदकी अवधि जगह खाली होने के दिनसे छः मासके भीतर समाप्त होजाने वाली हो तो बोर्डको अधिकार होगा कि यह हुक्म दे दे कि आगामी साधारण निर्वाचन तक वह जगह खाली छोड़ दी जाय।

व्याख्या—

इस दफा का उद्देश यह है कि थोडे समयके लिये व्यर्थ निर्वाचन का झमेला न करना पड़े।

—यदि बोर्ड, दफा १३ के अनुसार, जगह खाली छोड दिये जाने का हुक्म न देगा, तो निर्वाचनके नियम १८ (२) के अनुसार, एक मासके भीतर, ऐसी जगहके लिये निर्वाचन कर लिया जायेगा। ऐसे चुने हुये मेम्बरके पदकी अवधिके लिये देखिये दफा ३८ की उप दफा (३)।

—नामजद मेम्बरों में से किसी की जगहके विषयमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि दफा ३८ के अनुसार नामजद मेम्बर, पूरे तीन वर्ष के लिये नामजद किया जाता है संयोग वश यदि किसी नामजद मेम्बरकी जगह थोडे समयके लिये खाली हो जाती है, तो उसकी जगह दूसरा मेम्बर केवल उतने ही समयके लिये नामजद नहीं किया जाता।

—रेजोल्यूशन No 1244/IX—372E,तारीख़१९जुन सन्१९१६ई०के द्वारा यह निश्चय कर दिया गया है कि हर तीसरे वर्ष बोर्डके सब मेम्बरों की जगहें खाली होंगी और एक सग सब जगहों के लिये निर्वाचन किया जायगा। इसी तीन वर्ष पर होने वाले निर्वाचनके लिये दफा १३ में शब्द "साधारण निर्वाचन" लाये गये हैं।

निर्वाचन

दफा १४ निर्वाचकों की योग्यतायें

१ कोईशख्स इस एक्ट के या इस एक्ट के अनुसार बने हुये किसी नियम के किसी उद्देश के लिये, निर्वाचक (Elector) न समझा जायगा जब तक कि उसका नाम निर्वाचकों की नामावली (Electoral roll) में लिखा न गया हो।

२ नीचे लिखे शख्स यदि उन पर दफा ३ मे वर्णित कोई अयोग्यता लागू न होती हो, निर्वाचको की नामावली मे दर्ज किये जाने के अधिकारी होंगे :—

एक्ट नं०९ सन १९२२ ई०

(ए) प्रत्येक ऐसा शख्स, जिस पर किसी वर्ष मे, उस तारीख पर जो इस अभिप्राय से नियम द्वारा नियत कर दी गयी हो सीधे (Directly) और उसी की निजी हैसियतपर म्यूनिसिपल्टीके कर चुङ्गी (Octroi) टोल (Toll अर्थात् प्रवेश कर) तथा अन्य ऐसे २ करों को छोड के, लगाये गये हो और उन करोंका जोड, उनकी वार्षिक दर से, उस कम से कम सख्या से कम न हो, जो इस अभिप्राय से, नियम द्वारा नियत कर दी गयी हो।

(बी) प्रत्येक ऐसा शख्स जो उपरोक्त तारीखसे ठीक पहलेके कमसे कम बारह माससे म्युनिसिपलटीमें रह रहाहो और जो उपरोक्त तारीखपर-

(१) किसी विश्वविद्यालयका ग्रेज्युएट (Graduate) हो। या

(२) इनकम्टैक्स देता हो। या

(३) किसी ऐसे मकान या इमारत का जो म्युनिसिपलटीमें हो मालिक हो, जिसका वार्षिक मूल्य कमसे कम उतना हो जितना कि नियम द्वारा इस अभिप्रायसे नियत कर दिया गया हो। या

एक्ट नं० ९ सन् १९१९ ई०

(४) म्युनिसिपलटीमें कोई ऐसा मकान या इमारत उसके कब्जेमें हो जिस का वार्षिक मूल्य उतना हो जितना कि नियम द्वारा, इस अभिप्रायसे नियत कर दिया गया हो। या

एक्ट नं० ९ सन् १९१९ ई०

(५) जिसकी वार्षिक आमदनी कमसे कम उतनी हो,जितनी नियम द्वारा इस अभिप्रायसे नियत कर दी गई हो। या

(६) जो स्वय अपने हकसे ऐसी आराजीका मालिक हो जिस पर कमसे कम उतनी मालगुजारी प्रतिवर्ष देना पडतीहो जितनी नियम द्वारा इस अभिप्रायसे नियत कर दी गई हो। या

(७) जो स्वय अपने हकसे ऐसी आराजीका मालिक हो जिस पर माल-गुजारी माफ हो, यदि मालगुजारी की वह रकम जो उस आराजी पर अबवाब (Rates) के निर्णय करनेके आशयसे नाममात्रको लगाई गई हो अकेली या और मालगुजारियोंके सहित, जो उपरोक्त आराजीका मालिक अन्य आराजियोंके विषयमें अदा करता हो कमसे कम उतनी हो जितनी कि नियम द्वारा इस अभिप्रायसे नियत कर दी गई हो। या

(८) जो किसी ऐसी आराजीका असामी साकित-उल-मिल्कियत (Ex-proprietory tenant) या असामी मौरूसी (Occupancy tenant) या स्थिर दरसे लगान देने वाला असामी (Fixed rate tenant) हो, जिस पर कमसे कम उतना लगान बधा हो जितना कि, नियम द्वारा इस अभिप्रायसे नियत कर दिया गया हो, या कमायूं की कमिश्नरी की पहाडी पट्टियोंमें खायकरका असामी हो।

एक्ट नं० ९ सन् १९१९ ई०

परन्तु शर्त यह है कि कोई योग्यतामें जिनका वर्णन क्लाज (बी) के (२) से (८) तक अशोंमें किया गयाहै, किसी म्युनिसिपलटीसे सम्बन्ध न रखेगी, जब तक कि वह नियम द्वारा उस म्युनिसिपलटीमें लगा न दी गयी हो।

परन्तु शर्त यह भी है कि कोई योग्यतायें जो (३) (४) (६) (७) (८) अशोंमें अङ्कित की गई हैं उन योग्यताओंसे ऊची न रखी जायगी जो उन्ही विषयों में, सयुक्त प्रान्त की व्यवस्थापिका सभा (U P Legislative Council) के निर्वाचकों को उसकी निर्वाचकों की नामावलीमें दर्ज किये जानेके लिये नियमित की गई हैं।

एक्ट नं० २ सन १९२२ ई०

अन्तमें शर्त यहभी है, कि इस दफाके हुक्मोंके होतेहुये भी, किसी शख्स को उस निर्वाचनके लिये जो संयुक्त प्रान्तके म्यूनिसिपलटीज एमेण्डमेण्ट एक्ट (U P Municipalities amendment Act 1922) के आरम्भ होनेके बाद पहले पहल हो, किसी म्यूनिसिपलटीमें निर्वाचक बननेका अधिकार न होगा, सिवाय उस दशाके कि उक्त संयुक्त प्रान्तके म्यूनिसिपलटीज एमेण्डमेण्ट एक्ट सन् १९२२ ई० के आरम्भ होनेके समय म्यूनिसिपलटीमें निर्वाचक दर्ज किये जानेका अधिकार प्राप्तहो या संयुक्त प्रान्तकी व्यवस्थापिका सभा की निर्वाचकों की नामावलीमें उसका नाम दर्ज हो।

३ कोई शख्स, चाहे वह अन्य प्रकार योग्यता रखता हो, निर्वाचकों की नामावली में दर्ज किये जानेका अधिकारी न होगा, यदि उपरोक्त तारीख पर:—

(ए) वह २१ वर्ष की अवस्थाका न हो चुका हो। या

(बी) ब्रिटिश राज की प्रजा न हो। या

(सी) उसको किसी अधिकार प्राप्त अदालत ने विक्षिप्त (Unsound mind) ठहरा दिया हो। या

(डी) वह ऐसा दिवालिया हो जो अपने ऋण के भार से कानून के अनुसार छूट न चुका हो। या

एक्ट न० ९ सन१९२२ ई०

(ई) जिसको, ताजीरातहिन्द (Indian Penal Code) के अनुसार, ६ मास से अधिक का जेलखाना या देशान्दवास के दण्ड मिलने का हुक्म हो चुका हो, या किसी अदालत फौजदारी से ऐसे अपराध के लिये दण्डित किया गया हो, जिस अपराध के विषय मे प्रान्तीय सरकार ने यह ठहरा दिया हो, कि वह इतना आचार विरुद्ध है कि उस अपराध का करने वाला शख्स वोट देने के योग्य नहीं है। या जिसको जाबता फौजदारी (Criminal Procedure Code) के अनुसार सदाचार (नेकचलनी) के लिये जमानत दाखिल करने का हुक्म दिया गया हो और उपरोक्त हुक्म या दण्ड पीछे से उलट न दिया गया हो, या रद न कर दिया गया हो या अपराधी को माफ न कर दिया गया हो। या

(एफ) कोई रकम जिसका वर्णन दफा १६६ मे किया गया है, उसके ऊपर बाकी हो।

एक्ट९सन१९२२ई०

व्याख्या—

(ए) तथा (बी) में जिन तारीखों का उल्लेख किया गया है उनके लिये ३० सितम्बर नियत की गई है। (देखिये निर्वाचन सम्बन्धी नियमोंमें पहला नियम)

दफा १४ में वह सब योग्यतायें बताई गई हैं, जिनमें से किसी एकके प्राप्त होनेसे किसी शख्स को म्यूनिसिपल्टी का निर्वाचक होनेका अधिकार हो जाताहै। इनमें से पहली दो योग्यतायें, अर्थात् जिनका उल्लेख उपदफा (२) के क्लाज (ए) म और क्लाज (बी) (१) में किया गया है।

वह कानूनके द्वारा, प्रत्येक म्यूनिसिपलटी के लिये आवश्यक रखी गई हैं। शेष सारी योग्यतायें उन्हीं म्यूनिसिपलटियों में काममें लाई जायगी जिनमें नियम द्वारा वे सब, या उनमें से कोई, लगा दी जावें। परन्तु सारी योग्यतायें जिनके द्वारा किसी को निर्वाचक होनेका अधिकार हो सकता है, इस दफामें गिना दीगई हैं। अतएव नियम केवल इस लिये बनाये जा सकते हैं कि उनमें से कौन २ सी योग्यतायें किसी विशेष म्यूनिसिपलटी में लगाई जायगी। किन्तु पूर्वोक्त योग्यताओं के अतिरिक्त कोई नई योग्यता किसी म्यूनिसिपलटी के लिये नियमके द्वारा कायम न की जासकेगी। (गवर्नमेण्ट रेज़ोल्यूशन–म्यूनिसिपल विभाग No 1244 XI—372 E)

—(२) (ए) प्रकृत्या सबसे पहले उन लोगों को निर्वाचक बनने का अधिकार दिया गया है जो म्यूनिसिपलटी को कर देते हैं। यह नियम द्वारा निश्चय कर दिया जाता है कि कर की, या एकसे अधिक करों की मिलाके कमसे कम कितनी रक़म देनेपर किसी शख़्सको निर्वाचित होने का अधिकार प्राप्त होगा। परन्तु इस कमसे कम रक़मके निर्णय करने में टोल (Toll प्रवेश कर) या चुंगी, और ऐसे ही ऐसे अन्य कर, शामिल न किये जावेंगे। कारण यह है कि टोल, चुंगी आदि ऐसे कर हैं जिनके द्वारा किसी की हैसियत का पता नहीं चल सकता, और न ऐसे करों की कोई बधी हुई रक़म हो सकता है जो प्रतिवर्ष अदाकी जाय, वरन प्रत्येक शख़्सको आवश्यकतानुसार, ऐसे कर, किसी वर्ष में कम, किसी में अधिक, किसी में बिल्कुल नहीं, देने पड़ते।

निर्वाचक होनेके लिये केवल यही बात आवश्यक नहीं कि करों की एक कमसे कम रक़म कोई शख़्स अदा करताहो वरन यह भी आवश्यक है कि उसको यह रक़म अपनी निजी हैसियतके कारण देना पड़ती हो। जैसे यदि किसी नाबालिगके कर उसका वली अदा करताहो, और वली ही के नामसे वह कर लगाये भी गये हों, तो उक्त वली को, नाबालिग की ओरसे ऐसी रक़म देने के कारण निर्वाचक होने का अधिकार प्राप्त न होगा।

—(२) (बी) (१) म्यूनिसिपलटी को कर देने वालों के पीछे विश्वविद्यालयों (Universities) के ग्रेजुएटों (Graduates) को निर्वाचक होने का अधिकार दिया गया है, चाहे वे कोई कर अदा करते हों या न अदा करते हों। म्यूनिसिपलटीके विद्वान और योग्य निवासियों का इसके द्वारा सन्मान किया गया है। इस एक्टसे पूर्व केवल इलाहाबाद के विश्वविद्यालयके ग्रेजुएटों को निर्वाचक होने का अधिकार था, परन्तु अब सब विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएटों को यह अधिकार दे दिया गया है। केवल शर्त यह है कि उस वर्षके ३० सितम्बर पर जितने ग्रेजुएटों को म्यूनिसिपलटी में निवास करते हुये कमसे कम १२ मास हो चुके होंगे, वही निर्वाचक माने जायगे।

—(२) (बी) (३) 'वार्षिक मूल्य" की व्याख्याके लिये देखिये इस एक्ट की दफा १४० । 'मालिक' शब्दके लिये देखिये दफा २ का नं० १३।

—(२) (बी) (७) इस क्लाजमें माफ़ीदारोंको म्यूनिसिपलटीका निर्वाचक बननेका अधिकार दिया गया है। इनके लिये भी एक कमसे कम रक़म नियम द्वारा नियत कर दी जायगी। यदि वह मालगुजारी जो उनकी माफ़ी पर नाममात्रको बांधी गयी हो उक्त नियमित रक़म से कम न हो, तो उनको निर्वाचक बननेका अधिकार होगा या अगर किसी ज़िमींदारके पास माफ़ी भी हो और अन्य ऐसी ज़िमींदारी भी, जिसकी मालगुजारी उसको देना पड़ती हो, तो माफ़ी पर नाममात्रको लगाई हुई मालगुजारी की रक़म और वह रक़म जो वह अपनी अन्य ज़िमींदारीके सम्बन्धमें देना हो, दोनों मिलाके यदि उक्त नियमित रक़मसे कम न हों, तो भी वह निर्वाचक होनेका अधिकारी होगा।

नाममात्रको मालगुजारी बाधनेसे अभिप्राय यह है कि यद्यपि माफीदारसे मालगुजारी ली नहीं जाती तथापि माफियों पर भी मालगुजारी की रकम निश्चय अवश्य कर दी जाती है। कारण यह कि अब धाब माफीदारों को भी देना पडता है और यह अबवाब माफीदारों पर इसी नाममात्रको लगाई हुई मालगुजारीके आधार पर नियत किये जाते हैं।

—(२) (बी) (८) कानून लगान एक्ट नं०२सन्१९०१ई०की दफा ८ में स्थिर दरसे लगान देने वाले असामी" (Fixed rate tenant) की व्याख्या इस प्रकार की गई है।—

"जब कोई आराजी जो किसी ऐसे जिले, या जिलेके भागके भीतर हो जिसका बन्दोबस्त (Settlement) नित्यके लिये कर दिया गया हो, ऐसे बन्दोबस्तके समयसे लगातार, लगान की एक ही दर पर, किसी असामीके कब्जेमें चली जाती हो, तो वह असामी उसी दर पर, इस बातका अधिकारी होगा कि उसको हक मौरूसी (दखीलकारी) प्राप्त रहे"

—उपरोक्त एक्ट की दफा १० में काश्तकार साकित-उल् मिल्कियत (Ex-proprietory tenant) की व्याख्या इस प्रकार की गई है —

"प्रत्येक ऐसा मालिक, जिसके मिल्कियतके हक, जो किसी मुहाल या मुहालके किसी टुकडेके चाहे वह उसके किसी भागमें हों या उसके किसी विशेष रकबेमें हों, इस एक्टके आरम्भ होनेके समय या उसके पश्चात्, उसके हाथसे निकल जाय (मुतकिल हो जाय), चाहे इजराय डिकरीसे नीलामके द्वारा, या किसी दीवानी या माल्की अदालतके हुक्मसे, या ऐसे इन्तकालके द्वारा जो स्वेच्छासे किया जाय, परन्तु जो मुहालके किसी साझीदार को हिबा (दान) करनेके द्वारा या मुहालके साझीदारोंमें अदला बदला होनेके द्वारा न निकले हों, अपनी आराजी सीर और उस आराजीका, जो वह इन्तकालकी तारीख पर लगातार १२ वर्षसे जोतता रहा हो, असामी मौरूसी हो जायगा, और उसको इस बातका अधिकार होगा कि उस आराजीका ऐसे लगान पर कब्जा रखे, जो उस दरसे चार आना प्रति रुपया कम हो, जो गैर मौरूसी असामियोंको आस पास की उसी प्रकार की, और वैसे ही लाभों की, आराजी के विषयमें देना पडता हो"

(२) रेहन भोग बन्धक (Usufructuary mortgage) इस दफाके लिये इन्तकाल (Transfer) माना जायगा।

(३) यदि किसी मुहालके मालिकके हिस्सेका केवल कोई भाग, या उसके किसी रकबेमेंसे कोई टुकडा, इस प्रकार अलग (मुतकिल) किया जाय तो वह मालिक अपनी आराजी सीर की, और उस आराजी की, जिसको वह इन्तकाल की तारीख पर लगातार १२ वर्ष से जोतता रहा हो, केवल उतनी आराजीका असामी मौरूसी होजायगा जितनी ऐसे भाग या टुकडेसे सम्बन्ध रखती हो, या जो हिसाबसे ऐसे भाग या टुकडेके हिस्सेमें पडे।

(४) प्रत्येक ऐसा असामी और प्रत्येक असामी जिसको ऐसा ही हक, इसी प्रकारके हुक्म जो एक्ट न० १८ सन १८७३ ई०, या एक्ट न० १२ सन १८८१ ई०, या किसी अन्य कानून, या एक्ट, जो उस समय प्रचलित हों, के द्वारा प्राप्त हो, असामी साकित उल् मिल्कियत कहलायेगा और उन बातोंको छोड कर जिनके विषयमें अन्य प्रकार स्पष्ट आज्ञा हो, उसको वह सारे अधिकार प्राप्त होंगे और उन सारी जिम्मेदारियोंका भार उस पर होगा जो मौरूसी असामियोंको इस एक्टके द्वारा दिये गये हैं, और उन पर डाली गई हैं।

(५) कलक्टरके लिये आवश्यक होगा कि एक्ट मालगुजारी की दफा ३६ मुमालिक मगरबी व शुमाली व अवध, न० ३ सन १९०१ ई० (N W P & Oudh Land Revenue Act, 3 of 1901) के अनुसार उस आराजीके विषयमें, जिसमें ऐसा हक मौरूसी प्राप्त होजाय, यह बात कागजमें चढ़वा दे, और वह लगान जो उस पर दिया जाने को हो नियत कर दे।

(६) इस दफामें वर्णनकी हुई किसी आज्ञासे, किसी ऐसी आराजीमें मौरूसी हक प्राप्त न होगा, जो किसी ऐसे सार्वजनिक या निजी कार्य्यके लिये अलग की जाय, जो कार्य्य इस प्रकारका हो कि उसके कारण उस आराजीमें वह कार्य्य और खेती संग संग न हो सकती हो।

—कानून लगान न० २ सन १९०१ ई० की दफा ११ में मौरूसी असामी (Occupancy tenant) की व्याख्या इस प्रकार की गई है —

"प्रत्येक असामीको, जो एक ही आराजी पर १२ वर्ष की अवधि तक काबिज रहा हो, उस आराजीमें हक मौरूसी प्राप्त होगा—

परन्तु शर्त यह है कि किसी असामीको इस दफाके अनुसार किसी ऐसी आराजीमें मौरूसी हक प्राप्त न होगा जिस पर वह—

(ए) ऐसे पट्टेदार की हैसियतसे रजिस्टरी किये हुये पट्टेके द्वारा जिसकी अवधि ७ वर्षसे कम न हो। या

(बी) ठेकेदार की हैसियतसे। या

(सी) असामी सिकमी (Sub tenant) की हैसियतसे काबिज रहे।

हक मौरूसी प्राप्त नहीं होगा—

(डी) आराजी सीरमें। या

(ई) किसी ऐसी आराजीमें जो फौजी पड़ाव हो, या अन्य ऐसा रकबा हो जो किसी सार्वजनिक कार्य्य, या सर्वसाधारणके लाभके किसी कार्य्यके लिये प्राप्त किया गयाहो या कब्जेमें रखा गया हो, या जो ऐसे पड़ाव या अन्य रकबेका एक भागहो"

यह भी शर्त है कि १२ वर्षकी अवधि गिनने में ऐसी अवधि जिसमें उक्त आराजी, इस एक्टकी आज्ञाओं के विरुद्ध, सिकमी असामी को उठादी गई हो, या अन्य प्रकार अलग (मुन्तकिल) की गई हो, हिसाब लगाने में छोड़दी जायगी, परन्तु इससे यह नहीं समझा जायगा कि असामी की जोत का ताता टूट गया।

—उप दफा (२) की दूसरी शर्त में आज्ञा दी गई है कि (३) (४) (५) (७) तथा (८) में अङ्कितकी हुई योग्यतायें किसी म्यूनिसिपलटी में ऐसी नहीं रखी जा सकतीं जो, उन्हीं विषयों में, संयुक्त प्रान्तकी व्यवस्थापिका सभा (U P Legislative Council) की मेम्बरीके लिये नियत की हुई योग्यताओं से ऊंची हों। उक्त व्यवस्थापिक सभाके लिये उन विषयोंमें निम्न लिखित योग्यतायें रखी गई हैं —

(१) किसी मकान या इमारत का मालिक या किरायेदार, जिस मकान या इमारतके किराया का मूल्य (Rental value) ३६) रुपये वार्षिकसे कम न हो।

(२) किसी ऐसी आराजीका मालिक जिस पर कमसे कम २५) रु० मालगुजारी बंधी हो।

(३) किसी ऐसी आराजी माफी का मालिक, जिसकी नाममात्रको बंधी हुई मालगुजारी,

नाममात्रको मालगुजारी बाधनेसे अभिप्राय यह है कि यद्यपि माफीदारसे मालगुजारी ली नहीं जाती तथापि माफियो पर भी मालगुजारी की रकम निश्चय अवश्य कर दी जाती है। कारण यह कि अब-घाब माफीदारों को भी देना पडता है और यह अबवाब माफीदारों पर इसी नाममात्रको लगाई हुई मालगुजारीके आधार पर नियत किये जाते हैं।

—(२) (बी) (८) कानून लगान एक्ट नं० २सन् १९०१ई०की दफा ८ में स्थिर दरसे लगान देने वाले असामी" (Fixed rate tenant) की व्याख्या इस प्रकार की गई है —

"जब कोई आराजी जो किसी ऐसे जिले, या जिलेके भागके भीतर हो जिसका बन्दोबस्त (Settlement) नित्यके लिये कर दिया गया हो, ऐसे बन्दोबस्तके समयसे लगातार, लगान की एक ही दर पर, किसी असामीके कब्जेमें चली जाती हो, तो वह आसामी उसी दर पर, इस बातका अधिकारी होगा कि उसको हक मौरूसी (दखीलकारी) प्राप्त रहे "

—उपरोक्त एक्ट की दफा १० में काश्तकार साकित-उल् मिल्कियत (Ex-proprietory tenant) की व्याख्या इस प्रकार की गई है —

"प्रत्येक ऐसा मालिक, जिसके मिल्कियतके हक, जो किसी मुहाल या मुहालके किसी टुकडेके, चाहे वह उसके किसी भागमें हों या उसके किसी विशेष रकबेमें हों, इस एक्टके आरम्भ होनेके समय या उसके पश्चात्, उसके हाथसे निकल जाय (मुतकिल हो जाय), चाहे इजराय डिक्रीमें नीलामके द्वारा, या किसी दीवानी या मालकी अदालतके हुक्मसे, या ऐसे इन्तकालके द्वारा जो स्वेच्छासे किया जाय, परन्तु जो मुहालके किसी साझीदार को हिबा (दान) करनेके द्वारा या मुहालके साझीदारोंमें अदला बदला होनेके द्वारा न निकले हों, अपनी आराजी सीर और उस आराजीका, जो वह इन्तकालकी तारीख पर लगातार १२ वर्षसे जोतता रहा हो, असामी मौरूसी हो जायगा, और उसको इस बातका अधिकार होगा कि उस आराजीका ऐसे लगान पर कब्जा रखे, जो उस दरसे चार आना प्रति रुपया कम हो, जो गैर मौरूसी असामियोंको आस पास की उसी प्रकार की, और वैसे ही लाभों की, आराजी के विषयमें देना पडता हो "

(२) रेहन भोग बन्धक (Usufructuary mortgage) इस दफाके लिये इन्तकाल (Transfer) माना जायगा।

(३) यदि किसी मुहालके मालिकके हिस्सेका केवल कोई भाग, या उसके किसी रकबेमेंसे कोई टुकडा, इस प्रकार अलग (मतकिल) किया जाय तो वह मालिक अपनी आराजी सीर की, और उस आराजी की, जिसको वह इन्तकाल की तारीख पर लगातार १२ वर्ष से जोतता रहा हो, केवल उतनी आराजीका असामी मौरूसी होजायगा जितनी ऐसे भाग या टुकडेसे सम्बन्ध रखती हो, या जो हिसाबसे ऐसे भाग या टुकडेके हिस्सेमें पडे।

(४) प्रत्येक ऐसा असामी और प्रत्येक असामी जिसको ऐसा ही हक, इसी प्रकारके हुक्म जो एक्ट नं० १८ सन १८७३ ई०, या एक्ट न० १२ सन १८८१ ई०, या किसी अन्य कानून, या एक्ट, जो उस समय प्रचलित हों, के द्वारा प्राप्त हो, असामी साकित उल् मिल्कियत कहलायेगा और उन बातोंको छोड कर जिनके विषयमें अन्य प्रकार स्पष्ट आज्ञा हो, उसको वह सारे अधिकार प्राप्त होंगे और उन सारी जिम्मेदारियोंका भार उस पर होगा जो मौरूसी असामियोंको इस एक्टके द्वारा दिये गये है, और उन पर डाली गई हैं।

(५) कलक्टरके लिये आवश्यक होगा कि एक्ट मालगुजारी की दफा ३६ मुमालिक मगरबी व शुमाली व अवध, न० ३ सन १९०१ ई० (N W P & Oudh Land Revenue Act, 3 of 1901) के अनुसार उस आराजीके विषयमें, जिसमें ऐसा हक मौरूसी प्राप्त होजाय, यह बात कागजोंमें चढ़वा दे, और वह लगान जो उस पर दिया जाने को हो नियत कर दे।

(६) इस दफामें वर्णन की हुई किसी आज्ञासे, किसी ऐसी आराजीमें मौरूसी हक प्राप्त न होगा, जो किसी ऐसे सार्वजनिक या निजी कार्य्यके लिये अलग की जाय, जो कार्य्य इस प्रकारका हो कि उसके कारण उस आराजीमें वह कार्य्य और खेती संग संग न हो सकती हो।

—क़ानून लगान न० २ सन १९०१ ई० की दफा ११ में मौरूसी असामी (Occupancy tenant) की व्याख्या इस प्रकार की गई है —

"प्रत्येक असामीको, जो एक ही आराजी पर १२ वर्ष की अवधि तक काबिज रहा हो, उस आराजीमें हक मौरूसी प्राप्त होगा—

परन्तु शर्त यह है कि किसी असामीको इस दफाके अनुसार किसी ऐसी आराजीमें मौरूसी हक प्राप्त न होगा जिस पर वह—

(ए) ऐसे पट्टेदार की हैसियतसे रजिस्टरी किये हुये पट्टेके द्वारा जिसकी अवधि ७ वर्षसे कम न हो। या

(बी) ठेकेदार की हैसियतसे। या

(सी) असामी सिकमी (Sub-tenant) की हैसियतसे काबिज रहे।

हक मौरूसी प्राप्त नहीं होगा—

(डी) आराजी सीरमें। या

(ई) किसी ऐसी आराजीमें जो फौजी पड़ाव हो, या अन्य ऐसा रकबा हो जो किसी सार्वजनिक कार्य्य, या सर्वसाधारणके लाभके किसी कार्य्यके लिये प्राप्त किया गयाहो या कब्जेमें रखा गया हो, या जो ऐसे पड़ाव या अन्य रकबेका एक भागहो"

यह भी शर्त है कि १२ वर्षकी अवधि गिनने में ऐसी अवधि जिसमें उक्त आराजी, इस एक्टकी आज्ञाओं के विरुद्ध, सिकमी असामी को उठादी गई हो, या अन्य प्रकार अलग (मुन्तकिल) की गई हो, हिसाब लगाने में छोड़दी जायगी, परन्तु इससे यह नहीं समझा जायगा कि असामी की जोत का तांता टूट गया।

—उप दफा (२) की दूसरी शर्त में आज्ञा दी गई है कि (३) (४) (५) (७) तथा (८) में अङ्कितकी हुई योग्यतायें किसी म्युनिसिपल्टी में ऐसी नहीं रखी जा सकतीं जो, उन्हीं विषयों में, संयुक्त प्रान्तकी व्यवस्थापिका सभा (U P Legislative Council) की मेम्बरीके लिये नियत की हुई योग्यताओं से ऊंची हों। उक्त व्यवस्थापिक सभाके लिये उन विषयोंमें निम्न लिखित योग्यतायें रखी गई हैं —

(१) किसी मकान या इमारत का मालिक या किरायेदार, जिस मकान या इमारतके किराया का मूल्य (Rental value) ३६) रुपये वार्षिकसे कम न हो।

(२) किसी ऐसी आराजीका मालिक जिस पर कमसे कम २५) रु० मालगुजारी बंधी हो।

(३) किसी ऐसी आराजी माफी का मालिक, जिसकी नाममात्रको बंधी हुई मालगुजारी,

या तो अकेली, या दूसरी मालगुजारियों के सहित, जो उसके मालिकको, अन्य आराजियोंके विषय में अदा करनी पडती हों, २५) रुपये से कम न हो।

(४) आगरा कानून लगान सन१९०१ई०(Agra tenacy Act 1901) मेंदी हुई व्याख्याओंके अनुसार, जो ऐसा काश्तकारहो, जिसकी आराजी पर सदाके लिये कब्जा रखता है (Permanent tenure holder), या स्थिर दरसे लगान देने वाला काश्तकार (Fixed rate tenant) हो या जो अवधके कानून लगान, सन१८८६ई० में दी हुई व्याख्याओं, के अनुसार मालिक अदना (Under Proprietor) हो, या काश्तकार मौरूसी हो, और जो, इन हसियतोंसे कमसे कम २५) रु० लगान अदा करता हो।

(५) आगरा कानून लगानमें दीहुई व्याख्याके अनुसार, या अवध कानून लगान सन१८८६ ई० के अनुसार, किसी प्रकार का काश्तकार हो, सिवाय काश्तकार सिकमी के, जिसके कब्जे में इतनी आराजी हो कि जिस पर, उस हैसियतसे, उसको कमसे कम ५०) रुपया लगान नकद अदा करना होता हो, या जिन्स आदिके द्वारा उतनी ही रकम भरनी पडती हो।

(६) सयुक्त प्रान्तके उन रकबोंमें जहा आगरा कानून लगान सन १९०१ ई०, या अवध का कानून लगान सन १८८६ई०, प्रचलित नही है, कोई काश्तकार जिसके कब्जे में इतनी आराजी हो जिस पर उस हैसियतसे, उसको कमसे कम, ५०) रुपया लगान नकद अदा करना पडता हो, या जिन्स आदिके द्वारा, उतनी ही रकम भरनी पडती हो।

—उप दफा (३) के क्लाज (ई) में नीचे लिखे शब्द सयुक्तप्रान्तके म्यूनिसिपलटीज एमेण्डमेण्ट एक्ट न० ९ सन १९२२ई० के द्वारा बढ़ाये गये हैं —

"या किसी अदालत फौजदारी से ऐसे अपराधके लिये दण्डित किया गया हो जिस अपराध के विषयमें प्रान्तीय सरकारने यह ठहरा दिया हो, कि वह इतना आचार विरुद्ध है, कि उस अपराध का करने वाला वोट देनेके योग्य नहीं है"

उक्त सशोधन (तरमीम) से पूर्व इस क्लाजके जो शब्द थे उनके द्वारा दण्ड विषयक कानूनों (Penal Laws) के अपराधों में सजा होने से, म्यूनिसिपलटी की मेम्बरी के अयोग्य हो जाने के लिये, यह आवश्यक था, कि कमसे कम छ ६ मासकी कैद हुई हो, चाहे वह अपराध ताजीरात हिन्द का हो, या किसी अन्य दण्ड विषयक कानून का। परन्तु इस नये सशोधनके द्वारा केवल ताजीरात हिन्दके अपराधों में सजा होने पर यह आवश्यक है कि छ. मासकी कैद हुई हो। अन्य दण्ड विषयक कानूनों के अपराधों में यदि किसी अपराधके लिये किसी शख्सकी ६ माससे कम की भी कैद हो, या केवल जुर्मानाही हो (यदि प्रान्तीय सरकारने उस अपराधको इस क्लाजके अनुसार आचार विरुद्ध ठहरा दिया हो) तो भी उक्त शख्स मेम्बरी के अयोग्य हो जायगा।

—नेक चलनी (Good behaviour) की जमानत मांगे जाने के हुक्म, जाब्ता फौजदारी, एक्ट नं० ५ सन १८९८ई०, की दफा १०९, तथा ११०, में इस प्रकार दिये गये हैं —

दफा १०९—"जब कभी किसी प्रेसीडेन्सी(Presidency) मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, सब-डिविजनल (Sub divisional) मजिस्ट्रेट, या, मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल, को यह सूचना मिले कि —

(ए) ऐसे मेजिस्ट्रेटके अधिकारकी स्थानीय सीमाके भीतर, कोई शख्स अपनी उपस्थिति

(मौजूदगी)के छिपाने का प्रयत्न कर रहा है, और इस बातके विश्वास कर लेनेके लिये कारण मौजूद है,कि वह शख्स कोई अपराध करनेके लिये ऐसा प्रयत्न कर रहा है। या

(बी) ऐसी सीमाके भीतर, कोई ऐसा शख्स है, जिसके पास निर्वाहके लिये कोई प्रत्यक्ष उपाय नहीं जान पड़ता, या जो अपना हाल संतोषप्रद नहीं बता सकता है,

तो आगे बताई हुई विधिके अनुसार, ऐसे शख्सको वह मजिस्ट्रेट आज्ञा दे सकता है, कि वह वजह जाहिर करे कि, उतने समयके लिये (जो समय कि एक वर्ष से अधिक न हो) जितना कि मजिस्ट्रेट उचित समझे, उसका मुचलका और जमानत नेक चलनी की ली जानेके लिये हुक्म क्यों न दिया जाय "

दफा ११० इस प्रकार है —"जब कभी किसी प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेटको जिला मजिस्ट्रेटको या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल को, जिसे प्रान्तीय सरकार द्वारा इस सम्बन्धमें विशेष रूपसे अधिकार दिया गया हो, सूचना मिले कि उसके अधिकारकी स्थानीय सीमा (Local limits of Jurisdiction) के भीतर, कोई ऐसा शख्स है—

(ए) जोकि नित्य डाका डाला करता है, या जुर्म करने के लिये घरों में घुसा करता है, या चोर है। या

(बी) जो नित्य चोरी का माल लिया करता है, यह बात जानते हुये कि वह माल चोरी का है। या

(सी) जो नित्य चोरों की रक्षा करता है, या उनको छिपाके रखता है, या चोरी का माल छिपाने में, या ठिकाने लगाने में, सहायता देता है। या

(डी) जो नित्य दूसरों की जायदादको हानि पहुंचाता है, या जबरदस्ती, बेजा तौरसे माल छीनता है, या धोखा देता है, या जाली सिक्के, नोट स्टाम्प (Stamp) बनाता है, या ऐसे कामों के करने की कोशिश करता है। या

(ई) जो नित्य ऐसे अपराध किया करता है, जिससे शान्तिमें बाधा पड़ती है, या ऐसे अपराधोंके करने की कोशिश करता है, या उनके करनेके लिये दूसरोंको प्रोत्साहित करता है (Abets)। या

(एफ) जो ऐसा निडर और खतरनाक है कि उसका बिना जमानत दिये, बेरोक टोक, रहनेमें समाजके लिये जोखिम है,—

तो आगे बताई हुई विधिके अनुसार, ऐसे शख्सको वह मजिस्ट्रेट आज्ञा दे सकता है, कि वह वजह जाहर करे कि उतने समयके लिये, (जो समय कि ३ वर्ष से अधिक न हो,) जितना कि मजिस्ट्रेट उचित समझे, उसका मुचलका और जमानत नेक चलनी की ली जानेके लिये हुक्म क्यों न दिया जाय "

—निर्वाचकों की नामावली (Electoral roll) की तैयारीके विषयमें देखिये निर्वाचनके नियम न० ३ से १५ तक।

—निर्वाचकों की नामावली तैय्यार किये जानेके सम्बन्धमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित होता है, अर्थात् यह कि यदि किसी ऐसे शख्सका नाम, जो उक्त नामावलीमें दर्ज किये जानेका अपनेको अधिकारी समझता है, नहीं लिखा जाता, तो उसको अपना नाम दर्ज करानेके लिये क्या

उपाय हैं ? निर्वाचन सम्बन्धी नियम ९ के अनुसार वह अपना नाम दर्ज किये जानेके लिये अर्जी द्वारा प्रार्थना कर सकता है। ऐसी अर्जी पुनरावलोकन कमेटी (Revising authority) के सामने पेश होती हैं। कमेटी निश्चय करती है कि अर्जी देने वालेका नाम दर्ज किया जाय या नहीं। यदि पुनरावलोकन कमेटी यह निर्णय करे कि उसका नाम दर्ज नहीं होना चाहिये, तो ऐसे शख्सको एक आशा और रह जाती है, वह यह कि, कमेटीके हाथसे निकलके नामावली जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, और उक्त मजिस्ट्रेटको भी अधिकार होता है कि जो नाम वह चाहे घटा दे, या बढ़ादे परन्तु यह मजिस्ट्रेट की इच्छा पर निर्भर है, कोई अर्जी आदि दिये जानेका कानूनमें कोई हुक्म नहीं है। मजिस्ट्रेट द्वारा संशोधन किये जाने पर नियम न० १३ के अनुसार हुक्म है कि फिर कोई परिवर्तन नामावलीमें न किया जायगा। प्रश्न यह है कि यदि जिला मजिस्ट्रेट भी ऐसे शख्सका नाम दर्ज न करे तो फिर आगे भी कोई उपाय ऐसे शख्सको रह जाता है या नहीं ?

यह प्रश्न बड़ा जरूरी है, क्योंकि बहुधा निर्वाचकों की नामावली तैयार किये जाने पर अनेक शख्स ऐसे होते हैं जो अपने को योग्यता प्राप्त समझते हैं परन्तु जिनका नाम, या तो भूल चूकसे छूट जाता है, या यह भी सम्भव है कि किसी का नाम किसी कारणसे जान बूझके छोड़ दिया जाय।

यदि म्यूनिसिपल बोर्ड कोई काम अपने अधिकारों के विरुद्ध, या अपने अधिकारों के बाहर करता है तो जाबता दीवानी की दफा ९ के अनुसार अदालत दीवानी में दावा दायर करने का अधिकार अवश्य प्राप्त है। जहां कहीं इस एक्टमें हुक्म दिया गया है कि बोर्ड, अथवा बोर्ड द्वारा नियुक्त की हुई किसी कमेटी, का हुक्म अन्तिम (Final) होगा तो केवल इतनाही माना जा सकता है कि जब तक बोर्ड या उक्त कमेटी अपने अधिकारों के अनुसार, और अपने अधिकारों के भीतर, काम करेगी तबही तक उसका हुक्म अन्तिम होगा। परन्तु यदि कोई बोर्ड, या कमेटी अपने अधिकारोंकी आड़ में, किसी प्रकार का अन्धेर करना चाहे, और कोई ऐसा हुक्म दे, या फैसला करे, जो उसके अधिकारों के विरुद्ध हो, या उनके अनुसार न हो, तो अदालत दीवानी को हस्तक्षेप करने का अवश्य अधिकार होगा। इस सिद्धान्त का समर्थन अनेक बार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया है, जैसे अब्दुल् अजीज बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड पीलीभीत 2 A.L.J.222 में तजवीज हुआ, कि यदि म्यूनिसिपिल बोर्ड कोई ऐसा अधिकार या इख्त्यार बरतता है जो कानूनमें उसको न दिया गया हो तो, मुकद्में के द्वारा, अदालत दीवानी में उस पर आक्षेप किया जा सकता है। परन्तु यदि बोर्ड कानून द्वारा दिये हुये अधिकारों के भीतर अपने को सीमाबद्ध रखता है, तो अदालत दीवानी में कोई मुकद्दमा बोर्ड पर, उन अधिकारों के बरतने के सम्बन्धमें, नहीं दायर किया जा सकता है। इस सिद्धान्त की पुष्टि नीचे लिखी नजीरों से भी होती है —रामदयाल बनाम सरकार बहादुर, 7 A. L. J. 1075, म्यूनिसिपल कमेटी अजमेर बनाम किफायत उल्ला, 12 A. L. J. 291, म्यूनिसिपल बोर्ड इटावा बनाम देवीप्रसाद 18 A. L. J. 572, रामप्रताप बनाम सरकार बहादुर, 18 A. L. J. 229, कन्हैयालाल बनाम सरकार बहादुर, 19 A. L. J. 541 इसी सिद्धान्तके अनुसार, यद्यपि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किये हुये संशोधनों के बाद, पुनरावलोकन कमेटी का हुक्म अन्तिम माना गया है, तो भी यदि किसी योग्यता प्राप्त शख्स का नाम, बेजा तौरसे, नामावली में दर्ज नहीं किया जाता, तो ऐसा शख्स अदालत दीवानी की शरणले सकता है। इस विषय पर दुर्भाग्यसे सन १९२३ ई० तक कोई फैसला नहीं हुआ था, केवल एक मुकद्दमा अर्थात—अब्दुल रहीम बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड कोयल, 22All I L.R 143 इस विषयमें दायर

हुआ था। मुद्दई का यह बयान था कि पुनरावलोकन कमेटी (Revising outhority) ने बेजा तौरसे उसका नाम उम्मेदवारों की नामावली से (Candidates list) काट दिया था। (नोट —उम्मेदवारों की नामावली, और निर्वाचकों की नामावली, दोनों से, नाम छूट जाने का एक ही असर है और दोनों के लिये एकसे ही कानूनी उपाय होंगे) दुर्भाग्यवश मुद्दई ने यह दावा म्यूनिसिपल बोर्ड पर किया था। हाईकोर्ट ने तजवीजमें यह निश्चय किया कि दावा म्यूनिसिपल बोर्ड पर नहीं किया जाना चाहिये था, क्योंकि म्यूनिसिपल बोर्ड, अपनी सगठित हैसियत से, (Corporate Capacity) पुनरावलोकन कमेटीके कुव्यवहारों, और बेजा कामों, का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। म्यूनिसिपल बोर्ड को निर्वाचकों की, या उम्मेदवारों की, नामावली में हस्ताक्षेप करने का, या उनमें तरमीम करने का कोई अधिकार नहीं होता, वरन केवल जिला मजिस्टेट ही को नामावलियों के दुहराने या तरमीम करने का अधिकार होता है। केवल इसी विषय पर मुद्दई के खिलाफ फैसला करके हाईकोर्ट ने अन्य किसी बात पर राय नहीं दी।

तत् पश्चात सन१९२१ई० में ऐसाही एक मामला फिर हाईकोर्ट के सामने आया, देखिये — म्यूनिसिपल बोर्ड आगरा बनाम अशरफीलाल, 20 A L J 1 माननीय मिस्टर जस्टिस वालशने उक्त मुक़द्मे में एक विस्तृत, तथा योग्य, फैसला देते हुए आरम्भही में इस मामले के महत्वकी ओर ध्यान दिलाया है, और लिखा है कि यह मामला केवल मुद्दईही के लिये नहीं, वरन सारी समाजके लिये, महत्व पूर्ण है और इस विषयमें कानूनको स्पष्ट कर देने की आवश्यकता है।

मामला यह था कि अशरफीलाल का नाम निर्वाचकों की, और उम्मेदवारों की, दोनों नामावलियों में उस समय तक चढा हुआ था जब कि पुनरावलोकन कमेटी ने उक्त नामावलियों को पास किया, किन्तु उक्त कमेटी की बैठकके उपरान्त, अशरफीलाल का पता आदि इस प्रकार बदल दिया गया, कि यह जान पडने लगा, कि जिस शख्स का नाम चढा था, वह यह अशरफीलाल नहीं था, वरन और कोई अशरफीलाल था। अदालत ने तजवीज में लिखा कि इस प्रकार अशरफीलाल के पते आदिमें परिवर्तन होजानेका कारण निम्नलिखित तीन कारणोंमेंसे कोई हुआ, अर्थात् (१) या तो पुनरावलोकन कमेटीके मेम्बरोंसे भूल होगयी हो और ऐसा परिवर्तन निर्दोष रूपसे उनके द्वारा होगया हो। या (२) उन्होंने अपने कर्तव्योंके पालन करनेमें यह काम, बेजा तौर से, जान बूझके, किया। या (३) किसीने द्वेष भावसे, तथा बदला लेनेके लिय, बीचम पडके, यह कार्य्य उनसे कराया। यह द्वेषी व्यक्ति सम्भव है कि बोर्डका कोई मेम्बर हो अथवा बोर्डका कोई कर्म्मचारी हो।

अदालतने तजवीज किया कि यदि किसी शख्सका नाम, जो ऐसी योग्यता रखता हो, कि उसके द्वारा उसको म्यूनिसिपलटी या अन्य किसी सस्थाकी निर्वाचकोंकी नामावलीमें अपना नाम दर्ज करानेका अधिकार प्राप्त हो, ऐसी किसी नामावलीमे कानूनके विरुद्ध और हानि पहुँचानेके अभिप्राय से (Wrong fully) दर्ज नहीं किया जाता है, या गलत दर्ज कर दिया जाता है, और इस प्रकार दर्ज करने या गलत दर्ज करनेका मतलब यह हो कि निर्वाचनके दिन वह वोट देनेके अधिकार से वञ्चित रहे, या इस मतलबसे, कि मेम्बरी की उम्मेदवारीके लिये उसकी नामजदगी नामजूर होजाय (चाहे इस भूल का सशोधन पीछेमे कर भी दिया गयाहो, और निर्वाचन होनेसे पूर्व उसकी नामजदगी भी मन्जर करली गई हो) तो ऐसी दशामें यह बात मानी जायगी कि उसको ऐसी हानि पहुची जिसके लिये कानून की शरण चाही जा सकती है (चारा जोई की जा सकती है) और ऐसे शख्सको हरजा पानेका हक होगा। यदि यह बात भी प्रमाणित होजाय कि उक्त शख्सका नाम

द्वेष पूर्वक (Maliciously अर्थात् कीनासे) छोड दिया गया था, या द्वेष पूर्वक गलत दर्ज कर दिया गया था तो हरजे की ऐसी बडी रकम दिलाई जासक्ती है कि जिसमें (अपराधियोंको) पूरा दण्ड मिले ऐसे हरजेके दावेमें जब दावा म्यूनिसिपलबोर्डके ऊपर भी हो, और बोर्डके प्रत्येक मेम्बर पर, और एक्जीक्यूटिव अफसर (Executive Officer) के ऊपर भी हो, तो मालिक तथा एजेण्ट (Principal & agent) के साधारण कानूनके अनुसार यह बात निश्चय कर देना आवश्यक है कि कौन कितना हरजा देनेका जिम्मेदार है जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी उस के ऊपर डाली जासके।

अबदुर्रहीम बनाम म्युनिसिपल बोर्ड कोयल वाली नजीर का कोई हवाला इस मुकद्दमें की तजवीजमें नहीं दिया गया है। सम्भवत अदालत का ध्यान उसकी ओर आकर्षित नहीं किया गया ऐसा दावा किस पर होना चाहिये इस विषय पर दोनों नजीरों के फैसलोंमें परस्पर विरोध हैं, परन्तु माननीय मिस्टर जस्टिस वाल्श ने अशरफीलाल की तजवीज में इस विषय पर स्पष्ट आज्ञा दी है और लिखा है कि —"मुद्दालेह जिन पर दावा किया गया है स्वय म्यूनिसिपल बोर्ड और उसका प्रत्येक मेम्बर तथा एक्जिक्युटिव अफसर हैं। यह दावा इन सब पर ठीक किया गया है क्योंकि मुद्दई यह नहीं जान सकता (और सर्वसाधारणमें किसी को खबर नहीं हो सकती) कि म्यूनिसिपल संस्थाके भीतर भीतर क्या काररवाई होरही है। हरजेके विषयमें भी सविस्तर बहस इस तजवीजमें की गई है।

"बोर्ड का कोई मेम्बर (बोर्ड की मेम्बरीकी हैसियतसे अलग अर्थात् अपनी निजी हैसियत से) किसी ऐसे कामके लिय, जिसमें वह शरीक नहीं था, और जिसमें उसने कोई भाग नहीं लिया और जिसके विषयमें किसी दूसरेको उसने कोई अधिकार नहीं दिया अपनी गाठ से हरजा देने का जिम्मेदार नहीं हो सकता। परन्तु बोर्ड का कोई मेम्बर जिसने या तो प्रत्यक्ष या उपलक्षरूप से (Directly or indirectly अर्थात् सरीहतन् व कनायतन) मुद्दई को उसके इस हकसे कि उसका नाम उम्मेदवारोंकी नामावलीमें चढाया जाय वञ्चित रखे जाने की कोशिशमें किसीको हिम्मत दिलाई हो, भडकाया हो, हिदायत की हो, या उस कोशिशमें अपनी सहमति प्रगट की हो, अर्थात जिसने उस काम में सहायता दी हो या प्रोत्साह (Abet अयानत) दिया हो (और इस मामलेमें इस प्रकार की सहायता जरूर दी गई है और प्रोत्साह अवश्य दिलाया गया है) तो ऐसा मेम्बर अपनी गाठ से हरजा देनेका जिम्मेदार होगा, चाहे म्यूनिसिपल बोर्ड भी साथ ही साथ हरजेका देनदार हो या न हो। म्यूनिसिपल बोर्ड मालिक (Principal) की हैसियत से (अर्थात वह सार्वजनिक कोष जो म्यूनिसिपलटी के कब्जेमें रहता है, और जिसमेंसे म्यूनिसिपल बोर्ड किसी ऐसे काम का हरजा देनेका जिम्मेदार है जो उसने अपनी सगठित हैसियतसे किया हो) किसी ऐसे काम का हरजा देनेका जिम्मेदार होगा जो उसने नित्यप्रतिके कामोंके समान बिना किसी प्रस्ताव (Resolution) के पास किये। नाजयज (In formally) या विधिपूर्वक (Formally) प्रस्ताव पास करके किया हो, और ऐसे काम का हरजा देनेका भी म्यूनिसिपल बोर्ड ही जिम्मेदार होगा जो किसी अधिकार प्राप्त कमेटीने किया हो, जैसी कि पुनरावलोकन कमेटी है जिसको म्यूनिसिपल बोर्ड ने नियुक्त किया है और म्यूनिसिपल बोर्ड किसी ऐसे कामका हरजा देनेका भी जिम्मेदार होगा जो उसके किसी कर्मचारीने नाजायज तौर पर उस समयमें और उस विधिसे किया हो जिस समय पर और जिस विधिसे म्यूनिसिपल्टी ने काम करने को उसको नौकर रखा हो, अर्थात यदि यह काम किसी ऐसे

कर्मचारीने किया जिसका कि यह कर्तव्य था कि मुद्दईका नाम ठीकर नामावलीमें चढ़ाता और उसने अपने नित्यके काम काज करनेमें उसका नाम गलत चढ़ाया तो उसके लिये म्यूनिसिपलटी जिम्मेदार होगी"

—ऐसे मुकदमेमें मुद्दईके सामने सर्वथा एक कठिनाई उपस्थित होती है कि मुकद्दमेंको साबित करनेके लिये जो जो कागज चाहिये होते हैं वह मुद्दालेह अर्थात् बोर्डके कब्जेमें होते हैं, और बोर्ड स्वाभावत उनको पेश नहीं करना चाहता। अतएव इस विषय पर भी तजवीजमें स्पष्ट हिदायतें दे दी गई हैं। माननीय जजन लिखा है कि "इस मुकद्दमेकी विशेष हालतों की दृष्टिसे और इस कारण कि मामला सर्वसाधारण के लिये महत्वपूर्ण ह (Of public importance) हम यह आवश्यक समझते हैं कि कुछ अन्य विषयों पर भी अपनी राय लिखें और हिदायतें दें"—"इस प्रकार के मुकद्दमेंमें यदि मुद्दई मामले से सम्बन्ध रखनेवाले (Relevant) कागजों का जो मुद्दालेहके कब्जेमें होते ह, पता लगाने (Discovery) के वह उपाय न करे जिनका कानूनमें अधिकार दिया गया है और यदि अदालत भी उन कागजोंको पेश करानेमें सहायता न दे, तो मुद्दई मुद्दालेह के मुकाबिलेमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुद्दालेह सारी वास्तविक घटनाओं से अभिज्ञ होता है— मुद्दई का यह अधिकार है और उस अदालतका जिसमें मुकद्दमा दायर किया जाता है, यह कर्तव्य है कि इस बात पर अनुरोध करे, कि वह सब कागज जो मौजूद हों, या जो किसी समय मौजूद थे, और जो मुकद्दमेंके हाल पर प्रकाश डालते हों, अदालत में पेश किये जाय। जाबता दीवानीके आर्डर ११ रूल १२के अनुसार किसी फरीकको, जैसे इस मुकद्दमेमें मुद्दईको यह अधिकारहै कि बिना बयान हलफी दाखिल किये, वह अदालत से प्रार्थना करे कि दूसरे फरीक को हुक्म दिया जाय कि वह उन सब कागजों (Documents) का मौजूद होना, जो उसके कब्जे या अधिकार में हों, और जो मुकद्दमेंके किसी प्रश्नसे सम्बन्ध रखतेहों, हलफसे बयान करे। यह बताना भी आवश्यक है कि सार्वजनिक संस्थाको इस नियमका पालन किस प्रकार करना चाहिये—यह आवश्यक नहीं है कि वह सब कागजात जो म्यूनिसिपलटी के कब्जेम हों और जो निर्वाचकों अथवा उम्मेदवारों की नामावलीके विषयमें हों, चाहे जिस प्रकारके वह हों अदालतमें पेश किये जाय। वरन् आवश्यकता इस बात की है कि वह सब कागज जो मुद्दई का नाम उम्मेदवारों या निर्वाचकों की नामावलीमें चढ़ाये जानेके विषयमें हों, और प्रत्येक ऐसा कागज (चाहे जिस२ के सामने वह पेश हो चुका हो) जो मुद्दईके नाम चढ़ाये जानेके सम्बन्धमें हों, और वह सब कागज जिनसे यह बात प्रकाशित हो कि मुद्दईके नाम का जो ऐसी नामावलियोंमें प्रथम इन्द्राज था, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, या उसमें क्या बढ़ाया घटाया गया, तथा वह पत्र व्यवहार भी जो बोर्डके मेम्बरों से और एक्जिक्युटिव अफसर, या सेक्रेटरी, या बोर्डके अन्य अफसर या मुहर्ररसे हुआ हो और जो मुद्दईका नाम चढ़ाये जानेके विषयमें हों, और मुद्दईके नामके विषयमें नामावलीमें जो कुछ संशोधन या परिवर्तन किये गये हों, अदालतमें पेश किये जाय। यदि कोई कागज नष्ट कर दिया गया हो, या छांटके दफ्तरसे निकाल दिया गया हो, तो बयान हल्फीमें यह दिखाया जाना चाहिये कि वह मौजूद था और उसका नाम वर्णन सहित दिया जाना चाहिये। यदि कोई कागज म्यूनिसिपल्टीके कब्जेमें था और अब नहीं है, तो उसके न रहनेका कारण बोर्डके किसी ऐसे अफसर को बताना चाहिये जो यह बात जानता हो कि वह कागज क्या हुआ, और क्यों और कब वह नष्ट कर दिया गया, या दफतरसे निकाल दिया गया।

दफा १५ निर्वाचकोंकी नामावलियां

१ बोर्ड के निर्वाचित मेम्बर वह लोग होंगे जो म्यूनिसिपलटी के निर्वाचको के द्वारा चुने जाय।

२ परन्तु शर्त यह है कि जब कोई म्यूनिसिपलटी चुनावके मतलबके लिये हलकों म विभक्त कर दी गई हो तो—

(ए) प्रत्येक हलकेके लिये निर्वाचकों की एक अलग नामावली, या एक से अधिक नामावलियों बनाई जायगी।

(बी) कोई शख्स एकसे अधिक नामावलीमें दर्ज किये जानेका अधिकारी न होगा।

(सी) प्रत्येक मेम्बर को जो किसी हलकेका प्रतिनिध (Representative) होगा, वह निर्वाचक चुनेगे जिनके नाम उपरोक्त हलके की नामावली या नावावलियोंमे दर्ज होंगे।

३ परन्तु शर्त यह भी है कि जब किसी म्यूनिसिपलटीमें किसी समुदायके विषय म नियम द्वारा, यह निश्चय कर दिया गया हो कि उसको बोर्डके निर्वाचित मेम्बरोंमें प्रतिनिधि भेजनेका कोई विशेष अधिकार प्राप्त है, तो:—

(ए) ऐसे समुदायके निर्वाचको की एक अलग नामावली, या एक से अधिक नामावलियां, बनाई जायँगी। और

(बी) किसी शख्स को जो उपरोक्त समुदायका होगा अपने समुदाय की नामावलीके अतिरिक्त, अन्य किसी नामावलीमे अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार न होगा।

(सी) जो मेम्बर ऐसे समुदायका प्रतिनिधिहोगा उसको वह निर्वाचक चुनेंगे जिनका नाम उपरोक्त समुदाय की नामावली, या नामावलियोंमें लिखा हो।

दफा १६ उम्मेदवारों की सूची

ऐ० नं० ४ सन १९२२ ई०

१ सिवाय उन दशाओं के जो उपदफा (२) मे बताई गई है, प्रत्येक शख्स जो म्यूनिसिपलटी की निर्वाचकों की नामावली मे निर्वाचक दर्ज होगा, वह मेम्बरीके लिये खड़े होनेके योग्य समझा जायगा।

२ कोई शख्स चाहे वह अन्य प्रकार योग्यता रखता हो म्यूनिसिपलटी की मेम्बरीके लिये खड़े होनेका अधिकारी न होगा, यदि वह—

(ए) सरकारी नौकरीसे डिस्मिस् कर दिया गया हो (निकाल दिया गया हो) और उसको सरकारी नौकरीपर फिर रखे जाने की मनाही होगई हो। या

(बी) किसी अधिकार प्राप्त हाकिम अर्थात अधिकारी (Authority) के हुक्म के द्वारा उसको कानूनका पेशा करने की मनाही करदी गई हो। या

(सी) किसी ऐसे नफेके पद (Place of profit) पर हो जिसका प्रदान करना या देना म्यूनिसिपल बोर्डके हाथमें हो। या

(डी) दफा २७ या दफा ४१ के अनुसार अयोग्य हो। या

(ई) वेतन पानेवाला मजिस्ट्रेट या पुलिस का अफसर हो। या

(एफ) अङ्गरेजी पढ़ और लिख न सकता हो, या कमसे कम प्रान्तकी कोई एक भाषा पढ़ लिख न सकता हो।

परन्तु शर्त यह है कि उपरोक्त (ए) तथा (सी) क्लाजोंमें वर्णित अयोग्यतायें प्रान्तीय सरकारके हुक्म से, जो इस अभिप्रायसे जारी किया जाय, हटा दी जाकती हैं।

व्याख्या—

क्लाज (सी) में बताई हुई अयोग्यताम जो शब्द "नफेके पद पर" (Place of Profit) हैं उनका अर्थ लगानेमें कठिनाईका सामने आना सम्भव है । हाल ही में इस विषय पर एक मामला हाईकोर्टके सामने पेश हुआ था। देखिये मुहम्मद बख्श वगैरा बनाम मुहम्मद अब्दुलबाकीखां वगैरा 21 A L J 661 मामला यह था कि मुहम्मद अब्दुल बाकी खां, इलाहाबाद म्यूनिसिपलटीके मेम्बर चुने गये। उक्त मुहम्मद अब्दुल बाकीखां, और उनके कुटुम्ब के कुछ और लोगोंके पास, इलाहाबाद म्यूनिसिपलटीको मिट्टीका तेल थोकमें देनेका कुछ वर्षोंसे ठेका था। उनके चुनाव पर आक्षेप करनेके अभिप्राय से अर्जी दी गई। चुनाव पर आक्षेप किये जाने का एक कारण यह बताया गया कि म्यूनिसिपल्टी को मिट्टी का तेल देनेका ठेका लिये होनेसे उक्त अब्दुलबाकीखां एक ऐसे 'नफेके पद पर' हैं जिसका प्रदान करना, या देना म्यूनिसिपल बोर्डके हाथमें है। अतएव वह दफा १६ (सी) के अनुसार मेम्बरीके उम्मेदवार तक नहीं हो सकते थे, चुनाव तो दूर रहा! इस प्रश्न पर राय लेनेके लिये कमिश्नरने मामला दफा २३ (ई) के अनुसार, हाईकोर्ट को भेजा। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि म्यूनिसिपल्टी को मिट्टीका तेल देनेका ठेका लिये होनेके कारण यह नहीं कहा जा सकता कि उसका ठेकेदार ऐसे 'नफे के पद' पर है कि जिसके कारण वह दफा १६ की उपदफा (२) के क्लाज (सी) के अनुसार मेम्बरी की उम्मेदवारीके लिये अयोग्य और उसका निर्वाचन नाजायज ठहरा दिया जाय। तजवीज में हाईकोर्ट ने "नफाके पद" की सविस्तर व्याख्या की है जिसका कुछ भाग नीचे दिया जाता है —शब्द "पद" (Place) के साधारण अर्थ पर दृष्टि रखते हुये, किसी ठेकेदार के विषयमें जो, दाम पर, म्यूनिसिपल्टीको कोई चीज दिया करता है, यह नहीं कहा जा सकता कि वह एक नफेके पद पर है। हमारी राय है कि दफा १६ की उपदफा (२) के क्लाज (सी) में उक्त शब्दों का उचित अर्थ ऐसे पदसे है, कि उस पद पर जो शख्स नियत हो वह उस पदके कारण किसी विशेष नाम, या उपाधि, (खिताब) से कहलाया जाने लगे। और उस पदके द्वारा उस शख्स की कोई निश्चित हैसियत (Definite Standing) हो, और पद पर रखे जाने वाले तथा पद पर रखने वाले के बीच ऐसा नाता हो, जिसमें स्वामित्व और दासत्व के अंश और लक्षण पाये जाते हों, अर्थात् उस पद का बोर्ड से इस प्रकार का सम्बन्ध हो कि जो शख्स उस पद पर नियुक्त हो, बोर्ड उसको अपनी आज्ञा के अनुसार काम करने पर मजबूर कर सके, ऐसे पद के बहुत से उदाहरण सहज रीतिसे ध्यानमें आसकते हैं। जैसे एक 'सलाह देने वाला इञ्जीनियर' (Consulting Engineer), जो किसी बंधी हुई फीस (Retaining fee) पर अपनी सम्मति, अथवा किसी मामले पर रिपोर्ट, देने को तैयार रहता है, का पद ऐसा है। यदि कोई डाक्टर म्यूनिसिपल बोर्ड के लिये कोई निर्दिष्ट काम किया करता है, चाहे वह अपना पूरा

दफा १५ निर्वाचकोंकी नामावलियां

१ बोर्ड के निर्वाचित मेम्बर वह लोग होगे जो म्यूनिसिपलटी के निर्वाचकों के द्वारा चुने जाय।

२ परन्तु शर्त यह है कि जब कोई म्यूनिसिपलटी चुनावके मतलबके लिये हलकों में विभक्त कर दी गई हो तो—

(ए) प्रत्येक हलकेके लिये निर्वाचकों की एक अलग नामावली, या एक से अधिक नामावलियां बनाई जायगी।

(बी) कोई शख्स एकसे अधिक नामावलीमे दर्ज किये जानेका अधिकारी न होगा।

(सी) प्रत्येक मेम्बर को जो किसी हलकेका प्रतिनिध (Representative) होगा, वह निर्वाचक चुनगे जिनके नाम उपरोक्त हलके की नामावली या नावावलियोमे दर्ज होंगे।

३ परन्तु शर्त यह भी है कि जब किसी म्यूनिसिपलटीमें किसी समुदायके विषय में, नियम द्वारा, यह निश्चय कर दिया गया हो कि उसको बोर्डके निर्वाचित मेम्बरोंमें प्रतिनिधि भेजनेका कोई विशेष अधिकार प्राप्त है, तो —

(ए) ऐसे समुदायके निर्वाचकों की एक अलग नामावली, या एक से अधिक नामावलियां, बनाई जायंगी। और

(बी) किसी शख्स को जो उपरोक्त समुदायका होगा अपने समुदाय की नामावलीके अतिरिक्त, अन्य किसी नामावलीमे अपना नाम दर्ज कराने का अधिकार न होगा।

(सी) जो मेम्बर ऐसे समुदायका प्रतिनिधिहोगा उसको वह निर्वाचक चुनेंगे जिनका नाम उपरोक्त समुदाय की नामावली, या नामावलियोंमें लिखा हो।

दफा १६ उम्मेदवारों की सूची

ती नं० ९ सन १९२२ ई०

१ सिवाय उन दशाओं के जो उपदफा (२) मे बताई गई है, प्रत्येक शख्स जो म्यूनिसिपलटी की निर्वाचकों की नामावली मे निर्वाचक दर्ज होगा, वह मेम्बरीके लिये खड़े होनेके योग्य समझा जायगा।

२ कोई शख्स चाहे वह अन्य प्रकार योग्यता रखता हो म्यूनिसिपलटी की मेम्बरीके लिये खड़े होनेका अधिकारी न होगा, यदि वह —

(ए) सरकारी नौकरीसे डिसमिस् कर दिया गया हो (निकाल दिया गया हो) और उसको सरकारी नौकरीपर फिर रखे जाने की मनाही होगई हो। या

(बी) किसी अधिकार प्राप्त हाकिम अर्थात अधिकारी (Authority) के हुक्म के द्वारा उसको कानूनका पेशा करने की मनाही करदी गई हो। या

(सी) किसी ऐसे नफेके पद (Place of profit) पर हो जिसका प्रदान करना या देना म्युनिसिपल बोर्डके हाथमें हो । या

(डी) दफा २७ या दफा ४१ के अनुसार अयोग्य हो । या

(ई) वेतन पानेवाला मजिस्ट्रेट या पुलिस का अफसर हो । या

(एफ) अङ्गरेजी पढ़ और लिख न सकता हो, या कमसे कम प्रान्तकी कोई एक भाषा पढ़ लिख न सकता हो ।

परन्तु शर्त यह है कि उपरोक्त (ए) तथा (बी) क्लाजोंमें वर्णित अयोग्यतायें प्रान्तीय सरकारके हुक्म से जो इस अभिप्रायसे जारी किया जाय, हटा दी जासकती हैं।

व्याख्या—

क्लाज (सी) में बताई हुई अयोग्यतामें जो शब्द "नफेके पद पर" (Place of Profit) हैं उनका अर्थ लगानेमें कठिनाईका सामने आना सम्भव है । हाल ही में इस विषय पर एक मामला हाईकोर्टके सामने पेश हुआ था । देखिये मुहम्मद बख्श वगैरा बनाम मुहम्मद अब्दुल्बाक़ीखां वगैरा 21 A L J 661 मामला यह था कि मुहम्मद अब्दुल बाक़ी खां, इलाहाबाद म्युनिसि पल्टीके मेम्बर चुने गये । उक्त मुहम्मद अब्दुल बाक़ीखां, और उनके कुटुम्ब के कुछ और लोगोंके पास, इलाहाबाद म्युनिसिपल्टीको मिट्टीका तेल थोकमें देनेका कुछ वर्षोंसे ठेका था । उनके चुनाव पर आक्षेप करनेके अभिप्राय से अर्ज़ी दी गई । चुनाव पर आक्षेप किये जाने का एक कारण यह बताया गया कि म्युनिसिपल्टी को मिट्टी का तेल देनेका ठेका लिये होनेसे उक्त अब्दुल्बाक़ीखां एक ऐसे 'नफेके पद पर' हैं जिसका प्रदान करना, या देना म्युनिसिपल बोर्डके हाथमें है । अतएव यह दफा १६ (सी) के अनुसार मेम्बरीके उम्मेदवार तक नहीं हो सकते थे, चुनाव तो दूर रहा । इस प्रश्न पर राय लेनेके लिये कमिश्नरने मामला दफा २१ (ई) के अनुसार, हाईकोर्ट को भेजा । हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि म्युनिसिपल्टी को मिट्टीका तेल देनेका ठेका लिये होनेके कारण यह नहीं कहा जा सकता कि उसका ठेकेदार ऐसे 'नफे के पद' पर है कि जिसके कारण वह दफा १६ की उपदफा (१) के क्लाज (सी) के अनुसार मेम्बरी की उम्मेदवारीके लिये अयोग्य और उसका निर्वाचन नाजायज ठहरा दिया जाय । तजवीज में हाईकोर्ट ने "नफाके पद" की सविस्तर व्याख्या की है जिसका कुछ भाग नीचे दिया जाता है —शब्द "पद" (Place) के साधारण अर्थ पर दृष्टि रखते हुये, किसी ठेकेदार के विषयमें जो, दाम पर, म्युनिसिपल्टीको कोई चीज दिया करता है, यह नहीं कहा जा सकता कि वह एक नफ़ेके पद पर है । हमारी राय है कि दफा १६ की उप दफा (१) के क्लाज (सी) में उक्त शब्दों का उचित अर्थ ऐसे पदसे है, कि उस पद पर जो शख्स नियत हो वह उस पदके कारण किसी विशेष नाम, या उपाधि, (खिताब) से कहलाया जाने लगे । और उस पदके द्वारा उस शख्स की कोई निश्चित हैसियत (Definite Standing) हो,और पद पर रखे जाने वाले तथा पद पर रखने वाले के बीच ऐसा नाता हो,जिसमें स्वामित्व और दासत्व के अंश और लक्षण पाये जाते हों, अर्थात् उस पद का बोर्ड से इस प्रकार का सम्बन्ध हो कि जो शख्स उस पद पर नियुक्त हो, बोर्ड उसको अपनी आज्ञा के अनुसार काम करने पर मजबूर कर सके, ऐसे पद के बहुत से उदाहरण सहज रीतिसे ध्यानमें आसकते हैं । जैसे एक 'सलाह देने वाला इञ्जीनियर' (Consulting Engineer), जो किसी बंधी हुई फीस (Retaining fee) पर अपनी सम्मति, अथवा किसी मामले पर रिपोर्ट, देने को तैयार रहता है, का पद ऐसा है । यदि कोई डाक्टर म्युनिसिपल बोर्ड के लिये कोई निर्दिष्ट काम किया करता है, चाहे वह अपना पूरा

समय देनेका नौकर हो या अपने समयका केवल कोई भाग देनेका हो, तो ऐसे डाक्टरका पद भी नफे का पद है। और म्यूनिसिपल बोर्डके प्रत्येक कर्मचारीका पद, चाहे जिस श्रेणीका वह कर्मचारी हो, वह भी नफे का पद है। इस बातको हम अनुभव करतेहैं कि एक ठेकेदारकी हैसियत जो स्वयं बोर्डका मेम्बरभी हो नाज़ुकहो सकती है, और एकही शख्स के ठेकेदार और मेम्बर होनेसे, कठिन और सकटमें डालने वाली दशाएं सामने आसकती हैं। परन्तु जिस प्रश्न का हमको फैसला करना है वह केवल इतना ही है कि "नफे के पद" का ठीकर अर्थ लगातेहुए उसमें म्यूनिसिपल्टी का कोई ठेकेदार शामिल समझा जा सकता है या नहीं। हमारी राय है कि ऐसा नहीं किया जासकता।

(इ) सरकारी नौकरों में से मेम्बरी के लिये केवल तनख्वाह पाने वाले मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसर अयोग्य ठहराये गये हैं क्योंकि इन लोगों के विषयमें यह समझा गया है कि अपने पद के बल से यह लोग अपने चुनाव के लिये अनुचित दबाव डाल सकते हैं। परन्तु अन्य किसी सरकारी नौकर के लिये मेम्बर होने की मनाही नहीं की गई है न आनरेरी मजिस्ट्रेट के लिये मनाहीहै। इस क्लाजके साथ दफा४३ देखिये। चेयरमैनीके लिये उस दफाके अनुसार केवल तनख्वाह पाने वाले मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसर ही नहीं, वरन सारे सरकारी नौकर जो तनख्वाह पाते हैं अयोग्य ठहराए गए हैं।

—संयुक्त प्रान्त का म्यूनिसिपलटीज एमेंडमेंट एक्ट न० ९ सन् १९२२ ई० के द्वारा म्यूनिसिप लटियों के कानून में एक महत्व का परिवर्तन, दफा १६ की तरमीम करके, किया गया है। उक्त एमेण्डमेण्ट-एक्ट से पूर्व दफा १६ में वह विशेष योग्यताएं बताई गई थीं जिनके प्राप्त होनेसे किसी ऐसे शख्सको जिसका नाम निर्वाचकों की नामावली में दर्ज होता था, म्यूनिसिपलटी की मेम्बरी के लिये उम्मेदवार होने का अधिकार प्राप्त होजाता था। परन्तु उक्त एक्ट के द्वारा प्रत्येक शख्स को जो निर्वाचक है यह अधिकार दे दिया गया है कि वह म्यूनिसिपलटी की मेम्बरी के लिये भी खड़ा हो सकता है, अर्थात् मेम्बरी की उम्मेदवारीके लिये कोई विशेष योग्यतायें नहीं रखी गई हैं। इसी लिये अब उम्मेदवारों की कोई सूची तैयार करने की भी आवश्यकता नहीं रह गई।

—क्लाज़ (एफ) भी उक्त सन् १९२२ई० के एमेंडिंग एक्ट, के द्वारा बढ़ाया गया है अशिक्षित और अनपढ़ निर्वाचक इस क्लाजके द्वारा मेम्बर नहीं हो सकते।

दफा १७ दफा १४, १५ और १६ के कुछ शब्दों की व्याख्या

(ए) शब्द 'शख्स' का अर्थ है 'मानव जाति का कोई व्यक्ति' (In dividual human being)।

(बी) किसी शख्स के विषयमें माना जायगा कि वह कर 'सीधा' (Directly बराहरास्त) अदा करताहै यदि वह उस करको स्वयं अदा करता हो, या कानूनके अनुसार नियत किये हुये, एजेण्ट (Agont) के द्वारा अदा करता हो।

व्याख्या—

इस क्लाजके अनुसार दफा १४, १५, और १६ में जहां जहां 'शख्स' शब्द आयाहै उससे मतलब समझना चाहिये 'मानव जाति का कोई व्यक्ति' अर्थात् स्त्री और पुरुष दोनों शब्द 'शख्स' में शामिल समझे जायंगे। अतएव इस क्लाजके द्वारा स्त्रियों का नाम भी निर्वाचकों की नामावलियों में लिखा जा

सकता है और स्त्रियों को निर्वाचित मेम्बर होने का भी अधिकार प्राप्त होगा।

—'व्यक्ति' (Person) शब्द के अर्थ का एक हालका मुकद्दमा देखो—हिन्दी–लॉ–जरनल सन १९२३ ई० पेज ७५ मामला यह था कि सुधन सुबाला हाजराने वकालत करने की आज्ञा पटना हाईकोर्टसे मांगी, चीफजस्टिस् मिलर, जस्टिस् मलिक और जस्टिस् ज्वालाप्रसाद के इजलास में यह दरख्वास्त पेशहुई सुधनसुबाला हाजराने सन १९२१ ई० में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बी० एल० की परीक्षा पासकी। पटना के जिलाकी अदालतों में वकालत करनेके लिये पटना के जिला जजकी अदालत में यह दरख्वास्त दी। जिलाजजने दरख्वास्त हाईकोर्ट में भेजदी —

हाईकोर्ट ने यह फैसला किया कि लीगल प्रेक्टिश्नर्स् एक्टकी दफा ६, ७ और ८ के पढ़ने से यह मालूम होता है कि उपरोक्त कानून केवल पुरुष के लिये बनाया गया है। और उपरोक्त कानून की दफा ६ के अनुसार हाईकोर्ट ने जो नियम वकीलों के सम्बन्धमें बनाये हैं उनसे भी यही मालूम होता है और वास्तवमें सन १७९३ई० से लेकर आजतक किसी स्त्रीने किसी अदालतमें वकालत नहीं कीहै। मिस साहबाकी तरफसे यह बहसकी गयी कि जनरल क्लाजेज एक्ट १८९७ की दफा १३ के अनुसार मिस साहबाको वकालत करने का अधिकार है। उपरोक्त दफा इस प्रकार है कि "गवर्नर जनरल इन काउन्सिलके जारी किये हुये सब एक्टों और नियमों में जो शब्द पुरुषके लिये इस्तेमाल किये जायगे उनमें यह मान लिया जायगा कि वे शब्द स्त्रियों के लिये भी इस्तेमाल किये गये हैं जब तक कि विषय का सम्बन्ध न टूटता हो" हाईकोर्ट ने यह फैसला किया कि इसमें कोई शक नहीं है कि औरतें इतनी ही अच्छी तरहसे वकालत कर सकती हैं जितना कि पुरुष। लेकिन प्राचीन कालसे आज तक जितने कानून वकीलों के सम्बन्धमें बने हैं उनसे पता चलता है कि औरतें वकालत करने से वर्जित की गयी हैं। जनरल क्लाजेज एक्ट जारी होने के समय यह बात तय थी कि शब्द 'वकील' से केवल पुरुष का मतलब जाना जायगा इस कारण जनरल क्लाजेज एक्ट का असर लीगल प्रेक्टिश्नर्स एक्ट पर नहीं पड़ता है। दूसरी बहस मिस साहबाकी तरफसे यह की गयी कि लीगल प्रेक्टिश्नर्स एक्टमें पुरुष का शब्द नहीं प्रयोग किया गया है बल्कि 'व्यक्ति' (Person) का किया गया है और 'व्यक्ति' शब्दमें स्त्री भी शामिल है। इसके उत्तरमें हाईकोर्ट ने यह कहा कि जब कोई नया कानून जारी होता है तो यह बात मान लेना चाहिये कि नये कानूनके द्वारा पुराना कानून नहीं बदलता है जब तक कि नये कानूनमें साफ साफ न लिखा हो कि अमुक कानून इस प्रकार बदला जाता है। प्राचीन कालमें औरतें वकालत करने से वर्जित रही हैं इसलिये लीगल प्रेक्टिश्नर्स एक्टके शब्द 'व्यक्ति'से यह बात न मानी जायगी कि इसमें स्त्रिया भी शामिल हैं। तीसरी बहस मिस साहबाकी तरफसे यहकी गई कि लीगल प्रेक्टिश्नर्स एक्टकी दफा ३६में वकीलों की दलाली करना वर्जितहै और इस दफामें भी शब्द 'व्यक्ति' का प्रयोग हुआ है इस लिये अगर यह माना जाय कि जहा जहा शब्द व्यक्ति आया है उससे मतलब केवल पुरुष का है तो उपरोक्त दफासे यह मतलब निकलता है कि औरतें वकीलों की दलाली कर सकती हैं। इसका उत्तर हाइकोर्ट ने यह दिया कि प्रत्येक दफाके शब्दों का अर्थ दफाके मतलब के अनुसार लगाना चाहिये। दफा ३६ के अनुसार दलाली वर्जित है चाहे पुरुष हो या स्त्री। यही बात 44 C 290 में मानी गई है इसलिये दरख्वास्त नामजूर हो। यह दरख्वास्त देखो 64 I C 636, 3 P L T 69। हालमें मिस् साहबा को वकालत करने का अधिकार मिल गया है।

दफा १८ मेनेजरों,ट्रस्टियों इत्यादि का नाम दर्ज करनेके विषयमें नियम द्वारा हुक्म

दफा १४, १५, १६ और १७ में वर्णन किये हुये हुक्म किसी ऐसे नियम के आधीन

होंगे जिसके द्वारा किसी मेनेजर या बिना बटे हुये खानदान (खानदान मुश्तरका) या कम्पनी या कारखाना (Firm) या अन्य किसी संस्था या जन समूह या जमीन के ट्रस्टी (Trustee) को वोट देने या बोर्ड का मेम्बर चुने जानेका अधिकार दिया गया हो।

व्याख्या—

निर्वाचन नियम (Election rule) नं २ के द्वारा बिना बटेहुये हिन्दू खानदानों को और कानपुर म्यूनिसिपलटी में ऐसी कम्पनियों को जिनकी रजिस्टरी कम्पनीज एक्ट (Companies Act) के अनुसार कराई गई हैं, यह अधिकार दिया गया है कि यदि ऐसे खानदान या कम्पनी को अपनी आमदनी के द्वारा या दफा १४ में गिनाई हुई कोई अन्य योग्यता प्राप्त होने के द्वारा निर्वाचक होने का अधिकार हो तो ऐसा खानदान या कम्पनी एक व्यक्तिके समान मान ली जायगी और खानदानके कर्ता अथवा कम्पनीके मेनेजर आदि का नाम निर्वाचकों की नामावलीमें दर्ज कर दिया जायगा निर्वाचन सम्बन्धी अर्जियां (Election petitions)

दफा १९ अर्जीके द्वारा किसीके निर्वाचन पर आक्षेप करने का अधिकार

१ बोर्ड का मेम्बर चुने जाने पर किसी शख्स के निर्वाचन पर नीचे लिखे कारण उपस्थित होने से चुनाव सम्बन्धी अर्जी के द्वारा, आक्षेप किया जा सकता है:—

(ए) कि उक्त शख्सने निर्वाचन की कारर्वाई के समय (दौरान में) अथवा निर्वाचन की कारर्वाई के सम्बन्ध में दफा २८ में दिये हुए "कुव्य वहार" शब्द की व्याख्या के अनुसार कोई "कुव्यवहार" (Corrupt Practice) किया,—

(बी) कि उक्त शख्स इस कारण निर्वाचित (Elected) मेम्बर ठहरा दिया गया कि एक या एक से अधिक वोटें अनुचित रूप से अस्वीकार अथवा स्वीकार कर ली गई। या इस कारण भी आक्षेप किया जा सकता है कि किसी और कारणोंसे ऐसे शख्स का निर्वाचन जायज रूपसे अधिकारयुक्त (Lawful) वोटों की बहु संख्या (Majority) के द्वारा नहीं हुआ।

२ किसी शख्सके बोर्डका मेम्बर चुने जाने पर नीचे लिखे कारणोंके आधार पर आक्षेप नहीं किया जा सकता :—

(ए) कि किसी शख्सका नाम जो वोट देने की योग्यता रखता था निर्वाचकों की नामावली या नामावलियों में दर्ज किये जाने से छोड़ दिया गया या यह कि किसी शख्सका नाम जो वोट देने की योग्यता नहीं रखता था निर्वाचकों की नामावली या नामावलियोंमें दर्ज कर दिया गया—

एक्ट नं० ९ सन१९२२ई०

(बी) कि इस एक्टका अथवा किसी नियमका अनुसरण नहीं किया गया, या उन विधियोंमें जो इस एक्ट अथवा किसी नियमके द्वारा आवश्यक ठहराई गई हों, कोई गलती की गई, और न किसी ऐसे अफ़सर अथवा अफसरों की जिन पर इस एक्ट के हुक्म या किसी नियमोंके पूरा करने

(तामील) का भार डाला गया हो, गलती, नियम विरोध (Irr egularity) विधिविरोध (Informality) के कारण आक्षेप किया जा सकता है। सिवाय उस दशाके कि जब इस प्रकार अनुसरण न किये जाने, भूल, गलती नियम विरोध विधिविरोध के कारण चुनाव के नतीजे पर कोई प्रधान प्रभाव पड़ा हो (Materially affect) ।

व्याख्या—

उपदफा (२) (ए) के द्वारा केवल निर्वाचकों की नामवलीमें भूल चूक हो जानेके कारण चुनाव पर आक्षेप किये जाने की मनाही कर दी गई है क्योंकि प्रथम तो यहकि जनता को एक मौका दे दिया जा चुका है कि नामावलियोंके विषयमें अर्जियां देके भूल चूक को ठीक करा ले, या यदि किसी का नाम बेजा दर्ज हो गया हो, तो उसको कटवा दे। और दूसरे यह कि यदि नामावली की भूल चूक से निर्वाचन रद्द कर दिये जाय, तो सम्भव है कि कोई निर्वाचन कभी हो ही न सके क्योंकि जहां हजारों नामों की सूची बनाई जाती है वहा दो एक गलतियां हो जाना सामान्य बात है। इसी प्रकार जो विधियां और नियम, निर्वाचनके लिये नियत कर दिये गये हैं, उनसे कारवाइयों का थोड़ा बहुत विचलित हो जाना, अनिवार्य है। इसलिये क्लाज (बी) मे यह आज्ञा है कि ऐसी छोटी २ बातों के कारण जिनका बहुधा किसी उम्मेदवार की सफलता या असफलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो चुनावपर आक्षेप न किया जाय। केवल उस दशामें चुनावपर आक्षेप करने की आज्ञा दी गई है, जब कोई उम्मेदवार यह बात प्रकट कर सके, कि ऐसी किसी छोटी भूल चूक, अथवा बेजाब्तगी आदि के कारण चुनाव के परिणाम पर प्रभाव पड़ गया है।

—जब कि उन वोटोंके पर्चोंकी सख्या जो डाले गयेहैं नामावलीमें दर्ज किये हुये निर्वाचकों की सख्यासे अधिक निकलें, तो इस दशामें यह माना जायगा कि जिस शख्सका निर्वाचन बहुसख्या से हुआ हो वह नाजायज रूपसे और कानूनके विरुद्ध हुआ, और उसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता विशेष कर जब कोई कायदा इस विषयमें न हो कि ऐसी दशामें क्या किया जाना चाहिये। देखिये नरेन्द्रनाथ सेन बनाम जे० वास० साहब चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खुलना, 32 C L, J 124 = 60 I C 547

दफा २० अर्जीका नमूना और पेश किया जाना

१ जिस दिन चुनावकी कारवाई हुई हो उस दिनको छोड़के, १५ दिनके भीतर चुनाव-सम्बन्धी अर्जी (Election petition) पेशकी जाना चाहिये और उक्त अर्जीमें वह कारण, या वे सब कारण, जिनके आधार पर रेस्पाण्डेण्ट (फरीकसानी) के चुनाव पर आक्षेप किया जाता है दे दिये जाना चाहिये और उक्त अर्जीमे ऐसा सक्षिप्त हालभी दिया जाना चाहिये जिससे उन सब कारणो का, जिनके आधार पर चुनाव पर आक्षेप किया जाता है समर्थन हो।

२ कोई ऐसा उम्मेदवार जिसके पक्षमें वोट डाले गये हों और जो अर्जीमें यह दावा करताहो कि वह उस शख्सके बदले जिसके चुनाव पर आक्षेप किया जाताहो, निर्वाचित ठहराया जाय, उक्त अर्जी पेश कर सकता है या म्युनिसिपलटीके कोई दस या दससे अधिक निर्वाचकभी ऐसी अर्जी पेश कर सक्ते हैं।

३ उस शख्सको जिसके चुनाव पर आक्षेप किया जाताहो, अर्जीमे रेस्पाण्डेण्ट बनाना

चाहिये। और उस दशामें जबकि अर्जीमें यह प्रार्थनाहोकि ऐसे शख्सके बदले किसी दूसरे शख्सको निर्वाचित ठहराया जाय, तो प्रत्येक असफल उम्मेदवारकोभी जिसको ऐसे शख्सकी अपेक्षा अधिक वोट मिलेहो, अर्जीमें रेस्पाण्डेण्ट बनाना चाहिये।

व्याख्या—

दफा २० की उपदफा (१) की आज्ञा है कि अर्जीमें वह सब कारण (Grounds) लिखे जाय जिनके आधार पर किसीके निर्वाचन पर आक्षेप किया जाता हो और ऐसे हाल (Circumstances) भी दर्ज किये जाय जिनसे उक्त कारणों का समर्थन होता हो। शब्द "हाल" (Circumstances) से क्या आशय है यह बात शकासे खाली नहीं है, क्योंकि इस शब्दके द्वारा यह बात साफ नहीं होती कि चुनाव सम्बन्धी अर्जीमें किसी कुव्यवहार की सब 'घटनायें' (Specific instances) भी दर्ज की जाना आवश्यक हैं या नहीं? नवाबखा बनाम मुहम्मद जामिन 10 A. L J. 219=16 I C 191 वाले मामलेमें अर्जी देने वालेने चार घटनायें (Specific instances) अपनी अर्जीमें दर्ज की थीं। पन्द्रह दिन की अवधि समाप्त हो जानेके उपरान्त उसको छ अन्य घटनाओं का पता चला। उसने दरख्वास्त दी कि अर्जी तरमीम करके उक्त छ घटनायें भी अर्जीमें बढा दी जायं। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि अर्जी देने वाले को उक्त छ घटनाओं को अर्जीमें बढवा देनेका अधिकार प्राप्त है, और उनके साबित करनेके लिये वह शहादत भी पेश कर सकता है। माननीय चीफ जस्टिस् रिचर्डस साहब ने, तजवीज में इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि इंगलैण्डका चुनाव सम्बन्धी कानून भी इन बातों की आज्ञा देता है, और यह राय भी लिखीहै कि केवल १५ दिन की अवधि इतनी थोडी है कि उसके भीतर प्राय ऐसा हो सकता है कि अर्जी देने वाले के लिये यह बात सम्भव न हो कि वह सारी घटनाओंका पता लगाके उनका वृत्तान्त अर्जी में देदे।

परन्तु जिस समय उपरोक्त नवाब खा वाला मामला पेश हुआ था उस समय के म्यूनिसिपलटीज एक्ट में तथा उसके अनुसार बनाये हुये नियमों में कोई हुक्म इस विषय में नहीं था कि चुनाव सम्बन्धी अर्जीमें क्या२ बातें लिखी जाना चाहिये।

—(२)चुनाव सम्बन्धी अर्जीके सम्बन्धमें एक प्रश्न यह उत्पन्न होताहै कि कोई असफल उम्मेदवार एकही अर्जी के द्वारा एक से अधिक सफल उम्मेदवारों के चुनाव पर अक्षेप करसकताहै या नहीं या कि यह आवश्यक है कि यदि एक से अधिक सफल उम्मेदवारो के चुनाव पर आक्षेप करनाहो तो सबके खिलाफ अलग २ अर्जियां दी जाय? मुहम्मद अब्दुल बाकीखा बनाम सिराजउल् हसन वगैरा 17 A L.J-844 में यह मामला हाईकोर्ट के समाने पेश हुआ कि, जब मेम्बरी की ३ जगहोंके लिये ४ उम्मेदवार खडे हुये और उनमेंसे ३का चुनाव जायज ठहरा दिये जानेपर एक असफल उम्मेदवारने अर्जी दी, कि अनेक कारणों से तीनों सफल उम्मेदवारों का चुनाव नाजायज है और प्रार्थना की कि उक्त तीनों उम्मेदवारों का चुनाव नाजायज ठहराया जाकर मैं निर्वाचित ठहराया जाऊं रेस्पाण्डेण्टों की तरफ से यह बहस पेश की गई कि दफा २० में स्पष्ट आज्ञाहै कि जो उम्मेदवार अर्जी दे, वह एक ऐसा शख्स होना चाहिये जो अर्जीके द्वारा दावा करे, कि उस शख्सकी जगह जिसके चुनावपर आक्षेप किया जारहा है उक्त अर्जी देन वाला निर्वाचित माना जाय अब अर्जी देने वाला मेम्बरी की एक ही जगह को तो भर सकता है। इस लिये यह बहस पेश की गई कि कानून की आज्ञा यह है, कि अर्जी केवल एकही सफल उम्मेदवार के खिलाफ दी जाय क्योंकि यदि ३ रेस्पाण्डण्टोके खिलाफ एकही अर्जी दी जाती है तो दफा २० के शब्दों के अनुसार यह माना जायगा कि अर्जी देने वाला तीनों की जगह अकेला भरने को तैय्यार है।

हाइकोर्ट ने तजवीज किया कि अर्जी देने वालेको अधिकार है कि एकही अर्जी में सब सफल उम्मेदवारोंके विरुद्ध उज्रदारी करदे और यह प्रार्थना करे कि वह सब, या उनमें से कोई एक मेम्बरीसे हटा दिया जाय। इस फैसलेके हाईकोर्ट ने दो कारण दिये। प्रथम यह कि दफा २०के उपरोक्त शब्दोंका, केवल इतनाही मतलब है कि जब कोई असफल उम्मेदवार किसी सफल उम्मेदवारके चुनाव पर आक्षेप करे, तो उसको अर्जी में यह बात भी प्रगट करना चाहिये कि वह स्वयं मेम्बरी करने को तैयार है, और समाजकी सेवा करने की इच्छासे अर्जी दे रहा है, केवल दूसरे को हटाके घर नहीं बैठ रहेगा, दूसरे यह कि, यदि ऐसा असफल उम्मेदवार सबके खिलाफ अलग २ अर्जी दे, तबभी तो वही कठिनाई सामने आ सकती है, क्योंकि यदि वह तीनों अर्जियों में जीत जाय तो भी तो वह तीनों की जगह नहीं भर सकेगा।

—(३) अर्जी में फरीकसानी किसको बनाना चाहिये, इस विषयमें दो कायदे इस उपदफामें बताये गये हैं —

(I) जिस शख्सके चुनाव पर आक्षेप किया जाय, उसको तो, हर हालमें, रेस्पाण्डेन्ट (फरीकसानी) बनाना चाहिये, क्योंकि, किसी की अनुपस्थिति में, और उसको जवाबदिही का अवसर दिये बिना, कोई मामला कोई अदालत फैसल नहीं कर सकती।

(II) यदि अर्जी में इस प्रार्थना के अतिरिक्त कि, अमुक शख्स का निर्वाचन नाजायज ठहराया जाय, यह प्रार्थना भी हो, कि किसी दूसरे शख्स का निर्वाचन उसके बदले जायज ठहरा दिया जाय, तो ऐसी अर्जी में नीचे लिखे शख्सों को फरीक सानी बनाना चाहिये अर्थात—

(अ) उस शख्सको जिसके चुनाव पर आक्षेप किया जाय। और (आ) उन सब शख्सों को भी जिनके लिये वोट, उस शख्सके वोटों की संख्या से, जिसका चुनाव जायज ठहरा दिये जाने की प्रार्थना अर्जी में की गई हो, अधिक पड़े हों। जैसे, यदि मेम्बरी की एक जगहके लिये A B C D E पांच उम्मेदवार खड़े हों और A के लिये ५०० वोट, B के लिये ४००, C के लिये ३००, D के लिये २०० और E के लिये १०० वोट पड़ें, और A का निर्वाचित हो जाना प्रकाशित कर दिया जाय, और D उसके चुनाव पर आक्षेप करने के लिये अर्जी दे और अर्जी में यह प्रार्थना करे कि A का चुनाव नाजायज ठहराया जावे, और D का चुनाव, उसके बदले, जायज ठहराया जावे, तो ऐसी अर्जी में A को फरीकसानी बनाना तो आवश्यक है ही, पर A के अतिरिक्त B तथा C को भी फरीकसानी बनाना चाहिये, क्योंकि D की अपेक्षा B तथा C के लिये अधिक वोट पड़े थे। E को फरीकसानी बनाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि E के लिये वोट D से कम पड़े थे। यह हुक्म इस सिद्धान्त पर निर्भर है, कि क़ानून का अभीष्ट सर्वथा यह है कि मुकद्दमों की संख्या-वृद्धि (Multiplicity of Suit) न हो, वरन जितने शख्सों का किसी मामले से सम्बन्ध हो या जिनके अधिकारों पर उस मुकद्दमे के फैसले से कोई प्रभाव पड़े, वह सब शख्स अदालतके सामने उपस्थित हों, जिससे कि, सबकी बात सुनके, अदालत ऐसा फैसला दे सके, कि फिर उस मामले पर किसी को कोई मुकद्दमा दायर करने की आवश्यकता न रह जाय। (दफा २१ की व्याख्या भी देखिये)

दफा २१ प्रतिघातक काररवाई (Recriminatory Proceedings)

प्रत्येक फरीकसानी (Respondent) को अधिकार होगा कि वह यह साबित करने के लिये शहादत दे कि कोई शख्स जिसके विषय में यह दावा किया जाता हो कि, वह शख्स उक्त फरीकसानी के बदले निर्वाचित ठहराया जाय, या जिसके विषय में यह

चाहिये। और उस दशामें जबकि अर्जीमें यह प्रार्थनाहोकि ऐसे शख्सके बदले किसी दूसरे शख्सको निर्वाचित ठहराया जाय, तो प्रत्येक असफल उम्मेदवारकोभी जिसको ऐसे शख्सकी अपेक्षा अधिक वोट मिलेहों, अर्जीमें रेस्पाण्डेण्ट बनाना चाहिये।

व्याख्या—

दफा २० की उपदफा (१) की आज्ञा है कि अर्जीमें वह सब कारण (Grounds) लिखे जाय जिनके आधार पर किसीके निर्वाचन पर आक्षेप किया जाता हो और ऐसे हाल (Circumstances) भी दर्ज किये जाय जिनसे उक्त कारणों का समर्थन होता हो। शब्द "हाल" (Circumstances) से क्या आशय है यह बात शकासे खाली नहीं है, क्योंकि इस शब्दके द्वारा यह बात साफ नहीं होती कि चुनाव सम्बन्धी अर्जीमें किसी कुव्यवहार की सब 'घटनायें' (Specific instances) भी दर्ज की जाना आवश्यक हैं या नहीं? नवाबखां बनाम मुहम्मद जामिन 10 A L J 219=16 I C 191 वाले मामलेमें अर्जी देने वालेने चार घटनायें (Specific instances) अपनी अर्जीमें दर्ज की थीं। पन्द्रह दिन की अवधि समाप्त हो जानेके उपरान्त उसको छ अन्य घटनाओं का पता चला। उसने दरख्वास्त दी कि अर्जी तरमीम करके उक्त छ घटनायें भी अर्जीमें बढ़ा दी जायें। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि अर्जी देने वाले को उक्त छ घटनाओं को अर्जीमें बढ़वा लेनेका अधिकार प्राप्त है, और उनके साबित करनेके लिये वह शहादत भी पेश कर सकता है। माननीय चीफ जस्टिस् रिचर्ड्स साहब ने, तजवीज में इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि इग्लैण्डका चुनाव सम्बन्धी कानून भी इन बातों की आज्ञा देता है, और यह राय भी लिखीहै कि केवल १५ दिन की अवधि इतनी थोड़ी है कि उसके भीतर प्राय ऐसा हो सकता है कि अर्जी देने वाले के लिये यह बात सम्भव न हो कि वह सारी घटनाओंका पता लगाके उनका वृत्तान्त अर्जी में देदे।

परन्तु जिस समय उपरोक्त नवाब खां वाला मामला पेश हुआ था उस समय के म्यूनिसिपलटीज एक्ट में तथा उसके अनुसार बनाये हुये नियमों में कोई हुक्म इस विषय में नहीं था कि चुनाव सम्बन्धी अर्जीमें क्या२ बातें लिखी जाना चाहिये।

—(२)चुनाव सम्बन्धी अर्जीके सम्बन्धमें एक प्रश्न यह उत्पन्न होताहै कि कोई असफल उम्मेदवार एकही अर्जी के द्वारा एक से अधिक सफल उम्मेदवारों के चुनाव पर अक्षेप करसकताहै या नहीं या कि यह आवश्यक है कि यदि एक से अधिक सफल उम्मेदवारों के चुनाव पर आक्षेप करनाहो तो सबके खिलाफ अलग २ अर्जियां दी जाय? मुहम्मद अब्दुल बाकीखां बनाम सिराजउल् हसन वगैरा 17 A L J 844 में यह मामला हाईकोर्ट के समाने पेश हुआ कि, जब मेम्बरी की ३ जगहोंके लिये ६ उम्मेदवार खड़े हुये और उनमेंसे ३का चुनाव जायज ठहरा दिये जानेपर एक असफल उम्मेदवारने अर्जी दी, कि अनेक कारणों से तीनों सफल उम्मेदवारों का चुनाव नाजायज है और प्रार्थना की कि उक्त तीनों उम्मेदवारों का चुनाव नाजायज ठहराया जाकर मैं निर्वाचित ठहराया जाऊं रेसपाण्डेण्टो की तरफ से यह बहस पेश की गई कि दफा २० में स्पष्ट आज्ञाहै कि जो उम्मेदवार अर्जी दे, वह एक ऐसा शख्स होना चाहिये जो अर्जीके द्वारा दावा करे, कि उस शख्सकी जगह जिसके चुनावपर आक्षेप किया जारहा है उक्त अर्जी देने वाला निर्वाचित माना जाय अब अर्जी देने वाला मेम्बरी की एक ही जगह को भर सकता है। इस लिये यह बहस पेश की गई कि कानून की आज्ञा यह है, कि अर्जी केवल एकही सफल उम्मेदवार के खिलाफ दी जाय क्योंकि यदि ३ रेस्पाण्डेण्टोके खिलाफ एकही अर्जी दी जाती है तो दफा २० के शब्दों के अनुसार यह माना जायगा कि अर्जी देने वाला तीनों की जगह अकेला भरने को तैय्यार है।

हाइकोर्ट ने तजवीज किया कि अर्जी देने वालेको अधिकार है कि एकही अर्जी में सब सफल उम्मेदवारोंके विरुद्ध उज्रदारी करदे और यह प्रार्थना करे कि वह सब, या उनमें से कोई एक मेम्बरीसे हटा दिया जाय। इस फैसलेके हाईकोर्ट ने दो कारण दिये। प्रथम यह कि दफा२०के उपरोक्त शब्दोंका, केवल इतनाही मतलब है कि जब कोई असफल उम्मेदवार किसी सफल उम्मेदवारके चुनाव पर आक्षेप करे, तो उसको अर्जी में यह बात भी प्रगट करना चाहिये कि वह स्वयं मेम्बरी करने को तैयार है, और समाजकी सेवा करने की इच्छासे अर्जी दे रहा है, केवल दूसरे को हटाके घर नहीं बैठ रहेगा, दूसरे यह कि, यदि ऐसा असफल उम्मेदवार सबके खिलाफ अलग २ अर्जी दे, तबभी तो वही कठिनाई सामने आ सकती है, क्योंकि यदि वह तीनों अर्जियों में जीत जाय तो भी तो वह तीनों की जगह नहीं भर सकेगा।

—(३) अर्जी में फरीकसानी किसको बनाना चाहिये, इस विषयमें दो कायदे इस उपदफामें बताये गये हैं —

(I) जिस शख्सके चुनाव पर आक्षेप किया जाय, उसको तो, हर हालमें, रेस्पाण्डेन्ट (फरीक सानी) बनाना चाहिये, क्योंकि, किसी की अनुपस्थिति में, और उसको जवाबदिही का अवसर दिये बिना, कोई मामला कोई अदालत फैसल नहीं कर सकती।

(II) यदि अर्जी में इस प्रार्थना के अतिरिक्त कि, अमुक शख्स का निर्वाचन नाजायज ठहराया जाय, यह प्रार्थना भी हो, कि किसी दूसरे शख्स का निर्वाचन उसके बदले जायज ठहरा दिया जाय, तो ऐसी अर्जी में नीचे लिखे शख्सों को फरीक सानी बनाना चाहिये अर्थात—

(अ) उस शख्सको जिसके चुनाव पर आक्षेप किया जाय। और (आ) उन सब शख्सों को भी जिनके लिये वोट, उस शख्सके वोटों की संख्या से, जिसका चुनाव जायज ठहरा दिये जाने की प्रार्थना अर्जी में की गई हो, अधिक पड़े हों। जैसे, यदि मेम्बरी की एक जगहके लिये A B C D E पांच उम्मेदवार खड़े हों और A के लिये ५०० वोट, B के लिये ४००, C के लिये ३००, D के लिये २०० और E के लिये १०० वोट पड़ें, और A का निर्वाचित हो जाना प्रकाशित कर दिया जाय, और D उसके चुनाव पर आक्षेप करने के लिये अर्जी दे और अर्जी में यह प्रार्थना करे कि A का चुनाव नाजायज ठहराया जावे, और D का चुनाव, उसके बदले, जायज ठहराया जावे, तो ऐसी अर्जी में A को फरीकसानी बनाना तो आवश्यक है ही, पर A के अतिरिक्त B तथा C को भी फरीकसानी बनाना चाहिये, क्योंकि D की अपेक्षा B तथा C के लिये अधिक वोट पड़े थे। E को फरीकसानी बनाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि E के लिये वोट D से कम पड़े थे। यह हुक्म इस सिद्धान्त पर निर्भर है, कि कानून का अभीष्ट सर्वथा यह है कि मुकद्दमों की संख्या-वृद्धि (Multiplicity of Suit) न हो, वरन जितने शख्सों का किसी मामले से सम्बन्ध हो या जिनके अधिकारों पर उस मुकद्दमे के फैसले से कोई प्रभाव पड़े, वह सब शख्स अदालतके सामने उपस्थित हों, जिससे कि, सबकी बात सुनके, अदालत ऐसा फैसला दे सके, कि फिर उस मामले पर किसी को कोई मुकद्दमा दायर करने की आवश्यकता न रह जाय। (दफा २१ की व्याख्या भी देखिये)

दफा २१ प्रतिघातक काररवाई (Recriminatory Proceedings)

प्रत्येक फरीकसानी (Respondent) को अधिकार होगा कि वह यह साबित करने के लिये शहादत दे कि कोई शख्स जिसके विषय में यह दावा किया जाता हो कि, वह शख्स उक्त फरीकसानी के बदले निर्वाचित ठहराया जाय, या जिसके विषय में यह

दावा किया जाता हो कि उक्त फरीकसानी की अपेक्षा पहले उस शख्स का निर्वाचित ठहराये जाने का अधिकार है, निर्वाचित ठहराये जाने के योग्य नही है। उक्त फरीक सानी को इस बातकी शहादत देने का वैसाही अधिकार होगा जैसे कि उसने ही उस शख्सके निर्वाचनके विरुद्ध अर्जी दी हो।

व्याख्या—

"प्रतिघात" करने का अर्थ है 'उल्टी घात करना या हमले के बदले हमला करना'।

इस दफा के द्वारा दो प्रकारके शख्सों को "प्रतिघात" करने का अधिकार दिया गया है, अर्थात्

(१) उस उम्मेदवार को जो चुनावमें सफल हुआ है और जिसके चुनाव पर आक्षेप करने के अभिप्राय से अर्जी दी गई है। इस दशा में प्रश्न यह उठता है कि प्रतिघात करने के लिये सफल उम्मेदवार किस प्रकार की शहादत दे सकता है? उसको यह अधिकार होगा कि अपनी सफाई भी पेश करे अर्थात् अर्जी देने वाले के आक्षेप को रद करे, और ऊपर से यह भी अधिकार है कि ऐसी शहादत भी पेश करे कि जिसके द्वारा स्वय अर्जी देने वाले की उन अनुचित काररवाईयों पर जो उक्त अर्जी देने वाले ने भी चुनाव में की हों, आक्षेप हो। मानो स्वय उसने भी अर्जी देने वाले पर अर्जी दी हो। इसी प्रकार उस दशा में जब कि अर्जी निर्वाचकों की ओरसे दी गई हो तो सफल उम्मेदवार को उस शख्स के खिलाफ भी जिसका चुनाव जायज ठहराने की प्रार्थना अर्जीमें की गई हो, शहादत देने का, ऊपर बताये हुये अधिकारों के समान ही अधिकार होंगे

(२) उन सब असफल उम्मेदवारों को भी जिनके लिये अर्जी देनेवाले की अपेक्षा अधिक वोट पडे थे और जिनका फरीक बनाया जाना दफा २० की उपदफा (३)के अनुसार जरूरी रखा गया है प्रतिघातका अधिकार दिया गया है। इन फरीकसानियों को यह अधिकार होगा कि अर्जीमें जिस शख्स का निर्वाचन जायज ठहराने की प्रार्थना हो, और उस शख्स का निर्वाचन जायज ठहराये जानेका हक उक्त फरीकसानियोंसे अधिक बतलाया गयाहो तो ऐसे शख्स की उन अनुचित काररवाईयों की शहादत दें, जो उस शख्स ने भी निर्वाचन में की हों, मानो स्वय इन लोगों ने भी उस शख्स के खिलाफ अर्जी दी हो। सारांश यह कि दफा २१ इस बात की इजाजत देती है कि अर्जी के सारे फरीक एक दूसरे की कलई खोलें जिससे कि अदालत पर सब की अनुचित कारवाइयों का हाल प्रकट हो जाय और यदि अदालत सफल उम्मेदवार का चुनाव नाजायज ठहराना निश्चय करे, तो अदालत को यह निर्णय करने में सुविधा हो कि किस रेस्पाण्डेण्ट (फरीकसानी) को उस की जगह दी जाय।

दफा २२ निर्वाचन-निर्णय-कर्त्ता अदालत (Election Court)

१ सिवाय उस दशाके जबकि कोई दूसरा शख्स, या दूसरी अदालत इस अभिप्राय से बनाये हुये किसी नियमके द्वारा नियत कर दी गई हो, निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी उस कमिश्नरी का कमिश्नर सुनेगा, जिसमे वह म्यूनिसिपलटी हो, जिसके निर्वाचन का झगडा हो और कमिश्नर उक्त अर्जी को जिले के उस स्थानमे सुनेगा जिसमे उक्त म्यूनिसिपलटी हो।

२ निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी, और निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी के सुने जाने (समाअत) के सम्बन्धमें कोई दरख्वास्त, पूर्वोक्त कमिश्नर को, या पूर्वोक्त शख्स या अदालत को,

दी जा सकती है या उस जिले के कलक्टरको दी जा सकती है जिसमे वह म्यूनिसिपलटी हो जिसके कि निर्वाचन का झगड़ा हो।

व्याख्या—

अर्जी देने वालों की सुविधाके लिये इस दफा में यह हुक्म कर दिया गया है कि निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी जिले के कलक्टरके सामने भी पेशकी जा सकती है। यद्यपि अर्जी की समाअत कमिश्नरही करेगा, तथापि, केवल अर्जी पेश करने के लिये, जिले के बाहर किसी को जाने की आवश्यकता नहीं। कमिश्नरके लिये यह आज्ञा भी है कि वह अर्जी उसी म्यूनिसिपल्टी में सुने (समाअत करे) जहा का झगड़ा हो, जिससे कि फरीकों को अपनी शहादत पेश करने में सुभीता हो।

निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी के सुने जाने (समाअत) के सम्बन्धमें सब प्रकारकी दरख्वास्तें भी उस कलक्टरके सामने पेशकी जा सकती हैं। अतएव जिले के कलक्टरको ऐसी २ दरख्वास्तें भी जैसे तलबी गवाहानकी, या कागज आदि तलब कराने की, दी जा सकती हैं।

—निर्वाचन सम्बन्धी अर्जियों के सुनने का अख्त्यार इस एक्टके द्वारा कमिश्नर को दिया गया है। परन्तु इस विषयमें बहुतसे परिवर्तन होते आये हैं। निर्वाचनों के सम्बन्धमें, समय समय पर, जो फैसले हुये है, उनके समझने की सुविधा के लिये, एक संक्षिप्त दृष्टि इन परिवर्तनों पर डाल लेना चाहिये।

सन १९००ई०के पूर्व निर्वाचन सम्बन्धी अर्जियोंको जिला मजिस्ट्रेट सुनता था। सन१९००ई० में म्यूनिसिपलटीज एक्ट न० १, सन १९०० ई०, पास (Pass) हुआ किन्तु उक्त अर्जिया सुननेका अख्त्यार जिला मजिस्ट्रेट ही को रहा। जिला मजिस्ट्रेट का हुक्म अन्तिम होता था। सन १९१०ई० में (२६ जुलाई और ४ अगस्तके विज्ञापन न० २६४० और न० २७३३ D ७७३ XI के द्वारा) नये नियम प्रकाशित किये गये। इन नियमों में आज्ञा दी गई कि निर्वाचन सम्बन्धी अर्जियों की समाअत "अधिकार प्राप्त अदालत" (Compotent Court) करेगी। ऐसी अदालतोंका फैसला अन्तिम होगा या नहीं, इसके विषयमें कोई हुक्म नहीं दिया गया था। "अधिकार प्राप्त अदालतें" दीवानी की अदालतें मानी गई थीं। तत्पश्चात् १८ मार्च सन१९१४ई० के विज्ञापन न०१०२८, XI७७३D के द्वारा, यह अख्त्यार फिर कमिश्नर को दिया गया और उसका फैसला अन्तिम माना गया। हालके एक्ट न० २, सन १९१६ई०, में दफा २२ के अनुसार, कमिश्नरको यह अख्त्यार दिया गया है और दफा २३ की, उपदफा (२) के क्लाज (ई) के अनुसार कमिश्नर का फैसला अन्तिम (Final) माना गया है।

दफा २३ जाबता (Procedure)

१ सिवाय उस दशाके जबकि इस एक्ट अथवा किसी नियमके द्वारा, कोई अन्य हुक्म दिया गया हो, निर्वाचन सम्बन्धी अर्जियों के सुने जाने में, उस जाबते (Procedure) के अनुसार कारवाई की जायगी, जोकि जाबतादीवानी (Civil Procedure code) में मुकद्दमों की समाअत (सुने जाने) के लिये बताया गया है जहा तक कि उक्त जाबते और इस एक्ट, अथवा किसी नियममें, परस्पर विरोध न हो, और जहा तक कि वह जाबता लागू किया जा सकता हो।

दावा किया जाता हो कि उक्त फरीकसानी की अपेक्षा पहले उस शख्स का निर्वाचित ठहराये जाने का अधिकार है, निर्वाचित ठहराये जाने के योग्य नही है। उक्त फरीकसानी को इस बातकी शहादत देने का वैसाही अधिकार होगा जैसे कि उसने ही उस शख्सके निर्वाचनके विरुद्ध अर्जी दी हो।

व्याख्या—

"प्रतिघात" करने का अर्थ है 'उल्टी घात करना या हमले के बदले हमला करना'।

इस दफा के द्वारा दो प्रकारके शख्सों को "प्रतिघात" करने का अधिकार दिया गया है, अर्थात्

(१) उस उम्मेदवार को जो चुनावमें सफल हुआ है और जिसके चुनाव पर आक्षेप करने के अभिप्राय से अर्जी दी गई है। इस दशा में प्रश्न यह उठता है कि प्रतिघात करने के लिये सफल उम्मेदवार किस प्रकार की शहादत दे सकता है? उसको यह अधिकार होगा कि अपनी सफाई भी पेश करे अर्थात् अर्जी देने वाले के आक्षेप को रद्द करे, और ऊपर से यह भी अधिकार है कि ऐसी शहादत भी पेश करे कि जिसके द्वारा स्वयं अर्जी देने वाले की उन अनुचित कारवाईयों पर जो उस अर्जी देने वाले ने भी चुनाव में की हों, आक्षेप हो। मानो स्वयं उसने भी अर्जी देने वाले पर अर्जी दी हो। इसी प्रकार उस दशा में जब कि अर्जी निर्वाचकों की ओरसे दी गई हो तो सफल उम्मेदवार को उस शख्स के खिलाफ भी जिसका चुनाव जायज ठहराने की प्रार्थना अर्जीमें की गई हो, शहादत देने का, ऊपर बताये हुये अधिकारों के समान ही अधिकार होंगे

(२) उन सब असफल उम्मेदवारों को भी जिनके लिये अर्जी देनेवाले की अपेक्षा अधिक वोट पड़े थे और जिनका फरीक बनाया जाना दफा २० की उपदफा (३) के अनुसार जरूरी रक्खा गया है प्रतिघातका अधिकार दिया गया है। इन फरीकसानियों को यह अधिकार होगा कि अर्जीमें जिस शख्स का निर्वाचन जायज ठहराने की प्रार्थना हो, और उस शख्स का निर्वाचन जायज ठहराये जानेका हक उक्त फरीकसानियोंसे अधिक बतलाया गयाहो तो ऐसे शख्स की उन अनुचित कारवाईयों की शहादत दें, जो उस शख्स ने भी निर्वाचन में की हों, मानो स्वयं इन लोगों ने भी उस शख्स के खिलाफ अर्जी दी हो। साराश यह कि दफा २१ इस बात की इजाजत देती है कि अर्जी के सारे फरीक एक दूसरे की कलई खोलें जिससे कि अदालत पर सब की अनुचित कारवाईयों का हाल प्रकट हो जाय और यदि अदालत सफल उम्मेदवार का चुनाव नाजायज ठहराना निश्चय करे, तो अदालत को यह निर्णय करने में सुविधा हो कि किस रेस्पाण्डेण्ट (फरीकसानी) को उस की जगह दी जाय।

दफा २२ निर्वाचन-निर्णय-कर्ता अदालत (Election Court)

१ सिवाय उस दशाके जबकि कोई दूसरा शख्स, या दूसरी अदालत इस अभिप्राय से बनाये हुये किसी नियमके द्वारा, नियत कर दी गई हो, निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी उस कमिश्नरी का कमिश्नर सुनेगा, जिसमें वह म्युनिसिपलटी हो, जिसके निर्वाचन का झगडा हो, और कमिश्नर उक्त अर्जी को जिले के उस स्थानमें सुनेगा जिसमें उक्त म्युनिसिपलटी हो।

२ निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी, और निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी के सुने जाने (समाअत) के सम्बन्धमें कोई दरख्वास्त, पूर्वोक्त कमिश्नर को, या पूर्वोक्त शख्स या अदालत को,

दी जा सकती है या उस जिले के कलेक्टरको दी जा सकती है जिसमें वह म्युनिसिपल्टी हो जिसके कि निर्वाचन का झगडा हो।

व्याख्या—

अर्जी देने वालों की सुविधाके लिये इस दफा में यह हुक्म कर दिया गया है कि निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी जिले के कलक्टरके सामने भी पेशकी जा सकती है। यद्यपि अर्जी की समाअत कमिश्नरही करेगा, तथापि, केवल अर्जी पेश करने के लिये, जिले के बाहर किसी को जाने की आवश्यकता नहीं। कमिश्नरके लिये यह आज्ञा भी है कि वह अर्जी उसी म्यूनिसिपल्टी में सुने (समाअत करे) जहां का झगडा हो, जिससे कि फरीकों को अपनी शहादत पेश करने में सुभीता हो।

निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी के सुने जाने (समाअत) के सम्बन्धमें सब प्रकारकी दरख्वास्तें भी उक्त कलक्टरके सामने पेशकी जा सकती है। अतएव जिले के कलक्टरको ऐसी २ दरख्वास्तें भी जैसे तलबी गवाहानकी, या कागज आदि तलब कराने की, दी जा सकती है।

—निर्वाचन सम्बन्धी अर्जियों के सुनने का अख्त्यार इस एक्टके द्वारा कमिश्नर को दिया गया है। परन्तु इस विषयमें बहुतसे परिवर्तन होते आये हैं। निर्वाचनों के सम्बन्धमें, समय समय पर, जो फैसले हुये हैं, उनके समझने की सुविधा के लिये, एक संक्षिप्त दृष्टि इन परिवर्तनों पर डाल लेना चाहिये।

सन १९००ई०के पूर्व निर्वाचन सम्बन्धी अर्जियोंको जिला मजिस्ट्रेट सुनता था। सन१९००ई० मे म्यूनिसिपल्टीज एक्ट नं० १, सन १९०० ई०, पास (Pass) हुआ किन्तु उक्त अर्जियां सुननेका अख्त्यार जिला माजिस्ट्रेट ही को रहा। जिला मजिस्ट्रेट का हुक्म अन्तिम होता था। सन १९१०ई० में (२६ जुलाई और ४ अगस्तके विज्ञापन नं० २६४० और नं० २७३३ D ७७३ XI के द्वारा) नये नियम प्रकाशित किये गये। इन नियमों में आज्ञा दी गई कि निर्वाचन सम्बन्धी अर्जियों की समाअत "अधिकार प्राप्त अदालत" (Competent Court) करेगी। ऐसी अदालतोंका फसला अन्तिम होगा या नहीं, इसके विषयमें कोई हुक्म नहीं दिया गया था। "अधिकार प्राप्त अदालतें" दीवानी की अदालतें मानी गई थीं। तत्पश्चात् १८ मार्च सन१९१४ई०के विज्ञापन नं०१०२८, XI७७३D के द्वारा, यह अख्त्यार फिर कमिश्नर को दिया गया और उसका फैसला अन्तिम माना गया। हालके एक्ट नं० २, सन १९१६ई०, में दफा २२ के अनुसार, कमिश्नरको यह अख्त्यार दिया गया है और दफा २३ की, उपदफा (२) के क्लाज (ई) के अनुसार कमिश्नर का फैसला अन्तिम (Final) माना गया है।

दफा २३ जाब्ता (Procedure)

१ सिवाय उस दशाके जबकि इस एक्ट अथवा किसी नियमके द्वारा, कोई अन्य हुक्म दिया गया हो, निर्वाचन सम्बन्धी अर्जियों के सुने जाने में, उस जाब्ते (Procedure) के अनुसार कारवाई की जायगी जोकि जाब्तादीवानी (Civil Procedure code) में मुकद्मों की समाअत (सुने जाने) के लिये बताया गया है जहां तक कि उक्त जाब्ते और इस एक्ट, अथवा किसी नियममें, परस्पर विरोध न हो, और जहां तक कि वह जाब्ता लागू किया जा सकता हो।

२ परन्तु शर्त यह है कि—

(ए) दो, या दो से अधिक शख्स जिनके निर्वाचन पर आक्षेप किया जाता हो, एकही अर्जी मे फरीकसानी बनाये जा सकते हैं, और उनके मुकद्मो का फैसला साथ साथ हो सकता है, और दो या दो से अधिक निर्वाचन सम्बन्धी अर्जियो की समाअत साथ साथ हो सकती है, परन्तु जहा तक ऐसी मिली हुई पेशी, या समाअतके कारण इस बातके मानने मे किसी प्रकार का विरोध न हो, यह माना जायगा कि अर्जी प्रत्येक फरीकसानी के खिलाफ अलग २ दी गई है।

(बी) अदालत इस बातके लिये बाध्य न होगी कि वह शहादत पूरी पूरी लिखे या लिखवाये परन्तु अदालत ऐसी शहादतकी याददाश्त लिख लेगी जो, उसकी रायमे, मुकद्मे के फैसल करने के लिये काफी हो।

(सी) अदालत को अधिकार होगा कि जबतक कारवाई चलती रहे, उसके भीतर, जब चाहे अर्जी देने वाले को हुक्म दे कि वह, उस खर्चेकी अदायगी की, जो किसी फरीकसानी का पड चुका हो या जिसके, भविष्यमे पड़ने की, सम्भावना हो, जमानत दे, या जितनी ज़मानत दी जा चुकी हो, उसके आगे, और जमानत दे।

(डी) किसी विचार्य विषय (तन्कीह) को फैसल करने के मतलब से अदालत केवल उतनी ही शहादत, जबानी या कागजी को पेश करने का हुक्म देने के लिये, अथवा ऐसी शहादत लेने के लिये बाध्य होगी, जितनी कि वह आवश्यक समझे।

(ई) जब तक मुकद्मे की कारवाई चलती रहे (दौरान समाअत) उसके भीतर अदालत को, जिस समय वह चाहे, अधिकार होगा कि कोई कानूनी प्रश्न, जाबता दीवानी सन १९०८ ई० के पहले शिड्यूल (Schedule) के आर्डर ४६ के अनुसार हाईकोर्ट को परामर्शार्थ भेज दे (Reference) किन्तु किसी कानूनी प्रश्नकी, अथवा मुकद्मेकी घटनाओ (Facts) से सम्बन्ध रखने वाले किसी प्रश्नकी अपील न होगी। और न कोई दरख्वास्त निगरानी (Revision) की, उक्त अदालतके फैसले के विरुद्ध या इसके सम्बन्ध मे दी जा सकेगी।

(एफ) अदालतको अधिकार होगा कि, किसी ऐसे शख्सकी दरख्वास्त पर, जिसे विश्वास यह हो कि अदालत का फैसला उसके लिये हानिकारक है अपने फैसले के किसी विषय पर पुन विचार (Review) करे।

व्याख्या—

उपदफा (२) के क्लाज (ए) में इस बात की स्पष्ट आज्ञा दी गई है कि एक ही अर्जी के द्वारा, दो या दो से अधिक सफल उम्मेदवारों के [illegible] आक्षेप किया जा सकता है। यदि किसी असफल उम्मेदवारके पास [illegible] उम्मेद[illegible] ऐसे सुबूत मौजूद हों कि जिसने वह सबका चुनाव नाजायज [illegible] , ता [illegible] कि वह अपना मुकद्मा, ऐसे सब

सफल उम्मेदवारों को फरीक़ बना के मजबूत क्यों न करले, जिससे कि उसको यह आशा होसके कि यदि किसी एक फरीक्सानी के खिलाफ मुकद्दमा साबित न हो सका, तो किसी दूसरे के खिलाफ ही साबित होने की सम्भावना होगी। (देखिये मुहम्मद अब्दुलबाकीखा बनाम सिराजुल हसन 7 A L J 844)। उपरोक्त विषय में जो कुछ शङ्का दफा २० की उपदफा (२) के शब्दों से उत्पन्न होती है, उसके लिये देखिये दफा २० की व्याख्या। *

—(२) (ई) रेफरेन्स (Reference) के विषय में जाबता दीवानीके आर्डर ४६ का कायदा (१) इस प्रकार है —

"यदि किसी ऐसे मुकद्दमे या अपील की पेशीके समय या पेशी से पूर्व, जिसकी डिकरीसे अपील नहीं किया जा सकता या किसी ऐसी ही डिकरी के इजरायमें कोई कानूनी प्रश्न या किसी ऐसे रिवाज (Usage) के विषयमें जिसका असर कानून के समान हो, कोई प्रश्न उत्पन्न हो, और जिसके विषयमें, उस अदालत को, जिसके सामने मुकद्दमा या अपील पेश हो, या जो डिकरी के इजराय की कारवाई कर रही हो, कोई शङ्का उत्पन्न हो, तो ऐसी अदालत को अधिकार होगा, कि स्वयं अपनी मर्जी से या किसी फरीक की दरख्वास्त पर, मुकद्दमे की घटनाओं (Facts) का, तथा उस विषय का, जिसपर कि अदालत को शङ्का हो, हाल लिख के, अपनी सम्मति सहित हाईकोर्ट को फैसले के लिये भेज दे।

—अपीलमें अनेक कारणों से कानून की मन्शा सदा यही रही है कि निर्वाचन निर्णय कर्ता अदालत (Election Court) का फैसला अन्तिम हो, अर्थात् उससे कोई अपील न की जा सके। इङ्गलैण्ड का कानून भी इसीके अनुसार है माननीय मिस्टर जस्टिस टेडबाल, खुन्नीलाल बनाम रघुनन्दन प्रसाद 11 A L J 659 की तजवीज में इस विषयमें लिखते हैं कि "म्यूनिसिपल चुनाव सम्बन्धी मामलों के लिये इङ्गलैण्डमें एक विशेष अदालत कानून के द्वारा बना दी जाती है जो चुनाव सम्बन्धी अर्जियां सुनती है। उस अदालतमें केवल एक फैसला करने वाला होता है, जो "कमिश्नर" कहलाता है उसके फैसलेसे अपील नहीं होती हमारा यह विश्वास है कि कानून की मसलहत सदा यही रही है कि जिस अदालत, कमिश्नर, या अन्य अफसर को, चुनाव सम्बन्धी अर्जियां सुनने का अधिकार दिया जाय, उसका फैसला अन्तिम हो"।

निम्न लिखित तीनों मुकद्दमे हाईकोर्टके सामने उस समय में पेश हुये थे जब निर्वाचन-सम्बन्धी अर्जी के सुनने का अधिकार "अधिकार प्राप्त अदालत" (Competent Court) को था, और कोई स्पष्ट हुक्म भी इस विषयमें नहीं था, कि ऐसी अदालत के फैसलेसे अपील नहीं होगी। यद्यपि साधारणत दीवानी अदालत के सब ही फैसलोंमें अपील की इजाजत होती है, तो भी हाईकोर्ट ने इन सब मुकद्दमों में यही तजवीज किया कि निर्वाचन सम्बन्धी मामले के फैसलेसे अपील नहीं हो सकती देखिये खुन्नीलाल बनाम रघुनन्दनप्रसाद 11 A L J 659=20 I C 497 सुन्दरराम बनाम छोटेलाल वगैरा 11 A L J 945=21 I C 575 (फुल बेञ्च) सुन्दरलाल बनाम मुहम्मद फायक 16 O C 36=18 I C 122

—इस सम्बन्धमें एक विषय पर और विचार करना चाहिये। निर्वाचन निर्णय-कर्ता अदालत के फैसलेसे अपील तो नहीं हो सकती, किन्तु किसी शख्स को इस बात का अधिकार है या नहीं कि उक्त अदालतमें अर्जी देनेके बदले वह कोई दावा (Suit) निर्वाचन के सम्बन्धमें दायर करे, या यह कि, कोई दावा (Suit) निर्वाचन निर्णय कर्ता अदालत के फैसले के पश्चात दायर करे। इस विषय

मे एक मामला हाईकोर्ट की एक फुल बेञ्च (Full Bench) के सामने पेश हो चुका दावा "इस्तिकरार हक (Declaration of right) का एक असफल उम्मेदवार ने, उम्मेदवार पर, जिसका चुनाव जायज ठहरा दिया जा चुका था, दायर किया था। उसमें कि "इस्तिकरार" (Declaration) इस बात का कर दिया जाय, कि मुद्दालह का जायज नहीं हुआ। फुल बेञ्च ने तजवीज किया कि "इस बातका प्रश्न कि कोई म्यूनिसि जायज रूप से हुआ या नहीं केवल ऐसी अर्जी के द्वारा उठाया जा सकता है जो न० १ सन १९००ई० की दफा १८७ के आधार पर प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये हुये नियमें पेश की गई हो" देखिये मुहम्मद इनामउलहक बनाम मुहम्मद अहसन 12 A L (F B)=21 I. C 655.

—(२) (एक) पुनः विचार—किन कारणों के उपस्थित होने से अदालत अपने पुनः विचार (नजरसानी) करना स्वीकार करेगी इसके विषयमें कोई आज्ञा इस एक्ट गई है। आयतादीवानी के आर्डर ४७ कायदा १ के अनुसार नीचे लिखे कारणों के उपस्थि पुनः विचार हो सकता है, अर्थात्—

(i) किसी नये तथा आवश्यक मामले या शहादत का, पता लगने के कारण ज्ञान, उचित उद्योग किये जाने पर भी, किसी फरीक को न होसका हो, या जो उचित जाने पर भी, डिकरी या हुक्मके पास किये जाने के समय, पेश न किया जा सका हो।

(ii) या किसी ऐसी गलती, अथवा भूल के कारण जो प्रत्यक्ष रूप से मिसल पड़ती हो।

(iii) या किसी अन्य ऐसे कारण से जो पुनः विचार के लिये काफी समझा जा

—पुनः विचार (नजरसानी) की दरख्वास्त की नामंजूरी की अपील नहीं होती परन्तु जाने की आयतादीवानी के अनुसार अपील हो सकती है। परन्तु निर्वाचन निर्णय कर्ता ऐसी दरख्वास्त को मजूर करले तो भी कोई अपील न होगी।

दफा २४ निर्वाचन-निर्णय-कर्त्ता अदालतके अधिकार

१ सिवाय उस दशाके, कि जब इस अभिप्रायसे बनाये हुये, किसी नियम इसके विरुद्ध कोई हुक्म हो, निर्वाचन निर्णयकर्ता अदालतके वही सब अख अधिकार होंगे जो अदालत दीवानी के जजके होते हैं और वह किसी तामीलके लिये अथवा किसी अन्य ऐसे ही हुक्मके जारी करने के लिये, जिला की अनुमतिसे, जिला-मजिस्ट्रेटकी कचहरी के किसी चपरासी, या अन्य अफ मुहर्रिरसे काम ले सकता है।

२ निर्वाचन-निर्णय-कर्ता अदालतको अधिकार होगाकि खर्चेकी अदायगी कोई हुक्म, या खर्चेके जमानत पत्र का रुपया वसूल करने के लिये कोई हुक्म, उक्त अदालत ने दिया हो उस जिलाके कलक्टर को, जिसमे मामले से सम्बन्ध वाली म्यूनिसिपलटी हो, तामीलके लिये भेज दे, और इस प्रकार भेजे हुये किस की तामील कलक्टर उसी तरह करेगा, मानो वह हुक्म सन १९०१ई०के, आग कानून लगान अथवा सन १८८६ई० के अवध कानून लगान (अर्थात् जैसी

किसी कारखाई मे कलक्टरही का दिया हुआ हुक्म है।

दफा २५ निर्वाचन-निर्णय-कर्त्ता अदालतका फैसला

१ अगर अदालत ऐसी तहक़ीक़ात (Enquiry) के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, किसी शख्सके विषयमे जिसके निर्वाचन पर अर्जी के द्वारा आक्षेप किया गया हो, यह निश्चय करे कि उसका निर्वाचन जायज हुआ था तो वह ऐसे शख्सके विरुद्ध अर्जी खारिज कर देगी, और यदि अदालत उचित समझे तो मुकद्दमे का खर्चा दिलाने का भी हुक्म दे सकती है।

२ यदि अदालत यह निश्चय करे कि किसी शख्स का निर्वाचन नाजायज था तो वह, या तो—

(ए) यह बात प्रकाशित कर देगी कि मेम्बरी की एक जगह सयोगवश खाली हो गई है। या

(बी) किसी अन्य उम्मेदवार का जायज रूपसे निर्वाचन हो जाना प्रकाशित कर देगी, अर्थात् उस विशेष मामले की दशा पर दृष्टि डालते हुये इन दोनो बातों मे से जो बात उचित जान पड़े वैसाही करेगी और दोनो हालतों मे, यदि चाहे तो, मुकद्दमे का खर्चा दिलाने का भी हुक्म दे सकती है।

३ उस दशामे जबकि अदालत मेम्बरी की जगह सयोगवश खाली होजाना प्रकाशित करे, तो वह, बोर्ड को, उस खाली जगहके भरने के लिये, कारखाई करने का हुक्म देगी।

व्याख्या—

अदालत को अधिकार दिया गया है कि, किसी का चुनाव नाजायज ठहराने पर, चाहे तो उस जगह के विषय म यह हुक्म दे दे, कि उसके भरने के लिये फिरसे निर्वाचन किया जाय, या चाहे किसी असफल उम्मेदवार को उस जगह पर निर्वाचित ठहरा दे। सामान्यत यदि किसीका चुनाव किसी ऐसे कारण से नाजायज ठहराया गया हो जिससे कि स्वय उस को तो कोई अनुचित लाभ पहुचा हो परन्तु किसी दूसरे उम्मेदवार को उस कारण कोई सीधी हानि न पहुची हो तो ऐसी दशा म अदालत जगह को खाली ठहरा देगी। जैसे यदि कोई उम्मेदवार किसी निर्वाचक को रिशवत दे के उसका वोट प्राप्त करले तो उस वोट मे उसको अनुचित लाभ पहुचा, किन्तु यह नहीं कह सकता, कि यदि ऐसा शख्स रिशवत न पाता, तो किसको वोट देता, इसलिये किसी अन्य उम्मेदवार को इस रिशवत से कोई सीधी हानि नहीं पहुचती।

दूसरी दशा यह है, कि जब कोई उम्मेदवार कोई ऐसा काम करे, कि जिस से अन्य उम्मेदवार को सीधी हानि पहुचे। इस दशा में, अदालत जिस असफल उम्मेदवार का हक़ समझे गी, उसको जगह दे दे गी, कोई दूसरा निर्वाचन किये जाने का हुक्म न दे गी, जैसे यदि किसी उम्मेदवार ने मरेहुये अथवा अनुपस्थित निर्वाचकों की ओर से वोट दखवा लिये हों जिनके द्वारा उस का निर्वाचन बहुसख्या से होगया हो तो ऐसी दशा में अन्य उम्मेदवारों को उसके इस काम से सीधी हानि पहुचती है।

—दफा २५ में अदालतको अख्त्यार दिया गया है कि यदि वह चाहे तो किसी फरीकको मुकदमे का खर्चा दिलवाय, अतएव चन्द्रभान बनाम गिरधरलाल 3 A. L. J. 420=1906 A. W. N 97 वाली नजीर अब बे असर है।

दफा २६ निर्वाचन सम्बन्धी अर्जीकी कारवाईको आगे चलने से रोक दिया जाना

१ पूर्वोक्त दफाके हुक्मों के होते हुये भी यदि किसी निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी को सुनते हुये अदालतकी यह राय हो कि शहादतसे प्रकट होता है, कि उस निर्वाचनकी कारवाइयो मे जिसके सम्बन्धमे अर्जी दी गई है, कुव्यवहारो (Corrupt practices) से ऐसी सीमा तक, काम लिया गया है, कि उनके कारण निर्वाचनकी समस्त कारवाइयों को रद कर देना उचित होगा; तो अदालत उन समस्त कारवाइयो को रद करने का ऐसा अनिश्चित हुक्म (Conditional order) अर्थात् शर्तिया हुक्म दे देगी और ऐसे हुक्मकी सूचना उन सब उम्मेदवारो को देगी, जो निर्वाचित ठहराये गये हो किन्तु जो उक्त अर्जी मे फरीक न बनाये गये हों, और उनको हुक्म देगी कि इस बातकी वजह ज़ाहिर करें, कि उक्त अनिश्चित हुक्म अन्तिम (Absolute) क्यो न कर दिया जाय।

२ ऐसी सूचना दिये जाने पर उक्त उम्मेदवारो मे से जो चाहे उपस्थित हो के वजह जाहिर कर सकता है और किसी गवाहको, जिसकी गवाही मुकद्दमे मे हो चुकी हो, उससे कोई प्रश्न करने के अभिप्राय से, फिर से, अदालत के द्वारा, बुलवा सकता है।

३ तत्पश्चात् अदालत या तो उक्त अनिश्चित हुक्मको मसूख कर देगी, या उसको अन्तिम किये जाने का हुक्म देगी। और यदि अदालत हुक्मको अन्तिम कर देगी, तो बोर्ड को आज्ञा देगी कि निर्वाचनकी कारवाई फिरसे करने के उपाय करे।

भावार्थ (Explanation)—शब्द "निर्वाचनकी कारवाइयां जिसके सम्बन्ध में-अर्जी दी गई हो" और 'समस्त कारवाइयां" का इस क्लाजमें अर्थ उन सब कारवाइयो से है (नामज़दगी और मेम्बरो के निर्वाचित ठहराये जाने की कारवाइयो के सहित) जो वोट डाले जाने के किसी एक अवसर पर की गई हो, चाहे उस अवसर पर किसी हलके के प्रतिनिधि, या अन्य प्रतिनिधि चुने जानेको, एक, या एकसे अधिक शख्सो के निर्वाचनके-लिये वोट लिये गये हो।

व्याख्या—

भावार्थ का मतलब यह है कि यदि अदालत दफा २६ के अनुसार निर्वाचन मसूख करना निश्चय करेगी, तो जितने शख्सों के लिये एक नामावली के निर्वाचकों ने एकही स्थान में और एकही समय पर वोट डाले होंगे, उन सब का निर्वाचन मसूख हो जायगा। परन्तु यदि दो अलग अलग निर्वाचन हुये हों चाहे वह एक ही समय पर, और एकही स्थान में हुये हों तो एक के मंसूख होने से दूसरा नहीं मंसूख होगा। जैसे यदि किसी म्यूनिसिपलटी में हिन्दू और मुसलमानों की जगहों के लिये एकही समय पर और एकही स्थान मे वोट लिये गये हों, तो एक निर्वाचन मसूख होने से दूसरा रद नहीं होगा कारण यह है कि दोनोंके निर्वाचक अलग२ होते हैं अलग बक्सों में वोट डाले जाते हैं और दोनों की कुल कारवाइयां अलग अलग होती हैं।

—उपदफा (१) का यह आशय है कि अगर किसी एक या एकसे अधिक उम्मेदवारोंके कुव्यवहारों के कारण सब उम्मेदवारों का निर्वाचन मसूख किया जाय तो उन,सफल उम्मेदवारों को भी जो मुकद्दमें में फरीक नहीं बनाये गये हैं, अदालत एक मौका दे कि जो कुछ उनको उज्र करना हो करें क्यों कि निर्वाचन के मंसूख किये जाने का असर उनपर भी पड़ेगा। अतएव अदालत के लिये आज्ञा है कि वह पहले मसूखी का अनिश्चित हुक्म दे, अर्थात् ऐसा हुक्म जिसको उक्त सफल उम्मेदवारों के उज्र सुनने के पश्चात् अदालत चाहे मसूख करदे और चाहे अन्तिम करदे।

दफा २७ कुव्यवहारोंके कारण, अयोग्य ठहरा दिया जाना

जिस उम्मेदवार के विषय में अदालत को यह विदित हो जाय कि उपरोक्त दफाके अनुसार वह किसी कुव्यवहार का अपराधी है तो अदालत को अधिकार होगा, कि ऐसे उम्मेदवारको किसी ऐसी अवधिके लिये जो पांच वर्ष से अधिक नहो बोर्डका मेम्बर चुने जानेके अयोग्य ठहरा दे या किसी ऐसे पद या जगहपर नियुक्त किये जाने, अथवा रहे जानेके अयोग्य ठहरा दे, जिसका प्रदान करना या देना बोर्डके हाथमें हो।

दफा २८ कुव्यवहार

किसी शख्स के विषय में यह माना जायगा कि उसने कुव्यवहार किये, जो सीधे या किसी प्रकार की आड़में (Directly or indirectly) स्वयं या अन्य किसीके द्वारा—

(१) किसी वोट देने वाले को जाल (Fraud) करके, या जान बूझ के मिथ्या कथन करनेसे (Intentional misrepresentation) या दबाव डालके (Coercion), या किसी प्रकार की हानि पहुँचानेकी धमकी देके (Threat of injury) बहका के इस बात पर राजी कर लेता है, या बहकाके राजी कर लेने की कोशिश करता है कि वह किसी उम्मेदवार के पक्षमें वोट दे, या किसी उम्मेदवारके पक्षमें वोट देनेसे बाज रहे (वोट न दे)।

(२) किसी वोटदेने वाले को, किसी उम्मेदवारके पक्षमें वोट देने, या वोट देने से बाज रखनेके अभिप्रायसे, कुछ रुपया या किसी प्रकारका ऐसा बदलाव जिसका कुछ मूल्य हो (Valuable Consideration) या कोई जगह या पद, देने केलिये कहे, या दे या किसी शख्ससे कोई जाती लाभ, या नफा, पहुँचाने की प्रतिज्ञा करे।

(३) किसी ऐसे वोट देने वालेके नामसे वोट दे या दिलवाये, जो कि वह शख्स नहीं है, जो वोट दे रहा है।

(४) उपरोक्त (१), (२) और (३) क्लाजों में अंकित किये हुये कामों में से, किसी के करने के लिये प्रोत्साह दिलाये (Abets) ('प्रोत्साह' के उस अर्थ के अनुसार जो ताजीरात हिन्द में इस शब्द का दिया गया है)।

भावार्थ (Explanation) "किसी शख्ससे जाती लाभ या नफेकी प्रतिज्ञा करना" में शामिल समझी जायगी कोई ऐसी प्रतिज्ञा, जो स्वयं उसी शख्सके लाभके लिये हो तथा कोई ऐसी प्रतिज्ञा जो किसी ऐसे शख्स के लाभ के लिये हो जिससे उस पहले शख्स का कुछ वास्ता हो। किन्तु उक्त शब्दोंमें कोई ऐसी प्रतिज्ञा शामिल न समझी जायगी

जिसके द्वारा किसी विशेष म्यूनिसिपल कामके पक्षमे, या किसी ऐसे ही कामके विरुद्ध सम्मति देने की प्रतिज्ञा की जाय।

व्याख्या—

क्लाज (२) में जो शब्द "बदलाव" (Consideration) आया है, उसकी व्याख्या कानून मुआहिदा (Contract Act) की दफा २ में इस प्रकार की गई है —

"जब प्रतिज्ञा करने वाले (Promisor) के कहने से, उस शख्स ने जिसने कि प्रतिज्ञा की हो (Promisee) या और किसी शख्स ने कोई काम किया हो, या करने से बाज रहा हो (अर्थात् करने से रुक गया हो) या वर्तमान समयमें वह शख्स कोई काम करे या करनेसे रुक जाय या भविष्य में कोई काम करने या करने से रुक जाने का वादा करे, तो ऐसा काम या काम करनेसे रुक जाना या वादा उस प्रतिज्ञा का "बदलाव" (Consideration) कहलाता है।"—

ऐसे बदलाव का कुछ मूल्य होना आवश्यक है, अर्थात उसके द्वारा या तो प्रतिज्ञा करने वाले को या उसको जिससे प्रतिज्ञा की जाय कोई लाभ, नफा, अधिकार इत्यादि प्राप्त हो या उन दोनोंमें से कोई एक घाटा, नुकसान इत्यादि सहने को तैयार हो या कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। यह बदलाव का मूल्य समझा जायगा।

—निर्वाचनों में प्राय यह दृश्य देखनेमें आता है, कि उम्मेदवारों की अलग अलग मण्डलियां बन जाती हैं। प्रत्येक उम्मेदवार अपने वशके वोट अपनी मण्डली वालों को दिलवाता है, निर्वाचन के सम्बन्धमें जो काम काज होते हैं वह बांट लिये जाते हैं और एक दूसरे का हाथ बटाते हैं मान लीजिये कि A B. C तीन उम्मेदवारों ने एक ऐसी ही मण्डली बना ली और A ने कुछ शख्सों की झूठी पहिचान (Wrong identification) करके उनसे वोट दिलवाया। तो ऐसी दशामें केवल A का ही निर्वाचन मसूख होना चाहिये, या कि B और C का भी? क्या B और C की बचत यह कह के हो सकती है कि A स्वयं एक उम्मेदवार था उसने निर्वाचकों की झूठी पहचान अपने ही लाभ के लिये की? जब A के इस कुव्यवहार के कारण उक्त झूठे निर्वाचकों को वोट देने का अवसर मिल गया, और उन्होंने हम लोगों के पक्षमें भी वोट डाल दिये, तो उनको ऐसा न करने देने का हमारे पास कोई उपाय न था। अतएव A के कुव्यवहार का हमारे चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये? परन्तु B और C की बचत इस प्रकार नहीं हो सकती। क्योंकि जब A B C तीनों एक ही मण्डली में थे, एक दूसरे की सहायता करते थे और एक दूसरे की ओर से काम करते थे, तो ऐसी दशा में सब एक दूसरे के एजेण्ट माने जायेंगे, और एक दूसरे के कामों के जिम्मेदार होंगे। चुनाव के सम्बन्धमें एजण्टी (अर्थात् किसी दूसरे की ओर से काम करना) का अर्थ साधारण कानून के अर्थ से कुछ विभिन्न है। चुनाव में एक तो अधिकार पत्र द्वारा नियत किये हुये एजेण्ट होते हैं जो निर्वाचन नियम नं० ४० के अनुसार बनाये जाते हैं। इन अधिकार प्राप्त एजेण्टों के अतिरिक्त वह सब शख्स भी चुनाव के सम्बन्धमें एजेण्ट माने जाते हैं जो किसी उम्मेदवार के लाभ के लिये चुनावमें कोई काम करें। लार्ड हारसबरी ने अपनी पुस्तक "इङ्गलिश लॉज" (English Laws) की जिल्द १२ के पन्ना ४४७ पर लिखा है कि "एजण्टी क्या होती है, यह बात प्रत्येक मामले की दशा पर दृष्टि डालके निश्चय करना चाहिये"।

नोट—उपरोक्त मामला एक चुनाव सम्बन्धी अर्जी में, सन १९२३ ई० के चुनाव में, इलाहाबाद की निर्वाचन-निर्णय-कर्त्ता अदालतके सामने पेश हुआ था। मामलेकी तजवीजके आधार पर यह व्याख्या है।

—यदि किसी अनपढ़की, निर्वाचक उम्मेदवार स्वयं या उसका एजेन्ट पहचान करता है, तो अपने ऊपर इस बातकी जिम्मेदारी लेता है, कि वह उसको स्वयं पहचानता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने निम्नाङ्कित मामले में यह तजवीज किया, कि दूसरे शख्स का नाम धारण कराके वोट दिलवाने के अपराध के लिये यह आवश्यक है, कि जो ऐसे शख्ससे वोट दिलवाये, उसने जान बूझके और इरादा करके यह काम किया हो। यदि यह बात साबित न हो कि निर्वाचित उम्मेदवारने, या उसके एजेन्टने, धोखा देने, या जाल बनाने, या बेजा हानि पहुचाने के अभिप्रायसे (Fraudulently & wrongfully) किसी शख्ससे, किसी दूसरे शख्सका नाम धरके, वोट दिलवाया तो उनके ऊपर यह अपराध नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने एक शख्सके नामसे दूसरेसे वोट दिलवाया (Impersonation) देखिये। मनोरंजन मुकर्जी बनाम ब्रजो गोपाल गोस्वामी 22 C W N 678=46 I.C 729

—किसी कामके लिये 'प्रोत्साह दिलाने' की व्याख्या ताजीरात हिन्द, एक्ट न० ४५ सन १८६० की दफा १०७ में इस प्रकारकी गई है —

"कोई शख्स किसी कामके करने के लिये प्रोत्साह दिलाता है (Abets) यदि वह—

(१) किसी शख्सको उस कामके करने के लिये उभारता है।

(२) किसी एक या एकसे अधिक शख्सों के साथ मिलके, उस कामके करने के लिये साजिश (Conspiracy) करता है, यदि उस साजिशके अनुसार, और उस कामके करने के उद्देशसे, कोई काम किया जाता है, या कोई ऐसा काम नहीं किया जाता जिसका कि न किया जाना (Omission) कानूनके विरुद्ध हो।

(३) जान बूझके, उस कामके किये जाने में, किसी कामके द्वारा, या कोई काम न करने के द्वारा जिसका न किया जाना कानूनके विरुद्ध हो, सहायता देता है।

भावार्थ (१) (Explanation)—किसी कामके करने के लिये उभारना ऐसे शख्सके विषयमें कहा जायगा जो अपनी इच्छा पूर्वक, मिथ्या कथनके द्वारा, या किसी ऐसी बातको, जिसको बतला देने का उसके ऊपर भार हो, इच्छा पूर्वक छिपा लेने के द्वारा, इरादा करके उस कामको कराये या उसके कराने का प्रयत्न करे या उस कामको कराने के प्रयत्न करने की, चेष्टा करे।

उदाहरण A, एक सार्वजनिक (पब्लिक) अफसरको किसी अदालतके वारंटके द्वारा अधिकार दिया गया कि वह Z को गिरफ्तार करे (पकड़े)। B इस बातको जानते हुये, और इस बातको भी जानते हुये कि C, Z नहीं है, जान बूझके बतला देता है कि C, Z है। और ऐसा बतला देकर A, से C को गिरफ्तार करा देता है, तो यह कहा जायगा कि B ने उभारके C की गिरफ्तारी के लिये प्रोत्साह दिलाया।

भावार्थ (२)—जो कोई किसी कामके किये जाने के समय, या उसके किये जाने से पूर्व, कोई ऐसा काम करता है, कि पूर्वोक्त कामके किये जाने में सुविधा हो और ऐसे शख्सके कामसे पूर्वोक्त कामके किये जानेमें सुविधा हो भी जाय, तो ऐसे शख्सके विषयमें यह कहा जायगा कि उसने कामके करने में सहायता दी।"

दफा २९ निर्वाचन कराने की विधि और निर्वा अन्य बातें

नीचे लिखे मामलोंका प्रबन्ध नियमोंके द्वारा होगा और ये

म्यूनिसिपल निर्वाचनके नियम

परिभाषा

सिवाय ऐसे स्थानके, जहा विषय अथवा प्रसंगकी दृष्टिसे, यह अर्थ अयुक्त, या अनुचित, हो इन नियमों में —

(ए) "सरकार" का अर्थ "प्रान्तीय सरकार" होगा।

(बी) "जमानत" (Security) शब्दमें शामिल होंगे, नकद रुपया, सरकारी कागज, (नोट आदि) या अन्य स्टॉक, (Stock) और कोई दस्तावेज, जिसमें जायदाद आड़ (बन्धक या बार) हो।

(सी) "एक्ट" का अर्थ संयुक्त प्रान्तीय म्यूनिसिपलटीज एक्ट नं० २, सन १९१६ ई० होगा।

(डी) "मुख़तार नामा" (Power of Ottorney) का अर्थ होगा, कोई ऐसा मुख़तार नामा जिसकी व्याख्या इण्डियन स्टाम्प एक्ट १८९९ (Indian Stamp Act 1899) में दी गई है।

नोट —इण्डियन स्टाम्प एक्ट, न० २ सन १८९९, की दफा २ के न० २१ में, 'मुख़तार नामा" (Power of Ottoinoy) की व्याख्या इस प्रकार दी गई है "मुख़तार नामामें शामिल होगा कोई दस्तावेज (Instrument) जिस पर कोर्टफीस (रसूम अदालत) के उस कानूनके अनुसार, जो उस समय प्रचलित हो, कोई कोर्टफीस न देना पड़ती हो, और जिसके द्वारा किसी एक विशेष शख़सको यह अधिकार दिया जाय कि, मुख़तार नामा देने वाले के लिये, और उसकी ओर से, वह शख़्स काम करे।

निर्वाचकों की योग्यता निर्णय करने की तारीख

१ मसूरी और नैनीतालकी म्यूनिसिपलटियों को छोड़के, सब म्यूनिसिपलटियों के लिये, एक्टकी दफा १७ की उप दफा (२), और (३), के लिये तारीख, ३० सितम्बर नियतकी गई है।

बिना बटे हुये (मुश्तरका) हिन्दू खानदानों को, और कानपुर म्यूनिसिपलटी में रजिस्टरी की हुई कम्पनियों को, प्रतिनिधि भेजने का अधिकार।—

२, एक्ट की दफा १८ के सम्बन्धमें, कोई बिना बटा हुआ (मुश्तरका) हिन्दू खानदान, (और कानपूर म्यूनिसिपलटी में कोई ऐसी कम्पनी जिसकी कि कम्पनियोंके एक्ट (Companies Act)के अनुसार रजिस्टरी की गई हो) यदि कोई ऐसी योग्यता रखता हो, या रखती हो (सिवाय उन योग्यताओं के जो कि एक्ट की दफा १७ (२) के ख़ाज (बी) के अंश (i) या (ii) में अंकित की गई हैं) जिसके बल पर सर्व साधारण में से कोई व्यक्ति, निर्वाचक दर्ज किये जाने का अधिकारी हो

सकता है, तो उक्त खानदान का कर्ता, (और कानपुर में कम्पनी का मैनेजर (प्रबन्ध कर्ता) या अन्य कोई शख्स जिसको कम्पनी ने मुखतार नामे के द्वारा, जायज तौर पर, इस विषयमें अधिकार दिया हो) निर्वाचक दर्जे किये जाने का अधिकारी होगा परन्तु शर्त यह होगी कि एकही शख्स अपनी निजी हैसियतसे, और प्रतिनिधि होने की हैसियतसे, अर्थात् दोनों हैसियतों से, निर्वाचक दर्ज नहीं किया जायगा।

निर्वाचकों और निर्वाचन के उम्मेदवारों का दर्ज किया जाना

दफा २९ के क्लाज (सी) के सम्बन्ध में।

३ (१) प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पूर्व जो दिसम्बर का मास पड़े, उसकी पहली तारीख पर, या उससे पूर्व, (या मसूरी और नैनीताल की म्यूनिसिपलटियों में अगस्तकी दसवीं तारीख पर) ऐसा शख्स, या ऐसे शख्स, जिनको बोर्ड प्रस्तावके द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट की मन्जूरी से, इस कामके लिये नियत करे, उस नकशे के अनुसार, जो शिड्यूल न० १ में दिया गया है। निर्वाचकों की एक नामावली, या अधिक नामा वलिया, तैयार करेंगे, जिसमें उन लोगों के नाम दर्ज होंगे, जिनको निर्वाचक दर्ज किये जाने का अधिकार प्राप्त है, और उस पर अपने हस्ताक्षर करके, उसको बोर्ड के एक्जिक्युटिव अफसर (Executive Officer) अथवा सेक्रेटरी, के हवाले कर देंगे।

(२) निर्वाचकों के नाम, नामावली या नामावलियोंमें, वर्णके क्रमानुसार (Alphabetical Order) चढ़ाये जायेंगे, और उस पर गिनती के नम्बर डाले जायेंगे।

४ (१) निर्वाचकों की नामावली के तैयार करने में निम्न-लिखित कायदे से कार्य्य किया जायगा —

१ प्रत्येक म्यूनिसिपलटीमें एक्जिक्युटिव अफसर,(Executive Officer)या सेक्रेटरी उन शख्सों की सूची रखेगा, जो किसी विश्वविद्यालय (University) के ग्रेज्युएट (Graduate) हों। और —

म्यूनिसिपलटी के निवासी हों, और उसमें प्रत्येक ऐसे ग्रेज्युएट का नाम दर्ज करेगा,जो इस विषय में दरख्वास्त करे, और अपना नाम दर्ज किये जाने के अधिकार को साबित करदे।

२ प्रत्येक म्यूनिसिपलटी में एक्जिक्युटिव अफसर, या सेक्रेटरी, असेसमेंट रजिस्टर (Assessment rgister) (यदि कोई हो) से,जो कि म्यूनिसिपल आफिस में तैयार किये जाते हैं,एक सूची उन शख्सोंकी (यदि कोई हों)बनावेगा,जिनको कि निर्वाचकोंमें नाम लिखानेका अधिकार इस कारण प्राप्तहो कि वह म्यूनिसिपल्टी को एक निर्दिष्ट रकम कर की देते हैं और प्रत्येक बाकीदार के नाम के सामने वह बाकी दर्ज कर देगा जो, सूची की तैयारी के समय, उस शख्सके जिम्मे चाहिये हो।

३ उन म्यूनिसिपलटियोंमें जिनके निवासियों को,इनकम टैक्स(Income-tax)देने के कारण,नाम दर्ज करानेका अधिकार प्राप्तहो एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी जिले के कलक्टर से, उन शख्सोंकी सूची प्राप्त करेगा, जिनका कि नाम इनकम

म्यूनिसिपल निर्वाचनके नियम

परिभाषा

सिवाय ऐसे स्थानके, जहां विषय अथवा प्रसंगकी दृष्टिसे, यह अर्थ अयुक्त, या अनुचित, हो इन नियमों में:—

(ए) "सरकार" का अर्थ "प्रान्तीय सरकार" होगा।

(बी) "जमानत" (Security) शब्दमें शामिल होंगे, नकद रुपया, सरकारी कागज, (नोट आदि) या अन्य स्टॉक, (Stock) और कोई दस्तावेज, जिसमें जायदाद आड़ (बन्धक या बार) हो।

(सी) "एक्ट" का अर्थ संयुक्त प्रान्तीय म्यूनिसिपलटीज एक्ट नं० २, सन १९१६ ई० होगा।

(डी) "मुखतार नामा" (Power of Ottorney) का अर्थ होगा, कोई ऐसा मुखतार नामा जिसकी व्याख्या इण्डियन स्टाम्प एक्ट १८९९ (Indian Stamp Act 1899) में दी गई है।

नोट—इण्डियन स्टाम्प एक्ट, न० २ सन १८९९, की दफा २ के न० २१ में, 'मुखतार नामा" (Power of Ottorney) की व्याख्या इस प्रकार दी गई है "मुखतार नामामें शामिल होगा कोई दस्तावेज (Instrument) जिस पर कोर्टफीस (रसूम अदालत) के उस कानूनके अनुसार, जो उस समय प्रचलित हो, कोई कोर्टफीस न देना पड़ती हो, और जिसके द्वारा किसी एक विशेष शख्सको यह अधिकार दिया जाय कि, मुखतार नामा देने वाले के लिये, और उसकी ओर से, वह शख्स काम करे।

निर्वाचकों की योग्यता निर्णय करने की तारीख

१ मसूरी और नैनीतालकी म्यूनिसिपल्टियों को छोड़के, सब म्यूनिसिपल्टियों के लिये, एक्टकी दफा १४ की उप दफा (२), और (३), के लिये तारीख, ३० सितम्बर नियतकी गई है।

बिना बटे हुये (मुश्तरका) हिन्दू खानदानों को, और कानपूर म्यूनिसिपल्टी में रजिस्टरी की हुई कम्पनियों को, प्रतिनिधि भेजने का अधिकार।—

२ एक्ट की दफा १८ के सम्बन्धमें, कोई बिना बटा हुआ (मुश्तरका) हिन्दू खानदान, (और कानपूर म्यूनिसिपल्टी में कोई ऐसी कम्पनी जिसकी कि कम्पनियोंके एक्ट (Companies Act)के अनुसार रजिस्टरी की गई हो) यदि कोई ऐसी योग्यता रखता हो, या रखती हो (सिवाय उन योग्यताओं के जो कि एक्ट की दफा १४ (२) के क्लाज (बी) के अंश (I) या (II) में अंकित की गई हैं) जिसके बल पर सर्व साधारण में से कोई व्यक्ति, निर्वाचक दर्ज किये जाने का अधिकारी हो

शख्सों के हवाले, कर दी जायेंगी जो कि उनकी सहायता से, एक्ट के हुक्मों के अनुसार, और इस नियम के बाद वाले नियम के अनुसार, निर्वाचकों की नामावली या नामावलिया तैयार करेंगे, और उन हालतों में जब कि निर्वाचकों की नामावली और सूची में कोई भेद हो, तो उन कारणों को दर्ज कर देंगे जिनकी वजह से वह भेद हो।

६ (१) निर्वाचकों की नामावली में किसी शख्स का नाम एक से अधिक बेर दर्ज नहीं किया जायगा, चाहे वह उन योग्यताओं में से, जो इस एक्ट के द्वारा, या इस एक्ट के अनुसार, नियत की गई हों, एक से अधिक, योग्यता रखता हो।

(२) किसी शख्स का नाम किसी हल्के (Ward) के निर्वाचकों की नामावली में दर्ज नहीं किया जायगा, जब तक कि वह या तो उस वार्ड (Ward) में स्वय रहता हो, या उस वार्ड में कोई जायदाद का कर उसके जिम्मे लगा हो।

(३) कोई शख्स जिसको कि किसी वार्ड की नामावली में नाम दर्ज कराने का अधिकार हो, और वह म्यूनिसिपल्टी के भीतर रहता हो तो, उसका नाम उस वार्ड की नामावली में दर्ज किया जायगा, जिसमें कि वह रहता हो, अन्य किसी वार्ड की नामावली में नहीं।

(४) कोई शख्स जो कि म्यूनिसिपल्टी के भीतर रहता न हो जिसको अपना नाम दर्ज कराने का इस कारण अधिकार हो कि, उस पर एक से अधिक हल्के में जायदाद का कोई ऐसा कर बँधा है जिसके द्वारा निर्वाचक होने की योग्यता उसको प्राप्त है, तो उस शख्स का नाम उस हल्के की नामावली में दर्ज किया जायगा जिसमें उस पर सब हल्कों से अधिक कर बँधा हो।

७ प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पूर्व, नई सूचियाँ और निर्वाचकों की नामावलिया तैयार करना आवश्यक न होगा, वरन वही नामावलिया और सूचिया जो उस समय प्रचलित हों यदि ऐसा करने में अधिक सुविधा हो, दोहरा ली जायें, और ऐसे परिवर्तनों के बाद, जो कि किसी विशेष दशाओं में आवश्यक हों,स्वीकार करली जावें।

८ (१) निर्वाचकों की नामावली, या नामावलियों की उर्दू और नागरी भाषाओं में प्रतियाँ जो कि उपरोक्त नियमों के अनुसार तैयार की गई हों, म्यूनिसिपल दफ्तर में, तथा अन्य ऐसे स्थानों में, जिनको बोर्ड, रेजोल्यूशन के द्वारा, समय २ पर नियत करे टाग दी जायेंगी और दिसम्बर के अन्तिम सात दिन तथा जनवरी के पहले सात दिन तक टगी रखी जायेंगी (या मसूरी और नैनीताल की म्यूनिसिपलटियों में अगस्त के पिछले चौदह दिन टगी रखी जायेंगी) यदि म्यूनिसिपल्टी हल्कों में विभाजित हो, तो निर्वाचकों की नामावली की उपरोक्त प्रतियों के अतिरिक्त प्रत्येक वोर्ड के निर्वाचकों की नामावली की एक प्रति उस वार्ड में, उपरोक्त विधि के अनुसार, वार्डके किसी विशेष और प्रत्यक्ष स्थान (Conspicuous place) या स्थानों में टांगी जायेंगी। उन म्यूनिसिपल्टियों में जिनके नाम सरकार निश्चय कर देगी, उसी प्रकार से निर्वाचकों की नामावली की या नामावलियों की प्रतिया, अंग्रेजी में भी टागी जायेंगी और यह नामावलिया या तो सारी म्यूनिसिपल्टी की होंगी, या उसके कुछ वार्डों की होंगी, जैसा कि, प्रत्येक दशा के लिये सरकार नियत कर दे।

टैक्स देने वालों के रजिस्टर में चढ़ा हो।।

४ इन म्यूनिसिपलटियों में जिनके निवासियों को अपना नाम दर्ज कराने का इस कारण अधिकार हो, कि वह,अपने निजी हक़ से किसी ऐसी आराजी के मालिक हैं जिस पर कि मालगुजारीकी एक निर्दिष्ट रकम यह या तो अदा करते हैं, या जिस पर ऐसी निर्दिष्ट रकम नाम मात्र को (Nominally) बंधी है।। या इस कारण कि काश्तकार साक़ित-उल मिल्कियत (Ex-proprietory-tenant)या काश्तकार दख़ीलकार (Occupancy tenant)की हैसियतसे उनके कब्जेमें कोई ऐसी आराजी है, जिसपर एक निर्दिष्ट रकम लगानकी बंधी है,तो एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी जिलाके कलक्टर से ऐसे शख्सोंकी एक सूची प्राप्त करेगा।

५ उन म्यूनिसिपलटियों में जिनके निवासियों को अपना नाम दर्ज कराने का इस कारण अधिकार प्राप्त हो,कि यह एक निर्दिष्ट वार्षिक मूल्य के किसी मकान या इमारत के मालिक हैं या उस पर उनका कब्जा है, तो इन कारणों से अधिकार रखने वालों की सूची, एक्जिक्युटिव अफसर, या सेक्रेटरी, की निगरानी में, ऐसे कर के असेसमेण्ट रजिस्टर से, (यदि इमारतों के वार्षिक मूल्य पर कोई कर लगाया गया हो), तैयार की जावेगी, जिस म्यूनिसिपलटी में ऐसा कोई कर नहीं लगा है, उसमें ऐसे मकानों और इमारतों की एक सूची जिनका वार्षिक मूल्य (Annual), एक नियत की हुई कम से कम रकम (Minimum) से कम न कूता गया हो,और जो सूची कि बोर्ड द्वारा मंजूरकी गई हो म्यूनिसिपल्टी के दफ्तर में रखी जायेगी, और बोर्ड इस सूची का समय २ पर संशोधन करता रहेगा।.यह संशोधन चाहे उस सूचना के आधार पर हों, जो,इमारतों के बनाने की इजाजत की दरख्वास्तों के द्वारा बोर्ड को प्राप्त हों, या अन्य किसी प्रकार से।

६ जिन म्यूनिसिपलटियों के निवासियोंका अपना नाम दर्ज करानेको अधिकार इस कारण हो कि उनकी एक निर्दिष्ट वार्षिक आमदनी है,एक्जिक्युटिव अफसर, या सेक्रेटरी, कलक्टर से,या अन्य सरकारी अफसरों से,उन शख्सों की सूचियां प्राप्त करेगा,जो कि सरकारी नौकरी में है,और कारखानों तथा मजदूरोंको नौकर रखने वालों स उन लोगोंकी जो कि उन,और जिनकी कि,नियमित कम से कम रकम से, कम आमदनी न हो।

(२) क्लाज (१) के अनुसार जो सूची बनाई जायगी उसमें, बिना बटे हुए हिन्दू खानदानों के ऐसे कर्ताओं के भी नाम दर्ज होंगे, जिनको कि उसमें नाम दर्ज कराने का, नियम (२) के द्वारा, अधिकार प्राप्त है।

(३) जहां कहीं कोई सूची किसी ऐसे रजिस्टर से तैयार की गई है, जो कि म्यूनिसिपल दफ्तर में रखा जाता हो तो हर एक इन्दराज में, उस रजिस्टर की उस मद का हवाला दिया जायगा, जिस पर कि उस इन्दराज का आधार है, और यह एक, या अधिक शख्स जो नियम (३) के द्वारा नियत किये गये हों, इस सूची का उस रजिस्टर से मिलान करेंगे, जिससे वह तैयार की गई हो।

५ नियम (४) में बताई हुई सूचियां नियम (३) के द्वारा नियत किये हुए, शख्स, या

किसी ऐसे स्थान में, जिसको कमेटी के सभापति ने नियत्त किया हो, ऐसे दावों और उज़ों को सुनेगी, और खुली बैठक में उन पर हुक्म सुनायेगी उस समय और उस स्थान की, जब और जहा यह अर्जियां सुनी जायेंगी, सूचना नोटिसके द्वारा एक्जिक्युटिव अफसर, या सेक्रेटरी, प्रत्येक ऐसे शख्स को जिसने दावा किया हो, या उज़ किया हो, या ऐसे शख्स को, जिसके विरुद्ध उज़ किया गया हो, खुली बैठक से पूरे ३ दिन पहले दे देगा, और उक्त समय और स्थान का, नोटिस, उन स्थानों में भी प्रकाशित किया जायगा, जो निर्वाचकों की नामावली प्रकाशित करने के लिये नियम न० ८ के द्वारा नियमित किये गये हों।

(२) कोई शख्स, जो कि नियम न० ३ (१) के अनुसार, नामावली तैयार करने को नियुक्त किया गया है, उप नियम (१) के अनुसार बनी हुई कमेटी, का मेम्बर नियुक्त नहीं किया जायगा।

(३) यदि उप नियम (१) के अनुसार बनी हुई किसी कमेटी का कोई मेम्बर, काम करने से इन्कार करे, या कमेटी म काम करने से असमर्थ होजाय, तो वह अधिकारी जिसने कि ऐसे मेम्बर को नियुक्त किया था, यदि वह आवश्यक समझे, उसके बदले दूसरे शख्सको नियुक्त करके, उस खाली जगहको भरदे सकता है।

११ यदि अन्तिम दिन की बैठक समाप्त होने से पूर्व किसी समय पर पुनरावलोकन कमेटी को यह विदित हो कि निर्वाचकों की किसी नामावली में उन नामों के अतिरिक्त जिनके सम्बन्ध में दावे किये गये हैं कुछ और नाम चढानेसे रह गये हैं, या यह विदिति हो, कि किसी नामावलीमें उन इन्दराजों के अतिरिक्त जिनके विषय में उज्र किये गये हैं, कोई ऐसे इन्दराज हुए हैं जिनको निकाल देना चाहिये, या सुधार देना चाहिये, तो उसको अधिकार होगा, कि जिन शख्सों पर इसका असर पडता हो, उनको ऐसी नोटिस देकर जो उसकी राय में उचित हो, और ऐसी जाच के बाद जो वह काफी समझे, आज्ञा दे कि यह छूटे हुये नाम भर दिये जायें, या वह इन्दराज निकाल दिये जायें, या सुधार दिये जायें।

१२ हर एक दावा या उज़ जिस का नोटिस दिया गया हो, और हर एक भूल, अथवा अयुक्त इन्दराज जिसका पता स्वयं कमेटी को चला हो, के सम्बन्ध म पुनरावलोकन कमेटी (Revising authority) की कारवाईयां लेख बद्ध करली जायेंगी और कमेटी की अंतिम बैठक के बाद, सात दिन के भीतर, जिला मजिस्ट्रेट की सेवा में भेज दी जायेंगी।

१३ (१) उन संशोधनों के आधीन जो पुनरावलोकन कमेटीकी अंतिम बैठकके बाद, एक मासके भीतर, जिला मजिस्ट्रेट निर्वाचकोंकी किसी नामावली में किये जाने का हुक्मदे —

(ए) उस कमेटी के दिये हुए हुक्म अंतिम होंगे।

(बी) निर्वाचकोंकी नामावलीका संशोधन उन हुक्मोंके अनुसारकर दिया जायगा। और

(सी) इस प्रकार शुद्ध की हुई नामावली में, जब तक कि वह प्रचलित रहेगी, कोई परिवर्तन न किया जायगा।

(२) जिन संशोधनों का हुक्म जिला मजिस्ट्रेट दे, उसकी सूचना, उस को चाहिये, कि एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी को [illegible] दी तुरन्त—

निर्वाचकों की प्रत्येक नामावली के संग निम्न लिखित सूचियां लगा दी जायेंगी —

१ एक सूची जिसमें वह सब नाम दिये हों जो कि पिछली नामावली में बढ़ाये गये हों।

२ एक सूची जिसमें वह सब नाम दिये हों जो कि पिछली नामावली में से निकाल दिये गये हों।

(२) सारी म्यूनिसिपल्टी में विज्ञापन लगा के और वार्डों में (यदि कोई वार्ड हों) मनादी के द्वारा, घोषणा भी कर दी जायगी, कि निर्वाचकों की नामावली या नामावलियां तैयार हो गई है और उनकी प्रतियां म्यूनिसिपल्टी के दफ्तर में और अन्य नियत किये हुए स्थानों में जाची जा सकती हैं।

९ (१) किसी शख्स को जिसका नाम निर्वाचकों की नामावली, या नामावलियों में, चढ़ाया न गया हो, और जिसका यह दावा हो, कि उसको अपना नाम उनमें चढ़वाने का अधिकार है, या किसी शख्स को जिसका नाम नामावली में चढ़ा हो, और जो किसी अन्य शख्स के नामकी नामावली में सम्मिलित किये जाने में उज़् करता हो, अधिकार होगा, कि वह सात जनवरी को या उससे पूर्व, (या मसूरी और नैनीताल की म्यूनिसिपल्टियों में ३१ अगस्त को या उससे पूर्व) अपने दावे, या उज्र का, एग्जिक्युटिव अफसर, या सेक्रेटरी को, लिखा हुआ नोटिस दे (नोटिसमें उन योग्यताओं का वर्णन होना चाहिये, जिन पर ऐसे दावे का आधार हो, या उन कारणों का जिनसे कि उज़् किया जाता हो) और ऐसे दावे, या उज़्, इस प्रकारसे प्रकाशित कर दिये जायेंगे, कि दावेदारों की, और उन लोगों की, जिनके विरुद्ध उज़् किये गये हों, सूची बना कर उस वार्ड में, जिसके वह दावे या उज़् हों, लगाई जायगी, या यदि वार्ड न हों, तो म्यूनिसिपल्टी भरमें विशेष और प्रत्यक्ष स्थानों में, और म्यूनिसिपल दफ्तरमें, लगा दी जायगी, और इस प्रकार लगाई हुई सूची, १० से १५ जनवरी तक लगी रहने दीजायेंगी (या मसूरी और नैनीतालकी म्यूनिसिपलटियों में २ से ७ सितम्बर तक लगी रहने दी जायगी)।

(२) यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक शख्स एक प्रथक् अर्जी के द्वारा ऐसा दावा, या उज़्, करे, और या तो अर्जी को दावेदार स्वयं जाकर पेश करे, या किसी शख्स के द्वारा पेश कराये, जिसको कि उसने, कानूनके अनुसार, मुखतारनामे के द्वारा, इस विषय में अधिकार दिया हो।

नोट:—इण्डियन स्टाम्प एक्ट (Indian Stamp Act) के हुक्मों के अनुसार मुखतारनामे पर एक रुपयेका स्टाम्प लगाना चाहिये, और हर दावेदार को प्रथक् २ स्टाम्प लगी हुई मुखतारनामे की दस्तावेज पेश करनी पड़ेगी, चाहे कई दावेदार एकही शख्सको अपना एजेंट नियत करें।

१० (१) एक कमेटी या कमेटियां (जिनको आगे "पुनरावलोकन कमेटी" Revising authority का नाम दिया जायगा) और जिसमें, बोर्डके रेजोल्यूशन द्वारा नियत किये हुये, बोर्ड के दो मेम्बर होंगे, और जिसका सभापति, ज़िला मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई सरकारी अफसर होगा, १ और १६ सितम्बर के बीचमें, ऐसे समय पर, और म्यूनिसिपल्टी के भीतर

किसी ऐसे स्थान में, जिसको कमेटी के सभापति ने नियत किया हो, ऐसे दावों और उज़्रों को सुनेगी, और खुली बैठक में उन पर हुक्म सुनायेगी उस समय और उस स्थान की, जब और जहां यह अर्जियां सुनी जायेंगी, सूचना नोटिसके द्वारा एक्जिक्युटिव अफसर, या सेक्रेटरी, प्रत्येक ऐसे शख्स को जिसने दावा किया हो, या उज़्र किया हो, या ऐसे शख्स को, जिसके विरुद्ध उज़्र किया गया हो, खुली बैठक से पूरे ३ दिन पहले दे देगा, और उक्त समय और स्थान का नोटिस, उन स्थानों में भी प्रकाशित किया जायगा, जो निर्वाचकों की नामावली प्रकाशित करने के लिये नियम न० ८ के द्वारा नियमित किये गये हों।

(२) कोई शख्स, जो कि नियम न० ३ (१) के अनुसार, नामावली तैयार करने को नियुक्त किया गया है, उप नियम (१) के अनुसार बनी हुई कमेटी, का मेम्बर नियुक्त नहीं किया जायगा।

(३) यदि उप नियम (१) के अनुसार बनी हुइ किसी कमेटी का कोई मेम्बर, काम करने से इन्कार करे, या कमेटी म काम करने म असमर्थ होजाय, तो वह अधिकारी जिसने कि ऐसे मेम्बर को नियुक्त किया था, यदि वह आवश्यक समझे, उसके बदले दूसरे शख्सको नियुक्त करके, उस खाली जगहको भरदे सकता है।

११ यदि अन्तिम दिन की बैठक समाप्त होने से पूर्व किसी समय पर पुनरावलोकन कमेटी को यह विदित हो कि निर्वाचकों की किसी नामावली में उन नामों के अतिरिक्त जिनके सम्बन्ध में दावे किये गये हैं कुछ और नाम चढ़ानेसे रह गये हैं, या यह विदित हो, कि किसी नामावलीमें उन इन्दराजों के अतिरिक्त जिनके विषय में उज़्र किये गये हैं, कोई ऐसे इन्दराज हुऐ हैं जिनको निकाल देना चाहिये, या सुधार देना चाहिये, तो उसको अधिकार होगा, कि जिन शख्सों पर इसका असर पड़ता हो, उनको ऐसी नोटिस देकर जो उसकी राय में उचित हो, और ऐसी जांच के बाद जो वह काफी समझे, आज्ञा दे कि वह छूटे हुये नाम भर दिये जायें, या वह इन्दराज निकाल दिये जायें, या सुधार दिये जायें।

१२ हर एक दावा या उज़्र जिस का नोटिस दिया गया हो, और हर एक भूल, अथवा अयुक्त इन्दराज जिसका पता स्वयं कमेटी को चला हो, के सम्बन्ध में पुनरावलोकन कमेटी (Revising authority) की कारवाईयां लेख बद्ध करली जायेंगी और कमेटी की अंतिम बैठक के बाद, सात दिन के भीतर, जिला मजिस्ट्रेट की सेवा में भेज दी जायेंगी।

१३ (१) उन संशोधनों के आधीनजो पुनरावलोकन कमेटीकी अंतिम बैठकके बाद,एक मासके भीतर, जिला मजिस्ट्रेट निर्वाचकोंकी किसी नामावली में किये जाने का हुक्मदे —

(ए) उस कमेटी के दिये हुए हुक्म अंतिम होंगे।

(बी) निर्वाचकोंकी नामावलीका संशोधन उन हुक्मोंकेअनुसारकर दिया जायगा। और

(सी) इस प्रकार शुद्ध की हुई नामावली में, जब तक कि वह प्रचलित रहेगी, कोई परिवर्तन न किया जायगा।

(२) जिन संशोधनों का हुक्म जिला मजिस्ट्रेट दे, उनकी सूचना, उस को चाहिये, कि एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी को देदे, और वह सूचना पाते ही तुरन्त—

(ए) निर्वाचकों की नामावली में, और उसकी प्रति या प्रतियों में जो कि नियम ८, के अनुसार टागी गई हों, ऐसे सुधार कर देगा जिनका कि हुक्म दिया गया हो।

(बी) निर्वाचकों की नामावली में, और उसकी प्रति में, तस्दीक कर देगा कि सुधार जिला मजिस्ट्रेट के हुक्म से किया गया है, और उस तस्दीक पर अपने हस्ताक्षर कर देगा।

(सी) जिस शख्स पर उसका असर पड़ता हो उसको सूचना देगा कि सुधार कर दिया गया है।

१४ निर्वाचकों की नामावलिया सातवीं फरवरी तक तैयार करली जायँगी (या मसूरी और नैनीताल की म्यूनिसिपलटियों में २१ सितम्बर तक) और फरवरी की दसवीं तारीख से प्रचलित हो जायँगी, (या मसूरी और नैनीताल की म्यूनिसिपलटियों में २५ सितम्बर से) और उन सुधारों के आधीन जो उनमें नियम न० १३ के अनुसार किये जायँ, उस फरवरी मास की दसवीं तारीख तक, जो कि म्यूनिसिपलटी, या किसी समुदाय (Class) या हलका (Ward) के आगामी साधारण निर्वाचन के पहले पड़े, प्रचलित रहेंगी (या मसूरी और नैनीताल की म्यूनिसिपलटियों में २५ सितम्बर तक)।

१५ (१) वह शख्स, या एक से अधिक शख्स, जो निर्वाचकों की नामावली तैयार करने के लिये नियुक्त किये गये हों, जब उक्त नामावली को तैयार करेंगे, तो एक सूची ऐसे शख्सों की भी बनायेंगे, जो निर्वाचकों में दर्ज किये गये हों, और जो बोर्ड के मेम्बर चुने जाने की योग्यता रखते हों, और वह ऐसी सूची पर अपने हस्ताक्षर करेंगे, और उसको एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी के हवाले कर देंगे। और नियम न० १ से नियत न० १४ तक के हुक्म, जो निर्वाचकों का नामावली के विषय में बनाये गये हैं, जहा तक हो सके, इस नियम के अनुसार बनाई हुई सूची पर भी लागू होंगे।। यदि म्यूनिसिपल्टी हलकों (Wards) समुदायों में बाट दी गई हो, तो एक एक सूची प्रत्येक हलके या समुदाय के लिये तैयार की जायगी।

(२) जब ये सूचिया दोहरा ली जायें, तब एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी, एक पूरी सूची (जो आगे उम्मेदवारों की सूची या नामावली कहलायगी) उन सब शख्सों की, जिनके कि नाम उन सूचियों में सम्मिलित हों, वर्ण क्रम के अनुसार तैयार करेगा।

(३) सिवाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्म से और पुनरावलोकन कमेटी की बैठक के अन्तिम दिन से एक मास के भीतर, जब सूचियों में जब कि पुनरावलोकन कमेटी के द्वारा वह दोहरा ली जायें, कोई नाम न बढ़ाया, जायगा न निकाला जायगा। न उम्मेदवारोंकी सूचीमें कोई नाम बढाया जायगा, न उससे निकाला जायगा जब तक कि वह प्रचलित रहेगी।

नोट—देखिये नोट नियम न० १७ के नीचे।

१६ निर्वाचकों की नामावली या नामावलिया, जो कि नियम न० १ से १४ तकके अनुसार बनाई और दोहराई गई हों, और उम्मेदवारों की सूची जो नियम न० १५ के अनुसार बनाई गई हो,

यह उस दिन या उस दिनसे पूर्व,जिससे कि यह नामावली या नामावलियां, और वह सूची,प्रचलित हों, म्युनिसिपल्टीके दफ्तरमें टांगदी जायेंगी, और जबतक कि यह नामावली,या नामावलियां,या सूची प्रचलित रहें, तब तक टंगी रहने दी जायेंगी। म्युनिसिपल्टी के निवासियों के मोल लेने के लिये, उनकी प्रतियां भी ऐसे उचित मूल्य पर जो कि बोर्ड का चेयरमैन नियत करे, तैयार रखी जायेंगी।

नोट—देखिये नोट नियम नं० १७ के नीचे।

१७ यदि निर्वाचकों की नामावली, या उम्मेदवारों की सूची, ठीक समय पर तैयार न हो सके, तो वही निर्वाचकों की नामावली, या उम्मेदवारों की सूची, जो ऐसी तैयारी के समयसे पूर्व प्रचलित थी, उस समय तक प्रचलित रहेगी जब तक कि नई निर्वाचकों की नामावली या उम्मेदवारों की सूची तैयार हो न जाय।

नोट—एमेन्डमेंट एक्ट नं० १, सन १९२२ के द्वारा एक्टकी दफा १६ बदलदी गई है। नई दफा १६ के अनुसार म्युनिसिपल्टी के जितने निर्वाचक होते हैं वह सब मेम्बरी की उम्मेदवारी के योग्य समझे जाते हैं। मेम्बरी की उम्मेदवारी के लिये कोई विशेष योग्यतायें नहीं रखी गई हैं। इस लिये उम्मेदवारों की सूची (जिसका उल्लेख उपरोक्त नियम नं० १५, १६ और १७ में हुआ है) की तैयारी की अब केवल इतनी ही आवश्यकता रह गई है कि निर्वाचकों की नामावली में से उन लोगों के नाम निकाल दिये जायें जो दफा १६ की उप दफा (२) के अनुसार मेम्बरी के अयोग्य हों।

निर्वाचन के लिये समय और स्थान

दफा २९ के क्लाज (ई) के सम्बन्ध में।

१८ (१) साधारण निर्वाचन का समय पहली और बीसवीं मार्च के बीचमें, (या मसूरी और नैनीताल की म्युनिसिपल्टियों के लिये पचीस और तीस सितम्बर के बीच में) कोई ऐसा दिन होगा, जो कि बोर्ड जनवरी या फरवरी की किसी मीटिंग (या मसूरी और नैनीताल की म्युनिसिपलटियों में अगस्त की किसी मीटिंग Meeting) में निश्चय कर देगा।

(२) जब किसी बोर्ड में नीचे लिखे कारणों से कोई जगह खाली हो, अर्थात् —

(ए) किसी निर्वाचित मेम्बर की मृत्यु, इस्तीफा, या हटाये जाने के कारण, या यह निश्चय कर दिये जाने के कारण, कि किसी मेम्बर की जगह आगामी साधारण निर्वाचन तक खाली रखी जावे, या

(बी) किसी बोर्डके निर्वाचित मेम्बरों की संख्या में, एक्ट की दफा ९ या १० के अनुसार, वृद्धि करदी जाने के कारण, या

(सी) किसी निर्वाचित मेम्बर के, एक्टकी दफा ३८ (४) के अनुसार, पद की अवधि समाप्त हो जाने से—तो, सिवाय उस हालतके जबकि उपरोक्त क्लाज (ए) में वर्णन की हुई दशा हो, और बोर्ड, दफा १३ के अनुसार, हुक्म देदे कि आगामी साधारण निर्वाचन तक पद खाली रखा जाय, वह खाली जगह, दूसरे निर्वाचन के द्वारा, जो कि जगह खाली होने से एक मासके भीतर, बोर्ड के प्रस्तावके द्वारा नियत की हुई तारीख पर किया जावेगा, भरदी जावेगी।

१९ बोर्ड उक्त मीटिंगमें निश्चय करेगा, कि किस समय पर, और कितने घंटों तक, और किस

(ए) निर्वाचकों की नामावली में, और उसकी प्रति या प्रतियों में जो कि नियम ८, के अनुसार टांगी गई हों, ऐसे सुधार कर देगा जिनका कि हुक्म दिया गया हो।

(बी) निर्वाचकों की नामावली में, और उसकी प्रति में, तस्दीक कर देगा कि सुधार जिला मजिस्ट्रेट के हुक्म से किया गया है, और उस तस्दीक पर अपने हस्ताक्षर कर देगा।

(सी) जिस शख्स पर उसका असर पड़ता हो उसको सूचना देगा कि सुधार कर दिया गया है।

१४ निर्वाचकों की नामावलियां सातवीं फरवरी तक तैयार करली जायेंगी (या मसूरी और नैनीताल की म्यूनिसिपलटियों में २१ सितम्बर तक) और फरवरी की दसवीं तारीख से प्रचलित हो जायेंगी, (या मसूरी और नैनीताल की म्यूनिसिपलटियों में २५ सितम्बर से) और उन सुधारों के आधीन जो उनमें नियम न० १३ के अनुसार किये जायं, उस फरवरी मास की दसवीं तारीख तक, जो कि म्यूनिसिपल्टी, या किसी समुदाय (Class) या हलका (Ward) के आगामी साधारण निर्वाचन के पहले पड़े, प्रचलित रहेंगी (या मसूरी और नैनीताल की म्यूनिसिपलटियों में २५ सितम्बर तक)।

१५ (१) वह शख्स, या एक से अधिक शख्स, जो निर्वाचकों की नामावली तैयार करने के लिये नियुक्त किये गये हों, जब उक्त नामावली को तैयार करेंगे, तो एक सूची ऐसे शख्सों की भी बनायेंगे, जो निर्वाचकों में दर्ज किये गये हों, और जो बोर्ड के मेम्बर चुने जाने की योग्यता रखते हों, और वह ऐसी सूची पर अपने हस्ताक्षर करेंगे, और उसको एग्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी के हवाले कर देंगे। और नियम न० १ से नियम नं० १४ तक के हुक्म, जो निर्वाचकों की नामावली के विषय में बनाये गये हैं, जहां तक हो सके, इस नियम के अनुसार बनाई हुई सूची पर भी लागू होंगे। । यदि म्यूनिसिपल्टी हलकों (Wards) समुदायों में बांट दी गई हो, तो एक एक सूची प्रत्येक हलके या समुदाय के लिये तैयार की जायगी।

(२) जब ये सूचियां दोहरा ली जायें, तब एग्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी, एक पूरी सूची (जो आगे उम्मेदवारों की सूची या नामावली कहलायगी) उन सब शख्सों की, जिनके कि नाम उन सूचियों में सम्मिलित हों, वर्ण क्रम के अनुसार तैयार करेगा।

(३) सिवाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्म से और पुनरावलोकन कमेटी की बैठक के अन्तिम दिन से एक मास के भीतर, उक्त सूचियों में जब कि पुनरावलोकन कमेटी के द्वारा वह दोहरा ली जायें, कोई नाम न बढ़ाया, जायगा न निकाला जायगा । न उम्मेदवारोंकी सूचीमें कोई नाम बढ़ाया जायगा, न उससे निकाला जायगा जब तक कि वह प्रचलित रहेगी।

नोट—देखिये नोट नियम न० १७ के नीचे।

१६ निर्वाचकों की नामावली या नामावलियां, जो कि नियम न० १ से १४ तकके अनुसार बनाई और दोहराई गई हों, और उम्मेदवारों की सूची जो नियम न० १५ के अनुसार बनाई गई हो,

२५ नामजदगी का फारम उस नकशे के अनुसार होगा, जो कि शिड्यूल न० २ में दिया गया है।

२६ प्रत्येक नामजदगी के फारम को उम्मेदवार, या उसका प्रस्तावक, या अनुमोदक, नामजदगी के फारम लिये जाने के अंतिम दिन तक, शाम के चार बजे से पूर्व, म्यूनिसिपल्टी के दफतर में, एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी को, देगा, और वह उसके पाने पर उस पर गिन्ती का नम्बर डाल देगा।

नोट—किसी नामजदगी के फारम के दिये जाने से २४ घण्टे के भीतर एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी को चाहिये कि उस फारम की जाच यह देखने के लिये करे, कि वह नियम न० २१ से २५ तक के अनुसार है या नहीं। और यदि वह फारम उन नियमों के अनुसार न हो, तो नामजद किये हुये शख्स को नोटिस देके, या अन्य प्रकार, उन बातों की सूचना दे, जिनमें कि वह फारम, उसकी राय में, उक्त नियमों के अनुसार न हो। किन्तु ऐसी सूचना न देने या उस सूचना में कोई अशुद्धता या गल्ती होने से, कारवाईयों के जायज होने पर कोई प्रभाव न पड़ेगा।

२७ (१) नामजदगीका फारम दिये जाने के बाद, जितनी जल्दी कि सम्भव हो एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी, नामजद किये हुए शख्स को नामजदगी की सूचना भेजेगा और उस शख्स का नाम उन नामजदगियों की सूची में लिख देगा, जो कि उन स्थानों में टांग दी जावेगी, जो निर्वाचन नामावली को प्रकाशित करने के विषय में नियम ८ में नियमित की गई हैं।

(२) नामजदगियों की सूची, शिड्यूल ३ में दिये हुए फारम पर होगी।

२८ जो शख्स (या एक से अधिक शख्स), कि जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी से बोर्ड के रेजोल्यूशन द्वारा, इस अभिप्राय से नियत किया जाय (जिसको आगे "नामजद करने वाला अफसर" का नाम दिया गया है) नामजदगी के फारम दिये जाने की मियाद समाप्त हो जाने के बाद, दूसरे दिन, म्यूनिसिपल दफ्तर में दोपहर के ११ बजे, और तीसरे पहर के २ बजे दिन के बीच में, काफी समय तक, उपस्थित रह कर, नामजदगी के फारमों का जायज होना, या न होना, निर्णय करेगा। नामजदगी का फारम केवल एक ही कारण से नाजायज ठहराया जा सकेगा अर्थात् यह कि उसमें नियम न० २१ से नियम न० २६ तक में बताये हुए हुक्मों में से किसी हुक्म का, अनुसरण नहीं किया गया है।

२९ प्रत्येक उम्मेदवार, और उसके प्रस्तावक (Proposer) और अनुमोदक (Seconder) को, (परन्तु अन्य किसी शख्स को नहीं) अधिकार होगा, कि नामजद करने वाले अफसर की कारवाई के समय उपस्थित रहे।

३० नामजद करने वाला अफसर अपना फैसला लिख के देगा, और उस दशा में जब कि वह किसी फारम को नाजायज ठहरा दे तो जिस शख्स का फारम नाजायज ठहराया गया है, यदि वह फैसला होने के तीन दिन के भीतर, अर्जी दे, तो जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार होगा कि वह उक्त फैसले की निगरानी (Revision) करे।

३१ यदि कोई नामजदगी का फारम नाजायज ठहराया जाय, तो नामजद करने वाला अफसर उस नामजदगी के फारम को, अपने फैसले के सहित, मजिस्ट्रेट के पास तुरन्त भेज देगा।

३२ यदि जिला मजिस्ट्रेट, नामजद करने वाले अफसरके किसी फैसलेको रद्द करे, तो वह अपने उस हुक्म की सूचना एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी को दे देगा।

स्थान में, (यदि वोटों के डाले जाने की आवश्यकता हो) निर्वाचकों की वोटें ली जायेंगी, और वोह यह तारीख़ निश्चय करेगा जिस तारीख़ तक कि उम्मेदवारों की नामज़दगियां की जायेंगी, परन्तु यह तारीख़ वोट डाले जाने की तारीख़से कमसे कम १२ दिन पूर्व होगी।

२० निर्वाचन से कमसे कम १५ दिन पूर्व एग्ज़िक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी, निर्वाचन का एक विज्ञापन (नोटिस) तैयार करेगा, और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, और निम्न-लिखित विषयों का विज्ञापन भी तैयार करेगा—

(ए) प्रतिनिधियों की संख्या, जो प्रत्येक वार्ड, या समुदाय की ओर से चुने जायेंगे।

(बी) तारीखें जिन पर कि नामजदगीयां की जा सकती हैं। और

(सी) किस समय, कितने घटों तक, और किस स्थान में (यदि वोटों के डाले जाने की आवश्यकता हो) प्रत्येक वार्ड या समुदाय के, निर्वाचकों के वोट लिये जायेंगे।

और एग्ज़िक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी उसी विधि से इन विज्ञापनों को प्रकाशित कर देगा, जो कि नियम नं० (८) में निर्वाचकों की नामावली प्रकाशित करने के लिये, बताई गई हैं।

उम्मेदवारों की नामजदगी

दफा २८ (डी) के सम्बन्धमे।

२१ बोर्ड की मेम्बरी के निर्वाचन के लिये प्रत्येक उम्मेदवार, लेख द्वारा, नामजद किया जायगा।

२२ ऐसे लेख पर ('जिसको कि आगे 'नामजदगी का फारम' का नाम दिया जायगा) कम से कम पांच निर्वाचकों के साफ और सुस्पष्ट (अर्थात् जो पढे जा सकें) हस्ताक्षर होंगे, जिनमें से पहले दो 'प्रस्तावक'और 'अनुमोदक''(Proposer and Seconder) माने जायगे, और उम्मेदवार के भी हस्ताक्षर, इस बात के प्रमाणमें होंगे कि वह अपनी नामजदगी कराने के लिये राजीहै। हस्ताक्षर करने वाले, ऐसे निर्वाचक होना चाहिये, जो कि उस हलके (Ward) या समुदाय(Class) (यदि कोई हों) की निर्वाचकों की नामावली में दर्ज हों, जिस हलके या समुदाय से उम्मेदवार अपना निर्वाचन चाहता हो।

२३ (१) प्रत्येक उम्मेदवार एक अलग नामजदगी के फारम के द्वारा नामजद किया जायगा, परन्तु एक ही उम्मेदवार अपनी इच्छानुसार चाहे जितने फारमों के द्वारा नामजद किया जा सकता है। और यदि कोई एक नामजदगी का फारम, नियमानुसार भर दिया गया होगा, और नियमानुसार उस पर हस्ताक्षर हो गये होंगे, तो वह काफी होगा।

(२) एक ही निर्वाचक चाहे जितने नामजदगी के फारमों पर हस्ताक्षर कर सकता है, परन्तु शर्त यह है कि उसके हस्ताक्षर किसी फारम पर निष्प्रभावो (बे असर) होंगे, जब वह उतने जायज फारमों पर हस्ताक्षर कर चुका हो, जितनी जगहें कि भरी जाने को हों।

इस उपनियम के मतलब के लिये, नामजदगी के फारमों के विषय में यह माना जायगा कि उन पर उसी क्रम से हस्ताक्षर हुए हैं, जिस क्रम से कि वे, नियम नम्बर २९ के अनुसार पेश किये जायें।

२४ कोई शख्स जिसका कि नाम उम्मेदवारों की सूची में दर्ज न हो, नामजद नहीं किया जायगा।

२५ नामजदगी का फारम उस नक्शे के अनुसार होगा, जो कि शिड्यूल नं० २ में दिया गया है।

२६ प्रत्येक नामजदगी के फारम को उम्मेदवार, या उसका प्रस्तावक, या अनुमोदक, नामजदगी के फारम लिये जाने के अंतिम दिन तक, शाम के चार बजे से पूर्व, म्यूनिसिपल्टी के दफ्तर में, एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी को, देगा, और वह उसके पाने पर उस पर गिन्ती का नम्बर डाल देगा।

नोट—किसी नामजदगी के फारम के दिये जाने से २४ घण्टे के भीतर एक्जिक्युटिव अफ़सर या सेक्रेटरी को चाहिये कि उस फारम की जांच यह देखने के लिये करे, कि वह नियम न० २१ से २५ तक के अनुसार है या नहीं। और यदि वह फारम उन नियमों के अनुसार न हो, तो नामजद किये हुये शख्स को नोटिस देके, या अन्य प्रकार, उन बातों की सूचना दे, जिनमें कि वह फारम, उसकी राय में, उक्त नियमों के अनुसार न हो। किन्तु ऐसी सूचना न देने या उस सूचना में कोई अशुद्धता या गलती होने से, कारवाईयों के जायज होने पर कोई प्रभाव न पड़ेगा।

२७ (१) नामजदगीका फारम दिये जाने के बाद, जितनी जल्दी कि सम्भव हो एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी, नामजद किये हुए शख्स को नामजदगी की सूचना भेजेगा और उस शख्स का नाम उन नामजदगियों की सूची में लिख देगा, जो कि उन स्थानों में टांग दी जायेगी, जो निर्वाचन नामावली को प्रकाशित करने के विषय में नियम ८ में नियमित की गई हैं।

(२) नामजदगियों की सूची, शिड्यूल ३ में दिये हुए फारम पर होगी।

२८ जो शख्स (या एक से अधिक शख्स), कि जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी से बोर्ड के रेजोल्यूशन द्वारा, इस अभिप्राय से नियत किया जाय (जिसको आगे "नामजद करने वाला अफसर" का नाम दिया गया है) नामजदगी के फारम दिये जाने की मियाद समाप्त हो जाने के बाद, दूसरे दिन, म्यूनिसिपल दफ्तर में दोपहर के ११ बजे, और तीसरे पहर के २ बजे दिन के बीच में, काफी समय तक, उपस्थित रह कर, नामजदगी के फारमों का जायज होना, या न होना, निर्णय करेगा। नामजदगी का फारम केवल एक ही कारण से नाजायज ठहराया जा सकेगा अर्थात् यह कि उसमें नियम न० २१ से नियम न० २६ तक में बताये हुए हुक्मों में से किसी हुक्म का, अनुसरण नहीं किया गया है।

२९ प्रत्येक उम्मेदवार, और उसके प्रस्तावक (Proposer) और अनुमोदक (Seconder) को, (परन्तु अन्य किसी शख्स को नहीं) अधिकार होगा, कि नामजद करने वाले अफसर की कारवाई के समय उपस्थित रहे।

३० नामजद करने वाला अफसर अपना फैसला लिख के देगा, और उस दशा में जब कि वह किसी फारम को नाजायज ठहरा दे तो जिस शख्स का फारम नाजायज ठहराया गया है, यदि वह फैसला होने के तीन दिन के भीतर, अर्जी दे, तो जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार होगा कि वह उक्त फैसले की निगरानी (Revision) करे।

३१ यदि कोई नामजदगी का फारम नाजायज ठहराया जाय, तो नामजद करने वाला अफसर उस नामजदगी के फारम को, अपने फैसले के सहित, मजिस्ट्रेट के पास तुरन्त भेज देगा।

३२ यदि जिला मजिस्ट्रेट, नामजद करने वाले अफसरके किसी फैसलेको रद्द करे, तो वह अपने उस हुक्म की सूचना एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी को दे देगा।

३३ (१) प्रत्येक ऐसी नामजदगी, जिसको कि नामजद करने वाले अफसर ने नाजायज न ठहरा दिया हो, जायज मानी जायगी।

(२) कोई नामजदगी जिसको कि नामजद करने वाले अफसर ने नाजायज ठहरा दिया हो, और जिसको कि जिला माजिस्ट्रेट, निगरानी करके जायज ठहरा दे केवल उस दशामें जायज मानी जायगी, जबकि माजिस्ट्रेटके उस हुक्म की सूचना एक्जिक्युटिव अफसर, या सेक्रेटरी के पास, सात दिनके भीतर पहुच जाय अन्यथा नहीं।

३४ निर्वाचनके दिनसे पाच दिन पूर्व, एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी प्रत्येक वार्ड या समुदाय के लिये (यदि कोई हों), और यदि वार्ड या समुदाय न हों, तो पूरी म्यूनिसिपलटीके लिये एक शिड्यूल तैय्यार करेगा, जिसमें कि नाम वर्ण माला के क्रमसे लिखे जायेंगे और जिसमें कि उन सब उम्मेदवारोंके नाम लिखे होंगे, जिनकी कि नामजदगी जायज ठहराई गई है और जिन्होंने कि अपने नाम वापस न लिये हों। यह शिड्यूल उस नक्शे के अनुसार होगा जो कि नियम न० २७ में नियमित किया गया है सिवाय इसके कि उसमें एक शीर्षक होगा जो कि हल्कों या समुदायों को (यदि कोई हों) बतावेगा।

३५ वह शिड्यूल उन स्थानोंमें लगा दिया जायगा, जो कि नियम न० ८ में, निर्वाचकों की नामावली के प्रकाशित किये जाने के लिये नियमित किये गये हैं।

३६ (१) यदि उन उम्मेदवारों की सख्या जिनका नाम शिड्यूलमें दर्ज हो, और जिन्होंने कि उम्मेदवारी से अपना नाम, वोट लिये जाने के समय से पूर्व, वापस न लिया हो, खाली जगहोंसे अधिक हों तो निर्वाचन के दिन उस विधि के अनुसार जो आगे बताई गई है, वोट डलवाये जायेंगे।

(२) यदि उम्मेदवारों की सख्या और खाली जगहों की सख्या बराबर हों, तो ऐसे सब उम्मेदवार निर्वाचित समझे जायेंगे।

(३) यदि ऐसे उम्मेदवारों की सख्या, खाली जगहों की सख्या से कम हो, तो ऐसे सब उम्मेदवार निर्वाचित समझे जायेंगे और बोर्ड, रेजोल्युशन द्वारा शेष जगहों के लिये नई नामजदगियां मांगेगा।

(४) यदि कोई ऐसा उम्मेदवार न हो, तो बोर्ड, रेजोल्यूशन द्वारा फिर से नामजदगी किये जानेका हुक्म देगा।

(देखिये—सुलतान बख्श वगैरा बनाम अबदुल हमीद, 21 A L J 639 जो दफा २९ की व्याख्या में लिखा गया है)।

वोट लेनेकी विधि

दफा २९ के क्लाज (ई) के सम्बन्ध में

३७ बोर्ड एक या एक से अधिक उचित इमारतें, या चौकियां (जिनको आगे "निर्वाचन स्थान" Polling Station पोलिंग स्टेशन का नाम दिया जायगा) हर ऐसे रकबे के लिये नियत करेगा, जहां कि वोट डाले जायेंगे।

३८ बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट की मजूरी से, एक शख्स (या अधिक शख्सों) को (जिसको आगे "निर्वाचन व्यवस्थापक" का नाम दिया गया है) हर निर्वा[illegible] व्यवस्था होने [illegible] रेजोल्यूशन

के द्वारा नियुक्त करेगा, और हर "निर्वाचन व्यवस्थापक" (Returning Officer) की सहायता के लिये एक या एक से अधिक शख्स, जितने वह आवश्यक समझे, होंगे। ऐसे शख्सों को निर्वाचन व्यवस्थापक नामजद करेगा, और "निर्वाचन स्थान" में जो काम यह लोग करेंगे, उनका व्यवस्थापक जिम्मेदार होगा। यदि निर्वाचन के समय या उससे पूर्व, कोई निर्वाचन व्यवस्थापक काम करने से इन्कार करे या काम करने के असमर्थ होजाय, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किसी अन्य योग्य शख्स को उसकी जगह पर काम करने को नियुक्त करेगा।

३९ हर "निर्वाचन व्यवस्थापक" (Returning officer) को निर्वाचकों की नामावली की एक प्रति दी जायेगी, और एक प्रति निर्वाचन के उम्मेदवारों के उस शिड्यूल (Schedule) की जिसमें *जायज नामजदगियां दर्ज हों, जिसका हवाला नियम न० ३४ में दिया गया है, दी जायगी।*

४० हर निर्वाचन व्यवस्थापक 'निर्वाचन स्थान" (Polling station)में शान्ति पूर्वक कारर वाई होने का प्रबन्ध करेगा, और ध्यान रखेगा कि निर्वाचन में कोई अनीति नहो, और निर्वाचकों की उस संख्या को नियत करेगा, कि जो एक बेर में भीतर आई जायगी। और उन शख्सों के जो उसको सहायता देने को नामजद किये गये हों और मुहर्रिरों, उम्मेदवारों, और ड्यूटी पर होने वाले कान्स्टिबलों, के सिवाय, किसी अन्य शख्स को भीतर आने की आज्ञा न देगा। परन्तु शर्त यह है कि प्रत्येक उम्मेदवार को अधिकार होगा कि काफी स्टाम्प पर लिखे हुए मुख्तारनामे के द्वारा, एक एक एजेण्ट को, अपने बदले, हर निर्वाचन स्थान में, उपस्थित रहने के लिये, नियत करदे।

४१ निर्वाचन स्थान में वोट स्वयं जाकर देना चाहिये, और कोई वोट एवजी द्वारा (By Proxy) स्वीकार न किये जायेंगे।

४२ वोट 'बैलट" के द्वारा डाले जायेंगे, और बैलट (Ballot) एक कागज का परचा होगा (जिसको आगे "परचे" का नाम दिया गया है) जो कि शिड्यूल न० ४ में दिये हुए फारम के अनुसार होगा। इस परचे में उम्मेदवारों की सूची उसी क्रम से छापी जायगी, जैसी कि, नियम ३४ में नियमित किये हुए शिड्यूल, में दी गई है।

४३ (१) जब कोई शख्स वोट देने आये, परन्तु वोट देने के पश्चात् नहीं, तो निर्वाचन व्यवस्थापक, या कोई मुहर्रिर जो कि वोट देने वालों को मिलान, नामावली में करने को नियुक्त किया गया हो, स्वयं अपनी इच्छा से उस शख्स से निम्न-लिखित प्रश्नों में से एक, या दोनों, कर सकता है। और उम्मेदवार या उसके एजेण्ट (Agent) के, इस बात की दरख्वास्त करने पर, उसको ऐसे प्रश्न अवश्य पूछना होगे —

(ए) क्या तुम वही शख्स हो जिसका कि इस इन्दराज में वर्णन है (नामावलीमेंसे पूरा इन्दराज पढकर सुनायेगा) ?

(बी) क्या तुम इस निर्वाचन में वोट दे चुके हो ? (इस हल्के में या किसी अन्य हल्के में)।

(२) जिस शख्स से कि इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर मांगा जाय, तो उसका वोट, जब तक वह उत्तर न दे, नहीं लिया जायगा।

(३) प्रत्येक शख्स जो वोट देने आये, उसका नाम, और निर्वाचकों की नामावली का वह नम्बर जो उसके नाम पर पड़ा हो, एक सूची में लिखे जायगे जो उस

३३ (१) प्रत्येक ऐसी नामजदगी, जिसको कि नामजद करने वाले अफसर ने नाजायज न ठहरा दिया हो, जायज मानी जायगी।

(२) कोई नामजदगी जिसको कि नामजद करने वाले अफसर ने नाजायज ठहरा दिया हो, और जिसको कि जिला मजिस्ट्रेट, निगरानी करके जायज ठहरा दे केवल उस दशामें जायज मानी जायगी, जबकि मजिस्ट्रेटके उस हुक्म की सूचना एग्जिक्यु टिव अफसर, या सेक्रेटरी के पास, सात दिनके भीतर पहुंच जाय अन्यथा नहीं।

३४ निर्वाचनके दिनसे पाच दिन पूर्व, एग्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी प्रत्येक वार्ड या समुदाय के लिये (यदि कोई हों), और यदि वार्ड या समुदाय न हों, तो पूरी म्यूनिसिपलटीके लिये एक शिड्यूल तैय्यार करेगा, जिसमें कि नाम वर्ण माला के क्रमसे लिखे जायेंगे और जिसमें कि उन सब उम्मेदवारोंके नाम लिखे होंगे, जिनकी कि नामजदगी जायज ठहराई गई है और जिन्होंने कि अपने नाम वापस न लिये हों। यह शिड्यूल उस नक्शे के अनुसार होगा जो कि नियम नं० २७ में नियमित किया गया है सिवाय इसके कि उसमें एक शीर्षक होगा जो कि हलकों या समुदायों को (यदि कोई हों) बतावेगा।

३५ वह शिड्यूल उन स्थानोंमें लगा दिया जायगा, जो कि नियम नं० ८ में, निर्वाचकों की नामावली के प्रकाशित किये जाने के लिये नियमित किये गये हैं।

३६ (१) यदि उन उम्मेदवारों की संख्या जिनका नाम शिड्यूलमें दर्ज हो, और जिन्होंने कि उम्मेदवारी से अपना नाम, वोट लिये जाने के समय से पूर्व, वापस न लिया हो, खाली जगहोंसे अधिक हों तो निर्वाचन के दिन उस विधि के अनुसार जो आगे बताई गई है, वोट डलवाये जायेंगे।

(२) यदि उम्मेदवारों की संख्या और खाली जगहों की संख्या बराबर हों, तो ऐसे सब उम्मेदवार निर्वाचित समझे जायेंगे।

(३) यदि ऐसे उम्मेदवारों की संख्या, खाली जगहों की संख्या से कम हो, तो ऐसे सब उम्मेदवार निर्वाचित समझे जायेंगे और बोर्ड, रेजाल्युशन द्वारा शेष जगहों के लिये नई नामजदगियां मांगेगा।

(४) यदि कोई ऐसा उम्मेदवार न हो, तो बोर्ड, रेजोल्यूशन द्वारा फिर से नामजदगी किये जानेका हुक्म देगा।

(देखिये—सुलतान बख्श वगैरा बनाम अबदुल हमीद, 21 A. L. J. 639 जो दफा २९ की व्याख्या में लिखा गया है)।

वोट लेनेकी विधि

दफा २९ के क्लाज (ई) के सम्बन्ध मे

३७ बोर्ड एक या एक से अधिक उचित इमारतें, या चौकियां (जिनको आगे "निर्वाचन स्थान" Polling Station पोलिंग स्टेशन का नाम दिया जायगा) हर ऐसे रकबे के लिये नियत करेगा, जहां कि वोट डाले जायेंगे।

३८ बोर्ड, जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी से, एक शख्स (या अधिक शख्सों) को (जिसको आगे "निर्वाचन व्यवस्थापक" का नाम दिया गया है) हर निर्वाचन में अध्यक्ष होने के लिये, रेजोल्यूशन

के द्वारा नियुक्त करेगा, और हर "निर्वाचन व्यवस्थापक" (Returning Officer) की सहायता के लिये एक या एक से अधिक शख्स, जितने वह आवश्यक समझें, होंगे। ऐसे शख्सों को निर्वाचन व्यवस्थापक नामजद करेगा, और "निर्वाचन स्थान" में जो काम यह लोग करेंगे, उनका व्यवस्थापक जिम्मेदार होगा। यदि निर्वाचन के समय या उससे पूर्व, कोई निर्वाचन व्यवस्थापक काम करने से इन्कार करे या काम करने के असमर्थ होजाय, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किसी अन्य योग्य शख्स को उसकी जगह पर काम करने को नियुक्त करेगा।

३९ हर "निर्वाचन व्यवस्थापक" (Returning officer) को निर्वाचकों की नामावली की एक प्रति दी जायेगी, और एक प्रति निर्वाचन के उम्मेदवारों के उस शिड्यूल (Schedule) की जिसमें जायज नामजदगियां दर्ज हों, जिसका हवाला नियम नं० ३४ में दिया गया है, दी जायगी।

४० हर निर्वाचन व्यवस्थापक 'निर्वाचन स्थान" (Polling station)में शान्ति पूर्वक कारर-वाई होने का प्रबन्ध करेगा, और ध्यान रखेगा कि निर्वाचन में कोई अनीति नहो, और निर्वाचकों की उस संख्या को नियत करेगा, कि जो एक वेर में भीतर लाई जायगी। और उन शख्सों के जो उसकी सहायता देने को नामजद किये गये हों और मुहर्रिरों, उम्मेदवारों, और ड्यूटी पर होने वाले कानिस्टिबलों, के सिवाय, किसी अन्य शख्स को भीतर आने की आज्ञा न देगा। परन्तु शर्त यह है कि प्रत्येक उम्मेदवार को अधिकार होगा कि काफी स्टाम्प पर लिखे हुए मुख्तारनामे के द्वारा, एक एक एजेण्ट को, अपने बदले, हर निर्वाचन स्थान में, उपस्थित रहने के लिये, नियत करदे।

४१ निर्वाचन स्थान में वोट स्वयं जाकर देना चाहिये, और कोई वोट एवजी द्वारा (By Proxy) स्वीकार न किये जायेंगे।

४२ वोट 'बैलट" के द्वारा डाले जायेंगे, और बैलट (Ballot) एक कागज का परचा होगा (जिसको आगे "परचे" का नाम दिया गया है) जो कि शिड्यूल नं० ४ में दिये हुए फारम के अनुसार होगा। इस परचे में उम्मेदवारों की सूची उसी क्रम से छापी जायगी, जैसी कि, नियम ३४ में नियमित किये हुए शिड्यूल, में दी गई है।

४३ (१) जब कोई शख्स वोट देने आये, परन्तु वोट देने के पश्चात् नहीं, तो निर्वाचन व्यवस्थापक, या कोइ मुहर्रिर जो कि वोट देने वालों को मिलान, नामावली से करने को नियुक्त किया गया हो, स्वयं अपनी इच्छा से उस शख्स से निम्न लिखित प्रश्नों में से एक, या दोनों, कर सकता है। और उम्मेदवार या उसके एजेण्ट (Agent) के, इस बात की दरख्वास्त करने पर, उसको ऐसे प्रश्न अवश्य पूछना होंगे —

(ए) क्या तुम वही शख्स हो जिसका कि इस इन्द्राज में वर्णन है (नामावलीमेंसे पूरा इन्द्राज पढकर सुनायेगा) ?

(बी) क्या तुम इस निर्वाचन में वोट दे चुके हो ? (इस हल्के में या किसी अन्य हल्के में)।

(२) जिस शख्स से कि इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर मांगा जाय, तो उसका वोट, जब तक वह उत्तर न दे, नहीं लिया जायगा।

(३) प्रत्येक शख्स जो वोट देने आये, उसका नाम, और निर्वाचकों की नामावली का वह नम्बर जो उसके नाम पर पड़ा हो, एक सूची में लिखे जायगे जो उस

नकशे के अनुसार होगी, जो शिड्यूल न० ५ में दिखलाया गया है। इसके पश्चात्, वोट देने वाला, यदि वह पढ़ लिख सकता हो, उस खाने में हस्ताक्षर कर देगा, जो इस अभिप्राय से उपरोक्त सूची में रखा गया है। या यदि वह पढ़ा लिखा न हो, तो अपनी निशानी, या अंगूठे का निशान, लगा देगा, अर्थात् जैसा निर्वाचन व्यवस्थापक उससे कहे। जो निशान इस प्रकार बनाया जाय उसकी कोई उम्मेदवार, या उसका एजेण्ट, जो निर्वाचक को पहचानता हो, या निर्वाचन व्यवस्थापक, या उसका कोई सहायक तस्दीक करेगा। सूची कागज के अलग २ पन्नों पर रखी जायगी, जिन पर कि क्रमानुसार गिनती के नम्बर डाले जायेंगे। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि एक समय में, केवल एक ही कागज का पन्ना काम में रखा जाय।

(४) वोट देने वाला तब उस सूची को जो कि गत क्लाज में बताई गई है, निर्वाचन व्यवस्थापक के सामने पेश करेगा, जो यह निश्चय करने के पश्चात्, कि सूची पर जायज रूप से हस्ताक्षर, निशानी,या चिन्ह कर दिया गया है, वोटर को बतलायेगा कि कितने शख्सों के लिये वोट दिये जा सकते हैं, और क्या २ शर्तें (यदि कोई हों) इस सम्बन्ध में हैं, और वोट देने वाले को परचे का बाहर वाला पर्त दे देगा, जिसके दोनों पर्तों पर म्यूनिसिपलटी का कोई चिह्न पड़ा होगा, और, साथ ही संग, उसके साथ वाले भीतरी पर्त पर, वोट देने वाले का निर्वाचकों की नामावली में का नम्बर, नोट कर लेगा, और वोट देने वाले के नाम पर निर्वाचकों की नामावली में एक चिह्न, या यह जाहर करने के लिये बना देगा कि निर्वाचक को परचा मिल चुका। इस इन्दराज से यह नहीं जाहिर किया जायगा कि कौनसा परचा उसको दिया गया।

४४ (१) वोट देने वाला, परचा पाते ही उस स्थान को जायगा, जो कि इस काम के लिये अलग नियत कर दिया गया हो और वहा प्रत्येक उम्मेदवार, जिसके वास्ते कि वह वोट देना चाहता है, के नाम के आगे एक क्रॉस (Cross ×) का चिह्न बना देगा। वह तब परचे को इस प्रकार मोड़ देगा, कि यह न दिखाई दे कि उसने किसको वोट दिये, और इस प्रकार मुड़ा हुआ परचा, एक बक्स में डाल देगा (जो कि आगे परचा डालने का बक्स कहलायेगा)। यदि कोई वोट देने वाला परचा न पढ़ सकता हो, या उस पर क्रॉस (Cross ×) का चिह्न न बना सकता हो, तो निर्वाचन व्यवस्थापक वोट देने वाले का वोट उस के परचे पर उसकी इच्छा अनुसार बनवा देगा, और परचे को, परचे के बक्स में, डलवा देगा।

(२) यदि एक से अधिक क्रॉस किसी उम्मेदवार के नाम के सामने लगाये गये होंगे, तो वह परचा नाजायज होगा।

(३) परचे का बक्स ऐसा बना होगा, कि परचे उसके अन्दर डाले जा सकें, परन्तु बिना ताला खोले हुए निकाले न जा सकें।

(४) परचे पड़ने आरम्भ होने से ठीक पहले, निर्वाचन व्यवस्थापक ऐसे शख्सों को, जो कि निर्वाचन स्थानमें उपस्थित हों, दिखला देगा कि परचों का बकस खाली है, और तब उसमें ताला डाल देगा, और उस पर अपनी मुहर इस प्रकार लगा देगा

कि बिना उस मुहर को तोड़े वह खुल न सके और अपनी दृष्टिके सामने, परचे पड़ने के लिये, उसको रखेगा, और उसको इसी प्रकार ताला लगा हुआ, और मुहर किया हुआ, रहने देगा।

४५ कोई परचा जिस पर उक्त रूपसे निशान न लगाया गया हो, या जिसमें, जितने मेम्बर चुने जाने को हों, उनसे अधिक, उम्मेदवारों को वोट दिये गये हों, या जिस पर कोई निशान ऐसा बनाया गया हो, जिससे कि वोट देने वाला, वोट देने के पश्चात, पहचाना जा सके, तो ऐसा परचा नाजायज होगा।

४६ यदि कोई शख्स कहे कि मैं अमुक निर्वाचक हूं, जिसका कि नाम निर्वाचकों की नामावली में दिया हो, और जब कोई अन्य शख्स उस नामसे वोट दे चुका हो, तब परचा मांगे, तो परचा मांगने वाला, निर्वाचन व्यवस्थापक के, उन प्रश्नों को जो वह पूछे, उक्त रूप उत्तर देकर, परचे पर निशान करने के लिये उसी प्रकार अधिकारी होगा, जैसे कि अन्य सब वोट देने वाले। परन्तु ऐसा परचा (ऐसा परचा इन नियमों में टेंडर्ड बैलट (Tendered ballot) अर्थात "अनिश्चित" परचा कहलायेगा) अन्य परचों से भिन्न रंग का होगा, और बक्स में डाले जाने के बदले, निर्वाचन व्यवस्थापक को दे दिया जायगा, जो कि उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, और वोट देने वाले का नाम, और निर्वाचकों की नामावली वाला उसका नम्बर परचे पर डाल देगा, और अलग गड्डी में रख लेगा, और निर्वाचन व्यवस्थापक उसको वोटों की गिनती में शामिल नहीं करेगा। उस वोट देने वाले का हस्ताक्षर, निशानी, या अंगूठे का निशान, (जैसी कि दशा हो) उस सूची में नहीं बनाया जायगा, जो कि नियम ४३ के क्लाज (३) में नियमित की गई है, वरन एक अलग सूची पर बनाया जायगा जो कि ऊपर बताये हुये फारम ही पर रखी जायगी, और जिसका शीर्षक होगा "अनिश्चित वोटों की सूची"।

४७ परचे डाले जाने के समाप्त होने पर निर्वाचन व्यवस्थापक, उन लोगों के सामने जो, उसकी सहायता के लिये नामजद किये गये हों, तथा ऐसे उम्मेदवारों और उनके एजेन्टों (यदि कोई हों) के सामने जो उपस्थित हों—

(ए) परचों के बक्स (Ballot box) को खोलेगा, और उन परचों को जो वह जायज ठहराये, उन परचों से जो वह नाजायज माने, पृथक करेगा, और नाजायज परचों की पीठ पर शब्द "रद्द किया गया" लिखके, रद्द किये जाने के कारण भी लिख देगा।

(बी) प्रत्येक उम्मेदवार को जो जायज वोट दिये गये हों गिनेगा, और निम्न लिखित नियम नं० ५१ के हुक्मों के आधीन, जिन उम्मेदवारों के लिये सबसे अधिक जायज वोट आयें हों, उनके निर्वाचित होने की घोषणा कर देगा।

(सी) एक नकशा तैयार करेगा, और उसको तसदीक करेगा, जिसमें कि नीचे लिखी बातें दर्ज होंगी अर्थात (१) उन शख्सों की संख्या जो वोट देने आयें (२) उन शख्सों के नाम जिनके पक्षमें जायज वोट दिये गये (३) जो जायज वोट प्रत्येक शख्सके लिये दिये गये उनकी संख्या (४) उन शख्सों के नाम जो निर्वाचित हुये (५) उन परचों की संख्या जो नाजायज माने गये, और (६) अनिश्चित परचों (Tendered votes) की संख्या।

(डी) परचों के भीतरी आधे पर्त, और अनिश्चित परचे और वह परचे जो उन्होंने जायज ठहराये हों और वह परचे जो उन्होंने रद कर दिये हों, और नियम नं० ४३ म नियमित की हुई सूची, और अनिश्चित परचों की सूची जो नियम नं० ४६ में नियमित की गई है, सबको प्रथक २ बण्डलों में बांधके, उन पर मुहर लगा देगा, और प्रत्येक बण्डलके ऊपर उसके भीतर रखे हुये कागजों का वर्णन दर्ज कर देगा और उस निर्वाचनकी तारीख डाल देगा, जिसके सम्बन्धके वह कागज हों। और

(ई) किसी उम्मेदवार या उसके एजेंट को उस नक़्शे की नकल करने या उसमें से किसी भागकी नक़ल करने की आज्ञा दे देगा। और परचों के बडलों पर उम्मेदवार या उसके एजेंट को मुहर लगाने की आज्ञा दे देगा, या उसमें से किसी ऐसे बण्डल पर जिस पर वह मुहर लगाना चाहे, मुहर लगाने की आज्ञा दे देगा।

नोट—नियम न० ४० से ४७ तक, मसूरी की म्यूनिसिपलटी पर लागू न होंगे।

४८ निर्वाचन व्यवस्थापक तब उस नक़्शे को एक्जिक्युटिव अफ़सर, या सेक्रेटरी के पास, भेज देंगे और परचों के बडलों और, उपरोक्त नियम में बताई हुई सूचियों को, जिला मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे, और प्रत्येक ऐसे शख्स के पास जो निर्वाचित ठहराया गया हो, उसके निर्वाचित हो जाने की सूचना भेज देंगे, या दे देंगे।

४९ एक्जिक्युटिव अफ़सर, या सेक्रेटरी, उस नक़्शे को बोर्ड के दफ्तर में रखा देगा, और वह उसको, दफ्तर के समय में, बिना किसी फीस के दिये हुए, एक मास तक उम्मेदवार या निर्वाचक, जब चाहें जांच कर सकेंगे।

५० (१) जिला मजिस्ट्रेट, एक वर्ष तक, बैलटके परचों, और, सूचियों को, जो कि उसके पास निर्वाचन व्यवस्थापक ने भेजे हों रखे रहेगा, और इसके उपरान्त, उस दशा में जब कि उनको अधिक समय तक रखने के लिये कोई विशेष कारण न जान पड़े, तो उनको नष्ट करा देगा।

(२) परचों के बडल (चाहे वह उन परचों के हों जो गिनती में लिये गये हों, या उनके हों जो रद किये गये हों, या अनिश्चित परचों के हों) और उनके भीतरी पर्त उस काल में जब कि वह जिला मजिस्ट्रेट के कब्जे में रहें सिवाय ऐसी निर्वाचन निर्णय कर्ता अदालत के हुक्म के जिसको कि उस निर्वाचन के मामले तय करने का अधिकार हो, नहीं खोले जायेंगे, और न बडलों के भीतर के कोई कागज जांचे जायेंगे, और न कहीं पेश किये जायेंगे। इन बातों के लिये हुक्म निर्वाचन निर्णय कर्ता अदालत (Election court) उस दशा में देगी, जब कि बयान हलफी (Affidavit) के द्वारा, या अन्य प्रकार, उसको यह विश्वास हो कि भीतरी या बाहरी पर्तों की, जांच की या पेश किये जाने की, किसी ऐसी अर्जी के सम्बन्ध में जो कि किसी निर्वाचन पर, या नक़्शे (Return) पर उज्र करने के अभिप्राय से दी गई हो आवश्यकता है या किसी ऐसे मुकद्मे के दायर करने या चलाने के लिये, आवश्यकता है, जो परचों के सम्बन्ध में किसी जुर्म के कारण चलाया गया हो। और किसी ऐसे हुक्म को अदालत किसी ऐसी शर्तों के आधीन दे सकती है, जो वह उचित समझे, और जो इन विषयों में हों, कि उनको कौन

शख्स, किस समय पर, कहा, और किस विधि से खोलेंगे, जांच करेंगे या पेश करेंगे।

(२) अन्य सब कागजों की, जो कि ऐसे रहने में हों, जांच करने का जनता को, उस समय पर, और उन शर्तों के आधीन और ऐसी फीस के देने पर, और उन रेग्युलेशनों (Regulations) के आधीन, जो कि इस विषय में जिला मजिस्ट्रेट नियमित करदे, अधिकार होगा।

५१ जब किसी उम्मेदवारों के वोटों की संख्या बराबर हो और एक वोट के बढ़ा दिये जाने से में से कोई शख्स निर्वाचित ठहराया जाने के योग्य हो सकता हो, तो निर्वाचन व्यवस्थापक और उसके सहायक) या परस्पर मतभेद होने की दशा में बहुमति से, ऐसा वोट लिख के देंगे। न्तु किसी अन्य दशा में निर्वाचन में वोट देने के अधिकारी वह न होंगे। यदि व्यवस्थापक और के सहायकों की राय दो, या अधिक, उम्मेदवारों के पक्ष में बराबर बराबर हों तो फिर से निर्वाचन किया जायगा।

५२ कोई शख्स निर्वाचन व्यवस्थापक द्वारा वोटों के जांचे जाने में या गिने जाने में विघ्न न डालेगा, न किसी प्रकार दखल देगा।

५३ कोई शख्स, जिसको कि म्यूनिसिपल्टी के निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई कर्तव्य सौंपे गये , कोई हाल इस विषय में कि किसी विशेष परचे में किस उम्मेदवार को कोई वोट दिया गया, स्वयं खोलेगा, न जान बूझ के किसी दूसरे को उसके खोलने की आज्ञा देगा।

५४ कोई शख्स किसी नकल, विज्ञापन, अथवा अन्य कागज को, जो इन नियमों के अनुसार म्यूनिसिपल्टी के दफ्तर में या किसी अन्य स्थान में लगाया गया हो, नहीं बिगाड़ेगा, न हानि पहुचायेगा, न छेड़ेगा, न हटायेगा।

५५ (१) उस दशा में जब कि, एक ही निर्वाचन में, एक से अधिक खाली जगहें, वोट लेकर, भरी जाने को हों, तो वह मेम्बर जिसका कि सब से कम वोटों के द्वारा निर्वाचन हुआ हो उस शख्स की जगह निर्वाचित माना जायगा जिसकी जगह साधारणतः सब से पहले खाली होती, और वह मेम्बर जिसका निर्वाचन केवल पहले कहे हुए मेम्बर से अधिक वोटों के द्वारा हुआ हो, उस शख्स की जगह निर्वाचित माना जायगा जिसकी जगह कि ऊपर बताये हुए शख्स के बाद (दूसरे नम्बर पर) खाली होती, और वह मेम्बर जिसका निर्वाचन सब से अधिक वोटों के द्वारा हुआ हो, वह उस शख्स की जगह निर्वाचित माना जायगा, जिसकी जगह साधारणतः सब से पीछे खाली होती। इत्यादि।

(२) कोई प्रश्न, सिवाय उसके जिसके लिये कि क्लॉज (१) में हुकम दिया गया है, जो इस विषय में उत्पन्न हो कि, संयोगवश खाली हुई जगहों के लिये जो मेम्बर एक ही निर्वाचन में चुने जाय, उनमें से किसको कौन सी जगह दी जाय, उसको बोर्ड रेजोल्युशन के द्वारा निश्चय करेगा।

दफा २९९ की उपदफा (१) के अनुसार

५६ दफा २९९ की उपदफा (१) के द्वारा दिये हुये अधिकार को बरतते हुये प्रान्तीय सरकार आज्ञा दे सकती है कि प्रत्येक शख्स—

(१) जो इन नियमों के विपरीत, कोई नामावली, सूची, या अन्य कागज बनायेगा, या जो इन नियमों के विपरीत उनमें परिवर्तन करेगा। या

(२) जो किसी ऐसे प्रश्न का, जो नियम न० ४३ के अनुसार उससे पूछा जाय, जान बूझ के झूठा उत्तर देगा। या

(३) जो दफा ४० के अनुसार दिये हुए निर्वाचन व्यवस्थापक के (Returning officer) के किसी हुक्म को न मानेगा या निर्वाचन व्यवस्थापक द्वारा वोटों के जाने या गिने जाने में विघ्न डालेगा या किसी प्रकार दखल देगा। या

(४) जिसको म्यूनिसिपलटी के निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई कर्तव्य सौंपे गये हों, और वह बिना जायज अधिकार के, कोई हाल, इस विषय में कि किसी विशेष पात्रे में किस उम्मेदवार को कोई वोट दिया गया है, खोलेगा या जान बूझ के किसी दूसरे को, खोलने की आज्ञा देगा। या

(५) जो किसी नकल विज्ञापन या अन्य कागज को, जो इन नियमों के अनुसार म्यूनिसिपलटी के दफ्तर में, या अन्य किसी स्थान में लगाया गया हो, बिगाड़ेगा हानि पहुचायेगा, छेड़ेगा, या हटायेगा। या

(६) जिसको इन नियमों के अनुसार किसी काम या काररवाई के करने का हुक्म दिया गया हो और वह उसके करने में उपेक्षा करे, या उसके करने से इनकार करे—

ऐसे शख्सको जुर्मानेका दण्ड दिया जा सकता है, जिसकी सख्या पाच सौ ५००) रुपये तक हो सकती है।



शिड्यूल नं० १
Schedule I

Electoral roll of the (निर्वाचन नामावली वास्ते)———— Ward (हल्के) / Class (समुदाय), For the (वास्ते)————

————Municipality (म्यूनिसिपल्टी)

Serial number नम्बर सिलसिला	Name of elector निर्वाचक का नाम	Name of father बाप का नाम	Caste or religion जाति या मजहब	Occupation पेशा या काम	Address पता	Nature of Qualification किस प्रकार की योग्यता रखता है	Remarks कैफियत
						(ए) (बी) (i) (बी) (ii) (बी) (iii) इत्यादि	

(१) जो इन नियमों के विपरीत, कोई नामावली, सूची, या अन्य कागज बनायेगा, या जो इन नियमों के विपरीत उनमें परिवर्तन करेगा। या

(२) जो किसी ऐसे प्रश्न का, जो नियम नं० ४३ के अनुसार उससे पूछा जाय, जान बूझ के झूठा उत्तर देगा। या

(३) जो दफा ४० के अनुसार दिये हुए निर्वाचन व्यवस्थापक के (Roturning officer) के किसी हुक्म को न मानेगा या निर्वाचन व्यवस्थापक द्वारा वोटों के जाने या गिने जाने में विघ्न डालेगा या किसी प्रकार दखल देगा। या

(४) जिसको म्यूनिसिपलटी के निर्वाचन के सम्बन्ध में कोई कर्तव्य सौंपे गये हों, और वह बिना जायज अधिकार के, कोई हाल, इस विषय में कि किसी विशेष पर्चे में किस उम्मेदवार को कोई वोट दिया गया है, खोलेगा या जान बूझ के किसी दूसरे को, खोलने की आज्ञा देगा। या

(५) जो किसी नकल विज्ञापन या अन्य कागज को जो इन नियमों के अनुसार म्यूनिसिपलटी के दफ्तर में, या अन्य किसी स्थान में लगाया गया हो, बिगाड़ेगा हानि पहुचायेगा, छेड़ेगा, या हटायेगा। या

(६) जिसको इन नियमों के अनुसार किसी काम या काररवाई के करने का हुक्म दिया गया हो और वह उसके करने में उपेक्षा करे, या उसके करने से इनकार करे—

ऐसे शख्सको जुर्मानेका दण्ड दिया जा सकता है, जिसकी सख्या पाच सौ ५००) रुपये तक हो सकती है।



शेड्यूल नं० ३
Schedule III
नामज़दगियोंकी सूचीका फारम

की म्युनिसिपलटी। उन शख्सों की सूची जो म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर चुने जाने के लिये, नामजद किये गये। ता० सन १९२ ई०

List of persons nominated for Election as members of the Municipal Board, Municipality of 192

नाम Name	वर्णन Description	निवास स्थान Abode	पेशा या काम Occupation	हलका, यदि कोई हो किस समुदाय के लिये, नामज़द किया गया। Ward, if any, for which class nominated
१	२	३	४	५

शिड्यूल नं० २ (Schedule II)

नामजदगी का फारम (Form of Nomination Paper)

.. की म्युनिसिपल्टी एक मेम्बर / मेम्बरो का निर्वाचन, हल्का (Ward) समुदाय के लिये... ...

जो तारीख .. सन १९२ ई० को होगा।

हमलोग, जिनके कि हस्ताक्षर नीचे हैं, जो कि (हल्का समुदाय के लिये) निर्वाचक हैं, और हमारा नाम निर्वाचकों की नामावली में चढ़ा है, इस लेख के द्वारा वल्द (पेशा) जो में रहता है, और जिसका नाम कि उम्मेदवारों की सूची में न० पर चढ़ा है, को उपरोक्त निर्वाचन के लिये उम्मेदवार नामजद करते हैं।

We, the undersigned, being Electors Enrolled in the Electoral roll (for the ward class) hereby nominate son of (occupation) residing in whose name is entered in the Candidate list at number , as a candidate, at the above Election —

नम्बर	नाम	बाप का नाम	पेशा	पता	निर्वाचकों की नामावली पर का नम्बर
१					
२					
३					
४					
५					

मैं नीचे दस्तखत करने वाला, जो कि निर्वाचनके लिये एक योग्यता प्राप्त शख्स हूं, उपरोक्त निर्वाचन में उम्मेदवार नामजद किये जाने की, इस लेखके द्वारा, रजामन्दी देता हूं।

तारीख १९२ ई० हस्ताक्षर

शिड्यूल नं० ३
Schedule III

शिड्यूल नं० ३
Schedule III

नामज़दगियोंकी सूचीका फारम

की म्यूनिसिपलटी। उन शख्सों की सूची जो म्यूनिसिपल बोर्ड के मेम्बर चुने जाने के लिये, नामजद किये गये। ता० सन १९२ ई०

List of persons nominated for Election as members of the Municipality of Municipal Board, 192

नाम Name	वर्णन Description	निवास स्थान Abode	पेशा या काम Occupation	हलका, यदि कोई हो किस समुदाय के लिये, नामजद किया गया। Ward, if any, for which class nominated
१	२	३	४	५

शिड्यूल नं० ४ Schedule IV.

परचे का फारम

(Form of Ballot Paper)

की म्यूनिसिपल्टी (Municipality of. .)
किताब नम्बर (Book No .)
गिन्ती का नम्बर (Serial No. .)
परचेका भीतरी पर्त (Counterfoil of Ballot paper)
म्यूनिसिपल्टी के मेम्बरों का निर्वाचन (. हलका/समुदाय
के लिये) जो १९२ को हुआ।
नामावली में दर्ज किये हुये निर्वाचकों की सख्या

परचा (Ballot paper)

. . . की म्यूनिसिपल्टी (Municipality of . . . . .)
किताब नम्बर . . . . . (Book No . . . . . .)
गिन्ती का नम्बर . (Serial No . . .)
म्यूनिसिपल्टी के मेम्बरों का निर्वाचन (. . . . . हलका/समुदाय के लिये) जो
. . . . १९२ को हुआ।

नम्बर	निर्वाचनके लिये उम्मेदवारका नाम और वर्णन	वोटर के क्रॉस (× या +) बनाने के लिये खाना
१	A	
२	B	
३	C	
४	D	
५	E	

शिड्यूल नं० ५ Schedule V

स्वाक्षरों के लिये कागज नं० . . . .

शिड्यूल नं० ५ Schedule V

हस्ताक्षरों के लिये कागज़ नं०.........
Signature Sheet No

निर्वाचकों की नामावली में का नम्बर Number on Electoral roll	नाम Name	यदि वोट देने वाला पढ़ा हो तो उसके हस्ताक्षर, और यदि पढ़ा न हो तो उसकी निशानी और गवाह का हस्ताक्षर। Signature of voter, if literate, or mark of voter with Signature of witness, if illiterate

बोर्ड पर अधिकार

दफा ३० प्रान्तीय सरकारका बोर्डको भङ्ग कर देनेका, या उस के स्थान पर दूसरा बोर्ड नियत करनेका अधिकार

(एक्ट नं० २ सन १९१९ ई०)

यदि किसी समय किसी लिखी या जबानी दरख्वास्तके द्वारा, या किसी अन्य प्रकार प्रान्तीय सरकारको यह विदित हो, कि कोई बोर्ड किसी ऐसे कर्तव्य या कर्त्तव्योंको जो इस एक्टसे या इस एक्टके द्वारा या अन्य किसी क़ानूनके द्वारा उसके जिम्मे डाले गये हों, पूरा न करनेमें आग्रह करता है या यह कि अपने अख्तयारसे बाहर जानेमें या उनका अनुचित प्रयोग करनेमें आग्रह करता है तो प्रान्तीय सरकारको अधिकार होगा कि बोर्डकी जवाबदही पर विचार करनेके पश्चात् एक हुक्मके द्वारा जो सरकारी गजटमें उन कारणोंके सहित जिनके आधार पर वह हुक्म दिया गया है प्रकाशित कर दिया जायगा किसी ऐसी अवधिके लिये, जो कि उक्त हुक्ममें नियत कर दी जायगी, बोर्डको भङ्ग कर दे (Dissolve) या बोर्डको अलग करके म्यूनिसिपलटीका काम काज किसी औरको सौंप दे (Supersede the board)।

व्याख्या—

जनताके प्रतिनिधियोंसे कानून द्वारा दिया हुआ स्थानीय स्वराज्य छीन लेना अथवा जनता के विश्वासपात्र प्रतिनिधियोंको निकाल देकर अपमानित करना भारी दण्ड है। अतएव इस दफामें ऐसे शब्द रखे गये हैं कि जिनसे स्पष्टत ज्ञात हो जाय कि यह दफा सामान्य भूल चूकोंके लिये काममें नहीं लाई जा सकती। वरन जब बोर्ड अपने कर्तव्योंका पालन न करनेमें या अपने अख्तयारोंसे बाहर काम करनेमें या अपने अख्तयारोंका अनुचित प्रयोग करनेमें आग्रह करे, तभी यह दफा काममें लाई जा सकती है। शब्द "आग्रह" के लाये जानेसे यह भी विदित होता है कि यह दफा उसी सूरतमें काममें लाई जायगी जब बोर्डको चेतावनी देने पर भी वह न माने।

बोर्डको भङ्ग कर देनेका अधिकार इस दफामें म्यूनिसिपलटीज एमेण्डमेण्ट एक्ट, नं० २ १९१९ ई० के द्वारा बढाया गया है। बोर्डको अलग कर देनेसे (Supersede) जनताके हक पर भी असर पडता है। म्यूनिसिपल्टीका काम जनताके प्रतिनिधियोंसे निकाल लिया जाता है और सरकार द्वारा नियत किये हुए किसी शख्स या शख्सोंको दे दिया जाता है। परन्तु दूसरी दशामें अर्थात जब बोर्ड भङ्ग किया जाता है (Dissolved) तो जनताको दूसरे प्रतिनिधि चुन लेनेका अधिकार होता है।

—इस दफाके आरम्भमें शब्द "किसी लिखी या जबानी दरख्वास्त" (Representation) भी एमेण्डमेण्ट एक्ट नं० २ सन १९१९ ई० के द्वारा बढ़ाये गये हैं। इसके द्वारा यह बात प्रकट कर दी गई है कि जिस किसीको बोर्डकी अनुचित कारवाइयोंसे कोई शिकायत हो, वह दरख्वास्तके द्वारा प्रान्तीय सरकारको उक्त कारवाइयोंसे परिचित करके, प्रार्थना कर सकता है कि प्रान्तीय सरकार दफा ३० में दिये हुए अधिकारोंको ऐसे बोर्डके खिलाफ बरते।

दफा ३१ बोर्डके अलग कर दिये जानेके परिणाम

जब दफा ३०के हुक्मके अनुसार बोर्ड अलग कर दिया जायगा (Superseded) तो :—

(ए) बोर्डके सब मेम्बर उस तारीख पर जो हुक्ममें अङ्कित की होगी मेम्बरी के पदको खाली कर देंगे परन्तु इससे क्लाज (इ) के अनुसार उनके फिरसे निर्वाचित या नामजद किये जानेकी योग्यतामें कोई बाधा न होगी।

(बी) जितने समयके लिये बोर्ड अलग किया जायगा उस समयमें कोई एक या एकसे अधिक शख्स जिनको प्रान्तीय सरकार इस अभिप्रायसे नियत कर दे, जहां तक ऐसा करना सम्भव हो बोर्डके अधिकारोंको यदि वे चाहें बरत सकते हैं और बोर्डकी जिम्मेदारियोंका पालन करनेका उनका कर्तव्य होगा और ऐसा एक शख्स या एकसे अधिक शख्स सब अभिप्रायोंके लिये बोर्ड माने जायेंगे।

(सी) बोर्डके अलग कर दिये जाने पर उस समय तक जब तक कि क्लाज (बी) के अनुसार कोई एक या एकसे अधिक शख्स नियत न किये जायें या यदि ऐसा कोई शख्स नियत कियाही न जाय तो उस समय तक जबतकके लिये बोर्ड अलग किया गया हो, वह सारी जायदाद जो बोर्डके अधिकार और अधीनतामें हो, भारत सम्राटके अधिकार और अधीनतामें रहेगी।

(डी) जिस समय तकके लिये बोर्ड अलग कर दिया जायगा दफा ९ या १० या दफा ११ के किसी नियमके अनुसार दिये हुए विज्ञापन, निष्प्रभावी रहेंगे परन्तु उसके उपरान्त फिर प्रभावित हो जायेंगे।

(इ) जिस अवधिके लिये कि बोर्ड अलग किया गया हो उसके समाप्त होने से पूर्व बोर्डका फिरसे सङ्गठन करनेके अभिप्रायसे निर्वाचन कर लिया जायगा और नामजदगियां कर दी जायेंगी या दोनों बातें कर दी जायेंगी अर्थात् जैसी आवश्यकता हो।

व्याख्या—

(ए) जब वह अवधि समाप्त हो जिसके लिये कोई बोर्ड अलग किया जाय तो पुराने बोर्डके मेम्बर चुनावके लिये खड़े हो सकते हैं और नामजद भी किये जा सकते हैं।

(बी) इस क्लाजके अनुसार उस शख्स या उन शख्सोंको जो म्युनिसिपलटीका काम चलानेको नियत किये गये हों यह आज्ञा दी गई है कि वे यदि न चाहें तो बोर्डके किसी विशेष अधिकारको न बरतें परन्तु जितनी जिम्मेदारियां बोर्ड पर डाली गई हैं उनका पालन करना उनके लिये जरूरी होगा।

—ऐसा शख्स या ऐसे शख्स जो बोर्डका काम चलानेके लिये नियत किये जायेंगे वह भी सङ्गठित संस्था (Corporate body) माने जायेंगे और उनको म्यूनिसिपल सङ्गठित संस्थाके नामसे दावा दायर करनेका अधिकार होगा।

(डी) क्लाज (डी) के द्वारा यह आवश्यक रखा गया है कि जब बोर्ड फिरसे स्थापित किया जाय तो उसका सङ्गठन उसी प्रकारका रखा जायगा जैसा कि बोर्डको अलग किये जानेके पूर्व था।

(इ) दफा ३२३ के अनुसार जब कोई नया बोर्ड स्थापित किया जाता है तो उसके लिये निर्वाचन आदि करानेके प्रबन्धका भार कलक्टर पर होता है । किन्तु जब किसी बोर्डके अलग किये जानेके पश्चात फिरसे नया बोर्ड इस दफाके अनुसार स्थापित किया जाता है तो निर्वाचकोंकी नामावली तैयार कराने आदिका भार कलक्टर पर नहीं होता वरन उस शख्स या उन शख्सों पर होता है जो म्यूनिसिपलटीका काम करनेको प्रान्तीय सरकार द्वारा नियत किये जाते हैं ।

दफा ३१ए. बोर्डको भङ्ग कर दिये जानेके परिणाम

जब कोई बोर्ड दफा ३० के अनुसार दिये हुए हुक्मके द्वारा भङ्ग कर दिया जाय (Dissolved) तो—

(ए) बोर्डके सब मेम्बर उस तारीख पर जो कि उक्त हुक्ममें अङ्कित कर दी गई होगी मेम्बरीके पदको खाली कर देंगे परन्तु इससे क्लाज (बी) के अनुसार उनके निर्वाचित या नामजद किये जानेकी योग्यतामे कोई बाधा न होगी ।

(बी) एक तारीख पर, (जो उस तारीखसे पूर्व होगी जो कि क्लाज (ए) मे बताई गई है) जो उक्त हुक्ममे दे दी जायगी बोर्डका फिरसे सङ्गठन करनेके अभिप्रायसे मेम्बरोंका निर्वाचन कर लिया जायगा और नामजदगिया कर दी जायगी अर्थात् जैसी आवश्यकता हो ।

(सी) इस एक्टकी दफा ३८ के हुक्मके होते हुए भी कोई शख्स जिसका निर्वाचन क्लाज (बी) के अनुसार होगा या जो उस क्लाजके अनुसार नामजद किया जायगा, वह उस तारीख से मेम्बर होगा जो क्लाज (ए) मे बताई गई है ।

नोट—*यह पूरी दफा म्यूनिसिपलटीज एमेण्डमेण्ट एक्ट न० २ सन १९१९ ई०के द्वारा बढाई गई है।*

दफा ३२ कमिश्नर तथा जिला मजिस्ट्रेटका निगरानीका अधिकार

कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेटको जब वह बोर्डका मेम्बर न हो अपनी कमिश्नरी या जिलाकी हदोंके भीतर अर्थात् जैसी दशा हो, अधिकार होगा कि वह:—

(ए) किसी ऐसी जायदादका जो बोर्ड अथवा किसी ज्वाइट (Joint) कमेटीके काममे हो या कब्जेमे हो, मुआइना करे या मुआइना (जाच) कराये या ऐसे कामका मुआइना करे या कराये, जो बोर्ड अथवा किसी ऐसी कमेटीकी आज्ञानुसार हो रहा हो ।

(बी) किसी ऐसी किताब या कागज (Document) को जो बोर्ड या ऐसी कमेटीके कब्जेमे हो या उसके अधिकार और अधीनता मे हो लिखित हुक्मके द्वारा तलब करे और मुआइना करे ।

(सी) लिखित हुक्मके द्वारा किसी बोर्ड या ऐसी कमेटीको आज्ञा दे कि वह

कोई कैफियतें (Statements) हिसाब किताब रिपोर्ट (Reports) या कागजोंकी नकलें, जो बोर्ड या कमेटीकी कारवाइयों या कर्तव्योंसे सम्बन्ध रखती हों और जिनको तलब करना वह उचित समझे, उसके पास भेजे।

(डी) अपने कोई विचार जिनका कि बोर्ड या कमेटीकी कारवाइयों या कर्तव्योंके सम्बन्धमें प्रगट करना वह उचित समझे, इस उद्देशसे लेखबद्ध करे कि बोर्ड अथवा कमेटी उन पर विचार करे।

व्याख्या—

दफा ५० के क्लाज (सी) के द्वारा हुक्म है कि उन सब कागजों, रिपोर्ट इत्यादि (जिनका वर्णन दफा ३२ के क्लाज 'सी' में किया गया है) का कमिश्नर तथा जिला मजिस्ट्रेटको भेजनेका कर्तव्य चेयरमैनका होगा।

—क्लाज (डी) के द्वारा कलक्टर अथवा कमिश्नरको केवल इतना ही अधिकार दिया गया है कि वह बोर्ड या कमेटीकी किसी कारवाई या कर्तव्यके विषयमें अपनी राय लिखें और उससे बोर्डको सूचित करें। बोर्ड या कमेटीका कर्तव्य होगा कि वह उस राय पर विचार करे परन्तु इस बातका अधिकार बोर्ड या कमेटीको होगा कि चाहे उस रायको स्वीकार करे या अस्वीकार करे।

दफा ३३ म्यूनिसिपलटीके कामों और संस्थाओंकी सरकारी अफसरों द्वारा जांच

कोई ऐसा अफसर जो इस अभिप्रायसे प्रान्तीय सरकारके द्वारा नियत किया गया हो किसी ऐसी इमारत या संस्था (Institution) का जो पूर्णतया या जिसका कोई भाग बोर्डके खर्चसे बनाया गया हो या कायम रखा जाता हो और उसके सम्बन्ध के सब रजिस्टर हिसाब किताब और अन्य कागजोंकी, जिस समय वह चाहे जांच कर सकता है।

नोट—दफा ३३ के अनुसार प्रान्तीय सरकारने नीचे लिखे अफसरोंको म्यूनिसिपलटीके कामों और संस्थाओंका मुआइना करनेके लिये नियत किया है —

सरकारी सेनिटरी इञ्जिनियर
सेनिटेरी कमिश्नर
डिपुटी (नायब) सेनिटेरी कमिश्नर
सब सिविल सर्जन
सब एक्जिक्युटिव इञ्जिनियर
स्कूलों के सब इन्सपेक्टर
} संयुक्त प्रान्त

(विज्ञापन नं० २५५९ /XI–८८, तारीख १६ अगस्त सन १९१७)

दफा ३४ बोर्डके किसी रेजोल्यूशन अथवा हुक्मके अनुसार कोई काम आगे किये जानेसे रोक देनेका कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेटका अधिकार

(१) कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेट अपनी कमिश्नरी या जिलेकी हदोंके भीतर

लिखित हुक्मके द्वारा, इस क़ानूनके अनुसार या किसी दूसरे क़ानूनके अनुसार दिये हुये या जारी किये हुये बोर्डके या किसी कमेटीके या बोर्डके किसी अफसर या कर्मचारीके या ज्वाइट कमेटीके किसी अफसर या कर्मचारीके किसी हुक्म या रेजोल्यूशन (प्रस्ताव) के अनुसार होते हुये कामका किया जाना या आगे उस कामका चलाया जाना, रोक दे सकता है। यदि उस कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेटकी रायमे वह रेजोल्यूशन या हुक्म इस प्रकारका हो कि जनताको उस रेजोल्यूशन या हुक्मकी वजहसे कोई रुकावट क्लेश (Annoyance) या हानि पहुँचती हो या किसी रुकावट क्लेश या हानि पहुँचनेकी सम्भावना हो, जब कि वह (अर्थात् जनता) किसी ऐसे काममे प्रवृत्त हो जिसके करनेका उसको क़ानूनके अनुसार अधिकार हो या उस हुक्म अथवा रेजोल्यूशनके कारण मनुष्यकी जान स्वास्थ्य या रक्षाके लिये जोखिम (खतरा) हो, या यदि उस हुक्म अथवा रेजोल्यूशनके कारण बलवा या झगड़ा हो, या हो जानेकी सम्भावना हो। कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेट को यहभी अधिकार है कि किसी शख्स को, ऐसे रेजोल्यूशन या हुक्मके अनुसार, या ऐसे रेजोल्यूशन या हुक्मकी आड़मे (Under Cover of) किसी कामके करने, या उसके जारी रखने से, रोकदे।

२ जब किसी 'शहर' (City) की म्यूनिसिपलटीके विषयमे, कोई हुक्म उपदफा (१) के अनुसार दिया जाय, तो जिला मजिस्ट्रेट, कमिश्नरके जरिये से, या स्वयम् कमिश्नर, अर्थात् जैसी हालत हो, प्रान्तीय सरकारके पास उस हुक्मकी एक नकल, उन कारणोंके सहित, जिनसे कि वह हुक्म देना पड़ाहो, भेज देगा। ऐसी नकलके भेजे जाने पर प्रान्तीय सरकार, उस हुक्मको, यदि वह उचित समझे, रद करदे सकेगी, या उसमें परिवर्तन कर सकेगी।

३ जब ऐसा हुक्म जिला-मजिस्ट्रेट किसी अन्य म्यूनीसिपलटी को दे, तो उस हुक्म की एक नकल, उन, कारणोंके सहित जिनसे कि वह हुक्म देना पड़ा हो, जिला मजिस्ट्रेट तुरन्त कमिश्नरके पास भेज देगा। ऐसी नकलके भेजे जाने पर, कमिश्नर उस हुक्मको, यदि वह उचित समझे, रद करदे सकेगा या उसमे परिवर्तन कर सकेगा।

४ जब किसी रेजोल्यूशन या हुक्मके अनुसार किसी कामके किये जाने, या उसको आगे चलाये जाने की मनाही किसी ऐसे हुक्मके द्वारा की जाय, जो उपदफा (१) के अनुसार दिया गया हो और उस समय तक प्रचलित हो तो बोर्डका कर्तव्य होगा, कि यदि वह हाकिम जिसने उक्त उपदफाके अनुसार हुक्म दिया हो, ऐसा करने को कहे, तो ऐसी कोई काररवाई करे जिसके करनेका उसको उस दशामे अधिकार होता, यदि उक्त रेजोल्यूशन या हुक्म मंजूर न हुआ होता या दिया न गया होता, और जो इस अभिप्रायसे आवश्यक हो कि कोई शख्स उस रेजोल्यूशन या हुक्मकी आड़मे जिसके आगे चलाये जानेकी मनाही करदी गई हो, किसी कामके करने या करते रहने से रोका जाय।

व्याख्या—

उप दफा (१) में शब्द "या किसी दूसरे क़ानून के अनुसार" इस अभिप्राय से रखे गये हैं कि जब बोर्ड किसी दूसरे क़ानून के अनुसार कोई काम करे, तो उस दशा [illegible] इस दफा के अनु हुक्म दिया जा सके।

—उपदफा (४) का आशय यहहै कि जब कोई हुक्म मजिस्ट्रेट या कमिश्नर दे, तो उस हुक्म का पालन भी बोर्ड के द्वारा करा सके। जैसे, यदि यह आवश्यक हो, कि बोर्ड मीटिंग करे, और दूसरा रेजोल्यूशन पास करके उस रेजोल्यूशन या हुक्म को मंसूख करे, जिसकी कि मनाही कर दी गई हो और उस शख्स को जिसको कि ऐसे मंसूख किये हुए रेजोल्यूशन के द्वारा किसी काम के करने की आज्ञा बोर्ड दे चुका हो, हुक्म दे कि वह शख्स आगे कोई काम न करे, तो मजिस्ट्रेट या कमिश्नर बोर्ड को, इन सब बातों के पूरा करने का भी हुक्म दे सकता है। केवल शर्त यह है कि मजिस्ट्रेट या कमिश्नर बोर्ड को किसी ऐसे ही काम के करने का हुक्म दे सकेगा, जिसके करने का बोर्ड को, कानून के अनुसार अधिकार हो।

—इस दफाके अनुसार जो हुक्म दिये जायँ उनको शासन सम्बन्धी हुक्म समझना चाहिये, और उनमें किसी अदालत दीवानी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हो सकता। अतएव जब कि एक म्यूनिसिपल बोर्ड ने एक शख्स को एक मन्दिर बनाने की इजाजत दी, और जिला मजिस्ट्रेट ने एक्ट नं० १ सन १९००ई०की दफा १८३ के अनुसार, म्यूनिसिपल बोर्ड के उक्त हुक्म को रद कर दिया, और प्रान्तीय सरकार ने उस हुक्म का समर्थन किया, तो उस शख्स ने जिसको कि इजाजत दी गई थी, अदालत दीवानी में दावा दायर किया, और प्रार्थना की कि इस बात का इस्तिकरार कर दिया जाय कि उसको मन्दिर बनवाने का अधिकार प्राप्त था। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि ऐसा दावा नहीं दायर किया जा सकता। जिला मजिस्ट्रेट को उक्त हुक्म देने का अधिकार था और अदालत दीवानी इस हुक्म में किसी प्रकार हाथ नहीं डाल सकती। देखिये, तुलसीदास बनाम सेक्रेटरी ऑव स्टेट वगैरा 6 A L J 458=31 All I L R 871=1 I C 896

नोट—एक्ट नं० १ सन १९००ई०की दफा १८३के हुक्म, वर्तमान एक्ट की दफा ३४के समान थे।

दफा ३५ प्रान्तीय सरकार और कमिश्नरका अधिकार जब बोर्ड अपने किसी कर्तव्यका पालन न करे

१ यदि किसी समय कोई लिखी हुई या जबानी दरख्वास्त (Representation) के पेश किये जाने पर, या अन्य प्रकार, प्रान्तीय सरकार को यह विदित हो कि किसी शहर (City) के बोर्ड, या कमिश्नर को यह विदित हो कि शहरों की म्यूनिसिपलटी के सिवाय किसी अन्य म्यूनिसिपलटी के बोर्ड ने, किसी ऐसे कर्तव्यका पालन नहीं किया है जो इस एक्टके द्वारा या उसके अनुसार, या किसी अन्य कानूनके द्वारा या अनुसार उसके ऊपर डाला गया हो, तो प्रान्तीय सरकार या कमिश्नर को (अर्थात् जैसी कि दशा हो) अधिकार होगा, कि बोर्ड से कैफियत (Explanation) मांगने के पश्चात् और यदि बोर्ड इस दफाके अनुसार कारवाई किये जाने के विरुद्ध कोई उज्र करे तो उस उज्र पर विचार करने के पश्चात् लिखित हुक्म के द्वारा उस कर्तव्य के पालन करने के लिये कोई अवधि नियत कर दे।

२ यदि उस कर्तव्य का पालन ऐसी नियत की हुई अवधि के भीतर न किया जाय तो प्रान्तीय सरकार या कमिश्नर को (अर्थात जैसी दशा हो) अधिकार होगा कि जिला मजिस्ट्रेट को उसके पूरा करने केलिये नियत करदे, और यह आदेश दे कि उस कर्तव्य को पूरा करने का व्यय (यदि कुछ हो) उस अवधि के भीतर जो कि नियत

की जाय, बोर्ड उक्त जिला मजिस्ट्रेट को अदा कर दे।

२ यदि वह व्यय इस प्रकार अदा न किया जाय, तो जिला मजिस्ट्रेटको अधिकार होगा कि प्रान्तीय सरकार या कमिश्नर की (अर्थात् जैसी कि दशा हो) मंजूरी पहले से प्राप्त करके उस शख्स के नाम, जिसके कब्जेमे म्यूनिसिपल कोष हो, इस हिदायत के साथ हुक्म दे कि वह उक्त व्यय को उक्त कोष से अदा करे।

व्याख्या—

प्रान्तीय सरकार इस दफा के अनुसार बोर्ड से कैफियत मागने का अपना अधिकार कमिश्नर को सौंप दे सकती है। कौन २ से व्यय म्यूनिसिपल कोषसे किये जानेके पश्चात् वह व्यय जिसका वर्णन दफा ३५ में है, वसूल किया जा सकता है इसका क्रम दफा १२० में दिया गया है।

दफा ३६ आकस्मिक आवश्यकता के पड़ने पर जिला मजिस्ट्रेट के विशेष अधिकार

१ आकस्मिक आवश्यकताके पडने पर जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार होगा कि किसी ऐसी तामीर (Work) को बनाने (Execution) या ऐसे कार्य के किये जाने का, प्रबन्ध करे जिसके बनाने या करने का अधिकार म्यूनिसिपल बोर्ड को प्राप्त हो, और जिसके विषय मे उसकी यह राय हो कि जनता की सुरक्षता या रक्षा की दृष्टि से, उस तामीर का तुरन्त बनाया जाना या काम का किया जाना आवश्यक है, और वह यह हिदायत कर सकता है कि उस तामीर आदि के बनाये जाने या काम के कराने मे जो रुपया लगे, वह बोर्ड तुरन्त अदा करे।

२ यदि उक्त खर्चा इस प्रकार अदा न किया जाय तो जिला मजिस्ट्रेटको अधिकार होगा कि उस शख्सके नाम जिसके कब्जे मे म्यूनिसिपलटी का कोष हो, इस हिदायत के साथ आज्ञा दे, कि वह उक्त खर्च को उक्त कोष मे से अदा करे।

३ जिला मजिस्ट्रेट के लिये आवश्यक होगा कि प्रत्येक मामले की, जिसमें वह इस दफाके अनुसार दिये हुये अधिकार बरते, रिपोर्ट तुरन्त कमिश्नर को भेज दे।

म्यूनिसिपलटी के मेम्बर

(Municipal Members)

दफा ३७ मेम्बरों को बदलाव दिये जाने की मनाही

प्रान्तीय सरकारकी मंजूरी के सिवाय, बोर्डको अपने किसी मेम्बरके किसी प्रकार का बदलाव (Remuneration अर्थात् हक उल्खिदमत) देने का अधिकार न होगा।

परन्तु शर्त यह है [illegible] के विषयमे नही दी जायगी जो सेक्रेटरी नियत [illegible]

सरकारने [illegible] करने का अधिकार कमिश्नरों
देखिये [illegible] १८)।

दफा ३८ मेम्बरों के पदकी अवधि

१ बोर्डके मेम्बरके पदकी अवधि तीन वर्षकी होगी, सिवाय उन मेम्बरो के जो इस दफाकी उपदफा (१ ए), (२), और (३) मे वर्णित हैं और यह अवधि निर्वाचन या नामजदगी की तारीखसे आरम्भ होगी, या यदि निर्वाचन अथवा नामज़दगी जगह खाली होने से पहले ही होगई हो, तो उस तारीख़ से आरम्भ होगी जब जगह खाली हो।

(१ए) दफ़ा २१ के क्लाज (ई) या दफा २१ ए के क्लाज (बी) के अनुसार जब बोर्ड फिरसे बनाया गया हो तो उसके मेम्बरो के पदकी अवधि उतने समयकी होगी जितने समय कि वह मेम्बर, जिसकी जगह पर वह नियुक्त किया गया हो अपने पद पर रहने का अधिकारी होता, यदि बोर्ड भग न किया गया होता या अलग न कर दिया गया होता।

एक्ट न० २ सन१९१९ई०

(२) ऐसे मेम्बरकी अवधि जो किसी पदपर होनेके कारण मेम्बर (Exofficio-member) बनाया गया हो, (परन्तु ऐसे मेम्बरके सिवाय जो केवल चेयरमैन होने के कारण मेम्बरी के पद पर माना जाता है) उस समय तक होगी जब तक कि वह अधिकारी (Authority) जिसने उसको नामजद किया हो उसको मेम्बर रखना चाहे। और यह अवधि नामजदगी की तारीख़से आरम्भ होगी, या यदि नामजदगी जगह खाली होने से पूर्व ही कर दी गई हो, तो उस तारीख़से आरम्भ होगी, जिस तारीख़ पर कि जगह ख़ाली हो।

(३) किसी ऐसे मेम्बरके पदकी अवधि जो किसी का निर्वाचन नाजायज कर दिये जाने पर निर्वाचित ठहराया गया हो, या जो किसी ऐसी जगहके भरने के लिये निर्वाचित किया गया हो, जो किसी मेम्बरकी मृत्यु या इस्तीफा देने, या अलग कर दिये जाने के कारण, सयोगवश खाली हुई हो, उसके निर्वाचनकी तारीख़से आरम्भ होगी, और उस समय तक रहेगी जब तक कि वह शख्स, जिसका निर्वाचन नाजायज कर दिया गया हो, या वह मेम्बर जिसकी जगह भरने के लिये उसका निर्वाचन हुआ हो (अर्थात जैसी दशा हो) सामान्य दशा मे अपनी जगह पर मेम्बर रहने का अधिकारी होता, यदि उसका निर्वाचन नाजायज न कर दिया गया होता या जगह खाली न हुई होती।

(४) परन्तु शर्त यह है कि प्रान्तीय सरकारको अधिकार होगा, कि किसी समय पर बोर्ड के सगठनके सम्बन्ध मे किसी परिवर्तन को, जो दफा ९ या दफा १० के अनुसार या दफ़ा ११ के किसी नियमके अनुसार दिये हुये किसी विज्ञापनके द्वारा किया जा सकता है कार्य्यरूपमे लाने के अभिप्राय से अथवा किसी ऐसे हुकमको कार्य्य रूपमे लाने के अभिप्रायसे जो मेम्बरो के बारी बारी से काम करने की किसी प्रणाली को

स्थापित करने, या ऐसी प्रणाली में परिवर्तन करने के लिये, या ऐसे ही किसी अन्य अभिप्रायसे बनाया गया हो विज्ञापन द्वारा कोई तारीख नियत कर दे जिस पर कि किसी बोर्डके सब मेम्बरों की या उनमें से कुछकी अवधि समाप्त हो जायगी, और ऐसी दशामें इन मेम्बरों के पदकी अवधि इस प्रकार बढ़ा या घटा दी जायगी। जिससे कि वह अवधि उपरोक्त नियतकी हुई तारीख पर समाप्त हो जाय।

(५) परन्तु शर्त यह भी है कि कोई शख्स जो कि अपने पदकी अवधि समाप्त हो जाने के कारण मेम्बर न रहा हो, यदि वह अन्य प्रकार योग्यता रखता हो तो फिर से निर्वाचन या नामजदगी के योग्य समझा जायगा।

व्याख्या—

उप दफा (१ ए) म्यूनिसिपलटीज एमेंडिंग एक्ट नं० २ सन १९१९ के द्वारा उन मेम्बरों के पदकी अवधि नियत करने के लिये बढ़ाई गई है जो किसी बोर्ड को भंग कर दिये जाने या अलग कर दिये जाने के पश्चात नया बोर्ड स्थापित किये जाने पर निर्वाचित या नामजद किये जाते हैं।

—उप दफा (२) में जो शब्द "एक्स ऑफिशियो मेम्बर" (Exofficio-member) आया है उसका अभिप्राय किसी ऐसे मेम्बर से है जो किसी पद पर होने के कारण मेम्बर नामजद किया जाता है। जैसे प्राय सिविल सर्जन या हाकिम परगना (Sub-divisional) "एक्स ऑफिशियो मेम्बर" नियत किये जाया करते हैं, ऐसा शख्स अपने नामसे नहीं, वरन पदके नामसे नामजद किया जाता है, जिसके कारण, यदि उस शख्सकी, जो उस पद पर हो, एक जगहसे दूसरी जगह बदली हो जाय, तो दूसरा शख्स जो उस पद पर बदलके आवेगा, वह पहले शख्सकी जगह आपसे आप मेम्बर समझा जाने लगेगा।

—उपदफा (३) केवल निर्वाचित मेम्बरों पर लागू है, नामजद मेम्बरों पर नहीं। देखिये दफा १३ की व्याख्या।

उपदफा (४) दफा ९ में इस विषय में हुक्म है कि बोर्डमें साधारणत कौन मेम्बर होंगे। दफा १० में प्रान्तीय सरकार को अधिकार दिया गया है कि दफा ९ के अनुसार जो साधारण संगठन बोर्डों का होता है उसमें किसी बोर्ड के लिये परिवर्तन करदे। दफा ११ में इस विषयमें हुक्म है कि म्यूनिसिपलटी के किस वार्डसे, कितने मेम्बर होंगे, और किन २ समुदायों के विशेष प्रतिनिधि होंगे।

उपदफा (४) का मतलब यहहै कि यदि कभी प्रान्तीय सरकार उपरोक्त दफाओं के अनुसार नियत किये हुये, बोर्डके संगठनमें कोई परिवर्तन करना चाहे, तो वह आज्ञा दे सकती है कि किसी मेम्बर के या सब मेम्बरों के पदकी अवधि अमुक तारीख पर समाप्त हो जायगी, और उस तारीखसे नये परिवर्तन के अनुसार बोर्डमें मेम्बर होंगे। मान लीजिये कि एक बोर्डमें १० निर्वाचित और २ नामजद किये हुये मेम्बर हैं। जब इन मेम्बरों के पदकी अवधि एक वर्ष बाकी रह जाय, तब प्रान्तीय सरकार बोर्ड के संगठनमें यह परिवर्तन करना निश्चय करे कि आगे उसमें ९ निर्वाचित और ३ नामजद मेम्बर होंगे, तो जो तारीख प्रान्तीय सरकार नियत कर देगी उस पर पुराने निर्वाचित मेम्बरों के पदकी अवधि समाप्त हो जायगी। अर्थात [illegible] पदकी [illegible] से उतना समय घटा दिया जायगा कि नियत तारीख पर सबकी [illegible]

इसी प्रकार यदि प्रान्तीय सरकार यह निश्चय करे कि किसी समुदाय के विशेष प्रतिनिधि अलग अलग नहीं रहेंगे वरन बारी २ से, कभी एक के, कभी दूसरेके रहा करेंगे, तो भी ऐसी प्रणाली के अनुसार बोर्ड का सगठन करने के लिये, प्रान्तीय सरकार किसी समय पर जिन मेम्बरों की वह चाहे, पदकी अवधि समाप्त हो जाने का हुक्म दे सकती है।

दफा ३९ मेम्बरों का इस्तीफा

१ जो मेम्बर (चेयरमैन को छोड़ के) इस्तीफा देना चाहे, वह अपना लिखा हुआ इस्तीफा चेयरमैन के द्वारा कमिश्नरको भेज सकता है।

२ जब कमिश्नरके द्वारा इस्तीफा मजूर कर लिये जानेकी सूचना बोर्डके पास पहुँच जाय, उस समयसे यह समझा जायगा कि उस मेम्बरने अपनी जगह खाली करदी।

दफा ४० मेम्बरों का अलग किया जाना

१ शहरकी म्यूनिसिपलटी मे प्रान्तीय सरकार को और अन्य म्यूनिसिपलटियों मे कमिश्नरको अधिकार होगा कि किसी ऐसे मेम्बरको बोर्डसे अलग करदे,—

(ए) जो लगातार तीन माससे अधिक तक बोर्डकी मीटिंगोंमे अनुपस्थित रहे और ऐसी अनुपस्थितिका कोई ऐसा कारण न पेश कर सके, जो बोर्डकी सम्मतिमें सतोषजनक हो। या

(बी) जो ऐसा दिवालिया हो, जो अपने ऋणकी जिम्मेदारीसे मुक्त न किया जा चुका हो। या

(सी) जिसको किसी अदालत फौजदारीने छ माससे अधिककी कैदकी सजा दी हो, या कालेपानीका हुक्म दियाहो, या जिसको जाब्ता फौजदारीके अनुसार नेक चलनीकी जमानत देनेका हुक्म दिया गया हो, और वह सजा या हुक्म पीछेसे रद या माफ न कर दिया गया हो, या अपराधी को माफी न मिल गई हो। या

(डी) जिसने, कमिश्नरकी लिखी हुई आज्ञा प्राप्त किये बिना दफा ८२ के अर्थ के अनुसार, जान बूझकर, सीधे या किसी आड़मे (Directly or Indirectly) या अपने साझीदारके द्वारा, किसी ऐसे मुआहिदेमे जो बोर्डके साथ किया जाय, या जो बोर्ड करे, या जो बोर्डकी ओरसे किया जाय, या किसी ऐसे काम (Employment) मे जो बोर्ड कराये, या करे, या बोर्डकी ओरसेकिया जाय, कोई भाग प्राप्त कियाहो, या प्राप्त करके लेता रहा हो, या ऐसे मुआहिदे या कामसे किसी प्रकारका वास्ता कर लिया हो, या करके वास्ता जारी रखाहो।

(ई) जिसने, दफा ८२ की उपदफा (२) के क्लाज (डी) या (ई)में बताये हुये मामलोके सिवाय किसी ऐसे मामलेमे, जान बूझकर मेम्बरीकी हैसियतसे, काम किया हो, जिसमें वह या कोई उसका साझीदार, सीधा या किसी आड़मे (Directly or Indirectly) कोई जाती वास्ता रखता हो, या

जिस मामलेमे वह किसी मवक्किल, मालिक (Principal) या किसी दूसरे शख्सकी ओरसे अपने पेशेके सम्बन्धमे कोई वास्ता रखताहो। या

(एफ़) जो कानून पेशा शख्स होकर किसी मुकद्दमे या अन्य कारर्वाईमे, किसी अन्य शख्सकी ओरसे, बोर्डके विरुद्ध, या भारतमंत्री (Secretary) के विरुद्ध उस हालत मे जबकि उक्त भारत मत्री किसी ऐसी आराजी नजूल के विषयमे जिसका प्रबन्ध बोर्डके जिम्मे हो, कोई मुकद्दमा लड़ रहा हो, काम करे, या वकालत करे, या जो किसी अन्य शख्सकी ओरसे किसी ऐसी फौजदारीकी काररवाईमे जो बोर्डने उसपर चलाई हो, या जो बोर्डकी ओर से उसपर चलाई गई हो, काम करे या वकालत करे।

२ कोई मेम्बर, जो उपदफा (१) के क्लाज (डी), (ई), या (यफ़) के अनुसार कमिश्नरके हुक्मसे, अलग कर दिया गयाहो, हुक्म पानेसे एक मासके भीतर, उस हुक्मकी अपील प्रान्तीय सरकारके पासकर सकताहै, और ऐसी अपील होने पर प्रान्तीय सरकार को अधिकार होगा कि, यदि वह उचित समझे, तो कमिश्नर के हुक्म को रद करदे, और मेम्बर को उसकी जगहपर बहाल करदे।

३ प्रान्तीय सरकार किसी ऐसे मेम्बरको बोर्डसे अलग कर सकती है, जिसने उसकी रायमे किसी प्रकार बोर्डकी मेम्बरीका ऐसा घोर अनुचित प्रयोग (Flagrantly abused) किया हो, कि जिसके कारण उसका आगे मेम्बर रखा जाना जनता (Public) के लाभ केलिये हानि कारक हो।

४ परन्तु शर्त यह है कि जब प्रान्तीय सरकार या कमिश्नर (अर्थात इनमें से जिसको अधिकार हो), इस दफाके पूर्वोक्त हुक्मोंके अनुसार काररवाई करनेका विचार करे, तो जिस मेम्बरके विरुद्ध ऐसी काररवाई करनाहो, उस मेम्बरको जवाबदिही करनेका अवसर देना चाहिये, और जब किसी मेम्बरको अलगकर दिये जानेका हुक्म दिया जाय, तो यह आवश्यक होगा कि उन कारणोको लेख बद्ध कर दिया जाय जिनके लिये वह मेम्बरीसे हटाया जाता हो।

व्याख्या—

क्लाज (ए) के अनुसार मेम्बरी से हटा दिये जाने के लिये यह आवश्यक है कि मेम्बर लगातार तीन मास तक किसी मीटिंग में न गया हो, चाहे इस अवधि में कितनी ही मीटिंग हुई हों। परन्तु केवल तीन मीटिंगों में अनुपस्थित रहने से कोई मेम्बर अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा भ्रम इस कारण हो सकता है कि साधारणत प्रतिमास बोर्ड की एक मीटिंग हुआ करती है। ऐसे मेम्बर को अलग करने का अधिकार कमिश्नर अथवा प्रान्तीय सरकार को दिया गया है, परन्तु यह निर्णय करने का अधिकार बोर्ड को दिया गया है कि अपनी अनुपस्थितिके लिये जो जवाब अथवा कारण मेम्बर पेश करता है वह संतोष जनक है कि नहीं। यह कुछ असामान्य सी बात है।

(सी) नेक चलनी की जमानत के लि[illegible] में हैं उनके लिये देखिये दफा १४ की व्याख्या।

—जो मेम्बर क्लाज (डी) की [illegible] दो प्रकार के दण्ड रखे गये हैं, अर्थात [illegible] दफा [illegible] सकत[illegible] और

दूसरे उसके ऊपर दफ़ा १६८ ताज़ीरात हिन्द के अनुसार मुक़द्दमा भी चलाया जा सकता है। देखिये इस एक्ट की दफ़ा ८२।

—क्लॉज़ (ई) का आशय यह है कि कोई शख्स मेम्बरी की हैसियत से किसी ऐसे काम में हाथ न डाल सके जिस काम के नफ़े या आमदनी से, स्वय उसका कोई वास्ता हो, या जिससे उसके किसी मवक्किल का वास्ता हो अथवा किसी ऐसे शख्स का वास्ता हो जिसका कि वह एजेंट हो, क्यों कि ऐसी दशा में उसको केवल अपने ही लाभ की चिन्ता हो सकती है, म्यूनिसिपल्टी के लाभ की नहीं। केवल दो हालतें हैं जो दफ़ा ८२ के क्लॉज़ (डी) और (ई) में वर्णित हैं जिनमें कोई शख्स क्लॉज़ (ई) के अनुसार अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है अर्थात्—

१ यदि बोर्ड ने कोई क़र्ज़ा जनता से लिया हो और उस क़र्ज़े का कोई भाग किसी मेम्बर ने भी दिया हो, तो ऐसी दशा में कोई मनाही इस विषय म नहीं है कि उस क़र्ज़े के सम्बन्ध में ऐसा मेम्बर कोई काम न करे या कोई राय न दे। देखिये दफ़ा ८२ का क्लॉज़ 'डी'।

२ यदि कोई मेम्बर बोर्ड की तरफ से वकील हो, और फीस पाता हो, तो उसके लिये इस बात की मनाही नहीं है कि वह मेम्बरी की हैसियत से उस मुक़द्दमेके सम्बन्ध में कोई काम न करे अथवा राय न दे देखिये दफ़ा ८२ का क्लॉज़ (ई)।

—उप दफ़ा (१) में बहुत सी ऐसी सूरतें बताई गई हैं जिनके कारण कमिश्नर या प्रान्तीय सरकार किसी मेम्बर को अलग कर दे सकती है। ये सब सूरतें किसी निश्चित अपराध के लिये हैं। परन्तु उपदफ़ा (३) किसी निश्चित अपराध के लिये नहीं है इसी से केवल प्रान्तीय सरकार को इस बात के निर्णय करने का अधिकार दिया गया है कि किसी मेम्बर का कोई काम ऐसी सीमा तक पहुंचता है कि नहीं कि क्लॉज़ (३) के अनुसार वह मेम्बरी से अलग किया जा सके।

दफ़ा ४१ दफ़ा ४० के अनुसार अलग किये हुए मेम्बरों पर लग जाने वाली अयोग्यतायें

१ जो मेम्बर उपरोक्त दफ़ा की उप दफ़ा (१) के क्लाज (ए) के अनुसार अलग किया जाय, यदि अन्य प्रकार वह योग्य हो तो, फिरसे निर्वाचन के लिये योग्य समझा जायगा, और नामजद भी किया जा सकेगा।

२ जो मेम्बर उपरोक्त दफ़ाकी उप दफ़ा (१) के क्लाज (बी) के अनुसार अलग किया जाय, वह मेम्बरी के लिये योग्य न समझा जायगा, जब तक कि वह अपने ऋण की जिम्मेदारी से मुक्ति प्राप्त न कर ले।

३ जो मेम्बर कि उपरोक्त दफ़ा की उप दफ़ा (२) के अनुसार अलग किया जाय, वह अलग किये जाने की तारीख से, तीन वर्ष तक, मेम्बरी के लिये योग्य न समझा जायगा।

४ जो मेम्बर उपरोक्त दफ़ा के अन्य किसी हुक्म के अनुसार, अलग किया जाय, वह मेम्बरी के लिये योग्य न समझा जायगा, जब तक कि उसके विषय मे यह ठहरा न दिया जाय, कि अब वह मेम्बरी के लिये अयोग्य नहीं रहा, और उसके विषय में यह बात निश्चित करने का अधिकार प्रान्तीय सरकार अथवा कमिश्नर को होगा अर्थात् इन दोनों में से जिसने उसके अलग किये जाने का हुक्म दिया हो।

दफा ४२ 'म्यूनिसिपल कमिश्नर' शब्द का बोर्डके किसी मेम्बरके लिये काम में लाया जाना

"म्यूनिसिपल कमिश्नर" शब्द मे, जहां कहीं वह किसी ऐसे कानून मे आवे, जिसका विस्तार संयुक्त प्रान्त मे हो, शामिल होगा, बोर्ड का कोई मेम्बर, जो इस एक्ट के अनुसार नामजद या निर्वाचित किया गया हो।

नोट—ताजीरात हिन्द की दफा २१ (१०) के अनुसार प्रत्येक म्यूनिसिपल कमिश्नर "सार्वजनिक नौकर" (Public Servant) होता है।

चेयरमैन तथा वाईस चेयरमैन

दफा ४३ चेयरमैन का निर्वाचन या नामजदगी

१ जब कभी चेयरमैन की जगह खाली होनेके कारण, या इस कारण कि उसकी जगह खाली होने वाली हो, या अन्य किसी कारणसे, चेयरमैनके नियुक्त किये जानेकी आवश्यकता हो, तो बोर्ड अपने मेम्बरोंमे से किसीको, या किसी ऐसे शख्सको जो मेम्बर चुने जाने की योग्यता रखता हो, विशेष रेजोल्यूशन (Special resolution) के द्वारा चेयरमैन चुन लेगा। परन्तु शर्त यह है कि, सरकारी खजान्चीके सिवाय, कोई शख्स जो वेतन पानेवाला सरकारी नौकर हो, चेयरमैन नही चुना जासकेगा।

२ उस दशामें जबकि कोई नई म्यूनिसिपलटी स्थापित की गई हो चेयरमैनकी खाली जगह बोर्डके बनजाने से दस दिनके भीतर, और अन्य म्यूनिसिपलटियोंमे जगह खाली होनेसे दस दिनके भीतर भरदी जाना चाहिये और यदि जगह संयोग वश खाली हुई हो, तो जगह खाली होनेसे १५ दिनके भीतर, भरदी जाना चाहिये।

३ परन्तु शर्त यह है कि प्रान्तीय सरकारको अधिकार होगा कि विज्ञापनके द्वारा प्रकाशित करदे कि इस दफाके पूर्वोक्त हुक्म किसी एक, या एक से अधिक, म्यूनिसिपलटियों पर लागू न होंगे, और ऐसी दशामें प्रान्तीय सरकार स्वयं किसी ऐसे शख्सको जिसको वह योग्य समझे चेयरमैन नामजद करदेगी। परन्तु किसी ऐसी म्यूनिसिपलटी के विषयमें, जिसमें कि दफा ५७ के अनुसार, प्रान्तीय सरकारकी मंजूरी द्वारा, बोर्डने एक्जिक्यूटिव अफसर (Executive officer) रखा हो, या जिसमें दफा ६५ के अनुसार एक्जिक्यूटिव अफसर नियुक्त किया गया हो, कोई ऐसा विज्ञापन छः माससे अधिक के लिये नही दिया जायगा, न छः माससे अधिक वह प्रचलित रहेगा।

भावार्थ—(Explanation) "वेतन पाने वाला सरकारी नौकर" (Salaried Servant of Government) शब्दोंमें शामिल होगा कोई शख्स जो सरकारसे वेतन पाता हो, चाहे वह अपना पूरा समय देनेका सरकारी नौकर न हो परन्तु उन शब्दोंमें कोई ऐसा शख्स जिसको कि पेन्शन मिलती हो शामिल न समझा जायगा।

व्याख्या—

"विशेष रेजोल्यूशन" के लिये देखिये इस एक्टकी दफा ८८।

—चेयरमेन के निर्वाचन के सम्बन्धमें यह समस्या उत्पन्न होती है कि नये मेम्बरों का निर्वाचन हो जाने पर, जब बोर्ड की मीटिंग नया चेयरमैन चुनने के लिये बैठे, तो पुराना चयरमैन उस मीटिंग का सभापति हो सकता है कि नहीं, और अपना वोट नये चेयरमैन के निर्वाचन के लिये दे सकता है कि नहीं ? एक्ट में इस विषयमें कोई स्पष्ट आज्ञा नहीं है ।

यदि यह बात मानी जाय कि चेयरमैन के पदकी अवधि भी मेम्बरों के पदकी अवधि के साथ ही समाप्त हो जातीहै, तो कुछ कठिनाइयां सामने आतीहैं । जैसे यह कि नये चेयरमैन के चुनावके लिये जो मीटिंग जोडी जाय उसमें एक सभापति का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना सभापति के कोई मीटिंग नहीं होती । मान लीजिये कि किसी बोर्ड में मेम्बरों की सम संख्या है, और ऐसी मीटिंग के सभापति के चुनने में आधे २ मेम्बरों की राय अलग रहे, तो ऐसी दशा में क्या किया जायगा ? फिर यह कि एक्टमें केवल चेयरमैन को मीटिंग जोडने का अधिकार दिया गया है । देखिये दफा ५१ और दफा ८६ की उप दफा (२) । यदि पुराना चेयरमैन नये चेयरमैन के निर्वाचन के लिये, अपने पदके समाप्त होने की तारीखसे पूर्वही, मीटिंग का नोटिस जारी न कराये, या न करा सके, तो यह कठिनाई सामने आती है कि मीटिंग जोडने का अधिकार कौन बरते ? इसी प्रकार के अनेक विचारों से यह उचित जान पड़ता है कि चेयरमैन के पदकी अवधि समाप्त हो जाने पर भी ऐसी कठिनाइयां बचाने के लिये, यही माना जाना उचित है कि पुराने चेयरमैन के कार्यनिर्वाहक अधिकार (Executive Functions) उस समय तक बने रहते हैं जब तक कि नये चयरमैन का निर्वाचन न हो जाय ।

मदरास हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा ही प्रश्न 'तअल्लुक' बोर्ड के चेयरमैन के विषय में हाल में पेश हुआ । उक्त हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि 'तअल्लुक' बोर्ड के सब मेम्बरों के पद की अवधि उस दिन समाप्त हो जाती है जब प्रान्तीय सरकार विज्ञापन द्वारा एक्ट के अनुसार नियत कर दे । किन्तु बोर्ड का काम चलाने के लिये पुराना सभापति (President) अपने पद पर उस समय तक रहेगा और उसके कार्य निर्वाहक अधिकार उस समय तक रहेंगे जब तक कि नया सभापति न चुन लिया जाय । देखिये सी० के० रामास्वामी गोंडन बनाम मुत्थू वेलाप्पा गोंडन 1923 All I R (Mad) 192

मदरास की नजीर, ऐसे उसूल पर अवलम्बित है कि यह आशा की जा सकती है कि यदि कोई ऐसा मामला हमारे हाईकोर्ट के सामने पेश होगा तो भी फैसला इस उसूल से भिन्न न होगा । सारांश यह कि यही बात निर्णय होती है कि चेयरमैन के कार्यनिर्वाहक अधिकार उस समय तक रहते हैं जब तक कि नया चेयरमैन चुना न जाय । और ऐसे कार्य निर्वाहक अधिकारों के द्वारा पुराना चेयरमैन, नये चेयरमैन के निर्वाचन के लिये मीटिंग कर सकता है, उस मीटिंग का सभापति हो सकता है, और ऐसी मीटिंग में यदि किसी दो शख्सों के लिये बराबर २ वोट आये, तो पुराना चेयरमैन अपना कास्टिङ्ग वोट (Casting) भी दे सकता है, क्योंकि ऐसी दशा में कास्टिङ्ग वोट का देना एक कार्य निर्वाहक अधिकार अवश्य होगा । परन्तु यदि वोट बराबर न हों, तो पुराने चेयरमैन को अपना वोट किसी उम्मेदवार के पक्ष में न देना चाहिये, क्योंकि कार्य के निर्वाह के लिये ऐसी दशा में चेयरमैन का वोट आवश्यक न होगा ।

—कोई सरकारी नौकर जो वेतन पाता है चेयरमैन नहीं हो सकता, परन्तु बोर्ड का मेम्बर होने के लिये केवल कुछ विशेष सरकारी नौकरों के लिये मनाहीहै, देखिये दफा १६ (ई) ।

दफा ४४ बोर्डके द्वारा चेयरमैन न चुने जानेकी दशामें कारवाई

यदि कोई बोर्ड पूर्वोक्त दफा मे बताई हुई विधि के अनुसार चेयरमैन न चुन लेगा तो, यदि वह बोर्ड शहर की म्यूनिसिपलटी का हो, प्रान्तीय सरकार, और अन्य दशाओं मे, कमिश्नर, एक चेयरमैन नामजद कर देगा।

व्याख्या—

चेयरमैन की नामजदगी या तो किसी शख्स के निजी नाम से की जा सकती है, या पद के नाम से। यदि नामजदगी पद के नाम से की गई हो, जैसे "अमुक जगहका हाकिम परगना" तो जो शख्स उस पद पर किसी समय होगा, वही चेयरमैन माना जायगा। इसके विपरीत यदि नामजदगी किसी अफसर के निजी नाम से की जाय, तो यदि कोई दूसरा शख्स बदल के उस पद पर आये तो वह चेयरमैन नहीं होगा, जब तक कि उसकी नामजदगी फिर से न की जाय।

दफा ४५ चेयरमैनके पदपर दूसरीबार चुनेजाने या नामज़द किये जानेकी योग्यता

१ पद खाली करने वाला चेयरमैन, यदि वह अन्य प्रकार योग्यता रखता हो चेयरमैनीके लिये फिरसे निर्वाचित या नामज़द, किया जासकता है।

२ परन्तु शर्त यह है कि कोई शख्स चेयरमैनीके पदकी दो अवधिसे अधिक प्रान्तीय सरकारकी मजूरी के किसी शहरका, और बिना कमिश्नरकी मजूरीके अन्य म्यूनिसिपलटीका, चेयरमैन निर्वाचित न किया जासकेगा।

दफा ४६ चेयरमैनके पद की अवधि

१ किसी ऐसे चेयरमैनके पदकी अवधि, सिवाय एक्स-आफिशियो चेयरमैन (अर्थात जो किसी पदपर होनेके कारण चेयरमैन बनाया गया हो) जो अपने निर्वाचन या नामजदगी की तारीख पर बोर्डका मेम्बर हो, उतनी होगी जितना समय उसकी मेम्बरीकी अवधिमें शेष रह गया हो।

२ किसी ऐसे चेयरमैनके पदकी अवधि (सिवाय एक्स-आफिशियो चेयरमैन) जो अपने निर्वाचन या नामजदगी की तारीख पर बोर्डका मेम्बर नही है—

(ए) तीन वर्षकी होगी, सिवाय उन दशाओंके जो (बी), (सी) (डी) क्लाजोंमे वर्णित हैं।

(बी) उस दशामे जबकि बोर्ड अलग कर दिया जाय, (Superseded) उस तारीख तक होगी, जिसपर कि बोर्ड अलग कर दिया जाय।

(सी) उस दशामे जबकि दफा ३० के अनुसार दिये हुये हुक्मके द्वारा, दफा ३८ की उपदफा (४) के अनुसार दिये हुये विज्ञापनके द्वारा, भंग (Dissolve) कर दिया जाय, उस तारीख तक होगी जिसपर कि बोर्ड भग कर दिया जाय।

(डी) उस दशामे जबकि दफा ४२ के अनुसार वह किसी चेयरमैनी

ऐक्ट नं० २ सन् १९१६ ई०

संयोगवश खाली हुई जगह भरनेके लिये, नामजद किया गया हो, उस समय तक होगी, जितना समय कि उस शख्सकी अवधिमें शेष हो, जिसकी जगह भरनेके लिये वह नामजद किया गया है।

३ किसी एक्स-आफिशियो (Ex-officio अर्थात ऐसा शख्स जो किसी पद पर होनेके कारण चेयरमैन बनाया गया हो) चेयरमैनके पदकी अवधि उस समय तक रहेगी, जब तक वह अधिकारी (Authority), जिसने कि उसको नामजद किया हो, उसको मेम्बर रखना चाहे।

४ परन्तु शर्त यह है कि उस दशामें, जब कि दफा ४२ की उपदफा (३) के अनुसार दिया हुआ विज्ञापन प्रभावित न रहे, और बोर्डको अपना चेयरमैन चुननेका अधिकार प्राप्त होजाय, तो वह चेयरमैन जो उक्त उपदफाके अनुसार प्रान्तीय सरकारके द्वारा नामजद किये जानेके कारण, चेयरमैनके पद पर था, उस तारीखसे चेयरमैनीके पदपर न समझा जायगा, जिस तारीखपर कि बोर्ड अपना चेयरमैन निर्वाचित करले।

व्याख्या—

तीन प्रकार के चेयरमैन हो सकते हैं, अर्थात —

१ "एक्स आफिशियो चेयरमैन—(Ex officio Chairman) ऐसा चेयरमैन उतने समय तक चेयरमैनी के पद पर रहेगा जब तक कि वह अधिकारी चाहे, जिसने नामजद किया हो। परन्तु नामजदगी ऐसे चेयरमैन की भी तीन वर्ष के लिये ही की जाती है।

२ "चेयरमैन जो बोर्ड का मेम्बर भी हो"—ऐसा चेयरमैन उस समय तक पद पर रहेगा जब तक कि उसकी मेम्बरी के पद की अवधि बाकी रहे, अर्थात् ऐसे चेयरमैन के पद की अवधि सब मेम्बरों के पद की अवधि के संग समाप्त होगी।

३ "चेयरमैन जो बोर्ड का मेम्बर न हो"—(ए) ऐसा चेयरमैन तीन वर्ष के लिये निर्वाचित होगा। उसके पद की अवधि, अन्य मेम्बरों के पद की अवधि के संग समाप्त न होगी, वरन उस तारीख पर समाप्त होगी जिस तारीख पर कि उसको चेयरमैनी करते पूरे तीन वर्ष हो जाय। (बी) यदि कोई बीचही में अलगकर दिया जाय तो स्पष्टतः उसके चेयरमैनीकी अवधि भी बोर्ड के संग समाप्त हो जायगी। (सी) यदि बोर्ड दफा ३० के अनुसार भंग कर दिया जाय, तो भी ऐसे चेयरमैनके पद की अवधि बोर्ड भंग किये जानेकी तारीखसे समाप्त हो जायगी। और यदि बोर्ड के संगठनमें कोई परिवर्तन दफा ३८ की उपदफा (४) के अनुसार किया जाय और सब मेम्बरों के पद की अवधि, किसी तारीखपर, प्रान्तीय सरकारके हुक्मसे समाप्त हो जाय, तो ऐसे चेयरमैनके पद की अवधिभी समाप्तहो जायगी। (डी) यदि कभी बीच में, संयोगवश किसी चेयरमैनका पद खाली हो जाय, जैसे अब कोई चेयरमैन एक वर्ष चेयरमैनी करने के पश्चात मर जाय, और बोर्ड उसकी जगह दूसरा चेयरमैन, १५ दिन के भीतर दफा ४३ की उपदफा (२) के अनुसार निर्वाचित न करे और प्रान्तीय सरकार अथवा कमिश्नर को दफा ४४ के अनुसार चेयरमैन नामजद करना पड़े तो ऐसा चेयरमैन केवल उतने ही समय के लिये नामजद होगा जितना समय कि मृत चेयरमैन की अवधि में बाकी रह गया हो।

दफा ४४ बोर्डके द्वारा चेयरमैन न चुने जानेकी दशामें कारवाई

यदि कोई बोर्ड पूर्वोक्त दफा मे बताई हुई विधि के अनुसार चेयरमैन न चुन लेगा तो, यदि वह बोर्ड शहर की म्यूनिसिपलटी का हो, प्रान्तीय सरकार, और अन्य दशाओं मे, कमिश्नर, एक चेयरमैन नामज़द कर देगा।

व्याख्या—

चेयरमैन की नामजदगी या तो किसी शख्स के निजी नाम से की जा सकती है, या पद के नाम से। यदि नामजदगी पद के नाम से की गई हो, जैसे "अमुक जगहका हाकिम परगना" तो जो शख्स उस पद पर किसी समय होगा, वही चेयरमैन माना जायगा। इसके विपरीत यदि नामजदगी किसी अफसर के निजी नाम से की जाय, तो यदि कोई दूसरा शख्स बदल के उस पद पर आये तो वह चेयरमैन नहीं होगा, जब तक कि उसकी नामजदगी फिर से न की जाय।

दफा ४५ चेयरमैनके पदपर दूसरीबार चुनेजाने या नामज़द किये जानेकी योग्यता

१ पद खाली करने वाला चेयरमैन, यदि वह अन्य प्रकार योग्यता रखता है चेयरमैनीके लिये फिरसे निर्वाचित या नामज़द, किया जासकता है।

२ परन्तु शर्त यह है कि कोई शख्स चेयरमैनीके पदकी दो अवधिसे अधिक, प्रान्तीय सरकारकी मजूरी के किसी शहरका, और बिना कमिश्नरकी मजूरीके अन्य म्यूनिसिपलटीका, चेयरमैन निर्वाचित न किया जासकेगा।

दफा ४६ चेयरमैनके पद की अवधि

१ किसी ऐसे चेयरमैनके पदकी अवधि, सिवाय एक्स-आफिशियो (अर्थात जो किसी पदपर होनेके कारण चेयरमैन बनाया गया हो) जो अपने [निर्वा]चन या नामजदगी की तारीख पर बोर्डका मेम्बर हो, उतनी होगी जितना समय उसकी मेम्बरीकी अवधिमें शेष रह गया हो।

२ किसी ऐसे चेयरमैनके पदकी अवधि (सिवाय एक्स-आफिशियो चेयरमैन) जो अपने निर्वाचन या नामजदगी की तारीख पर बोर्डका मेम्बर नही है—

(ए) तीन वर्षकी होगी, सिवाय उन दशाओंके जो (बी), (सी) (डी) क्लाजोंमे वर्णित है।

(बी) उस दशामे जबकि बोर्ड अलग कर दिया जाय, (Superseded) उस तारीख तक होगी, जिसपर कि बोर्ड अलग कर दिया जाय।

(सी) उस दशामे जबकि दफा ३० के अनुसार दिये हुये हुक्मके द्वारा, दफा ३८ की उपदफा (४) के अनुसार दिये हुये विज्ञापनके भंग (*Dissolve*) कर दिया जाय, उस तारीख तक होगी जिसपर कि बोर्ड भग कर दिया जाय।

(डी) उस दशामे जबकि दफा ४४ के अनुसार वह किसी चेयरमैनी

[left margin, vertical: ऐक्ट नं० ७ सन १९१९ ई०]

संयोगवश खाली हुई जगह भरनेके लिये, नामजद किया गया हो, उस समय तक होगी, जितना समय कि उस शख्सकी अवधिमें शेष हो, जिसकी जगह भरनेके लिये वह नामजद किया गया है।

३ किसी एक्स-आफिशियो (Ex officio अर्थात ऐसा शख्स जो किसी पद पर होनेके कारण चेयरमैन बनाया गया हो) चेयरमैनके पदकी अवधि उस समय तक रहेगी, जब तक वह अधिकारी (Authority), जिसने कि उसको नामजद किया हो, उसको मेम्बर रखना चाहे।

४ परन्तु शर्त यह है कि उस दशामें, जब कि दफा ४३ की उपदफा (३) के अनुसार दिया हुआ विज्ञापन प्रभावित न रहे, और बोर्डको अपना चेयरमैन चुननेका अधिकार प्राप्त होजाय, तो वह चेयरमैन जो उक्त उपदफाके अनुसार प्रान्तीय सरकारके द्वारा नामजद किये जानेके कारण, चेयरमैनके पद पर था, उस तारीखसे चेयरमैनीके पदपर न समझा जायगा, जिस तारीखपर कि बोर्ड अपना चेयरमैन निर्वाचित करले।

व्याख्या—

तीन प्रकार के चेयरमैन हो सकते हैं, अर्थात —

१ "एक्स आफिशियो चेयरमैन—(Ex officio Chairman) ऐसा चेयरमैन उतने समय क चेयरमैनी के पद पर रहेगा जब तक कि वह अधिकारी चाहे, जिसने नामजद किया हो। रन्तु नामजदगी ऐसे चेयरमैन की भी तीन वर्ष के लिये ही की जाती है।

२ "चेयरमैन जो बोर्ड का मेम्बर भी हो"—ऐसा चेयरमैन उस समय तक पद पर रहेगा ब तक कि उसकी मेम्बरी के पद की अवधि बाक़ी रहे, अर्थात् ऐसे चेयरमैन के पद की अवधि व मेम्बरों के पद की अवधि के संग समाप्त होगी।

३ "चेयरमैन जो बोर्ड का मेम्बर न हो"—(ए) ऐसा चेयरमैन तीन वर्ष के लिये निर्वाचित ोगा। उसके पद की अवधि, अन्य मेम्बरों के पद की अवधि के संग समाप्त न होगी, वरन उस तारीख पर समाप्त होगी जिस तारीख पर कि उसको चेयरमैनी करते पूरे तीन वर्ष हो जाय। बी) यदि कोई बीचही में अलगकर दिया जाय तो स्पष्टत उसके चेयरमैनीकी अवधि भी बोर्डके संग समाप्त हो जायगी। (सी) यदि बोर्ड दफा ३० के अनुसार भंग कर दिया जाय, तो भी ऐसे चेयरमैनके पद की अवधि बोर्ड भंग किये जानेकी तारीखसे समाप्त हो जायगी। और यदि बोर्ड के संगठनमें कोई परिवर्तन दफा ३८ की उपदफा (४) के अनुसार किया जाय और सब मेम्बरों के पद की अवधि, किसी तारीखपर, प्रान्तिय सरकारके हुकमसे समाप्त हो जाय, तो ऐसे चेयरमैनके पद की अवधिभी समाप्तहो जायगी। (डी) यदि कभी बीच में, संयोगवश किसी चेयरमैनका पद खाली हो जाय, जैसे जब कोई चेयरमैन एक वर्ष चेयरमैनी करने के पश्चात मर जाय, और बोर्ड उसकी जगह दूसरा चेयरमैन, १५ दिन के भीतर दफा ४३ की उपदफा (२) के अनुसार निर्वाचित न करे और प्रान्तीय सरकार अथवा कमिश्नर को दफा ४९ के अनुसार चेयरमैन नामजद करना पड़े तो ऐसा चेयरमैन केवल उतने ही समय के लिये नामजद होगा जितना समय कि मृत चेयरमैन की अवधि में बाक़ी रह गया हो।

दफा ४७ चेयरमैन का इस्तीफा

१ यदि बोर्ड का कोई चेयरमैन इस्तीफा देना चाहे तो लिखा हुआ इस्तीफा ज़िला मजिस्ट्रेट के द्वारा—

(ए) शहरके बोर्ड का चेयरमैन होने की दशामें, प्रान्तीय सरकार को भेजे। और

(बी) अन्य किसी बोर्ड का चेयरमैन होने की दशा में कमिश्नर को भेजे।

२ जब बोर्ड को यह सूचना मिल जाय कि प्रान्तीय सरकार अथवा कमिश्नर (अर्थात् दोनों में से जिसको भेजा गया हो) इस्तीफा मजूर कर लिया है तब यह माना जायगा कि उक्त चेयरमैन ने अपना पद खाली कर दिया।

दफा ४८ चेयरमैनका अलग किया जाना

१ कोई चेयरमैन जिसके विषय मे दफा ४० के अनुसार यह हुक्म होगया हो कि वह बोर्ड की मेम्बरी से हटा दिया जाय, ऐसे हुक्म के हो जाने पर चेयरमैन न रहेगा।

२ प्रान्तीय सरकार को अधिकार होगा कि किसी चेयरमैन को, काम मे स्वाभाविक उपेक्षा-प्रकट करने के कारण, चेयरमैनी के पद से अलग कर दे।

३ परन्तु शर्त यह है कि जब प्रान्तीय सरकार उप दफा (२) के अनुसार कार्रवाई करने का विचार करे तो उस चेयरमैन को अवसर दे कि वह अपने उस आचरण जिसके कारण उसको अलग करने का विचार हो, के विषय में जो जवाबदेही चाहे, करे, और यदि प्रान्तीय सरकार ऐसे चेयरमैन को अलग करने का हुक्म दे उस हुक्म के कारणों को लेख-बद्ध करदे।

दफा ४९ चेयरमैनका सर्वथा बोर्ड का मेम्बर माने जानेके में हुक्म

उस दशामें जब कि किसी बोर्ड का चेयरमैन बोर्डका मेम्बर न हो तो वह चेयरमैन के पद पर होने की हैसियत से (Ex-officio) उस समय तक मेम्बर माना जब तक कि वह चेयरमैन रहेगा।

नोट—देखिये दफा ९ (१) (बी) और दफा १० (१) (सी)।

दफा ५० बोर्डके काम जिनका करना बोर्डका कर्तव्य है

बोर्ड के निम्नलिखित इख्तयारोंको चेयरमैन बरत सकता है, और निम्नलि. कर्तव्यों और कामो का पालन करने और निर्वाह करने का भार चेयरमैन पर अन्य किसी प्रकारसे वे नही बरते या नही किये जायेंगे:—

(ए) वह अख्तयार जो दफा ७०, ७५, ७६ के द्वारा, बोर्ड के कर्मचारियों के नियुक्त करने, दण्ड देने और डिसमिस करने (निकाल देने) के विषय मे चेयरमैन को दिये गये हैं।

(बी) जो रेग्युलेशन (Regulation) इस विषय मे हों उनके अनुसार, उन प्रश्नो का तय करना, जो बोर्डके कर्मचारियो की नौकरी, छुट्टी (रुखसत), विशेष अधिकारों (Privileges), और भत्ते (Allowances) के विषय मे उत्पन्न हों।

(सी) दफा २२ के अनुसार कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट की सेवा मे कैफियेत (Statements), हिसाब, रिपोर्ट, या कागजो की नकलो का भेजना, और दफा ९४ के क्लाज (४) और (५) और दफा १०८ की उप दफा (१) के अनुसार, बोर्ड या बोर्ड की किसी कमेटी, के द्वारा पास किये हुये प्रस्तावों (Resolution) की नकले भेजना।

(डी) शिड्यूल न०१ के खाने (कालम Column) न० २ मे बताये हुये अधिअधिकारो, कर्तव्यो, और कामो, मे से वह, जो दफा ११२ के अनुसार बोर्ड ने चेयरमैन को सौप दिये हों।

(ई) बोर्ड के अन्य सब कर्तव्य, अख्त्यार, और काम, सिवाय उनके,—

१ जो कि एक्जिक्युटिव अफसर (जहा कही एक्जिक्युटिव अफसर हो) दफा ६० के द्वारा दिये गये हो।

२ जो कि शिड्यूल न० १ के खाना नं० २ मे बताये गये है।

३ जो कि दफा ११२ के अनुसार बोर्डने किसी और को सौप दिये हों।

व्याख्या—

म्यूनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन को कानून ने विस्तृत अधिकार दिये हैं। इस दफा के क्लाज (ई) के अनुसार, कुछ विशेष अधिकारों को छोड के, चेयरमैन बोर्ड के सारे अख्त्यारों को बरत सकता है।

—चेयरमैन अपने कोई अधिकार दफा ५३ के अनुसार वाईसचेयरमैनको सौंप सकता है, और दफा ५३ ए के अनुसार अपने अधिकार म्यूनिसिपल कर्मचारियों को सौंप सकता है।

दफा ५१ चेयरमैन के अन्य कर्तव्य

चेयरमैन का यह भी कर्तव्य होगा कि —

(ए) यदि किसी उचित कारण से वह असमर्थ न हो, तो बोर्डकी सब मीटिंगों को जोड़े (Convene) और उनका सभापति हो, और जो रेग्युलेशन (Regulation) कि इस विषय मे बनाये गये हो, उनके अनुसार मीटिंगों के काम काज को अपनी अध्यक्षता मे चलाये।

(बी) बोर्ड के शासन के आर्थिक विभाग (Financial Administration)पर दृष्टि रखे, और कार्यनिर्वाहक विभाग (Executive Administration) की देख रेख करे और उनमें जो दोष हो उनकी ओर बोर्ड का ध्यान आकर्षित करे।

(सी) ऐसे अन्य कर्तव्यो का पालन करे जिनके करने का हुक्म, इस एक्ट में उसको दिया गया है, या जिनके करने का भार इस एक्ट के द्वारा उस पर डाला गया है।

दफा ५२ चेयरमैनसे रिपोर्ट इत्यादि मांगनेका बोर्डका अधिकार

१ बोर्ड का अधिकार होगा कि चेयरमैन सेः—

(ए) किसी ऐसे मामलेका कोई नकशा (Return), कैफियत (Statement) तखमीना (Estimate) जनताकी स्थिति निर्णय करने के लिये किसी प्रकारकी सख्यायें (Statistics), या कोई अन्य सूचना, जो म्यूनिसिपलटी के शासनसे सम्बन्ध रखती हो, मांगे।

(बी) उक्त विषयो के सम्बन्धमे कोई रिपोर्ट या जवाब (Explanation) मागे।

(सी) किसी ऐसी मिसिल, पत्र व्यवहार, या खाका (Plan) या अन्य कागजकी नकल, जो चेयरमैनकी हैसियतसे उसके कब्जे या अधिकार मे हों, या जो उसके दफ्तर मे या म्यूनिसिपलटी के किसी कर्मचारी के दफ्तर मे, लिखे हुये हों, या दाखिल हो मागे।

२ चेयरमैनको प्रत्येक दरख्वास्तकी जो उपदफा (१) के अनुसारकी जाय, तामील बिना अनुचित विलम्ब किये, कर देना आवश्यक होगा।

३ चाहे इस दफाके उपरोक्त क्लाजो की आज्ञाओ मे, या अन्य किसी कानूनमे कोई बात इसके विपरीत हो, बोर्ड को अधिकार होगा कि उन शर्तों और बन्धेजो के आधीन जो कि रेगुलेशनों मे नियमित कर दिये जाये, ऐसे रेगुलेशन (Regulation) बना दे कि जिनके द्वारा मेम्बरो को बोर्डकी मीटिंग मे प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो।

एक्ट नं० ६ सन १९१६ ई०

व्याख्या—

यद्यपि म्यूनिसिपलटीज एक्टमें चेयरमैन को विस्तृत अधिकार दिये गये हैं, तथापि, म्यूनिसिपलटीके शासन सम्बन्धी विषयों में, उसको एक मात्र स्वतत्र नहीं रखा गया है। इस दफाके अनुसार बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि चेयरमैनसे जिस विषयमें चाहे रिपोर्ट या जवाब मागे, या किसी कागज, नकशा, नकल, कैफियत इत्यादि, के विषयमें आज्ञा दे कि चेयरमैन उसको बोर्ड के सामने पेश करे। चेयरमैन का कर्तव्य होगा, कि जितनी शीघ्रतासे सभव हो, वह बोर्ड की ऐसी आज्ञा का पालन करे। तत्पश्चात बोर्ड ऐसे किसी विषयमें प्रस्ताव (Resolution) के द्वारा अपनी सम्मति दे सकता है, या चेयरमैन के किसी कामकी, या उसके किसी भूलकी निन्दा कर सकता है, या उस पर अपनी अप्रसन्नता या अविश्वास प्रगट कर सकता है।

उप दफा (३) के द्वारा, इसी के समान, एक अधिकार मेम्बरों को दिया गया है। जिस विषयमें मेम्बर कोई सूचना चाहे, या म्यूनिसिपल्टी के सचालनके सम्बन्ध में जिस मामले पर उस को कोई शका या सन्देह हो, उसके विषयमें वह मीटिंग में प्रश्न करके उत्तर मागे, तो चेयरमैन का यह कर्तव्य होगा कि उस प्रश्न का उत्तर या तो स्वय दे या उस कर्मचारी से दिलावे जिसके हाथमें वह काम हो जिसके कि सम्बन्ध में ऐसा प्रश्न पूछा गया हो। ऐसे प्रश्नों के लिये बोर्ड रेगुलेशन

बना सकता है । इस विषयमें नमूने के रेग्युलेशन (Model Regulation) भी बना दिये गये हैं जिनमें से कुछ का सारांश नीचे दिया जाता है,—

मीटिंगसे कमसे कम एक सप्ताह पूर्व मेम्बर को ऐसा प्रश्न लिखके सेक्रेटरी के पास भेज देना चाहिये । सेक्रेटरी ऐसे प्रश्न को चेयरमैन के सामने पेश कर देगा । चेयरमैन बोर्ड के किसी अफसर को, या किसी कमेटी के चेयरमैन को ऐसे प्रश्न का उत्तर तैयार करने का आज्ञा दे सकता है । ऐसा प्रश्न तार्किक (Argumentative) नहीं होना चाहिये । किसी बातको पहिले ही से, बिना प्रमाण, मान लेकर, उसी के आधार पर कोई प्रश्न (Hypothetical) नहीं पूछना चाहिये । और ऐसे किसी सवालमें किसी व्यक्ति की, या समाजके किसी भागकी, निन्दा (बदनामी, हतक) नहीं होना चाहिये । तात्पर्य यह है कि प्रश्न का केवल किसी सूचना के मांगने के उद्देश सेही पूछना उचित है । यदि उपरोक्त कोई दोष प्रश्नमें पाया जाय तो चेयरमैन उसको ना मंजूर कर सकता है । मीटिंग में चेयरमैन स्वयं, या कोई अफसर, या किसी कमेटी का चेयरमैन उस प्रश्न का उत्तर पढ़ देगा । ऐसे प्रश्न और उनके उत्तर, भी मीटिंग की कारवाईके भाग समझे जायेंगे, और मीटिंग की कारवाई के सग प्रकाशित किये जायेंगे । जो मेम्बर प्रश्न करे वह, उसका उत्तर पढ़े जाने से पूर्व, प्रश्नको वापिसले सकता है । यदि वह मेम्बर मीटिंगमें उपस्थित न हो तो चेयरमैन किसी और मेम्बर को उस प्रश्नके करने की, और उसका उत्तर पढ़ दिये जाने की आज्ञा दे सकता है ।

नोट—(यह नमूने के रेग्युलेशन म्यूनिसिपल मेनुअलके पन्ना ४१८ पर दिये हुये हैं । यदि कोई बोर्ड चाहे तो इनमें कोई परिवर्तन कर सकता है ।)

—बोर्ड की एग्जिक्युटिव अफसर तथा कमेटियों पर जो अधिकार दिये गये हैं उनके लिये देखिये दफायें ६३ और १०९ ।

—मेम्बरों को जो अधिकार मुआइना (जांच) के सम्बन्धमें दिये गये हैं उनके लिये देखिये दफा ३३२ ।

दफा ५२ चेयरमैनका अपने अधिकारों और कर्तव्योंका किसी वाइस-चेयरमैनको सौंप देना

१ चेयरमैन, साधारण या विशेष आज्ञा के द्वारा किसी वाइस-चेयरमैन को अधिकार दे सकता है कि वह चेयरमैन की आधीनता (Control) में, उसके अधिकारों कर्तव्यों और कामों में से किसी एक या एक से अधिक को बरते, सिवाय उनके जो दफा ५१ के क्लाज (ए) और (बी) में दिये गये हैं ।

२ इस दफा की उपदफा (१) के अनुसार दी हुई आज्ञा के सङ्ग, चेयरमैन किसी अधिकार के बरतने, या कर्तव्यके पालन करने, या किसी कामके करनेके विषय में जो शर्त चाहे नियमित कर सकता है या बन्धेज लगा सकता है ।

३ विशेष कर किसी आज्ञा के सङ्ग यह शर्त लगाई जा सकती है कि उपदफा (१) के द्वारा दिये हुये किसी अधिकार को बरतते हुये जो हुक्म वाइस-चेयरमैन दे, यदि एक निर्दिष्ट समयके भीतर, उसकी अपील चेयरमैनके सामनेकी जाय तो चेयरमैन को ऐसे हुक्म के रद्द कर देनेका या उसकी निगरानी (Revision) करनेका अधिकार होगा ।

व्याख्या—

उपदफा (१) में शब्द "साधारण या विशेष आज्ञा" जो आये हैं, उनमें यह भेद है, कि किसी शख्स को साधारण आज्ञा देदी जाने पर, किसी एक प्रकारके प्रत्येक मामलेमें, उस आज्ञाके बल पर, अपनी इच्छासे काम करनेका अधिकार प्राप्त हो जाताहै। परन्तु विशेष आज्ञा केवल किसी एक कामके लिये दी जातीह। इसके सम्बन्धमें देखिये दफा ३१४ की व्याख्यामें वर्णित किया हुआ मामला एम जे पोवल बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड, मंसूरी 22 I L R 123.F B (फुलबेंच)

—चेयरमैन जिस कामको चाहे वाइस चेयरमैन को सौंप सकता है. केवल नीचे लिखे कर्तव्यों का भार विशेषत चेयरमैन पर है, इनको वह किसी वाइस चेयरमैन को नहीं सौंप सकता —बोर्डकी मीटिंग जोडना, और उनका सभापति बनना, म्यूनिसिपलटीके शासनके आर्थिक तथा कार्यनिर्वाह विभागोंकी देखभाल करना।

दफा ५२ ए. चेयरमैनका दफा ५० के क्लाज (ए) के अनुसार दिये हुये अपने अधिकारोंको सौंप देना

(एक्ट नं० २ सन १९१९ ई०)

१ चेयरमैन, साधारण या विशेष आज्ञाके द्वारा बोर्डके किसी कर्मचारी को अधिकार दे सकता है, कि वह चेयरमैन की आधीनता में उसके उन अधिकारों में से जो दफा ५० के क्लाज (ए) में वर्णित हैं, किसी एक या एकसे अधिकको, बरते।

२ उपदफा (१) के अनुसार दी हुई आज्ञा के सग, चेयरमैन किसी अधिकारके बरतने के विषयमे, जो शर्ते चाहे, नियमित कर सकता है, या जो बन्धेज चाहे लगा सकता है।

३ उपदफा (१) के द्वारा दिये हुये किसी अधिकार को बरतते हुये जो हुक्म बोर्ड का कोई कर्मचारी दे, उसको रद कर देनेका, या उसकी निगरानी करनेका अधिकार चेयरमैनको होगा।

व्याख्या—

यह दफा एक्टमें एमेंडिंग एक्ट न० २, सन १९१९ ई० के द्वारा बढाई गई है। दफा ५० के क्लाज (ए) के द्वारा नीचे लिखे अधिकार चेयरमैन को दिये गये हैं अर्थात्—

(१) अकस्मात आवश्यकता पडने पर अस्थाई (Temporary) कर्मचारी नियुक्त करना।

(२) नीची श्रेणीक स्थाई कर्मचारियों (Permanent inferiorstaff) को नियुक्त करना।

(३) नीची श्रेणीके स्थाई कर्मचारियोंको निकालना या उनको दण्ड देना। इस दफाके अनुसार यह सब अधिकार, चयरमैन, म्यूनिसिपलटीके किसी कर्मचारीको सौंप सकता हैं।

—दफा ५३ और ५२ (ए) में जो अधिकार चेयरमेन को किसी हुक्मके रद करनेके विषयमें दिये गये ह उनमे यह अन्तर है, कि दफा ५० के अनुसार वाइस चेयरमैन के हुक्मको चेयरमैन उसी दशामें रद कर सकता है जब उस हुक्मकी अपील चेयरमैन के पास कीजाय, परन्तु किसी कर्मचारीके हुक्ममें जो दफा ५२ (ए) के अनुसार दिया गया हो, चेयरमैन अपनी इच्छासे हस्तक्षेप कर सकता है, और बिना किसी अपीलके भी ऐसे हुक्मको रद कर सकता है या उसकी निगरानी कर सकता है।

दफा ५४ वाइस चेयरमैनका निर्वाचन, पदकी अवधि, और इस्तीफा

१ प्रत्येक बोर्ड मे एक वाइस चेयरमैन होगा या एक सीनियर (Senior) और एक जूनियर (Junior) वाइस चेयरमैन होगा, जो बोर्ड अपने मेम्बरों मे से विशेष रेजोल्यूशन (Special Resolution) के द्वारा जब जैसी आवश्यकता पडे चुन लेगा।

२ किसी वाइस-चेयरमैन के पद की अवधि उसके निर्वाचन की तारीख से, एक वर्ष की होगी या उतनी होगी, जितनी कि उसकी मेम्बरी के पद की अवधि मे शेष रह गई हो अर्थात् इन दोनों मे से जो थोडी हो।

३ जो वाइस-चेयरमैन इस्तीफा देना चाहे उसको चाहिये कि, लेख द्वारा, चेयरमैन को अपनी इच्छा की सूचना दे और जब उसका इस्तीफा बोर्ड मजूर कर लेगा, उस समय से यह माना जायगा कि उसने अपना पद खाली कर दिया।

व्याख्या—

जिस बोर्ड में दो वाइस चेयरमैन चुने जाय तो यह आवश्यक है कि उनमें से एक सीनियर (Senior) अर्थात् ज्येष्ठ पदका हो और दूसरा जूनियर (Junior) अर्थात् नीचे पद का हो। चेयरमैन की अनुपस्थिति में काम करनेका अधिकार पहले सीनियर वाइस चेयरमैन को होता है, उसके बाद जूनियर वाइस चेयरमैन को। देखिये दफा ५५ की उप दफा (२)॥

—वाइस चेयरमैन के पद की अवधि सर्वथा एक वर्ष की होती है, चाहे वह किसी नये बोर्डके बनने के समय निर्वाचित किया जाय, या बीच मे कभी चुना जाय। जैसे, यदि कोई वाइस चेयर मैन के पद पर छ मास रहने के उपरान्त इस्तीफा दे दे, और एक नया वाइस चेयरमैन उसकी जगह चुना जाय तो यह नया वाइस चेयरमैन एक वर्ष के लिये ही चुना जायगा उस अवधि के लिये नहीं जितनी कि इस्तीफा देने वाले वाइस चेयरमैन की बाकी रह गई हो। केवल शर्त यह है कि यदि उसके मेम्बरी की अवधि, जो वाइस चेयरमन चुना जाय, एक वर्ष से कम रह गई हो, तो वह उतने ही समय के लिये चुना जा सकता है जितनी अवधि कि उसके मेम्बरी के पद की अवधि में बच रही हो।

दफा ५५ वाइस-चेयरमैन के कर्तव्य

१ वाइस चेयरमैन का कर्तव्य होगा कि —

(ए) यदि किसी उचित कारण से (मुनासिब वजह से) वह असमर्थ न हो जाय तो चेयरमैन की अनुपस्थिति मे बोर्ड की मीटिंग का सभापति हो, मीटिंग में काम काज चलाने का प्रबन्ध करे, और मीटिंगको नियम बद्ध रखे (Maintain Order) और इसके निमित्त अपनी आज्ञा का पालन कराये (Enforce Order), और जब वह इस प्रकार मीटिंगका सभापतिहो तो उन अधिकारोंको भी जो दफा ९१ म वर्णित है, यदि वह चाहे, बर्ते।

(बी) चेयरमैन का पद खाली होने की दशा मे या चेयरमैन के असमर्थ हो जाने, या थोडे समय के लिये अनुपस्थित रहने, की दशा मे चेयरमैन के किसी अन्य कर्तव्य का भी पालन करे और आवश्यकता पडने

पर, चेयरमैन के किसी अन्य अधिकार को भी बरते।

(सी) किसी ऐसे कर्तव्य का पालन किसी समय पर करे, और आवश्यकता पड़ने पर, किसी ऐसे अधिकार को बरते, जो इस कानून की दफ़ा ५२ के अनुसार चेयरमैन ने उसको सौंपा हो।

२ जहां दो वाइस चेयरमैन हों, तो सीनियर वाइस-चेयरमैन, और उसकी अनुपस्थितिमें, जूनियर वाइस-चेयरमैन, उपदफ़ा (१) के क्लाज (ए) और (बी) में अंकित किये हुये कर्तव्यों का पालन करेगा, और अधिकारों को, यदि वह चाहे बरतेगा। और क्लाज (सी) में अंकित किये हुए कर्तव्यों का पालन, और अधिकारों का बरतना उस वाइस चेयरमैन के ऊपर होगा जिसका नाम उस हुक्म में लिखा हो जिस हुक्म के द्वारा वह कर्तव्य और अधिकार सौंपे गये हों।

दफ़ा ५६ निर्वाचन, नामज़दगी और जगहोंके खाली होनेके विज्ञापन

बोर्ड के मेम्बर या चेयरमैन का प्रत्येक निर्वाचन, और नामजदगी, और मेम्बर या चेयरमैन की प्रत्येक जगह का खाली होना, सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायगा।

नोट—इस विषयमें जो गवर्नमेण्ट आर्डर हैं वह म्यूनिसिपल मैनुअल के पृष्ठ २१०पर दिये हुए हैं।

एक्जिक्यूटिव अफसर

The Executive Officer

दफ़ा ५७ एक्जिक्यूटिव अफसर रखनेका बोर्डका अधिकार

१ कोई बोर्ड विशेष प्रस्ताव के द्वारा, एक्जिक्युटिव अफसर नियुक्त कर सकता है।

२ एक्जिक्युटिव अफसर की नियुक्ति (तकर्रुरी) वेतन, और उस पद से सम्बन्ध रखने वाली अन्य शर्तें, प्रान्तीय सरकार की मंजूरी के आधीन होंगी।

नोट—"विशेष प्रस्ताव" की व्याख्या के लिये देखिये दफ़ा ८८

दफ़ा ५८ एक्जिक्युटिव अफसरको दण्ड दिया जाना, और उसका डिस्मिस किया जाना

१ कोई बोर्ड, विशेष प्रस्ताव के द्वारा, अपने एक्जिक्युटिव अफसर को दण्ड दे सकता है या डिस्मिस् कर सकता है।

२ उस प्रस्ताव की, जिसके द्वारा किसी एक्जिक्युटिव अफसर को दण्ड दिया जायगा, या कोई एक्जिक्युटिव अफसर डिसमिस किया जाय, उसको सूचना दी जायगी, और जिस दिन उक्त प्रस्ताव एक्जिक्युटिव अफसर को मिले, उस दिन से पन्द्रह दिन समाप्त होने तक, वह कार्यरूप में न लाया जायगा, या उस दशा में जब कि उप दफ़ा

(३.) के अनुसार अपील दायर की जाय, तो उस समय तक उक्त प्रस्ताव कार्यरूप में न लाया जायगा जब तक कि अपील फैसल न हो।

३ कोई एक्जिक्युटिव अफ़सर दण्ड पाने या डिस्मिस किये जाने का प्रस्ताव पाने से पन्द्रह दिन के भीतर, प्रान्तीय सरकार के पास अपील कर सकता है और इस प्रकार अपील होने पर प्रान्तीय सरकार को अधिकार होगा, कि उस सजा या डिस्मिस किये जाने के, हुक्मको या तो मजूर करे, या ना मजूर करे, या उसमें कोई परिवर्तन करदे।

४ उप दफा (३) के अनुसार अपील होने पर प्रान्तीय सरकार को अधिकार होगा कि, यदि वह उचित समझे तो उक्त एक्जिक्युटिव अफसर को जब तक अपील फैसल न हो, काम पर से अलग (मुअत्तिल) करदे।

दफा ५९ एक्ज़िक्युटिव अफसर का जगह एवजी नियुक्त करना

१ किसी एक्जिक्युटिव अफसर के छुट्टी लेके अनुपस्थित रहने के काल में, या जब कभी उसका पद अन्य प्रकार थोडे समय के लिये खाली हो, बोर्ड को अधिकार होगा कि वह, उस जगह पर काम करने के लिये, किसी शख्स को नियुक्त कर दे।

२ प्रत्येक शख्स जो इस प्रकार नियुक्त किया जायगा, वह उन अधिकारों को यदि चाहे बरत सकेगा और उन कर्तव्यो का पालन करना उसके लिये आवश्यक होगा, जो इस एक्ट या किसी अन्य कानून से, या उनके द्वारा उस शख्स को दिये गये है, या उस शख्स पर डाले गये है, जिसकी जगह पर काम करने के लिये यह शख्स नियुक्त किया गया है।

३ दफ़ा ५७, तथा दफा ५८, मे दिये हुये हुक्म, जो एक्जिक्युटिव अफ़सर पर लागू है, ऐसे शख्स पर भी लागू होंगे जो उपदफा (१) के अनुसार, नियुक्त किया जाय।

दफा ६० बोर्डके काम जो एक्जिक्यूटिव अफसर को करना आवश्यक हैं

१ जिस म्यूनिसिपल्टी में कि दफ़ा ५७ या ६५ के अनुसार एक्जिक्युटिव अफ़सर नियुक्त कर लिया गया हो, बोर्ड के नीचे लिखे अधिकार उक्त अफ़सरके द्वारा बरते जायंगे, अन्य किसी के द्वारा नही अर्थात् —

(ए) मंडी या बाजारो (Market) या बध स्थानो (मजबह), या किरायेकी गाड़ियों के लैसंसों (Licences) के अतिरिक्त, प्रत्येक ऐसे लैसंसको जो बोर्ड दे सकता हो, अपने हस्ताक्षरसे देने, जारी करने, या मना कर देने का अधिकार।

(बी) किसी ऐसे लैसंसको स्थगित (Suspend) कर देने या वापिस ले लेने का अधिकार।

(सी) प्रत्येक ऐसी रकमको जो बोर्डकी किसी पर चाहिये हो या जो बोर्डको पेशगी जाये लेने, वसूल करने, और उसको म्युनिसिपल कोष (Fund) मे जमा करने का अधिकार।

एक्ट नं० २ सन १९१६ ई०

(डी) वह सब अधिकार जो शिड्यूल नं०२ के खाना नं० १ मे अंकित की हुई दफ़ाओ और उपदफ़ाओ के द्वारा दिये गये हों या जहां ऐसी दफ़ाओं या उपदफाओ के पीछे शब्द 'कुछ भाग' (Inpart) लिखे हों, तो जो अधिकार उक्त दफाओ और उपदफाओंके उन भागोके द्वारा दिये गये हो, जिनका पता, उक्त शिड्यूलके खाना नं० २ मे दिये हुये वर्णन से, चलता हो, तथा उन सब कामो के करने का अधिकार, जो ऐसे अधिकारो को बरतने के लिये आवश्यक हो।

(ई) बोर्डके कर्मचारियो के सम्बन्ध में, वह अधिकार जो एक्जिक्यूटिव अफसरको दफ़ा ७५ और ७६ मे दिये गये है और किसी ऐसे पद के कर्मचारी को छुट्टी देने का अधिकार, जिसके नियुक्त करने का अधिकार उसको हो।

(एफ) कोई अन्य अधिकार जो बोर्ड ने एक्जिक्यूटिव अफसर को सौंप दिया हो।

२ सिवाय उस दशाके जिसके विषयमें दफ़ा ७३ मे हुक्म है, बोर्डके सब कर्मचारी एक्जिक्यूटिव अफसरके आधीन (मातहत) होगे।

व्याख्या—

एक्जिक्यूटिव अफसरके अधिकारों के लिये देखिये, शिड्यूल नं० २

—म्यूनिसिपलटीज एक्ट नं० २, सन १९१६ई० की यह मन्शा है कि जिस म्यूनिसिपलटी में एक्जिक्युटिव अफसर रखा गया हो, उसमें बोर्डके अधिकांश कार्यनिर्वाहक (Executive) अधिकार एक्जिक्यूटिव अफसरही को दिये जायें, और दफा ६० की उप दफा (२) के द्वारा म्यूनिसिपल बोर्डके सब कर्मचारी एक्जिक्यूटिव अफसरके आधीन बना दिये गये हैं, केवल बोर्डके शिक्षा विभागके कर्मचारी एक्जिक्यूटिव अफसरके आधीन, उस दशामें नहीं होंगे, जब कि बोर्ड ने रेजोल्यूशनके द्वारा उनको शिक्षा कमेटी (Education Committee) के आधीन कर दिया हो (देखिये दफा ७३)।

—जब कभी म्युनिसिपलटी के कर्मचारियों को कोई अधिकार बोर्ड देना चाहे या किसी कर्तव्यों के पालन करने का भार उन पर डालना चाहे, तो बोर्डके लिये उचित होगा, कि जहां एक्जिक्यूटिव अफसर हो वहां ऐसे अधिकार एक्जिक्यूटिव अफसरही को दे और कर्तव्यों का भार भी उसी पर डाले। और एक्जिक्यूटिव अफसर ऐसे अधिकारों तथा कर्तव्यों को दफा ६२ के अनुसार किसी अन्य कर्मचारी को सौंप सकता है, परन्तु ऐसे अधिकारों तथा कर्तव्यों को बरतने के लिये जो कार्य किये जायेंगे, उनका उत्तरदाता, बोर्डके प्रति, एक्जिक्यूटिव अफसरही होगा, (देखिये G O No 1102 XI 389 E तारीख २७ मई १९१६)

दफा ६१ एक्जिक्यूटिव अफसरके हुक्मोंके विरुद्ध अपील करनेका हक

१ किसी ऐसे हुक्मके विरुद्ध जो एक्जिक्यूटिव अफसरने उन अधिकारों के अनुसार दिया हो, जो अधिकार उसको दफ़ा ६० मे दिये गये है अपील बोर्डके पास न होगी, सिवाय उस दशाके जब—

(ए) वह हुक्म ऐसा हुक्म हो, जिसके सामने शिड्यूल न०२के खाना न०३मे कोई इन्दराज हो और वह इन्दराज किसी ऐसे रेग्युलेशन के अनुसार निष्प्रभावी न कर दिया गया हो, जो दफ़ा २९७ की उपदफ़ा (१) के क्लाज (इ) के अनुसार बनाया गया हो, और प्रचलित हो। या

(बी) वह हुक्म किसी लैसंस (Licence) के विषयमे हो और किसी बाई-लॉ के द्वारा, उसके विरुद्ध अपील किये जा सकने की आज्ञा दे दी गई हो।

२ उस दशामे जिसमे कि अपील की जा सकती हो, हुक्मकी सूचना दिये जानेकी तारीख से, या उस तारीख से, जिस पर कि, इस एक्टके हुक्मों के अनुसार, यह मान लिया जाय कि हुक्म की सूचना दे दी गई, दस दिन के भीतर अपील दायर की जानी चाहिये।

३ जब अपील उक्त अवधिके भीतर दायर कर दी जायगी, तो उक्त हुक्म उस समय तक स्थगित रहेगा, जब तक कि अपील फैसल न हो जाय।

व्याख्या—

उप दफ़ा (१) के क्लॉज (ए) का अर्थ यह है—शिड्यूल न० २ में वह सब अधिकार अंकित किये गये हैं जो एक्टके द्वारा एक्जिक्यूटिव अफसर को दिये गये हैं। उक्त शिड्यूलके खाना नं० ३ में यह बता दिया गया है कि एक्जिक्यूटिव अफसरके किन किन हुक्मों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकेगी। अतएव यदि शिड्यूल न० २ के किसी इन्दराजके सामने खाना न० ३ में यह लिखा भी हो कि एक्जिक्यूटिव अफसर के इस हुक्म की अपील हो सकेगी, परन्तु बोर्ड रेग्युलेशन (Regulation)के द्वारा यह निश्चय करदे कि उसकी अपील नहीं हो सकेगी, तो खाना न० ३ का इन्दराज निष्प्रभावी समझा जायगा, और इस हुक्मकी अपील नहीं हो सकेगी।

—उप दफ़ा (२) में जो यह शब्द "जिस पर कि इस एक्टके हुक्मों के अनुसार यह माना जायगा कि हुक्मकी सूचना दे दी गई" आये हैं, उनके लिये देखिये इस एक्टकी दफ़ा ३०३। उसमें उन सूरतों में जब कि कोई नोटिस डाकसे भेज दिया जाय, या किसी के घर पर छोड़ दिया जाय, यह मान लिया जाना आवश्यक है कि ऐसे नोटिस की सूचना दे दी गई है।

दफ़ा ६२ एक्जिक्यूटिव अफसरका किसी दूसरेको अपने अधिकार सौंप देना

१ चेयरमैनकी मंजूरीसे एक्जिक्यूटिव अफसर साधारण या विशेष हुक्म के द्वारा बोर्डके किसी कर्मचारीको यह अधिकार दे सकता है कि, एक्जिक्यूटिव अफसरकी आधीनता मे किसी ऐसे अधिकारको जो कि एक्जिक्यूटिव अफसरको इस एक्टके द्वारा या इस एक्टके अनुसार दिया गया हो वरते।

२ जो हुक्म कि एक्जिक्यूटिव अफसर उपदफ़ा (१) के अनुसार दे, उसमे किसी अधिकारके बरतनेके विषयमे कोई शर्त नियमितकी जासकती है, या बन्धेज लगाया जा सकता है।

३ किसी ऐसे हुक्मको जो बोर्डका कोई कर्मचारी किसी ऐसे अधिकारको वरतते हुये, जो उसको उपदफा (१) के अनुसार दिया गया हो, एक्जिक्यूटिव अफ़सर रद कर सकता है या उसकी निगरानी (Revision) कर सकता है।

व्याख्या—

"साधारण या विशेष हुक्म" (General or special order) के लिये देखिये दफा ५३ की व्याख्या।

—दफा ६० की उपदफा (२) के अनुसार बोर्डके सब कर्मचारी एक्जिक्यूटिव अफसरके आधीन रखे गये हैं। दफा ६२ के द्वारा एक्जिक्यूटिव अफसरको अधिकार दिया गया है कि अपने आधीन बोर्डके कर्मचारियोंमें से किसीको जो काम चाहे सौंप सकता है। परन्तु किसी कामको इस प्रकार सौंप कर एक्जिक्यूटिव अफसर अपनी किसी जिम्मेदारीसे नहीं छूट सकता, वरन बोर्डके प्रति, ऐसे सौंपे हुये कामोंके लिये भी जिम्मेदारी एक्जिक्यूटिव अफसर ही की रहेगी।

दफा ६३ बोर्ड या कमेटीका एक्ज़िक्यूटिव अफसरसे रिपोर्ट आदि मांगनेका अधिकार

१ बोर्डको या बोर्डकी किसी कमेटीको अधिकार होगा कि एक्जिक्यूटिव अफसर से तलब करे—

(ए) कोई नक़शा (Return), कैफ़ियत (Statement), तख़मीना (Estimate), जनताकी स्थिति निर्णय करनेके लिये किसी प्रकारकी संख्यायें (Statistics) या कोई अन्य सूचना, जो म्यूनिसिपलटीके शासनसे सम्बन्ध रखती हो।

(बी) उक्त विषयोंके सम्बन्धमें कोई रिपोर्ट या जवाब।

(सी) किसी मिसिल पत्रव्यवहार, या खाका या अन्य कागजकी नकल, जो एक्जिक्यूटिव अफसर होनेकी हैसियतसे, उसके कब्जेमें हो या अधिकार में हो, या जो उसके दफ्तरमें, या उसके आधीन किसी कर्मचारीके दफ्तरमें लिखे हुये हो या दाखिल हों।

२ एक्जिक्यूटिव अफसरको प्रत्येक दरख्वास्त, जो उपदफा (१) के अनुसारकी जाय, की तामील बिना अनुचित विलम्ब किये, कर देना आवश्यक है।

दफा ६४ बहसमें भाग लेनेका एक्ज़िक्यूटिव अफसरका अधिकार

एक्जिक्यूटिव अफसरको अधिकार होगा कि, चेयरमैनकी आज्ञासे या किसी ऐसे प्रस्ताव (Resolution) के बल पर जो इस विषयमें बोर्डकी या किसी कमेटीकी मीटिंग में पास कर दिया गया हो किसी ऐसे मामले, जिसपर बहस होरही हो समझानेके अभिप्रायसे कुछ भाषण करे। परन्तु ऐसी मीटिंगमें उसको किसी विषयमें, वोट देनेका अधिकार न होगा, न कोई प्रस्ताव पेश करनेका अधिकार होगा।

दफा ६५ प्रान्तीय सरकारका एक्जिक्यूटिव अफसर नियुक्तकर देने का अधिकार

१ प्रान्तीय सरकारको अधिकार होगा कि किसी शहर (City) की म्युनिसिपलटीके बोर्डको हुक्म दे कि वह एक्जिक्यूटिव अफसर नियुक्त करनेके अधिकारको जो उसको दफा ५७ के द्वारा दिया गयाहै या एक्जिक्यूटिव अफसर की जगह काम करने को किसी शख्सके नियुक्त करनेके अधिकारको, जो उसको दफा ५९ के द्वारा दिया गया है, बरते (काममें लावे)।

२ उपदफा (१) के अनुसार जो हुक्म दिया जाय उसमें वह अवधि नियमित कर दी जानी चाहिये जिसके भीतर बोर्डको उस हुक्मकी तामील करना चाहिये।

३ यदि बोर्ड—

(ए) नियमित अवधिके भीतर एक्जिक्यूटिव अफसर नियुक्त न करे या उसकी जगह काम करने के लिये किसी शख्सको नियुक्त न करे। या

(बी) ऐसे शख्सको नियुक्त करनेके उपरान्त, जिसकी नियुक्ति (तकर्रुरी) प्रान्तीय सरकारने मजूर न की हो उस अवधिके भीतर जो प्रान्तीय सरकारने फिरसे दी हो, किसी ऐसे शख्सको नियुक्त न करे जो मजूर किया जा चुका हो (Approved),

—तो प्रान्तीय सरकारको अधिकार होगा कि यदि वह ऐसा करना ठीक समझे तो किसी शख्स को चुनले, और उसको एक्जिक्यूटिव अफसरके पद पर या उसकी जगह काम करनेको नियुक्त करदे, और उसका वेतन, प्राविडेंटफंड (Provident Fund) अथवा पेन्शन (Pension) के लिये चन्दा (Contribution) और नौकरीकी शर्तें भी जैसी उचित समझे, नियत कर दे।

४ जब उपदफा (३) के अनुसार प्रान्तीय सरकार किसी एक्जिक्यूटिव अफसरको नियुक्त करे, तो उस रकमका औसत जो बोर्डकी ओरसे, उक्त अफसरको वेतन और छुट्टी पर रहनेके समयका एलाउन्स (Allowance) और रकम चन्दा प्राविडेन्ट फण्ड (Provident Fund) तथा पेन्शनकी मदों में, उस कालमें दीजाये, जब तक कि वह नौकर रहे, एक हजार रुपया मासिकसे अधिक न होगा।

अन्य कर्मचारी
(Other Servants)

दफा ६६ सेक्रेटरियोंका नियुक्त किया जाना

१ प्रत्येक म्यूनिसिपलटीके बोर्डको जिसमें कोई एक्जिक्यूटिव अफसर न हो, आवश्यक होगा कि विशेष प्रस्तावके द्वारा, एक या एकसे अधिक सेक्रेटरी नियुक्त करे।

२ प्रत्येक ऐसी नियुक्ति, और उसका वेतन तथा अन्य शर्तें कमिश्नरकी मजूरी के आधीन होगी।

व्याख्या—

इस दफाके हुक्मके अनुसार केवल उन्हीं म्यूनिसिपलटियों में सेक्रेटरी नियुक्त किये जाते हैं जिनमें एक्जिक्यूटिव अफसर नहीं होता। ऐसी म्यूनिसिपलटियों में सेक्रेटरी की नियुक्ति, वेतन, इत्यादि कमिश्नरकी मजूरी पर निर्भर होते। परन्तु उन म्युनिसिपलटियों में जिनमें एक्जिक्यूटिव अफसर होता है प्रथम तो यह आवश्यक नहीं है कि सेक्रेटरी नियुक्त किया जाय। दूसरे यदि ऐसी म्यूनिसिपलटी का बोर्ड सेक्रेट्री रखना निश्चय करे, तो उसकी नियुक्ति दफा ७१ के अनुसार की जायगी। दफा ७१ के अनुसार नियुक्त किये हुये सेक्रेटरी की नियुक्ति, वेतन, इत्यादि, के लिये कमिश्नर की मजूरी नहीं चाहिये और उसको सजा देने, तथा निकाल देने, के लिये भी बोर्ड को स्वाधीनता प्राप्त होती है।

—सेक्रेटरी की नियुक्तिके सम्बन्धमें दफा ३७ की आज्ञा देखिये, अर्थात् यदि बोर्डका कोई मेम्बर ही सेक्रेटरी नियुक्त किया जाय तो उसको कोई वेतन नहीं दिया जा सकता।

दफा ६७ सेक्रेटरियों को दण्ड दिया जाना और उनको डिसमिस् किया जाना

१–कोई बोर्ड, विशेष रेजोल्यूशनके द्वारा, किसी सेक्रेटरी को, जो उपरोक्त दफा के अनुसार नियुक्त किया गया हो उन शर्तों के आधीन जो दफा ५८ मे एक्जिक्यूटिव अफसर को सजा देने और डिसमिस् करने के विषयमे नियमित हैं, सजा (दड) दे सकता है या डिसमिस् कर सकता है।

२ परन्तु शर्त यह है कि ऐसे रेजोल्यूशन (Resolution) के विरुद्ध, जो उपदफा (१) के अनुसार पास किया गया हो, अपील लेने या सेक्रेटरी को उक्त अपीलके फैसल होने तक काम पर से अलग (मुअत्तिल) करनेका अधिकार कमिश्नरको होगा, न कि प्रान्तीय सरकार को।

नोट—देखिये दफा ६६ की व्याख्या।

दफा ६८ हेल्थ अफसरों तथा इन्जिनियरोंका नियुक्त किया जाना

१ किसी बोर्ड को अधिकार होगा कि विशेष रेजोल्यूशनके द्वारा और यदि प्रान्तीय सरकार किसी शहरकी म्निसिपलटी के बोर्ड को आज्ञा दे तो उसके लिये आवश्यक होगा, कि वह एक हेल्थ अफसर (Health officer), एक इंजिनियर, और एक पानीके कारखाने का इन्जिनियर (W[illegible] Enginur) [illegible] (Superintendent) नियुक्त करे [illegible]

२ प्रत्येक ऐसी नियुक्ति, और [illegible] तथा अन्य [illegible] की मजूरी के आधीन होगी।

[illegible] हेल्थ अफसरों [illegible]

एक प्रान्तीय [illegible] हेल्थ

निकालने [illegible] का [illegible]

अफसर, इस [illegible] से, नहीं [illegible]

(Guarantee) नहीं होती थी, क्योंकि कोई म्यूनिसिपल्टी अपने हेल्थ अफसर को जब चाहे अलग कर सकती थी। दूसरे यह कि एकही म्यूनिसिपल्टी में पड़े रहने के कारण उनको तरक्की की भी कोई अधिक आशा नहीं होती थी। म्यूनिसिपल्टियां हेल्थ अफसरों को अच्छा वेतन भी नहीं दे सकती थीं। अतएव, इस आशयसे कि योग्य अफसर इस पदके लिये मिल सकें, सरकारने हेल्थ अफसरों का एक प्रान्तीय विभाग स्थापित कर दिया है। इस विभागके अफसर एक म्यूनिसिपल्टी से दूसरी को, तरक्की पर, बदले जा सकते हैं। इनके पद का वेतन भी काफी नियत करके सरकारने उसका आधा भार अपने ऊपर ले लिया है। और सरकारने यह निश्चय कर लिया है कि दफा ६८ की उप दफा (२) के अनुसार किसी हेल्थ अफसर की नियुक्ति की मंजूरी केवल उसी दशा में देगी जब कि वह सरकारी विभाग का आदमी हो।

जिन शर्तों पर म्यूनिसिपल्टियां हेल्थ अफसर को नौकर रखेंगी वह संक्षेप में यह है —

प्रान्तीय सरकार ने प्रान्त की म्यूनिसिपल्टियों को चार श्रेणियों में विभक्त कर दिया है। पहली श्रेणी में वह म्यूनिसिपल्टियां रखी गई हैं जिनकी जन संख्या १५०००० या इससे अधिक था। इनको अव्वल दर्जे का हेल्थ अफसर रखना जरूरी है। दूसरी श्रेणी में वह म्यूनिसिपल्टियां हैं जिनकी जन संख्या ५००००, या इससे अधिक है। इनको दूसरे दर्जे का हेल्थ अफसर रखना पड़ता है। तीसरी श्रेणी में साधारणतः वह म्यूनिसिपल्टियां सम्मिलित की जाती हैं जिनकी आमदनी ५००००) रुपये से कम न हो। इनको तीसरे दर्जे का हेल्थ अफसर रखना होता है। प्रान्त की अन्य सब म्यूनिसिपल्टियां चौथी श्रेणी में रखी गई हैं। हेल्थ अफसरों का विभाग डायरेक्टर आव् पब्लिक हेल्थ (Director of public health) के आधीन होगा। मेडिकल आफिसर आव् हेल्थ (अर्थात् हेल्थ अफसर) के नौकर रखने के लिये कोई बोर्ड या तो 'डायरेक्टर आव हेल्थ' से यह प्रार्थना कर सकता है कि अमुक अफसर का तबादला करके वह इस म्यूनिसिपल्टी में रख दिया जाय। या साधारण दरख्वास्त होने पर वह डायरेक्टर, बोर्ड के पास एक सूची ऐसे उम्मेदवारों की भेज देगा, जो 'मेडिकल आफिसर आव् हेल्थ' के पद के लिये पूर्णतया योग्य हों। बोर्ड को अधिकार है कि इस सूची में से जिसको वह रखना चाहे उसको छांट ले, और 'डायरेक्टर आव पबलिक हेल्थ' के द्वारा, सरकार की मंजूरी प्राप्त करके, उसको नियुक्त कर ले। 'मेडिकल अफसर आव् हेल्थ' (Medical officer of health) की बदली एक म्यूनिसिपल्टी से दूसरी म्यूनिसिपल्टी को डायरेक्टर किया करेगा, परन्तु इस विषय में बोर्ड की सम्मति से काम किया जायगा।

'मेडिकल आफिसर आव् हेल्थ' के कर्तव्य संक्षेपमें यह होंगे —

(ए) म्यूनिसिपल्टी में जनता की आरोग्यता के प्रबन्धों की देख भाल करना। ऐसे अफसर का सब से प्रधान कर्तव्य नगर की सफाई (Conservancy) की देख भाल करना है। ऐसे अफसर का यह भी कर्तव्य होगा कि म्यूनिसिपल्टी की जांच करके आरोग्यता के प्रबन्धों की त्रुटियों की रिपोर्ट दे और उनकी उन्नति के उपाय बतलाये।

(बी) गऊ थन सीतला के टीके (Vaccination) की देख भाल करना।

(सी) मौतों तथा पैदाइश के दर्ज किये जाने के प्रबन्ध की देख भाल करना।

(डी) यदि बोर्ड ने उसको इस बात का अधिकार दिया हो, तो खाद्य पदार्थों की जांच करना, और जो पदार्थ मनुष्य के खाने योग्य न हों उनको, एक्ट की दफा २४९

के अनुसार, कब्जे में करना, और हटवा देना । और किसी खाद्य पदार्थ का, जिस में कोई मेल होने की शंका हो, नमूना मोल लेकर, सरकारी जांच करने वाले (Public analyst) के पास भेजना । जिन नगरों मे लेबोरेटरी अर्थात् रस क्रिया स्थान (Laboratory) हो तो शङ्का उत्पन्न होने पर, पानीकी जांच करना और जिन म्यूनिसिपलटियों में एक्ट नं० ६ सन १९१२ (Prevention of Adulteration Act 6 of 1912) लागू हो, उनमें शंका होने पर, दूध की जांच करना ।

भिन्न २ दर्जों के मेडिकल आफिसरों के रखने के लिये म्यूनिसिपलटियों की श्रेणियां इस प्रकार की गई हैं:—

दर्जा १ इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, लखनऊ, आगरा, नैनीताल, मंसूरी ।

दर्जा २ बरेली, हरिद्वार, मेरठ, मथुरा सहारनपुर, अलीगढ, मुरादाबाद, शाहजहांपुर फर्रुखाबाद, फतेहगढ, झांसी, फैजाबाद-अयोध्या, मिरजापुर, गोरखपुर, देहरादून ।

दर्जा ३ बदायूं, चंदौसी इटावा, हाथरस, जौनपुर, पीलीभित, सीतापुर, बहरायच, हापड ।

दर्जा ४ अन्य सब म्यूनिसिपलटियां ।

देखिये म्यूनिसिपल मैन्युअल के पन्ने २९१ से २९५ तक ।

—दर्जा १ के 'मेडिकल आफिसर आव् हेल्थ' (Medical Officer of Health)की शिक्षा परीक्षा इत्यादिके नियमोंके लिये देखिये म्यूनिसिपल मैन्युअलके पन्ने २९५ से २९७ तक ।

—सिवाय हेल्थ अफसरके, अन्य जिन अफसरोंके नियुक्त किये जानेकी आज्ञा दफा ६८ में दी गई है उनकी नियुक्तिके विषयमें जो पत्र व्यवहार किया जाय वह सरकारी पब्लिक वर्क्स विभाग शाखा इमारते तथा सडकें—(Public Works Department, Buildings & Roads Branch) से सेनिटेरी इञ्जिनियरके द्वारा किया जाना चाहिये। देखिये G O No 1077 xi 49 तारीख ३१ मई, सन १९१८ ।

दफा ६९ इञ्जिनियरों और हेल्थ अफसरोंको सजा दी जाना और उनको डिस्मिस् करना

बोर्ड, विशेष रेजोल्यूशन (प्रस्ताव) के द्वारा किसी अफसर को जो दफा ६८ के अनुसार नियुक्त किया गया हो उन शर्तोंके आधीन जो दफा ५८ मे एक्जिक्यूटिव अफसरको सजा देने और डिस्मिस् करने के विषयमे नियमित है, सजा दे सकता है या डिस्मिस कर सकता है ।

दफा ७० अस्थाई कर्मचारी जिनकी अकस्मात आवश्यकता पडने पर जरूरत होती है

अकस्मात आवश्यकता पडने पर अस्थाई (Temporary) कर्मचारियोंको नियुक्त करने और उनका वेतन निश्चय करनेका अधिकार चेयरमैनको नीचे लिखी हुई शर्तोंके आधीन प्राप्त होगा, अर्थात् —

(ए) चेयरमैन ऐसे अधिकारको बरतने में बोर्डके किसी ऐसे हुक्मके विपरीत काम न करे कि जिसके द्वारा किसी विशेष कार्यके लिये अस्थाई कर्मचारियोंकी नियुक्त करनेकी मनाहीकी गई हो। और

(बी) प्रत्येक नियुक्ति जो चेयरमैन इस दफाके अनुसार करे उसकी रिपोर्ट, बोर्डकी जो पहली मीटिंग ऐसी नियुक्तिके पश्चात् हो, उसमें देदी जाय।

दफा ७१ स्थाई कर्मचारियोंकी संख्या निर्णय करनेका बोर्डका अधिकार

बोर्डको अधिकार होगा कि रेजोल्यूशन (Resolution) पास करके यह निश्चय कर दे कि कौन २ कर्मचारी (एक्जिक्यूटिव अफसरको और दफा ६६ के द्वारा नियुक्त किये हुये सेक्रेटरियोंको और इंजिनियरों और हेल्थ अफसरोंऔर अस्थाई (Temporary) कर्मचारियोंको जो दफा ७० के अनुसार नियुक्त किये गये हो, छोड़के) बोर्डके कर्तव्योंके पूरा करनेके लिये, आवश्यक है और कितना वेतन किस २ को दिया जायगा।

व्याख्या—

इस दफाके द्वारा बोर्डको केवल इतनाही अधिकार दिया गया है कि वह यह निश्चय करदे कि म्यूनिसिपलटीका काम चलानेको कितने कर्मचारी चाहिये, और जो वेतन प्रत्येकको दिया जायगा यह नियत करदे। किसी शख्सको किसी पद पर नियुक्त करनेका अधिकार इस दफाके द्वारा बोर्डको नहीं दिया गया है, वरन भिन्न २ पदों पर कर्मचारियोंको नियुक्त करनेका अधिकार उनके वेतन के हिसाबसे बोर्डको और चेयरमैन और एक्जिक्यूटिव अफसरको दिया गया है। देखिये दफा ७४ और ७५।

दफा ७२ पदोंका मिला दिया जाना

इस एक्टके अथवा किसी नियमके हुक्मोंके आधीन बोर्डको अधिकार होगा कि किसी एक शख्सको दो या अधिकपदोंके कर्तव्योंके पूरा करने पर नियत कर दे।

व्याख्या—

कोई विशेष हुक्म इस विषयमें होने पर कि किसी कर्मचारीको एकसे अधिक पदोंका काम नहीं सौंपा जाना चाहिये, बोर्डको यह अधिकार न होगा कि दो पदोंके कामोंको मिला दे। जैसे सेनिटेरी इन्सपेक्टरके विषयमें यह आज्ञा है कि उसको अन्य कोई काम न दिया जाय जिससे कि उसको पूरा समय सफाई आदिके देखनेके लिये मिले। अतएव बोर्डको सेनिटेरी इन्सपेक्टरको अन्य कोई काम देनेका अधिकार नहीं है।

दफा ७३ शिक्षा विभागके कर्मचारियोंकी नियुक्ति और उनका डिस्मिस किया जाना

बोर्डके शिक्षाविभागके कर्मचारियों (Educational establishment) में से किसीको नियुक्त करने छुट्टी देने, सजा देने डिस्मिस् करने (अर्थात् निकाल देने),

और उन पर निगरानी रखनेका अधिकार किसी ऐसी म्यूनिसिपल्टीमें जिसमें इस विषयमें प्रस्ताव पासकर लिया गया हो, बोर्डकी शिक्षा कमेटी (Education Committee) को होगा, परन्तु उक्त अधिकार किसी ऐसी शर्तों या बन्धेजोंके आधीन बर्ते जायगे जो कमेटीके द्वारा उनके किसी दूसरेको सौंपे जानेके विषयमें, या अन्य किसी विषयमें रैजोल्यूशनके द्वारा लगाये गये हों।

व्याख्या—

शिक्षाविभागके कर्मचारियोंको शिक्षाकमेटीके आधीन कर देनेके लिये यह आवश्यक है कि बोर्डने रैजोल्यूशनके द्वारा यह बात निश्चित कर दी हो। यदि कोई विशेष प्रस्ताव इस विषयमें पास न किया गया होगा तो बोर्डके अन्य कर्मचारियोंके समान ही शिक्षाविभागके कर्मचारी भी दफा ७४ तथा ७५ के हुक्मोंके अनुसार नियुक्त किये जायेंगे, और दफा ७६ और ७७ के अनुसार उनको भी दण्ड दिया जायगा और डिस्मिस् किये जावेंगे। और वेभी दफा ६० की उपदफा (२) के अनुसार एग्जिक्यूटिव अफसर ही के मातहत (आधीन) होंगे।

दफा ७४ ऊंची श्रेणीके स्थाई कर्मचारियोंका नियुक्त और डिस्मिस् किया जाना

किसी ऐसे हुक्मों के आधीन जो इसके विरुद्ध दफा ५७ से दफा ७३ तक में हों, उन कर्मचारियों को, जिनका मासिक वेतन पचास रुपये (या, शहर की म्यूनिसिपलटी मे पचहत्तर रुपये) से अधिक हो बोर्ड नियुक्त करेगा, और बोर्ड ही उनको सजा देगा, और डिस्मिस् करेगा।

व्याख्या—

दफा २९७ की उप दफा (१) के क्लाज (एफ) के द्वारा बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि विशेष रैजोल्यूशन (Special Resolution) के द्वारा, रैजोल्यूशन (Resolution) बनाके, दफा ७४ में दी हुई, ५०) या ७५) रुपये की रकम, को बढ़ा दे। उदाहरणार्थ, बोर्ड ऐसे रैग्युलेशन के द्वारा, यह निश्चय कर दे सकता है, कि उन कर्मचारियों का नियुक्त करने, सजा देने इत्यादि का अधिकार बोर्डको होगा जिनका मासिक वेतन, साधारण म्यूनिसिपल्टी में, ७५) रुपया हो, या, शहरकी म्यूनिसिपलटीमें, १००) रुपया हो।

—यदि बोर्ड चाहे तो दफा ११२ के अनुसार अपने इस अधिकार को, किसी दूसरे को सौंप सकता है। देखिये शिड्यूल न० (१).

दफा ७५ नीची श्रेणीके स्थाई कर्मचारियों का नियुक्त किया जाना

१ ऐसे ही हुक्मोंके आधीन, उन म्यूनिसिपलटियोंमें जहां एग्जिक्यूटिव अफसर हो—

(ए) उन कर्मचारियोंको, जिनका मासिक वेतन बीस रुपये से (या शहरकी म्यूनिसिपलटीमें तीस रुपये से) अधिक न हो, एग्जिक्यूटिव अफसर नियुक्त करेगा। और

(बी) उन कर्मचारियों को जिनका मासिक वेतन बीस रुपये से अधिक हो, परन्तु पचास रुपये से अधिक न हो (या शहर की म्यूनिसिपल्टी में

तीस रुपये से अधिक हो परन्तु पछत्तर रुपये से अधिक न हो) एक्जिक्युटिव अफसर नियुक्त करेगा परन्तु प्रत्येक ऐसी नियुक्ति चेयरमैन की मञ्जूरी के आधीन होगी।

२ ऐसे ही हुक्मों के आधीन, उन म्यूनिसिपल्टियों में जहां एक्जिक्युटिव अफसर न हो, उन कर्मचारियों को जिनका मासिक वेतन पचास रुपये से (या शहर की म्यूनिसिपलटी में पछत्तर रुपये से) अधिक न हो, चेयरमैन नियुक्त करेगा।

नोट "ऐसे ही हुक्मों के आधीन" इन शब्दों से अर्थ है वह हुक्म जो, इसके विरुद्ध, दफा ५७ से दफा ७३ तक में हों—देखिये दफा ७४।

दफा ७६ नीची श्रेणीके स्थाई कर्मचारियों को सज़ा देना और डिस्मिस् करना

१ ऐसेही हुक्मोंके आधीन, उन म्यूनिसिपलटियोंमे जहा एक्जिक्यूटिव अफसरहो—

(ए) उन कर्मचारियोंको, जिनका मासिक वेतन दस रुपये से (या, शहरकी म्यूनिसिपलटीमे पन्द्रह रुपये से) अधिक न हो, एक्जिक्यूटिव अफसर सजा (दण्ड) दे सकता है या डिस्मिस कर सकता है। और

(बी) उन कर्मचारियोंको, जिनका मासिक वेतन दस रुपये से अधिकहो परन्तु पचास रुपये से अधिक न हो, (या शहरकी म्यूनिसिपलटीमें पन्द्रह रुपये से अधिक हो परन्तु पछत्तर रुपयेसे अधिक न हो), एक्जिक्यूटिव अफसर सजा दे सकता है, या डिस्मिस कर सकता है, परन्तु ऐसी दशामे प्रत्येक हुक्म जिसके द्वारा कोई कर्मचारी डिस्मिस किया जाय, या जिसके द्वारा किसी शख्सपर, उसके एक मासके वेतनसे अधिक रकम का जुर्माना किया जाय या जिसके द्वारा एक माससे अधिक के लिये कोई कर्मचारी अपने कामपर से हटाया जाय (मुअत्तिल किया जाय), या जिसके द्वारा, दण्ड देनेके अभिप्रायसे, किसी का पद घटा दिया जाय (तनज्जुल), की अपील चेयरमैनके पासकी जासकेगी।

२ ऐसेही हुक्मोंके आधीन, उन म्यूनिसिपलटियोंमे जहा एक्जिक्यूटिव अफसर न हो—

(ए) इन कर्मचारियोंको जिनका मासिक वेतन दस रुपये से (या शहरकी म्यूनिसिपलटीमें पन्द्रह रुपयेसे) अधिक न हो, चेयरमैन सजा देसकता है, या डिस्मिस कर सकता है। और

(बी) उन कर्मचारियोंको जिनका मासिक वेतन दस रुपये से अधिक न हो (या शहरकी म्यूनिसिपलटीमें पन्द्रह रुपयेसे अधिक हो परन्तु पछत्तर रुपये से अधिक न हो) चेयरमैन सजा देसकता है या डिस्मिस कर सकता है, परन्तु ऐसी दशामे उस प्रकारके प्रत्येक हुक्मकी, जो उपदफा (१) के क्लाज (बी) मे वर्णित है, अपील बोर्डके पासकी जासकेगी।

व्याख्या—

दफा ७५ और ७६ में जो कमसे कम (Minimum) और ऊँचीसे ऊँची रकमें (Miximum) बताई गई हैं, वहभी, दफा २९७ की उपदफा (१) के क्लॉज (एफ) के अनुसार बनाये हुये रेग्युलेशनके द्वारा बढाई जा सकती हैं । देखिये दफा ७४ की व्याख्या ।

—दफा ७६ की उपदफा (२) के क्लॉज (बी) के द्वारा जो अधिकार अपील सुननेका बोर्ड को दिया गया है, उसको बोर्ड किसी दूसरेको सौंप देसकता है । देखिये शिडियूल न० (१)

दफा ७७ दफा ७१ से दफा ७६ तकमें दिये हुए अधिकारोंपर बन्धेज

१ दफा ७१, ७३, ७४, ७५, और ७६ के हुक्म—

(ए) दफा ७८ के आधीन होंगे । और

(बी) किसी नियम के, विशेषत किसी ऐसे नियम के आधीन होंगे जो किसी ऐसे पदो पर, या किसी ऐसे विशेष पद पर, नौकर रखे जाने के विषय मे, जिन पदो या जिस पद के लिये, किसी पेशे मे निपुणता का होना आवश्यक रखा गया हो, कोई शर्तें लगाते हों, या जो उन पदों या उस पद पर से काम से हटा दिये जाने (Suspension) के विषयमे, डिस्मिस किये जाने के विषय मे, कोई शर्तें लगाते हो ।

२ दफा ७४ ७५, और ७६ के हुक्म किसी ऐसे रेग्युलेशन (Regulation) के हुक्मोंके भी आधीन होंगे, जो उस वेतनकी अधिकसे अधिक (Maximum) या कमसे कम (Minimum) संख्याको बढानेके विषयमे हो जो उक्त दफाओंमे बोर्ड और चेयरमैन और एक्जिक्यूटिव अफसरके ऐसे अधिकारोंके सम्बन्धमे नियमित है, जो उन को अपने अपने आधीन कर्मचारियोंपर प्राप्त है ।

व्याख्या—

उपदफा (१) के क्लॉज (ए) के अनुसार जो अधिकार कर्मचारियोंके वेतन नियत करने, उनको नियुक्त या डिस्मिस् करने इत्यादि विषयोंमें दिये गये हैं, वह उन कर्मचारियों पर लागू न होंगे जो सरकारी नौकर हों और जो बोर्डको मांगे दे दिये गये हों । ऐसे मांगे हुए कर्मचारियोंके डिस्मिस् किये जाने, या दंड दिये जानेके विषयमें दफा ७८ में हुक्म दिये गये हैं ।

—उपदफा (१) के क्लॉज (बी) का मतलब यह है कि कोई २ पद ऐसे हैं जिनपर केवल वही लोग नौकर रखे जा सकते हैं जो किसी विशेष काममें निपुण हों, या कोई परीक्षा पास कर चुके हों, या नियमित योग्यताएं रखते हों, जैसे बिजलीके कारखानेके नोकरोंके पद, या पानीके कारखानेका इञ्जीनियर इत्यादि । ऐसे पद पर, चेयरमैन, एक्जिक्यूटिव अफसर इत्यादि ऐसेही किसी आदमीको नौकर रख सकते हैं जिनमें वह योग्यता मौजूद हो जो किसी नियमके द्वारा नियमित हों ।

इसी प्रकार, दफा ७१ के अनुसार बोर्डको जो अधिकार कर्मचारियोंका वेतन नियत करनेका दिया गया है, वह अधिकार भी किसी ऐसे नियमके आधीन होगा जो प्रान्तीय सरकारने किसी कर्मचारीके वेतनके विषयमें बना दिया हो । जैसे, सेनिटेरी इन्सपेक्टरके विषयमें प्रान्तीय सरकारकी आज्ञा है कि उनको ६०) रुपये मासिकसे कम वेतन न दिया जाय, तो इस नियमके विरुद्ध, बोर्डको

दफा ७१ के द्वारा, यह अधिकार न होगा कि किसी सेनिटेरी इन्सपेक्टरका वेतन ६०) रुपये मासिक से कम नियत कर दे।

—उपदफा (२) दफा ७४, ७५ और ७६ में जो अधिकार, कर्मचारियोंको नियुक्त करने, दण्ड देने वगैरा के विषयमें दिये गये हैं वह बोर्ड, चेयरमैन, अथवा एक्जिक्यूटिव अफसरको, कर्मचारियों के वेतनकी सख्याके हिसाबसे दिये गये हैं। अर्थात् उक्त दफाओंमें यह बता दिया गया है कि अमुक सख्यासे अमुक सख्या तक वेतन पाने वाले कर्मचारियोंको बोर्ड नियुक्त करे, सजा इत्यादि दे, और अमुक सख्यासे अमुक सख्या तक वेतन पानेवालेको चेयरमैन नियुक्त करे, इत्यादि। इस उपदफाके द्वारा आज्ञा दी गई है कि यदि बोर्ड चाहे तो इन सख्याओंको रेग्युलेशनके द्वारा बढाके अपने, या चेयरमैन या एक्जिक्यूटिव अफसरके अख्त्यारोंको बढा सकता है।

—कुछ कर्मचारियोंकी विशेष योग्यताओं, वेतन, नियुक्ति आदिके विषयमें प्रान्तीय सरकार द्वारा नियम बना दिये गये हैं, वह सक्षेपमें नीचे दिये जाते हैं —

सेनिटेरी इन्सपेक्टर

१ नीची श्रेणिके निगरानी करनेवाले सफाईके कर्मचारियों (Subordinate Supervising Conservancy Staff) की उपयोगिता बढानके अभिप्रायोंसे नीचे लिखे नियम (Rules) बनाये गये हैं, जिनके द्वारा प्रान्तके किसी २ बोर्डके लिये यह आवश्यक कर दिया गया है कि वह उक्त काम पर केवल शिक्षित (Trained) कर्मचारियोंको नौकर रखें। यह नियम केवल उन्हीं म्यूनिसिपल्टियों पर लागू हैं जिनकी वार्षिक आमदनी बीस हजार रुपयेसे अधिक हो।

२ बोर्डोंको चाहिये कि वे (नीचे लिखे) नियम १० की ओर विशेष ध्यान दें, अर्थात् यह कि कोई बोर्ड किसी चीफ सेनिटेरी इन्सपेक्टर, या सेनिटेरी इन्सपेक्टरको, नीचे लिखे कार्य्योंके अतिरिक्त, अन्य किसी कार्य्यमें बिना डायरेक्टर आव् पब्लिक हेल्थ (Directer of Public Hetlth) की, आज्ञाके न लगाये —

(१) आरोग्यताके उपायोंके प्रबन्ध (Sanitation)

(२) मौतों और पैदायशोंका दर्ज करना।

(३) पब्लिक (सार्वजनिक) आराजियों आदिको दबा लिये जाने (Encroachments) बचाना।

"उनके वास्तविक कामके अतिरिक्त सेनिटेरी इन्सपेक्टरों पर प्राय नाना प्रकारके कामोंका भार डाल दिया जाता है जैसे कि कर (Tax) का जमा करना। यह अत्यन्त आवश्यक है कि यदि आरोग्यताके उपायोंकी ओर उतना अधिक ध्यान नहीं दिया जाताहै जितना दिया जाना कि सब आवश्यक स्वीकार करते हैं मुतफर्रिक कामोंका झझट सेनिटेरी इन्सपेक्टरों पर नहीं डाला जाना चाहियें, जिससे कि वे अपना पूरा समय आरोग्यताके उपायोंकी निगरानी और देखभालमें लगा सकें। केवल छोटे २ नगरों (Towns) में इस बातकी आज्ञा दी जा सकती है कि सेनिटेरी इन्सपेक्टरके कामके साथ, सेक्रेटरी या म्युनीसिपल ओवरसियर (Overseer) का काम लगा दिया जाय, यदि सेनिटेरी कमिश्नरकी रायमें इस प्रकार दो कामोंके मिला दिये जानेसे आरोग्यताके कामों में कोई हर्ज न हो।

(देखिये रेजोल्यूशन नं० ११३१ तथा ३९०१ XI — १६ ई०, तारीख २६ मार्च और ३१ अक्टूबर, सन १९१२ ।)

जो नियम कि सेनिटेरी इन्सपेक्टरोंके सम्बन्धमें बनाये गये हैं, संक्षेपमें यह हैं —

(दफा ७७ की उपदफा (१) के क्लॉज (बी) के सम्बन्धमें)—

१ सफाईके कर्मचारियों (Conservancy Staff) की कमसे कम संख्या, जो किसी बोर्डको रखना चाहिये, वह नीचे लिखे नियमोंमें बताई गई है ।

२ इन नियमोंके मतलबके लिये प्रान्तीय सरकार म्यूनिसिपलटियोंको दो दर्जोंमें विभक्त करेगी, अर्थात्

दर्जा १ वह म्यूनिसिपलटिया जिनकी जन संख्या एक लाख या इससे अधिक हो ।

दर्जा २ वह म्यूनिसिपलटिया जिनकी वार्षिक आमदनी बीस हजार रुपये से कम न हो ।

३ दर्जा १ की प्रत्येक म्यूनिसिपलटी ऐसे भागों में बांटी जायेगी कि प्रत्येक भागकी जन संख्या २० हजार और २५ हजार के बीच में हो । प्रत्येक ऐसे भागके लिये एक सेनिटेरी इन्सपेक्टर रखा जायगा । और प्रत्येक एक लाख निवासियों के लिये एक चीफ सेनिटेरी इन्सपेक्टर रखा जायगा । परन्तु ऊपर बताये हुये भागों के ५ भागसे अधिक की निगरानी किसी चीफ सेनिटेरी इन्सपेक्टर को नहीं सौंपी जायगी ।

४ सिवाय नैनीतालके, दूसरे दर्जे की सब म्यूनिसिपलटियों में कमसे कम एक सेनिटेरी इन्सपेक्टर रखा जायगा । नैनीतालकी म्यूनिसिपलटी में कमसे कम दो रखे जायेंगे ।

५ प्रान्त की म्यूनिसिपलटियों को, दर्जों में प्रान्तीय सरकार ने जिस प्रकार बांटा है वह परिशिष्ट ए (Appendix A) में दिये गये हैं, परन्तु शर्त यह है कि प्रान्तीय सरकार जब चाहे, किसी म्यूनिसिपलटी का दर्जा बदलके दूसरे में रख सकती है ।

६–७ सेनिटेरी इन्सपेक्टर और चीफ सेनिटेरी इन्सपेक्टर के पदों पर केवल ऐसेही शख्स रखे जायेंगे जिन्होंने कि सेनिटेरी इन्सपेक्टरी की परीक्षा पास की हो । जिन शख्सों ने केवल अप्रेंटिस सेनिटेरी इन्सपेक्टर (Apprentice Sanitary Inspector) की नीची परीक्षा पास की हो, उनको कोई बोर्ड, अस्थाई रूपसे, केवल तीन वर्ष तकके लिये, नौकर रख सकता है ।

८ सेनिटेरी इन्सपेक्टर कमसे कम एक वर्ष तक परीक्षा (Probation) पर रहेंगे ।

९ अप्रेंटिस सेनिटेरी इन्सपेक्टर का वेतन ६०) रुपया प्रति माससे कम न होगा । सेनिटेरी इन्सपेक्टर का ७०) रुपया और चीफ सेनिटेरी इन्सपेक्टर का १००) रुपये से कम न होगा ।

१० कोई बोर्ड किसी चीफ सेनिटेरी इन्सपेक्टर, या सेनिटेरी इन्सपेक्टर को नीचे लिखे कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में बिना डायरेक्टर आव् पब्लिक हेल्थकी आज्ञा के न लगायगा ।

(१) आरोग्यता के उपायों के प्रबन्धमें ।

(२) मौतों तथा पैदायशों को दर्ज कराने में ।

(३) पब्लिक (सार्वजनिक) आराजियों आदि को दबा लिये जाने से बचाने में ।

११ प्रत्येक सेनिटेरी इन्सपेक्टर और चीफ सेनिटेरी इन्सपेक्टरके लिये एक दिनपत्रिका (Diary) रखना आवश्यक होगा जिसमें वह आरोग्यता के उपायों की सब रिपोर्टें दर्ज किया करेगा, और उनके विषयमें जो नये प्रबन्ध कराना चाहे वह [illegible] ।० यह 'दिनपत्रिका' मेडिकल,

आफिसर आव् हेल्थ के पास भेजी जायगी, या यदि म्यूनिसिपल्टी में यह अफसर न रखा गया हो तो, जिसको चेयरमैन या एक्जिक्यूटिव अफसर आज्ञा दे उसको भेजी जायगी, जिस अफसरके पास 'दिनपत्रिका' भेजी जायगी वह अपनी राय लिखके उसको एक्जिक्यूटिव अफसर के पास भेज देगा, या यदि एक्जिक्यूटिव अफसर न हो तो चेयरमैनके पास भेज देगा।

आज्ञा दी जाने पर ऐसी 'दिनपत्रिका' डायरेक्टर आव पब्लिक हेल्थ, या उसके नायबों या सिविल सर्जन की सेवा में देखने के लिये भेजी जायगी।

१२ सेनिटेरी इन्सपेक्टरों पर उन्हीं संस्थाओं का अधिकार होगा जो उनको नौकर रखेंगी। उनके तबादले, छुट्टी, तथा डिस्मिस् किये जाने के विषय में वही कायदे माने जायेंगे जो अन्य म्यूनिसिपल कर्मचारियों के लिये हैं।

परिशिष्ट ए.
(Appendix A)

म्यूनिसिपलटियों की विभक्ति

दर्जा १—आगरा, इलाहाबाद, बरेली, बनारस, कानपुर लखनऊ, मेरठ।

दर्जा २—अल्मोड़ा, अमरोहा, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बांदा, बृन्दाबन, बदायूं, बुलन्द शहर चन्दौसी, देहरा, देवबन्द, इटावा, फतहगढ़-फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फीरोजाबाद, फैजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हापड़, हरदोई, हरिद्वार (यूनिअन), हाथरस, जौनपुर, झांसी, कासगंज, खुर्जा, (कोइल) अलीगढ़, ललितपुर, मिरजापुर, मुरादाबाद, मसूरी, मथुरा, मुजफ्फर नगर, नगीना, नैनीताल, नजीबाबाद, नवाबगंज (बाराबंकी), पीलीभीत, रायबरेली, रुड़की, सहारनपुर, सम्भल, शाहजहांपुर, सिकन्दराबाद, सीतापुर, तिल्हर लखीमपुर, कूच, सण्डीला।

सेनिटरी इन्सपेक्टरोंकी शिक्षा, परीक्षा इत्यादिके विषयमे देखिये परिशिष्ट बी (B) म्यूनिसिपल मैन्युअल के पन्ने २०१ से २०४ तक।

ओवरसियरों तथा सब ओवरसियरोंके नियुक्त किये जानेके विषयमें नियम

(दफा ७७ की उप दफा (१) के क्लाज (बी) के सम्बन्ध में) —

कमिश्नरकी विशेष आज्ञा प्राप्त किये बिना कोई बोर्ड किसी शख्सको ओवरसियर (Overseer या सब ओवरसियर (Sub Overseer) के पद पर न रखेगा जब तक कि उस शख्स ने नीचे लिखी हुई योग्यताओं में से कोई प्राप्त न की हो —

१ किसी सरकारी इञ्जिनियरी के कालेज से सब ओवरसियरी की परीक्षा पासकी हो, और पास कर लेने पर कम से कम पांच वर्ष का, साधारण पब्लिक वर्क्स (Ordinary public works) की निगरानी का अनुभव (तजुरबा) प्राप्त किया हो। या

२ किसी सरकारी इञ्जिनियरी के कालेज से ओवरसियरी की परीक्षा पास की हो और पब्लिक वर्क्स (अर्थात् सार्वजनिक काम) की निगरानी का अनुभव कमसे कम १२ मास का उसको हो। या

३ सरकारी, या किसी रेल के पब्लिक वर्क्स विभाग में स्थाई या अस्थाई कर्मचारियों में कम से कम लगातार पांच वर्ष तक सब-ओवरसियरी के पद पर नौकरी की हो। और जिसने एक सार्टीफिकेट (Certificate) किसी ऐसे इञ्जिनियर से प्राप्त किया हो जिसका पद डिवीजनल इञ्जिनियर (Divisional Engineer) से कम न हो, या किसी रेल के इञ्जिनियर से, जो समान पद का हो प्राप्त किया हो और जिसमें उम्मेदवार के सदाचरण, और नौकरी में काम की योग्यता प्रगट करने, और सर्वे (Survey अर्थात् पैमायश) तथा लेविल (Level) कर सकने का सार्टीफिकेट दिया गया हो।

—जब तक कि अपनी नियुक्ति से कम से कम तीन वर्ष पूर्व से वह संयुक्त प्रान्त में न रह रहा हो।

(देखिये विज्ञापन No 1906 x। 6 H तारीख ५ जुलाई, सन १९१६, और विज्ञापन No 356 x। 71 H तारीख २६ जनवरी, सन १९१७, और विज्ञापन No 34 x। 549 E तारीख ९ सितम्बर, सन १९२०)

पानीके कारखाने, तथा पानीके निकासके उपायोंको कायम रखनेके लिये कर्मचारियोंको नियुक्त और डिस्मिस करनेके विषयमें नियम

१ पानीका कारखाना (Water works) या पानीके निकासके उपायोंका कारखाना (Drainage works) जारी रखने के लिये जो कर्मचारी रखे जायें, उनमें कोई शख्स २५०) रुपये मासिक से अधिक के वेतन पर, सिवाय प्रान्तीय सरकार की मञ्जूरी के न रखा जायगा।

२ सिवाय सेनिटरी इञ्जिनियर की मञ्जूरी के, कोई शख्स उपरोक्त कारखानों में नीचे लिखे पदों में से किसी पर, जिनके कि लिये कला विज्ञानकी कोई विशेष योग्यता (Technical Qualification) आवश्यक है, नौकर न रखा जायगा —

(१) एन्जिन चलानेवाला या एन्जिन चलाने वाले का नायब, या किसी ऐसे एन्जिन को चलाने वाला जो म्यूनिसिपल्टी के कामों के लिये, पानी, या गन्दगी को खींचता और बहाता हो।

(२) पानी के कारखाने का इन्सपेक्टर या सब-इन्सपेक्टर।

(३) नियम (१) और (२) के अनुसार नियुक्त किया हुआ कोई शख्स अपने पेशे के कर्तव्यों को पूरा न करने के कारण डिस्मिस न किया जायगा जबतक कि सेनिटेरी इञ्जिनियर की राय उस मामले में प्राप्त न कर ली जाय।

(देखिये विज्ञापन No 6 जुलाई सन १९१६)

बिजलीके कारखानेके कर्मचारी नियुक्त किये जानेके विषयमें नियम, संक्षेपमें यह हैं

(दफा ७७ की उप दफा (१) के क्लाज (बी) के सम्बन्धमें)—

नियम नं० ८ बिजली के कारखाने के कर्मचारियों में से कोई शख्स २५०) रुपये मासिक से अधिक के वेतन पर, बिना प्रान्तीय सरकार के म्युनिसिपल विभाग की मञ्जूरी के नियुक्त न किया जायगा।

नियम न ९ और १० सिवाय बिजलीके इन्सपेक्टर (Electrical Ingineer) की मंजूरीके कोई शख्स उपरोक्त कारखानेमें नीचे लिखे पदोंमेंसे किसी पर, जिनके लिये कि कला विज्ञान की विशेष योग्यता होना आवश्यक है, नौकर न रखा जायगा —

शिफ्ट इञ्जिनियर (Shift Engineer)
सब-स्टेशन इञ्जिनियर (Sub-Station Engineer)
पावर हाउस सुपरिन्टेन्डन्ट (Power House Superintendent)
स्विच बोर्ड एटेन्डेन्ट (Switch board Attendant)
मेन सुपरिन्टेन्डेन्ट (Main Superintendent)
फोरमैन वायरमैन (Foreman Wireman)
फोरमैन लाइन्समैन (Foreman Linesman)

(देखिये विज्ञापन No 1906 xi 6 H, तारीख ५ जुलाई सन१९११ ई०)

दफा ७८ जिन सरकारी कर्मचारियोंको बोर्डने अपने काममें लिया हो,तथा जिन बोर्डके कर्मचारियोंको सरकारने अपने काम में लिया हो, उनकी पेन्शन और डिस्मिस् किया जाना

१ किसी ऐसे कर्मचारी की पेन्शन और छुट्टी की तनख्वाह (Leave allowances) में बोर्ड को चन्दा देकर भाग लेना होगा (Shall contribute)—

(ए) जिसकी नौकरी (मुलाजिमत) सरकार ने बोर्ड को मांगे दे दी हो, या जिसको बदल के अपने काम पर से बोर्ड के काम में दे दिया हो। या

(बी) जिसकी नौकरी (मुलाजिमत) बोर्ड ने सरकार को मांगे दे दी हो, या जिसको बदल के अपने काम पर से सरकार के काम में दे दिया हो। या

(सी) जिससे कुछ काम सरकार लेती हो और कुछ बोर्ड।

२ चन्दे का ऐसा भाग (Contribution) उस हद तक होगा, जितना कि गवर्नर जनरल और उनकी कौंसिलके बनाये हुए किसी साधारण नियमों (General rules) या विशेष हुक्मो, के द्वारा नियमित हो।

३ सरकार की सम्मति के बिना, बोर्ड किसी ऐसे कर्मचारी को, जिसका वर्णन उप-दफा (१) के क्लाज़ (ए) और क्लाज (सी) मे किया गया है अपने काम पर से छुडा न सकेगा, न किसी ऐसे कर्मचारी को, जिसका वर्णन उप दफा (१) के क्लाज (बी) मे किया गया है बिल्कुल डिस्मिस कर सकेगा, जब तक कि उसने सरकार को कम से कम छ मास का नोटिस न दे दिया हो।

४ इस दफामे शब्द "सरकार" का अर्थ है 'भारत सरकार" (Government of India) या कोई प्रान्तीय सरकार।

व्याख्या—

श्रीमान भारत मन्त्री (Secretary of State for India) ने अपने राज लेख (Despatch) नं० १६ तारीख ७ फरवरी सन १८८९ ई० के द्वारा आज्ञा दी है कि जो सरकारी अफसर देशी रियासतों, म्यूनिसिपलटियों, रेल की कम्पनियों आदि को मांगे दिये जायें, उनके विषय में जो नियम हों उनमें इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि जिससे यह बात स्पष्टत विदित हो जाय कि—

१ जो अफसर मांगे दिये जायेंगे उनको केवल उतनाही बदला (Remuneration) मिलेगा जितना कि तय हो गया हो, या जितनेकी भारत सरकार ने मन्जूरी दी हो।

२ जो अफसर इस प्रकार मांगे दिये जायेंगे, जब कि वे किसी बाहरी काम पर रहेंगे, उन पर वे सब कायदे लागू होंगे, जो कि उन अफसरोंके आचार व्यवहार, सजा इत्यादि (Disciplinary rules) के विषय में बनाये गये हों जो कि वास्तव में सरकारी नौकरी पर काम कर रहे हों।

—इस प्रकार मांगे दिये जाने से पूर्व ही जिन अफसरों का पेन्शन का हक सरकार पर होगया हो तो सरकार उनकी पेन्शन की जिम्मेदारी अपने ऊपर रखती है और जिस रियासत, म्यूनिसिपल्टी इत्यादि को ऐसे अफसर मांगे देती है उनसे, प्रतिमास, एक रकम पेन्शन की मद में लिया करती है। (देखिये म्यूनिसिपल मैन्यूअल के पन्ने ३१८-३१९)

दफा ७९ छुट्टी का एलाउन्स प्राविडेन्ट फण्ड, वार्षिक वज़ीफे और इनाम

१ प्रत्येक ऐसी दशा मे जिसमे कि बोर्ड को किसी अफ़सर या कर्मचारी को वेतन देने का अधिकार हो, उसको, किसी ऐसे रेग्युलेशनो (Regulations)के आधीन जो इस विषय मे हो, ऐसे अफसर या कर्मचारी को छुट्टी की तनख्वाह (एलाऊन्स) भी देने का अधिकार होगा।

२ बोर्ड एक प्राविडेन्ट फण्ड भी स्थापित कर सकता है और जारी रख सकता है, और स्वय भी उस फण्ड मे कुछ रकमे दे सकता है (Contribute)

३ बोर्ड, अपने किसी ऐसे कर्मचारी को जिसको प्राविन्डेट फंड के लाभ मे भाग लेने का अधिकार प्राप्त न हो, जब कि उक्त कर्मचारी नौकरी का पूरा समय काट के कार्य त्याग (Retire) करे, इनाम (Gratuity) प्रदान कर सकता है।

४ प्रान्तीय सरकार की मंजूरी पहले से प्राप्त करके, बोर्ड—

(ए) किसी ऐसे कर्मचारी को जो कार्य त्याग करने की तारीख (Date of Retirment) पर किसी ऐसे प्राविन्डेट फड मे, जो उप दफा (२) के अनुसार स्थापित किया गया हो, चन्दा न देता रहा हो, या जिसने ऐसे प्राविडेण्ट फड मे दस वर्ष से कम की अवधि तक चन्दा दिया हो। और

(बी) किसी ऐसे अफसर या कर्मचारी को, जिसके अपने पद के काम को करने मे, चोट लगी हो, परन्तु ऐसी चोट स्वय अपनी ही भूलचूक से न लगी हो, या उस दशा मे जब कि ऐसी चोट के कारण मृत्यु हो जाय तो ऐसेअफसर या कर्मचारी के कुटुम्ब को।

—वार्षिक वजीफा (Annuity) प्रदान कर सकता है, या उसके लिये वार्षिक वजीफा मोल लेने का प्रबन्ध कर सकता है।

५ बोर्ड, ऐसी ही मंजूरी प्राप्त करके, उप दफा (४) के क्लाज़ (बी) के अनुसार काम करने के बदले, किसी ऐसे अफसर या कर्मचारी को, जिस का वर्णन उक्त क्लाज मे है, या उसके कुटुम्ब को "करुणाई एलाउन्स" (Compessionate allawance) दे सकता है।

व्याख्या—

म्युनिसिपल्टी के कर्मचारियों को पेन्शन नहीं मिलती। इसलिये यह आवश्यक समझा गया कि जो शख्स, पूरे समय तक म्यूनिसिपलटी की सेवा करके, वृद्धावस्था के कारण अपने काम पर से हटे, उसके निर्वाह का कुछ प्रबन्ध होना चाहिये। दफा ७९ मे उन अनेक प्रकार की सहायताओं का उल्लेख है जो म्युनिसिपल्टी ऐसी दशा में अपने कर्मचारियों को देती है

—छुट्टी की तनख्वाह —दफा २९७ की उप दफा (१) के क्लाज (एच) के अनुसार छुट्टी की तनखाह (Allowance) आदि देने के विषय मे बोर्ड को रेग्युलेशन बनाने का अधिकार है। नमूने के रेगुलेशन (Model Regulation) जो इस विषय में म्यूनिसिपल मैन्युअल में दिये गये हैं उन के विषय में सिफारिश की गई है कि म्यूनिसिपलटियां उन्हीं को पास करलें। वह संक्षेप में यह हैं —

१ बोर्ड के किसी कर्मचारी को एलाउन्स, जो उसको काम परसे अनुपस्थित रहने के काएमें दिया जायगा, तथा वह एलाउन्स जो किसी ऐसे शख्स को दिया जायगा जो किसी दूसरे की जगह एवजी करे, उन्हीं नियमों क अनुसार दिया जायगा जो सरकारी सिविल सर्विस रेग्युलेशनों के अनुसार अनकावेनेंटेड (Uncovenanted) अफसरो को दिया जाता है।

२ सफर का भत्ता (Travelling allowance) भी वही दिया जायगा जो उक्त अफ्सरों को दिया जाता है।

—छुट्टी के एलाउन्स के लिये प्रान्तीय सरकार ने नीचे लिखा नियम (Rules) दफा २९६ की उप दफा (२) के क्लाज (बी) के अनुसार बना दिया है, और उसी के अनुसार छुट्टी का एलाउन्स बोर्डों के कर्मचारियों को दिया जाया करता है। वह नियम यह है —

'कमिश्नर की पहले से आज्ञा प्राप्त किये बिना कोई म्युनिसिपल बोर्ड अपने किसी अफसर या कर्मचारी को कोई छुट्टी, या छुट्टी का एलाउन्स, या एवजी का एलाउन्स नहीं देगा, जो उससे

अधिक हो, जो सिविल सर्विस रेग्युलेशनों (Civil Service Regulations) के अनुसार (यदि ऐसा अफसर या कर्मचारी सरकारी नौकर होता) उसको मिल सकता'।

—प्राविडेंट फण्ड—म्यूनिसिपल्टी के कर्मचारियों के वेतनमें से प्रति मास थोडा सा रुपया काटके म्यूनिसिपल्टी अपने पास जमा कर लेती है, और जितना रुपया मासिक ऐसे शख्स की तनख्वाह से काटती है उसका आधा रुपया अपने पास से प्रतिमास जमा करती जाती है। अन्त में जब कर्मचारी अपने काम पर से हटता है तो यह एकत्रित रकम उसको दे दी जाती है। ऐसी रकम को प्राविडेंट फण्ड (Provident Fund) कहते हैं।

—डाकखाने के सेविंग्स बैंक (Savings Bank) के कायदोंमें इस बातकी आज्ञा दे दी गई है, कि म्यूनिसिपलटियों के चेयरमैन, म्यूनिसिपलटियों के कर्मचारियों के प्राविडेंट फण्ड का हिसाब उक्त बैंक में रख सकते हैं। परन्तु भारत सरकारके फिनेन्स और कामर्स विभाग (Finance & Commerce) के रेज़ोल्यूशन न० ३१२२, ता० २४ जुलाई सन१८९१ई०के द्वारा यह आज्ञा दी गई है कि म्यूनिसिपलटियों को प्राविडेंट फण्ड डाकखाने में जमा करने की इजाजत तभी दी जायगी, जब कि उनके बोर्ड उन रेग्युलेशनों के अनुसार काम करें जो प्रान्तीय सरकार तथा कमिश्नर के द्वारा समय २ पर मंजूर किये जाया करते हैं। दफा २९७ की उप दफा (२) के अनुसार भी प्रान्तीय सरकार को अधिकार है कि प्राविडेंट फण्डके विषयमें रेग्युलेशन बनाये। जो रेग्युलेशन प्रान्तीय सरकार इस विषयमें बना देगी उनके सामने बोर्ड के रेग्युलेशन रद समझे जायेंगे। (देखिये–दफा २९७ की उप दफा (१) का क्लाज (एल) और उप दफा (२)।

प्राविडेंट फण्ड के स्थापित किये जाने के विषयमें नीचे लिखे नियम (Rules) प्रान्तीय सरकार ने बना दिये हैं —

"जो बोर्ड प्राविडेंट फण्ड स्थापित करना चाहे उसको नीचे लिखी शर्तों का अनुसरण करना होगा —

(ए) प्राविडेंट फण्डमें चन्दा देने का अधिकार केवल उन्हीं कर्मचारियों को होगा, जिनका मासिक वेतन १०) रुपया या इससे अधिक हो।

(बी) जो भाग बोर्ड किसी अफसर या कर्मचारी के प्राविडेंट फण्डमें दिया करेगा उसकी संख्या उस रकमके आधे से अधिक न होगी, जो ऐसा अफसर या कर्मचारी स्वयं दिया करेगा।

(सी) केवल उन्हीं अफसरों और कर्मचारियों को प्राविडेंट फण्ड का चन्दा, देना आवश्यक होगा जो किसी ऐसे पद पर नियुक्त किये जायें जिस पदके लिये प्राविडेंट फण्ड का चन्दा देना जरूरी रखा गया हो, या उन अफसरों या कर्मचारियों के लिये आवश्यक हो जो तरक्की पाके ऐसे किसी पद पर पहुंच जायें।

(डी) बोर्ड को उन रेग्युलेशनों का अनुसरण करना आवश्यक होगा जो प्रान्तीय सरकार बनाये।" (विज्ञप्ति No. 1906 xı–6 H तारीख ५ जुलाई सन १९१६)

—यदि कोई बोर्ड चाहे कि दस रुपया मासिक वेतन पाने वालों के लिये प्राविडेंट फण्ड का चन्दा देने की शर्त न रखी जाय, वरन उससे ऊंची रकम पाने वालों के लिये, (जैसे १५) या २०) रुपये पाने वालों के लिये) तो बोर्ड इसकी मंजूरी की प्रार्थना कर सकता है। परन्तु प्रान्तीय सरकार

की यह राय है कि बोर्डों को दफा ७९ के अनुसार इनाम (Gratuity) या वार्षिक वजीफा (Annuity) देने की अपेक्षा इसी में सुविधा होगी कि वह दस रुपये मासिक वेतन पाने वालों तक से प्राविडेंट फण्ड जमा कराय।

—भारत सरकारने विज्ञापन नं० २०२, तारीख ३० अक्टूबर सन १९०३ ई० के द्वारा प्राविडेंट फण्ड एक्ट, नं० ९, सन १८९७ ई० (Provident Funds Act IX of 1897) को उन सब प्राविडेंट फंडों पर लागू कर दिया है जो इस प्रान्तमें म्यूनिसिपल एक्टके अनुसार स्थापित किये जायें। इस एक्टके लागू कर दिये जाने से दो प्रकार के लाभ हैं अर्थात् एक तो यह कि प्राविडेंट फण्डमें चन्दा देने वाले किसी कर्मचारी के मर जाने पर वह रकम जो उसकी जमा होती है, उक्त एक्ट के हुक्मों के अनुसार सुविधा से मिल जाती है, और दूसरे यह कि उन कर्मचारियों का प्राविडेंट फण्ड, जिनके लिये उसका देना जरूरी रखा गया है किसी कर्जे में कुर्क नहीं हो सकता। (देखिये G O No 4082 XI-700 A, तारीख २६ नवम्बर सन १९०३)।

—प्राविडेंट फण्डके लिये नमूने के रेग्युलेशनों (Model Regulation) के लिये देखिये म्यूनिसिपलटी मैन्युअलके पन्ने ४३९ से ४४३ तक।

—उप दफा (३) उन कर्मचारियों के लिये है जिनका वेतन १०) रुपये प्रति माससे कम हो। ऐसे कर्मचारियों को, जब वह नौकरी का पूरा समय व्यतीत कर चुके तो बोर्ड कोई रकम इनाम की दे सकता है।

—उप दफा (४) के अनुसार या तो बोर्ड स्वयं कोई रकम वार्षिक वजीफे की दे सकता है या किसी बैंक, कम्पनी इत्यादि में, जो इस प्रकार का कार्य करती हों, कोई इकट्ठी रकम देकर, यह तय कर दे सकता है कि वह बैंक या कम्पनी ऐसे कर्मचारी को एक नियत की हुई रकम प्रति वर्ष दिया करे।

दफा ८० पूर्वोक्त दफाके अनुसार दिये हुये अधिकारों पर बंधेज

दफा ७९ के हुक्म इस शर्त के आधीन होंगे, कि बोर्ड बिना प्रान्तीय सरकार की विशेष मंजूरी के किसी अफसर या कर्मचारी को, या उसके कुटुम्ब को, कोई पेन्शन या वार्षिक वजीफा, या इनाम, उससे अधिक न देगा, जितना पाने का, कि वह गवर्नर जनरल और उनकी कौंसिल अथवा प्रान्तीय सरकार द्वारा दिये हुये, किसी साधारण या विशेष (General or speasil) हुक्म के अनुसार, अधिकारी होता, यदि वह नौकरी, जिसके द्वारा वह उस पेन्शन, या वार्षिक वजीफा, या इनाम, पाने के योग्य हुआ हो सरकारी होती और उसी अवधि तक तथा उसी वेतन पर की गई होती, और अन्य प्रकार भी उसी ढंग की होती।

मेम्बरों अफसरो और कर्मचारियों की जिम्मेदारी

दफा ८१ रुपया या जायदादकी हानि, बर्बाद जाने, या अपव्यय होने पर, मेम्बरोंकी जिम्मेदारी

प्रत्येक शख्स बोर्डके रुपये या अन्य जायदादकी हानि, बर्बाद जाने, या अपव्यय होने का जिम्मेदार होगा यदि ऐसी हानि, बर्बाद जाना, या अपव्यय उसकी

अधिक हो, जो सिविल सर्विस रेग्युलेशनों (Civil Service Regulations) के अनुसार (यदि ऐसा अफसर या कर्मचारी सरकारी नौकर होता) उसको मिल सकता' ।

—प्राविडेंट फण्ड-म्यूनिसिपल्टी के कर्मचारियों के वेतनमें से प्रति मास थोड़ा सा रुपया काटके म्युनिसिपल्टी अपने पास जमा कर लेती है, और जितना रुपया मासिक ऐसे शख्स की तनख्वाह से काटती है उसका आधा रुपया अपने पास से प्रतिमास जमा करती जाती है । अन्त में जब कर्मचारी अपने काम पर से हटता है तो यह एकत्रित रकम उसको दे दी जाती है । ऐसी रकम को प्राविडेंट फण्ड (Provident Fund) कहते हैं ।

—डाकखाने के सेविंग्स बैंक (Savings Bank) के कायदोंमें इस बातकी आज्ञा दी गई है, कि म्यूनिसिपलटियों के चेयरमैन, म्यूनिसिपलटियों के कर्मचारियों के प्राविडेंट फण्ड का हिसाब उक्त बैंक में रख सकते हैं । परन्तु भारत सरकारके फिनेन्स और कामर्स विभाग (Finance & Commerce) के रेजोल्यूशन नं० ३१२२, ता० २४ जुलाई सन१८९१ई०के द्वारा यह आज्ञा दी गई है कि म्यूनिसिपलटियों को प्राविडेंट फण्ड डाकखाने में जमा करने की इजाजत तभी दी जायगी, जब कि उनके बोर्ड उन रेग्युलेशनों के अनुसार काम करें जो प्रान्तीय सरकार तथा कमिश्नर के द्वारा समय २ पर मजूर किये जाया करते हैं । दफा २९७ की उप दफा (२) के अनुसार भी प्रान्तीय सरकार को अधिकार है कि प्राविडेंट फण्डके विषयमें रेग्युलेशन बनाये । जो रेग्युलेशन प्रान्तीय सरकार इस विषयमें बना देगी उनके सामने बोर्ड के रेग्युलेशन रद्द समझे जायेंगे । (देखिये-दफा २९७ की उप दफा (१) का क्लॉज (एल) और उप दफा (२) ।

प्राविडेंट फण्ड के स्थापित किये जाने के विषयमें नीचे लिखे नियम (Rules) प्रान्तीय सरकार ने बना दिये हैं —

"जो बोर्ड प्राविडेंट फण्ड स्थापित करना चाहे उसको नीचे लिखी शर्तों का अनुसरण करना होगा —

(ए) प्राविडेंट फण्डमें चन्दा देने का अधिकार केवल उन्हीं कर्मचारियों को होगा, जिनका मासिक वेतन १०) रुपया या इससे अधिक हो ।

(बी) जो भाग बोर्ड किसी अफसर या कर्मचारी के प्राविडेंट फण्डमें दिया करेगा उसकी संख्या उस रकमके आधे से अधिक न होगी, जो ऐसा अफसर या कर्मचारी स्वयं दिया करेगा ।

(सी) केवल उन्हीं अफसरों और कर्मचारियों को प्राविडेंट फण्ड का चन्दा, देना आवश्यक होगा जो किसी ऐसे पद पर नियुक्त किये जायें जिस पदके लिये प्राविडेंट फण्ड का चन्दा देना जरूरी रखा गया हो, या उन अफसरों या कर्मचारियों के लिये आवश्यक हो जो तरक्की पाके ऐसे किसी पद पर पहुंच जायें ।

(डी) बोर्ड को उन रेग्युलेशनों का अनुसरण करना आवश्यक होगा जो प्रान्तीय सरकार बनाये ।" (विज्ञप्ति No 1906 xi –6 H तारीख ५ जुलाई सन १९१६)

—यदि कोई बोर्ड चाहे कि दस रुपया मासिक वेतन पाने वालों के लिये प्राविडेंट फण्ड का चन्दा देने की शर्त न रखी जाय, वरन उससे ऊंची रकम पाने वालों के लिये, (जैसे १५) या २०) रुपये पाने वालों के लिये) तो बोर्ड इसकी मजूरी की प्रार्थना कर सकता है । परन्तु प्रान्तीय सरकार

(डी) उसने किसी ऐसे ऋण से डिबेंचर (Debenture) लिया हो, या किसी अन्य प्रकार वास्ता रखता हो, जो कि बोर्ड ने लिया हो, या बोर्ड की ओर से लिया गया हो। या

(ई) उसको, बोर्ड ने अपना वकील नियत कर रखा है। या

(एफ) बोर्ड के हाथ किसी ऐसी वस्तु के कभी २ बेचे जाने में कोई भाग या वास्ता रखता है जिस वस्तु का व्यापार वह बराबर किया करता है, और जो उतने मूल्य की बेची जाय कि वह मूल्य किसी एक वर्ष में, ऐसी रकम से अधिक न हो, जो बोर्ड, सरकार की मंजूरी से, इस विषय में, नियत कर दे। या

(जी) वह किसी ऐसे मुआहिदे में फरीक है जो बोर्ड के साथ दफा १९६ के फलाज (सी) के हुक्मों के अनुसार, या दफा २२९ के हुक्मों के अनुसार किया गया हो।

व्याख्या—

म्यूनिसिपल्टी के किसी मेम्बर को म्यूनिसिपल्टी के कामों से, किसी प्रकार का, लाभ या नफा नहीं उठाना चाहिये, न उनको म्यूनिसिपल्टी का, कोई काम या ठेका स्वयं लेना चाहिये, न किसी आड़ में या किसी साझेदार के द्वारा लेना चाहिये। कारण यह कि यदि म्यूनिसिपल्टी के ठेके देने वाले, तथा अन्य कार्यों के कराने वाले, मेम्बर स्वयं उन ठेकों और कामों को ले लें, तो स्वार्थ के सामने म्यूनिसिपल्टी के लाभ का उनको कभी ध्यान नहीं रह सकता। अतएव कानून की यह आज्ञा है कि कोई मेम्बर किसी आड़ में भी किसी प्रकार, म्यूनिसिपल्टी के कामों से लाभ न उठाने पावे। यदि कोई मेम्बर अपने किसी नातेदार या मित्र के नाम से ठेके ले ले और स्वयं उसके नफे में भाग ले तो वह दफा १६८ ताजीरात हिन्द का अपराधी ठहराया जायगा। परन्तु कुछ दशायें ऐसी भी हैं जिनमें किसी मेम्बर का किसी ठेके या काम से सम्बन्ध होते हुए भी यह नहीं माना जाता कि वह, ऐसे सम्बन्ध के द्वारा कोई अनुचित लाभ उठाता है, और उन दशाओं का वर्णन उप दफा (२) में किया गया है।

—ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनी (Goint Stock Company) की व्याख्या इण्डियन कम्पनीज एक्ट नं० ७ सन १९१३ (Indian Companies Act 7 of 1913) की दफा २५४ में इस प्रकार दी गई है—

(एक्ट के) इस भाग के मतलबों के लिये, जहां तक कि उन कम्पनियों की रजिस्टरी से सम्बन्ध है, जिनकी रजिस्टरी कि हिस्सों से सीमा बद्ध कम्पनी (Limited) के समान की जाती है ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी का अर्थ है, कोई ऐसी कम्पनी जिसमें स्थाई (Permanent) अदा किया हुआ (Paid up) या कुल निश्चित मूल धन (Nominal Share Capital of fixed amount) हिस्सों में बांट दिया गया हो, और जिसमें ऐसे बांटे हुए हिस्से भी निश्चित रकम के हों, या ऐसे हिस्से हिस्सेदारों को स्टाक (Stock) के प्रकार दिये गये हों, और ऐसे हिस्से बेचे, या अन्य प्रकार अलग किये जा सकते हों, या जिसमें ऐसा मूल धन ऐसे हिस्सों में बांटा गया हो जो कि कुछ तो एक प्रकार के हों और कुछ दूसरी प्रकार के, और इस कम्पनी का नियम यह रखा गया हो, कि केवल कम्पनी के मेम्बर ही को ऐसे हिस्से या स्टाक दिये जायँ, अन्य किसी शख्स को नहीं।

उपेक्षा या दुर्व्यवहार (जो उस समय मे किया गया हो जबकि वह बोर्ड का मेम्बर हो) का सीधा परिणाम (Direct Conseguince) हो, और कमिश्नरकी, पहिले से आज्ञा प्राप्त करके, ऐसे शख्सके विरुद्ध बोर्ड हर्जे का दावा दायर कर सकता है, या प्रान्तीय सरकार, भारत मन्त्री (Secretary of State) के नामसे, ऐसा दावा दायर कर सकती है।

व्याख्या—

प्रत्येक मेम्बर का यह कर्तव्य है कि वह म्यूनिसिपलटी के रुपये या जायदाद को किसी प्रकार की हानि न होने दे, और म्यूनिसिपलटी के रुपये को उन्हीं कामों में लगाये जिनके लिये कानून आज्ञा देता हो। कानूनकी आज्ञा के विरुद्ध यदि रुपया किसी बातमें लगाया जायगा तो वह अपव्यय माना जायगा। और चाहे सपूर्ण बोर्ड, एक मत होकर, ऐसे किसी व्ययकी अनुमति दे, तो भी प्रत्येक मेम्बर उस अपव्यय का जिम्मेदार होगा। जैसे प्रान्तीय सरकार की आज्ञा है कि गवर्नर, और गवर्नर जनरलके, अतिरिक्त और किसी को अभिनन्दन पत्र (Address) देने का व्यय म्यूनिसिपल कोषसे न दिया जाय। यदि बोर्ड के मेम्बर किसी और को अभिनन्दन पत्र दें, और बोर्ड का रुपया उसमें खर्च करें तो, इस दफा के अनुसार, ऐसे मेम्बर उस व्ययके जिम्मेदार होंगे।

दफा ८२ मुअहिदों इत्यादिमें भाग लेने वाले मेम्बरको दण्ड

१ बोर्डके किसी मेम्बरके विषयमे, जो सिवाय कमिश्नरकी लिखित आज्ञा प्राप्त किये और किसी प्रकार, किसी ऐसे ठेके, या मुआहिदे, या काममे जो बोर्डके संग किया जाय, या जो बोर्ड स्वय करे, या दे, या बोर्डकी ओर से किया या दिया जाय, कोई भाग या वास्ता (Interest), सीधा या किसी आडमे (Directly or Indirectly) स्वयं या किसी साझेदारके द्वारा, जान बूझ कर, प्राप्त करे, या प्राप्त करके जारी रक्खे, यह माना जायगा, कि उसने दफा १६८ ताजीरात हिन्द (Indian Penal Code) मे दिया हुआ अपराध किया।

२ परन्तु शर्त यह है कि, केवल इस कारण, किसी शख्सके विषय मे, उप दफा (१) के मतलबों के लिये, यह नही माना जायगा कि उसने किसी ठेके या मुआहदे या काममे कोई भाग या वास्ता प्राप्त किया या जारी रखा, कि—

(ए) वह किसी आराजी या इमारतो के पट्टे मे, या बेचने मे, या मोल लेने मे या उसके ठेके पर दिये जाने, बेचे जाने, या मोल लिये जाने के विषयमे किसी मुआहदे मे, कोई भाग या वास्ता रखता है, यदि ऐसा भाग या वास्ता उसने मेम्बर होने से पूर्व प्राप्त किया हो।

(बी) वह किसी ऐसी ज्वाइट स्टाक कम्पनी (Jointstock Company) मे भाग रखता है, जो बोर्डके साथ कोई ठेका करे, या जिससे बोर्ड कोई काम ले, या जिससे बोर्ड की ओर से काम लिया जाय। या

(सी) वह किसी ऐसे समाचारपत्र मे भाग या वास्ता रखता है, जिसमे, बोर्ड की काररवाई के विषय मे कोई विज्ञापन प्रकाशित किया जाय। या

(डी) उसने किसी ऐसे ऋण से डिबेंचर (Debenture) लिया हो, या किसी अन्य प्रकार वास्ता रखता हो, जो कि बोर्ड ने लिया हो, या बोर्ड की ओर से लिया गया हो। या

(ई) उसको, बोर्ड ने अपना वकील नियत कर रखा है। या

(एफ) बोर्ड के हाथ किसी ऐसी वस्तु के कभी २ बेचे जाने में कोई भाग या वास्ता रखता है जिस वस्तु का व्यापार वह बराबर किया करता है, और जो उतने मूल्य की बेची जाय कि वह मूल्य किसी एक वर्ष में, ऐसी रकम से अधिक न हो, जो बोर्ड, सरकार की मंजूरी से, इस विषय में, नियत कर दे। या

(जी) वह किसी ऐसे मुआहिदे में फरीक है जो बोर्ड के साथ दफा १९६ के क्लाज (सी) के हुक्मों के अनुसार, या दफा २२९ के हुक्मों के अनुसार किया गया हो।

व्याख्या—

म्यूनिसिपल्टी के किसी मेम्बर को म्यूनिसिपल्टी के कामों से, किसी प्रकार का, लाभ या नफा नहीं उठाना चाहिये, न उसको म्यूनिसिपल्टी का, कोई काम या ठेका स्वयं लेना चाहिये, न किसी आड़ में या किसी साझेदार के द्वारा लेना चाहिये। कारण यह कि यदि म्यूनिसिपल्टी के ठेके देने वाले, तथा अन्य कार्यों के कराने वाले, मेम्बर स्वयं उन ठेकों और कामों को ले लें, तो स्वार्थ के सामने म्यूनिसिपल्टी के लाभ का उनको कभी ध्यान नहीं रह सकता। अतएव कानून की यह आज्ञा है कि कोई मेम्बर किसी आड़ में भी किसी प्रकार, म्यूनिसिपल्टी के कामों से लाभ न उठाने पाये। यदि कोई मेम्बर अपने किसी साझेदार या मित्र के नाम से ठेके ले ले और स्वयं उसके नफे में भाग ले तो वह दफा १६८ ताजीरात हिन्द का अपराधी ठहराया जायगा। परन्तु कुछ दशायें ऐसी भी हैं जिनमें किसी मेम्बर का किसी ठेके या काम से सम्बन्ध होते हुए भी यह नहीं माना जाता कि वह, ऐसे सम्बन्ध के द्वारा कोई अनुचित लाभ उठाता है, और उन दशाओं का वर्णन उप दफा (२) में किया गया है।

—ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनी (Goint Stock Company) की व्याख्या इण्डियन कम्पनीज एक्ट नं० ७ सन १९१३ (Indian Companies Act 7 of 1913) की दफा २५४ में इस प्रकार की गई है—

(एक्ट के) इस भाग के मतलबों के लिये, जहां तक कि वह कम्पनियों की रजिस्टरी से सम्बन्ध है, जिनकी रजिस्टरी कि हिस्सों से सीमा बद्ध कम्पनी (Limited) के समान की जाती है ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी का अर्थ है, कोई ऐसी कम्पनी जिसमें स्थाई (Permanent) अदा किया हुआ (Paid up) या कुल निश्चित मूल धन (Nominal Share Capital of fixed-amount) हिस्सों में बांट दिया गया हो, और जिसमें ऐसे बांटे हुए हिस्से भी निश्चित रकम के हों, या ऐसे हिस्से हिस्सेदारों को स्टाक (Stock) के प्रकार दिये गये हों, और ऐसे हिस्से बेचे, या अन्य प्रकार अलग किये जा सकते हों या जिसमें ऐसा मूल धन ऐसे हिस्सों में बांटा गया हो जो कि कुछ तो एक प्रकार के हों और कुछ दूसरी प्रकार के, और इस कम्पनी का नियम यह रखा गया हो, कि केवल कम्पनी के मेम्बर ही को ऐसे हिस्से या स्टाक दिये जायें, अन्य किसी शख्स को नहीं।

ऐसे कम्पनी, (जब रजिस्टरी के द्वारा, उसके मेम्बरों की जिम्मेदारी इस एक्ट के अनुसार सीमाबद्ध करा दी जाय) हिस्सों से सीमाबद्ध कम्पनी मानी जायगी।

स्टाक (Stock)—उस धन को, जो कोई राजा अपनी आवश्यकता के लिये ऋण लेता है, तथा व्यापार करने वाली कंम्पनियों के मूल धन को, 'स्टाक' कहते हैं।

—"पेडअप् केपिटल" (Paid up Capital) किसी कम्पनी के मूल धन का जो भाग हिस्से दारों के पास से किसी समय आ चुका है उसको 'पेडअप् कैपिटल' अर्थात् "आया हुआ मूल धन" कहते हैं।

—डिबैंचर-ऋण लिये हुये मूलधनके बदले में जो तमस्सुक कम्पनी, अथवा म्यूनिसिपल्टी आदि दिया करती है, उसको डिबेंचर (Debenture) कहते हैं।

—यदि कोई वकील म्यूनिसिपलटी का मेम्बर हो, और वह म्यूनिसिपलटी की ओर से उसके मुक़द्दमों में वकालत का काम भी करता हो, तो ऐसी दशा में, यह नहीं माना जायगा, कि ऐसा वकील म्यूनिसिपलटी का काम स्वयं लेकर, ऐसा अनुचित लाभ उठाता है, कि वह, दफा ८२ के अनुसार, अपराधी माना जाय।

—क्लाज (एफ) का मतलब यह है कि यदि कोई मेम्बर जो किसी वस्तुके बेचने का व्यापार किया करता हो म्यूनिसिपल्टी के हाथ कभी उस वस्तु को बेचे तो ऐसा मेम्बर भी दफा ८२ के अनुसार अपराधी न होगा। परन्तु दो शर्तें हैं अर्थात —

१ उस वस्तु का बेचना उस मेम्बर का काम होना चाहिये। इस बात की कानून आज्ञा नहीं देता कि किसी विशेष वस्तु की म्यूनिसिपलटी को आवश्यकता पड़ने पर, केवल उतने ही समयके लिये, कोई मेम्बर उस वस्तु का व्यापारी बन जाय, और म्यूनिसिपलटी से लाभ उठाले।

२ दूसरी शर्त यह है कि ऐसी दशाके लिये, प्रत्येक बोर्ड, प्रान्तीय सरकार की मंजूरी से एक संख्या नियत कर देगा, कि इतने रुपये तक का माल ऐसा मेम्बर प्रति वर्ष म्यूनिसिपल्टी के हाथ बेच सकता है, उससे अधिक नहीं।

विज्ञापन No 2400 × 27 H ता० २९ जुलाई सन १९१६ के द्वारा प्रान्तीय सरकार ने कमिश्नरों को अपने उस अधिकार को सौंप दिया है जो दफा ८२ की उपदफा (२) के क्लॉज (एफ) के अनुसार, उसको दिया गया है, अर्थात उस संख्या की मंजूरी देना जो बोर्ड इस विषयमें नियत करदे कि अमुक संख्या से अधिक का माल कोई मेम्बर किसी वर्षमें बोर्डके हाथ न बेचे।

—ताजीरात हिन्द एक्ट नं० ४५ सन १८६० की दफा १६८ इस प्रकार है—

"यदि कोई शख्स सार्वजनिक नौकर (Public Servant) हो, और सार्वजनिक नौकर होने की हैसियतसे उसका यह कर्त्तव्य हो, कि वह कोई व्यापार न करे, और वह शख्स व्यापार करे, तो ऐसे शख्स को सादी क़ैद का दण्ड दिया जायगा, जिसकी अवधि एक वर्षसे अधिक न होगी, या उस पर जुर्माना किया जा सकता है या दोनों प्रकारके दण्ड दिये जा सकते हैं"।

इस दफा के साथ देखिये एक्ट की दफा ४० के क्लॉज (डी) और (ई)।

—मुहम्मद यख्श बनाम मुहम्मद अब्दुल बाक़ी खाँ वगैर 21 A L J 661 वाले मामले में हाईकोर्ट ने यह तजवीज किया कि मिट्टी का तेल म्यूनिसिपलटी को देने का ठेका किसी शख्स के पास होने के कारण यह नहीं माना जा सकता कि वह शख्स उस म्यूनिसिपलटी का मेम्बर चुने जाने

के अयोग्य है, क्योंकि किसी ठेकेदार का म्यूनिसिपल्टी से कोई ऐसा सम्बन्ध नहीं होता जिसके कारण यह माना जा सके, कि वह म्यूनिसिपल्टी के किसी नफे के पद पर है (देखिये दफा १६ का क्लॉज 'सी' और उसकी व्याख्या) । परन्तु दफा ८२ के हुक्मके अनुसार ऐसे शख्स को मेम्बर चुन लिये जाने पर ठेके का काम करने की आज्ञा कमिश्नर से प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा ।

दफा ८३ कर्मचारियों का मुआहिदों आदिके लाभसे वास्ता रखने के विरुद्ध हुक्म

१ कोई ऐसा शख्स जो, सिवाय ऐसे भाग या वास्ताके जो कोई शख्स म्यूनिसिपल्टी का नौकर होने की हैसियत से रखता हो, सीधा या किसी आड़मे (Directly or indirectly), स्वय या अपने साझेदारके द्वारा, कोई भाग या वास्ता, किसी ऐसे ठेके या मुआहिदेमें रखताहो, जो बोर्डके साथ ,किया गया हो, या जो बोर्डने स्वयं दिया हो, या उसकी ओर से दिया गया हो या किसी ऐसे काम में भाग या वास्ता रखता हो, जो बोर्ड के साथ, या उसके अधिकार मे, किया जाता हो, या स्वयं बोर्ड करता हो, या उसकी ओर से किया जाता हो, तो वह शख्स उक्त बोर्ड का नौकर होने के अयोग्य हो जायगा ।

२ म्यूनिसिपल्टी का कोई ऐसा नौकर, जो सीधे या किसी आड में स्वय या अपने साझेदार के द्वारा, किसी ऐसा मुआहिदा या ठेका या काममें जिसका वर्णन ऊपर दिया गया है, कोई भाग या वास्ता प्राप्त करे या प्राप्त करके जारी रखे, म्यूनिसिपल्टी का नौकर न रहेगा, और उसकी जगह खाली हो जायगी ।

३ म्यूनिसिपल्टी के किसी नौकरके विषयमे, जो जान बूझके, कोई भाग या वास्ता, सीधा या किसी आड़मे, किसी ऐसे मुआहिदे या ठेके मे प्राप्त करे, या प्राप्त कर के जारी रखे, या उस सीमा के आगे जहा तक कि उसका सम्बन्ध म्यूनिसिपल्टी के नौकर होने की हैसियत से उस कामसे हो, किसी ऐसे काममें भाग या वास्ता प्राप्त करे या प्राप्त करके जारी रखे, जो ऐसे बोर्ड के साथ या उसके अधिकारमे किया जाये, या जो काम स्वय ऐसे बोर्ड ने दिया हो, या ऐसा बोर्ड करता हो या उसकी ओर से दिया गया हो या किया जाता हो, जिस बोर्ड का कि वह नौकर हो, यह माना जायगा जायगा कि उसने दफा १६८ ताजीरात हिन्द मे बताया हुआ अपराध किया ।

४ इस दफा का कोई हुक्म किसी ऐसे मुआहिदे, ठेके, अथवा काममें, जो बोर्ड के साथ, या उसके अधिकार मे किया जावे, या स्वय बोर्ड दे, या करता हो, या उसकी ओर से दिया जाय, या किया जाता हो, किसी ऐसे भाग या वास्ते पर लागू न होगा, जिसका वर्णन दफा ८२ की उप दफा (२) के क्लाज (बी) और (टी) और (जी) में किया गया है, और न किसी ऐसे भाग या वास्ते पर लागू होगा, जो, कमिश्नर की मजूरी से, किसी आराजी या इमारतके किराये या पट्टे या बेचे जाने या मोल लिये जाने मे, या उनसे सम्बन्ध रखने वाले किसी मुआहदे मे प्राप्त किया गया हो, या प्राप्त करके जारी रखा गया हो ।

ऐसे कम्पनी, (जब रजिस्टरी के द्वारा, उसके मेम्बरो की जिम्मेदारी इस एक्ट के अनुसार सीमावद्ध करा दी जाय) हिस्सों से सीमावद्ध कम्पनी मानी जायगी।

स्टाक (Stock)—उस धन को, जो कोई राजा अपनी आवश्यकता के लिये ऋण लेता है, तथा व्यापार करने वाली कम्पनियों के मूल धन को, 'स्टाक' कहते हैं।

—"पेडअप् केपिटल" (Paid up Capital) किसी कम्पनी के मूल धन का जो भाग हिस्से दारों के पास से किसी समय आ चुका है उसको 'पेडअप् केपिटल' अर्थात् 'आया हुआ मूल धन" कहते हैं।

—डिबेंचर-ऋण लिये हुये मूलधनके बदले में जो तमस्सुक कम्पनी, अथवा म्यूनीसिपल्टी आदि दिया करती है, उसको डिबेंचर (Debenture) कहते हैं।

—यदि कोई वकील म्यूनिसिपल्टी का मेम्बर हो, और वह म्यूनिसिपलटी की ओर से उसके मुकद्दमों में वकालत का काम भी करता हो, तो ऐसी दशा में, यह नहीं माना जायगा, कि ऐसा वकील म्यूनिसिपलटी का काम स्वय लेकर, ऐसा अनुचित लाभ उठाता है, कि वह, दफा ८२ के अनुसार, अपराधी माना जाय।

—क्लाज (एफ) का मतलब यह है कि यदि कोई मेम्बर जो किसी वस्तुके बेचने का व्यापार किया करता हो म्यूनिसिपल्टी के हाथ कभी उस वस्तु को बेचे तो ऐसा मेम्बर भी दफा ८२ के अनुसार अपराधी न होगा। परन्तु दो शर्तें हैं अर्थात —

१ उस वस्तु का बेचना उस मेम्बर का काम होना चाहिये। इस बात की कानून आज्ञा नहीं देता कि किसी विशेष वस्तु की म्यूनिसिपल्टी को आवश्यकता पडने पर, केवल उतने ही समयके लिये, कोई मेम्बर उस वस्तु का व्यापारी बन जाय, और म्यूनिसिपलटी से लाभ उठाले।

२ दूसरी शर्त यह है कि ऐसी दशाके लिये, प्रत्येक बोर्ड, प्रान्तीय सरकार की मंजूरी से एक सख्या नियत कर देगा, कि इतने रुपये तक का माल ऐसा मेम्बर प्रति वर्ष म्यूनिसिपलटी के हाथ बेच सकता है, उससे अधिक नहीं।

विज्ञापन No 2400 xı 27 H ता० २९ जुलाई सन १९१६ के द्वारा प्रान्तीय सरकार ने कमिश्नरों को अपने उस अधिकार को सौंप दिया है जो दफा ८२ की उपदफा (२) के क्लॉज (एफ) के अनुसार, उसका दिया गया है, अर्थात उस सख्या की मंजूरी देना जो बोर्ड इस विषयमें नियत करदे कि अमुक सख्या से अधिक का माल कोई मेम्बर किसी वर्षमें बोर्डके हाथ न बेचे।

—ताजीरात हिन्द एक्ट न० ४५ सन १८६० की दफा १६८ इस प्रकार है—

"यदि कोई शख्स सार्वजनिक नौकर (Public Servant) हो, और सार्वजनिक नौकर होने की हैसियतसे उसका यह कर्त्तव्य हो, कि वह कोई व्यापार न करे, और वह शख्स व्यापार करे, तो ऐसे शख्स को सादी कैद का दण्ड दिया जायगा, जिसकी अवधि एक वर्षसे अधिक न होगी, या उस पर जुर्माना किया जा सकता है या दोनों प्रकारके दण्ड दिये जा सकते हैं"।

इस दफा के साथ देखिये एक्ट की दफा ४० के क्लॉज (डी) और (ई)।

—मुहम्मद बख्श बनाम मुहम्मद अब्दुल बाकी खां वगैर 21 A L J 661 वाले मामले में हाईकोर्ट ने यह तजवीज किया कि मिट्टी का तैल म्यूनिसिपलटी को देने का ठेका किसी शख्स के पास होने के कारण यह नहीं माना जा सकता कि वह शख्स उस म्यूनिसिपलटी का मेम्बर चुने जाते

के अयोग्य है, क्योंकि किसी ठेकेदार का म्यूनिसिपलटी से कोई ऐसा सम्बन्ध नहीं होता जिसके कारण यह माना जा सके, कि वह म्यूनिसिपलटी के किसी नफे के पद पर है (देखिये दफा १६ का क्लॉज 'सी' और उसकी व्याख्या)। परन्तु दफा ८२ के हुक्मके अनुसार ऐसे शख्स को मेम्बर चुन लिये जाने पर ठेके का काम करने की आज्ञा कमिश्नर से प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।

दफा ८३ कर्मचारियों का मुआहिदों आदिके लाभसे वास्ता रखने के विरुद्ध हुक्म

१ कोई ऐसा शख्स जो, सिवाय ऐसे भाग या वास्ताके जो कोई शख्स म्यूनिसिपलटी का नौकर होने की हैसियत से रखता हो, सीधा या किसी आड़मे (Directly or indirectly), स्वय या अपने साझेदारके द्वारा, कोई भाग या वास्ता, किसी ऐसे ठेके या मुआहिदेमें रखताहो, जो बोर्डके साथ किया गया हो, या जो बोर्डने स्वयं दिया हो, या उसकी ओर से दिया गया हो या किसी ऐसे काम मे भाग या वास्ता रखता हो, जो बोर्ड के साथ, या उसके अधिकार मे, किया जाता हो, या स्वयं बोर्ड करता हो, या उसकी ओर से किया जाता हो, तो वह शख्स उक्त बोर्ड का नौकर होने के अयोग्य हो जायगा।

२ म्यूनिसिपलटी का कोई ऐसा नौकर, जो सीधे या किसी आड़ मे स्वय या अपने साझेदार के द्वारा, किसी ऐसा मुआहिदा या ठेका या काममे जिसका वर्णन ऊपर दिया गया है, कोई भाग या वास्ता प्राप्त करे या प्राप्त करके जारी रखे, म्यूनिसिपलटी का नौकर न रहेगा, और उसकी जगह खाली हो जायगी।

३ म्यूनिसिपलटी के किसी नौकरके विषयमे, जो जान बूझके, कोई भाग या वास्ता, सीधा या किसी आडमे, किसी ऐसे मुआहिदे या ठेके मे प्राप्त करे, या प्राप्त कर के जारी रखे, या उस सीमा के आगे जहा तक कि उसका सम्बन्ध म्यूनिसिपलटी के नौकर होने की हैसियत से उस कामसे हो, किसी ऐसे काममे भाग या वास्ता प्राप्त करे या प्राप्त करके जारी रखे, जो ऐसे बोर्ड के साथ या उसके अधिकारमे किया जाये, या जो काम स्वय ऐसे बोर्ड ने दिया हो, या ऐसा बोर्ड करता हो या उसकी ओर से दिया गया हो या किया जाता हो, जिस बोर्ड का कि वह नौकर हो, यह माना जायगा जायगा कि उसने दफा १६८ ताजीरात हिन्द मे बताया हुआ अपराध किया।

४ इस दफा का कोई हुक्म किसी ऐसे मुआहिदे, ठेके, अथवा काममे, जो बोर्ड के साथ, या उसके अधिकार मे किया जावे, या स्वय बोर्ड दे, या करता हो, या उसकी ओर से दिया जाय, या किया जाता हो, किसी ऐसे भाग या वास्ते पर लागू न होगा, जिसका वर्णन दफा ८२ की उप दफा (२) के क्लाज (बी) और (डी) और (जी) मे किया गया है, और न किसी ऐसे भाग या वास्ते पर लागू होगा, जो, कमिश्नर की मंजूरी से, किसी आराजी या इमारतके किराये या पट्टे या बेचे जाने या मोल लिये जाने मे, या उनसे सम्बन्ध रखने वाले किसी मुआहदे मे प्राप्त किया गया हो, या प्राप्त करके जारी रखा गया हो।

व्याख्या—

जिस प्रकार दफा ८२ में मेम्बरों के लिये मनाही की गई है कि म्यूनिसिपल्टी के किसी मुआहिदे ठेक या काम में भाग न लें, या वास्ता न रखें, उसी प्रकार, इस दफा में, म्यूनिसिपलटी के नौकरों और कर्मचारियों के लिये मनाही है।

—उप दफा (२) और उप दफा (३) म्यूनिसिपल्टी के नौकरों के लिये हैं। यदि कोई नौकर कोई भाग या वास्ता किसी काम या मुआहिदा या ठेके में प्राप्त करके जारी रखे तो ऐसा नौकर म्यूनिसिपलटी की नौकरी से निकाल दिया जावेगा। और यदि जान बूझ के वह कोई भाग या वास्ता प्राप्त करे या प्राप्त करके जारी रखे, तो ऐसा नौकर दफा १६८ ताजीरात हिन्द के अनुसार अपराधी ठहराया जावेगा। उप दफा (३) में शब्द "जान बूझ के" विचार करने योग्य हैं। यह शब्द उप दफा (२) में नहीं रखे गये हैं।

—उप दफा (१) के शब्दों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि वह म्यूनिसिपलटी के नौकरों से सम्बन्ध नहीं रखती है। उसमें केवल इतना हुक्म है कि कोई शख्स जिसका कोई वास्ता म्यूनिसिपलटी के किसी मुआहिदे या ठेके या काम से हो वह म्यूनिसिपलटी का नौकर न रखा जावेगा।

—उप दफा (४) में कुछ बचतें रखी गई हैं, अर्थात् यदि कोई नौकर ऐसा भाग या वास्ता म्यूनिसिपलटी के किसी काम से रखे जिनका वर्णन दफा ८२ के (बी) और (डी) और (जी) क्लाजों में किया गया है तो वह दफा ८३ के अनुसार अपराधी न ठहराया जायगा। या कोई नौकर ऐसा भाग या वास्ता रख सकता है जिसका वर्णन दफा ८२ की उप दफा (१) में है, परन्तु इस दफा में कमिश्नर की मन्जूरी लेना आवश्यक होगी।

दफा ८४ बोर्डके अफसरों और कर्मचारियोंका सार्वजनिक (पब्लिक) कर्मचारी होना

बोर्ड का प्रत्येक अफसर या कर्मचारी, ताजीरात हिन्द में दी हुई सार्वजनिक कर्मचारी की व्याख्या के अर्थ के अनुसार, सार्वजनिक कर्मचारी (मुलाजिम) माना जायगा। और ताजीरात हिन्द की दफा १६१ में जो व्याख्या "जायज बदलाव" (Legal Remunaration) की दी गई है, उसमें जो शब्द "गवर्नमेण्ट" (सरकार) का आया है, उस शब्द में, इस दफा के अभिप्रायों के लिये, "बोर्ड" शामिल माना जायगा।

व्याख्या—

ताजीरात हिन्द एक्ट नं० ४५ सन १८६० की दफा १६१ इस प्रकार है—

"कोई शख्स जो सार्वजनिक कर्मचारी है, या सार्वजनिक कर्मचारी होनेकी आशा करता है, किसी शख्ससे स्वय अपने लिये, या किसी दूसरे शख्सके लिये, अपने जायज बदलावके अतिरिक्त कोई पारितोषिक (Gratification [illegible] जिस प्रकार हो [illegible] है, या लेलेता है, या स्वीकार करनेकी प्रतिज्ञा करता [illegible] करताहै, [illegible] इस अभिप्रायसे, या इस बातके इनाममें, किया [illegible] अपने पद [illegible] देगा, या करनेसे बाज रहेगा (नहीं करेगा) या वह [illegible] या [illegible] लिया जाय कि वह [illegible] पदके कामोंके [illegible] साथ [illegible] या रिआयत [illegible] किसी [illegible] या [illegible] रहेगा ([illegible]

सख्ती नहीं करेगा) या यह पारितोषिक इस अभिप्रायसे लिया जाय या इस बातके इनाममें लिया जाय, कि यह कर्मचारी भारतकी व्यवस्थापक (Legislative) या कार्यकारिणी (Executive) सरकार या प्रेसीडेन्सीकी सरकार या किसी लेफ्टिनेण्ट गवर्नर या किसी सार्वजनिक कर्मचारीसे किसी शख्सके लिये कोई भलाई या बुराई करा देगा, या ऐसी भलाई या बुराई करानेकी चेष्टा करेगा तो ऐसे शख्सको कैदकी सजा दी जायगी, जो दोनों प्रकारमें से किसी प्रकारकी हो सकती है, और जिसकी अवधि ३ वर्ष तककी हो सकती है या उस पर जुर्माना किया जा सकता है, या कैद और जुर्माना दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं।

भावार्थ (Explanation)—"सार्वजनिक कर्मचारी होनेकी आशा करता है" यदि किसी शख्सको किसी पदके मिलनेकी आशा न हो, फिर भी वह दूसरोंको धोखा देकर यह विश्वास दिलाये कि उसको पद मिलनेकी आशा है और यह विश्वास दिलाये कि पद मिलजाने पर वह किसीकी कुछ सेवा करेगा और ऐसा विश्वास दिलाके वह कोई पारितोषिक प्राप्त करले तो ऐसा शख्स धोखा देनेका (Cheating) अपराधी हो सकता है, परन्तु जिस अपराधका इस दफामें वर्णन किया गया है उसका वह अपराधी न होगा।

"पारितोषिक" (Gratification) शब्द पारितोषिकका अर्थ केवल आर्थिक पारितोषिकसे नहीं है न केवल ऐसेही पारितोषिकसे जिसके मूल्यका अनुमान रुपयेके द्वारा होसकता हो।

"जायज बदलाव" (Legal remuneration) शब्दका अर्थ जायज बदलाव केवल ऐसे बदलावसे नहीं है जो कोई सार्वजनिक कर्मचारी कानूनके अनुसार माग सकता हो, परन्तु उसमें वह सब बदलाव भी शामिल हैं, जिनके स्वीकार करनेकी आज्ञा उसको, उस सरकारसे मिली है, जिस का वह नौकर है।

"किसी कामके करनेके अभिप्रायसे या इनाममें"—कोई शख्स जो कोई पारितोषिक इस अभिप्रायसे पाता हो कि वह किसी ऐसे कामको कर देगा जिसके कर देनेका वास्तवमें उसका इरादा न हो, या किसी ऐसे कामके कर देनके इनाममें पाता है जिसको वास्तवमें उसने किया नहीं है, तो ऐसा शख्स इन शब्दोंके अर्थके अनुसार अपराधी हो जाता है।

उदाहरण १(ए) 'अ' एक मुन्सिफहै। वह 'क' से जो एक बैंक का मालिक है अपने भाइको 'क' के बैंकमें, एक पद इस बातके इनाममें दिलवा देताहै, कि 'अ' ने एक मुकदमेमें 'क' को जिता दिया, तो 'अ'ने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

(बी) 'अ' जो किसी आधीन रियासतके रेजीडेन्टके पद परहै, उस रियासतके मन्त्रीसे एक लाख रुपया लेताहै। यह बात तो विदित नहीं होती कि 'अ' यह रुपया इस अभिप्रायसे लेताहै, या इस बातके इनाममें लेता है, कि वह अपने पदका कोई विशेष काम कर देगा या किसी कामके करनेसे बाज रहेगा, या यह कि उसने यह रुपया अंगरेजी सरकारके द्वारा उस रियासतकी कोई विशेष सेवा करा देने या करा देनेकी कोशिश करनेके अभिप्रायसे या उसके इनाममें लिया है, परन्तु यह विदित होता है कि 'अ' ने यह रुपया इस अभिप्रायसे या इस बातके इनाममें लिया कि अपने पदके कामोंके करनेमें सब बातोंमें वह उस रियासतकी रिआयत करेगा तो 'अ' ने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

(सी) 'अ' जो एक सार्वजनिक कर्मचारी है, 'क' को बहकाके, यह झूठा विश्वास दिलाता है कि 'अ' के प्रभावसे 'क' को खिताब मिला है और इस प्रकार 'क' को बहका कर, इस बात पर राजी

व्याख्या—

जिस प्रकार दफा ८२ में मेम्बरों के लिये मनाही की गई है कि म्यूनिसिपलटी के किसी मुआहिदे, ठेके या काम में भाग न लें, या वास्ता न रखें, उसी प्रकार, इस दफा में, म्यूनिसिपलटी के नौकरों और कर्मचारियों के लिये मनाही है।

—उप दफा (२) और उप दफा (३) म्यूनिसिपलटी के नौकरों के लिये हैं। यदि कोई नौकर कोई भाग या वास्ता किसी काम या मुआहिदा या ठेके में प्राप्त करके जारी रखे तो ऐसा नौकर म्यूनिसिपलटी की नौकरी से निकाल दिया जावेगा। और यदि जान बूझ के वह कोई भाग या वास्ता प्राप्त करे या प्राप्त करके जारी रखे, तो ऐसा नौकर दफा १६८ ताजीरात हिन्द के अनुसार अपराधी ठहराया जावेगा। उप दफा (३) में शब्द "जान बूझ के" विचार करने योग्य हैं। यह शब्द उप दफा (२) में नहीं रखे गये हैं।

—उप दफा (१) के शब्दों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि वह म्यूनिसिपलटी के नौकरों से सम्बन्ध नहीं रखती है। उसमें केवल इतना हुक्म है कि कोई शख्स जिसका कोई वास्ता म्यूनिसिपलटी के किसी मुआहिदे या ठेके या काम से हो वह म्यूनिसिपलटी का नौकर न रखा जावेगा।

—उप दफा (४) में कुछ बचतें रखी गई हैं, अर्थात् यदि कोई नौकर ऐसा भाग या वास्ता म्यूनिसिपलटी के किसी काम से रखे जिनका वर्णन दफा ८२ के (बी) और (डी) और (जी) क्लाजों में किया गया है तो वह दफा ८३ के अनुसार अपराधी न ठहराया जायगा। या कोई नौकर ऐसा भाग या वास्ता रख सकता है जिसका वर्णन दफा ८२ की उप दफा (१) में है, परन्तु इस दफा में कमिश्नर की मंजूरी लेना आवश्यक होगी।

दफा ८४ बोर्डके अफसरों और कर्मचारियोंका सार्वजनिक (पब्लिक) कर्मचारी होना

बोर्ड का प्रत्येक अफसर या कर्मचारी, ताजीरात हिन्द मे दी हुई सार्वजनिक कर्मचारी की व्याख्या के अर्थ के अनुसार, सार्वजनिक कर्मचारी (मुलाजिम) माना जायगा। और ताजीरात हिन्द की दफा १६१ मे जो व्याख्या "जायज बदलाव" (Legal Remuneration) की दी गई है, उसमे जो शब्द "गवर्नमेण्ट" (सरकार) का आया है, उस शब्द मे, इस दफा के अभिप्रायों के लिये, "बोर्ड" शामिल माना जायगा।

व्याख्या—

ताजीरात हिन्द एक्ट नं० ४५ सन १८६० की दफा १६१ इस प्रकार है—

"कोई शख्स जो सार्वजनिक कर्मचारी है, या सार्वजनिक कर्मचारी होनेकी आशा करता है, किसी शख्ससे स्वयं अपने लिये, या किसी दूसरे शख्सके लिये, अपने जायज बदलावके अतिरिक्त कोई पारितोषिक (Gratification), वह चाहे जिस प्रकार हो स्वीकार करता है, या लेलेता है, या स्वीकार करनेकी प्रतिज्ञा करता है, या लेनेकी चेष्टा करताहै, और वह पारितोषिक इस अभिप्रायसे, या इस बातके इनाममें, लिया जाय कि वह कर्मचारी अपने पदका कोई काम कर देगा, या करनेसे बाज रहेगा (नहीं करेगा) या वह पारितोषिक इस अभिप्रायसे या इस बातके इनाममें लिया जाय कि वह कर्मचारी अपने पदके कामोंके करनेमें किसी शख्सके साथ कुछ रिआयत करेगा या रिआयत करनेसे बाज रहेगा या किसी शख्सके साथ सख्ती करेगा या सख्ती करनेसे बाज रहेगा (अर्थात

सख्ती नहीं करेगा) या वह पारितोषिक इस अभिप्रायसे लिया जाय या इस बातके इनाममें लिया जाय कि वह कर्मचारी भारतकी व्यवस्थापक (Legislative) या कार्यकारिणी (Executive) सरकार या प्रेसीडेन्सीकी सरकार या किसी लेफ्टिनेण्ट गवर्नर या किसी सार्वजनिक कर्मचारीसे किसी शख्सके लिये कोई भलाई या बुराई करा देगा, या ऐसी भलाई या बुराई करानेकी चेष्टा करेगा तो ऐसे शख्सको कैदकी सजा दी जायगी, जो दोनों प्रकारमें से किसी प्रकारकी हो सकती है, और जिसकी अवधि ३ वर्ष तककी हो सकती है या उस पर जुर्माना किया जा सकता है, या कैद और जुर्माना दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं।

भावार्थ (Explanation)—"सार्वजनिक कर्मचारी होनेकी आशा करता है" यदि किसी शख्सको किसी पदके मिलनेकी आशा न हो, फिर भी वह दूसरोंको धोखा देकर यह विश्वास दिलाये कि उसको पद मिलनेकी आशा है और यह विश्वास दिलाये कि पद मिलजाने पर वह किसीकी कुछ सेवा करेगा और ऐसा विश्वास दिलाके वह कोई पारितोषिक प्राप्त करले तो ऐसा शख्स धोखा देनेका (Cheating) अपराधी हो सकता है, परन्तु जिस अपराधका इस दफामें वर्णन किया गया है उसका वह अपराधी न होगा।

"पारितोषिक" (Gratification) शब्द पारितोषिकका अर्थ केवल आर्थिक पारितोषिकसे नहीं है न केवल ऐसेही पारितोषिकसे जिसके मूल्यका अनुमान रुपयेके द्वारा होसकता हो।

"जायज बदलाव" (Legal remunaration) शब्दका अर्थ जायज बदलाव केवल ऐसे बदलावसे नहीं है जो कोई सार्वजनिक कर्मचारी कानूनके अनुसार माग सकता हो, परन्तु उसमें वह सब बदलाव भी शामिल हैं, जिनके स्वीकार करनेकी आज्ञा उसको, उस सरकारसे मिली है, जिस का वह नौकर है।

"किसी कामके करनेके अभिप्रायसे या इनाममें"—कोई शख्स जो कोई पारितोषिक इस अभिप्रायसे पाता हो कि वह किसी ऐसे कामको कर देगा जिसके कर देनेका वास्तवमें उसका इरादा न हो, या किसी ऐसे कामके कर देनेके इनाममें पाता है जिसको वास्तवमें उसने किया नहीं है, तो ऐसा शख्स इन शब्दोंके अर्थके अनुसार अपराधी हो जाता है।

उदाहरण १(ए) 'अ' एक मुन्सिफ है। वह 'क' से जो एक बैंक का मालिक है अपने भाइको 'क' के बैंकमें, एक पद इस बातके इनाममें दिलवा देताहै, कि 'अ' ने एक मुकद्दमेमें 'क' को जिता दिया, तो 'अ'ने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

(बी) 'अ' जो किसी आधीन रियासतके रेजीडेन्टके पद परहै, उस रियासतके मन्त्रीसे एक लाख रुपया लेताहै। यह बात तो विदित नहीं होती कि 'अ' यह रुपया इस अभिप्रायसे लेताहै, या इस बातके इनाममें लेता है, कि वह अपने पदका कोई विशेष काम कर देगा या किसी कामके करनेसे बाज रहेगा, या यह कि उसने यह रुपया अंगरेजी सरकारके द्वारा उस रियासतकी कोई विशेष सेवा करा देने या करा देनेकी कोशिश करनेके अभिप्रायसे या उसके इनाममें लिया है, परन्तु यह विदित होता है कि 'अ' ने यह रुपया इस अभिप्रायसे या इस बातके इनाममें लिया कि अपने पदके कामोंके करनेमें सब बातोंमें वह उस रियासतकी रिआयत करेगा तो 'अ' ने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफामें किया गया है।

(सी) 'अ' जो एक सार्वजनिक कर्मचारी है, 'क' को बहकाके, यह झूठा विश्वास दिलाता है कि 'अ' के प्रभावसे 'क' को खिताब मिला है और इस प्रकार 'क' को बहका कर, इस बात पर राजी

कर लेता है कि उस सेवाके लिये वह 'अ' को रुपया दे तो 'अ' ने वह अपराध किया जिसका वर्णन इस दफामें है।

दफा ८५ कुछ निर्दिष्ट म्यूनिसिपल कर्मचारियोंको अपना कर्तव्य न पालन करने का दण्ड

१ यदि कोई भगी जो बोर्ड का नौकर हो—

(ए) सिवाय नौकरी के लिखित मुआहिदे की शर्तों के अनुसार, या सिवाय बोर्ड की आज्ञा के अपनी नौकरी से स्तीफा दे। या

(बी) बिना किसी उचित कारण के, जिसका नोटिस, जब ऐसे नोटिस का दिया जाना सम्भव हो बोर्ड को दे दिया गया हो, अपने काम पर से गैर हाजिर रहे—

उसको अपराध साबित हो जाने पर कैद का दण्ड दिया जा सकता है जिसकी अवधि दो मास तक की हो सकती है।

२ कमिश्नर यह आज्ञा दे सकता है कि भविष्य में किसी निश्चित तारीख से उप दफा (१) के हुक्म बोर्ड के किसी और दर्जे के नौकरो पर भी, जिनका सर्वसाधारण के स्वास्थ्य और कुशलता से प्रगाढ़ सम्बन्ध हो, लागू होंगे।

परन्तु शर्त यह है कि जब कमिश्नर, इस उपदफा के अनुसार, कोई हुक्म दे, तो वह तुरन्त उसकी एक नकल हुक्म के दिये जाने के कारणों के सहित, प्रान्तीय सरकार को भेज देगा। प्रान्तीय सरकार ऐसी नकल के मिलने पर उस हुक्म को चाहे रद् कर दे या कोई परिवर्तन करने के पश्चात्, या बिना किसी परिवर्तन ही के, स्थायी रूप से, या उतनी अवधि तक के लिये जितनी कि वह उचित समझे, आज्ञा दे दे कि वह हुक्म प्रचलित रहे।

व्याख्या—

जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से भगियों का काम इतना आवश्यक है कि, उनके एक दो दिन के लिये भी रुक जाने से बडी हानि की सम्भावना होती है। भगी स्वयं इस बात को जानते हैं कि वह जनता की ऐसी सेवा करते हैं जो उनके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। इसी से भगियों को किसी प्रकार की शिकायत होने पर सर्वत्र उनके सामने एक सहज उपाय हडताल कर देने का होता है। कानून में इस विशेष दफा के रखने का मुख्य उद्देश्य ऐसी हड़तालों को रोकने का है। परन्तु इस दफा का हुक्म बहुत सख्त है, और यह आवश्यक है कि उनको बहुत सोच समझ के काम में लाया जावे। स्पष्टत यह दफा केवल उसी दशा के लिये है जब कि किसी नगर के भंगियों के अकस्मात हडताल कर देने से सर्व साधारण के स्वास्थ्य के लिये कोई बडा भय उत्पन्न हो जावे।

—इस दफा के हुक्म यदि कमिश्नर चाहे तो म्यूनिसिपल्टी के किसी अन्य दर्जे के कर्मचारियों के लिये भी लगा सकता है परन्तु केवल उन्हीं कर्मचारियों पर यह दफा लागू की जा सकती है जो किसी ऐसे काम पर हो कि उसमें विघ्न पड़ने से जनता की कुशल और स्वास्थ्य पर असर पड़े।

—जब कि एक म्यूनिसिपलटी के भंगियो ने बोर्ड को नोटिस दिया कि उनका वेतन बढा दिया जाय और जब उक्त नोटिस का उत्तर न मिला तो सब भंगियों ने, दूसरा नोटिस दिया कि, यदि हमारी मांग पूरी न की जायगी तो अमुक तारीख पर हम काम छोड़ देंगे और नोटिस में अंकित की हुई तारीख पर सब ने काम छोड दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने दस ऐसे भंगियों पर जो मामले में अगुआ थे मुकद्दमा कायम करके हैल्थ अफसर की गवाही ली। हेल्थ अफसर ने बयान किया कि हैजा फैल जाने का भय था। जिला मजिस्ट्रेट ने सब की सजा दफा ८५ के अनुसार, कर दी। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि "इस दफा का हुक्म बहुत कडा हुक्म है और उसको बहुत होशियारी से काम में लाना चाहिये। मजिस्ट्रेट की काररवाई कडी अवश्य थी जाबता फौजदारी की दफा २४२ और २४३ के विचार से कानून के विरुद्ध नहीं थी। देखिये भगनू बनाम सरकार बहादुर। 21 A. L J 808.



जितनी कि कानूनके द्वारा आवश्यक मानी गई है, तो कोरम पूरा नहीं माना जाता, और ऐसी मीटिंग मुल्तवी कर देना होती है।

साधारण कामों के करने के लिये म्यूनिसिपलटी की मीटिंग का कोरम एक तिहाई माना गया है, अर्थात् जिस मीटिंगमें, कमसे कम एक तिहाई मेम्बर, उपस्थित हों, उसमें म्यूनिसिपलटी के साधारण काम काज किये जा सकते हैं। परन्तु वह काम, जिनके लिये आज्ञा है कि विशेष रेजोल्यूशनके द्वारा किये जांय, उनके लिये मीटिंगमें कमसे कम आधे मेम्बरों का होना आवश्यक रखा गया है।

—बोर्ड को जिन जिन कामों के करनेका अधिकार दिया गयाहै, उनमेंसे कुछ ऐसे महत्वके माने गये हैं कि ऐक्टके द्वारा आज्ञा दी गई है, कि उनके विषयमें जब कोई बात निर्णय की जाय तो कमसे कम आधे मेम्बरों की सलाहसे (अर्थात विशेष रेजोल्यूशन द्वारा) की जाय जैसे इक्जिक्युटिव अफसर अथवा सेक्रेटरी को नियुक्त करना, या रेग्युलेशन बनाना, इत्यादि।

—एक तिहाई या आधी सख्या जो साधारण और विशेष रेजोल्यूशनके लिये रखी गई है उसका अर्थ उस संख्या की तिहाई या आधे से है, जो मेम्बरों की बोर्डमें किसी समय पर हो, न कि मेम्बरों की उस सख्याकी तिहाई या आधे से, जो कानूनके द्वारा किसी बोर्ड के लिये नियमित है। जैसे यदि किसी बोर्डमें आठ निर्वाचित और दो नामजद मेम्बरों का होना कानूनके द्वारा रखा गया है, और किसी मीटिंग होने के समय निर्वाचित मेम्बरों में से एकको मृत्यु हो चुकी हो, और नामजद मेम्बरों में से, केवल एकही नामजद किया गया हो, तो ऐसी दशा में केवल आठ मेम्बर बोर्ड में माने जांयगे।

—उप दफा (३) का मतलब यह है, कि यदि किसी मीटिंग में मेम्बरों का कोरम पूरा न हो, और उस मीटिंग का काम दूसरी मीटिंग के लिये, मुल्तवी कर देना पड़े, तो ऐसी दूसरी मीटिंग पर दफा ८८ की उप दफा (१) और (२) में दिये हुये हुक्म लागू न होंगे। ऐसी दूसरी मीटिङ्ग में जितने मेम्बर उपस्थित होंगे, चाहे उनके द्वारा कोरम पूरा होता हो या नहीं, वही मुल्तवी किये हुये कामों को कर सकेंगे। और यदि मुल्तवी किया हुआ काम दूसरी मीटिङ्ग में भी किसी कारणसे न किया जा सके, या समाप्त न हो सके, और फिरसे उसको तीसरी मीटिंगके लिये मुल्तवी करना हो, तो ऐसी तीसरी मीटिङ्गमें भी पूरा कोरम होने की आवश्यकता न होगी परन्तु यह जरूरी है कि ऐसी मुल्तवी की हुई मीटिङ्गों में वही काम किये जाय जो कि पहिली मीटिंग में पेश होने को थे। इस लिये, जब कि कानून की आज्ञा है कि किसी प्रस्ताविक टैक्स पर म्यूनिसिपलटी का कोई निवासी उज्र कर सकता है, और एक निवासीने ऐसा उज्र किया और उक्त उज्र एक मीटिंगमें पेश हुआ, जिसमें कि सम्पूर्ण बोर्डके केवल एक तिहाई मेम्बर उपस्थित थे, और यह मीटिंग एक मुल्तवी की हुई मीटिंग थी। परन्तु पहिली मीटिंगमें उक्त उज्र पेश होने को नहीं था तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि इस मीटिंग को टैक्सके उज्र पर विचार करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि प्रस्तावित टैक्स का उज्र स्पेशल (विशेष) मीटिंगको सुनना चाहिये, और विशेष मीटिंगके कोरमकी इस कारण आवश्यकता थी कि यह प्रश्न पहिली मीटिंगमें पेश होने को नहीं था। देखिये टी, ई, स्ट्रेची बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड कानपूर, 1899 A W N 97

दफा ८९ मीटिंगका चेयरमैन

अगर किसी मीटिंगमें न तो चेयरमैन उपस्थित हो, न वाईसचेयरमैन, तो जो मेम्बर उपस्थित हों वह अपने में से [illegible] मीटिंग [illegible] निर्वाचित कर

लेगे। और ऐसा चेयरमैन उन कुल कर्तव्यों का पालन करेगा, और उन सब अधिकारों को, (यदि चाहे) बरत सकेगा जो बोर्डके चेयरमैनके हैं, जब कि वह मीटिंगका सभापति हो, पालन करेगा या बरत सकेगा।

नोट—मीटिंग के सभापति के कर्तव्यों तथा अधिकारों के लिये देखिये ऐक्ट की दफा ५१ की उप दफा (१) और दफा ५५ की उप दफा (१) का क्लाज (ए) और दफा ९१।

दफा ९० मीटिंगका सर्व साधारणके लिये खुला होना

प्रत्येक मीटिंगमें सर्वसाधारण को आने की आज्ञा होगी, सिवाय उस दशाके कि मीटिंगके सभापति की यह राय हो कि मीटिंग के पूरे समय मे, या उसके किसी भाग मे, सर्वसाधारण मीटिंग मे न आने दिये जाय।

दफा ९१ मीटिंगके चेयरमैनका, उसको नियम बद्ध और शान्त रखने का अधिकार

जब बोर्डकी किसी मीटिंगमें कोई मेम्बर, या अन्य कोई शख्स, चेयरमैन की किसी ऐसी आज्ञा का पालन न करे, जिस आज्ञाके द्वारा कि चेयरमैन किसी कारवाई, या बहस, या मामले, को क़ायदे के विरुद्ध होना निर्णय कर दे या किसी ऐसी आज्ञा का पालन न करे जिसके द्वारा चेयरमैन किसी अन्य प्रकार मेम्बरोंके व्यवहारोंका अथवा मीटिंग के काम काज का, प्रबन्ध करे, या उस दशा मे जब कि कोई मेम्बर या कोई शख्स इरादा करके मीटिंग में बाधा डाले तो चेयरमैन ऐसे मेम्बर या शख्सको मीटिंगसे चले जाने का हुक्म दे सकता है और यदि वह मेम्बर या शख्स ऐसा न करे (अर्थात् मीटिंग से चला न जाय) तो उसको मीटिंग से हटा देने, या बाहर कर देने, के अभिप्राय से ऐसे बल (Force) को काममें ला सकता है जो आवश्यक हो, या जिसका काममे लाया जाना चेयरमैन, नेकनीयती से, आवश्यक समझता हो।

दफा ९२ वोटोंके द्वारा फैसला

१ उन सब प्रश्नों का, जो बोर्डकी किसी मीटिंग में पेश हों, फैसला उन मेम्बरों के बहुमतके अनुसार होगा, जो उपस्थित हों, और वोट (राय) दे।

२ उस दशा में जब कि दो पक्षके वोट बराबर हों तो चेयरमैन एक और वोट अर्थात् कास्टिंग वोट (Costing vote) देगा।

३ इस दफाके उपरोक्त हुक्म दफा ९४ की उप दफा ६ के हुक्मों के, और इस ऐक्ट तथा किसी अन्य कानूनके द्वारा दिये हुये, या उनके अनुसार दिये हुये, किसी ऐसे हुक्मों के, अधीन होंगे जिनके द्वारा यह आज्ञा दी गई हो, कि किसी रेजोल्यूशन का समर्थन मेम्बरों के किसी विशेष भाग (Proportion) के द्वारा, या मेम्बरों की किसी विशेष संख्या के द्वारा, होना चाहिये।

व्याख्या—

यदि कोई मेम्बर किसी प्रश्नपर वोट न देना चाहे तो उसको अधिकार है कि अपना वोट न दे।

बाकी जितने मेम्बर वोट देंगे उन्हींकी सख्याके हिसाबसे यह देखा जायगा कि बहुमत (Majority) किस पक्षकी है।

—प्रत्येक दशामें चेयरमैन बोर्डका मेम्बर माना जाता है (देखिये दफा ९ की उपदफा (१)का क्लॉज (बी) और दफा १० की उपदफा (१) का क्लॉज (सी) और दफा ४९) इसलिये चेयरमैनको भी दूसरे मेम्बरोंके समान प्रत्येक प्रश्न पर जो बोर्डके सामने पेश हों एक वोट देनेका अधिकार होता है। परन्तु इस वोटके अतिरिक्त यदि किसी प्रश्न पर दो पक्षोंके बराबर बराबर वोट हों, तो चेयरमैनको एक वोट और देनेका भी अधिकार होता है। ऐसे वोटको कास्टिंग वोट कहते हैं।

—बहुमतसे किसी प्रश्नका फैसला केवल उस दशामें न होगा जब कि इस एक्ट या किसी अन्य कानूनके द्वारा किसी विशेष बातके लिये यह हुक्म हो कि मेम्बरोंकी एक कमसेकम सख्या या मेम्बरोंकी सख्याका कोई विशेष भाग उसका समर्थन करे। जैसे दफा १०५ के द्वारा बोर्डकी किसी कमेटीमें बाहरका कोई शख्स केवल उस दशामें नियत किया जा सकता है जब कि बोर्डके मेम्बरोंमेंसे कमसेकम आधे मेम्बर उसमें सहमत हों।

दफा ९३ मीटिंगों में उपस्थित होने और बोलनेका कुछ अफ़सरों का अधिकार

सेनिटेरी इंजिनियर (Sanitary Engineer), सेनिटेरी कमिश्नर (Sanitary Commissioner), या नायब सेनिटेरी कमिश्नर, या जिलाके सिविल सर्जन, एक्जिक्युटिव इंजिनियर (Executive Engineer), और स्कूलों के इन्सपेक्टर, और अन्य किसी अफ़सरको, जिसको प्रान्तीय सरकार ने विशेष रूपसे, यह अधिकार दिया हो, यह हक़ होगा, कि बोर्डकी किसी मीटिंग मे उपस्थित हों और अपने अपने विभागों के किसी मामले के सम्बन्धमें बोर्डके सामने कुछ भाषण दें।

दफा ९४ याददाश्तकी किताब (मिनिटबुक) और रेजोल्यूशन

१ बोर्डकी मीटिंगमे जो मेम्बर उपस्थितहो, उनके नाम, और जो काररवाई मीटिंग मे की गई हो, और जो रेजोल्यूशन पास किये गये हों, एक किताब मे लिखे जायगे, जो मिनिट बुक (Minute book) कहलायगी।

२ कारखाईकी याददाश्तें (Minutes) या तो उसी मीटिंगमें, या उसके बाद वाली मीटिंग मे, पढी जायंगी। और जब उनको वह सब मेम्बर या उनमे से अधिकांश (Majority) जो उनके पढे जाने के समय उपस्थित हों, और जो उन कारखाइयों के समय भी उपस्थित रहे हों, जिनकी कि याददाश्ते वह हैं, उनका ठीक होना स्वीकार कर ले, तो उस मीटिंगके चेयरमैन के हस्ताक्षर के द्वारा, जिसमे कि उनका ठीक होना स्वीकार किया गया है, यह तसदीक़ किया जायगा कि वह पास कीगई।

३ प्रत्येक रेजोल्यूशन जो बोर्डकी किसी मीटिंग मे पास किया जाय, जहां ऐसा करना सम्भव हो किसी स्थानीय समाचार पत्रों में जो अङ्गरेजी भाषामें छपता हो, और किसी स्थानीय समाचार पत्रमे जो देशी भाषा मे छपता हो प्रकाशित किया जायगा। और जहां दोनों ऐसे समाचार पत्र न हो तो किसी ऐसे स्थानीय समाचार पत्रमे प्रका-

शित किया जायगा जो उन भाषाओं मे से किसी एक या दूसरी भाषामे प्रकाशित होता हो। और यदि किसी प्रकार का कोई स्थानीय समाचार पत्र न हो, तो ऐसी विधि से प्रकाशित किया जायगा जो प्रान्तीय सरकार, नियम द्वारा नियमित कर दे।

४ प्रत्येक रेजोल्यूशन, जो कोई बोर्ड किसी मीटिंग में पास करे, की नकल मीटिंग की तारीख से दस दिनके भीतर कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजी जायगी।

५ जब, इसके पश्चात, कि किसी रेजोल्यूशन के विषयमे उप दफा (३) या उप दफा (४) के अनुसार कारवाई की जा चुके परन्तु इससे पूर्व कि उन याददाश्तों (Minutes) पर, जिनमे उक्त रेजोल्यूशन लिखा गया हो, हस्ताक्षर किये जांय, जैसी कि उप दफा (२) मे आज्ञा है, उक्त याददाश्तों के शब्दों में कोई परिवर्तन किया जाय, तो ऐसा परिवर्तन, विज्ञापन द्वारा, प्रकाशित कर दिया जायगा, या उसकी सूचना कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट को देदी जायगी अर्थात् जैसी कि दशा हो।

६ बोर्ड को किसी रेजोल्यूशन मे उसके पास होने के पश्चात, छ मासके भीतर, कोई परिवर्तन न किया जायगा (Modified), न वह रद किया जायगा (Cancelled)-

(ए) जब तक कि ऐसा नोटिस पहिले से न दे दिया गया हो जिसमे वह रेजोल्यूशन जिसमे परिवर्तन किये जाने, या जिसके रद किये जाने, का प्रस्ताव है, और उक्त रेजोल्यूशन मे परिवर्तन किये जाने या रद किये जाने, की तहरीक (Motion) या प्रस्ताव (Proposition) लिखे गये हों। और

(बी) ऐसा परिवर्तन या रद किया जाना, सिवाय ऐसे रेजोल्यूशन के न किया जा सकेगा, जिसका समर्थन बोर्डके मेम्बरों की सम्पूर्ण संख्या के कमसे कम आधे मेम्बरों से कमने किया हो।

व्याख्या—

(उप दफा २) काररवाइयों की याददाश्तें जो लिखी जाती हैं उनके पढ़े जाने का अभिप्राय यह है, कि यदि कोई भूलचूक हो गई हो, या उनमें किसी प्रकार की अशुद्धता हो, तो वह ठीक की जा सके। मेम्बरों को यह अधिकार होता है कि याददाश्तों के पढे जाने पर वह किसी ऐसी भूल चूक अथवा अशुद्धता की ओर ध्यान दिलायें, और यदि सब मेम्बरों की उनके विषयमें एकसी राय न हो तो वोट लेकर यह निश्चय किया जा सकता है कि भूलचूक हुई या नहीं। परन्तु केवल उन्हीं मेम्बरों को इस बात का अधिकार होता है जो स्वय उस मीटिंगमें उपस्थित थे जिसकी काररवाई पढी जा रही है। कारण यह कि ऐसे ही मेम्बर जान सकते हैं कि वास्तवमें क्या कारवाई हुई थी और उसकी याददाश्त लिखे जाने में क्या भूलचूक हुई।

(उप दफा (३) यदि अंगरेजी भाषा और किसी देशी भाषा दोनों के समाचार पत्र छपते हैं, तो रेजोल्यूशन दोनों में प्रकाशित किये जायँगे। और यदि किसी एकही भाषा का समाचार पत्र उस स्थान से निकलता हो, तो एकही में प्रकाशित कर दिया जायगा। उस दशाके लिये जबकि किसी म्युनिसिपल्टी से कोई भी समाचार पत्र न निकलता हो, प्रान्तीय सरकार ने नीचे लिखा नियम बना दिया है—

बाकी जितने मेम्बर वोट देंगे उन्हींकी सख्याके हिसाबसे यह देखा जायगा कि बहुमत (Majority) किस पक्षकी है।

—प्रत्येक दशामें चेयरमैन बोर्डका मेम्बर माना जाता है (देखिये दफा ९ की उपदफा (१)का क्लॉज (बी) और दफा १० की उपदफा (१) का क्लॉज (सी) और दफा ४९) इसलिये चेयरमैनको भी दूसरे मेम्बरोंके समान प्रत्येक प्रश्न पर जो बोर्डके सामने पेश हों एक वोट देनेका अधिकार होता है। परन्तु इस वोटके अतिरिक्त यदि किसी प्रश्न पर दो पक्षोंके बराबर बराबर वोट हों, तो चेयरमैनको एक वोट और देनेका भी अधिकार होता है। ऐसे वोटको कास्टिंग वोट कहते हैं।

—बहुमतसे किसी प्रश्नका फैसला केवल उस दशामें न होगा जब कि इस एक्ट या किसी अन्य कानूनके द्वारा किसी विशेष बातक लिये यह हुक्म हो कि मेम्बरोंकी एक कमसेकम सख्या या मेम्बरोंकी सख्याका कोई विशेष भाग उसका समर्थन करे। जैसे दफा १०५ के द्वारा बोर्डकी किसी कमेटीमें बाहरका कोई शख्स केवल उस दशामें नियत किया जा सकता है जब कि बोर्डके मेम्बरोंमेंसे कमसेकम आधे मेम्बर उसमें सहमत हों।

दफा ९३ मीटिगों में उपस्थित होने और बोलनेका कुछ अफ़सरों का अधिकार

सेनिटेरी इंजिनियर (Sanitary Engineer), सेनिटेरी कमिश्नर (Sanitary Commissioner), या नायब सेनिटेरी कमिश्नर, या जिलाके सिविल सर्जन, एक्जिक्युटिव इंजिनियर (Executive Engineer), और स्कूलों के इन्सपेक्टर, और अन्य किसी अफ़सरको, जिसको प्रान्तीय सरकार ने विशेष रूपसे, यह अधिकार दिया हो, यह हक़ होगा, कि बोर्डकी किसी मीटिंग मे उपस्थित हों और अपने अपने विभागों के किसी मामले के सम्बन्धमे बोर्डके सामने कुछ भाषण दें।

दफा ९४ याददाश्तकी किताब (मिनिटबुक) और रेजोल्यूशन

१ बोर्डकी मीटिंगमे जो मेम्बर उपस्थितहो, उनके नाम, और जो कारवाई मीटिंग मे की गई हो, और जो रेजोल्यूशन पास किये गये हों, एक किताब मे लिखे जायगे, जो मिनिट बुक (Minute book) कहलायगी।

२ कारवाईकी याददाश्तें (Minutes) या तो उसी मीटिंगमे, या उसके बाद वाली मीटिंग मे, पढ़ी जायगी। और जब उनको वह सब मेम्बर या उनमे से अधिकांश (Majority) जो उनके पढ़े जाने के समय उपस्थित हों, और जो उन कारवाइयों के समय भी उपस्थित रहे हों, जिनकी कि याददाश्त वह है, उनका ठीक होना स्वीकार कर लें, तो उस मीटिंगके चेयरमैन के हस्ताक्षर के द्वारा, जिसमें कि उनका ठीक होना स्वीकार किया गया है, यह तस्दीक़ किया जायगा कि वह पास कीगई।

३ प्रत्येक रेजोल्यूशन जो बोर्डकी किसी मीटिंग मे पास किया जाय, जहां ऐसा करना सम्भव हो किसी स्थानीय समाचार पत्रों में जो अङ्गरेजी भाषामे छपता हो, और किसी स्थानीय समाचार पत्रमे जो देशी भाषा मे छपता हो प्रकाशित किया जायगा। और जहां दोनों ऐसे समाचार पत्र न हों तो किसी ऐसे स्थानीय समाचार पत्रमे प्रका-

अफसरों से हो, किया जायगा, और जिनके द्वारा कोई निवेदन पत्र (Representation) जो बोर्ड को प्रान्तीय सरकार के पास भेजना हो, भेजे जायगे।

(बी) उन कामों के नक़शों (Plans) की तैयारी और जो रुपया उनमे लगेगा उनके तख़मीने (Estimates) की तैयारी, जो कि पूर्णतया, या जिनका कोई भाग, बोर्ड के ख़र्च से बनाया जाने को हो।

(सी) वह अधिकारी जिसके हुक्म से, और वह शर्तें जिनके आधीन ऐसे नक़शे और तख़मीने मजूर किये जा सकते हैं।

(डी) वह शख़्स या कम्पनी जो ऐसे नक़शे और तख़मीने तैयार करेगी, और जिनसे ऐसे काम बनवाये जायगे।

(ई) हिसाब किताब जो बोर्ड रखा करेंगे और वह विधि जिसके अनुसार ऐसे हिसाब किताब की जाच की जायगी, और वह प्रकाशित किये जायगे, और जाच करने वालो के वह अधिकार, जो उनको किसी व्यय के नामजूर करने तथा अनुचित व्यय के विषय मे होंगे।

(एफ़) वह तारीख़ जिससे पूर्व बजट की मजूरी के लिये मीटिंग की जायगी।

(जी) वह विधि और वह फ़ारम (Forms) जो बजट के तैयार करने मे काम मे लाये जायगे।

(एच) वह शर्तें जिनके आधीन किसी बोर्ड को, जिसके विषय मे कोई हुक्म दफा १०२ के अनुसार जारी किया गया हो, अपने बजट मे कम बढ़ करने या परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त होगा। और

(आई) नक़शे (Returns) कैफ़ियत (Statements) या रिपोर्टें (Reports) जो बोर्ड की ओर से भेजी जायगी।

व्याख्या--

(क्लाज ए) के लिये नीचे लिखा नियम (Rule) प्रान्तीय सरकार ने बना दिया है —

नियम

दफा ९५ के क्लाज (ए) के सम्बन्ध में —

१ सब पत्र व्यवहार जो बोर्ड से और सरकार से, या कमिश्नर से, या किसी सरकारी विभागके अफसरसे, या किसी सरकारी विभागके जिलामें रहने वाले प्रतिनिधि से (District Divisional Representative) या किसी ऐसे अफसर से जो जिला मजिस्ट्रेट के आधीन हो, या जो साधारणत जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार में या उसके आधीन काम किया करता हो—

और सब सूचनायें जो मेम्बर दफा ३९ के अनुसार या जो चेयरमैन दफा ७७ के अनुसार अपने पद से ३ स्तीफा देने के इरादे के विषय में, भेजें—और सब निवेदन पत्र (Representative) जो बोर्ड सरकार को भेजे--

--जिला मैजिस्ट्रेट के दफ्तर के द्वारा भेजे जायगे।

नियम

(दफा ९४ की उप दफा (३) के सम्बन्ध में),—

—रेजोल्यूशनों का जो बोर्ड की किसी मीटिंग में पास किये जाय प्रकाशित किया जाना।

"उन म्यूनिसिपलटियों में जिनमें कि कोई स्थानीय समाचार पत्र न छपता हो, प्रत्येक रेजोल्यूशन जो बोर्ड की किसी मीटिङ्ग में पास किया गया हो, की नकल, मीटिङ्ग की तारीख से १० दिन के भीतर, नोटिस-बोर्ड (अर्थात् नोटिस चिपकाने का तख्ता) पर सर्वसाधारण को सूचित करने के अभिप्राय से, उस इमारतमें, जहा कि बोर्ड की मीटिंगें साधारणत हुआ करती हैं, टागदी जायगी, और ३० दिन तक टगी रहने दी जायगी।

(विज्ञापन No. 1906 xI–6 H. तारीख ५ जुलाई सन १९१६ ई०)

—उप दफा (४) और (५) के सम्बन्ध में देखिये दफा ५० का क्लाज (सी)

—(उप दफा ६) म्यूनिसिपल बोर्ड के हुक्मों में कुछ स्थिरता होना चाहिये। आज कुछ और कल कुछ और होने से जनता को हानि की सम्भावना हो सकती है। अतएव कानून की आज्ञा है कि प्रत्येक रेजोल्यूशन कम से कम ६ मास तक प्रचलित रहना चाहिये। परन्तु यदि किसी कारण से ६ मास से पूर्व उसमें कोई परिवर्तन करने की इच्छा की जाय, तो नीचे लिखी शर्तों के अनुसार, कारवाई की जाना चाहिये—

१ सब मेम्बरों को नोटिस दिया जाय, और उस नोटिस में वह पूरा रेजोल्यूशन दर्ज कर दिया जाय, जिसमें परिवर्तन चाहा जाता है, या जिसको रद किये जाने की इच्छा की जाती है, तथा वह रेजोल्यूशन भी दर्ज होना चाहिये, जो पूर्व रेजोल्यूशन के बदले पास किये जाने की इच्छा की जाती है। उद्देश्य यह है कि सब मेम्बरों को दोनों रेजोल्यूशन का मुकाबिला करके, विचार करने का अवसर मिल जाय।

२ दूसरी शर्त यह है कि पहिले वाला रेजोल्यूशन उसी दशा में परिवर्तित या रद किया जा सकता है, जब कि मेम्बरों में से (जो उस समय हों) कम से कम आधे उस परिवर्तन की, या रेजोल्यूशन को रद किये जाने की राय दें। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जितने मेम्बर मीटिंग में उपस्थित हों उनमें से आधों की राय मिल जाना पूर्व रेजोल्यूशन में परिवर्तन करने या उसको रद करने के लिये, काफी नहीं होती, वरन जितने मेम्बर उस समय बोर्ड में हो उनमें से आधों की राय होना आवश्यक है।

पत्र व्यवहार हिसाब किताब बजट इत्यादिका कार्यक्रम

दफा ९५ पत्र व्यवहार, हिसाब किताब बजट इत्यादिका कार्यक्रम

नीचे लिखी बातों का उन नियमों के अनुसार प्रबन्ध किया जायगा, और उन्ही नियमों के अनुसार वह की जायगी जो प्रान्तीय सरकार बना दे, अर्थात्—

(ए) वह एक, या एक से अधिक बीच के दफ्तर, यदि कोई हों जिनके द्वारा, वह पत्र व्यवहार जो बोर्डों और प्रान्तीय सरकार या प्रान्तीय सरकार के

अफसरो से हो, किया जायगा, और जिनके द्वारा कोई निवेदन पत्र (Representation) जो बोर्ड को प्रान्तीय सरकार के पास भेजना हो, भेजे जायगे।

(बी) उन कामों के नकशों (Plans) की तैयारी और जो रुपया उनमें लगेगा उनके तखमीने (Estimates) की तैयारी, जो कि पूर्णतया, या जिनका कोई भाग, बोर्ड के खर्चे से बनाया जाने को हो।

(सी) वह अधिकारी जिसके हुक्म से, और वह शर्तें जिनके आधीन ऐसे नकशे और तखमीने मजूर किये जा सकते हैं।

(डी) वह शख्स या कम्पनी जो ऐसे नकशे और तखमीने तैयार करेंगी, और जिनसे ऐसे काम बनवाये जायगे।

(ई) हिसाब किताब जो बोर्ड रखा करेंगे और वह विधि जिसके अनुसार ऐसे हिसाब किताब की जाच की जायगी, और वह प्रकाशित किये जायगे, और जाच करने वालो के वह अधिकार, जो उनको किसी व्यय के नामजूर करने तथा अनुचित व्यय के विषय मे होंगे।

(एफ्) वह तारीख जिससे पूर्व बजट की मजूरी के लिये मीटिंग की जायगी।

(जी) वह विधि और वह फारम (Forms) जो बजट के तैयार करने मे काम मे लाये जायगे।

(एच) वह शर्तें जिनके आधीन किसी बोर्ड को, जिसके विषय मे कोई हुक्म दफा १०२ के अनुसार जारी किया गया हो, अपने बजट मे कम वढ़ करने या परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त होगा। और

(आई) नकशे (Returns) कैफिअत (Statements) या रिपोर्टें (Reports) जो बोर्ड की ओर से भेजी जायगी।

व्याख्या--

(क्लाज ए) के लिये नीचे लिखा नियम (Rule) प्रान्तीय सरकार ने बना दिया है —

नियम

दफा ९५ के क्लाज (ए) के सम्बन्ध में —

१ सब पत्र व्यवहार जो बोर्ड से और सरकार से, या कमिश्नर से, या किसी सरकारी विभागके अफसरसे, या किसी सरकारी विभागके जिलामें रहने वाले प्रतिनिधि से (District Divisional Representative) या किसी ऐसे अफ्सर से जो जिला मजिस्ट्रेट के आधीन हो, या जो साधारणत जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार में या उसके आधीन काम किया करता हो—

और सब सूचनायें जो मेम्बर दफा ३९ के अनुसार या जो चेयरमैन दफा ४० के अनुसार अपने पद से ३ स्तीफा देने के इरादे के विषय में, भेजे—और सब निवेदन पत्र (Represetative) जो बोर्ड सरकार को भेजे—

—जिला मैजिस्ट्रेट क दफ्तर के द्वारा भेजे जायगे।

२ जो पत्र व्यवहार बोर्ड और सरकार से होगा उसको जिला मजिस्ट्रेट कमिश्नर के दफ्तर के द्वारा भेजेगा।

नोट—आरोग्यता के (Sanitation) सम्बन्ध के सब मामले, और सब दरख्वास्तें, चाहे वह जनता की आरोग्यता के सम्बन्ध में किसी काम के लिये रुपया प्रदान किये जाने के विषय में हों, या किसी ऐसे ही काम के लिये रुपया कर्ज मांगने के विषय में हों, पहिले बोर्ड आव पब्लिक हेल्थ (Board of public health) को विचार करने के लिये भेजी जाना चाहिये।

(G. O. No 93 O M. xı 522 E 1 तारीख ३१ अगस्त सन १९२२ई०)

—कामों के नकशे तथा तखमीनों की तैयारी और मंजूरी और ठेकों के लिये टेण्डर (Tender) मांगने के लिये जो नियम प्रान्तीय सरकार ने बनाये हैं उनका सारांश यह है —

१ साधारणतः जिन कामों में २०) से अधिक व्यय होने की सम्भावना हो उन सब के लिये पहिले से नकशे और तखमीने बनवा लिये जाय।

२ जिस काम में २००) रु० से अधिक व्यय होने को हों, उसका ठेका बिना टेण्डर मांगे न दिया जाय।

३ टेण्डरों के लिये विज्ञापन दिया जाय। विज्ञापन में उस काम का, जो किये जाने को हो, वृतान्त दिया जाय, और वह तारीख आंकित की जाय जिस तारीख तक कि टेण्डर लिये जायगे।

४ जब टेण्डर स्वीकार किया जाय तो टेण्डर देने वाले से जमानत ली जाय।

५ नियम पत्र (Contract) में वह दण्ड लिख दिया जायगा जो ठेकेदार को, यदि वह शर्तें पूरी न करे, देना होगा।

(विज्ञापन No 1906 xı 6 H तारीख ६ जुलाई सन १९१६ ई०)

—दस हजार रुपये से अधिक के कामों के नकशों की तैयारी और तखमीने, और उनकी मंजूरी, चाहे वह आरोग्यता के सम्बन्ध के काम (Sanitary works) हों, या साधारण काम हों, के लिये देखिये, विज्ञापन न० 7 H–x। तारीख ४ जनवरी सन १९२१, और म्यूनिसिपल मैन्युअल के पन्ने २६६ से २७३ तक।

नोट—नीचे लिखे काम आरोग्यता के सम्बन्ध के काम माने गये हैं —

गन्दगी बहाने के उपाय या काम (Sewerage), पानी के निकास के उपाय या काम (Drainage), पानी का कारखाना (Water works), वध स्थान (मजबह), मंडी या बाजार, विशेष नमूने के बने हुए ठहरने के स्थान (Model lodging houses) होटल, औषधालय, सराय, नहाने के घाट, पाखाने, इत्यादि।

—उप दफा (ई) के सम्बन्ध में नीचे लिखे नियम प्रान्तीय सरकार ने बना दिया है।

नियम

(मासिक हिसाब)

१ प्रत्येक मास के समाप्त होने पर एक कैफियत (Statement) बोर्ड की आमदनी और खर्च की, जब जब और जैसे कि आमदनी और खर्च होते गये (...essive), बनाई

जायगी, जिस पर एक्जिक्युटिव अफसर या सेक्रेटरी, के और चेयरमैन के दस्तखत होंगे, और यह कैफियत बोर्ड के सामने पेश की जायगी।

२ यह कैफिअत उस फारम A के अनुसार बनाई जायगी जो बजट के लिये नियमित किया गया है। उस फारम मे केवल नीचे लिखे परिवर्तन कर दिये जायगे—

(१) खाना न० ३ में चालू साल (Currentyear) का तखमीना बजट लिखा जायगा (बजट के फारम में यह खाना न० ६ मे होता है।

(२) खाना न० ४ में जिस मासकी कि कैफियत तैयार की जा रही हो, उससे पहले का जो महीना हो, उस महीने की आखिरी तारीख तक की वास्तविक आमदनी और खर्च लिखे जायगे।

(३) खाना न० ५ में उस मासकी वास्तविक आमदनी और खर्च लिखे जायगे जिसकी कि कैफियत तैयार की जा रही है।

(४) खाना न० ६ मे खाना नं० ४ और खाना न० ५ का जोड (मीजान) होगा।

(५) एक खाना न० ७ बढा दिया जायगा, जिसमें गत वर्षकी उसी अवधि की वास्त विक आमदनी और खर्च लिखा जायगा।

(विज्ञापन No 4000 xi 10 H तारीख ४ अक्टूबर सन १९१६)

—देखिये म्युनिसिपल एकाउन्टकोड भी (Municipal Account Code)

उप दफा (आई) के सम्बन्धमे नीचे लिखे नियम बनाये गये हैं—

म्यूनिसिपलटी के शासनकी और जनताके आरोग्यता की

वार्षिक रिपोर्ट

(Annual Administration & Sanitary Report)

१ प्रतिवर्ष १५ मई को, या उससे पूर्व, बोर्ड म्युनिसिपल्टी के शासन, और आमदनी, और खर्च, के विषयमें, उस वर्ष की जो गत ३१ मार्च को समाप्त हुई हो, एक रिपोर्ट पेश करेगा। 'शहरों' की जिन म्युनिसिपल्टियों में पचास हजार, या इससे अधिक की आबादी हो, या अन्य म्युनिसिपल्टियों से जिनमें कि जिला मजिस्ट्रेट चेयरमैन हो ऐसी रिपोर्ट कमिश्नरकी जाच (Review) के लिये भेजी जायगी। अन्य दशाओं में रिपोर्ट, जिला मजिस्ट्रेट को जाचके लिये, या तो सीधी उसी के पास, या हाकिम परगनाके द्वारा (जैसा जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक म्यूनिसिपल्टी के लिये नियमित कर दे) भेजी जायगी। सिवाय उन म्युनिसिपल्टियों के जो मुफस्सिल की हों (अर्थात् जो सदर स्थान की हों) या जो गैर जरूरी हों, ऐसी रिपोर्ट छापके भेजी जायगी। उसका "वृत्तान्त भाग" (Narrative portion) नीचे बताई हुई सीमा से बडा नहीं होना चाहिये अर्थात्—

(१) शहर की म्यूनिसिपलटियों की रिपोर्टों का 'वृत्तान्त भाग' बीस छपे हुये पन्नों से बडा न हो।

(२) अन्य म्युनिसिपलटियों की रिपोर्ट का दस छपे हुये पन्नों से बडा न हो इसके अति रिक्त यदि कोई नोट (लेख) म्युनिसिपल्टी का इन्जिनियर पानी के कारखाने के विषयमें, या गन्दगी बहाने के कामों के विषय में दे तो चार पन्ने उसके भी हों

शासन की जो विशेष (Noteworthy) बातें हों वही लिखी जायें। रिपोर्ट जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा है, केवल जो बातें और सख्यायें दी गई हों, और उस वर्ष के कामके जो मुख्य लक्षण हों वह समझ में आजाना चाहिये। जो परिशिष्ट और कैफिअतें बताई गई हैं उनके अतिरिक्त कोई और नकशे न लिये जाय। चेयरमैन की यह जिम्मेदारी होगी कि वह वार्षिक रिपोर्ट का मसौदा तैयार करके बोर्डके सामने पेश करे। अपनी कोई राय व कोई बहस रिपोर्टमें नहीं दी जाना चाहिये। सरकारी विभागों के अफसरों की कोई निन्दा न की जाय, न उनके, या उनके कामों के, गुण दोषों के विषय में कुछ लिखा जाय। रकमों आदि के नकशों का हवाला, वृतान्त (Narrative) के उन भागों में, हासिये पर दे देना चाहिये, जिनमें उन नकशों के सम्बन्ध मे कुछ लिखा गया हो, और यदि सम्भव हो तो नकशों के हाशियों पर भी, वृतान्त के भागों का, हवाला दे दिया जाय। छपी हुई रिपोर्टों पर आखिरी तारीख वह दी जाना चाहिये जिस पर कि आखिरी पन्ने, शुद्ध करके, छपने को भेज दिये गये हों। जिस दिन रिपोर्ट छप कर छापे खाने से निकली हो उसकी तारीख रंगीन कागज पर छाप कर रिपोर्ट के पहले पन्ने पर चिपका दी जाना चाहिये। जो रिपोर्ट सरकार की सेवा में भेजी जाय, उन में जो सख्यायें दी जाय, उनके ठीक होनेकी जिम्मेदारी उस अफसर पर होगी जो रिपोर्ट भेजेगा, और जब रिपोर्ट छप चुके, तो ऐसे अफसर को चाहिये कि वह सख्याओं का मिलान, और जाच, अपने दफ्तर में करा लेवे। इस मिलान और जाच का सार्टीफिकेट साथ होना चाहिये। नकशों में जो रकमें दी जाय उनमें से आने पाई उडा दिये जाय, सिवाय उन स्थानों के जहां कोई दर, या प्रति सैकडे का हिसाब दिखाया जाने को हो।

(देखिये म्यूनिसिपल मैन्युअल के पन्ने २४९ से २५१ तक)



चुंगीकी कैफियत.......सालकी...... म्यूनिसिपलटीकी जनसंख्या ... ..

वस्तुओं के दर्जे	जो माल चुंगीके भीतर आया उसकी मिक़दार	अन्दर आये हुये माल का मूल्य	कुल टैक्स जो वसूल हुआ	वापसियां जो प्रत्येक प्रकारकी बाहर भजी हुई वस्तुओंपर दी गई	टैक्स जो वापसियोंके बाद बचा	मिक़दार जो भीतर लाई गई उसकी घटाके जिस पर वापसियां दी गई	भीतर लाई हुई वस्तुओंका मूल्य उसको घटाके जिन पर वापसियां दी गई	प्रति मनुष्य कितना माल उठा या खर्च हुआ (खाना ७ और ८ के हिसाब से)	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
दर्जा १									
(१) गेहू और गेहूका आटा									
(२) चावल									
(३) ज्वार और चना									
(४) खानेके अन्य नाज									
(१) से (४) तकका जोड									
(५) साफकी हुई शक्कर चीनी									
(६) बिना साफकी हुई शक्कर									
(७) घी									
(८) मनुष्यों तथा पशुओंके खानेपीने की अन्य वस्तुयें (जिसमें शीरा भी शामिल होगा)									
दर्जा (१) का जोड									
दर्जा २									
पशु जो मारे जानेके लिये भीतर लाये गये									

परिशिष्ट (बी)

कैफियत, इन स्कूलों के खर्च तथा स्थिति दिखानेके लिये जो म्यूनिसिपल कोष से कायम रखे जाते हैं, या जिनको सहायता दी जाती है।

		३१ मार्च सन् १९ को छात्रा की संख्या						म्यूनिसिपल कोष से व्यय								
	स्कूलों और शिक्षाके दर्जोंकी संख्या	अंग्रेजी स्कूलों में	शिक्षा के दर्जों में	वरनाक्यूलरके मिडिलके दर्जोंमें	वरनाक्यूलर स्कूलोंके अपर दर्जोंमें	वरनाक्यूलर स्कूलोंके नीचे दर्जोंमें	अन्य विशेष स्कूलों में	शिक्षकों का खर्च		पुस्ताइना	वजीफे	डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को चन्दा	रकमें जो सहायतार्थ प्रदान की	बार २ होनेवाले खर्चोंका जोड़	इमारत और उनकी मरम्मत	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
इन्हा म्यूनिसिपल स्कूल जिनकाप्रबन्ध म्यूनिसिपल बोर्ड तथा डिस्ट्रिक्टबोर्ड करते हों —																
हाई स्कूल और अंग्रेजीके मिडिल स्कूल—																
वरनाक्यूलरके मिडिलस्कूल																
अन्य विशेष स्कूल—																
प्राईमरी स्कूल—																
प्रिपेरेटरी स्कूल—																
जोड																
इन्हा म्यूनिसिपल कालेज और स्कूल जिन को म्यूनिसिपल्बोर्ड सहायता देताहो —																
कालेज हाई स्कूल, तथा अंग्रेजी के मिडिल स्कूल—																
वरनाक्यूलर के मिडिलस्कूल																
प्राईमरी स्कूल—																
प्रिपेटरी स्कूल—																
मक्तब और पाठशाले—																
विशेष दर्जोंके लिये स्कूल—																
अन्य विशेष स्कूल—																
जोड																
लडकोंकी विशेष शिक्षा—																
लडकोंके स्कूलों में शिक्षा के दर्जे—																
लडकियों के स्कूल जिनका प्रबन्ध म्यूनिसिपल और डिस्ट्रिक्टबोर्ड करते हों— हाई और मिडिलस्कूल																
प्राईमरीस्कूल																
लडकियोंके स्कूल जिनको म्यूनिसिपल बोर्ड सहायता करता हो— हाई और मिडिस्कूल																
प्राइमरी स्कूल																
लडकियों के स्कूलों का जोड																
लडकियों के शिक्षाके दर्जे—																
मुतफर्रिक—																
म्यूनिसिपल कोप से कुल खर्चका																

नोट—वरनाक्यूलर मिडिल लडके अन्तिम (Final)
परीक्षा के लिये बैठ चुके हों, वह भी

परिशिष्ट (सी)

"म्यूनिसिपलटीके पानीके कारखाने और मोरियों और पानीके निकासके कामोंके खर्च दिखाने के लिये ।

(इसकी एक प्रति २० अप्रैल को, या उससे पूर्व सेनिटेरी इन्जिनियर को भेजना चाहिये)

पानीका कारखाना			
खर्चे की क़िस्म	रकम जो बजटमें मंजूर की गई–	खर्चकी संख्या	जोड़
१ नौकरो का–			
(ए) स्थायी नौकर			
(बी) दफ्तरके मुतफर्रिक खर्च			
(सी) किराया			
२ पानी पम्प करनेका–			
(ए) कोयला			
(बी) तेल और वस्तुयें जो खराब जाय			
(सी) अन्य वस्तुयें			
३ पानी नदीसे लेनेका–			
(ए) नदीकी धाराको ठीक करना			
(बी) पानी बहनेके रास्तों और कुओंकी सफाई			
४ पानी थिरानेके हौज और फिल्टर			
(ए) पानी थिरानेके हौजों की सफाई			
(बी) फिल्टरोंकी तली की सफाई और तलीका बदला जाना			
(सी) बालूका मोल लेना			
५ पानी पहुँचाना–			
(ए) नल और पुरजे			
(बी) पानी नापनेके यन्त्र (मीटर)			
६ मरम्मत–			
(ए) हौजोंकी			
(बी) इमारतों और हातोंकी			
(सी) कलोंकी			
७ पानीकी जाच–			

गन्दगी बहाने (मोरियों) और पानीके निकासके काम			
खर्चकी किस्म	रकम जो बजटमें मंजूर की गई	खर्च की संख्या	जोड़
१ नौकरों का—			
(ए) स्थाई			
(बी) अस्थाई			
(सी) दफ्तरके मुतफर्रिकखर्च			
(डी) किराया			
२ काम चलानेका—			
(ए) बन्द नालियां			
(बी) ऊपरी मोरियां			
(सी) पाखाने			
(डी) पेल-डिपो (Pail-depot)			
३ मरम्मत का—			
(ए) बन्द नालियां			
(बी) ऊपरी मोरियां			
(सी) पाखाने			
(डी) पेल-डिपो			
४ कलों का—			
(ए) नई कलोंका मोल लेना			
(बी) पुरानी कलोंकी मरम्मत			
५ अन्य खर्च—			
(ए) आराजी जो काममें ले ली गई उसका मुआविजा			
(बी)			
(सी)			
(डी)			

परिशिष्ट (डी)

पानी का कारखाना

सन् १९ ..–१९ के कामकी कैफियत

(इसकी एक प्रति सेनिटेरी इन्जिनियरको ३० अप्रैलको या इससेपूर्व भेज देना चाहिये)

जन संख्या	
सन् १९०१ की मर्दुमशुमारी के अनुसार–म्यूनिसिपलटी के भीतर	
„ „ „ छावनी में	
जोड	
कामोंका खर्च	
बनाये जानेका प्रारम्भिक खर्च	
काम बढ़ाये जानेका और सुधारोंका खर्च, गतवर्षके अखीर तक . ..	
इस वर्षका	
कामों के खर्च का जोड	
फिल्टर किये हुये पानीका खर्च	
वर्ष भरमें, छावनीके सहित . . .. गैलन	
प्रतिदिनका औसत . . .. . „	
प्रतिदिनका औसत जो किसी मासमें अधिकसे अधिक रहाहो .... . „	
प्रतिदिनका औसत, केवल छावनीमें . „	
औसत उन घंटोंका जिनमें प्रतिदिन फिल्टर किया हुआ पानी पम्प किया गया ... „	
वार्षिक खर्च और आमदनी	
कारखाना कायम रखनेके खर्चे ... . रुपया	
कुल खर्च, सूद और ऋण जो अदा किया गया हो उसके सहित „	
पानीके कारखानेसे आमदनी	
पानीका टैक्स जो वर्षमें वसूल किया गया . ... रुपया	
पानीकी बिक्रीसे, और अन्य आमदनी . . .. „	
कुल आमदनी . . .. . . „	
उन घरोंकी संख्या जिनमें नल लगाया गया, वर्षकी समाप्ति पर	
केवल घरेलू मतलबोंके लिये	
अन्य मतलबों के लिये	
जोड . ..	
संख्या उन नलोंकी जिनमें पानी नापनेका यन्त्र (मीटर) लगाया गया	

परिशिष्ट (ई)

उन रक़मोंके खर्चकी कैफियत जो किसी अवसरपर प्रदानकी गई हों और जो बारबार मिलने वाली रक़मे न हो (Non-Recurring grants) और ऋणकी कैफ़ियत

प्रदान की हुई रकम और ऋणका विवरण (अधिकार पाने या उनेका, अभिप्राय, सख्या)	सख्या जो गतवर्षकी समाप्ति तक रहगई	जिस वर्षकी रिपोर्ट है, उसमें जो सख्या प्राप्त हुई हो	जोड़	गतवर्षकी समाप्ति तकका खर्च	जिस वर्षकी रिपोर्ट हो उसका खर्च	जोड़	सख्या जो आजके दिनतक बाकी है।	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९

म्यूनिसिपलटी की सेनिटेरी रिपोर्ट (आरोग्यता सम्बन्धी) उस वर्षके लिये जो ३१ मार्च सन १९.. को समाप्त हुआ।

(३० अप्रैल को या उससे पूर्व इसकी एक प्रति सीधी सेनिटेरी कमिश्नर को भेजना चाहिये।

१ कुल वार्षिक आमदनी लिखो, गत वर्ष की बाकी को छोड के, और गत वर्ष की बाकी लिखो, वर्ष की सफाई से आमदनी और खर्च लिखो।

२ संक्षेप में आरोग्यता के सम्बन्ध के जो मुख्य दोष हों उनको लिखो, उन दोषों के दूर करने के लिये जो उपाय किये गये हों सो लिखो, और नये प्रस्तावित काम जिनके बनाने को विचार हो सो लिखो।

३ उस वर्ष में जो आरोग्यता सम्बन्धी काम किये गये हों या बनाये जा रहे हों उनको लिखो इस मद में शामिल होना चाहिये —

(ए) गन्दगी बहाने के काम, और पानी के निकास के काम (Sewage & Drainage)

(१) उन घरों की संख्या जिनसे गन्दगी और गन्दा पानी बहाने की नालियों का मेल हो।

(२) गन्दगी बहाने, और पानी के निकास के कामों में तरक्की।

(बी) पानी पहुंचाने (Water-Supply) के काम में तरक्की, और उन मकानों की संख्या जिनमें नल नया लगाया गया है।

(सी) सफाई के कामों में तरक्की, अर्थात्।

उन सार्वजनिक और निजी पाखानों की संख्या जिनमें पानी मौजूद हो।

(डी) उनके स्थान में तरक्की, और

(ई) कोई और तरक्की जो की गई हो।

४. कूडा कर्कट और मैला किस प्रकार हटाया जाता है और ठिकाने लगाया जाता है।

(ए) स्थान जो दफा २७३ के अनुसार नियत किये गये हों।

(बी) सार्वजनिक पाखानों (वम्पुलिस) में कितने कदमचे आदमियों और स्त्रियों के लिये ऐसे हैं, जिनसे कि काम लिया जा सकता हो, और वह किस नमूने के बने हैं।

(सी) पेशाबखानों और कूडा जमा करने के बरतनों की संख्या और नमूना।

(डी) निजी पाखाने जो काम में लाये जाते हों, उनकी संख्या और नमूना।

(ई) मैला दबाने के गढ्ढों की कुल संख्या, प्रतिदिन के मैले की अनुमान

की हुई मिकदार, और उसको ले जाने वाली गाड़ियों की सुख्या।

५ दफा १८६, १९२, २११, २४५, २६७, २६८, २६९, २७१, २७८, और २८४ के अनुसार जारी किये गये, और प्रत्येक दफा के कितने नोटिसों की तामील की गई।

६ लिखो कि दफा २९८ की नीचे लिखी मदों के अनुसार बाई लॉ बनाए गये हैं कि नहीं—ए बी. सी डी. ई (सी), एफ. जी. आई और जे (ए), (बी), (डी)।

७ खाने और औषधियों में मेल करने की मनाही का कानून (Adulteration of food & drugs Act) के अनुसार कितने मुक़द्दमे चलाये गये, और उनके नतीजे।

८ नीचे लिखी बातों पर सक्षेप रिपोर्ट दो —

(ए) जनता का साधारण स्वास्थ्य।

(बी) विशेषत वर्ष में किसी फैलने वाली बीमारी के उत्पन्न होने की रिपोर्ट उसके आरम्भ होने और समाप्त होने की तारीखों के सहित, और उक्त बीमारी के रोकने के उपाय जो किये गये हों, और फैलने वाले रोगों के रोगियों को अलग रखने के प्रबन्ध।

(सी) बच्चे जो पैदा हुये हों उनकी सख्या, और पहली जनवरी से ३१ दिसम्बर तक उन बच्चों की मौत जो एक वर्ष से कम के हों।

(डी) वह रकबे जिनमें मौतों का हिसाब सब से अधिक पड़े।

म्यूनिसिपल पत्र-व्यवहार और कागजों, रजिस्टरों इत्यादि के विषय में नियम (Rules)

म्यूनिसिपल बोर्ड की कारवाइयों, मिनिट बुक, पत्र व्यवहार, हिसाब किताब, बजट इत्यादि की दफाओं के साथ, प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये हुये नियम, जो म्यूनिसिपल्टी की खत किताबत, कागज, रजिस्टर इत्यादि के रखे जाने, और उनके नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में हैं, दे दिया जाना उचित है। विज्ञापन No 1906 xI 6 H, तारीख ५ जुलाई, १९१६ के द्वारा नीचे लिखे नियम प्रकाशित कर दिये गये हैं —

१ इन नियमों में, जब तक कि विषय अथवा प्रसङ्ग की दृष्टि से ऐसा अर्थ अनुचित न हो —

(१) "मुहाफिज दफ्तर" (अर्थात् दफ्तर के कागजों का रक्षक) का अर्थ होगा, वह शख्स जो मुहाफिज खाने के वास्तविक चारज (Charge) में हो।

(२) शब्द "कागजात" में रजिस्टर भी शामिल होंगे।

२ म्यूनिसिपल्टी के दफ्तर का उतना भाग, जितना कि पत्र व्यवहार और कागजों को उचित रीति से रखने और उन पर कब्जा रखने के लिये आवश्यक हो, बोर्ड अलग कर देगा, और इस प्रकार अलग किया हुआ भाग मुहाफिज खाना कहलायगा।

३ पत्र व्यवहारों के बचे हुए कागजों में से, वह कागज जिनमें किसी काम में देर होजाने का कारण बताया गया हो, या जो केवल जाबते के पत्र हों (जैसे वह-पत्र जिसके द्वारा किसी पत्र के साथ आये हुए कागज लौटाले गये हों), जब मिसिल बन्द की जाय, मुहाफिज दफ्तर नष्टकर देगा।

४ जो कागज कि छपा लिया जाय उसका असल मुहाफिज दफ्तर उस समय नष्ट कर देगा जब कि असल के बदले छपा हुआ कागज आजाय। परन्तु शर्त यह है कि चेयरमैन या एक्जिक्युटिव अफसर आज्ञा दे सकता है, जिस आज्ञा के कारण उसी कागज पर लिख दिये जायगे, कि कोई असल कागज भी, छपे हुये कागज के साथ, या तो उसकी मिसिल ही में, या अन्य किसी स्थान में, किसी ऐसी अवधि के लिये जो अंकित कर दी गई हो, रखा जाय।

५ वह कागज रजिस्टर, आदि जो इन नियमों के सग दिये हुए A और B शिड्यूलों में अंकित किये गये हैं उतनी अवधि के लिये रखे रहने दिये जायगे, जितनी अवधि कि प्रत्येक कागज आदि के लिये बताई गई हो, और उसके उपरान्त नष्ट कर दिये जायगे।

परन्तु शर्त यह है कि चेयरमैन या एक्जिक्युटिव अफसर आज्ञा दे सकता है, जिस आज्ञा के कारण कि उसी मिसिल, कागज आदि पर लिख दिये जायगे, कि कोई मिसिल, कागज, रजिस्टर उस अवधि से, जो कि उसके लिये नियमित हो, अधिक अवधि तक रखा जाय।

६ किसी अवधि के हिसाब की जाच की समाप्ति की तारीख, वह मानी जायगी जो उक्त अवधि के हिसाब की जाच के नोट के अन्त पर दर्ज हो।

७ जब किसी पत्र व्यवहार या कागज या रजिस्टर के लिये कोई निर्दिष्ट अवधि नियमित हो, तो उस अवधि का हिसाब उस पहली जुलाई से लगाया जायगा जो उस मिसिल या कागज या रजिस्टर के पूरा होने के बाद पड़े।

उदाहरण—(१) एक मिसिल जिसके ५ वर्ष तक रखे जाने का हुक्म हो, और जिसके आखिरी पत्र की तारीख १० अप्रैल सन १९०१ ई० है, उस की जांच पहली जुलाई सन १९०६ ई० को की जावेगी और कागज मिसिल से निकाले और नष्ट किये जावेंगे।

(२) एक खत जिसको १० वर्ष तक रखने की आज्ञा है, और जिसकी तारीख है १९ दिसम्बर सन १९०१ ई०, वह पहली जुलाई, सन १९१२ ई० को नष्ट किया जायगा।

(३) छुट्टी का फारम ५ (जिन्सवार), यदि हिसाब की जाच, ५ जुलाई १९०१ को समाप्त हुई हो पहली जुलाई सन १९०५ ई० को नष्ट किया जायगा।

भावार्थ—रजिस्टर के पूरा होने की तारीख वह मानी जायगी जिस पर कि उस पर लिखना अन्तिम रूप से बन्द कर दिया जाय।

८ इन नियमों में, तथा उन शिड्यूलों में जो इनके साथ लगा दिये गये हैं, जो कुछ कहा है, उसके होते हुए भी, वह पत्र व्यवहार या कागज या रजिस्टर जिनमें किसी उसूल पर बहस लिखी गई हो, या जिसमें किसी उसूल के प्रश्न पर फैसला हो और प्रत्येक ऐसा हुक्म जिसके द्वारा बोर्ड के लिये नियम (Rules), रेग्युलेशन, वाईलॉ जारी किये जाय, वह स्थाई रूप से रखे रहने दिये जायगे। साधारणतः किसी ऐसी दशा में जब कि शंका हो, कोई ऐसा पत्र व्यवहार, कागज या रजिस्टर जिसका नष्ट किया जाना बोर्ड के, या सरकार के या जनता के लाभ के विरुद्ध समझा जाय, रखा रहने दिया जायगा चाहे उसका विषय ऐसाहो जो उन शिड्यूलों की सीमाके भीतर आता हो, जिनके लिये कि यह नियमित है कि एक निश्चित अवधि तक ही उनके कागज रखे जाय।

९ नीचे बताये हुये फारमों के अनुसार मुहाफिज दफ्तर दो रजिस्टर रखेगा, एक पत्र व्यवहार के लिये और दूसरा कागजों के लिये। प्रत्येक रजिस्टर में इन्दराज उसी क्रम से किये जायगे, जिस क्रम से कि मिसलें अथवा कागज या रजिस्टर मुहाफिज खाने में रखे जाने के लिये भेजे जायगे—

पत्र व्यवहारके लिये मुहाफिज दफ्तरका रजिस्टर

१	२			३	४	५	६	७	८	९	१०
	मिसिलका हाल										
नम्बर	विभाग	मिसिलका नम्बर	मिसिलमें कागजोंकी संख्या	मुहाफिज खानेमें रखे जानेकी तारीख	तारीख जिसपर मिसिल, कागजों के नष्ट किये जाने के लिये जाची जायगी	दस्तखत मुहाफिज दफ्तर	तारीख जिसपर कि मिसिल कागजोंके नष्ट करने के लिये वास्तवमें जाची गई	उन कागजोंकी संख्या जिनके नष्ट किये जाने का हुक्म दिया गया हो।	नष्ट किये जानेकी तारीख	उन कागजोंकी संख्या जो मिसिलमें रह गई, यदि कोई हो	कैफियत

कागजों तथा रजिस्टरोंके लिये मुहाफिज दफ्तरका रजिस्टर

१	२	३	४	५	६	७	८	९
नम्बर	कागजों तथा रजिस्टरोंका वर्णन	मुहाफिज खानेमें रखी जानेकी तारीख	तारीख जिसपर कि मिसिल, कागजोंके नष्ट किये जाने के लिये जाँची जाना चाहिये	दस्तखत मुहाफिज दफ्तर	तारीख जिसपर कि मिसिल कागजोंके नष्ट किये जाने के लिये वास्तवमें जाँची गयी	यदि नष्ट किये जानेका हुक्म दिया गया हो, तो नष्ट किये जानेकी तारीख	उस अफसरके दस्तखत जिसने नष्ट करनेका हुक्म दिया हो,	कैफियत

१० फ़ारम जो नं० ९ में नियमित हैं, गवर्नमेन्ट प्रेस से मगाये जायँगे।

११ (१) प्रति वर्ष पहिली जुलाई से, या इस तारीख के पश्चात, जितना जल्द सम्भव हो मुहाफिज दफ्तर मय व्यवहार की सब मिसिलों को देखना उस क्रम से आरम्भ करेगा जो क्रम कि उनका उस रजिस्टर में हो जो पूर्वोक्त नियम के अनुसार नियमित है, और प्रत्येक ऐसी मिसिल के सम्बन्ध में जो रजिस्टर में दर्ज हो आवश्यक इन्दराज करेगा। प्रत्येक मिसिल में से वह, हर ऐसे कागज को निकाल लेगा, जो उस अवधि के अनुसार, जो ऐसे कागज के लिये उन शिड्यूलों में, जो इन नियमों के साथ लगा दिये गये हैं, नियमित हों, नष्ट करने के योग्य हो गये हों और ऐसे कागजों को अपने रजिस्टर के सहित चेयरमैन या, एक्जिक्यूटिव अफसर या सेक्रेटरी की जाँच के लिये पेश करेगा और चेयरमैन या एक्जिक्यूटिव अफसर या सेक्रेटरी, इन नियमों के अनुसार, और उन शिड्यूलों के अनुसार जो इन नियमों के सग लगा दिये गये हैं, उन पर आवश्यक हुक्म देगा।

(२) इसी प्रकार मुहाफिज दफ्तर, शिड्यूल B में दिये हुये दर्जोंके अनुसार सब कागजों और रजिस्टरों की जाँच करेगा और उन कागजों तथा रजिस्टरों को, जो नष्ट कर दिये जाने के योग्य हो गये हों, नियम ९ के द्वारा नियमित किया हुआ, कागजों और रजिस्टरों के रजिस्टर के सहित, उचित अफसर के सामने पेश करेगा। ऐसा अफसर उन पर उसी विधि से हुक्म देगा जैसा कि इस नियम के पहिले वाले क्लॉज में नियमित है।

(२) यदि इस विषय में कोई शङ्का हो कि कोई पत्र या कागज या रजिस्टर, किस दर्जे का है, या इस विषय में कि उसके रखे रहने दिये जानेकी ठीक अवधि क्या है, तो ऐसा पत्र, कागज या रजिस्टर चेयरमैन या एक्ज़िक्यूटिव अफसर की जाँच के लिये पेश किया जायगा, यदि वह पहिले ही पेश न किया जा चुका हो।

१२ यदि किसी पत्र व्यवहार की मिसिल के सब कागज नष्ट कर दिये जाँय, तो मुहाफिज दफ्तर के रजिस्टर खाना न० १० में नीचे लिखा इन्दराज कर दिया जायगा —

मेरी उपस्थिति में पूरी मिसिल नष्ट कर दी गई।

(दस्तखत चेयरमैन या एक्जिक्यूटिव अफसर या सेक्रेटरी)

तारीख . .

(मुहाफिज दफ्तर के दस्तखत) .. .

यदि मिसिल में से केवल कुछ ही पत्र या कागज नष्ट किये गये हों, तो रजिस्टर में नीचे लिखा इन्दराज कर दिया जायगा . . नम्बरों के कागज मेरी उपस्थितमें नष्ट कर दिये गये।

.. . .. .

(दस्तखत चेयर मैन या एक्जिक्यूटिव अफसर या सेक्रेटरी)

तारीख .

(मुहाफिज दफ्तरके दस्तखत) . .

१३ जो कागज नष्ट करने के लिये चुने जाँय वह यदि खुफिया (गुप्त) हों तो तुरन्त जला दिये जायँगे। जो कागज खुफिया न हों वह यदि रद्दी में बेचे जाय, तो छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिये जायँ जिससे कि यह पता न लग सके कि उनमें क्या लिखा था।

(शिड्यूल A के लिये देखिये म्यूनिसिपल मैनुअलका पन्ना ३२४ और शिड्यूल B के लिये देखिये पन्ने ३२५ और ३२६)।

शिड्यूल B विज्ञापन No 2441 xi H 98 तारीख २४ नम्बर १९२१ के द्वारा नया बदल दिया गया है।)

ठेके या मुआहिदे (Contracts)

दफा ९६ ठेकों या मुआहिदोंकी मंजूरी

१ हर ऐसे ठेके या मुआहिदे के लिये, बोर्ड की मंजूरी की, जो रेज़ोल्यूशन के द्वारा दी जाय, आवश्यकता है।

(ए) जिसके लिये बजट में सबील नहीं की गई है। या

(बी) जिसकी मालियत, या संख्या, उस दशा में जब कि वह किसी शहर के बोर्ड की ओर से हो, एक हजार रुपये से, और अन्य दशाओं में, ढाई सौ रुपये से, अधिक हो।

२ कोई ठेका या मुआहिदा, जो उन दोनों प्रकार का न हो, जिनका वर्णन उप दफा (१) मे किया गया है, बोर्ड के रेज़ोल्यूशन के द्वारा, मजूर किया जा सकता है, या उसको बोर्डकी कोई कमेटी, जो सलाह देने वाली कमेटी (Advisory Committee) न हो, जिसको इस विषय मे, रेग्युलेशन के द्वारा, अधिकार दिया गया हो, या बोर्ड का कोई एक, या एक से अधिक, अफसर, या नौकर जिसको, या जिनको, अधिकार दिया गया हो, मजूर कर सकते है।

३ परन्तु शर्त यह है कि उस दशा मे जब किसी किये जाने वाले काम (Project) के नकशे और तखमीने बोर्ड ने किसी ऐसे नियम के अनुसार जो इस विषय मे बनाया गया हो, मजूर कर लिये हों, और उस काम का किया जाना बोर्ड ने किसी ऐसे इजिनियर को सौंप दिया हो, जो उसका नौकर हो, या उसके काम पर हो, तो बोर्ड को अधिकार होगा कि कमिश्नर की मजूरी पहिले से प्राप्त करके, रेजोल्यूशन के द्वारा, ऐसे इजिनियर को, उन कुल ठेकों के, या मुहाहिदो के या किसी विशेष प्रकार के एक या एक से अधिक ठेकों के, या मुआहदों के, मजूर करने का, जिनकी कि आवश्यकता किये जाने वाले काम (Project) के पूरा करने के लिये हो अधिकार दे, और इस तरह इस प्रकार दिये हुए अधिकार को बरतनेके सम्बन्धमे कोई शर्त या बन्धेज लगाये।

नोट—ठेकों की मजूरी देने के अधिकार को बोर्ड कमेटियों आदि को सौंप सकता है देखिये C O. No 1328 x| 5 H ता० १९ जून सन १९१६ ई० जो दफा ११२ की व्याख्या में दिया गया है।

दफा ९७ मुआहिदों अथवा ठेकोंकी लिखा पढ़ी

१ प्रत्येक मुआहिदा या ठेका जो बोर्ड करे या दे या बोर्ड की ओर से किया जाय या दिया जाय, और जिसकी मालिअत या रकम ढाई सौ रुपये से अधिक हो लिखित होगा।

२ प्रत्येक ऐसे मुआहिदे या ठेके नामे पर—

(ए) चेयरमैन, या वाईस चेयरमैन, और एक्जिक्युटिव अफसर या किसी एक सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होंगे। या

(बी) किसी ऐसे शख्स या ऐसे शख्सो के हस्ताक्षर होगे जिसको या जिनको पूर्वोक्त दफा की उप दफा (२) या (३) के अनुसार मुआहिदे या ठेके की मंजूरी का अधिकार दिया गया है, यदि बोर्ड ने उसको या उनको इस विषय मे भी अधिकार उसी प्रकार दिया हो।

३ अगर कोई मुआहिदा या ठेका जिस पर इस दफा के पूर्वोक्त हुक्म लागू हों, सिवाय उक्त हुक्मों के अनुसार, किसी अन्य प्रकार किया जायगा तो बोर्ड पर उसका बन्धन (पाबन्दी) न होगा।

व्याख्या—

जब कि किसी बोर्ड ने सड़क पर कूटने के लिये पत्थर के टुकड़े देने के टेण्डर (Tender) मांगे और एक शख्स राधाकृष्ण का टेण्डर रेजोल्यूशन के द्वारा स्वीकारकर लिया गया। कुछ पत्थर इस रेजोल्यूशन के अनुसार बोर्ड को दिया भी गया, और उसके दाम बोर्ड की ओरसे अदा किये गये।

तत्पश्चात् बोर्ड ने पत्थर लेने से इनकार कर दिया, तब राधाकृष्ण ने बोर्ड पर दावा किया। कोई मुआहिदा लिखा हुआ इस विषय में नहीं था, केवल बोर्ड का लिखा हुआ रेजोल्यूशन मौजूद था। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि जो मुआहिदा राधाकृष्ण वगैरह और म्यूनिसिपल्टी से हुआ (उसको इस प्रकार लिखा पढ़ी न किये जाने के कारण और दस्तख़त न किये जाने के कारण, जैसी कि म्यूनिसिपल्टीज़ एक्ट की आज्ञा है)। उसके आधार पर म्यूनिसिपल्टी पर दावा नहीं किया जा सकता चाहे उस मुआहदे के अनुसार कुछ पत्थर राधाकृष्ण वगैरह ने दिया भी हो। कानून मुआहदा (Contract Act) की दफा ६५ और ७० और ७३ से राधाकृष्ण वगैरह को कोई सहायता नहीं मिलती देखिये राधाकृष्ण वगैरह बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड बनारस, 1905 A W N 111; 2 A L J 321 परन्तु जब एक मुआहिदेकी दस्तावेज लिखी गई और ठेकेदार ने उस पर दस्तख़त किये, और दस्तावेज की पीठ पर वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी के भी दस्तख़त हुये और दस्तावेज की शर्तों का, तथा बोर्ड की मंजूरी प्राप्त होने का हवाला दिया गया तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि एक्ट नं० १ सन १९००ई० की दफा ४७ के हुक्मों का पालन होगया। (देखिये म्यूनिसिपल बोर्ड नजीबाबाद बनाम शिवजराम 2 A L J 216)

नोट—एक्ट नं० १ सन १९०० की दफ़ा ४७ हाल की एक्ट की इस दफ़ा ९७ के समान थी।

दफा ९८ दस्तावेजों की रजिस्टरी

उस दशामें जब कि रजिस्टरीका एक्ट सन १९०८ ई० (Indian Registration Act 1908), या कोई क़ायदा जो उस क़ानून के अनुसार बनाया गया हो, किसीदस्तावेज़ के विषय में कोई काम करने की आज्ञा या इजाजत, उस शख़्स को जिसने वह दस्तावेज लिखी हो, या उस शख़्स को जिसको उस दस्तावेज से कोई हक़ प्राप्त होता हो, दी हो, और दस्तावेज बोर्ड की ओर से लिखी गई हो, या वह ऐसी दस्तावेज हो जिसके अनुसार बोर्ड को कोई हक़ प्राप्त होता हो, तो ऐसा काम, चाहे उसके विरुद्ध कोई हुक्म पूर्व कथित क़ानून में हो, या उसके अनुसार बनाये हुये किसी नियम में हो, चेयरमैन या एक्जिक्युटिव अफ़सर या बोर्ड का सेक्रेटरी या बोर्ड का अन्य कोई अफ़सर, जिसको रेगुलेशन के द्वारा इस विषय में अधिकार दिया गया हो, कर सकता है।

—व्याख्या—

इस दफा के अनुसार, रजिस्टरी कराने में जिन कामों की आवश्यता होती है, जैसे दस्तावेज को रजिस्टरी के लिये पेश करना, अथवा उसको रजिस्टरी हो जाने पर वापिस लेना, इत्यादि, सब कामों को चेयरमैन या दफा में अंकित किये हुये कोई अफसर कर सकता है।

बजट (Budget)

दफा ९९ बजट

१ प्रत्येक बोर्ड एक पूरा हिसाब वास्तविक आमदनी और खर्च का, तथा उस आमदनी और खर्च का जिसके होने की आशा हो, उस वर्ष के विषय में जो उस ३१ मार्च को समाप्त होती हो जो उस तारीख़ के बाद पड़े जो इस विषय मे नियम के द्वारा

नियत की जाय, तैयार करायेगा। और साथ ही साथ बोर्ड की आमदनी और खर्च का तखमीना बजट, उस वर्ष के विषय मे जो आगामी पहिली अप्रैल को प्रारम्भ होती हो तैयार करायेगा और उसको एक ऐसी मीटिंग मे पेश करायेगा जो प्रति वर्ष उस तारीख से पूर्व जो इस विषय मे नियम के द्वारा नियत की जाय, होगी।

२ दफा १०२ के हुक्मों के आधीन बोर्ड उक्त मीटिंग मे उन रकमों को जो तखमीना बजट मे भिन्न २ मदो के व्यय के लिये रखी गई हों (Appropriations) और आमदनी के उन उपायों को (Ways & means) जो उसमे दर्ज हो, निश्चय करेगा, और विशेष रेज़ोल्यूशन के द्वारा एक बजट मंजूर करेगा, जो प्रान्तीय सरकार के पास, या ऐसे अफसरों के पास भेजा जायगा, जिनके पास भेजे जाने का प्रान्तीय सरकार ने हुक्म दिया हो।

३ ऐसे ही हुक्मो के आधीन समय समय पर, जब कभी, हालत पर दृष्टि करके, ऐसा करना उचित जान पडे, तो बोर्ड उस बजट को जो उप दफा (२) के अनुसार मंजूर किया गया हो, विशेष रेज़ोल्यूशन के द्वारा कम बढ़ कर सकता है, या उसमे परिवर्तन कर सकता है।

व्याख्या—

यह बात स्मरणीय है कि सरकारी विभागों के काम काज किये जाने के लिये जो वर्ष माना जाता है वह पहिली अप्रैल से आरम्भ होता है और ३१ मार्च को समाप्त हुआ करता है।

—(उपदफा १) प्रान्तीय सरकार ने, नियम द्वारा, उस मीटिङ्ग के लिये जिसमें बजटकी मंजूरी दी जायगी यह आज्ञा दी है कि वह १५ मार्च से पहले करली जाय। यदि १४ मार्च को कोई बोर्ड बजट की मंजूरी के लिये मीटिंग करे, तो उप दफा (१) के अनुसार आवश्यक होगा कि गत वर्ष की पहिली अप्रैल से इस वर्ष की १४ मार्च तक, जो वास्तविक आमदनी और खर्च हुआ हो उसका हिसाब तैयार कराया जावे, तथा १४ मार्च से ३१ मार्च तक (अर्थात जो दिन कि चालू वर्ष में बाकी रह गये हों) जो आमदनी और खर्च होने की आशा की जाय, इसका भी हिसाब तैयार कराये। और इसी चालू साल की आमदनी और खर्चों के द्वारा अनुमान करके आगामी वर्ष जो पहली अप्रैल से आरम्भ होगा, के लिये भी एक तखमीना बजट (अर्थात अनुमान से जो आमदनी और खर्च उस में होगा) तैयार करावे।

—बजट के लिये नीचे लिखे नियम प्रान्तीय सरकार ने बनाये हैं —

१ बजट इस फारम A के अनुसार तैयार किया जायगा जो नियमों के संग दिया गया है।

२ बजटके संग एक सूची फारम B के अनुसार होगी जिसके द्वारा यह बताया जायगा कि कौन २ से नये काम (Original works) उस वर्षमें बोर्ड करनेका प्रस्ताव करता है, और अन्य बातें जिनके लिये उक्त फारम में खाने रखे गये हैं वह भी दिखाई जायगी। यह सूची बजट का भाग मानी जायगी।

३ ता० १५ मार्च से पूर्व एक मीटिङ्गकी जायगी जिसमें कि बजट पर विचार किया जायगा, और उसकी मंजूरी दी जायगी सिवाय उन ऋणी बोर्डों में जिनके विषय में कोई हुक्म दफा १०२ के अनुसार दिया जा चुका है। ऋणी बोर्डों में ऐसी मीटिंग १५ फरवरी से पूर्व की जायगी।

४ जब किसी ऋणी बोर्ड, जिसके विषयमें कोई हुक्म दफा १०२ के अनुसार दिया गया हो, के बजट की मंजूरी कमिश्नर दे दे तो बिना कमिश्नर की पहले से मंजूरी प्राप्त किये हुये बोर्ड किसी रकम को अन्तिम बाकी (Closing balance) से किसी मदमें न ले जायगा न उसमें से कोई रकम किसी ऐसी वृद्धि के पूरा करने के लिये बदलके लेजाई जायगी, जो वृद्धि उन खर्चों में हो जो कि बार २ हुआ करते हैं (Recurring Charges), न उन खर्चों में, जो कि भिन्न २ मदों के लिये फारम B में दर्ज किये गये हों, कोई परिवर्तन किया जायगा।

५ दुहराया हुआ बजट फारम A. के अनुसार तैय्यार किया जायगा, केवल उसमें नीचे लिखे परिवर्तन कर दिये जायगे —

(१) खाना नं० ३ में गत आर्थिक वर्ष (Financial year) की वास्तविक आमदनी और खर्च, अर्थात जिस वर्ष का कि हिसाब तैयार करके बन्द किया जा चुका हो दिया जायगा।

(२) खाना नं० ४ मे वह प्रथम तखमीना (Original Estimate) उस चालू साल का, जिसमें कि दुहराया हुआ बजट तैयार किया जा रहा हो दिया जायगा।

(३) खाना नं० ५ में चालू साल के उस मास तक की वास्तविक आमदनी और खर्च, जिस मास तक का कि हिसाब तैयार हो चुका हो, दिया जायगा।

(४) खाना नं० ६ में दुहराया हुआ तखमीना दिया जायगा।

—उप दफा (२) के हुक्म के सम्बन्धमें प्रान्तीय सरकार की आज्ञा है कि मंजूर किया हुआ बजट कमिश्नर को और जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जाय। पानी के कारखाने और पानी के निकासके कामो के (Works & Drainage) लिये जो बजट का तखमीना हो, उसकी नकलें सरकारके सेनिटेरी इञ्जिनियरको भेजी जाय।

(देखिये G O. No 1860 xı 10 H, तारीख १ जुलाई सन१९१६ई०)

फार्म (ए)

Form A.

बजट का ब्योरा (Budget Statement)

आमदनी और खर्च का तखमीना (अनुमान से) . की म्यूनिसिपल्टी की जन संख्या ...

आमदनी का तखमीना।

मद का नम्बर	आमदनी की मद	गत वर्ष की वास्तविक आमदनी	चालू वर्ष का तखमीना	प्रथम छ मास की वास्तविक आमदनी १९ १९	१९ १९ .. का तखमीना
१	२	३	४	५	६
		रु आ पा	रु आ पा	रु आ पा	रु आ पा
	बाकी जो गत वर्षके समाप्त होने पर बची थी				
१	म्यूनिसिपल महसूल (Rates) और कर (Taxes)				
२	चुंगी *				
३	इमारतों और आराजियोंके वार्षिक मूल्यका कर				
४	जानवरों और गाडियोंका कर				
	(ए) गाड़ियों और अन्य सवारियोंका टैक्स और नाव (नौका) का टैक्स (कर)				
	(बी) कुत्तोंका टैक्स				
	(सी) उन जानवरोंका कर जो सवारीकी, गाडियोंमें जोतनेइत्यादिके कामोंमें आते हैं				

* पूरी आमदनी (Gross) रु॰ , वापसिया रु॰ , खालिस आमदनी (अर्थात् वापसियोंको छोड के) रु॰

नोट—जो रकम कि वापसियोंमें खर्च की गई हो, वह इस फारम (ए) के खर्च की तरफ नहीं दिखाई जायगी। खालिस आमदनी इस फारम के नकशे में आमदनी की तरफ दिखाई जायगी। खालिस आमदनी जिन्सवारों के द्वारा निर्णय की जायगी (फारम न॰ १० और (५) जो चुंगी के सदर दफतर में तैयार किये जाते हैं) साथ ही चुंगी की उस खालिस आमदनी की रकम में, इसका मिलान किया जायगा, जो कुल आमदनी (Gross) म से वापसियों को घटा के आवे। इन दोनों विधियों से जो रकमें आवें, यदि उनमें परस्पर अंतर हो तो, जब आवश्यक हो, एसे अंतर का कारण बताना चाहिये।

मद् का नम्बर	आमदनी की मद	गत वर्ष की वास्तविक आमदनी	चालू वर्ष का तख़मीना	प्रथम छ मास की वास्तविक आमदनी १९ १९	१९ १९ का तख़मीना
१	२	३	४	५	६
		र आ पा	र आ पा	र आ पा	रु आ पा
५	व्यापारों, पेशों और कामों का टैक्स				
	(ए) व्यापारों, पेशों और कामोंका टैक्स (कर)				
	(बी) विशेष व्यापारों और पेशों का कर				
६	टोल अर्थात् प्रवेशकर (सड़कों और जलमार्गों पर)				
७	पानी का कर (Water tax)				
८	रोशनी का महसूल				
९	सफाई के कर (कूड़ा उठाने तथा पाख़ाने का)				
१०	अन्य कर *				
१०ए	. . . . .				
१०बी	.				
११	महसूलों और करों का जोड़ (मीजान) दूसरे पन्ने पर लेजाया गया (Carried over)				

* सब करों की अलग २ आमदनी अलग २ मदों में दिखाना चाहिये, चाहे जितनी मदें डालना पड़ें, जैसे, हैसियत और जायदाद पर टैक्स, यात्रियों पर टैक्स इत्यादि ।

मद का नम्बर	आमदनी की मद	गत वर्ष की वास्तविक आमदनी	चालू वर्ष का तख़मीना	प्रथम ६ मास की वास्तविक आमदनी १९...१९...	१९...१९... का तख़मीना
१	२	३	४	५	६
		रु आ. पा	रु. आ पा	रु आ पा	रु आ पा.
	पिछले पन्नेसे लाया गया(Brought forward)				
	विशेष एक्टों (Special Acts) द्वारा आमदनी				
१२	बाडोंसे (Pounds कांजी होज) ...				
१३	किराये की गाडियोंसे ...				
१४	शराबों और औषधियोंके लैसन्सोंसे ...				
१४ए	अन्य बातोंसे *				
१५	जोड (मीजान)				
	करोंसे अलग, जो आमदनी म्यूनिसिपल जाय दाद तथा अधिकारों के द्वारा हो ...				
१६	आराजियों,मकानों,सरायां,डाक बङ्गलों, का किराया				
१७	आराजियों की तथा आराजियों की उपज, के बिकने से आमदनी				
१८	सफाईसे आमदनी(करों और महसूलोंके अतिरिक्त)				
१९	शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओंसे फीसें और अन्यआमदनी				
२०	रोग चिकित्सा की संस्थाओं (Medical Istitutions) से फीसें और अन्य आमदनी				
२१	मण्डियों,बध स्थानोंसे फीसोंकी,और अन्य,आमदनी				
२१ए	मण्डियां (बाजार) ..				
२१बी	बध-स्थान .				
२२	ट्राम्वे(Tramway)से फीसें और अन्य आमदनी				
२३	पानी की बिक्री—				
	(१) पानी की बिक्री से आमदनी .				
	(२) मीटरों (Meters) का किराया ..				
	(३) अन्य मदें ...				
२३ए	नक़लों की फीस				
२३बी	मेले ..				
२३सी	रजिस्ट्री की फीसें				
२३डी	बैल गाडियों (Carts) के लैसन्स की फीसें				
२३ई	मुतफ़र्रिक़ ..				
२४	म्यूनिसिपल और अन्य एक्टोंके अनुसार जुर्माने				
	रुपये का सूद				
२५	साधारण मतलबों के लिये ...				
२६	शिक्षा के "				
२७	रोग-चिकित्सा ..				
२८	क़र्ज़े का प्रिमियम (Premium) ..				
२९	जोड (मीजान)				
	दूसरे पन्ने पर ले जाया गया				

* विशेष क़ानूनों (Special Acts) के अनुसार जो जुर्माने मुकदमेमें किये जाय, वह "जुर्माने" की मद (न० २४) में डाली जाना चाहिये ।

मद का नम्बर	आमदनी की मद	गत वर्ष की वास्तविक आमदनी	चालू वर्ष का तखमीना	प्रथम ७ मास की वास्तविक आमदनी १९ से १९	१९ से १९ का तखमीना
१	२	३	४	५	६
		रु आ पा	रु आ पा	रु आ पा	रु आ पा
	पिछले पन्ने से लाया गया				
	सरकार आदि के द्वारा प्रदान की हुई रकमें (Grants) और चन्दे (Contributions) साधारण और विशेष मतलबों के लिये—				
	सरकार से				
३०	साधारण मतलबों के लिये				
३१	शिक्षा के " " "				
३२	रोग चिकित्सा के " "				
	स्थानीय कोषों से (From local funds)				
३३	साधारण मतलबों के लिये				
३४	शिक्षा के " "				
३५	रोग-चिकित्सा के "				
	अन्य जरियों से				
३६	साधारण मतलबों के लिये				
३७	शिक्षा के " "				
३८	रोग चिकित्साके "				
३९	जोड़ (मीजान)				
	मुतफर्रिक़				
४०	सर्व साधारण में से किसी व्यक्ति की जो सेवा की गई हो उसके विषय में वसूली				
४१	अन्य मदें				
४२	जोड़				
४३	वर्षकी पूरी आमदनी—गत वर्षकी बाकीको छोड़के				
	असाधारण (Extraordinary) और ऋण				
४४	सरकारी नोट आदि (Securities) की बिक्रीसे आमदनी और सेविंग्स बंकसे रुपया उठाने से				
४५	ऋण { सरकार से				
४६	ऋण { जो खुले बाजार (Open market) में लिया गया				
४७	सिंकिंग कोष (Sinking fund) में से लिया गया ऋण चुकाने को				
	जोड़				
	दूसरे पन्ने पर ले जाया गया				

मद का नम्बर	आमदनी की मद	गत वर्ष की वास्तविक आमदनी	चालू वर्ष का तखमीना	प्रथम छ मास की वास्तविक आमदनी १९....१९..के	१९...१९.. का तखमीना
१	२	३	४	५	६
		रु आ पा	रु आ पा	रु आ. पा	रु आ पा
	पिछले पन्ने से लाया गया				
४८	पेशगी दी हुई रकमें { स्थाई				
४९	{ दूसरी				
५०	जमा की हुई रकमें				
५१	जोड				
५२*	कुल आमदनी, गत वर्ष की बाकी को छोडके				
५३*	कुल आमदनी, गत वर्ष की बाकी सहित				
५४	आबादी के प्रति व्यक्ति पर कितना कर पडा (मद ११)				
५५	आबादी के प्रति व्यक्तिसे कितनी आमदनी पडी				

* इस मद में मद ४३ और मद ५१ का जोड दिखाना चाहिये।

* ,, ,, ,, १ ,, ,, ५२ का जोड दिखाना चाहिये।

तखमीना (अनुमान) किये हुये खर्च

मद का नम्बर	खर्च की मदें	गत वर्ष का वास्तविक खर्च	चालू वर्ष के खर्च के तखमीने	१९ के पहले ७ मास के वास्तविक खर्च	१९ १९ के लिये तखमीना
१	२	३	४	५	६
		रु आ पा	रु आ पा	रु आ पा	रु आ पा
	साधारण शासन और रुपया वसूल करनेमें खर्च				
१	साधारण शासन (दफ्तरके कर्मचारी, मुआइना, अवैतनिक मजिस्ट्रेटके कर्मचारी, इत्यादि)				
२	करोंका जमा किया जाना, जिसमें माल रखनेके गोदामभी शामिल है (कर्मचारी, हिसाबके रजिस्टरों और कागजकी खरीदारी, रुपयेके बक्स(गोलकें चौकियोंकी मरम्मत, इत्यादि)				
३	प्रवेश करों का सड्कों तथा जल मार्गों पर जमा करने का खर्च				
४	आराजियों की पैमाइश ..				
५	वापसियां (सिवाय चुंगी की वापसियों के)				
६	पेन्शनें और इनाम (Gratuities)				
७	वार्षिक वजीफे (Annuities)				
	जोड़				
	जनता की सुरक्षता				
८	आग (कर्मचारी, इन्जनों का मोल लेना, बालटियां, मरम्मत, इत्यादि) ...				
९	रोशनी(लैंप मोल लेना,तेल,मरम्मत इत्यादि)				
१०	पुलिस (कर्मचारी, कपड़ोंकी खरीदारी, लालटेनें, इत्यादि चौकियों की मरम्मत) ..				
११	जंगली जन्तुओं और सापों के मारने के इनाम				
	जोड़				

(अपूर्ण है आगे वाले पेज को इसमें शामिल समझिये)

मद का नम्बर	खर्चे की मदें	गत वर्ष का वास्तविक खर्च	चालू वर्ष के खर्च के तखमीने	१९. १९ के पहले ७ मास के वास्तविक खर्च	१९ १९ के लिये तखमीना
१	२	३	४	५	६
		रु आ पा	रु आ पा	रु आ पा	रु आ पा
	सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुख (Convenience)				
१२	पानी का कारखाना { बनाने का प्रारम्भिक खर्च				
१३	पानी का कारखाना { कर्मचारी, मरम्मत, इत्यादि				
१४	पानी के निकास के काम { बनाने का प्रारम्भिक खर्च				
१५	पानी के निकास के काम { कर्मचारी, मरम्मत इत्यादि				
१६	सफाई (जिसमें शामिल होंगी सडककी सफाई, छिडकाव और बम्पुलिस)				
	(ए) नीची श्रेणी के कर्मचारी				
	(बी) पशुओं का मूल्य और खुराक				
	(सी) वह वस्तुयें और तामीरें जो इस काम के लिये चाहिये होती हैं (Plant) तथा मुतफर्रिक खर्च				
	(डी) सडकों पर छिडकाव				
१७	हेल्थ अफसरों तथा सेनिटेरी इन्सपेक्टरके हिसाब में खर्च				
१८	अस्पताल और औषधालय				
१९	ताऊन (Plague) के खर्च				
२०	सीतला का टीका (Vaccination)				
	जोड जो दूसरे पेज पर ले जाया गया				

(इस पेज को इससे पहले पेज में शामिल समझिये)

मद का नम्बर	खर्च की मदें	गत वर्ष का वास्तविक खर्च	चालू सालके खर्च के तखमीने	१९ १९ के पहले छ मास के वास्तविक खर्च	१९ १९ के लिये तखमीना
१	२	३	४	५	६
		रु आ पा	रु आ पा	रु आ पा	रु आ पा
	पिछले पन्नेका जोड़ (Brought forward)				
२१	आरोग्यता सम्बन्धी अन्य आवश्यकतायें				
२२	बाजार और वध स्थान				
२३	बाड़े (Pounds)				
२४	डाक बंगले और सराय				
२५	पेड़ लगाना (Arboriculture), सार्वजनिक बाग और तजरबा करने के लिये खेती				
२६	पशुओं के रोग चिकित्सा का खर्च (Veterinary Charges)				
२७	पैदाइश और मौतों का रजिस्टर किया जाना				
२८	सार्वजनिक काम — कर्मचारी * ...				
२९	सार्वजनिक काम — इमारतें				
३०	सार्वजनिक काम — सड़कें				
३१	सार्वजनिक काम — वस्तुयें (गोदाम)				
	जोड़ ...				
	सार्वजनिक शिक्षा—				
३२	स्कूल और कालेज				
३२ए	स्कूल की इमारतों का बनाना और मरम्मत				
३२बी	जमीन की खरीदारी और मुआविजा, जो स्कूलों के लिये ली गई				
३३	चन्दे (Contributions) ...				
३४	पुस्तकालय, अजायब घर, पशुशाले, इत्यादि				
३५	जोड़				

* इंजिनियरी के उन कर्मचारियों का कुल खर्च, जो किसी विशेष निर्माण या काम के लिये न रखे गये हों, मद २८ में दिखाना चाहिये। परन्तु उन दशाओं में जिनमें कि कोई इन्जिनियर, पूर्णतया किसी विशेष मद काम के लिये रखा गया हो, तो उसकी तनख्वाह उसी मद में दिखाना चाहिये (G O No. 4668 x1—10 H, ता० ११ नवम्बर सन १९११ ई०)।

मद् का नम्बर	खर्च की मदें	गत वर्ष का वास्तविक खर्च	चालू साल के खर्च के तख़मीने	१९ १९ के पहले ७ मास के वास्तविक खर्च	१९ १९ के लिये तख़मीना
१	२	३	४	५	६
		रु आ पा	रु आ पा.	रु आ पा	रु आ पा.
	चन्दे*				
३६	साधारण मतलबों के लिये ...				
	मुतफर्रिक़ ..				
३७	(ऋणपर ब्याज) गत वर्ष के हिसाब में ब्याज				
३८	(ऋणपर ब्याज) चालू साल का ब्याज ..				
३९	डिसकाउट (अर्थात् बट्टा या मितीकाटा)				
४०	जो काम निजी शख़्सों के लिये किये गये हों उनका वास्तविक खर्च ..				
४१	(अन्य मद्) छपाई का खर्च				
४१ए	(अन्य मद्) कानून का खर्च (अर्थात मुकद्दमों, रजिस्ट्री कराने आदि का)				
४१बी	(अन्य मद्) प्राविडेंट फण्ड				
४१सी	(अन्य मद्) नजूल की आय में सरकार का हिस्सा				
४१डी	(अन्य मद्) किराया ..				
४१ई	(अन्य मद्) मेले .				
४१एफ	(अन्य मद्) मुतफर्रिक				
४३	जोड़ ..				
४४	खर्चों का सम्पूर्ण जोड़ ...				
	दूसरे पन्ने पर ले जाया गया .				

* जिन मतलबों के लिये चन्दे दिये जाय वह अलग २ उन्हीं मदों में दिखाये जाय, जैसे स्कूलों के लिये चन्दा, या सार्वजनिक शिक्षा के लिये, इत्यादि। जो चन्दे कि किसी विशेष मतलब के लिये न दिये गये हों, या जो किसी ऐसे मतलब के लिये दिये गये हों जिसकी अलग मद न हो, वह इस मद में रखे जाय।

मद का नम्बर	ख़र्च की मदें	गत वर्ष का वास्तविक ख़र्च	चालू वर्ष के ख़र्च के तख़मीने	१९ १९ के पहले ७ मास के वास्तविक ख़र्च	१९ १९ के लिये तख़मीना
१	२	३	४	५	६
		रु आ पा	रु. आ पा	रु आ पा	रु आ पा
	पिछले पन्ने का जोड़				
	असाधारण और ऋण				
४५	ब्याज पर लगाया हुआ रु० — जमानतों में (Securities) (सिंकिंग फंडके अतिरिक्त)				
४६	ब्याज पर लगाया हुआ रु० — सेविंग्स बैंक में				
४७	रकमें जो सिंकिंग फंड को दी गईं				
४८	ऋणों की अदायगी				
४९	पेशगी रकम { स्थाई (Permanent)				
५०	पेशगी रकम { अन्य				
५१	रकमें जो जमा की गईं				
५२	जोड़				
५३	कुल खर्च ×				
	बाकी—				
५४	रकमें जो जमा की गईं				
५५	वास्तविक बाकी				
५६	जोड़				
५७	सम्पूर्ण जोड़ (Grand Total) *				
५८	रकमें जो ब्याज आदि पर लगाई गईं				
५९	स्थाई रूप से दी हुई पेशगी रकमें				

× इस मद में, नं० ४४ और नं० ५२ का जोड़ दिखाना चाहिये।
* ,, ,, ,, नं० ५३ ,, ,, ५६ ,, ,, ,, ,,

वर्ष की समाप्ति पर जो चेक (Cheque) भुनाये न गये हों उनकी रकमें मद ५४ में नहीं दिखाना चाहिये, ऐसे चेकों के विषय में कैफ़ियत के नीचे एक सादा नोट लिख देना चाहिये। (G O No 825 ×I—19 H ता० पहिली नवम्बर सन १९१९ ई०)

दस्तख़त एक्ज़िक्यूटिव अफ़सर के— / सेक्रेटरी के—		चेयरमैन के दस्तख़त

ता० सन १९ ई०

दफा १०० दुहराया हुआ बजट

अक्टूबर की पहिली तारीखके पश्चात् जितना जल्द सम्भव हो वर्ष के लिये एक दुहाराया हुआ बजट तैयार किया जायगा। और जहां तक हो सके ऐसा दुहराया हुआ बजट उन सब हुक्मों के आधीन होगा जो दफा ९९ के अनुसार बनाये हुए बजट पर लागू होते हैं।

व्याख्या—

अप्रैल से अक्टूबर तक, ६ मास की आमदनी और खर्च के अनुभव से, तखमीना बजट की बहुत सी त्रुटियां ठीक कर दी जा सकती हैं, इसी उद्देश्य से इस दफाके अनुसार दुहराया हुआ बजट बना लिया जाता है। दुहराये हुए बजट के नक्शे (फारम) के लिये देखिये नियम जो प्रान्तीय सरकार ने बजट के सम्बन्ध में बनाये हैं और जो दफा ९९ की व्याख्या में दिये गये हैं।

दफा १०१ साल समाप्त होनेपर की कम से कम बाक़ी जो बजट में दिखाई जाय (Minimum closing balance)

बोर्ड का कर्तव्य होगा कि बजट बनाने मे ऐसा प्रबन्ध कर दे कि साल समाप्त पर की बाक़ी कम से कम उतनी रहे (यदि कोई बाकी हो) जितनी कि प्रान्तीय सरकार, हुक्म के द्वारा नियमित कर दे।

व्याख्या—

इस बात की कोई मनाही नहीं है कि कोई बोर्ड उस कम से कम बाकी से, जो दफा१०१ के अनुसार उसको साल समाप्त होनेपर बचाना चाहिये (Minimum Closing balance) अधिक बचत करले, और उस दशा में जब कि म्यूनिसिपलटी में आरोग्यता (Sanitation) की उन्नति करने का विचार हो, या आरोग्यता के सम्बन्ध में कोई उन्नति करने की आवश्यकता पड़ने की सम्भावना हो, जिसके लिये कि व्यय किसी एक वर्ष की आमदनी से सुविधा के साथ न किया जा सकता हो तो बोर्ड को ऐसी अधिक बचत करने का उत्साह देना चाहिये।

(देखिये G O No- 2290 xi 428 B तारीख २ अक्टूबर सन १८९७ ई०)

—एक्ट की दफा ३२७ के अनुसार प्रान्तीय सरकार ने उस कम से कम रकम के नियमित करने का अधिकार जो बोर्डों को साल समाप्त पर बचाना चाहिये कमिश्नरों को सौंप दिया है।

(देखिये विज्ञापन No 1858 xi—10—H तारीख ३ जुलाई सन १९११ ई०)

—साल समाप्ति की कम से कम बचत के नियत करने के लिये जो हिदायतें कमिश्नरों को दी गई हैं उसके लिये देखिये म्यूनिसिपल मैन्युअल के पन्ने २३९ और २४०।

दफा १०२ ऋणी बोर्डका बजट

जब प्रान्तीय सरकार की राय मे, किसी बोर्ड के ऋणी होने के कारण, ऐसी दशा हो कि उसके बजट पर सरकार का अधिकार रहना उचित जान पड़े, तो प्रान्तीय सरकार, ऐसे हुक्म के द्वारा जिससे यह घोषित किया जाय कि दशा इस प्रकार की है, यह आज्ञा दे सकती है कि ऐसे बोर्ड के बजट के विषय में प्रान्तीय सरकार या कमि

श्नर की मंजूरी आवश्यक होगी, और यह कि दफा ९९ की उप दफा (३) के अनुसार बजट में कम बढ़ करने, या उसमें परिवर्तन करने का अधिकार उन शर्तों के आधीन होगा जो नियम द्वारा नियमित कर दी जाय।

नोट—बजट के सम्बन्ध में जो नियम बनाये गये हैं और जो दफा ९९ की व्याख्या में दिये गये है, उनमें से देखिये नियम न० ४।

दफा १०३ बजट द्वारा नियत किये हुए खर्चसे अधिक खर्च करने की मनाही

१ जब कोई बजट मंजूर हो चुका हो तो बोर्ड कोई खर्च, बजट की मदों में से किसी मद में, सिवाय उस मद के जिसके द्वारा करों की वापसी का प्रबन्ध रखा गया हो, उस रकम से अधिक न करेगा जो उस मद के लिये मंजूर हुई हो जब तक कि ऐसे अधिक खर्च का प्रबन्ध बजट में कम बढ़ करने, या परिवर्तन करने, के द्वारा न करदे।

२ जब किसी ऐसी मद में, जिसमें करों की वापसी का प्रबन्ध रखा गया हो, कोई खर्च उस रकम से अधिक किया जाय जो उस मद के लिये मंजूर हुई हो, तो बोर्ड ऐसे खर्च का प्रबन्ध बिना विलम्ब किये बजट में कम बढ़ करके, या उस में परिवर्तन करके, कर देगा।

व्याख्या—

बजट की सब मदों के खर्च अपने हाथ के होते हैं, और यदि किसी मद के लिये मंजूर की हुई रकम सब खर्च हो जाय, तो बोर्ड आज्ञा दे सकता है कि आगे उस मद में कोई रकम खर्च न की जाय। केवल वापसियों की एक ऐसी मद है जिसका खर्च बन्द नहीं किया जा सकता, चाहे उसके लिये मंजूर की हुई कुल रकम खर्च हो चुके। अतएव वापसी की मद के लिये इस दफा में आज्ञा दे दी गई है, कि यदि आवश्यकता हो तो, मंजूर की हुई रकम से अधिक रकम उसमें खर्च की जा सकती है।

कमेटियां और ज्वाइन्ट कमेटियां

(Committees and Joint Committees)

दफा १०४ कमेटियोंका नियत किया जाना

१ कोई बोर्ड —

(ए) रेग्युलेशन के द्वारा ऐसी कमेटियां स्थापित कर सकता है जो वह उन अधिकारों के बरतने, या उन कर्तव्यों का पालन करने, या उन कामों को करने, के मतलब के लिये उचित समझे जो दफा ११२ के अनुसार किसी कमेटी को सौंपे जा सकते हों। और

(बी) रेजोल्यूशन के द्वारा अपने मेम्बरों में से उन शख्सों को जिनको वह उचित समझे, किसी ऐसी अवधि के लिये जो एक वर्ष से अधिक न हो, इस प्रकार स्थापित की हुई किसी कमेटी में, नियुक्त कर सकता है। और

(सी) रेजोल्यूशन के द्वारा किसी मेम्बर को, जो क्लाज (बी) के अनुसार नियुक्त किया गया हो कमेटी से हटा सकता है।

२ परन्तु शर्त यह है कि बोर्ड समय २ पर रेजोल्यूशन के द्वारा एक या एक से अधिक सलाह देने वाली कमेटी, (Advisory committee) किसी ऐसे मुआमले के सम्बन्ध में तहकीकात (छानबीन) और रिपोर्ट करने के अभिप्राय से स्थापित कर सकता है, जिसके विषय में इस एक्ट के अनुसार बोर्ड की सम्मति चाही गई हो, और ऐसी सलाह देने वाली कमेटी या कमेटियों के मेम्बर नियुक्त कर सकता है।

व्याख्या—

जो अधिकार और कर्तव्य और काम कमेटियों को सौंपे जा सकते हैं उनका वृत्तान्त दफा ११२ में दिया गया है। ऐसी कमेटियों के बनाने के लिये बोर्ड रेग्युलेशन के द्वारा काम करेगा। जो मेम्बर इन कमेटियों में काम करने के लिये नियुक्त किये जायगे वह एक वर्ष से अधिक के लिये नहीं नियुक्त किये जा सकेंगे। दफा २९७ की उप दफा (१) क्लॉज (डी) के अनुसार बोर्ड को कमेटियों के सम्बन्ध में रेग्युलेशन बनाने का अधिकार दिया गया है कमेटियों को अधिकार सौंपे जाने के विषय में देखिये दफा ११२ और उसकी व्याख्या।

सलाह देने वाली कमेटियों को बोर्ड अपने रेजोल्यूशन के द्वारा स्थापित कर सकता है, रेग्युलेशन के द्वारा उनकी स्थापना किये जाने की आवश्यता नहीं है। सलाह देने वाली कमेटियों का केवल इतना ही काम होता है कि वे किसी विषय में तहकीकात करके बोर्ड को रिपोर्ट दे दें, अन्य कोई कर्तव्य या अधिकार उनको नहीं दिया जा सकता। जैसे यदि बोर्ड इस बात का पता लगाना चाहे कि उस म्यूनिसिपलटी में प्राथमिक शिक्षा बिना फीस के दी जाना चाहिये कि नहीं, और म्यूनिसिपलटी के निवासी अपने लडकों को स्कूलों में भेजने के लिये मजबूर किये जाय या नहीं, तो इन बातोका पता लगाने के लिये बोर्ड, रेजोल्यूशन के द्वारा, एक सलाह देने वाली कमेटी स्थापितकर सकता है। परन्तु यदि ऐसी कमेटी की रिपोर्ट पर म्यूनिसिपलटी में प्राथमिक शिक्षा बिना फीस दी जाने लगे, और निवासी अपने लडकों को भेजने के लिये मजबूर किये जाय, तो इन बातों का प्रबन्ध जो कमेटी करेगी उसको बोर्ड रेग्युलेशन के द्वारा स्थापित करेगा। किसी सलाह देने वाली कमेटी को ऐसा कोई काम नहीं सौंपा जा सकता।

—दफा २९७ के क्लॉज (डी) के अनुसार कमेटियों की स्थापना के लिये जो नमूने के रेग्युलेशन बनाये गये हैं उनमें नीचे लिखी कमेटियों के स्थापित किये जाने के लिये सिफारश है अर्थात (१) आर्थिक कमेटी (Finance Committee) (२) पब्लिक वर्क्स कमेटी (अर्थात जो सार्वजनिक काम म्यूनिसिपलटी की ओर से बनवाये जाते हैं उनकी देख भाल के लिये कमेटी, (३) पब्लिक हेल्थ कमेटी (अर्थात् जनता के स्वास्थ्य का प्रबन्ध करने वाली कमेटी) (४) चुङ्गी के कर की कमेटी। यह रेग्युलेशन म्यूनिसिपल मैन्युअल के पन्ने ४२८ और ४२९ मे दिये हैं।

नमूने के रेग्युलेशनों में कमेटियों के कर्तव्य इस प्रकार बतलाये गये हैं —

(ए) आर्थिक कमेटी के कर्तव्य—

१ आमदनी और खर्च के वार्षिक तखमीने तैयार करना।

२ भिन्न २ मदों (जो कि उन तखमीनों के भीतर हों किये

३ इस बात का इतमीनान (संतोष) करना, कि सब खर्च उचित मजूरी से, और बजट के तख़मीनों के अनुसार, और उन रक़मों के अनुसार जो बजट में प्रत्येक मद के लिये अलग कर दी गई हैं, किये गये हैं या किये जा रहे हैं।

४ बोर्ड के सामने पेश किये जाने से पूर्व मासिक हिसाब किताब जाचना।

५ रुपया जमा करने वाले कर्मचारियों के काम का मुआइना करना (सिवाय चुंगी के वसूल करने वाले कर्मचारियों के) और उनके हिसाब को जांचना।

६ यह बात देखना कि एक्ट की दफा ९६ और ९८ में जो हुक्म ठेकों या मुआहदों के विषय में हों, उनका ठीक तौर पर पालन किया जाय।

७ यह देखना कि सब विभागों के रजिस्टर असबाब (Stock books) और गोदाम के हिसाब, और औजारों तथा कलों आदिके रजिस्टर, रखे जाते हैं और यह बात देखना कि समय समय पर म्यूनिसिपलटी के असबाब और जायदाद का मिलान, उस विधि से जो कि म्युनिसिपल अकाउण्ट कोड (Municipal Account Code) नियमों के द्वारा नियमित है, कर लिया जाता है।

८ आर्थिक सम्बन्धी सब ऐसे मामलों पर, जो समय समय पर कमेटी से पूछे जाय, बोर्ड को सलाह देना।

९ एक्ट की दफाओं . के अनुसार बोर्ड के अधिकारों को बताना कर्तव्यों का पालन करना और कामों का करना।

नोट—कमेटियों के यह सब कर्तव्य नमूने के लिये बनाये गये हैं। इसी लिये नं० ९ में शब्द "दफाओं" के बाद जगह छोड़ दी गई है कि जिन २ दफाओं के अधिकार और कर्तव्य कोई बोर्ड आर्थिक कमेटी को सौंपे, उनके नम्बर इस छूटी हुई जगह में भर दिये जाय।

(बी) पब्लिक वर्क्स कमेटी के कर्तव्य—

१ जो रक़में कि सार्वजनिक कामों के लिये दी गई हों उनके खर्च करने के लिये प्रस्तावों पर विचार करना और ऐसे प्रस्तावों को तैयार करना।

२ इंजिनियर ओवरसियर, या सार्वजनिक कामों के सुपरिन्टेण्डेण्ट से सार्वजनिक कामों के तख़मीने मंगाना (तलब करना) उन तख़मीनों की जांच करना, और इस बात की सलाह देना कि ऐसे काम किस क्रम से किये जायें।

३ इस बातका देखना कि नापके रजिस्टर (Measurement Books) ठीक २ रखे जाते हैं। और जो काम किये जा रहे हों और जो काम किया जा चुका हो, उसके विषय में रिपोर्ट देना।

४ सार्वजनिक कामों के पूरे हो जाने के विषय में सार्टीफिकटों की जाच और मिलान करना।

५ बिलों (Bills) की जाच करना।

६ जो रकमें कि समय समय पर उसके हवाले की जायें, उनमें से ऐसे कामों के लिये जिनकी कि मजूरी बोर्ड ने दी हो, रुपया अलग अलग करना।

७ जो सार्वजनिक काम कि ठेकोंपर दिये जाने को हों, उनके बनवानेके ठेके देने के लिये टेण्डर (Tender) मांगना, और टेण्डर स्वीकार किये जाने पर, सलाह देना कि कितनी जमानत ली जाय ।

८ दरों (शरह) का एक शिड्यूल रखना,और समय समयपर उसको दुहराना।

९ इस बात को देखना कि प्रत्येक काम के लिये, तफसील सहित, नक्शे और तखमीने बनाये जाते हैं, और उचित अधिकारी की मञ्जूरी ली जाती है, सिवाय ऐसे छोटे २ कामों के जिनमें कि २०) से कम व्यय होने की सम्भावना हो।

१० इस बात का देखना कि जिन कामों की मञ्जूरी दी गई है वह तफसीलवार नकशों और तखमीनों के अनुसार आरम्भ किये जाते है, और जब ऐसे काम ठेके पर दिये गये हों, तो इस बात का देखना कि ठेके नामे की शर्तों के अनुसार वह आरम्भ किये जाते हैं और पूरे किये जाते है। और इस बात की सलाह देना कि किसी शर्त के पूरा न किये जाने पर ठेकेदार से कितना दण्ड लिया जाय ।

११ इस बात को देखना कि रजिस्टर असबाब, औजारों तथा कलों आदि के रजिस्टर, रखे जाते हैं, और यह कि पब्लिक वर्कस विभाग के असबाब और जायदाद का मिलान समय समय पर किया जाता है ।

१२ इस बात का इतमीनान करना कि छिड़काव कराने और रोशनी कराने के प्रबन्ध पूरे किये जाते हैं ।

१३ सार्वजनिक कामों से सम्बन्ध रखने वाले सब मामलों पर बोर्ड को सलाह देना।

१४ एक्ट की दफाओं के अनुसार बोर्ड के अधिकारों को बरतना कर्तव्यों का पालन करना और कामों को करना।

(सी) पब्लिक हेल्थ कमेटी के कर्तव्य —

१ इस बात को देखना कि सफाई से सम्बन्ध रखने वाले सब नियमों, बाई लॉज, और हुक्मों, का पालन किया जाता है, और यह कि वह नौकर जिनको कि बोर्ड ने सफाई के लिये रखा हो, वह अपने कर्तव्यों को ठीक समय पर और संतोष पूर्वक पूरा करते हैं ।

२ समय समय पर इस बात की रिपोर्ट देना, कि सफाई के लिये जो कर्मचारी रखे गये हैं, वह काफी हैं या नहीं (या जरूरत से ज्यादा है) और इस बात को देखना कि कर्मचारियों की जो संख्या मंजूर की गई हो, उससे अधिक संख्या बिना विशेष हुक्मों न रखी जाय ।

३ आर्थिक कमेटी को ... देना कि ... के कामों ... ठीक ठीक पूरा ... और किस ... होंगी।

४ नीचे लिखी बातों ... और उनके ...

(ए) सार्वजनिक ... (सी) ... गाड़ियां

अन्य

५ पैदाइश और मौतों की संख्याओंकी जांच करना और उनको रजिस्टर में चढ़वाना।

६ वैक्सीनेशन एक्ट (गौथन शीतला के टीके का कानून) के अनुसार जो काम किये जाय उनकी देख भाल करना और टीका लगाने वालों के काम और उनके द्वारा भेजे हुए नकशों की जांच करना।

७ आरोग्यता, सफाई और जनता की स्वास्थ्य, से सम्बन्ध रखने वाले सब मामलों पर बोर्ड को सलाह देना।

८ एक्ट की दफाओं के अनुसार बोर्ड के अधिकारों को बरतना, कर्त्तव्यों का पालन करना, और कामों का करना।

(डी) चुंगी की कमेटी के कर्तव्य —

१ चुंगी की चौकियों पर समस समय जाना, और उनका मुआइना करना, और मुहर्रिरों के हिसाबों का जांचना।

२ इस बातका देखना कि वस्तुओं के वर्तमान भावपर, चुंगीके दर के शिड्यूल की प्रतियां,विधि पूर्वक,चुंगीकी चौकियोंपर और चुंगीके सदर दफ्तरमें टांगी जाती हैं।

३ इस बात का देखना कि चुंगी के जमा करने वाले कर्मचारी, चुंगी के कूतने और जमा करने के विषय में जो नियम म्यूनिसिपल अकाउन्टकोड में हैं, उनका पालन करते हैं।

४ इस बातको देखना कि बिना चुंगी के दिये, माल निकालले जाने से रोकने के लिये (Prevention of Evasion) जो प्रबन्ध किये गये हैं, या धोखा देके चुंगी के देने से बचने के रोकने के जो प्रबन्ध किये गये हैं, वह काफी हैं।

५ इस बात का देखना कि वापसी के नियमों पर ठीक ठीक काम किया जाता है, और यह कि वापसियों के तलब करने और दिये जाने के लिये जितनी सुविधा दी जासकती हो दीजाती है।

६ जो माल चुंगी से बाहर लेजाया जाता है उनके नकशों को और वापसियों के नकशों को, और उन नकशों को जिनसे इस बात का पता चले कि प्रति मनुष्य किसी वस्तु का कितना खर्च है जांचना। इस बात का देखना कि उन वस्तुओं पर, जिनका व्यापार म्यूनिसिपलटी में होके लेजाई जाय कोई टैक्स नहीं लगाया जाता, न इस प्रकारके व्यापार में किसी प्रकार का विघ्न डाला जाता है, और यदि आवश्यक हो तो बोर्डको इस विषयमें सलाह देना कि ऐसे व्यापारपर जो बन्धेज हों, उनके हटाने के लिये क्या उपाय किये जाय।

७ इस बात का देखना कि जो माल म्यूनिसिपल्टी के लिये भेजा जा रहा हो उस का गोदामों में रखे जाने का काफी प्रबन्ध किया जाता है।

८ चुंगी के सदर दफ्तर के कामकी जांच करना और यह देखना कि चुंगी की कैफियतें (Statements) ठीक समय पर और ठीक २ तैयार की जाती हैं।

९ एक्ट की दफाओं के अनुसार बोर्ड के अधिकारों को बरतना कर्तव्यों का पालन करना और कामों का करना।

दफा १०५ मेम्बरोंके आतीरिक्त अन्य शख्सोंका नियुक्त किया जाना

१ इस कानून के हुक्मो के होते हुये भी, बोर्ड को अधिकार होगा, कि एक रेजोल्यूशन के द्वारा, जिसका समर्थन बोर्ड के उतने मेम्बरो ने किया हो जिनकी सख्या बोर्ड के, उस समय के, मेम्बरो की पूर्ण सख्या के आधे से कम न-हो किसी ऐसे शख्सों को, चाहे वह स्त्रिया हों या मर्द, किसी कमेटी के मेम्बर नियुक्त करे जो बोर्ड के मेम्बर न हो, परन्तु जो बोर्ड की रायमें उक्त कमेटी में काम करने की विशेष योग्यता रखते हों।

परन्तु शर्त यहहै कि उन शख्सोंकी सख्या जो किसी कमेटीमें इस प्रकार नियुक्त किये जाय, उक्त कमेटी के मेम्बरो की पूर्ण सख्या के एक तिहाई से अधिक न होगी।

२ इस एक्टके और उन नियमो के सब हुक्म, जो मेम्बरोके कर्तव्यो और अधिकारों, और ज़िम्मेदारियो और अयोग्यताओ, (Disqualifications) और नाक़ाबिलिअतों (Disabilities) के विषय मे हों, सिवाय उस अयोग्यताके जो स्त्री होने के कारण हों, जहा तक सम्भव हो, ऐसे नियुक्त किये हुये शख्सों पर लागू होंगे।

व्याख्या—

उप दफा (१) के द्वारा आज्ञा दी गई है कि किसी कमेटी में स्त्रिया भी नियुक्त की जा सकती हैं। दफा १७ के द्वारा स्त्रिया म्यूनिसिपलटी की निर्वाचक, और निर्वाचन के लिय उम्मेदवार, और बोर्ड की मेम्बर हो सकती हैं।

दफा १०६ कमेटियोंमें जगहोंका खाली होना

जो जगह कि किसी कमेटी मे खाली हो, उसको बोर्ड किसी समय पर किसी अन्य मेम्बर या शख्सको उस विधिसे नियुक्त करके, भर सकता है, जो, विधि कि दफा १०४, या दफा १०५, मे नियत की गई है।

नोट—यह आवश्यक नहीं है कि जब किसी बाहर वाले शख्स की जगह खाली हो, तो फिर बाहर ही का कोई शख्स उस जगह के भरने के लिये नियुक्त किया जाय, बरन ऐसी जगह पर, यदि बोर्ड चाहे, तो अपने किसी मेम्बर को नियुक्त कर सकता है।

दफा १०७ कमेटी का चेयरमैन

१ बोर्ड रेजोल्यूशनके द्वारा किसी कमेटीके लिये चेयरमैन नियुक्त कर सकता है।

२ यदि बोर्ड कोई चेयरमैन नियुक्त न करे, तो कमेटी अपने मेम्बरों मे से, स्वयं अपना चेयरमैन नियुक्त कर लेगी।

दफा १०८ कमेटियों का कार्यक्रम

१ दफा ९२ की उपदफा (१) और उपदफा (२) के, तथा दफा ९३ के और दफा ९४ की उपदफा (१) और (२) और (४) और (५) और (६) के हुक्म, बोर्ड की कमेटियों की कार्रवाइयों पर, उसी प्रकार लागू होंगे कि जैसे शब्द "कोई बोर्ड" और शब्द "बोर्ड" की जगह, जहा जहा वह उक्त दफाओ मे आये हों, शब्द "कोई कमेटी" और शब्द "कमेटी" बदलके रख दिये गये हों।

२ कमेटिया जब जब उचित समझें अपनी मीटिंग कर सकती हैं और उनको मुलतवी कर सकती हैं। परन्तु किसी कमेटी के चयरमैन को अधिकार होगा कि जब वह उचित समझे, और बोर्ड के चेयरमैन की दरख्वास्त पर, या कमेटी के कमसे कम दो मेम्बरों की लिखित दरख्वास्त पर, उसके लिये यह आवश्यक होगा, कि कमेटी की मीटिंग करे।

३ उप दफा (४) मे दी हुई आज्ञा के आधीन, किसी मीटिंग मे कोई काम नही किया जायगा जब तक कि कमेटी के मेम्बरों मे से एक चौथाई से अधिक मेम्बर उस मीटिंग मे उपस्थित न हों।

४ जब नियमित कोरम न होने के कारण, किसी कमेटी की मीटिंग मे किसी कार्रवाई का मुलतवी किया जाना आवश्यक हो तो उस जाबते (Procedure) का अनुसरण किया जायगा जो दफा ८८ की उप दफा (३) में अंकित किया गया है।

व्याख्या—

उप दफा (१) का आशय यह है कि कमेटियों के सामने जो प्रश्न पेश होंगे उनका फैसला उन हुक्मों के अनुसार होगा जो दफा ९९ मे दिये गये हों, और दफा ९३ में गिनाये हुये सरकारी अफसरों को कमेटियों की मीटिंग में भी उपस्थित होने और भाषण देने का अधिकार होगा। तथा जो प्रस्ताव कमेटियों में पास होंगे उनके विषय में याद दाश्तें लिखी जायगी, और ऐसी याददाश्तें दूसरी मीटिंग में पढी जायगी, और पास की जायगी। प्रस्तावों की नकल जिला मजिस्ट्रेट और कमिश्नर को भेजी जायगी। यदि प्रस्तावों में कोई परिवर्तन किये जाय तो उनकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट या कमिश्नर को दी जायगी। कमेटी के पास किये हुये प्रस्ताव भी कम से कम ६ मास तक प्रचलित रहेंगे। यदि उनमें कोई परिवर्तन बोर्ड करना चाहे, या उनको रद्द करना चाहे, तो दफा ९४ की उप दफा (६) के अनुसार कार्रवाई करना होगी। परन्तु कमेटियों के द्वारा पास किये हुये प्रस्तावों को समाचार पत्रों में छपवाने की आवश्यकता नहीं है।

दफा १०९ कमेटियोंका बोर्डके आधीन होना

१ बोर्ड, किसी समय, किसी कमेटी की किसी कार्रवाई मे से उद्धृत किया हुआ कोई भाग, या कोई नकशा (Return), या कोई कैफियत (Statement), या हिसाब, या रिपोर्ट, जो किसी ऐसे मामले के विषय मे हो, या उससे सम्बन्ध रखने वाला हो, जिस मामले के विषय में कार्रवाई करने का अधिकार या आज्ञा कमेटी को दी गई हो, माग सकता है।

२ प्रत्येक कमेटी, सुविधा के साथ जितनी शीघ्रता से सम्भव हो, बोर्ड की किसी ऐसी आज्ञा का पालन करेगी जो उप दफा (१) के अनुसार दी जाय।

दफा ११० ज्वाइण्ट कमेटी (Joint Committee)

१ बोर्ड को अधिकार होगा, और यदि प्रान्तीय सरकार आज्ञा दे तो बोर्ड के लिये आवश्यक होगा, कि एक या एक से अधिक अन्य ऐसे स्थानीय अधिकारी (Local authority) को जो इस बात पर राजी हों, अपने साथ मिला के (शरीक करके) एक लिखित दस्तावेज के द्वारा, जिस पर सब रजामन्द होने वाले स्थानीय अधिकारियों के

(ए) जो शिड्यूल न० १ के दूसरे खाने में अंकित किया गया हो, और जिसके सामने तीसरे खाने में कोई इन्दराज न हो।

(बी) जो दफा ५० के क्लाज (ए) और (बी,) और (सी) के द्वारा, या दफा ५१ के द्वारा, केवल चेयरमैन के लिये रखे गये हैं।

(सी) जहां एक्जिक्युटिव अफ़सर हो, जो दफा ६० के द्वारा केवल उक्त अफ़सर को दिये गये हों—

बोर्ड को अधिकार होगा, कि वह सब अधिकार या कर्तव्य, या काम, जो इस ऐक्ट के अनुसार बोर्ड को प्रदान किये गये हैं, या उस पर डाले गये हैं, या उसको दिये गये हैं, या उनमें से कोई अधिकार या कर्तव्य या काम, रेग्युलेशनके द्वारा किसी दूसरे को सौंप दे।

२ सिवाय उस दशा के जिसका हुक्म उप दफा (३) में है, बोर्ड स्वय किसी ऐसे अधिकारों, कर्तव्यों, या कामों, में से जो उसने उप दफा (१) के अनुसार सुपुर्द कर दिये हों, कोई अधिकार न बरतेगा, न किसी कर्तव्य का पालन करेगा, न कोई काम करेगा, न उनके बरते जाने, पालन किये जाने, या किये जाने, में हस्तक्षेप करेगा

३ बोर्ड की ओर से, उप दफा (१) के अनुसार, कोई अधिकार, या कर्तव्य, या काम इस शर्त के अधीन सौंपा जा सकता है कि उन सब हुक्मों की, या उनमें से किसी हुक्म की, जो कि इस प्रकार सौंपे जाने पर दिये जाय, एक नियत की हुई अवधि के भीतर, अपील बोर्ड में करने का, या स्वयं बोर्ड को ऐसे हुक्म अथवा हुक्मों की निगरानी (Revision) करने का, अधिकार होगा।

४ इस दफा के उपरोक्त हुक्मों की किसी बात से यह न समझा जायगा कि उसके द्वारा बोर्ड की किसी कमेटी, रैजोल्यूशन को कार्यरूपमें लाने की किसी ऐसे शख्सको मनाही की गई है, जिसको इस ऐक्ट के द्वारा, या इस ऐक्टके अनुसार, इस विषय में जायज रूपसे (Duly) अधिकार दिया गया हो। न यह समझा जायगा कि उसके द्वारा बोर्ड के किसी कर्मचारी को अपने कार्य सम्बन्धी अधिकारों की सीमा के भीतर किसी काम के करने की मनाही की गई है।

व्याख्या—

१ ऐक्ट ने कुछ अधिकार ऐसे निर्दिष्ट कर दिये हैं जिनको केवल बोर्ड ही बरत सकता है। (देखिये शिड्यूल न० १)। और कुछ अधिकार ऐसे रखे हैं जिनको केवल चेयरमैन बरत सकता है (देखिये दफा ५० और ५१), और कुछ अधिकारों के विषय में यह आज्ञा दी है कि उनको केवल एक्जिक्युटिव अफसर बरते (देखिये दफा ६०)। यह अधिकार किसी को सौंपे नहीं जा सकते हैं। दफा ११२ की आज्ञा है कि उपरोक्त अधिकारों के अतिरिक्त, अन्य सारे अधिकार, जो बोर्ड को दिये हैं, उनको, यदि बोर्ड चाहे, किसी दूसरे को सौंप सकता है। उप दफा (२) के अनुसार जब कोई ऐसा अधिकार सौंप दिया जाय, तो फिर बोर्ड उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह अधिकार अवश्य बोर्ड को है कि जब कोई अधिकार बोर्ड सौंपे तो यह शर्त लगा दे कि उस अधिकार को बरतन में जो हुक्म दिये जायगे उनकी अपील बोर्ड के सामने की जा सकेगी या यह कि बोर्ड ऐसे हुक्मों की निगरानी कर सकेगा। दफा १९७ के क्लाज (जी) के अनुसार बोर्ड अधिकारों को सौंपने के

सम्बन्ध म रेग्युलेशन बना सकता है, किन्तु अधिकार उन्हीं को सौंपे जा सकते हैं जिनके नाम उक्त क्लाज में गिना दिये गये है, अर्थात्—

(१) बोर्ड के चेयरमैन को (२) किसी कमेटी को जिसका संगठन दफा १९७ के क्लाज (डी) के अनुसार किया गया हो (३) किसी ऐसी कमेटी के चेयरमैन को (४) एग्जिक्युटिव अफसर को (५) जहा एग्जिक्युटिव अफसर न हो वहा बोर्ड के किसी कर्मचारी को।

—G O No 1328XI-5 H तारीख १९ जून सन १९१६ के द्वारा नीचे लिखी जरूरी हिदायतें अधिकारों के सौंपे जाने क विषय में दी गई हैं —दफा २९७ के क्लाज (जी) के अनुसार (अर्थात् अधिकारों के सौंपे जाने के विषयमें) जब बोर्ड रेग्युलेशन बनाए तो यह उचित होगा कि वे ऐक्ट की दफायें ५०, ५१, ५३, ६०, ६१, ६२, १११, ११२, को ध्यान पूर्वक पढ़ें। जहां एग्जिक्युटिव अफसर होता है तो अधिकाश कार्य निर्वाहक अधिकार (Executive powers) उसको दिये जात हैं। और दफा ६० की उपदफा (३) के हुक्मों के अनुसार बोर्ड के सब कर्मचारी, सिवाय उनके जिनके विषय में दफा ७३ में हुक्म है, एग्जीक्युटिव अफसर के अधीन होते हैं। और सब म्यूनिसिपलटियोंमें ऐक्ट की दफा ५१ के क्लाज (बी) के अनुसार चेयरमैन का यह कर्तव्य होता है कि वह बोर्ड के आर्थिक सम्बन्धी शासन (Financial administration) पर दृष्टि रखे और कार्य निर्वाहक शासन (Executive administration) की देख भाल करे, और उसमे जो त्रुटिया हों उनकी ओर बोर्ड का ध्यान दिलाये। इस लिये कोई ऐसे नियम जो सन १९०० क ऐक्ट के अनुसार बनाये गये हों, और जिनमें कमेटियों के कर्तव्यों का वर्णन दिया गया हो, उनका सशोधन इस प्रकार किया जाना चाहिये कि उनस से वह हुक्म निकाल लिये जाय, जिनका मतलब यह निकलता हो कि कमेटिया कार्यनिर्वाहक कामो की जिम्मेदार हैं, और जिससे कि यह बात स्पष्टत प्रगट हो जाय कि कमेटियों को भिन्न भिन्न विभागों के कामों का मुआइना करने और जाच करने का तो पूरा अधिकार है, परन्तु ऐसा अधिकार कमेटियों को होने के कारण, चेयरमैन, एग्जिक्युटिव अफसर, सेक्रेटरी, इजिनियर, हेल्थ अफसर, और अन्य विभागों के अफसर, अपने विभागों के काम चलाने की जिम्मेदारी स छूट नहीं जायगे। केवल एकही कमेटी है जिस पर यह बात लागू नहीं होती और वह शिक्षा कमेटी है। उसके लिये देखिये दफा ७३ और, उसके नीचे दिये हुये नोट। सन १९०० ई० के एक्ट न० १ क अनुसार कमेटियों को अन्तिम हुक्म देने के अधिकार नहीं थे, क्योंकि प्रत्येक कमेटी की कार्रवाई, हुक्म के लिये बोर्ड को भेजी जाना पडती थी। नतीजा यह होता था कि जब कभी कानून की आज्ञा का पूरा २ पालन किया जाता था तो कमेटियों की उपयोगिता बहुत कम हो जाती थी और जो उनको अधिकार दिये गये थे वह साधारण (General) और केवल सलाह देने के ढग के होते थे। किसी कमेटी के फैसले के हुक्म के अनुसार कोइ काम किये जाने से पूर्व सम्पूर्ण बोर्ड के हुक्म के लिये ठहरा रहना पडता था और इस कारण बोर्ड के कार्य्यनिर्वाहक (Executive) कामों को किये जाने में बहुत समय लग जाया करता था। परन्तु हाल क ऐक्ट क अनुसार कमेटिया को निश्चित अधिकार दिये जा सकते हैं, और इसके कारण प्रति दिन काम काज अधिक शीघ्रता से हो सकते हैं और काम जल्दी जल्दी निबटाया जा सकता है। काम बाटने का प्रबन्ध जो किया जा सकता है वह नीचे विस्तार पूर्वक बताया गया है —

२ इस ऐक्ट के अनुसार वह अधिकार जो सम्पूर्ण बोर्ड को स्वय बरतना चाहिये वह हैं जो शिड्यूल न० १ में अङ्कित हैं। बोर्ड के अन्य सब अधिकार उन म्यूनिसिपलटियों में जहां एग्जिक्युटिव अफसर है, (उन अधिकारों के अतिरिक्त जो दफा ६० के अनुसार एग्जिक्युटिव अफसर को दिये गये

हैं) चेयरमैन के हाथ में रहेंगे, यदि बोर्ड ने क्लाज (जी) के अनुसार रेग्युलेशन के द्वारा ऐसे अधिकार किसी और को सौंप न दिये हों। चेयरमैन उन अधिकारों को जो उसको दिये जाते हैं वाईस चेयरमैन को ऐक्ट की दफा ५३ के अनुसार सौंप सकता है (सिवाय उन अधिकारों के जो दफा ५० (ए) में अङ्कित हैं, और जिनको वह दफा (५३ A) के अनुसार बोर्ड को किसी कर्मचारी को सौंप सकता है)। इस लिये यह जरूरी है कि बोर्ड यह बात निश्चय करले कि उनमें से कौन से अधिकार चेयरमैन या वाईस चेयरमैन नहीं बरत सकता, या जो उनको नहीं बरतना चाहिये, और किन शख्सों, या कमेटियों को ऐसे अधिकार सौंपे जाना चाहिये। अधिकार या तो कमेटी को सौंपे जा सकते हैं जिसका सगठन क्लाज (डी) के अनुसार रेग्युलेशन के द्वारा किया गया हो, या ऐसी कमेटी के चेयरमैन को या एक्जिक्युटिव अफसर को, या जहा एक्जिक्युटिव अफसर न हो तो बोर्ड के किसी कर्मचारी को। अधिकार सौंपने में यदि बोर्ड चाहे तो दफा ११२ की उप दफा (३) के हुक्मों के अनुसार यह शर्त रख सकता है कि कोई हुक्म, जो अधिकार सौंप दिये जाने पर दिये जाय उनकी बोर्ड के सामने अपील करने का हक, और बोर्ड को स्वयं उनकी निगरानी करने का हक, नियत किये हुये समय के भीतर, प्राप्त होगा। इन अधिकारों को सौंपे जाने के विषय में कुछ सलाहें नीचे दी जाती हैं।

सब से अधिक सुभीता इसमें होगा कि पहले उन बचे हुए अधिकारों का उल्लेख किया जाय, जो यदि वह किसी और को सौंपे न जाय, तो, उन म्यूनिसिपलटियों में जहां एक्जिक्युटिव अफसर होता है, चेयरमैन के हाथ में होते हैं।

ऐक्ट की दफा ९६ (२) के सम्बन्ध में यह सलाह दी जाती है, कि उन ठेकों की मञ्जूरी देना जिनके लिये बजट में सबील रखी गयी है, और जो "शहर" की म्यूनिसिपलटी में एक हजार रुपये से अधिक रकम के न हों, और अन्य म्यूसिपलटियों में २५०) से अधिक के न हों, कमेटियों को सौंप दिये जाय, कि वे अपने अपने विभागों के ठेकों की मजूरी दें। यह भी जरूरी है कि एक्जिक्युटिव अफसर को या उन म्यूनिसिपलटियों में जहा एक्जिक्युटिव अफसर नहीं है, चेयरमैन को, या सेक्रेटरी को, अधिकार सौंपा जाय, कि वह उन ठेकों की जिनकी रकम (मान लीजिये) सौ रुपये से अधिक न हो और जिनकी सबील कि बजट में की गई हो, मजूरी दें जिससे कि वह छोटी २ चीजें मोल लेने के, और छोटे २ काम बनवाने के अधिकारी हो जाय। दफा ९७ (१) (बी) के सम्बन्ध में भी ऐसे ठेके देने या मुआहिदा करने का अधिकार पूर्व कथित कमेटियों या अफसरों को सौंप देना चाहिये।

३ इमारत बनाने की अर्जियों के फैसला किये जाने में देर हो जाने की बहुत सी शिकायतें हुई हैं। अनेक मामलों में यह देर उन नियमों के कारण होती है, जो ऐक्ट नं० १ सन १९०० के अनुसार बनाये गये थे, और जिनकी आज्ञा थी कि कमेटी का कोई हुक्म तब जारी किया जाय जब कमेटी की काररवाई को बोर्ड मजूर कर दे। इसलिये यह सलाह दी जाती है कि ऐक्ट की दफा १८० के अनुसार जो हुक्म दिये जाय उनके लिये बोर्ड की मजूरी आवश्यक न रखी जाय सिवाय उस दशा के जब दफा १८३ के अनुसार हरजे की देनदारी हो सकती हो। इमारत बनाने, या फिर से बनाने, के विषय में जिस बोर्ड ने सब बातों के लिये पूरे पूरे बाइलॉ बना लिये हैं तो उनमें इमारत बनाये जाने की अर्जियों की अन्तिम मजूरी का देना एक्जिक्युटिव अफसर को दे दिया जाना उत्तम होगा। या जहां एक्जिक्युटिव अफसर न हो तो बोर्ड के चेयरमैन को या पब्लिक वर्क्स कमेटी

(Public works Committee) को या बोर्ड के किसी कर्मचारी को, दे दिया जाना उत्तम होगा। जहां सब विषयों पर बाईलॉ न बनाये गये हों तो अच्छा होगा कि यह अधिकार पब्लिक वर्क्स कमेटी को सौंप दिया जाय, यदि यह कमेटी इस बात पर तैयार हो कि जल्दी जल्दी मीटिंग किया करेगी जिससे कि इमारत सम्बन्धी अर्जियों पर शीघ्र हुक्म दिया जा सके। उस प्रकार की लिखित हिदायतों के अधीन, जो कि दफा १८० की उप दफा (१) के क्लाज (ए) में अंकित हैं इमारत सम्बन्धी अर्जी की मजूरी देने का अधिकार, पब्लिक वर्क्स कमेटी को अंतिम रूप से सौंपा जा सकता है। या उस दशा में जब कि वह हिदायतें केवल यह हों कि दफा २९८ की मद (ए) के अंश (एच) के अनुसार बोर्ड द्वारा बनाये हुये बाई लॉ (Bye Law) का पालन किया जाय, तो यह अधिकार एक्जिक्युटिव अफसर को सौंपा जा सकता है। या जहां एक्जिक्युटिव अफसर न हो तो बोर्ड के चेयरमैन को, या पब्लिक वर्क्स कमेटी के चेयरमैन को, सौंपा जा सकता है।

४ उन लिखित हिदायतों के अधीन जो उस प्रकार की हों जो दफा १८० की उप दफा (१) के क्लाज (बी), या दफा १८३ के क्लाज (ए), में अंकित की गई हैं इमारत सम्बन्धी अर्जी की मजूरी देने का अधिकार पब्लिक वर्क्स कमेटी को यदि आवश्यक हो, इस शर्त के सग सौंपना चाहिये, कि एक नियत की हुई अवधि के भीतर, अपील करने का हक प्राप्त होगा, या बोर्ड को निगरानी सुनने का हक प्राप्त होगा। इसी प्रकार इस कारण मजूरी न देने का अधिकार कि यह काम जो बनाया जाने को है बोर्ड के द्वारा दफा २९८ की मद (ए) के अंश (एच) के अनुसार, बनाये हुए बाईलॉ की आज्ञा के अनुसार नहीं है, एक्जिक्युटिव अफसर को सौंपा जा सकता है, या जहां एक्जि क्युटिव अफसर न हो तो बोर्ड के चेयरमैन को या पब्लिक वर्क्स कमेटी के चेयरमैन को सौंपा जा सकता है। जिन म्यूनिसिपल्टियों में कोई बाईलॉ नहीं बनाये गये हैं उनमें सब मामलों में मजूरी न देने का अधिकार, और उन म्यूनिसिपलटियों में जहां कि बाईलॉ बनाये गये हैं, उनमें उन कारणों से जो दफा १८३ के (ए) और (सी) क्लाज में अंकित हैं, मजूरी न देने का अधिकार पब्लिक वर्क्स कमेटी को सौंप दिया जाना चाहिये। और दोनो दशाओं में यह शर्त होना चाहिये कि उस प्रकार के हुक्मों से, जो दफा १८३ के (ए) और (सी) क्लाजों में अंकित हैं, एक नियत की हुई अवधि के भीतर अपील करने का हक होगा या बोर्ड को निगरानी (Revision) का हक होगा। यह अवधि (मियाद) जिसके भीतर अपील हो सकेगी, उतनी ही होना चाहिये जितनी कि दफा ६१ (२) के द्वारा नियत करदी गई है (अर्थात् हुक्म के पहुंचने से दस दिन के भीतर), और बोर्ड को निगरानी करने के अधिकार के लिये एक मास की मियाद देना चाहिये (क्यों कि एक मास के भीतर बोर्ड की एक मीटिंग अवश्य ही हो जाया करती है)।

दफा २०५ के अनुसार सड़कों की मजूरी देने का अधिकार पब्लिक वर्क्स कमेटी को सौंपा जा सकता है। और दफा २०८ के अनुसार कार्रवाई करने का अधिकार या तो उस कमेटी ही को सौंपा जाय, या एक्जिक्युटिव अफसर को, या चेयरमैन के लिये छोड़ दिया जाय।

दफा २१२ के अधिकार, अर्थात् निजी सड़कों पर खरंजा बनाने या पानी के निकास के रास्ते बनाके के अधिकार पब्लिक वर्क्स कमेटी को, या हेल्थ कमेटी को इस शर्त पर (यदि ऐसी शर्त आवश्यक समझी जाय) सौंपे जा सकते हैं, कि बोर्ड के सामने अपील की जा सकेगी, यदि ऐसी अपील हुक्म के पहुंचने के दस दिन के भीतर कर दी जाय।

दफा २२२ की उप दफा (६) के अनुसार जो अधिकार किसी इमारत में कोई परिवर्तन

किये जाने, या किसी इमारत को तोड़ दिये जाने के हुक्म देने के विषय में हैं, वह पब्लिक वर्क्स कमेटी को सौंप दिये जाना चाहिये, और यह शर्त कर दी जाना चाहिये कि बोर्ड में अपील की जा सकेगी, और बोर्ड में हुक्म की निगरानी करने का भी अधिकार होगा।

अधिकारों का दूसरा समूह, जिन पर कि विचार करना है, वह है जो शिडयूल नं० १ में
१ दिया गया है और जो कि दूसरों को सौंपे जा सकते हैं, और जो यदि न सौंपे जाय तो केवल पूरे बोर्ड के द्वारा बरते जा सकते हैं। इस दशा में उन शख्सों और कमेटियों के अतिरिक्त, जिनका वर्णन पैरा न० २ में किया गया है, अधिकार बोर्ड के चेयरमैन को सौंपे जा सकते हैं।

दफा ६१ के अनुसार जो अधिकार दिया गया है (अर्थात् एक्जिक्युटिव अफसर के हुक्मों की अपील सुनने का अधिकार) वह कमेटियों को सौंप दिया जाना चाहिये, कि वे अपने अपने विभागके मामलों की अपील सुने। अपील होनेपर जो हुक्म ऐसी कमेटिया दें वह अन्तिम (Final) होना चाहिये। कारण यह है कि उन दशाओं में जिनमें कि दूसरी अपील (Second appeal) होना अवश्यक समझा गया है, उनके लिये एक्ट की दफा ३१८ में काफी तरीका, इस प्रकार कर दी गई है कि उनकी अपील कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेट को की जाय। यदि बोर्ड अपील सुनने का अधिकार कमेटियों को न सौंप देगा तो सम्भावना यह है कि बोर्ड पर इतना अत्याधिक छोटा छोटा काम पड़ जाय, कि जिसके कारण वह उन जरूरी कर्त्तव्यों की ओर जो शिड्यूल न० १ में गिनाये गये हैं, ध्यान न दे सके। यदि बोर्ड के नित्य प्रति के काम जल्दी निपटाये जाना है, तो यह आवश्यक है कि अपीलें जल्दी जल्दी सुनी जाय, और अपीलें जल्दी जल्दी सुनी नहीं जा सकतीं यदि वे केवल पूरे बोर्ड ही के सामने हों, क्योंकि बोर्ड की मीटिंग बहुत अन्तर से हुआ करती हैं। इसके अतिरिक्त यह सम्भावना भी नहीं है कि बोर्ड के सब मेम्बर प्रत्येक मामले से ऐसे परिचित हों, कि उनकी राय किसी एक या दूसरे पक्ष में ली जाना उचित हो। दफा १८६ के अनुसार इमारत में परिवर्तन किये जाने या तोड दिये जाने के हुक्म, या दफा २५७ (२) के अनुसार किसी ऐसे छाजन (Roofs) को जो सहज से जल उठने वाला हो, हटा दिये जाने के हुक्म, या दफा २६३ के अनुसार तालाब को घेर देने, या उसकी मरम्मत करने के हुक्म के खिलाफ अपीलें सुनने का अधिकार पब्लिक वर्क्स कमेटी को सौंपा जा सकता है।

दफा १९१ (२), या दफा १९२ (१), या दफा १९३, या १९४ के हुक्म, जो मोरियों के विषय में दिये जाय या दफा २२५ (२), या दफा २२७ के अनुसार जारी किये हुये, कुए या पाखानों इत्यादि के विषय में हुक्म, या दफा २४५ (१) के अनुसार घृणित व्यवसायों के विषय में हुक्म, या दफा २६८ के अनुसार कुयें को साफ कराने, मरम्मत कराने इत्यादि के विषय में हुक्म की अपीलें सुनने का अधिकार हेल्थ कमेटी को सौंपा जा सकता है। दफा २०९ और २११ के हुक्म (अर्थात् मोरियों और सड़कों पर निकले हुये इमारतों के भाग के विषय) की अपील और दफा २३६ के अनुसार दिये हुये हुक्म, (मोरियों पर बिना मजूरी लिये बनाई हुई इमारतों के हटाये जाने के विषय में), या दफा २६४ के अनुसार दिये हुये हुक्म (अर्थात् खाली इमारतों को घेर देने के विषय में) या दफा २७८ के अनुसार दिये हुये हुक्म (उन इमारतों के विषयमें जो मनुष्य के रहने के अयोग्य हों) की अपील या तो पब्लिक हेल्थ कमेटी के सामने पेश हो या पब्लिक वर्क्स कमेटी के सामने।

पचास रुपया मासिक से अधिक वेतन पाने वाले, या शहर की म्यूनिसिपल्टी में ७५) रु० मा-

सिक में अधिक वेतन पाने वाले, या किसी अन्य कम से कम सख्या के वेतन पाने वाले (जो कम से कम सख्या कि क्लाज (एफ) के लिये बनाये रेग्यूलेशन के द्वारा नियत की जाय) कर्मचारियों को नियुक्त करने, सजा देने या डिसमिस करने का अधिकार जो दफा ७४ के अनुसार दिया गया है, या तो कमेटियों को, जो उन विभागों का काम करती हों जिन विभागों के वह नौकर हों सौंप दिया जाय। या एक छोटी सी कमेटी को सौंपा जाय जिसमें कि चेयरमैन और वाइस चेयरमन हों, और (यदि आवश्यक हो) तो कमेटियों के चेयरमैन भी हों। इस प्रकार का प्रबन्ध कर देना, इसकी अपेक्षा उचित होगा, कि म्यूनिसिपल्टी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में बोर्ड की पूरी मीटिंग में बहसें की जाय।

दफा ७६ (२) के अनुसार चेयरमैन के उन हुक्मों की अपील सुनने का अधिकार, जिन के द्वारा कर्मचारियों को दण्ड दिया जाय, या जिनके द्वारा वह डिसमिस किये जाय, भी एक ऐसी ही कमेटी को उन म्यूनिसिपल्टियों में सौंपा जा सकता है जिनमें कि एक्जिक्युटिव अफसर न हो।

दफा ९२ (२) (बी) के अनुसार जो अधिकार इस विषय में दिया गया है, कि इञ्जिनियर को ठेके देने या मुआइदे करने का अख्तियार दिया जाय वह पब्लिक वर्क्स कमेटी को सौंपा जा सकता है।

दफा १४१ (१) के अनुसार जो अधिकार बोर्ड को इस विषय में है कि कूते हुये करों की सूची (Assessment list) तैयार कराये, उस कमेटी को सौंपा जा सकता है जिसको करों का काम दिया गया हो। और उक्त दफा की उप दफा (२) के अनुसार कूते हुये करों की सूची तैयार करने के लिये शख्सों को नियत करने के विषय में जो अधिकार दिया गया हो, वह भी (यदि यह बात उचित न समझी जाय कि बोर्ड इस अधिकार को अपने ही हाथ में रखे) सौंपा जा सकता है। दफा १४३ (३) के अनुसार करों के कूते जाने के विरुद्ध उज्र सुनने और फैसला करने का अधिकार भी उसी कमेटी को सौंपा जा सकता है। दफा १४७ (१) के द्वारा दिया हुआ अधिकार भी उसी कमेटी को सौंपा जा सकता है, यदि बोर्ड ने उस अधिकार को दफा १४३ (३) के अनुसार, रेजोल्यूशन के द्वारा, किसी सरकारी अफसर, या बोर्ड के अफसर को न सौंप दिया हो।

दफा १९७ (२) के अनुसार दिया हुआ अधिकार (अर्थात् किसी अर्जी पर, जो इस विषय में दी जाय कि कोई मकान दफा १९६ (ए) के नोटिस से, जो नोटिस मकानों से मैला उठाये जाने के विषय में हो बाहर निकाल दिया जावे) हेल्थ कमेटी को सौंपा जा सकता है।

५ वह सब अधिकार जिनका वर्णन शिड्यूल न० २ में और दफा ६० की उप दफा (१) के क्लॉज (ए), (बी) और (सी) में किया गया है, उन म्यूनिसिपल्टियों में जिनमें कि एक्जिक्यु-टिव अफसर नहीं है चेयरमैन के हाथ में रहेंगे, यदि बोर्ड ने उनको किसी और को न सौंप दिया हो। इस लिये उन म्यूनिसिपल्टियों के बोर्डों को जिनमें कि एक्जिक्युटिव अफसर नहीं है इस बात पर विचार करना चाहिये कि इनमें से कौन अधिकार सौंपे जाना चाहिये और कौन से चेयरमैन और वाईस चेयरमैन के हाथ में रहने दिये जाना चाहिये। जहा जरूरत हो वहा अधिकार एक एक कर्म-चारी को अलग अलग भी सौंप दिये जाना चाहिये, क्योंकि जो अधिकार शिड्यूल में दर्ज हैं उनमें से ऐसे बहुत कम हैं जिनमें कमेटी के द्वारा बरते जाने से कुछ लाभ हो। बोर्डों को सलाह दी जाती है, कि इस विषय में जो कुछ वह निश्चय करें उसमें शिड्यूल न० २ की आज्ञाओं का (अर्थात किन किन हुक्मों से अपील होगा और किन से नहीं) साधारणत अनुसरण करें, और उन सलाहों का भी जो

पैरा न० ४ में दी गई हैं, कि ऐसी अपीलें सुनने का अधिकार किन कमेटियों, अथवा शख्सों, को दिया जाय।

६ ऐक्ट की कुछ दफाओं के द्वारा एक्जिक्युटिव अफसर को कुछ अधिकार दिये गये हैं, जो उन म्यूनिसिपलटियों में जहा कि एक्जिक्युटिव अफसर न हो, म्यूनिसिपलटियों के कर्मचारियों को सौंप दिये जाना चाहिये। उदाहरणार्थ ऐक्ट की दफा १८६ में यह शब्द आये हैं "कोई शख्स जिसको रेग्युलेशन के द्वारा रुपया लेने का अधिकार दिया गया हो"—दफा ६० (१) (सी) के अनुसार एक्जिक्युटिव अफसर को किसी ऐसी रकम को लेने वसूल करने, और म्यूनिसिपल्टी के कोष में जमा करने, का अधिकार दिया गया है जो बोर्ड को दी जाय या पेश की जाय। और निसन्देह एक्जिक्यु टिव अफसर दफा ६२ के द्वारा दिये हुये अधिकारों को भिन्न भिन्न कर्मचारियों को सौंप देगा। जहां एक्जिक्युटिव अफसर न हो वहा यह जान पडता है कि रेग्युलेशन के द्वारा वह अफसर निर्दिष्ट कर दिये जाय, जिनको म्यूनिसिपलटी का रुपया जो किसी पर बाकी हो लेने का अधिकार हो, सिवाय उन रकमों के जिनके जमा करने के विषय में विशेष नियम बना दिये गये हैं, और जिनके द्वारा वह शख्स निर्दिष्ट कर दिये गये हैं जिनको रुपया वसूल करने का अधिकार है, जैसे कि चुगी, या लैसन्सों या तहबजारी, या वाडों, के विषय में नियम।

सम्भवत अधिकाश मामलों में सेक्रेटरी उन मुतफर्रिक रकमों के वसूल करने का अधिकारी निर्दिष्ट किया जायगा, जिनके वसूल करने के लिये किसी और को विशेष अधिकार न दिया गया हो, और ऐसी दशा में सेक्रेटरी ही, रेग्युलेशन के द्वारा, इस कामके लिये भी नियत किया जाय कि दफा १६९ (१) (बी) के अनुसार जो उज्र बिलों (Bills) पर ऐसे लोग करें, जिनके पास कि बिल भेजे गये हों, वह उज्र उसी के पास किये जाय।

दफा १६९ (२) के अनुसार कुर्की करने का, वारन्ट जारी करने का अधिकार, चेयरमैन को, एक्जिक्यूटिव अफसर को, या किसी ऐसे अफसर को जिसको बोर्ड रेग्युलेशन के द्वारा इस अभिप्राय से नियत कर दे दिया गया है। जहा एक्जिक्युटिव अफसर न हो उन म्यूनिसिपलटी में बोर्ड को चाहिये कि रेग्युलेशन के द्वारा इस अधिकार को किसी निर्दिष्ट कर्मचारी को सौंप दे।

बोर्डके कामों और कार्रवाइयोंका जायज़ होना।

(Validity of Acts & Proceedings)

दफा ११३ अनुमान और बचतें (Presumptions and Savings)

१ बोर्ड मे, या बोर्ड की किसी कमेटी में किसी जगह के खाली होने के कारण, बोर्ड या ऐसी कमेटी का कोई काम, या कार्रवाई, नाजायज न हो जायगी।

२ जो शख्स बोर्ड के, या किसी कमेटी के जो इस ऐक्ट के अनुसार नियत की गई हो, मेम्बर की हैसियत से, या बोर्ड के चेयरमैन या ऐसी किसी कमेटी की किसी मीटिंग के चेयरमैन, की हैसियत से काम करे उसकी किसी अयोग्यता के कारण या उसके निर्वाचन, या नामजदगी या नियुक्त किये जाने में किसी दोष के कारण, यह न समझा जायगा कि बोर्ड का, या कमेटी का, कोई काम या कार्रवाई दूषित हो गई, यदि उन शख्सों मे, जो किसी काम के किये जाने या कार्रवाई के बरते जाने के समय उपस्थित

हों ऐसे शख्सों की संख्या आधे से अधिक हो, जिनको (बोर्ड या कमेटी की मेम्बरी की) योग्यता प्राप्त हो, और जो जायज रूपसे बोर्ड या कमेटी के मेम्बर चुने गये हों।

३ जब तक कि इसके विरुद्ध कोई बात साबित न की जाय, प्रत्येक ऐसे कागज या याददाश्त (Minutes) के विषय में, जिससे यह विदित होता हो कि वह किसी बोर्ड या कमेटी की कार्रवाई की लिखा पढ़ी है, यदि वह लगभग सब बातों मे (Substantially) उस विधि के अनुसार लिखा गया हो, और उस विधि के अनुसार उस पर हस्ताक्षर किये गये हों, जो ऐसी कार्रवाइयों के लिखे जाने और उन पर हस्ताक्षर करने के लिये नियत की गई हों। यह समझा जायगा कि वह ठीक लिखा पढ़ी एक ऐसी जायज रूप से की हुई मीटिंग की कार्रवाई की है, जो किसी ऐसे बोर्ड या कमेटी ने की थी जिसका संगठन जायज रूप से हुआ था, और जिसके सब मेम्बर जायज रूप से योग्यता प्राप्त थे।

व्याख्या—

उप दफा (१) में जो बचत रखी गई है, यदि वह न होती, तो जब कभी बोर्ड में कोई जगह खाली होती तो महीनों तक, अर्थात् जब तक कि नया निर्वाचन, या नामजदगी न हो जाती, तब तक बोर्ड के सारे काम बन्द रहते।

उप दफा (२) में जो बचत रखी गई है, यदि वह न होती तो जब कहीं किसी मेम्बर के निर्वाचन के विरुद्ध अर्जी दी जाती, और उस अर्जी के फैसल होने में एक दो मास लग जाते, और तब उस मेम्बर का निर्वाचन नाजायज ठहराया जाता, तो यह असर होता कि उस समय तक जितने काम बोर्ड ने किये होते, वह सब नाजायज हो जाते।

—उप दफा (३) का अर्थ यह है, कि इस बात के साबित करने का भार कि कोई कागज या याददाश्त बोर्ड की किसी कार्रवाई की ठीक याददाश्त नहीं है, या यह कि कार्रवाई की लिखा पढ़ी ऐसे कागज में ठीक नहीं की गई है, उस शख्स के ऊपर होगा जो ऐसी याददाश्त या कागज के ठीक होने में निषेध करता हो। जैसे यदि किसी मुकद्दमे में बोर्ड की मिनिट बुक (याददाश्त की किताब) पेश हो, तो अदालत यह बात मान लेगी कि जो याददाश्तें उसमें लिखी हुई हैं वह ठीक हैं। जो शख्स उनको गलत प्रमाणित करना चाहे, उसको उनके गलत होने के प्रमाण देना होंगे। अतएव जब कि एक शख्स को किसी बाई लॉ के उलंघन करने के अपराध में दण्ड दिया गया, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया, कि ऐसे बाई लॉ के सम्बन्ध में यह मान लिया जायगा, कि उसके पास करने में म्युनिसिपल बोर्ड ने ठीक और कानून के अनुसार काम किया था, जब तक कि कोई ऐसे प्रमाण न दे दिये जाय जिनके कारण कि ऐसी बात न मानी जा सके। जो शख्स कि ऐसे बाई लॉ के विषय में उज्र करे कि वह जायज और क़ानून के अनुसार नहीं है, उसके ऊपर ऐसे प्रमाण देने का भार है, कि जिससे यह बात प्रगट हो कि ऐसे बाई लॉ को जायज मान लेना उचित न होगा।

हाईकोर्ट ने, इस विषय में, यह भी तजवीज किया कि यदि किसी अदालत के सामने कोई अपील या निगरानी पेश हो तो अदालत को भी यह अधिकार नहीं है कि स्वयं इस प्रश्न को उठाये कि म्युनिसिपल्टी का कोई बाई लॉ जायज और क़ानूनी विधि से पास किया गया या नहीं ? देखिये सरकार बहादुर बनाम रामचन्द्र, 1897 A W N 133

हेंडिया ... [illegible]

पैरा न० ४ में दी गई हैं, कि ऐसी अपीलें सुनने का अधिकार किन कमेटियों, अथवा शख्सों, को दिया जाय।

६ ऐक्ट की कुछ दफाओं के द्वारा एक्जिक्युटिव अफसर को कुछ अधिकार दिये गये हैं, जो उन म्यूनिसिपलटियों में जहा कि एक्जिक्युटिव अफसर न हो, म्यूनिसिपलटियों के कर्मचारियों को सौंप दिये जाना चाहिये। उदाहरणार्थ ऐक्ट की दफा १८६ में यह शब्द आये हैं "कोई शख्स जिसको रेग्युलेशन के द्वारा रुपया लेने का अधिकार दिया गया हो"—दफा ६० (१) (सी) के अनुसार एक्जिक्युटिव अफसर को किसी ऐसी रकम को लेने वसूल करने, और म्यूनिसिपलटी के कोष में जमा करने, का अधिकार दिया गया है जो बोर्ड को दी जाय या पेश की जाय। और निसन्देह एक्जिक्युटिव अफसर दफा ६२ के द्वारा दिये हुये अधिकारों को भिन्न भिन्न कर्मचारियों को सौंप देगा। जहां एक्जिक्युटिव अफसर न हो वहा यह जान पडता है कि रेग्युलेशन के द्वारा वह अफसर निर्दिष्ट कर दिये जाय, जिनको म्यूनिसिपलटी का रुपया जो किसी पर बाकी हो लेने का अधिकार हो, सिवाय उन रकमों के जिनके जमा करने के विषय में विशेष नियम बना दिये गये हैं, और जिनके द्वारा वह शख्स निर्दिष्ट कर दिये गये हैं जिनको रुपया वसूल करने का अधिकार है, जैसे कि चुगी, या लैसंसों या तहबजारी, या वार्डों, के विषय में नियम।

सम्भवत अधिकाश मामलों में सेक्रेटरी उन मुतफर्रिक रकमों के वसूल करने का अधिकारी निर्दिष्ट किया जायगा, जिनके वसूल करने के लिये किसी और को विशेष अधिकार न दिया गया हो, और ऐसी दशा में सेक्रेटरी ही, रेग्युलेशन के द्वारा, इस कामके लिये भी नियत किया जाय कि दफा १६९ (१) (बी) के अनुसार जो उज्र बिलों (Bills) पर ऐसे लोग करें, जिनके पास कि बिल भेजे गये हों, वह उज्र उसी के पास किये जाय।

दफा १६९ (२) के अनुसार कुर्की करने का, वारन्ट जारी करने का अधिकार, चेयरमैन को, एक्जिक्यूटिव अफसर को, या किसी ऐसे अफसर को जिसको बोर्ड रेग्युलेशन के द्वारा इस अभिप्राय से नियत कर दे दिया गया है। जहा एक्जिक्युटिव अफसर न हो उस म्यूनिसिपलटी में बोर्ड को चाहिये कि रेग्युलेशन के द्वारा इस अधिकार को किसी निर्दिष्ट कर्मचारी को सौंप दे।

बोर्डके कामों और कार्रवाइयोंका जायज़ होना।

(Validity of Acts & Proceedings)

दफा ११३ अनुमान और बचतें (Presumptions and Savings)

१ बोर्ड में, या बोर्ड की किसी कमेटी मे किसी जगह के खाली होने के कारण, बोर्ड या ऐसी कमेटी का कोई काम, या कार्रवाई, नाजायज़ न हो जायगी।

२ जो शख्स बोर्ड के, या किसी कमेटी के जो इस ऐक्ट के अनुसार नियत की गई हो, मेम्बर की हैसियत से, या बोर्ड के चेयरमैन या ऐसी किसी कमेटी की किसी मीटिंग के चेयरमैन, की हैसियत से काम करे उसकी किसी अयोग्यता के कारण या उसके निर्वाचन, या नामजदगी या नियुक्त किये जाने मे किसी दोष के कारण, यह न समझा जायगा कि बोर्ड का, या कमेटी का, कोई काम या कार्रवाई दूषित हो गई, यदि उन शख्सों मे, जो किसी काम के किये जाने या कार्रवाई के बरते जाने के समय उपस्थित

हों ऐसे शख्सों की संख्या आधे से अधिक हो, जिनको (बोर्ड या कमेटी की मेम्बरी की) योग्यता प्राप्त हो, और जो जायज रूपसे बोर्ड या कमेटी के मेम्बर चुने गये हों।

३ जब तक कि इसके विरुद्ध कोई बात साबित न की जाय, प्रत्येक ऐसे कागज या याद्दाश्त (Minutes) के विषय में, जिससे यह विदित होता हो कि वह किसी बोर्ड या कमेटी की कार्रवाई की लिखा पढ़ी है, यदि वह लगभग सब बातों में (Substantially) उस विधि के अनुसार लिखा गया हो, और उस विधि के अनुसार उस पर हस्ताक्षर किये गये हों, जो ऐसी कार्रवाइयों के लिखे जाने और उन पर हस्ताक्षर करने के लिये नियत की गई हों। यह समझा जायगा कि वह ठीक लिखा पढ़ी एक ऐसी जायज रूप से की हुई मीटिंग की कार्रवाई की है, जो किसी ऐसे बोर्ड या कमेटी ने की थी जिसका संगठन जायज रूप से हुआ था, और जिसके सब मेम्बर जायज रूप से योग्यता प्राप्त थे।

व्याख्या—

उप दफा (१) में जो बचत रखी गई है, यदि वह न होती, तो जब कभी बोर्ड में कोई जगह खाली होती तो महीनों तक, अर्थात् जब तक कि नया निर्वाचन, या नामजदगी न हो जाती, तब तक बोर्ड के सारे काम बन्द रहते।

उप दफा (२) में जो बचत रखी गई है, यदि वह न होती तो जब कहीं किसी मेम्बर के निर्वाचन के विरुद्ध अर्जी दी जाती, और उस अर्जी के फैसल होने में एक दो मास लग जाते, और तब उस मेम्बर का निर्वाचन नाजायज ठहराया जाता, तो यह असर होता कि उस समय तक जितने काम बोर्ड ने किये होते, वह सब नाजायज हो जाते।

—उप दफा (३) का अर्थ यह है, कि इस बात के साबित करने का भार कि कोई कागज या याद्दाश्त बोर्ड की किसी कार्रवाई की ठीक याद्दाश्त नहीं है, या यह कि कार्रवाई की लिखा पढ़ी ऐसे कागज में ठीक नहीं की गई है, उस शख्स के ऊपर होगा जो ऐसी याद्दाश्त या कागज के ठीक होने में निषेध करता हो। जैसे यदि किसी मुकदमे में बोर्ड की मिनिट बुक (याद्दाश्त की किताब) पेश हो, तो अदालत यह बात मान लेगी कि जो याद्दाश्तें उसमें लिखी हुई हैं वह ठीक हैं। जो शख्स उनको गलत प्रमाणित करना चाहे, उसको उनके गलत होने के प्रमाण देना होंगे। अतएव जब कि एक शख्स को किसी बाई लॉ के उल्लंघन करने के अपराध में दण्ड दिया गया, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि ऐसे बाई लॉ के सम्बन्ध में यह मान लिया जायगा, कि उसके पास करने में म्यूनिसिपल बोर्ड ने ठीक और कानून के अनुसार काम किया था, जब तक कि कोई ऐसे प्रमाण न दे दिये जाय जिनके कारण कि ऐसी बात न मानी जा सके। जो शख्स कि ऐसे बाई लॉ के विषय में उज्र करे कि वह जायज और कानून के अनुसार नहीं है, उसके ऊपर ऐसे प्रमाण देने का भार है, कि जिससे यह बात प्रगट हो कि ऐसे बाई लॉ को जायज मान लेना उचित न होगा।

हाईकोर्ट ने, इस विषय में, यह भी तजवीज किया कि यदि किसी अदालत के सामने कोई अपील या निगरानी पेश हो तो अदालत को भी यह अधिकार नहीं है कि स्वय इस प्रश्न को उठाये कि म्यूनिसिपल्टी का कोई बाई लॉ जायज और कानूनी विधि से पास किया गया या नहीं। देखिये सरकार बहादुर बनाम रामचन्द्र, 1897 A W N 133

कार की पहले से मजूरी प्राप्त करके, म्यूनिसिपलटी के कोष का कोई भाग, जिसकी आवश्यकता तुरन्त किये जाने वाले व्यय मे न पडे, ऐसी जमानतों (Securities) के मोल लेने मे न लगाये, जिनका वर्णन इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट सन १८८२ई० (The Indian Trust Act No II of 1882) की दफा २० मे किया गया है, या किसी प्रेसीडेन्सी बैंक मे निश्चित अवधि के लिये (On fixed deposit) जमा न करे।

व्याख्या—

इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट न० २ सन १८८२ ई० की दफा २० इस प्रकार है :—

"अगर ट्रस्ट की जायजाद नक़द रुपया हो, और वह रुपया ट्रस्ट के मतलबों के लिये तुरन्त, या जल्दी, काम में न लगाया जा सकता हो तो उस शख्स का, जिसके नाम ट्रस्ट हो, कर्तव्य होगा, कि (ट्रस्टनामा की आज्ञा के अधीन) उस रुपये को नीचे लिखी जमानतों (Securities) में लगा दे, और किसी अन्य प्रकार न लगाये—

(ए) प्रामेसरी नोट, डिबेंचर (Debenture), या भारत सरकार की या यूनाइटेड किङ्गडम् आव् ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की, किसी दूसरी जमानतों में।

(बी) उन दस्तावेजों (Bonds) डिबेंचर और वार्षिक वज़ीफों (Annuities) में, जिनका भार (Charge) इम्पीरियल पारलिमेंट द्वारा भारत की आमदनियों पर डाला गया हो।

(सी) रेलवे, या किसी दूसरी कम्पनी के हिस्सों, डिबेंचर, या स्टाक में, जिनके ब्याज के लिये भारत मन्त्री और उनकी कौंन्सिल ने जमानत कर दी हो।

(डी) बृटिश इंडिया में प्रचलित, किसी कौंसिल के द्वारा बनाया हुआ, किसी ऐक्ट के अधिकार के अनुसार उन डिबेंचरों और जमानतों में जो किसी म्यूनिसिपल्टी ने जारी की हों, या म्यूनिसिपलटी की ओर से जारी की गई हों, या ऐसी ही किसी दूसरे प्रकार की जमानतों में।

(ई) बृटिश इंडिया में जो ग़ैर मनकूला जायदाद (स्थावर) हो उस जायदाद के पहले रेहन में (First martgage), परन्तु शर्त यह है कि जायदाद किसी अवधि के लिये पट्टे पर दी हुई न हो, और जायदाद का मूल्य इतना हो कि वह रेहन के रुपये से एक तिहाई अधिक हो या यदि जायदाद में इमारतें हों, तो रेहन के रुपये से ड्योढा हो।

(एफ) या किसी दूसरी जमानत में जिसके लिये ट्रस्टनामा में स्पष्ट रूप से अधिकार दिया गया हो, या जिसके लिये हाईकोर्ट के किसी ऐसे नियम के द्वारा अधिकार दिया गया हो, जो कि हाईकोर्ट, समय समय पर इस विषय में नियमित करे। परन्तु शर्त यह है कि यदि कोई ऐसा शख्स मौजूद हो, जो मुआहिदा करने के योग्य हो, और जिसको अपने जीवन तक ट्रस्ट की जायदाद की आमदनी पाने का अधिकार प्राप्त हो, या इससे बड़ा कोई अधिकार प्राप्त हो, तो उपरोक्त क्लॉज़ (डी), (ई) (एफ) में बताई हुई जमानतों में बिना उस शख्स की लिखित आज्ञा प्राप्त किये, कोई रुपया न लगाया जायगा।"

दफा ११६ बोर्डके अधिकारमें जायदाद

किसी ऐसी विशेष शर्त के अधीन जो प्रान्तीय सरकार लगा दे उस प्रकार की सब जायदाद जो इस दफा में आगे वर्णित है, और जो म्यूनिसिपलटी के भीतर हों, बोर्ड के अधिकार मे रहेगी, और बोर्ड ही उनका मालिक होगा, और उन सब जायदादों के सहित जो बोर्ड के अधिकार मे आजाय, बोर्ड की आज्ञा के अधीन और उसके प्रबन्ध और निगरानी मे वह रहेगी, अर्थात्—

(ए) सब सार्वजनिक प्रकोटे (शहर पनाह), फाटक, बाजार, बध स्थान, खाद तथा मैले के गोदाम और सब प्रकार की सार्वजनिक इमारतें, जो म्यूनिसिपलटी के कोष से बनाई गई हों, या कायम रखी जाती हों।

(बी) सब सार्वजनिक नदियां, झीलें, झरने, तालाब, कुए और सर्वसाधारण के लिये पानी लाने, जमा रखने, और पानी पहुँचाने, के काम (तामीरात) और सब पुल, इमारतें इजन (Engine), सामान, और वस्तुए, जो उनके सङ्ग लगी हुई हों। या उनसे सम्बन्ध रखती हों, और कोई मिली हुई आराजी भी, जो किसी की निजी जायदाद न हो, और किसी सार्वजनिक तालाब या कुए से सम्बन्ध रखती हो।

(सी) सब सार्वजनिक बन्द नालियां, और मोरियां, पुलिया और पानी के रास्ते, और सब ऐसे काम (तामीरात), सामान, और वस्तुंयें, जिन का उनसे सम्बन्ध हो।

(डी) सब मिट्टी, धूल, लीद, गोबर या ऐसी व्यर्थ वस्तुंयें जो फेंक दी जाती हैं, (Refuse), या पशुओं के शरीर से निकली हुई कोई वस्तु, या किसी प्रकार की गन्दगी, या कूडा करकट, और पशुओं के मृत शरीर जो बोर्ड ने सडको पर से, घरों से, या पाखानों से, बन्द नालियों से, बहवच्चों से, या अन्य स्थानो से, एकत्र किये हों, या जो ऐसे स्थानों मे जमा हों, जो कि बोर्डने दफा १७३ के अनुसार नियत कर दिये हों।

(ई) सब सार्वजनिक लालटेनें, और लालटेनों के खम्भे, और वह पुरजे जो उनमे लगे हों, या जिनका उनसे सम्बन्ध हो।

(एफ) सब आराजियां, या अन्य जायदाद, जो श्रीमान् भारत सम्राट की ओर से, या हिवा (Gift) के द्वारा या मोल लेने के द्वारा या अन्य प्रकार, स्थानीय सार्वजनिक मतलबो के लिये बोर्ड को दे दी गई हो।

(जी) सब सार्वजनिक सडकें, और खरजे पत्थर, और अन्य सामान, और सब पेड़, तामीरात, सामान औजार, और वस्तुयें जो ऐसी सड़कों पर हों, या उनसे सम्बन्ध रखती हों।

व्याख्या—

"जो बोर्ड ने सडकों परसे घरों से पाखानों से　　एकत्र किये हो"—क्लॉज (डी) के इन शब्दों की व्याख्या–

हारीलाल बनाम सरकार बहादुर 21A L J.149 वाले मामले में इस प्रकारकी गयी है:—

"यदि किसी म्यूनिसिपलटी में ऐसे भगी हों जिनका मैला साफ करने का मौरूसी हक प्राप्त हो (Customary Sweepers), और म्यूनिसिपलटी उनसे इस प्रकार का ठहराव करले, कि भगी घरों से मैला साफ करें, और म्यूनिसिपलटी के द्वारा नियत किये हुये किसी स्थान में उसको जमा करें और इसके बदले में भगी बोझों के हिसाब से कुछ रुपया पायें, तो ऐसे ठहराव के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि भगी प्रति दिन मैला बेचा करते हैं, और म्यूनिसिपलटी उसको मोल लिया करती है। न यह कहा जा सकता है कि ऐसे मैले को भगी एकत्र करते हैं बोर्ड नहीं जमा कराता। ऐसे ठहराव के हो जाने पर ज्योंही भगी मैले को ढोने और एक निश्चित दर के हिसाब से उसको एक नियत किये हुये स्थान मे जमा करने का भार अपने ऊपर ले लेते हैं, तो यह माना जाना चाहिये कि म्यूनिसिपलटी ही, भगियों की राजी से घरों का मैला साफ कराती है। अतएव, ऐसी दशा में, जो मैला और कूड़ा घरों से जमा किया जाता है, उसको बोर्ड ही दफा ११६ के अर्थ के अनुसार एकत्र कराता है। ऐसी दशा में यदि कोई सेनिटेरी इन्सपेक्टर, अपने पदके दबाव से भगियों से मैला और कूड़ा, किसी अन्य स्थान में जमा करवाता है, और उसको बेचके दाम स्वयं रख लेता है, तो यह माना जायगा कि उसने म्यूनिसिपलटी का माल बेचा, और रुपया खा गया, और यह कि उसने ताजीरात हिन्द की दफा ४२० का अपराध किया"।

—बोर्ड की सब जायदाद रजिस्टरों में चढाई जाती हैं। विज्ञापन No 1906 XI 6. H. तारीख ५ जुलाई सन १९१६ के द्वारा म्यूनिसिपलटी की जायदाद को रजिस्टरों में चढाने के विषय में नीचे लिखी आज्ञायें दी गई है —

१ सब प्रकार की गैर मनकूला जायदाद का (स्थावर), जिसमें पेड़ भी शामिल होंगे, जो कि बोर्ड के अधिकार में हों, या जो उसको प्रबन्ध करने के लिये दी गई हों, रजिस्टर बोर्ड रखेगा।

२ आराजी नजूल, उस आराजी से, जो बोर्ड के अधिकार में हो, अलग लिखी जायगी, और इस अभिप्राय से रजिस्टर दो जिल्दों में रखा जायगा, अर्थात् जिल्द न० १ उस जायदादके लिये जो बोर्ड के अधिकार में हो और जिल्द न० २ नजूल के लिये।

३ रजिस्टर की जिल्द नं० २ में आराजी के प्रत्येक टुकड़े के लिये एक अलग पन्ना दिया जायगा, और सामने वाले पन्ने पर उस आराजी का नकशा दिया जायगा।

४ जो आराजी कि बोर्ड ने पट्टे पर ली हो (जैसे मैले की खाइयां बनाने के लिये) वह रजिस्टर की जिल्द न०-१ में लिखी जाय, परन्तु अलग २ पन्ने पर।

५ समय समय पर, परन्तु प्रति वर्ष एक बार अवश्य, बोर्ड रजिस्टर की जाच करायेगा, और जो अफसर जाच करेगा, वह इस बात का सार्टीफिकेट देगा कि रजिस्टर ठीक है।

दफा ११७ आराज़ीका जबरदस्ती प्राप्त किया जाना

यदि कोई बोर्ड किसी ऐसे अधिकार को बरतने, या कर्तव्य के पालन करने, के अभिप्राय से, जो इस कानून या अन्य किसी कानून के द्वारा, या जो इस कानून या अन्य किसी कानून के अनुसार, दिया गया हो, या बोर्ड पर डाला गया हो यह इच्छा प्रगट करे कि प्रान्तीय सरकार उसके लिये लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट सन् १८९४ ई० अर्थात् जबरन आराजी प्राप्त करनेका कानून (Land Acquisition Act 1894) या अन्य किसी

प्रचलित कानून के अनुसार, कोई आराजी, या किसी आराजी के विषय में कोई हक़, स्थायी या अस्थायी रूपसे प्राप्त करे, तो प्रान्तीय सरकार बोर्ड की प्रार्थना पर, उक्त आराजी को या आराजी के उक्त हक़ को, पूर्वकथित हुक्मों के अनुसार प्राप्त कर सकती है। और जब बोर्ड प्रान्तीय सरकार को वह मुआवजा (Compensation) जो उक्त क़ानून के अनुसार दिलाया जाय, और वह व्यय भी जो प्रान्तीय सरकार ने उन कार्रवाइयों के सम्बन्ध में किये हों, अदा कर दे, तो उक्त आराजी अथवा हक़, जैसी कि दशा हो, बोर्ड के अधिकार में आजायगी या प्राप्त हो जायगी।

व्याख्या—

लैन्ड एक्वीजिशन ऐक्ट के अनुसार आराजी प्राप्त करने के लिये दरख्वास्त सरकार के म्यूनिसिपल विभाग को भेजी जाना चाहिये (गवर्नमेंट आर्डर No 733 XI 130, तारीख़ ८ अगस्त सन् १९१० ई०)

—सार्वजनिक कार्मों के लिये आराजी प्राप्त करने के लिये जब दरख्वास्त दी जाय तो बोर्ड को चाहिये कि पूरी रिपोर्ट इस बात की दे, कि उस आराजी की क्या जरूरत है, और जो बदलाव, अर्थात् मुआवजा, देना पड़ेगा तथा जो मालगुजारी बोर्ड माफ़ कराना चाहता है, उसका तख़मीना भी भेजना चाहिये। दरख्वास्त में यह भी दिखाया जाय कि वह आराजी साधारण निजी मुआहिदे के द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, या यह बात कि विशेष कारणों से निजी मुआहिदे के द्वारा उसका प्राप्त किया जाना उचित नहीं है (विज्ञापन No 1906 XI 6. H. तारीख़ ५ जुलाई सन् १९११ ई०)

दफा ११८ बोर्डका आधिकार ऐसी जायदादका प्रबन्ध तथा निगरानी करनेका, जो उसके प्रबन्धमें दी गई हो

इसके बाद वाली दफा के हुक्मों के अधीन, और किसी ऐसी शर्त के अधीन, जो जायदाद का मालिक लगा दे, बोर्ड किसी ऐसी जायदाद का प्रबन्ध और निगरानी कर सकता है, जो उसके प्रबन्ध और निगरानी में सौंपी जाय।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार बोर्ड को आराजी नजूल का प्रबन्ध करने और उसकी निगरानी करने का अधिकार है। आराजी नजूल वह होती है जिसकी मालिक सरकार होती है, परन्तु जो बोर्ड के कब्जे और अधिकार में देदी जाती है।

म्यूनिसिपलटी के भीतर आराजी नजूल, साधारणत बोर्ड के प्रबन्ध में देदी जाया करती है, और जब तक कि बोर्ड उसका सुप्रबन्ध करता रहता है, तब तक उसके कब्जे में रखी जाती है। परन्तु ऐसी आराजी में बोर्ड को किसी प्रकार की मिलकियत प्राप्त नहीं होती और सरकार जब चाहे आराजी नजूल को वापस ले सकती है। कोई मुक़द्दमा जो आराजी नजूल की मिलकियत के विषयमें दायर किया जाय वह भारत मंत्री (Secretory of Sate) की ओर से या उनके विरुद्ध दायर किया जाना चाहिये, बोर्ड की ओर से, या बोर्ड पर, नहीं। यदि कोई ऐसी आराजी बेची जाय या पट्टे पर दी जाय, तो, यदि उसका मूल्य तीन हजार रुपये से अधिक हो, तो सरकार की मंजूरी, लेना चाहिये, और यदि तीन सौ से अधिक हो तो कमिश्नर की, और अन्य दशाओं में कलक्टर की मंजूरी

लेना चाहिये। बोर्ड अपने किसी काम के लिये, जैसे कोई इमारत बनवाने के लिये, बिना सरकार की मंजूरी के किसी आराजी नजूल पर कब्जा नहीं कर सकता। आराजी नजूल का बोर्ड को एक रजिस्टर रखना चाहिये, जिसमें प्रत्येक आराजी का पूरा वृत्तान्त हो, और जो बराबर ठीक किया जाता रहे।

—आराजी नजूल से चार प्रकार की आमदनी हुआ करती हैं अर्थात्—

१ बेचे जाने का मूल्य, अथवा पट्टे पर दिये जाने पर जो इकट्ठी रकम पट्टा लेने वाला पहिले ही देता है (जर पेशगी)।

२ पट्टे का किराया, लगान।

३ तहबजारी की आमदनी, या वह फीसें जो सड़कों, या स्थानों पर थोड़े समय के लिये कब्जा करने की इजाजत लेने वाला देता है।

४ तौल से आमदनी या बाजारों से आमदनी।

ऐसी आराजी के बेचे जाने पर जो मूल्य मिले, और पट्टे पर दिये जाने पर जो जर पेशगी मिले वह बोर्ड को तुरन्त सरकार में दाखिल कर देना चाहिये। परन्तु प्रान्तीय सरकार जिस म्यूनिसिपलटी को चाहे ऐसे जर पेशगी दाखिल करने से माफ कर सकती है। पट्टे का भी जो पूरा (Gross) किराया या लगान, हो उसका एक चौथाई सरकार में दिया जाना चाहिये। परन्तु जो फीसें ऊपर बताई हुई मद न० ३ के द्वारा प्राप्त हों, उनका कोई भाग सरकार नहीं लेती है।

आमदनी का जो भाग बचे वह बोर्ड को आराजी नजूल का प्रबन्ध करने के बदले में दिया जाता है। (देखिये म्यूनिसिपल मैन्यूअल के पन्ने २५६ से २५८ तक और गवर्नमेंट आर्डरों की मैन्यूअल, विभाग नं० १३)

सरक्युलर नं० १७ तारीख ९ अप्रैल सन् १९२१ के द्वारा आराजी नजूल के सम्बन्ध में हिदायत की गई है, कि ऐसी आराजी को बेच के, हमेशा के लिये हाथ से निकाल देना, सर्वथा अनुचित है, विशेष कर ऐसी आराजी जो बड़े बड़े नगरों के भीतर, या जो उनके पास हो। "यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि आराजियों का मूल्य सब स्थानों में बढ़ रहा है, और यदि वर्तमान समय में किसी आराजी से पूरा लाभ न मिलता हो, तो भी यह सम्भव है कि भविष्य में इस समय की सब हानि पूरी हो जायगी।

दफा ११९ सार्वजनिक संस्थायें

१ प्रत्येक सार्वजनिक संस्था का, जो केवल म्यूनिसिपलटी के रुपये से चलाई जाती हो, प्रबन्ध, निगरानी, और शासन, बोर्ड के अधिकार में होगा।

२ कोई अन्य सार्वजनिक संस्था, बोर्ड के अधिकार, प्रबन्ध, निगरानी, और शासन में दी जा सकती है। परन्तु शर्त यह है कि उसके सम्बन्ध मे बोर्ड के स्वतन्त्र अधिकार की सीमा, नियम के द्वारा नियमित की जा सकती है।

३ सब जायदाद, दान मे लगाई हुई सम्पत्ति (Endowments) और वह कोष जो किसी ऐसी सार्वजनिक संस्था के हों जो बोर्ड के अधिकार मे हो, या जो बोर्ड के प्रबन्ध, निगरानी, और शासन, मे देदी जाय, इस अभिप्राय के लिये कि बोर्ड के पास

अमानत की तरह रहेंगे जिस अभिप्रायके लिये कि ऐसी जायदाद, दानमे लगाई हुई सम्पत्ति और कोष, उस समय कानून के अनुसार लगाये जा सकते थे, जब कि वह सस्था इस प्रकार बोर्ड के अधिकार मे आई थी, या बोर्डके प्रबन्ध, निगरानी, और शासन में दी गई थी।

४ परन्तु शर्त यह है कि इस दफा के पूर्वोक्त हुक्मों मे किसी बात से यह न समझा जायगा, कि किसी अमानत वाली जायदाद को चेरिटेबिल एन्डाऊमेन्ट्स ऐक्ट, सन् १८९० (Charitable Endowments Act of 1890) के अनुसार, दानमे लगाई हुई सम्पत्ति के खजानची (Treasurer of Charitable Endowments) के अधिकार मे दिये जाने की मनाही है।

दफा १२० म्यूनिसिपलटीके कोष और जायदादका काममें लगाया जाना

१ म्युनिसिपलटी का कोष और सब जायदाद जो किसी बोर्ड के अधिकार मे हो उन मतलबोंमे, चाहे वह स्पष्ट हो या उपलक्षित (Express or implied) लगाई जायगी जिनके लिये इस कानून या अन्य किसी कानून के द्वारा, या उसके अनुसार, बोर्ड को अधिकार दिये गये हों या कर्तव्य या जिम्मेदारियां लगाई गई हों।

२ परन्तु शर्त यह है कि बोर्ड म्युनिसिपलटी की हदों के बाहर आराजी प्राप्त करने या किराये पर लेने, या उक्त हदो के बाहर किसी काम के बनाने मे, कुछ व्यय न करेगा सिवाय–

(ए) प्रान्तीय सरकार की मंजूरी से, और

(बी) ऐसे बन्धेजों और शर्तों के अधीन, जो प्रान्तीय सरकार लगाये।

३ यह भी शर्त है कि बोर्ड की निम्नलिखित जिम्मेदारियों, और भारो को, जिस क्रम से वह नीचे लिखी गई है, पहिला स्थान दिया जायगा—

(ए) वह जिम्मेदारियां और भार जो किसी ऐसी अमानत (Trust) के कारण उत्पन्न हो, जो कानून के अनुसार बोर्ड को सौंपी गई हों, या जिसको उसने स्वीकार कर लिया हो।

(बी) किसी ऐसे ऋण का, और उसके सूद का अदा किया जाना, जो लोकल आथारिटीज लोन्स ऐक्ट, सन १९१४ के अनुसार, लिया गया हो।

(सी) कर्मचारियों के वेतन इत्यादि का अदा किया जाना, जिनमें वह चन्दे की रकमे, जिनका वर्णन दफा ७८ मे है, शामिल होंगी, और किसी ऐसे एक्जिक्यूटिव अफसर का वेतन, एलाउएन्स, और पेन्शन, जिसको सरकार ने नियुक्त किया हो, भी शामिल होगी।

(डी) कोई ऐसी रकम जिसको म्युनिसिपलटी के कोष से अदा किये जाने का हुक्म दफा ३५ की उप दफा (३), या दफा ३६ की उप दफा (२), या दफा १३६ या दफा १६३ की उप दफा (३), या दफा ३३० की उप दफा (३), के अनुसार दिया गया हो।

व्याख्या—

उप दफा (२) के अनुसार, जो कोई काम बोर्ड म्यूनिसिपल्टी की हदों के बाहर करना चाहे, उसके व्यय के लिये प्रान्तीय सरकार की मजूरी चाहिये होती है, चाहे वह काम ऐसा हो जो बोर्ड के लिये दफा ७ के अनुसार करना आवश्यक हो, या जिसके करने के लिये दफा ८ के अनुसार बोर्ड स्वाधीन हो।

म्यूनिसिपल्टी की आमदनी उन लोगों से होती है जो म्यूनिसिपल्टी के भीतर रहते हैं। अतएव म्यूनिसिपल्टी का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिये कि रुपया ऐसे कामों में लगाया जाय जो म्यूनिसिपल्टी के भीतर हों। परन्तु कोई कोई काम ऐसे हैं जिनका विस्तार म्यूनिसिपल्टी के बाहर किये जाने से म्यूनिसिपल्टी को आर्थिक लाभ हो सकता है, या जिनके कि बनाने में अधिक खर्च होने के कारण, उनसे लाभ की आशा उसी दशा में की जा सकती है, जब वह म्यूनिसिपल्टी के बाहर भी किये जाय। जैसे ट्राम्वे, या छोटी रेलें, (Light Railways) चलाना। ऐसा कोई काम जब म्यूनिसिपल्टी अपनी हदों के बाहर करना चाहे तो प्रान्तीय सरकार की मजूरी से कर सकती है।

— लोकल आथारिटीज़ लोन्स एक्ट न० ९ सन १९१४ की दफा ३ के अनुसार कर्ज लेने का अधिकार इस प्रकार है —

३ कोई स्थानीय अधिकारी (Local authority) उन शर्तों के अधीन, जो नियमित की गई हों, नीचे लिखे मतलबों में से किसी मतलब के लिये अपने कोष की जमानत पर, या अपने कोष के किसी भाग की जमानत पर, ऋण ले सकता है, अर्थात् —

(१) किसी ऐसे काम के करने के लिये, जिसके करने का उसको कानून के अनुसार अधिकार प्राप्त है।

(२) अकाल (कहत) के समय, या ऐसे समय में जब कि खाद्य वस्तुओं का अभाव हो, सहायता देने के लिये या सहायता देने वाले कामों को स्थापित करने, और जारी रखने, के लिये।

(३) किसी खतरनाक फैलने वाली बीमारी को फैलने से रोकने के लिये।

(४) किसी ऐसे काम के करने के लिये जो क्लॉज (२) और (३) में बताये हुए कामों के लगाव में हो, या उनके सहायक हों।

(५) कानून के अनुसार जो ऋण पहिले लिया जा चुका हो। उसके चुकाने के लिये।

परन्तु शर्त यह है कि क्लॉज (५) में किसी बात का यह अर्थ न माना जायगा, कि उसके द्वारा किसी स्थानीय अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है, कि उक्त क्लॉज के अनुसार लिये हुए ऋण के चुकाने के लिये, कोई समय नियत करदे, जो समय (उस अवधि को हिसाब में लेके जो कि उस ऋण को चुकाने के लिये नियत की गई थी, जो पहिले लिया गया था) उस अधिक से अधिक अवधि से बढ़ जाय, जो किसी ऐसे ऋण को चुकाने के लिये नियत की गई हो, जो इस एक्ट के द्वारा या अन्य किसी एक्ट के द्वारा, जो उस समय प्रचलित हों, लिया गया हो।

और यह भी शर्त है कि, उन ऋणों के अतिरिक्त जो प्रान्तीय सरकार दे, अन्य ऋणों की दशा में कोई रकम जो पच्चीस लाख रुपये से अधिक हो कर्ज न ली जायगी, जब तक कि उसकी शर्तें, जिन शर्तों में कि ऋण के आरम्भ की तारीख भी शामिल होगी, गवर्नर जनरल और उनकी कौन्सिल के द्वारा मंजूर न कर ली जाय।

२ इस दफा में किसी बात का यह मतलब न माना जायगा कि उसके द्वारा किसी स्थानीय अधिकारी को अधिकार दिया गया है कि—

(ए) वह किसी ऐसे मतलब के लिये ऋण ले या रुपया खर्च करे जिसमें अपने कोष को लगाने के लिये उसको प्रचलित कानून के अनुसार अधिकार नहीं दिया गया है।

(बी) वह ऐसे बिल तथा प्रामेसरी नोटों को जारी करके रुपया कर्ज ले जिनमें किसी ऐसी अवधि के भीतर रुपया चुकाने की शर्त हो जो अवधि कि बारह मास से कम हो।

—दफा १२० की उप दफा (३) के द्वारा बोर्ड के लिये आज्ञा दी गई है कि म्यूनिसिपलटी का रुपया खर्च करने में यह ध्यान रखे कि रुपया कामों में उस क्रम से लगाया जाय जो क्रम कि उक्त उप दफा में नियमित है। अर्थात् सब से पहले किसी ट्रस्ट (Trust) की जिम्मेदारियों के पूरा करने में रुपया लगाया जाय, तत्पश्चात् म्यूनिसिपलटी का ऋण और उसका सूद अदा किया जाय। उसके पश्चात जो रुपया बचे उसमें से पहले कर्मचारियोंका वेतन आदि दिया जाय। इत्यादि

दफा १२१ कोई रकबा म्यूनिसिपलटी न रहने पर म्यूनिसिपल कोषका ठिकाने लगाया जाना

१ जब दफा ३ के अनुसार दिये हुये किसी विज्ञापन के कारण, कोई स्थानीय रकबा म्यूनिसिपलटी न रहे, और वह किसी अन्य स्थानीय अधिकारी की निगरानी और अधिकार में तुरन्त दे दिया जाय, तो म्यूनिसिपलटी का कोष, और वह जायदाद जो बोर्ड के अधिकार में हो, ऐसे दूसरे स्थानीय अधिकारी के अधिकार में आ जायगी, और बोर्ड के ऊपर जो भार होंगे, वह बदल के, ऐसे अधिकारी के जिम्मे हो जायगे।

२ जब इसी प्रकार, कोई स्थानीय रकबा म्यूनिसिपलटी न रहे, और वह किसी दूसरे स्थानीय अधिकारी की निगरानी और अधिकार में तुरन्त न दिया जाय, तो म्यूनिसिपल कोष में जितना रुपया बचा हुआ होगा, और जो जायदाद कि बोर्ड के अधिकार में होगी, वह श्रीमान भारत सम्राट के अधिकार में हो जायगी, और बोर्ड का भार बदल के भारत मन्त्री के जिम्मे हो जायगा।

दफा १२२ रक़बा म्यूनिसिपलटीमें शामिल न रहने पर म्यूनिसिपल कोषको ठिकाने लगाना

१ जब दफा ३ के अनुसार दिये हुये किसी विज्ञापन के कारण कोई स्थानीय रक़बा किसी म्यूनिसिपलटी में सम्मिलत न रहे, और वह किसी दूसरे स्थानीय अधिकारी की निगरानी और अधिकार में तुरन्त दे दिया जाय, तो म्यूनिसिपलटी के कोष का, और दूसरी जायदाद का जो बोर्ड के अधिकार में हों उतना भाग उक्त स्थानीय अधिकारी के अधिकार में आ जायगा, और बोर्ड के भारों का उतना भाग उक्त स्थानीय अधिकारी के जिम्मे हो जायगा, जितना कि प्रान्तीय सरकार, बोर्ड और उक्त स्थानीय अधिकारी से सलाह करने के पश्चात, विज्ञापन के द्वारा प्रकाशित कर दे।

२ इसी प्रकार जब कोई स्थानीय रक़बा किसी म्यूनिसिपलटी में सम्मिलित न रहे, और वह किसी दूसरे स्थानीय अधिकारी की निगरानी और अधिकार में न दिया जाय,

तो म्यूनिसिपलटी के कोष का, और दूसरी जायदाद का जो बोर्ड के अधिकार मे हो, उतना भाग, श्रीमान भारत सम्राट के अधिकार में आ जायगा, और बोर्ड के भारों का उतना भाग भारत मन्त्री और उनकी कौन्सिल के जिम्मे हो जायगा, जितने का प्रान्तीय सरकार, बोर्ड से सलाह करने पर, और किसी ऐसी दरख्वास्त पर विचार करने के पश्चात, जो म्यूनिसिपलटी से बाहर निकले हुये रकृबे के निवासियो की ओर से पेश की जाय, विज्ञापन के द्वारा प्रकाशित कर दे।

३ परन्तु शर्त यह है, कि जब म्यूनिसिपलटी के बाहर निकाला हुआ कोई रकबा, किसी ऐसे स्थानीय अधिकारी की निगरानी में दिया जाय, जिसका अस्तित्व (वजूद) इस प्रकार बाहर निकाले जाने की तारीख से पूर्व नही था, तो प्रान्तीय सरकार को चाहिये कि उप दफा (१) के अनुसार विज्ञापन देने से पूर्व किसी ऐसी दरख्वास्त पर विचार करे, जो बाहर निकाले हुये रकृबे के निवासी पेश करें।

४ यह भी शर्त है कि इस दफा के पूर्वोक्त हुक्म, किसी ऐसी दशा में लागू न होंगे, जिसमे कि प्रान्तीय सरकार की रायमे, हालतों पर दृष्टि करके, यह अनुचित हो, कि म्यूनिसिपलटी के कोष का, अथवा म्यूनिसिपलटी के भारों का, कोई भाग बदलके किसी दूसरे को दिया जाय, या किसी दूसरे पर डाला जाय।

दफा १२३ दफा १२१ व १२२ के द्वारा मिली हुई जायदाद का सरकार द्वारा काम में लगाया जाना

किसी बोर्ड का म्यूनिसिपल कोष, या उसका कोई भाग, या बोर्ड की अन्य जायदाद, जो दफा १२१ या दफा १२२ के हुक्मो के अनुसार, श्रीमान भारत सम्राट को प्राप्त हो, पहिले बोर्ड के किसी ऐसे भारों के चुकाने मे लगाया जायगा, जो उक्त हुक्मो के अनुसार, भारत मन्त्री और उनकी काउन्सिल के जिम्मे कर दिये गये हो, और उसके बाद उक्त स्थानीय रकबे के निवासियो के लाभ के कामो मे लगाया जायगा।

दफा १२४ बोर्डका अधिकार जायदाद अलग करनेका

१ किसी ऐसे बन्धेज के आधीन, जो इस ऐक्ट के द्वारा, या इस ऐक्ट के अनुसार, लगाया गया हो, बोर्ड, किसी जायदाद को, जो उसके अधिकार मे हो, और जो ऐसी जायदाद न हो जो अमानत की तरह बोर्ड के कब्जे मे हो और जिसके विषय मे ऐसी शर्तें हों कि वह इस प्रकार अलग किये जाने मे बाधक हों, बेचकें, आड करके, पट्टे पर देके, हिबा (Gift) करके, अदला बदला (Exchange) करके, या किसी अन्य प्रकार, अलग कर सकता है।

२ उप दफा (१) के हुक्मो के होते हुये भी, बोर्ड प्रान्तीय सरकार की मंजूरी से किसी ऐसी जायदाद को, जो बोर्ड के अधिकार मे हो, श्रीमान भारत सम्राट को दे सकता है (हक मे मुन्तकिल कर सकता है) परन्तु इस प्रकार नही दे सकता कि किसी अमानत (Trust) पर, या जनता के किसी हक पर, जिसके अधीन ऐसी जायदाद हो, असर पड़े।

२ परन्तु शर्त यह है कि उपदफा (१) के अनुसार, प्रत्येक इन्तकाल (दे दिया जाना), सिवाय किसी ऐसे पट्टे के जो एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये न हो, लिखित दस्तावेज के द्वारा किया जायगा, जिस पर म्यूनिसिपलटी की आम मुहर (Commonseal) लगाई जायगी, और जिसमें अन्य प्रकार वह सब शर्तें काम में लाई जायगी जो इस ऐक्टके द्वारा, या इस ऐक्टके अनुसार, मुआहदोंके सम्बन्धमें लगाई गई हों।

व्याख्या—

विज्ञापन No 1906 XI B H तारीख ५ जुलाई सन् १९१६ ई० के द्वारा निम्न लिखित नियम बोर्ड द्वारा जायदाद अलग किये जानेके विषयमें बना दिये गये हैं —

१ इन नियमोंमें, शब्द "जायदाद गैरमनकूला" (स्थावर) और "मनकूला" (जङ्गम) का जहां कहीं वे आवें, वही अर्थ होगा जो सयुक्त प्रान्तके जनरल क्लाजेज एक्ट सन १९०४ ई० (U P General Clauses Act of 1904) में उसको दिया गया है। परन्तु जब जायदाद मुन्तकिल (अलग) करना हो तो ऐसा कानून इन्तकाल जायदाद सन १८८२ ई० (Transfer of Property Act, of 1882) के हुक्मोंके अधीन होगा।

२ जायदाद गैरमनकूला (स्थावर) को, जो बोर्डके अधिकारमें हो सिवाय कमिश्नरकी पहलेसे मजूरी प्राप्त किये हुये और सिवाय उन शर्तोंके अधीन जो कमिश्नर मजूर करे, बेचने, आड करने, या उसके ऊपर कोई भार (Charge) डालने या अदला बदला करनेके द्वारा, या किसी अन्य प्रकार सिवाय ऐसे पट्टेके द्वारा जिसमें कोई जर पेशगी (Premium) न लिया गया हो बोर्ड अलग न करेगा—यदि जायदादका मूलधन (Capital Value) पाच सौ रुपयसे अधिक न हो तो उपरोक्त नियमोंमें जो अधिकार कमिश्नरको है वह जिला मजिस्ट्रेटको होगा।

३ किसी ऐसी जायदाद गैरमनकूला, जो बोर्डके अधिकारमें हो, का ऐसा पट्टा जिसमें कोई जर पेशगी न लिया जाय, बोर्ड निम्न लिखित शर्तों पर दे सकता है।

(१) वार्षिक लगानकी एक उचित रकमके अदा किये जानेकी शर्त लगाई जाय और यह शर्त लगाई जाय कि पट्टेकी अवधि समाप्त होने तक ऐसी रकम बराबर अदा की जाती रहेगी। और

(२) पट्टा, या पट्टेका मुआहिदा किसी ऐसी अवधिके लिये बोर्डकी बिना पहलेसे मजूरी लिये किया जायगा, या यदि पट्टेकी अवधि पाच वर्षसे अधिक हो परन्तु तीस वर्षसे अधिक न हो तो बिना जिला मजिस्ट्रेटकी पहले मजूरी लिये न दिया जायगा या यदि पट्टेकी अवधि तीस वर्षसे अधिककी हो तो बिना कमिश्नरकी पहलेसे मजूरी लिये न दिया जायगा।

परन्तु शर्त यह है कि अवध प्रान्तमें जो लगान पट्टे पर बांधा जायगा, वह अवधके कानून लगानके हुक्मोंके अनुसार बाधा जायगा।

४ जब कभी कोई बोर्ड जायदाद गैरमनकूला (स्थावर) को अलग करना चाहे और उसके दाम पांच सौ रुपयासे अधिक ठहरे हों या जब कभी लैण्डएक्वीजिशन ऐक्ट सन १९२४ ई० (Land Acquisition Act 1924) के अनुसार किसी ऐसी जायदाद गैरमनकूला के विषयमें कोई कार्रवाई की जाय जिसका मूल्य पाच सौ रुपयेसे अधिक हो, बोर्ड कमिश्नरसे दरख्वास्तके द्वारा आज्ञा मांगेगा कि जो रुपया जायदादके बदले मिलनेकी सम्भावना है वह कुल

या उसका कुछ भाग ब्याज आदि पर लगाया जाय कि नहीं। और कमिश्नरकी जो आज्ञा ऐसी दरख्वास्त पर हो बोर्ड उसका पालन करेगा।

५ (१) कोई जायदाद मनकूला (जङ्गम) जो बोर्डके अधिकारमें हो सिवाय उन जमानतों (Securities) के जो ऐक्टकी दफा ११५ की उपदफा (३) में अंकित हैं, या जिनका उसमें उल्लेख है, या जो इन नियमोंके प्रकाशित होनेके समय बोर्डके नामसे एकाउन्टेण्ट जनरल (Accountent General) की किताबोंमें या किसी रेलकी या अन्य कम्पनीकी किताबोंमें हों उनको बोर्ड जिस प्रकार चाहे, ऐसी शर्तोंके अधीन जो बोर्ड मीटिंगमें रेजोल्यूशनके द्वारा उचित समझे अलग कर सकता है।

(२) वह जमानतें (Securities) जो इस नियमके ऊपर वाले पैरामें वर्णित हैं उनको बोर्ड विना सरकारकी पहलेसे मंजूरी लिये हुये किसी प्रकार अलग नहीं कर सकता।

६ उपरोक्त नियमोंकी किसी बातका लोकल अथारिटीज लोन्स ऐक्ट सन् १९१४ ई० (Local Authorities Loans Act 1914) पर कोई असर न होगा, जिसके अनुसार (सिवाय उन दफाओंके जिनका हुक्म उस ऐक्टमें अथवा उसके अनुसार बनाये हुये नियमोंमें है) किसी बोर्डको अधिकार नहीं है कि वह अपने कोषकी जमानत पर रुपया कर्ज ले या किसी ऋणका भार अपने कोष पर डाले।

७ इन नियमोंमें जहां कहीं हुक्म है कि जिला मजिस्ट्रेटकी या कमिश्नरकी या सरकारकी पहलेसे मंजूरी किसी ऐसी जायदादको अलग करनेके लिये ली जाय जो बोर्डके अधिकारमें हो तो जिस दस्तावेजके द्वारा जायदाद अलग की जाय उसमें यह बात दर्ज होना चाहिये कि जिला मजिस्ट्रेट कमिश्नर या सरकार की मंजूरी अर्थात जैसी दशा हो प्राप्त कर ली गई है।

—आम मुहरके लिये देखिये दफा ६ और उसकी व्याख्या।

—आराजी नजूलके अलग किये जानेके लिये देखिये दफा ११८ और उसकी व्याख्या।

दफा १२५ म्यूनिसिपल कोषसे मुआवजा (बदलाव) दिया जाना

बोर्ड म्यूनिसिपलटी के कोष में से किसी ऐसे शख्स को मुआवजा (Compensation) दे सकता है, जिसको किसी ऐसे अधिकार के बरते जाने के कारण हानि पहुँचे, जो इस कानून या अन्य किसी कानून के अनुसार बोर्ड, या उसके अफसरों, या कर्मचारियों को प्राप्त हुआ हो, या दफा ३४ के अनुसार, प्रान्तीय सरकार, या कमिश्नर, या जिला मजिस्ट्रेट, को प्राप्त हुआ हो, और यदि उस शख्स का जिसको हानि पहुँचे उस मामले मे दोष न हो, जिस मामले के सम्बन्ध मे कि वह अधिकार बरता गया हो, तो ऐसा मुआवजा देना बोर्ड के लिये आवश्यक होगा।

व्याख्या—

मुआवजे की संख्या निर्णय करने में यदि झगडा हो, उसके लिये देखिये दफा ३२४। इमारत बनाने की अर्जियों के सम्बन्ध में मुआवजा देने की, बोर्ड की जिम्मेदारी के विषयमें देखिये दफायें १८३ और २२२ (५)। इमारतों के निकले हुये भागों के तोडे जाने के विषयमें देखिये दफा २११। सहज से जल उठने वाले छावन के हटाये जाने के विषयमें देखिये दफा २५७। खेती के सम्बन्धमें किसी प्रकारकी मनाही कर दिये जाने के मुआवजे के विषयमें देखिये दफा २८१ (२)

दफा १२६ मेलों इत्यादिमें पुलिसके द्वारा विशेष रक्षा किये जाने का खर्च बोर्ड द्वारा दिया जाना

१ जब प्रान्तीय सरकारकी रायमें किसी मेले या कृषि सम्बन्धी प्रदर्शनी (जराअती नुमाइश—(Agricultural Exhibition), या कारीगरी की प्रदर्शनी, के सम्बन्ध में, जिसका प्रबन्ध बोर्ड कर रहा हो, पुलिस के द्वारा विशेष रक्षाकी आवश्यकता हो, तो प्रान्तीय सरकार ऐसी रक्षा का प्रबन्ध कर सकती है, और बोर्ड ऐसी रक्षा का कुल खर्च अदा करेगा, या उसका उतना भाग अदा करेगा जितना कि प्रान्तीय सरकार न्याय की दृष्टि से, बोर्ड की ओर से दिया जाना उचित समझे।

२ यदि वह रकम जो बोर्ड के ऊपर डाली गई हो अदा नहीं की जाय तो जिला मजिस्ट्रेट यह हुक्म दे सकता है कि वह शख्स जिसके कब्जे में म्यूनिसिपलटी का कोष हो, ऐसे खर्च को उक्त कोष से दे।

दफा १२७ म्यूनिसिपल कोष और जायदादसे सम्बन्ध रखने वाली अन्य बातें

निम्न लिखित मामलों का प्रबन्ध उन नियमों के अनुसार होगा, और वह उन नियमों के अधीन होंगे, जो प्रान्तीय सरकार, दफा २९६ के अनुसार, बनाये अर्थात्—

(ए) यह कि किसके हुक्म से म्यूनिसिपलटी के कोष से रुपया दिया जा सकता है।

(बी) शर्तें जिनपर बोर्ड कोई जायदाद प्राप्तकर सकता है, या जिन पर कोई ऐसी जायदाद, जो बोर्डके अधिकार में हो, बेच के अथवा (रेहन) कर के, पट्टे पर दे के, अदला बदला करके, या अन्य प्रकार अलग की जा सकती है।

(सी) म्यूनिसिपल कोष और म्यूनिसिपल जायदाद के सम्बन्ध में कोई और मामला जिसके विषयमें ऐक्टमें कोई हुक्म न हो, या काफी हुक्म न हो, और जिसके विषय में हुक्म होना आवश्यक हो।

व्याख्या—

क्लॉज (ए) के सम्बन्ध में म्यूनिसिपल एकाउन्ट कोड में, नियम के द्वारा, आज्ञा दी गई है, कि जो रुपया म्यूनिसिपल कोष से दिया जाय, वह चेक (Cheque) के द्वारा दिया जाय, जिस पर चेयरमैन के, या एक्जिक्यूटिव अफसर के, या वाइस चेयरमैन के, या बोर्ड के मेम्बरों के दस्तखत हों। दस रुपये से कम की रकमें, और चुंगी की कोई वापसी (यदि वापसी लेने वाला ऐसा चाहे) उस रकममें से जो किसी अफसर के पास जमा रक्खी जाती है (Advance) नकद दी जायगी। ऐसी पेशगी रकम उन अफसरों के पास जमा रक्खी जाती हैं जिनका छोटे छोटे खर्च करना पड़ा करते हैं, और जिनका रुपया कि तुरन्त देना पड़ता है।

—आराजियों के मार्ग दबा लेने से जनता को रोकने के लिये (Prevention of Encro-

achments) और दबाये हुये भागों का पता लगाने के लिये क्लॉज (सी) के अनुसार नीचे लिखे नियम बनाये गये हैं —

१ प्रत्येक बोर्ड को चाहिये कि म्यूनिसिपलटी का एक नकशा तैयार करे, और उसको कायम रखने का प्रबन्ध करे। नकशा स्केल (Scale) पर खींचा जाना चाहिये और सब सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों की जगह उसमें दिखाई जाना चाहिये।

२ प्रत्येक बोर्ड को यह प्रबन्ध करना चाहिये कि—

(ए) वह कर्मचारी या (एक से अधिक कर्मचारी), जो इस अभिप्रायसे नियत किया जाय, या जिसको इस अभिप्राय से अधिकार दिया गया हो, चेयरमैन को, या एक्जिक्यूटिव अफसर को, जहां कहीं कोई भाग किसी सड़क या स्थान का, दबा लिया जाय, तुरन्त रिपोर्ट (सूचना) दे। और

(बी) प्रत्येक मास ऐसा कर्मचारी (या एक से अधिक कर्मचारी) इस बात का सर्टीफिकेट दें, कि गत मास में सिवाय उन स्थानों के जिनके विषयमें सूचना दी जा चुकी है, और किसी स्थान में कोई भाग दबाया नहीं गया है।

(सी) ऐसा कर्मचारी (या एक से अधिक कर्मचारी) म्यूनिसिपलटी के नकशे से प्रति वर्ष प्रत्येक सार्वजनिक सड़क और स्थान के क्षेत्र फल (रकबा) और चौड़ाई की जांच और मिलान करे, और जो अन्तर दोनोंमें हो उसकी रिपोर्ट दे



प्रकरण ५

म्यूनिसिपल्टी के कर

(Municipal Taxation)

करोंका लगाया जाना और उनमें परिवर्तन किया जाना

(Imposition and Alteration of Taxes)

दफा १२८ कर जो लगाये जा सकते हैं

१ किसी ऐसे साधारण नियमों और विशेष हुक्मों के आधीन, जो प्रान्तीय सरकार ने इस अभिप्राय से बनाये या दिये हों, कर (टैक्स) जो बोर्ड समस्त म्यूनिसिपल्टी में, या उसके किसी भाग में लगा सकता है निम्नलिखित हैं —

(१) इमारतों या आराजियों, या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर।

(२) व्यापारों तथा व्यवसायों पर कर जो व्यापार या व्यवसाय कि म्यूनिसिपल्टी की हद्दों के भीतर किये जाते हों।

(३) व्यापारों (Trades), व्यवसायों (Callings), और कामों (Vocations) पर, कर जिनमें ऐसे सब काम भी शामिल समझे जायगे, जिनका बदलाव (Remuneration) वेतन अथवा फीसके द्वारा दिया जाता हो।

(४) गाडियों तथा अन्य सवारियों पर कर, जो किराये पर चलाई जाती हों या म्यूनिसिपल्टी के भीतर रखी जाती हों, या ऐसी नावों पर कर जो म्यूनिसिपल्टी के भीतर बांधी जाती हों।

(५) उन कुत्तों पर कर जो म्यूनिसिपल्टी के भीतर रखे जाते हों।

(६) उन पशुओं पर कर सवारीके, या गाडी में जोतने के, या बोझा खींचने अथवा लादने के काम में आते हों, उस दशा में जब कि वह म्यूनिसिपल्टी के भीतर रखे जाय।

(७) गाडियों (Vehicles) तथा अन्य सवारियों पर और बोझा लादे हुए कुलियों पर, जो म्यूनिसिपल्टी में प्रवेश करें (दाखिल हों) प्रवेश कर (Toll)।

(८) चुंगी (Octroi), उन वस्तुओं या पशुओं पर, जो म्यूनिसिपल्टी में खर्च होनेको, या काममें लाये जानेको, उसके भीतर लाई या लाये जायं

(९) निवासियों पर कर, जो उनकी हैसियत (आर्थिक स्थिति) और जायदादपर (Circumstances & Property) कूता (Assessed) जाय।

(१०) पानी का कर, इमारतो, या आराज़ियो, या दोनों के, वार्षिक मूल्य पर।

(११) मैला और कूड़ा उठवाने का कर।

(१२) पाखानो और पेशाबखानो के साफ कराने का कर।

(१३) किसी ऐसे माल पर कर, जो किसी ऐसी म्यूनिसिपलटीके भीतर लाया जाय, या उसके बाहरले जाया जाय, जिस म्यूनिसिपलटीमे कि तारीख ६, जुलाई सन १९१७ई०को चुगी का टैक्स लगा हुआ हो। या गवर्नर जनरल और उनकी कौंसिल की मंजूरी से, किसी अन्य म्यूनिसिपलटी मे भी (उक्त कर लगाया जा सकता है)

एक्ट न० १ सन १९१८ई०

(१४ए) कोई अन्य कर जिसके गवर्नमेण्ट आव् इण्डिया ऐक्ट की दफा ८० ए की उप दफा (३) के क्लाज (ए) के अनुसार बनाये हुए नियमों के अनुसार, लगाने का अधिकार, बिना गवर्नर जनरल की मजूरी पहले से प्राप्त किये हुए, किसी ऐसे कानून के द्वारा जो कि प्रान्तीय व्यवस्थापक काउन्सिल (Local legislature) ने बनायाहो, किसी स्थानीय अधिकारी को दिया जा सकता हो।

एक्ट न० १८ सन १९२०ई०

(१५) कोई कर जिसके लगाने का अधिकार क्लाज (१) से क्लाज (१३ ए) तक मे न दिया गया हो, और जिसके लगाने की मंजूरी प्रान्तीय सरकारने दे दी हो और दफा १३३ की उप दफा (३) के अनुसार, जिस मजूरी का समर्थन कि गवर्नर जनरल और उनकी कौंसिल ने तय कर दिया हो।

एक्ट न० १८, सन १९२०ई०

२, परन्तु शर्त यह है कि उप दफा (१) के क्लाज (३) और (९) मे अंकित किये हुये कर एक साथ नही लगाये जायगे, न उपदफा (१) के क्लाज (८) के अनुसार चुगी, और उपदफा (१) के क्लॉज (१३) मे अंकित किया हुआ कर, एक साथ लगाये जायगे।

व्याख्या—

"करों के लगाने का मुख्य अभिप्राय यह होना चाहिये कि म्यूनिसिपलटी का खर्च निकल आये। इस उसूल को तभी छोडना चाहिये जब कि कोई विशेष आवश्यकता आ पडे। जिस किसी म्यूनिसिपलटी में सब प्रकार के व्यय के पश्चात्, करों की कोई रकम बच रहा करती हो, उस म्यूनिसिपलटी के विषयमें यह समझना चाहिये कि उसको करों में कमी कर देनेके उपाय करना चाहिये"।

(देखिये—गवर्नमेण्ट आव इण्डिया का रेजोल्युशन No. 2312-A, तारीख़ पहिली मई, सन् १९०१ ई०)

—दफा १२८ की उप दफा (१) में अंकित किये हुये कर दो प्रकार के हैं, अर्थात्—

(अ) सीधे (Direct), और (आ) परोक्ष (In direct)। 'हैसियत और जायदाद पर" का टैक्स सीधे (Direct) कर का एक उदाहरण है। अधिकांश देशों के नगरों की म्यूनिसिपलटियों का झुकाव अब सीधे करों की ओर है, और उनमें परोक्ष करों के बदले सीधे कर लगाये जा रहे हैं। संयुक्त प्रान्त की म्यूनिसिपलटियों में भी "हैसियत और जायदाद" की सीधा कर

चुंगी की जगह (जो एक परोक्ष कर है) लगाया गया था। किन्तु अनेक कारणों से उसको हटाके चुंगी फिर से प्रचलित कर दी गई है।

सीधे करों में से कौन से लगाये जायं, इस बातके निश्चय करने में दो प्रधान उसूल ध्यान में रखना चाहिये। प्रथम तो यह कि, जो निर्दिष्ट सेवायें म्यूनिसिपल्टी जनता की करे उनके बदलाव, अथवा उजरत, के कर म्यूनिसिपलटी को अवश्य लगा देना चाहिये। जैसे पानी का टैक्स, कूड़ा साफ कराने का टैक्स, तथा मैला उठवाने का टैक्स। दूसरे यह कि प्रत्येक शख्स की, म्यूनिसिपल्टी के कर देने की योग्यता के आधार पर कर लगाना चाहिये।

चुंगी, प्रवेश कर (Toll), और टर्मिनल टैक्स (Terminal tax) परोक्ष करके उदाहरण हैं। यह कर 'परोक्ष' इस कारण कहलाते हैं कि म्यूनिसिपलटी इनको व्यापारियों से, बहुधा ऐसे माल पर, जो म्यूनिसिपलटी के भीतर लाया जाता है, ले लेती है, और व्यापारी अपने माल के दाम बढ़ाके, ग्राहकों से वसूल किया करते हैं। (देखिये, रेज़ोल्युशन, No 3462x|-271 E, तारीख़, १९ सितम्बर सन १९१६ ई०)

—क्लॉज (१) मकानों आदि के "वार्षिक मूल्य" की व्याख्या दफा १४० में की गई है। मकान एक ऐसी जायदाद है जिसके द्वारा, बहुधा, उसके मालिक की कर देने की योग्यता का अनुमान, ठीक २ किया जा सकता है। और म्यूनिसिपलटी के अनेक कामों से (जैसे पानी के निकास का प्रबन्ध, सफाई, सड़कें बनवाना, इत्यादि), मकानों को सीधा लाभ भी पहुंचता है, और मकानों के द्वारा एक प्रकार से, यह अनुमान भी किया जा सकता है कि मकान के रहने वाले को म्यूनिसिपलटी के कामों से कितना लाभ पहुंचता है। मकान का कर किससे वसूल किया जाना चाहिये, इसके लिये देखिये ऐक्ट की दफा १४९।

—(क्लॉज (२) और (३))—क्लॉज (२) में बताया हुआ कर केवल किसी २ विशेष व्यापारों तथा व्यवसायों पर लगाया जा सकता है, और उसके लिये यह बात भी आवश्यक है कि उक्त व्यापार और व्यवसाय ऐसे हों जो म्यूनिसिपल्टी के भीतर ही किये जाते हों।

—'प्राय देखा गया है कि म्यूनिसिपल बोर्ड यह समझते हैं, कि जिस व्यापार में अच्छा आर्थिक लाभ हो उस पर क्लॉज (२) के अनुसार विशेष कर (टैक्स) अवश्य लगा देना चाहिये; और यह कि यदि ऐसे व्यापार को चुंगी के न रखे जाने से अन्य व्यापारों की अपेक्षा, कुछ अधिक लाभ पहुंचा हो, तो ऐसे व्यापार को, यह टैक्स अवश्य देना चाहिये। परन्तु, ऐसे विचारों से, किसी विशेष व्यापार पर क्लॉज (२) के अनुसार, कर लगा देना उचित न समझना चाहिये। व्यापारों में इस प्रकार के भेद कर देने की भारी जिम्मेदारी, कि किसी पर विशेष कर लगाया जाय और किसी पर नहीं, म्यूनिसिपलटियों को तब तक नहीं उठाना चाहिये, जब तक कि इस बात के अति प्रत्यक्ष प्रमाण न हों, कि किसी व्यापार को म्यूनिसिपल्टी की सेवाओं से कोई विशेष लाभ पहुंचता है, या उस व्यापार के कारण म्यूनिसिपलटी के कामों पर कोई विशेष भार पड़ता है। और यदि ऐसे प्रमाण उपस्थित भी हों तो, ऐसा कर, उस व्ययके आधार पर लगाना चाहिये, जो ऐसी सेवाओं के करने में म्यूनिसिपलटी को करना पड़े, न कि किसी व्यापार के नफे के आधार पर। (देखिये रेज़ोल्युशन No 3463 | x,| 271. E ता० १९ सितम्बर, सन १९१६ ई०)

क्लॉज (३) में अंकित किया हुआ कर, एक साधारण टैक्स है, जिसके लिये यह बन्धेज नहीं रखे गये हैं जो उपरोक्त क्लॉज (२) के लिये हैं। ऐसे टैक्स की व्याख्या के अनुसार वेतन पर

नौकरी करने वालों, और वकील अथवा डाक्टरों से यह कर लिया जा सकताहै, किन्तु उसके श
जिमींदारी की आमदनी नहीं आती। अतएव जिमींदारी की आमदनी पर, यदि म्यूनिसिपल्टी
लेना चाहे, तो क्लॉज (९) में अंकित किया हुआ कर लगाना चाहिये।

क्लॉज (३) के अनुसार जो टैक्स लगाया जाय उसके लिये, दफा १३३ के अनुसार, क
इनर की मंजूरी लेना आवश्यक है। और भारत सरकार की आज्ञा है कि क्लॉज (३) के अनुसा
प्रस्ताव कर लगाने का किया जाय, उसकी मंजूरी देने से पहले, कमिश्नर को, उस प्रस्ताव की प्रा
सरकार की सेवा में, विचार करने, और हुक्म देने के अभिप्राय से, भेजना चाहिये।

(देखिये G. O No 2386 XI-400 E, ता० २७ जुलाई, सन १९१९ ई०)

—क्लॉज (४) के अनुसार ऐसी सवारियों पर भी कर लगेगा जो म्यूनिसिपल्टी में
किराये पर चलाई जाती हों, परन्तु जो म्यूनिसिपल्टी की हदों के बाहर रखी जाती हों।

—क्लॉज (५)–दफा २९८ की मद H, में घोड़ों की, कुत्तों की रजिस्टरी करने, और रजि
की वार्षिक फीस बांधने, का अधिकार दिया गया है। अतएव म्यूनिसिपल्टी चाहे कुत्तोंपर इस
के अनुसार कर बांध दे, या चाहे २९८ (H) के अनुसार रजिस्टरी की फीस बांध दे।

—क्लॉज (६) शब्द 'गाडी" की व्याख्या के लिये देखिये ऐक्टकी दफा २ का नं० २१
—क्लॉज (७) पानी का कर लगाने पर जो बन्धेज रखे गयेहैं, उनके लिये देखिये दफा १
—क्लॉज (८) मैला या कूड़ा उठवाने के टैक्स पर जो बन्धेज रखे गये हैं उनके लिये दे
दफा १३०।

—क्लॉज (९) गवर्नमेण्ट आव इण्डिया ऐक्ट, सन १०१५-१६ ई० (जिसका सं
सन १९१९ ई० के ऐक्टके द्वारा किया गया है) की दफा ८०, की उप दफा (३) का क्लॉ
इस प्रकार है —

' गवर्नर जनरल की मंजूरी लिये बिना, किसी प्रान्त की व्यवस्थापक सभा, नीचे लिखे क
को नहीं बना सकती, और न उन पर विचार कर सकती है —

यह कानून जिसके द्वारा कोई नया टैक्स लगाया जाता हो, या जिसके द्वारा नये टैक्स ल
जाने का अधिकार दिया जाता हो। परन्तु शर्त यह है कि इस कानून के अनुसार (अर्थात् गव
आव इण्डिया ऐक्ट के) जो नियम बनाये गये हों और उनके अनुसार जो टैक्स इस नियम मे
किये गये हों, उन गरी किये हुये टैक्सों में से यह टैक्स न हो।"

—मकानों पर टैक्स, हैसियत और जायदादपर टैक्स (Circumstances & Proper
और व्यापारों तथा व्यवसायों, और कामों, पर टैक्स लगाने के विषय में, रेजोल्युशन No
XI271 E ता० १९ सितम्बर, सन १९१६ ई० की यह आज्ञा है:—

ये सब टैक्स वास्तव में आमदनी के टैक्स हैं और इनके विषय में कुछ उसूल हैं, f
ओर, घोड़ों का ध्यान, जितना अधिक दिलाया जाय उतनाही कम है।

पहला उसूल यह होना चाहिये कि आमदनी की, एक कम से कम रकम, बांध दी
चाहिये, कि जिससे कम की आमदनी पर ऐसा कोई कर न लगाया जाय। अत्यन्त गरीबों की
के लिये यह करना आवश्यक है। इस कम से कम रकम के बांधने में यह ध्यान रखना च
कि म्यूनिसिपल्टी की आमदनी की सचाई भी हो। और साथ ही साथ, ऐसा न हो, कि य

गरीबों के छूट जाने के कारण, उन लोगों पर जिनकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी है टैक्स का अधिक बोझ पड़ जाय। ऐसी कम से कम रकम, किसी हालत में, १००) रुपये वार्षिक आमदनी से कम न बांधी जाय।

दूसरा उसूल यह है कि, कर की एक ऐसी रकम भी निश्चय कर देना चाहिये, कि जो अधिक से अधिक किसी से ली जा सके। अमीरों की रक्षाके लिये यह आवश्यक है कि उनको भी म्यूनिसिपलटी की सेवाओं के लिये कोई बे ठिकाने बड़ी रकम न देना पड़े।

तीसरा उसूल यह है कि ऐसे करों की दर, या उनकी संख्या, आमदनी की छोटी २ रकमों पर घटाई बढ़ाई न जाय, अर्थात् आमदनी के थोड़े २ अन्तर के लिये ऐसे करों की संख्या, या दर भिन्न २ न होना चाहिये, वरन आमदनी के बड़े २ दरजे बना देना चाहिये, और प्रत्येक दरजे के लिये एक निर्दिष्ट रकम कर की बांध देना चाहिय, विशेष कर उन दरजों के लिये जिनकी आमदनी नीची हो।

—उप दफा (२) का आशय यह है कि कोई दो ऐसे कर किसी म्यूनिसिपलटी में न लगाये जायें, जिनके कारण निवासियों की आमदनी पर, या म्यूनिसिपलटी में आने वाली वस्तुओं पर दोहरा कर लग जाय। जैसे क्लाज (३) में अंकित किया हुआ, व्यापार आदि का कर, और क्लाज (९) में बताया हुआ हैसियत और जायदाद का कर दोनों आमदनी पर कर हैं। अतएव किसी म्यूनिसिपलटी को यह दोनों कर एक साथ नहीं लगाना चाहिये।

—रेलवे पर टैक्स लगाने का अधिकार—

जब तक कि गवर्नर जनरल और उनकी कौंसिल के विज्ञापन के द्वारा, जो इण्डियन रेलवेज़ ऐक्ट सन१८९०ई०की दफा १३५ (१)के अनुसार दिया जाय, यह प्रकाशित न कर दिया जाय कि किसी रेलवे कम्पनी पर कोई विशेष कर लगाया जा सकता है, तब तक किसी म्यूनिसिपल बोर्ड को उससे किसी प्रकार का कर लेने का अधिकार न होगा। और जब कोई म्यूनिसिपलटी किसी रेलवे कम्पनी पर कर लगाना चाहे तो, उसके विषय में कमिश्नर को दरख्वास्त देना चाहिये।

"इण्डियन रेलवेज ऐक्ट, सन १८९० ई० (Indian Railways Act 1890) की दफा १३५ (१) का आशय यह नहीं है कि रेलों के प्रबन्धकर्त्ताओं पर किसी स्थानीय टैक्स के देने की जिम्मेदारी न डाली जाय, । आवश्यकता केवल इतनी है कि स्थानीय अधिकारियों के लाभ के लिये, रेलों को बहुत सा कर न देना पड़ जाय। जो विशेष सेवायें म्यूनिसिपलटी रेलवे की करे। जैसे पानी पहुंचाना अथवा सफाई कराना, इत्यादि, उनका कर रेलों की कम्पनियों को अवश्य देना चाहिये। और, कोई कारण नहीं कि, जायदादों के अन्य मालिकोंके समान, रेल की कम्पनी भी अपनी जायदाद पर म्यूनिसिपलटी आदि के साधारण कर क्यों न दें"। (देखिये गवनमेण्ट आफ इण्डिया, पब्लिक वर्क्स विभाग, का पत्र No 20 R T तारीख ७ जनवरी, सन १९०१ ई०)।

—निम्नलिखित रेलवे कम्पनियों के विषय में गवर्नर जनरल और उनकी कौंसिल के द्वारा यह प्रकाशित कर दिया गया है, कि नीचे लिखी म्यूनिसिपलटियों में उनको वह कर जो प्रत्येक म्यूनिसिपलटी के नाम के सामने दर्ज हैं, देना होंगे—

अवध और रुहेल खण्ड रेलवे

बनारस म्यूनिसिपलटी ... मकानों का टैक्स, और पानी का महसूल

इलाहाबाद	,,	...	...	मकानों का टैक्स, और पानी का महसूल
कानपूर	,,	..	...	,, ,, ,,
लखनऊ	,,	...	...	पानी का महसूल, और पहिये का टैक्स
उन्नाव	,,	...	...	मकानों का टैक्स
सीतापुर	,,	..	...	,, ,, ,,
सुलतानपूर	,,	..	...	,, ,, ,,
मुरादाबाद	,,	...	.	इमारतों और आराजियों का टैक्स

ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेलवे

कानपूर	,,	...	...	मकानों का टैक्स और पानी का महसूल
उरई	,,	..	...	मकानों का टैक्स
आगरा	,,	..	...	पानी का महसूल और मकानों का टैक्स
झांसी	,,		...	मकानों का महसूल

रुहेलखण्ड और कमायूं रेलवे

बरेली ,,	..	मकानों का टैक्स
मुरादाबाद ,,	..	सफाई का टैक्स, और इमारतों तथा आराजियों का टैक्स
हल्द्वानी–नोटिफाईड एरिया	..	मकानों का टैक्स
लखीमपूर म्यूनिसिपल्टी	...	मकानों का टैक्स.
सीतापूर ,,	.	,, ,,

बंगाल और नार्थ-वेस्टर्न रेलवे

बनारस ,,	...	मकानों का टैक्स, तथा पानी का महसूल

बाम्बे बरौदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे

कानपूर ,,	..	मकानों इमारतों और आराजियों का टैक्स और पानी का महसूल।
आगरा ,,	...	मकानों, इमारतों, और आराजियों का टैक्स

ईस्ट इंडियन रेलवे

इलाहाबाद ,,	..	पानी का महसूल और मकानों का टैक्स
कानपूर ,,	..	,, ,, ,, ,,
आगरा ,,	.	,, ,, ,, ,,

(देखिये म्यूनिसिपल मैन्युअल के पन्ने २२९—२३०)

—मकानों और इमारतों का कोई टैक्स, रेलवे की इमारतों के उन भागों पर नहीं लगाना चाहिये जो विशेष कर सर्वसाधारण के आराम के लिये कायम रखे जाते हों जैसे मुसाफिरों के लिये

स्टेशन, प्लेटफारम, या मुसाफिरों के ठहरने के कमरे। ऐसी इमारतों पर कर लगाना चाहिये जिनमें दफ्तर हों, या जो रहने के काम में आती हों, या जो मालगोदाम हों, या जो माल लाने ले जाने के कामों के सम्बन्ध में बनाई जायँ।

(देखिये G O No, 1345 XI I C तारीख़ ३ मई सन १९०२ ई०)

दफा १२९ पानीके महसूलके लगाये जानें पर बन्धेज

दफा १२८ की उपदफा (१) के क्लाज (१०) के अनुसार किसी महसूलका लगाया जाना नीचे लिखे बन्धेजोंके आधीन होगा अर्थात्—

(ए) यह कि ऐसी आराजी पर महसूल न लगाया जायगा जो केवल कृषि के अभिप्रायोंके काममें आती हो, या जब वह चीज जिस पर महसूल लगाया जाय कोई ऐसी आराजीका टुकडा, या इमारत हो जिसकी व्याख्या आगे दी गई है किसी ऐसे आराज़ीके टुकडे, या इमारत पर महसूल न लगाया जायगा जिसका कोई भाग सबसे पास वाले पानी के बम्बे (Stand Pipe) या पानीके अन्य ऐसे कामसे जो बोर्डने जनताको पानी पहुँचानेके लिये लगाया या बनाया हो, ऐसे घेरेके भीतर न हो जो प्रत्येक म्यूनिसिपलटीके लिये इस विषयमें नियमके द्वारा नियत कर दिया जाय। और

(बी) यह कि महसूल केवल इस आशयसे लगाया जाय कि म्यूनिसिपलटी के पानीके कारख़ानेके बनाने, क़ायम रखने, विस्तृत करने, या उसकी उन्नति करनेके सम्बन्धमें जो व्यय लगे वह प्राप्त हो जाय और यह कि जो रुपया इस महसूलके द्वारा मिले वह केवल उपरोक्त कामो ही में लगाया जाय।

भावार्थ (Explanation) इस दफामें—

(ए) शब्द "इमारत" में उसका हाता (यदि कोई हो) और जहा एक ही हातेमें कई इमारतें हों, तो ऐसी सब इमारतें और, साझेका हाता भी शामिल होंगे।

(बी) शब्द "आराजीका टुकडा" का अर्थ है, ऐसा टुकड़ा, जो एक ही शख्स के कब्जेमें हो, या कई साझदारोंके कब्जेमें सङ्ग सङ्ग (मुश्तरका) हो, जिसका कोई भाग अपने किसी दूसरे भागसे किसी दूसरे काबिज या दूसरे काबिज़ोंकी आराजीके कारण या किसी सार्वजनिक जायदादके कारण, पूर्णतया अलग न हो।

व्याख्या—

क्लाज (ए) के मतलबसे प्रत्येक ऐसी म्यूनिसिपलटीके लिये, जिसमें पानीका कारख़ाना हो अलग अलग नियम बना दिया गया है जिसके द्वारा वह घेरा नियत किया गया है जिसके भीतर पानीका कोई बम्बा न होनेसे उसके भीतरकी किसी आराजी अथवा इमारत पर पानीका महसूल न लगाया जा सकेगा।

—“ इमारत ” शब्दकी साधारण व्याख्या ऐक्टकी दफा २ के नं० २ में दी गई है। भावार्थ के क्लाज (ए) में जो व्याख्या इमारत शब्दकी दी गईहै वह केवल इस दफाके मतलबके लिये है।

दफा १३० अन्य करोंके लगाये जाने पर बन्धेज

दफा १२८ की उपदफा (१) के क्लाज (११) और क्लाज (१२) मे अंकित किये हुए टैक्सोंका लगाया जाना नीचे लिखे बन्धेजोंके अधीन होगा अर्थात् :—

(ए) यह कि कर केवल इस आशयसे लगाया जाय कि उसकी आय मकानों तथा इमारतोंसे मैला उठवाने या पाखानों और पेशाबखानोंके साफ करानेके (अर्थात् जैसी दशा हो) सम्बन्धके व्ययमें लगाई जाय और यह कि कुल रुपया जो उससे प्राप्त हो वह केवल उपरोक्त कामोंमें लगाया जाय। और

(बी) यह कि कर किसी मकान या इमारत पर उस समय तक नहीं लगाया जाय, न किसी मकान या इमारतके काबिजसे वसूल किया जा सकेगा जब तक कि बोर्ड दफा १९६ के क्लाज (ए) के अनुसार, ऐसे मकान अथवा इमारतसे मैला उठवाने या पाखानों या पेशाबखानोंके साफ करानेका काम अपने ऊपर ले न ले।

दफा १३१ प्राथमिक प्रस्तावोंका तैयार किया जाना

१ जब कोई बोर्ड कोई कर लगाना चाहे तो उसको चाहिये कि विशेष रेजोल्यूशन के द्वारा प्रस्ताव तैयार करे जिनमे नीचे लिखी बातें खोली जायें;—

(ए) कर, (जो उन करोंमेंसे होना चाहिये जिनका वर्णन दफा १२८ की उपदफा (१) मे दिया गया है) जो बोर्ड लगाना चाहता है।

(बी) वह लोग या लोगोंका वह वर्ग (Class) जिन पर कर लगाया जायगा और उस जायदादका वृत्तान्त कर लगाये जानेके योग्य अन्य वस्तु या हैसियतका वृत्तान्त जिनके विषयमे ऐसे शख्सों या वर्गों पर कर लगाया जायगा, सिवाय उस दशाके जब कि और जहां तक कि ऐसे वर्ग या वृत्तान्तकी व्याख्या, क्लाज (ए) के अनुसार या इस ऐक्ट के द्वारा काफी दी जा चुकी हो।

(सी) करकी संख्या या कर की दर, जो ऐसे शख्स, या शख्सोंके वर्ग (Class of Persons) पर लगाया जायगा।

(डी) कोई अन्य मामला जो दफा १५३ में बताया गया हो, और जिसके खोले जाने की प्रान्तीय सरकार ने, नियम के द्वारा आज्ञा दी हो।

२ बोर्ड उन नियमों का एक मसौदा भी तैयार करेगा, जो नियम कि वह, उन मामलों के विषय मे जो दफा १५३ मे बताये गये है, प्रान्तीय सरकार से बनवाना चाहता हो।

३ तत्पश्चात् बोर्ड उन प्रस्तावों को जो उपदफा (१) के अनुसार तैयार किये गये हों, और नियमो के मसौदे को जो उपदफा (२) के अनुसार तैयार किया गया हो, एक नोटिस के सहित, जो उस फारम पर होगा जो कि शिड्यूल न० ३ मे दिया गया है, दफा ९४ मे नियमित विधि के अनुसार, प्रकाशित करायेगा।

व्याख्या—

बोर्डों के लिये आज्ञा है कि उस जाबते (Procedure) का अनुसरण, बडी सख्ती से करें, जो टैक्स लगाने के विषय में, एक्ट की दफा १३१ से दफा १३५ तक में, नियमित है। उक्त दफाओं के द्वारा जो, कार्रवाइयां, एक के पश्चात् एक किये जाने को बताई गई हैं, उनमें से किसी कार्रवाई की उपेक्षा से, प्रस्तावों की मंजूरी दिये जाने में देर लग जाना अनिवार्य होगा। और ऐसी उपेक्षा का फल यह भी होगा कि बहुत सी अनावश्यक खत किताबत करना पडेगी। (देखिये म्युनिसिपल मैन्युअल का पन्ना २२७)।

—इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि किसी टैक्स का लगाया जाना और उसका कूता जाना तथा जमा किया जाना अलग २ बातें हैं। टैक्स की दर, उसके लगाये जाने की तारीख, किन शर्तों पर टैक्स लगाया जायगा इत्यादि, ये सब बातें टैक्स के लगाये जाने (Imposition) से सम्बन्ध रखती हैं। दफा १३१ की उपदफा (१) के अनुसार, जो विशेष प्रस्ताव बोर्ड पास करे, उसमें ये सब बातें पास की जाना चाहिये, और जब दफा १३५ के अनुसार, विज्ञापन के द्वारा, ऐसे कर का लगाया जाना प्रकाशित किया जाय तो उस विज्ञापनमें भी यह सब बातें छापी जाना चाहिये।

—इसके विरुद्ध नियमों के मसौदे में करके कूते जाने, जमा किये जाने इत्यादि के विषय में नियम होंगे। अतएव जो मसौदा उपदफा (२) के अनुसार तैयार किया जाय उसमें उपदफा (१) में दी हुई बातों के दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

—उप दफा (३) में बोर्ड को आज्ञा दी गई है कि वह टैक्स के प्रस्तावों को और नियमों के मसौदे को उसी प्रकार प्रकाशित कराये जैसे कि वह, दफा ९४ के अनुसार अपने अन्य रेजोल्युशनों को छपवाता है। परन्तु यह उसी दशा में आवश्यक होगा जब कोई नया टैक्स लगाया जाय, या जब उन बातों में, जो उपदफा (१) के क्लॉज (बी) (सी) और (डी) में दी गई हैं, कोई परिवर्तन किया जाय।

दफा १३२. प्रस्तावोंके तैयार किये जानेके बादकी कार्रवाई

१ म्यूनिसिपलटी का कोई निवासी, उक्त नोटिस के प्रकाशित होने से दो सप्ताह के भीतर उपरोक्त दफा के अनुसार तैयार किये हुये सब प्रस्तावो के विरुद्ध, या उनमें से किसी प्रस्ताव के विरुद्ध कोई लिखित उज्र बोर्ड में पेश कर सकता है, और जो उज्र इस प्रकार पेश किया जाय, बोर्ड उस पर विचार करेगा, और उस पर, विशेष रेजोल्युशन के द्वारा हुक्म देगा।

२ यदि बोर्ड अपने प्रस्तावो को, या उनमे से किसी को, तरमीम निश्चय करे, तो वह तरमीम किये हुये प्रस्तावो को, और (यदि आवश्यक हो) दोहराये हुये नियमों के मसौदे को, एक नोटिस के सहित, जिससे यह प्रकट किया जाय कि ये प्रस्ताव और नियम (यदि कोई हों) उन प्रस्तावो और नियमो की तरमीम हैं, जो उज्र किये जाने के लिये पहले प्रकाशित किये गये थे, प्रकाशित कर देगा।

३ तरमीम किये हुये प्रस्तावों के विरुद्ध जो कोई उज्र किये जाय, उनके सम्बन्ध में भी यही कार्रवाई की जायगी, जो उपदफ़ा (१) में नियमित है।

४ जब बोर्ड अपने प्रस्तावों को, अन्तिम रूप से, निश्चय कर चुके तब वह उनको, उन उजरों के सहित (यदि कोई हों), जो उनके सम्बन्ध मे किये गये हों, कमिश्नर की सेवा मे भेज देगा।

व्याख्या—

शब्द "निवासी" की व्याख्या ऐक्ट की दफा २ के नम्बर (७) में कर दी गई है।

—उप दफा (२) के अनुसार, यदि बोर्ड अपने प्रस्तावों को तरमीम करे तो तरमीम किये हुये प्रस्ताव, फिर इस उद्देश से प्रकाशित किये जाना चाहिये कि उन पर भी यदि कोई निवासी उज्र करना चाहे तो करे। और यदि कोई उज्र किये जायें तो उपदफा (३) की आज्ञा है, कि उन पर बोर्ड फिर, विचार करके, विशेष रेजोल्युशन के द्वारा हुक्म दे।

दफा १२३ प्रान्तीय सरकार या कामिश्नरका, प्रस्तावों को नामंजूर करने, मंजूर करने, या तरमीम करनेका अधिकार

१ किसी ऐसी म्यूनिसिपलटी होने की दशा में जो 'शहर' न हो, यदि प्रस्तावित कर उनमें से हो, जिनका वर्णन दफा १२८ की उपदफा (१) के, क्लॉज (१) से क्लॉज (१२) तक मे दिया गया है, तो कमिश्नर, उन उज्रों पर विचार करने के पश्चात, जो दफा १२२ की उपदफा (४) के अनुसार किये जायें, या तो प्रस्तावों को मंजूर करने से मना कर सकता है, या उनको बोर्ड के पास और विचार करने के लिये लौटा सकता है या उनको बिना तरमीम किये या किसी ऐसी तरमीम के साथ मंजूर कर सकता है, जिसके द्वारा, कर की उस रकम मे, जो लगाई जाने वाली हो, वृद्धि न हो।

२ किसी अन्य दशामे प्रस्तावों तथा उज्रो को, कमिश्नर प्रान्तीय सरकार की सेवा में भेज देगा, जो उन हुक्मो मे से जो उपदफा (१) मे वर्णित है, कोई सा हुक्म दे सकती है।

एक्ट नं० १ (सि) १९१८ ई०, एक्ट नं० ३ (सि) १९१५ ई०

३ यदि प्रस्तावित कर, उनमे से न हो, जिनका वर्णन दफा १२८ की उपदफा (१) के क्लॉज (१) से क्लॉज (१२) तक मे किया गया है, या क्लॉज (१३) के पहले भाग में या क्लॉज (१३ A) में किया गया है, तो प्रान्तीय सरकार अपने मंजूरी के हुक्म को, गवर्नर जनरल और उनकी कौन्सिल की सेवा मे उसका समर्थन किये जाने के उद्देश से भेज देगी, और उसके साथ वह उज्र (यदि कोई हो), जो प्रस्तावो पर किया गया हो और बोर्ड द्वारा भेजा गया हो, भी भेजेगा। और गवर्नर जनरल और उनकी कौंसिल को अधिकार होगा कि चाहे मंजूरीका समर्थन करे, या उसको नामंजूर करदे, या प्रस्तावों को, प्रान्तीय सरकार के पास, और विचार करने के लिये लौटा दे।

व्याख्या—

दफा १२८ की उपदफा (१) में जो कर वर्णित है उनके लगाये जाने पर, मंजूरी अथवा नामंजूरी देने के अधिकार दफा १२३ के द्वारा इस प्रकार दिये गये हैं'—

१ क्लॉज (१) से क्लॉज (१२) तक में जो कर वर्णित हैं, उनके मंजूर या नामजूर करने का अधिकार, शहरों की म्यूनिसिपलटियों में प्रान्तीय सरकार को है। अन्य म्यूनिसिपलटियों में कमिश्नरको।

परन्तु यदि कर क्लॉज (३) के अनुसार लगाया गया हो, तो मजूरी देने से पूर्व, कमिश्नर को चाहिये कि प्रस्ताव को प्रान्तीय सरकार के पास, विचार करने और हुक्म के लिये भेजे। (देखिये G O No 2386 XI 400 E, तारीख़ २७ जुलाई, सन १९१६, ई० जो दफ़ा १२८ की उप दफ़ा (१) के क्लॉज (३) की व्याख्या में दिया गया है)

२ क्लॉज (१३) के पहले भाग में जो कर दिया गया है, उसके मजूर या ना मजूर करने का अधिकार, दोनो प्रकार की म्यूनिसिपलटियों में, केवल प्रान्तीय सरकार को है।

३ क्लॉज (१३) के अन्तिम भाग में, तथा क्लॉज (१३ A) में, और क्लॉज (१० IV) में जो कर वर्णित है उनके मजूर अथवा नामजूर करने का अधिकार, दोनों प्रकार की म्यूनिसिपलटियों में, प्रान्तीय सरकार को है, परन्तु यदि ऐसे किसी कर को प्रान्तीय सरकार मजूर करे तो उसके हुक्म का समर्थन गवर्नर जनरल और उनकी कौन्सिल के द्वारा किया जाना भी आवश्यक है।

दफ़ा १३४ टैक्स लगाये जानेके विषयमें बोर्डका रेज़ोल्युशन

१ जब प्रस्तावों को कमिश्नर या प्रान्तीय सरकार मजूर कर ले, या जब प्रान्तीय सरकार की मजूरी का समर्थन गवर्नर जनरल और उनकी कौंसिल के द्वारा कर दिया जाय, अर्थात् जैसी कि दशा हो, तो प्रान्तीय सरकार, नियमों के उस मसौदे पर विचार करने के पश्चात्, जो बोर्ड ने भेजा हो, तुरन्त दफ़ा २९६ के अनुसार, उक्त टैक्स के सम्बन्ध मे ऐसे नियमों के बनाने की कारवाई आरम्भ कर देगी, जो वह उस समय के लिये आवश्यक समझे।

२ जब नियम तैयार हो जाये, तो मंजूरी का हुक्म, और एक नकल नियमों की, बोर्ड के पास भेजी जायगी, और तब बोर्ड विशेष रेज़ोल्युशन के द्वारा, करके किसी ऐसी तारीख़से, लगाये जानेका हुक्म देगा, जो कि रेज़ोल्युशनमे अंकित करदी जायगी।

व्याख्या—

दफ़ा १३१ से १३५ तक में जो जो कारवाइया टैक्स लगाने के विषय में बताई गई हैं, उन सब का पूरा २ अनुसरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है (देखिये दफ़ा १३१ की व्याख्या)। जो कारवाइयां उक्त दफ़ाओं में नियमित हैं उनमें से किसी की उपेक्षा से कर नाजायज हो जायगा, और इलाहाबाद हाईकार्ट ने भी यही तजवीज किया है। देखिये टी ई स्ट्रेची बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड कानपूर 21 All I L R 347=A W N 1899, Page 97

उक्त मामला म्यूनिसिपलटियों का ऐक्ट, नं० १५ सन १८८३ ई० के समयमें पेश हुआ था। इस ऐक्ट में टैक्स लगाने के लिये, दफ़ा ४२ में, लगभग वही सब कारवाइया रखी गई थीं जो वर्तमान ऐक्ट में दफ़ा १३१ से १३५ तक में नियमित हैं। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि जो २ कारवाइयां दफ़ा ४२ में बताई गई हैं उनका पूरा २, और ठीक २, अनुसरण किया जाना आवश्यक है। उक्त दफ़ा की उपदफ़ा (३) में आज्ञा है कि म्यूनिसिपल्टी का कोई निवासी, यदि किसी प्रस्तावित टैक्स के विरुद्ध, कोई उज्र करना चाहे तो वह उस उज्र को लिखके बोर्ड को भेज सकता है, और बोर्ड के

लिये यह आवश्यक है, कि वह ऐसे उज्र पर विशेष मीटिंग में विचार करे (देखिये हाल के ऐक्ट की दफा १३२, जिसमें यही आज्ञा है। केवल विशेष मीटिंग की जगह विशेष रेजोल्युशन के द्वारा विचार करने का हुक्म है)। मुद्दई टी ई स्टूवी ने एक उज्र किया, जिस पर बोर्ड ने एक ऐसी मीटिंग में विचार किया जो विशेष मीटिंग नहीं कही जा सकती थी। हाईकोर्ट ने यह बहस स्वीकार करने से इन्कार किया, कि निवासियों द्वारा उज्र किया जाना, एक अनावश्यक कार्रवाई है, जिसमें चूक हो जाने से किसी कर का लगाया जाना नाजायज नहीं हो सकता। वरन हाईकोर्ट ने, 'पूना शहर की म्यूनिसिपल्टी बनाम मोहनलाल, "9 Bom I L R. 51," वाली नज़ीर की यह राय स्वीकार की कि ' किसी टैक्स पर जो उज्र किये जायँ, म्यूनिसिपल्टी का उन पर विचार करना, उस कल का एक आवश्यक पुरजा है, जो कानून ने किसी टैक्स के जायज रूप से लगाये जाने के लिये, बना दी गई है"

दूसरी त्रुटि इस मामलेमें यह थी कि उक्त दफा ४२ की उपदफा (७) की आज्ञा थी कि जब प्रान्तीय सरकार किसी टैक्स की मजूरी देदे, तब बोर्ड स्पेशल (विशेष) मीटिंग के द्वारा, उस टैक्स के लगाये जाने का हुक्म देगा (देखिये हाल के ऐक्ट की दफा १३४)। जिस मीटिंग में कि कानपुर म्यूनिसिपल बोर्ड ने उक्त हुक्म दिया, उसमें भी विशेष मीटिंग का कोरम नहीं था। अतएव हाईकोर्ट ने इस विषय में भी यह तजवीज किया कि वह रेजोल्युशन, जिसके द्वारा बोर्ड ने टैक्स के लगाये जाने का हुक्म दिया, बिल्कुल नाजायज था।

दफा १३५ करों का लगाया जाना

१ उस रेजोल्युशन की एक नकल जो दफा १३४ के अनुसार पास किया जाय यदि कर को प्रान्तीय सरकार ने मजूर किया हो, तो प्रान्तीय सरकार के पास भेजी जायगी, और किसी अन्य दशा मे, कमिश्नर के पास भेजी जायगी।

२ रेजोल्युशन की नकल मिलने पर, प्रान्तीय सरकार या कमिश्नर, अर्थात् जैसी दशा हो, नियत की हुई तारीख से, कर के लगाये जाने का विज्ञापन, सरकारी गजट मे, प्रकाशित कर देगी या कर देगा, और प्रत्येक दशा मे कर का लगाना इस शर्त के अधीन होगा, कि इस प्रकार वह प्रकाशित कर दिया जाय।

३ उपदफा (२) के अनुसार कर लगाये जाने का जो विज्ञापन प्रकाशित किया जायगा, वह इस बात का अखड प्रमाण (Conclusive proof) होगा, कि कर इस एक्ट के हुक्मो के अनुसार लगाया गया है।

दफा १३६ कर में परिवर्तन करने के लिये ज़ाबता (कार्रवाई)

जो कार्रवाई कि नये टैक्स के लगाये जाने के लिये दफा १३१ से दफा १३५ तक में नियमित है, वही कार्रवाई, जहा तक सभव हो, किसी कर के रद्द किये जाने मे भी या उन विषयों के सम्बन्ध मे जो दफा १३१ की उपदफा (१) के क्लॉज (बी) और (सी) मे अकित किये गये हैं, किसी कर मे परिवर्तन किये जाने में लाई जायगी।

नोट—यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस प्रकार कोई नया कर बिना उसके प्रस्ताव के प्रकाशित किये हुये नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार किसी कर को रद्द करने अर्थात् उठा देने के लिये भी रद्द करने के प्रस्ताव को प्रकाशित करना आवश्यक है।

दफा १२७ किसी टैक्समें सुधार करने, या उसको रद्द कर देने का सरकार का अधिकार

१ जब किसी शिकायत के होने पर अथवा किसी अन्य प्रकार, प्रान्तीय सरकार को यह विदित हो कि किसी कर का वसूल किया जाना सार्वजनिक हित के प्रतिकूल है या यह विदित हो, कि किसी कर का भार लोगो पर, न्याय के अनुसार, नही डाला गया है, प्रान्तीय सरकार, जिस म्यूनिसिपलटी का मामला हो, उसके बोर्ड के जवाब पर विचार करने के पश्चात्, उक्त बोर्ड को हुक्म के द्वारा, यह हिदायत कर सकती है, कि वह, ऐसी अवधि के भीतर जोकि हुक्म में अंकित कर दी जायगी, किसी ऐसे दोषों के दूर करने के उपाय करे, जो प्रान्तीय सरकार की राय मे, किसी कर मे, या उसके कूते जाने की विधि मे या जमा किये जाने की विधि मे हों।

२ यदि किसी ऐसी आज्ञा का जो उपदफा (१) के अनुसार दी जाय, बोर्ड पालन न करे, या उस आज्ञा का बोर्ड ऐसा पालन न कर सके जो प्रान्तीय सरकार के प्रति सतोषप्रद हो तो, प्रान्तीय सरकार, विज्ञापन प्रकाशित करके, उस टैक्स का या उस के किसी भाग का वसूल किया जाना उस समय तक के लिये बन्द कर दे सकती है, जब तक कि उस कर का दोष दूर न कर दिया जाय, या प्रान्तीय सरकार टैक्सको रद्द कर सकती है, या घटा दे सकती है।

नोट—"किसी कर का भार लोगों पर न्याय के अनुसार नहीं डाला गया है"—उपदफा (१) में इन शब्दों का यह अर्थ है कि कर, सब प्रकार के निवासियों पर, एक सा न लगा हो, वरन किसी वर्ग को अधिक और किसी को कम देना पड़ता हो, या गरीबों को अधिक और अमीरों को कम देना पडता हो, इत्यादि।

मिलाये हुये कर

(Consolidated taxes)

दफा १२८ करोंका मिला दिया जाना

१ किसी ऐसे करों के कूते जाने, वसूल, या जमा किये जाने, के अभिप्राय के लिये (परन्तु किसी करके लगाये जाने, या उससे माफी देने के अभिप्राय से नहीं) जिनका वर्णन दफा १२८ की उपदफा (१) के क्लॉज (१) और (१०) और (११) मे है कोई बोर्ड किसी दो, या दो से अधिक, टैक्सों को, जो इमारतों या आराजियों, या दोनों पर लगाये गये हों, मिला सकता है।

२ परन्तु शर्त यह है कि किसी रजिस्टर मे या शख्सों पर कूते हुये करकी सूची मे (Assessment list) जो किसी मिलाये हुये करों के सम्बन्ध मे हो, और जो रजिस्टर या सूची किसी शख्स को इस बातकी सूचना देने के अभिप्राय के लिये, कि वह शख्स उनके अनुसार टैक्स देने का जिम्मेदार है, काममें लाई जाती हो या जो दफा १२९ या १३० के हुक्मों के पालन कराने के अभिप्राय के लिये काममें लाई जाती हो, बोर्ड मिलाये

हुये टैक्सों को उन करों की अलग २ मदों मे जो कि मिला दिये गये हो, इस प्रकार विभक्त कर देगा कि उस बांटके द्वारा, उन रकमो का, अनुमान से (Approximately), पता लग सके कि जो प्रत्येक अलग २ टैक्स के हिसाब मे कूती गई हो, या जमा की जाती हो।

व्याख्या—

कोई दो या अधिक कर मिलाके "लगाये" (Impose) नहीं जा सकते, अर्थात् कर लगाने के लिये जो कार्रवाइयां दफा १२१ से १२५ तक में बताई गई हैं, वह प्रत्येक करके लिये अलग २ करना होंगी। इसी प्रकार जब उन करों में से जो दफा १२८ की उपदफा (१) के क्लॉज १, १० और (११) में अंकित किये गये हैं, यदि किसी कर से किसी को माफी देना हो तो, ऐसी माफी प्रत्येक करके सम्बन्ध में अलग २ दी जाना चाहिये। इन दोनों बातों के अतिरिक्त कूते जाने के लिये, वसूल किये जाने के लिये और जमा किये जाने के मतलब के लिये उन करों में से दो या अधिक कर मिला दिये जा सकते हैं। जैसे यदि किसी इमारत पर पानी का टैक्स तथा उसके वार्षिक मूल्य पर टैक्स, दोनों लगे हों, तो यह दोनों मिलाके कूत तथा वसूल किये जा सकते हैं। करों के मिला दिये जाने का हुक्म इस दफा में केवल बोर्ड की सुविधा के लिये रखा गया है, क्यों कि उससे बोर्ड का बहुत सा दोहरा काम बच जाता है। दो करों के अलग २ रजिस्टर रखने, हिसाब करने, बिल बनाने, उज्र दारियां सुनने इत्यादि की जगह, इस प्रकार मिला दिये जाने से, एक साथ दो करों का प्रबन्ध किया जा सकता है।

—यह बात स्मरणीय है कि उन करों के अतिरिक्त जिनका वर्णन दफा १२८ की उपदफा (१) के (१), (१०), (११) क्लॉजों में है, और कोई कर इस दफा के अनुसार मिलाये नहीं जा सकते।

इमारतों, आराजियों, या दोनों के वार्षिक मूल्य पर करों का कूतना और वसूल करना।

(Assessment and levy of texes on the annual velue of buildings or lands or both)

दफा १२९ माफी के कारण कर का घटा दिया जाना

१ किसी मिलाये हुये कर को कूतने मे वह रकम घटा दी जायगी जो किसी ऐसे अकेले करके हिसाब मे माफ कर दी गई हो, जो कि मिलाये हुये कर में सम्मिलित हो, चाहे ऐसी रकम के द्वारा कुछ भाग उस अकेले कर का माफ किया गया हो या चाहे उसकी पूरी रकम माफ कर दी गई हो।

२ घटाये जाने की विधि यह होगी कि—

(ए) (उस दशामे जबकि करका केवल कुछ भाग माफ कर दिया गया हो) मिलाये हुये करकी उस पूर्ण रकम मे से, जो अन्य दशा मे किसी माफी दी हुई इमारतों या आराजियो या दोनों के सम्बन्ध मे वसूल की जा सकती या कूती जा सकती, उस रकम का जो अन्य दशामें उस अकेले

करके विषय में कूती जा सकती, एक ऐसा समानुपाती भाग (Proportion ate part) घटा दिया जायगा, जो भाग कि उस रकमके बराबर हो जिसकी माफी दी गई हो। और

(बी) (उस दशा में जबकि करकी पूरी रकम माफ कर दी गई हो) ऐसी कुल रकम में से वह पूरी रकम घटा दी जायगी जो उस अकेले करके विषय में कूती गई हो।

नोटः—उपदफा १ के क्लॉज (ए) में शब्द "अन्य दशा में" जो आया है उनसे मतलब है "कोई ऐसे दशा जिसमें माफी न दी गई हो"।

दफा १४० वार्षिक मूल्य की व्याख्या

वार्षिक मूल्य का अर्थ है—

(ए) रेल के स्टेशनों, होटलों, कालिजों स्कूलों, अस्पतालों, कारखानों, और ऐसी ही ऐसी अन्य इमारतों के लिये-इमारत के बनाने में जो वर्तमान समय में व्यय पड़े उसके तख़मीने, और आराजी, जो उक्त इमारत के लगाव में हो (Appurtenant Thereto), उसके मूल्य के तख़मीनेके जोड़ का ऐसा समानुपात, (*Proportion*) जो उस जोड के पांच प्रति सैकडा सेअधिक न हो, और जो समानुपात नियमके द्वारा, जो इस अभिप्राय से बना दिया जाय, नियत कर दिया गया हो।

(बी) उन इमारतों या आराजियों के लिये जो क्लाज (ए) के हुक्मों के भीतर न हों, वह पूरा (Gross) वार्षिक किराया या लगान, जिस पर कि ऐसी इमारत, उन सजावट के सामानों (Furniture) या कलों को छोड़के जो उसके भीतर हों, वास्तव में उठी हुई हो (Actuallylet) या जिस पर आराजी वास्तव में उठी हुई हो, या जब इमारत या आराजी उठी न हो, या जब वह ऐसे दामों पर उठी हो जो बोर्ड की रायमें उस के वाजबी किराये या लगान से कम हो, तो वह पूरा वार्षिक किराया या लगान, जिस पर, प्रति वर्ष, (Year to year) उसके उठ जाने की आशा की जा सके।

२ परन्तु शर्त यह है, कि उस दशामें जब कि किसी इमारत का वार्षिक मूल्य, यदि उसका हिसाब उपरोक्त विधि से लगाया जाय, विशेष हालतों के कारण, बोर्डकी रायमें अत्याधिक (Excessive) हो, तो बोर्ड उसका वार्षिक मूल्य, किसी ऐसी कम रकम पर नियत कर सकता है, जो उसको न्याययुक्त (Equitable-क़रीन इन्साफ़) जान पड़े।

व्याख्या—

उपदफा (१) के क्लॉज (ए) में वह सार्वजनिक इमारतें रखी गई हैं जो किराये पर उठाई नहीं जाया करतीं, और जिनके किराये का अनुमान भी नहीं किया जा सकता। ऐसी इमारतों का वार्षिक मूल्य इस प्रकार निश्चय किया जायगा, कि पहले यह देखा जायगा कि इमारत, उस समय

में कितने रुपये में बनाई जा सकती है। फिर इस रकम में उस इमारत, के हाते का मूल्य जोडा जाना चाहिये। मान लीजिये कि दोनों का जोड २५०००) रुपये हुआ, तो उक्त इमारत का वार्षिक मूल्य, अधिक से अधिक २५०००) का पाच प्रति सैकडा, अर्थात् १२५०) रुपये तक नियत किया जा सकता है। वार्षिक मूल्य का हिसाब लगाने के लिये कितना प्रति सैकडा लिया जाना चाहिये, यह नियम के द्वारा प्रत्येक म्यूनिसिपलटी के लिये अलग २ निश्चय कर दिया जायगा। इस सम्बन्ध में "नमूने के नियम" के लिये देखिये म्यूनिसिपल मैन्युअल का पन्ना ३३५।

दफा १४१ कूते हुये करों की सूची तैयार की जाना

१ जब इमारतो या आराजियो पर, या दोनों पर, कोई कर लगाया जाय, तो बोर्ड म्यूनिसिपलटी के भीतर की सब इमारतों या आराजियों, या दोनों, पर कूते हुये कर की सूची तैयार करायेगा, जिसमे निम्नलिखित बाते लिखी जावेंगी।

(ए) नाम उस सड़क या मुहल्ले का जिस पर, या जिसमे जायदाद हो।

(बी) जायदाद का ऐसा पता, चाहे वह नामके द्वारा हो, या नम्बर के द्वारा, जो पहचानके लिये काफी हो।

(सी) नाम उसके मालिक का और काबिज का, यदि मालूम हों।

(डी) जायदाद का वार्षिक मूल्य, जिस पर कि वह उठाई जा सकती हो, या अन्य बाते जिनके द्वारा वार्षिक मूल्य निर्णय किया जा सके। और

(ई) करकी रकम जो उस पर कूती गई हो।

२ कूते हुये करकी ऐसी सूची तैयार करने के अभिप्राय से, बोर्ड, किसी एक शख्स को, या अधिक शख्सो को, समय २ पर बदलाव (उजेरत) देकर, या बिना किसी बदलाव के, नियुक्त कर सकता है, चाहे वह बोर्ड के मेम्बर हों या न हों, और ऐसा शख्स, या ऐसे शख्स, उपरोक्त मतलब के लिये, किसी जायदाद का मुआइना (जांच) कर सकता है, या कर सकते हैं।

दफा १४२ सूचीका प्रकाशित किया जाना

जब कूते हुये करकी सूची तैयार हो जाय, तो बोर्ड उस जगह के विषय में आम नोटिस देगा जहां कि वह सूची या उसकी नकल, जांचने को मिल सकती हो और प्रत्येक शख्स को, जो किसी ऐसी जायदाद का मालिक या काबिज होने का दावा करता हो, जो कि सूची मे दर्ज की गई हो, और ऐसे शख्स के एजेंट को, आज्ञा होगी कि वह सूचीकी जांच कर सके, और बिना किसी फीसके दिये उसमेसे कुछ नकल करे।

नोट.—ऐक्ट की दफा ३२८ में भी हुक्म है कि कोई टेक्स देने वाला या कोई म्यूनिसिपलटी का निर्वाचक, ऐसे बाई लॉ के आधीन, जो इस विषय में बनाया गया हो, बिना किसी फीस के दिये हुये, कूते हुये कर की सूची को जाच सकता है।

—म्यूनिसिपलटी के किसी कागज, रजिस्टर आदि में से किसी भाग की कोई नकल देने के विषय में, और उसकी फीस नियत करने को, बाई लॉज बनाये जा सकते हैं, देखिये दफा २९८ की मद (J) का क्लॉज (जी)।

दफा १४३ सूची के इन्दराजों पर उज्रदारियां

१ साथही साथ, बोर्ड एक ऐसी तारीख़ का भी आम नोटिस (विज्ञापन) दे देगा, जो नोटिस के पश्चात एक मासके कमकी तारीख़ न हो, जिस पर कि वह उन वार्षिक मूल्यों, और कूती हुई रक़मों (Assessments) पर, जो कि सूची में दर्ज हों, विचार करना आरम्भ करेगा। और ऐसी सब दशाओं में जिनमें कि किसी जायदाद पर पहले पहल कर कूता गया हो, या जिनमें कि कूते हुये कर में वृद्धि की गई हो, बोर्ड इसकी सूचना, जायदाद के मालिक या काबिज को, यदि उनके नाम मालूम हो, देगा।

२ वार्षिक मूल्यों और कूती हुई रक़मों के विषयमें सब उज्रदारियां बोर्ड में, उस तारीख़ से पूर्व जो नोटिस में नियत की गई हो, लिखित दरख्वास्त के द्वारा की जायगी, जिसमें वह कारण लिखे जायंगे, जिनके आधार पर वार्षिक मूल्यों और कूती हुई रक़मों पर उज्र किया जाता है, और कुल दरख्वास्तें जो इस प्रकार दी जाय एक किताब में दर्ज की जायगी, जो कि बोर्ड इस अभिप्राय से रखेगा।

३ बोर्ड, या कोई ऐसी कमेटी, जिसको इस विषयमें अधिकार सौंपे जाने के द्वारा अख्त्यार दिया गया हो, या कोई सरकारी अफसर, या बोर्ड का अफसर, जिसको बोर्ड, कमिश्नर की आज्ञा से अख्त्यार सौंपे (और रेज़ोल्यूशन के द्वारा, इस प्रकार अधिकार सौंपने का बोर्ड को, इस दफा के द्वारा, अधिकार दिया जाता है) दरख्वास्त देने वाले को इस बात का मौका देने के पश्चात, कि वह जो चाहे, स्वयं या अपने एजेंट के द्वारा, बयान करे—

(ए) उज्रदारियों के विषय में तहकीक़ात (निरूपण) करे, और उन पर फ़ैसला दे। और

(बी) ऐसी तहक़ीक़ात और फैसले का नतीजा उस किताब में दर्ज करा दे, जो उपदफा (२) के अनुसार रखी जायगी। और

(सी) कूती हुई रक़मों की सूची में ऐसी तरमीम करादे जो, उपरोक्त नतीजे के अनुसार आवश्यक हो।

व्याख्या—

उज्रदारियां सुनने के विषय में अधिकार सौंपे जाने के लिये देखिये G O No 1328 XI- H 5, ता० १९ जून, सन १९१६ ई०, जो दफा ११२ की व्याख्या में दिया गया है।

—उपदफा (३) के सम्बन्ध में जो अधिकार किसी कमेटी को सौंपा जाय वह दफा २९७ की उपदफा (१) के क्लॉज (जी) के अनुसार, रेग्युलेशन बना के सौंपा जायगा। परन्तु यदि ऐसा अधिकार किसी सरकारी अफसर, या बोर्ड के अफसर को सौंपा जाय तो, वह इस दफा में दिये हुए अधिकार के द्वारा सौंपा जायगा।

दफा १४४ सूचीकी तसदीक और उसका रखा जाना

१ जब उन कुल उज्रदारियों का फैसला हो जाय जो दफा १४३ के अनुसार की गई हों, और ऐसी सब तरमीमें (Amendments), जिनकी आवश्यकता उक्त दफा की

उपदफा (३) के अनुसार हो, कूती हुई रकमोकी सूची मे करदी जाये, तब उक्त सूची की तसदीक़ (Authentication) चेयरमैन के हस्ताक्षरो के द्वारा, या उस दशा मे जब कि किसी कमेटी या किसी सरकारी अफ़सर या बोर्ड के अफसर को, दफा १४३ के अनुसार अधिकार सौंपा गया हो, तो तसदीक़ ऐसी कमेटी के, कम से कम दो मेम्बरों के हस्ताक्षरो के द्वारा, या पूर्वकथित अफसर के हस्ताक्षर के द्वारा, की जायगी। और वह एक से अधिक शख्स या एक शख्स, जो इस प्रकार सूची की तसदीक़ करे या करें वह इस बात का प्रमाण-लेख दर्ज कर देंगे (Certify) या कर देगा, कि सब उज्रदारियो पर जो जायजरूप से की गई, विचार कर लिया गया है, और सूची की तरमीम, जहां तक कि तरमीम की आवश्यकता उन उज्रदारियो के फैसलों के कारण हुई थी, कर दी गई है।

२ वह सूची, जिसकी इस प्रकार तसदीक़ कर दी जाय, म्यूनिसिपलटी के दफ्तर मे रख दी जायगी, और इस प्रकार रख दिये जाने के उपरान्त, आम नोटिस के द्वारा, यह घोषणा कर दी जायगी, कि जो चाहे उसका मुआइना कर सकता है।

दफा १४५ सूचीका दोहराया जाना और उसकी अवधि

१ करों की कूती हुई रक़मो की एक नई सूची, साधारणतः, प्रति पांच वर्ष मे एक बेर, उस विधि के अनुसार, जो दफा १४१ से दफा १४४ तक में नियमित है, तैयार की जायगी।

२ किसी ऐसे परिवर्तन और तरमीम के अधीन जो दफा १४७ के अनुसार की जाय, और किसी ऐसी अपील के नतीजे के अधीन जो दफा १६० के अनुसारकी जाय, प्रत्येक वार्षिक मूल्य, और प्रत्येक कूती हुई रकम, जो कूतने की सूची (Valuationlist) मे दर्ज की जाय उस तारीख़ से जायज मानी जायगी जिस तारीख़ से कि वह म्यूनिसिपलटी मे प्रचलित हो, और नई सूची के पूरा हो जाने के उपरान्त जो अप्रैल का मास पड़े, उसकी पहली तारीख़ तक जायज रहेगी।

दफा १४६ करों की कूती हुई रक़मोंके इन्दराजोंका अखंड्य होना

करों की कूती हुई रकमो का कोई इन्दराज अखण्ड्य प्रमाण (Conclusiveproof) होगाः—

(ए) (किसी ऐसे मतलब के लिये जो उस कर से सम्बन्ध रखता हो जिसके विषय में उक्त सूची बनाई गई हो) उस रकम का जो किसी इमारत या आराजी के विषय मे, उस अवधि के भीतर वसूल की जा सकती है, जिस अवधि के लिये कि उक्त सूची बनाई गई है। और

(बी) म्यूनिसिपलटी के किसी अन्य कर के कूते जाने के अभिप्राय के लिये, उक्त अवधि के भीतर, किसी इमारत या आराजीके वार्षिक मूल्य का।

व्याख्या—

दफा १४२ के अनुसार प्रत्येक कर की कूती हुई रकमो की सूची प्रकाशित कर दी जाती है, और जनता को उसकी जांच का मौका दिया जाता है। तदनन्तर, दफा १४३ के अनुसार, हर शख्स

को जिसको सूची में दर्ज की हुई किसी रकम के विषय में कोई उज्र करना हो, उज्र करने का मौका दिया जाता है। और ऐसी उज्रदारी के फैसले के विरुद्ध दफा १६० के अनुसार अपील करने का भी मौका दे दिया जाता है। इन सब कार्रवाइयों के बाद, जो इन्दराज उस सूची में दर्ज किये जाते हैं, प्रकृत्या अखण्ड्य प्रमाण इस बात के माने जाते हैं कि जो कर की रकम किसी जायदाद के विषय में दर्ज है वह ठीक है। उसके विषय में कोई झगडा नहीं उठाया जा सकता न उसके गलत होने के विषयमें कोई सुबूत दिया जासकता है। जिस समय तक कि वह सूची प्रचलित रहेगी, तब तक प्रत्येक जायदाद के विषय में, जो रकम कर की उसमें चढी होगी, वही ठीक मानी जायगी। यदि म्यूनिसिपलटी कोई नया कर भी लगाना चाहे, जिसके लिये मकान तथा आराजियों के वार्षिक मूल्य के निर्णय करने की आवश्यकता हो, तो ऐसे नये कर के लिये भी, वही रकमें मान ली जायगी जो सूची में दर्ज होंगी।

दफा १४७ सूचीमें तरमीम और परिवर्तनका किया जाना

१ बोर्ड को अधिकार होगा कि किसी समय कर की कूती हुई रकमों की सूची में परिवर्तन या तरमीम करे–

(ए) उसमे किसी ऐसे शख्स का नाम, या कोई ऐसी जायदाद दर्ज करके जो दर्ज होना चाहिये थी, या कोई ऐसी जायदाद दर्ज करके, जो कूती हुई रकमों की सूची की तसदीक के पश्चात, कर, लगाये जाने के योग्य हुई हो। या

(बी) उसमे किसी जायदाद के मालिक या काबिज के नाम की जगह किसी अन्य ऐसे शख्सका नाम बदल दे कर, जो किसी इन्तकाल (Transfer) के द्वारा, या अन्य किसी प्रकार, ऐसी जायदादका मालिक या काबिज हो गया हो। या

(सी) किसी ऐसी जायदादके वार्षिक मूल्य, या उसपर कर की कूती हुई रकम मे वृद्धि करके, जिसका कि वार्षिक मूल्य, या जिस पर कर की कूती हुई रकम, फरेब (Fraud) या मिथ्या कथन (Misrepresentation) या गलती के कारण गलत लगाया गया हो, या गलत कूती गई हो। या

(डी) किसी ऐसी जायदाद के वार्षिक मूल्य का नये सिरेसे तखमीना करके, या उस पर कर की रकम नये सिरे से कूत के, जिसका मूल्य, इमारत के बढा दिये जाने के कारण, या इमारत में परिवर्तन कर दिये जाने के कारण, बढ गया हो। या

(ई) उस दशामें जब कि बोर्ड, दफा १२६ के हुक्मोंके अनुसार, वार्षिक मूल्यके उस प्रति सैकडा के हिसाबमें परिवर्तन करे जिसके आधारपर कोई कर वसूल किया जाने को हो, तो प्रत्येक दशा मे कर की जो रकम लगाई गई हो, उस रकम में, उपरोक्त परिवर्तन के अनुसार (Corresponding alteration) परिवर्तन करके। या

(एफ़) मालिकके द्वारा दरख्वास्त दिये जाने पर, किसी ऐसी इमारतके वार्षिक मूल्य को घटा के, जो इमारत कि पूरी, या जिसका कुछ भाग, गिरा दिया गया हो, या नष्ट हो गया हो। या

(जी) लिखा पढ़ीकी किसी ग़लती को, या हिसाबकी किसी ग़लती को, ठीक करके।

२ परन्तु शर्त यह है कि बोर्डको किसी ऐसे शख्सको जिसका कि ऐसे परिवर्तनसे वास्ता हो किसी ऐसे परिवर्तनका जो बोर्ड उपदफा (१) के क्लॉज (ए), (बी), (सी), या (डी) के अनुसार करे और उस तारीखका जिस तारीखसे कि उक्त परिवर्तन किया जायगा, कमसे कम एक मास पहले नोटिस देना होगा।

३ दफा १४३ की उपदफा (२) और उपदफा (३) के हुक्म, जो ऐसी उज्रदारियों के सम्बन्धमे दिये गये हों, जिनका वर्णन उक्त दफामे किया गया है, जहांतक सम्भवहो, किसी ऐसी उज्रदारीपर लागू होंगे, जो उपदफा (२) के अनुसार जारी किये हुये किसी नोटिसपर की जाय, और किसी ऐसी दरख्वास्त जो उपदफा, (१) के क्लॉज (एफ़) के अनुसार दी जाय, पर भी लागू होंगे।

४ प्रत्येक परिवर्तनकी जो उपदफा (१) के अनुसार की जाय, उस शख्स या उन शख्सोंके, जिसको या जिनको, दफा १४३ के अनुसार अधिकार दिया गया हो, हस्ताक्षरोंके द्वारा तसदीक़की जायगी, और वह परिवर्तन, किसी ऐसी अपीलके नतीजेके अधीन जो दफा १६० के अनुसार की जाय, उस तारीखसे काममें लाया जायगा, जिस तारीख़पर कि आगामी क़िस्तके अदा करनेकी ज़िम्मेदारी होजाय (अर्थात् जिस तारीख पर आगामी क़िस्त चढ़ जाय)।

व्याख्या—

उपदफा (१) के क्लॉज (बी) के लिये बोर्डको इन विषयोंमें नियम बनाना होंगे कि कोई शख्स सूचीमें अपना नाम दर्ज कराने के लिये दरख्वास्त देसके, और जब यह निर्णय न किया जासके कि किसका नाम किसी जायदादके मालिककी हैसियतसे चढाया जाय, तो क्या कार्रवाई हो, और जायदादके इन्तकालपर, उस इन्तकाल की किन २ लोगोंको म्यूनिसिपल्टीको सूचना देना चाहिये इत्यादि। नमूनेके नियम (Madel Rules) जो बना दिये गये हैं उनके लिये देखिये म्यूनिसिपल मैन्युअल के पन्ना ३३५ और ३३६।

दफा १४८ तरमीम करनेके लिये सूचना देनेकी जिम्मेदारी

१ जब कोई इमारत बनाई जाय, या कोई इमारत फिरसे (दुबारा) बनाई जाय, या बढ़ाई जाय, तो मालिक, ऐसी इमारत, बनाने, फिरसे बनाने, या बढानेके पूरा होजाने की तारीख़से, या उस तारीख़से जिसपर कि वह उक्त इमारतमे रहने लगे, या उसको काममें लाने लगे (Date of accupation) अर्थात इन दोनों तारीखोंमे से जो तारीख़ पहले पड़े उससे १५ दिनके भीतर बोर्डको नोटिस देगा।

२ जो शख्स ऐसा नोटिस न दे जिसका हुक्म कि उपदफा (१) मे दिया गया है, उसका अपराध साबित होनेपर (On conviction) जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा, जिसकी

संख्या ५०) रु० तक, या कर की उस संख्याकी दसगुनी तक हो सकती है, जो उक्त इमारत, या इमारतमें उक्त वृद्धिपर तीन महीनेकी अवधिके लिये देना पडती हो, अर्थात इन दोनोंमें से जो रकम अधिक हो।

दफा १४९ वार्षिक मूल्यपर कुछ करों के दिये जानेकी जिम्मेदारी

१ सिवाय उस दशाके जबकि नियमके द्वारा किसी अन्य प्रकारकी आज्ञा दी गई हो, प्रत्येक कर (सिवाय मैला उठवानेके कर के, या पाखानों, पेशाबखानोंकी सफाई कराने के कर के) जो इमारतों या आराजियों या दोनोंके वार्षिक मूल्यपर लगा हो, प्रथम उस जायदादके जिसपर कि कर कूता गया हो, वास्तविक काबिजसे वसूल किया जायगा, यदि ऐसा काबिज उन इमारतों या आराजियोंका मालिक हो या उनपर, इमारत बनाने के पट्टे या अन्य प्रकारके पट्टेके द्वारा, जो भारत मंत्री (Secretory of State) और उनकी कौंसिलकी ओरसे या बोर्डकी ओरसे, दिया गया हो, कब्जा रखता हो, या इमारत बनानेके ऐसे पट्टेके द्वारा जो किसी और शख्सकी ओरसे दिया गया हो, कब्ज़ा रखता हो।

२ किसी और दशामें, कर प्रथम नीचे लिखे शख्सोंसे वसूल किया जायगा अर्थात्

(ए) यदि जायदाद किरायेपर उठी हो तो उस शख्ससे जो उसको किरायेपर दे (Lessor)।

(बी) यदि किरायेदारने जायदादको किसी और किरायेदारको उठा दिया हो (अर्थात् शिकमी किरायेदारको) तो उस शख्ससे जिसने असलमें पहले किरायेपर दी हो (Superiorlessor)।

(सी) यदि जायदाद किरायेपर न उठी हो, तो उस शख्ससे जिसको उसके किरायेपर देनेका अधिकार प्राप्त हो।

३ यदि कोई रकम, जो किसी ऐसे कर के विषयमें चाहिये हो, उस शख्ससे वसूल न की जासके जो उसके अदा करनेका प्रथम जिम्मेदार हो तो बोर्ड, उन इमारतों या आराजियोंके किसी भागपर कब्जा रखने वाले से, जिनके विषयमें कि कर चाहिये हो, उतना भाग वसूल कर सकता है, जिस भागका कि कुल वाजिब रकमसे वही अनुपात (Ratio) हो जो उस किरायाका जो उक्त काबिजसे प्रति वर्ष वसूल किया जा सकता हो, उस पूर्ण (Aggregate) किरायेकी रकमसे हो जो पूरी इमारतों या आराजियोंपर लगा हो, या जो अनुपात (Ratio) उनके किरायेके धन (Lettingvalue) का उस पूर्ण रकमसे हो जो तसदीक की हुई, कूते हुये कर की सूचीमें दर्ज हो।

४ कोई काबिज जो कोई ऐसी रकम अदा करे जिसके अदा करनेका कि वह पूर्वोक्त हुक्मोंके अनुसार, प्रथम जिम्मेदार नहीं है, उसको (यदि इसके विपरीत कोई मुआहिदा न हो) अदा की हुई रकमका उस शख्ससे पानेका अधिकार होगा, जिस शख्सकी प्रथम जिम्मेदारी उस रकमके अदा करनेकी हो।

व्याख्या—

किसी आराजी या इमारत पर कब्जा रखने वाले से, उपदफा (१) के अनुसार, कर केवल

जियों का किराया हिसाब से उतने दिनों का माफ कर दिया जायगा जितने दिन कि वह खाली रहा हो। जैसे यदि मकान ३ मास तक खाली रहा हो तो चौथाई किराया और यदि ४ मास तक खाली रहा हो तिहाई किराया, माफ कर दिया जायगा।

—उपदफा (२) के सम्बन्ध में नमूने का नियम जो बना दिया गयाहै इस प्रकार है:—

ऐक्ट की दफा १५१ (२) के अनुसार कर के कुछ भाग की माफी या वापसी पाने के लिये, किसी ऐसी इमारत का मालिक जिसमें रहने के लिये अलग २ घर बने हों, बोर्ड से उस समय, जब कि इमारत पर कर कूता जाय, यह प्रार्थना कर सकता है कि बोर्ड कूते हुये कर की सूची में, पूरी इमारत के वार्षिक मूल्यके अतिरिक्त एक नोट (लेख) का भी इन्दराज कर दे, जिसमें प्रत्येक अलग २ घर के वार्षिक मूल्य का पूरा ब्योरा लिखा जाय। जब कोई घर, जिसका वार्षिक मूल्य इस प्रकार अलग दर्ज कर दिया गया हो, किसी वर्ष में लगातार ९० दिन, या इस से अधिक दिन, तक खाली रहा हो, और उससे किराये की कोई आमदनी न हुई हो, तो पूरी इमारत के कर का उतना भाग माफ कर दिया जायगा, या लौटा दिया जायगा, जितना कि दफा १५१ की उपदफा (१) के अनुसार माफ कर दिया गया होता या लौटा दिया गया होता, यदि उस घर पर कर अलग कूता गया होता—(देखिये म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ना ३३६)

दफा १५२ फिरसे आबाद होनेकी सूचना देनेकी जिम्मेदारी

१ किसी ऐसी इमारत या आराजीके मालिकको जिसके विषयमे इससे पहली वाली दफाके अनुसार कर माफ किया गया हो, या वापिस किया गया हो, उक्त इमारत या आराजीके फिरसे आबाद होने (बसजाने) की सूचना इस प्रकार फिरसे बस जानेकी तारीखसे १५ दिनके भीतर देना होगी।

२ कोई मालिक जो ऐसा नोटिस न देगा जिसके विषयमे उपदफा (१) मे हुक्म दिया गया है उसको जुर्मके साबित हो जाने पर जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या कर की उस रकमके दुगनेसे कम न होगी, जो उक्त इमारत या आराजी पर उस अवधिके लिये देना हो जिस अवधिमे कि वह बिना सूचना दिये फिरसे आबाद रही हो और जिस जुर्मानेकी अधिकसे अधिक संख्या पचास रुपये तक हो सकती है या उक्त कर के दसगुनी तक हो सकती है अर्थात् इन दोनो मे जो रकम बडी हो।

करोंकी वसूली, चुकौता, माफी और कर लगानेके सम्बन्धकी अन्य बात।

(Collection, Composition, Exemption & Other matters relating to taxation)

—:o:—

दफा १५३ कूतने, वसूल करने और अन्य बातोंके लिये नियम

जहा तक कि इस ऐक्टमे नीचे लिखी बातोंकेलिये हुक्म कर दिया गया है उसके अतिरिक्त उनका प्रबन्ध और उनकी कार्रवाई नियमोंके अनुसार की जायगी। अर्थात

(ए) करोंका कूता जाना, (Assessment) जमा किया जाना (Collection)

या चुकौता किया जाना (Composition) और चुङ्गीके कर के लिये चुङ्गीकी हदोंका निर्णय किया जाना।

(बी) धोखा देकर टैक्स न देने (Evasion) को रोकनेका प्रबन्ध।

(सी) वह प्रणाली जिसके अनुसार करों की वापसीकी आज्ञा होगी और वापसिया दी जायगी।

(डी) उन नोटिसोंकी फ़ीस जिनके द्वारा किसी करके हिसाबमे कोई रक़में मांगी जायँ (तलब की जायँ) और कुर्कीके वारण्टों (Warrants of distress) के तामील किये जानेकी फ़ीस।

(ई) दर, उस खर्चेका जो कुर्क किये हुये पशुओंकी खुराकके विषयमे लिया जायगा।

(एफ़) करोंके सम्बन्धकी अन्य बाते जिनके विषयमे इस ऐक्टमे कोई हुक्म नहीं दिया गया है या जो हुक्म है वह काफ़ी नही है और जिसके लिये कि हुक्म किया जाना, प्रान्तीय सरकारकी रायमे, आवश्यक है।

व्याख्या—

प्रान्तीय सरकारने चुङ्गीको छोडके अन्य करोंके कूते जाने और जमा किये जानेके नमूनेके नियम दफ़ा १५३ और दफ़ा १९९ के अनुसार बना दिये हैं। प्रान्तीय सरकारकी आज्ञा है कि जहां तक सम्भव हो सब म्यूनिसिपलटियां इन्हीं नमूनेके नियमोंको स्वीकार करलें।

नीचे लिखे विषयों पर नमूनेके नियम (Model Rules) बना दिये गये हैं —

(१) इमारतों और आराजियों पर कर कूते जाने और जमा किये जानेके विषयमें। म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ने ३३५–३३६।

(२) सौदा और पहेदारों पर कर कूते जाने और जमा किये जानेके विषयमें। म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ने ३३६–३३७।

(३) शकर (खाड) साफ़ करने वालों (Sugar refiners) पर कर कूते जानेके विषयमें नियम म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ने ३३७ से ३४० तक।

(४) शकरके व्यापारियों और शकरके साफ करने वालों पर कर कूते जाने और जमा किये जानेके विषयमें नियम। म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ने ३४०–३४१।

(५) कपडेके व्यापारियों पर कर कूतने और जमा करनेके विषयमें नियम। म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ने ३४२–३४३।

(६) तम्बाकू और आलू बोने वालों पर कर कूतनेके विषयमें। म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ने ३४३–३४४।

(७) गाड़ियों (या पशुओं) पर कर कूतने और जमा करनेके विषयमें। म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ने ३४४–३४५।

(८) व्यापारों, व्यवसायों और कामों पर कर कूतने और वसूल करनेके विषयमें (जो कि बड़ी म्यूनिसिपलटियों के लिये ठीक होंग) म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ने ३४५ से ३४७ तक।

(९) व्यापारों, व्यवसायों और कामों पर कर कूतने और वसूल करनेके विषयमें (जो कि छोटी म्यूनिसिपलटियोंके लिये ठीक होंगे) म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ने ३४ से ३४९ तक।

(१०) हैसियत और जायदाद पर कर कूतने और जमा करनेके विषयमें। म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ना ३४९।

(११) पाखानों, पेशावखानोंके साफ करानेके कर के कूतने और जमा करनेके विषयमें म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ना ३४९–३५०

(१२) प्रवेश करों (Tolls) के कूतने और जमा करनेके विषयमें। म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ने ३५० से ३५१।

(१३) (कानपूर की म्यूनिसिपलटी में) टर्मिनल टैक्स (Terminal tax) के कूतने और जमा करने के विषय में। म्यूनिसिपल मैन्युअल के पन्ने ३५१ से ३५५ तक।

(१४) (कानपुर म्यूनिसिपल्टी में) टर्मिनल प्रवेश कर (Terminal toll) के कूतने और जमा करने के विषय में म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ने ३५६ से ३५७।

(१५) नाज के व्यापारियों पर कर कूतने और जमा करने के विषय में। म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ना ३५८।

(१६) ईंटें, खपड़े और चूना बनाने वालों पर कर के कूतने और जमा करने के विषय में, म्यूनिसिपल मैन्युअल के पन्ने ३५८ से ३६० तक।

(१७) पानी पहुँचाने के विषय में। म्यूनिसिपल मैन्युअल के पन्ने ३६० से ३६५ तक

(१८) निर्वाचन में, निर्वाचकों तथा, उम्मेदवारों की योग्यताओं के विषय में। म्यूनिसिपल मैन्युअल पन्ने ३६५ से ३६६।

—दफा ३२७ के अनुसार जो अधिकार कि प्रान्तीय सरकार को दिया गया है, उसको बरतते हुये, प्रान्तीय सरकार ने अपना अधिकार कमिश्नरों को सौंप दिया है, कि वे दफा २९६ के अनुसार, एक्ट की दफा १५३ के (ए), (बी,) और (सी) क्लॉजों के लिये नियम बनायें, जो उन म्यूनिसिपलटियों पर लागू होंगे जोकि शहरकी म्यूनिसिपलटियां नहीं हैं और दफा २९९ के द्वारा इस बात की मंजूरी देने का अधिकार कि किसी ऐसे नियम के उल्लंघन के लिये जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या ५००) रुपये तक हो सकती और यदि उल्लंघन ऐसा उल्लंघन हो जिसका लगातार होना माना जाता हो (Continuing breach) तो उपरोक्त दण्ड मिलने के उपरान्त, जितने दिन अपराधी उक्त अपराध को करता जाय, तो प्रति दिन ५) रुपये जुर्माने के और बढ़ते जायगे, भी कमिश्नरों को सौंप दिया है। (देखिये विज्ञापन No 706 XI 118 H, तारीख २ अप्रैल, सन १९१९)

—(डी) और (ई) क्लॉजों के लिये प्रान्तीय सरकार ने जो नियम बनाये हैं, उनके लिये देखिये दफा १७४ की व्याख्या।

दफा १५४ चुंगीकी हदें नियत करनेका अधिकार

१ जब कोई छावनी का अधिकारी (Contonment authority) गवर्नर जन-

रल और उनकी कौंसिल की मञ्जूरी से किसी मिली हुई म्यूनिसिपल्टी के साथ यह निश्चय करले कि छावनी और म्यूनिसिपल्टी के लिये चुगी की एक ही हदें स्थापित की जाय, और चुंगी के द्वारा जो रकम जमा हो और उसका खर्च, छावनी के कोष और म्यूनिसिपल्टी के कोष में बांट दिया जाय, तो चुङ्गी की उन हदों में, जो नियमके द्वारा नियत की जाय, छावनी और म्यूनिसिपल्टी दोनों के क्षेत्र फलों का उतना भाग शामिल समझा जायगा, जितना कि प्रान्तीय सरकार आवश्यक समझे।

२ जो पशु अथवा माल उक्त हदों के भीतर लाये जाय, उन पर चुङ्गी का कर जमा करने के बोर्ड को वही अधिकार होंगे, और इस ऐक्ट के वह हुक्म जो चुगी के विषय में है उसी प्रकार लागू होंगे, मानों ऐसी हदें पूरी २ म्यूनिसिपल्टी के ही भीतर हैं।

दफा १५५ चुंगीका कर देनेसे बचनेके लिये दण्ड

जो शख्स कोई ऐसे माल या जानवर जिन पर चुङ्गीका कर लिया जाया करता हो, और जिनके विषय में चुङ्गीका कर उनके प्रवेश होनेपर न तो दिया गया हो न पेश किया गया हो, म्यूनिसिपल्टी की हदों के भीतर लाये, या लाने की कोशिश करे, या उनको म्यूनिसिपल्टी के भीतर लाने के लिये किसी को उत्साहित करे (Abet). उसको जुर्माने की सजा दी जायगी, जिसकी संख्या या तो चुङ्गी की ऐसी रकम के दस गुने तक या ५०) रुपये तक हो सकती है और जिसकी संख्या ऐसी चुङ्गीकी मालिअत के दुगने से कम न होगी।

व्याख्या—

इस दफा में अधिक से अधिक जुर्माने की रकम, तथा कम से कम जुर्माना जो किया जा सकता है, दोनों की संख्या बता दी गई है। जो चुगी देना चाहिये थी उसके दस गुने तक जुर्माना किया जा सकता है या, यदि वह दसगुनी रकम ५०) रुपये से कम हो, तो ५०) रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। कम से कम जो जुर्माना किया जा सकता है उस के लिये यह आज्ञा है कि वह चुगी की उस रकम से जो अदा की जाना चाहिये थी, दुगने से कम न हो।

—इस दफाके अनुसार अपराधी वह शख्स होगा जो म्यूनिसिपल्टी के भीतर कोई माल या जानवर, बिना उसकी चुगी अदा किये लाता है। इसलिये जब कि ६० बोरे शक्कर के एक शख्स A के नाम से आये, और एक दूसरे शख्स B ने जो एक दलाल था उनको छुड़ाया, और बिना चुगी अदा किये, B उनको म्यूनिसिपल्टी के भीतर ले गया। इस दफा के अनुसार B अपराधी ठहराया गया और उस पर जुर्माना हुआ। हाइकोर्ट के सामने यह बहस की गई कि B केवल दलाल था, और A का एजेण्ट था, इसलिये A अपराधी ठहराया जाना चाहिये। परन्तु हाईकोर्ट ने इस बहस को स्वीकार नहीं किया और तजवीज किया कि सजा उसी शख्स को होना चाहिये जो माल को बिना चुगी दिये, म्यूनिसिपल्टी के भीतर लाता है। देखिये बाबूराम बनाम सरकार बहादुर 16 A L J 623=46 I C 848

—जब कि किसी शख्स के पास रुपये से कुछ माल आया, और चुंगी देनेके लिये उस शख्स ने चुगी के दफ्तर में रेल की बिल्टी पेश करदी, और बिल्टी में दी हुई तौल के हिसाब से चुंगी अदा कर दी। बाद में रेलवे कम्पनी को पता लगा कि बिल्टी में तौल कम दर्ज थी, और इस पर उन

शख्स ने चुंगी की शेष रकम, अर्थात् पूरी तौल पर देना चाही, तो उस शख्स पर "धोखा दे कर चुंगी अदा करने से बचने" (Evasion of Octroiduty) का मुकद्दमा चलाया गया। हाईकोर्ट ने तजवीज़ किया कि ऐसी दशा में, कम तोल पर चुंगी अदा करना उसी हालत में अपराध हो सकता है जब कि चुंगी देने वाला यह जानता हो कि जो तोल चिट्ठी में दर्ज है वह ग़लत है, और यदि इस बात का सुबूत न हो कि वह शख्स यह बात जानता था कि तोल ग़लत दर्ज है, तो वह अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। देखिये सरकार बहादुर बनाम कृपाराम (1882) A. W N. 231.

दफा १५६ चुकौता (Composition)

१ किसी नियमके हुक्मोंके अधीन, कोई बोर्ड विशेष रेजोल्यूशनके द्वारा, जिसका समर्थन कमिश्नर ने किया हो यह आज्ञा दे सकता है कि सब शख्सों को, या किसी शख्स को, किसी कर के विषय में चुकौता करने की (अर्थात् किसी अवधिके लिये एक इकट्ठी रकम दे कर मामला करलेने की) आज्ञा दी जाय।

२ प्रत्येक रकम जो उपदफा (१) के अनुसार, किसी कर का चुकौता करलेने के कारण किसी पर चाहिये हो, उस विधि से वसूल की जा सकेगी, जो छटे प्रकरण मे बतायी गयी है।

व्याख्या—

किसी कर का चुकौता करने में बोर्ड को नीचे लिखे नियमों पर ध्यान देना चाहिये —

१ जो रेजोल्यूशन कि बोर्ड दफा १५६ के अनुसार पास करे, उसमें वह शख्स, या वह समुदाय स्पष्टरूप से अंकित कर दिये जाना चाहिये, जिनको कि उस रेजोल्यूशन में बताये हुये, किसी टैक्स या टैक्सों के विषय में चुकौता करने की आज्ञा दी जाने को हो।

२ बोर्ड उस अवधि को भी अंकित कर देगा जिसमें कि चुकौता करने की आज्ञा दी गई हो, किन्तु सिवाय किसी विशेष कारणों के उपस्थित होने की दशा में, जिसकी मंजूरी कि सरकार ने दी हो, ऐसी अवधि किसी दशा में एक वर्ष से अधिक न होगी।

३ किसी समय पर बोर्ड, इसी प्रकार के रेजोल्यूशन के द्वारा, उचित कारण होने पर, उन शख्सों या समुदायों को जिन पर कि इसका असर पड़े, जायज़ रूप से नोटिस देने के पश्चात् चुकौता करने की आज्ञा को वापिस ले सकता है।

४ चुंगी के टैक्स का चुकौता, साधारणतः, उस कुल (Gross) माल के तख़मीने के आधार पर किया जायगा जो कि चुकौता करने वाला म्यूनिसिपलटी के भीतर लाता हो। जो माल चुकौता करने वाला म्यूनिसिपलटी के बाहर भेजेगा उसके विषय में वापसी पाने का उसको अधिकार होगा। किन्तु किसी प्रसिद्ध तथा इज़्ज़तदार (प्रतिष्ठित), फुटकर माल बेचने वाले व्यापारी से बोर्ड माल की खालिस (Net) मात्रा के आधार पर चुकौता कर सकता है अर्थात् माल की उस मात्रा का, जो वह वर्ष भर में म्यूनिसिपलटी के भीतर लाये, और उस मात्रा को जो वह म्यूनिसिपलटी के बाहर वर्ष भर में भेजे अन्तर के आधार पर। परन्तु शर्त यह है कि वह इस बात की प्रतिज्ञा, कानून के अनुसार लिख दे कि वह उस माल के सम्बन्ध में, जो वह बाहर भेजेगा वापिसी न मांगे। (विज्ञापन No 1906 XI.6 H तारीख़ ५ जुलाई सन १९१६ ई०)

दफा १५७ माफी (Exemption)

१ बोर्ड, किसी ऐसी अवधि के लिये जो एक वर्ष से अधिक न हो, किसी ऐसे कर के, या कर के किसी भाग के, अदा करने से, जो इस ऐक्ट के अनुसार लगाया गया हो, किसी ऐसे शख्स को माफ कर सकता है, जो उस की राय में, गरीबी के कारण, उसके अदा करने में अयोग्य हो, और जितनी बार बोर्ड आवश्यक समझे ऐसी माफी वह फिर दे सकता है।

२ बोर्ड, विशेष रेजोल्यूशन के द्वारा, जिसका समर्थन कमिश्नर ने किया हो, किसी शख्स को, या किसी समुदाय को, या किसी जायदाद को, या किसी प्रकार की जायदाद को, किसी ऐसे कर या कर के किसी भाग के अदा करने से माफ कर सकता है जो इस ऐक्ट के अनुसार लगाया गया हो।

३ प्रान्तीय सरकार, हुक्म के द्वारा, किसी शख्स को, या किसी समुदाय को, या किसी जायदाद को, या किसी प्रकारकी जायदादको, किसी ऐसे कर या कर के किसी भाग के अदा करने से, माफ कर सकती है, जो इस ऐक्ट के अनुसार लगाया गया हो।

व्याख्या—

उपदफा (२) किसी कर की माफी के विषय में जो विशेष रेजोल्यूशन कोई बोर्ड पास करे, उसके समर्थन करने का अधिकार, शहरों की म्यूनिसिपलटियों के विषय में इस ऐक्ट के द्वारा, पहले प्रान्तीय सरकारको दिया गया था। प्रान्तीय सरकारने अपने इस अधिकार को, विज्ञापन No 908 XI 504 E ता० ६ मई सन १९१८ई०के अनुसार, कमिश्नरों को सौंप दिया था। अतएव अमेण्डमेण्ट ऐक्ट न० २ सन १९१९ ई० के द्वारा दफा १५७ की उपदफा (२) में तरमीम कर दी गयी और सब प्रकार की म्यूनिसिपलटियों के (चाहे वह शहर की म्यूनिसिपलटियां हों या अन्य) रेजोल्यूशन का समर्थन करनेका अधिकार कमिश्नरों को सौंप दिया गया है।

—"या कर के किसी भाग के" यह शब्द उपरोक्त दफा की तीनों उपदफाओं में जो रखे गये हैं, उनके द्वारा बोर्ड को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि चाहे कोइ कर पूरा माफ कर दे, या उसका कोई भाग माफ करने के लिये, कर की दर घटा दे।

—किसी किसी विशेष हालतों में म्यूनिसिपलटी के करों के वसूल किये जानेकी मनाही कर देने के लिये भारत सरकार ने ऐक्ट न० ११ सन १८८१ ई०(Act No .11 of 1881 An Act to give power to prohibit the levy of Municipal taxes in certain cases) पास कर दिया है। उक्त ऐक्ट की दफा १ के अनुसार, गवर्नर जनरल और उनकी कौन्सिल ने नीचे लिखा नियम बना दिया है—

सब ऐसे शख्स जो कि केवल फौज की नौकरी करते हों, या जो किसी ऐसे विभाग के नौकर हों जो फौज से सम्बन्ध रखता हो, या जो फौज के पब्लिक वर्क्स विभाग के नौकर हो, और जो कि ऐसे शख्स हों जो आर्मी डिसिपलिन और रेग्युलेशन ऐक्ट सन १८७९ई० (Army Discipline & Regulation Act 1879) के अधीन हों या इण्डियन आर्टिकल्स आव वार (Indian Articles of war) के अधीन हों, और जो फौजी ड्यूटी (Duty) के काम पर किसी म्यूनिसिपलटी की हद्दों के भीतर रहने पर बाध्य हों, वह करों से माफ होंगे।

दफा १६३ खर्चा

१ प्रत्येक अपील में, खर्चे के विषय मे हुक्म देना, उस अफसर की इच्छा पर निर्भर होगा जो अपील को फैसल करेगा।

२ जो खर्चा इस दफा के अनुसार बोर्ड को दिलाया जाय उसको बोर्ड उस विधि से वसूल कर सकेगा जो छठे प्रकरण मे नियमित है।

३ यदि बोर्ड, कोई ऐसा खर्चा जो किसी अपीलाण्ट को दिलाया जाय, उसके अदा किये जाने के हुक्म के मिलने के दस दिनके भीतर, अदा न करे, तो वह अफसर जिसने कि खर्चा दिलाया हो, उन शख्सों को जिनके कब्जे मे कि म्यूनिसिपलटी के कोष की बाकी हो, उक्त खर्चे को अदा करने की आज्ञा दे सकता है।

दफा १६४ दीवानी और फौजदारीकी अदालतोंको कर के मामलों के सुननेका अधिकार न होगा

१ सिवाय उस विधि के जिसका हुक्म इस ऐक्ट में है, और सिवाय उस अधिकारी के जिसको इस ऐक्ट के द्वारा अधिकार है, किसी अन्य विधि से, या किसी अन्य अधिकारीकी ओर से, कोई उज्र किसी मालियतके निश्चय किये जानेके विषयमे या कर के कूते जाने के विषय मे न किया जाएगा। न कोई उज्र सिवाय उक्त विधिके, और उक्त अधिकारी के द्वारा, इस विषय मे किया जायगा कि किसी शख्स की ऐसी ज़िम्मेदारी है कि नही कि उस पर कर कूता जाय, या कर लगाया जाय।

२ हाकिम अपील का हुक्म किसी ऐसे हुक्म के समर्थन, या रद, या तरमीम किये जाने के विषय मे, जो मालियत निश्चय किये जाने या कर की कूत (तशखीस) के विषय मे हो, या ऐसी जिम्मेदारी के विषय मे हो, जिस के कारण कर कूता जाय, या कर लगाया जाय, अन्तिम (Final) होगा। परन्तु शर्त यह है कि हाकिम अपील के लिये जायज़ होगा कि दरख्वास्त पर या अपनी इच्छासे, किसी ऐसे हुक्मकी जो उसने अपील मे दिया हो, एक ऐसे दूसरे हुक्म के द्वारा नजरसानी करे (Review), जो दूसरा हुक्म कि उसके प्रथम हुक्म की तारीख से तीन मास के भीतर दिया जाय।

व्याख्या—

इस दफा के द्वारा करों के सम्बन्ध में सब प्रकार के हुक्म जो अपील सुनने वाला हाकिम दे अन्तिम माने गये हैं। किसी मकान या आराजी की मालियत जो हाकिम अपील निश्चय कर दे, या कर की रकम या कर देने की जिम्मेदारी आदि के विषय में जो हुक्म वह दे वह अन्तिम होगा। परन्तु ऐसा कोई हुक्म उसी दशा में अन्तिम माना जा सकता है और उसी दशा में अदालत दीवानी को उस हुक्म में हस्तक्षेप करने का अधिकार न होगा, जब कि हुक्म कानून की आज्ञाओं के अनुसार दिया गया हो अन्यथा नहीं। म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट के अनुसार अन्तिम माने हुये हुक्मों में किस दशा में अदालत दीवानी को हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है इस विषय में अनेक फैसले इलाहाबाद हाईकोर्ट के हो चुके हैं (देखिये दफा १४ की व्याख्या)। कलकत्ता हाईकोर्ट का एक प्रत्यक्ष फैसला इस उसूल पर हो चुका है जिस में यह तजवीज हुआ कि जब किसी

म्यूनिसिपल संस्था ने कानून के विपरीत कोई कार्रवाई की हो तो अदालत दीवानी को अधिकार है कि कर कूते जाने के विषय में यह निश्चय कर दे कि वह कानून के विरुद्ध कूता गया है। देखिये हामिद हुसैन बनाम पटना म्यूनिसिपलटी 17 C L J. 131=15 I C. 548

—टी ई स्ट्रेची बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड कानपुर, 1899 A W. N 97 वाले मामले में जो म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट नं० १५ सन १८८३ के अनुसार दायर हुआ था मुद्दई ने प्रार्थना की थी कि मुद्दाअलेह म्यूनिसिपलटी के नाम हुक्म इम्तनाई (In Junction) निकाला जाय कि वह मुद्दई से कर वसूल न करे। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि जिस रेजोल्यूशन के द्वारा म्यूनिसिपलटी ने उक्त कर मुद्दई पर लगाया था वह नाजायज था। अतएव हाईकोर्ट ने मुद्दई की प्रार्थना स्वीकार की और म्यूनिसिपलटी के नाम हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया कि वह मुद्दई से कर वसूल न करे। हुक्म इम्तनाई की प्रार्थना के विषय में हाईकोर्ट ने तजवीज में लिखा —

" रेस्पाण्डेण्ट (अर्थात कानपूर म्यूनिसिपलटी) की ओर से बहस की जाती है कि इस अदालत को हुक्म इम्तनाई की प्रार्थना स्वीकार करने का अधिकार नहीं है और मोरन बनाम चेयर मैन मोतीहारी म्यूनिसिपलटी, I L R 17 Cal 329 की नजीर इस बहस के समर्थन के लिये पेश की जाती है। यह ठीक है कि इस मुकद्दमे को फैसल करने वाले योग्य जजों की यह राय थी कि सगठित संस्थाओं को उन के कर्तव्यों का पालन कराने के लिये मजबूर करने का अख्तियार और उन को ऐसे किसी काम के करने से रोक देने का अख्तियार जो उन को अधिकारों की सीमा के भीतर न हो हाईकोर्ट को केवल उसी दशा में दिया गया है जब कि वह प्रेसिडेंसी की राजधानियों के इम्तदाई मुकद्दमे सुनने के अपने अधिकार (Original Jurisdection) को बरत रहा हो। मुफस्सिल की म्यूनिसिपलटियों के विषय में हाईकोर्ट को ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसा जान पड़ता है कि इस प्रकार की राय देते समय योग्य जजों का ध्यान स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट (Specific Releaf Act) के आठवें प्रकरण की ओर गया किन्तु उस प्रकरण के हुक्मों पर विचार करने से यह बात स्पष्टतः प्रगट हो जायगी कि जिन हुक्मों का उक्त प्रकरण में उल्लेख है वह ऐसे हुक्म हैं जो दरख्वास्तों (Application) पर दिये जाय। उस प्रकरण के हुक्म नम्बरी दावों (Suit) की डिकरियों पर लागू नहीं हैं.. . उस प्रकरण में कोई ऐसा हुक्म नहीं है जिस के द्वारा अदालतों को हुक्म इम्तनाई जारी करने की मनाही की गई हो म्यूनिसिपलटियों के नाम इस अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी भी किये हैं जैसे गंगानारायण बनाम कानपुर म्यूनिसिपलटी के मुकद्दमे में (देखिये I .L R 19 All. 313) इस लिये हम नीचे की अदालत की डिकरी में इस तरह तरमीम करते हैं कि मुद्दाअलेह बोर्ड के नाम हुक्म इम्तनाई जारी किया जाय कि वह मुद्दई से २५ अगस्त सन १८८७ ई० के रेजोल्यूशन के आधार पर (अर्थात वह रेजोल्यूशन जिस को हाईकोर्ट ने नाजायज ठहराया था) कर वसूल न करे।"

इस नजीर से भी उस उसूल का समर्थन होता है कि यद्यपि म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट के द्वारा कोई हुक्म अन्तिम माना गया हो तथापि यदि ऐसा हुक्म कानून की किसी आज्ञा के विरुद्ध हो तो अदालत दीवानी में ऐसे हुक्म के विरुद्ध दावा दायर किया जा सकता है।

दफा १६५ बचतें

कोई कूते हुये कर की सूची, या अन्य सूची या नोटिस, या बिल (Bill) या अन्य ऐसा

अनुसार जारी किया गया हो, जायज़ होगा कि सूर्योदय और सूर्यास्तके बीच किसी समय, नीचे लिखी दशाओ मे (परन्तु अन्य किसी दशा में नही) किसी इमारत के किसी बाहरी या भीतरी दरवाजा या खिड़की को इस अभिप्राय से तोड़ कर खोले, कि उस कुर्की को करे जिसका हुक्म वारण्ट मे है—

(ए) अगर वारण्ट मे कोई विशेष हुक्म हो जिसके द्वारा उसको इस बात की आज्ञा दी गई हो। और

(बी) यदि उसके लिये इस बात के विश्वास करने के लिये उचित कारण हों। कि इमारत मे ऐसी जायदाद है जो वारण्ट के अनुसार कब्जे मे ली जा सकती है। और

(सी) यदि अपना अधिकार, और मतलब, की सूचना दे देने पर, और भीतर जाने की जायजरूप से आज्ञा मांगने पर, उसको अन्य प्रकार अन्दर न जाने दिया जाय।

२ परन्तु शर्त यह है, कि उक्त अफ़सर किसी ऐसे कमरे का, जो स्त्रियो के रहने के लिये अलग हो, दरवाजा न तोडेगा, न उसमें प्रवेश करेगा जब तक कि वह उन स्त्रियो को जो उसके भीतर हो हटजाने का अवसर न दे दे।

दफा १७१ वारण्टकी तामील किये जानेकी विधि

१ उक्त अफ़सर उस शख्स की किसी जायदाद मनकूला (जङ्गम) को, जिस शख्स का नाम उक्त वारण्ट मे बाकीदार की तरह लिखा हो, जहा कही कि उक्त जायदाद मिले, उपदफा (२) और (३) के हुक्मों के अधीन कुर्क कर सकता है।

२ नीचे लिखी जायदाद कुर्क नही की जायगी—

(ए) जिस शख्स के ऊपर बाकी हो उसके और उसकी स्त्री और बच्चो के पहिनने के आवश्यक कपडे और बिस्तर।

(बी) कारीगरो के औजार।

(सी) हिसाब की किताबे, अर्थात् बहियां।

(डी) उस दशा मे, जब कि वह शख्स जिस पर बाकी हो कृषक (जराअत पेशा) हो, तो उसके कृषिके औजार, और बीज के लिये नाज, और ऐसे पशु जो उसके लिये अपनी जीविका कमाने के अभिप्राय के लिये आवश्यक हो।

३ कुर्की आवश्यकता से अधिक न की जायगी, अर्थात् जो जायदाद कुर्क की जाय उसका मूल्य, जहा तक सम्भव हो, लगभग उस रकम के बराबर हो जो वारण्ट के अनुसार वसूल की जाने को हो, और यदि वह वस्तुये जो कुर्क की गई हों, उस शख्स की राय मे, जिसको दफा १६९ की उपदफा (२) के द्वारा, या उसके अनुसार, वारण्ट पर हस्ताक्षर करने का अधिकार मिला हो, इस प्रकार कुर्क न की जाना चाहिये थीं, तो वह वस्तुयें तुरन्त लौटा दी जायगी।

४ उक्त अफ़सर, जायदाद कुर्क करने के पश्चात तुरन्त उसकी एक सूची तैयार करेगा, और जायदाद के उठा ले जाने से पूर्व, उस शख़्स को जिसके क़ब्ज़े में उक्त जायदाद कुर्की के समय थी, एक लिखित नोटिस, शिड्यूल न० ६ में दिये हुये फ़ार्म के अनुसार, इस विषय में देगा कि उक्त जायदाद उस प्रकार जैसा कि उक्त नोटिस में लिखा गया होगा, नीलाम की जायगी।

व्याख्या—

उप दफ़ा (१) में शब्द "जहां कहीं उक्त जायदाद मिले" जो आये हैं, उनका मतलब यहीं लगाया जा सकता है कि म्यूनिसिपल्टी की हदों के भीतर जहां कहीं जायदाद मिले, म्यूनिसिपल्टी का वह अफसर, जिसको वारण्ट तामील करने के लिये दिया गया हो, कुर्क कर सकता है, क्योंकि दफ़ा १७३ के द्वारा यह बात साफ कर दी गई है, कि म्यूनिसिपल्टी की हदों के बाहर किसी माल की कुर्की करने के लिये, जिला मजिस्ट्रेट अपने किसी अफसर को वारण्ट की तामील के लिये नियत करेगा।

दफ़ा १७२ वारण्टके अनुसार मालका बेचा जाना और उससे जो रुपया मिले उसका लगाया जाना

१ जब वह जायदाद जो कुर्क की गई हो, ऐसी हो जो शीघ्र और प्राकृतिक रूप से, खराब हो जाने वाली हो, या जब इस बात की सम्भावना हो कि उक्त जायदाद को क़ब्ज़े में रखने का खर्च, उस रक़म के सहित, जो कि वसूल की जाने वाली हो, जायदाद के मूल्य से बढ़ जायगा, तो चेयरमैन, या अन्य अफ़सर, जिसने वारण्ट पर हस्ताक्षर किये हों उस शख़्स को जिसके क़ब्ज़े से जायदाद कुर्क की गई हो, इस विषय का नोटिस तुरन्त देगा, कि जायदाद तुरन्त बेची जायगी, और जायदाद को उसी नोटिस के अनुसार बेच देगा सिवाय उस दशा के कि वह रक़म जो वारण्ट में दर्ज हो तुरन्त अदा कर दी जाय।

२ यदि जायदाद, उपदफ़ा (१) के अनुसार, तुरन्त नीलाम न की जाय, तो सिवाय उस दशा के कि वारण्ट का असर उस शख़्स ने स्थगित कर दिया हो, जिसने उस पर हस्ताक्षर किये हों, या सिवाय उस दशा के कि वह रक़म जो बाक़ीदार पर चाहिये हो, उस पूरे खर्च के सहित, जो नोटिस देने में, वारण्ट निकालने में जायदाद की कुर्की करने में, और उसको क़ब्ज़े में रखने के सम्बन्ध में पड़ा हो, देदी गई हो, कुर्क की हुई जायदाद, या उसका एक काफी भाग, उस अवधि के समाप्त होने पर जो उस नोटिस में लिख दी गई हो, जिसकी तामील वारण्ट की तामील करने वाले अफ़सर ने की हो, बोर्ड के हुक्मों के अनुसार, आम नीलाम के द्वारा, बेच दी जायगी।

३ यदि कुछ रुपया बचे तो वह तुरन्त म्यूनिसिपल्टीके कोषमें जमा किया जायगा। और साथ ही साथ उस रुपये के इस प्रकार जमा किये जाने का नोटिस उस शख़्स को दिया जायगा, जिसके क़ब्ज़े से जायदाद कुर्क की गई हो। परन्तु यदि वह रुपया, लिखित दस्तख़त के द्वारा, जो बोर्ड को दी जाय, नोटिस दिये जाने की तारीख से, एक वर्ष के भीतर मांगा जाय, तो ऐसे शख़्स को यह रुपया लौटा दिया जायगा। कोई

रक़म जो ऐसे नोटिस की तारीख़ से एक वर्ष के भीतर न मांगी जाय वह बोर्ड की हो जायगी।

दुफा १७३ उस कार्रवाईकी विधि जो उस दशामें की जायगी जब वारंटकी तामील किसी ऐसी जायदादके विरुद्धकी जाय जो म्यूनिसिपलटीके बाहर हो

१ यदि किसी ऐसे शख्स की जिस पर कर बाक़ी हो काफ़ी जायदाद मनकूला (जङ्गम) म्यूनिसिपल्टी के भीतर न मिल सके या जो जायदाद उस इमारत या आराज़ी में हो जिस के सम्बन्ध मे उस शख्स पर कर कूता गया हो, वह काफी न हो तो जिला मजिस्ट्रेट बोर्ड की प्रार्थना (दरख़्वास्त) पर अपनी अदालत के किसी अफ़सर के नाम—

(ए) किसी जायदाद मनकूला या माल की कुर्की और नीलाम के लिये जो उस शख्स की हो जिस पर कि बाक़ी है और जो ऐसे मजिस्ट्रेट के अधिकार की सीमा के किसी दूसरे भाग मे हो, वारण्ट जारी कर सकता है। या

(बी) किसी ऐसी जायदाद मनकूला की कुर्की और नीलाम के लिये जो उस शख्स की हो जिस पर कि बाक़ी है और जो किसी ऐसे दूसरे मजिस्ट्रेट के अधिकार के सीमा के भीतर हो जो संयुक्त प्रान्त के भीतर कहीं अपने अधिकारों को बरतता है, वारण्ट जारी कर सकता है।

२ जब उपदफ़ा (१) के क़्लाज़ (बी) के अनुसार कार्रवाई की जाय तो वह दूसरा मजिस्ट्रेट वारण्ट की पीठ पर जो इस प्रकार जारी हुआ है हस्ताक्षर करेगा और उस की तामील करायेगा और जो रक़म प्राप्त हो उसको उस मजिस्ट्रेट के पास जिस ने वारण्ट जारी किया हो भिजवा देगा और वह मजिस्ट्रेट उस रक़म को बोर्ड के पास भेज देगा।

व्याख्या—

उपदफा (१) के प्रारम्भिक शब्द विचारणीय हैं। उन का अर्थ यह निकलता है कि म्यूनिसिपलटी के भीतर (परन्तु उस इमारत के बाहर जिस के सम्बन्ध में कि वह कर लगाया गया हो जो बाक़ी है) जहां कहीं कोई ऐसी जायदाद मिले जिस का वह शख्स मालिक हो जिस पर कि कर बाक़ी है, तो वह जायदाद कुर्क की जा सकती है। परन्तु जो जायदाद उस इमारत में मिले जिस इमारत के सम्बन्ध में कि कर लगाया गया है तो ऐसी जायदाद के विषय में यह बात देखने की आवश्यकता नहीं है कि उस का मालिक वही शख्स है कि नहीं जिस पर कि कर बाक़ी है, वरन ऐसी सब जायदाद के विषय में यह मान लिया जायगा कि वह उसी शख्स की है और वह सब कुर्क की जा सकेगी।

—उपदफा (१) (ए) यदि जायदाद किसी ऐसे स्थान में हो जिस पर कि उसी जिला मजिस्ट्रेट का अधिकार हो जिसका कि म्यूनिसिपल्टी की हदों के भीतर अधिकार है जैसे कि जायदाद

जिले की किसी दूसरी तहसील में हो तो जिला मजिस्ट्रेट अपनी अदालत के किसी अफसर को वारण्ट कुर्की के लिये सौंप देगा। अर्थात म्यूनिसिपल्टी का कोई अफसर वारण्ट की तामील केवल म्यूनिसिपल्टी की हदों के भीतर कर सकता है बाहर नहीं।

दफा १७४ फीसें और खर्चे

(ए) प्रत्येक नोटिस, जो दफा १६८ के अनुसार जारी किया जाय, की फीस

(बी) प्रत्येक कुर्की, जो दफा १७१ के अनुसार की जाय, की फीस। और

(सी) प्रत्येक पशु जो उक्त दफाके अनुसार कब्जेमे लिया जाय उसकी खुराक का खर्चे।

उन दरों के अनुसार ली जायगी, या लिया जायगा, जो प्रत्येक दशा के लिये उन नियमो मे जो प्रान्तीय सरकार इस अभिप्राय से बना दे, अंकित की गई हों और ऐसी फीस या ऐसा खर्चा बाकी के वसूल किये जाने के खर्चे मे जो दफा १६९ के अनुसार लिया जायगा शामिल कर दी जायँगी, या कर दिया जायगा।

व्याख्या—

विज्ञापन No 1906XI-6 H ता० ५ जुलाई सन १९१६ ई० के द्वारा दफा १७४ के सम्बन्ध में नीचे लिखे नियम बना दिये गये हैं —

१ प्रत्येक माग के नोटिस (Notice of demand) के लिये जो दफा १६८ के अनुसार जारी किया जाय, चार आने की फीस ली जायगी।

२ प्रत्येक कुर्की के लिये जो दफा १७१ के अनुसार की जाय, आठ आने की फीस ली जायगी।

३ उन पशुओं की खुराक के लिये जो दफा १७१ के अनुसार कुर्क किये जाय, वही फीस ली जायगी जो कैटिलट्रस्पास ऐक्ट सन १८७१ ई० (Cattle trespass Act 1871) की दफा ५ में बाड़े में बन्द किये हुए (In Pounded) पशुओं के खिलाने और पानी पिलाने के लिये नियत की गई है।

कैटिलट्रस्पास ऐक्ट की दफा ५ के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को बाड़े में बन्द किये हुए पशुओं के खिलाने पिलाने की फीस नियत करने का अधिकार दिया गया है और विज्ञापन No. 567 XII 751. B ता० २४ मार्च सन १८९९ ई० के द्वारा श्रीमान लेफ्टिनेण्ट गवर्नर ने मजिस्ट्रेट के उस अधिकार को जो उक्त ऐक्ट की दफा ५ के द्वारा मजिस्ट्रेट को दिया गया है म्यूनिसिपल बोर्ड और म्यूनिसिपल कमेटियों को सौंप दिया है, अतएव प्रत्येक म्यूनिसिपल बोर्ड को, बाड़े में बन्द किये हुये पशुओं के खिलाने पिलाने की फीसें, अपने अपने अधिकार की सीमा के लिये, नियत करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इसी विज्ञापन के द्वारा यह भी आज्ञा दी गई है, कि खर्च के बाद बाड़ों में जो रुपया बच रहे, वह म्यूनिसिपल कोष में जमा कर दिया जायगा।

—विज्ञापन No. 341 XI 1 H ता० २५ जनवरी सन १९१७ ई० के द्वारा आज्ञा दी गई है कि प्रत्येक वारण्ट, जो ऐक्ट की दफा १७२ के अनुसार जारी किया जाय, उसके लिये आठ आने की फीस ली जायगी, और वह वारण्ट उन फारमों में से किसी फार्म पर होगा, जो कि सरकार, के म्यूनिसिपल विभाग ने ३० K से ४२ K तक में नियमित किये है।

दफा १७५ बचतें

किसी बिल, या नोटिस, या कुर्की के वारण्ट, या सूची, या उसके सम्बन्ध में अन्य कार्रवाई, में किसी गलती, या दोष के हो जाने के कारण, या इस कारण कि वह फार्म के अनुसार नहीं है, कोई कुर्की या नीलाम जो इस ऐक्ट के अनुसार किया जाय, नाजायज समझा जायगा, और न कोई ऐसा शख्स जो कुर्की या नीलाम करे, मदाखिलतबेजा करने वाला (अर्थात् ऐसा शख्स जो किसी काम में बिना अधिकार के हस्तक्षेप करे) समझा जायगा।

नोट.—देखिये दफा १६५ की व्याख्या।

दफा १७६ कुर्की और नीलामके बदले नालिश करनेका अधिकार

कुर्की और नीलाम की कार्रवाई करने के बदले, या उस दशा में जब कुर्की और नीलाम के द्वारा, वह पूरी रकम जो मांगी गई हो, या उसका कुछ भाग, वसूल न हो सके, बोर्ड को अधिकार है कि उस शख्स पर, जो उक्त मांग के रुपये को अदा करने का जिम्मेदार हो, किसी अधिकार प्राप्त अदालत में नालिश करे।

दफा १७७ जायदाद गैरमनकूला (स्थावर) का करों के अदा करनेका ज़िम्मेदार होना

उस मालगुजारी की अदायगी के प्रथम भारके अतिरिक्त, जो कि श्रीमान् भारत सम्राट की, ऐसी इमारतों या आराजियों पर चाहिये हो (यदि ऐसी कोई मालगुजारी लगी हो), उन सब रकमों की अदायगी का भार, जो किसी ऐसे कर के हिसाबमें बाकी हो, जो इमारतों, या आराजियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर लगाये गये हों, ऐसी इमारतों या आराज़ियों पर सबसे पहला भार होगा।

व्याख्या—

करों की बाकी के वसूल करने के लिये म्यूनिसिपलटी को बाकीदार का केवल माल असबाब कुर्क और नीलाम कराने का अधिकार दिया गया है। केवल एकही दशा में, अर्थात् जब कि इमारतों या आराजियों के वार्षिक मूल्य पर कोई कर लगा हो और वह बाकी हो, तो उसकी अदायगी के लिये वह इमारतें या आराजियां, जिन पर कि ऐसा कर लगा हो, जिम्मेदार रखी गई हैं। सब से पहले, यदि कोई सरकारी मालगुजारी चाहिये हो वह अदा की जायगी, तत्पश्चात् म्यूनिसिपल्टी के करों का रुपया दिया जायगा, और उसके बाद किसी कर्जदार वगैरह का ऐसी इमारतों या आराजियों के मूल्य में हक होगा।



प्रकरण ७

इमारतों और सार्वजनिक मोरियों, और सार्वजनिक रास्तों और आग बुझाने, और मैला उठवाने और पानी पहुंचाने और देने, के सम्बन्ध में अधिकार और दण्ड ।

Powers and penalties in respect of buildings, public drains streets extinction of fires, scavenging and water supply

इमारतों के सम्बन्ध में कायदे ।

दफा १७८ इमारत बनाने और कुआं खोदने के इरादे की सूचना

१ प्रत्येक शख्स को चाहिये कि इससे पूर्व कि वह म्युनिसिपलटी की हदोंके भीतर-

(ए) कोई नई इमारत, या किसी इमारत का नया भाग बनाना, या

(बी) कोई इमारत फिर से बनाना (Reerect), या उसमे कोई भारी परिवर्तन" करना (Material alterations), या

(सी) कोई कुआ खोदना या उसको बढाना,

आरम्भ करे, अपने इरादे की सूचना बोर्ड को दे ।

२ इमारत के विषय मे जिस सूचना (नोटिस) को दिये जाने का हुक्म उप दफा (१) मे है उसका दिया जाना केवल उस दशामे आवश्यक होगा जब उक्त इमारत किसी सार्वजनिक सडक, या स्थानके या श्रीमान भारतके सम्राट, या बोर्डके, अधिकारकी किसी जायदादके, किनारे पर (Abutting on) या उसके समीप, हो, सिवाय उस दशाके जबकि किसी बाई लॉ के द्वारा, जो उस रकबे पर लागू हो जिसमे उक्त इमारत है, सब इमारतोंके विषयमे नोटिसका दिया जाना आवश्यक करदिया गया हो ।

३ इस प्रकरण के मतलब के लिये, और किसी बाई लॉ के मतलब के लिये किसी इमारत मे परिवर्तन उस दशामे भारी परिवर्तन (Material alteration) समझा जायगा-

(ए) जब इमारत की दृढता और सुरक्षित, या पानी के निकास या वायु के गमन आगमन (Ventilation), या आरोग्यता (Sanitation), या सफाई (Hygene) की दृष्टि से, इमारत की हालात पर, उसका बुरा प्रभाव पडता हो, या बुरा असर पडने की सम्भावना हो । या

(बी) जब उससे इमारत की ऊँचाई, या क्षेत्रफल, या घनफल, बढ़े या घटे, या इमारत के किसी कमरे का घनफल, उस कमसे कम घनफल से, जो किसी बाई-लॉ मे नियमित हो, घटे । या

(सी) जब उससे कोई इमारत या इमारत का भाग, जो वास्तव मे किसी और मतलब के लिये बनाया गया हो, बदल के एक ऐसा स्थान हो जाय, जो मनुष्य के निवास के काम मे आवे । या

(डी) जब वह ऐसा परिवर्तन हो, जो किसी बाई ला के द्वारा जो इस विषय मे बनाया गया हो । भारी परिवर्तन ठहरा दिया गया है ।

व्याख्या—

इस दफा की उप दफा (१) के क्लॉज (ए) में शब्द "या किसी इमारतका नया भाग" नये बढ़ाये गये हैं । ऐक्ट नं० १ सन् १९०० में यह शब्द नहीं थे ।

उप दफा (१) के क्लॉज (बी) में शब्द "या उसमें भारी परिवर्तन करना" नये बढाये गये हैं।

उप दफा (१) का क्लॉज (सी) नया बढाया गया है । सन् १९०० के म्यूनिसिपलटियों के क़ानून में वह नहीं था ।

उप दफा (२) में जो शब्द "समीप" आया है वह भी नया है । सन् १९०० के ऐक्ट में शब्द "समीप" (Adjacent to) की जगह शब्द "मिला हुआ" (Adjoining) थे ।

उप दफा (३) के द्वारा भारी परिवर्तन की व्याख्या भी इस दफा में नई बढाई गई है ।

कानून के शब्दों में उपरोक्त सब परिवर्तन, ध्यान में रखना चाहिये, क्योंकि इस विषय में अधिकांश नजीरें पुराने ऐक्ट के समय में हुई हैं, और उनके समझने के लिये वर्तमान ऐक्ट और पुराने ऐक्ट के हुक्मों का भेद जानना आवश्यक है ।

—शब्द "इमारत" की व्याख्या ऐक्ट की दफा २ के नं० (२) में दी गई है और शब्द "इमारत का भाग," की व्याख्या ऐक्ट की दफा २ के नं० १४ में दी गई है ।

—नगर की सफाई, आरोग्यता इत्यादि के प्रबन्ध का भार म्यूनिसिपलटी के ऊपर है, अतएव यह आवश्यक है कि जो इमारतें, नई या पुरानी बनाई जाय, उनकी सूचना पहले से म्यूनिसिपलटी को दे दी जाय जिससे कि बोर्ड को इस बात की जांच का अवसर मिले, कि उक्त इमारत से नगर की सफाई आदि नहीं बिगडेगी ।

म्यूनिसिपलटी के भीतर जब कोई नई इमारत बनाये जाने की इच्छा की जाय, या जब किसी गिरी हुई इमारत की जगह, या किसी इमारत को तोडके, फिर से दूसरी इमारत बनाई जाने की इच्छा की जाय, या जब किसी इमारत में कोई नया भाग बनाने की इच्छा की जाय, तो म्यूनिसिपलटी को नोटिस देके, बोर्ड की आज्ञा प्राप्त कर लेना चाहिये ।

किसी इमारत में कोई छोटे मोटे परिवर्तन करने के लिये तो नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु यदि परिवर्तन "भारी" (Material) हो, तो ऐसे परिवर्तन का भी नोटिस दिया जाना चाहिये ।

साधारणत इस दफा के अनुसार नोटिस उन्हीं इमारतों आदि के बनाये जाने पर दिया जाना आवश्यक होता है जो

(१) किसी सार्वजनिक सडक या स्थान के किनारे पर हों या जो किसी सार्वजनिक सडक या स्थान के समीप हों (Adjacent to).

(२) किसी सरकारी जायदाद के किनारे पर हों, या उसके समीप हों।

(३) बोर्ड की किसी जायदाद के किनारे पर हों, या उसके समीप हों।

—यदि किसी शख्स की कोई बहुत बड़ी आराज़ी म्यूनिसिपल्टी के भीतर हो, और उस आराज़ी पर, सार्वजनिक सड़क से १००–२०० गज के अन्तर पर, मकान बनाया जाय, तो उसके विषय में सम्भवतः नोटिस देने की आवश्यकता न होगी। परन्तु यदि बोर्ड बाई लॉ बनाके यह आज्ञा देदे कि सब इमारतों के विषय में नोटिस दिया जाय, चाहे वह सार्वजनिक सड़क आदि के समीप हो, या उनसे दूर हो, तो जो कोई इमारत, जहां कहीं, बनाई जाय, सब का नोटिस दिया जाना चाहिये।

यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि पुराने ऐक्ट, अर्थात् म्यूनिसिपल्टीज ऐक्ट न० १ सन् १९००ई०, में यह आज्ञा थी कि नोटिस उन इमारतों के बनाये जाने पर दिया जाय, जो किसी सार्वजनिक सड़क आदि से मिली हुई हों" (Adjoining)। इसका अर्थ यह लगाया जाता था कि यदि कोई इमारत सार्वजनिक सड़क से गज, दो गज हटा के बनाई जाय, तो उसके लिये, किसी नोटिस के दिये जाने की आवश्यकता नहीं थी। अतएव इस ऐक्ट में शब्द 'समीप" लाया गया है, जिससे कि यह बात स्पष्टतः प्रगट हो जाय कि इमारत को केवल गज दो गज हटा लेने से नोटिस देने से बचत नहीं हो सकती।

—पुराने ऐक्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने तजवीज किया था कि म्यूनिसिपल्टीज ऐक्ट न० १ सन् १९०० की दफा ८७ में जो शब्द 'सार्वजनिक सड़क के किनारे या उससे मिला हुआ" आया हैं उनका ऐसा अर्थ नहीं लगाया जाया सकता कि वह किसी ऐसी इमारत पर लागू हो सकते हैं जो किसी सार्वजनिक सड़क से बीस या पचीस फुटके अन्तर पर हो। देखिये सरकार बहादुर बनाम मुकुन्दलाल 1901 A W N 203 और "सार्वजनिक स्थान" (Public place) का अर्थ यह माना था कि सार्वजनिक स्थान वह है जिस पर जाने का सर्वसाधारण को इजाजत के द्वारा या रिवाज के द्वारा, या अन्य प्रकार, अधिकार प्राप्त हो। परन्तु सार्वजनिक स्थान का यह अर्थ नहीं है कि वह ऐसा स्थान हो जिस पर सर्व साधारण में से कोई व्यक्ति चल फिर सके, या जो सर्वसाधारण को निकलते बैठते दिखाई पड़ सके। देखिये भैरोंनाथ बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड बनारस 1901 A W N 56।

—किसी इमारत में कौन सा परिवर्तन "भारी" माना जाना चाहिये और कौन सा नहीं, इस विषय में बहुत सी कठिनाइयां सामने आया करती थीं। अतएव इस दफा की उपदफा (३) में "भारी परिवर्तन" की सविस्तर व्याख्या कर दी गई है। इस व्याख्या के अनुसार नीचे लिखी दशाओं में परिवर्तन भारी माना जायगा—

(१) जब किसी परिवर्तन के कारण किसी इमारत की दृढ़ता या सुरक्षित कम होजाय। म्यूनिसिपल्टी का कर्तव्य है कि वह किसी इमारतमें किसी ऐसे परिवर्तन के किये जाने की आज्ञा न दे जिस परिवर्तनके कारण कोई इमारत ऐसी कमजोर हो जाय कि आस पास की इमारतों को, अथवा मार्ग पर निकलने वालों को, उसके कारण जोखों हो।

(२) जब किसी परिवर्तन के कारण पानी का निकास ठीक प्रकार न हो सके।

(३) जब ऐसे परिवर्तन के कारण उक्त इमारत में स्वच्छ वायु के आने जाने में किसी प्रकार रुकावट हो।

(४) जब ऐसे परिवर्तन के कारण उक्त इमारत की सफ़ाई ,बिगड़े, या किसी अन्य प्रकार स्वास्थ्य के लिये यह हानिकारक हो ।

(५) जब ऐसे परिवर्तन के कारण इमारत की ऊंचाई घटे या बढे । इमारत की ऊंचाई बढा दिये जाने से स्वच्छ वायु तथा धूप के आने में रुकावट हो सकती है । और कमरों आदि का नीचा कर दिया जाना भी स्वास्थ्य के विचार से अच्छा नहीं होता।

(६) जब किसी परिवर्तन के कारण इमारत बढे या घटे, चाहे उसका क्षेत्र फल बढे या घटे, या घनफल बढे या घटे ।

(७) जब किसी परिवर्तन के कारण किसी कमरे का घनफल, उस कमसे कम घनफल से घटे, जो किसी बाई लॉ के द्वारा नियत कर दिया गया हो । (देखिये नमूने के बाई लॉ जो म्यूनिसिपल मैन्युअलके पन्ने ४०२ से ४०९ तकमें दिये गयेहैं) कमरे के घनफल के घटाने बढाने को भारी परिवर्तन मान लेने से किसी शख्स को यह अवसर नहीं मिल सकता कि पहले तो कमरों को उतने घनफल का बनवाय जितने घनफल का बनवाना किसी बाई लॉ के अनुसार आवश्यक हो, और पीछे से दीवारें खडी करके प्रत्येक कमरे को कई २ कमरों में विभाजित कर दे ।

(८) जब किसी परिवर्तन के कारण कोई ऐसी इमारत, जो किसी अन्य मतलब के लिये बनवाई गई हो, मनुष्यके रहने के लिये बना ली जाय ।

(९) जब परिवर्तन ऐसा हो जो किसी बाई लॉ के द्वारा भारी परिवर्तन मान लिया गया हो ।

—"भारी परिवर्तन" की इस व्याख्या को ध्यान में रखके, तथा उन शाब्दिक परिवर्तनों को जो इस दफा में किये गये हैं ध्यान में रखते हुये, नीचे लिखी नज़ीरों पर विचार करना चाहिये —

—एक शख्स ने एक नाज की खत्ती अपने मकान और सार्वजनिक सड़क के बीच में म्यूनिसिपलटी से बिना आज्ञा लिये खुदवाई । उस पर दफा ८७, ऐक्ट नं० १, सन १९००, के अनुसार मुकद्दमा चलाया गया (ऐक्ट नं० १, सन १९०० की दफा ९७, वर्तमान ऐक्ट की दफा १७८ के समान थी) । हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि नाज की खत्ती खुदवाना, "इमारत का बनवाना या फिर से बनवाना" (Erect or re-Erect) नहीं कहा जा सकता । देखिये हरसरनदास बनाम सरकार बहादुर 11 A. L. J. 688=20 I C 611=14 Cr L J 45

—जब कि एक कच्चे चबूतरे के किनारे पर ईंट चूने की एक मुडेर बिना इजाजत के बनवाली गई, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि ऐसे मुडेर के द्वारा चबूतरे की शकल (आकार) अथवा उसके स्थान में, कोई परिवर्तन नहीं हुआ । अतएव ऐसी मुडेर का बनवाया जाना भारी परिवर्तन नहीं माना जा सकता । देखिये राधावल्लभ बनाम सरकार बहादुर 12 A. L J 2?7=23 I C 192=15 Cr L J 240

—जब कि एक स्थान पर पहले ही से एक छज्जा बना था, जिस को तोड के उस की जगह एक दूसरा छाया हुआ छज्जा, बिना इजाजत के बनवा लिया गया तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि इमारतमें परिवर्तन तो अवश्य किया गया परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि एक छज्जे की जगह

दूसरा छाया हुआ छज्जा बनवा लेने से भारी परिवर्तन किया गया। देखिये शामलाल बनाम सरकार बहादुर 1 A L J 694=14 I C 602=13 Cr L J 250

—यदि किसी ऐसे बरामदे की डाटें, जो सड़क के किनारे पर हों, बन्द करा के उस का कमरा या कमरे बनवा लिये जाय, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि यह माना जायगा कि दफा ८७ ऐक्ट नं० १ सन १९०० ई० के हुक्मोंके अनुसार इमारत फिरसे बनाई गई और यदि उसके विषय में नोटिस देके म्यूनिसिपलटी की आज्ञा न ले ली गई हो तो उसका बनवाने वाला अपराधी ठहराया जा सकता है। देखिये 1904 A W N 233 सरकार बहादुर बनाम जगन्नाथ प्रसाद।

—किसी ऐसे शख्स के विरुद्ध जिस ने कि सड़क पर एक पम्प लगाया हो, दफा ८७ के अनुसार (वर्तमान एक्ट की दफा १७८) कार्रवाई करना बिल्कुल गलत है। देखिये जगन्नाथ बनाम सरकार बहादुर 35 I C 526=17 Cr L J 350

—"सरकारी इमारतों का ऐक्ट" नं० ४ सन १८९९ ई० (Government buildings Act No 4 of 1899) के कारण इस दफा का कोई हुक्म या अन्य कोई हुक्म जो इमारतोंके सम्बन्धमें म्यूनिसिपल्टीके किसी कानून या नियमके द्वारा दिया गया हो किसी सरकारी इमारत पर लागू नहीं है। उक्त ऐक्ट की दफा (३) में हुक्म दिया गया है कि कोई हुक्म जो किसी कानून में, जो इस समय प्रचलित हो और जिस के द्वारा म्यूनिसिपलटी की हदों के भीतर इमारतों के बनाये जाने फिर से बनाये जाने, तामीर किये जाने या उन में परिवर्तन किये जाने या उन को कायम रखे जाने के विषय में कोई आज्ञा दी गई हो, किसी ऐसी इमारत पर लागू न होगा जो सार्वजनिक कामों के लिये या सार्वजनिक कर्मचारियों के लिये इस्तेमाल की जाती हो या जिस की ऐसे कामों या कर्मचारियों के लिये आवश्यकता हो और जो सरकार की जायदाद हो, या सरकार के कब्जे में हो या जो ऐसी आराजी पर बनाई जाने का हो, जो सरकार की जायदाद हो या सरकार के कब्जे में हो परन्तु शर्त यह है कि जब कभी किसी ऐसी इमारत जिसका वर्णन ऊपर दिया गया है, के बनाये जाने, फिर से बनाये जाने तामीर किये जाने, या उसकी बनावट में कोई भारी परिवर्तन करने का विचार किया जाय तो (सिवाय उस दशाके जब कि ऐसी इमारत राष्ट्रीय रक्षा से सम्बन्ध रखती हो या वह कोई ऐसी इमारत हो जिस का नक्शा या बनावट सरकार की राय में गुप्त या छिपी हुई रखी जाना चाहिये) उचित नोटिस प्रस्तावित काम का म्यूनिसिपल अधिकारी को काम के आरम्भ होने से पहले दिया जायगा। दफा ४ के द्वारा आज्ञा है कि म्यूनिसिपलटी का कोई अधिकारी प्रान्तीय सरकार की आज्ञा पहले से प्राप्त करके (परन्तु बिना ऐसी आज्ञा प्राप्त किये हुये नहीं) और किसी ऐसे बन्धेजों और शर्तो के अधीन जो प्रान्तीय सरकार साधारण या विशेष आज्ञा के द्वारा लगा दे ऐसी आराजी और इमारत और उन सब नक्शों का जो उस के बनाये जाने, फिर से बनाये जाने, तामीर किये जाने, या बनावट में भारी परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में हो मुआइना (जांच) कर सकता है और उस के विषय में जो उज्र या सलाह देना चाहे उस को लिख के प्रान्तीय सरकार की सेवा में भेज सकता है। ऐसे उज्र या ऐसी सलाह पर प्रान्तीय सरकार विचार करेगी और उस पर हुक्म देगी और उसी हुक्म के अनुसार इमारत के बनाये जाने, फिर से बनाये जाने, इत्यादि में कार्रवाई की जायगी।

नोट—सरकारी इमारतोंका ऐक्ट नं० ४ सन १८९९ ई० रेलों की इमारतों पर लागू नहीं है (G G O विभाग कामर्स तथा इन्डस्ट्री नं० ४१७० ता० १६ मई १९०६ ई०-)

—बोर्ड को दफा २९८ की उपदफा (२) की मद (ए) के अंश (बी) के अनुसार आज्ञा दी गई है कि बाई लॉ बना के इमारत में किसी विशेष परिवर्तनके विषय में यह निश्चय कर दे कि यह भारी परिवर्तन माना जायगा।

दफा १७९ वह नक़शे और हाल, जोकि नोटिसको जायज़ बनानेके लिए आवश्यक हैं

१ जिस म्युनिसिपलटी मे कोई ऐसा बाई-लॉ बनाया गया हो, जिस में यह नियमित हो, या जिसकी यह आज्ञा हो, कि नोटिस के अतिरिक्त कोई हाल (Information) बतायाजाय, और नकशा दियाजाय, तो कोई नोटिस जो दफा १७८ के अनुसार दिया जाय, जायज नही माना जायगा, जबतक कि वह हाल (अगर कोई हाल हो) जिस के विषय मे उक्त बाई लॉ मे हुक्म दिया गया हो, इस प्रकार, न दिया जाय जो बोर्ड की राय मे सन्तोष प्रद हो।

२ किसी और दशा मे बोर्ड उस नोटिस के मिलने की तारीख़ से जिस का हुक्म दफ़ा १७८ में दिया गया है एक सप्ताह के भीतर उस शख्स को जिस ने उक्त नोटिस दिया हो, हिदायत कर सकता है कि किसी ऐसी इमारत का जो मौजूदा हो या किसी प्रस्तावित इमारत का या इमारत के भाग का या कुए का नक्शा और हाल दाख़िल करे, और उस के साथ उस जमीन का एक नक़शा जिस पर कि इमारत बनाई जाने को हो ऐसे उचित विवरण के सहित जो बोर्ड अपने हुक्म मे नियमित कर पेश करे और ऐसी दशा मे उक्त नोटिस उस समय तक जायज न माना जायगा जब तक कि ऐसे नक़शे और हाल इस प्रकार न दाख़िल कर दिये जायँ कि जो बोर्ड की राय मे सन्तोषप्रद हो।

व्याख्या—

दफा २९८ की मद (ए) के द्वारा बोर्ड को अधिकार दिया गयाहै कि उन सब बातोंके विषय में जो उक्त मद में अङ्कित की गई हैं इमारतों के सम्बन्ध में बाई लॉ बनाये।

दफा १८० बोर्ड द्वारा काम बनानेकी मंजूरी दी जाना

१ किसी बाई लॉ के (जो इस विषय मे हो) हुक्मो के अधीन बोर्ड किसी ऐसे काम की जिस का नोटिस दफ़ा १७८ के अनुसार दिया गया हो, इजाजत देने से इनकार कर सकता है या बिना किसी बन्धेजों और शर्तों के इजाजत दे सकता है। या

(ए) किसी ऐसी लिखित हिदायतों के अधीन इजाजत दे सकता है जो हिदायतें कि बोर्ड उन बातों के विषय मे जो दफ़ा २९८ की मद (ए) के अंग (एच) मे दी गई है, देना उचित समझे। या

(बी) इस लिखित हिदायत के अधीन इजाजत दे सकता है कि उक्त इमारत या इमारत का भाग इमारतो की उस नियमित लैन तक जो लैन कि दफा २२२ के अनुसार नियमित हो, हटा दी जाय। या हटा दिया जाय या यदि कोई ऐसी लैन उक्त दफ़ा के अनुसार न हो, तो आस

पासकी किसी इमारत या इमारतोंके अग्र भागकी लैन तक हटादी जाय या हटा दिया जाय।

२ जब उपदफ़ा (१) के अनुसार इजाज़त देने से इनकार कर दिया जाय तो बोर्ड इस प्रकार इनकार कर देने के कारणों की लिखित सूचना उस शख्स को देगा, जिसने दफ़ा १७८ के अनुसार नोटिस दिया हो।

३ यदि दफ़ा १७८ के अनुसार दिये हुए किसी जायज नोटिस के मिलने से एक मास तक बोर्ड उस शख्स को जिस ने उक्त नोटिस दिया हो उस नोटिस के विषयमें कोई ऐसा हुक्म जो उस प्रकार के हुक्मों मे से हो जो उपदफ़ा (१) में अंकित हैं देने में और हवाला करने में उपेक्षा करे या हुक्म न दे और हवाले न करे तो उक्त शख्स लिखित पत्र के द्वारा बोर्ड का ध्यान ऐसी चूक या उपेक्षा की ओर आकर्षित कर सकता है और यदि ऐसी चूक या उपेक्षा १५ दिन की अवधि तक और जारी रहे तो यह माना जायगा कि बोर्ड ने प्रस्तावित काम की बिना किसी बन्धेज और शर्त के इजाजत दे दी।

४ परन्तु शर्त यह है कि उपदफ़ा (३) की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जायगा कि उस के द्वारा किसी शख्स को इस ऐक्ट के या किसी बाई-लॉ के विपरीत कोई काम करने का अधिकार दिया गया है।

ऐ० १९१६ का नं० २ की

५ कोई शख्स किसी ऐसे काम को जिसका नोटिस दफ़ा १७८ के अनुसार दिया गया हो आरम्भ न करेगा, जबतक कि इस दफ़ा के अनुसार इजाजत न दे दी गई हो, या इजाजतका दिया जाना मान न लिया गया हो।

व्याख्या—

इमारतों के सम्बन्ध में जब कोई म्यूनिसिपल्टी बाई लॉ बना लेगी, तो ऐसे बाईलाओं के हुक्मों के विरुद्ध, किसी इमारत आदि के बनाये जाने की इजाजत देने का बोर्डको अधिकार न होगा। परन्तु बोर्ड को यह अधिकार प्राप्त होगा कि किसी इमारत के बनाने की आज्ञा न दे, चाहे ऐसी इमारत किसी बाई लॉ के हुक्म के विरुद्ध न भी हो। जैसे, गणेशप्रसाद बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड लखनऊ 6 O L J 33=49 I C 463 अवध की जुडिशल कमिश्नरीने यह निश्चय किया कि बोर्ड को अधिकार है कि किसी इमारत के बनाने, या फिर से बनाने, की आज्ञा इस कारण न दे कि उक्त इमारत की ऊंचाई इतनी होगी, कि जिस स्थान में उसके बनाने का प्रस्ताव किया जाता है, उस स्थान के लिये, उतनी ऊंची इमारत अनुचित है।

परन्तु यदि इमारत की ऊंचाई के विषय में कोई बाई लॉ न हो, तो ऐसी दशा में, बोर्ड को, दफ़ा १८३ के हुक्म के अनुसार, ऐसी इमारत के बनाये जाने की मनाही कर देने पर हर्जा देना होगा।

—उप दफ़ा (१) के क्लाज (बी) में जो शब्द "नियमित लैन" (Regular line) आये हैं उनके अर्थ के लिये देखिये दफ़ा २२२।

—बोर्ड को चाहिये कि इमारत बनाने के नोटिस पर एक उचित समयके भीतर हुक्म दे दे। यदि एक मास तक बोर्ड कोई हुक्म न दे, या जो हुक्म बोर्ड दे, वह नोटिस देने वाले के पास न भेजा जाय, तो ऐसा शख्स बोर्ड का ध्यान उस नोटिस की ओर पत्र के द्वारा दिला सकता है और यदि ऐसे पत्र से पन्द्रह दिन तक, फिर भी बोर्ड उस नोटिस पर कोई हुक्म न दे, तो नोटिस के देने वाले को यह अधिकार होगा, कि वह बोर्डकी इजाजतके लिये आगे न ठहर कर, इमारतको बनवाले।

(1907) A W N 251=29 All I. L R 737, के मामलेमें हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि जब इमारत बनाने की इजाजत के लिये म्यूनिसिपल बोर्ड को दरख्वास्त दी गई, और वह अवधि जो ऐक्ट नं० १ सन् १९००ई० की दफा ८७ की उप दफा (२) में बताई गईहै, समाप्त हो गई हो, तो दरख्वास्त देने वाला उसी दशा में होगा, मानों उस इमारत की जिसके विषय में दरख्वास्त के द्वारा इजाजत मांगी गई थी, बोर्ड ने जाबते के अनुसार, इजाजत देदी है। इसी प्रकार रामनाथ बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड मथुरा, 12 A L J 740=26 I C 670, वाले मामले में जब कि रामनाथ ने लगभग दो मास तक ठहरने के पश्चात् बोर्ड को पत्र लिखा, और लगभग सात मास के बाद बोर्ड ने नोटिस और पत्र की खबर ली तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि रामनाथ ने, बिना बोर्ड की इजाजत के ही मकान बना लेने में कोई अपराध नहीं किया, और उस पर ऐसे मकान के बना लेने के विषय में मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता।

—उप दफा (४) का यह अर्थ है, कि दरख्वास्त देने वाले को केवल इतनाही अधिकार है, कि बोर्ड की इजाजत प्राप्त किये बिना वह कोई ऐसी इमारत, या इमारत का भाग, बनवाले, जो किसी कानून के विरुद्ध, या इमारत सम्बन्धी किसी बाई लॉ के विरुद्ध न हो। उप दफा (३) के अनुसार जब बोर्ड किसी इमारत की इजाजत की दरख्वास्त पर हुक्म न दे, और दरख्वास्त देने वाले को बिना इजाजत के मकान बना लेने का अधिकार प्राप्त हो जाय, तो भी किसी ऐसे शख्स को किसी ऐसी इमारत के बनाने का अधिकार न होगा, जो किसी कानून या बाई लॉ के विरुद्ध हो, और यदि ऐसी इमारत कोई बनाई जायगी तो, उप दफा (३) के हुक्मों के होते हुये भी, ऐसा मकान बनाने वाला, दफा १८५ के अनुसार अपराधी ठहराया जायगा।

—यदि बोर्ड किसी इमारत के बनाये जाने की इजाजत देने से मना कर,दे तो दरख्वास्त देने वाला ऐक्ट की दफा ३१८ के अनुसार उस हुक्म की अपील कर सकता है परन्तु उसके विषय में अदालत दीवानी में कोई दावा नहीं कर सकता। अब्दुल समद बनाम म्यूनिसिपिल बोर्ड मेरठ 12 A L J 445 वाले मामले में मुद्दई ने किसी इमारत की मरम्मत करने के लिये इजाजत चाही। म्यूनिसिपल बोर्ड ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। मुद्दई ने अदालत दीवानी में इस विषय में दावा दायर किया कि बोर्ड के नाम, सदा के लिये हुक्म इम्तनाई निकाला जाय, कि वह मुद्दई को मरम्मत करने से न रोके। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि यदि म्यूनिसिपल बोर्ड मरम्मत की इजाजत न देतो दरख्वास्त देने वाले के लिये केवल एकही उपाय है कि उस हुक्म की, ऐक्ट के हुक्मों के अनुसार अपील करे। परन्तु ऐसे हुक्म के विरुद्ध अदालत दीवानी में कोई मुकद्दमा दायर करने का अधिकार नहीं हो सकता।

इसी प्रकार जब कि मुद्दई ने पुरानी नींव पर अपना मकान फिर से बनाने की इजाजत मांगी, और दरख्वास्तके साथ एक नकशा भी पेश किया, जिसमें एक सन्डास और छज्जा दिखाये गये थे, किन्तु जिसमें तोडा और अन्टिया का कोई चिन्ह नहीं बनाया गया था। बोर्ड ने मकान बनाने की आज्ञा देदी परन्तु छज्जे और सन्डास की इजाजत नहीं दी। मुद्दई ने मकान में सन्डास, छज्जा, तोडा, और अटिया सब बनाये और लगाये। जब बोर्ड ने उसको नोटिस दिया तो मुद्दई ने अदालत दीवानी में दावा कर दिया और प्रार्थनाकी कि बोर्ड के नाम हुक्म इम्तनाई जारी कियाजाय कि वह उक्त चीजों के बनाने में दखल न दे। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि दीवानी में ऐसा दावा नहीं किया जा सकता,

मुद्दई के लिये केवल एकही उपाय था कि वह दफा १५२, ऐक्ट नं० १, सन १९०० के अनुसार अपील करता।

नोट—सन १९०० के ऐक्ट की दफा १५२ में अपील का वेसाही अधिकार दिया गया था, जैसा कि वर्तमान ऐक्ट की दफा ३१८ में दिया गया है) देखिये रद्दस बिहारीलाल बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड कानपुर 35 I C 222

—जो शख्स कि दफा १७८ के अनुसार, नोटिस देके, किसी काम या मकान के बनाने की इजाजत मांगे, उसको बोर्ड की आज्ञा की प्रतीक्षा करना चाहिये। यदि बोर्ड का हुक्म होने से पूर्व ही वह ऐस काम या मकान को बनाना आरम्भ कर देगा तो उसको दफा १८५ के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है।

दफा १८१ इजाज़त कब तक कामकी रहेगी

१ जो इजाजत बोर्ड की ओर से, इससे पहिले वाली दफा के अनुसार दी जाय, या जिस इजाजत का दिया जाना मान लिया जाय वह एक वर्ष तक, या एक वर्ष से कम उतनी अवधि तक, जो बाई-लॉ के द्वारा नियमितकी जाय, काम की रहेगी।

२ उक्त अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात, प्रस्तावित काम आरम्भ नहीं किया जायगा, सिवाय एक दूसरी इजाजत के आधार पर, जो पूर्वोक्त दफाओं के अनुसार मांगी जाय और दी जाय।

व्याख्या—

इजाजत मिलने से एक वर्ष के भीतर मकान या काम (तामीर) का बनाना आरम्भ कर देना चाहिये, नहीं तो फिर से इजाजत लेना होगी।

—बोर्ड को अधिकार है कि दफा २९८ की उप दफा (२) की मद (F) के अंश (ई) के अनुसार बाई लॉ बना के उक्त एक वर्ष की अवधि को घटा दे। नमूने के बाई लॉ में जो इस विषय में म्यूनिसिपल मैन्यूअल में दिया गया है, केवल ६ मास की अवधि रखी गई है।

—जिस शख्स को इजाजत दी जाय, यदि उसकी मृत्यु होजाय तो नियमित अवधि के भीतर, उसका जो कानूनी उत्तराधिकारी (वारिस) हो वह मकान या काम को, उसी इजाजत के आधार पर बनवा सकता है, या यदि ऐसा मकान जिसके विषय में कोई काम बनवाने की इजाजत दी गई हो, बेच डाला जाय, तो मोल लेने वाला उसी इजाजत के आधार पर वह काम जिसके लिये इजाज़त दी गई हो, बनवा सकता है।

दफा १८२ जिन कामोंकी इजाज़त लेनेकी आवश्यकता हो उनका मुआइना (जांच)

बोर्ड का चेयरमैन और एक्जिक्यूटिव अफसर, और यदि इस विषय में रेजोल्यूशन के द्वारा अधिकार दिया गया हो, तो कोई अन्य मेम्बर, या अफसर या कर्मचारी किसी समय, और बिना सूचना दिये हुए किसी कामका जिसके सम्बन्ध में दफा १७८ के अनुसार नोटिस देने का हुक्म है —

(ए) उस समय जब वह बनाई जा रही हो। या

(बी) यह रिपोर्ट, कि काम बनकर पूरा हो गया है, मिलने से एक मास के भीतर, या जब उक्त रिपोर्ट न की जाय तो कामके बन चुकनेके पश्चात् किसी समय, मुआइना (जांच) कर सकता है।

दफ़ा १८३ मुआवज़ा ऐसी हानिके विषयमें, जो उस हुक्मके कारण उठानी पड़ी हो जो दफ़ा १८० के अनुसार दिया गया हो

दफ़ा १२५ में जो कुछ हुक्म हों उनके होते हुये भी, कोई शख्स जो दफ़ा १७८ के अनुसार नोटिस दे, उस हर्जे या हानि के विषयमें जो उसको ऐसे हुक्मके कारण उठाना पड़ा हो, जो बोर्ड ने दफ़ा १८० के अनुसार दिया हो, कुछ मुआवज़ा (बदलाव) पाने का अधिकारी न होगा, सिवाय उस दशा के कि—

(ए) वह हुक्म, इस कारण को छोड़ कर कि प्रस्तावित काम किसी बाई लॉ के विपरीत होगा, या जनता के या किसी शख्स के स्वास्थ्य और सुरक्षिता के लिये हानि कारक होगा, किसी अन्य कारण से दिया गया हो। या

(बी) हुक्म मे उस प्रकार की हिदायत दी गई हो जो दफ़ा १८० की उपदफ़ा (१) के क्लाज़ (बी) में अंकित की गई है। या

(सी) उक्त हुक्म ऐसा हुक्म हो, जिसमें किसी इमारतके नये सिरे से बनाये जाने की इजाजत से इस कारण इनकार किया गया हो, कि वह इमारत अपने ढंग (*Plan*) या बनावट (*Design*) की दृष्टिसे उस स्थान के लिये, जिसमें उसके बनाये जाने की इजाजत मांगी जाती हो, अनुचित है, या वह इमारत किसी ऐसे मतलब के लिये बनाई जाने को है, जो उस स्थान के लिये जहां वह बनाई जाने को है अनुचित है, या वह दफ़ा २९८ की मद (ए) के अंश (एफ़) के अनुसार बनाये हुए किसी बाई-लॉ के विपरीत है।

व्याख्या—

ऐक्ट की दफ़ा १२५ में हुक्म है कि यदि किसी शख्स का कुछ हर्जा किसी ऐसे अधिकार के, बोर्ड द्वारा बरते जाने से हुआ हो, जो अधिकार कि बोर्ड को दिया गया हो, तो बोर्ड ऐसे शख्स को मुआवजा या हर्जा देगा। परन्तु जो हुक्म बोर्ड दफ़ा १७८ के अनुसार, इमारतों के बनाये जाने के सम्बन्ध में, देगा, उनके कारण जो हर्जा किसी शख्स का हो उसका देनदार बोर्ड केवल नीचे लिखी दशाओं में होगा, अन्य किसी दशा में नहीं अर्थात्—

(१) जब कोई शख्स किसी ऐसे कामकी इजाजत चाहे, जो इमारत सम्बन्धी बाईलाओंके विरुद्ध न हो, और जो जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षिता के लिये हानि कारक न हो, और फिर भी बोर्ड किसी और कारण से, उसके बनाये जाने की इजाजत न दे, तो बोर्ड को हर्जा देना होगा।

(२) यदि बोर्ड यह हुक्म दे कि कोई इमारत पीछे हटा कर अन्य इमारतों की लैनमें या नियमित (Regular) लैन में कर दी जाय, तो बोर्ड को हर्जा देना पड़ेगा।

(३) यदि बोर्ड किसी इमारतके फिरसे बनाये जाने की इस कारण आज्ञा न दे कि जिस स्थान में वह बनाई जाने को हो, उस स्थान के योग्य उस इमारत का ढग और बनावट नहीं है (जैसे उस दशा में जब कि किसी सड़क पर बड़ी बड़ी इमारतें हों और बोर्ड यह निश्चय करे कि जिस मकान के फिर से बनाये जाने की आज्ञा चाही जाती है उसके कारण सड़क की शोभा बिगड़ेगी) तो बोर्ड को हर्जा देना होगा। परन्तु यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि बोर्ड, इस हुक्म के अनुसार, केवल उसी दशा में हर्जा देने का जिम्मेदार होगा जब किसी इमारत के फिरसे बनाये जाने की आज्ञा चाही जाय, और बोर्ड आज्ञा न दे। यदि ऐसी आज्ञा किसी नई इमारत के बनाये जाने के लिये चाही जाय, और बोर्ड आज्ञा न दे, तो बोर्ड किसी हर्जे के देने का जिम्मेदार न होगा।

(४) केवल एक और दशा है जिसमें बोर्ड हर्जे का देनदार होता है। जब दफा २९८ की उप दफा (१) की मद (पृ) के अंश (एफ) के अनुसार बोर्ड ने कोई ऐसा बाई लॉ बनाया हो, जिस के द्वारा यह हुक्म हो कि अमुक रकबे में केवल अमुक प्रकार की इमारत बनाई जाय, या अमुक प्रकार की इमारत न बनाई जाय या जिसके द्वारा यह हुक्म दिया गया हो कि अमुक रकबे में केवल अमुक मतलब के लिये इमारत बनाई जाय, या अमुक मतलब के लिये इमारत न बनाई जाय, तो, यदि बोर्ड यह निश्चय करे कि जिस इमारत की आज्ञा चाही जाती है, वह ऐसे बाई लॉ के विपरीत है, और उसकी इजाजत न दे, तो बोर्ड को हर्जा देना होगा।

—इमारतों की इजाजत न देने के विषय में जो हर्जा बोर्ड को देना होगा, वह किस प्रकार निश्चय किया जायगा इसके लिये देखिये दफा ३२४।

दफा १८४ इजाज़तका असर

१ जो इजाजत दफा १८० के अनुसार दी जाय या जिसका दिया जाना मान लिया जाय उससे सिवाय इसके कि वह शख्स जिसको उक्त इजाजत दी गई हो या जिसको उसका दिया जाना मान लिया गया हो किसी ऐसे दण्ड या नतीजे से मुक्त रहे जिसका वह ऐसी इजाजत के न दिये जाने की दशामें दफा १८५ या १८६ या २२२ के अनुसार भागी होता, कोई अधिकार प्राप्त न होगा न कोई अयोग्यता नष्ट होगी। न उस का कोई ऐसा असर होगा कि उस के द्वारा कोई एस्टापल (Admission) या इकरार (Estoppel) माना जाय। न उस का कोई असर जायदाद के किसी हक पर पड़ेगा, न वह किसी प्रकार का कोई अन्य क़ानूनी असर रखेगी।

२ विशेषत उक्त इजाजत का यह असर न होगा कि किसी शख्स को वह उस जिम्मेदारी से मुक्त कर दे जो दफ़ा २०९ के द्वारा किसी ऐसे कामके विषयमें जिसका वर्णन उक्त दफ़ामें दिया गयाहै अलग इजाजत प्राप्त करनेके सम्बन्ध में लगाई गई हो।

व्याख्या—

शब्द "एस्टापल" (Estoppel) का अर्थ है "मानये तक़रीर मुख़ालिफ़" अर्थात् जो बात कोई शख्स कहे या माने, तो पीछे से, उसके प्रतिकूल कोई बात कहने या मानने का अधिकार न होना। क़ानून शहादत ऐक्ट नं० १ सन् १८७२ की दफ़ा ११५ में "एस्टापल" की व्याख्या इस प्रकार की गई है —

(ए) उस समय जब वह बनाई जा रही हो। या

(बी) यह रिपोर्ट, कि काम बनकर पूरा हो गया है, मिलने से एक मास के भीतर, या जब उक्त रिपोर्ट न की जाय तो कामके बन चुकनेके पश्चात् किसी समय, मुआइना (जांच) कर सकता है।

दफा १८२ मुआवजा ऐसी हानिके विषयमें, जो उस हुक्मके कारण उठानी पड़ी हो जो दफा १८० के अनुसार दिया गया हो

दफा १२५ मे जो कुछ हुक्म हों उनके होते हुये भी, कोई शख्स जो दफा १७८ के अनुसार नोटिस दे, उस हर्जे या हानि के विषयमे जो उसको ऐसे हुक्मके कारण उठाना पड़ा हो जो बोर्ड ने दफा १८० के अनुसार दिया हो, कुछ मुआवजा (बदलाव) पाने का अधिकारी न होगा, सिवाय उस दशा के कि—

(ए) वह हुक्म, इस कारण को छोड़ कर कि प्रस्तावित काम किसी बाई लॉ के विपरीत होगा, या जनता के या किसी शख्स के स्वास्थ्य और सुरक्षिता के लिये हानि कारक होगा, किसी अन्य कारण से दिया गया हो। या

(बी) हुक्म मे उस प्रकार की हिदायत दी गई हो जो दफा १८० की उपदफा (१) के क्लाज (बी) मे अंकित की गई है। या

(सी) उक्त हुक्म ऐसा हुक्म हो, जिसमे किसी इमारतके नये सिरे से बनाये जाने की इजाज़त से इस कारण इनकार किया गया हो, कि वह इमारत अपने ढंग (Plan) या बनावट (Design) की दृष्टिसे उस स्थान के लिये, जिसमें उसके बनाये जाने की इजाजत मागी जाती हो, अनुचित है, या वह इमारत किसी ऐसे मतलब के लिये बनाई जाने को है, जो उस स्थान के लिये जहां वह बनाई जाने को है अनुचित है, या वह दफा २९८ की मद (ए) के अंश (एफ़) के अनुसार बनाये हुए किसी बाई-लॉ के विपरीत है।

व्याख्या—

ऐक्ट की दफा १२५ में हुक्म है कि यदि किसी शख्स का कुछ हर्जा किसी ऐसे अधिकार के, बोर्ड द्वारा बरते जाने से हुआ हो, जो अधिकार कि बोर्ड को दिया गया हो, तो बोर्ड ऐसे शख्स को मुआवजा या हर्जा देगा। परन्तु जो हुक्म बोर्ड दफा १७८ के अनुसार, इमारतो के बनाये जाने के सम्बन्ध में, देगा, उनके कारण जो हर्जा किसी शख्स का हो उसका देनदार बोर्ड केवल नीचे लिखी दशाओं में होगा, अन्य किसी दशा में नहीं अर्थात्—

(१) जब कोई शख्स किसी ऐसे कामकी इजाजत चाहे, जो इमारत सम्बन्धी बाईलाओंके विरुद्ध न हो, और जो जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षिता के लिये हानि कारक न हो, और फिर भी बोर्ड, किसी और कारण से, उसके बनाये जाने की इजाजत न दे, तो बोर्ड को हर्जा देना होगा।

ध्यान उसकी ओर विशेष रूपसे दिलाया जाना चाहिये और उसके लिये, दफा २०९ के अनुसार, अलग दरख्वास्त देकर, विशेष इजाजत लेना चाहिये।

दफा १८५ कानूनके विरुद्ध काम बनाना या इमारतमें परिवर्तन करना

जो कोई शख्स, बिना ऐसे नोटिस के दिये, जिसका कि हुक्म दफा १७८ मे दिया गया है, या बोर्ड के किसी ऐसे हुक्म के विरुद्ध, जिसके द्वारा इजाजत देने से इनकार कर दिया गया हो, या किसी ऐसी लिखित हिदायतों के विरुद्ध, जो दफा १८० या किसी बाई-लॉ के अनुसार दी गई हों, किसी इमारत को या इमारत के भाग को, बनाना, या फिर से बनाना, या उसमे भारी परिवर्तन करना, आरम्भ करेगा या जारी रखेगा, या पूरा करेगा, या किसी कुए को बनाना या बढाना आरम्भ करेगा, या जारी रखेगा, या पूरा करेगा, उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या पाच सौ ५००) रुपये तक हो सकती है।

व्याख्या—

जो कोई शख्स बिना बोर्ड को, दफा १७८ के अनुसार, नोटिस दिये कोई काम बनवायेगा, या जो शख्स, बोर्ड द्वारा इजाजत न दिये जाने पर भी किसी काम को बनवायेगा, और जो शख्स कि किसी ऐसी हिदायतों के विरुद्ध, जो बोर्ड उक्त काम के बनाने के विषय में जारी करे, काम को बनवायेगा, वह दफा १८५ के अनुसार अपराधी होगा। जो हिदायतें बोर्ड किसी काम के बनाये जाने के विषय में दे सकता है वह दफा २९८ की मद (ए) के अन्श (एच) में और दफा १८० की उप दफा (१) के क्लॉज (बी) मे बताई गई हैं, जैसे यह कि मकान की भीतें, छतें इत्यादि किस वस्तु की बनाई जाय, या मोरिया, पाखाने, कुडियां आदि कहा पर बनाई जाय इत्यादि। तात्पर्य यह है कि बोर्ड से केवल इजाजत लेना ही आवश्यक नहीं है, वरन यह भी जरूरी है कि किसी काम को, जिस प्रकार से बनाये जाने की आज्ञा बोर्ड दे वह काम उसी प्रकार बनाया जाना चाहिये। इस लिये जब कि एक शख्स ने एक मोरी को पत्थर की पटियों से ढकने की बोर्ड से इजाजत ली। परन्तु मोरी को पत्थर की पटियों से ढकने की जगह, जो कि मोरी साफ करने के लिये उठाई जा सकती थीं, उक्त शख्स ने ईंट की डाट बनवा दी, जो मोरी को साफ करने के लिये किसी प्रकार हटाई नहीं जा सकती थी तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि उक्त शख्स ने दफा १२७, ऐक्ट न० १, सन १९०० के अनुसार अपराध किया (उक्त दफा १२७ के लिये देखिये वर्तमान ऐक्ट की दफा १८५)। देखिये सरकार बहादुर बनाम अमीर हसन खा 15 A L J 159=38 I C 736 9 Cr L R 112

—परन्तु इस दफा के अनुसार किसी शख्स पर एक ही बेर मुकद्दमा चलाया जा सकता है, और एक बेरही जुर्माने का दड दिया जा सकता है। यदि बोर्ड चाहे कि वह काम जो बिना इजाजत के बनाया गया हो तोड भी दिया जाय, तो बनाने वाले को दफा १८६ के अनुसार नोटिस दिया जाना चाहिये। और यदि उक्त शख्स नोटिस के पश्चात् भी उक्त कामको न तोडे तो दफा ३०७ के अनुसार बोर्ड स्वय उसको तुडवा सकता है, और खर्चा उस विधि से वसूल कर सकता है जो छठे प्रकरण में बताई गई है।

"जब कोई शख्स किसी बातके कहने से, या किसी काम के करने से, या किसी काम के न करने से, इरादा करके, किसी शख्स को यह विश्वास दिलाता है, कि अमुक बात ठीक है, या ऐसे शख्स को इस प्रकार का विश्वास कर लेने देता है और ऐसे विश्वास के आधार पर ऐसा शख्स कोई काम करता है, तो उस शख्स को जो ऐसा विश्वास दिलाता है, और उसके उत्तराधिकारी को, किसी मुकदमे या कार्रवाई में जो विश्वास दिलाने वाले और विश्वास करने वाले के बीच हो, इस बात की इजाजत न दी जायगी कि उक्त बातके ठीक होने से इनकार करे"।

—दफा १८४ का अर्थ यह है कि जब मकान या काम के बनाने की बोर्ड आज्ञा देगा, तो ऐसी आज्ञा का केवल इतनाही असर होगा, कि वह इमारत जिसके विषय में आज्ञा मिली हो कानून के विरुद्ध नहीं मानी जायगी। उसके बनवाने वाले पर दफा १८५ के अनुसार कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा, न बोर्ड दफा १८६ के अनुसार बनवाने वालेके विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगा, और दफा २२२ के अनुसार उसको पीछे हटाके नियमित लैन में कर देने का हुक्म न देगा। तात्पर्य यह है कि इजाजत के दिये जाने पर, केवल इतनी ही बात मानी जायगी कि बोर्ड ने जनता के स्वास्थ्य, सुरक्षिता इमारत का ढंग, और बनावट, इत्यादि, विषयों पर विचार करके मकान बनाने की इजाजत देदी है, अन्य किसी बात की जिम्मेदारी बोर्ड मकान बनाने की इजाजत देने में नहीं लेता। किसी प्रकार का कोई कानूनी हक ऐसी इजाजत के कारण उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे यदि किसी आराजी की मिलिकिअत के विषयमें झगडा हो, तो उसमें किसी शख्स की मिलिकिअत केवल इस कारण नहीं मानली जायगी, कि म्यूनिसिपलटी ने उक्त शख्स को उस आराजी पर मकान बनाने की आज्ञा दी है। इसी प्रकार, मान लीजिये, कि इजाजत देने के पश्चात बोर्ड को पता चले कि यह आराजी, जिस पर मकान बनाने की आज्ञा दी गई है, आराजी नजूल है, और उसके विषय में बोर्ड मुकद्दमा दायर करे, तो इजाजत लेने वाला यह बहस पेश नहीं कर सकेगा, कि बोर्ड स्वयं उस आराजी पर इमारत बनाने की आज्ञा दे चुका है, इसलिये यह माना जाय कि बोर्ड ने इजाजत लेने वाले की मिलिकिअत स्वीकार कर ली, और अब बोर्ड को उसके विरुद्ध 'एस्टापल के कानूनके अनुसार, कुछ कहनेका अधिकार नहीं है।

—इसी प्रकार, हाईकोर्ट ने तजवीज किया है कि, बोर्ड किसी मकान आदि के बनाने की एक बार आज्ञा देकर, फिर हुक्म दे सकता है कि उक्त मकान गिरा दिया जाय, अर्थात् मकान बनाने की आज्ञा दे देनेका यह असर नहीं होता कि बोर्डके विरुद्ध ऐसा एस्टापल' उत्पन्न हो जाय, कि फिर वह अपनी ही दी हुई आज्ञा के विरुद्ध मकान को तोड देने का हुक्म न दे सके। न ऐसी आज्ञा का यह असर होगा कि उससे बोर्ड का वह अधिकार नष्ट हो जाय, जो उसको इस विषय में प्राप्त है कि किसी मकान के गिरा देने की आज्ञा दे सके। देखिये बाबूलाल बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड, फर्रुखाबाद, 21 A L J 828

—उप दफा (२) दफा २०९ मे यह हुक्म है कि जो इमारत किसी सार्वजनिक सडक या नाली के ऊपर निकली हुई बनाई जाय, उसके विषय में बोर्ड से आज्ञा लेना चाहिये। दफा १८४ की उप दफा (२) में यह बात साफ कर दी गई है कि दफा १८० के अनुसार जो आज्ञा मकान आदि के बनाने की दी जायगी वह इस बातके लिये काफी न होगी कि उसके आधार पर उक्त मकान आदि का कोई भाग सार्वजनिक सडक या नाली पर निकला हुआ बनाया जाय। तात्पर्य यह है कि यदि मकान का कोई भाग सार्वजनिक सड़क आदि पर निकला हुआ बनाया जाने का हो, तो बोर्ड का

ध्यान उसकी ओर विशेष रूपसे दिलाया जाना चाहिये और उसके लिये, दफा २०९ के अनुसार, अलग दरख्वास्त देकर, विशेष इजाजत लेना चाहिये।

दफा १८५ कानूनके विरुद्ध काम बनाना या इमारतमें परिवर्तन करना

जो कोई शख्स बिना ऐसे नोटिस के दिये, जिसका कि हुक्म दफा १७८ मे दिया गया है, या बोर्ड के किसी ऐसे हुक्म के विरुद्ध, जिसके द्वारा इजाजत देने से इनकार कर दिया गया हो, या किसी ऐसी लिखित हिदायतों के विरुद्ध, जो दफा १८० या किसी बाई-लॉ के अनुसार दी गई हो, किसी इमारत को या इमारत के भाग को, बनाना, या फिर से बनाना, या उसमे भारी परिवर्तन करना, आरम्भ करेगा या जारी रखेगा, या पूरा करेगा, या किसी कुए को बनाना या बढाना आरम्भ करेगा, या जारी रखेगा, या पूरा करेगा, उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या पाच सौ ५००) रुपये तक हो सकती है।

व्याख्या—

जो कोई शख्स बिना बोर्ड को, दफा १७८ के अनुसार, नोटिस दिये कोई काम बनवायेगा, या जो शख्स, बोर्ड द्वारा इजाजत न दिये जाने पर भी किसी काम को बनवायेगा, और जो शख्स कि किसी ऐसी हिदायतों के विरुद्ध, जो बोर्ड उक्त काम के बनाने के विषय में जारी करे, काम को बनवायेगा, वह दफा १८५ के अनुसार अपराधी होगा। जो हिदायतें बोर्ड किसी काम के बनाये जाने के विषय में दे सकता है वह दफा २९८ की मद (ए) के अन्श (एच) में और दफा १८० की उप दफा (१) के क्लॉज (बी) मे बताई गई हैं, जैसे यह कि मकान की भीतें, छतें इत्यादि किस वस्तु की बनाई जाय, या मोरिया, पाखाने, कुडियां आदि कहा पर बनाई जांय इत्यादि। तात्पर्य यह है कि बोर्ड से केवल इजाजत लेना ही आवश्यक नहीं है, वरन यह भी जरूरी है कि किसी काम को, जिस प्रकार से बनाये जाने की आज्ञा बोर्ड दे वह काम उसी प्रकार बनाया जाना चाहिये। इस लिये जब कि एक शख्स ने एक मोरी को पत्थर की पटियों से ढकने की बोर्ड से इजाजत ली। परन्तु मोरी को पत्थर की पटियों से ढकने की जगह, जो कि मोरी साफ करने के लिये उठाई जा सकतीं थीं, उक्त शख्स ने ईंट की डाट बनवा दी, जो मोरी को साफ करने के लिये किसी प्रकार हटाई नहीं जा सकती थी तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि उक्त शख्स ने दफा १४७, ऐक्ट नं० १, सन १९०० के अनुसार अपराध किया (उक्त दफा १४७ के लिये देखिये वर्तमान ऐक्ट की दफा १८५)। देखिये सरकार बहादुर बनाम अमीर हसन खा 15 A L J 159=38 I C 736 9 Cr L R 112

—परन्तु इस दफा के अनुसार किसी शख्स पर एक ही बेर मुकद्दमा चलाया जा सकता है, और एक बेरही जुर्माने का दड दिया जा सकता है। यदि बोर्ड चाहे कि वह काम जो बिना इजाजत के बनाया गया हो तोड भी दिया जाय, तो बनाने वाले को दफा १८६ के अनुसार नोटिस दिया जाना चाहिये। और यदि उक्त शख्स नोटिस के पश्चात् भी उक्त कामको न तोडे तो दफा २०७ के अनुसार बोर्ड स्वय उसको तुडवा सकता है और खर्चा उस विधि से वसूल कर सकता है जो छठे प्रकरण में बताई गई है।

दफा १८६ कामको बननेसे रोक देनेका, और बनी हुई इमारत के गिरवा देनेका बोर्डका अधिकार

बोर्ड किसी समय, लिखित नोटिस के द्वारा, किसी आराजी के मालिक या क़ाबिज को, यह हिदायत कर सकता है, कि उक्त आराजी पर किसी इमारत, या इमारत के भागका बनाया जाना, या फिरसे बनाया जाना, या परिवर्तन किया जाना या किसी कुए के बनाये जाने, या बढ़ाये जानेको, ऐसी दशामे रोक दे, जब कि बोर्ड यह समझे कि इसका बनाया जाना, या फिर से बनाया जाना, या उसमे परिवर्तन किया जाना या कुए का बनाया जाना या बढाया जाना, दफा १८५ के अनुसार अपराध है, । और इसी प्रकार बोर्ड उस इमारत, या इमारत के भाग, या कुए को, जैसी कि दशा हो किसी प्रकार बदल देने या गिरा देने, जैसा वह उचित समझे, हिदायत कर सकता है।

व्याख्या—

जो नोटिस इस दफा के अनुसार दिया जाय, उसके विरुद्ध अपील, दफा ३१८ के अनुसार, की जा सकती है।

—यदि दफा १८६ के अनुसार दिये हुये किसी नोटिस की, कोई शख्स तामील न करे तो उसको दफा ३०७ के अनुसार जुर्माने की सजा दी जा सकती है, और जितने दिन तक ऐसे नोटिस की तामील न की जायगी उतने दिन तक, उक्त दफा के अनुसार, पांच रुपया प्रति दिन तक जुर्माने की सजा दी जा सकती है, या यदि बोर्ड चाहे तो उक्त नोटिस की तामील स्वयं करा कर अपराधी से उसका खर्चा वसूल कर सकता है।

—रामदयाल बनाम सरकार बहादुर 7 A. L J 1075 वाले मामले में हाईकोर्ट ने तजवीज किया है कि दफा ८७, ऐक्ट न० १ सन् १९०० ई०, का मतलब यह नहीं है कि बोर्ड किसी शख्स को यह हुक्म दे कि वह अपने मकान को गिरा दे, चाहे वह मकान पचास वर्ष से क्यों न खड़ा हो, और यह भी तजवीज किया कि अगर दफा८७की उप दफा (५) ऐक्ट न०१ सन् १९००ई० के अनुसार बोर्ड नोटिस दे, और वह नोटिस नाजायज हो, तो दफा१५२ ऐक्ट न०१ सन् १९००ई०के हुक्म लागू नहीं होते। यदि बोर्ड ऐसा नाजायज नोटिस दे और उसकी आज्ञा पालन न की जाय, तो उस शख्स पर जिसको कि नोटिस दिया गया हो मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। (दफा ८७ के लिये देखिये हाल के ऐक्ट की दफा १७८, दफा ८७ की उप दफा (५) के लिये देखिये हाल के ऐक्ट की दफा १८६। दफा १५२ के लिये देखिये हालके ऐक्ट की दफा ३१८) उपरोक्त मामले में जिस दीवार के गिराये जाने के लिये नोटिस दिया गया था वह सन १८६५ ई० में बनाई गई थी और नोटिस सन् १९०९ में दिया गया। वर्तमान ऐक्ट की दफा १८६ में शब्द "किसी समय" नये बढाये गये हैं, जिसके द्वारा बोर्ड को अधिकार हो जाता है, कि किसी इमारत के तोड दिये जाने या बदल दिये जाने के लिये, वह जब चाहे नोटिस दे सकता है। परन्तु इन शब्दों के होते हुये भी, कानून की यह मंशा शायद नहीं हो सकती कि बोर्ड किसी इमारत के बनाये जाने के ४०-५० वर्ष के बाद इस बात का नोटिस दे कि वह गिरा दी जाय। शब्द "किसी समय" के बढाये जाने का उद्देश यह जान पडता है कि यदि बोर्ड को किसी ऐसी इमारत के बनाये जाने की, जो कानून के विरुद्ध हो, सूचना कुछ दिन तक न मिले तो भी उसको नोटिस देने में किसी प्रकार की रुकावट न हो।

—सरकार बहादुर बनाम हालीम अली, 15 A L J 461 की नजीर में हाईकोर्ट ने तज वीज किया कि यह जरूरी नहीं है कि म्यूनिसिपल बोर्ड किसी शख्स पर दफा १८५ के अनुसार मुक़द्दमा चलाने से पूर्व, उसको दफा १८६ के अनुसार मकान गिरा देने का नोटिस दे। जो अधिकार इन दोनों दफाओं के अनुसार बोर्ड को दिये गये हैं उनमें से बोर्ड, मामले की दशा के अनुसार, जिस को चाहे काम में ला सकता है, अर्थात बोर्ड को अधिकार है कि चाहे किसी शख्स पर, केवल दफा १८५ के अनुसार, मुक़द्दमा चलाये, और कोई नोटिस दफा १८६ के अनुसार न दे, या यदि बोर्ड उचित समझे तो केवल दफा १८६ के अनुसार मकान गिरा देने के लिये नोटिस दे, और दफा १८६ के अनुसार मुक़द्दमा न चलाये।

—इस बात में भी क़ानून का कोई हुक्म बाधक नहीं जान पड़ता कि बोर्ड दफा १८५ और दफा १८६ दोनों से क्यों न काम ले, अर्थात प्रथम तो किसी ऐसे शख्स पर, जो बिना आज्ञा के कोई काम बनवाये, दफा १८५ के अनुसार मुक़द्दमा चलाये, तत्पश्चात् उक्त शख्स को नोटिस दे, कि उस काम को, जो इस प्रकार बिना आज्ञा के बनाया गया हो, तोड़ दे, या उसमें कोई परिवर्तन कर दे।

आग बुझाना

(Extinction of Fire)

दफा १८७ आग बुझाने वालोंकी मण्डली स्थापित करना और कायम रखना

बोर्ड, आग बुझाने वालोंकी एक मण्डली (Fire Brigade) स्थापितकर सकता है, और क़ायम रख सकता है और उसके लिये किसी ऐसे औजारों कलों या सूचना देने के उपायों का जो वह आग लगने के रोकने के लिये और आग बुझाने के लिये आवश्यक समझे प्रबन्ध कर सकता है।

दफा १८८ आग बुझानेके लिये आग बुझाने वाली मण्डलीका और अन्य शख्सोंका अधिकार

१ किसी म्यूनिसिपल्टी मे आग लग जाने के अवसर पर कोई मजिस्ट्रेट, या बोर्ड का कोई मेम्बर या एक्जिक्यूटिव अफसर या बोर्ड का इञ्जीनियर या कोई सेक्रेटरी या आग बुझाने वाली मण्डली का कोई ऐसा शख्स जिस की अध्यक्षता मे काम किया जा रहा हो और (यदि कोई मजिस्ट्रेट या बोर्ड का मेम्बर या एक्जिक्यूटिव अफसर या बोर्ड का इञ्जीनियर या कोई सेक्रेटरी ऐसा करने की आज्ञा दे) तो कोई पुलिस का अफसर जिसका पद कानिस्टिबल के पद से ऊँचा हो।

(क) किसी ऐसे शख्स को हटा सकता है या हटा दिये जाने की आज्ञा दे सकता है जो अपनी उपस्थिति के कारण आग बुझाने की या जान या माल की रक्षा किये जाने की कार्रवाई मे दखल देता हो या विघ्न डालता हो।

(बी) किसी सड़क या रास्ते को बन्द कर सकता है, जिस में या जिस के समीप आग लग रही हो।

(सी) आग बुझाने के अभिप्राय से किसी इमारत को तोड के उस मे प्रवेश कर सकता है या उस में से हो के निकल सकता है या उस को गिरा दे सकता है या किसी दूसरे को प्रवेश करा सकता है या उस में से हो के निकलवा सकता है या उस को गिरवा सकता है या पानी के नलो या अन्य औजारो के लाने, ले जाने के काम के लिये उस का प्रयोग करा सकता है।

(डी) बड़े बड़े और छोटे पानी के नलों को बन्द करा सकता है जिससे कि उस स्थान मे या उस स्थान के निकट जहां कि आग लगी हो, पानी अधिक जोर से निकलने लगे।

(ई) उस शख़्स को जिस की सिपुर्दगी मे कोई आग बुझाने का इंजन हो, आज्ञा दे सकता है कि जो सहायता सम्भव हो वह दे।

(एफ) अन्य सब ऐसा उपाय कर सकता है, जो जान और माल की रक्षा के लिये आवश्यक जान पडे।

२ कोई शख़्स किसी ऐसे काम के लिये, जो उस ने उपदफा (१) के अनुसार नेक नीयती से किया हो, हरजा अदा करने का जिम्मेदार न होगा।

३ जो हानि कि किसी ऐसे अधिकार के बरते जाने से हो जो इस दफा के अनुसार दिया गया हो, या जो हानि किसी ऐसे कर्तव्य के पालन करने मे हो, जो कर्तव्य इस दफा के द्वारा किसी पर डाला गया हो, उस के विषय मे यह माना जायगा कि आग के बीमे के इकरार के अर्थ के अनुसार, (Policy of insurance) यह हानि आग के द्वारा ही हुई।

व्याख्या—

सन १९००ई०के म्यूनिसिपलटीज ऐक्टमें जो आग बुझाने के विषयमें दफायें थीं वह केवल उन्हीं म्यूनिसिपलटियों पर लागू होती थीं जिन पर प्रान्तीय सरकार उन को लागू कर देती थी। परन्तु सन १९१६ई० के वर्तमान ऐक्ट के अनुसार दफा १८७ और दफा १८८ के हुक्म सब म्यूनि-सिपलटियों पर

—आग में बाई लॉ बनाने का अधिकार दफा २९८

(सी) के

—आग का हैं उस इमारत में आग

लाने पर जो होती है। इस दफा

(१ बीमा किये हुए मकान

बुझाने के हो तो पहुंचाई जा

को आग बुझाने के

जाय हुई और ऐसी

सार्वजनिक (आम) मोरियां
(Public Drains)

दफा १८९ सार्वजनिक (आम) मोरियोंका बनाया जाना

१ बोर्ड म्यूनिसिपलटी के भीतर, या दफा १९० की उपदफा (२) के हुक्मो के अधीन म्यूनिसिपलटी के बाहर ऐसी मोरिया बना सकता है जो बोर्ड म्यूनिसिपलटी को उचित रूप से स्वच्छ रखने और उस के पानी का निकास ठीक प्रकार से किये जाने के लिये आवश्यक समझे और बोर्ड ऐसी मोरियों को किसी सड़क या स्थान में हो के या उस के आर पार या नीचे से निकाल सकता है और मालिक या काबिज को उचित समय पहले लिखित नोटिस देने के पश्चात् किसी इमारत या आराजी मे या उन में हो के या उन के नीचे से निकाल सकता है।

२ परन्तु शर्त यह है कि कोई मोरी किसी छावनी की हदो के भीतर बिना प्रान्तीय सरकार की मजूरी के और बिना उस जनरल अफसर की सहमति के, जो उस फौजी डिवीजन (Division) के कमान पर हो जिस में उक्त छावनी हो या यदि ऐसी सहमति प्राप्त न की जा सके तो बिना गवर्नर जनरल और उन की कौंसिल की पहले से मजूरी प्राप्त किये, न निकाली जायगी।

व्याख्या—

यह दफा केवल सार्वजनिक मोरियों क लिये है, निजी मोरियों के लिये नहीं।

—जो मोरिया बोर्ड म्यूनिसिपल्टी की हदों के बाहर बनवाये उन पर दफा १२० की उप दफा (२) के हुक्म लागू होंगे, अर्थात् यह कि कोई ऐसी मोरिया बिना प्रान्तीय सरकार की आज्ञा के नहीं बनाई जायंगी, और यदि प्रान्तीय सरकार ऐसी आज्ञा दे तो जो शर्तें वह चाहे लगा सकती है।

दफा १९० सार्वजनिक मोरियोंमें परिवर्तन किया जाना

१ बोर्ड, समय २ पर किसी सार्वजनिक मोरी को बढ़ा सकता है, या घटा सकता है, या उसका रास्ता बदल दे सकता है, या उसको पाट दे सकता है, या किसी अन्य प्रकार उसमें कोई सुधार कर सकता है, और बोर्ड यह भी कर सकता है कि किसी ऐसी मोरी को कायम न रखे, या बन्द करदे, या हटा दे।

२ उस अधिकार का बरता जाना जो उपदफा (१) के द्वारा दिया गया है, इस शर्त के अधीन होगा, कि बोर्ड, किसी ऐसी मोरी की जगह, जो उस समय बनी हुई हो, और जिसको इस्तेमाल करने के अधिकार से कोई शख्स, पूर्वकथित अधिकार के बरते जाने के कारण, वञ्चित रहे, एक दूसरी मोरी बनवा दे, जो उतने ही काम की हो।

व्याख्या—

दफा १९१ के द्वारा म्यूनिसिपलटियों के निवासियों को अधिकार दिया गया है कि बोर्ड की आज्ञा प्राप्त करके, वह अपनी निजी मोरियों को बोर्ड की सार्वजनिक मोरियों में निकाल सकते हैं। ऐसी दशा में यदि बोर्ड किसी सार्वजनिक नाली को बन्द कर दे, या उसका रास्ता बदल दे, तो घरों

के पानी के निकास के लिये कोई रास्ता न रह जायगा अतएव दफा १९० की उप दफा (२) के द्वारा यह आज्ञा देदी गई है कि यदि बोर्ड किसी सार्वजनिक मोरी को बन्द करे तो बोर्ड का यह भी कर्त्तव्य होगा कि उसकी जगह एक ऐसी दूसरी मोरी बनवा दे कि जिसके द्वारा पानी का निकास उतनी ही सुगमता से हो सके जितनी सुगमता से कि पहली नाली के द्वारा होता था।

दफा १९१ इमारतों तथा आराजियोंके मालिकोंका सार्वजनिक मोरियोंको काममें लानेका अधिकार

१ म्यूनिसिपलटी के भीतर की किसी इमारत या आराजी के मालिक को इस बात का अधिकार होगा कि बोर्ड की मोरियो में अपनी मोरियो का पानी निकाले, परन्तु शर्त यह है कि वह पहले बोर्ड की लिखित आज्ञा प्राप्त करले और ऐसी शर्तोंकी तामील करे जो किसी बाई-लॉ (Bye-Law) के प्रतिकूल न हो, और जो बोर्ड इस विषयमें नियमित करे कि किस विधि से, और किसकी देख भाल (निगरानी) मे, बोर्डके अधिकार की मोरियों और उन मोरियो का मेल किया जायगा जो बोर्ड के अधिकार मे न हों।

२ जो कोई शख्स, विना बोर्ड की लिखित आज्ञा के, या किसी बाई-लॉ के विपरीत, या किसी ऐसी हिदायत या शर्त के विपरीत जो उपदफा (१) के अनुसार दी गई हो, या लगाई गई हो, स्वय अपनी किसी मोरी का, या किसी दूसरे शख्सकी किसी मोरीका बोर्ड के अधिकार की मोरी से मेल करे, या मेल कराये या ऐसे किसी मेल मे परिवर्तन करे, या परिवर्तन कराये उसको अपराध के साबित होने पर जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी सख्या ५०) रुपये तक हो सकती है। और बोर्ड, लिखित नोटिस के द्वारा, ऐसे शख्स को हिदायत कर सकता है कि उस मेल को बन्द करदे, या तोड़ दे या बदल दे, या नये सिरे से बनवाये, या उसके सम्बन्ध मे कोई और ऐसी कार्रवाई करे जो बोर्ड उचित समझे।

नोट—इस दफा के लिये बाई-लॉ बनाने का अधिकार दफा २९८ की उपदफा (२) की मद (बी) में दिया गया है।

दफा १९२ पानीके निकासका मेल सार्वजनिक मोरियोंसे करानेका बोर्डका अधिकार

१ जब किसी ऐसी इमारत या आराजी का जो किसी सार्वजनिक मोरी से सौ (१००) फुट के भीतर हो, किसी समय पानी के निकास का प्रबन्ध, किसी ऐसी मोरी के द्वारा जो उक्त सार्वजनिक मोरी से मिली हो, या पानी के निकास के किसी काफी उपाय के द्वारा ऐसा न हो जो बोर्ड की राय में सन्तोषप्रद हो, तो बोर्ड नोटिस के द्वारा उक्त इमारत या आराजी के मालिक या काबिज को यह हुक्म दे सकता है, कि पानी के निकास की एक मोरी, जो उक्त सार्वजनिक मोरी से मिलाई जाय, ऐसी विधि के अनुसार बनाये और कायम रखे, जिसकी कि बोर्ड, किसी बाई-लॉ के हुक्मो के अधीन, हिदायत करे।

२ दफा ३०६ से दफा ३१८ तक के हुक्म (अर्थात् इन दोनो दफाओं के भी तथा

इनके बाद वाली दफाओं के) प्रत्येक ऐसी दशा में लागू होंगे जब किसी ऐसी हिदायत की आज्ञा पालन न की जाय, चाहे उस आराजी का कोई भाग जिसमे होके पानी के निकास की मोरी के निकाले जाने की आज्ञा दी गई हो, उस शख्स की न हो, जिसने इस प्रकार आज्ञा पालन न की हो। उपरोक्त दफाओं के हुक्म ऐसी आज्ञा पालन न किये जाने पर केवल उसी दशा में लागू होंगे जब कि उक्त शख्स यह साबित करदे कि आज्ञा का पालन न किया जाना उत्तरोक्त आराजी के मालिक या काबिज के किसी काम के कारण हुई, और यह भी साबित करदे कि वह दफा १९३ के अनुसार बोर्ड को दरख्वास्त दे चुका है।

व्याख्या—

उप दफा (२) का अर्थ यह है कि यदि कोई शख्स बोर्ड की हिदायत के अनुसार मोरी न बनाये तो उस पर दफा ३०६ से ३१२ तक के हुक्म लागू होंगे। परन्तु यदि मोरी किसी दूसरे शख्स की आराजी में होके निकाली जाने वाली हो और यह दूसरा शख्स कोई ऐसा काम करे, या कोई ऐसा विघ्न डाले, जिसके कारण कि मोरी न निकाली जा सके, और ऐसे काम या विघ्न के पश्चात् वह शख्स जिसको कि मोरी बनाने की आज्ञा दी गई हो, बोर्ड को, दफा १९३ के अनुसार इस विषय में दरख्वास्त भी दे कि बोर्ड ऐसे दूसरे शख्स को हुक्म दे कि वह नाली के बनाये जाने में विघ्न न डाले तो यह माना जायगा कि उसने बोर्ड की आज्ञा पालन के लिये यथा सम्भव कोशिश की और ऐसी दशा में उस पर दफा ३०६ से ३१२ तक के हुक्म लागू न होंगे।

दफा १९३ सर्व साधारणके किसी व्यक्तिका अपनी मोरीको किसी दूसरे शख्सकी आराज़ीसे हो कर ले जानेका अधिकार

१ किसी ऐसे शख्स को जो यह चाहता हो, कि कोई ऐसी मोरी जो उसकी आराजी पर बनी हुई हो, या जिस के बनाये जाने का प्रस्ताव किया जाता हो, किसी ऐसे शख्स की इमारत या आराजी से हो कर या उस के नीचे से जाय, या जो यह चाहता हो कि किसी ऐसे शख्स की मोरी से उस का मेल किया जाय जो किसी ऐसी इमारत या आराजी का मालिक हो जो किसी म्यूनिसिपलटी की किसी मोरी के किनारे पर हो, या जो यह चाहता हो कि उस की मोरी का किसी मोरी से मेल किया जाय जो किसी म्यूनिसिपल्टी की किसी मोरी से मिली हुई हो, तो ऐसा शख्स इस विषय में बोर्ड से दरख्वास्त कर सकता है।

२ उपदफा (१) के अनुसार दी हुई दरख्वास्त के मिलने पर, बोर्ड ऐसे दूसरे शख्स को यह हुक्म दे सकता है कि वह एक बताई हुई अवधि के भीतर इस बात का कारण प्रगट करे (वजह जाहिर करे) कि दरख्वास्त देने वाले की मोरी उस की इमारत या आराजी में हो कर या उस के नीचे से क्यों न ले जाई जाय या उसकी मोरी से क्यों न मिलाई जाय।

३ बोर्ड किसी ऐसे उज्र को जो ऐसा शख्स करे सुनेगा, यदि ऐसा उज्र बताई हुई अवधि के भीतर किया गया हो, और ऐसे उज्र के सुनने के पश्चात् यदि बोर्ड की यह

राय हो कि मोरी बनाई जाय या मोरी का मेल किया जाय तो बोर्ड लिख के ऐसा हुक्म कर देगा।

४ हुक्म मे नीचे लिखी बाते लिखी जायँगी—

(ए) वह अवधि जिस के भीतर मोरीबनाने या मोरी का मेल किये जाने के सम्बन्ध मे पक्षकारो को किसी प्रकार का परस्पर फ़ैसला कर लेना चाहिये।

(बी) वह अवधि जिस के भीतर मोरी बनाई जानी चाहिये या मोरी का मेल किया जाना चाहिये।

(सी) बन जाने पर, मोरी या मोरी के मेल के क़ायम रखने, मरम्मत करने, और सफाई करने के सम्बन्ध मे पक्षकारो की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ।

(डी) वह रक़म (यदि कोई हो) जो किराये की तरह या अन्य प्रकार वह शख्स जो दरख्वास्त करे आराजी, इमारत, या मोरी, अर्थात् जैसी कि दशा हो, के मालिक को दिया करेगा।

५ यदि वह रकम जो उपदफा (४) के क्लाज (डी) के अनुसार दिलाई गई हो एक साथ (एकमुश्त) दी जाने को हो तो बोर्ड को अधिकार होगा कि उस को उस विधि से वसूल करे जो छठे प्रकरण मे बताई गई है और जो रक़म कि वसूल हो वह उस शख्स को अदा कर दे जिस को उसके पानेका अधिकार हो। यदि कोई किराया दिलाया गया हो तो वह शख्स जिस को ऐसा किराया दिलाया गया हो अधिकार प्राप्त अदालत दीवानी मे मुक़दमा दायर करके उक्त किराये को वसूल कर सकता है।

६ यदि पक्षकार उस अवधि के भीतर जो हुक्म मे अंकित हो परस्पर कोई फ़ैसला न करले, या यदि मोरी या मोरी का मेल उस अवधि के भीतर न बना लिया जाय जो अवधि कि उसके बनाने के लिये बताई गई हो, तो बोर्ड स्वय उस को बनवा दे सकता है और उस के खर्चे को दरख्वास्त देने वाले से उस विधि के अनुसार वसूल कर सकता है जो छठे प्रकरण मे बताई गई है।

दफा १९४ मालिकका अधिकार उस नालीका रास्ता बदल देनेका जो उसकी आराजीमें बनाई गई हो

किसी ऐसी आराज़ी का मालिक जिस मे या जिस मे हो के या जिस के नीचे से कोई मोरी पिछली दफा के हुक्मों के अनुसार निकाली गई हो, किसी समय पर बोर्ड की लिखित इजाजत से और ऐसी शर्तों के अधीन जो बोर्ड लगाये, उक्त मोरी का रास्ता अपने खर्चे से बदल दे सकता है।

व्याख्या—

यह अन्याय ही होता यदि किसी दूसरे की मोरी के कारण आराजीका मालिक उस पर कभी इमारत न बनवा सकता या अपनी इच्छानुसार उस को अन्य किसी काम में न ला सकता। अतएव इस दफा के द्वारा मालिक को आज्ञा दी गई है कि बोर्ड की इजाजत से और किसी ऐसी शर्तों के

अधीन जो बोर्ड लगाना चाहे वह उक्त मोरी को अपनी आराजी पर किसी दूसरे स्थान से निकाल सकता है या उसका रास्ता बदलवा दे सकता है।

मैला उठवाना और सफाई करवाना
(Scavenging and Cleansing)

दफा १९५ मकानसे मैला उठवानेकी व्याख्या

मकानसे मैला उठवानेका अर्थ यह है गिलाजत या कूड़ा करकट, या मैला, या और कोई हानिकारक पदार्थ, का कूडाखाने, या पाखाने, या कुडी, से, या ऐसे पदार्थोंके जमा किये जाने के किसी अन्य बर्तनसे, जो किसी मकान या इमारतमे हो, या उसके लगावमे हो, हटाया जाना।

दफा १९६ बोर्डका, मकानका मैला उठवाने इत्यादि को अपने ज़िम्मे लेना, तथा इस कामको छोड़ देना

किसी ऐसे हुक्मोंके अधीन, जो मौरूसी भंगियो और कृपकोके अधिकारोंके विषयमे, इसके आगे दिये गये हो, बोर्ड—

(ए) सार्वजनिक (आम) नोटिसके द्वारा म्यूनीसिपलटीके भीतर किसी मकानों या इमारतोका मैला उठवाने, या किसी पाखानो या पेशाबखानों की सफाईका काम, किसी ऐसी तारीख़से अपने जिम्मे ले सकता है, जो उस नोटिसके जारी होने से, कमसे कम दो मास बाद हो।

(बी) सार्वजनिक नोटिसके द्वारा, या अन्य प्रकार, उन शख्सोंको जिनसे सम्बन्ध हो, कमसे कम, दो मास पहिले से नोटिस देने के पश्चात् उस कामको जो उसने क्लॉज (ए) के अनुसार अपने जिम्मे लिया हो, छोड़ दे सकता है।

(सी) काबिज की दरख्वास्तपर, या उसकी मर्जीसे, किसी समय किसी मकान, या इमारतका, मैला उठवानेका काम या किसी पाख़ाने या कुडी (चहबच्चा) से, जो किसी इमारतमे, या किसी आराजीपर हो, मैले के हटानेका काम, या किसी इमारत या आराजीसे अन्य घृणित पदार्थों, या कुडा करकट के उठवानेका काम, उन शर्तोंपर जो किसी ऐसे बाई लॉ के द्वारा नियत की गई हों, जो कि इस विषयमें बनाया गया हो, अपने जिम्मे ले सकता है। और

(डी) क़ाबिज को, कमसे कम दो मास पहिलेसे नोटिस देने के पश्चात् उस कामको, जिसको उसने क्लॉज (सी) के अनुसार अपने जिम्मे लिया हो छोड़ दे सकता है।

राय हो कि मोरी बनाई जाय या मोरी का मेल किया जाय तो बोर्ड लिख के ऐसा हुक्म कर देगा।

४ हुक्म में नीचे लिखी बातें लिखी जायँगी—

(ए) यह अवधि जिस के भीतर मोरीबनाने या मोरी का मेल किये जाने के सम्बन्ध मे पक्षकारों को किसी प्रकार का परस्पर फ़ैसला कर लेना चाहिये।

(बी) वह अवधि जिस के भीतर मोरी बनाई जानी चाहिये या मोरी का मेल किया जाना चाहिये।

(सी) बन जाने पर, मोरी या मोरी के मेल के क़ायम रखने, मरम्मत करने और सफ़ाई करने के सम्बन्ध में पक्षकारों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां।

(डी) वह रक़म (यदि कोई हो) जो किराये की तरह या अन्य प्रकार वह शख्स जो दरख्वास्त करे आराजी, इमारत, या मोरी, अर्थात् जैसी कि दशा हो, के मालिक को दिया करेगा।

५ यदि वह रक़म जो उपदफा (४) के क्लाज़ (डी) के अनुसार दिलाई गई हो एक साथ (एकमुश्त) दी जाने को हो तो बोर्ड को अधिकार होगा कि उस को उस विधि से वसूल करे जो छठे प्रकरण मे बताई गई है और जो रक़म कि वसूल हो वह उस शख्स को अदा कर दे जिस को उसके पानेका अधिकार हो। यदि कोई किराया दिलाया गया हो तो वह शख्स जिस को ऐसा किराया दिलाया गया हो अधिकार प्राप्त अदालत दीवानी मे मुक़द्दमा दायर करके उक्त किराये को वसूल कर सकता है।

६ यदि पक्षकार उस अवधि के भीतर जो हुक्म मे अंकित हो परस्पर कोई फैसला न करलें, या यदि मोरी या मोरी का मेल उस अवधि के भीतर न बना लिया जाय जो अवधि कि उसके बनाने के लिये बताई गई हो, तो बोर्ड स्वयं उस को बनवा दे सकता है और उस के खर्चे को दरख्वास्त देने वाले से उस विधि के अनुसार वसूल कर सकता है जो छठे प्रकरण मे बताई गई है।

दफा १९४ मालिकका अधिकार उस नालीका रास्ता बदल देनेका जो उसकी आराजीमें बनाई गई हो

किसी ऐसी आराजी का मालिक जिस मे या जिस में हो के या जिस के नीचे से कोई मोरी पिछली दफा के हुक्मों के अनुसार निकाली गई हो, किसी समय पर बोर्ड की लिखित इजाजत से और ऐसी शर्तों के अधीन जो बोर्ड लगाये, उक्त मोरी का रास्ता अपने खर्चे से बदल दे सकता है।

व्याख्या—

यह अन्याय ही होता यदि किसी दूसरे की मोरी के कारण आराजीका मालिक उस पर कभी इमारत न बनवा सकता या अपनी इच्छानुसार उस को अन्य किसी काम में न ला सकता। अतएव इस दफा के द्वारा मालिक को आज्ञा दी गई है कि बोर्ड की इजाजत से और किसी ऐसी शर्तों के

अधीन जो बोर्ड लगाना चाहे वह उक्त मोरी को अपनी आराजी पर किसी दूसरे स्थान से निकाल सकता है या उसका रास्ता बदलवा दे सकता है।

मैला उठवाना और सफाई करवाना
(Scavenging and Cleansing)

दफा १९५ मकानसे मैला उठवानेकी व्याख्या

मकानसे मैला उठवानेका अर्थ यह है गिलाजत या कूडा करकट, या मैला, या और कोई हानिकारक पदार्थ, का कूड़ाखाने, या पाखाने, या कुडी, से, या ऐसे पदार्थोंके जमा किये जाने के किसी अन्य बर्तनसे, जो किसी मकान या इमारतमे हो, या उसके लगावमे हो, हटाया जाना।

दफा १९६ बोर्डका, मकानका मैला उठवाने इत्यादि को अपने ज़िम्मे लेना, तथा इस कामको छोड़ देना

किसी ऐसे हुक्मोंके अधीन, जो मौरूसी भंगियों और कृपकोंके अधिकारोंके विषयमे, इसके आगे दिये गये हों, बोर्ड—

(ए) सार्वजनिक (आम) नोटिसके द्वारा म्यूनीसिपलटीके भीतर किसी मकानों या इमारतोंका मैला उठवाने, या किसी पाखानों या पेशाबखानों की सफाईका काम, किसी ऐसी तारीखसे अपने जिम्मे ले सकता है, जो उस नोटिसके जारी होने से कमसे कम दो मास बाद हो।

(बी) सार्वजनिक नोटिसके द्वारा, या अन्य प्रकार, उन शख्सोंको जिनसे सम्बन्ध हो, कमसे कम, दो मास पहिले से नोटिस देने के पश्चात् उस कामको जो उसने क्लॉज (ए) के अनुसार अपने जिम्मे लिया हो, छोड दे सकता है।

(सी) काबिज की दरख्वास्तपर, या उसकी मर्जीसे, किसी समय किसी मकान, या इमारतका, मैला उठवानेका काम या किसी पाखाने या कुडी (बहबचा) से, जो किसी इमारतमे, या किसी आराजीपर हो, मैले के हटानेका काम, या किसी इमारत या आराजीसे अन्य घृणित पदार्थों, या कूडा करकट के उठवानेका काम, उन शर्तोंपर जो किसी ऐसे बाई लॉ के द्वारा नियत की गई हों, जो कि इस विषयमे बनाया गया हो, अपने जिम्मे ले सकता है। और

(डी) काबिज को, कमसे कम दो मास पहिलेसे नोटिस देने के पश्चात् उस कामको जिसको उसने क्लॉज (सी) के अनुसार अपने जिम्मे लिया हो छोड दे सकता है।

व्याख्या—

मैले की सफाई का टैक्स म्यूनिसिपल्टी दफा १२८ और १३० के हुक्मों के अनुसार लगा सकती है परन्तु यदि मैले की सफाई का काम पूरी म्यूनिसिपल्टी में न जारी किया जाय वरन किसी शख्स की दरख्वास्त पर या मर्जी से किसी विशेष मकान या आराजी की सफाई का काम म्यूनिसिपल्टी अपने ऊपर लेना चाहे तो मुआहिदे से जो शर्तें निश्चय की जायें उन के अनुसार म्यूनिसिपल्टी अपने जिम्मे उस काम को ले सकती है। बोर्ड को दफा २९८ की उपदफा (२) की मद (जे) के अंश (डी) के अनुसार इन विषयों में बाई लॉ बनाने का अधिकार दिया गया है कि मैला साफ करने के लिये क्या फीस ली जाय, किस समय ली जाय और कौन उस को वसूल करे।

दफा १९७ मैला साफ करानेका काम म्यूनिसिपलटीका अपने जिम्मे लेनेपर उज्र

१ किसी मकान या इमारतका काबिज, जिसपर उस नोटिसका, जो दफा १९६ के क्लाज (ए) के अनुसार जारी किया जाय; असर पड़े नोटिसके जारी होनेके पश्चात्, किसी समय, बोर्डसे दरख्वास्त कर सकता है कि वह मकान या इमारत नोटिसके असरसे बाहर निकाल दी जाय (अर्थात, यह कि नोटिस उस मकान या इमारतपर लागू न हो)।

२ बोर्ड ऐसी दरख्वास्तपर, उसके मिलने से छः सप्ताहके भीतर, विचार करके हुक्म देगा, और ऐसे हुक्मके द्वारा उक्त मकान या इमारतको उक्त नोटिसके असरसे बाहर निकाल दे सकता है।

३ यह निर्णय करने मे कि किसी मकान या इमारतको नोटिससे बाहर निकाल दिया जाय या नहीं, बोर्डको चाहिये कि अन्य बातोंके सङ्ग, मकानका मैला उठवाने के उस प्रबन्ध की कार्यक्षमतापर विचार करे जो प्रबन्ध काबिज़ ने किया हो।

दफा १९८ मकानका मैला उठवानेके कामको, जब उसको बोर्ड अपने जिम्मे लेले, जारी रखना

जब बोर्ड दफा १९६ के अनुसार किसी मकान या इमारतका मैला उठवानेका काम अपने जिम्मे ले चुका हो, तो उस कामको बोर्ड उस शख्सकी मर्जीसे, या बिना मर्जीके लगातार जारी रख सकता है, जो शख्स कि उक्त मकान या इमारतपर उस समय काबिज हो।

दफा १९९ मकानका मैला उठवानेके विषयमें म्यूनिसिपलटीके नौकरोंका अधिकार

बोर्ड के नौकर, जो मकानोंका मैला उठाने के कामपर रखे गये हो, हरएक उचित समयपर, ऐसे सब कामोको कर सकते हैं, जो मैला उठवाने के काम, जो कि बोर्डने अपने जिम्मे लिया हो, के पूरा करने के लिये आवश्यक हो।

दफा २०० मौरूसी भंगियों और कृषकोंके हककी बचतें

दफा १९६ में जो कुछ हुक्म हो, उनके होते हुये भी सिवाय उस दशाके जब कि बोर्ड दफा२०१और२०२के अनुसार नीचे लिखे काम करे, बोर्डको अधिकार न होगा कि —

(ए) बिना मर्जी उस भंगीके जिसको मौरूसी हक मकानसे मैला उठवानेका प्राप्त हो, अपने जिम्मे मकान या इमारतसे मैला उठवानेका काम ले। या

(बी) बिना मर्जी काबिजके किसी ऐसे मकान या इमारतका मैला उठवानेका काम अपने जिम्मे ले जिसपर कोई ऐसा कृषक कब्जा रखता हो जो म्यूनीसिपलटीकी हदों के भीतर स्वयं खेती करता हो या जो म्यूनीसिपलटी की हदोंसे मिले हुये किसी गांवमें स्वयं खेती करता हो।

नोट—देखिये हीरालाल बनाम सरकार बहादुर 21 A. L. J. 149, जो दफा ११६ की व्याख्यामें दिया जा चुका है।

दफा २०१ काममें उपेक्षा के लिये मौरूसी भंगियों को सज़ा

१ अगर कोई भंगी जो किसी मकान या इमारतका मैला उठानेका मौरूसी हक रखता हो, (ऐसे भङ्गियों को आगे मौरूसी भंगियो का नाम दिया जायगा) उचित ढङ्ग से, मैला उठाने के ऐसे कामको न करे तो मकान या इमारतका काबिज या बोर्ड, किसी मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत की अर्जी दे सकता है।

२ जिस मजिस्ट्रेटको ऐसी शिकायत की अर्जी दी जाय, वह तहकीकात करेगा, और यदि उसको यह विदित हो, कि मौरूसी भंगी उक्त मकान या इमारतके मैला उठानेका काम उचित ढङ्गसे नहीं करता, या उचित अंतरोंपर नहीं किया करता, तो वह ऐसे भंगीपर जुर्माना कर सकता है, जिसकी संख्या दस रुपये तक हो सकती है, और उसी मकान या इमारतके विषयमें ऐसा भंगी दूसरी बार, या उसके बाद फिर अपराधी ठहराये जाने पर उक्त मजिस्ट्रेट यह भी आज्ञा दे सकता है, कि उस मौरूसी भंगीका उक्त मकान या इमारतके मैला उठानेका हक जब्त कर लिया जाय, और ऐसी आज्ञा मिलने पर उसका हक जब्त हो जायगा।

नोट—मजिस्ट्रेट के किसी ऐसे हुक्मकी अपील, जिसके द्वारा मौरूसी भंगीका हक जब्त किया जाय दफा ३२३ के अनुसार, की जा सकती है।

दफा २०२ कृषकोंके द्वारा सफाईका ठीक प्रबन्ध न किये जाने पर कार्रवाई

१ अगर कोई कृषक जो म्यूनिसिपलटी की हदों के भीतर, या म्यूनिसिपलटी की हदोंसे मिले हुये किसी गांवमें, स्वयं खेती करता हो, किसी ऐसे मकान या इमारत के मैला उठवानेका उचित प्रबन्ध न करे, जो मकान या इमारत कि उसके कब्जेमें हो तो, बोर्ड किसी मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत की अर्जी दे सकता है।

२ जिस मजिस्ट्रेट को ऐसी शिकायत की अर्जी दी जाय वह तहकीकात करेगा, और यदि उसको यह विदित हो, कि उस कृषकने उक्त मकान या इमारत के मैला

व्याख्या—

मैले की सफाई का टैक्स म्यूनिसिपल्टी दफा १२८ और १३० के हुक्मों के अनुसार लगा सकती है परन्तु यदि मैले की सफाई का काम पूरी म्यूनिसिपल्टी में न जारी किया जाय वरन किसी शख्स की दरख्वास्त पर या मर्जी से किसी विशेष मकान या आराजी की सफाई का काम म्यूनिसिपल्टी अपने ऊपर लेना चाहे तो मुआहिदे से जो शर्तें निश्चय की जायें उन के अनुसार म्यूनिसिपल्टी अपने जिम्मे उस काम को ले सकती है। बोर्ड को दफा २९८ की उपदफा (२) की मद (जे) के अंश (डी) के अनुसार इन विषयों में बाई-लॉ बनाने का अधिकार दिया गया है कि मैला साफ करने के लिये क्या फीस ली जाय, किस समय ली जाय और कौन इस को वसूल करे।

दफा १९७ मैला साफ करानेका काम म्यूनिसिपलटीका अपने जिम्मे लेनेपर उज्र

१ किसी मकान या इमारतका काबिज़, जिसपर उस नोटिसका, जो दफा १९६ के क्लाज़ (ए) के अनुसार जारी किया जाय, असर पड़े नोटिसके जारी होनेके पश्चात्, किसी समय, बोर्डसे दरख्वास्त कर सकता है कि वह मकान या इमारत नोटिसके असरसे बाहर निकाल दी जाय (अर्थात्, यह कि नोटिस उस मकान या इमारतपर लागू न हो)।

२ बोर्ड ऐसी दरख्वास्तपर, उसके मिलने से छः सप्ताहके भीतर, विचार करके हुक्म देगा, और ऐसे हुक्मके द्वारा उक्त मकान या इमारतको उक्त नोटिसके असरसे बाहर निकाल दे सकता है।

३ यह निर्णय करने मे कि किसी मकान या इमारतको नोटिससे बाहर निकाल दिया जाय या नहीं, बोर्डको चाहिये कि अन्य बातोंके सङ्ग, मकानका मैला उठवाने के उस प्रबन्ध की कार्यक्षमतापर विचार करे जो प्रबन्ध काबिज ने किया हो।

दफा १९८ मकानका मैला उठवानेके कामको, जब उसको बोर्ड अपने जिम्मे लेले, जारी रखना

जब बोर्ड दफा १९६ के अनुसार किसी मकान या इमारतका मैला उठवानेका काम अपने जिम्मे ले चुका हो, तो उस कामको बोर्ड उस शख्सकी मर्जीसे, या बिना मर्जीके लगातार जारी रख सकता है, जो शख्स कि उक्त मकान या इमारतपर उस समय काबिज हो।

दफा १९९ मकानका मैला उठवानेके विषयमें म्यूनिसिपलटीके नौकरोंका अधिकार

बोर्ड के नौकर, जो मकानोंका मैला उठाने के कामपर रखे गये हों, हरएक उचित समयपर, ऐसे सब कामोंको कर सकते है, जो मैला उठवाने के काम, जो कि बोर्डने अपने जिम्मे लिया हो, के पूरा करने के लिये आवश्यक हो।

दफा २०० मौरूसी भंगियों और कृषकोंके हक़की बचतें

दफा १९६ में जो कुछ हुक्म हो, उनके होते हुये भी सिवाय उस दशाके जब कि बोर्ड दफा२०१और२०२के अनुसार नीचे लिखे काम करे, बोर्डको अधिकार न होगा कि —

(ए) बिना मर्जी उस भगीके जिसको मौरूसी हक़ मकानसे मैला उठवानेका प्राप्त हो, अपने जिम्मे मकान या इमारतसे मैला उठवानेका काम ले। या

(बी) बिना मर्जी काबिजके किसी ऐसे मकान या इमारतका मैला उठवानेका काम अपने जिम्मे ले जिसपर कोई ऐसा कृषक कब्जा रखता हो जो म्यूनीसिपलटीकी हदों के भीतर स्वयं खेती करता हो या जो म्यूनीसिपलटी की हदोंसे मिले हुये किसी गावमें स्वयं खेती करता हो।

नोट—देखिये हीरालाल बनाम सरकार बहादुर 21 A L J. 149, जो दफा ११६ की व्याख्यामें दिया जा चुका है।

दफा २०१ काममें उपेक्षा के लिये मौरूसी भंगियों को सज़ा

१ अगर कोई भगी जो किसी मकान या इमारतका मैला उठानेका मौरूसी हक़ रखता हो, (ऐसे भङ्गियों को आगे मौरूसी भगियों का नाम दिया जायगा) उचित ढङ्ग से, मैला उठाने के ऐसे कामको न करे तो मकान या इमारतका काबिज या बोर्ड, किसी मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत की अर्जी दे सकता है।

२ जिस मजिस्ट्रेटको ऐसी शिकायत की अर्जी दी जाय, वह तहक़ीक़ात करेगा, और यदि उसको यह विदित हो, कि मौरूसी भगी उक्त मकान या इमारतके मैला उठानेका काम उचित ढङ्गसे नही करता, या उचित अंतरोंपर नही किया करता, तो वह ऐसे भंगीपर जुर्माना कर सकता है, जिसकी संख्या दस रुपये तक हो सकती है, और उसी मकान या इमारतके विषयमे ऐसा भगी दूसरी बार, या उसके बाद फिर अपराधी ठहराये जाने पर उक्त मजिस्ट्रेट यह भी आज्ञा दे सकता है, कि उस मौरूसी भगीका उक्त मकान या इमारतके मैला उठानेका हक़ जब्त कर लिया जाय, और ऐसी आज्ञा मिलने पर उसका हक़ जब्त हो जायगा।

नोट—मजिस्ट्रेट के किसी ऐसे हुक्मकी अपील, जिसके द्वारा मौरूसी भगीका हक़ जब्त किया जाय दफा ३२३ के अनुसार, की जा सकती है।

दफा २०२ कृषकोंके द्वारा सफाईका ठीक प्रबन्ध न किये जाने पर कार्रवाई

१ अगर कोई कृषक जो म्यूनिसिपलटी की हदों के भीतर, या म्यूनिसिपलटी की हदोंसे मिले हुये किसी गावमें, स्वयं खेती करता हो, किसी ऐसे मकान या इमारत से मैला उठवानेका उचित प्रबन्ध न करे, जो मकान या इमारत कि उसके कब्जेमें हो तो, बोर्ड किसी मजिस्ट्रेट के सामने, शिकायत की अर्जी दे सकता है।

२ जिस मजिस्ट्रेट को ऐसी शिकायत की अर्जी दी जाय वह तहक़ीक़ात करेगा, और यदि उसको यह विदित हो, कि उस कृषकने उक्त मकान या इमारत के मैला

व्याख्या—

मैले की सफाई का टैक्स म्यूनिसिपल्टी दफा १२८ और १३० के हुक्मों के अनुसार लगा सकती है परन्तु यदि मैले की सफाई का काम पूरी म्यूनिसिपल्टी में न जारी किया जाय वरन किसी शख्स की दरख्वास्त पर या मर्जी से किसी विशेष मकान या आराजी की सफाई का काम म्यूनिसिपलटी अपने ऊपर लेना चाहे तो मुआहिदे से जो शर्तें निश्चय की जायँ उन के अनुसार म्यूनिसिपलटी अपने जिम्मे उस काम को ले सकती है। बोर्ड को दफा २९८ की उपदफा (२) की मद (जे) के अंश (डी) के अनुसार इन विषयों में बाई लॉ बनाने का अधिकार दिया गया है कि मैला साफ करने के लिये क्या फीस ली जाय, किस समय ली जाय और कौन उस को वसूल करे।

दफा १९७ मैला साफ करानेका काम म्यूनिसिपलटीका अपने ज़िम्मे लेनेपर उज्र

१ किसी मकान या इमारतका काबिज, जिसपर उस नोटिसका, जो दफा १९६ के क्लाज़ (ए) के अनुसार जारी किया जाय; असर पड़े नोटिसके जारी होनेके पश्चात, किसी समय, बोर्डसे दरख्वास्त कर सकता है कि वह मकान या इमारत नोटिसके असरसे बाहर निकाल दी जाय (अर्थात, यह कि नोटिस उस मकान या इमारतपर लागू न हो)।

२ बोर्ड ऐसी दरख्वास्तपर, उसके मिलने से छः सप्ताहके भीतर, विचार करके हुक्म देगा, और ऐसे हुक्मके द्वारा उक्त मकान या इमारतको उक्त नोटिसके असरसे बाहर निकाल दे सकता है।

३ यह निर्णय करने मे कि किसी मकान या इमारतको नोटिससे बाहर निकाल दिया जाय या नहीं, बोर्डको चाहिये कि अन्य बातोंके सङ्ग, मकानका मैला उठवाने के उस प्रबन्ध की कार्यक्षमतापर विचार करे जो प्रबन्ध काबिज ने किया हो।

दफा १९८ मकानका मैला उठवानेके कामको, जब उसको बोर्ड अपने जिम्मे लेले, जारी रखना

जब बोर्ड दफा १९६ के अनुसार किसी मकान या इमारतका मैला उठवानेका काम अपने जिम्मे ले चुका हो, तो उस कामको बोर्ड उस शख्सकी मर्जीसे, या बिना मर्जीके लगातार जारी रख सकता है, जो शख्स कि उक्त मकान या इमारतपर उस समय काबिज हो।

दफा १९९ मकानका मैला उठवानेके विषयमें म्यूनिसिपलटीके नौकरोंका अधिकार

— बोर्ड के नौकर, जो मकानोंका मैला उठाने के कामपर रखे गये हो, हरएक उचित समयपर, ऐसे सब कामोंको कर सकते है, जो मैला उठवाने के काम, जो कि बोर्डने अपने जिम्मे लिया हो, के पूरा करने के लिये आवश्यक हो।

दफा २०० मौरूसी भंगियों और कृषकोंके हककी बचतें

दफा १९६ मे जो कुछ हुक्म हो, उनके होते हुये भी, सिवाय उस दशाके जब कि बोर्ड दफा२०१और२०२के अनुसार नीचे लिखे काम करे, बोर्डको अधिकार न होगा कि —

(ए) विना मर्जी उस भगीके जिसको मौरूसी हक मकानसे मैला उठवानेका प्राप्त हो, अपने जिम्मे मकान या इमारतसे मैला उठवानेका काम ले। या

(बी) बिना मर्जी काबिजके किसी ऐसे मकान या इमारतका मैला उठवानेका काम अपने जिम्मे लें जिसपर कोई ऐसा कृषक कब्जा रखता हो जो म्यूनीसिपलटीकी हदों के भीतर स्वयं खेती करता हो या जो म्यूनीसिपलटी की हदोंसे मिले हुये किसी गावमें स्वयं खेती करता हो।

नोट—देखिये हीरीलाल बनाम सरकार बहादुर 21 A. L. J. 149, जो दफा १९६ की व्याख्यामें दिया जा चुका है।

दफा २०१ काममें उपेक्षा के लिये मौरूसी भंगियों को सज़ा

१ अगर कोई भंगी जो किसी मकान या इमारतका मैला उठानेका मौरूसी हक रखता हो, (ऐसे भङ्गियों को आगे मौरूसी भगियों का नाम दिया जायगा) उचित ढङ्ग से, मैला उठाने के ऐसे कामको न करे तो मकान या इमारतका काबिज या बोर्ड, किसी मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत की अर्जी दे सकता है।

२ जिस मजिस्ट्रेटको ऐसी शिकायत की अर्जी दी जाय, वह तहक़ीक़ात करेगा, और यदि उसको यह विदित हो, कि मौरूसी भगी उक्त मकान या इमारतके मैला उठानेका काम उचित ढङ्गसे नहीं करता, या उचित अंतरोंपर नहीं किया करता, तो वह ऐसे भंगीपर जुर्माना कर सकता है, जिसकी संख्या दस रुपये तक हो सकती है, और उसी मकान या इमारतके विषयमें ऐसा भगी दूसरी बार, या उसके बाद फिर अपराधी ठहराये जाने पर उक्त मजिस्ट्रेट यह भी आज्ञा दे सकता है, कि उस मौरूसी भंगीका उक्त मकान या इमारतके मैला उठानेका हक ज़ब्त कर लिया जाय, और ऐसी आज्ञा मिलने पर उसका हक ज़ब्त हो जायगा।

नोट—मजिस्ट्रेट के किसी ऐसे हुक्मकी अपील, जिसके द्वारा मौरूसी भगीका हक ज़ब्त किया जाय दफा ३२३ के अनुसार, की जा सकती है।

दफा २०२ कृषकोंके द्वारा सफाईका ठीक प्रबन्ध न किये जाने पर कार्रवाई

१ अगर कोई कृषक जो म्यूनिसिपलटी की हदों के भीतर, या म्यूनिसिपलटी की हदोंसे मिले हुये किसी गावमें, स्वय खेती करता हो, किसी ऐसे मकान या इमारत के मैला उठवानेका उचित प्रबन्ध न करे, जो मकान या इमारत कि उसके कब्जेमें हो तो, बोर्ड किसी मजिस्ट्रेट के सामने, शिकायत की अर्जी दे सकता है।

२ जिस मजिस्ट्रेट को ऐसी शिकायत की अर्जी दी जाय वह तहक़ीक़ात करेगा, और यदि उसको यह विदित हो, कि उस कृषकने उक्त मकान या इमारत के मैला

उठवानेका प्रबन्ध ठीक नहीं किया है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसा हुक्म दे सकता है, जिसके द्वारा बोर्डको अधिकार दिया जाय कि वह उस मकान या इमारतके मैला साफ कराने का काम अपने जिम्मे ले ले और ऐसा हुक्म हो जाने पर बोर्डको अधिकार हो जायगा कि वह ऐसे मकान का मैला उठवाने के काम को अपने जिम्मे ले ले।

नोट—जो हुक्म इस दफाके अनुसार दिया जाय उसकी अपील दफा ३२१ के हुक्म के अनुसार की जा सकती है।

सड़कों के विषयमें क़ायदे

(Street Regulations)

दफ़ा २०२ सड़कों या गलियोंके निकालने या बनानेके इरादेका नोटिस

१ इससे पूर्व कि कोई शख्स कोई गली या सडक निकालने या बनानेका काम आरम्भ करे, उसको चाहिये कि बोर्डको अपने इरादेका लिखित नोटिस दे।

२ उस दशामें जबकि कोई ऐसा बाईलॉ बनाया गया हो, जिसमें नोटिस के अतिरिक्त कोई हाल या नक्शे नियमित हों, और ऐसा हाल और नक्शोंके भेजे जानेकी आज्ञा दी गई हो, कोई नोटिस जो उपदफा (१) के अनुसार दिया गया हो, उस समय तक जायज न समझा जायगा, जबतक कि वह हाल (अगर कोई हो) जिनके दिये जानेका हुक्म बाईलॉ में हो, इस प्रकार न दे दिये जाय कि जो बोर्डकी रायमें संतोषप्रद हो।

व्याख्या—

दफा २०३ से दफा २०८ तक में जो हुक्म हैं वह केवल ऐसी निजी सडकों के लिये हैं जो नई बनवाई जाय। जो निजी सडकें या गलियां पहले से बनी हुई हो उन के सम्बन्ध में बोर्ड को जो अधिकार दिये गये हैं उन के लिये देखिये दफा २१२। दफा २०३ के मतलबों के लिये बाई लॉ बनानेका अधिकार बोर्ड को दफा २९८ की उपदफा (२) की मद (ई) के अंश (ए) के अनुसार दिया गया है।

—निजी सडकों या गलियों पर से अन्य लोग भी रास्ता अवश्य चलने लगते हैं अतएव प्रायः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या दूसरे लोगोंके रास्ता निकलने या चलने के कारण कोई निजी सडक या गली सार्वजनिक मानी जा सकती है, और बोर्ड उसपर कब्जा कर सकता है या नहीं?

पञ्जाब म्यूनिसिपल ऐक्ट नं० ३ सन १९११ के अनुसार इस प्रश्न पर एक मुकद्दमा दायर हुआ और उसका फैसला प्रिवीकाउन्सिल के द्वारा हुआ है। मामला यह था कि अपीलाण्ट का एक घेरा था जिस के चारों ओर की दूकानें व्यापारियों को उठाई गई थी। म्यूनिसिपलटी ने इस घेरा के भीतर पक्की सडक बनवा कर उक्त रास्ते पर कब्जा करना चाहा। म्यूनिसिपलटी का यह कहना था कि उक्त बाजार में हो के सर्व साधारण को रास्ता चलने का अधिकार था और यह अधिकार इस प्रकार प्राप्त हुआ था कि रास्ते के मालिकने उसको जनताके हितके लिये समर्पण कर दिया था। प्रिवीकाउन्सिल ने तजवीज किया कि किसी ऐसी दशामें जब कि यह प्रश्न हो कि कोई सडक सार्वज-

निक है या नहीं, मुख्य बात देखने की यह है कि क्या सड़क सर्व साधारणके हितके लिये समर्पण कर दी गई है? परन्तु उन व्यापारियों के पास जिन की घेरा में दुकानें हों आने जाने वालोंका रास्ता निकलना एक बिल्कुल भिन्न बात है और ऐसी इजाजतके होनेसे यह नहीं माना जा सकता कि रास्ते के मालिक ने उस को सर्व साधारण को समर्पण कर दिया है। और यदि कोई रास्ता जनता के हितार्थ समर्पण किया जाय तो ऐसा समर्पण सम्पूर्ण जनता के प्रति होना चाहिये। कानून किसी ऐसे समर्पण को नहीं मान सकता जो जनता के केवल किसी भाग को किया गया हो। अतएव व्यापारियों के पास आने जाने वाले लोगों को रास्ता निकलने की आज्ञा दे देने से यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त रास्ता जनता को समर्पण कर दिया गया था। प्रिवीकाउन्सिल ने यह भी तजवीज किया कि किसी सड़क का जनता के हितार्थ समर्पण किये जाने के लिये यह बात आवश्यक है कि उक्त सड़क के मालिक की इस बात की इच्छा हो। जनता के द्वारा सड़क का काम में लाया जाना समर्पण की केवल एक शहादत हो सकती है और कुछ नहीं। इन सब कारणों के आधार पर प्रिवी काउन्सिल ने यह निश्चय किया कि रास्ता निजी है न कि सार्वजनिक। देखिये मुहम्मद रुस्तम अलीखां बनाम म्युनिसिपल कमेटी करनाल 47 I A 25=56 I C 1=32 C L J 471=18 A L J 466 (P C)

दफ़ा २०४ कामका मुल्तवी कर देना और उसका विवरण मांगना

१ किसी ऐसे नोटिस पर, जो दफा २०३ के अनुसार दिया गया हो, हुक्म देने से पूर्व बोर्ड—

(ए) एक ऐसा हुक्म जारी कर सकता है, जिसके द्वारा आज्ञा दी जाय, कि उस अवधि तक जो उक्त हुक्ममें लिखी हो, और जो अवधि उक्त हुक्मकी तारीखसे एक माससे अधिक न होगी, वह काम आरम्भ न किया जाय जिसके बनाये जानेका इरादा किया जा रहा है। या

(बी) ऐसा हुक्म जारी कर सकता है, जिसके द्वारा कोई आगे विवरण देनेकी आज्ञा दी जाय।

२ कोई नोटिस जो दफा २०३ के अनुसार दिया जाय उस समय तक जायज न समझा जायगा जबतक कि वह विवरण (अगर कोई हो) जो उपदफा (१) के क्लॉज (बी) के किसी हुक्मके अनुसार मांगा गया हो, इस प्रकार न दे दिया गया हो, कि वह बोर्डकी रायमें संतोषप्रद हो।

दफा २०५ गली या सड़ककी मंजूरी बोर्ड द्वारा दी जाना

१ बोर्ड, प्रस्तावित गली या सड़कको, यातो बिना किसी शर्तके मंजूर कर सकता है, या किसी ऐसी लिखित शर्तोंके अधीन मंजूर कर सकता है, जो बोर्ड उसके लेविल (समतल) करने, और पानीके निकासके उपाय, और उसकी दिशा, और चौड़ाई, के सम्बन्धमें जारी करना उचित समझे।

२ यदि बोर्ड किसी जायज नोटिस, जो दफा २०३ के अनुसार दिया गया हो, के मिलने के पश्चात् दो मास तक उस शख्सको जिसने नोटिस दिया हो, नोटिस के सम्बन्धमें उस प्रकार का कोई हुक्म जिनका वर्णन उपदफा (१) में है देने और इत्तला

के ऊपर बाहर को निकली हुई हो। उस सीमा तक और उन शर्तों के अनुसार जो उपरोक्त विधि से नियमित की गई हों, बनाने, या फिर से बनाने की इजाजत।

२ उपदफा (१) क्लाज (ए) के अनुसार इजाज़त देते समय, बोर्ड इन बातों को नियमित कर सकता है कि किस सीमा तक, और किन शर्तों पर, कोई छत, औलितयां तथा (Eaves), पानी से बचाव के लिये तख्ते (Weatherboads) और दूकान के तख्ते, और इसी प्रकार की अन्य चीजें, ऐसी गलियों या सड़कों के ऊपर निकली हुई रहने दी जा सकती है।

व्याख्या—

सार्वजनिक गलियों या सडकों पर निकली हुई इमारतों या इमारतों के भाग आदि की इजाजत वही बोर्ड दे सकता है जिस ने इन विषयों के लिये बाई लॉ बना लिये हों। बाई-लॉ बनाने का अधिकार बोर्ड को दफा २९८ की उपदफा (२) की मद (ई) के अश (सी) के द्वारा दिया गया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि बाहर निकली हुई इमारतों आदि के केवल बनाने ही के लिये नहीं वरन फिर से बनाने के लिये भी बोर्ड की आज्ञा की आवश्यकता होती है। अतएव यदि कोई बाहर निकली हुई इमारत या इमारत का भाग जो बोर्ड की आज्ञा लेकर बनाया गया हो गिर पड़े तो उसके मालिकको उसको फिरसे बना लेनेका अधिकार बिना बोर्ड की इजाजत के नहीं होगा। 'औलितया' उसे कहते हैं जिस जगह छप्पर या सायबानका पानी नीचे गिरता है। ओरौती भी कहते हैं।

—दफा २९२ की उपदफा (१) के द्वारा बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि सार्वजनिक सडकों पर निकली हुई जिन इमारतों आदि के बनाने की आज्ञा दे उन के लिये एक नियत की हुई फीस ले सकता है।

—सार्वजनिक सडकों के किनारों पर के अधिकांश मकानों का कोई न कोई भाग सडक पर बाहर की ओर निकला हुआ अवश्य बनाना पडता है, जैसे छज्जे,- वाला खाने, मकान पर चढने के लिये पुलिया, सीढियां इत्यादि। अतएव नमूने के जो बाई लॉ बना दिये गये हैं वह सर्व साधारण के लिये महत्वपूर्ण हैं और उन पर एक दृष्टि डालना उचित होगा। बाई लॉ न० १ की आज्ञा है कि जब दरख्वास्त इमारत के किसी निकले हुये भाग की इजाजत के लिये दी जाय तो इमारत के तथा गली या सडक की चौडाई दिखाने के लिये नक्शे भी उसके सग पेश किये जाय। और यदि कोई सार्वजनिक मोरी बन्द की जाने को हो, तो नकशे में स्पष्ट रूप से दिखाया जाय कि मोरी किस प्रकार ढकी जायगी। यदि पुलिया बनाई जाने को हों, तो उसका भीतरी नाप दिखाया जाय।

बाई-लॉ न० २ की आज्ञा है कि नकशा स्केल पर खींचा जाना चाहिये और उस पर दरख्वा देने वाले के हस्ताक्षर होना चाहिये और पूरा विवरण दिया जाना चाहिये जिससे इस बात का पता लग सके कि इमारत के निकले हुये भाग की इजाजत देना उचित होगा या नहीं। जो इमारतें उससे मिली हुई हों उनके मालिकों के नाम देना चाहिये, इत्यादि। बाई-लॉ न० ३ की आज्ञा है कि प्रस्तावित निकले हुये भागों की लम्बाई चौडाई और जगह, उन शर्तों के अनुसार होना चाहिये, जो आगे नियमित है। बाई लॉ न० ४ की आज्ञा है कि नीचे वाले खण्ड से निकला हुआ कोई भाग बनाने की आज्ञा न दी जायगी, सिवाय किसी ऐसे भाग के जो मोरी को पार करके किसी इमारत में प्रवेश करने के अभिप्राय से बनाया जाय। बाई लॉ न० ५ में बताया गया है कि, पुलिया को

छोड कर, मोरी के ऊपर अन्य निकले हुये भाग के नीचे, सड़क या गली की दिशा में, कम से कम एक फुट जगह खुली छोड दी जाना चाहिये। बाई-लॉ न० ६ की आज्ञा है कि जिस इमारत के सामने किसी गली या सड़क की चौड़ाई बीस फुट से कम हो उस इमारत के ऊपरी खण्ड से किसी निकले हुये वाला खाना, बरामदा, छज्जा, या अन्य भाग, की इजाजत न दी जायगी। सड़क या गली की चौडाई दोनों ओर की मोरियों से नापी जायगी। बाइ-लॉ न० ७ इस प्रकार है कि इमारत का कोई निकला हुआ भाग तीन फुट से अधिक चौडा न होगा, सिवाय नीचे लिखी सड़कों या गलियों में (सिवाय किसी सड़क या गली के ऊपर जो फुट चौडाई म हो।)

नोट—यह नमूने के बाई-लॉ हैं। अतएव बाई लॉ न० ७ के अनुसार, बोर्ड, या तो सड़कों और गलियों के नाम बता दे सकता है कि अमुक में निकले हुये भाग तीन फुट से चौड़े न हों, और अमुक में तीन फुट से चौड़े हो सकते हैं या बोर्ड गलियों और सड़कों की चौडाई के हिसाब से यह निश्चय कर सकता है कि अमुक चौड़ाई की गली में तीन फुट की, और अमुक चौड़ाई की गली में तीन फुट से अधिक की, आज्ञा दी जायगी।

बाई लॉ नं० ८ की आज्ञा है कि निकले हुये भागों की इजाजत केवल नीचे लिखी शर्तों पर दी जाय—

(१) कि मकान का मालिक या क़ाबिज प्रतिदिन निकले हुये भाग के नीचे से कूड़ा उठवायेगा।

(२) किसी खुली हुई नाली को, जिसके ऊपर कि निकला हुआ भाग हो, ऐसी दशा में रखेगा, कि उससे काम ठीक ठीक चल सके, और उसमें कोई गड्ढे न होने देगा।

(३) कि मालिक या क़ाबिज निकले हुये भाग को, जब उससे कहा जाय, ६ घण्टे के लिये खाली कर देगा, जिससे कि मोरी की देख भाल, मरम्मत, और सफ़ाई, की जा सके।

(४) कि मालिक जो फ़ीस कि आगे नियमित है पेशगी दे दिया करेगा।

बाई लॉ न० ९ में बताया गया है कि निकले हुये भागों की फीस एक शिड्यूल के अनुसार होगी। बाई लॉ न० १० की आज्ञा है कि जब एक ही खण्ड से निकले हुये दो, या अधिक, भाग एक के ऊपर एक हों, तो केवल उसी भाग की फीस ली जायगी जिसकी फीस कि सब भागों की फीस से ऊंची हो।

नोट —नमूने के बाई-लॉ न० ९ और १० उन अधिकारों के आधार पर बनाये गये हैं, जो बोर्ड को दफ़ा २९३ और दफ़ा २९८की मद (जे) के अंश (डी) के अनुसार फीस लेने के विषय में दिये गये हैं। फीस नियत करने के लिये, बोर्ड भिन्न भिन्न सड़कों और गलियों की हैसियत के अनुसार, सड़कों और गलियों को जितने दर्जों में आवश्यक हो, बांट सकता है। बोर्ड को अधिकार है कि तंग गलियों या सड़कों में निकले हुये भागों के लिये अधिक फीस ले, जिससे कि ऐसी सड़कों और गलियों में निकले हुये भाग कम बनाये जाय। बाई लॉ न० १० की आवश्यकता किसी ऐसी दशा में हो सकती है कि जैसे यदि किसी दूकान में, दूकान के तख्ते भी निकले हों, और उनके ऊपर धूप बचाने के लिये भी तख्ते लगे हों, तो दोनों की फीस न ली जाय।

बाई लॉ न० ११ में यह आज्ञा रखी गई है कि चाहे बोर्ड ने किसी निकले हुये भाग की इजाजत देदी हो, तो भी वह उसको दफ़ा २११ के अनुसार यदि आवश्यक समझे हटवा सकेगा।

के ऊपर बाहर को निकली हुई हो। उस सीमा तक और उन शर्तों के अनुसार जो उपरोक्त विधि से नियमित की गई हो। बनाने, या फिर से बनाने की इजाजत।

२ उपदफा (१) क्लाज़ (ए) के अनुसार इजाज़त देते समय, बोर्ड इन बातों को नियमित कर सकता है कि किस सीमा तक, और किन शर्तों पर, कोई छत, औलितयां तया (Eaves), पानी से बचाव के लिये तखते (Weatherboads) और दूकान के तखते, और इसी प्रकार की अन्य चीजें, ऐसी गलियों या सड़कों के ऊपर निकली हुई रहने दी जा सकती है।

व्याख्या—

सार्वजनिक गलियों या सड़कों पर निकली हुई इमारतों या इमारतों के भाग आदि की इजाजत वही बोर्ड दे सकता है जिस ने इन विषयों के लिये बाई लॉ बना लिये हों। बाई-लॉ बनाने का अधिकार बोर्ड को दफा २९८ की उपदफा (२) की मद (ई) के अंश (सी) के द्वारा दिया गया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि बाहर निकली हुई इमारतों आदि के केवल बनाने ही के लिये नहीं वरन फिर से बनाने के लिये भी बोर्ड की आज्ञा की आवश्यकता होती है। अतएव यदि कोई बाहर निकली हुई इमारत या इमारत का भाग जो बोर्ड की आज्ञा लेकर बनाया गया हो गिर पड़े तो उसके मालिकको उसको फिरसे बना लेनेका अधिकार बिना बोर्ड की इजाजत के नहीं होगा। 'औलितया' उसे कहते हैं जिस जगह छप्पर या सायबानका पानी नीचे गिरता है। ओरौती भी कहते हैं।

—दफा २९३ की उपदफा (१) के द्वारा बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि सार्वजनिक सड़कों पर निकली हुई जिन इमारतों आदि के बनाने की आज्ञा दे उन के लिये एक नियत की हुई फीस ले सकता है।

—सार्वजनिक सड़कों के किनारों पर के अधिकांश मकानों का कोई न कोई भाग सड़क पर बाहर की ओर निकला हुआ अवश्य बनाना पड़ता है, जैसे छज्जे, बाला खाने, मकान पर चढ़ने के लिये पुलिया, सीढ़ियां इत्यादि। अतएव नमूने के जो बाई लॉ बना दिये गये हैं वह सर्व साधारण के लिये महत्वपूर्ण हैं और उन पर एक दृष्टि डालना उचित होगा। बाई-लॉ नं० १ की आज्ञा है कि जब दरख्वास्त इमारत के किसी निकले हुये भाग की इजाजत के लिये दी जाय तो इमारत के तथा गली या सड़क की चौड़ाई दिखाने के लिये नकशे भी उसके संग पेश किये जाय। और यदि कोई सार्वजनिक मोरी बन्द की जाने को हो, तो नकशे में स्पष्ट रूप से दिखाया जाय कि मोरी किस प्रकार ढकी जायगी। यदि पुलिया बनाई जाने को हों, तो उसका भीतरी नाप दिखाया जाय।

बाई-लॉ नं० २ की आज्ञा है कि नकशा स्केल पर खींचा जाना चाहिये और उस पर दरख्वा देने वाले के हस्ताक्षर होना चाहिये और पूरा विवरण दिया जाना चाहिये जिससे इस बात का पता लग सके कि इमारत के निकले हुये भाग की इजाजत देना उचित होगा या नहीं। जो इमारतें उससे मिली हुई हों उनके मालिकों के नाम देना चाहिये, इत्यादि। बाई-लॉ नं० ३ की आज्ञा है कि प्रस्तावित निकले हुये भागों की लम्बाई चौड़ाई और जगह, उन शर्तों के अनुसार होना चाहिये, जो आगे नियमित है। बाई लॉ नं० ४ की आज्ञा है कि नीचे वाले खण्ड से निकला हुआ कोई भाग बनाने की आज्ञा न दी जायगी, सिवाय किसी ऐसे भाग के जो मोरी को पार करके किसी इमारत में प्रवेश करने के अभिप्राय से बनाया जाय। बाई लॉ नं० ५ में बताया गया है कि, पुलिया को

उसको हटा देने से, या उसमें परिवर्तन करने से, जो हानि हो, उसका बदलाव (मुआ-विजा) अदा करेगा, जिसकी संख्या उसके बनाये जाने और गिराये जाने के खर्च के दसगुने से अधिक न होगी।

व्याख्या—

इस दफा के शब्दों के द्वारा यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि बोर्ड को अधिकार है कि किसी निकले हुये भाग के विषय में चाहे हटा देने का हुक्म दे, या उसमें परिवर्तन करने का हुक्म दे।

—किसी नोटिस की अपील जो कि इस दफा के अनुसार जारी किया जाय दफा ३१८ के अनुसार की जा सकती है।

—दसवीं मार्च सन् १९००ई०की तारीख जो इस दफामें अङ्कितकी गई है, वह म्यूनिसिपलटियों का पुराना ऐक्ट, न० १ सन् १९००ई० के प्रचलित किये जाने की तारीख है।

—इस दफा के अनुसार जो अधिकार कि बोर्ड को किसी निकले हुए भाग या इमारत को हटवा देने का दिया गया है उस के विषय में यह आवश्यक नहीं है कि बोर्ड उसी दशा में नोटिस जारी करे, जब कि ऐसा भाग या इमारत जनता के लिये खतरनाक हो या जब आरोग्यताके विचार से उस को हटाया जाना आवश्यक हो। बरन बोर्ड को पूरा अधिकार है कि हर दशा में ऐसा नोटिस जारी कर सके। नन्हामल बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड हाथरस, 11 A. L. J. 486=35 All I L R 375 वाले मामले में नन्हामल के मकान में एक बालाखाना था, जो सार्वजनिक सड़क पर निकला हुआ था। नन्हामल ने उस की मरम्मत, बिना बोर्ड की इजाजत के करा ली। बोर्ड ने उस को दफा ८८ ऐक्ट न०१ सन १९००ई०के अनुसार नोटिस दिया (उक्त दफा ८८ हालके ऐक्ट की दफा २११ के समान थी) हाईकोर्ट ने तजवीज मे लिखा कि इस दफा ८८ में कोई ऐसी बात नहीं है, कि जिस से यह माना जाय, कि बोर्ड केवल उसी दशा में नोटिस जारी कर सकता है जब कि इमारत से जनता के लिये भय हो, या जब वह जनता के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो, या किसी ऐसी ही अन्य दशा में। बरन्‌ बोर्ड को पूरा अधिकार है, कि बिना किसी कारण के बताये हुए ऐसा नोटिस जारी करे। वह शर्त जो दफा के साथ लगा दी गई है, उस का केवल इतना ही मतलब है कि बोर्ड किसी किसी दशा में मकान के मालिक को मुआविजा देगा। नन्हामल की ओर से यह भी बहस की गई कि नोटिस के साथ बोर्डको चाहिये कि या तो मुआविजा पेश करे, या मुआविजा देने की इच्छा प्रगट करे। हाईकोर्ट ने इस बहस को भी अस्वीकार किया और तजवीज किया कि नन्हामल का कर्तव्य था कि बोर्ड की आज्ञा पालन करता और साथ ही साथ बोर्ड से अपना मुआविजा मांगता।

—यदि किसी आराजी के दबा लिये जाने के विषय में कोई म्यूनिसिपल बोर्ड दफा २११ के अनुसार नोटिस दे और आराजी पर से इमारत आदि के हटा लेने की आज्ञा दे और इमारत बनवाने वाला उस आराजी के मालिक होने का दावा करे, तो ऐसी दशा में ऐसे शख्स को पूरा अधिकार इस बात का होगा कि दफा ३१८ के अनुसार ऐसे नोटिस का अपील करने की जगह वह दीवानी अदालत में दावा दायर कर दे। इसलिये जब कि एक शख्स ने एक आराजी पर एक फाटक बन-वाया और म्यूनिसिपल बोर्ड ने दफा ८८ ऐक्ट न०१ सन १९००ई० (हालके ऐक्टकी दफा २११) के अनुसार नोटिस के द्वारा उस शख्स को आज्ञा दी कि फाटक को हटा दे। फाटक के बनवाने वाले ने दीवानी की अदालत मे इस्तिकरार हक का दावा इस बयान से किया कि उस आराजी जिस पर कि फाटक बनवाया गया था, का मालिक मैं हूं न कि म्यूनिसिपल बोर्ड। म्यूनिसिपल बोर्ड की ओर

दफा २१० बिना इजाजत लिये सड़कों गलियों या मोरियों के ऊपर निकले हुये भागों के बनाने के लिये दण्ड

जो शख्स बिना ऐसी इजाजत के, जिसका उल्लेख दफा २०९ मे किया गया है, या किसी ऐसी इजाजत के विरुद्ध जो उक्त दफा के अनुसार दी गई हो, किसी ऐसे निकले हुये भाग या इमारत के जिसका उल्लेख उक्त दफा में है बनायेगा, या फिर से बनाएगा, उसको अपराध के साबित हो जाने पर, जुमाने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या दो सो पचास २५०) रुपये तक हो सकती है।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार, जुर्माना केवल किसी ऐसी इमारत के बनाने के लिये हो सकता है जो कि स्थायी ढग की हो। सरकार बहादुर बनाम मुहम्मद यूसुफ, 15 A L J 290=39 All I L R 386, वाले मामले मे मुहम्मद यूसुफ पर, इस दफा के अनुसार, यह अपराध लगाया गया था कि उसने अपनी दूकान के सामने लकड़ी के तख्ते रख लिये थे, जिनको एक ओर तो पुलियों पर साध दिया था, और दूसरी ओर टीन के कनस्टरों पर। हाईकोर्ट ने तजवीज में लिखा कि "इमारत शब्द के पहिले शब्द बनाना, या फिर से बनाना' (Erect or recrect) जो लाये गये हैं उनसे प्रगट होता है कि अभिप्राय केवल ऐसी इमारत से है जो स्थायी ढग की हो। शब्द "इमारत (Structure) की व्याख्या ऐक्ट में नहीं की गई है परन्तु शब्द 'बनाना' जो लाया गया है उससे अभिप्राय किसी ऐसी चीज से है जो स्थायी ढग की हो, जैसा कि कामता नाथ बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड, इलाहाबाद, 28 All I L R 196 वाले मामले की तजवीज में बताया गया था। इस अर्थ के अनुसार ऐसे तख्तों का लगा लेना जो कि हटाये जा सकें, ऐक्ट की दफा २०९ के अर्थ के अनुसार इमारत का बनाया जाना नहीं कहा जा सकता।"

दफा २११ सड़कों और गलियों और मोरियोंके ऊपरसे किसी ऐसी इमारतको जिसने कि उनका कोई भाग दबा लियाहो और इमारतोंके निकले हुये भागों को, हटा देनेका अधिकार

बोर्ड नोटिस के द्वारा, किसी इमारत के मालिक या काबिज को, किसी ऐसे निकले हुये भाग, या इमारत (Structure) को हटा देने, या उसमें परिवर्तन करने, की आज्ञा दे सकता है, जो किसी सड़क या गली के ऊपर हो, या उसमे बाहर को निकली हुई हो, या जिससे उक्त सड़क या गली का कोई भाग दबा लिया गया हो (Encroach on), या जो ऐसी सड़क गली की किसी मोरी, या बन्द मोरी, या पानी के रास्ता के ऊपर हो, या उसमे, या उसके ऊपर, बाहर को निकली हुई हो, या जिससे किसी मोरी, बन्द मोरी, या पानी के रास्ते का, कोई भाग दबा लिया गया हो।
परन्तु शर्त यह है कि अगर कोई हुआ भाग या इमारत, सन् १९०० ई० के मार्च मास की दसवीं ऊपसे उपस्थित हो, तो बोर्ड

जो सार्वजनिक सडक या गली न हो, या उक्त सड़क या गलीके किसी भागमे, जनता के स्वास्थ्य या आराम या सुरक्षिताके अभिप्रायसे, उसको चौरस करने, या उस पर खरंजा बनाने, या पक्का करने, या पत्थर लगाने, या नालिया बनाने, या उसमे पानीके निकालका, या रोशनीका, या सफाईका, प्रवन्ध करनेके लिये कोई काम किया जाना चाहिये तो बोर्ड, लिखित नोटिसके द्वारा, उन आराजियों और इमारतोंके मालिकोंको, जो उक्त सडक या गली, या उस सडक या गलीके भागके सामने हो, या उससे मिली हुई हो, या उसके किनारे पर हों, यह आज्ञा दे सकता है कि उक्त कामको ऐसी विधिके अनुसार, और उतनी अवधिके भीतर, कराटे, जो उक्त नोटिसमे नियत करदी गई हो।

२ अगर उक्त नोटिसमे दी हुई आज्ञाका पालन, नियत की हुई अवधिमे न किया जाय, तो बोर्ड, यदि वह उचित समझे उस कामको स्वय करा सकता है, और जो व्यय उसके करानेमे पडे, वह छठे प्रकारणमें दी हुई विधिके अनुसार, उन मालिकोंसे जिन्होने नोटिसकी आज्ञाका पालन न किया हो, उनकी आराजियों और इमारतोंके अग्र भागके विस्तारके हिसाबसे, और उस समानुपातसे जो बोर्ड निश्चय करे, वसूल कर सकता है।

३ किसी ऐसी सडक, या गली या उसके भाग, का कोई एक या एक से अधिक मालिक, जिस सडक या गलीमे कोई ऐसा काम किया गया हो, जिसका वर्णन उप दफा (१) मे है, बोर्डसे यह दरख्वास्त (प्रार्थना) कर सकते है, कि उस विधिके अनुसार जो दफा २२१ मे नियमित है, उक्त सडक या गलीको सार्वजनिक सडक या गली ठहरा दे।

भावार्थ—जो दरख्वास्त (प्रार्थना) कि सडक या गली, या उसके भागके अधिकाश मालिकोंकी ओरसे कीजाय, उसके विषयमे इस उप दफाके अभिप्रायोंके लिये, यह माना जायगा, कि वह उस सडक या गली या भागके कुल मालिकोंकी प्रार्थना है।

व्याख्या—

इस दफाके द्वारा म्यूनिसिपल्टीको उन निजी सडको और गलियों पर अधिकार दिये गये है जो कि बनी हुई मौजूद हों। इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि चाहे ऐसी कोई सडक या गली किसी एकही शख्सकी निजी जायदाद हो तो भी बोर्डको अधिकार दिया गया है कि जितने मकान उस सडक या गलीमें हों, उन सबके मालिकोंको आज्ञादे, कि उप दफा (१) में बताये हुये कामों मेंसे, जिस कामको म्यूनिसिपल्टी आवश्यक समझे, वह सब मिलके बनवायें।

दफ़ा २१३ इमारतोंके बनायेजाने इत्यादिके समयमें, सडकों या गलियोंकी रक्षा करनेके विषयमें आज्ञा देनेका अधिकार

१ बोर्डकी लिखित इजाजतके बिना किसी शख्सको अधिकार न होगा कि कोई पेड़ की कोई शाखा काटे, या किसी इमारतके भागको बनाये, या फिरसे बनाये, या गिराये, या किसी इमारतके बाहरी भागमे कोई परिवर्तन करे, या उसकी मरम्मत करे, यदि ऐसी कार्रवाई उस प्रकारकी हो जिससे किसी ऐसे शख्सको, जो सड़क या गलीको काम मे लाता हो, रुकावट, या जोखों, या कष्टके पहुँचनेकी सम्भावना हो।

२ बोर्ड किसी समय पर, नोटिसके द्वारा किसी ऐसे शख्सको, जो उन कामोंमे से

से यह उज्र किया गया कि झगड़े वाली आराजी एक सार्वजनिक सड़क है, इसलिये जिस शख्स को कि नोटिस दिया गया है उसको केवल इतना ही अधिकार है कि उक्त नोटिस की अपील दफा १५२ ऐक्ट न० १, सन १९०० के अनुसार करे। अदालत दीवानी में उस को दावा दायर करने का अधिकार नहीं है। (ऐक्ट न० १, सन १९०० की दफा १५२ हाल के ऐक्ट की दफा ३१८ के समान थी) हाईकोर्टने तजवीज किया कि जायदादकी मिल्कियत के विषय में कोई झगड़ा हो तो सरकार की प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि सरकारी अदालत में दावा दायर करे कोई प्रान्तीय कानून जैसे कि म्यूनिसिपलटी का ऐक्ट, प्रजा के इस अधिकार को किसी प्रकार कम नहीं कर सकता। जायदाद की मिल्कियत के प्रश्नों पर विचार करने और फैसला देने के लिये दीवानी की अदालतें ही उचित अदालतें हैं। और दीवानी की अदालतों में मुकद्दमा लड़ने के अधिकार को, उक्त दफा का कोई हुक्म या म्यूनिसिपलटी के किसी बाई लॉ का कोई हुक्म न तो किसी प्रकार कम कर सकता है न नष्ट कर सकता है। देखिये महिमारंजन राय बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड बनारस 1 A. L. J. 377.

—इसी प्रकार जब कि वह इमारत या इमारत का भाग जिस के गिरवा देने के लिये बोर्ड ने दफा २११ के अनुसार नोटिस दिया हो वास्तव में किसी सार्वजनिक सड़क में या उस के ऊपर निकले हुए न हों या जब ऐसी इमारत या इमारत का भाग किसी सार्वजनिक सड़क के किसी भाग को दबाता न हो या जब वह आराजी जिस पर कोई ऐसी इमारत या इमारत का भाग बनाया गया हो सार्वजनिक न हो तो नोटिस नाजायज होगा। ऐसे नोटिस की आज्ञा पालन न करने से कोई शख्स अपराधी नहीं ठहराया जा सकता और जिस शख्स को ऐसा नोटिस दिया गया हो उस को अदालत दीवानी में इस बात का मुकद्दमा दायर करने का भी अधिकार होगा कि म्यूनिसिपल बोर्ड को झगड़े वाली इमारत या इमारत के भाग को हटवाने का अधिकार प्राप्त नहीं है देखिये अलीउद्दीन बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड इलाहाबाद 4 A. L. J. 8.

—परन्तु यदि किसी मामलेमें यह बात प्रमाणित हो कि किसी गलीमें, यदि कभी मिल्कियत का कोई हक किसी शख्सको था भी, तो वह नष्ट हो चुका है, तो ऐसी दशामें, म्यूनिसिपलटीको दफा ८८ (हालकी दफा २११) के अनुसार नोटिस जारी करनेका अधिकार अवश्य प्राप्त होगा। इसलिये जब कि किसी म्यूनिसिपलटीने, एक गलीमें बनवाये हुये किसी कामके गिरवा देनेका नोटिस एक शख्सको दिया, और उस शख्सने अदालत दीवानीमें दावा दायर किया कि हुक्म इम्तनाई म्यूनिसिपलटीके नाम जारी किया जाय, कि वह उस गलीमें बनवाये हुये कामोंमें दखल न दें, क्योंकि गलीका मालिक मुद्दई है, न कि म्यूनिसिपल बोर्ड। शहादतसे यह बात साबित होती थी कि वह गली एक अन्धी गली थी (अर्थात् जो एक ओर बन्द थी), जिसको सर्वसाधारण ३० वर्षसे बिना किसी रोक टोकके काममें लाते रहे हैं और म्यूनिसिपलटी उसमें मोरानी, झाड़ू, और पानीके निकास का प्रबन्ध करती थी। यह भी साबित होता था कि भूतपूर्व मालिककी जायदाद जब बिकी थी तो उसके साथ यह गली नहीं बिकी। हाईकोर्टने तजवीज किया कि म्यूनिसिपलटी को नोटिस देनेका अधिकार प्राप्त था, और ऐसी दशामें हुक्म इम्तनाई नहीं जारी किया जा सकता। देखिये, म्यूनिसिपल बोर्ड बुलन्दशहर बनाम दुर्गनलाल, 5 A. L. J. 45

दफा २१२ किसी सड़क या गलीको चौरस(समतल)करने या उस पर खरंजा बनाने, इत्यादिकी आज्ञा देनेका अधिकार

१ जब बोर्ड यह समझे, कि म्यूनिसिपलटीके भीतर, किसी ऐसी सड़क या गलीमें

दफ़ा २१५. संयोगवश, रुकावटके हो जाने पर इसको हटवा देनेका अधिकार

जब कोई निजी मकान, या भीत, या कोई अन्य इमारत, या कोई ऐसी वस्तु जो उनमें लगी हुई हो या कोई वृक्ष गिर पड़े और उसके कारण किसी सार्वजनिक मोरी में रुकावट हो जाये, या वह किसी सड़क या गलीको घेर ले तो बोर्ड ऐसी रुकावट, या घेर लेनेवाली वस्तुको, ऐसे मकान इत्यादि के मालिकके खर्चसे हटवा सकता है, और उक्त खर्चको छठे प्रकरणमें दी हुई विधिके अनुसार, वसूल कर सकता है, या बोर्ड नोटिसके द्वारा मालिकको आज्ञा दे सकता है कि वह उस रुकावट, या सड़कको घेर लेनेवाली वस्तु, को उस अवधिके भीतर जो नोटिसमें नियत कर दी जाय हटवा दे।

नोट—यदि ऐसे नोटिस की आज्ञाका पालन न किया जाय तो उस दशाके लिये देखिये नोट जो दफ़ा २१४ के साथ दिया गया है।

दफ़ा २१६ ऐसे हौजों, या बरसाती पानीके नलोंका प्रबन्ध, जिनसे किसी सड़क या गली पर असर पड़ता हो

नोटिसके द्वारा, बोर्ड, किसी ऐसी इमारत या आराजीके मालिक या काबिजको जो किसी सड़क या गलीसे मिली हुई हो, यह आज्ञा दे सकता है, कि उस इमारत या आराजीके पानीको इकट्ठा करने, और ले जानेके लिये, और ऐसे पानीको उस विधिसे निकाल देनेके लिये, जो बोर्ड उचित समझे, ऐसे हौज और नल जो उचित हों, बनाये और उनको अच्छी दशामें रखे, जिससे कि उक्त सड़क या गलीमें निकलनेवाले लोगों को असुविधा न हो।

व्याख्या—

इस दफ़ा के अनुसार, बोर्ड को अधिकार दिया गया है, कि हौज या नलों के सम्बन्ध में, चाहे मकान के मालिक को कोई आज्ञा दे या मकान के काबिज को।

—इस दफ़ाके अनुसार दिये हुये नोटिसकी आज्ञा के पालन न करनेपर दफ़ा ३०७ के अनुसार जुर्माना किया जा सकता है और बोर्ड स्वयं ऐसे हौज या नल को बनवा के उनका खर्चा वसूल कर सकता है।

दफ़ा २१७ सड़कों और गलियोंका नाम रखा जाना, और इमारतों पर नम्बर डाला जाना

१ बोर्ड को अधिकार है कि—

(ए) किसी सड़क या गली का नाम, या नया नाम, नियत कराये। और

(बी) नाम, या नये नाम को, किसी इमारत के ऐसे स्थान पर लगवाये (Affix), या लिखवाये (Marked), जैसा कि उसको उचित जान पड़े।

(सी) लिखित नोटिस के द्वारा, किसी इमारत के मालिक या काबिज को आज्ञा दे, कि उस पर नम्बर की तख्ती (Plate), या नम्बर की नई

जिनका उल्लेख उप दफा (१) मे किया गया है, कोई काम करता हो, या करनेकी इच्छा प्रगट करे, यह आज्ञा दे सकता है, कि वह उस कामको आरम्भ न करे, या जारी न रखे, जब तक कि वह तख्तेकी ऐसी दीवारे जो नोटिसमें अङ्कितकी गई हो, या जिनका वर्णन नोटिसमे दिया गया हो खड़ी न करे, और कायम न रखे, और जब तक कि वह उनके लिये सूर्यास्तके समयसे लेकर, सूर्योदयके समय तक, काफी रोशनीका प्रबन्ध न करे। और बोर्ड किसी समय पर, नोटिसके द्वारा, यह आज्ञा भी दे सकता है, कि कोई ऐसा परदा, या तख्तेकी दीवार जो उपरोक्त कामोंमेसे किसी कामके करनेके विचारसे पहिलेहीसे खड़ी की गई हो, या उपरोक्त कामोंके कारण खड़ीकी गई हो, उस अवधिके भीतर हटा दी जाय जो कि नोटिस मे अंकित की जायगी।

२ जो कोई शख्स उप दफा (१) की आज्ञा के विरुद्ध कार्रवाई करेगा, उसको अपराध साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या पचास ५०) रुपये तक हो सकती है, और पहिली बेर अपराध साबित होने कीतारीखके पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिनके विषयमे, जिसमे कि ऐसी कार्रवाई जारी रहे जुर्माने का नया दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पांच ५) रुपये प्रतिदिन तक हो सकती है।

व्याख्या—

दफा८२ ऐक्ट नं०१ सन१९००ई०के हुक्मोंके अनुसार यह आवश्यक था कि इमारत बनाने का सामान सड़कपर जमा करनेके लिये बोर्डकी आज्ञा लेली जाय, परन्तु उस दफाके होते हुये भी हाई-कोर्टने यह तजवीज किया था, कि जब किसी इमारतके बनानेकी आज्ञा बोर्ड दे देता है, तो साथ साथ यह बातभी मानली जायगी, कि उस इमारतके बनानेके लिये जो पाढ आदि खड़ी करनेकी आवश्यकता हो, उसकी भी आज्ञा बोर्डने दी। देखिये 1907 A W N 251=29 All.I L R 737 परन्तु हालके ऐक्टकी दफा२१२क शब्दोंके द्वारा, यह बात स्पष्ट कर दी गई है, कि बिना बोर्ड की इजाजतके पाढ खड़ी करनेका अधिकार किसी शख्सको नहीं है, चाहे वह पाढ किसी ऐसी इमारतके बनानेके लिये खड़ीकी गई हो, जिस इमारतके बनानेके लिये बोर्ड आज्ञा दे चुका हो। पाढ खड़ी करनेके लिये बोर्डसे अलग इजाजत लेना होगी। यदि कोई पाढ बिना इजाजतके खड़ी की जायगी तो यह मान लिया जायगा कि दफा २१२ के अनुसार उसके द्वारा जनताको रुकावट, जोखों और कष्ट, पहुचा। इस सम्बन्धमें भतीवी चुन्नीलाल बनाम सरकार बहादुर, 58 I C 944, वाला मामला भी देखिये जो आगे दफा २६१ की व्याख्यामें दिया गया है।

दफा २१४ झाड़ियों और वृक्षोंके छटवानेकी आज्ञा देनेका अधिकार

नोटिसके द्वारा, बोर्ड किसी आराजीके मालिक या काबिजको, यह आज्ञा दे सकता है, कि उक्त आराजी पर उगी हुई ऐसी झाड़ियोंको, जो किसी सड़क या गलीके किनारे पर हों, या उक्त आराजी पर लगे हुये वृक्षोंकी ऐसी शाखाओंको, जो किसी सड़क या गलीके ऊपर फैली हुई हों, और उसके काममे लाये जानेमे रुकावट डालती हो, या जिनसे जोखों हो, काट दे।

नोट—ऐसी आज्ञाका पालन न किये जाने पर उस शख्सको जिसको नोटिस दिया गया हो दफा ३०७ के अनुसार जुर्मानेका दण्ड दिया जा सकता है और बोर्ड स्वयं उस कामको कराके खर्चा वसूल कर सकता है।

व्याख्या—

दफा २१८ के अनुसार बोर्ड को निजी मकानों, और अन्य निजी जायदाद पर, लालटेनों आदि के खम्भे, ब्रेकेट, इत्यादि, लगाने का अधिकार दिया गया है । परन्तु साथही साथ उपदफा (२) में आज्ञा दी गई है कि ऐसे सार्वजनिक कार्मों के लिये जब किसी शख्स की निजी जायदाद काम में लाई जाय, तो जहा तक सम्भव हो, इस प्रकार काम किया जाय कि जिससे जायदाद के मालिक को हानि या असुविधा न हो । और टेलिग्राफ ऐक्ट में जो हुक्म तार के खम्भे निजी जायदाद पर लगाने के सम्बन्ध मे रक्खे गये हैं, वही उस दशा मे भी लागू होंगे, जब म्यूनिसिपलटी किसी निजी जायदाद पर कोई खम्मे इत्यादि लगाना चाहे । टेलिग्राफ ऐक्ट नं० १३ सन् १८८५ की दफा १० के द्वारा खम्भे लगाने का अधिकार इस प्रकार दिया गया है—

"तार के अधिकारी, समय समय पर, किसी जायदाद गैर मनकूला के नीचे, ऊपर, बराबर या आरपार, तार की लैन लगा सकते हैं, और उसको कायम रख सकते हैं, और ऐसी जायदाद में, या उसके ऊपर, तार के खम्भे लगा सकते है, और क़ायम रख सकते हैं ।

परन्तु शर्त यह है कि—

(ए) जो अधिकार इस दफा के अनुसार दिये गये हैं, उनको तार के अधिकारी, सिवाय किसी ऐसे तार के मतलबों के लिये जो सरकार ने स्थापित किया हो, या कायम रखा हो, या जिसको सरकार स्थापित करने वाली हो, या कायम रखने वाली हो, अन्य किसी मतलब के लिये, न बरतेंगे ।

(बी) जिस जायदाद के नीचे, ऊपर, बराबर, आरपार, तार के अधिकारी कोई तार की लैन लगायें, या जिस जायदाद में, या उसके ऊपर कोई तार का खम्भा लगायें, उस जायदाद पर सरकार को केवल प्रयोग करने का अधिकार होगा, अन्य कोई अधिकार नहीं । और

(सी) सिवाय उस दशा के जिसके लिये आगे हुक्म दिया गया है तार के अधिकारी, उक्त अधिकारों को किसी ऐसी जायदादके विषय में न बरतेंगे, जो किसी स्थानीय अधिकारी के अधिकार में हो, या उसकी निगरानी या प्रबन्ध में हो, जब तक कि ऐसे स्थानीय अधिकारी की आज्ञा न ले ली जाय । और

(डी) जो अधिकार कि इस दफा के द्वारा दिये गये है उनके बरतने में तार के अधिकारी उतनी ही हानि पहुचायें, जितनी कि कमसे कम सम्भव हो । और छाज (सी) में वर्णन की हुई जायदाद के अतिरिक्त, जब अन्य किसी जायदाद के सम्बन्ध में, वह उक्त अधिकारों को बरतें, तो वह उन सब शख्सों को, जिनका कि उक्त जायदाद से वास्ता हो किसी ऐसी हानि के लिये जो उक्त शख्सों को ऐसे अधिकारों के बरते जाने के कारण पहुची हो, पूरा बदलाव (मुआविजा) देंगे ।

टेलिग्राफ ऐक्ट की दफा १६ की आज्ञा है, कि यदि कोई शख्स उन अधिकारों के बरतने में, जो दफा १० के अनुसार तार के अधिकारियों को दिये गये हैं बाधा डाले, या न बरतने दे, तो जिला मजिस्ट्रेट, यदि उसकी राय में यह उचित जान पड़े, आज्ञा दे सकता है कि तार के अधिकारियों को उक्त अधिकार बरते जाने की इजाज़त दी जाय । यदि जिला मजिस्ट्रेट का हुक्म होने पर किसी जायदाद का मालिक ऐसे अधिकारों के बरतने में सहायता न दे, तो उसको ताजीरात हिन्द

तख्ती, ऐसे नमूने की लगाये जिसको बोर्ड ने मजूर किया हो या बोर्ड स्वय कोई नम्बर या नया नम्बर किसी इमारतपर लगवाये या लिखवाये।

२ किसी ऐसे शख्स को, जो किसी ऐसे नाम, या नम्बर, या नम्बर की तख्ती को, जो उपदफा (१) के अनुसार किसी इमारत पर लगाया या लगाई गई हो, या लिखा गया हो, नष्ट करेगा, या नीचे गिरा देगा, या बिगाडेगा, या उसमे कुछ परिवर्तन करेगा, या जो नाम, या नम्बर, किसी इमारत पर स्वय बोडने लगवाया हो, या लिखवाया हो, उसकी जगह कोई अन्य नाम या नम्बर लगायेगा, या लिखेगा, उसको, अपराध के साबित होने पर, जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या पच्चीस २५) रुपये तक हो सकती है।

व्याख्या—

गवर्नमेण्ट आर्डर न० ५६१ ता० २१ सितम्बर सन १८८०ई० की आज्ञा है कि म्यूनिसिपलटियों में मकानों पर स्थाई रूप से नम्बर डाले जाय। नम्बर डालने की प्रणाली के सम्बन्ध की सब बातें जैसे यह कि तख्ती किस आकार की हो, या यह कि नम्बर डालने के लिये कौन घर अलग माना जाय और इसी प्रकार की अन्य बातें, बोर्ड जिस प्रकार उचित समझे, दफा २१७ के अनुसार, निश्चय करले। प्रत्येक नगर के लिये तख्तियां एक सी होना चाहिये। विविध नमूनो की तख्तियों की आज्ञा नहीं देना चाहिये, सिवाय उस दशा के जब कि बोर्ड नम्बरों का लिखा जाना पसन्द करे।

दफा २१८ इमारत इत्यादि में ब्रेकेट लगाने का अधिकार

१ बोर्ड किसी इमारत या आराजी पर, या किसी इमारत के बाहरी ओर, या किसी वृक्ष मे—

(ए) तेल की, या गैस की, या बिजली की, या और प्रकार की, लालटेनोंके लिये खम्भे, या ब्रेकेट (दीवारगीरी), या कोई अन्य सहारे की वस्तुये बनवा या लगवा सकता है। या

(बी) टेलिग्राफ (तार) के तारो के लिये, या टेलिफून के तारो के लिये, या ऐसे तारों के लिये जिनके द्वारा बिजली, गाडियो आदि के चलाने के काम के लिये, ले जाई जाती है, खम्भे या दीवारगीरियां (ब्रेकेट), या कोई अन्य सहारे की वस्तुयें, बनवा या लगवा सकता है। या

(सी) ऐसे शेफ्ट (अर्थात् हवा के आने जाने के लिये रास्ते) और नल बनवा सकता है या लगवा सकता है जो मोरियों या पानी पहुँचानेके लिये बढ़ाये हुए कामो मे हवा की पहुँचके उचित प्रबन्धके लिये आवश्यक समझे जाय।

२ परन्तु शर्त यह है कि ऐसी सहारे की वस्तुये, और शेफ्ट (Shaft), और नल, इस प्रकार न बनाये या लगाये जायगे, कि उनके कारण कोई हानि, या असुविधा, हो, और उनका बनवाया जाना, या लगाया जाना, जहा तक सम्भव हो, इण्डियन टेलिग्राफ् ऐक्ट सन १८८५ ई० (Indian Teligraph Act) के ऐसे हुक्मो के अधीन होगा, जो तार की लैन, या खम्भों के लगाने या हटाने, या उनमे परिवर्तन करने, से सम्बन्ध रखते हों।

किनारे पर, या उससे मिले हुये, जिस सड़क या गली को बोर्ड ने क्लाज (ए) और (बी) और (सी) के अनुसार बनाया हो, या प्रान्तीय सरकार ने बनाया हो या चौड़ा किया हो या लम्बा किया हो या चढ़ाया हो या बडा किया हो या उसका सुधार किया हो, इमारत बनाने के लिये, ऐसी लम्बाई चौड़ाई के स्थान निकाले, जैसा कि वह उचित समझे। और किसी ऐसे नियम की आज्ञा के अधीन, जिसमें वह शर्तें नियमित हों, जिनके अधीन बोर्ड जायदाद प्राप्त कर सकता हो, कोई ऐसी आराजी, उस पर की इमारतों के सहित, प्राप्त करे, जो वह उस प्रबन्ध (Scheme) या काम के अभिप्राय के लिये आवश्यक समझे, जो (उन अधिकारों के अनुसार जो पूर्वोक्त क्लाजों के द्वारा मिले हैं) आरम्भ किये गये हो, या जिनके करने का इरादा किया गया हो। और

(ई) किसी ऐसे नियम की आज्ञा के अधीन, जिसमें वह शर्तें नियमित हों, जिनके अधीन वह जायदाद जो बोर्ड के अधिकार में हो, अलग की जा सकती हो, किसी ऐसी जायदाद को जो बोर्ड ने क्लाज (डी) के अनुसार प्राप्त की हो या किसी ऐसी आराजी को जिसको बोर्ड सार्वजनिक सड़क या गली के प्रकार काम में लाता रहा हो, और जिसकी आवश्यकता अब आगे, इस काम के लिये न हो, पट्टे पर दे या बेचे, या अन्य प्रकार अलग करे, और ऐसा करने में, किसी ऐसी इमारत, जो उस पर बनी हो, के हटाये जाने के सम्बन्ध में और किसी नई इमारत, जो उस पर बनाई जाने वाली हो, की बनावट के सम्बन्ध में, और उस अवधि के सम्बन्ध में जिसके भीतर ऐसी नई इमारत पूरी की जायगी, और किसी अन्य बात के सम्बन्ध में जो उसको उचित जान पड़े, कोई शर्तें लगाये।

नोट—उपरोक्त क्लाज (ई) और (एफ) जिन नियमों के अधीन होंगे उनके बनाये जाने की आज्ञा दफा १२७ में दी गई है।

दफ़ा २२० बेचने वालों और अन्य शख्सोंका सार्वजनिक सड़क या गलीको काममें लाना

किसी ऐसे अधिकार, या विशेष अधिकार (Privilege) के होते हुये जो कि पहिले से किसी ऐसी म्युनिसिपलटी में प्राप्त किया गया हो, या उत्पन्न हुआ हो, या बरता गया हो, जिस म्युनिसिपलटीके लिये दफा २९८ की मद (ई) के अश (डी) के अनुसार बाई-लॉ बनाये गये हों, और प्रचलित हों, किसी घूम फिर के माल बेचने वाले को, या अन्य शख्स को, अधिकार न होगा, कि किसी सार्वजनिक सड़क या गली या स्थान को वस्तुओं के बेचने, या किसी व्यवसायका कोई काम करने, या कोई थरी (Booth), या दूकान (Stall), लगाने, के लिये, बिना बोर्ड की इजाजत के, जो उक्त बाई लाओं के अनुसार दी गई हो, काम मे लाये या उस पर कब्ज़ा करे।

की दफा १८८के अनुसार दण्ड दिया जायगा। टेलिग्राफ एक्टकी दफा१७के द्वारा, जायदादके मालिक को, तारकी लैन या खम्भे हटवानेका अधिकार इस प्रकार दिया गया है—

जब इस ऐक्ट के पूर्व कथित हुक्मों के अनुसार कोई तार की लैन या खम्भा, तार के अधिकारियों के द्वारा, किसी ऐसी जायदाद के नीचे, ऊपर, बराबर आरपार, या उसमें, या उसके ऊपर लगाया गया हो, जो जायदाद कि किसी स्थानीय अधिकारी के अधिकार, निगरानी, या प्रबन्ध, में न हो, और कोई शख्स जिसको कि ऐसा करने का अधिकार प्राप्त हो उक्त जायदाद को इस प्रकार काम में लाने की इच्छा करे कि जिसके कारण तार की लैन, या खम्भे का जायदाद के किसी अन्य भाग में हटा देना, या उसकी सतह ऊंची, या नीची, कर देना, या उसकी शक्लमें परिवर्तन करना, आवश्यक हो, या उसमें सुभीता हो, तो ऐसा शख्स, आवश्यकता या सुभीते के अनुसार, तार के अधिकारियों से दरख्वास्त कर सकता है, कि तार की लैन या खम्भे को हटा दें या उसमें परिवर्तन कर दें। परन्तु शर्त यह है कि यदि दफा १० के क्लाज (डी) के अनुसार मुआविजा दिया जा चुका हो, तो ऐसा शख्स, जब वह दरख्वास्त करे, तो एक ऐसी रकम तार के अधिकारियों के सामने पेश करे, जो हटाने या परिवर्तन करने के खर्च में पड़े। या जो मुआविजा दिया गया हो उसकी आधी रकम पेश करे, अर्थात् इन दोनों रकमों में से जो थोड़ी हो।

नोट—उक्त हुक्मों में जो अधिकार और जिम्मेदारिया खम्भे आदि लगाने के सम्बन्ध में तारके अधिकारियों की है वही म्यूनिसिपलटी के ऐक्ट की दफा २१८ के अनुसार म्यूनिसिपल बोर्ड की है।

सार्वजनिक सड़कें या गलियां
(Public Streets)

दफा २१९ सार्वजनिक सड़कें या गलियां बनाने और सुधारने और उनपर मकान बनाने केलिये स्थान निकालनेका अधिकार

बोर्ड को अधिकार होगा कि—

(ए) कोई नई सार्वजनिक सड़क या गली निकाले, और बनाये, और सुरङ्ग (Tunnels) और ऐसे काम तैय्यार करे जिनका उन सड़को या गलियोके सङ्ग बनाया जाना आवश्यक हो। और

(बी) किसी सार्वजनिक सड़क या गली को, जो बनी हुई हो, यदि वह बोर्ड के अधिकार मे हो, चौड़ा करे, या लम्बा करे, या बढ़ाये (Extend) या बड़ा करे (Enlarge), या उसका अन्य प्रकार सुधार करे। और

(सी) किसी सार्वजनिक सड़क या गली को जो इस प्रकार बोर्ड के अधिकार में हो, मोड़े (Turn), या दूसरी ओर को निकाल दे, (Divert) या उसको जारी न रखे, या बन्द कर दे। और

(डी) अपनी राय के अनुसार, किसी ऐसी सार्वजनिक सड़क या गली के

व्याख्या—

दफा २१२ की उपदफा (३) के अनुसार किसी ऐसे मकानों के मालिक, जो किसी सड़क या गली के किनारे हों बोर्ड से प्रार्थना कर सकते हैं कि उक्त सड़क या गली को बोर्ड सार्वजनिक सड़क या गली ठहरा दे। ऐसी प्रार्थना किये जाने पर बोर्ड के लिये आवश्यक है कि वह ऐसी सड़क या गली को सार्वजनिक ठहरा के उसकी सफाई रोशनी इत्यादि कामों को अपने जिम्मे ले। परन्तु यदि बोर्ड किसी सड़क या गली को सार्वजनिक सड़क या गली ठहरा देने की स्वयं इच्छा करे, तो इस दफा के अनुसार उसको ऐसा करने का अधिकार उसी दशा में हो सकता है जब कि उस सड़क या गली का मालिक, या उसके मालिकों में से कोई एक भी मालिक, इस बात में उज्र न करे।

—आम नोटिस की विधि के लिये देखिये ऐक्ट की दफा ३०४।

दफा २२२ सार्वजनिक सड़कों और गलियों में इमारतोंकी लैन (पंक्ति) निश्चित कर देने का अधिकार

१ जब कभी बोर्ड किसी ऐसी सार्वजनिक सड़क या गली जो बनी हुई हो, या जिसके बनाये जाने का प्रस्ताव किया जाता हो, के दोनों ओर या किसी एक ओर की इमारतों की साधारण पंक्ति (लैन) को निश्चय कर देना उचित समझे, तो वह ऐसा करने की इच्छा का आम नोटिस देगा।

२ प्रत्येक ऐसे नोटिस में वह अवधि अंकित कर दी जायगी जिसके भीतर उज्रदारियां ली जायगी।

३ बोर्ड, ऐसी कुल उज्रदारियों पर, जो अंकित की हुई अवधि के भीतर भेजी जाय, विचार करेगा, और इसके पश्चात् एक रैजोल्यूशन, जिसमें उक्त पंक्ति का वर्णन हो मंजूर कर सकता है, और जो पंक्ति कि इस प्रकार नियत की जायगी वह "सड़क या गली की नियमित पंक्ति" (Regular line) कह लायगी।

४ तत्पश्चात् कोई शख्स किसी इमारत, या इमारत के भाग, को इस प्रकार नहीं बना सकेगा, न फिर से बना सकेगा, न उसमें इस प्रकार परिवर्तन कर सकेगा, कि वह सड़क या गली की नियमित पंक्ति से आगे निकल जाय, सिवाय उस दशा के जब कि उसको ऐसा करने का अधिकार ऐसी मंजूरी के द्वारा दिया गया हो, जो मंजूरी कि दफा १८० के अनुसार दी गई हो, या जब कि उसको ऐसा करने का अधिकार इस दफा के अनुसार लिखित इजाजत के द्वारा दिया गया हो, (और इस दफा के द्वारा बोर्डको ऐसी इजाजत देने का अधिकार दिया जाता है)।

५ किसी आराजी का कोई मालिक, जो इस दफा की आज्ञाओं के कारण, किसी आराजी पर किसी इमारत के बनाने या फिर से बनाने या उसमें परिवर्तन करने से रोक दिया जाय, वह बोर्ड से किसी ऐसी हानि के विषय में मुआविजा देने को कह सकता है, जो हानि उसको इस प्रकार रोक दिये जाने के कारण पहुँची हो, और किसी ऐसी आराजी के विषय में जो सड़क या गली की नियमित पंक्ति के भीतर हो, मुआविजा दे दिये जाने पर यह आराजी बोर्ड के अधिकार में आजायेगी।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार म्यूनिसिपलटियों को अधिकार दिया गया है कि कोई विशेष स्थान म्युनिसिपल्टी के भीतर नियत कर दे जिसमें वस्तुओं के बेचने वाले दुकान लगा कर बैठ सकें, और उनसे फीस या तहबजारी लें। परन्तु तहबजारी उसी दशा में ली जा सकती है, जब दफा २९८ की मद (ई) के अंश (डी) के अनुसार म्यूनिसिपल्टी बाई-लॉ बनाले, और एक शिड्यूल तैय्यार कर ले, कि तहबजारी किस हिसाब से ली जायगी, और उसकी रसीद इत्यादि देने का भी प्रबन्ध कर दे। तहबजारी के लिये नमूने के बाई-लॉ बना दिये गये हैं जो म्युनिसिपल मैन्युअल के पन्ने ३७३ से ३७५ तक में दिये हुये हैं। जो दरों का शिड्यूल इस सम्बन्ध में तैय्यार किया जाय, उसकी प्रतियां बाजारों के, सडकों के, और अन्य जगहों के, ऐसे स्थानों में कुल म्यूनिसिपल्टी में लगवा दी जाना चाहिये, कि जिससे उन पर सबकी दृष्टि पड सके। बाईलाओं में वह स्थान भी निर्दिष्ट कर दिये जाय, जहां दूकानें लगाने की आज्ञा दी गई हो और ऐसे स्थान भी निर्दिष्ट कर दिये जांय जहां विशेष अवसरों पर, जैसे मेलों में, दुकानें लगा कर वस्तुयें बेचने की आज्ञा दी गई हो। यदि कोई बोर्ड सार्वजनिक जगहों में दूकानें लगाने की आज्ञा दे दे, और तहबजारी न वसूल करना चाहे तो उसको इस उद्देश से बाई-लॉ बना लेना चाहिये।

—जो शख्स बिना बोर्ड की इजाजत के कोई माल बेचने के लिये किसी सार्वजनिक सडक पर कोई थरी या दूकान लगायेगा उसको दफा २६५ के अनुसार जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता है।

इस दफा के साथ देखिये दफा २९३।

दफा २२१ किसी सड़क या गलीको सार्वजनिक सड़क या गली ठहरा देना

१ कोई बोर्ड किसी समय पर, आम नोटिस के द्वारा, जो किसी सड़क या गली में जो सार्वजनिक सड़क या गली न हो, या ऐसी सड़क या गली के किसी भाग में, लगा दिया जाय, अपनी इस इच्छा की सूचना दे सकता है कि वह उक्त सड़क या गली को सार्वजनिक सडक या गली ठहरा देगा, और यदि दफा २१२ की उप दफा (३) के अनुसार बोर्ड से ऐसी प्रार्थना की जाय, तो बोर्ड के लिये ऐसा करना आवश्यक होगा। और सिवाय उस दशा के, कि ऐसे नोटिस के इस प्रकार लगा दिये जाने से दो मास के भीतर उक्त सड़क या गली का मालिक या एक से अधिक मालिक, या उक्त सड़क या गली के किसी भाग का मालिक या एक से अधिक मालिक, या उक्त सड़क या गली के अधिकांश भाग के मालिक या एक से अधिक मालिक, म्यूनिसिपलटी के दफतर में उज्रदारियां दाखिल कर दे या कर दें, तो बोर्ड एक दूसरे आम नोटिस के द्वारा, जो उक्त सड़क या गली में या उसके भाग में, लगा दिया जाय, उसको सार्वजनिक सडक या गली ठहरा दे सकता है।

२ आम नोटिस जिसके लिये आज्ञा उपदफा (१) में दी गई है सड़क या गली में लगा दिये जाने के अतिरिक्त किसी स्थानीय समाचार पत्र मे (यदि कोई हो) भी प्रकाशित कर दिया जायगा, या किसी अन्य प्रकार, जो कि बोर्ड उचित समझे, प्रकाशित कर दिया जायगा।

(सी) किसी ऐसे काम पर जो बनाया जा रहा हो, पहरा रखना, और सूर्यास्तकेसमय से सूर्योदय तक, उसमें काफीरोशनी रखनेका प्रबन्ध करना।

२ जो शख्स विना बोर्ड की आज्ञा या मरजी के, किसी ऐसे प्रबन्ध या बनाये जाने में, जो बोर्ड उपदफा (१) के अनुसार करे या बनवाये, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा, उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिस की संख्या ५०) रुपये तक हो सकती है।

पानी का पहुंचाना
(Water Supply)

दफा २२४ पानीके कारखानेके बनाने और उसमें परिवर्तन करनेका बोर्डका अधिकार

बोर्ड—

(ए) पानी पहुँचाने के कामों को म्यूनिसिपलटी के भीतर, या दफा १२० की उपदफा (२) की आज्ञा के अधीन म्यूनिसिपलटी के बाहर, बना सकता है और ऐसे कामो को किसी सड़क या गली, या स्थानमें होके या उसके आर पार, या उसके ऊपर, या नीचे, से ले जा सकता है, और मालिक या क़ाबिज को उचित समय पहले से लिखित नोटिस (सूचना) देने के पश्चात् किसी इमारत या आराज़ी मे, या उसमें होके, या उसके ऊपर, या नीचे से ले जा सकता है। और

(बी) समय समय पर पानी पहुँचाने के किसी काम को बड़ा कर सकता है, या घटा सकता है, या उसका रास्ता बदल सकता है, या उसको ढाक दे सकता है या किसी अन्य प्रकार उसमे सुधार कर सकता है। और यह भी कर सकता है कि उसको जारी न रखे, या बन्द कर दे, या हटा दे।

दफा २२५ निजी पानीके रास्ते आदि, को साफ या बन्द करने की आज्ञा देनेका अधिकार

१ बोर्ड, नोटिस के द्वारा किसी निजी पानी के रास्ते, या श्रोत या तालाव या कुंये, या अन्य स्थान के, जिसका पानी पीने के काम मे लाया जाता हो, मालिक को, या उस शख्स को जिसके अधिकार मे वह (अर्थात् पानी का रास्ता इत्यादि) हो, यह आज्ञा दे सकता है कि उसको अच्छी मरम्मत की दशा मे रखे, और उसमें से समय समय पर नीचे बैठी हुई मिटी, या कूड़ा करकट, या सड़ी हुई घास पात, इत्यादि, साफ करता रहे, और बोर्ड उसको यह भी आज्ञा दे सकता है, कि ऐसे पानी के रास्ते आदि के पानी को दूषित होने से, उस विधि से बचाये, जो बोर्ड उचित समझे।

६ बोर्ड, नोटिस के द्वारा, किसी ऐसी इमारत, या इमारत के भाग में, परिवर्तन करने, या उसको गिरा देने, की आज्ञा दे सकता है, जो उपदफा (४) की आज्ञा के विरुद्ध बनाई गई हो, या फिर से बनाई गई हो, या जिसमें उपदफा (४) की आज्ञा के विरुद्ध परिवर्तन किया गया हो।

व्याख्या—

दफा १८० की उपदफा (१) के क्लॉज (बी) के अनुसार, बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि किसी इमारत के बनाने, या फिर से बनाने आदि, की दरख्वास्त को इस शर्त पर मजूर करे, कि उक्त इमारत को दफा २२२ में वर्णित 'नियमित पंक्ति" तक हटा दे, और दफा १८१ के क्लॉज (बी) के अनुसार, ऐसे हुक्म के दिये जाने पर बोर्ड को हर्जा देना होगा।

—जो आज्ञा कोई मकान या मकान का भाग बनाने की दफा १८० के द्वारा बोर्ड से प्राप्त की गई हो, उसके बल पर किसी शख्स को अधिकार न होगा कि वह ऐसी आज्ञा के होते हुये भी, नियमित पंक्ति से निकला हुआ कोई मकान या मकान का भाग, बनाये। यदि नियमित पंक्ति से आगे निकली हुई कोई इमारत या इमारत का भाग, बनाने की इच्छा की जाय, या दफा २२२ की उपदफा (४) के अनुसार इस विषय में विशेष आज्ञा लेना आवश्यक होगा।

—उपदफा (६) के अनुसार जो नोटिस किसी शख्स को दिया जाय, उसकी अपील दफा ३१८ के अनुसार की जा सकती है और यदि ऐसे किसी नोटिस की आज्ञा का पालन न किया जाय तो उस शख्स को, जो उसकी आज्ञा का पालन न करे, दफा ३०७ के अनुसार जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता है, और, उसी दफा के अनुसार बोर्ड को यह भी अधिकार है कि स्वयं इमारत में परिवर्तन करा दे या उसको गिरवा दे और खर्चा उक्त शख्स से वसूल करले।

दफा २२३ सार्वजनिक सड़कें या गलियां इत्यादि बनानेके समय बोर्ड के कर्तव्य

१ बोर्ड किसी सार्वजनिक सड़क या गली के, या पानी पहुँचाने के काम के (Water works), या मोरियोंके, या मकान आदि, जो उसके अधिकार मेहों, के बनाये जाने के समय या मरम्मत किये जाने के समय, या जब कभी कोई सार्वजनिक सड़क या गली की, या पानी पहुँचाने के काम की, या मोरी, या मकान आदि की, जो उसके अधिकार मे हों, मरम्मत न होने के कारण, या अन्य किसी कारण, ऐसी दशा हो कि उनके काम में लाये जाने में सर्व साधारण के लिये जोखों हो, तो, दुर्घनाओं से रक्षा करने के लिये, नीचे लिखे बचत के सारे उपाय काम मे ला सकता है—

(ए) टेक लगाना (Shoring up) और मिली हुई इमारतों की रक्षा करना। और

(बी) किसी सड़क या गली के आरपार, या सड़क या गली मे, लट्ठे या जंजीरे, या खम्भे, इस अभिप्राय से लगाना कि ऐसे बनाये जाने, या मरम्मत किये जाने, के समय मे, सड़क पर निकला बैठी न हो, या इस अभिप्राय से कि निकला बैठी किसी और रास्ते से होने लगे। और

(सी) किसी ऐसे काम पर जो बनाया जा रहा हो, पहरा रखना, और सूर्यास्तकेसमय से सूर्योदय तक, उसमें काफी रोशनी रखनेका प्रबन्ध करना।

२ जो शख्स बिना बोर्ड की आज्ञा या मरजी के, किसी ऐसे प्रबन्ध या बनाये जाने में, जो बोर्ड उपदफा (१) के अनुसार करे या बनवाये, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा, उसको, अपराध के साबित हो जाने पर जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिस की सख्या ५०) रुपये तक हो सकती है।

पानी का पहुंचाना

(Water Supply)

दफा २२४ पानीके कारखानेके बनाने और उसमें परिवर्तन करनेका बोर्डका अधिकार

बोर्ड—

(ए) पानी पहुँचाने के कामों को म्यूनिसिपलटी के भीतर, या दफा १२० की उपदफा (२) की आज्ञा के अधीन म्यूनिसिपलटी के बाहर, बना सकता है और ऐसे कामों को किसी सड़क या गली, या स्थानमें होके या उसके आर पार, या उसके ऊपर, या नीचे, से ले जा सकता है, और मालिक या काबिज को उचित समय पहले से लिखित नोटिस (सूचना) देने के पश्चात् किसी इमारत या आराजी में, या उसमें होके, या उसके ऊपर, या नीचे से ले जा सकता है। और

(बी) समय समय पर पानी पहुँचाने के किसी काम को बड़ा कर सकता है, या घटा सकता है, या उसका रास्ता बदल सकता है, या उसको ढाक दे सकता है या किसी अन्य प्रकार उसमें सुधार कर सकता है। और यह भी कर सकता है कि उसको जारी न रखे, या बन्द कर दे, या हटा दे।

दफा २२५ निजी पानीके रास्ते आदि, को साफ या बन्द करने की आज्ञा देनेका अधिकार

१ बोर्ड, नोटिस के द्वारा किसी निजी पानी के रास्ते, या स्रोत या तालाब या कुंए, या अन्य स्थान के, जिसका पानी पीने के काम में लाया जाता हो, मालिक को, या उस शख्स को जिसके अधिकार में वह (अर्थात् पानी का रास्ता इत्यादि) हो, यह आज्ञा दे सकता है कि उसको अच्छी मरम्मत की दशा में रखे, और उसमें से समय समय पर नीचे बैठी हुई मिट्टी, या कूड़ा करकट, या सड़ी हुई घास पात, इत्यादि, साफ करता रहे, और बोर्ड उसको यह भी आज्ञा दे सकता है, कि ऐसे पानी के रास्ते आदि के पानी को दूषित होने से, उस विधि से बचाये, जो बोर्ड उचित समझे।

६ बोर्ड, नोटिस के द्वारा, किसी ऐसी इमारत, या इमारत के भाग में, परिवर्तन करने, या उसको गिरा देने, की आज्ञा दे सकता है, जो उपदफा (४) की आज्ञा के विरुद्ध बनाई गई हो, या फिर से बनाई गई हो, या जिसमे उपदफा (४) की आज्ञा के विरुद्ध परिवर्तन किया गया हो।

व्याख्या—

दफा १८० की उपदफा (१) के क्लॉज (बी) के अनुसार बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि किसी इमारत के बनाने, या फिर से बनाने आदि, की दरख्वास्त को इस शर्त पर मजूर करे, कि उक्त इमारत को दफा २२२ में वर्णित 'नियमित पंक्ति" तक हटा दे, और दफा १८१ के क्लॉज (बी) के अनुसार ऐसे हुक्म के दिये जाने पर बोर्ड को हर्जा देना होगा।

—जो आज्ञा कोई मकान या मकान का भाग बनाने की दफा १८० के द्वारा बोर्ड से प्राप्त की गई हो, उसके बल पर किसी शख्स को अधिकार न होगा कि वह ऐसी आज्ञा के होते हुये भी, नियमित पंक्ति से निकला हुआ कोई मकान या मकान का भाग, बनाये। यदि नियमित पंक्ति से आगे निकली हुई कोई इमारत या इमारत का भाग, बनाने की इच्छा की जाय, या दफा २२२ की उपदफा (४) के अनुसार इस विषय में विशेष आज्ञा लेना आवश्यक होगा।

—उपदफा (६) के अनुसार जो नोटिस किसी शख्स को दिया जाय, उसकी अपील दफा ३१८ के अनुसार की जा सकती है और यदि ऐसे किसी नोटिस की आज्ञा का पालन न किया जाय तो उस शख्स को, जो उसकी आज्ञा का पालन न करे, दफा ३०७ के अनुसार जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता है, और उसी दफा के अनुसार बोर्ड को यह भी अधिकार है कि स्वय इमारत में परिवर्तन करा दे या उसको गिरवा दे और खर्चा उक्त शख्स से वसूल करले।

दफा २२३ सार्वजनिक सड़कें या गलियां इत्यादि बनानेके समय बोर्ड के कर्तव्य

१ बोर्ड किसी सार्वजनिक सड़क या गली के, या पानी पहुँचाने के काम के (Water works), या मोरियोंके, या मकान आदि, जो उसके अधिकार मेहों, के बनाये जाने के समय या मरम्मत किये जाने के समय, या जब कभी कोई सार्वजनिक सड़क या गली की, या पानी पहुँचाने के काम की, या मोरी, या मकान आदि की, जो उसके अधिकार मे हों, मरम्मत न होने के कारण, या अन्य किसी कारण, ऐसी दशा हो कि उनके काम मे लाये जाने मे सर्व साधारण के लिये जोखो हो, तो, दुर्घनाओं से रक्षा करने के लिये, नीचे लिखे बचत के सारे उपाय काम मे ला सकता है—

(ए) टेक लगाना (Shoring up) और मिली हुई इमारतों की रक्षा करना। और

(बी) किसी सड़क या गली के आरपार, या सड़क या गली मे, लट्ठे या जंजीरें, या खम्भे, इस अभिप्राय से लगाना कि ऐसे बनाये जाने, या मरम्मत किये जाने, के समय मे, सड़क पर निकला बैठी न हो, या इस अभिप्राय से कि निकला बैठी किसी और रास्ते से होने लगे। और

(सी) किसी ऐसे काम पर जो बनाया जा रहा हो, पहरा रखना, और सूर्यास्तकेसमय से सूर्योदय तक, उसमें काफी रोशनी रखनेका प्रबन्ध करना।

२ जो शख्स बिना बोर्ड की आज्ञा या मरज़ी के, किसी ऐसे प्रबन्ध या बनाये जाने में, जो बोर्ड उपदफ़ा (१) के अनुसार करे या बनवाये, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करेगा, उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिस की संख्या ५०) रुपये तक हो सकती है।

पानी का पहुंचाना
(Water Supply)

दफ़ा २२४ पानीके कारखानेके बनाने और उसमें परिवर्तन करनेका बोर्डका अधिकार

बोर्ड—

(ए) पानी पहुँचाने के कामों को म्यूनिसिपलटी के भीतर, या दफ़ा १२० की उपदफ़ा (२) की आज्ञा के अधीन म्यूनिसिपलटी के बाहर, बना सकता है और ऐसे कामों को किसी सड़क या गली, या स्थानमें होके या उसके आर पार, या उसके ऊपर, या नीचे, से ले जा सकता है, और मालिक या क़ाबिज को उचित समय पहले से लिखित नोटिस (सूचना) देने के पश्चात् किसी इमारत या आराज़ी में, या उसमें होके, या उसके ऊपर, या नीचे से ले जा सकता है। और

(बी) समय समय पर पानी पहुँचाने के किसी काम को बढ़ा कर सकता है, या घटा सकता है, या उसका रास्ता बदल सकता है, या उसको ढाक दे सकता है या किसी अन्य प्रकार उसमें सुधार कर सकता है। और यह भी कर सकता है कि उसको जारी न रखे, या बन्द कर दे, या हटा दे।

दफ़ा २२५ निजी पानीके रास्ते आदि, को साफ़ या बन्द करने की आज्ञा देनेका अधिकार

१ बोर्ड, नोटिस के द्वारा किसी निजी पानी के रास्ते, या श्रोत या तालाब या कुंए, या अन्य स्थान के, जिसका पानी पीने के काम में लाया जाता हो, मालिक को, या उस शख्स को जिसके अधिकार में वह (अर्थात् पानी का रास्ता इत्यादि) हो, यह आज्ञा दे सकता है कि उसकी अच्छी मरम्मत की दशा में रखे, और उसमें से समय समय पर नीचे बैठी हुई मिटी, या कूड़ा करकट, या सड़ी हुई घास पात, इत्यादि, साफ़ करता रहे, और बोर्ड उसको यह भी आज्ञा दे सकता है, कि ऐसे पानी के रास्ते आदि के पानी को दूषित होने से, उस विधि से बचाये, जो बोर्ड उचित समझे।

२ जब यह बात इस प्रकार प्रमाणित हो जावे, कि उसके द्वारा बोर्ड को विश्वास हो जाय। कि किसी ऐसे पानी के रास्ते, या श्रोत या तालाब, या कुयें, या अन्य स्थान का पानी, पीने के योग्य नहीं है तो बोर्ड, नोटिस के द्वारा, उसके मालिक को, या उस शख्स को जिसके अधिकार में वह हो, यह आज्ञा दे सकता है, कि वह ऐसे पानी को काममे न लाये, या दूसरे शख्सोंको काममें लाने की आज्ञा न दे और यदि ऐसे नोटिस के पश्चात्, उस पानी को कोई शख्स पीने के काम मे लाये, तो बोर्ड, नोटिस के द्वारा, उसके मालिक को या उस शख्स को जिसके अधिकार में वह हो, यह आज्ञा दे सकता सकता है, कि ऐसे कुओं को अस्थायी रूप से, या स्थायीरूप से, उस विधि से, जिसकी आज्ञा बोर्ड दे, बन्द करदे, या ऐसे पानी के रास्ते को, या श्रोत, या तालाब, या कुये, या अन्य स्थान को, उस विधि से जिसकी बोर्ड आज्ञा दे, घेर दे, या उसके चहुँओर जंगला लगादे जिससे कि उसका पानी पीने के काम मे न लाया जा सके।

व्याख्या—

इस दफा के द्वारा बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि किसी निजी कुयें आदि के मालिक को आज्ञा दे कि उसको साफ रखे और उस के जल को किसी प्रकार बिगड़ने से बचाये, और यदि आवश्यकता हो तो किसी निजी कुयें आदि को बन्द भी करा दे। जो अधिकार इस दफा के द्वारा बोर्ड को दिये गये हैं उनके अतिरिक्त, इस सम्बन्ध में, और भी अधिकार दफा २३५ की उप दफा (१) के क्लॉज (जी) के अनुसार, नियम बना के, दिये जा सकते हैं। किसी नोटिस की जो इस दफा के अनुसार दिया जाय, आज्ञा का पालन न किये जाने पर, दफा ३०७ के अनुसार उस शख्स को, जिसको नोटिस दिया गया हो, दण्ड दिया जा सकता है, और बोर्डको अधिकार है कि स्वयं उस काम को करा के उक्त शख्स से खर्चा वसूल करले।

दफा २२६ फैलने वाली बीमारीके फैलनेकी दशामें अत्यन्त आवश्यकताके समयके अधिकार

यदि किसी म्यूनिसिपलटी के या उसके किसी भागमे हैजा या कोई अन्य फैलने वाली बीमारी जिसको प्रान्तीय सरकार ने इस सम्बन्ध मे घोषित कर दिया हो, उत्पन्न हो, तो बोर्ड का चेयरमैन या अन्य कोई शख्स, जिसको चेयरमैन इस विषय मे अधिकार दे, बिना किसी सूचना दिये, और किसी समय पर, किसी कुये, या तालाब, या अन्य स्थान, जहा से पानी पीने के लिये लिया जाता हो, या जहा से पीने के लिये पानी लिये जाने की सम्भावना हो, जाच (मुआइना) कर सकता है, और उसको, औषधियों के द्वारा, शुद्ध करा सकता है (Disinfect), और ऐसी कार्रवाई भी कर सकता है जो वह इस अभिप्राय से उचित समझे, कि उसमे से पानी न लिया जाय।

व्याख्या—

हैजे के फैलने के समय के लिये कुछ अत्यन्त आवश्यक हिदायतें पानी को दूषित होने से बचाने, तथा उसको शुद्ध करने, के सम्बन्ध में दी गई हैं; जिनकी ओर, म्यूनिसिपल बोर्ड, जितना ही अधिक ध्यान दें उचित होगा। 1 G O. No 7 XVI 127 ता० ५ जनवरी सन १९१४ई०के द्वारा इस सम्बन्ध से नीचे लिखी आज्ञायें दी गई हैं। नगरों में अधिकांश मकानों, और

झोपड़ों तक के, हातों में एक कुआ हुआ करता है। बहुधा ऐसे कुओं का पानी खारी होता है, और इस कारण वह पीने के काम में नहीं लाया जाता, सिवाय किसी ऐसी दशा के, जब कि कोई आवश्यकता पड़ जाय। घरों के निवासी भी यह बात तुरन्त कहने लगते हैं कि इस कुयें का पानी काम में नहीं आता। परन्तु ऐसे कुओं का पानी खाना खाने के, और खाना बनाने के, बर्तनों के धोने के काम में लाया जाता है, और यदि ऐसा पानी दूषित हो, या उसके दूषित होने की सम्भावना हो, तो उससे अवश्य भय होगा। बहुधा कुयें का मुँह भूमि से मिला होता है, अर्थात् या तो उस पर मनि होती ही नहीं, या बहुत नीची होती है। इसलिये जब लोग उसके निकट नहाते हैं, या वस्त्रादि धोते हैं, तो उसके पानी का कभी न कभी दूषित हो जाना अनिवार्य होता है। जब किसी को हैजा हो गयाहो, तो कुयें में एक औंस परमैंगिनेट आव पुटास (Permanganate of Potash अर्थात् वह लाल दवा, जो कुओं का पानी शुद्ध करने के लिये डाली जाया करती है) और उसी के हिसाब से हाईड्रोक्लोरिक ऐसिड (एक प्रकार का तेजाब) कुयें में डालना चाहिये, जिससे कि पानी लिटमस पेपर को हलका लाल कर सके।

नोट—लिटमस कागज इस बात की जाच के लिये काम में लाया जाता है कि किसी पदार्थ में ऐसिड (तेजाब) है या नहीं। जिस पदार्थ में ऐसिड (Acid) होता है उसमें लिटमस कागज का नीला रंग बदलके लाल हो जाता है।

तत्पश्चात कुआ एक मास के लिये बन्द कर देना चाहिये, या यदि उसी घर में और लोग इस रोग से ग्रसित हों, तो जो सबसे पीछे बीमार हो, उसके अच्छा होने, या मर जाने से, कुआ एक मास तक बन्द कर देना चाहिये।

किसी ऐसे कुयें के पानी को दूषित होने से बचाने के लिये, जिसमें से सर्वसाधारण पानी लेते हों, एक अच्छा उपाय यह है, कि स्थानीय अधिकारी (जैसे म्यूनिसिपल बोर्ड) ऐसे घर के निवासियों को, जिसमें कि उक्त रोग फैला हो, पानी देने का स्वयं प्रबन्ध कर दें। यदि रोग बहुत फैला हो, तो पानी के कारखाने की ओर भी ध्यान देना चाहिये, विशेषत किसी ऐसे कुएं की ओर जिसको सर्वसाधारण के साथ साथ वह लोग भी काम में लाते हैं जिनको कि रोग हुआ है, या हो चुका है। यदि रोग किसी विशेष मुहल्ले आदि में सीमा बद्ध हो, तो खाद्य पदार्थों की ओर ध्यान देना चाहिये। और यदि एक दो मनुष्यों को ही यह रोग हुआ हो, तो यह विश्वास कर लेना चाहिये कि सम्भवत रोग का दोष किसी अन्य स्थान से लाया गया है। सब दशाओं में, जो कार्रवाई की जाना चाहिये, वह यह है कि फिल्टर किये हुये पानी की जाँच की जाना चाहिये, और उसका उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिये। सार्वजनिक कुयें या तो बन्द कर दिये जांय, या उनका पानी औषधियों के द्वारा, शुद्ध किया जाय। सम्भव है कि किसी बनिये की दूकान का माल मोल लेकर नष्ट करा देने की भी आवश्यकता पड़े। परन्तु ऐसी आवश्यकता बहुधा नहीं पड़ती। अधिकाश दशाओं में, विश्वास यह है, कि इस रोग की उत्पत्ति पानी के दूषित होने से होती है। प्राय इस बीमारी की उत्पत्ति ऐसे शख्सों के द्वारा हुआ करती है जो ऐसे स्थानों से आते हैं जहां कि रोग फैला होता है।

छोटे छोटे नगरों में, जिनमें कि कुओं की सख्या कम होती है, और उनकी देख भाल रखना सम्भव होता है, एक या दो सब से अच्छे कुओं को छोड़के, शेष सब कुयें तख्तों और मिट्टी के द्वारा थोड़े समय के लिये बन्द करा दिये जाना चाहिये। जो कुयें खुले रहने दिये जांय, उनमें परमैंगिनेट

(लाल दवा) छोडी जाना चाहिये, और उनके लिये पानी खींचने वाले कहार नियत कर दिये ज चाहिये । ऐसे नियत किये हुये कहारों के अतिरिक्त अन्य किसी को पानी भरने की आज्ञा न दी ज चाहिये । कहारों को नई रस्सियां दी जाना चाहिये, या ऐसी रस्सियां दी जाना चाहियें, या रे रस्सियां जो लाल दवा में भिगोई रखी गई हों । रस्सियों के दोनों ओर लोहे के डोल या टीन कनस्टर बांधना चाहिये । यह कनस्टर या डोल जब बीमारी फैली हो कुए से कभी नहीं हट चाहिये । कहार इस प्रकार पानी दे कि उसको वे बांस या टीन के परनालों में डालें, जिन परन के नीचे वह बरतन रख दिये जाय जो भरे जाने को हों । रोग के बन्द हो जाने के पश्चात्, ए तक और ऐसे कहारों से काम लिया जाना जारी रखना चाहिये ।

—पानी शुद्ध करने के लिये औषधियां —

(ए) परमैंगिनेट आवपुटाश (लाल दवा), कुओं के पानी को शुद्ध करने के लि प्रत्येक गैलन में आठ ग्रेन मिलाना चाहिये, अर्थात् तौल में उतना डाला जावे पानी का गुलाबी रंग कमसे कम ६ घंटे तक रहे । सामान्य कुओं के लिये जिन परिधि (Diametor) पांच फुट हो और जिनमें ६ फुट गहरा पानी उनमें दो औंस(पांच तोला) लाल दवा एक डोल पानी में घोलकर डालना चाहि और दवा डाल कर कुयें के पानी को डोल से हिला देना चाहिये ।

(बी) ब्लीचिङ्ग पाऊडर (Bleaching Powder) छोटे २ जुडे हुये टीनों में आता जिस पर पैरेफिन (Paraffin) चढा होता है, या बोतलों में भी आता है, जब कारखाने से यह नया आता है तो एक दो आउन्स की टीन, या बोतल, ए ऐसे कुए के लिये काफी हो जाती है, जिसका परिधि पांच फुट हो और जिस ६ फुट गहरा पानी हो । परन्तु उसमें जो क्लोरीन होता है उसकी शक्ति शीघ्र न हो जाती है इस लिये बहुधा जल को पूरे प्रकार शुद्ध करने के लिये दो टी चाहना पडती हैं, और उन कुओं के लिये भी दो टीनें चाहिये होतीं हैं जिन परिधि ५ फुट से अधिक हो ।

—उस जल का शुद्ध किया जाना जिसका प्रबन्ध म्यूनिसिपलटी पानी के कारखाने के द्वारा, कुओं आदि के द्वारा करती है —

—नीचे लिखी हिदायतें, जिनको सरकारी सेनिटेरी इंजिनियर ने, इस अभिप्राय से तैयार की कि उनके अनुसार म्यूनिसिपलटी के कारखाने आदि का जल उस समय में शुद्ध किया जाय, जब टाईफायड ज्वर, या हैजा, फैले, बोर्डों के लाभार्थ पुन प्रकाशित की जाती है —

पानीके कारखानेके जलको शुद्ध करनेके लिये हिदायतें

जब टाईफायड ज्वर या हैजा फैले, और यह बात प्रमाणित हो जाय कि रोग के फैलने कारण का पता यह चलता है कि वह उस पानी के द्वारा उत्पन्न हुआ है जिसका प्रबन्ध म्यूनिसिपल की ओर से होता है, तो सेनिटेरी इंजिनियर के द्वारा आज्ञा दी जाने पर, वह इंजिनियर जिस सुपुर्दगी में पानीका कारखाना हो, तुरन्त स्वच्छ पानी के हौजों (Clear water reservoir को, और पानी पहुंचाने वाले नलों को, औषधियों के द्वारा शुद्ध करना नीचे लिखी विधि से आर कर देगा —

स्वच्छ पानी के हौज के एक खाने के पानी की गहराई कम की जाय, और केवल २००,००० गेलन पानी उसमें छोड दिया जाय। दस पाउड (एवॉरडुपॉय तौल, अर्थात् अंग्रेजी चलन की तौल) परमेंगिनेट अर्थात् लाल दवा (जो पहले से डोलों में अथवा किसी लोहे की टकी में घोली गयी हो) सन्ध्या के ६–७ बजे के समय, धीरे २, हौज मे डाला जाय। ११ बजे रात्रि के समय, जब कि पीने के लिये पानी की माग नहीं रह जाती पम्पों से काम लिया जाय और गुलाबी पानी धीरे २ नलों में पहुचाया जाय। जब कोई ऊचा उठा हुआ हौज हो, तो वह पानी पम्प के द्वारा फेकने से पहले, खाली कर दिया जाय, जिससे कि शुद्ध करने वाली औषधि के द्वारा हौज और नल सब पूर्ण तया धुल जाय।

—जब पानी पम्प किया जा रहा हो, तो ऐसा प्रवन्ध करना चाहिये कि सब "स्कर वाल्व" (Scour Valves) बारी २ से खोल दिये जाय, जिससे कि शुद्ध करने वाला द्रव सब भागों में फैल सके।

—जब हौजके पानीको पम्प खाली करदें, तो फिल्टर किया हुआ पानी छोड़ा जाय, और ज्योंही कि काफी पानी एकत्र हो जाय, तो पम्प फिर चलाये जाय, और यह साफ पानी नलोंमें आधे घंटे तक फेंका जाय।

—ग्यारह बजे रात्रिको पानी पम्प करना आरम्भ करके, यह सम्भव होगा, कि प्रात कालके तीन चार बजे तक जब कि घरेलू कामोंके लिये पानी चाहिये होता है, सब कार्रवाई पूरी हो चुके।

उपरोक्त विधि उस दशाके लिये है जब टाईफायड ज्वर फैले। हैजा फैलने पर केवल इतना ही भेद होगा, कि १० गैलन हाईड्रोक्लोरिक ऐसिड भी (Commercial hydrochloric acid) लाल दवाके पानीमें मिलाके हौजमें डाला जाय। हाईड्रोक्लोरिक ऐसिड पहले डोलोंमें पानीमें मिला लेना चाहिये।

हिदायतें जिन पर कुओंकी रक्षाके लिये ध्यान देना चाहिये

कुयेंके घेरेकी दीवार ऊपरकी ओर ढालू कर दी जाना चाहिये जिसमे कि वह लोग जो कुयेंसे पानी निकालें, उसके ऊपर न तो खड़े हो सकें, न घड़े रख सकें। यह दीवार कुयेंके चबूतरेसे लगभग ढाईफुट ऊँची होना चाहिये। उद्देश्य यह है कि मैले पानीकी छींटें, या ऐसे वस्त्रों, या हाथों, या पैरोंकी छींटें, जो रोगसे दूषित हों कुयेंके अन्दर न जाँय। चबूतरेके लिये ऐसी मोरी होनी चाहिये कि जिसके द्वारा सब पानी बह जाया करे, और उस पक्की मोरीकी लम्बाई जो पानी बहाने के लिये बनाई जाय, कुयेंकी गहराईसे ड्योढी होना चाहिये (देखिये गवर्मेण्ट आर्डर NO 100 XI 438 B तारीख ६ मई सन १८९९ ई०)

दफा २२७ किसी ऐसे स्थानके पाससे जिससे पानी प्राप्त होता हो पाखानों आदिका हटाया जाना

बोर्ड नोटिस के द्वारा, किसी ऐसे मालिक या काबिजको जिसकी जमीनमें कोई मोरी, या पाखाना या पेशाबखाना, या कुण्डी (चहबच्चा), या गिलाजत या कूड़ा करकट एकत्र करनेका कोई पात्र, किसी ऐसे श्रोत, या कुप, या तालाब या हौज, या

अन्य ऐसे स्थानके जहांसे पानी प्राप्त हो, पचास फुटके भीतर हो, और जिससे सर्वसाधारणके कामके लिये पानी प्राप्त होता हो, या जिससे ऐसा पानी प्राप्त किया जा सके, आज्ञा दे सकता है, कि वह उसको, उक्त नोटिसके पहुचनेसे एक सप्ताहके भीतर, हटा दे, या बंद करदे।

नोट—नोटिसकी आज्ञाका पालन न किये जाने पर बोर्ड दफा २०७ के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।

दफ़ा २२८ पानीका कर लगानेवाले बोर्डकी ज़िम्मेदारियां

१ प्रत्येक ऐसी म्यूनिसिपलटीके बोर्डका, जहा पानीका कर लगाया गयाहो, कर्तव्य होगा कि—

(ए) किसी नियमित रक़बे, या नियमित रक़बों, के भीतर—

१ नलोंके द्वारा पानी पहुचानेका नियम (तरीका) स्थापित करे। और

२ एक नियमित प्रेशर (Pressure, अर्थात् दबाव या शक्ति) से पानी पहुचानेका प्रबन्ध करे, और नियमित समयों पर पानी पहुचानेका प्रबन्ध करे। और

३ सब ऐसी बड़ी सडकोंमे, जिनमे बडे नल (Main) लगे हों स्टेण्ड पाईपों, (Stend Pipes) या पम्पों, के लिये जो नियमित अन्तरसे लगे हों, पानी पहुचाये। और

(बी) किसी ऐसी इमारत या आराज़ीके मालिक या क़ाबिजको, जिस पर पानी के करकी एक कमसे कम नियमित रक़म लगी हो, आज्ञा दे, कि वह घरेलू मतलबोंके लिये पानी लेनेके अभिप्रायसे, इमारत या आराजी को नियमित घेरे अथवा मुटाईके और नियमित प्रकारके "जोड़नेवाले" नल (Communication pipe) के द्वारा किसी बडे नलसे मिलादे। और

(सी) प्रति चौबीस घण्टेमे प्रत्येक ऐसे मालिक या क़ाबिजके लिये, जो क्लॉज (बी) के अनुसार अपने घरमे नल लगवानेका अधिकार रखता हो, और जिसकी आराजी या इमारतमें नल लगा दिया गया हो, उतना पानी जितना कि उस कर के विचारसे जो उस पर लगाया गया हो, और उसकी अनुमानित घरेलू आवश्यकताओंके विचारसे नियमित हो, एक जमा रखने वाले हौजमें पहुचाये, जो उस इमारत या आराज़ी मे या उसके ऊपर बना हो और जिसमें पानीकी उपरोक्त मात्रा समा सके, और जो उस नमूनेका हो जो नमूना कि नियमित किया गया हो, और जो उस ऊंचाईसे ऊंचा न हो, जो ऊंचाई इस विषय मे नियमित हो।

२ उप दफा (१) मे शब्द "नियमित" का अर्थ है, "दफा २३५ के अनुसार बनाये हुये नियम के द्वारा नियमित किया हुआ"।

व्याख्या—

घरेलू मतलबोंके लिये पानीकी व्याख्या दफा २ के नं० २५ में की गई है। क्लॉज (बी) के अनुसार अधिकार दिया गया है कि जो शख्स पानीके कर की एक नियमित रक़म दिया करे, वह

पने घरमें या अपनी जमीन पर, नल लगवा सकता है परन्तु प्रति दिन पानी देनेकी जिम्मेदारी ोर्डके ऊपर उसी दशामें होगी जब कि मालिक या काबिज अपने घरमें एक ऐसा हौज पानी जमा रनेके लिये बनवा ले, जो क्लॉज (सी) में वर्णित है। इस सम्बन्धमें नमूनेके नियम बना दिये ये हैं जो म्यूनिसिपल मैन्युअलके पन्ने ३६० से ३६५ तकमें दिये हैं।

दफा २२९ मुआहिदेके अनुसार पानी देना

प्रत्येक बोर्ड मुआहिदेके द्वारा, किसी आराजीके मालिक या काबिजको जितना ानी वह किसी मतलबके लिये चाहे, ऐसे बदलाउ पर जो उस दर या उन दरोंके तिकूल न हो जो नियमके द्वारा नियमित हो, और ऐसी शर्तों पर जो इस ऐक्टके और किसी नियमके प्रतिकूल न हो, और जो बोर्ड और उक्त मालिक या काबिजके बीच हरी हो, दे सकता है।

दफा २३० पानी देनेकी फीस

१ जब कोई इमारत या आराजीका मेल किसी बड़े नलसे कर दिया जाय, तो बोर्ड, हां तक कि ऐसा करना ऐसे मुआहिदेके प्रतिकूल न हो जो दफा २२९ के अनुसार किया गया हो, मालिक या किरायेपर देने वाले, या काबिज पर, अर्थात् इन शब्दोंमें जो कोई नियममें नियमित हो, उस कुल पानीके विषयमें, जो खर्च किया जाय, उस रसे या उन दरोंसे, फीस लगा सकता है, जो दर कि नियमित हों।

२ परन्तु शर्त यह है कि बोर्ड उस फीसमें से, जो उस पानीके विषयमें जो किसी ासमें दिया जाय, लगाई जाय पानीके उस कर का बारहवां भाग घटा देगा जो उक्त मारत या आराजी पर कूता गया हो।

व्याख्या—

उपदफा (२)—पानीका कर दफा १२८ के अनुसार लगाया जाता है, और वह म्यूनिसि- ल्टीके सब निवासियोंको देना पड़ता है, चाहे उनके घरके भीतर नल लगा हो या नहीं। परन्तु जो ानीकी फीस इस दफा २३० के अनुसार ली जा सकती है वह केवल उन लोगोंसे ली जा सकती है नके घरके भीतर नल लगाया गया हो। उपदफा (२) का आशय यह है कि किसी शख्सको, ानीके लिये, दुहरा रुपया न देना पड़े, अर्थात् पानीका कर भी लिया जाय और पानीकी फीस भी तएव इस उपदफाके अनुसार यह आज्ञा दी गई है कि जिस मासके विषयमें पानीकी फीस किसी रससे ली जाय, उस मासके लिये पानीका कर न लिया जाय, अर्थात् वर्ष भरके पानीके कर में से ारहवां भाग प्रतिमासके लिये घटा दिया जाय।

दफा २३१ किसी दुर्घटना आदिके होनेपर बोर्डका ज़िम्मेदारीसे मुक्त होना

किसी ऐसी जिम्मेदारीके होते हुये भी जो बोर्डके ऊपर दफा २२८ के अनुसार ाली गई हो, या जो दफा २२९ के अनुसार किसी मुआहिदेके कारण उस पर हो, बोर्ड, ानी न देनेके कारण, किसी प्रकारकी जब्ती, या दड, या हर्ज, का देनदार न होगा,

न्य ऐसे स्थानके जहांसे पानी प्राप्त हो, पचास फुटके भीतर हो, और जिससे सर्वसाधा-
ाके कामके लिये पानी प्राप्त होता हो, या जिससे ऐसा पानी प्राप्त किया जा सके,
ाज्ञा दे सकता है, कि वह उसको, उक्त नोटिसके पहुचनेसे एक सप्ताहके भीतर, हटा
या वद करदे ।

नोट—नोटिसकी आज्ञाका पालन न किये जाने पर बोर्ड दफ़ा २०७ के अनुसार कार्रवाई कर सकता है ।

फ़ा २२८ पानीका कर लगानेवाले बोर्डकी ज़िम्मेदारियां

१ प्रत्येक ऐसी म्यूनिसिपलटीके बोर्डका, जहां पानीका कर लगाया गया हो, कर्तव्य
ागा कि—

(ए) किसी नियमित रक़बे, या नियमित रक़बों, के भीतर—

१ नलोके द्वारा पानी पहुचानेका नियम (तरीक़ा) स्थापित करे । और

२ एक नियमित प्रेशर (Pressure, अर्थात् दबाव या शक्ति) से पानी पहुचानेका प्रबन्ध करे, और नियमित समयों पर पानी पहुचानेका प्रबन्ध करे । और

३ सब ऐसी बडी सड़कोमे, जिनमे बडे नल (Main) लगे हों स्टैण्ड पाईपों, (Stend Pipes) या पम्पों, के लिये जो नियमित अन्तरसे लगे हो, पानी पहुचाये । और

(बी) किसी ऐसी इमारत या आराजीके मालिक या क़ाबिजको, जिस पर पानी के करकी एक कमसे कम नियमित रकम लगी हो, आज्ञा दे, कि वह घरेलू मतलबोंके लिये पानी लेनेके अभिप्रायसे, इमारत या आराजी को नियमित घेरे अथवा मुटाईके और नियमित प्रकारके "जोड़नेवाले" नल (Communication pipe) के द्वारा किसी बडे नलसे मिलादे । और

(सी) प्रति चौबीस घण्टेमे, प्रत्येक ऐसे मालिक या क़ाबिज़के लिये, जो क्लॉज (बी) के अनुसार अपने घरमे नल लगवानेका अधिकार रखता हो, और जिसकी आराजी या इमारतमें नल लगा दिया गया हो, उतना पानी जितना कि उस कर के विचारसे जो उस पर लगाया गया हो, और उसकी अनुमानित घरेलू आवश्यकताओके विचारसे नियमित हो, एक जमा रखने वाले हौजमे पहुचाये, जो उस इमारत या आराजी मे या उसके ऊपर बना हो और जिसमें पानीकी उपरोक्त मात्रा समा सके, और जो उस नमूनेका हो जो नमूना कि नियमित किया गया हो, और जो उस ऊचाईसे ऊंचा न हो, जो ऊचाई इस विषय मे नियमित हो ।

२ उप दफा (१) मे शब्द "नियमित" का अर्थ है "दफ़ा २३५ के अनुसार बनाये हुये नियम के द्वारा नियमित किया हुआ" ।

व्याख्या—

घरेलू मतलबोंके लिये पानीकी व्याख्या दफा २ के न० २५ में की गई है । क्लॉज (बी) के अनुसार अधिकार दिया गया है कि जो शख्स पानीके कर की एक नियमित रकम दिया करे, वह

अपने घरमें या अपनी जमीन पर, नल लगवा सकता है परन्तु प्रति दिन पानी देनेकी जिम्मेदारी बोर्डके ऊपर उसी दशामें होगी जब कि मालिक या काबिज अपने घरमें एक ऐसा हौज पानी जमा करनेके लिये बनवा ले, जो क्लॉज (सी) में वर्णित है। इस सम्बन्धमें नमूनेके नियम बना दिये गये हैं जो म्यूनिसिपल मैन्युअलके पन्ने ३६० से ३६५ तकमें दिये हैं।

दफा २२९ मुआहिदेके अनुसार पानी देना

प्रत्येक बोर्ड मुआहिदेके द्वारा, किसी आराजीके मालिक या काबिजको जितना पानी वह किसी मतलबके लिये चाहे, ऐसे बदलाव पर जो उस दर या उन दरोंके प्रतिकूल न हो जो नियमके द्वारा नियमित हो, और ऐसी शर्तों पर जो इस ऐक्टके और किसी नियमके प्रतिकूल न हो, और जो बोर्ड और उक्त मालिक या काबिजके बीच ठहरी हो, दे सकता है।

दफा २३० पानी देनेकी फीस

१ जब कोई इमारत या आराजीका मेल किसी बड़े नलसे कर दिया जाय, तो बोर्ड, जहा तक कि ऐसा करना ऐसे मुआहिदेके प्रतिकूल न हो जो दफा २२९ के अनुसार किया गया हो, मालिक या किरायेपर देने वाले, या काबिज पर, अर्थात् इन शख्सोंमें से जो कोई नियममे नियमित हो, उस कुल पानीके विषयमें, जो खर्च किया जाय, उस दरसे या उन दरोंसे, फीस लगा सकता है, जो दर कि नियमित हों।

२ परन्तु शर्त यह है कि बोर्ड उस फीसमें से, जो उस पानीके विषयमे जो किसी मासमें दिया जाय, लगाई जाय पानीके उस कर का बारहवा भाग घटा देगा जो उक्त इमारत या आराजी पर कूता गया हो।

व्याख्या—

उपदफा (२)—पानीका कर दफा १२८ के अनुसार लगाया जाता है, और वह म्यूनिसिपल्टीके सब निवासियोंको देना पड़ता है, चाहे उनके घरके भीतर नल लगा हो या नहीं। परन्तु जो पानीकी फीस इस दफा २३० के अनुसार ली जा सकती है वह केवल उन लोगोंसे ली जा सकती है जिनके घरके भीतर नल लगाया गया हो। उपदफा (२) का आशय यह है कि किसी शख्सको, पानीके लिये, दुहरा रुपया न देना पड़े, अर्थात् पानीका कर भी लिया जाय और पानीकी फीस भी अतएव इस उपदफाके अनुसार यह आज्ञा दी गई है कि जिस मासके विषयमें पानीकी फीस किसी शख्ससे ली जाय, उस मासके लिये पानीका कर न लिया जाय, अर्थात् वर्ष भरके पानीके कर में से बारहवा भाग प्रतिमासके लिये घटा दिया जाय।

दफा २३१ किसी दुर्घटना आदिके होनेपर बोर्डका ज़िम्मेदारीसे मुक्त होना

किसी ऐसी जिम्मेदारीके होते हुये भी जो बोर्डके ऊपर दफा २२८ के अनुसार डाली गई हो, या जो दफा २२९ केअनुसार किसी मुआहिदेके कारण उस पर हो, बोर्ड, पानी न देनेके कारण, किसी प्रकारकी जब्ती, या दंड, या हर्ज, का देनदार न होगा,

यदि इस प्रकार पानी न पहुचाया जाना किसी दुर्घटनाके कारण हो, या असाधारण अनावृष्टिके कारण हो, या किसी ऐसे कारणसे हो जो बोर्डकी सामर्थ्यसे बाहर हो।

नोट—जब्तीका अर्थ है जब्तकर लिया जाना। आशय यह है कि यदि उन कारणोंमें से, जो इस दफामें गिनाये गये हैं, किसी कारणसे बोर्ड पानी न दे सके तो किसीको यह अधिकार न होगा कि पानीके कर की कोई रकम जो उसके जिम्मे चढ़ी हो जब्त करले, या अन्य कोई रकम जो बोर्डको चाहिये हो वह न दे।

दफा २३२ अन्य मतलबोंके लिये पानीका दिया जाना, घरेलू मतलबोंके लिये पानी दिये जानेके अधीन होना

किसी ऐसी जिम्मेदारीके होते हुये भी जो बोर्डके ऊपर दफा २२९ के अनुसार किये हुये किसी मुआहिदेके कारण हो बोर्ड किसी समय पर, घरेलू मतलबोंके सिवाय, अन्य मतलबोंके लिये, पानीका पहुचाना बन्द कर सकता है यदि बोर्डकी यह राय हो कि ऐसे अन्य मतलबोंके लिये पानी दिये जानेके कारण घरेलू मतलबोंके लिये पानी पहुचाने मे विघ्न पड़ेगा, और ऐसी दशामें पानी पहुचाना बन्द कर देनेसे बोर्ड किसी जब्ती, या दण्ड, या हर्जे, का देनदार न होगा—

(ए) सिवाय उस दशाके कि पानी उन कारणोंमे से जो दफा २३१ मे वर्णित किसी कारणसे नही वरन अन्य किसी कारणसे न पहुचाया जाय। और

(बी) सिवाय उस सूरतके कि बोर्डने, घरेलू मतलबोंके सिवाय, अन्य मतलबोंके लिये, पानी पहुचानेकी जिम्मेदारी किसी ऐसे मुआहिदेके द्वारा ली हो, जो दफा २२९ के अनुसार किया गया हो, और उसमें पानी न पहुचानेकी दशामें जब्ती, या दण्ड, या हर्जे, की स्पष्ट शर्त रखी गई हो।

व्याख्या—

"घरेलू मतलबोंके लिये पानी" की व्याख्या ऐक्टकी दफा २ में कर दी गई है। म्यूनिसिपलटीके कारखानेका मुख्य उद्देश्य घरेलू मतलबोंके पानी देनेका माना गया है। अन्य मतलबोंके लिये, जैसे बाग सींचने या किसी कारखानेको चलाने, के लिये बोर्ड उसी दशामें पानी देगा, जब कि घरेलू मतलबोंसे पानी बचे। चाहे बोर्डने कोई मुआहिदा, दफा २२९ के अनुसार, अन्य मतलबों के लिये पानी देनेका किया हो, तो भी बोर्ड को अधिकार दिया गया है, कि उस दशामें बोर्ड ऐसे मुआहिदेको पूरा न करे, जब कि उसकी रायमें, अन्य मतलबोंके लिये पानी देनेसे घरेलू मतलबोंके लिये पूरा पानी न दिया जा सकता हो। बोर्ड किसी हर्जे आदिके देनेका जिम्मेदार उसी दशामें होगा जब कि बोर्डने उस मुआहिदेमें, जो उसने अन्य मतलबोंके लिये पानी देनेके लिये किया हो, यह शर्त स्पष्ट रूपसे की हो कि पानी न पहुचनेकी दशामें बोर्ड हर्जा देगा। यदि हर्जेकी स्पष्ट शर्त मुआहिदेमें न होगी तो बोर्डको उक्त मुआहिदेको पूरा न करनेके लिये कोई हर्जा न देना होगा। या दूसरी दशा जिसमें बोर्ड हर्जेका देनदार होगा यह है कि पानी किसी ऐसे कारणसे न दिया जाय जो उन कारणोंमे से न हो जो दफा २३१ में बताये गये हैं।

दफा २३३ पानी दिये जानेके अधिकारका बंधेज, लगाने वाले नियमोंके अधीन होना

किसी ऐसे हुक्मके होते हुये भी जो दफा २२८ मे हो, और किसी ऐसी बातके

होते हुये जो दफा २२९ के अनुसार किये हुये किसी मुआहिदेमे हो, किसी इमारत या आराजीके लिये पानीका पहुचाना, ऐसे नियमोंकी आज्ञाओंके अधीन होगा, जो दफा २३५ के द्वारा बनाये गये हों, और विशेषत उन आज्ञाओंके अधीन होगा जो पानीकी मात्राकी सीमा नियत करने, और उसके रोक देने, और नष्ट किये जाने और उसका अनुचित प्रयोग करने, के सम्बन्धमे हों, और यही माना जायगा कि पानीका दिया जाना उन्हीं आज्ञाओंके अधीन मजूर हुआ है।

नोट—दफा २३५ के द्वारा पानी दिये जानेके सम्बन्धमें नियम बनानेकी आज्ञा दी गई है। वह नियम उक्त दफाके बाद दिये गये हैं।

दफा २३४ मीटरों और मिलानेवाले नलोंके सम्बन्धमें हुक्म

किसी इमारत या आराजीमें पानी पहुचानेके सम्बन्धमें लगाये हुये सब मीटर (अर्थात् पानी नापनेके यन्त्र) और "मिलाने वाले नल" (Connection pipe), और अन्य काम, सिवाय उस दशाके जिसके लिये नियममें किसी अन्य प्रकारका हुक्म हो, उस शख्सके खर्चसे, जो पानी चाहता हो, लिये जायगे, और उनकी मरम्मतकी जायगी, या बढ़ाये जायगे, या उनमें परिवर्तन किया जायगा, जैसी कि आवश्यकता हो। परन्तु वह सब बोर्डकी निगरानीमे रहेंगे।

व्याख्या—

मिलाने वाले नलका अर्थ है कोई ऐसा नल जो पानीके बडे नलसे किसी इमारत या आराजी को पानी पहुचाये। उसकी पूरी व्याख्याके लिये देखिये प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये हुये पानी पहुचानेके नियमोंमें से नियम न० १, जो दफा २३५ के बाद दिये गये हैं।

दफा २३५ पानी दिये जानेके सम्बन्धमें नियम

१ नीचे लिखी बातोंका, जो म्यूनिसिपलटीके, या सार्वजनिक, पानीके कारखानों से, पानी दिये जानेके सम्बन्धमें है, प्रबन्ध नियमोंके अनुसार होगा, और वे नियमोंके अधीन होंगी, अर्थात्—

(ए) प्रत्येक ऐसी बात, जिसके सम्बन्धमे, इस ऐक्टमे यह निश्चय किया गया हो, कि उसके विषयमे नियमके द्वारा हुक्म दिया जायगा।

(बी) उन बडे और छोटे नलोंका नाप, जो लगाये जायगे, और यह कि वे किस प्रकारके होंगे, और पानी पहुचानेके लिये काम (तामीरात) जो बोर्ड बनायेगा।

(सी) पानीके कारखानेके कामोंका (तामीरात), और उन नलों, और पुरजों का, जो उनके सम्बन्धमे लगाये गये हों, बनाया जाना, निगरानी, और कायम रखा जाना।

(डी) स्टेण्ड पाईप (Stand pipe), या पम्पों, का नाप जो बोर्ड बनायेगा, और यह कि वे किस प्रकारके होगे।

(ई) बडे या छोटे नल, जिनमे आग बुझानेकी टोंटिया (Fire plugs) लगाई

जायगी, और वह स्थान जहा आग बुझानेकी टोटियोकी कुजिया रखी जायगी।

(एफ) किसी निश्चित अवधि पर किसी योग्यता प्राप्त जाच करने वाले (Analyst) के द्वारा, उस पानीकी जाचकी जाना, जो बोर्ड दे।

(जी) पानी प्राप्त करनेके जरियो, और स्थानो, और पानी पहुचानेकी वस्तुओं को, चाहे वह म्यूनिसिपलटीकी हदोंके भीतर हो या बाहर, सुरक्षित रखना, और उनको हानिसे और दूषित होनेसे बचाना।

(एच) वह विधि जिसके अनुसार पानीके कामोसे, घरो आदिमे पानी पहुचाने के नल बनाये जायगे, या कायम रखे जायगे, और वह शख्स जिनसे ऐसे कामोके बनाने या कायम रखनेके लिये, काम लिया जायगा, या लिया जा सकेगा।

(आई) उन सब बातोका, और वस्तुओका प्रबन्ध, जिनका सम्बन्ध पानीके पहुचाये जाने, और पानीको काममे लाये जाने, और पानीके खोले जाने, और बन्द किये जाने और पानीको नष्ट होनेसे बचाने, से हो।

(जे) पानीके महसूलका, और अन्य खर्चोंका, को पानीके दिये जानेमे पड़े, जमा किया जाना, और उनके देनेसे बचनेको रोकनेके उपाय।

(के) पानी दिये जानेके सम्बन्धमे कोई अन्य बात, जिसके विषयमे इस ऐक्ट मे कोई आज्ञा न हो, या जो आज्ञा हो वह काफी न हो, और प्रान्तीय सरकारकी रायमे, किसी और आज्ञाका दिया जाना आवश्यक हो।

२ परन्तु शर्त यह है, कि बिना गवर्नर जनरल और उनकी कौन्सिलकी पहिलेसे मजूरी लिये हुये, कोई ऐसा नियम उपदफा (१) के अनुसार, नही बनाया जायगा, जिसका असर किसी छावनी पर, या छावनीके किसी भाग पर, पड़े।

नोट—दफा २३४ के सम्बन्धमे जो नियम प्रातीय सरकारने बना दिये हैं वह इसके आगे दिये जाते हैं।

संयुक्तप्रान्तके लिये म्यूनिसिपलटीके द्वारा पानी दिये जानेके विषयमें नियम (Rules)

(दफा २३५ के सम्बन्धमे)

(विज्ञापन No 1906 XI 6 H, तारीख ५ जुलाई सन १९१६ ई०)

प्रारम्भिक

१ इन नियमोंमें, यदि विषय अथवा प्रसगकी दृष्टिसे नीचे लिखे अर्थ लगाना अयोग्य और अनुचित न हो—

(१) "जोडने वाला नल" (Communication pipe) का अर्थ होगा, कोई नल, या नलोंका समूह (System of pipe), उनके सब पुरजोंके सहित, जिसके या

जिनके द्वारा, म्यूनिसिपल्टी के पानी देनेके किसी बडे नल (Main) से, किसी इमारत या आराजीको पानी दिया जाय ।

(२) "मिलाने वाला नल" (Connection pipe) का अर्थ होगा, कोई नल, नलोंको मिलाने वाली टोपीसे (Ferrule) नल खोलने बन्द करने वाली कुंजी (Stopcock) तक, जो म्यूनिसिपल्टीके पानी देने वाले बडे नलको किसी ऐसे नलसे मिलाये, जिसके द्वारा इमारत आदिमें पानी पहुचाया जाता हो ।

(३) "फेरयूल अर्थात् नलोंको मिलाने वाली टोपी" (Ferrule) का अर्थ होगा, ऐसी टोपी जो पानीके बडे नलको (Main) किसी 'मिलाने वाले नल" से मिलाये ।

(४) "इमारत आदिमें पानी पहुचाने वाला नल" (Service pipe) का अर्थ होगा, कोई ऐसा नल (मिलाने वाले नलको छोडके) जिसके द्वारा पानी किसी इमारत या आराजीको दिया जाय।

(५) "स्टॉपकॉक अर्थात् नल खोलने बन्द करनेकी कुंजी" का अर्थ होगा, कोई कुंजी जो किसी मिलाने वाले नलके उस सिरे पर लगीहो जो पानी देनेके बडे नलसे सबसे अधिक अन्तर पर हो, और जो बडे नलसे किसी इमारत या आराजीमें पानीका जाना बन्द कर देनेके मतलबके लिये, या पानीका जाना कम बढ करनेके मतलब के लिये, होती है ।

२ वह सब रकमें जो, इन नियमोंके अनुसार, या अन्य किसी ऐसे नियमोंके अनुसार जो म्यूनिसिपल्टीके द्वारा पानी दिये जानेके सम्बन्धमें हों, किसी पर चाहिये हों, उस विधिसे वसूल की जा सकेंगी, जो छठे प्रकरणमें नियत कर दी गई है ।

३ जब किसी फीसोंके, या अन्य खर्चोंके, विषयमें उक्त किसी नियमके द्वारा यह निश्चय किया गया हो, कि वह किसी इमारत या आराजीके काविजसे वसूल किया जा सकता है और उस इमारत या आराजीके एकसे अधिक काविज हों, तो उक्त इमारत या आराजीका मालिक उसका काबिज माना जायगा ।

"सर्वसाधारणको पानी दिया जाना—साधारण" दरख्वास्ते

४ इससे पूर्व कि कोई शख्स किसी मिलाने वाले नलको, लगाना या उसमें परिवर्तन करना, या बढाना, आरम्भ करे, उसको एक दरख्वास्त उस छपे हुये फारम पर, जो कि शिड्यूल न० १ में, जो इन नियमोंके सग लगा दिया गया है, नियमित हैं, भरना होगी, और म्यूनिसिपल्टीके दफ्तरमें देना होगी, और जिस जायदादमें नल लगाया जाने को हो, उसके मालिकके, दरख्वास्त पर, हस्ताक्षर होंगे, या उस शख्सके हस्ताक्षर होंगे, जिसकी उक्त जायदादपर लगे हुये जायदादके करोंके देने की, प्रथम जिम्मेदारी हो ।

५ किसी ऐसी दरख्वास्तके सग, जो म्यूनिसिपल्टीके बडे नलसे मिलाये जानेके लिये हो, दो रुपयेकी फीस अदा की जायगी ।

नोट—यह नियम नैनीतालकी म्यूनिसिपल्टी पर लागू न होगा ।

६ यदि दरख्वास्त देने वाला किसी, लैसन्सदार नल लगाने वालेसे, (और बोर्डसे नहीं) मिलान

पानीके कारखानेके सुपरिण्टेण्डेण्टकी रायमें,उसको हानि पहुच सकती हो,तो वह एक ऐसे बाहरी वारनिश किया हुआ पत्थरका खोल, या ढले हुये लोहे के नलमेंसे होके ले आया जायगा, जिसकी लम्बाई और मजबूती ऐसी हो कि वह पानीके नलकी पूरी रक्षा कर सके।

१६ प्रत्येक मिलाने वाले नलमें एक पीतलकी 'कुंजी' (Stopcock) लगाई जायगी जिसका पानी ले जानेका घेरा उतनाही होगा, जितना कि नलका, और वह कुंजी उस स्थान पर लगाई जायगी जहा कि नल मकानादिमें प्रवेश करे, या उस स्थानके निकट लगायी जायगी, और ऐसी कुंजी सिवाय चेयरमैन या एक्जिक्यूटिव अफसरकी लिखित आज्ञाके, मकान आदिके बाहर न लगाई जायगी। उसके स्थानका पता देनेके आशयसे वह एक ऐसे बक्ससे भीतर रखी जायगी, जिसके ऊपरसे चला-फिरी हो सके और वह बक्स ईंट चूनेकी चबूतरी पर रखी जायगी। बक्स ऐसा बनाया जायगा कि उसमें ताला लगाया जा सके, और उसकी कुंजी म्यूनिसिपलटीके इञ्जिनियर या पानीके कारखानेके सुपरिण्टेण्डेण्टकी निगरानीमें रहेगी। कुंजी ऐसी होगी कि उससे नलका मुह छोटा बडा किया जा सके, जिससे पानीकी मात्रा जो किसी मकान आदिको दी जाय घटाई बढ़ाई जा सके।

१७ सिवाय म्यूनिसिपलटीके इञ्जिनियरकी या पानीके कारखानेके सुपरिण्टेण्डेण्टकी आज्ञाके, कोई टैप (Tap अर्थात् पानी निकलनेका बाहरी मुहरा) आधे इञ्च घेरेसे अधिकका न होगा, और सिवाय उन नमूनोंके जो "स्प्रिङ्ग कॉक" (Spring Cock) या "पुश टैप" (Push tap) कहलाते हैं, और किसी प्रकारका न होगा, और टैप किसी इमारतकी बाहरी भीतमें न लगाया जायगा, जब तक उस पानीके नापके लिये, जो दिया जाय, मीटर (Meter अर्थात् पानी नापनेका यन्त्र) न लगा हो।

मीटर (Meters)

१८ प्रत्येक मीटर कुंजीसे इतना निकट लगाया जायगा, जितना कि सम्भव हो और ऐसे स्थान में लगाया जायगा जहा कि सुविधासे उसकी जाचकी जा सके।

१९ इमारत आदिमें पानी पहुचाने वाले नलसे कोई मीटर अलग न किया जायगा, न उसमें किसी अन्य प्रकार दखल दिया जायगा, सिवाय म्यूनिसिपलटीके इञ्जिनियर या पानीके कारखानेके सुपरिण्टेण्डेण्टकी आज्ञासे।

२० मीटरकी सुई जितने पानीको जाने का संकेत दे, वह उस पानीकी मात्राका प्रत्यक्ष प्रमाण होगा जो कि खर्च की गई।

२१ जब कोई मीटर, किसी ऐसी अवधि तक जो एक सप्ताहसे अधिक हो, बिगडा रहे, तो बोर्ड या एक्जिक्यूटिव अफसर, उन सूचनाओंके आधार पर जो प्राप्त हो सके, और जिनको वह सबसे अधिक विश्वासनीय समझे, यह तखमीना करेगा, कि पानीकी कितनी मात्रा ऐसी अवधिमें खर्च की गई। और ऐसे तखमीनेसे जितनी मात्रा आवे, वही मानी जायगी कि वास्तवमें खर्च हुई। किन्तु उस अवधिके लिये जब तक कि मीटर बिगड़ा रहे, मीटरका कोई किराया न लिया जायगा।

२२ किसी मासके विषयमें जब पानीके खर्चका वह हिसाब किसी काबिजके पास पहुचे, जो कि मीटरकी सुईने बताया हो, तो उससे १५ दिनके भीतर, उक्त काबिज बोर्डसे प्रार्थना कर सकता है कि मीटरकी जाच कराई जाय। यदि जांचसे यह विदित हो कि मीटरकी सुईकी चाल उस चालकी अपेक्षा जो कि होना चाहिये, तीव्र हो गई है, किन्तु उक्त तीव्रताके कारण पांच प्रति सैकड़ासे कमका

भेद पड़ता है, तो ऐसी जाचका व्यय काबिजको उठाना होगा। किसी अन्य दशामें ऐसा व्यय बोर्ड को उठाना पड़ेगा। और तख़मीनेसे, जितना अधिक महसूल लिया गया होगा वह उस मासके लिये जिसके विषयमें मीटरके ठीक होने की शका की गई हो, दरके हिसाबसे, लौटा दिया जायगा। मीटरकी जाच करनेकी फीस ५)रु० होगी (या इलाहाबाद, बनारस और आगराकी म्यूनिसिपलटियोंमें २) रुपये होगी)।

हौज़, टंकियां और पाखाने इत्यादि

२३ प्रत्येक हौजमें एक "बॉल वाल्व" (Ball Valve), और पता देने वाला नल (Detective or Warning pipe), लगाया जायगा, और उसमें प्रवेश करने और जाच करनेके उचित उपाय रखे जायगे, और यदि वह पानी पीनेके काममें लाया जाता हो, तो गरदा बचानेके लिये उस पर एक ढक्कन रहेगा।

२४ सब पाखानोंको (Water Closets) पानी हौजसे दिया जायगा, इमारत आदिमें पानी पहुचाने वाले नलसे पानी सीधा नहीं दिया जायगा। न किसी प्रकारके टैप (मुहरे) से पानी दिया जायगा। पाखानोंको पानी देने वाले प्रत्येक हौजमें, एक ऐसा यन्त्र लगाया जायगा, जिससे कि पानी व्यर्थ जाना पूरे प्रकार रुक सके। और वह इस प्रकार बनाया जायगा कि उसमेंसे लगातार पानी न निकल सके, और प्रत्येक बार खोले जाने पर तीन गैलनसे अधिक पानी न निकल सके। और हौजका नाप ऐसा होगा कि उसमें कमसे कम आठ बेर के लिये पानी समा सके।

२५ सब पेशाबखानोंको पानी या तो हौजसे दिया जायगा, या नलसे, जिसमें खोलने बन्द करनेके लिये कुजी लगी होगी। पेशाबखानोंको पानी देने वाले प्रत्येक हौजमें ऐसा यन्त्र लगाया जायगा कि जिससे पानीका नष्ट होना पूरे प्रकार रुक सके, और हौज इस प्रकार बनाया जायगा कि उसमेंसे लगातार पानी न निकल सके, और प्रत्येक बार खोले जाने पर आधे गैलन पानीसे अधिक न निकल सके।

२६ भाप उत्पन्न करने वाले प्रत्येक बॉयलर (Boiler) को पानी हौजसे दिया जायगा। मकानों आदिमें पानी पहुचाने वाले नलसे सीधा मेल करके नहीं दिया जायगा।

२७ ढोरोंको पानी पिलानेकी टंकियोंमें उचित ढगकी "बॉल" कुजी लगाई जायगी।

२८ आग बुझाने अथवा अन्य कामों के लिये "हाईडाट" (Hydrant अर्थात् वह नल जिसमें बडे नलसे, आग बुझाने आदिके लिये पानी आता है) के लगाये जानेकी आज्ञा बोर्डकी विशेष इजाजतसे दी जायगी।

काम किसके द्वारा कराये जायं और उनकी निगरानी—

२९ जहा कहीं म्यूनिसिपलटीके बडे नलसे, या पानी पहुचानेके अन्य किसी काम (तामीर) से, नया मेल किया जाय, या किसी ऐसे मेलमें जो किया जा चुका हो, किसी चीजके बदले जानेकी आवश्यकता हो तो मिलाने वाला नल (Connection pipe), और उसके सब पुर्जे बोर्ड देगा, और ये म्यूनिसिपलटीकी निगरानीमें लगाये जायगे (लगानेका काम किसी ठेकेदारके द्वारा कराया जायगा या किसी अन्य प्रकार) और उसका व्यय वह मनुष्य उठायेगा, जिसकी दरख्वास्त पर मेल किया गया हो, या कोई चीज बदली गई हो।

३० पानी पहुचाने का कोई नल, या कोई अन्य पुर्जा, सिवाय बोर्डके किसी ऐसे अफसर या कर्मचारीकी निगरानीके, जिसको इस अभिप्रायसे चेयरमैन या एक्जिक्यूटिव अफसरने नियत किया हो न लगाया जायगा न जोडा जायगा। और ऐसा अफसर या कर्मचारी, जब मेल, सन्तोषजनक विधिसे, पूरा हो जाय, और जब बहे हुये पानीके निकासका उचित प्रबन्ध कर दिया जाय, तो उसके पूरा हो जानेका सार्टिफिकेट देगा। वह शख्स जिसके कहनेसे कि मेल किया गया हो निगरानीका खर्चा और सार्टिफिकेटका खर्चा, उस म्यूनिसिपलटीको जिससे काम कराया गया हो, उस दरसे पेशगी देगा, जो म्यूनिसिपलटी के लिये नियत किया गया हो।

नोट—यद्यपि नियम न० २९ और ३० में वही भेद रखे गये हैं, जो मुमालिक मगरबी और शुमाली तथा अवध के वाटर वर्क्स ऐक्ट, सन १८९१ई० (North Western Provinces & Oud Water Works Act, 1891) की दफा १३ और १५ ने उन नलों और पुर्जों में, जो किसी इमारतके भीतर हों, और उन मेल करनेवाले नलों में जो सडकोंके नीचे लगे हों, किये थे, और जिस भेदके द्वारा कि इमारतके भीतर वाले नलोंको कोई लैसन्सदार प्लम्बर (नल बनाने वाला) बना सकता था, परन्तु इमारतके बाहर वाले नलोंको म्यूनिसिपलटीही बना सकती थी, तथापि कोई बोर्ड जो यह चाहे कि नल लगानेके सम्बन्धके सब काम म्यूनिसिपलटीके द्वारा किये जाय, दफा २९० के अनुसार बाई-लॉ बना सकता है। ऐसी दशामें बोर्डको चाहिये कि वह इस बातकी दरख्वास्त करे कि वह उन सब नियमोंकी आज्ञा पालनसे मुक्त किया जाय, जो इस विषयमें हों कि नलोंका काम किसके द्वारा कराया जाय, और कौन उनकी निगरानी करे।

३१ सिवाय म्यूनिसिपलटीके मारफत (जिसमें काम किसी ठेकेदारके द्वारा या अन्य प्रकार कराया जायगा) म्यूनिसिपलटीके किसी बडे नल, या पानीके कामसे न कोई मेल किया जायगा, न वह बदला जायगा, न मरम्मत की जायगी, न मेल अलग किया जायगा।

३२ कोई मेल, या मकान आदिमें पानी पहुचनेका नल, और कोई पुर्जा, जो किसी नियमके विरुद्ध लगाया, या बदला, या जोडा गया हो, वह चेयरमैन या एक्जिक्यूटिव अफसरके हुक्मसे, और पानी लेने वाले के खर्चेसे, हटा दिया जा सकता है, या फिरसे लगाया जा सकता है, या फिर से जोडा जा सकता है।

३३ पानी पहुचानेके सम्बन्धमें, किसी कामको, कोई शख्स न करेगा, जब तक कि पानी के नलोंके लगाने वाले लैसन्सदारोंमें वह शामिल न कर लिया गया हो, और उसका नाम रजिस्टर में न चढा लिया गया हो, और जब तक कि वह इस बातका मुआहिदा न करे कि वह बोर्डके नियमों के अनुसार काम करेगा, और उनकी आज्ञा पालन करेगा। नल लगाने वाले (Plumber) का लैसन्स, किसी ऐसे शख्सको दिया जा सकता है, जो या तो स्वयं इस काममें योग्यता प्राप्त किये हो, या जो किसी योग्यता प्राप्त कारीगर को नौकर रखता हो। बोर्ड को अधिकार है कि वह कोई ऐसी परीक्षा, योग्यताओं की जाच के लिये नियमित कर दे, जो वह आवश्यक समझे।

३४ उस मुआहिदे में, जिसका उल्लेख नियम न० ३३ में किया गया है, निम्नलिखित शर्तें सम्मलिखित होंगी, अर्थात्—

(ए) कि लैसन्सदार नल लगाने वाला, उन सब कामों में जिनमें उससे काम लिया जाय, बोर्ड को, और म्यूनिसिपलटी के सब अफसरों को, उन नियमों की आज्ञा के जो उस समय प्रचलित हों, पूरा कराने, और पालन कराने में सब प्रकारकी सहायता जो उसके वश में हो, देगा।

(बी) कि लैसन्सदार नल लगाने वाला, प्रत्येक दशा में, जिसमें कि उससे काम लिया

जाय, जहां तक उसके काम से सम्बन्ध हो, उन नियमों का पालन करेगा जो उस समय प्रचलित हों और उन हुक्मोंका पालन करेगा जो म्यूनिसिपलटीका इंजिनियर या पानी के कारखाने का सुपरिन्टेन्डेन्ट दे, और जो किसी मामले की दशा के अनुसार उस पर लागू होते हों।

(सी) कि यदि किसी समय पर कोई ऐसा लैसन्सदार या कोई कारीगर, जिसको वह नौकर रखता हो, उक्त नियमों का उल्लंघन करे, या उनसे बचाना चाहे, तो उस का नाम बोर्ड की इच्छानुसार, या जहां ऐग्ज़िक्यूटिव अफसर हो, तो ऐग्ज़िक्यूटिव अफसर की इच्छानुसार, लैसन्सदार नल लगाने वालों की सूची से, काट दिया जाय, और ऐसी दशा में उक्त लैसन्सदार अपना लैसन्स म्यूनिसिपलटी के दफ्तर को तुरन्त लौटा देगा।

(डी) जब कि कोई ऐसा नल लगाने वाला किसी ऐसे हुक्म के अनुसार कार्रवाई करे, जिसके द्वारा उसको (नल लगाने के लिये) सड़क खोदने की आज्ञा दी गई हो और वह किसी सड़क को खोदके, किसी ऐसी हानि की उचित रूप से और कारीगरी के ढंग से, ऐसी मरम्मत न करदे, जो म्यूनिसिपलटी के इंजिनियर और पानी के कारखाने के सुपरिण्टेण्डेण्ट के प्रति संतोष प्रद हो, तो सड़क की उचित रूप से मरम्मत उक्त नल लगाने वाले के खर्च से, की जायगी, और ऐसा खर्चा, उस विधि से वसूल किया जायगा, जो छठे प्रकरण में बताई गई है।

(ई) कि लैसन्सदार नल लगाने वाला, उस समय से बारह घण्टे के भीतर, जब कि, नियम नम्बर ४८ की आज्ञानुसार, कोई शख्स उसको काम पर लगावे जोड़ने वाले नल में (Communication Pipe) या उस हौज में, जो उक्त नल के सम्बन्ध में हो, किसी ऐसे स्थान की मरम्मत कर देगा जहां से पानी टपकता हो।

(एफ) कि ऐसा लैसन्सदार नलों के लगाने के किसी नये काम को बोर्ड का हुक्म मिलने से दो सप्ताह के भीतर बनाना आरम्भ कर देगा, और उक्त काम को वाजिबी समय के भीतर, समाप्त कर देगा।

३५ जोड़ने वाले नल (Communication Pipe) के सब पुरजों की जाच म्युनिसिपलटी का इंजिनियर या पानी के कारखाने का सुपरिण्टेण्डेण्ट या कोई अन्य शख्स जिसको उक्त अफसरों में से किसी ने जाच करने का अधिकार दिये हो इससे पूर्व कि वह लगाये जांय जाच करेगा और मेरठ की म्यूनिसिपलटी को छोड़ के ऐसी जाच के लिये नीचे लिखी फीस ली जायगी।

पुरजा	फीस
स्टॉप कॉक बॉक्स (Stop Cock Box)	२ आने
बिब कॉक तथा स्टाप टैप (Bib Cock and Stop tap)	२ ,,
स्नानागार और पाखानों के पुर्जे	२ ,,
बॉल टॉप (Ball top)	३ ,,
नल वाले पाखानों का हौज	३ ,,
,, ,, ,, ,, ,, बॉल कॉक सहित	६ ,,
गैलवेनाईज्ड लोहे की टंकी	८ ,,
,, ,, का नल	९ ,, प्रति फुट

किसी ऐसे पुरजे की जाच नहीं की जायगी जिसपर बनाने वालेके नामकी मुहर न लगी होगी ।

३६ नियमित नाप के पुरजों के नमूने जिनको सरकारी सेनिटेरी इंजिनियर मजूर कर देगा, म्यूनिसिपलटी के इजिनियर और पानी के कारखाने के सुपरिन्टेन्डेन्ट के दफ्तर में, जांच के लिये रखे जायगे ।

३७ नमूने के पुरजे, जो म्यूनिसिपलटी के इजिनियर, को या पानी के कारखाने के सुपरिन्टेन्डेन्ट को भेंट किये जाय, उन पर यदि सेनिटेरी इजिनियर उनको मजूर कर दे, मुहर लगाई जायगी और वह नियमित पुरजों (Stand and fittings) में रख दिये जायंगे ।

बोर्ड के अधिकार

३८ बोर्ड, या जहां एक्जिक्यूटिव अफसर, हो तो ऐसा अफसर, किसी मिलाने वाले नल को (Connection pipe) किसी ऐसी अवधि के लिये, जो वह उचित समझे अपनी निगरानी में स्थाई रूप से ले सकता है ।

३९ बोर्ड, यदि वह उचित समझे, किसी ऐसे मिलाने वाले नल को, जो किसी ऐसी सडक या आराजी में लगा हो, जिस पर बोर्ड का अधिकार हो अपने कब्जे में ले सकता है, और इसके पश्चात् ऐसा नल बोर्ड के अधिकार में रहेगा, और बोर्ड उसको कायम रखेगा, और बोर्ड ही के कब्जे में वह रहेगा, जैसे कि वह म्यूनिसिपलटी के कारखाने का भाग हो ।

४० नीचे लिखे उद्देश से, बोर्ड या जहा एक्जिक्यूटिव अफसर हो तो ऐसा अफसर, किसी ऐसी इमारत या आराजी की जाच कर सकता है, जिसका सम्बन्ध म्यूनिसिपलटी के किसी बडे नल (Main) से हो —

(ए) किसी मीटर को हटाने, जाचने, परीक्षा करने, या उसकी जगह दूसरा मीटर रखने के लिये । या

(बी) किसी जोडने वाले नल की, और पानी जमा करने के किसी हौज की, जो उक्त नल के सम्बन्ध में बना हो, परीक्षा करने के लिये । या

(सी) यह देखने के लिये कि पानी नष्ट तो नहीं होता, या उसका दुरुपयोग तो नहीं किया जाता ।

४१ जब किसी ऐसे जोडने वाले नल में, या हौज में, जो किसी इमारत या आराजी के मालिक या काबिज का हो, कोई दोष पाया जाय, तो बोर्ड, या जहा एक्जिक्यूटिव अफसर हो तो ऐसा अफसर, ऐसे मालिक या काबिज को यह आज्ञा दे सकता है कि वह उस दोष के दूर करने का उपाय करे ।

४२ बोर्ड को या जहा एक्जिक्यूटिव अफसर हो ऐसे अफसर को, अधिकार होगा (और इस अधिकार का किसी दूसरे अधिकार पर जो ऐक्ट के द्वारा या इस ऐक्ट के अनुसार दिया गया हो कोई प्रभाव न पडेगा) कि नीचे लिखी दशाओं में किसी समय, नलों के किसी निजी मेल को (Private Connection) बन्द कर दे, या किसी मिलाने वाले नल को बडे नलसे प्रथक कर दे अर्थात् —

(ए) उस दशा में, जब कि किसी निजी मेल के विषय में पानी के कर या अन्य फीसें इस तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, जिस पर बिल पेश किया जाय, न दी जाय उस समय तक जब तक कि पिछली बाकी दे न दी जाय ।

(बी) उस दशामें जब कि जोड़ने वाला नल टूट जाय, या उसको कोई हानि हो जाय—उस समय तक जब तक कि टूटे हुये स्थान की मरम्मत, या हानि या दोष का सुधार इस प्रकार न कर दिया जाय कि जो म्यूनिसिपलटी के इंजिनियर या पानी के कारखाने के सुपरिन्टेन्डेन्ट के प्रति सन्तोष प्रद हो।

(सी) उस दशा में जब कि पानी खराब जाता हो—जब तक कि ऐसे उपाय इस प्रकार न कर दिये जांय जिनके द्वारा फिरकभी पानी खराब न जा सके, और जो म्यूनिसिपलटी के इंजिनियर और पानी के कारखानेके सुपरिन्टेन्डेन्ट के प्रति सतोष प्रद हो।

(डी) उस दशा में जब कि जोड़ने वाला नल बिना बोर्ड की इजाजत के, या जहां ऐक्जिक्यूटिव अफसर हो तो बिना ऐसे अफसर की इजाजत के, उस हद से बढ़ा दिया जाय जो हद कि मजूर किये हुये नक्शे में दिखाई गई हो—जब तक कि ऐसा बढ़ाव काट न दिया जाय।

(ई) उस दशा में जब कि कोई मकान या आराजी खाली हो।

(एफ) यदि किसी ऐसे अफसर को जिसका उल्लेख नियम न० ४० में किया गया है उन मतलबों के लिये जो उक्त नियम में बताये गये हैं, किसी मकान या आराजी में प्रवेश न करने दिया जाय, या यदि ऐसा कोई अफसर ऐसी परीक्षा करने से रोका जाय जिसका उल्लेख उक्त नियम में किया गया है—जब तक कि बिला रोक टोक के प्रवेश करने की आज्ञा न दे दी जाय।

(जी) यदि बोर्ड द्वारा, या जहां ऐक्जिक्यूटिव अफसर हो तो ऐक्जिक्यूटिव अफसर के द्वारा, भेजा हुआ किसी लिखित नोटिस के मिलने के पश्चात, जिसके द्वारा किसी ऐसी इमारत के मालिक या काबिज को जिसका मेल म्यूनिसिपलटी के बड़े नल से हो, यह आज्ञा दी गई हो कि वह नीचे लिखे कामों को न करे और उक्त मालिक या काबिज नीचे लिखे कामों का करना जारी रखे—

१ किसी ऐसे नियमके विरुद्ध जो उस समय प्रचलित हो, या किसी ऐसी शर्तके विरुद्ध, जो बोर्ड द्वारा ऐसे निजी मेलके सम्बन्धमें नियमित की गई हो, या जहां ऐक्जिक्यूटिव अफसर हो तो ऐसे अफसरके द्वारा नियमितकी गई हो, पानीको काममें लाना या काममें लानेकी इजाजत देना। या

२ जहां मीटरके द्वारा पानीकी निगरानी न की जाती हो, वहां किसी ऐसे शख्स को, जो इमारतमें या आराजी पर न रहता हो, उससे पानीले जाने देना।

कर्तव्य और मनाईयां

४३ जब बोर्डके द्वारा, या ऐक्जिक्यूटिव अफसरके द्वारा, कोई पानीका निजी मेल रोक दिया गया हो, या कोई मिलाने वाला नल बड़े नलसे प्रथक कर दिया गया हो, तो बिना बोर्डकी इजाजतके, या जहां ऐक्जिक्यूटिव अफसर हो बिना ऐसे अफसरकी इजाजतके, कोई शख्स ऐसे मेलको न खोलेगा, न मिलाने वाले नलको बड़े नलसे मिलायेगा।

४४ जब किसी कारणसे कोई मिलाने वाला नल बड़े नलसे प्रथक कर दिया गया हो, तो बोर्ड या जहां ऐक्जिक्यूटिव अफसर हो ऐसा अफसर, जोड़ने वाले नलके किसी ऐसे भागको, जो किसी

म्यूनिसिपल्टीकी सड़कके नीचे या सार्वजनिक आराज़ीके नीचे लगा हो, हटा सकता है, और ऐसा करनेका खर्चा और बड़े नलमें टोंटी लगाने (Plugging) का खर्चा, उस इमारत या आराजीके मालिक या काबिज़से, जिससे कि मामलेका सम्बन्ध हो, वसूल किया जा सकता है।

४५ सिवाय बोर्ड की लिखित मञ्जूरीके, या जहां ऐग्जिक्यूटिव अफ़सर हो तो सिवाय ऐसे अफ़सरकी लिखित मञ्जूरीके, किसी इमारत या आराजीको, जिसका मालिक कोई एक शख्स हो, किसी ऐसे जोड़ने वाले नलके द्वारा पानी न दिया जायगा, जिससे किसी ऐसी इमारत या आराजी को पानी दिया जाता हो, जिसका मालिक कोई दूसरा शख्स हो, न किसी घर या निवास स्थानमें एकसे अधिक मिलाने वाला नल लगाया जायगा।

४६ किसी ऐसी इमारत या आराजी, जिसका म्यूनिसिपल्टीके बड़े नलसे, या पानीके काम (तामीर) से मेल हो, का काबिज़, या यदि घर खाली हो, तो मालिक, उस दशामें जब कि बोर्डके द्वारा इन नियमोंके अनुसार दिये हुये अधिकारोंको बरतते हुये, या ऐसे मालिक या काबिज़की दरख्वास्त पर, पानीका मेल रोक दिया जाय, या मिलाने वाला नल बड़े नलसे या पानीके काममे पृथक कर दिया जाय, बोर्ड को इस प्रकार पानीके रोकने या नलको पृथक करने के विषयमें २) रुपया फीस देगा (या इलाहाबाद बनारस और मेरठकी म्यूनिसिपलटियोंमें १) रुपया) और फिरसे खुलवाने, या फिरसे मेल कराने, के विषयमें २) रुपयेकी फीस और देगा (इलाहाबाद बनारस और मेरठ की म्यूनिसिपलटियोंमें १) रुपया)। (देखिये विज्ञापन No 492 XI 383 E ता० ७ मार्च सन १९१८ ई०)।

कानपुर की म्यूनिसिपल्टीमें पानीके मेलको रोक देने, या बड़े नलसे या पानीके कामसे पृथक करने, की कोई फीस बोर्ड किसी दशामें न लेगा, परन्तु फिरसे खोलने या फिरसे मिलानेके लिये ३) रुपयेकी फीस ऐसे मेलके सम्बन्धमें ली जायगी जिसमें मीटर न लगा हो, और ५) रुपयेकी फीस मीटर लगे हुये किसी मेलके विषयमें, जो मेल कि काट दिया गया हो, ली जायगी। (देखिये विज्ञापन No 519 XI 383 E ता० १३ मार्च सन १९१९ ई०)।

४७ किसी ऐसी इमारत या आराजीका जिसका मेल म्यूनिसिपल्टीके किसी पानीके कामसे हो, काबिज़, या मकान खाली होनेकी दशामें मालिक, प्रत्येक जोड़ने वाले नलकी और प्रत्येक हौजकी, जो उससे सम्बन्धमें बना हो, इस प्रकार मरम्मत कराता रहेगा, कि जिससे पानीका बह कर खराब जाना पूर्णतया रुक सके।

४८ यदि किसी जोड़ने वाले नलमें, या हौजमें जो उसके सम्बन्धमें बना हो, किसी स्थानसे पानी टपकने लगे, तो इमारत या आराजीका काबिज़, ४८ घंटेके भीतर बोर्डको इस बातकी दरख्वास्त देगा, कि जो मरम्मत आवश्यक हो बोर्ड करा दे, या वह काबिज़ किसी लैसन्सदार नल लगाने वाले को इस काम पर नियत कर देगा।

४९ कोई शख्स म्यूनिसिपल्टीके किसी बड़े नलमें, या किसी पानीके नलमें, या उससे मेल रखने वाले किसी यन्त्रमें, चाहे वह बोर्डका हो या न हो, कोई नल नहीं लगायेगा न लगवायेगा, किसी जोड़ने वाले नलको बिना बोर्डकी इजाजतके, या जहां ऐक्जिक्यूटिव अफसर हो बिना ऐसे अफसरकी इजाजतके, बढ़ायगा, न उसमें परिवर्तन करेगा न उसको पृथक करेगा।

५० किसी ऐसी इमारत या आराजीका काबिज़ जिसका मेल म्यूनिसिपल्टीके किसी बड़े नलसे हो, न [illegible] करेगा, न बेचेगा, न उसको किसी ऐसे मतलबमें खर्च करेगा जिसमें खर्च करने

प्राप्त [illegible] सिवाय उस दशाके कि पानीकी मात्राकी जांचके लिये मीटर

[illegible] इमारत आदिका काबिज न हो काममें लाने देगा।

५१ कोई शख्स फरेब करके—

(ए) किसी मीटरके इंडेक्स (अर्थात् पानीकी मात्रा बताने वाला चिन्ह) को न बदलेगा, न मीटरमें कोई ऐसी कार्रवाई करेगा जिससे वह मीटर उसे पानीकी मात्रा को न बता सके, जो दिया गया हो। या

(बी) मीटरके द्वारा, जो नापनेके अभिप्रायसे लगाया गया हो, पानीका हिसाब लग जानेसे पूर्व, न पानी को निकालेगा न काममें लायेगा।

भावार्थ—(Explanation) इस प्रकार इंडेक्स (Index) को बदलने, मीटर को पानी की मात्रा बतानेसे रोकने, पानीको निकालने, या काममें लाने, के कृत्रिम उपायोंका किसी काबिज के अधिकारमें पाया जाना इस बातका प्रमाण होगा कि उसीने फरेब करके उपरोक्त काम किये हैं।

५२ जानबूझ कर, या बेपरवाहीसे, किसी शख्सको अधिकार न होगा कि —

(ए) बोर्डके किसी मीटरको कोई हानि पहुंचाये या किसी दूसरेको हानि पहुंचाने दे, या ऐसे मीटरके किसी पुरजेको हानि पहुंचाये या पहुंचाने दे।

(बी) किसी ताले, कुंजी (Cock), वाल्व (Valve), नल, काम (तामीर), या इंजन, को जो म्यूनिसिपलटीके पानीके कारखानेके लगावमें हो तोडे हानि पहुंचाये या खोले।

(सी) मोरियाँ धोनेके नलोंसे पानी निकलनेमें, कोई रुकावट डाले, या नलोंसे पानी खींच ले, या पानीका रास्ता नलोंमें बदल दे, या पानीके किसी ऐसे कामसे पानी ले।

(डी) कोई ऐसा काम करे, जिसके द्वारा वह पानी, जो म्यूनिसिपलटीके पानीके किसी कामके भीतर हो, या जो उससे लिया जाय खराब जाय।

(ई) पानीके किसी बडे नल या बम्बे को, रोके या उसका रास्ता बदलदे, या किसी प्रकारकी उसको हानि पहुंचाये, या उसमें परिवर्तन करे।

(एफ) बिना मजूरीके, किसी ऐसे पानीको, जो घरेलू मतलबोंके लिये दिया गया हो, या जो किसी स्टैण्डपाइप (Standpipe) या पम्प, जो किसी सडक पर लगे हों, में पहुंचाया गया हो, घरेलू मतलबोंके सिवाय, किसी अन्य मतलबमें, काममें लाये।

५३ किसी शख्सको अधिकार न होगा कि—

(ए) म्यूनिसिपलटीके पानीके किसी काम (तामीर) में, या उसके निकट, या उसके ऊपर, नहाये, या धोये, या उसमें किसी पशुको फेंके या प्रवेश कराये। या

(बी) किसी पानीके काममें कोई कूडा करकट, धूल, गिलाजत, या अन्य हानिकारक पदार्थ फेंके, या उसमें कोई वस्तु या ऊन, या किसी पशुका चमडा, या खाल, या पहिनने के कोई वस्त्र, या कोई अन्य वस्तुयें, धोये या साफ करे। या

(सी) किसी कुंडी, या बद मोरी, या मोरी, का पानी, या किसी स्टीम इंजन (भापका इंजन) या बॉयलर (इंजन आदिके लिये पानी उबालनेका पात्र) का पानी, या कोई अन्य मैला पानी, जो उसकी मिल्कियत हो या जिस पर उसका अधिकार हो, किसी पानीके काममें बहाके पहुंचाये या ले जाये, या कोई अन्य ऐसा काम करे जिसके द्वारा पानीके किसी काम का पानी दूषित हो जाय या उसके दूषित होनेकी सम्भावना हो।

५४ यदि यह बात साबित कर दी जाय, कि इन नियमोंके किसी हुक्मके विरुद्ध, कोई अपराध

किसी ऐसे मकान आदिमें किया गया है जिसको बोर्ड निजके लिये पानी देता हो, तो यह अनुमान कर लिया जायगा, जबतक कि इसके विरुद्ध प्रमाण न दे दिये जाय, कि ऐसा अपराध उक्त मकान आदिके क़ाबिज़ ने किया है।

दण्ड

ऐक्टकी दफा २९९ (१) के द्वारा दिये हुये अधिकार को बरतते हुये, प्रान्तीय सरकार, इस लेखके द्वारा, आज्ञा देती है, कि जो शख्स उपरोक्त नियमोंके हुक्मोंका उल्लंघन करेगा, उसके, अपराधके साबित हो जाने पर, जुर्मानेका दंड दिया जायगा जिसकी संख्या १००) रुपये तक हो सकती है, और जब उल्लंघन ऐसा हो जो लगातार-जारी रहे तो पहले पहल सज़ा मिलनेकी तारीख़ के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिनके लिये, जिनके विषयमें यह साबित हो कि अपराधी ऐसे उल्लंघनके करनेमें आग्रह करता रहा, अपराधी पर और जुर्माना किया जा सकता है, जिसकी संख्या ५) रुपये प्रति दिन तक हो सकती है।

ऐसी इमारतों आदिके हटा देनेका अधिकारजो सार्वजनिक कामों (तामीरात) में बाधक हों।

(Power for Removal of Structures interfering with Public Works)

दफा २३६ मोरी पर या पानी पहुंचानेके कामों पर बिना आज्ञा इमारत बनाना या पेड़ लगाना

१ उस दशा में, जब कि सन् १९०० ई० के मार्च मास की दसवीं तारीख़ को, या उसके पश्चात्, किसी ऐसी सार्वजनिक मोरी, या पुलिया, या पानी पहुँचाने के किसी काम, के ऊपर, जो बोर्ड के अधिकार में हो, बिना बोर्ड की लिखित आज्ञाके, कोई सड़क या गली बनाई गई हो, या कोई इमारत, या भीत, या अन्य कोई तामीर, बनाई गई हो, या कोई पेड़ लगाया गया हो, तो बोर्ड—

(ए) नोटिस के द्वारा उस शख्स को, जिसने सड़क या गली बनाई हो, या तामीर की हो, या पेड़ लगाया हो, या उस आराज़ी के मालिक या क़ाबिज़ को, जिस पर सड़क बनाई गई हो, या तामीर की गई हो या पेड़ लगाया गया हो, यह आज्ञा दे सकता है, कि उस सड़क या गली को, या तामीर को, या पेड़ को, यह हटादे, या उसके सम्बन्ध में कोई अन्य ऐसी कार्रवाई करे, जो बोर्ड उचित समझे। या

(बी) उस सड़क या गली, या तामीर, या पेड़, को स्वयं हटवा दे, या उसके सम्बन्ध में कोई अन्य ऐसी कार्रवाई करे, जो वह उचित समझे।

२ जो खर्च कि बोर्ड का किसी ऐसी कार्रवाई में पड़े, जो वह उपदफा (१) के क्लॉज (बी) के अनुसार कराये, वह उस विधि से, जो छठे प्रकरण में नियतकी गई है, उस शख्स से वसूल किया जा सकेगा, जिसने सड़क या गली बनाई हो, या तामीरकी हो, या पेड़ लगाया हो।

नोट—मार्च की दसवीं तारीख़, भूतपूर्व म्यूनिसिपैलटियों का कानून, एक्ट नं० १, सन १९०० ई०, के प्रचलित होने की तारीख़ है। इस दफा के हुक्म किसी ऐसे कामपर लागू होंगे जो, एक्ट नं० १, सन १९०० ई० के प्रचलित होने से पहले बना लिया गया हो।

[illegible] ९

[illegible] और दण्ड

[illegible] Sale of Food Etc

[illegible] स्थान, खाद्य पदार्थ का बेचा [illegible] इत्यादि

[illegible] पशुओंके वध करनेके स्थान

१ [illegible] म्युनिसिपलटी की हदों के भीतर या बाहर, [illegible] या किसी विशेष प्रकार के पशुओं को वध करनेके लिये स्थान [illegible] और ऐसी ही मंजूरीसे, उन स्थानों को काम में लाने के लिये लैसन्स दे सकता है, और लैसन्सों को वापस ले सकता है (अर्थात् [illegible])।

२ जब कोई, ऐसे स्थान म्युनिसिपलटी की [illegible] नियत करे, तो उसको [illegible] मुआयना (जांच), और उचित प्रबन्ध [illegible] का उसी प्रकार अधिकार [illegible] जैसे कि वह स्थान [illegible] भीतर [illegible]

३ [illegible] कर दिये [illegible] शख्स [illegible] को, म्युनिसिपलटी के [illegible] अन्य स्थान में [illegible] वध [illegible]

४ [illegible] पशु को [illegible] भीतर, [illegible] अपराध [illegible] पर [illegible] के [illegible]

दफा २२८ उन पशुओंको बध करनेके स्थान, जो बिक्रीके लिये न हों या जो धार्मिक प्रयोजनके लिये वध न किये जायं

बोर्ड आम नोटिस के द्वारा, और जिला मजिस्ट्रेट की पहिलेसे मंजूरी प्राप्त करके, म्यूनिसिपलटी के भीतर, ऐसे स्थान नियत कर सकता है, जिनमे किसी विशेष प्रकार के उन पशुओं के बध करने की आज्ञा होगी जो बिक्री के लिये न हो, और म्यूनिसिपलटी के भीतर किसी अन्य स्थानमे, सिवाय उस दशाके कि ऐसा करना किसी कारण से आवश्यक हो, इस प्रकार बध करने की मनाई कर सकता है।

परन्तु शर्त यह है, कि इस दफा के हुक्म उन पशुओं पर लागू न होंगे जो किसी धार्मिक प्रयोजन के लिये बध किये जाय।

नोट—आम नोटिस दिये जाने की विधि के लिये देखिये दफा ३०४। किसी आम नोटिस की आज्ञा का पालन न किये जाने पर दफा ३०६ के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है।

दफा २२९ ज़िला मजिस्ट्रेटके अधिकार उन पशुओंके सम्बन्धमें जो बिक्रीके लिये बध न किये जायं

जब कभी जिला मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक शान्ति, और व्यवस्था (Peace and order)की रक्षाके लिये, यह बात आवश्यक जान पडे, तो वह कमिश्नरकी निगरानीके अधीन, आम नोटिसके द्वारा, किसी म्यूनिसिपलटीकी हदोंके भीतर, पशुओंके, या किसी विशेष प्रकारके पशुओंके जिनका कि वर्णन दिया गया हो, सिवाय बेचे जानेके अन्य अभिप्रायोंके लिये बध करनेकी मनाई कर सकता है, या इसके विषयमें कोई अन्य प्रबन्ध कर सकता है और वह विधि जिसके अनुसार, और वह मार्ग जिस पर से होकर ऐसे पशु बध स्थान को लाये जायगे, और बध स्थान से मांसले जाया जायगा, नियत कर सकता है।

व्याख्या—

यह दफा विशेषत ऐसे पशुओं के लिये रखी गई है, जो धार्मिक प्रयोजनों के लिये बध किये जाते हैं, और जिनके कारण प्राय बलवे हुआ करते हैं। यदि किसी प्रकार शान्ति भग होने की सम्भावना हो, तो जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है, कि उन पशुओं को, जिनके सम्बन्ध में कोई लडाई झगडा होने को हो, बध स्थान तक ले जाने के लिये कोई विशेष मार्ग नियत कर दे, और उनके मास को ले जाने के लिये भी जो विधि और मार्ग वह चाहे, नियत कर दे। दफा २२८ के द्वारा म्यूनिसिपल बोर्ड को कोई अधिकार उन पशुओं के सम्बन्ध में नहीं दिया गया है जो धार्मिक प्रयोजनों के लिये बध किये जाय।

इस ऐक्ट के हुक्मों के अनुसार जो आम नोटिस दिये जाते हैं, उनके देने की विधि दफा ३०४ में नियमित है। परन्तु दफा २२९ के मतलब के लिये आम नोटिस देने की विधि विज्ञापन No 1906 XI B H तारीख ५ जुलाई सन १९११ई० के द्वारा, नियत कर दी गई है, और वह यह है।

उस प्रकार का आम नोटिस, जिसका उल्लेख दफा २२९ में किया गया है, नीचे लिखे उपायों के द्वारा प्रकाशित किया जायगा अर्थात्—

(ए) म्युनिसिपलटी के भीतर किसी एक स्थान में या एक से अधिक स्थानों में ढिंढोरा पिटवा कर।

(बी) म्यूनिसिपलटी में बड़ी बड़ी या, विशेष इमारतों और स्थानों में, नोटिस (विज्ञापन) लगवा कर।

(सी) लिखित या छपे हुये विज्ञापनों को, जनता में से प्रधान व्यक्तियों पर, या जनता के किसी भाग के या समुदाय के प्रधान व्यक्तियों पर, तामील कराके।

दफा २४०. ऐसे मांस का ठिकाने लगाया जाना जो किसी ऐसे बाई-लॉ के विरुद्ध भीतर लाया जाय, जो भीतर लाने के प्रबन्ध के विषय में हों

यदि किसी ढोर (मवेशी), या भेड़, या बकरी, या सुअर, का मांस, म्यूनिसिपलटी की हदों के भीतर, किसी ऐसे बाई-लॉ के विरुद्ध, जो दफा २९८ की मद (एफ) के अंश (ई) के अनुसार बनाया गया हो लाया जाय तो बोर्ड का कोई अफसर, जिसको इस विषय में अधिकार दिया गया हो, उसको अपने कब्जे में ले सकता है, और वह यह तो नष्ट करा दिया जा सकता है, या किसी अन्य प्रकार ठिकाने लगाया जा सकता है, जैसा कि बोर्ड, साधारण या विशेष आज्ञा के द्वारा, हुक्म दे।

नोट—"साधारण या विशेष आज्ञा" के लिये देखिये दफा ११४ और उसकी व्याख्या।

दफा २४१ कुछ निर्दिष्ट वस्तुओंके बेचे जाने के लिये बाज़ारों या दुकानोंको लैसंस दिया जाना

१ म्यूनिसिपलटी की हदों के भीतर, किसी स्थानको, जो म्यूनिसिपलटी का बाजार या मण्डी न हो, पशुओं, या मांस, या मछली, जो मनुष्यो के खाने के लिये हों, या फल या तरकारियो के बेचने का बाजार या दूकान, की तरह काममें लाने का किसी शख्स का अधिकार उन बाई-लॉयो के आधीन होगा, (यदि कोई ऐसे बाई-लॉ हों) जो दफा २९८ की मद (एफ) के अनुसार बनाये जाय।

२ परन्तु शर्त यह है कि उस दशा में जब कि कोई ऐसा बाई-लॉ प्रचलित हो, जिस के द्वारा किसी ऐसी वस्तु के बेचने के लिये, जो उपदफा (१) में अंकित हो, कोई बाजार या मण्डी या करने, या के लिये लैसन्स लेने का हुक्म हो, तो बोर्ड—

(ए) यदि मास के भीतर दी गई हो,
तो जो ऐसे बाई-लॉके प्रचलित
होनेकी के के लिये
लैसंस स्थानमें,
शर्तें पूरी

नहीं की गई है, जो, इस ऐक्ट के द्वारा या इस ऐक्ट के अनुसार नियमित हों। या

(बी) जो लैसन्स उक्त बाई-लॉ के अनुसार दिया गया हो उसको किसी कारण से, रद्द या स्थगित न कर सकेगा, न ऐसे लैसस की अवधि समाप्त हो जाने पर उसको फिर से देने से मना कर सकेगा सिवाय इस कारण से कि लैसन्स लेने वाले ने लैसन्स की शर्तों की, या इस ऐक्ट के, या इस ऐक्ट के अनुसार दिये हुये, किसी हुक्म की, तामील नहीं की है।

व्याख्या—

बोर्ड को दफा २९८ की मंद (बंक) के द्वारा अधिकार दिया गया है कि मनुष्यके खाने के लिये जो पशु, या मांस, या मछली बेचनेके बाजार या दुकानें स्थापित की जाय, उनके लिये बाई लॉ बनावे, और ऐसे बाई लॉओं के द्वारा जो शर्तें उनके विषय में लगाना चाहे लगावे। इसी प्रकार बोर्ड हरी तरकारियों के बेचने के बाजारोंके विषयमें भी बाई लॉ बना सकता है। परन्तु हरी तरकारियोंके बेचने की दूकानोंके लिये बोर्डको बाई-लॉ बनानेका अधिकार नहीं दिया गया है। बाई लॉ के द्वारा, बोर्ड यह निश्चय कर सकता है कि पशु, मांस और मछलीके बाजारों और दूकानोंके लिये, तथा हरी तरकारियोंके बाजारोंके लिये, लैसन्स लिया जाय। ऐसी दशामें बोर्डको पूरा अधिकार इस बातका प्राप्त होता है कि उपरोक्त प्रकारके कोई नये बाजार या नई दूकानें, लैसन्स देनेसे मना करके, स्थापित न होने दे। नये बाजार और नई दूकानोंके विषयमें बोर्डको ऐसे विस्तृत अधिकारोंका दिया जाना न्याय युक्त नहीं जान पड़ता, कारण यह कि प्रायः म्युनिसिपलटियां स्वयं अपने बाजार खोल लिया करती हैं, और ऐसी दशामें बोर्ड किसीको लैसन्स नहीं देना चाहता। जनताके सुभीतेकी चिन्ता की अपेक्षा बोर्डको प्रकृत्या, अपने बाजारकी आमदनीकी चिन्ता अधिक होता है। और यदि बोर्ड, किसी नये बाजार या नई दूकानके खोले जानेके लिये लैसन्स न दे तो बोर्डके ऐसे हुक्मकी अपील भी दफा ३१८ के अनुसार, नहीं हो सकती।

—उप दफा (२) के द्वारा, उन बाजारों और दूकानोंके सम्बन्धमें जो पहलेसे स्थापित हों, बोर्डोंके अधिकार सीमाबद्ध कर दिये गये हैं। और माननीय इलाहाबाद तथा कलकत्ता हाइकोर्टोंने भी नीचे लिखे दो मुकद्दमोंमें बोर्डके, बाजार आदि के सम्बन्धके अधिकारोंका, बड़ा विरोध किया है। पहला मुकद्दमा मोरा वगैरा बनाम चेयरमैन, मोतीहारी म्यूनिसिपलटी, 17 Cal I L R 329 का था। मुद्दइयोंका एक बहुत पुराना बाजार था म्यूनिसिपलटीने भी अपना एक बाजार स्थापित किया और मुद्दइयोंको लैसन्स देनेसे मना कर दिया। मुद्दई मुकद्दमा हाईकोर्ट तक ले गये। यद्यपि, हाईकोर्ट, मुकद्दमेका फैसला मुद्दईयोंके अनुकूल न कर सका, (हाईकोर्टने यह निश्चय किया कि मुफस्सिल की सगठित संस्थाओं (Corporations) को अपने कर्तव्योंके पालन करनेका हुक्म देनेका अधिकार कलकत्ता हाईकोर्टको कानूनने नहीं दिया है) तथापि तजवीजमें इस बातकी ओर, बड़े शोकसे ध्यान दिलाया, कि ऐसी दशामें, कानून मुद्दइयोंको हर्जा दिलानेकी आज्ञा भी नहीं देता। मुद्दइयों का बाजार बन्द कर दिये जानेका, उनको किसी प्रकारका बदला नहीं मिलता कानूनने मुद्दइयोंको बिल्कुल निरोपाय छोड़ दिया है। "यह बात अत्यन्त शोकजनक है कि कोई ऐक्ट (कानून) इस प्रकार बनाया जाय, जैसे कानून प्रायः बनाये जाते हैं, अर्थात् जिनमें निजी अधिकारों पर, सविचार ध्यान नहीं दिया जाय और उनका मान और रक्षा करनेकी चिन्ता न की जाय"।

(ए) म्युनिसिपलटी के भीतर किसी एक स्थान में या एक से अधिक स्थानों में ढिंढोरा पिटवा कर।

(बी) म्यूनिसिपलटी में बड़ी बड़ी या, विशेष इमारतों और स्थानों में, नोटिस (विज्ञापन) लगवा कर।

(सी) लिखित या छपे हुये विज्ञापनों को, जनता में से प्रधान व्यक्तियों पर, या जनता के किसी भाग के या समुदाय के प्रधान व्यक्तियों पर, तामील कराके।

दफा २४० ऐसे मांस का ठिकाने लगाया जाना जो किसी ऐसे बाई-लॉ के विरुद्ध भीतर लाया जाय, जो भीतर लाने के प्रबन्ध के विषय में हों

यदि किसी ढोर (मवेशी), या भेड़, या बकरी, या सुअर, का मांस, म्यूनिसिपलटी की हदों के भीतर, किसी ऐसे बाई-लॉ के विरुद्ध, जो दफा २९८ की मद (एफ) के अंश (ई) के अनुसार बनाया गया हो लाया जाय तो बोर्ड का कोई अफ़सर, जिसको इस विषय मे अधिकार दिया गया हो, उसको अपने क़ब्ज़े में ले सकता है, और वह यह तो नष्ट करा दिया जा सकता है, या किसी अन्य प्रकार ठिकाने लगाया जा सकता है, जैसा कि बोर्ड, साधारण या विशेष आज्ञा के द्वारा, हुक्म दे।

नोट—"साधारण या विशेष आज्ञा" के लिये देखिये दफा ११४ और उसकी व्याख्या।

दफा २४१ कुछ निर्दिष्ट वस्तुओंके बेचे जाने के लिये बाज़ारों या दुकानोंको लैसंस दिया जाना

१ म्यूनिसिपलटी की हदों के भीतर, किसी स्थानको, जो म्यूनिसिपलटी का बाजार या मण्डी न हो, पशुओं, या मांस, या मछली, जो मनुष्यो के खाने के लिये हों, या फल या तरकारियो के बेचने का बाजार या दूकान की तरह काममें लाने का किसी शख्स का अधिकार उन बाई-लॉयो के आधीन होगा, (यदि कोई ऐसे बाई-लॉ हों) जो दफा २९८ की मद (एफ) के अनुसार बनाये जांय।

२ परन्तु शर्त यह है कि उस दशा में जब कि कोई ऐसा बाई-लॉ प्रचलित हो, जिस के द्वारा किसी ऐसी वस्तु के बेचने के लिये, जो उपदफा (१) में अंकित हो, कोई बाजार या मण्डी या दुकान स्थापित करने, या जारी रखने, के लिये लैसन्स लेने का हुक्म हो, तो बोर्ड—

(ए) यदि दरख्वास्त बाई-लॉ प्रचलित होने से छ: मास के भीतर दी गई हो, तो किसी ऐसे बाज़ार, या मण्डी, या दुकानके जो ऐसे बाई-लॉके प्रचलित होनेकी तारीख़ पर क़ानून के अनुसार स्थापित हो, जारी रखने के लिये लैसस देनेसे मना न कर सकेगा, सिवाय इस कारणसे कि उस स्थानमे, जहा बाजार, या मण्डी, या दुकान स्थापित है, कोई ऐसी शर्तें पूरी

नहीं की गई है, जो, इस ऐक्ट के द्वारा या इस ऐक्ट के अनुसार नियमित हों । या

(बी) जो लैसन्स उक्त बाई-लॉ के अनुसार दिया गया हो उसको किसी कारण से, रद्द या स्थगित न कर सकेगा, न ऐसे लैसन्स की अवधि समाप्त हो जाने पर उसको फिर से देने से मना कर सकेगा सिवाय इस कारण से कि लैसन्स लेने वाले ने लैसन्स की शर्तों की, या इस ऐक्ट के, या इस ऐक्ट के अनुसार दिये हुये, किसी हुक्म की, तामील नहीं की है।

व्याख्या—

बोर्ड को दफा २९८ की मद (यफ) के द्वारा अधिकार दिया गया है कि मनुष्यके खाने के लिये जो पशु, या मांस, या मछली बेचनेके बाजार या दुकानें स्थापित की जाय, उनके लिये बाई लॉ बनावे, और ऐसे बाई लॉओं के द्वारा जो शर्तें उनके विषय में लगाना चाहे लगाये । इसी प्रकार बोर्ड हरी तरकारियों के बेचने के बाजारोंके विषयमें भी बाई लॉ बना सकता है । परन्तु हरी तरकारियोंके बेचने की दूकानोंके लिये बोर्डको बाई लॉ बनानेका अधिकार नहीं दिया गया है । बाई लॉ के द्वारा, बोर्ड यह निश्चय कर सकता है कि पशु, मांस और मछलीके बाजारों और दूकानोंके लिये, तथा हरी तरकारियोंके बाजारोंके लिये, लैसन्स लिया जाय । ऐसी दशामें बोर्डको पूरा अधिकार इस बातका प्राप्त होता है कि उपरोक्त प्रकारके कोई नये बाजार या नई दूकानें, लैसन्स देनेसे मना करके, स्थापित न होने दे । नये बाजार और नई दूकानोंके विषयमें बोर्डको ऐसे विस्तृत अधिकारोंका दिया जाना न्याय युक्त नहीं जान पड़ता, कारण यह कि प्राय म्यूनिसिपलटिया स्वय अपने बाजार खोल लिया करती हैं, और ऐसी दशामें बोर्ड किसीको लैसन्स नहीं देना चाहता। जनताके सुभीतेकी चिन्ता की अपेक्षा बोर्डको प्रकृत्या, अपने बाजारकी आमदनीकी चिन्ता अधिक होती है । और यदि बोर्ड, किसी नये बाजार या नई दूकानके खोले जानेके लिये लैसन्स न दे तो बोर्डके ऐसे हुक्मकी अपील भी दफा ३१८ के अनुसार, नहीं हो सकती ।

—उप दफा (२) के द्वारा, उन बाजारों और दूकानोंके सम्बन्धमें जो पहलेसे स्थापित हों, बोर्डोंके अधिकार सीमाबद्ध कर दिये गये हैं । और माननीय इलाहाबाद तथा कलकत्ता हाइकोर्टोंने भी नीचे लिखे दो मुकद्दमोंमें बोर्डके, बाजार आदि के सम्बन्धके अधिकारोंका, बड़ा विरोध किया है। पहला मुकद्दमा मोरन वगैरा बनाम चेयरमैन, मोतीहारी म्यूनिसिपल्टी, 17 Cal I L R 329 का था । मुद्दइयोंका एक बहुत पुराना बाजार था म्यूनिसिपल्टीने भी अपना एक बाजार स्थापित किया और मुद्दइयोंको लैसन्स देनेसे मना कर दिया । मुद्दई मुकद्दमा हाईकोर्ट तक ले गये । यद्यपि, हाईकोर्ट, मुकद्दमेका फैसला मुद्दईयोंके अनुकूल न कर सका, (हाईकोर्टने यह निश्चय किया कि मुफस्सिल की सगठित सस्थाओं (Corporations) को अपने कर्तव्योंके पालन करनेका हुक्म देनेका अधिकार कलकत्ता हाईकोर्टको कानूनने नहीं दिया है) तथापि तजवीजमें इस बातकी ओर, बड़े शोकसे ध्यान दिलाया, कि ऐसी दशामें, कानून मुद्दइयोंको हर्जा दिलानेकी आज्ञा भी नहीं देता । मुद्दइयों का बाजार बन्द कर दिये जानेका, उनको किसी प्रकारका बदला नहीं मिलता कानूनने मुद्दइयोंको बिल्कुल निरोपाय छोड़ दिया है । "यह बात अत्यन्त शोकजनक है कि कोई ऐक्ट (कानून) इस प्रकार बनाया जाय, जैसे कानून प्राय बनाये जाते हैं, अर्थात् जिनमें निजी अधिकारों पर, सविचार ध्यान नहीं दिया जाय और उनका मान और रक्षा करनेकी चिन्ता न की जाय" ।

दूसरा मुक़द्दमा, अर्थात् गंगाराम बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड कानपुर, 1897 A. W N. 6 इलाहाबाद हाईकोर्टके सामने पेश हुआ। मुद्दईका एक बहुत पुराना, हरी तरकारियोंका, बाजार थ जिसको म्यूनिसिपल्टीने अपने बाजारके लाभके लिये बन्द करना चाहा। मुद्दईने दावा किया बोर्डके नाम हुक्म इम्तनाई निकाला जाय कि मुद्दईके बाजारमें हस्तक्षेप न करे। बोर्डने यह जव लगाया कि म्यूनिसिपल्टीके नियमोंके अनुसार, मुद्दईको, बिना बोर्ड की आज्ञा के, कोई नया बाज स्थापित करने, या पुराना जारी रखने, का अधिकार नहीं है। इस मुक़द्दमे की घटनायें, जो हाईकं ने अपनी तजवीजमें तिरस्कारयुक्त शब्दोंमें दिखाई हैं, साक्षी देती हैं, कि म्यूनिसिपल बोर्डों के द्वा धांधली किये जानेकी कहा तक सम्भावना है। ता० पहले, बोर्डने २१ जुलाईको मुद्दईको नोटिस दि कि बाजार तुरन्त बन्द कर दो। ता० २५ को नोटिस दिया गया कि मुद्दईने जो बाजार नया लगा आरम्भ किया है उसको बन्द कर दें। इस दूसरे नोटिसके देनेकी आवश्यक यह पड़ी कि बोर्ड यह ज्ञात हुआ कि जो नियम उस समय प्रचलित थे उनके द्वारा बोर्डको केवल नये बाजारोंकी मनाई करनेका अधिकार था। मुद्दईने फिर भी अपना बाजार, जारी रखा। तब बोर्डने गंगानारायण भाई पर फौजदारीका मुक़दमा चलाया। अदालतने तजवीज किया कि बाजार पुराना था, अतए अपराधीको छोड़ दिया। तब भी बोर्डको सन्तोष न हुआ। बोर्डने प्रान्तीय सरकारसे प्रार्थनाकी नियममेंसे शब्द "नया" निकाल दिया जाय, जिससे बोर्डको पुराने बाजारोंके बन्द करा देनेका अधिकार हो जाय। पहले तो प्रान्तीय सरकारने यह तरमीम करनेसे मना कर दिया, परन्तु प व्यवहार करके किसी प्रकार बोर्डने एक ऐसा नियम मंजूर करा लिया जिसके द्वारा बोर्डको नये पुरा सब बाजारोंको बन्द करानेका अधिकार प्राप्त होगया। मुद्दईने तब यह दावा दायर किया। जि जजने यह निश्चय किया कि बाजार बहुत पुराना था और यह कि उसका प्रबन्ध ऐसा उत्तम था उसके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा जा सकता। हाईकोर्टने जिला जजकी यह राय स्वीकार क और लिखा कि "यद्यपि कानपूर के म्यूनिसिपल बोर्ड ने मुद्दई को बरबाद करना ठान लिया थ तथापि बोर्ड की ओरसे इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उसने बाजार के प्रबन्धके विरुद्ध को बात कभी कहने का साहस नहीं किया।" हाईकोर्ट ने अन्तमें तजवीज किया कि कानून का मन्श यह नहीं हो सकता कि म्यूनिसिपल बोर्ड को कोई ऐसा अधिकार दे कि जिसके द्वार बोर्ड किसी के निजी अधिकारों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिये जब्त करले। और बोर्ड मुद्द और मुद्दई के बाजार के सम्बन्ध में करना यही चाहता था। अतएव हाईकोर्ट ने अपील मन्जूर की और म्यूनिसिपल बोर्डके नाम हुक्म इम्तनाई जारी करा दिया कि मुद्दईके बजारमें वह हस्तक्षेप न करे

—उपदफा (२) के शब्दों पर विचार करना चाहिये। उस के द्वारा किसी बोर्ड को या अधिकार है कि नये बाजार आदि के लिये, बिना किसी कारण ही के, लैसंस देना मना कर दे। इसके विरुद्ध जो बाजार या दूकानें पहले से स्थापित हों, उनको लैसन्स देने से, बोर्ड उस दशा में इन्का कर सकता है जो उक्त उपदफा के क्लॉज (ए) और (बी) में बताई गई हैं।

—ऊपर बताया जा चुका है कि किसी नये बाजार आदि को लैसन्स देने से मना कर देने के हुक्म की अपील नहीं हो सकती। परन्तु जो बाजार या दूकानें पहले से स्थापित हों उनको लैसन्स न देने के हुक्म की अपील दफा ३१८ के अनुसार की जा सकती है।

दफा २४२ उन पशुओंको, जो दूधके लिये रखे जांय, या जिनका मांस खानेके काममें लाया जाय, अनुचित खाद्य देना

जो कोई शख्स किसी ऐसे पशु को, जो दूध के लिये रखा गया हो, या जिसका

मांस खाने के काम मे लाया जा सकता हो, अशुद्ध या हानिकारक वस्तुये खिलायगा, या खिलाने की किसी दूसरेको आज्ञा देगा, उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माना का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या ५०) रुपये तक हो सकती है।

दफा २४३ खाने या पीनेकी वस्तुओं और औषधियोके बेचनेके स्थानों का मुआइना (जांच) करना

बोर्ड का चेयरमैन तथा एक्जिक्यूटिव अफसर और यदि रेजोल्यूशनके द्वारा जो इस विषय मे हो, अधिकार दिया जाय, तो कोई अन्य मेम्बर या अफसर या कर्मचारी, बिना सूचना दिये हुए, दिन या रात्रि के किसी समय पर, किसी ऐसे बाजार या दूकान या स्टाल (Stall अर्थात् छोटी दूकान) मे, या किसी ऐसे स्थान में, जो मनुष्य के खाने या पीने की वस्तुओं के बेचने के काम मे लाया जाता हो, या जो पशुओं को वध करने के काम मे लाया जाता हो, या जो औषधियों के बेचने के काम मे लाया जाता हो, प्रवेश कर सकता है, और उसकी जाच कर सकता है, और किसी ऐसे खाने पीने की वस्तु, या पशु, या औषधि की जो उसके भीतर हो, जांच और परीक्षा कर सकता है।

दफा २४४ हानिकारक वस्तुओं को कब्जेमें लेना, तथा हिंसक और प्रभावहीन औषधियों को हटवाना

१ यदि, इससे पहली वाली दफा के अनुसार, किसी स्थान की जाच करते हुये, यह विदित हो, कि खाने या पीने का कोई पदार्थ, या कोई पशु, जिसके देखने से यह बोध हो कि वह मनुष्य के खाने के काम मे लाया जाने वाला है, और यह कि मनुष्य के काम मे लाये जाने के योग्य वह नही है, बोर्ड उसको अपने कब्जे में ले के हटवा दे सकता है, या उसको नष्ट करवादे सकता है, या उसको इस प्रकार ठिकाने लगाने का प्रबन्ध कर सकता है कि वह बेचे जाने के लिये न रखा जा सके (Exposed for Sale) या मनुष्य के खाने के काम में न लाया जासके।

२ यदि उचित कारणों से यह शंका उत्पन्न हो कि किसी औषधि में किसी अन्य वस्तु का अनुचित रूप से मेल किया गया है, या यह शंका उत्पन्न हो कि पुरानी होने के कारण, या ऋतुओं के प्रभावसे, वह प्रभावहीन (बेतासीर) हो गईहै, या अन्य किसी प्रकार वह ऐसी बिगड़ गई है कि उसका प्रभाव कम हो गया है, या जो प्रभाव उसके काममें लाये जानेसे होता है वह बदल गया है, या यह कि वह हानिकर हो गई है, तो बोर्ड, रसीद देकर, उसको उठवा ले जा सकताहै, और उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता है।

३ यदि किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को, जिसके सामने कोई औषधि उपदफा (२) के अनुसार पेश की जाय, यह विदित हो कि उक्त औषधि मे अनुचित रूप से कोई मेल किया गया है, या यह कि वह प्रभावहीन अथवा हानिकारक हो गई है, या बिगड़ गई है जैसा कि ऊपर बताया गया है, तो वह आज्ञा दे सकता है कि वह नष्ट कर दी जाय, या यह आज्ञा दे सकता है कि उसको, उस प्रकार ठिकाने लगाया जाय, जैसा कि वह

उचित समझे। और यदि यह विदित हो कि कोई अपराध किया गया है, तो उस अपराध के सम्बन्ध मे मुकद्दमे की कार्रवाई करना आरम्भ कर सकता है।

व्याख्या—

खाने पीने की वस्तुओं के विषय में स्वयं बोर्ड को उनके नष्ट करा देने, या अन्य प्रकार ठिकाने लगवाने का हुक्म देने का अधिकार दिया गया है, परन्तु औषधियों के विषय में ऐसा कोई हुक्म कोई मजिस्ट्रेट ही दे सकता है। दफा २९८ की मद (जे) के अंश (एच) के द्वारा बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि बाई-लॉ बनाके यह आज्ञा दे दे कि औषधिया बेचने अथवा उनको मिला कर देने के लिये बोर्ड से लैसन्स लिया जाय।

खाने पीने के ऐसे पदार्थों या औषधियों को जिनमें कि मेल किया गया हो, या जो हानिकारक आदि हों, नष्ट करवा देने या हटवा देने के अतिरिक्त बोर्ड को यह भी अधिकार होगा कि मेल करने वाले या बेचने वाले शख्स पर, ताजीरात हिन्द की दफा २७२, २७३, २७४, २७५, के अनुसार, जैसी दशा हो, मुकद्दमा चलाये, दफा २७२ के द्वारा, खाने पीने की किसी वस्तु में इस इच्छा से मेल करना कि वह बेची जाय, अपराध माना गया है। दफा २७३ के द्वारा खाने पीने की कोई ऐसी वस्तु बेचना या बेचने के लिये रखना, जो वस्तु कि हानिकारक हो, या जिसकी ऐसी दशा हो कि वह खाने पीने के अयोग्य हो, अपराध है। दफा २७४ के अनुसार किसी औषधि में कोई ऐसा मेल, जिससे उसका प्रभाव कम हो जाय, या बदल जाय, या जिसके कारण वह हानिकारक हो जाय, इस इच्छा से करना कि वह बेची जाय, अपराध है। दफा २७५ के अनुसार, जो शख्स, यह जानते हुये कि किसी औषधि में मेल किया गया है, जिसके कारण उसका प्रभाव कम हो गया है, या बदल गया है, या वह हानिकारक हो गई है, उसको बेचे, या बेचने के लिये रखे, या औषधालय से उसको दे, या उसका औषधि की तरह प्रयोग कराये, वह अपराधी ठहराया जायगा।

—इस दफाके सम्बन्धमें देखिये "संयुक्त प्रान्तका, खाद्य पदार्थों तथा औषधियों में मेल किये जानेकी मनाईका कानून" ऐक्ट नं० ६, सन१९१२ई० The united Provinces Prevention of Adulteration Act VI of 1922 उक्त एक्टके हुक्म केवल उसी स्थानमें लागू होते हैं जिनमें वह प्रान्तिय सरकारके द्वारा लागूकर दिये जाय। और प्रान्तीय सरकारको यहभी अधिकार है कि उक्त ऐक्ट के हुक्मों को किसी विशेष खाद्य पदार्थ अथवा औषधि के सम्बन्ध में लागू कर दे। प्रान्तीय सरकारने उक्त ऐक्ट के हुक्म दूध,मक्खन, घी,खाने के तेल और औषधियों के विषय में,ता०पहली अप्रैल सन१९१४ई० से बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और बनारस की म्यूनिसिपलटियों पर लागू कर दिये हैं (देखिये विज्ञापन No 99 XVI-80 ता० १८ मार्च, सन १९१४ ई०)।

—म्यूनिसिपलटियों के लिये उक्त ऐक्ट के अनुसार जो इन्सपेक्टर नियुक्त किये जाते हैं, उनकी नियुक्ति और अधिकारों के विषय में नीचे लिखे नियम बना दिये गये हैं —

१ म्यूनिसिपलटी के किसी रकबे के लिये, जिसमें कि संयुक्त प्रान्त का "खाद्य पदार्थों और औषधियों में मेल किये जाने की मनाहीका कानून" (नं० ६, सन१९१२ई०) के हुक्म लागू कर दिये गये हों, म्यूनिसिपलटी का हेल्थ अफसर (Tdealth officer) "सरकारी इन्सपेक्टर" होगा।

२ किसी म्यूनिसिपल रकबे का सरकारी इन्सपेक्टर, उन अधिकारों को बरतने में, जो आगे नियमित हैं, म्यूनिसिपल बोर्ड की साधारण निगरानी में रहेगा।

३ किसी म्यूनिसिपल रकबे का सरकारी इन्सपेक्टर, समय २ पर प्रत्येक ऐसे बाजार, इमारत, दूकान, स्टाल (Stall अर्थात् छोटी दूकान), या स्थान में, जो ऐसे रकबे के भीतर हों, और जिसमें खाने के पदार्थ या औषधियां, बेची जाती हों या सञ्चय की जाती हों, या बेचने के लिये पेश की जाती हों, या निकाल के रखी जाती हों, या तैयार की जाती हों, या लाई जाती हों, प्रवेश करेगा, और उसकी जाच करेगा। और किसी ऐसे खाद्य पदार्थों की, अथवा औषधियों की, जो उसके भीतर हों और जिन पर उक्त ऐक्ट के हुक्म लागू कर दिये गये हों, जाच और परीक्षा करेगा।

४ सरकारी इन्सपेक्टर को अधिकार होगा कि किसी ऐसे खाद्य पदार्थों के, जिन पर उक्त ऐक्ट के हुक्म लागू कर दिये गये हों, नमूने प्राप्त करे और उनको जाच (Analysis) के लिये सरकारी जाच करने वाले (Public Analysis) के पास भेजे।

५ किसी रकबे में जिसके लिये कि सरकारी इन्सपेक्टर नियुक्त कर दिया गया हो, कोई स्थानीय अधिकारी (Local Authority), किसी अन्य शख्स को, उक्त ऐक्ट की दफा ८ के अनुसार, सरकारी जाच करने वाले से जाच कराने के लिये, खाद्य पदार्थों तथा औषधियों के नमूने प्राप्त करने का अधिकार न देगा। विज्ञान No 97 XVI 80 तारीख १८ मार्च सन १९१४ ई०)।

कुछ विशिष्ट व्यापारों तथा पेशों से क्लेश
(Nuisances from Certain trades and professions)

दफा २४५ कष्टदायक व्यापारोंका प्रवन्ध

१ यदि बोर्ड को इस बात का विश्वास हो जाय, कि म्यूनिसिपलटी की हदों के भीतर, कोई इमारत या स्थान, जो कि कोई शख्स कारखानेकी तरह, अथवा काम काज करने की स्थान की तरह, किसी वस्तु के तैयार किये जाने या, सञ्चय किये जाने, या किसी वस्तु के सम्बन्ध मे कोई काम किये जाने या, उसको अलग करने के काम में लाता है, या काम मे लाने का इरादा कर रहा है, और इस प्रकार काम मे लाने से जनता को कोई क्लेश पहुँचता है, या इस प्रकार काम मे लाने के इरादे के कारण जनता को कोई क्लेश पहुँचने की सम्भावना है तो बोर्ड, यदि वह चाहे, नोटिस के द्वारा उक्त इमारत या स्थान के मालिक या काबिज को आज्ञा दे सकता है कि—

(ए) वह उक्त इमारत या स्थान को ऐसे मतलब के लिये काम मे लाने से बाज रहे (अर्थात् काम मे न लाय), या किसी दूसरे को काम में लाने देने से बाज रहे।

(बी) वह उक्त इमारत या स्थान को, उक्त मतलब के लिये, केवल ऐसी शर्तों पर, या उसकी बनावट मे ऐसे परिवर्तन करने के पश्चात्, काम मे लाय, या किसी दूसरे को काम मे लाने दे, जो बोर्ड नोटिस मे इस उद्देश्य से लगाये, या नियमित करे, कि उक्त इमारत या स्थान के उक्त मतलब के लिये काम म लाय जाने के सम्बन्ध मे कोई उज्र न किया जा सके।

२ जो शख्स ऐसे नोटिस के पाने के उपरान्त, जो उपदफा (१) के अनुसार दिया गया हो, किसी इमारत या स्थान को उक्त नोटिस की आज्ञा के विरुद्ध काम में लायगा,

उचित समझे। और यदि यह विदित हो कि कोई अपराध किया गया है, तो उस अपराध के सम्बन्ध में मुकद्दमे की कार्रवाई करना आरम्भ कर सकता है।

व्याख्या—

खाने पीने की वस्तुओं के विषय में स्वयं बोर्ड को उनके नष्ट करा देने, या अन्य प्रकार ठिकाने लगवाने का हुक्म देने का अधिकार दिया गया है, परन्तु औषधियों के विषय में ऐसा कोई हुक्म कोई मजिस्ट्रेट ही दे सकता है। दफा २९८ की मद (जे) के अंश (एच) के द्वारा बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि बाईलॉ बनाके यह आज्ञा दे दे कि औषधिया बेचने अथवा उनको मिला कर देने के लिये बोर्ड से लेसन्स लिया जाय।

खाने पीने के ऐसे पदार्थों या औषधियों को जिनमें कि मेल किया गया हो, या जो हानिकारक आदि हों, नष्ट करवा देने या हटवा देने के अतिरिक्त बोर्ड को यह भी अधिकार होगा कि मेल करने वाले या बेचने वाले शख्स पर, ताजीरात हिन्द की दफा २७२, २७३, २७४, २७५, के अनुसार, जैसी दशा हो, मुकद्दमा चलाये, दफा २७२ के द्वारा, खाने पीने की किसी वस्तु में इस इच्छा से मेल करना कि वह बेची जाय, अपराध माना गया है। दफा २७३ के द्वारा खाने पीने की कोई ऐसी वस्तु बेचना या बेचने के लिये रखना, जो वस्तु कि हानिकारक हो, या जिसकी ऐसी दशा हो कि वह खाने पीने के अयोग्य हो, अपराध है। दफा २७४ के अनुसार किसी औषधि में कोई ऐसा मेल, जिससे उसका प्रभाव कम हो जाय, या बदल जाय, या जिसके कारण वह हानिकारक हो जाय, इस इच्छा से करना कि वह बेची जाय, अपराध है। दफा २७५ के अनुसार, जो शख्स, यह जानते हुये, कि किसी औषधि में मेल किया गया है, जिसके कारण उसका प्रभाव कम हो गया है, या बदल गया है, या वह हानिकारक हो गई है, उसको बेचे, या बेचने के लिये रखे, या औषधालय से उसको दे, या उसका औषधि की तरह प्रयोग कराये, वह अपराधी ठहराया जायगा।

—इस दफाके सम्बन्धमें देखिये "संयुक्त प्रान्तका, खाद्य पदार्थों तथा औषधियों में मेल किये जानेकी मनाईका कानून" ऐक्ट नं० ६, सन १९१२ ई० The united Provinces Prevention of Adulteration Act VI of 1922 उक्त एक्टके हुक्म केवल उसी स्थानमें लागू होते हैं जिनमें वह प्रान्तीय सरकारके द्वारा लागूकर दिये जांय। और प्रान्तीय सरकारको यहभी अधिकार है कि उक्त ऐक्ट के हुक्मों को किसी विशेष खाद्य पदार्थ अथवा औषधि के सम्बन्ध में लागू कर दे। प्रान्तीय सरकारने उक्त ऐक्ट के हुक्म दूध, मक्खन, घी, खाने के तेल और औषधियों के विषय में, ता० पहली अप्रैल सन १९१४ ई० से बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और बनारस की म्यूनिसिपलटियों पर लागू कर दिये हैं (देखिये विज्ञापन No 99 XVI-80 ता० १८ मार्च, सन १९१४ ई०)।

—म्यूनिसिपलटियों के लिये उक्त ऐक्ट के अनुसार जो इन्सपेक्टर नियुक्त किये जाते हैं, उनकी नियुक्ति और अधिकारों के विषय में नीचे लिखे नियम बना दिये गये हैं —

१ म्यूनिसिपलटी के किसी रकबे के लिये, जिसमें कि संयुक्त प्रान्त का "खाद्य पदार्थों और औषधियों में मेल किये जाने की मनाहीका कानून" (नं० ६, सन १९१२ ई०) के हुक्म लागू कर दिये गये हों, म्यूनिसिपल्टी का हेल्थ अफसर (Tdealth officer) "सरकारी इन्सपेक्टर" होगा।

२ किसी म्यूनिसिपल रकबे का सरकारी इन्सपेक्टर, उन अधिकारों को बरतने में, जो आगे नियमित हैं, म्यूनिसिपल बोर्ड की साधारण निगरानी में रहेगा।

३ किसी म्यूनिसिपल रकबे का सरकारी इन्सपेक्टर, समय २ पर प्रत्येक ऐसे बाजार, इमारत, दूकान, स्टाल (Stall अर्थात् छोटी दूकान), या स्थान में, जो ऐसे रकबे के भीतर हों, और जिसमें खाने के पदार्थ या औषधियां, बेची जाती हों या सञ्चय की जाती हों, या बेचने के लिये पेश की जाती हों, या निकाल के रखी जाती हों, या तैयार की जाती हों, या लाई जाती हों, प्रवेश करेगा, और उसकी जाच करेगा । और किसी ऐसे खाद्य पदार्थों की, अथवा औषधियों की, जो उसके भीतर हों और जिन पर उक्त ऐक्ट के हुक्म लागू कर दिये गये हों, जाच और परीक्षा करेगा ।

४ सरकारी इन्सपेक्टर को अधिकार होगा कि किसी ऐसे खाद्य पदार्थों के, जिन पर उक्त ऐक्ट के हुक्म लागू कर दिये गये हों, नमूने प्राप्त करे और उनको जाच (Analysis) के लिये सरकारी जाच करने वाले (Public Analysis) के पास भेजे ।

५ किसी रकबे में जिसके लिये कि सरकारी इन्सपेक्टर नियुक्त कर दिया गया हो, कोई स्थानीय अधिकारी (Local Authority), किसी अन्य शख्स को, उक्त ऐक्ट की दफा ८ के अनुसार, सरकारी जाच करने वाले से जाच कराने के लिये, खाद्य पदार्थों तथा औषधियों के नमूने प्राप्त करने का अधिकार न देगा । विज्ञान No 97 XVI 80 तारीख १८ मार्च सन १९१४ ई०)।

कुछ विशिष्ट व्यापारों तथा पेशों से क्लेश
(Nuisances from Certain trades and professions)

दफा २४५ कष्टदायक व्यापारोंका प्रवन्ध

१ यदि बोर्ड को इस बात का विश्वास हो जाय, कि म्यूनिसिपलटी की हदों के भीतर, कोई इमारत या स्थान; जो कि कोई शख्स कारखानेकी तरह, अथवा काम काज करने की स्थान की तरह, किसी वस्तु के तैयार किये जाने या, सञ्चय किये जाने, या किसी वस्तु के सम्बन्ध मे कोई काम किये जाने या, उसको अलग करने के काम में लाता है, या काम मे लाने का इरादा कर रहा है, और इस प्रकार काम मे लाने से जनता को कोई क्लेश पहुँचता है, या इस प्रकार काम मे लाने के इरादे के कारण जनता को कोई क्लेश पहुँचने की सम्भावना है तो बोर्ड, यदि वह चाहे, नोटिस के द्वारा उक्त इमारत या स्थान के मालिक या काबिज को आज्ञा दे सकता है कि—

(ए) वह उक्त इमारत या स्थान को ऐसे मतलब के लिये काम मे लाने से बाज रहे (अर्थात् काम मे न लाय), या किसी दूसरे को काम में लाने देने से बाज रहे ।

(बी) वह उक्त इमारत या स्थान को, उक्त मतलब के लिये, केवल ऐसी शर्तो पर, या उसकी बनावट मे ऐसे परिवर्तन करने के पश्चात्, काम मे लाय, या किसी दूसरे को काम मे लाने दे, जो बोर्ड नोटिस मे इस उद्देश्य से लगाये, या नियमित करे, कि उक्त इमारत या स्थान के उक्त मतलब के लिये काम म लाय जाने के सम्बन्ध मे कोई उज्र न किया जा सके ।

२ जो शख्स ऐसे नोटिस के पाने के उपरान्त, जो उपदफा (१) के अनुसार दिया गया हो, किसी इमारत या स्थान को उक्त नोटिस की आज्ञा के विरुद्ध काम मे लायगा,

या किसी दूसरे को काम मे लाने देगा, उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माना का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या दो सौ रुपये तक हो सकती है, और उस तारीख के उपरान्त जिस पर कि पहली बेर अपराध साबित हो, प्रत्येक ऐसे दिन के विषय मे जिसमे वह शख्स उक्त इमारत या स्थान को उक्त प्रकार काम मे लाय, या किसी दूसरे को काम मे लाने दे, अधिक जुर्माना होता जायेगा, जिसकी सख्या प्रति दिन के लिये चालीस रुपये तक हो सकती है।

३ प्रान्तीय सरकार, विज्ञापन के द्वारा, इस दफा के हुक्मों को, या दफा २९८ की मद (जी) के अनुसार बनाये हुए किसी बाई-लॉ के हुक्मों को, किसी ऐसे रकबेपर लागू कर सकती है, जो म्यूनिसिपलटी के बाहर हो और जो म्यूनिसिपलटी की हद से एक मील के भीतर हो।

व्याख्या—

"जनता के लिये क्लेश" (Public Nuisance) सयुक्त प्रान्त के जनरल क्लॉजेज ऐक्ट की दफा ४ के अनुसार पब्लिक न्युसेन्स (अर्थात् कोई ऐसा काम जिसके द्वारा जनता को क्लेश पहुचे), की व्याख्या वही मानी गई है जो ताजीरात हिन्द मे दी गई है। ताजीरात हिन्द की दफा २६८ में "पब्लिक न्युसेन्स" की व्याख्या इस प्रकार दी गई है —

"कोई शख्स "पब्लिक न्युसेन्स" अर्थात् जनता को क्लेश पहुचाने वाला काम, के करने का अपराधी होगा, जो कोई ऐसा काम करे, या जो कानून के विरुद्ध कोई ऐसी भूल करे, जिस काम या भूल के द्वारा जनता को कोई हानि, भय, या कष्ट पहुचे, या जिसके द्वारा उन सब लोगों को जो आस पास मे रहते हों या जिनका आस पास की किसी जायदाद पर कब्जा हो उनको कोई हानि, भय, या कष्ट हो, या जिसके द्वारा किसी ऐसे शख्स को जिसको कोई सार्वजनिक हक बरतने का अवसर पडे हानि, रुकावट, भय, या कष्ट पहुंचना अनिवार्य हो।

कोई ऐसा काम जिसके द्वारा सबको कष्ट पहुचे (Common nuisance) इस कारण माफ नहीं किया जा सकता कि उसके द्वारा कोई सुविधा या लाभ होता है।"

--उन कामों के विषय में, जो "पब्लिक न्युसेन्स" हैं (अर्थात् जिनसे जनता को कष्ट, क्लेश, या भय पहुचता हो या होता हो) इस दफा के द्वारा बोर्ड को अधिकार दिया गया है, कि चाहे उनको बन्द करा दे, या उनके लिये जाने की किसी शर्तों के आधीन आज्ञा दे। या बोर्ड यह आज्ञा दे सकता है कि कोई ऐसा काम कि किसी इमारत आदि में किये जाने से पूर्व, उक्त इमारत में अमुक परिवर्तन कर दिया जाय, अर्थात् जो परिवर्तन कि बोर्ड इस उद्देश्य से उचित समझे कि उस काम के किये जाने के कारण कोई कष्ट या भय न हो।—ऐसे कामों के उदाहरण, जिनके द्वारा जनता को कोई क्लेश या भय हो, हैं, हड्डी, खाल, या सींग जमा करना, भट्ठा या पजावा लगाना, घास, फूस, लकडी या अन्य जलने वाली चीजें जमा करना, पेट्रोलियम या ऐसे ही अन्य जलने वाले तेल जमा करना इत्यादि।

किसी ऐसे काम के विषय में, दफा २४५ के अनुसार, कार्रवाई करने का अधिकार, बोर्ड को केवल म्यूनिसिपल्टी की हदों के भीतर ही हो सकता है। परन्तु अनेक व्यापार तथा काम, ऐसे होते हैं जिनको दुर्गन्ध आदि के कारण उनका म्यूनिसिपल्टी की हदों के बाहर भी कुछ अन्तर तक किया जाना ठीक नहीं होता। अतएव प्रान्तीय सरकार को, उपदफा (३) के द्वारा, अधिकार

दिया गया है कि, ऐसे कामों के विषय में जो बोर्ड को अधिकार हैं उनकी सीमा को, एक मील म्यूनिसिपल्टी की हदों के बाहर तक विस्तृत कर दे।

कष्ट दायक या भयप्रद कामों के विषय में जो अधिकार बोर्ड को दफा २४५ के अनुसार दिये गये हैं, उनके अतिरिक्त, बोर्ड, उन व्यापारों या कामोंके विषयमें जो दफा २९८ की मद (जी) में गिनाये गये हैं बाई लॉ भी बना सकता है, और प्रान्तीय सरकार बोर्ड को यह अधिकार दे सकती है कि बोर्ड ऐसे बाई लॉओं को भी म्यूनिसिपल्टी की हदों के बाहर एक मील तक, लागू कर दे। विज्ञापन No 1103 XI 504 तारीख ५जूलाई १९१८ई० के द्वारा प्रान्तीय सरकार ने इस अधिकारको, जो उसको उपदफा (३) के अनुसार दिया गया है, कमिश्नरोंको सौंप दिया है।

—जो नोटिस, कोई बोर्ड इस दफा के अनुसार जारी करे, उसकी अपील दफा ३१८ के अनुसार की जा सकती है।

(इस दफा के साथ देखिये दफा ३१८ की व्याख्या, और दफा २९८ की उपदफा (१) की मद (जी) की व्याख्या)।

दफा २४६ दुराचारके उद्देश्य से मारा मारा फिरना और साग्रह दुराचारमें प्रवृति कराना

जो शख्स म्यूनिसिपल्टी की हदों के भीतर, किसी सड़क या गली या सार्वजनिक स्थान में, व्यभिचार के प्रयोजन से मारा २ फिरे या किसी शख्स से व्यभिचार कर्म (Sexual Immorality) करने के लिये अनुरोध करे, उसको अपराध के साबित होने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है। परन्तु शर्त यह है कि कोई अदालत, इस दफा के अनुसार किसी अपराध में, कोई कार्रवाई न करेगी, सिवाय उस शख्स के अर्जी देने पर (Complaint) जिसके साथ अनुरोध किया गया हो, या म्यूनिसिपल्टी के किसी अफसर की अर्जी पर (Complaint) या पुलिस के ऐसे अफसर की अर्जी पर, जिसका पद सब इन्सपेक्टर से कम न हो, और जिनको इस विषय में लिखित अधिकार बोर्ड ने और जिला मजिस्ट्रेट ने दिया हो।

नोट—इस दफा के अनुसार चलाये हुये किसी मुकद्दमे में दफा ३१५ के अनुसार चेयरमैन या ऐक्ज़िक्यूटिव अफसर को फैसला कर लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

दफा २४७ चकले इत्यादि

१ जब किसी दर्जा अव्वल के मजिस्ट्रेट को यह सूचना मिले कि—

(ए) कोई मकान, जो किसी स्तुतिगृह (इबादतगाह), या शिक्षा सम्बन्धी संस्था, या किसी बोर्डिंग हाउस, या हॉस्टल (छात्रों के रहने का स्थान) या भोजनालय (Mess) के समीप हो, जो छात्रों के काममें आता हो, या जिसमें वह निवास करतेहों, चकले की तरह काम में लाया जाता है, या नित्त व्यभिचार कर्म के लिये काम में लाया जाता है, या उसको किसी प्रकार के दुराचारी लोग काम में लाते हैं। या

(बी) कोई मकान, उपरोक्त कामोंके लिये, इस प्रकार काममें लाया जाता है, कि आसपासके भले मानुष निवासियोंको उससे कष्ट पहुँचता है। या

(सी) किसी छावनीके समीप कोई मकान चकलेकी तरह काम मे लाया जाता है, या नित्त व्यभिचार कर्मके लिये काम मे लाया जाता है।

तो ऐसा मजिस्ट्रेट मकानके मालिक, या किरायेदार, या मैनेजर (प्रबन्धक), या काबिज, को, यह आज्ञा दे सकता है कि वह या तो स्वयम्, या एजेण्टके द्वारा, उसके सामने उपस्थित हो, और यदि उसको (अर्थात् मजिस्ट्रेट को) इस बातका विश्वास हो जाय, कि उक्त मकान उस प्रकार काम में लाया जाता है जिसका वर्णन क्लॉज़ (ए), या क्लॉज (बी), या क्लॉज (सी) मे दिया गया है, तो उसको अधिकार होगा कि लिखित हुक्म के द्वारा, ऐसे मालिक या किरायेदार या मैनेजर या काबिज को, यह आज्ञा दे कि ऐसी अवधि के भीतर, जो उक्त हुक्म मे अंकित कर दी जायगी, और जो अवधि हुक्म की तारीख से पाच दिनसे कमकी न होगी, उस मकानको इस प्रकार काममे लाना बन्द कर दे। परन्तु शर्त यह है कि इस उपदफा के अनुसार कोई कार्रवाई केवल—

१ जिला मजिस्ट्रेटकी मंजूरीसे, या उसके हुक्मसे की जायगी। या

२ तीन या तीनसे अधिक ऐसे शख्सोंकी अर्जी (Complaint) पर की जायगी जो उस मकानके बिल्कुल पास निवास करते हों, जिसके सम्बन्ध में कि अर्जी दी गई हो। या

३ उन दशाओंमे, जो इस उप दफ़ाके क्लॉज (ए) और क्लॉज़ (सी) मे वर्णित हैं बोर्ड द्वारा अर्जी दिये जाने पर की जायगी।

२ यदि कोई शख्स, जिसके विरुद्ध किसी मजिस्ट्रेटने उपदफ़ा (१) के अनुसार कोई हुक्म दिया हो, उस अवधि के भीतर जो हुक्ममे अंकित हो उक्त हुक्मकी तामील न करे, तो ऐसा मजिस्ट्रेट उस शख्सको जुर्मानेका दण्ड दे सकता है [जिसकी संख्या, उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिनके विषय मे, जिसमे मकान उक्त प्रकार काममें लाया जावे, पच्चीस रुपये तक हो सकती है।

व्याख्या

किसी विशेष सड़क पर स्थान में, चकले रखने की, या रंडियों को रहने की मनाई कर देने के लिये बोर्ड को बाइ-लॉ बनाने का अधिकार दफा २९८ की मद (यच) के अंश (ई) के द्वारा किया गया है।

— दफा २४७ के अनुसार चलाये हुये किसी मुकद्दमे में फैसला करने का अधिकार दफा ३१५ के अनुसार प्राप्त नहीं है।

— इस दफ़ा की आज्ञा के अनुसार यह आवश्यक है कि मजिस्ट्रेट शहादत लेके अपना संतोष करले, कि, अर्जी का बयान ठीक है। जब कि एक दरख्वास्त एक मुहल्ले के रहने वाले बहुत से लोगों की ओर से इस विषय में दी गई, कि उनके घरों के समीप, मकानों में रंडियां रहती हैं, और वह दरख्वास्त एक मजिस्ट्रेट के पास भेज दी गई, और मजिस्ट्रेट ने बिना शहादत लिये उस दरख्वास्त पर हुक्म दे दिया, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि यह आवश्यक था कि मजिस्ट्रेट

प्रथम तो इस बात की शहादत लेता कि दरख्वास्त देने वाले ऐसे लोग थे जो उस मकान के, जिस के विषय में अर्जी दी गई थी बिल्कुल समीप रहते थे, और दूसरे इस बात की कि वह मकान उन कामों के लिये, जिनका वर्णन दफा २४७ के क्लोज (ए) में किया गया है, इस प्रकार काम में लाया जाता था कि उससे आस पास के भलेमानुस निवासियों को कष्ट पहुँचता था। जब तक उक्त दोनों बातों की तहकीकात न की जाय, तब तक मजिस्ट्रेट कानून के अनुसार, कोई हुक्म दरख्वास्त पर नहीं दे सकता था। देखिये इमामन बीबी बनाम सरकार बहादुर, 18 A L J 302 = 55 I C 850

दफा २४८ भीख मांगना इत्यादि

जो शख्स, म्युनिसिपल्टी के भीतर, किसी सड़क या गली या सार्वजनिक स्थानमें, हठ करके भीख मांगे, या किसी दूसरे को भिक्षा देनेके लिये प्रस्तुत करनेके उद्देश्य से कोई व्यंगता या बीमारी या कोई घृणित फोड़ा या घाव को खोले, या दिखाये, उसको अपराध के साबित होजाने पर जुर्माने का दंड दिया जायगा, जिसकी संख्या बीस रुपये तक हो सकती है।

सार्वजनिक सुरक्षिता

(Public Safety)

दफा २४९ पागल कुत्तों आदिका ठिकाने लगाया जाना

बोर्ड किसी शख्स को यह अधिकार दे सकता है, कि वह किसी कुत्ते या अन्य पशु को, जिसको पागलपन अर्थात बौरापन की बीमारी हो, या जिसके विषयमें ऐसी बीमारी के होने की, उचित कारणों से, शंका की जाती हो, या जिसको किसी ऐसे कुत्ते या अन्य पशु ने काटा हो जिसको उपरोक्त बीमारी हो या जिसके विषय में, उचित कारणों से उपरोक्त बीमारी के होने की शंका हो, मार डाले, या मरवा डाले, या किसी ऐसी अवधि के लिये, जिसकी बोर्ड आज्ञा दे, उस को बंद करे या बंद कराये।

व्याख्या—

ऐसे कुत्तों को, जिन का कोई मालिक न हो, मार डालने का अधिकार बोर्ड को दफा १२३ ऐक्ट नं० १ सन १९००ई० के द्वारा तो दिया गया था, परन्तु वर्तमान ऐक्ट की दफा २४९ में से, ऐसे कुत्तों को मार डालने का हुक्म निकाल दिया गया है। आवारा कुत्तों को मरवा डालने के लिए, यदि बोर्ड चाहे तो दफा २९८ की मद (यच) के अंश (यल) के अनुसार बाई लॉ बना सकता है। बिना बाई-लॉ बनाये हुये किसी बोर्ड को आवारा कुत्तों के मरवा डालने का अधिकार प्राप्त न होगा। कुत्तों के विषय में जिन जिन बातों के लिये बाई लॉ बनाये जा सकते हैं, उनके लिए देखिये दफा २९८ की मद (यच) के अंश (यच) से (यल) तक।

दफा २५० मुसका (मुख बांधने की जाली) चढ़ानेका हुक्म

१ जहां किसी म्यूनिसिपल्टी में, पागल होने की बीमारी फैलने के कारण, बोर्ड की रायमें ऐसा करना आवश्यक हो, तो बोर्ड, आम नोटिसके द्वारा, यह आज्ञा दे सकता

है, कि ऐसी अवधि के लिये जो वह उचित समझे, या उस समय तक जब तक कि ऐसा नोटिस रद न कर दिया जाय, म्यूनिसिपलटी के भीतर या म्यूनिसिपलटी के किसी भाग के भीतर, सब कुत्तो के मुसका (मुख बांधने की जाली) चढ़ा दिये जाय।

२ ऐसी अवधि, और समय, के भीतर बोर्ड किसी ऐसे कुत्ते के विषय में, जो उस तारीखके पश्चात्, जो नोटिसमें अंकित हो, बिना मुसका (मुखबांधनेकी जाली)के खुला हुआ फिरता पाया जायगा, उस अधिकारको बरत सकता है, जो बोर्ड को दफा २४९ के अनुसार दिया गया है।

नोट—आम नोटिस देने की विधि के लिये देखिये दफा ३०४ आम नोटिस की आज्ञाका पालन न किये जाने पर दण्ड के लिये देखिये दफा ३०६।

दफा २५१ जो कुत्ते क़ानूनके अनुसार मार डाले जायं उनके विषयमें मुआविज़ा देने की मनाही

किसी ऐसे कुत्ते या अन्य पशुके विषयमे, कोई मुआविजा न दिया जायगा, जो दफा २४९, या २५० के अनुसार मरवा डाला गया हो, या जो किसी ऐसे बाई लॉ के हुक्म के अनुसार जो दफा २९८ की मद (यच) के अंश (यच) या (यल) के अनुसार बनाया गया हो, मरवा डाला गया हो, या जिसके विषय मे कोई और कार्रवाई की गई हो।

दफा २५२ मार्गके नियमकी उपेक्षा

जो शख्स किसी सड़क या गलीमे, किसी गाड़ीके हांकने या खींचने, या ढकेलने मे सिवाय उस दशाके कि इसके विरुद्ध काम करनेकी वास्तवमें आवश्यकता पड़ जाय—

(ए) बाई ओर न रहे और

(बी) जब वह किसी ऐसी गाड़ी के बराबर होकर निकले जो उसी दिशामे जाती हो, तो उस गाड़ीकी दाहिनी ओर न रहे,

—उसको, अपराधके साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या दस रुपये तक हो सकती है।

बचत (Exception) यह दफा किसी ऐसी म्यूनिसिपलटी पर, जो पूरी पूरी, या जिसका कोई भाग, पहाड़ी प्रदेश मे हो, लागू न होगी।

दफा २५३ बिना [illegible] लगाये हुये गाड़ियोंका चलाना

जो कोई शख्स [illegible] किसी सड़क या गलीमे किसी गाड़ी को हांके, [illegible] दशाके कि गाड़ीमे उचित रोश[illegible] प्रबन्ध [illegible] साबित हो जाने पर, [illegible] दिया [illegible] त[illegible] सकती है। परन्तु [illegible] को [illegible] जिसका समर्थन [illegible] यह [illegible] लागू न होगी

दफा २५४ हाथियों आदिको ऐसे अन्तर पर, जहांसे भय न हो, न हटा देना

जो शख्स, जिसकी सिपुर्दगीमें कोई हाथी, या ऊंट, या रीछ हो, जब कोई घोडा पास पहुँचे प्रार्थना (दरख्वास्त) किये जाने पर, अपने हाथी या ऊंट, या रीछ, को जहा तक सम्भव न हो, ऐसे अन्तर पर न हटा देगा, कि जहा से कोई भय न हो, चाहे उक्त घोडे पर कोई सवार हो, या वह गाडीमें जुता हो, या उसको पकड़के कोई ले जा रहा हो, उसको अपराधके साबित हो जाने पर, जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या बीस रुपये तक हो सकती है।

दफा २५५ सड़क या गलीमें ढोर बांधनेकी मनाही

१ किसी ऐसे ढोर (मवेशी), या अन्य पशुओंके मालिक, या रखवाले को, जो ढोर या पशु किसी सडक या गली या सार्वजनिक स्थान में बँधे हुये पाये जाय, या मारे मारे फिरते पाये जाय, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या बीस रुपये तक हो सकती है।

२ जो पशु कि उस प्रकार बधा हुआ पाया जाय जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसको म्यूनिसिपल्टीका कोई अफसर, या कर्मचारी, या कोई पुलिस का अफसर, हटा कर बाडे (मवेशीखाना) मे ले जा सकता है, मानो वहपशु मारा मारा फिरता पाया गया है।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार पशुओं का सडकों पर बाधा जाना, या मारा मारा फिरना, स्वय अपराध माने गये हैं, अर्थात् ऐसे पशुओं के मालिक या रखवाले को अपराधी ठहराये जाने के लिये इस बात के साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि पशु जान बूझ कर छोड दिया गया था, या यह कि उसके द्वारा किसी को हानि या कष्ट पहुचा।

—कैटिल ट्रस्पास ऐक्ट सन १८७१ई० की दफा ११ के अनुसार केवल ऐसे पशु पकड कर बाडेको भेजे जा सकते हैं जो किसी सडक को, या सडककी पटरी, या ढाल को, कोई हानि पहुचायें परन्तु इस दफाकी उपदफा (२) के अनुसार, कोई पशु जो सडकपर बँधे मिलें वह भी बाडेको भेजे जा सकते हैं।

—म्यूनिसिपल्टी के भूतपूर्व ऐक्ट न० १ सन १९०० ई०की दफा १६७ के द्वारा किसी घोडे या पशु को छोड देना उसी दशा में अपराध माना गया था जब कि वह जान बूझके छोड दिया गया हो और जब उससे किसी मनुष्य को कोई हानि, भय, या कष्ट हो या पहुंचे। हाईकोर्ट ने उक्त दफा का अर्थ लगाते हुये यह निश्चय किया था कि यदि किसी का पशु किसी दूसरे शख्स के हाते में घुसके हानि करे तो उक्त दफा के अनुसार कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि दफा के शब्दों के अनुसार आवश्यक यह है कि किसी मनुष्य को हानि, भय, आदि पहुचे न कि हाते को। देखिये सरकार बहादुर बनाम पाटन दीन, 1905 A W N 19=2 A L J 261.

हमारे वर्तमान ऐक्ट में इस अपराध की शकल बिल्कुल बदल दी गई है। दफा २५५ में किसी पशु का केवल सड़क या गली या सार्वजनिक स्थान में मारा २ फिरना अपराध माना गया है। परन्तु यदि ऐसा कोई पशु किसी के हाते को कोई हानि पहुचाये या किसी शख्स को हानि पहुंचाये, तो इस दफा के अनुसार ऐसे पशु के मालिक आदि को, दण्ड नहीं दिया जा सकता।

है, कि ऐसी अवधि के लिये जो वह उचित समझे, या उस समय तक जब तक कि ऐसा नोटिस रद्द न कर दिया जाय, म्यूनिसिपलटी के भीतर या म्यूनिसिपलटी के किसी भाग के भीतर, सब कुत्तों के मुसका (मुंह बांधने की जाली) चढ़ा दिये जाय।

२ ऐसी अवधि, और समय, के भीतर बोर्ड किसी ऐसे कुत्ते के विषय में, जो उस तारीख के पश्चात, जो नोटिसमे अंकित हो, बिना मुसका (मुहबांधनेकी जाली) के खुला हुआ फिरता पाया जायगा, उस अधिकारको बरत सकता है, जो बोर्ड को दफ़ा २४९ के अनुसार दिया गया है।

नोट—आम नोटिस देने की विधि के लिये देखिये दफा ३०४ आम नोटिस की आज्ञाका पालन न किये जाने पर दण्ड के लिये देखिये दफा ३०६ ।

दफ़ा २५१ जो कुत्ते क़ानूनके अनुसार मार डाले जायं उनके विषयमें मुआविज़ा देने की मनाही

किसी ऐसे कुत्ते या अन्य पशुके विषयमे, कोई मुआविजा न दिया जायगा, जो दफ़ा २४९, या २५० के अनुसार मरवा डाला गया हो, या जो किसी ऐसे बाई लॉ के हुक्म के अनुसार जो दफ़ा २९८ की मद (यच) के अंश (यच) या (यल) के अनुसार बनाया गया हो, मरवा डाला गया हो, या जिसके विषय मे कोई और कारवाई की गई हो।

दफ़ा २५२ मार्गके नियमकी उपेक्षा

जो शख्स किसी सड़क या गलीमे, किसी गाड़ीके हांकने या खीचने, या ढकेलने मे सिवाय उस दशाके कि इसके विरुद्ध काम करनेकी वास्तवमे आवश्यकता पड़ जाय—

(ए) बाई ओर न रहे और

(बी) जब वह, किसी ऐसी गाडी के बराबर होकर निकले जो उसी दिशामे जाती हो, तो उस गाड़ीकी दाहिनी ओर न रहे,

—उसको, अपराधके साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या दस रुपये तक हो सकती है।

बचत (Exception) यह दफ़ा किसी ऐसी म्यूनिसिपलटी पर, जो पूरी पूरी, या जिसका कोई भाग, पहाड़ी प्रदेश में हो, लागू न होगी।

दफ़ा २५३ बिना उचित रोशनी लगाये हुये गाड़ियोंका चलाना

जो कोई शख्स रात हो जाने, और दिन निकलनेके बीच, किसी सड़क या गलीमे किसी गाड़ी को हांके, या खीचे, या ढकेले, सिवाय उस दशाके कि गाड़ीमे उचित रोशनी करनेका प्रबन्ध कर दिया गया हो; उसको, अपराधके साबित हो जाने पर जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या बीस रुपये तक हो सकती है। परन्तु शर्त यह है कि बोर्ड को अधिकार होगा कि विशेष रेजोल्यूशनके द्वारा, जिसका समर्थन कमिश्नरने किया हो, यह आज्ञा दे दे, कि यह दफ़ा ऐसी गाड़ियो पर लागू न होगी जिनकी गति पदगामियोंकी चालसे अधिक न हो।

दफा २५४ हाथियों आदिको ऐसे अन्तर पर, जहांसे भय न हो, न हटा देना

जो शख्स, जिसकी सिपुर्दगीमें कोई हाथी, या ऊट, या रीछ हो, जब कोई घोडा पास पहुँचे प्रार्थना (दरख्वास्त) किये जाने पर अपने हाथी या ऊट, या रीछ, को जहा तक सम्भव न हो, ऐसे अन्तर पर न हटा देगा, कि जहा से कोई भय न हो, चाहे उक्त घोड़े पर कोई सवार हो, या वह गाडीमें जुता हो, या उसको पकड़के कोई ले जा रहा हो, उसको अपराधके साबित हो जाने पर, जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या बीस रुपये तक हो सकती है।

दफा २५५ सड़क या गलीमें ढोर बांधनेकी मनाही

१ किसी ऐसे ढोर (मवेशी), या अन्य पशुओके मालिक, या रखवाले को, जो ढोर या पशु किसी सडक या गली या सार्वजनिक स्थान मे बँधे हुये पाये जाय, या मारे मारे फिरते पाये जाय, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या बीस रुपये तक हो सकती है।

२ जो पशु कि उस प्रकार बधा हुआ पाया जाय जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसको म्यूनिसिपलटीका कोई अफसर, या कर्मचारी, या कोई पुलिस का अफसर, हटा कर बाडे (मवेशीखाना) मे ले जा सकता है, मानो वहपशु मारा मारा फिरता पाया गया है।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार पशुओं का सडकों पर बांधा जाना, या मारा मारा फिरना, स्वय अप राध माने गये हैं, अर्थात् ऐसे पशुओं के मालिक या रखवाले को अपराधी ठहराये जाने के लिये इस बात के साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि पशु जान बूझ कर छोड दिया गया था, या यह कि उसके द्वारा किसी को हानि या कष्ट पहुचा।

—कैटिल ट्रस्पास ऐक्ट सन १८७१ई० की दफा ११ के अनुसार केवल ऐसे पशु पकड कर बाडेको भेजे जा सकते हैं जो किसी सडक को,या सडककी पटरी, या ढाल को, कोई हानि पहुचावें परन्तु इस दफाकी उपदफा (२) के अनुसार,कोई पशु जो सडकपर बँधे मिलें वह भी बाडेको भेजे जा सकते हैं।

—म्यूनिसिपलटी के भूतपूर्व ऐक्ट न० १ सन १९०० ई०की दफा १६७ के द्वारा किसी घोडे या पशु को छोड देना उसी दशा में अपराध माना गया था जब कि वह जान बूझके छोड दिया गया हो और जब उससे किसी मनुष्य को कोई हानि, भय, या कष्ट हो या पहुचे। हाईकोर्ट ने उक्त दफा का अर्थ लगाते हुये यह निश्चय किया था कि यदि किसी का पशु किसी दूसरे शख्स के हाते में घुसके हानि करे तो उक्त दफा के अनुसार कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि दफा के शब्दों के अनुसार आव श्यक यह है कि किसी मनुष्य को हानि, भय, आदि पहुचे न कि हाते को। देखिये सरकार बहादुर बनाम पाटन दीन, 1905 A W N 19=2 A L J 261.

हमारे वर्तमान ऐक्ट में इस अपराध की शकल बिल्कुल बदल दी गई है। दफा २५५ में किसी पशु का केवल सड़क या गली या सार्वजनिक स्थान में मारा २ फिरना अपराध माना गया है। परन्तु यदि ऐसा कोई पशु किसी के हाते को कोई हानि पहुचाये या किसी शख्स को हानि पहुचायें, तो इस दफा के अनुसार ऐसे पशु के मालिक आदि को, दण्ड नहीं दिया जा सकता।

है, कि ऐसी अवधि के लिये जो वह उचित समझे, या उस समय तक जब तक कि ऐसा नोटिस रद् न कर दिया जाय, म्युनिसिपलटी के भीतर या म्युनिसिपलटी के किसी भाग के भीतर, सब कुत्तो के मुसका (मुह बांधने की जाली) चढ़ा दिये जायं।

२ ऐसी अवधि, और समय, के भीतर बोर्ड किसी ऐसे कुत्ते के विषय मे, जो उस तारीख़के पश्चात्, जो नोटिसमे अंकित हो, बिना मुसका (मुहबांधनेकी जाली) के खुला हुआ फिरता पाया जायगा, उस अधिकारको बरत सकता है, जो बोर्ड को दफ़ा २४९ के अनुसार दिया गया है।

नोट—आम नोटिस देने की विधि के लिये देखिये दफ़ा ३०४ आम नोटिस की आज्ञाका पालन न किये जाने पर दण्ड के लिये देखिये दफ़ा ३०६।

दफ़ा २५१ जो कुत्ते क़ानूनके अनुसार मार डाले जायं उनके विषयमें मुआविज़ा देने की मनाही

किसी ऐसे कुत्ते या अन्य पशुके विषयमे, कोई मुआविजा न दिया जायगा, जो दफ़ा २४९, या २५० के अनुसार मरवा डाला गया हो, या जो किसी ऐसे बाई लॉ के हुक्म के अनुसार जो दफ़ा २९८ की मद (यच) के अंश (यच) या (यल) के अनुसार बनाया गया हो, मरवा डाला गया हो, या जिसके विषय में कोई और कार्रवाई की गई हो।

दफ़ा २५२ मार्गके नियमकी उपेक्षा

जो शख्स किसी सड़क या गलीमे, किसी गाड़ीके हांकने या खीचने, या ढकेलने मे सिवाय उस दशाके कि इसके विरुद्ध काम करनेकी वास्तवमे आवश्यकता पड़ जाय—

(ए) बाईं ओर न रहे और

(बी) जब वह किसी ऐसी गाड़ी के बराबर होकर निकले जो उसी दिशामे जाती हो, तो उस गाड़ीकी दाहिनी ओर न रहे,

—उसको, अपराधके साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या दस रुपये तक हो सकती है।

बचत (Exception) यह दफ़ा किसी ऐसी म्यूनिसिपलटी पर, जो पूरी पूरी, या जिसका कोई भाग, पहाडी प्रदेश में हो, लागू न होगी।

दफ़ा २५३ बिना उचित रोशनी लगाये हुये गाड़ियोंका चलाना

जो कोई शख्स रात हो जाने, और दिन निकलनेके बीच, किसी सड़क या गलीमें किसी गाडी को हांके, या खीचे, या ढकेले, सिवाय उस दशाके कि गाड़ीमे उचित रोशनी करनेका प्रबन्ध कर दिया गया हो; उसको, अपराधके साबित हो जाने पर जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या बीस रुपये तक हो सकती है। परन्तु शर्त यह है कि बोर्ड को अधिकार होगा कि विशेष रैजोल्यूशनके द्वारा, जिसका समर्थन कमिश्नरने किया हो, यह आज्ञा दे दे, कि यह दफ़ा ऐसी गाड़ियो पर लागू न होगी जिनकी गति पदगामियोंकी चालसे अधिक न हो।

दफा २५४ हाथियों आदिको ऐसे अन्तर पर, जहांसे भय न हो, न हटा देना

जो शख्स, जिसकी सिपुर्दगीमे कोई हाथी, या ऊट, या रीछ हो, जब कोई घोडा पास पहुँचे प्रार्थना (दरख्वास्त) किये जाने पर, अपने हाथी या ऊट, या रीछ, को जहां तक सम्भव न हो, ऐसे अन्तर पर न हटा देगा, कि जहां से कोई भय न हो, चाहे उक्त घोडे पर कोई सवार हो, या वह गाडीमें जुता हो, या उसको पकड़के कोई ले जा रहा हो, उसको अपराधके साबित हो जाने पर, जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या बीस रुपये तक हो सकती है।

दफा २५५ सड़क या गलीमें ढोर बांधनेकी मनाही

१ किसी ऐसे ढोर (मवेशी), या अन्य पशुओंके मालिक, या रखवाले को, जो ढोर या पशु किसी सडक या गली या सार्वजनिक स्थान में बँधे हुये पाये जाय, या मारे मारे फिरते पाये जाय, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या बीस रुपये तक हो सकती है।

२ जो पशु कि उस प्रकार बधा हुआ पाया जाय जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसको म्युनिसिपलटीका कोई अफसर, या कर्मचारी, या कोई पुलिस का अफसर, हटा कर बाडे (मवेशीखाना) मे ले जा सकता है, मानो वहपशु मारा मारा फिरता पाया गया है।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार पशुओ का सडकों पर बाधा जाना, या मारा मारा फिरना, स्वय अपराध माने गये हैं, अर्थात् ऐसे पशुओं के मालिक या रखवाले को अपराधी ठहराये जाने के लिये इस बात के साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि पशु जान बूझ कर छोड दिया गया था, या यह कि उसके द्वारा किसी को हानि या कष्ट पहुचा।

—कैटिल ट्रूस्पास ऐक्ट सन १८७१ई० की दफा ११ के अनुसार केवल ऐसे पशु पकड कर बाडेको भेजे जा सकते हैं जो किसी सडक को, या सडककी पटरी, या ढाल को, कोई हानि पहुचायें परन्तु इस दफाकी उपदफा (२) के अनुसार, कोई पशु जो सडकपर बँधे मिलें वह भी बाडेको भेजे जा सकते हैं।

—म्यूनिसिपलटी के भूतपूर्व ऐक्ट न० १ सन १९०० ई०की दफा १९७ के द्वारा किसी घोडे या पशु को छोड देना उसी दशा में अपराध माना गया था जब कि वह जान बूझके छोड दिया गया हो और जब उससे किसी मनुष्य को कोई हानि, भय, या कष्ट हो या पहुचे। हाईकोर्ट ने उक्त दफा का अर्थ लगाते हुये यह निश्चय किया था कि यदि किसी का पशु किसी दूसरे शख्स के हाते में घुसके हानि करे तो उक्त दफा के अनुसार कोई अपराध नहीं होता, क्योंकि दफा के शब्दों के अनुसार आवश्यक यह है कि किसी मनुष्य को हानि, भय, आदि पहुचे न कि हाते को। देखिये सरकार बहादुर बनाम पाटन दीन, 1905 A W N 19=2 A L J 261.

हमारे वर्तमान ऐक्ट में इस अपराध की शकल बिल्कुल बदल दी गई है। दफा २७५ में किसी पशु का केवल सड़क या गली या सार्वजनिक स्थान में मारा २ फिरना अपराध माना गया है। परन्तु यदि ऐसा कोई पशु किसी के हाते को कोई हानि पहुचाये या किसी शख्स को हानि पहुचाये, तो इस दफा के अनुसार ऐसे पशु के मालिक आदि को, दण्ड नहीं दिया जा सकता।

दफा २५६ सार्वजनिक ज़मीन पर गाड़ियों या पशुओं को ठहराना

जब कभी कोई आराजी जो बोर्ड के अधिकार में हो, बोर्ड की लिखित आज्ञा के बिना, किसी गाडी या पशु के खडे करने के स्थान की तरह पर या पड़ाव की तरह पर, काम में लाई जाय, तो गाडी या पशु के मालिक को या रखवाले को, या उस शख्स को जो पडाव डाले, अर्थात जैसी कि दशा हो अपराध के साबित हो जाने पर जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या बीस रुपये तक हो सकती है, और यदि ऐसा अपराध लगातार जारी रहे तो, प्रथम बेर अपराध के साबित होने की तारीख़ के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिनके विषय में, जिसमें यह साबित हो कि अपराधी ने अपराध का करना जारी रखा, ऐसे अपराधी को और जुर्माने का दण्ड भी दिया जायगा, जिसकी सख्या पांच रुपये तक हो सकती है।

व्याख्या—

इस दफा का आशय केवल इतना ही है कि कोई शख्स अपनी गाडी को खडा करने के लिये या घोडे आदि को बाधने के लिये म्युनिसिपलटी की किसी सडक या आराजी को इस प्रकार काम में न लाये कि जैसे वह उसका अस्तबल ही हो। परन्तु केवल थोडी देर के लिये किसी गाडी या पशु को किसी सडक आदि पर खडा कर देना इस दफा के अनुसार, कोई अपराध नहीं है। इसलिये जब कि एक शख्स घोडे को गाड़ी में से खोलके अस्तबल में बाधने को ले गया, और गाडी को सडक पर छोड दिया, पर घोडा बाधने के पश्चात् तुरन्त गाडी को भी गाडीखाने में रख दिया, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि उस शख्स ने दफा १७० में दिया हुआ अपराध नहीं किया क्योंकि ऐसी दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि उस शख्स ने सडक को गाड़ी ठहराने या खड़ा करने का स्थान बना लिया। देखिये नलिन कुमार मुकर्जी बनाम सरकार बहादुर, 11 A. L. J. 721=20 I C. 1003=14 Cr. L J 523

दफा २५७ ज्वलन शील इमारतोंके विषयमें अधिकार

१ बोर्ड, आम नोटिस के द्वारा, यह आज्ञा दे सकता है, कि किसी निर्दिष्ट हदोंके भीतर, जिनको कि बोर्ड नियत कर दे, झोपड़ो, या अन्य इमारतों की छते, और बाहरी भीतें, घास या चटाइयों या पत्तों की या अन्य किसी वस्तु की, जो अत्यन्त ज्वलन शील हों, बोर्ड की लिखित मंजूरीके बिना, न बनाई जांय और न ऐसी छतो या भीतोंके बदले जाने पर (Renewed with) कोई ऐसी वस्तु लगाई जाय।

२ चाहे उपदफा (१) के अनुसार, कोई आम नोटिस न दिया गया हो, या चाहे ऐसी छत या भीत बोर्ड की मजूरी से बनाई गई हो, या ऐसे आम नोटिस (यदि कोई दिया हो) के दिये जाने से पूर्व बनाई गई हो, बोर्ड, किसी समय पर लिखित नोटिसके द्वारा किसी ऐसी इमारत के मालिक को, जिसकी बाहरी छत या दीवार किसी ऐसी वस्तु की बनी हुई हो जिसका वर्णन ऊपर दिया गया है, यह आज्ञा दे सकता है, कि एक ऐसी उचित अवधिके भीतर, जो नोटिसमे अंकित हो, ऐसी छत या भीतको हटा दे।

परन्तु शर्त यह है कि किसी ऐसी छत या भीत की दशामे, जो ऐसे आम नोटिस के दिये जानेसे पूर्व बनाई जा चुकी हो, या जो बोर्ड की मजूरी से बनाई गई हो, बोर्ड,

किसी ऐसी हानि के विषय मे, जो हटाये जाने के कारण हो, मुआविजा देगा, जो मुआविजा छत या भीत के बनाने के प्रथम व्यय से अधिक न होगा।

३ जो शख्स बिना ऐसी मजूरीके जिसके लिये हुक्म उपदफा (१) मे दिया गया है किसी ऐसी वस्तु की, जिसका वर्णन ऊपर किया गया है, कोई छत या भीत, बनाये या बदले, या किसी दूसरे से बनवाये या बदलवाये, या उस नोटिस की आज्ञाके विरुद्ध जो उपदफा (२) के अनुसार दिया गया हो, ऐसी छत या भीत को कायम रहने दे, उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या पच्चीस रुपये तक हो सकती है, और प्रथम बेर अपराध साबित होने की तारीख के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिनके विषय मे, जिसमे उक्त अपराध का किया जाना जारी रखा जाय, और जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या दस रुपये तक हो सकती है।

व्याख्या—

इस दफा के अनुसार उस मकान का मालिक जिसमें कि बोर्ड की आज्ञा के विरुद्ध कोई छत या भीत बनवाई जावे तथा वह शख्स जो कि ऐसी छत या भीत बनाये, दोनों में से कोई अपराधी ठहराया जा सकता है आम नोटिस के दिये जाने की विधि के लिये देखिये दफा ३०४। यदि मुआविजे के विषय में कोई झगडा हो तो वह दफा ३२४ के अनुसार निश्चय किया जायगा।

दफा २५७ ज्वलन शील वस्तुकी, उस मात्रासे, जिसके रखनेका अधिकार दिया गयाहो अधिक मात्राके लिये तलाशी करनेका अधिकार

१ बोर्ड, बिना किसी नोटिस के, और दिन या रात्रि मे, किसी समय पर, किसी ऐसे मकान या इमारत मे प्रवेश करके उसकी जांच कर सकता है, जिसके विषयमे यह शका हो कि उसमे पेट्रोलियम या अन्य ज्वलन शील वस्तु, उस मात्रा से अधिक रखा गया है, जिसके उक्त मकान या इमारत मे रखे जाने की आज्ञा, दफा २४५ के अनुसार, या किसी बाई-लॉ के हुक्म के अनुसार दी गई हो।

२ यदि ऐसी वस्तु की कोई ऐसी अधिक मात्रा पाई जाय, तो वह कब्जे मे ली जा सकती है, और किसी ऐसे हुक्म के आधीन जो कोई मजिस्ट्रेट उसके विषय मे दे, कब्जे मे रखी जा सकती है।

३ यदि मजिस्ट्रेट यह निर्णय करे कि यह वस्तु जो इस प्रकार कब्जे मे ली गई है, उक्त मकान या इमारत मे किसी ऐसी आज्ञा के विरुद्ध जो दफा २४५ के अनुसार दी गई हो, या किसी बाई-लॉ के हुक्म के विरुद्ध जमा की गई थी, तो वह उसके जब्त कर लिये जाने का हुक्म दे सकता है।

४ किसी ऐसे हुक्म के आधीन, जो इस ऐक्ट के या अन्य किसी कानून के द्वारा, या उसके अनुसार, दिया गया हो, इस प्रकार जब्त की हुई वस्तु मजिस्ट्रेट की आज्ञासे बेची जा सकती है और उसका मूल्य, बेचे जानेके खर्चेको देनेके पश्चात, म्यूनिसिपल्टी के कोषमे जमा कर दिया जायगा।

५ इस दफाके अनुसार जो जब्ती का हुक्म दिया जायगा, उसका ऐसा असर न होगा कि उसके कारण दीवानी या फौजदारी की कोई अन्य कार्रवाई न की जा सके,

जो उस शख्सके विरुद्ध की जा सकती हो जिसने उक्त वस्तु को, उस मात्रासे, जिसकी कि आज्ञा मिली हो, अधिक मात्रा में जमा किया हो।

व्याख्या—

उपदफा (१) के अनुसार जो अधिकार कि बोर्ड को इमारत में प्रवेश कर के जांच करने का दिया गया है, उसका आशय यह नहीं है कि स्वयं बोर्ड के सब मेम्बर ही ऐसी इमारत की जांच करें। वरन जहां कहीं बोर्ड को कोई अधिकार इस प्रकार दिया जाता है, तो शब्द बोर्ड में कोई कमेटी, या मेम्बर, या अफसर, या कर्मचारी, जिसको बोर्ड उस अधिकार के वरतने का अख्तियार दे दे, शामिल माना जाता है(देखिये "बोर्ड" की व्याख्या, एक्ट की दफा २ में)

—पेट्रोलियम, और अन्य ज्वलन शील वस्तुओं की, जो मात्रा किसी मकान या इमारत में रखी जा सकती है, उसके विषय में बोर्ड को बाई लॉ बनाने का अधिकार दफा २९८ की मद (जी) के अंश (ए) के द्वारा दिया गया है। इण्डियन पेट्रोलियम ऐक्ट नं० ८ सन १८९९ ई० की दफा ११ के अनुसार, ५०० गेलन पेट्रोलियम प्रत्येक शख्स बिना लैसन्स के रख सकता है लेकिन अगर लैसन्स में या स्थानीय कानून में कोई और हुक्म हो तो उसकी पाबन्दी योग्य होगी।

—उपदफा (३) के अनुसार जो हुक्म किसी ज्वलन शील वस्तुके जब्तकर लिये जानेके विषयमें दिया जाय, उसकी अपील दफा ३२३ के अनुसार की जा सकती है।

दफा २५९ ज्वलन शील वस्तुओं का ढेर आदि लगाना

जहां कहीं, जान और माल को जोखो से बचाने के लिये, ऐसा करना आवश्यक जान पडे, बोर्ड, आम नोटिस के द्वारा, सब शख्सों को, किसी ऐसे स्थान में या किसी हदों के भीतर जो उक्त नोटिस मे अंकित कर दी जाय, लकड़ी या सूखी घास, या फूस, या अन्य ज्वलन शील वस्तु का ढेर लगाने या जमा करने, या चटाइयो, या ऐसे झोपडों, जिनके ऊपर छप्पर पड़ा हो, के बनाने की मनाही कर सकता है, या ऐसे स्थान या हदों के, भीतर आग सुलगाने की मनाही कर सकता है।

नोट—ज्वलनशील पदार्थों के जमा किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड दफा २९९ की मद (जी) के अंश (ए) के अनुसार बाई-लॉ बना सकता है।

—इस दफा के सम्बन्ध में देखिये, मन्नू बनाम सरकार बहादुर, 17 A L J 976 और मन्नू बनाम सरकार बहादुर, 18 A L J 187, जो दफा २९८ की मद (जी) की व्याख्या मे दिये गये हैं।

दफा २६० खानमें से पत्थर आदि का खोदा जाना, जिसके खोदे जाने से कि जोखों हो

१ यदि बोर्ड की राय मे किसी पत्थर की खान मे काम किये जाने से, या किसी स्थानमें भूमिमे से पत्थर या मिट्टी या अन्य वस्तुओंके हटाये जानेसे, उन शख्सोके लिये भय हो, जो उसके पडोसमे निवास करते हों, या जिनको वहां जानेका अधिकार प्राप्त हो, या उसके द्वारा जनता के लिये कोई क्लेश (Public nuisance) उत्पन्न हो या उत्पन्न होने की सम्भावना हो, तो बोर्ड लिखित नोटिस के द्वारा, उक्त खान या स्थानके मालिक को, या उस शख्स को जो ऐसे हटाये जाने या क्लेश उत्पन्न करने का जिम्मेदार हो, इस बात की मनाही कर सकता है, कि वह ऐसी खानमें काम करना, या ऐसी वस्तु

का हटाया जाना, जारी न रखे, या जारी न रहने दे, या बोर्ड उसको यह 'आज्ञा दे सकता है, कि उक्त खान या स्थान के सम्बन्ध मे वह ऐसी कार्रवाई करे, जिसकी बोर्ड इस उद्देश्य से आज्ञा दे, कि जोखो न रहे या वह क्लेश जाता रहे, जो जोखो या क्लेश उससे उत्पन्न होता हो, या जिसके उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

२ यदि किसी ऐसी दशा मे जिसका उल्लेख उपदफा (१) मे किया गया है किसी ऐसे ख़तरे से बचत करने के उद्देश्य से, जिसके द्वारा कि कोई हानि शीघ्र होने ही वाली हो, बोर्डको ऐसा करना आवश्यक जान पड़े, तो वह निकलने पैठने वालों की रक्षा के लिये, उस खान या स्थान के निकट, आवश्यकतानुसार तख्तो की दीवार या जँगला बनवा सकता है, और जो व्यय बोर्ड का किसीऐसी कार्रवाई के करने में पडे उसको वह मालिक या अन्य शख्स जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, अदा करेगा, और वह उस विधिसे वसूल किया जायगा जो छठे प्रकरणमे बताई गई है।

दफा २६१ खरंजा आदि को उखाड़ना

१ जो शख्स बोर्ड की, या किसी अन्य क़ानूनी अधिकारी की, लिखित सम्मतिके बिना किसी सार्वजनिक सड़क या गली के खरजे या, नाली, या पत्थरो, या किसी अन्य वस्तु, को या आड़ के जगले, दीवारों, या खम्भों, या म्यूनिसिपलटी के लम्पों (लालटेनों) या लालटेनों के खम्भों, या दीवारगीरी, या रास्ता बताने वाले खम्भे, या कोई गाडे हुये खम्भे, या हाईड्रेंट या इसी प्रकार की ऐसी सार्वजनिक सड़क या गली मे कोई अन्य, म्यूनिसिपलटी की जायदाद को, उखाडे, या उठाये, या उसमे कोई परिवर्तन करे, या किसी अन्य प्रकार उसमे हस्तक्षेप करे, और जो शख्स म्यूनिसिपलटी की किसी रोशनी को बुझाये, उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दड दिया जायगा, जिस की सख्या १००) एकसौ रुपये तक हो सकती है।

२ वह ख़र्च जो बोर्ड को किसी ऐसे काम के किये जाने के कारण करना पडे, जो, उपदफा (१) मे बताये गये हैं, अपराधी से, उस विधि से वसूल किया जा सकता है, जो छटे प्रकरण मे बताई गई है।

व्याख्या—

उपदफा (१) में शब्द में 'क़ानूनी अधिकारी' का अर्थ है, कोई ऐसा अधिकारी जिसको क़ानून के अनुसार, सम्मति देने का अधिकार हो।

—इस दफा के अनुसार किसी को कोई सड़क, नाली आदि खोदने की मनाही की गई है। परन्तु जब कि एक शख्स को, दुकान के सामने, नाली पर एक पत्थर रख लेने की आज्ञा दी गई, और चेयरमैनके आनेका समाचार पा के सफाई करनेके उद्देश्यसे वह शख्स, पत्थरके नीचेसे मिट्टी तथा कूड़ा करकट खोदने लगा, तो उस पर सड़क खोदने का अपराध लगाया गया। हाईकोर्टने तय बीज किया कि, इस प्रकार मिट्टी आदि के खोदने के कारण कोई शख्स सडक के खोदने का अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। देखिये गुलाबसिंह बनाम सरकार बहादुर, 35 I C 964 = 17 Cr L J 404

—म्यूनिसिपलटी की जायदाद को हानि पहुचने का हर्जा भी वसूल करने का अधिकार म्यूनिसिपल्टी को दफा ३१६ के द्वारा भी दिया गया है।

दफा २६२ आग्नेयअस्त्रों का चलाना इत्यादि

जो शख्स आग्नेयअस्त्रो (अर्थात अग्नि से चलने वाले अस्त्र जैसे बंदूक आदि) चलाये, या आतिशबाजी या आग के गुब्बारे इस प्रकार छोड़े, या कोई खेल, इस प्रकार खेले कि पास से निकलने वाले या पड़ोस में रहने वाले, या पडोस मे काम काज करने वाले, शख्सो को जोखों हो, या जोखो होने की सम्भावना हो, या जायदाद को हानि पहुँचने का डर हो, या हानि पहुँचने के डर होने की सम्भावना हो, उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्मानेका दड दिया जायगा, जिस की सख्या २०)बीस रुपये तक हो सकती है।

दफा २६३ टूटी फूटी इमारतोंसे, और ऐसे कुओंसे जिनपर मनि आदि न बनीहो, जोखोंका बचाव करनेका अधिकार

१ बोर्ड, नोटिस के द्वारा, किसी आराज़ी या इमारत के मालिक या काबिज को यह आज्ञा दे सकता है, कि वह—

(ए) किसी ऐसी इमारत, या भीत या बांध (पुश्ता) को या किसी अन्य काम (तामीर), या किसी ऐसी वस्तु को, जो उस मे लगी हुई हो, गिरा दे, या उसकी इस प्रकार मरम्मत कर दे जो बोर्ड आवश्यक समझे, या किसी ऐसे पेड़ को दूर करदे, जो इमारत भीत इत्यादि, या पेड़ जो ऐसे मालिकके हो, या ऐसे काबिजके कब्जेमें हों, और जिनके विषय मे, बोर्ड की यह राय हो कि वह टूटी फूटी दशा मे है, या यह कि उनके द्वारा लोगो को या जायदाद को जोखों है। या

(बी) किसी ऐसे कुये या तालाब या हौज या पोखर, या खोदे हुये स्थान को, जो ऐसे मालिक का हो, या ऐसे काबिज के कब्जे मे हो, जो अपने मौके के कारण, या बे मरम्मत होने के कारण, या ऐसे ही किसी अन्य कारण से, बोर्ड को भय प्रद जान पड़े, उस प्रकार मरम्मत कर दे, या सुरक्षित कर दे, या घेर दे, जैसा कि बोर्ड आवश्यक समझे।

२ उस दशामे जब कि बोर्ड यह समझे कि किसी शख्स या जायदाद को, किसी ऐसे खतरे से बचाने के लिये, जो कि शीघ्र होने वाला हो, किसी कामके किये जानेकी तुरन्त आवश्यकता है, तो स्वय बोर्ड का यह कर्तव्य होगा, कि तुरन्त ऐसा काम करे, और ऐसी दशा मे, दफा २८७ के हुक्मों के होते हुये भी, यदि बोर्ड यह समझे कि नोटिस के देने मे जो देर होगी, उसके कारण, इस प्रकार तुरन्त काम के करने का उद्देश्य नष्ट हो जायगा, तो यह आवश्यक न होगा कि बोर्ड नोटिस दे।

व्याख्या—

क्लॉज (ए) और (बी) के शब्द इस प्रकार के रखे गये हैं कि बोर्ड किसी खतरनाक इमारत आदि से जनता की रक्षा करने के लिये भी कोई आज्ञा दे सके और उस दशा में भी आज्ञा दे सके जब ऐसी किसी इमारत आदि से स्वयं इमारत के रहने वालों ही को भय हो।

—दफा २८७ में आज्ञा दी गई है कि जब बोर्ड किसी काम को किसी निजी घर या मकान में बनवाये जिसके बनवाने का अधिकार इसको कानून के द्वारा दिया गया हो तो बोर्ड का कोई अफसर या कर्मचारी बिना चार घंटे का लिखित नोटिस दिये हुये उसमें प्रवेश न करेगा परन्तु इस दफा की उपदफा २ के अनुसार यदि बोर्ड किसी काम को इतना जरूरी समझे कि नोटिस देने का अवसर न हो तो बिना किसी नोटिस के ही उस काम को बनवा सकता है और उस घर या मकान में प्रवेश कर सकता है।

—यदि बोर्ड को स्वय कोई मकान भीत पेड़ इत्यादि को हटवाना पड़े तो ऐसे हटाये जाने में जो खर्चा पड़े उसके वसूल करने के लिए आगे दफा ३१२ में हुक्म है।

दफा २६४ खाली इमारतों या आराजियों को कष्टदायक होजाने से रोकने का अधिकार

जो इमारत या आराजी, छोड़ दिये जानेके कारण, या उसकी मिल्कियतके विषयमें झगड़ा होनेके कारण, या किसी अन्य कारणसे, खाली हो, और वह ठलुओं और लुच्चों (Idle & Disorderly persons) के उठने बैठनेका स्थान हो गयी हो, या उसके द्वारा, जनताके लिये, कोई क्लेश होता हो, या क्लेश उत्पन्न होने की सम्भावना हो, तो बोर्ड, नोटिसके द्वारा उसके मालिकको आज्ञा दे सकता है कि एक उचित समय के भीतर, जो नोटिस में नियत कर दिया जाय, उसको सुरक्षित कर दे, या घेर दे।

नोट—"पब्लिक न्यूसेन्स" अर्थात् कोई ऐसा काम जिसके कारण जनताको क्लेश हो, के लिये देखिये दफा २४५ की व्याख्या।

दफ़ा २६५ सड़कों या गलियोंका रोकना

१ जो शख्स बिना बोर्ड की लिखित इजाजत के—

(ए) कोई गाडी, चाहे उसमें कोई पशु जुता हो या न जुता हो, इस प्रकार रखवाये या खड़ी कराये, या रखने दे या खडी करने दे, कि उससे किसी सडक या गली मे, उतने समय से अधिक रुकावट हो जितना समय कि बोझ चढ़ाने या बोझ उतारने के लिये, या सवारियोंको चढ़ाने या उतारने के लिये आवश्यक हो। या

(बी) किसी गाडी या पशुको इस प्रकार छोड़े या बाधे कि उससे किसी सड़क या गली मे रुकावट हो। या

(सी) किसी वस्तुको बेचनेके लिये, किसी छोटी दुकान, या थरी (Booth) मे, या किसी अन्य प्रकार इस तरह रखे कि उससे किसी सड़क या गलीमे रुकावट हो। या

(डी) कोई इमारत बनाने की सामग्री, या बकस, या गट्ठा, या पुलिन्दा, या व्यापार का माल किसी सड़क या गली में, जमा करे, या रखे, या रखने दे। या

(ई) किसी सडक या गलीमें कोई घेर (Fence) या लोहेकी रेल (सलाख) या खम्भा, या थरी, या मकान बनाने की कोई पाड़, या ऐसी ही गड़ी हुई कोई अन्य वस्तु (Fixture) बनाये या खड़ी करे। या

(यफ्) किसी अन्य प्रकार किसी सड़क या गलीमें आने जाने मे जानबूझ कर रुकावट करे, या कराये, उसको अपराधके साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है।

२ बोर्डको अधिकार होगा कि किसी ऐसी रुकावटको जिसका उल्लेख उपदफा (१) मे किया गया है, हटादे। और इस प्रकार रुपये दियेजानेका खर्चा अपराधीसे उस विधिसे वसूल किया जा सकेगा, जो छठे प्रकरण मे बताई गई है।

३ सड़कों और गलियों मे से रुकावटों के दूर करने का अधिकार, जो बोर्ड उपदफा (२) के अनुसार बरत सकता है, उसको बोर्ड किसी ऐसे खुले स्थान से भी, चाहे वह स्थान बोर्ड के अधिकार मे हो या न हो, परन्तु जो किसी शख्सकी निजी मिल्कियत न हो, रुकावट के हटाने के सम्बन्ध मे बरत सकेगा।

४ इस दफा के कोई बात किसी सड़क या गलीकी ऐसी रुकावट पर लागू न होगी जिस रुकावटकी आज्ञा बोर्डने इस ऐक्टकी किसी दफाके अनुसार दी हो, या किसी ऐसे नियम या बाई-लॉके द्वारा दी हो, जो इस ऐक्टके अनुसार बनाया गयाहो, या जो आज्ञा किसी लैसन्सके द्वारादी गई हो, जो लैसन्स कि इस ऐक्टके अनुसार दिया गया हो।

व्याख्या—

इस दफा के क्लॉज (ए) का मिलान दफा २५६ से किया जाना चाहिये क्लॉज (ए) के अनुसार किसी गाड़ी को सडक पर छोडना या खडा करना उसी दशा में अपराध होगा जब सडक में उसके द्वारा रुकावट उत्पन्न हो।—क्लॉज (बी) का मिलान दफा २५५ से करना चाहिये। इस क्लॉज के अनुसार किसी पशु को सडक पर बांध देना उसी दशा में अपराध होगा, जब उससे रुकावट उत्पन्न हो। परन्तु दफा २५५ के अनुसार किसी पशु का सडक पर बांध देना स्वयं अपराध माना गया है, चाहे उससे कोई रुकावट हो या न हो। इसी प्रकार क्लॉज (सी) के साथ देखिये दफा २२०।— इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि क्लॉज (डी) में गिनाई हुई वस्तुओं का सडक पर रखना ही स्वयं अपराध है, चाहे उनसे कोई रुकावट उत्पन्न हो या न हो।—क्लॉज (ई) के साथ देखिये दफा २१३। इस क्लॉज के अपराध के लिये भी यह आवश्यक नहीं है कि कोई रुकावट हो। इसलिये जब कि एक शख्स पर यह अपराध लगाया गया कि उसने दफा २६५ के हुक्म के विरुद्ध एक सडक पर मकान बनाने के लिये पाढ़ बांध ली, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि अपराध के साबित करने के लिये, इस बात के साबित करने की आवश्यकता नहीं है, कि उस पाढ से कोई रुकावट हुई। पाढ़ के बांधे जाने ही से, यह बात मान ली जायगी कि रुकावट उत्पन्न हुई। देखिये भतीधी चुन्नीलाल बनाम सरकार बहादुर 58 I C 944

—उपदफा (२) के अनुसार बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वह स्वयं, सडक या गली में से, किसी रुकावट को हटवा दे, कारण यह कि यदि बोर्ड को केवल मुकद्दमा चलाने ही का अधिकार दिया गया होता, तो सम्भव था कि सडका या गलियों पर से रुकावटें महीनों तक दूर न की जा सकती। किसी रुकावट के हटाने में बोर्ड का जो खर्चा हो, उसको बोर्ड दफा ३१२ के अनुसार वसूल कर सकता है।

दफा २६६ सार्वजनिक आराज़ी का खोदना

जो शख्स किसी खुली जगह मे से, चाहे वह जगह बोर्ड के अधिकार मे हो या

न हो, और जो किसी शख्सकी निजी मिल्कियत न हो, बिना बोर्डकी लिखित इजाजतके, मिट्टी या रेत या कोई अन्य वस्तु, खोदे या हटाये, उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या पचास रुपये से अधिक न होगी, और जब अपराध लगातार जारी रहने वाला अपराध हो तो ऐसे अपराध के विषय मे, पहले पहल जब अपराध साबित हो उसके उपरान्त, प्रत्येक ऐसे दिन के विषय मे, जिसमे अपराध का किया जाना जारीरहे, उस शख्स पर, अधिक जुर्माना होगा, जिसकी संख्या दस रुपये से अधिक न होगी।

आरोग्यता और रोगोंका रोकना

(Sanitation & Prevention of Diseases)

दफा २६७ निजी मोरिया, कुंडियां, कूड़ेके पात्र, पाखाने इत्यादि

१ बोर्ड, नोटिसके द्वारा, किसी आराजीके या इमारतके मालिक या काबिजको, यह आज्ञा दे सकता है कि—

(ए) किसी पाखाने, या पेशाबखाने, या ऐसे पाखाने को जिसमें नलसे पानी आता है (Water Closet), या मोरी, या कुडीं (चह बच्चा), या कूड़ेके पात्र को, या गिलाजत, या मैले पानी, या कूडा करकटके किसी अन्य पात्रको, जो उक्त इमारत या आराजी से सम्बन्ध रखता हो, बन्द कर दे, या हटा दे, या उसमें कोई परिवर्तन कर दे या उसकी मरम्मत या सफाई करे, या उसको औषधियों के द्वारा साफ करे (*Disinfect*) या उसकी दशा को सुधारे, या किसी ऐसे पाखाने, या पेशाबखाने या ऐसे पाखानेके, जिसमें नलके द्वारा पानी आता हो, किसी दरवाजे या खिडकीको, जो किसी सडक या गलीमे खुलती हो या मोरी पर खुलती हो, हटादे या उसमें परिवर्तन करदे। या

(बी) ऐसे पाखाने, या पेशाबखाने, या नल वाले पाखाने या मोरिया, या कुडिया (चह बच्चे), या कूडेके पात्र, अथवा गिलाजत, या मैले पानी, या कूडा करकटके अन्य पात्र बनवाये, जो बोर्डकी रायमें, उक्त इमारत या आराजीके लिये बनवाये जाना चाहिये, चाहे वह उन पाखानों, या पेशाबखानों, इत्यादि, जो बने मौजूद हो, के अतिरिक्त हों या न हों। या

(सी) किसी पाखाने, या पेशाबखाने, या नल वाले पाखाने को, जो इमारत या आराजीके लिये बनवाया गया हो, काफी छत, या भीत, या घेरेके द्वारा, उन लोगों की दृष्टिसे अलक्षित कर दे, जो उसके पाससे निकलते हों, या जो पडोसमे रहते हों।

२ जब बोर्ड उपदफा (१) के अनुसार किसी चीजके बनवाने, या उसमे परिवर्तन करनेकी, या उसके सम्बन्धमे किसी कामके करनेकी आज्ञा दे, तो बोर्ड नोटिसमे, उस चीज का विवरण जो बनाई जायगी, दे सकता है, और वह नमूना दे सकता है, जिसके

अनुसार परिवर्तन किया जायगा, तथा वह विधि दर्ज कर सकता है जिसके अनुसार काम किया जायगा।

व्याख्या—

नगर में सफ़ाई रखने, और आरोग्यता के उपायों की उन्नति करने, तथा फैलने वाली बीमारियों से जनता की रक्षा करने का भार म्यूनिसिपलटी पर होता है। अतएव यह आवश्यक है कि बोर्ड को पाखानों, पेशाबख़ानों आदि के सम्बन्ध में, विस्तृत अधिकार दिये जाय। दफ़ा २६७ के अनुसार बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि जिस पाख़ाने पेशाबख़ाने आदि के विषय में वह आवश्यक समझे, उसको बन्द करा देने, साफ़ कराने, उसमें परिवर्तन करने इत्यादि की आज्ञा दे। या कोई नये पाख़ाने, पेशाबख़ाने, कूड़े के पात्र आदि के बनवाने या रखने की आज्ञा दे। और ऐसी आज्ञा बोर्ड चाहे मकान के मालिक को दे, चाहे क़ाबिज़ को।

—आरोग्यता के प्रबन्ध और सफ़ाई की जिम्मेदारी बोर्ड पर है, इसलिये बोर्ड द्वारा दिये-हुये हुक्मों में अदालत दीवानी को भी दख़ल देने का अधिकार नहीं। जब कि एक म्यूनिसिपलबोर्ड ने किसी को एक मोरी का रास्ता बदलने की आज्ञा दी, जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक थी और जिसके द्वारा जनता को कष्ट पहुंचता था, और उक्त शख़्स ने बोर्ड के हुक्म के विरुद्ध अदालत दीवानी से फैसला चाहा, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि मोरियों के विषय में म्यूनिसिपलबोर्डको हुक्म देनेका पूरा अधिकार है, और ऐसे हुक्म में हस्तक्षेप करने का अदालत दीवानी को अधिकार नहीं है। यह भी तजवीज हुआ कि जब बोर्ड ऐसे अधिकारों के भीतर काम करे, जो कि उसको कानून ने दिये हों, तो बोर्ड के हुक्म के विरुद्ध कोई प्रश्न दीवानी की अदालत के सामने नहीं उठाया जा सकता। देखिये अब्दुल अजीज बनाम म्यूनिसिपलबोर्ड पीलीभीत 2 A L J 222=1905 A W N 79

—माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने म्यूनिसिपलबोर्डों को यहां तक स्वतन्त्र माना है कि यदि कोई दीवानी की अदालत सफाई आदि के सम्बन्ध में कोई डिक्री देदे, तो भी बोर्ड को उसके विरुद्ध हुक्म देने का अधिकार है। चौली बनाम म्यूनिसिपलबोर्ड मुजफ्फरनगर वगैरा 12 A L J 1102=26 I C 781, वाले मामले में मुद्दई का मकान, मुद्दाअलेह नं० २ के एक घेरे से मिला हुआ था। मुद्दई की एक मोरी मुद्दाअलेह नं० २ के घेरे में होके बहती थी। इस मोरी के विषय में दोनों में झगडा था। मुद्दई ने दीवानी में दावा किया और डिग्री प्राप्त कर ली कि मोरी कायम रखी जाय। तत्पश्चात् म्यूनिसिपलटी के हेल्थ अफसर ने बोर्ड को रिपोर्ट दी कि मोरी जनता के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। इस रिपोर्ट पर बोर्ड ने मुद्दई को हुक्म दिया कि मोरी का मुद्दाअलेह नं० २ के मकान में होके जाना बन्द कर दे। मुद्दई ने तब एक दूसरा दावा अदालत दीवानी में दायर किया। मुद्दई की ओर से यह बहस की गई कि म्यूनिसिपल बोर्ड को अदालत दीवानी की डिक्री के विपरीत कोई हुक्म देने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। परन्तु हाईकोर्ट ने इस बहस को स्वीकार न करते हुये तजवीज किया, कि अदालत दीवानी की एक डिक्री उक्त मोरी के विषय में होते हुये भी, म्यूनिसिपलबोर्ड को, मोरी को बन्द करा देने का अधिकार प्राप्त है।

और जब कि बोर्ड की एक कमेटी ने, दफा २६७ के अनुसार, एक शख़्स को एक कुंडी बनाने की आज्ञा दे और उक्त शख़्स आज्ञा के अनुसार कुंडी न बनवाये तो ऐसे शख़्स के विरुद्ध मुक़द्दमा चलाये जाने पर मजिस्ट्रेट को यह अधिकार तक प्राप्त नहीं है कि वह इस बात को तै करे कि कमेटी के उक्त हुक्म की जरूरत थी या नहीं अथवा यह कि हुक्म ठीक था या नहीं। इस बात के निर्णय करने का अधिकार, कि उक्त हुक्म का दिया जाना ठीक और जरूरी था केवल कमेटी ही को प्राप्त हो

सकता है। देखिये कश्मीरी लाल बनाम कैसरहिन्द 1922 H L J 14=19 A L J 541 =Rev & Cr L J Vol 7 Cr S 171

और यदि कोई म्यूनिसिपलबोर्ड किसी इमारत आदि के बनाने की आज्ञा देदे और पीछे से सफाई या स्वास्थ्य के विचार से यह उक्त इमारत का तोड दिया जाना आवश्यक समझे तो बोर्ड को अपने ही हुक्म के विरुद्ध ऐसी इमारत को तोड देने का हुक्म देने का अधिकार प्राप्त है। बाबूलाल बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड फर्रुखाबाद, 21 A L J. 828 वाले मामले में बोर्ड की पबलिक वर्क्स कमेटी ने दफा १७८ के अनुसार एक पाख़ाना बनाने की आज्ञा दी। कुछ मास के बाद बोर्ड को यह निश्चय हुआ कि उक्त पाख़ाने से जनता के लिये कष्ट उत्पन्न होता है और यह कि यह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है इसलिये बोर्ड ने दफा २६७ के अनुसार उक्त पाख़ाने के मालिक को नोटिस दिया कि पाख़ाना बन्द कर दे। उक्त मालिक ने इस हुक्म के विरुद्ध अदालत दीवानी में दावा दायर किया। मुद्दई की ओर से हाईकोर्ट के सामने यह बहस की गई कि म्यूनिसिपल बोर्ड को अपने ही हुक्म के विपरीत दूसरा हुक्म जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं था और यह कि म्यूनिसिपल बोर्डको ऐसा अधिकार प्राप्त होने से कि किसी इमारत के बनाये जाने की आज्ञा देने के पश्चात् फिर उसको तोड देने की आज्ञा दे सके, बडा अन्याय हो सकता है। हाइकोर्ट ने तजवीज किया कि ऐक्ट में कोई ऐसा हुक्म नहीं है जो म्यूनिसिपल बोर्ड को, जनता के स्वास्थ्य के विचारसे, किसी ऐसी इमारतके तोड दिये जाने का हुक्म देने से रोक सके जिसके बनाये जाने की वह पहिले आज्ञा दे चुका हो। यदि यह माना जाय कि केवल इस कारण किसी बोर्ड को कोई दूसरा हुक्म जारी करनेका अधिकार नहीं है कि पहिले वह उसी विषय में कोई हुक्म दे चुका है तो ऐसी दशामें यह सम्भव है कि पहले हुक्मके कारण जनता के लिये घोर कष्ट उत्पन्न हो जाये।

—परन्तु इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि दफा २६७ का केवल एकही उद्देश्य है अर्थात् यह कि आरोग्यता, स्वास्थ्य और सफाई की बोर्ड उन्नति कर सके। इसलिये यदि बोर्ड, दफा २६७ के अनुसार, कोई हुक्म, आरोग्यता, स्वास्थ्य और सफाई के अतिरिक्त, किसी अन्य मतलबसे दे, तो ऐसा हुक्म नाजायज होगा। जब कि एक म्यूनिसिपलबोर्ड ने, दफा २६७ के अनुसार, एक शख़्सको नोटिस दिया कि वह एक कुईको बन्द करदे, क्योंकि उसमें निकलने पैठने वालोंके गिर जानेका भय है, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि यद्यपि म्यूनिसिपल बोर्ड का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि कुई पर ढकन न होनेके कारण निकलने पैठने वालोंके लिये जोखों है, तो भी ऐसा नोटिस दफा २६७ के अनुसार नहीं दिया जा सकता। दफा २६७ के द्वारा बोर्ड को केवल यह अधिकार है कि रोग फैलानेवाली गिलाजतसे जनता को बचाये। इसलिये यदि उक्त नोटिस की आज्ञानुसार कुई बन्द नहीं की गई, तो कोई अपराध नहीं हुआ। देखिये म्यूनिसिपल बोर्ड इटावा बनाम देवीप्रसाद, 18 A L J 572

—दफा २६७ का यह आशय नहीं है कि निजी मोरियों आदि पर उनके मालिकों को किसी प्रकारका अधिकार प्राप्त नहीं है। किसी मोरी आदिके सम्बन्ध में कोई काम किये जाने पर म्यूनिसिपलटीको हस्तक्षेप करनेका उसी दशामें अधिकार है जब कि ऐसे काम के कारण जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पडे या जनता के लिये कोई क्लेश उत्पन्न हो। दस्सू वगैरा बनाम सरकार बहादुर 5 A L J 544 वाले मामलेमें अनेक शख़्सोंको इस कारण दंड दिया गया कि उन्होंने एक मोरी को बन्द कर दिया। उक्त मोरी बहुत लम्बी थी और जिस स्थान पर कि वह रोकी या बन्द की गई थी वहां पर वह निज की जायदाद थी। म्यूनिसिपल बोर्ड की ओरसे यह बहस की गई कि

अनुसार परिवर्तन किया जायगा, तथा वह विधि दर्ज कर सकता है जिसके अनुसार काम किया जायगा।

व्याख्या—

नगर में सफाई रखने, और आरोग्यता के उपायों की उन्नति करने, तथा फैलने वाली बीमारियों से जनता की रक्षा करने का भार म्यूनिसिपलटी पर होता है। अतएव यह आवश्यक है कि बोर्ड को पाखानों, पेशाबखानों आदि के सम्बन्ध में, विस्तृत अधिकार दिये जाय। दफा २६७ के अनुसार बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि जिस पाखाने पेशाबखाने आदि के विषय में वह आवश्यक समझे, उसको बन्द करा देने, साफ कराने, उसमें परिवर्तन करने इत्यादि की आज्ञा दे। या कोई नये पाख़ाने, पेशाबख़ाने, कूड़े के पात्र आदि के बनवाने या रखने की आज्ञा दे। और ऐसी आज्ञा बोर्ड चाहे मकान के मालिक को दे, चाहे काबिज को।

—आरोग्यता के प्रबन्ध और सफाई की जिम्मेदारी बोर्ड पर है, इसलिये बोर्ड द्वारा दिये हुये हुक्मों में अदालत दीवानी को भी दख़ल देने का अधिकार नहीं। जब कि एक म्यूनिसिपलबोर्ड ने किसी को एक मोरी का रास्ता बदलने की आज्ञा दी, जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक थी और जिसके द्वारा जनता को कष्ट पहुंचता था और उक्त शख्स ने बोर्ड के हुक्म के विरुद्ध अदालत दीवानी से फैसला चाहा, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि मोरियों के विषय में म्यूनिसिपलबोर्डको हुक्म देनेका पूरा अधिकार है, और ऐसे हुक्म में हस्तक्षेप करने का अदालत दीवानी को अधिकार नहीं है। यह भी तजवीज हुआ कि जब बोर्ड ऐसे अधिकारों के भीतर काम करे, जो कि उसको कानून ने दिये हों, तो बोर्ड के हुक्म के विरुद्ध कोई प्रश्न दीवानी की अदालत के सामने नहीं उठाया जा सकता। देखिये अब्दुल अजीज बनाम म्यूनिसिपलबोर्ड पीलीभीत 2 A L J 222=1905 A W N 79

—माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने म्यूनिसिपलबोर्डों को यहां तक स्वतन्त्र माना है कि यदि कोई दीवानी की अदालत सफाई आदि के सम्बन्ध में कोई डिक्री देदे, तो भी बोर्ड को उसके विरुद्ध हुक्म देने का अधिकार है। चौटी बनाम म्यूनिसिपलबोर्ड मुजफ्फरनगर वगैरा 12 A L J 1102=26 I C 781, वाले मामले में मुद्दई का मकान, मुद्दाअलेह न० २ के एक घेरे से मिला हुआ था। मुद्दई की एक मोरी मुद्दाअलेह न० २ के घेरे में होके बहती थी। इस मोरी के विषय में दोनों में झगड़ा था। मुद्दई ने दीवानी में दावा किया और डिक्री प्राप्त कर ली कि मोरी कायम रखी जाय। तत्पश्चात् म्यूनिसिपल्टी के हेल्थ अफसर ने बोर्ड को रिपोर्ट दी कि मोरी जनता के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। इस रिपोर्ट पर बोर्ड ने मुद्दई को हुक्म दिया कि मोरी का मुद्दाअलेह न० २ के मकान में होके जाना बन्द कर दे। मुद्दई ने तब एक दूसरा दावा अदालत दीवानी में दायर किया। मुद्दई की ओर से यह बहस की गई कि म्यूनिसिपल बोर्ड को अदालत दीवानी की डिक्री के विपरीत कोई हुक्म देने का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। परन्तु हाईकोर्ट ने इस बहस को स्वीकार न करते हुये तजवीज किया, कि अदालत दीवानी की एक डिक्री उक्त मोरी के विषय में होते हुये भी, म्यूनिसिपलबोर्ड को, मोरी को बन्द करा देने का अधिकार प्राप्त है।

और जब कि बोर्ड की एक कमेटी ने, दफा २६७ के अनुसार, एक शख्स को एक कुंडी बनाने की आज्ञा दे और उक्त शख्स आज्ञा के अनुसार कुंडी न बनवाये तो ऐसे शख्स के विरुद्ध मुकद्दमा चलाये जाने पर मजिस्ट्रेट को यह अधिकार तक प्राप्त नहीं है कि वह इस बात को तै करे कि कमेटी के उस हुक्म की जरूरत थी या नहीं अथवा यह कि हुक्म ठीक था या नहीं। इस बात के निर्णय करने का अधिकार, कि उक्त हुक्म का दिया जाना ठीक और जरूरी था केवल कमेटी ही को प्राप्त हो

सकता है। देखिये कश्मीरी लाल बनाम कैसरहिन्द 1922 H L J 14=19 A L J 541 =Rev & Cr L J Vol 7 Cr S 171

और यदि कोई म्यूनिसिपलबोर्ड किसी इमारत आदि के बनाने की आज्ञा देदे और पीछे से सफाई या स्वास्थ्य के विचार से वह उक्त इमारत का तोड़ दिया जाना आवश्यक समझे तो बोर्ड को अपने ही हुक्म के विरुद्ध ऐसी इमारत को तोड़ देने का हुक्म देने का अधिकार प्राप्त है। बाबूलाल बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड फर्रुखाबाद, 21 A L J 828 वाले मामले में बोर्ड की पबलिक वर्क्स कमेटी ने दफा १७८ के अनुसार एक पाख़ाना बनाने की आज्ञा दी। कुछ मास के बाद बोर्ड को यह निश्चय हुआ कि उक्त पाख़ाने से जनता के लिये कष्ट उत्पन्न होता है और यह कि वह स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है इसलिये बोर्ड ने दफा २६७ के अनुसार उक्त पाख़ाने के मालिक को नोटिस दिया कि पाख़ाना बन्द कर दे। उक्त मालिक ने इस हुक्म के विरुद्ध अदालत दीवानी में दावा दायर किया। मुद्दई की ओर से हाईकोर्ट के सामने यह बहस की गई कि म्यूनिसिपल बोर्ड को अपने ही हुक्म के विपरीत दूसरा हुक्म जारी करने का अधिकार प्राप्त नहीं था और यह कि म्यूनिसिपल बोर्डको ऐसा अधिकार प्राप्त होने से कि किसी इमारत के बनाये जाने की आज्ञा देने के पश्चात् फिर उसको तोड़ देने की आज्ञा दे सके, बड़ा अन्याय हो सकता है। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि ऐक्ट में कोई ऐसा हुक्म नहीं है जो म्यूनिसिपल बोर्ड को, जनता के स्वास्थ्य के विचारसे, किसी ऐसी इमारतके तोड़ दिये जाने का हुक्म देने से रोक सके जिसके बनाये जाने की वह पहिले आज्ञा दे चुका हो। यदि यह माना जाय कि केवल इस कारण किसी बोर्ड को कोई दूसरा हुक्म जारी करनेका अधिकार नहीं है कि पहिले वह उसी विषय में कोई हुक्म दे चुका है तो ऐसी दशामें यह सम्भव है कि पहले हुक्मके कारण जनता के लिये घोर कष्ट उत्पन्न हो जाये।

—परन्तु इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि दफा २६७ का केवल एकही उद्देश्य है अर्थात् यह कि आरोग्यता, स्वास्थ्य और सफाई की बोर्ड उन्नति कर सके। इसलिये यदि बोर्ड, दफा २६७ के अनुसार, कोई हुक्म, आरोग्यता, स्वास्थ्य और सफाई के अतिरिक्त, किसी अन्य मतलबसे दे, तो ऐसा हुक्म नाजायज होगा। जब कि एक म्यूनिसिपलबोर्ड ने, दफा २६७ के अनुसार, एक शख्सको नोटिस दिया कि वह एक कुइँको बन्द करदे, क्योंकि उसमें निकलने पैठने वालोंके गिर जानेका भय है, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि यद्यपि म्यूनिसिपल बोर्ड का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि कुइँ पर बल्ला न होनेके कारण निकलने पैठने वालोंके लिये जोखों है, तो भी ऐसा नोटिस दफा २६७ के अनुसार नहीं दिया जा सकता। दफा २६७ के द्वारा बोर्ड को केवल यह अधिकार है कि रोग फैलानेवाली गिलाजतसे जनता को बचाये। इसलिये यदि उक्त नोटिस की आज्ञानुसार कुइँ बन्द नहीं की गई, तो कोई अपराध नहीं हुआ। देखिये म्यूनिसिपल बोर्ड इटावा बनाम देवीप्रसाद, 18 A L J 572

—दफा २६७ का यह आशय नहीं है कि निजी मोरियों आदि पर उनके मालिकों को किसी प्रकारका अधिकार प्राप्त नहीं है। किसी मोरी आदिके सम्बन्ध में कोई काम किये जाने पर म्यूनिसिपल्टीको हस्तक्षेप करनेका उसी दशामें अधिकार है जब कि ऐसे काम के कारण जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े या जनता के लिये कोई क्लेश उत्पन्न हो। दस्सू वगैरा बनाम सरकार बहादुर [illegible] A L J 544 वाले मामलेमें अनेक शख्सोंको इस कारण दंड दिया गया कि उन्होंने एक मोरी को बन्द कर दिया। उक्त मोरी बहुत ऊंची थी और जिस स्थान पर कि वह रोकी या बन्द की गई थी वहां पर वह निज की जायदाद थी। म्यूनिसिपल बोर्ड की ओरसे यह बहस की गई कि

उक्त मोरी के रोक दिये जाने के कारण मोरी के उस भाग का पानी निकलना बन्द हो गया है जो कि म्यूनिसिपलटी के अधिकार में है। परन्तु सफाई या जनता के स्वास्थ्य का कोई प्रश्न म्यूनिसिपलटी की ओर से इस मामले में नहीं उठाया गया था। हाईकोर्ट ने तय किया कि दस्सू वगैरा ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि यदि कानून का यह अभिप्राय था कि कोई ऐसा काम अपराध ठहराया जाय जो निजी जायदाद के विषय में किया जाय, चाहे उसके कारण, कुछ अन्तर पर किसी सार्वजनिक जायदाद में कुछ रुकावट हो, तो ऐसी दशा के लिये कानून में विशेष और स्पष्ट शब्दों में आज्ञा दी जाना चाहिये थी।

—कोई जायज नोटिस जो दफा २६७ के अनुसार बोर्ड जारी करे उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। उपरोक्त कशमीरी लाल बनाम कैसरहिन्द वाले मामले में माननीय हाईकोर्टने भी यही राय प्रकट की है।

दफा २६८ कारखानों, स्कूलों, और सर्वसाधारण के आने जानेके स्थानों के लिये पाखाने

बोर्ड, नोटिस के द्वारा, किसी ऐसे शख्सको आज्ञा दे सकताहै जो बीस से अधिक काम करने वाले या मजदूर नौकर रखता हो, या जो किसी बाजार, या स्कूल, या थेटर (Theatre–नाटक घर), या सर्वसाधारण के आने जाने के अन्य स्थान का मालिक हो, या उसका प्रबन्ध करता हो, या उसकी निगरानी करता हो, कि वह ऐसे पाखाने और पेशाबखाने बनाये जो बोर्ड उचित समझे, और उनको अच्छी हालत में रखवाये, और उनको प्रति दिन साफ कराये।

परन्तु शर्त यह है कि इस दफा की कोई बात किसी ऐसे कारखाने पर लागू न होगी जो इंडियन फैक्ट्रीज़ ऐक्ट सन् १९११ ई० (Indian Factories Act 1911) के हुक्मों के आधीन हो।

दफा २६९ तालाबों इत्यादि से उत्पन्न होने वाली कष्टदायक बातों को दूर करने की आज्ञा देने का अधिकार

१ बोर्ड, नोटिस के द्वारा, किसी आराजी या इमारत के मालिक या काबिज को यह आज्ञा दे सकता है कि उसके भीतर किसी ऐसे निजी कुए, या तालाब, या हौज, या पोखर को, या गड्ढे, या खोदे हुए स्थान को, साफ करे, या मरम्मत करे, या ढाक दे, या भर दे, या उसमे पानी का निकास बनवाये, जो बोर्ड को स्वास्थ्यके लिये हानिकारक जान पड़े, या जो पड़ोस वालों के लिये कष्टदायक हो।

२ परन्तु शर्त यह है कि ऐसा मालिक या काबिज बोर्ड से यह कह सकता है, कि बोर्ड, किसी आराजी को, या आराजी मे किसी हक को, जो पानी के उस निकास का प्रबन्ध करने के लिये आवश्यक हो जिसका हुक्म उपदफा (१) मे दिया गया है, अपने खर्चे से प्राप्त करे, या अन्य प्रकार दिलवाये।

व्याख्या—

उपदफा (२) का आशय यह है कि यदि बोर्ड किसी को इस बात का हुक्म दे कि वह किसी मकान या आराजी में से पानी के निकास का रास्ता बनवाये तो वह बोर्ड को इस बात

पर मजबूर कर सकता है, कि बोर्ड उस आराजीको, जिसमेंसे होके पानीके निकास का रास्ता बनवाया जाने को हो स्वयं अपने खर्चेसे मोल लेले, या उक्त आराजीमें कोई ऐसा अधिकार अपने खर्चेसे प्राप्त करे, जिस अधिकार के द्वारा कि उक्त आराजी पर, पानी का निकास बनवाया जा सके। परन्तु पानी के निकास के अतिरिक्त, अन्य जिन २ बातों के लिये बोर्ड, उपदफा (१) के अनुसार, आज्ञा दे सकता है, उनके करानेके खर्चे का भार इमारत या आराजी के मालिक या काबिज ही पर होगा।

दफा २७० मोरियों पाखानों आदि की जांच

१ दफा २८७ के हुक्मों के आधीन, बोर्ड किसी मोरी, पाखाने, नल वाले पाखाने (Water closet), पेशाबखाने, कुन्डी, या गिलाजत के किसी अन्य पात्रकी जाचकर सकता है, और ऐसी जाच करने के अभिप्राय से भूमि को जहां कहीं वह उचित समझे खुदवा सकता है।

२ ऐसी जाच का खर्चा, और भूमि को बन्द कर के पहले के समान ठीक करा देने का खर्चा बोर्ड को उठाना होगा, सिवाय उस दशा के कि मोरी या सडास, या नल वाला पाखाना, या पाखाना, या पेशाबखाना, या कुंडी, या गिलाजत का अन्य पात्र बिगडा हुआ या बुरी दशा में, पाया जाय, या सिवाय उस दशा के कि वह इस ऐक्ट या अन्य किसी कानून के द्वारा, या इस ऐक्ट के या अन्य किसी कानून के अनुसार, दिये हुये किसी हुक्मों के विरुद्ध बनाया गया हो, और ऐसी दशा में ऐसा खर्चा मालिक या काबिज को देना होगा, और वह उस विधि से वसूल किया जा सकेगा जो छठे प्रकरण में बताई गई है।

दफा २७१ गलीज इमारतों और आराजियों को साफ कराना

यदि कोई इमारत या आराजी गलीज (अशुद्ध) दशा में हो, या ऐसी दशा में हो जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो, तो बोर्ड, नोटिस के द्वारा, उसके मालिक या काबिज को आज्ञा दे सकता है कि उसको साफ कराये, या यह कि उसको उचित दशा में करदे, और तत्पश्चात् उसको साफ और उचित दशा में रखे।

दफा २७२ घृणित पदार्थों को न उठवाना

जब कभी किसी इमारत या आराजी में—

(ए) कोई कूड़ा करकट या लीद गोबर, या हड्डियां, या राख, या पाखाना, या गिलाजत या कोई हानिकारक या घृणित वस्तु, चौबीस घंटे से अधिक समय तक रखी जाय, या किसी उचित पात्र के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार रखी जाय। या

(बी) इन चीजों का कोई पात्र अशुद्ध या हानिकारक दशा में रहने दिया जाय, या उचित रूप से साफ और पवित्र न किया जाय,

—तो उक्त इमारत या आराजी के मालिक या काबिज को, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है, और जब ऐसा अपराध लगातार जारी रहने वाला अपराध हो तो ऐसे शख्स पर अधिक जुर्माना होगा जिसकी संख्या, पहले पहल अपराध साबित होने की तारीख़ के

उपरान्त प्रत्येक ऐसे दिन के विषय में जिसमें यह साबित हो कि अपराधी अपराध के करने में आग्रह करता रहा, पांच रुपये तक हो सकती है।

दफा २७३ कूड़ा करकट और पाख़ाने आदिके ठिकाने लगानेका प्रबन्ध

१ बोर्ड को अधिकार है कि—

(ए) घृणित वस्तुओं और कूड़ा करकट को थोड़े समय तक के लिये जमा कर देने के लिये पात्र रखे और स्थान नियत करे।

(बी) पाखाना, और पशुओं के मृत शरीर, और अन्य घृणित वस्तु और कूड़ा करकट के डालनेके लिये, स्थाननियत करे, और

(सी) आम नोटिसके द्वारा, उस समय, विधि, और शर्तोंके विषयमें, जिनके अनुसार और जिनके आधीन कोई घृणित वस्तु या कूड़ा करकट, जिसका उल्लेख क्लॉज (ए) और क्लॉज (बी) में किया गया है, किसी सड़क या गलीमें होके ले जाया जा सकता है, या जमा किया जा सकता है, या अन्य प्रकार ठिकाने लगाया जा सकता है, हिदायतें जारी करदे।

२ उपदफा (१) के क्लॉज (बी) के अनुसार किसी स्थानके नियत करनेका यह काफी नोटिस होगा, कि एक नोटिस बोर्ड (नोटिस चपकाने का तख़्ता) जिससे यह पता चल जाय कि ऐसा स्थान नियत कर दिया गया है, उस स्थान के निकट या उस पर, जो स्थान कि नियत किया गया हो, लगा दिया जाय।

३ उपदफा (१) के क्लॉज (बी) के अनुसार म्यूनिसिपल्टी की हदों के बाहर कोई स्थान नियत करने से पूर्व, बोर्ड को जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी प्राप्त करना होगी।

व्याख्या—

—म्यूनिसिपल्टी के मैले का उचित ढंग से ठिकाने लगाया जाना, स्वास्थ्य के विचार से, एक महत्व का काम है। इस काम में किसी प्रकार उपेक्षा होने, या उसको अनुचित रूपसे ठिकाने लगाने से, रोगों के उत्पन्न होने का भय होता है। म्यूनिसिपल मैन्युअल के पन्नों ३०४, ३०५ और ३०६ में इस काम के लिये अनेक विधियां बताई गई हैं जो नीचे दी जाती हैं —

१ खाइयों में गाड़ना (Trenching)

ऐसे मैले के लिये जो अद्रव हो सबसे अच्छी विधि यह है कि वह उचित ढंग की खाइयों में गाड़ दिया जाय और जब वह भूमि में गड़ा हुआ काफी समय रह ले, तब कृषकों के हाथ बेच दिया जाय। खाइयां दो फुट चौड़ी होना चाहिये और और १ फुट से अधिक गहराई की न हों। यह खाइयां समानान्तर पंक्तियों में खोदी जाना चाहिये जिनमें परस्पर २ फुट का अन्तर हो। मैला उनमें एक फुट गहरा भर दिया जाना चाहिये, और तब खाइयों में वह सब मिट्टी जो खोदी गई हो भर दी जाना चाहिये। भर दिये जाने पर यह खाइयां लम्बी लम्बी मुंडेरें सी जान पड़ेंगी और इन मुंडेरों के द्वारा खाई के स्थान का पता चल सकेगा। कुछ मास में मिट्टी दबके भूमि की

सतह के बराबर हो जायगी। जो मैला खाइयों में इस तरह दाब दिया जाता है वह बहुधा छ मास में निर्दोष पदार्थ हो जाता है। परन्तु उसमें परिवर्तन होना बहुत कुछ इस बात पर निर्भर होता है कि मिट्टी किस प्रकार की है। इसलिये सर्वथा खोद के परीक्षा कर लेना चाहिये कि गाडा हुआ मैला सूख गया है कि नहीं और दुर्गन्ध रहित होगया है कि नहीं। ऐसी परीक्षा के बाद ही उसको बेचना चाहिये खाइयों में प्रत्येक मास का मैला जहां तक डाला जाय वहां पर एक छोटा सा खम्भा गाड़ देना चाहिये, और उस पर मासका नम्बर और वर्ष लिख दिया जाय जैसे १९१६ इस काम के लिये जो आराजी ली जाय उसकी मिट्टी चिकनी होना चाहिए, रेतीली मिट्टी न हो। जिस स्थान में खाइयां बना दी जांय उसमें फिर एक वर्ष से अधिक तक खाइयां न बनाई जाय या अधिक से अधिक दो वर्ष तक इस अवधि के पश्चात् उस स्थान में मैला दबाने के लिये मिट्टी न रह जायगी। तब उस स्थान को चौरस कर देना चाहिये। और कुछ फसलें उसमें बोई जाय। इसके उपरान्त फिर उसमें खाइयां बनाई जा सकती हैं।

२ जला देना (Incineration)

दूसरी विधि यह है कि वह जला दिया जाय। इस विधि से उन्हीं स्थानों में काम लिया जाय जहां पाखानों में द्रव तथा अद्रव पदार्थों को अलग कर दिये जाने के उपाय कर दिये गये हों और जहां जलाने के लिये सूखी वस्तुयें मिल सकें। इसलिये यह विधि उन स्थानों के लिये उचित है जहां वर्षा कम होती हो। जलाने के लिये सब से अच्छा चूल्हा वह है जो 'स्यालकोट का नमूना" कहलाता है। यह चूल्हा पाखानों के पास ही लगाना चाहिये और एक भंगी इस काम के लिये हर समय उपस्थित रहना चाहिये। मैला आग पर थोडा थोडा कर के डाला जाना चाहिये पहाड़ों पर मिश्री मकानों के लिये लोहे के चूल्हे हों जिनमें ६ फुट की चिमनी हों।

३ खाइयां खोदने की थार्नहिल की विधि
(Thornhill System of Trenching)

जो मैला पूर्णतया अद्रव न हो उसके ठिकाने लगाने के लिये थार्नहिल की विधि सबसे अच्छी पाई गई है। भूमि में उथली खाइयां खोदी जाती हैं, जो १६ फुट लम्बी ५ फुट चौड़ी, और ९ इंच गहरी होती हैं। इसमें से नीचे की ३ इंच मिट्टी खाई की तली में रहने दी जाती है। बाहर निकाली हुई मिट्टी कूटदी जाती है। मैलेकी एक गाडी उसमें डाली जाती है और उसके ऊपर खोदी हुई मिट्टी तुरन्त डाल दी जाती है। मैले का जो भाग द्रव की दशा में होता है उसको मिट्टी तुरन्त सुखा देती है और इस प्रकार उससे मक्खियां उत्पन्न नहीं होती हैं। खाइयों पर की भूमि इतनी कड़ी हो जाती है कि दूसरे ही दिन उस पर घोड़ा दौड़ाया जा सकता है, और तीन सप्ताह में भूमि खेती के लिये जोतने को तैय्यार हो जाती है। यदि वह आराजी जिसमें ऐसी खाइयां बनाई जाय थोडे की हों, तो इस विधि के द्वारा आर्थिक लाभ बहुत हो सकता है। परन्तु ऐसी भूमि के सींचने के लिये पानी बहुत चाहिये होता है। इस प्रकार की खाइयां रेतीली मिट्टी में भी बनाई जा सकती है। यह विधि अद्रव मैले के ठिकाने लगाने के लिये बिल्कुल अनुचित है क्योंकि बरेली में परीक्षा करने से जान पड़ा है कि उसके कारण असंख्य मक्खियां उत्पन्न हो जाती हैं।

४ गड्ढों में दबा देना (Pitting)

गड्ढों में दबाने की एक विधि है जो किसी प्रकार सन्तोषप्रद नहीं होती, जब तक कि बहुत होशियारी से उसकी निगरानी न की जाय। यह विधि उन स्थानों में काम में लाई जाती है जहां सफाई का काम मौरूसी भंगी करते हैं। मैला कृषकों को सीधा बेच दिया जाता है इस शर्त पर कि वे उसको अपने ही खेतों में दबायेंगे। गड्ढे जिमींदार की आराजी पर ३ फुट गहरे और ५ फुट चौड़े खोदे जाते हैं।

५ अन्य विधियां

पश्चिम के कुछ जिलों में मैले को गहरे और बड़े गड्ढों में दबा देते हैं और कुछ समय के बाद उसको खोद के कृषकों के हाथ बेच देते हैं। यह विधि बिल्कुल गलत है। इसको हर जगह छोड़ देना चाहिये। मैले को सीधा कृषकों के हाथ बेच देना और भी खराब है उसको उथली देसी खाइयों में दबा देना जो ३ इंच गहरी और ६ इंच चौड़ी होती हैं, क्योंकि यदि उसके ऊपर काफी मिट्टी की तह नहीं डाली जाती तो उससे अगणित मक्खियां उत्पन्न होती हैं।

६ ईंट के भट्टों में

मैले को कूड़े करकट के साथ मिलाके भट्टों में जलाने के लिये बेच देना भी एक बुरी विधि है। जब तक भट्टे में आग लगाई जाती है, तब तक उसमें से अगणित मक्खियां उत्पन्न हो जाती हैं। भट्टे प्रायः नगरों के निकट होते हैं अतएव यह विधि स्पष्टतः खराब है। परन्तु यदि भट्टा बस्ती से कमसे कम आधे मील पर हो और उसमें आग शीघ्र लगाई जाने वाली हो, तो इस विधि की इजाजत दी जा सकती है।

सड़कों पर से जमा किये हुये कूड़े करकट को इस काम में लाये जाने में कोई उज्र नहीं किया जा सकता, परन्तु उसको बहुत दिन तक जमा नहीं रहने देना चाहिये। कूड़ा करकट से उत्तम खाद बनती है, और मेरठ में उसको घास के फार्म पर काम में लाये जाने से बड़ी आमदनी होती है।

७ गड्ढे और खाइयां खोदने के विषय में हिदायतें

गड्ढे और खाइयां खोदने के विषय में नीचे लिखी हिदायतों पर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये।

(ए) बस्ती के कुओं के, और पानी निकलने के अन्य स्थानों के, कमसे कम, तीन सौ गज के भीतर कोई गड्ढे या खाइयां खोदने की आज्ञा न देना चाहिये।

(बी) गड्ढे तीन फुट से अधिक गहरे न होना चाहिये, और यदि सम्भव हो तो प्रत्येक गाडी के बोझ के ऊपर (यदि उसमें कूड़ा करकट न मिला हो) एक तह मिट्टी की डाली जाना चाहिये। प्रत्येक गड्ढे के ऊपर एक फुट मिट्टी रहना चाहिये।

(सी) गड्ढे म्यूनिसिपलटी के नौकरों के द्वारा खुदवाये जाना चाहिये। यदि स्वयं कृषक गड्ढे खुदवायें तो उन पर म्यूनिसिपलटी की ओर से निगरानी रखी जाना चाहिये।

(डी) गड्ढे और खाइयां खोदने का काम वर्ष के किसी समय में किया जा सकता है।

दफा २७४ कूड़ा करकट और मैले आदि का अनुचित रूप से ठिकाने लगाने के लिये दण्ड

किसी ऐसी इमारत या आराजी के काबिज को, जिसमे से कोई हानिकारक पदार्थ, या कूड़ा करकट, या मैला, या कोई मृत शरीर, उस स्थान के अतिरिक्त जो दफा २७३ की उपदफा (१) के क्लॉज (बी) के अनुसार नियत किया गया हो, या उस पात्र के अतिरिक्त जिसके विषय मे दफा २७३ की उपदफा (१) के क्लॉज (ए) मे हुक्म दिया गया है किसी सार्वजनिक स्थान, या सडक, या गली के किसी भाग पर, या किसी बन्द या खुली मोरी मे, या किसी ऐसी मोरी मे जिसका मेल किसी बन्द या खुली मोरी से हो, डाला या जमा किया जाय, तथा प्रत्येक ऐसे शख्स को जो किसी ऐसी आज्ञा के विरुद्ध काम करे जो उक्त उपदफा के क्लॉज (सी) के अनुसार दी गई हो, अपराधके साबित होने पर, जुर्मानाका दड दिया जायगा, जिसकी सख्या२०)बीस रुपये से अधिक न होगी।

व्याख्या—

इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि किसी मकानका काबिज, इस दफाके शब्दोंके अनुसार अपने किसी नौकर या घरके किसी दूसरे व्यक्तिके कामका भी जिम्मेदार होगा। काबिज' शब्दके अर्थ के लिये देखिये, प्यारेलाल बनाम सरकार बहादुर 15 A L J 187=39 All, I L R 309=38 I C 308, जो दफा २ के न० ११ की व्याख्यामें दी गई है।

दफा २७५ पशुओंके मृत शरीरोंका ठिकाने लगाया जाना

१ यदि बेचे जाने के लिये या खानेके लिये या किसी धार्मिक प्रयोजनके लिये, मारे जानेके अतिरिक्त, किसी अन्य प्रकार कभी कोई पशु जो किसी शख्सकी सुपुर्दगी मे हो, मर जाय तो उक्त शख्स को चाहिये कि चौबीस घण्टेके भीतर या तो—

(ए) मृत शरीर को किसी ऐसे स्थानमे (यदि कोई ऐसा स्थान हो) ले जाय, जो बोर्ड ने दफा २७३ के अनुसार पशुओंके मृत शरीरोंके ठिकाने लगाने के लिये नियत किया हो, या म्युनिसिपलटी की हदोंके बाहर किसी ऐसे स्थानमे ले जाय, जो स्थान उक्त हदों से एक मीलके भीतर न हो। या

(बी) उक्त जानवर के मर जाने की सूचना बोर्ड को दे और सूचना मिलने पर बोर्ड उक्त मृत शरीर को ठिकाने लगवा देगा।

२ जिस शख्स का कर्तव्य उपदफा (१) के अनुसार कार्रवाई करने का हो, यदि वह उस प्रकार कार्रवाई न करे, तो उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का का दड दिया जायगा जिसकी सख्या १०) दस रुपये तक हो सकती है।

३ उपदफा (१) के क्लॉज (बी) के अनुसार, किसी पशु के मृत शरीर के ठिकाने लगाने के लिये, बोर्ड उतनी फीस ले सकता है जितनी कि बोर्ड ने नियमित की हो, और बोर्ड को अधिकार है कि यदि ऐसी फीस पशगी न अदा करदी गई हो, तो उसको पशु

के मालिक से या रखवाले से, उस विधि से वसूल करले जिसके लिये हुक्म छठे प्रकरण में दिया गया है।

दफा २७६ सार्वजनिक सड़क या गली इत्यादि पर मैले पानी बहाने के लिये दंड

जब कभी किसी कुन्डी, या बन्द मोरी या चहबच्चे, का पानी या अन्य कोई हानिकारक पदार्थ, किसी सार्वजनिक स्थान या सड़क या गली पर या किसी बन्द या खुली मोरी मे, जो इस मतलब के लिये अलग न करदी गई हो, बिना बोर्ड की लिखित इजाजत के, या किसी ऐसी शर्त के विरुद्ध जो उक्त इजाजत मे नियमित हो, जारी होने या बहने दिया जाय या रखा जाने दिया जाय, तो उस आराजी या इमारत के मालिक या काबिज को, जिसमे से इस प्रकार का पानी या हानिकारक पदार्थ, इस प्रकार निकले या बहे या रखा जाय, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्मानेका दड दिया जायगा, जिसकी संख्या २०)बीस रुपये तक हो सकती है।

दफा २७७ इमारतमें प्रवेश करने, और उनको औषधियोंसे शुद्ध कराने का अधिकार

दफा २८७ के हुक्मो के आधीन, बोर्ड को अधिकार है कि किसी इमारत मे प्रवेश करे, और उसकी जाच करे, और नोटिस के द्वारा, यह आज्ञा दे कि आरोग्यता के विचार से, उसके कुल या किसी भागमे, भीतर या बाहर, सफेदी कराई जाय, या औषधियो के द्वारा वह साफ की जाय, या अन्य प्रकार से सफाई की जाय।

परन्तु शर्त यह है कि इस दफा की कोई बात किसी ऐसे कारखाने पर लागू न होगी जो इडियन फैक्ट्रीज ऐक्ट सन् १९११ई० (Indian Factories Act 1911) के आधीन हो।

दफा २७८ इमारतें जो मनुष्य के निवास के अयोग्य हों

१. यदि पानी के निकास के, या वायु के गमन आगमन के उचित उपाय न होने के कारण, या किसी अन्य कारण से कोई इमारत या किसी इमारत का कोई कमरा बोर्ड की राय मे मनुष्य के निवास के अयोग्य हो, तो बोर्ड, उसके मालिक या काबिज को, नोटिस के द्वारा उक्त इमारत या कमरे को मनुष्य के निवास के काम मे लाने या लाने दिये जाने से, या तो बिल्कुल मनाही कर सकता है, या यह मनाही कर सकता है कि मनुष्य के निवास के लिये वह उस समय तक काम मे न लाया जाय जब तक कि, उस अवधि के भीतर जो नोटिस में अंकित हो, वह शख्स उसमे ऐसा परिवर्तन न करदे, जो नोटिस मे नियमित हो।

२ उस दफा मे जब कि वह शख्स, जिसके नाम उपदफा (१) के अनुसार नोटिस जारी किया गया हो, नोटिस की आज्ञा पालन न करे, तो बोर्ड को जायज होगा कि दूसरे नोटिस के द्वारा यह आज्ञा दे कि उक्त इमारत या कमरा गिरा दिया जाय।

व्याख्या—

—जो हुक्म इस दफा की उपदफा (१) या (२) के अनुसार दिया जाय उसके विरुद्ध अपील

दफा ३१८ के अनुसार की जा सकती है, और दफा ३०७ के अनुसार बोर्ड को अधिकार है कि वह स्वय ऐसी इमारत या कमरे को तुड़वा दे और उसमें जो खर्चा हो उसको दफा ३१२ के अनुसार वसूल कर ले।

दफा २७९ हैज़ा शीतला आदि रोगोंकी सूचना न देनेके लिये दण्ड

जो कोई—

(ए) रोग चिकित्सक (Medical practitioner) होकर रोग चिकित्सा करते हुये, म्यूनिसिपलटीके भीतर किसी ऐसे घरमें जो सार्वजनिक अस्पताल न हो, हैजा या ताऊन या शीतलाके होने से, या किसी अन्यऐसे ही फैलने वाले रोगके होने से, जिन रोगों के विषय मे इस अभिप्राय से प्रान्तीय सरकार ने विज्ञापन दे दिया हो, अभिज्ञ होकर। या

(बी) उस दशा मे जब कि ऐसा रोग चिकित्सक सूचना न दे, तो ऐसे घर का मालिक या काबिज होकर और उसमे किसी ऐसे फैलने वाले रोग के होने से अभिज्ञ होकर। या

(सी) यदि ऐसा मालिक या काबिज सूचना न दे, तो कोई ऐसा शख्स जिसकी सरक्षता मे कोई ऐसा शख्स हो जो ऐसे घर मे किसी ऐसे फैलने वाले रोग से बीमार हो, या जो किसी ऐसे रोगी के पास उसका काम काज करने के लिये उपस्थित रहता हो, और जो ऐसे रोग के उस घर मे होने से अभिज्ञ होकर,

—उक्त रोग के होने के विषय मे, किसी ऐसे अफसर को जिसको बोर्ड ने इस विषय मे नियत किया हो, सूचना न दे, या झूठी सूचना दे, उसको अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्मानेका दड दिया जायगा, जिसकी सख्या ५०) पचास रुपये तक हो सकती है।

परन्तु शर्त यह है कि यदि किसी शख्स को सबसे पहले सूचना देने की आज्ञा न हो वरन केवल उस दशा में जब कि कोई और शख्स ऐसी सूचना न दे, तो यदि वह साबित कर दिया जाय, कि उसके लिये यह बात ख्याल कर लेने के उचित कारण थे कि ऐसी सूचना दे दी जा चुकीहै, या यह कि ऐसी सूचना जायज रूप से देदी जायगी तो ऐसा शख्स दण्ड के योग्य न समझा जायगा।

व्याख्या—

क्लॉज (ए) के द्वारा प्रान्तीय सरकार को अधिकार दिया गया है कि हैजा ताऊन और शीतला के अतिरिक्त, किसी अन्य रोग के विषय में विज्ञापन के द्वारा यह आज्ञा देदे कि उस रोग की भी सूचना म्यूनिसिपलटीज ऐक्टकी दफा २७९के अनुसार दी जाय। और विज्ञापन No 4825 XI 135 तारीख २ दिसम्बर सन् १९१६ ई० के द्वारा प्रान्तीय सरकार ने आज्ञा दी है कि डिप्थीरिया (Diptheria), खसरा (छोटी चेचक) और स्कारलेट ज्वर अर्थात् लाल बुखार (Scarlet Fever) की भी सूचना ऐसे अफसर को, जिसको किसी म्यूनिसिपलटी के बोर्ड ने इस अभिप्राय से नियत किया हो, दी जाय।

—दफा २७९ के द्वारा फैलने वाली बीमारियों की सूचना देने का कर्तव्य सब से पहले रोग

चिकित्सकों पर डाला गया है। प्रत्येक डाक्टर आदि को चाहिये कि किसी ऐसे रोगी को देखने पर, जिसको उन रोगोंमें से कोई रोग हो जिनके विषय में म्यूनिसिपल्टी को सूचना दी जाना चाहिये, तुरन्त सूचना दे दे। यदि ऐसा रोग चिकित्सक सूचना न दे तो जिस मकानमें ऐसा रोगी हो उसके मालिक या काबिज को सूचना देना चाहिये। और यदि ऐसा मालिक या क़ाबिज भी सूचना न दे तो उस शख्स का यह कर्तव्य रखा गया है जिसकी देख भाल में ऐसा रोगी हो, कि वह म्यूनिसिपल्टी को सूचना दे दे। यदि इनमें से कोई ऐसा शख्स जिसका सूचना देने का कर्तव्य हो, सूचना न दे, तो उस पर ५०) पचास रुपया तक जुर्माना हो सकता है।

परन्तु दण्डके लिए यह शर्त रखी गई है कि यदि कोई ऐसा शख्स जिसका कर्तव्य सूचना देने का केवल उसी दशा में हो जब कि कोई अन्य शख्स सूचना न दे, (जैसे मकान के मालिक का कर्तव्य उसी दशा में है जब कि डाक्टर आदि सूचना न दे) यह साबित कर दे कि उसने केवल इस कारण सूचना नहीं दी थी कि उसको यह विश्वास था कि वह अन्य शख्स सूचना दे देगा जिसका उससे पहले कर्तव्य था, तो ऐसे दूसरे शख्स को दण्ड नहीं दिया जायगा जैसे (बी) एक मकान का मालिक, जुर्माने के दण्ड का भागी न होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि उसको विश्वास था कि (ए) जो रोगी का चिकित्सक था, म्यूनिसिपल्टी को रोग की सूचना दे देगा।

दफा २८० रोगियोंको हटवाके अस्पताल भिजवा देना

जब कोई शख्स, जो हैजा, या ताऊन, या शीतला, या किसी ऐसे फैलने वाले रोगसे बीमार हो जिसका इस विषय मे विज्ञापन प्रान्तीय सरकार ने दे दिया हो, या जिस शख्स के विषय मे कोई ऐसा रोग चिकित्सक, जिसको क़ानूनके अनुसार योग्यता प्राप्त हो, यह तस्दीक करे कि वह इस प्रकार के किसी रोग से बीमार है, और वह—

(ए) कोई उचित घर या वासस्थान न रखता हो। या

(बी) किसी सराय मे या किसी दूसरे ऐसे स्थान में, जिसमे और लोग भी किराये पर रहते हों, रहता हो। या

(सी) किसी ऐसे कमरे, या घर मे रहता हो जिसका वह मालिक न हो, और जिसमे रहनेका उसको किसी अन्य प्रकारका अधिकार न हो। या

(डी) किसी ऐसे कमरे या कमरो के समूह मे (Set of apartments) रखा जाता हो, जिसमे एक से अधिक कुटुम्ब रहते हो और उन मे से कोई क़ाबिज उसको, उस कमरे या कमरों के समूह मे, रखे जाने पर उज्र करे।

तो बोर्ड किसी ऐसे डाक्टरी पेशा अफसर की सलाह से जिसका पद असिस्टेंट सर्जन के पद से नीचा न हो, उस रोगी को किसी ऐसे अस्पताल या स्थान मे हटवा दे सकता है, जहां ऐसे रोगों के रोगी चिकित्सा के लिये दाखिल किए जाते हों, और इस प्रकार हटाये जाने के लिये जो काम आवश्यक हो बोर्ड वह भी कर सकता है।

व्याख्या—

फैलने वाले रोगोंके लिये अस्पताल खोले जानेके विषय में नीचे लिखी हिदायतें दी गई हैं —

१ बड़े बड़े सब नगरों में और विशेष कर उन स्थानों में जहां यात्री या अन्य लोग धार्मिक

विचार से, या अन्य कार्यों के लिये, समय समय पर, बड़ी बड़ी संख्या में, जमा हुआ करते हैं, फैलने वाले रोगों के अस्पतालों के खोले जाने की आवश्यकता पर यात्री कमेटी की रिपोर्ट (Pilgrims Committee Report) में भी जोर दिया गया है । जब ठहरने के सब स्थान और धर्मशाले यात्रियों से भर जाते हैं, और उनके दलके दल पेड़ोंके नीचे भी, या जहां कहीं स्थान मिले, ठहर जाते हैं, सो ऐसी दशा में फैलने वाले रोगों के, इक्का दुक्का रोगी जो हों, उनको अलग कर दिया जाना स्पष्टतः आवश्यक होता है । किन्तु जब तक कोई ठीक अस्पताल इस काम के लिये नहीं खोल दिया जाता तब तक ऐसे रोगियों को अलग रखना सम्भव नहीं होता । ऐसे रोगियों को अलग कर देने का प्रबंध करने के लिये आवश्यक यह है कि किसी को रोग होने पर तुरन्त सूचना मिल जाय, और ऐसी सूचना तुरन्त उसी दशा में मिल सकती है जब कि सर्वसाधारण को उचित अस्पतालों के खुल जाने से, और उनमें रोग चिकित्सा का ठीक प्रबन्ध होने से, उन पर भरोसा हो जाय ।

२ ऐसे अस्पतालों में कितने रोगियों के रखे जाने की जरूरत पड़ सकती है इसका निर्णय, प्रत्येक स्थान के लिये, पिछले अनुभव से किया जा सकता है परन्तु इतनी बात साफ है कि प्रबन्ध ऐसा करना चाहिये कि पहले तो एक छोटा सा अस्पताल खुल जाय और यदि आगन्तुकों में रोग बहुत बढ़े तो अस्पताल शीघ्रता से बढ़ाया जा सके ।

अन्य बातें जिन पर ध्यान देना चाहिये यह हैं —

(१) रोगियों को अपने संग अस्पताल में एक दो आत्मीय जनों को रखने की मनाही कर देने से उनको अनिच्छुक न करना चाहिये ।

(२) भिन्न २ हैसियत के रोगियों को एक संग न रखना चाहिये, और ऐसे रोगियों के लिये, जो अपनी चिकित्सा और भोजन के दाम देने को तैय्यार हों, अस्पताल में अलग वार्ड (Ward) खोल देना चाहिये ।

(३) हैजे की चिकित्सा के द्वारा रोगियों को अच्छा कर लेने में सफलता तो अब बहुत होने लगी है किन्तु पहले की अपेक्षा अस्पताल में अधिक स्थान की आवश्यकता भी होने लगी है ।

(४) स्थान की कमी के कारण, अच्छे हो चुके हुये(परन्तु निर्बल)रोगियोंको अस्पताल से शीघ्र निकाल देने से रोग फिर फैल जाता है अतएव इस बात के निश्चय करने में कि कितने रोगियों के रखने का प्रबन्ध किया जाय, इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि ऐसे निर्बल रोगों को अस्पताल से जल्दी अलग न करना पड़े ।

(५) यदि सम्भव हो तो भिन्न भिन्न रोगों के लिये वार्ड अलग अलग हातों में रखे जाय, नहीं तो रोगियों की देख रेख करने वालों में रोग फैलने का भय रहेगा ।

३ फैलने वाले रोगों के बीमारों को अलग करने के लिये अस्पताल खोल कर जो म्यूनिसिपल बोर्ड स्थानीय स्वराज्यका एक प्राथमिक कर्तव्य पूरा करने पर तैय्यार हों उनको चाहिये कि अस्पताल आदि के नकशों के लिये तथा इस प्रश्न के किसी ऐसे विषय पर सलाह के लिये, जो उनकी समझ में न आये, सेनिटेरी कमिश्नरको दरख्वास्तदें (देखिये म्यूनिसिपल मैन्युअल के पन्ने ३११ और ३१२)

दफा २८१ उन कामों के लिये दण्ड जो कोई ऐसे लोग करें जो रोगों से पीड़ित हों

जो शख्स किसी फैलने वाले (Infectious) रोग से, या किसी स्पर्शजन्य

(Contagious) रोग से; या किसी घृणित रोग से, पीडित होने की दशा में—

(ए) कोई खाने, या पीने की वस्तु, या दवा या औषधि बेचनेके लिये बनाये, या बेचने के लिये पेश करे। या

(बी) किसी ऐसी वस्तु, या दवा या औषधि को, जब उसको किसी दूसरे ने बेचने के लिये रखा हो, जान बूझ कर छुये। या

(सी) मैले कपडे धोने या ले जाने के काम मे कोई भाग ले।

—उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या २०) बीस रुपये तक हो सकती है।

दफा २८२ ऐसी खेतीके करने, और ऐसी खादके काममें लाने, या इस प्रकार सींचनेकी मनाही, जो स्वास्थ्यके लिये हानिकारक हो

१ यदि सेनिटरी कमिश्नर, या सिविल सर्जन, या हेल्थ अफसर तस्दीक करे कि किसी प्रकार की फसल की खेती करना, या किसी प्रकार की खाद का काम मे लाना, या भूमि को किसी निर्दिष्ट विधि से सीचना—

(ए) किसी म्यूनिसिपलटी की हदो के भीतर, किसी स्थान मे, आस पास के रहने वाले लोगो के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, या

(बी) किसी म्यूनिसिपलटी की हदों के बाहर या भीतर, किसी स्थान मे, उससे ऐसे पानी के अशुद्ध हो जाने की सम्भावना है, जो म्यूनिसिपलटी के भीतर काम मे लाया जाता हो, या उससे, किसी अन्य प्रकार, पानी का, पीने के काम के अयोग्य हो जाने की सम्भावना है—

—तो बोर्ड, आम नोटिस के द्वारा, उस फसल की खेती, या उस खाद का काम मे लाया जाना, या उस विधि से भूमि का सीचा जाना मना कर सकता है, जिसके हानिकारक होने की रिपोर्ट की गई हो, या ऐसी शर्तें लगा सकता है जिनके द्वारा, उससे, हानि या अशुद्धता का होना रुक जाय।

२ परन्तु शर्त यह है कि जब किसी जमीन मे, जिसके सम्बन्ध मे ऐसा नोटिस जारी किया गया हो मनाही की तारीखसे पूर्व लगातार पांच वर्ष तक कृषिके साधारण रीति से किये जाने मे, वह काम जिसकी मनाही की गई हो किया जाता रहा हो, तो ऐसी मनाही से जो हानि होगी, उसका मुआविज़ा म्यूनिसिपलटी के कोष से उन सब शख्सों को दिया जायगा जिन पर ऐसी मनाहीका प्रभाव पडे।

नोट—आम नोटिस के दिये जाने की विधि के लिये देखिये दफा ३०४ और आम नोटिसकी आज्ञा पालन न की जानेकी दशाके लिये देखिये दफा ३०६। मुआविजे के निश्चय करनेमें यदि झगडा हो, उसके लिये देखिये दफा ३२४।

दफा २८३ मालिक को हानिकारक बनस्पतिके साफ कराने के लिये आज्ञा देने का अधिकार

बोर्ड, नोटिस के द्वारा, किसी जमीन के मालिक या काबिज को, यह आज्ञा दे सकता है कि वह किसी ऐसी वनस्पति या झाड़ियों को साफ करदे और उठवादे, जो स्वास्थ्यके लिये हानिकारक हों, या जो आसपासके रहनेवाले लोगोंके लिये कष्टदायकहों।

दफा २८४ खोदे हुये स्थानों को भरवा देने, या उनका पानी निकलवा देने के लिये हुक्म देने का अधिकार

१ किसी ऐसी म्युनिसिपलटी मे, जिसके लिये दफा २९८ की मद (जे) के अश (जी) के अनुसार, बाई-ला बना दिये गये हो, बोर्ड नोटिस के द्वारा, किसी ऐसी आराजी के मालिक या काबिज को, जिस आराजी पर ऐसे बाई-लाओं की आज्ञा के विरुद्ध, कोई स्थान खोदा गया हो, या कोई चहबच्चा, तालाब या गड्ढा बनाया या खोदा गया हो, या जो किसी ऐसी शर्तों की आज्ञा के विरुद्ध खोदा या बनाया गया हो जिन शर्तों के आधीन कि ऐसे स्थानके खोदने और चहबच्चा, तालाब या गड्ढेके खोदने या बनाने की आज्ञा दी गई हो, यह आज्ञा दे सकता है कि वह उस अवधि के भीतर जो उक्त नोटिस में अंकित कर दी गई हो ऐसे खोदे हुए स्थान को, या चहबच्चे, तालाब, या गड्ढे को, भर दे, या उसका पानी निकाल दे।

२ इस दफा के हुक्मो को, और ऐसे बाई-लाओं के हुक्मों जो इस दफा के मतलबो के लिये बनाये गये हों, प्रान्तीय सरकार, विज्ञापन के द्वारा, म्युनिसिपलटी के बाहर किसी ऐसे रकबे पर लागू कर सकती है, जो रकबा म्युनिसिपलटी की हद से एक मील के भीतर हो।

व्याख्या—

यह जरूरी नहीं है कि बोर्ड इस दफा के अनुसार उसी दफामें हुक्म दे जब कोई तालाब, गड्ढा आदि जनताके लिये कष्टदायक हो वरन बोर्डको पूरा अधिकार है कि जिस तालाब, गड्ढे आदि के विषयमें वह चाहे, उसको भरने आदि का हुक्म दे, चाहे उससे उस समय कोई कष्ट पहुचता हो या न पहुचता हो।

—उपदफा (२) के द्वारा प्रान्तीय सरकार को इस दफाके हुक्मको म्युनिसिपल्टीकी हदों के बाहर लागू कर देने का अधिकार इस कारण दिया गया है कि म्यूनिसिपल्टी की हदों के बाहर तालाब या गड्ढों में पानी भरे रहने से वही हानि हो सकती है, जैसी कि तालाबों या गड्ढों के म्यूनिसिपल्टी की हदों के भीतर होने से होती है।

—प्रान्तीय सरकार का यह अधिकार विज्ञापन NO 1108 XI 504 E के द्वारा कमिश्नरो को सौंप दिया गया है।

दफा २८५ कब्रिस्तानों और मरघटों के विषय में अधिकार

१ बोर्ड, आम नोटिस के द्वारा किसी ऐसे कब्रिस्तान या मरघट के विषय मे जिसके विषय मे सिविल सर्जन या हेल्थ अफसर इस बात की तसदीक करे, कि वह आसपास

के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिये भयप्रद है, या उसके भयप्रद होने की सम्भावना है, यह आज्ञा दे सकता है, कि वह एक ऐसी तारीख से बन्द करदिया जाय, जो नोटिस मे अंकित हो, और ऐसी दशा मे, यदि मृत शरीरो के गाड़ने या जलाने के लिये, एक उचित अंतर के भीतर, कोई ठीक स्थान न हो, तो बोर्ड इस अभिप्राय से, कोई उचित स्थान नियत कर सकता है।

२ मृतशरीरों के गाड़ने के जो निजी स्थान ऐसे कब्रिस्तानों मे हों वह, उन शर्तों के आधीन जो बोर्ड इस विषय मे लगाये, उक्त नोटिस से बाहर निकाल दिये जा सकते हैं।

परन्तु शर्त यह है कि ऐसे स्थानों की हदें काफी रूप से निश्चित होना चाहिये और यह कि ऐसे स्थान,केवल उनके मालिकोंके गृहजनोंको गाडनेके काममे लाये जाय।

३ बोर्ड की लिखित इजाजत के बिना कोई आम या निजी कब्रिस्तान या मरघट नही बनाया जायगा न स्थापति किया जायगा।

४ कोई शख्स, सिवाय बोर्ड की लिखित इजाजत के, किसी मृतशरीर को सिवाय किसी ऐसे कब्रिस्तान या मरघट के जिसको बोर्ड ने स्वीकार कर लिया हो, (Recognized Burial Place) किसी अन्य स्थानमें न गाडेगा, न जलायेगा, न गड़वायेगा, न जलवायेगा।

५ जो शख्स किसी मृतशरीर को, इस दफा के हुक्मों के विरुद्ध गाड़ेगा या जलायेगा गडवायेगा जलवायेगा या गाड़ने या जलानेकी आज्ञा देगा, उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्मानेका दंड दिया जायगा, जिसकी संख्या पचास ५०) रु० तक हो सकती है।

व्याख्या—

कब्रिस्तानों और मरघटों के सम्बन्ध में बाई लॉ बनाने का अधिकार बोर्डों को दफा २९८ की मद (आई) के अंश (सी) के द्वारा दिया गया है। आम नोटिस के लिये देखिये दफा ३०४ और आम नोटिस की आज्ञा पालन न किये जाने के लिये दण्ड दफा ३०६ में रखा गया है। इस दफा के हुक्मों के विरुद्ध जो अपराध किया जाय उसके विषयमें फैसला कर लेने का अधिकार नहीं दिया गया है (देखिये दफा ३१५)। इस दफा के अनुसार जो हुक्म दिये जाय उनके विरुद्ध अपील करनेका अधिकार दफा ३१८ के अनुसार दिया गया है।

दफा २८६ नहाने और वस्त्रादि धोने के स्थान

बोर्ड, नहाने के मतलब के लिये उचित स्थान अलग कर सकता है, और यह बात भी निश्चय कर सकता है कि किन समयों पर, और मर्द या स्त्री, ऐसे स्थानों को काम मे ला सकते हैं, और बोर्ड पशुओं को नहलाने, या वस्त्र, या अन्य वस्तुये धोने, के लिये भी उचित स्थान अलग कर सकता है, और आम नोटिस के द्वारा, किसी सार्वजनिक स्थान मे, जो इस प्रकार अलग कर दिया गया हो, नहाने की या पशुओं को नहलाने की, या वस्त्र या अन्य वस्तुये धोने की, मनाही कर सकता है, या यह मनाही कर सकता है कि सिवाय उन समयों के और सिवाय उन शख्सों के, जो नोटिस मे अंकित हो, किसी अन्य समय पर और कोई अन्य शख्स, ऐसे स्थानों मे न नहाये, न पशुओं को नहलाये, न वस्त्र न अन्य वस्तु धोये। और बोर्ड इसी प्रकार किसी और ऐसे काम की

मनाही कर सकता है जिससे सार्वजनिक स्थानों का पानी दूषित हो जाय, या काम मे लाये जाने के अयोग्य हो जाये, या किसी ऐसे काम की मनाही कर सकता है। जिसके कारण उन लोगों को, जो उक्त स्थानों को कानून के हुक्मो के अनुसार, काम मे लाते हों, असुविधा या कष्ट हो, या असुविधा या कष्ट होने की सम्भावना हो।

इमारतों आदि की जांच करना, उनमें प्रवेश करना, और उनकी तलाशी करना, इत्यादि

(Inspection Entry Search Etc)

दफा २८७ साधारण जांच

१ बोर्ड का चेयरमैन और एक्जिक्यूटिव अफसर और यदि इस विषय मे रैजोल्यूशन के द्वारा अधिकार दिया गया हो, तो कोई और मेम्बर, या अफसर, या कर्मचारी, किसी इमारत मे, या किसी आराजी पर, सहायकों या काम करने वालों के सहित, या बिना उनके, किसी ऐसे काम (तामीर) की जाच या नाप करने या बनवानेके उद्देश्यसे प्रवेश कर सकता है जिस कामके बनाने या पूरा करनेका अधिकार, इस ऐक्ट के द्वारा, या नियमों या बाईलॉओके द्वारा, किसी बोर्डको दिया गया हो, या जिस कामका बनाना या पूरा करना, बोर्डके लिये, इस ऐक्टके, या नियमोके, या बाईलॉओंके मतलबों में से किसी मतलबके लिये, या उनके हुक्मों में से किसी हुक्मके अनुसार अवश्यक हो।

२ परन्तु शर्त यह है कि—

(ए) सिवाय उस दशाके इस ऐक्टमे या नियमों, या बाई-लॉओमे इस सम्बन्ध मे, इसके विरुद्ध कोई स्पष्ट आज्ञा हो, सूर्यास्त और सूर्योदयके समय के बीच, इस प्रकार कोई प्रवेश न करेगा, और

(बी) सिवाय उस दशाके, कि इस ऐक्टमे या नियमो या बाई-लॉओमे, इस सम्बन्धमे इसके विरुद्ध कोई स्पष्ट आज्ञा हो, किसी ऐसी इमारतमे, जो मनुष्यके निवासके काममे आती हो, (सिवाय उस दशाके कि उसका काबिज राजी हो) उक्त काबिजको इस प्रकार प्रवेश करनेके इरादेका लिखित नोटिस, कमसे कम, चार घंटा पहलेसे दिये बिना उसमे इस प्रकार कोई प्रवेश न करेगा, और

(सी) जब कभी किसी मकान आदिमे बिना नोटिस दिये हुये भी प्रवेश किया जाय, तो भी प्रत्येक ऐसे अवसर पर, काफी समय पहलेसे नोटिस इस उद्देश्यसे दिया जायगा कि किसी ऐसे कमरेमे रहनेवाली स्त्रिया, जो कमरा कि स्त्रियोंके रहनेके लिये अलग कर दिया गया हो, मकान आदि के किसी ऐसे भागमे जा सकें, जहा उनके परदेमे कोई विघ्न डाले जाने की आवश्यकता न हो।

(डी) जिस मकानमे प्रवेश किया जाय, उसके काबिजोंके सामाजिक (Social) और धार्मिक व्यवहारोंका हर दशामे उचित ध्यान रखा जायगा।

के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिये भयप्रद है, या उसके भयप्रद होने की सम्भावना है, यह आज्ञा दे सकता है, कि वह एक ऐसी तारीख से बन्द करदिया जाय, जो नोटिस मे अंकित हो, और ऐसी दशा मे, यदि मृत शरीरो के गाड़ने या जलाने के लिये, एक उचित अंतर के भीतर, कोई ठीक स्थान न हो, तो बोर्ड इस अभिप्राय से, कोई उचित स्थान नियत कर सकता है।

२ मृतशरीरों के गाडने के जो निजी स्थान ऐसे कुबरिस्तानों मे हों वह, उन शर्तों के आधीन जो बोर्ड इस विषय मे लगाये, उक्त नोटिस से बाहर निकाल दिये जा सकते हैं।

परन्तु शर्त यह है कि ऐसे स्थानों की हदे काफ़ी रूप से निश्चित होना चाहिये और यह कि ऐसे स्थान,केवल उनके मालिकोंके गृहजनोंको गाडनेके काममें लाये जाय।

३ बोर्ड की लिखित इजाजत के बिना कोई आम या निजी कुबरिस्तान या मरघट नही बनाया जायगा न स्थापति किया जायगा।

४ कोई शख्स, सिवाय बोर्ड की लिखित इजाजत के, किसी मृतशरीर को सिवाय किसी ऐसे कुबरिस्तान या मरघट के जिसको बोर्ड ने स्वीकार कर लिया हो, (Recognized Burial Place) किसी अन्य स्थानमें न गाडेगा, न जलायेगा, न गड़वायेगा, न जलवायेगा।

५ जो शख्स किसी मृतशरीर को, इस दफ़ा के हुक्मों के विरुद्ध गाडेगा या जलायेगा गड़वायेगा जलवायेगा या गाडने या जलानेकी आज्ञा देगा, उसको, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्मानेका दंड दिया जायगा, जिसकी संख्या पचास ५०) रु० तक हो सकती है।

व्याख्या—

कबरिस्तानों और मरघटों के सम्बन्ध में बाई लॉ बनाने का अधिकार बोर्डों को दफा २९८ की मद (आई) के अंश (सी) के द्वारा दिया गया है। आम नोटिस के लिये देखिये दफा ३०४ और आम नोटिस की आज्ञा पालन न किये जाने के लिये दण्ड दफा ३०६ में रखा गया है। इस दफा के हुक्मों के विरुद्ध जो अपराध किया जाय उसके विषयमें फैसला कर लेने का अधिकार नहीं दिया गया है (देखिये दफा ३१५)। इस दफा के अनुसार जो हुक्म दिये जायं उनके विरुद्ध अपील करनेका अधिकार दफा ३१८ के अनुसार दिया गया है।

दफा २८६ नहाने और वस्त्रादि धोने के स्थान

बोर्ड, नहाने के मतलब के लिये उचित स्थान अलग कर सकता है, और यह बात भी निश्चय कर सकता है कि किन समयों पर, और मर्द या स्त्री, ऐसे स्थानो को काम में ला सकते हैं, और बोर्ड पशुओं को नहलाने, या वस्त्र, या अन्य वस्तुये धोने, के लिये भी उचित स्थान अलग कर सकता है, और आम नोटिस के द्वारा, किसी सार्वजनिक स्थान मे, जो इस प्रकार अलग कर दिया गया हो, नहाने की या पशुओं को नहलाने की, या वस्त्र या अन्य वस्तुये धोने की, मनाही कर सकता है, या यह मनाही कर सकता है कि सिवाय उन समयों के और सिवाय उन शख्सों के, जो नोटिस मे अंकित हों, किसी अन्य समय पर और कोई अन्य शख्स, ऐसे स्थानों मे न नहाये, न पशुओं को नहलाये, न वस्त्र न अन्य वस्तु धोये। और बोर्ड इसी प्रकार किसी और ऐसे काम की

मनाही कर सकता है जिससे सार्वजनिक स्थानों का पानी दूषित हो जाय, या काम में लाये जाने के अयोग्य हो जाये, या किसी ऐसे काम की मनाही कर सकता है। जिसके कारण उन लोगों को, जो उक्त स्थानों को कानून के हुक्मो के अनुसार, काम मे लाते हों, असुविधा या कष्ट हो, या असुविधा या कष्ट होने की सम्भावना हो।

इमारतों आदि की जांच करना, उनमें प्रवेश करना, और उनकी तलाशी करना, इत्यादि

(Inspection Entry Search Etc)

दफा २८७ साधारण जांच

१ बोर्ड का चेयरमैन और एक्जिक्यूटिव अफसर और यदि इस विषय मे रेजोल्यूशन के द्वारा अधिकार दिया गया हो, तो कोई और मेम्बर, या अफसर, या कर्मचारी, किसी इमारत में, या किसी आराजी पर, सहायकों या काम करने वालों के सहित, या बिना उनके, किसी ऐसे काम (तामीर) की जान्च या नाप करने या बनवानेके उद्देश्यसे प्रवेश कर सकता है जिस कामके बनाने या पूरा करनेका अधिकार, इस ऐक्ट के द्वारा, या नियमों या बाईलॉओंके द्वारा, किसी बोर्डको दिया गया हो, या जिस कामका बनाना या पूरा करना, बोर्डके लिये, इस ऐक्टके, या नियमोंके, या बाईलॉओंके मतलबो में से किसी मतलबके लिये, या उनके हुक्मों मे से किसी हुक्मके अनुसार अवश्यक हो।

२ परन्तु शर्त यह है कि—

(ए) सिवाय उस दशाके इस ऐक्टमे या नियमों, या बाई-लॉओमे इस सम्बन्ध मे, इसके विरुद्ध कोई स्पष्ट आज्ञा हो, सूर्य्यास्त और सूर्य्योदयके समय के बीच, इस प्रकार कोई प्रवेश न करेगा, और

(बी) सिवाय उस दशाके, कि इस ऐक्टमे या नियमों या बाई-लॉओंमे, इस सम्बन्धमें इसके विरुद्ध कोई स्पष्ट आज्ञा हो, किसी ऐसी इमारतमें, जो मनुष्यके निवासके काममें आती हो, (सिवाय उस दशाके कि उसका काबिज राजी हो) उक्त काबिजको इस प्रकार प्रवेश करनेके इरादेका लिखित नोटिस, कमसे कम, चार घंटा पहलेसे दिये बिना उसमें इस प्रकार कोई प्रवेश न करेगा, और

(सी) जब कभी किसी मकान आदिमे बिना नोटिस दिये हुये भी प्रवेश किया जाय, तो भी प्रत्येक ऐसे अवसर पर, काफी समय पहलेसे नोटिस इस उद्देश्यसे दिया जायगा कि किसी ऐसे कमरेमें रहनेवाली स्त्रियां, जो कमरा कि स्त्रियोंके रहनेके लिये अलग कर दिया गया हो, मकान आदि के किसी ऐसे भागमें जा सकें, जहां उनके परदेमें कोई विघ्न डाले जाने की आवश्यकता न हो।

(डी) जिस मकानमें प्रवेश किया जाय, उसमें काबिजके सामाजिक (Social) और धार्मिक व्यवहारोंका हर दशामें उचित ध्यान रखा जायगा।

दफा २८८ इस मतलबसे मुआइना करना कि क़ानूनके ख़िलाफ कोई काम बनाया जानेसे रोका जाय

जब इस बातका विश्वास करनेका कारण हो, कि म्यूनिसिपलटीके पानी पहुँचाने के उपायोंके सम्बन्धमे, या पानीके निकासके उपायोंके सम्बन्धमे, या किसी और कामके सम्बन्धमें, जिसको म्यूनिसिपलटीने अपने हाथमें लिया हो, कोई काम किसी इमारतमें या किसी आराज़ीपर, इस ऐक्टके, या नियमोंके, या बाई-लॉओंके हुक्मोंके विरुद्ध बनवाया गया है, तो चेयरमैन या, यदि चेयरमैन आज्ञा दे तो, एक्जिक्यूटिव अफ़सर, किसी समय पर, और बिना सूचना दिये हुये, उक्त इमारत या आराजीका मुआइना कर सकता है।

दफा २८९ प्रवेश करनेके सम्बन्धमें अधिकार

किसी ऐसे शख्सको, जिसको दफ़ा २८७ या २८८ के हुक्मोंके अनुसार, मुआइना (जांच) करने, या तलाशी करने, के मतलबसे, प्रवेश करनेका अधिकार हो, किसी दरवाजे या फाटक या अन्य रोक को खोलने या खुलवानेका अधिकार होगा।

(ए) यदि वह इस प्रकार प्रवेश करने, या मुआइना, या तलाशी करने, के मतलबके लिये उसका खोलना आवश्यक समझे। और

(बी) यदि मालिक या क़ाबिज उपस्थित न हो। या मालिक या क़ाबिजके उपस्थित होनेकी दशामे यदि वह ऐसे दरवाज़े या फाटक या रोकको खोलनेसे मना करे।

दफा २९० बोर्डका इस विषयमें हुक्म देनेका अधिकार कि कोई कोई काम स्वयं बोर्डके प्रबन्धसे बनवाये जायं

१ बोर्ड, बाई-लॉके द्वारा, यह हुक्म दे सकता है, कि पानी पहुँचानेका कोई काम (Water Works), या उस ढगका कोई काम जिनका उल्लेख दफा १९२ और दफा २६७ और दफा २६८ मे किया गया है, बोर्डके हुक्मोंके अधीन, म्यूनिसिपलटीके कर्मचारियोंके द्वारा या किसी दूसरे काम बनाने वालेके द्वारा बनवाया जाय।

२ किसी ऐसे कामका व्यय, जो उस दफ़ाके हुक्मके अनुसार बनवाया जाय, उस शख्सको देना होगा, जिसको वह काम बनवाना होता, यदि वह काम उपरोक्त हुक्मके अनुसार न बनवाया गया होता, सिवाय उस दशाके कि बोर्ड, आम या विशेष आज्ञा या रैजोल्यूशनके द्वारा, उस कामका म्यूनिसिपलटीके कोषसे बनवाया जाना मजूर कर दे। और इस दफ़ाके द्वारा बोर्डको ऐसी मंजूरी देनेका अधिकार दिया जाता है।

३ किसी ऐसे नल या पुरजे, या कलों (Appliances) का मालिक, जो पानी पहुँचानेके किसी कामके लिये हों, या किसी निजी इमारत या आराजीके पानीके निकास के लिये हों, या उसके सम्बन्धमें हों, और जो बोर्डके खर्चसे दीगई हों, या बनाई या स्थापित की गई हों (Constructed or Erected), म्यूनिसिपलटी समझी जायगी, सिवाय उस दशाके कि बोर्डने अपना अधिकार (हक़), जो उसको उनके सम्बन्धमें प्राप्त हो, उक्त इमारत या आराजीके मालिकको दे दिया हो (अर्थात् उसके हक़मे मुन्तक़िल कर दिया हो)।

व्याख्या—

इस दफा का उद्देश्य यह है कि नल आदि लगानेका काम, या सार्वजनिक मोरियोंसे निजी मोरियों का मेल कराने का काम, या सफाई आदि के सम्बन्धमें कोई अन्य काम जिसके बनाये जाने की आज्ञा बोर्ड दफा २६७ या २६८ के अनुसार दे, अच्छे कारीगरों के द्वारा और बोर्ड की देख भालमें बनवाये जा सकें, जिससे उनमें कोई दोष न रह जाय और वह बोर्ड की इच्छानुसार बन जाय। ऐसे काम का खर्चा उसी शख्सको उठाना होगा जिसका कि वह काम हो, चाहे उक्त काम बोर्ड अपने कारीगरों से ही बनवाये। उपदफा (२) के द्वारा बोर्ड को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह किसी कारणसे उचित समझे, तो ऐसे काम का व्यय म्यूनिसिपलटी के कोष से दे। इस दफा के साथ देखिये पानी के कारखाने आदि के नियम जो दफा २३५ में आगे दिये गये हैं।

किराया या लगान और खर्च

(Rent & Charges)

दफा २९१ आराजीके किराया या लगानका वसूल किया जाना

१ जब कोई रकम किसी शख्ससे बोर्डको किसी आराजीके किराया या लगानके विषयमें चाहिये हो, जो आराजी कि उक्त बोर्डके अधिकारमें हो, या जो उक्त बोर्डके प्रबन्धमें सौंपी गई हो तो बोर्ड कलक्टरको इस विषयमें दरख्वास्त दे सकता है, कि वह उक्त किराया या लगानकी बाकी रकम इस प्रकार वसूल कर दे, कि जैसे वह रकम मालगुजारी की बाकी रकम हो।

२ इस बातका विश्वास हो जाने पर कि उक्त रकम बाकी है, कलक्टर उसको इस प्रकार वसूल करनेकी कार्रवाई करेगा जैसे कि वह मालगुजारी की बाकी रकम हो।

दफा २९२ अन्य स्थावर जायदादके किराये या लगानका वसूल किया जाना

कोई ऐसी बाकी रकम, जो किसी शख्ससे बोर्डको, आराजीके सिवाय किसी दूसरी ऐसी स्थावर जायदादके किराये या लगानके विषयमें चाहिये हो, जो जायदाद कि उक्त बोर्डके अधिकारमें हो, या बोर्डको प्रबन्धके लिये सौंपी गई हो, उस विधिसे वसूलकी जायगी, जो छठे प्रकरणमें बताई गई है।

दफा २९३ म्यूनिसिपलटीकी जायदादको काममें लानेकी फीस, सिवाय उस दशाके कि ऐसी जायदाद पट्टे पर दी जाय

१ किसी ऐसी स्थावर जायदादके (पट्टेके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार) काममें लाये जाने, या कब्जेमें रखे जानेके विषयमें, जो जायदाद कि बोर्डके अधिकारमें हो, या उसको प्रबन्धके लिये सौंपी गई हो, और जिसमें कोई ऐसी सार्वजनिक सड़क या गली या स्थान भी शामिल समझा जायगा, जिस पर कोई आगे निकला हुआ भाग बनवाने या किसी अन्य प्रकार, काममें लानेकी या कब्जा रखनेकी बोर्ड आज्ञा दे, बोर्ड फीस ले सकता है, जो फीस कि बाई-लॉ या आम नीलाम या मुआहिदेके द्वारा नियतकी जायगी।

२ ऐसी फीसें या तो उस फीस के साथ वसूल की जा सकती हैं, जो दफा १९४ के अनुसार किसी मंजूरी या लैसंस या इजाजत के विषय में ली जाय, या उस विधि से वसूल की जा सकती है जो छठे प्रकरण में बताई गई है।

व्याख्या—

किसी किसी दशामें बोर्ड निवासियोंको अधिकारदे सकता है कि वे म्यूनिसिपल्टीकी जायदाद को फीस देकर काममें लायें। जैसे दफा २०९ के अनुसार बोर्ड आज्ञा दे सकता है कि सड़कों अथवा मोरियों पर इमारतों के निकले हुये भाग; जैसे चबूतरे या छज्जे, बना लिये जाय। या दफा २१३ के अनुसार किसी मकान आदि के बाहरी भागके बनाने के लिये पाड बाधने की बोर्ड आज्ञा दे सकता है। इसी प्रकार बोर्ड दफा २२० के अनुसार सड़कों आदि पर वस्तुओं को बेचने तथा दूकान लगाने की आज्ञा दे सकता है। ऐसी किसी आज्ञा के देने पर बोर्ड, इस दफा के अनुसार फीस ले सकता है।

—सड़कों और मोरियों पर निकले हुये भागों के बनाने की फीस के लिये देखिये दफा २०९ की व्याख्या। अन्य बातों की फीस के नियत करने के लिये बोर्ड को दफा २९८ की मद (जे) के अश (डी) के द्वारा बाई लॉ बनाने का अधिकार दिया गया है। नमूने के बाई-लॉ में, किसी सार्व जनिक सड़क या गली या स्थानको, या किसी अन्य स्थावर जायदादको, जो बोर्ड के अधिकार या प्रबन्धमें हों, थोड़े समयके लिये, काममें लानेके लिये (जैसे इमारत बनानेकी सामिग्री रखनेको, या पाड बांधने को) नीचे लिखी फीसें बताई गई हैं —

पहले छ मास तक प्रति मासकी फीस प्रति १०० वर्ग फुटके लिये	१) रुपया
पहिले सात मास तक „ „ „ प्रति १०० वर्ग फुटके लिये	२) रुपया
पहिले आठ मास तक „ „ „ प्रति १०० वर्ग फुटके लिये	३) रुपया

और इसी तरह, प्रत्येक मासके लिये, हर एक रुपया प्रति मास, जब तक कि आराजी खाली न कर दी जाय, बढता जायगा।

दफा २९४ लैसन्स आदि की फीसें

बोर्ड, किसी लैसन्स या मजूरी या इजाजत के विषय मे, जिसके देने का उसको इस ऐक्ट के द्वारा या इस ऐक्ट के अनुसार, अधिकार प्राप्त हो, या जिसके देने की उस को इस ऐक्ट के द्वारा या इस ऐक्ट के अनुसार, आज्ञा दी गई है, फीस लगा सकता है, जो बाई-लॉ के द्वारा नियत की जायगी।

नोट— इस दफाके लिये बाई-लॉ बनानेका अधिकार दफा२९८की मद(जे)के अश(डी)के द्वारा दिया गयाहै।

जो लोग बोर्डकी ओर से कामपर रखे गये हों उनके काममें बाधा डालना

(Obstruction to persons Employed by board)

दफा २९५ जो लोग बोर्ड की ओर से नियत किये गये हों उनके काममें बाधा डालनेके लिये दण्ड

जो कोई शख्स, किसी ऐसे शख्स के, जिसको इस ऐक्ट के अनुसार बोर्ड ने किसी काम पर नियत किया हो, या जिसको बोर्ड ने कोई ठेका दिया हो, काम मे बाधा डालेगा, या तंग करेगा, या जो किसी ऐसे चिन्हको जो किसी ऐसे पंसाल (Levels)या दिशाको प्रगट करताहो, जो किसी ऐसे कामोंके बनानेके लिये आवश्यक हो, जिन कामोंके बनाये जानेका अधिकार इस ऐक्ट के द्वारा दिया गया हो, उसको अपराध के साबित हो जानेपर, जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा जिसकी संख्या पचास रुपये तक हो सकती है।

प्रकरण ९

नियम, रेग्यूलेशन और बाई-लॉ

(Rules, Regulations & Bye-Laws)



दफा २९६ नियम बनानेकी प्रान्तीय सरकारकी ज़िम्मेदारी और अधिकार

१ प्रान्तीय सरकार का कर्त्तव्य होगा कि उन बातों के विषय में जो दफा २९, ९५, १२७, १५३ और २३५ में वर्णित हैं, ऐसे नियम बनाये जो इस ऐक्टकी आज्ञाओंके अनुकूल हों।

२ नीचे लिखी बातोंके लिये, प्रान्तीय सरकार, ऐसे नियम बना सकती है जो इस ऐक्टकी आज्ञाओंके अनुकूल हों—

(ए) किसी ऐसे मामले के प्रबन्धके लिये, जिसके प्रबन्ध का अधिकार, स्पष्ट या उपलक्षित रूप से, प्रान्तीय सरकारको, इस ऐक्टके द्वारा दिया गया हो, या किसी अन्य ऐसे क़ानूनके द्वारा दिया गया हो, जो इस ऐक्टके आरम्भ होनेके समय प्रचलित हो। और

(बी) आम तौरसे, बोर्डकी, या किसी सरकारी अफसरकी, पथप्रदर्शकता (रहनुमाई) के लिये, किसी ऐसे मामलेके सम्बन्धमें जो इस ऐक्टके या किसी अन्य, म्यूनिसिपल्टियोंसे सम्बन्ध रखने वाले, क़ानूनके हुक्मों के पालन करानेसे सम्बन्ध रखता हो।

व्याख्या—

कुछ मामलोंके लिये नियम बनानेकी प्रान्तीय सरकारकी ज़िम्मेदारी रखी गई है। ऐसे नियमोंका बनाना प्रान्तीय सरकारके लिये आवश्यक है। उपदफा (१) में वह दफायें गिनाई गई हैं जिनके सम्बन्धमें प्रान्तीय सरकारकी ज़िम्मेदारी रखी गई है कि नियम बनाये।

फिर कुछ मामले ऐसे हैं जिनके विषयमें प्रान्तीय सरकारको यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह आवश्यता समझे तो नियम बना दे। जैसे ऐक्ट की दफा १०४ के द्वारा प्रान्तीय सरकार को यह अधिकार है कि यदि उसको आवश्यक जान पड़े तो वह नोटिस की, या कुर्की आदि के लिये, फीस नियत करनेके लिये नियम बना दे, और उक्त अधिकारके अनुसार प्रान्तीय सरकारने वह नियम बना दिये हैं जो दफा १०४ की व्याख्यामें दिये गये हैं।

उपदफा (२) (बी) के द्वारा प्रान्तीय सरकारको अधिकार दिया गया है कि बोर्डकी पथप्रदर्शकताके लिये जिस विषयमें वह आवश्यक समझे नियम बना दे, चाहे किसी ऐसे विषयके लिये नियम बनानेका कोई अधिकार क़ानूनके द्वारा न भी दिया गया हो। जैसे दफा ७९ में प्राविडेण्टफंड स्थापित करनेके विषयमें नियम बनानेके लिये प्रान्तीय सरकारको कोई हिदायत नहीं दी

बोर्ड, विशेष रेजोल्यूशनके द्वारा, ऐसे रेग्युलेशन बना सकता है जिनका इस ऐक्टके हुक्मों से, या दफा २९६ के अनुसार बनाये हुये किसी नियमसे, या उप दफा (२) के अनुसार बनाये हुये किसी रेग्युलेशनसे, विरोध न हो:—

(ए) बोर्डकी मीटिंगोंका समय और स्थान।

(बी) मीटिङ्ग करनेकी (अर्थात् जोड़नेकी) विधि, और उसकी नोटिस देनेकी विधि।

ऐक्ट न० ६ (सी) मीटिङ्गों में कार्रवाइयोंका किया जाना व मीटिंगोंका मुलतवी किया
सि० १९१९१० जाना, व मीटिंगोंमें मेम्बरोंके द्वारा प्रश्नोंका पूछा जाना।

(डी) (ऐसी कमेटियोंको छोड़के, जो केवल सलाह देनेवाली कमेटियां हों) कमेटियोंका किसी मतलब के लिये स्थापित किया जाना, और ऐसी कमेटियोंके सङ्गठन और कार्रवाई के विषयमें सब बातोंको निश्चय करना।

(ई) किसी ऐसे इन्दराजसे, जो, शिड्यूल नं० २ के खाना नं० ३ में किया गया हो, बचाव करदेना।

(एफ़) दफा ७७ की उपदफा (२) के सम्बन्धमें—उन अधिकसे अधिक (Maximum) या कमसे कम (Minimum) मासिक वेतनोंका जो दफा ७४ व ७५ व ७६ में कर्मचारियों के ऊपर अधिकारोंके विषयमें अंकित किये गये हैं बढ़ा देना।

(जी) नीचे लिखे अफसरों आदिको अधिकारों, कर्तव्यों, और कामोंका सौंपा जाना—

१ बोर्डके चेयरमैन को।
२ ऐसी कमेटीको जो क्लॉज (डी) के अनुसार संगठित की गई हो।
३ ऐसी कमेटीके चेयरमैन को।
४ एक्जीक्यूटिव अफसरको।
५ जहां एक्जीक्यूटिव अफसर न हो वहां बोर्डके किसी कर्मचारीको।

(एच) बोर्डके कर्मचारियोंको छुट्टीपर रहने के कालका या अन्य एलाऊन्स दिया जाना।

(आई) बोर्डके किसी कर्मचारीको जिससे जमानत लेना उचित समझा जाय कितने संख्याकी और किस प्रकारकी जमानत देनेकी आज्ञा दी जाय।

(जे) बोर्डके कर्मचारियोंको छुट्टी दी जाना और वह बदलाव जो उन शख्सों को दिया जायगा जो ऐसे कर्मचारियोंके छुट्टी पर रहने के कालमें काम करने के लिये नियुक्त किये जाय (यदि कोई ऐसे शख्स नियुक्त किये जांय)

(के) बोर्डके सब कर्मचारियोंकी नौकरी की अवधि, और वह शर्तें जिनके अनुसार ऐसे कर्मचारी या उनमें से कोई काम पर से अलग होनेपर (Retirement) या अपने कर्तव्यके पूरा करने में कामके अयोग्य हो

जानेपर इनाम या करुणाई एलाऊन्स (Gratuities or Compassionate Allowances) पायेंगे और ऐसे इनामों तथा करुणाई एलाऊन्सोंकी संख्या और वह शर्तें जिनके अनुसार कोई इनाम या करुणाई एलाऊन्स किसी ऐसे कर्मचारियोंके जिनकी मृत्यु अपने कर्तव्यके पूरा करने में हुई हो ऐसे सम्बन्धियोंको दिये जायगे जिनको वे छोड़ गये हो।

(यल) किसी ऐसी पेन्शन या प्रावीडेन्ट फण्डमे, जो बोर्डने स्थापित किये हों ऐसे नौकरोंके द्वारा बोर्डकी मजूरीसे उन दरोंसे, और उन शर्तोंके आधीन, जो ऐसे रेग्युलेशनोमे नियमितकी गई हों, चन्दे दिये जाना।

(यम) वह शर्तें जिनके आधीन कोई ऐसी रकम जो बोर्डकी किसीपर चाहिये हो वसूल होने के अयोग्य मानके खारिज करदी जा सकेगी और वह शर्तें जिनके आधीन कोई ऐसी पूरी फीस या उसका कोई भाग जो कुर्की करने के लिये ली जा सकती हो माफ कर दी जा सकेगी।

(यन) इसी प्रकारके अन्य सब मामले।

२ परन्तु शर्त यह है कि प्रान्तीय सरकार, यदि वह उचित समझे, उन सब मामलों के सम्बन्धमे जो उपदफा (१) के क्लॉज (यच) से (यम) तक मे अंकित है, कोई ऐसे रेग्युलेशन बना सकती है, जिनका इस ऐक्टके हुक्मोसे विरोध न हो। और ऐसे जो रेग्युलेशन बनाये जायंगे उनका यह प्रभाव होगा कि वह किसी ऐसे रेग्युलेशनको रद्द कर देंगे जो उसी विषयमें बोर्ड द्वारा बनाये गये हो, या जो प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये हुये रेग्युलेशनोंके प्रतिकूल हों।

व्याख्या—

—उन शर्तों के लिये जिनके आधीन बोर्ड रेग्युलेशन बना सकता है देखिये दफा २०१, और उन शर्तों के लिये जिनके आधीन प्रान्तीय सरकार रेग्युलेशन बना सकती है देखिये दफा २००

—क्लॉज (ए) से (डी) तक के अनुसार रेग्युलेशन "विशेष प्रस्ताव" (Special Resolution) के द्वारा बनाये जा सकते हैं और उनके लिये किसी की मजूरी नहीं चाहिये होती। परन्तु क्लॉज (ई) से (यम) तक के अनुसार जो रेग्युलेशन बनाये जांयगे उनके लिये शहर की म्यूनिसिपलटियों में प्रान्तीय सरकार की मजूरी, और अन्य म्यूनिसिपलटियों में कमिश्नर की मजूरी, आवश्यक होती है। रेग्युलेशनों के लिये यह आवश्यक नहीं होता कि वे पहले से प्रकाशित किये जांय।

—क्लॉज (ई) के अनुसार रेग्युलेशन उन्हीं म्यूनिसिपलटियों के बोर्ड बना सकते है जिनमें एक्जिक्यूटिव अफसर हो। शिड्यूल नं० २ में उन अधिकारों की सूची दी गई है जो एक्जिक्यूटिव अफसर को दिये गये हैं और यह भी बताया गया है कि उक्त अधिकारों को बरतते हुये जो हुक्म दिये जांय उनमें से किनकी अपील हो सकती है। परन्तु इस क्लॉज के और दफा ६१ (१) के (ए) के अनुसार बोर्ड को यह अधिकार दिया गया है कि ऐसा रेग्युलेशन बना दे कि जो हुक्म या जिस प्रकार के हुक्म उसमें वर्णित हों उनकी अपील न होगी। जहां कहीं बोर्ड ने उस विधि को नियमित करने के लिये बाई लॉ बनाये हों, जिस विधि से कि किसी विशेष दफाओं द्वारा दिये हुये अधिकार एक्जिक्यूटिव अफसर द्वारा बरते जांयगे, वहां बोर्ड के लिये यह अधिकार उपयोगी होगा क्योंकि उसके द्वारा बोर्ड उन अपीलों की संख्या, जो ऐसे बाई लॉओं के अनुसार दिये हुये हुक्मों के

विरुद्ध की जांय, कम कर सकता है। (देखिये G. O. No. 1328 XI. 5 H, ता० ११ ज सन १९१६ ई०)

—क्लॉज (यफ)-इस क्लॉज के अनुसार रेग्युलेशन बनाये जा सकते हैं जिनके द्वारा उन अधि कारों में, जो दफा ७५ और ७६ के द्वारा नौकरों पर चेयरमैन या एक्जिक्यूटिव अफसर को दिये ग हैं, वृद्धि की जा सकती है। म्यूनिसिपलटियों की स्थिति में ऐसे भेद होते हैं, और विशेष भिन्न २ नगरों में वेतन के दरों में इतने अन्तर होते हैं कि उन हदों का प्रभाव जो उक्त दफाओं नियमित हैं भिन्न भिन्न म्यूनिसिपलटियोंमें भिन्न २ होता है। विशेषकर बड़ी म्यूनिसिपलटियोंमें जिन छोटी म्यूनिसिपलटियों की अपेक्षा वेतन के दर ऊंचे होते हैं इन हदों का यह परिणाम होता है उनके चेयरमैन तथा एक्जिक्यूटिव अफसर को अनेक ऐसे नौकरों की नियुक्ति, सजा देने, या डिसमि करने का अधिकार नहीं रह जाता जिनकी नियुक्ति आदि का अधिकार छोटी म्यूनिसिपलटियों में चेय मैन अथवा एक्जिक्यूटिव अफसर को होता है। उस उपाय के लिये कि सब म्यूनिसिपलटियों में ए सी दशा रहे बोर्ड, इस क्लॉज के अनुसार, उन हदों में वृद्धि कर सकते हैं जो ऐक्ट के द्वारा नियत गई हैं। (देखिये G O No 1328 XI. 5 H तारीख़ ११ जून सन १९१६ ई०

—क्लॉज (जी)-देखिये दफा ११२ की व्याख्या।

दफा २९८ बोर्डका अधिकार बाई-लॉ बनानेका

१ बोर्ड को अधिकार होगा, और उस दशा मे जब कि मान्तीय सरकार उसक आज्ञा दे तो बोर्ड के लिये यह आवश्यक होगा कि विशेष रेजोल्यूशन के द्वारा, ऐसे बा लॉ जो कि सम्पूर्ण म्यूनिसिपलटी पर, या उसके किसी भाग पर लागू हों, और जिनक विरोध इस ऐक्ट के हुक्मो से या किसी ऐसे नियम के हुक्मो से न हो, म्यूनिसिपलटी निवासियो के स्वास्थ्य और सुरक्षिता और आराम के बढ़ाने या कायम रखने के उद्देश से, और इस ऐक्ट के अनुसार म्यूनिसिपलटी के प्रबन्ध मे उन्नति करने उद्देश्य से, बनाये।

२ विशेषतः, और बिना इसके कि उस अधिकार के जो उपदफा (१) के द्वारा दिया गया है आय होने पर कोई प्रभाव पड़े, किसी म्यूनिसिपलटी का बोर्ड, चाहे व म्यूनिसिपलटी कही अधिकार हुये कोई ऐसे बाई-ल बना सकता है, जो कि १ मे ऐसी म्यूनिसिपलटी क बोर्ड, जो पूर्णतया या , किसी में स्थिर हो, उक्त अधि कार को बरतते हु बाई-लॉओ मे से जो कि । न० २ मे बाई-७ है।

की सहायता विषयों औ

मे

के

(५) ६ क

लिये (१०) एरेटेड वाटर (Aeratedwater) के बनाने और बेचने के लिये (११) नान वाई के कारखाने के लिये (१२) बध स्थानों के मुआइना के लिये (१३) तौल और पैमानों के लिये (१४) कबरिस्तानों और मरघटों के लिये (१५) म्यूनिसिपलटी के नखासे में पशुओं की बिक्री लिखी जाने के लिये (१६) घृणित अथवा हानिकार व्यापारों के लिए (१७) सूखी घास, भूसा आदि जमा करने के लिये (१८) हड्डियां जमा करने के लिये (१९) पेट्रोलियम जमा करने के लिये (२०) कुत्तों के लैसन्स देने के लिये (२१) म्यूनिसिपलटी के कागज रजिस्टर आदि के मुआइना और उनकी नकलें दिये जाने के लिये (२२) मार्गों को थोड़े समय के लिये काम में लाने की फीसों के लिये (२३) इमारतों के निकले हुये भागों के लिये (२४) इमारत बनाने के लिये (२५) मोरियों, पाखानों, चह बच्चों आदि के लिये (२६) सार्वजनिक खेल तमाशे आदि के स्थानों के लिये (२७) म्यूनिसिपलटी के भीतर बेचने के लिये मास लाने के लिये (२८) ईंट चूने के भट्टों के लिये (२९) सूखे मासकी तैय्यारी के लिये (३०) तांत की तैय्यारी और जमा करने के लिये (३१) म्यूनिसिपलटी के विशेष रकबों में रंडियों को रहने की और चकले रखने की मनाही करने के लिये (३२) सार्वजनिक बाग आदि के लिये (३३) म्यूनिसिपलटी के भीतर निवास करनेवाले सख्शों का इमारतों तथा आराजियों के ऐसे मालिकों के एजेंट बनाये जाने के लिये जो म्यूनिसिपलटी में न रहते हों (३४) मिठाई के बनाने या बेचने के स्थानों के मुआइने के लिये।

म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट में आरम्भ से अन्त तक उसूल यह रखा गया है कि सब कार्यनिर्वाहक काम (Executive work) कर्मचारियों को या कमेटियों को सौंपे जाय और बोर्ड बाई-लॉओं के द्वारा काम करने की शर्तें या जाब्ता प्रत्येक दशा के लिये नियमित कर दे, और कर्मचारियों अथवा कमेटियों पर निगरानी करे, या जहां सब दशाओंके लिये पूरे ब्योरेके सहित शर्तें या जाब्ता नियमित न किया जा सके तो कर्मचारियों अथवा कमेटियों के हुक्म की अपील सुनने का अधिकार अपने लिये या अन्य कमेटियों के हुक्म की अपील सुनने का अधिकार अपने लिये या अन्य कमेटियों के लिये रखे। बाई लॉ बनाने का यही प्राथमिक उद्देश्य है। जब कभी कोई अधिकार या कर्तव्य कर्मचारियों को सौंपना हो तो जिन म्यूनिसिपलटियों में एक्जिक्युटिव अफसर हो, उनमें वह अधिकार या कर्तव्य एक्जिक्युटिव अफसर ही को सौंपना चाहिये। फिर एक्जिक्युटिव अफसर, ऐक्ट की दफा ६२ के अनुसार, कामों को अन्य कर्मचारियों को सौंप सकता है। परन्तु बोर्ड के प्रति एक्जिक्युटिव अफसर ऐसे सौंपे हुये कामों के लिये स्वयं जिम्मेदार रहेगा। ऐसे बोर्डों को, जब वे अपने बाई-लॉ बनावें यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि एक्जिक्युटिव अफसर को उन अधिकारों के अतिरिक्त, जो उसको शिड्यूल न० २ के द्वारा प्रदान किये गये हैं, निम्नलिखित अधिकार भी दफा ६० के द्वारा दिये गये हैं —

(ए) अपने हस्ताक्षरों से कोई ऐसा लैसन्स देना और जारी करना या लैसन्स देने की मनाही कर देना जो बोर्ड दे सकता हो (सिवाय बाजार या बधस्थान या किराये की गाड़ियों के लैसन्स के)

(बी) किसी ऐसे लैसन्स को स्थगित कर देना या वापिस ले लेना।

(सी) कोई रकम जो बोर्ड की चाहिये हो या जो पेश की जाय उसे लेना, वसूल करना और म्यूनिसिपलटी के कोष में जमा करना।

विरुद्ध की जाय, कम कर सकता है। (देखिये G. O No. 1328 XI. 5 H, ता० १९ जून सन १९१६ ई०)

—क्लॉज (यफ)–इस क्लॉज के अनुसार रेग्युलेशन बनाये जा सकते हैं जिनके द्वारा उन अधिकारों में, जो दफा ७५ और ७६ के द्वारा नौकरों पर चेयरमैन या एक्जिक्यूटिव अफसर को दिये गये हैं, वृद्धि की जा सकती है।" म्यूनिसिपलटियों की स्थिति में ऐसे भेद होते हैं, और विशेष कर भिन्न २ नगरों में वेतन के दरों में इतने अन्तर होते हैं कि उन हदों का प्रभाव जो उक्त दफाओं में नियमित हैं भिन्न भिन्न म्यूनिसिपलटियोंमें भिन्न २ होता है। विशेषकर बड़ी म्यूनिसिपलटियोंमें जिनमें छोटी म्यूनिसिपलटियों की अपेक्षा वेतन के दर ऊंचे होते हैं इन हदों का यह परिणाम होता है कि उनके चेयरमैन तथा एक्जिक्यूटिव अफसर को अनेक ऐसे नौकरों की नियुक्ति, सजा देने, या डिसमिस करने का अधिकार नहीं रह जाता जिनकी नियुक्ति आदि का अधिकार छोटी म्यूनिसिपलटियों में चेयर मैन अथवा एक्जिक्यूटिव अफसर को होता है। उस उपाय के लिये कि सब म्यूनिसिपलटियों में एक सी दशा रहे बोर्ड, इस क्लॉज के अनुसार, उन हदों में वृद्धि कर सकते हैं जो ऐक्ट के द्वारा नियत की गई हैं। (देखिये G O No 1328 XI. 5 H तारीख १९ जून सन १९१६ ई०)

—क्लॉज (जी)–देखिये दफा ११२ की व्याख्या।

दफा २९८ बोर्डका अधिकार बाई-लॉ बनानेका

१ बोर्ड को अधिकार होगा, और उस दशा मे जब कि प्रान्तीय सरकार उसको आज्ञा दे तो बोर्ड के लिये यह आवश्यक होगा कि विशेष रेजोल्यूशन के द्वारा, ऐसे बाई-लॉ जो कि सम्पूर्ण म्यूनिसिपलटी पर, या उसके किसी भाग पर लागू हों, और जिनका विरोध इस ऐक्ट के हुक्मो से या किसी ऐसे नियम के हुक्मो से न हो, म्यूनिसिपलटी के निवासियो के स्वास्थ्य और सुरक्षिता और आराम के बढ़ाने या कायम रखने के उद्देश्य से, और इस ऐक्ट के अनुसार म्यूनिसिपलटी के प्रबन्ध मे उन्नति करने के उद्देश्य से, बनाये।

२ विशेषत', और बिना इसके कि उस अधिकार के जो उपदफा (१) के द्वारा दिया गया है आय होने पर कोई प्रभाव पडे, किसी म्यूनिसिपलटी का बोर्ड, चाहे वह म्यूनिसिपलटी कही भी स्थित हो, उक्त अधिकार को बरतते हुये कोई ऐसे बाई-लॉ बना सकता है, जो कि नीचे सूची न १ मे वर्णित है, किसी ऐसी म्यूनिसिपलटी का बोर्ड, जो पूर्णतया या जिसका कोई भाग, किसी पहाड़ी प्रदेश में स्थित हो, उक्त अधिकार को बरतते हुये, उपरोक्त बाई-लॉओ के अतिरिक्त, उन बाई-लॉओ मे से जो कि नीचे सूची न० २ मे वर्णित है, कोई और बाई-लॉ भी बना सकता है।

व्याख्या—

बोर्डों की सहायता के लिये नीचे लिखे विषयों पर नमूने के बाई-लॉ बना दिये गये हैं और म्यूनिसिपल मैन्युअल म दिये गये हैं —

(१) म्यूनिसिपलटी और सरकार की जायदाद की रक्षा के लिये (२) मार्गों फिरी की सुविधा आदि के लिये (३) ठेले और हाथ गाडियों के लिये (४) पैदायश और के लिये जाने के लिये (५) तहबजारी के लिये (६) पड़ाव के लिये (७) खाने और वस्तुओं के लाने और बेचने के लिये (८) मास के बेचे जाने के लिये (९) दुग्ध

सूची नं० १

किसी म्यूनिसिपलटी के लिये बाई-लॉ



[ए] इमारत

(ए) दफ़ा १७८ की उपदफ़ा (२) के सम्बन्ध मे सब इमारतों के विषय मे नोटिस का दिया जाना आवश्यक ठहरा देना ।

(बी) दफ़ा १७८ की उपदफ़ा (३) के क्लॉज (डी) के सम्बन्ध में किसी विशेष प्रकार के परिवर्तन को "भारी परिवर्तन" ठहरा देना ।

(सी) उन हाल और नकशो को निर्णय करना जो दफ़ा २७९ के अनुसार बोर्ड को भेजे जाना चाहिये ।

(डी) यह बात नियमित करना कि उस दर के अनुसार, जो इस मतलब के लिये अंकित की गई हो, फ़ीस दिये जाने पर नकशे और विवरण बोर्ड के पास से या किसी ऐसे शख्स के पास से जिसको बोर्ड नियमित करे, मिल सकेंगे ।

(ई) दफ़ा १८१के सम्बन्ध मे वह अवधि नियत करना जिसमें कोई इजाजत काम की रहेगी ।

(एफ़) यह बात नियमित करना कि वह इमारतें, जो किसी नियमित रकबे या रकबों में बनाई जा सकती है, या नही बनाई जा सकती है, किस ढग की और किस प्रकार की होगी, और उन मतलबों का नियमित करना किनके लिये कोई इमारत किसी नियमित रकबे मे या रकबों में बनाई जा सकती है, या नहीं बनाई जा सकती है ।

(जी) उन दशाओं का नियमित करना जिनमे किसी मसजिद, मन्दिर, गिरजा, या अन्य कोई धार्मिक स्थान बनाया जा सकता है या फिर से बनाया जा सकता है, या उसमें फिर से परिवर्तन किया जा सकता है ।

(एच)इमारतों के बनाये जाने, या फिर से बनाये जाने, या उनमे परिवर्तन किये जाने के सम्बन्धमे या किसी प्रकारकी इमारतोंके बनाये जाने, फिरसे बनाये जाने, या उनमे परिवर्तन किये जानेके सम्बन्धमें, निम्नलिखित बातोंको नियमित करना —

१ वह वस्तुयें, और निर्माण किये जाने की विधि जो बाहरी दीवारों को, और कमरों को पृथक करने वाली भीतों को, छतों और फ़र्शों (Floors) के निर्माणके काम मे लाई जायगी ।

२ अग्नि कुण्डों (Fire Places) धुयें के निकास के लिये चिमनियों, मोरियों, सण्डासों, पाखानों, पेशाबखानों, और कुण्डियों (बदबच्चों) के स्थान,

इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि यद्यपि यह आवश्यक है कि नियमों और बाई-लॉओं के द्वारा एक्जिक्युटिव अफसर ही लैसन्स देने वाला अफ़सर बनाया जाय (सिवाय उन दशाओं के जो उपरोक्त क्लॉज (५) में वर्णित हैं) तथापि ऐक्ट की दफा ६१ (१) के अनुसार बोर्ड को अधिकार है कि लैसन्स के विषय में जो हुक्म एक्जिक्युटिव अफसर दे, उससे अपील किये जाने का हुक्म दे।

दफा ६१ (२) के द्वारा यह हुक्म दिया गया है कि एक्जिक्युटिव अफसर के हुक्म से अपील, हुक्म के मिलने से दस दिन के भीतर होना चाहिये। इसलिये नमूने के बाई-लॉओं में यही दस दिनकी अवधि डाल दी गई है। उन म्यूनिसिपलटियों में, जहां कोई एक्जिक्युटिव अफसर नहीं है, वहां अफसर के बहुत से अधिकार निस्सन्देह चेयरमैन या सेक्रेटरी या नौकरों में से अन्य किसी को सौंपे जायगे। जब नौकरों में से किसी को अधिकार सौंपे जायं तो वह कर्मचारी बाई-लॉ में अवश्य अंकित कर दिया जाना चाहिये जो उस अधिकार को बरतेगा।

जब किसी बाई-लॉ के द्वारा कोई अधिकार बोर्ड को दिया जाता है तो वह चेयरमैन के द्वारा बरता जायगा (देखिये ऐक्ट की दफा ५०) सिवाय उस दशा के कि बोर्ड उक्त अधिकार को, रेग्युलेशन के द्वारा, किसी और को सौंप दे। चेयरमैन की काम करने की स्वाधीनता बाई-लॉओं के हुक्म के अनुसार बरती जाना चाहिये। देखिये G O No. 1102 XI 389 E तारीख २७ मई सन १९१६ ई०)

—उपदफा (२)—उपदफा (२) में कुछ विषय वर्णित हैं जिनके लिये बोर्ड बाई-लॉ बना सकता है। परन्तु इन विषयों के गिना दिये जाने का यह अभिप्राय नहीं है कि उनके अतिरिक्त अन्य किसी विषय के सम्बन्ध में बोर्ड बाई-लॉ नहीं बना सकता। उपदफा (१) के द्वारा, बोर्ड को साधारण अधिकार दे दिया गया है कि जिस विषय में वह चाहे बाई-लॉ बनाये। इस अधिकार पर उपदफा (२) का कोई प्रभाव नहीं है।

सूची नं० १ में कुछ ऐसे विषय वर्णित हैं जिनके लिये कोई भी म्यूनिसिपलटी बाई-लॉ बना सकती है चाहे वह किसी पहाडी नगर की म्यूनिसिपलटी हो या अन्य किसी की। सूची नं० २ में जो विषय हैं उनकी आवश्यकता केवल पहाडी म्यूनिसिपलटियों ही को हो सकती है।

—म्यूनिसिपलटी के निवासियों के स्वास्थ्य आदि के लिये बोर्ड को बाई लॉ बनाने का अधिकार दिया गया है। प्रश्न यह है कि यदि कोई बोर्ड कोई अनुचित बाई लॉ पास करले, और उसके उल्लंघने के लिये किसी शख्स पर मुकदमा चलाये, तो क्या अदालत उक्त शख्स को दण्ड देने पर बाध्य होगी या कि अदालत को यह स्वाधीनता प्राप्त होगी कि एक ऐसे बाई लॉ के उल्लघन के लिये जो अदालतकी रायमें अनुचित है अभियोगी को दण्ड न दे। सरकार बहादुर बनाम बालकृष्ण (1901) I. L. R 24 All 439, वाले मुकद्मे में मामला यह था कि नैनीताल की म्यूनिसिपल्टी ने एक बाई लॉ पास किया कि अमुक सडक पर, प्रति दिन अमुक समय पर कोई कुली बोझ लेकर न निकले। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि यह बाई-लॉ अनुचित है, और उसके उल्लंघन के लिये किसी को दण्ड नहीं दिया जा सकता। इंगलैण्ड के कानून के अनुसार भी किसी ऐसी संस्था के पास किये हुये बाई लॉ के उल्लघन के लिये, जैसी कि म्यूनिसिपलटी होती है, दण्ड देने से पूर्व अदालत को यह अधिकार है कि वह बाई लॉ की जाच करे कि उसके हुक्म उचित हैं या नहीं।

किसी विशेष वस्तुओं के, बनाने तैय्यार करने, या बेचे जाने के लिये हों या जो ऐसे पशुओं के रखे जाने या दिखलाने के लिये हों जो पशु कि बिक्री या किराये के लिये हों या जो स्थान कि ऐसे पशुओंके रखे जाने या दिखलाये जाने के लिये हो जिनसे कोई ऐसी वस्तु उत्पन्न होती हो, जो बेची जाती हो और ऐसे स्थान जो सर्वसाधारणके जी बहलानके तमाशों (Places of Public Entertainment) के लिये हो, या जिनमें सर्वसाधारण आया जाया करते हो, के स्थापित करनेका और (सिवाय इसके कि जहांतक अंश (सी) के अनुसार बनाये हुये बाई लॉओंके द्वारा प्रबन्ध किया जा सके) उनके प्रबन्ध और जांचका और उनके भीतर उचित ढङ्गसे और स्वच्छताके साथ काम काज किये जानेका प्रबन्ध करना।

(ई) किसी ऐसी म्यूनिसिपलटीमें जहा बोर्डने वध स्थानोंकी एक उचित संख्या बना दी हो या उनके लिये लैसन्स दे दिये हों म्यूनिसिपलटी की हदोंके भीतर बेचे जाने के लिये किसी ऐसे ढोर या भेड या बकरी या सुअरका मांस (सिवाय ऐसे मांसके जो रखेजाने के अभिप्रायसे किसी उपायसे सुरक्षित कर दिया गया हो) लाये जानेकी निगरानी और प्रबन्ध करना, जो किसी ऐसे बध स्थान या अन्य स्थानमें बध किया गया हो जो इस ऐक्टके अनुसार कायम न रखा जाता हो या जिसका लैसंस इस ऐक्टके अनुसार न दिया गया हो।

[जी] हानि कारक व्यापार

(ए) सिवाय उस दशाके जब, और सिवाय उस हदके जहांतक, किसी ऐसी बातका विरोध होता हो जो इंडियन पेट्रोलियम ऐक्ट सन् १८९९ ई० (Indian Petroleum Act 1899)में या उसके अनुसार बने हुये नियमोंमें हो, बिना किसी लैसन्सके जो बोर्डने दिया हो, या सिवाय उस विधिके जो इस प्रकार दिये हुये लैसंसकी शर्तों के अनुसार हो, नीचे लिखे हुये कामों के लिये किसी स्थानके कारखानेकी तरह या काम काज करने के अन्य स्थानकी तरह काममें लानेकी मनाही करना —

१ वस्तुओंके व्यर्थ अंश (Offal) या रुधिर या हड्डियों या अंतड़ियों या चिथड़ों को उबालने या जमा करने के लिये।

२ खालों या सींगों या चमडोंको जमा करने के लिये।

३ चमड़ा कमाने के लिये।

४ चमडा या चमड़ेकी वस्तुएं तैय्यार करने के लिये।

५ रङ्गनें के लिये।

६ चर्बी या गंधक पिघलाने के लिये।

७ ईंटे या खपरे या मिट्टीके बरतन या चूना फूकने या पकाने के लिये।

८ साबुन बनाने के लिये।

९ तेल उबालने के लिये।

[illegible] सूखी घास या भूसा या छप्पर बनानेके फूस या लकड़ी या कोयला या अन्य

करना और इस प्रकार काममे लाये जाने या कब्जा किये जाने के विषयमें फीस लेनेका हुक्म देना ।

(सी) उन शर्तोंका प्रवन्ध करना जिनके आधीन दफा २०९ के अनुसार सड़कों या गलियों या मोरियोंपर निकले हुये कामों (तामीरों) के लिये और दफा २६५ के अनुसार सड़कों या गलियोंपर स्थाई रूपसे कब्जा करने के लिये आज्ञा दी जा सकती है।

व्याख्या—

इमामी बनाम सरकार बहादुर (1910) 10 A. L J 426=16 I C 333=35 All I L R 24, वाले मामलेमें हाईकोर्टने यह फैसला किया था कि म्यूनिसिपल बोर्डको यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि सडकों पर फेरी करने वालोंसे लैसन्सकी फीस ले। यह फैसला ऐक्ट नं० १ सन् १९०० ई० के हुक्मोंके अनुसार हुआ था। वर्तमान ऐक्टकी दफा २२० और दफा २९८ के अंश (ई) के क्लॉज (बी) के द्वारा यह बात साफ करदी गई है कि बोर्डको सडकों पर फेरी करने वालोंसे तहबजारी लेनेका अधिकार है। उपरोक्त इमामी वाली नजीर अब निष्प्रभाव है।

[यफ] बाज़ार या मंडियां, बध स्थान और खाद्य पदार्थोंका बेचा जाना इत्यादि

(ए) दफा २४१ के हुक्मोंके आधीन बिना किसी लैसंसके, जो बोर्डने दिया हो, या सिवाय उस विधिके जो इस प्रकार दिये हुये लैसंसकी शर्तोंके अनुसार हो, किसी स्थानको बध स्थानकी तरह या बाजार या मण्डीकी तरह या ऐसी दुकानकी तरह जो ऐसे पशुओंके बेचे जाने के लिये हो, जो पशु कि आदमीके खाने के लिये हो, या ऐसी दुकानकी तरह जो मांस या मछली बेचे जाने के लिये हो, या ऐसे बाजार या मण्डीकी तरह जो फल या तरकारियों के बेचे जाने के लिये हो, काम मे लाने की मनाही करना।

(बी) उन शर्तोंका नियमित करना जिनके आधीन, और उन दशाओंका नियमित करना जिनमे, और उन रकूनो तथा स्थानोको नियमित करना जिनके विषयमें, इस प्रकार काममें लाने के लिये लैसंस दिया जा सकता है, या नामजूर कर दिया जा सकता है, या स्थगित कर दिया जा सकता है, या वापिस ले लिया जा सकता है।

(सी) जो स्थान उपरोक्त कामों के लिये काममे लाया जाय उसकी जांच (मुआइना) और उसमे काम काज किये जानेकी जाच किये जानेका इस उद्देश्यसे प्रवन्ध करना कि उसके भीतर स्वच्छता रहे या उससे जो हानिकारक या घृणित भयमद प्रभाव उत्पन्न हों या जिनके उत्पन्न होनेकी सम्भावना हो वह कम हो

(डी) बाजारों या मण्डियों और बध स्थानों और लिवरी अस्तबलों (Livery के और पड़ावों के, और सरायों और आटा पीसने की चक्कियों के, और बिस्कुट आदि बनाने के कारखानो के, और ऐसे स्थानो के जो खाने या

किसी विशेष वस्तुओ के, बनाने तैय्यार करने, या बेचे जाने के लिये हों या जो ऐसे पशुओं के रखे जाने या दिखलाने के लिये हों जो पशु कि बिक्री या किराये के लिये हों या जो स्थान कि ऐसे पशुओंके रखे जाने या दिखलाये जाने के लिये हो जिनसे कोई ऐसी वस्तु उत्पन्न होती हो, जो बेची जाती हो और ऐसे स्थान जो सर्वसाधारणके जी बहलावके तमाशों (Places of Public Entertainment) के लिये हो, या जिनमे सर्वसाधारण आया जाया करते हो, के स्थापित करनेका और (सिवाय इसके कि जहांतक अंश (सी) के अनुसार बनाये हुये बाई लॉओंके द्वारा प्रबन्ध किया जा सके) उनके प्रबन्ध और जांचका और उनके भीतर उचित ढङ्गसे और स्वच्छताके साथ काम काज किये जानेका प्रबन्ध करना।

(ई) किसी ऐसी म्यूनिसिपलटीमे जहां बोर्डने बध स्थानोकी एक उचित सख्या बना दी हो या उनके लिये लैसन्स दे दिये हों म्यूनिसिपलटी की हदोंके भीतर बेचे जाने के लिये किसी ऐसे ढोर या भेड़ या बकरी या सुअरका मांस (सिवाय ऐसे मांसके जो रखेजाने के अभिप्रायसे किसी उपायसे सुरक्षित कर दिया गया हो) लाये जानेकी निगरानी और प्रबन्ध करना, जो किसी ऐसे बध स्थान या अन्य स्थानमें बध किया गया हो जो इस ऐक्टके अनुसार कायम न रखा जाता हो या जिसका लैसंस इस ऐक्टके अनुसार न दिया गया हो।

[जी] हानि कारक व्यापार

(ए) सिवाय उस दशाके जब, और सिवाय उस हदके जहांतक, किसी ऐसी बातका विरोध होता हो जो इंडियन पेट्रोलियम ऐक्ट सन् १८९९ ई० (Indian Petroleum Act 1899) मे या उसके अनुसार बने हुये नियमोंमें हो, बिना किसी लैसंसके जो बोर्डने दिया हो, या सिवाय उस विधिके जो इस प्रकार दिये हुये लैसंसकी शर्तों के अनुसार हो, नीचे लिखे हुये कामों के लिये किसी स्थानके कारखानेकी तरह या काम काज करने के अन्य स्थानकी तरह काममें लानेकी मनाही करना—

१ वस्तुओंके व्यर्थ अंश (Offal) या रुधिर या हड्डियों या अंतड़ियां या चिथड़ों को उबालने या जमा करने के लिये।

२ खालों या सीगों या चमड़ोंको जमा करने के लिये।

३ चमड़ा कमाने के लिये।

४ चमड़ा या चमड़ेकी वस्तुएं तैय्यार करने के लिये।

५ रङ्गने के लिये।

६ चर्बी या गंधक पिघलाने के लिये।

७ ईंट या खपरे या मिट्टीके बरतन या चूना फूकने या पकाने के लिये।

८ साबुन बनाने के लिये।

९ तेल उबालने के लिये।

१० सूखी घास या भूसा या छप्पर बनानेके फूस या लकड़ी या कोयला या अन्य

करना और इस प्रकार काममें लाये जाने या कब्जा किये जाने के विषयमें फीस लेनेका हुक्म देना ।

(सी) उन शर्तोंका प्रबन्ध करना जिनके आधीन दफा २०९ के अनुसार सड़कों या गलियो या मोरियोंपर निकले हुये कामो (तामीरों) के लिये और दफा २६५ के अनुसार सड़कों या गलियोंपर स्थाई रूपसे कब्जा करने के लिये आज्ञा दी जा सकती है ।

व्याख्या—

इमामी बनाम सरकार बहादुर (1910) 10 A L J 426=16 I C 333=35 All. I L R 24, वाले मामलेमें हाईकोर्टने यह फैसला किया था कि म्यूनिसिपल बोर्डको यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि सड़कों पर फेरी करने वालोंसे लैसन्सकी फीस ले । यह फैसला ऐक्ट नं० १ सन् १९०० ई० के हुक्मोंके अनुसार हुआ था । वर्तमान ऐक्टकी दफा २२० और दफा २९८ के अश (ई) के क्लॉज (थी) के द्वारा यह बात साफ करदी गई है कि बोर्डको सड़कों पर फेरी करने वालोंसे तहबजारी लेनेका अधिकार है । उपरोक्त इमामी वाली नजीर अब निष्प्रभाव है ।

[यफ] बाज़ार या मंडियां, बध स्थान और खाद्य पदार्थोंका बेचा जाना इत्यादि

(ए) दफा २४१ के हुक्मोंके आधीन बिना किसी लैसन्सके, जो बोर्डने दिया हो, या सिवाय उस विधिके जो इस प्रकार दिये हुये लैसन्सकी शर्तोंके अनुसार हो, किसी स्थानको बध स्थानकी तरह या बाजार या मण्डीकी तरह या ऐसी दुकानकी तरह जो ऐसे पशुओंके बेचे जाने के लिये हो, जो पशु कि आदमीके खाने के लिये हो, या ऐसी दुकानकी तरह जो मांस या मछली बेचे जाने के लिये हो, या ऐसे बाजार या मण्डीकी तरह जो फल या तरकारियों के बेचे जाने के लिये हो, काम मे लाने की मनाही करना ।

(बी) उन शर्तोंका नियमित करना जिनके आधीन, और उन दशाओंका नियमित करना जिनमे, और उन रकूमों तथा स्थानोको नियमित करना जिनके विषयमें, इस प्रकार काममे लाने के लिये लैसन्स दिया जा सकता है, या नामंजूर कर दिया जा सकता है, या स्थगित कर दिया जा सकता है, या वापिस ले लिया जा सकता है ।

(सी) जो स्थान उपरोक्त कामों के लिये काममे लाया जाय उसकी जांच (मुआइना) और उसमे काम काज किये जानेकी जाच किये जानेका इस उद्देश्यसे प्रबन्ध करना कि उसके भीतर स्वच्छता रहे या उससे, जो हानिकारक या घृणित या भयप्रद प्रभाव उत्पन्न हों या जिनके उत्पन्न होनेकी सम्भावना हो वह कम हो जांय ।

(डी) बाजारों या मण्डियों और बध स्थानों और लिवरी अस्तबलों (Livery stables) के और पड़ावों के, और सरायों और आटा पीसने की चक्कियों के, और रोटी बिस्कुट आदि बनाने के कारखानों के, और ऐसे स्थानों के जो खाने या पीनेकी

किसी विशेष वस्तुओं के, बनाने तैय्यार करने, या बेचे जाने के लिये हों या जो ऐसे पशुओं के रखे जाने या दिखलाने के लिये हो जो पशु कि बिक्री या किराये के लिये हों या जो स्थान कि ऐसे पशुओंके रखे जाने या दिखलाये जाने के लिये हो जिनसे कोई ऐसी वस्तु उत्पन्न होती हो, जो बेची जाती हो और ऐसे स्थान जो सर्वसाधारणके जी बहलावके तमाशों (Places of Public Entertainment) के लिये हो, या जिनमे सर्वसाधारण आया जाया करते हो, के स्थापित करनेका और (सिवाय इसके कि जहातक अंश (सी) के अनुसार बनाये हुये बाई लॉओंके द्वारा प्रबन्ध किया जा सके) उनके प्रबन्ध और जांचका और उनके भीतर उचित ढङ्गसे और स्वच्छताके साथ काम काज किये जानेका प्रबन्ध करना।

(ई) किसी ऐसी म्यूनिसिपलटीमे जहां बोर्डने बध स्थानोंकी एक उचित सख्या बना दी हो या उनके लिये लैसन्स दे दिये हों म्यूनिसिपलटी की हदाके भीतर बेचे जाने के लिये किसी ऐसे ढोर या भेड़ या बकरी या सुअरका मांस (सिवाय ऐसे मांसके जो रखेजाने के अभिप्रायसे किसी उपायसे सुरक्षित कर दिया गया हो) लाये जानेकी निगरानी और प्रबन्ध करना, जो किसी ऐसे बध स्थान या अन्य स्थानमे बध किया गया हो जो इस ऐक्टके अनुसार कायम न रखा जाता हो या जिसका लैसंस इस ऐक्टके अनुसार न दिया गया हो।

[जी] हानि कारक व्यापार

(ए) सिवाय उस दशाके जब, और सिवाय उस हदके जहांतक, किसी ऐसी बातका विरोध होता हो जो इंडियन पेट्रोलियम ऐक्ट सन् १८९९ ई० (Indian Petroleum Act 1899) मे या उसके अनुसार बने हुये नियमोंमे हो, बिना किसी लैसंसके जो बोर्डने दिया हो, या सिवाय उस विधिके जो इस प्रकार दिये हुये लैसंसकी शर्तों के अनुसार हो, नीचे लिखे हुये कामों के लिये किसी स्थानके कारखानेकी तरह या काम काज करने के अन्य स्थानकी तरह काममे लानेकी मनाही करना —

१ वस्तुओंके व्यर्थ अंश (Offal) या रुधिर या हड्डियों या अतड़ियां या चिथड़ों को उबालने या जमा करने के लिये।

२ खालों या सींगों या चमड़ोंको जमा करने के लिये।

३ चमड़ा कमाने के लिये।

४ चमड़ा या चमड़ेकी वस्तुएं तैय्यार करने के लिये।

५ रङ्गने के लिये।

६ चर्बी या गंधक पिघलाने के लिये।

७ ईंट या खपरे या मिट्टीके बरतन या चूना फूंकने या पकाने के लिये।

८ साबुन बनाने के लिये।

९ तेल उबालने के लिये।

१० सूखी घास या भूसा या छप्पर बनानेके फूस या लकड़ी या कोयला या अन्य

ऐसी वस्तुओंको, जो भयदायक रूपसे ज्वलनशील हों, जमा करने के लिये।

११ पेट्रोलियम या कोई ज्वलनशील तेल या स्पिरिट (Spirit) जमा करने के लिये।

१२ रुई या रुईका कूड़ा जमा करनेके लिये या रुईके गट्ठे बनानेको दबाने के लिये।

१३ किसी अन्य मतलबके लिये यदि ऐसा काम जनताके लिये कष्टदायक हो (Public nuisance) या उससे आग लगजानेकी सम्भावना हो।

(बी) उन दशाओंका नियमित करना, और उन रकबों या स्थानोंको नियमित करना, जिनके विषयमें लैसंस दिये जा सकते हों या उनके दिये जाने से मना किया जा सकता है या वह स्थगित किये जा सकते हैं (Suspended) या वापिस लिये जा सकते हैं (परन्तु इस प्रकार नहीं कि कोई ऐसा अधिकार जो बोर्डको दफा २४९ के द्वारा दिया गया हो कम हो जाय)।

(सी) जो स्थान ऊपर बताये हुये किसी काममें लाया जाय उसकी जांचका प्रबन्ध करना और उसके भीतर काम काज किये जानेका प्रबन्ध इस उद्देश्यसे करना कि इस बातका संतोप हो जाय कि वह भीतरसे स्वच्छ रहे, या यह कि उससे जो हानि कारक या घृणित या भयप्रद प्रभाव उत्पन्न हो, या जिनके उत्पन्न होने की सम्भावना हो, वह कम हो जांय।

व्याख्या—

मद (जी) के अंश (ए) में कुछ ऐसे काम गिनाये गये हैं जिनसे जनता के स्वास्थ्य के बिगड़ने की, और दुर्गन्ध आदि से निवासियों को कष्ट पहुचने की सम्भावना होती है। इसलिये म्यूनिसिपलटी को अधिकार दिया गया है कि म्यूनिसिपलटी के भीतर उक्त कामों के लिये लैसन्स दे। परन्तु शर्त यह है कि जो लैसन्स पेट्रोलियम जमा करने आदि के लिये बोर्ड दे उसकी शर्तें ऐसी होना चाहिये कि इंडियन पेट्रोलियम ऐक्ट के हुक्मों से उनका किसी प्रकार विरोध न हो।

पेट्रोलियम के गोदाम के लिये लैसन्स

म्यूनिसिपल मैन्युअल में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित नोट दिया हुआ है —

१ दफा २९८ की उपदफा (२) की मद (जी) के अंश (ए), (बी), और (सी) के द्वारा बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि सिवाय लैसन्सदारों के अन्य शख्सों को पेट्रोलियम का गोदाम रखने की मनाही कर दे। और यह भी अधिकार दिया गया है कि बोर्ड उन दशाओं को, तथा म्यूनिसिपलटी के उन भागों को, जिनमें ऐसा लैसन्स दिया जायगा, या जिसमें ऐसे लैसन्स के देने की मनाही कर दी जायगी, नियमित कर दे। और ऐसे स्थान में काम काज के किये जाने की जांच और प्रबन्ध करे। परन्तु ऐसे बाई लॉजोंका बनाया जाना इस शर्तके आधीन रखा गयाहै कि वे इण्डियन पेट्रोलियम ऐक्ट, सन् १८९९ ई० के, या उसके अनुसार बनाये हुये किसी नियम के, विपरीत न हों।

२ ऐसे पेट्रोलियम का जो कि "खतरनाक न हो" (Non-dangerous), गोदाम रखा जाना, और ऐसे पेट्रोलियमका एक स्थानमें दूसरे स्थान को ले जाया जाना, जब कि उसकी मात्रा ५०० गैलनसे अधिक हो, और "खतरनाक पेट्रोलियम (Dangerous Petroleum) का गोदाम रखा जाना

और एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जाना, जब कि उसकी मात्रा ३ गैलन से अधिक हो, उन नियमों के आधीन होता है जो कि भारत सरकार इण्डियन पेट्रोलियम ऐक्ट की दफा ९ के अनुसार बनाती है। इसका परिणाम यह होता है कि कोई बोर्ड उपरोक्त मात्राओं से अधिक मात्रा के गोदाम के विषय में बाई लॉ नहीं बना सकता। "खतरनाक पेट्रोलियम" की यह मात्रा जो बिना पेट्रोलियम ऐक्ट की आज्ञा के रखी जा सकती है इतनी थोडी है कि बोर्डों को किसी बाई लॉके बनाने की आवश्यकता न होगी। (नोट —खतरनाक पेट्रोलियम का अर्थ है वह पेट्रोलियम जिसका फ्लैशिंग पाइंट फैरनहाईट थर्मामीटर की ७६ डिग्री से नीचा हो। फ्लैशिंग पाइंट के अर्थ के लिये देखिये दफा २ का न० १५ की व्याख्या)। परन्तु उस पेट्रोलियम के विषय में जो खतरनाक न हो, बोर्ड सादे बाई लॉ बना सकते हैं, जैसे कि वह नमूने के बाई लॉ हैं जो म्यूनिसिपल मैन्युअल के पेज ३९६ और ३९७ पर दिये गये हैं, और जो ५०० गैलन तक के गोदाम के विषय में हैं। और बोर्ड उनके ऊपर उसी हिसाब से फीस लगा सकता है जैसी कि अधिक मात्राओं के लिये भारत सरकार लिया करती है।

३ म्यूनिसिपल्टीज एक्ट के अनुसार जो अधिकार कि ५०० गैलन तक की मात्राके लिये लैसन्स देने का बोर्डों को दिया गया है, उसके अतिरिक्त सरकार ने इण्डियन पेट्रोलियम ऐक्ट के अनुसार बोर्डों को यह अधिकार भी दिया है कि म्यूनिसिपल्टी की हदों के भीतर ऐसे पेट्रोलियम के रखने और एक स्थानसे दूसरे स्थानको ले जानेके लिये जो थोक मात्रा (In bulk) न हो और खतरनाक न हो, लैसन्स जारी करे। "थोक मात्रा में पेट्रोलियम" (Petroleum in bulk) का अर्थ है पेट्रोलियम की ऐसी मात्रा जो ५०० गैलन से अधिक हो और जो एक ही पात्र में रखा हो। बोर्डों को इस अधिकार के सौंप दिये जाने का परिणाम यह है कि उन सब व्यापारियों को लैसन्स देना, जो गैर खतरे वाले पेट्रोलियम को टीन में बेचते हैं, या जो थोक मात्रा रखने का यत्न नहीं करते, बोर्डों के अधिकार में है। परन्तु इस प्रकार जो अधिकार सौंपा जाता है, उसके अनुसार जो लैसन्स दिये जाते हैं वह उन नियमों के आधीन होते हैं जो भारत सरकार बनाती है, और बोर्डों को उनके प्रतिकूल, म्यूनिसिपल्टीज ऐक्ट के अनुसार, कोई बाई लॉ न बनाना चाहिये। पाच सौ गैलन से अधिक मात्राओं के लिये लैसन्स नीचे लिखे फारम के अनुसार दिया जाना चाहिये —

फारम (ए)

(भाग २ के प्रकरण ४ का नियम)

खतरनाक पेट्रोलियम के अतिरिक्त अन्य प्रकार का पेट्रोलियम रखने के लिये लैसन्स (थोक में नहीं)।

फीस रु०

न०

इस पत्र के द्वारा गैलन पेट्रोलियम, गोदाम में जिसका वर्णन नीचे दिया जाता है, पेट्रोलियम रखने के उन नियमों के आधीन, जो विज्ञापन नं० २७२ ता० २८ जनवरी सन १९०९ ई० के द्वारा प्रकाशित किये गये थे, और उन शर्तों के आधीन जो लैसन्स के पीछे दिये हुये हैं, लैसन्स दिया जाता है।

ता०

चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड या एक्जिक्युटिव अफसर

ऐसी वस्तुओको, जो भयदायक रूपसे ज्वलनशील हों, जमा करने के लिये।

११ पेट्रोलियम या कोई ज्वलनशील तेल या स्पिरिट (Spirit) जमा करने के लिये।

१२ रुई या रुईका कूड़ा जमा करनेके लिये या रुईके गट्ठे बनानेको दबाने के लिये।

१३ किसी अन्य मतलबके लिये यदि ऐसा काम जनताके लिये कष्टदायक हो (Public nuisance) या उससे आग लगजानेकी सम्भावना हो।

(बी) उन दशाओका नियमित करना, और उन रकबो या स्थानोंको नियमित करना, जिनके विषयमे लैसंस दिये जा सकते हो या उनके दिये जाने से मना किया जा सकता है या वह स्थगित किये जा सकते है (Suspended) या वापिस लिये जा सकते है (परन्तु इस प्रकार नही कि कोई ऐसा अधिकार जो बोर्डको दफा २४१ के द्वारा दिया गया हो कम हो जाय)।

(सी) जो स्थान ऊपर बताये हुये किसी काममें लाया जाय उसकी जांचका प्रबन्ध करना और उसके भीतर काम काज किये जानेका प्रबन्ध इस उद्देश्यसे करना कि इस बातका सतोप हो जाय कि वह भीतरसे स्वच्छ रहे, या यह कि उससे जो हानि कारक या घृणित या भयप्रद प्रभाव उत्पन्न हो, या जिनके उत्पन्न होने की सम्भावना हो, वह कम हो जांय।

व्याख्या—

मद (जी) के अश (ए) में कुछ ऐसे काम गिनाये गये हैं जिनसे जनता के स्वास्थ्य के बिगडने की, और दुर्गन्ध आदि से निवासियों को कष्ट पहुचने की सम्भावना होती है। इसलिये म्यूनिसिपलटी को अधिकार दिया गया है कि म्यूनिसिपलटी के भीतर उक्त कामों के लिये लैसन्स दे। परन्तु शर्त यह है कि जो लैसन्स पेट्रोलियम जमा करने आदि के लिये बोर्ड दे उसकी शर्तें ऐसी होना चाहिये कि इडियन पेट्रोलियम एक्ट के हुक्मों से उनका किसी प्रकार विरोध न हो।

पेट्रोलियम के गोदाम के लिये लैसन्स

म्यूनिसिपल मैन्युअल में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित नोट दिया हुआ है —

१ दफा २९८ की उपदफा (२) की मद (जी) के अश (ए), (बी), और (सी) के द्वारा बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि सिवाय लैसन्सदारों के अन्य शख्सों को पेट्रोलियम का गोदाम रखने की मनाही कर दे। और यह भी अधिकार दिया गया है कि बोर्ड उन दशाओं को, तथा म्यूनिसिपलटी के उन भागों को, जिसमें ऐसा लैसन्स दिया जायगा, या जिसमें ऐसे लैसन्स के देने की मनाही कर दी जायगी, नियमित कर दे। और ऐसे स्थान में काम काज के किये जाने की जाच और प्रबन्ध करे। परन्तु ऐसे बाई लॉओका बनाया जाना इस शर्तके आधीन रखा गयाहै कि वे इण्डियन पेट्रोलियम एक्ट, सन् १८९९ ई० के, या उसके अनुसार बनाये हुये किसी नियम के, विपरीत न हों।

२ ऐसे पेट्रोलियम का जो कि "खतरनाक न हो" (Non-dangerous), गोदाम रखा जाना, और ऐसे पेट्रोलियमका एक स्थानसे दूसरे स्थान को ले जाया जाना, जब कि उसकी मात्रा ५०० गैलनसे अधिक हो, और "खतरनाक पेट्रोलियम (Dangerous Petroleum) का गोदाम रखा जाना

और एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जाना, जब कि उसकी मात्रा ३ गैलन से अधिक हो, उन नियमों के आधीन होता है जो कि भारत सरकार इण्डियन पेट्रोलियम ऐक्ट की दफा ९ के अनुसार बनाती है। इसका परिणाम यह होता है कि कोई बोर्ड उपरोक्त मात्राओं से अधिक मात्रा के गोदाम के विषय में बाई लॉ नहीं बना सकता। "खतरनाक पेट्रोलियम" की वह मात्रा जो बिना पेट्रोलियम ऐक्ट की आज्ञा के रखी जा सकती है इतनी थोड़ी है कि बोर्डों को किसी बाई लॉके बनाने की आवश्यकता न होगी। (नोट —खतरनाक पेट्रोलियम का अर्थ है वह पेट्रोलियम जिसका फ्लैशिंग पाइंट फैरनहाईट थर्मोमीटर की ७६ डिग्री से नीचा हो। फ्लैशिंग पाइंट के अर्थ के लिये देखिये दफा २ का नं० १५ की व्याख्या)। परन्तु उस पेट्रोलियम के विषय में जो खतरनाक न हो, बोर्ड सादे बाई लॉ बना सकते हैं, जैसे कि वह नमूने के बाई लॉ हैं जो म्यूनिसिपल मैन्युअल के पेज ३९६ और ३९७ पर दिये गये हैं, और जो ५०० गैलन तक के गोदाम के विषय में हैं। और बोर्ड उनके ऊपर उसी हिसाब से फीस लगा सकता है जैसी कि अधिक मात्राओं के लिये भारत सरकार लिया करती है।

३ म्यूनिसिपलटीज एक्ट के अनुसार जो अधिकार कि ५०० गैलन तक की मात्राके लिये लैसन्स देने का बोर्डों को दिया गया है, उसके अतिरिक्त सरकार ने इण्डियन पेट्रोलियम ऐक्ट के अनुसार बोर्डों को यह अधिकार भी दिया है कि म्यूनिसिपलटी की हदों के भीतर ऐसे पेट्रोलियम के रखने और एक स्थानसे दूसरे स्थानको ले जानेके लिये जो थोक मात्रा (In bulk) न हो और खतरनाक न हो, लैसन्स जारी करे। "थोक मात्रा में पेट्रोलियम" (Petroleum in bulk) का अर्थ है पेट्रोलियम की ऐसी मात्रा जो ५०० गैलन से अधिक हो और जो एक ही पात्र में रखा हो। बोर्डों को इस अधिकार के सौंप दिये जाने का परिणाम यह है कि उन सब व्यापारियों को लैसन्स देना, जो गर खतरे वाले पेट्रोलियम को टीन में बेचते हैं, या जो थोक मात्रा रखने का यत्न नहीं करते, बोर्डों के अधिकार में है। परन्तु इस प्रकार जो अधिकार सौंपा जाता है, उसके अनुसार जो लैसन्स दिये जाते हैं वह उन नियमों के आधीन होते हैं जो भारत सरकार बनाती है, और बोर्डों को उनके प्रतिकूल, म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट के अनुसार, कोई बाई लॉ न बनाना चाहिये। पाच सौ गैलन से अधिक मात्राओं के लिये लैसन्स नीचे लिखे फारम के अनुसार दिया जाना चाहिये —

फारम (ए)

(भाग २ के प्रकरण ४ का नियम)

खतरनाक पेट्रोलियम के अतिरिक्त अन्य प्रकार का पेट्रोलियम रखने के लिये लैसन्स (थोक में नहीं)।

फीस रु०

नं०

इस पत्र के द्वारा गैलन पेट्रोलियम, गोदाम में जिसका वर्णन नीचे दिया जाता है, पेट्रोलियम रखने के उन नियमों के आधीन, जो विज्ञापन नं० २७२ ता० २८ जनवरी सन १९०९ ई० के द्वारा प्रकाशित किये गये थे, और उन शर्तों के आधीन जो लैसन्स के पीछे दिये हुये हैं, लैसन्स दिया जाता है।

ता०

चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड या डिप्टीजक्युटिव अफसर

"शर्तें जिन पर लैसन्स दिया जायगा"

१ यदि लैसन्स देने वाला अफसर, लैसन्सदार को लिखित नोटिस के द्वारा आज्ञा दे कि गोदाम की किसी प्रकार मरम्मत की जाय जो कि गोदाम की सुरक्षिताके लिये, ऐसे अफसरकी रायमें, आवश्यक हो, तो लैसन्सदार, एक ऐसी अवधि के भीतर, जो नोटिस के द्वारा नियत कर दी जाय, और जो अवधि नोटिस के मिलने की तारीख से एक मास से कम की न हो, ऐसी मरम्मत कर देगा।

२ गोदाम ईंट चूने का अथवा किसी अन्य ऐसे पदार्थ का बनाया जायगा जो सहज से जल उठने वाला न हो, और उस पर साधारण चपटी छत या खपरों की छत या लोहे की छत रहेगी। फर्श टाईल (Tiles) का या ईंट का, या मिट्टी का होगा। परन्तु छत के लट्ठे, कड़िया तथा खम्भे खिड़कियां और दरवाजे लकड़ी के हो सकते हैं।

३ सड़क या गलीकी सतहसे या तो गोदामके दरवाजे तथा प्रवेश करनेके अन्य रास्ते, दो फुट की उचाई पर बनाये जायगे, या गोदामका फर्श सड़क या गली की सतहसे दो फुट नीचा खोद दिया जायगा, जिससे कि यदि उस पात्रमेंसे, जिसमें कि पेट्रोलियम रखा हो वह टपके, तो वह इमारतके बाहर बह के न जा सके। या इमारतके चहुओर ईंट चूनेकी एक भीत या धुस बना दिया जायगा, जिसकी उचाई दो फुट होगी, परन्तु दो फुटसे कम न होगी। जब पेट्रोलियमकी मात्रा जो सञ्चयकी जाय १६ हजार गैलनसे अधिक हो, तो भीत तीन फुट ऊंची होगी या गोदामका फर्श तीन फुट गहरा खोद दिया जायगा।

यह किया जा सकता है कि भीत भी बना दी जाय और साथही साथ फर्श भी खोद दिया जाय।

४ इमारतके चहुओर नीचे लिखे अन्तर तक स्थान खाली रखा जायगा (अर्थात् कोई इमारत आदि न बनाई जायगी)—

अन्तर जो इमारत या भीतके चहुंओर खाली रखा जायगा।	गैलनोंकी संख्या जो रखी जा सकेगी।
कोई अन्तर नहीं ..	५००० या कम
२० फुट	५००० से अधिक और ५०००० तक
३० फुट	जितनी संख्या चाही जाय रखी जाय।

५ गोदामके भीतर किसी प्रकारकी रोशनी करनेकी आज्ञा न होगी, सिवाय ऐसी रोशनीके जिसकी शक्ति और स्थान और रक्षण ऐसे हों कि वह किसी उबलनशील भापमें अग्नि उत्पन्न न कर दे। न किसी प्रकारकी अग्नि जलानेकी आज्ञा होगी।

—फारम (ए.) पर जो लैसन्स दिये जायँगे उनके लिये नीचे लिखे दरसे फ़ीस ली जायगी और वह लैसन्स देने वाले बोर्डके हिसाबमें जमा की जायगी —

(ए)	जब वह मात्रा जो गोदाममें रखी जाय ५०० गैलनसे अधिक हो परन्तु एक हजार गैलनसे अधिक न हो—	रु० १२)
(बी)	जब मात्रा जो गोदाममें रखी जानेको हो एक हजार गैलनसे अधिक हो, परन्तु ५००० से अधिक न हो।	१२) रु० पहिले १००० गैलनके लिये, और उसके ऊपर प्रत्येक १००० गैलनके लिये या उसके किसी भागके लिये २) रु०।

(सी) जब मात्रा ५००० गैलनसे अधिक हो परन्तु ५०००० गैलनसे अधिक न हो।	२०)रु० ५००० पाच हजार गैलनके लिये और उसके ऊपर प्रत्येक १००० गैलन के लिये या उसके भागके लिये ४)रु०
(डी) जब मात्रा जो गोदाममें जमा की जाने को हो ५०००० गैलनसे अधिक हो।	२५०) रु०

—प्रत्येक लैसन्स जो इण्डियन पेटोलियम ऐक्टके अनुसार दिया जायगा उसकी अवधि उस ३१ दिसम्बर तक रहेगी जो लैसन्स देनेके बाद पड़े।

—इण्डियन पेट्रोलियम ऐक्टके अनुसार प्रत्येक लैसन्सके लिये दरख्वास्त देने वालेको दरख्वास्त पहले जिला मजिस्ट्रेटकी सेवामें देना पड़ेगी जो इन सब दरख्वास्तोंको जिन सम्बन्धमें बोर्डको अधिकार प्राप्त होगा बोर्डके पास भेज देगा। लैसन्स बदलवानेके लिये दरख्वास्तें उस तारीखसे तीस दिन पहिले दी जाना चाहिये जिसदिन कि पहिले वाले लैसन्सकी अवधि समाप्त हो।

—किसी ऐसे शख्सके लिये जिसको म्यूनिसिपल बोर्ड दफा २९८ की मद (जी) के हुक्मके अनुसार लैसन्स देनेसे मना कर देता है क्या उपाय है, और अदालतको बोर्डके हुक्ममें हस्तक्षेप करनेका अधिकार है या नहीं ? इन प्रश्नोंके लिये मनुआ वगैरा बनाम सरकार बहादुर 17 A. L. J. 976, और मन्नू बनाम सरकार बहादुर 18 A. L. J. 187 वाली नजीरों पर विचार करना चाहिये। दोनों मुकद्दमे एकही मामलेके सम्बन्धमें हुये हैं। कानपुर म्यूनिसिपलबोर्ड और मनुआ या मन्नूका झगड़ा सन १९१४ ई० से आरम्भ हुआ। उक्त वर्षमें म्यूनिसिपलबोर्डने यह निश्चय किया कि एक आराजी जिस पर मनुआ की लकड़ी की टाल है आराजी नजूल है और यह कि मनुआ वगैरा ने उस पर टाल बिना इजाजत के रख ली है। मनुआ वगैर का कहना था कि झगड़े वाली आराजी नजूल नहीं है और वह उनके कब्जे में ५० वर्ष से है। सन् १९१८ ई० में बोर्ड ने फिर एक रेजोल्यूशन पास किया कि मनुआ वगैर को इस आराजी पर टाल रखने का लैसन्स न दिया जाय।

उपरोक्त प्रश्नों के सम्बन्ध में माननीय मिस्टर जस्टिस पिगट ने जो कुछ लिखा है उसका सारांश नीचे दिया जाता है —

"इस मामले में बोर्ड की एक विशेष स्थिति है क्योंकि बोर्ड झगड़े वाली आराजी को नजूल ठहरा के स्वयं उस पर अधिकार जमाना चाहता है। प्रश्न यह है कि क्या बोर्ड को क़ानून के द्वारा यह अधिकार प्राप्त है कि मनुआ वगैरा को लैसन्स न देकर उन पर यह दबाव डाले कि वह झगड़े वाली आराजी को खाली कर दें। जब कोई शख्स नियमानुसार लैसन्स के लिये अर्जी दे तो बोर्ड को यह अधिकार नहीं है कि अपने लाभ के लिये वह किसी को लैसन्स देने से मना कर दे। लैसन्स न देने का अधिकार बोर्ड को केवल सर्वसाधारण की सुरक्षिता, स्वास्थ्य आदि के विचार से है।

मन्नू की ओर से यह प्रार्थना की जाती है कि अदालत यह फैसला करे कि बोर्ड को यह रेजोल्यूशन पास करने का अधिकार नहीं था कि हम लोगों को लैसन्स न दिया जाय, और यह कि यदि इस अदालत को यह विश्वास हो जाय कि बोर्ड ने अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग किया है, तो यह अदालत सजा के हुक्म को रद कर सकती है। मन्नू की ओर से सरकार बहादुर बनाम बालकृष्ण का मुकद्दमा पेश किया जाता है। इस मुकद्दमे में इस अदालत के सामने यह प्रश्न था कि एक बाई-लॉ, जिसके उल्लंघन के लिये एक शख्स को दण्ड दिया गया था, उचित बाई-लॉ था या नहीं। अदालत ने निश्चय किया कि उक्त बाई-लॉ अनुचित था और यह कि ऐसा बाई-लॉ पास

करना बोर्ड का अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग करना था। परन्तु बालकृष्ण वाला मामला इस मुकद्दमे के समान नहीं था। मन्नू आदि ने जिस बाई लॉ का उल्लंघन किया है वह एक उचित और ठीक बाई-लॉ है और मन्नू आदि की यह भूल थी कि उन्हों ने बोर्ड को लैसन्स के लिये अर्जी नहीं दी।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भूतपूर्व म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट के अनुसार हुक्म इम्तनाई का दावा म्यूनिसिपल बोर्ड पर किया जा सकता था कि वह मुद्दई के उस अधिकार में हस्तक्षेप न करे जिसके द्वारा मुद्दई कोई व्यापार या व्यवसाय जायज रूप से किसी विशेष स्थान में करने का अधिकार रखता है। परन्तु वर्तमान ऐक्ट नं० २, सन १९१६ ई० के अनुसार अदालत दीवानी का अधिकार दफा ३१८ और दफा ३२१ के द्वारा सीमा बद्ध कर दिया गया है। उक्त दफाओं के हुक्म के अनुसार, कोई शख्स, जो दफा २९८ की मद (जी) के किसी हुक्म से असतुष्ट हो, वह केवल उस ऊंचे अधिकारी को जो उक्त दफाओं में अङ्कित है, अपील कर सकता है। अन्य कोई उपाय उसके लिये नहीं है। साथही साथ यह बात भी स्पष्ट नहीं है कि म्यूनिसिपल बोर्ड पर हुक्म इम्तनाई का दावा इस प्रार्थना से नहीं किया जा सकता कि वह बाध्य किया जाय कि किसी विशेष व्यापार को किसी विशेष स्थान पर करने के लिये लैसन्स दे। परन्तु ऐसी दशा में यह शर्त होगी कि मुद्दई, बाई-लॉओं की सब शर्तों के आधीन लैसन्स लेने को तैयार हो, और अदालत को इस बात का सन्तोष दिला सके कि बोर्ड ने लैसन्स की मनाही किसी ऐसे कारणों से कर दी है जिनका सर्वसाधारण के स्वास्थ्य, सुरक्षिता आदि से कोई सम्बन्ध नहीं है।"

इस तजवीज के उपरान्त मन्नू वगैरा ने म्यूनिसिपल बोर्ड को लैसन्स के लिये अर्जी दी। पर बोर्ड ने बिना किसी कारण के लिखे तुरन्त अर्जी ना मंजूर कर दी। मन्नू ने फिर भी अपनी टाल नहीं हटाई। बोर्ड ने मन्नू पर फिर मुकदमा चलाया और उसको सजा हुई। मन्नू ने इस हुक्म की निगरानी फिर हाईकोर्ट में की। मन्नू की ओर से यह बहस की गई कि लैसन्स के सम्बन्ध में जो बाई-लॉ हैं, यदि वे सब दृष्टि में रखे जाय तो यह मानना होगा कि बोर्ड को प्रत्येक ऐसे शख्स को लैसन्स देना होगा जो बाई-लॉओं की शर्तों का पालन करने को तैयार हो। केवल उसी दशा में बोर्ड लैसस देने से मना कर सकता है जब यह प्रगट हो कि लैसंस का दिया जाना म्यूनिसिपलटी के निवासियों के स्वास्थ्य आदि के लिये हानिकारक होगा। तजवीज के आवश्यक भाग का साराश नीचे दिया जाता है —

"बहस में यह बात मानी गई है कि मन्नू की अर्जी नामंजूर करते हुये यदि बोर्ड ने यह कारण लिखा होता कि जनता के स्वास्थ्य आदि के विचार से ऐसे कारण हैं कि उनसे लकड़ी की टाल रखने का लैसन्स दिया जाना अनुचित है तो ऐसे मुकद्दमे में, जैसा कि मन्नू पर चलाया गया है, अदालत फौजदारी को यह निर्णय करने का अधिकार न होता कि बोर्ड ने लैसन्स की मनाही काफी कारणों से की थी या नहीं। मेरी भी निश्चित यही राय है। मन्नू के पक्ष में जो सब से मजबूत नजीर पेश की गई है अर्थात् हाजी इसमाईल हाजी इसहाक बनाम बम्बई के म्यूनिसिपल कमिश्नर (1902) I L R 28 Bom 253, उसकी तजवीज में यह बात लिखी गई है कि जब तक स्पष्टतया यह बात प्रगट न हो कि कोई म्यूनिसिपल कमिश्नर अपने अधिकारोंको उस उद्देश्य से नहीं बरतता जिसके हेतु उसको वह अधिकार सौंपे गये हैं बरन किसी अन्य मतलब से, तब तक अदालत म्यूनिसिपल कमिश्नर के हुक्म को रद करके उसके बदले अपना हुक्म नहीं दे सकती, न किसी ऐसे मामले में (जैसे कि लैसन्स की मनाही कर दी जाना) अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। अब

मुकद्दमे में मन्नू की ओर से यह कहा जाता है कि बोर्ड ने लैसन्स देने से मनाही इस कारण से नहीं की है कि उक्त मनाही से म्यूनिसिपलैटी के निवासियों के स्वास्थ्य रक्षा आदि की क्षति होगी। वरन मनाही का कारण यह है कि बोर्ड मन्नू पर अनुचित दबाव डालना चाहता है कि मन्नू उस आराजी को छोड़ दे। क्योंकि बोर्ड जानता है कि लकड़ी की टाल रखने के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार झगड़े वाली आराजी मन्नू के काम में नहीं आ सकती। मिसिल में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे यह विदित हो कि बोर्ड की राय में उक्त टाल से निवासियों के स्वास्थ्य आदि पर कोई प्रभाव पड़ेगा। इसलिये बहस के लिये मैं यह माने लेता हूँ कि इस मामले में म्यूनिसिपल्टी के निवासियों के स्वास्थ्य आदि का कोई प्रश्न नहीं है। अतएव मेरी समझ में कानूनी प्रश्न जो उपस्थित होता है वह यह है —मन्नू को लैसन्स नहीं दिया गया तो भी वह झगड़े वाली आराजी पर लकड़ी की टाल रखे रहा और इसलिये उसने कानून का उल्लंघन किया। क्या अदालत को यह अधिकार है कि, केवल इस कारण कि म्यूनिसिपल बोर्ड ने अपने अधिकारों को दफा २९८ के आशय के अनुसार नहीं बरता है, वरन अन्याय के साथ बरता है, वह ऐसे उल्लंघन के लिये जो दण्ड ऐक्ट नं० २ सन १९१६ ई० में रखा गया हो देने से मना कर दे।

यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि उपरोक्त मुकद्दमा स्पेसिफिक रिलीफ ऐक्ट नं० १ सन१८७७ई० (Specific relof Act 1877) की दफा ४५का था। उक्त दफा के हुक्म केवल प्रेसिडेंसी टाउन्स् पर लागू हैं। वे इस मुकद्दमा पर लागू नहीं हो सकते।

अन्य हाईकोर्टों के मुकद्दमे जिनमें यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि म्यूनिसिपल बोर्ड ने अपने अधिकारों का उचित प्रयोग किया या नहीं निम्न लिखित हैं —

सोनू पिले बनाम म्यूनिसिपल काउन्सिल मायावरम I L. R 28 Mad 520 इस मुकद्दमे में मदरास हाईकोर्ट की राय में म्यूनिसिपल बोर्ड ने उस स्वाधीनता का अनुचित प्रयोग किया था जो कि उसको लैसन्सों के देने या न देने के सम्बन्ध में दिये गये हैं। योग्य जजों ने तजवीज में यह लिखा है कि म्यूनिसिपल बोर्डों का कर्तव्य है कि अपने अधिकारों को न्याय के साथ और ठीक २ बरतें। परन्तु जो प्रश्न इस समय मेरे सामने उपस्थित है उसमें इस नजीर से कुछ सहायता नहीं मिलती। उक्त मुकद्दमे में अदालत को केवल इतना निश्चय करना था कि एक मुआहिदा कानून के अनुसार पूरा कराया जा सकता है या नहीं और हाईकोर्ट ने निर्णय किया कि मुआहिदा पब्लिक पॉलिसी (सार्वजनिकनीति)के विरुद्ध है।

ऐसे ही दो मुकदमे कलकत्ता हाईकोर्ट में भी हुये हैं। यदि उन मुकद्दमों का अनुसरण किया जाय तो मन्नू की अर्जी तुरन्त खारिज होना चाहिये। वह मुकद्दमे यह हैं —

मोरन बनाम चेयरमैन मोतीहारी म्यूनिसिपल्टी I L R. 17 Cal 329 और सरकार बहादुर बनाम मुकुन्द चन्द्र चटरजी I L R 20 Cal 654

विशेष कर मुकुन्द चन्द्र चटरजी का मुकद्दमा बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें योग्य जजों की यह स्पष्ट राय थी कि म्यूनिसिपल बोर्ड ने अपने अधिकारों का अनुचित प्रयोग किया था। ऐसा निश्चय करते हुये भी उन्होंने यह साधारण उसूल तजवीज में नियमित किया कि बंगाल म्यूनिसिपल ऐक्टके अनुसार बाजार लगानेके लिये लैसन्स देनेका या लैसन्स देनेसे मनाकर देनेका अधिकार पूर्णतया म्यूनिसिपल कमिश्नरों को है। यह अधिकार चाहे कितनेही मनमाने रूप से बरता जाय, तो भी किसी अदालत को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हो सकता।

मन्नू की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुकद्दमा गंगानारायण बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड कानपूर I L R 19 All 313=1907 A W N 65 भी पेश किया जाता है। इस मुकद्दमे की तजवीज में कुछ ऐसी बातें अवश्य कही गई हैं जिनसे मन्नूके पक्ष में सहायता मिलती है। परन्तु उस मुकद्दमे में कोई ऐसा कानूनी प्रश्न तय नहीं हुआ था कि उसके आधार पर मन्नू का मुकद्दमा फैसल किया जा सके (देखिये दफा २४१ की व्याख्या) इस हाईकोर्ट का दूसरा मुकद्दमा जो पेश किया जाता है वह सरकार बहादुर बनाम बालकृष्ण I L R 24 All 439 है। इस मुकद्दमे में यह तजवीज हुआ था कि किसी बाई-लॉ के उल्लंघन के लिये दण्ड देने से पूर्व अदालत को इस बात की जाच करने का अधिकार प्राप्त है कि बाई-लॉ स्वय उचित है या नहीं। परन्तु इस मुकद्दमे मे यह प्रश्न नहीं है कि जो बाई लॉ कानपुर म्यूनिसिपल बोर्ड ने दफा२९८ की मद (जी) के अनुसार पास किये हैं वह उचित हैं या नहीं। कानपूर म्यूनिसिपलटी के उक्त बाई-लॉ स्पष्टत उचित हैं और उनके द्वारा म्यूनिसिपलटी के निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षिता आदि की उन्नति अवश्य हो सकती है। मेरे सामने जो प्रश्न है वह यह है कि क्या यह कहा जा सकता है कि जो अधिकार बोर्ड को कानून और बाई लॉओं के द्वारा दिये गये हैं उनका बोर्डने अनुचित प्रयोग किया है या नहीं, और यदि किया है तो उनका एक ऐसे फौजदारीके मुकद्दमे में, जैसा कि मन्नूपर चलाया गया है क्या असर पडता है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि दफा२९८ की मद(जी)के अनुसार बनाये हुये बाई लॉ के अनुसार जो हुक्म किसी लैसन्स की मनाही कर देने के लिये दिया जाय उस हुक्म के विषय में यह कहा जा सकता है कि वह उक्त बाई लॉ के अनुसार दिया गया है, ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक हुक्म जिसके द्वारा लैसन्स प्रदान किया जाता है वह दफा २९८ की मद (जी) का हुक्म होता है। अर्थात् अर्जी दिये जाने पर चाहे लैसन्स की मनाही कर दी जाय या मजूरी देदी जाय, दोनो ही प्रकारके हुक्म दफा २९८ (जी)के हुक्म कहलायेंगे। अतएव निस्सन्देह मन्नूको यह उपाय कानून ने दिया था कि मन्नू उस हुक्म की अपील दफा ३१८ के अनुसार करता। यदि मेरा यह विचार ठीक है तो यह बात निश्चित है कि लैसन्स देने की मनाही कर देने के हुक्म में कोई दीवानी की अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। किन्तु इस प्रश्न पर मैं अपनी कोई अन्तिम राय नहीं देता क्योंकि इसमें यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि एक प्रान्तीय ऐक्ट के बनाने वाली व्यवस्थापक काउन्सिल को यह अधिकार है या नहीं कि ऐसे मामले मे अदालतों के अधिकार को लेले"।

[एच] सार्वजनिक सुरक्षिता और सुख

(ए) निश्चित बांट और नाप नियमित करना जो म्यूनिसिपलटी के भीतर काममे लाये जायंगे और उनकी जाच का प्रवन्ध करना।

(बी) उस दशा मे जब कि ऐसा प्रबन्ध या मनाही बोर्डको आवश्यक जान पड़े, सडकों या गलियों मे किसी प्रकार की आवा जादीके प्रबन्ध करने या मनाही करनेकी व्यवस्था करना।

(सी) उन गाड़ियों या नावों या पशुओंके मालिको या चलाने वालों पर, जो म्यूनिसिपलटी की हदों के भीतर किराये के लिये रखे जाते या चलाये जाते हों, या ऐसे शख्सों पर जो उक्त हदो के भीतर मजदूरी लेकर बोझ लादने का काम करते हों, लैंससों के लेने की जिम्मेदारी लगाना, और ऐसे लैससों पर जो फीस ली जायगी

उनको नियत करना और उन शर्तों को नियत करना जिन पर ऐसे लैसस दिये जायगे या वापिस लिये जायगे।

(डी) उन दरों को बाध देना जो किसी गाड़ी, या छकडे, या नाव, या अन्य सवारी, के किराये के विषय मे मागे जा सकते है, या जो उन पशुओं के विषयमें जो बोझ लेजाने के लिये किराये किये जाय, या उन शख्सोंकी मजदूरी के विषयमें जिनसे बोझ लादने का काम मजदूरी देकर लिया जाय, मागे जा सकते हैं, और उन बोझों का बाध देना जो ऐसी सवारी या पशुओं या शख्सों को ले जाना चाहिये जब कि वह म्यूनिसिपलटी के भीतर, किसी ऐसी अवधि के लिये जो चौबीस घंटे से अधिक न हो, किराये किये जांय, या किसी ऐसी सेवा के लिये किराये किये जाय जो साधारणत चौबीस घटे के भीतर पूरी करदी जाना चाहिये।

(ई) किसी विशेष सडक या गली या किसी विशेष रकबे मे आम रडियों के रहने, और चकलों के स्थापित करने, या किसी मकान या इमारत को आम रडियों को या चकलेके लिये किराये पर देने, या अन्य प्रकार अलग करने, की मनाही।

(एफ) विज्ञापनो (Bills) और इश्तहारों के चिपकाने का प्रबन्ध करना।

(जी) ऐसे स्थानों का नियत करना और उनके काम मे लाये जाने का प्रबन्ध करना जहा नावें बांधी जा सकें, या लादी जा सकें, या उनका बोझ उतारा जा सकें, और सिवाय ऐसे स्थानों के जो कि बोर्ड नियत करे, अन्य स्थानो मे नावो के बाधने, या उनको लादने, या उनका बोझ उतारनेकी, मनाही करना।

(एच) ऐसे पशुओं के जो म्यूनिसिपलटी के भीतर मारे मारे फिरते पाये जाय पकड़ने और जब्त कर लेने का प्रबन्ध करना।

(आई) कुत्तो की रजिस्ट्री किये जाने का प्रबन्ध करना।

(जे) ऐसी रजिस्ट्री किये जानेके विषय मे वार्षिक फीस लगाये जानेका प्रबन्ध करना

(के) यह आज्ञा देना कि रजिस्ट्री किया हुआ प्रत्येक कुत्ता ऐसा पट्टा पहिने रहे कि जिसमें एक चिन्ह, जो बोर्ड की ओर से दिया जाय, लगा रहे।

(एल) यह प्रबन्ध करना कि सिवाय उन कुत्तों के जिनकी रजिस्ट्री की गई हो, और जो ऐसा चिन्ह पहिनेहो, अन्य कोई कुत्ता, यदि वह किसी सार्वजनिक स्थान मे पाया जाय, मार डाला जाय, या अन्य प्रकार ठिकाने लगाया जाय।

(एम) जनता की सुरक्षिता या सुख मे वृद्धि करने के उद्देश्य से किसी ऐसे काम की मनाही करना, या किसी ऐसेकाम का प्रबन्ध करना, जो जनताके लिये कष्ट प्रद हो, या जिससे जनता के लिये कष्ट उत्पन्न होने की सम्भावना हो, और जिसकी मनाही या प्रबन्ध के लिये इस मद मे कोई हुक्म न दिया गया हो।

[आई] आरोग्यता और बीमारीका रोकना

(ए) जनता के स्वास्थ्य बिगडने के भय को रोकने के उद्देश्य से घोड़ों, या ऊटों, या ढोर या सुअरो, या गधों, या भेड़, या बकरियो, को इकट्ठा बाधने या जमा करने

का प्रवन्ध करना या मनाही करना।

(बी) ऐसे दूध मक्खन आदि के कारखानों, या ढोर बांधने के घरोंका, जो दूध मक्खन के कारखाने वालों, या दूध बेचने वालों के कब्जे में हो, निर्माण, और उनका परिमाण, और उनमें वायु के आने जाने के उपायों और रोशनी, और उनको स्वच्छ किये जाने, और पानी के निकास, और पानी पहुँचनेके लिये उपाय, नियमित करना और उनका प्रबन्ध करना और दूध देने वाले ढोरों की जाच के लिये व्यवस्था करना, और दूध जमा करनेके स्थानों, और दूधकी दूकानों, और उन पात्रोंके, स्वच्छ रखने का प्रवन्ध करना, जिनको दूध या मक्खन बेचने वाले दूध या मक्खन के लिये काम में लाते हों।

(सी) कबरिस्तानों और मरघटों के काम में लाये जाने और उनके प्रवन्ध की निगरानी और व्यवस्था, करना और उस दशा में जब कि उनके लिये स्थान बोर्ड ने दिया हो, उन फीसों का नियत करना जो ली जायंगी और कबरिस्तानों या मरघटों को मृतशरीर ले जानेके लिये किसी मार्गोंका नियमित करना या मनाही करना।

(डी) आरोग्यता और सफाई का प्रबध करना।

(ई) यह घोषित करना कि कोई स्थान (सिवाय उस दशा के कि उसको विशेष रूप से इस हुक्मसे माफी दीगई हो) ठहरनेके मकानकी तरह (Lodging House) काम में न लाया जाय, जब तक कि बोर्ड ने जायज रूप से उसको इस प्रकार काम में लाये जाने के लिये लैसस न दे दिया हो, और उन शर्तों को नियमित करना जिनके आधीन ऐसे लैसस दिये जा सकते है, या उनके देने से मना किया जा सकता है, या यह स्थगित किये जा सकतेहै, या वापिस लिये जा सकते है, और वह फीसे नियत करना जो ऐसे लैससों के लिये ली जा सकती है।

(एफ) उस दशा में जब कि कोई ऐसा बाई-लॉ न हो जो इससे पहले वाली उपदफा के अनुसार बनाया गया हो ठहरने के मकानों की रजिस्ट्री किये जाने, और उनकी जाच (मुआइना) के लिये आज्ञा देना और उनमें एक उचित सख्या से अधिक लोगों के रहने को रोकना, और सफाई और वायु के आने जाने के उपायों की वृद्धि करना, और यह नियमित करना कि किसी फैलने वाले या स्पर्श जन्य रोग के उनमें उत्पन्न होने पर कैसे नोटिस दिये जायगे, और बचत के लिये क्या पूर्वोपाय किये जायगे, और आम तौर से ठहरने के मकानों के उचित प्रवन्ध के लिये हुक्म देना।

(जी) किसी विशेष रकबोंमें, सिवाय बोर्ड की आज्ञा के, किसी स्थान को खोदने की मनाही करना, या चहबच्चे, या तालाब, या गड्ढे, खोदने की मनाही करना, और उन शर्तों को अकित करना जिनके आधीन कि ऐसी आज्ञा दी जा सकेगी।

(एच) आरोग्यता और बीमारीके रोकने के उद्देश्य से किसी ऐसे कामकी मनाही करना या उसका प्रवन्ध करना जिससे जनताके लिये कोई कष्टदायक बात उत्पन्न हो या उत्पन्न होने की सम्भावना हो और जिसकी मनाही या प्रवन्ध के लिये कोई हुक्म इस मद में न दिया गया हो।

नोट —क्लाज (एफ) के सम्बन्ध में देखिये दफा २४१ की व्याख्या।

[जे] विविध—मुतफर्रिक

(ए) किसी ऐसे कामकी मनाही या प्रवन्ध करना जिसके कारण जनताके लिये कोई कष्ट दायक बात (Public Nuisance) उत्पन्न होती हो, या उत्पन्न होनेकी सम्भावना हो, और जिसकी मनाही या प्रवन्धके लिये इस ऐक्टके द्वारा, या इस ऐक्टके अनुसार, किसी अन्य स्थानमें कोई हुक्म न दिया गया हो।

(बी) म्युनिसिपलटीके भीतर जन्म और मृत्यु (पैदाइश और मौत) और विवाहोंकी घटनाओंका रजिस्टरमें चढाये जानेका प्रबन्ध करना, और मनुष्य गणना करना, और ऐसी सूचनाके दिये जानेको अनिवार्य कर देना जिनकी आवश्यकता इस कारण हो कि रजिस्टर ठीक प्रकार भरे जा सकें, या मनुष्य गणना ठीक प्रकार की जा सके।

(सी) म्युनिसिपलटीके भीतर किसी ऐसी वस्तुको जो श्रीमान् भारत सम्राटकी, या बोर्डकी, जायदाद हो, या जो बोर्डकी निगरानीमें हो, हानिसे या उसमें हस्तक्षेप किये जाने से, बचाने के लिये।

(डी) किसी ऐसे खर्चों या फीसोंको नियत करना, या किसी खर्चों या फीसोंकी दरको नियत करना, जो दफा १९६ (सी) के अनुसार मैला उठवाने या पाखानों या पेशाबखानोंको साफ कराने के विषयमें, या म्युनिसिपलटीकी किसी अन्य सेवा या कामके विषयमें, ली जायगी, या जो ऐक्टकी दफा २९३ (१) या दफा २९४ के अनुसार दी जायगी, और उन समयोंका नियमित करना जिनपर ऐसे खर्चे या फीसें दी जायगी, और उन शख्सोंका नियत करना जिनको इन विषयोंका रुपया लेनेका अधिकार होगा।

(ई) म्युनिसिपलटीके भीतर और बोर्डकी निगरानीमें मेलोंके लगानेका प्रबन्ध करना, और दस्तकारीकी प्रदर्शनी लगानेका प्रबन्ध करना, और वह फीसें नियत करना जो उनमें ली जायगी।

(एफ) इस बातकी आज्ञा देना और उसका प्रबन्ध करना कि उन इमारतों और आराजियों, जो म्युनिसिपलटीमें हों, के मालिकों की ओरसे ऐसे शख्सों की नियुक्ति की जाय जो म्युनिसिपलटीके भीतर या म्युनिसिपलटीके समीप रहते हों, इस उद्देश्यसे कि वह इस ऐक्ट, या किसी नियम, या बाई-लॉ, के सब मतलबोंके लिये, या किसी मतलबके लिये उनके एजेन्टकी तरह काम करें।

(जी) ऐसे रजिस्टर आदि और कागजोंको निश्चित कर देना जो बोर्ड के हों, या बोर्ड के कब्जेमें हों, जिनका मुआइना किया जा सकता है, या जिनकी नकलें दी जा सकती हैं, और उन फीसोंका निश्चित करना जो ऐसे रजिस्टर आदि या कागजों के मुआइना या नकलोंके विषयमें ली जायगी, और मुआइना किये जाने और नकलें दिये जानेका प्रबन्ध करना।

(एच) दवाओंके बेचने के लिये, और दवायें मिलाकर देने के लिये, लैसंस देनेका प्रबन्ध करना।

सूची नं० २

उपरोक्त बाई-लॉओंके अतिरिक्त किसी पहाड़ी म्यूनिसिपलटी के लिये अन्य बाई-लॉ

[एच] सार्वजनिक सुरक्षिता और सुख

(एन) वृक्षों या झाडियोंके काटने, या नष्ट करने, या भूमिको खोदने, या मिट्टी उठाने, या कङ्कड पत्थर निकालनेका प्रबन्ध करना, या मनाही करना, और इमारतों तथा-हातोंमें परिवर्तन करने, उनकी मरम्मत करने, और उनको उचित रूपसे कायम रखने के सम्बन्धमें, और सडकों और पगडडियों के बन्द करने के सम्बन्धमें, और किसी पहाड़ीके पार्श्वमें किसी चौरस आराजीकी आम तौरसे रक्षा करने के सम्बन्धमें, प्रबन्ध करना, जहां कहीं ऐसे बाई लॉ पानी पहुँचाने के उपायोंको कायम रखने के लिये, या भूमिको रक्षित रखने के लिये, पहाडोंको टूटके गिर जानेसे रोकने के लिये, या नाले बन जानेको या जलके सवेग प्रवाहके स्थान बन जाने से रोकने के लिये, या भूमिको पानीके कटावसे बचाने के लिये, या उसपर बालू या कङ्कड या पत्थर जमा न होने देने के लिये, बोर्डको आवश्यक जान पडे।

(ओ) किसी ऐसी इमारतके सबसे ऊपर वाले खण्ड (मंजिल) में अग्नि प्रज्वलित करने की मनाही करना जिसमें, अन्य इमारतोंके उसके समीप होनेके कारण, आग लग जानेकी दशामें उपरोक्त इमारतोंके लिये भय हो, और जिस खण्डकी भीत सात फुटसे अधिक ऊँचाईकी न हो, या लेम्पों (Lamps) या मोमबत्तियों के लिये रखने की जगह किसी ऐसे स्थानमें बनाने, या खड़ा करने, की मनाही करना, जिसको बोर्ड सर्वसाधारणकी सुरक्षिताके लिये भयप्रद समझे।

(पी) सडकके नियमके विषयमें प्रबन्ध करना।

(क्यू) म्यूनिसिपलटीके भीतर निम्नलिखित शख्सों आदिके लिये लैसंस लेना आवश्यक ठहरा देना —

१ उन लोगोंके लिये जो माल ले जानेका काम मजदूरी लेकर (Job-portors) करते हैं।

२ उन पशुओं, और गाडियों, और सवारियों के लिये, जो एक दिनके लिये, या एक दिनके किसी भागके लिये, किरायेपर दी जाय।

३ उन शख्सोंके लिये जो ऐसी गाडियों और सवारियोंको ढकेलते या ले जाते हों

(आर) उन शर्तोंको नियमित करना जिनके आधीन ऐसे लैसंस दिये जा सकते हों, या मना किये जा सकते हों, या स्थगित किये जा सकते हों, या वापिस लिये जा सकते हों।

(एस) उन फीसो (अर्थात् मजदूरी या किराया) को निश्चय करना जो उपरोक्त मजदूरी पर माल ले जाने वाले शख्स लें, या जो ऐसे पशुओ और गाडियो और अन्य सवारियोंके किरायेपर देने के लिये ली जाय, और उन शख्सोंका बदलाव निश्चय करना जो ऐसी गाड़ियो या सवारियोको ढकेले या ले जाय।

[आई] आरोग्यता और बीमारीका रोकना

(आई) बाजारोंके भीतर इमारतों अथवा आराजियोंको अस्तबल, या गौ स्थानकी तरह, या भेडों बकरियो, या मुर्गा मुर्गी रखने के स्थानकी तरह, काममे लाने के लिये लैससोंका लिया जाना, आवश्यक ठहरा देना।

(जे) इमारतों और घसे हुये स्थानोंमे एक उचित सख्या से अधिक लोगो के रहने को रोकना।

[जे] विविध—मुतफर्रिक़

(आई) आमतौरपर या किसी विशेष महीनोंमें उन लोगोंके रजिस्टरमें चढ़ाये जाने (अर्थात् लिखे जाने) का प्रबन्ध करना जो म्यूनिसिपलटीके भीतर प्रवेश करे या जो उससे बाहर जाय।

दफा २९९ नियमों और बाई-लॉओंका उल्लंघन करना

१ किसी नियमके बनाने पर प्रान्तीय सरकार, और किसी बाई-लॉके बनाने पर प्रान्तीय सरकारकी मजूरीसे बोर्ड, यह आज्ञा दे सकता है कि उसकी आज्ञाके उल्लघनके लिये जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा जिसकी सख्या पाच सौ रुपये तक हो सकती है, और उस दशामें जब कि उल्लघन ऐसा हो, जो लगातार जारी रहे तो पहिली बेर अपराध साबित होनेकी तारीखके उपरान्त, प्रत्येक ऐसे दिनके विषयमें जिसमे यह साबित हो कि अपराधीने अपराधके करनेमें आग्रह किया है, और अधिक जुर्माना किया जायगा, जिसकी सख्या पाच रुपये तक हो सकती है।

२ इसी प्रकारकी मजूरी प्राप्त करके, बोर्ड इसीके सदृश दण्ड, किसी ऐसे नियमके उल्लघनके लिये नियमित कर सकता है, जो जायज रूपसे मुमालिक मगरबी व शुमाली और अवधके म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट सन् १८७३ ई० के अनुसार बनाया गया हो, और जो अब तक प्रचलित हो।

व्याख्या—

विज्ञापन No 50 XI 118 H, तारीख ९ जनवरी सन १९१८ ई० के द्वारा यह घोषित कर दिया गया है कि किसी बाई लॉके उल्लघनके लिये जो दण्ड बोर्ड निश्चित करे उसकी मजूरी देने का अधिकार प्रान्तीय सरकारने कमिश्नरोंको सौंप दिया है।

दफा ३०० सरकार द्वारा बनाये हुये नियमों आदिका पहलेसे प्रकाशित किया जाना

१ इस प्रकरणके अनुसार नियम अथवा रेग्युलेशन बनानेका प्रान्तीय सरकारका अधिकार, इस शर्तके आधीन होगा कि नियम अथवा रेग्युलेशन पहलेसे प्रकाशित कर दिये जानेके पश्चात् बनाये जांय, और यह कि जब तक वे सरकारी गजटमें प्रकाशित न कर दिये जायगे वे प्रभावयुक्त न माने जायगे।

२ कोई नियम अथवा रेग्युलेशन जो प्रान्तीय सरकार बनाये, साधारण, अर्थात् सब म्यूनिसिपलटियोंके लिये हो सकता है, या उन सब म्यूनिसिपलटियोंके लिये हो सकता है जो स्पष्ट रूपसे उसके प्रभावसे अलग न कर दी गयी हो। या यह विशेष हो सकता है अर्थात् किसी एक म्यूनिसिपलटी या एकसे अधिक म्यूनिसिपलटियोंके लिये, या उसके या उनके किसी भागके लिये, जैसी कि प्रान्तीय सरकार आज्ञा दे।

व्याख्या—

"पहले प्रकाशित किये जानेके पश्चात्"—का क्या अर्थ है, यह संयुक्त प्रान्तके जनरल क्लाजेज ऐक्टकी दफा २३ में बताया गया है। उक्त ऐक्टकी दफा २३ इस प्रकार है —

१ जब कभी संयुक्त प्रान्तके किसी ऐक्टके द्वारा यह बात प्रकटकी गई हो कि नियम या बाई लॉ बनानेका अधिकार इस शर्तके आधीन है कि नियम या बाई लॉ पहले प्रकाशित करनेके पश्चात् बनाये जाय तो निम्न लिखित हुक्म लागू होंगे —

(१) वह अधिकारी जिसको नियम या बाई-लॉ बनानेका अधिकार दिया गया हो, उनको बनानेसे पूर्व, ऐसे शख्सोंको सूचित करनेके उद्देशसे, जिन पर कि नियमों या बाई लॉओंका प्रभाव पड़नेकी सम्भावना हो, प्रस्तावित नियमों अथवा बाई लॉओं का मसविदा प्रकाशित कर देगा।

(२) मसविदा उस विधिसे प्रकाशित किया जायगा जिसको कि उक्त अधिकारी काफी समझे। या यदि पहले प्रकाशित करनेकी शर्तमें यह हिदायत दी गई हो, तो उस विधिसे जो कि प्रान्तीय सरकार नियमित करे।

(३) मसविदेके सङ्ग एक नोटिस प्रकाशित किया जायगा जिसमें कि एक तारीख अङ्कित कर दी जायगी, जिस तारीख पर या जिसके पश्चात् मसविदे पर विचार किया जायगा।

(४) वह अधिकारी जिसको कि नियम या बाई लॉ बनानेका अधिकार दिया गया हो (या उस दशामें जब कि नियम या बाई लॉ किसी अन्य अधिकारीकी मंजूरीसे, या पसन्द किये जाने पर, या सहमतसे बनाये जानेको हों तो ऐसा अधिकारी भी) किसी ऐसे उज्र या सलाह पर विचार करेगा, जो कि उस अधिकारीके पास जिसको नियम या बाई लॉ बनानेका अधिकार हो, मसविदेके विषयमें, अंकित की हुई तारीखसे पूर्व, कोई शख्स भेजे।

(५) किसी ऐसे नियम या बाई लॉका जो कि, पहिले प्रकाशित करके नियम या बाई लॉ बनानेके अधिकारके अनुसार बनाया गया हो, सरकारी गजटमें प्रकाशित कर दिया जाना इस बातका अकाट्य प्रमाण होगा कि नियम या बाई लॉ जायज रूपसे बनाया गया है।

इस सम्बन्धमें गुरचरणदास बनाम हरस्वरूप, 9 A L J 383 के फैसले पर विचार करना चाहिये। मुकद्दमेंमें प्रश्न यह था कि प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाये हुये नियम जायज रूपसे बनाये गये या नहीं। अपीलाण्टकी ओरसे यह बहसकी जाती थी कि एक्ट नं० १, सन १९०० ई० की दफा १८७ (वर्तमान एक्टकी दफा ३००) के अनुसार यह आवश्यक है कि जो नियम प्रान्तीय सरकार अन्तिम रूपसे बनाये वह पहले प्रकाशित कर दिये जाय। अब मसविदेके नियमोंमेंसे एकमें यह आज्ञा थी कि निर्वाचन पर आक्षेप जिला मजिस्ट्रेटके सामने किया जाय पर अन्तिम रूपसे बनाये हुये नियमोंमें यह आज्ञा दी गई कि निर्वाचन पर आक्षेप "अधिकार प्राप्त अदालत" में किया जाय। यह संशोधित नियम दूसरी बेर प्रकाशित नहीं किया गया, अतएव उक्त नियम जायज रूपसे नहीं बना।

हाईकोर्टने यह बहस स्वीकार नहीं की कि यदि मसविदेमें कोई संशोधन किया जाय तो वह फिर दो बेर प्रकाशित होना चाहिये। माननीय जस्टिस टेड्बालने तजवीजमें लिखा कि "इस मुकद्दमेमें नियमोंका मसविदा सरकारी प्रान्तीय गजटमें तारीख २७ फरवरी सन १९०९ ई० को प्रकाशित हुआ था। और सर्व साधारणको नोटिस दिया गया था कि प्रान्तीय सरकार द्वारा ता० १५ मई सन १९०९ ई० को या उसके उपरान्त नियमों पर विचार किया जायगा। इस नोटिस के अनुसार सब उज्रों पर विचार करनेके पश्चात् उक्त नियम इस प्रान्तके सरकारी गजटमें ता० ३० जुलाई सन १९१० ई० को प्रकाशित किये गये। अतएव नियम कानूनके अनुसार प्रकाशित कर दिये गये और वह कानूनका असर रखते हैं।"

दफा ३०१ बोर्ड द्वारा बनाये हुये रेग्युलेशनों तथा बाई-लॉओंका समर्थन, आदि

१ दफा २९७ की उपदफा (१) के क्लॉज (ई) से (यम) तकके अनुसार रेग्युलेशन बनानेका बोर्डका अधिकार इस शर्तके आधीन होगा कि ऐसे रेग्युलेशन प्रभाव युक्त न होंगे जब तक कि उनका समर्थन शहरोंकी दशामें प्रान्तीय सरकारके द्वारा न किया जाय और अन्य दशाओंमें कमिश्नरके द्वारा न किया जाय।

२ बाई-लॉ बनानेका बोर्डका अधिकार इस शर्तके आधीन होगा कि बाई-लॉ पहिले प्रकाशित किये जानेके पश्चात् बनाये जायँ और यह कि वे प्रभाव युक्त न होंगे जबतक कि उनका समर्थन प्रान्तीय सरकारके द्वारा न कर दिया जाय और जब तक कि वे सरकारी गजटमें प्रकाशित न कर दिये जायँ।

३ किसी बाई-लॉ या रेग्युलेशनके समर्थन करते समय प्रान्तीय सरकारको, और किसी रेग्युलेशनका समर्थन करते समय कमिश्नरको, अधिकार होगा कि जो परिवर्तन उसकी समझमें आवश्यक जान पड़े कर दे।

४ दफा २९७ की उपदफा (१) के क्लॉज (ई) से (यम) तकके अनुसार बनाये हुये किसी रेग्युलेशनमें बोर्ड द्वारा कोई परिवर्तन किये जानेका या उसको रद किये जाने का या किसी बाई-लॉमें बोर्ड द्वारा कोई परिवर्तन किये जानेका या उसको रद किये जाने का कोई प्रभाव न होगा जबतक कि (शहरोंकी दशामें) उसका समर्थन प्रान्तीय सरकार द्वारा न किया गया हो, और अन्य दशाओंमें कमिश्नरके द्वारा न किया गया हो।

५ अपने इरादेको पहिलेसे प्रकाशित करके प्रान्तीय सरकारको अधिकार होगा कि

किसी रेग्युलेशन या बाई-लॉको, जिसका उसने समर्थन किया हो, रद्द कर दे। और इसी प्रकार कमिश्नरको अधिकार होगा कि किसी रेग्युलेशनको जिसका उसने समर्थन किया हो, रद्द कर दे। और इस प्रकार रद्द कर दिये जाने पर रेग्युलेशन अथवा बाई-लॉका प्रभाव समाप्त हो जायगा।

व्याख्या—

उपदफा (१) रेग्युलेशन और बाई-लॉके भेदके लिये देखिये दफा २ का नं० २०

बोर्ड द्वारा बनाये हुये रेग्युलेशनोंके लिये यह आवश्यक नहीं रखा गया है कि वह पहले प्रकाशित किये जाय। केवल उन रेग्युलेशनोंके लिये जो दफा २९७ (१) के क्लॉज (ई) से (एम) तकके अनुसार बनाये जाय यह शर्त रखी गई है कि वह प्रभावयुक्त तभी समझे जायगे जब उनका समर्थन प्रान्तीय सरकार अथवा कमिश्नरके द्वारा कर दिया जाय।

उपदफा (२) रेग्युलेशनोंका प्रभाव सर्व साधारण पर नहीं पडता अतएव उनके प्रकाशित किये जानेकी आज्ञा नहीं दी गई है। पर बाई-लॉओंका प्रभाव जनता पर पडता है। इसलिये इस उपदफाके अनुसार यह आवश्यक रखा गया है कि वे पहले प्रकाशित कर दिये जायं जिससे कि जनताको उज् करनेका अवसर मिले। 'पहले प्रकाशित किये जाने'' के अर्थके लिये देखिये दफा ३०० की व्याख्या।

उपदफा (४)—उपदफा (१) के द्वारा यह आज्ञा दी गई है कि जो नये रेग्युलेशन दफा २९७ (१) के क्लॉज (ई) से (एम) तकके अनुसार बनाये जाय उनका समर्थन प्रान्तीय सरकार या कमिश्नरके द्वारा किया जाना आवश्यक है। इस उपदफामें यह आज्ञा दी गई है कि यदि किसी रेग्युलेशनमें बोर्ड कोई परिवर्तन करना चाहे या यदि बोर्ड किसी रेग्युलेशनको रद्द करना चाहे, तो भी ऐसे परिवर्तन या रद्द किये जानेके प्रस्तावका प्रान्तीय सरकार या कमिश्नरके द्वारा समर्थन किया जाना जरूरी है।

—विज्ञापन No 4162 XI 18 H, तारीख १६ नवम्बर, सन १९१७ई० के द्वारा प्रान्तीय सरकारने उन अधिकारोंको जो उसको उपदफा (२), (३), (४) और (५) के द्वारा दिये हैं कमिश्नरोंको सौंप दिये हैं।



प्रकरण १०
कार्रवाई या जाबता
(Procedure)

म्यूनिसिपलटी के नोटिस
(Municipal Notices)

दफा ३०२ आज्ञा पालनके लिये उचित अवधिका नियत कर दिया जाना

जब इस ऐक्टकी किसी दफा, या किसी नियम या बाई-लॉ के अनुसार, जारी किये हुये किसी नोटिसमे किसी ऐसे कामके करने की आज्ञा दी गई हो, जिस कामके लिये ऐसी दफा या नियम या बाई-लॉ मे कोई अवधि नियत न की गई हो, तो ऐसे नोटिस मे उस कामके करने के लिये एक उचित अवधि अंकित कर दी जाना चाहिये, और इस बातके निर्णय करनेका अधिकार अदालतको होगा कि इस प्रकार अंकित की हुई अवधि इस दफा के अर्थके अनुसार, उचित अवधि थी या नही।

व्याख्या—

यदि बोर्ड द्वारा नियत की हुई अवधि के भीतर कोई काम न किया जाय, और वह शख्स जिसको ऐसी अवधि के भीतर काम करने की आज्ञा दी गई हो, जब उस पर मुकद्दमा चलाया जाय, अदालत के सामने यह उज्र करे कि समय काफ़ी नहीं दिया गया था, तो इस बात का फैसला अदालत करेगी कि समय काफी था कि नहीं। बोर्ड की ओर से यह नहीं कहा जा सकता कि बोर्ड द्वारा नियत की हुई अवधि पर अदालत को किसी प्रकार की राय देने का अधिकार नहीं है।

दफा ३०३ नोटिस की तामील

१ इस ऐक्टकी किसी दफा के अनुसार या किसी नियम या बाई-लॉ के अनुसार, जो नोटिस जारी किया जाय, या जो बिल तैय्यार किया जाय, सिवाय उस दशाके कि उक्त दफामे, उक्त नियम या बाई-लॉ मे किसी अन्य प्रकारका इस विषयमे स्पष्ट हुक्म दिया गया हो, उस नोटिस की तामील नीचे लिखी विधिसे की जायगी, या वह बिल नीचे लिखी विधिसे पेश किया जायगा —

(ए) उक्त नोटिस या बिल उस शख्सको, जिसके नाम वह हो, दे दिया जायगा, या उसके सामने पेश कर दिया जायगा, या उसके पास डाक के द्वारा भेज दिया जायगा। या

(बी) यदि उक्त शख्स न मिले, तो उक्त नोटिस या बिल उस शख्सके ऐसे निवास स्थानपर, जिसके विषयमे यह मालूम हो कि वह शख्स उस निवास स्थानमे सबसे अखीरमे रहता था, यदि ऐसा स्थान म्यूनिसिपल्टी

किसी रेग्युलेशन या बाई-लॉको, जिसका उसने समर्थन किया हो, रद् कर दे। और इसी प्रकार कमिश्नरको अधिकार होगा कि किसी रेग्युलेशनको जिसका उसने समर्थन किया हो, रद् कर दे। और इस प्रकार रद् करदियेजाने पर रेग्युलेशन अथवा बाई-लॉका प्रभाव समाप्त हो जायगा।

व्याख्या—

उपदफा (१) रेग्युलेशन और बाई-लॉके भेदके लिये देखिये दफा २ का न० २०

बोर्ड द्वारा बनाये हुये रेग्युलेशनोंके लिये यह आवश्यक नहीं रखा गया है कि वह पहले प्रकाशित किये जाय। केवल उन रेग्युलेशनोंके लिये जो दफा २९७ (१) के क्लॉज (ई) से (एम) तकके अनुसार बनाये जाय यह शर्त रखी गई है कि वह प्रभावयुक्त तभी समझे जायगे जब इनका समर्थन प्रान्तीय सरकार अथवा कमिश्नरके द्वारा कर दिया जाय।

उपदफा (२) रेग्युलेशनोंका प्रभाव सर्व साधारण पर नहीं पडता अतएव उनके प्रकाशित किये जानेकी आज्ञा नहीं दी गई है। पर बाई लॉओंका प्रभाव जनता पर पडता है। इसलिये इस उपदफाके अनुसार यह आवश्यक रखा गया है कि वे पहले प्रकाशित कर दिये जायं जिससे कि जनताको उज्र करनेका अवसर मिले। "पहले प्रकाशित किये जाने" के अर्थके लिये देखिये दफा ३०० की व्याख्या।

उपदफा (४)—उपदफा (१) के द्वारा यह आज्ञा दी गई है कि जो नये रेग्युलेशन दफा २९७ (१) के क्लॉज (ई) से (एम) तकके अनुसार बनाये जाय उनका समर्थन प्रान्तीय सरकार या कमिश्नरके द्वारा किया जाना आवश्यक है। इस उपदफामें यह आज्ञा दी गई है कि यदि किसी रेग्युलेशनमें बोर्ड कोई परिवर्तन करना चाहे या यदि बोर्ड किसी रेग्युलेशनको रद करना चाहे, तो भी ऐसे परिवर्तन या रद किये जानेके प्रस्तावका प्रान्तीय सरकार या कमिश्नरके द्वारा समर्थन किया जाना जरूरी है।

—विज्ञापन No 4162 XI 18 H, तारीख १६ नवम्बर, सन १९१७ई० के द्वारा प्रान्तीय सरकारने उन अधिकारोंको जो उसको उपदफा (२), (३), (४) और (५) के द्वारा दिये हैं कमिश्नरोंको सौंप दिये हैं।



प्रकरण १०

कार्रवाई या ज़ाबता

(Procedure)

म्यूनिसिपलटी के नोटिस

(Municipal Notices)

दफ़ा ३०२ आज्ञा पालनके लिये उचित अवधिका नियत कर दिया जाना

जब इस ऐक्टकी किसी दफा, या किसी नियम या बाई-लॉ के अनुसार, जारी किये हुये किसी नोटिसमे किसी ऐसे कामके करने की आज्ञा दी गई हो, जिस कामके लिये ऐसी दफा या नियम या बाई-लॉ मे कोई अवधि नियत न की गई हो, तो ऐसे नोटिस में उस कामके करने के लिये एक उचित अवधि अंकित कर दी जाना चाहिये, और इस बातके निर्णय करनेका अधिकार अदालतको होगा कि इस प्रकार अंकित की हुई अवधि इस दफा के अर्थके अनुसार, उचित अवधि थी या नही।

व्याख्या—

यदि बोर्ड द्वारा नियत की हुई अवधि के भीतर कोई काम न किया जाय, और वह शख्स जिसको ऐसी अवधि के भीतर काम करने की आज्ञा दी गई हो, जब उस पर मुक़द्दमा चलाया जाय, अदालत के सामने यह उज्र करे कि समय काफ़ी नहीं दिया गया था, तो इस बात का फैसला अदालत करेगी कि समय काफी था कि नहीं। बोर्ड की ओर से यह नहीं कहा जा सकता, कि बोर्ड द्वारा नियत की हुई अवधि पर अदालत को किसी प्रकार की राय देने का अधिकार नहीं है।

दफा ३०३ नोटिस की तामील

१ इस ऐक्टकी किसी दफा के अनुसार या किसी नियम या बाई-लॉ के अनुसार, जो नोटिस जारी किया जाय, या जो बिल तय्यार किया जाय, सिवाय उस दशाके कि उक्त दफामे, उक्त नियम या बाई-लॉ मे किसी अन्य प्रकारका इस विषयमें स्पष्ट हुक्म दिया गया हो, उस नोटिस की तामील नीचे लिखी विधिसे की जायगी, या वह बिल नीचे लिखी विधिसे पेश किया जायगा —

(ए) उक्त नोटिस या बिल उस शख्सको, जिसके नाम वह हो, दे दिया जायगा, या उसके सामने पेश कर दिया जायगा, या उसके पास डाक के द्वारा भेज दिया जायगा। या

(बी) यदि उक्त शख्स न मिले, तो उक्त नोटिस या बिल उस शख्सके ऐसे निवास स्थानपर, जिसके विषयमें यह मालूम हो कि वह शख्स उस निवास स्थानमे सबसे अखीरमें रहता था, यदि ऐसा स्थान म्युनिसिपलटी

की हद्दोंके भीतर हो, छोड़ दिया जायगा, या उक्त नोटिस या बिल उस के कुनबे के किसी पूरी अवस्था वाले मर्द को (अर्थात् बालकको नहीं) या नौकरको दे दिया जायगा, या उसके सामने पेश किया जायगा, या उक्त नोटिस या बिल उस इमारत या आराजीके (यदि कोई हो) जिसके विषयमें ऐसा नोटिस जारी किया गया हो या ऐसा बिल तैय्यार किया गया हो, किसी प्रत्यक्ष स्थानपर लगा दिया जायगा।

२ जब इस ऐक्टके अनुसार, या किसी नियम या बाई-लॉ के अनुसार, जारी किये हुये किसी नोटिस के विषयमें यह हुक्म दिया गया हो, या यह इजाज़त दी गई हो, कि उसकी तामील किसी इमारत या आराजीके मालिक या क़ाबिजपर की जाय, तो उस नोटिसमे ऐसे मालिक या क़ाबिज़का नाम लिखे जानेकी आवश्यकता न होगी, और उन दशाओमे जिनके विषयमें इस ऐक्टमें किसी अन्य प्रकारका विशेष हुक्म न दिया गया हो, उसकी तामील नीचे लिखी विधिसे की जायगी, अर्थात् या तो—

(ए) नोटिस मालिक या क़ाबिजको, या यदि एक से अधिक मालिक या क़ाबिज हों तो उनमें से किसी को, दे दिया जायगा, या उसके सामने पेश किया जायगा, या उसके पास डाकके द्वारा भेज दिया जायगा, या

(बी) यदि ऐसा मालिक या क़ाबिज न मिले तो नोटिस उसके कुनबे के किसी पूरी उम्र वाले मर्दको, या नौकर को दे दिया जायगा या उसके सामने पेश किया जायगा, या नोटिस उस इमारत या आराजीके, जिसके विषयमें वह हो, किसी प्रत्यक्ष भागपर लगा दिया जायगा।

३ यदि वह शख़्स जिसपर किसी नोटिस या बिलकी तामील की जाने को है, नाबालिग हो, तो उसके वलीपर, या उसके कुनबे के किसी पूरी उम्र वाले शख्स या नौकरपर, तामील कर दी जाने से यह मान लिया जायगा कि उक्त नाबालिग पर तामील हो गई।

व्याख्या—

जब कि एक नोटिस की तामील उस शख्स के मुनीब (मुनीम) पर की गई, जिसके नाम वह नोटिस जारी किया गया था, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया, कि ऐसी तामील दफा ३०३ के अर्थ के अनुसार ठीक (काफ़ी) नहीं मानी जा सकती। हाईकोर्ट ने लिखा कि "यह नोटिस, जैसा कि शहादत से प्रकट होता है, उस स्थान को ले जाया गया जहां कि अपराधी का काम काज हुआ करता था और वहां वह मुनीब को दे दिया गया। जहां तक शहादत से विदित होता है कि अपराधी को ढूंढने और उसका पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की गई। यह बात भी नहीं दिखाई गई है, और यह बात कही भी नहीं जाती, कि मुनीब कुनबे का कोई पूरी उम्र का मर्द था। कहा यह जाता है कि वह कुनबे का एक नौकर था, परन्तु दफा ३०३ में जिस प्रकार के नौकर से मतलब है वह ऐसा नौकर होना चाहिये, जो घर के सब प्रकार के काम किया करता हो (अर्थात् जो किसी विशेष काम पर नियत न हो)। उस इमारत के, जिसके विषय में वह नोटिस जारी किया गया था किसी प्रत्यक्ष भाग पर, उक्त नोटिस लगाया भी नहीं गया। यह बात बिल्कुल सम्भव है कि कोई

नोटिस किसी ऐसे शख्स को दे दिया जाय जिसको मालिक किसी विशेष काम के लिये नौकर रखता हो, और ऐसे काम का पत्रों अथवा नोटिसों के पाने या लेने से कोई सम्बन्ध न हो। ऐसी दशा में यह सम्भव है कि ऐसा शख्स नोटिस की कुछ परवाह न करे, और उसकी कोई सूचना मालिक को या मालिक के कुनबे के किसी शख्स को न मिले। कुनबे के किसी पूरी उम्र वाले मर्द को नोटिस दे देने में, और ऐसे नोटिस को इमारत के किसी प्रत्यक्ष भाग में लगा देने में (जहां कि लगा दिये जाने से कि सम्भावना यह होगी कि एक उचित समय के भीतर मालिक को उसकी सूचना मिल जायगी) बहुत अन्तर है" देखिये, रामप्रताप मारवाड़ी बनाम सरकार बहादुर 18 A. L. J 229.

दफा २०४ आम नोटिस देनेकी विधि

इस ऐक्टके, या किसी नियम, रेग्युलेशन या बाई-लॉ के हुक्मोंके आधीन, प्रत्येक दशामें, जब बोर्डको कोई आम नोटिस देना हो, तो उक्त नोटिसका दे दिया जाना मान लिया जायगा यदि वह किसी स्थानीय अँग्रेजी भाषाके, या देशी भाषाके, समाचार पत्रमें (यदि कोई हो) प्रकाशित कर दिया जायगा, और यदि वह उस इमारतमें जिसमें बोर्ड की मीटिंग साधारणतः हुआ करती है, नोटिस बोर्डपर (अर्थात् नोटिस लगाने के तख्ते पर) सर्वसाधारणको सूचना देने के लिये लगा दिया जायगा।

व्याख्या—

आम नोटिस देने के लिये दो बातें आवश्यक हैं, अर्थात् एक तो यह कि वह किसी स्थानीय समाचार पत्र में छाप दिया जाय और दूसरे यह कि वह उस स्थान में टांग दिया जाय जहां बोर्ड की मीटिंगें साधारणतः हुआ करती हैं। इन दोनों आज्ञाओं के पूरा कर दिये जाने से यह मान लिया जायगा कि नोटिस की बात की सूचना सबको मिल गई। परन्तु यदि किसी स्थान से कोई समाचार पत्र न निकलता हो तो ऐसे नोटिस का उस स्थान में लगा दिया जाना ही काफी होगा जहां बोर्ड की मीटिंगें हुआ करती हैं। और यदि किसी दफा में, या किसी नियम आदि के द्वारा, किसी बात के आम नोटिस देने के विषय में कोई विशेष आज्ञा दी गई हो, तो उक्त आम नोटिस देने के लिये उस विशेष आज्ञा के अनुसार कार्रवाई की जाना चाहिये। जैसे दफा २२९ के लिये आम नोटिस देने की एक विशेष विधि, नियम के द्वारा प्रान्तीय सरकार ने नियमित करदी है, अतएव दफा २२९ के मतलब के लिये जो आम नोटिस दिया जाय उस पर दफा २०४ के हुक्म लागू न होंगे।

दफा २०५ फारम का दोष

कोई नोटिस या बिल फारम (अर्थात् वह नमूना जिसके अनुसार नोटिस दिया जाना चाहिये या बिल बनाया जाना चाहिये) के अनुसार न होने के कारण नाजायज न माना जायगा।

दफा २०६ आम नोटिसकी, या ऐक्टके किसी ऐसे हुक्मकी, आज्ञा पालन न करना जो सर्वसाधारणपर लागू हो

जब इस ऐक्टके द्वारा, या किसी ऐसे नोटिस के द्वारा जो इस ऐक्टके अनुसार जारी किया गया हो, सर्वसाधारणको किसी कामके करने, या किसी कामके न करनेकी आज्ञा दी गई हो, तो जो शख्स उक्त आज्ञाकी तामील न करेगा उसको यदि इस प्रकार

आज्ञा पालन न किया जाना कोई ऐसा अपराध न हो जिसके लिये दण्ड किसी अन्य दफामे रखा गया हो, किसी मजिस्ट्रेट के सामने, अपराधके साबित हो जानेपर जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या प्रत्येक ऐसे अपराधके लिये पांच सौ रुपये से अधिक न होगी, और किसी ऐसे अपराधके लिये कि लगातार जारी रहने वाला हो, पहले पहल अपराधके साबित होनेकी तारीख के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिनके विषयमे, जिसमे अपराधीके विषयमे यह साबित हो कि उसने अपराध करने मे आग्रह किया, और जुर्माना किया जायगा जिसकी संख्या पांच रुपये तक हो सकती है।

व्याख्या—

दफा ३०६ के द्वारा आम नोटिस की आज्ञा पालन न करने के लिये दण्ड रखा गया है और दफा ३०७ में किसी ऐसे नोटिस की आज्ञा पालन न करने के लिये दण्ड रखा गया है जो किसी विशेष व्यक्ति के नाम जारी किया जाय।

—म्यूनिसिपलटी के भूतपूर्व ऐक्ट नं० १, सन१९००ई० में केवल ऐसे नोटिस की आज्ञा पालन का न किया जाना दण्डनीय था जो कि "कानून के अनुसार" हो, और जो "कानून के अनुसार जारी किया गया हो"। वर्तमान ऐक्ट की दफा ३०६ और दफा ३०७ में ये शब्द नहीं रखे गये हैं, जिस से कि प्रत्येक नोटिस की आज्ञा का पालन न किया जाना दण्डनीय हो जाय, चाहे नोटिस "कानून के अनुसार" न भी हो और "कानून के अनुसार जारी" भी न किया गया हो। परन्तु इन शब्दों के निकाल दिये जाने से भी यह प्रभाव नहीं हो सकता कि दफा ३०६ या दफा ३०७ के अनुसार किसी ऐसे नोटिस की आज्ञा पालन न किये जाने पर किसी को दण्ड दिया जा सके, जो नोटिस कि कानून के अनुसार न हो या जो कानून के अनुसार जारी न किया गया हो। कानून के विरुद्ध दिया हुआ या जारी किया हुआ नोटिस, रद्दी कागज के तुल्य होगा और उसकी आज्ञा पालन न करना अपराध नहीं हो सकता। देखिये, रामप्रताप मारवाड़ी बनाम सरकार बहादुर 18 A. L J 229=55 I. C 302, जो आगे दफा ३०७ की व्याख्या में दिया गया है।

दफा ३०७ ऐसे नोटिसकी आज्ञा पालन न करना जो किसी विशेष शख्सके नाम जारी किया गया हो

यदि इस ऐक्टके हुक्मोंके अनुसार, या किसी नियम या बाई-लॉ के अनुसार, किसी शख्सको कोई नोटिस दिया जाय, जिसमे उसको यह आज्ञा दी गई हो, कि वह उस अवधिके भीतर जो नोटिस मे अंकित हो, किसी जायदाद मन्कूला या गैर मन्कूला (जंगम या स्थावर) के सम्बन्धमे कोई काम बनवाये, या कोई वस्तु मुहइय्या करे, या कोई काम करे, या न करे, और यदि उक्त शख्स उस नोटिस की आज्ञा पालन न करे तो-

(ए) बोर्ड स्वयं उस कामको बनवा सकता है, या उस वस्तुको मुहइय्या करा सकता है, या उस कामको करा सकता है और उसमे जो कुछ खर्च बोर्डका पड़े, उसको बोर्ड उक्त शख्ससे, उस विधिसे, वसूल कर सकता है, जिसके विषयमें हुक्म छठे प्रकरणमे दिया गया है। और इसके अतिरिक्त

(बी) उक्त शख्सको, अपराध किसी मजिस्ट्रेटके सामने साबित हो जानेपर, जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या पांच सौ रुपये तक हो

सकती है। और उस दशामे जबकि अपराध लगातार जारी रहने वाला अपराध हो, तो पहले पहल अपराधके साबित होने की तारीख़ के उपरान्त प्रत्येक ऐसे दिनके विषयमे, जिसमे यह साबित हो, कि अपराधीने अपराधके करने मे आग्रह किया, अधिक जुर्माना किया जायगा, जिसकी संख्या पांच रुपये तक हो सकती है।

व्याख्या—

इस दफा के अपराध के लिये यह आवश्यक है कि नोटिस क़ानून के अनुसार हो, और वह किसी ऐसे शख्स के हस्ताक्षर से जारी किया गया हो जिसको उसके जारी करने का अधिकार प्राप्त हो।

रामप्रसाद मारवाड़ी बनाम सरकार बहादुर 18 A L J 229=55 I C 302 वाले मामलेमें, एक नोटिस सैक्रेटरी की ओर से जारी किया गया था। नोटिस जारी करने का विचार बोर्डने किया था, और उसके जारी किये जाने की आज्ञा भी दी थी, किन्तु अन्त में नोटिस चेयरमैन के हस्ताक्षर से जारी नहीं किया गया, वरन सेक्रेटरी के दस्तख़त से। हाईकोर्ट ने यह तजवीज किया कि उक्त नोटिस क़ानून के अनुसार जारी नहीं हुआ और इसलिये उसकी आज्ञा पालन न करने में कोई अपराध नहीं हो सकता। यदि कोई नोटिस म्यूनिसिपल्टी का दफ्तरी या कोई चपरासी अपने हस्ताक्षर से जारी कर दे तो ऐसा नोटिस, उस नोटिस के तुल्य नहीं माना जा सकता जिसके जारी करने का, क़ानून ने, बोर्ड को, या बोर्ड के चेयरमैन को, अधिकार दिया है। जबकि नोटिस पर चेयरमैन के हस्ताक्षर होते हैं तो यह इस बात का प्रमाण होता है कि नोटिस बोर्ड की ओर से जारी किया गया है।

मुक़द्दमे में, बोर्ड की ओर से, इस बात की शहादत भी दी जाना चाहिये कि नोटिस क़ानून के अनुसार जारी किया गया था। किसी नोटिस की आज्ञा पालन न किये जाने के लिये किसी शख्स को दण्ड देने से पूर्व अदालत को इस बात का इतमीनान कर लेना चाहिये कि नोटिस क़ानून के हुक्मों के अनुसार जारी किया गया था। देखिये सरकार बहादुर बनाम प्यारेलाल 12 A L J, 254=36 All I L R 185=23 I C, 745

छोटे बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड लखनऊ, 9 O C 29 में भी इस राय का समर्थन किया गया है। प्रत्येक ऐसे शख्स को जिसको कोई नोटिस दिया जाय यह अधिकार प्राप्त होता है कि उक्त नोटिस की आज्ञा पालन न करने पर जो मुक़द्दमा चलाया जाय उसमें नोटिस के जायज और क़ानूनी न होने का उज्र करे।

—दफा ३१४ के द्वारा, अनेक दशाओं में, यह आज्ञा दी गई है कि जिसके नाम नोटिस जारी किया गया हो, वह नोटिस के हुक्म को रद्द करा देने के अभिप्राय से अपील करे। यदि ऐसी किसी दशा में, नोटिस के हुक्म को रद्द कराने के लिये कोई अपील न की जाय, तो भी यह अधिकार रहता है कि, नोटिस की आज्ञा पालन न किये जाने के लिये मुक़द्दमा चलाये जाने पर, अदालत के सामने यह उज्र किया जाय कि उक्त नोटिस क़ानून के हुक्मों के अनुसार नहीं दिया या जारी किया गया था म्यूनिसिपल बोर्ड की ओर से यह नहीं कहा जा सकता कि यदि नोटिस क़ानून के विरुद्ध था तो, अपराधी को इस बात का मौक़ा था कि उसकी अपील करके नोटिस को रद्द करा देता। जब अपराधी ने कोई अपील नहीं की तो उसका नोटिस पर आक्षेप करने का अधिकार नष्ट हो गया। हज़ारीलाल बनाम सरकार बहादुर 36 All I L R 227=12 A L J 312=25 I C

आज्ञा पालन न किया जाना कोई ऐसा अपराध न हो जिसके लिये दण्ड किसी अन्य दफामे रखा गया हो, किसी मजिस्ट्रेट के सामने, अपराधके साबित हो जानेपर जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या प्रत्येक ऐसे अपराधके लिये पांच सौ रुपये से अधिक न होगी, और किसी ऐसे अपराधके लिये कि लगातार जारी रहने वाला हो, पहले पहल अपराधके साबित होनेकी तारीख के पश्चात्, प्रत्येक ऐसे दिनके विषयमे, जिसमे अपराधीके विषयमे यह साबित हो कि उसने अपराध करने मे आग्रह किया, और जुर्माना किया जायगा जिसकी संख्या पाच रुपये तक हो सकती है।

व्याख्या—

दफा ३०६ के द्वारा आम नोटिस की आज्ञा पालन न करने के लिये दण्ड रखा गया है और दफा ३०७ में किसी ऐसे नोटिस की आज्ञा पालन न करने के लिये दण्ड रखा गया है जो किसी विशेष व्यक्ति के नाम जारी किया जाय।

—म्यूनिसिपलटी के भूतपूर्व ऐक्ट नं० १, सन१९००ई० में केवल ऐसे नोटिस की आज्ञा पालन का न किया जाना दण्डनीय था जो कि "कानून के अनुसार" हो, और जो "कानून के अनुसार जारी किया गया हो"। वर्तमान ऐक्ट की दफा ३०६ और दफा ३०७ में ये शब्द नहीं रखे गये हैं, जिस से कि प्रत्येक नोटिस की आज्ञा का पालन न किया जाना दण्डनीय हो जाय, चाहे नोटिस "कानून के अनुसार" न भी हो और "कानून के अनुसार जारी" भी न किया गया हो। परन्तु इन शब्दों के निकाल दिये जाने से भी यह प्रभाव नहीं हो सकता कि दफा ३०६ या दफा ३०७ के अनुसार किसी ऐसे नोटिस की आज्ञा पालन न किये जाने पर किसी को दण्ड दिया जा सके, जो नोटिस कि कानून के अनुसार न हो या जो कानून के अनुसार जारी न किया गया हो। कानून के विरुद्ध दिया हुआ या जारी किया हुआ नोटिस, रद्दी कागज के तुल्य होगा और उसकी आज्ञा पालन न करना अपराध नहीं हो सकता। देखिये, रामप्रताप मारवाडी बनाम सरकार बहादुर 18 A. L. J 229=55 I. C 302, जो आगे दफा ३०७ की व्याख्या में दिया गया है।

दफा ३०७ ऐसे नोटिसकी आज्ञा पालन न करना जो किसी विशेष शख्सके नाम जारी किया गया हो

यदि इस ऐक्टके हुक्मोंके अनुसार, या किसी नियम या बाई-लॉ के अनुसार, किसी शख्सको कोई नोटिस दिया जाय, जिसमें उसको यह आज्ञा दी गई हो, कि वह उस अवधिके भीतर जो नोटिस में अंकित हो, किसी जायदाद मन्कूला या गैर मन्कूला (जंगम या स्थावर) के सम्बन्धमे कोई काम बनवाये, या कोई वस्तु मुहय्या करे, या कोई काम करे, या न करे, और यदि उक्त शख्स उस नोटिस की आज्ञा पालन न करे तो—

(ए) बोर्ड स्वयं उस कामको बनवा सकता है, या उस वस्तुको मुहय्या करा सकता है, या उस कामको करा सकता है और उसमे जो कुछ खर्च बोर्डका पडे, उसको बोर्ड उक्त शख्ससे, उस विधिसे, वसूल कर सकता है, जिसके विषयमे हुक्म छठे प्रकरणमे दिया गया है। और इसके अतिरिक्त

(बी) उक्त शख्सको, अपराध किसी मजिस्ट्रेटके सामने साबित हो जानेपर, जुर्मानेका दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या पांच सौ रुपये तक हो

—दफा ३०७ की आज्ञाके अनुसार दो प्रकारसे दण्ड दिया जा सकता है, अर्थात् प्रथम तो ५००) रुपये तक नोटिसकी आज्ञा पालन न करनेके लिये जुर्माना किया जा सकता है। और यदि इस प्रकार जुर्माना होने पर भी नोटिसका हुक्म न माना जाय तो, जब तक ऐसा उल्लंघन जारी रहे, प्रति दिनके लिये ५) रुपये तक और जुर्माना किया जा सकता है। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि कोई अदालत, मुकद्दमेमें सजा करते समय, आगेके उल्लंघनके विषयमें भी हुक्म देदे कि प्रति दिन अमुक रकम जुर्मानेकी होगी। इसलिये जब कि एक शख्सको नोटिसके द्वारा एक मोरीके सम्बन्ध में किसी कामके बनानेकी आज्ञा दी गई, और उस नोटिसकी आज्ञा पालन न करनेके कारण उस शख्स पर केवल ५) रुपये जुर्मानेका हुक्म अदालतने दिया। परन्तु इस हुक्मके साथ २ अदालतने यह आज्ञा भी देदी हो कि जब तक नोटिसके हुक्मके अनुसार काम न बनवा दिया जाय तब तक प्रतिदिन १) रुपया और जुर्माना बढ़ता जायगा। तो हाईकोर्टने तजवीज किया कि यह दूसरा हुक्म क़ानून के विरुद्ध था। किसी अपराधीको, सजा हो जानेके पश्चात् भी, जारी रखनेके लिये जो जुर्माना किया जा सकता है, उसके विषयमें अपराधीको जिम्मेदार ठहरानेके लिये दूसरा मुकद्दमा चलाया जाना आवश्यक है। ऐसे दूसरे मुकद्दमेमें यह बात निश्चय करना होगी कि पहली सजाके उपरान्त कितने दिन व्यतीत हो चुके हैं, और इन दिनोंके लिये, सब बातों पर विचार करके, प्रतिदिन कितना जुर्माना किया जाना चाहिये। देखिये अमीरहसनखां बनाम सरकार बहादुर 40 All. I. L R 569=46 I C 150=16 A L J. 527

—यद्यपि क़ानूनमें, सजा हो जानेके पश्चात्, अपराध जारी रखनेके लिये, प्रतिदिन जुर्माना करने की आज्ञा देदी गई है, परन्तु यदि सजा हो जाने पर भी अपराधी नोटिसकी आज्ञाका पालन न करे, तो ऐसी दशामें म्यूनिसिपलटीका कैसा व्यवहार करना चाहिये. इसके विषयमें इलाहाबाद हाईकोर्टने स्पष्ट आज्ञा, कश्मीरीलाल बनाम क़ैसरहिन्द H L J 1922, P 14=7 Rev & Cr L J, Cr S 171, वाले मामलेमें दी है। उक्त हिन्दी लॉ जरनल (H L J 1922) की, इस मुकद्दमेकी रिपोर्टसे, नीचे लिखा लेख उद्धृत किया जाता है—

"जस्टिस वाल्शने इस मुकद्दमेमें यह कहा कि सब म्यूनिसिपलटियोंको यह ध्यान रखना चाहिये कि इसमें कोई शक नहीं कि खतरनाक हालतोंमें जुर्माना कराना जरूरी है, और कभी कभी यह भी जरूरत पड़ सकती है कि एक बार जुर्माना होनेके पीछे फिर दूसरे जुर्मानेके लिये नई कार्रवाईकी जावे, लेकिन साथही साथ उपरोक्त ऐक्टमें म्यूनिसिपलटीको यह अधिकार दिया गया है कि जो काम अपराधी न करता हो वह स्वयं म्यूनिसिपलटी करा दे और जमीनके मालिकसे खर्चा वसूल कर लेवे। अगर किसी कारणसे म्यूनिसिपलटीको यह जरूरत मालूम हो कि अगर अमुक आदमी अमुक काम न करे तो उसके विरुद्ध फौजदारीका मुकद्दमा चलाना आवश्यक है तो उसी समय म्यूनिसिपलटीको यह ध्यान रखना चाहिये कि जनताको फायदा पहुंचानेके लिये यह काम इतनी जल्दी करे जितना सम्भव हो। कुछ दो या तीन रोजमें बन सकता था बजाय इसके कि म्यूनिसिपलटी फौजदारीका मुकद्दमा चलावे, और फिर अपील लड़े, और फिर हाईकोर्टमें निगरानी लड़े, यह आवश्यक है कि म्यूनिसिपलटी जनताका फायदा ध्यानमें रखे, और जो काम न होनेके कारण जनताको कष्ट हो वह काम स्वयं करा दे. और खर्चा मालिक जमीनसे वसूल करले। इस मुकद्दमामें जून सन १९२० ई०में म्यूनिसिपलटीने रेजोल्युशन द्वारा कुछका बनाया जाना आवश्यक समझा था, और अब मई सन १९२१ ई० है। अब तक म्यूनिसिपलटी मुक़दमा बाजीमें पड़ी रही और कुछ अभी तक नहीं बना है।"—हालमें बम्बई हाईकोर्टके सामनेभी एक ऐसाही मामला पेश हुआ। उक्त हाईकोर्टने भी इलाहाबाद हाईकोर्टके

326, में एक ऐसाही प्रश्न हाईकोर्ट के सामने उपस्थित हुआ। हजारीलाल के नाम बोर्ड के एक मेम्बर की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था। परन्तु म्यूनिसिपल्टी के एक बाई-लॉ के अनुसार उक्त नोटिस सीनियर वाईस चेयरमैन तथा उस मेम्बर के हस्ताक्षरों से जारी होना चाहिये था जिसको कि सफाई का काम सौंपा गया था। हजारीलाल ने न तो उसकी अपील की, न उसकी आज्ञा मानी। मुकद्दमा चलाये जाने पर हजारीलाल ने यह उज्र लगाया कि नोटिस कानून के विरुद्ध जारी किया गया था, अतएव ऐसे नोटिस की आज्ञा पालन करने पर वह वाध्य नहीं था। हाईकोर्ट ने तजवीज में यही निश्चय किया है कि नोटिस की अपील न की जाने का यह प्रभाव नहीं हो सकता कि हजारीलाल, मुकद्दमे में यह उज्र न कर सके कि नोटिस, बोर्ड की ओर से, कानून के अनुसार जारी नहीं किया गया था। और यह भी निश्चय किया कि नोटिस पर इस प्रकार आक्षेप किये जाने पर, मजिस्ट्रेट का कर्तव्य था, कि शहादत लेकर इस बातका निर्णय करता कि नोटिस जायज रूप से, कानून के अनुसार जारी किया गया था कि नहीं।

—परन्तु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि नोटिस के विरुद्ध ऐसा उज्र केवल एक बार किया जा सकता है। उस दशा में जब कि अपराध, लगातार जारी रहने वाला अपराध हो, तो अपराधी पर दूसरी बार भी मुकद्दमा चलाये जाने की आवश्यकता पड सकती है। यदि अपराधी ने पहले मुकद्दमे में यह उज्र किया हो कि नोटिस कानूनी नहीं है और अदालत ने इस उज्र को न माना हो तो अपराधी को यह अधिकार नहीं हो सकता कि जब फिर नोटिस के उल्लघन का मुकद्दमा चलाया जाय तो फिर वही उज्र लगाये। देखिये शीतलप्रसाद बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड कानपूर, 12 A. L J. 595=36 All I L R 430=25 I C. 323.

—यदि नोटिस नाजायज हो, तो उसका कोई असर नहीं हो सकता, और ऐसे नोटिसके हुक्म न माननेके कारण कोई शख्स अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिये जब कि एक म्यूनिसिपलटीने एक रेजोल्युशन पास किया कि एक विशेष स्थानकी सब दुकानें खाली करा ली जावें, और दूकानदारोंको दूकानें खाली करनेके लिये नोटिस दिया, और उक्त नोटिसकी आज्ञानुसार एक शख्सने दूकान खाली नहीं की। हाईकोर्टने तजवीज किया कि उक्त शख्सने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि म्यूनिसिपल्टीज ऐक्टमें कोई ऐसा हुक्म नहीं है जिसके द्वारा कोई म्यूनिसिपलटी किसी शख्सको किसी ऐसी दूकानके खाली करनेका नोटिस दे सके, जिस दूकान पर ऐसा शख्स जायज रूपसे काबिज हो, और न म्यूनिसिपलटीने कोई ऐसा नियमही बनाया था जिसके द्वारा वह किसी ऐसी दूकानके खाली करानेका नोटिस दे सकती। देखिये जीवा बनाम सरकार बहादुर 10 A. L. J. 286=13 Cr. L J 841=17 I C 713.

इसी प्रकार, रामदयाल बनाम सरकार बहादुर 7 A. L J. 1075=33 All I L. R 147=8 I C 569, वाले मामलेमें हाईकोर्टने तजवीज किया कि ऐक्ट न० १ सन १९०० ई० की दफा ८७ का मतलब यह नहीं है कि उसके द्वारा बोर्डको यह अधिकार है कि वह किसी शख्सको यह आज्ञा दे दे कि वह शख्स अपने मकानको गिरा दे चाहे उक्त मकान उक्त ऐक्टके पास होनेके पहिलेसे खडा हो। इसलिये यदि बोर्डको ऐसा नोटिस देनेका अधिकार दफा ८७ (५) के अनुसार (वर्तमान ऐक्टकी दफा १८६) नहीं है तो यह माना जायगा कि नोटिस उक्त दफाके अनुसार दिया ही नहीं गया, और ऐसे नोटिसके हुक्मका उलंघन किये जानेसे मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता।

—दफा ३०७ की आज्ञाके अनुसार दो प्रकारसे दण्ड दिया जा सकता है, अर्थात् प्रथम तो ५००) रुपये तक नोटिसकी आज्ञा पालन न करनेके लिये जुर्माना किया जा सकता है। और यदि इस प्रकार जुर्माना होने पर भी नोटिसका हुक्म न माना जाय तो, जब तक ऐसा उल्लघन जारी रहे, प्रति दिनके लिये ५) रुपये तक और जुर्माना किया जा सकता है। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि कोई अदालत, मुकद्दमेमें सजा करते समय, आगेके उल्लघनके विषयमें भी हुक्म देदे कि प्रति दिन अमुक रकम जुर्मानेकी होगी। इसलिये जब कि एक शख्सको नोटिसके द्वारा एक मोरीके सम्बन्ध में किसी कामके बनानेकी आज्ञा दी गई, और उस नोटिसकी आज्ञा पालन न करनेके कारण उस शख्स पर केवल ५) रुपये जुर्मानेका हुक्म अदालतने दिया। परन्तु इस हुक्मके साथ २ अदालतने यह आज्ञा भी देदी हो कि जब तक नोटिसके हुक्मके अनुसार काम न बनवा दिया जाय तब तक प्रतिदिन १) रुपया और जुर्माना बढ़ता जायगा। तो हाईकोर्टने तजवीज किया कि यह दूसरा हुक्म कानून के विरुद्ध था। किसी अपराधीको, सजा हो जानेके पश्चात् भी, जारी रखनेके लिये जो जुर्माना किया जा सकता है, उसके विषयमें अपराधीको जिम्मेदार ठहरानेके लिये दूसरा मुकद्दमा चलाया जाना आवश्यक है। ऐसे दूसरे मुकद्दमेमें यह बात निश्चय करना होगी कि पहली सजाके उपरान्त कितने दिन व्यतीत हो चुके हैं, और इन दिनोंके लिये, सब बातों पर विचार करके, प्रतिदिन कितना जुर्माना किया जाना चाहिये। देखिये अमीरहसनखां बनाम सरकार बहादुर 40 All. I. L R 569=46 I. C 150=16 A L J 527

—यद्यपि कानूनमें, सजा हो जानेके पश्चात्, अपराध जारी रखनेके लिये, प्रतिदिन जुर्माना करने की आज्ञा देदी गई है, परन्तु यदि सजा हो जाने पर भी अपराधी नोटिसकी आज्ञाका पालन न करे, तो ऐसी दशामें म्यूनिसिपल्टीका कैसा व्यवहार करना चाहिये इसके विषयमें इलाहाबाद हाईकोर्टने स्पष्ट आज्ञा, कश्मीरीलाल बनाम कैसरहिन्द H L J 1922, P 14=7 Rev & Cr L J, Cr S 171, वाले मामलेमें दी है। उक्त हिन्दी लॉ जरनल (H.L J 1922) की, इस मुकद्दमेकी रिपोर्टसे, नीचे लिखा लेख उद्धृत किया जाता है —

"जस्टिस वाल्शने इस मुकद्दमेमें यह कहा कि सब म्यूनिसिपलटियोंको यह ध्यान रखना चाहिये कि इसमें कोई शक नहीं कि खतरनाक हालतोंमें जुर्माना कराना जरूरी है, और कभी कभी यह भी जरूरत पड़ सकती है कि एक बार जुर्माना होनेके पीछे फिर दूसरे जुर्मानेके लिये नई कार्रवाईकी जावे, लेकिन साथही साथ उपरोक्त ऐक्टमें म्यूनिसिपल्टीको यह अधिकार दिया गया है कि जो काम अपराधी न करता हो वह स्वयं म्यूनिसिपल्टी करा दे और जमीनके मालिकसे खर्चा वसूल कर लेवे। अगर किसी कारणसे म्यूनिसिपल्टीको यह जरूरत मालूम हो कि अगर अमुक आदमी अमुक काम न करे तो उसके विरुद्ध फौजदारीका मुकद्दमा चलाना आवश्यक है तो उसी समय म्यूनिसिपल्टीको यह ध्यान रखना चाहिये कि जनताको फायदा पहुंचानेके लिये यह काम इतनी जल्दी करे जितना सम्भव हो। कुड दो या तीन रोजमें बन सकता था बजाय इसके कि म्यूनिसिपल्टी फौजदारीका मुकद्दमा चलावे, और फिर अपील लड़े, और फिर हाईकोर्टमें निगरानी लड़े, यह आवश्यक है कि म्यूनिसिपल्टी जनताका फायदा ध्यानमें रखे, और जो काम न होनेके कारण जनताको कष्ट हो वह काम स्वयं करा दे, और खर्चा मालिक जमीनसे वसूल करले। इस मुकद्दमामें जून सन १९२० ई०में म्यूनिसिपल्टीने रेजोल्युशन द्वारा कुडका बनाया जाना आवश्यक समझा था, और अब मई सन १९२१ ई० है। अब तक म्यूनिसिपल्टी मुकदमा बाजीमें पडी रही और कुड अभी तक नहीं बना है।"—हालमें बम्बई हाईकोर्टके सामनेभी एक ऐसाही मामला पेश हुआ। उक्त हाईकोर्टने भी इलाहाबाद हाईकोर्टके

समानही रायदी कि यदि अपराधीने नोटिसके अनुसार ओटला हटाया नहीं था तो म्यूनिसिपलटीको चाहिये था कि स्वय उसको हटवा देती और खर्चा अपराधीसे वसूल कर लेती। देखिये आत्माराम श्यामजी बनाम सरकार बहादुर H L J 1923, P 467=66 I. C. 817 —सारांश यह है कि म्यूनिसिपलटीका मुख्य उद्देश्य जनताको लाभ पहुचानेका होना चाहिये, न कि अपराध करने वालोंको दण्ड दिलवाना। अतएव यदि कोई अपराधी अपराधके करनेमें आग्रह करे तो म्यूनिसिपल्टी को उस पर बारबार मुक़द्दमा चलाके समय नष्ट नहीं करना चाहिये, वरन स्वयम् कामको कराके उसका खर्चा अपराधीसे वसूल कर लेना चाहिये।

दफा ३०८ मालिकके आज्ञा पालन न करने की दशामें क़ाबिज़की ज़िम्मेदारी

१ यदि वह शख्स, जिसको कोई ऐसा नोटिस दिया जाय जिसका दफा ३०७ मे उल्लेख किया गया है, उस जायदाद का मालिक हो जिसके विषय में उक्त नोटिस दिया गया हो, तो (चाहे उक्त मालिक के विरुद्ध कोई नालिश या अन्य कोई कारंवाई की गई हो या न की गई हो) किसी ऐसे शख्स, को (यदि कोई हो) जो उक्त जायदाद या उसके किसी भाग का उक्त मालिक की ओर से क़ाबिज हो, बोर्ड हुक्म दे सकता है, कि वह, किराया या लगान जो ऐसा शख्स उक्त जायदाद के विषय में दिया करता हो, जब जब ऐसा किराया या लगान चढ़ जाय, तो उस रक़म तक जो उक्त मालिक से दफा ३०७के अनुसार वसूलकी जा सकती हो, मालिककी जगह बोर्डको दे, और प्रत्येक ऐसी रक़म के विषय मे, जो ऐसा क़ाबिज बोर्ड को दे, यदि मालिक और क़ाबिज के बीच इसके विपरीत कोई मुआहिदा नहो, यह माना जायगा कि वह जायदादके मालिक ही को दी गई।

२ इस बात के निश्चय करने के लिये कि उपदफ़ा (१) के अनुसार कार्रवाई की जाना चाहिये या नही, बोर्ड जायदाद के क़ाबिज को यह आज्ञा दे सकता है, कि उक्त जायदाद के विषयमे जो किराये या लगान की रक़म उस पर चाहिये हो उसकी सख्या, और उस शख्स का नाम, और पता, जिसको वह रक़म दी जाना चाहिये, बतलाये। और यदि उक्त क़ाबिज ऐसी सूचना देने से इनकार करे, तो वह कुल खर्चे का उसी प्रकार जिम्मेदार होगा मानो वह स्वय ही मालिक हो।

३ वह पूरी रक़म, जो इस दफा के अनुसार बोर्ड वसूल कर सकता हो, उस विधि से वसूल की जायगी, जो छठे प्रकरण मे बताई गई है।

व्याख्या—

यदि, दफा ३०७ के अनुसार, कोई नोटिस किसी जायदाद के मालिक के नाम जारी किया गया हो, और उक्त मालिक के नोटिस की आज्ञा पालन न करने के कारण, बोर्ड को काम स्वय बन वाना पड़े, तो इस दफा के द्वारा, बोर्ड को अधिकार दिया गया है, कि काम बनवाने का खर्चा वसूल करने के लिये, यह उपाय करे कि, यदि जायदाद पर कोई किरायेदार क़ाबिज हो, तो उसको यह आज्ञा दे दे कि जो किराया या लगान की रक़म मालिक की चढ़ती जाय, वह मालिक को न दे, वरन बोर्ड को उस समय तक देता रहे जब तक काम का पूरा खर्चा बोर्ड को वसूल हो जाय। यदि

दफा ३०७ के अनुसार खर्चा वसूल करने के लिये कोई कार्रवाई मालिक के विरुद्ध की गई हो, या मालिक के विरुद्ध मुकद्दमा चलाया गया हो तो भी बोर्ड को अधिकार होगा कि साथही साथ इस दफा के अनुसार, काबिज को भी आज्ञा दे दे। जो रकमें कोई ऐसा काबिज बोर्ड को अदा करेगा उनके विषयमें यह समझा जायगा कि वह मालिक ही को दी गयीं अर्थात् ऐसा काबिज अपने किराये आदि की जिम्मेदारी से, मुक्त समझा जायगा। केवल एक दशा है जब कि कोई ऐसा काबिज बोर्ड को किराया आदि देने से मना कर सकता है-अर्थात् जब कि काबिज और मालिक में ऐसा मुआहिदा हो चुका हो कि काबिज, किसी दशा में, मालिक के अतिरिक्त किसी और को किराया या लगान अदा न करेगा।

दफा ३०९ मालिक के आज्ञा पालन न करने की दशा में, कामों के करानेका काबिज़का अधिकार

जब किसी इमारत या आराजी का मालिक किसी ऐसे काम को न कराये, जिस के कराने का उसको इस ऐक्ट के द्वारा, या इस ऐक्ट के अनुसार आज्ञा दी गई हो, तो उक्त इमारत या आराजी का काबिज, बोर्ड की मंजूरी से, वह काम करा सकता है, और उसका खर्च, यदि इस बात के विरुद्ध कोई मुआहिदा न हो, तो मालिक उसको अदा करेगा, या वह खर्च उस किराया या लगान में से काटा जासकता है, जो समय समय पर, ऐसे मालिक का उस काबिज पर चाहिये हो।

दफा ३१० काम बनाये जाने पर काविज़ के बाधक होने पर कार्रवाई

१ यदि किसी इमारत या आराजी के मालिक के इस इरादे की सूचना मिलने के पश्चात् कि वह उस इमारत या आराजी के सम्बन्ध में किसी ऐसे नोटिस की आज्ञा के अनुसार, जो इस ऐक्ट के अनुसार जारी किया गया हो कोई काम करना चाहता है, कोई काबिज उक्त मालिक को वह काम न करने दे, तो मालिक किसी मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दे सकता है।

२ इस बात के साबित होने पर, कि इस प्रकार काम नहीं करने दिया गया है, मजिस्ट्रेट काबिज को लिखित हुक्म के द्वारा आज्ञा दे सकता है कि वह मालिक को ऐसे सब काम करने दे, जिनका उस इमारत या आराजी के सबन्ध में किया जाना, उक्त नोटिस की आज्ञापालन करने के लिये आवश्यकहो, और ऐसा मजिस्ट्रेट, यदि वह उचित समझे, काबिज को यह आज्ञा भी दे सकता है कि वह, ऐसी दरख्वास्त या हुक्मके सम्बन्ध में जो खर्च पड़ा हो, वह मालिक को अदा करे।

३ यदि, मजिस्ट्रेट के हुक्म की तारीख से, आठ दिन समाप्त हो जाने के उपरान्त भी उक्त काबिज, मालिक को उस काम के बनाने देने में इन्कार जारी रक्खे तो उक्त काबिज को, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या, प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें उसने इस प्रकार इन्कार जारी रक्खा हो, पच्चीस रुपये तक हो सकती है।

समानही रायदी कि यदि अपराधीने नोटिसके अनुसार ओटला हटाया नहीं था तो म्यूनिसिपल्टीको चाहिये था कि स्वय उसको हटवा देती और खर्चा अपराधीसे वसूल कर लेती। देखिये आत्मराम श्यामजी बनाम सरकार बहादुर H L J 1923, P 467=66 I. C 817 —सारांश यह है कि म्यूनिसिपलटीका मुख्य उद्देश्य जनताको लाभ पहुचानेका होना चाहिये, न कि अपराध करने वालोंको दण्ड दिलवाना। अतएव यदि कोई अपराधी अपराधके करनेमें आग्रह करे तो म्यूनिसिपल्टी को उस पर बारबार मुकद्मा चलाके समय नष्ट नहीं करना चाहिये, वरन स्वयम् कामको कराके उसका खर्चा अपराधीसे वसूल कर लेना चाहिये।

दफ़ा ३०८ मालिकके आज्ञा पालन न करने की दशामें क़ाबिज़की ज़िम्मेदारी

१ यदि वह शख्स, जिसको कोई ऐसा नोटिस दिया जाय जिसका दफा ३०७ मे उल्लेख किया गया है, उस जायदाद का मालिक हो जिसके विषय मे उक्त नोटिस दिया गया हो, तो (चाहे उक्त मालिक के विरुद्ध कोई नालिश या अन्य कोई कार्रवाई की गई हो या न की गई हो) किसी ऐसे शख्स को (यदि कोई हो) जो उक्त जायदाद या उसके किसी भाग का उक्त मालिक की ओर से क़ाबिज हो, बोर्ड हुक्म दे सकता है, कि वह, किराया या लगान जो ऐसा शख्स उक्त जायदाद के विषय में दिया करता हो, जब जब ऐसा किराया या लगान चढ़ जाय, तो उस रकम तक जो उक्त मालिक से दफा ३०७के अनुसार वसूलकी जा सकती हो, मालिककी जगह बोर्डको दे, और प्रत्येक ऐसी रक़म के विषय मे, जो ऐसा क़ाबिज बोर्ड को दे, यदि मालिक और क़ाबिज के बीच इसके विपरीत कोई मुआहिदा नहो, यह माना जायगा कि वह जायदादके मालिक ही को दी गई।

२ इस बात के निश्चय करने के लिये कि उपदफ़ा (१) के अनुसार कार्रवाई की जाना चाहिये या नही, बोर्ड जायदाद के क़ाबिज को यह आज्ञा दे सकता है, कि उक्त जायदाद के विषयमे जो किराये या लगान की रक़म उस पर चाहिये हो उसकी सख्या, और उस शख्स का नाम, और पता, जिसको वह रक़म दी जाना चाहिये, बतलाये। और यदि उक्त क़ाबिज ऐसी सूचना देने से इनकार करे, तो वह कुल खर्चे का उसी प्रकार जिम्मेदार होगा मानो वह स्वय ही मालिक हो।

३ वह पूरी रक़म, जो इस दफा के अनुसार बोर्ड वसूल कर सकता हो, उस विधि से वसूल की जायगी, जो छठे प्रकरण मे बताई गई है।

व्याख्या—

यदि, दफा ३०७ के अनुसार, कोई नोटिस किसी जायदाद के मालिक के नाम जारी किया गया हो, और उक्त मालिक के नोटिस की आज्ञा पालन न करने के कारण, बोर्ड को काम स्वयं बनवाना पड़े, तो इस दफा के द्वारा, बोर्ड को अधिकार दिया गया है, कि काम बनवाने का खर्चा वसूल करने के लिये, यह उपाय करे कि, यदि जायदाद पर कोई किरायेदार क़ाबिज हो, तो उसको यह आज्ञा दे दे कि जो किराया या लगान की रक़म मालिक की चढ़ती जाय, वह मालिक को न दे, वरन बोर्ड को उस समय तक देता रहे जब तक काम का पूरा खर्चा बोर्ड को वसूल हो जाय। यदि

दफा ३०७ के अनुसार खर्चा वसूल करने के लिये कोई कार्रवाई मालिक के विरुद्ध की गई हो; या मालिक के विरुद्ध मुकद्दमा चलाया गया हो तो भी बोर्ड को अधिकार होगा कि साथही साथ इस दफा के अनुसार, काबिज को भी आज्ञा दे दे। जो रकमें कोई ऐसा काबिज बोर्ड को अदा करेगा उनके विषयमें यह समझा जायगा कि वह मालिक ही को दी गयीं अर्थात् ऐसा काबिज अपने किराये आदि की जिम्मेदारी से, मुक्त समझा जायगा। केवल एक दशा है जब कि कोई ऐसा काबिज बोर्ड को किराया आदि देने से मना कर सकता है—अर्थात् जब कि काबिज और मालिक में ऐसा मुआहिदा हो चुका हो कि काबिज, किसी दशा में, मालिक के अतिरिक्त किसी और को किराया या लगान अदा न करेगा।

दफा ३०९ मालिक के आज्ञा पालन न करने की दशा में, कामों के करानेका काबिज़का अधिकार

जब किसी इमारत या आराजी का मालिक किसी ऐसे काम को न कराये, जिस के कराने का उसको इस ऐक्ट के द्वारा, या इस ऐक्ट के अनुसार, आज्ञा दी गई हो, तो उक्त इमारत या आराजी का काबिज, बोर्ड की मंजूरी से, यह काम करा सकता है, और उसका खर्च, यदि इस बात के विरुद्ध कोई मुआहिदा न हो, तो मालिक उसको अदा करेगा, या वह खर्च उस किराया या लगान में से काटा जासकता है, जो समय समय पर, ऐसे मालिक का उस काबिज पर चाहिये हो।

दफा ३१० काम बनाये जाने पर काविज़ के बाधक होने पर कार्रवाई

१ यदि किसी इमारत या आराजी के मालिक के इस इरादे की सूचना मिलने के पश्चात कि वह उस इमारत या आराजी के सम्बन्ध में किसी ऐसे नोटिस की आज्ञा के अनुसार, जो इस ऐक्ट के अनुसार जारी किया गया हो कोई काम करना चाहता है, कोई काबिज उक्त मालिक को वह काम न करने दे, तो मालिक किसी मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दे सकता है।

२ इस बात के साबित होने पर, कि इस प्रकार काम नहीं करने दिया गया है, मजिस्ट्रेट काबिज को लिखित हुक्म के द्वारा आज्ञा दे सकता है कि वह मालिक को ऐसे सब काम करने दे, जिनका उस इमारत या आराजी के सबन्ध में किया जाना, उक्त नोटिस की आज्ञापालन करने के लिये आवश्यकहो, और ऐसा मजिस्ट्रेट, यदि वह उचित समझे, काबिज को यह आज्ञा भी दे सकता है कि वह, ऐसी दरख्वास्त या हुक्मके सम्बन्ध में जो खर्च पड़ा हो, वह मालिक को अदा करे।

३ यदि, मजिस्ट्रेट के हुक्म की तारीख से, आठ दिन समाप्त हो जाने के उपरान्त भी उक्त काबिज, मालिक को उस काम के बनाने देने में इन्कार जारी रखे, तो उक्त काबिज को, अपराध के साबित हो जाने पर, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या, प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें उसने इस प्रकार इन्कार जारी रखाहो, पच्चीस रुपये तक हो सकती है।

४ प्रत्येक ऐसा मालिक उस काल मे जब तक कि ऐसा इन्कार जारी रहे, किसी ऐसे दड से मुक्त रहेगा, जिसका वह, अन्य दशा मे, उस काम के न बनाने के कारण, भागी होता।

दफा २११ काम बनानेका खर्चा क़ाबिजके द्वारा वसूल किया जाना

जब किसी इमारत या आराजी का क़ाबिज, किसी ऐसे नोटिस की आज्ञा के अनुसार, जो इस ऐक्ट के हुक्मों के अनुसार जारी किया गया हो कोई ऐसा काम बनवाये या करे, जिसके बनवाने का ऐसी इमारत या आराजी का मालिक, या तो उस मुआहिदेसे जो किराया या लगान के विषय मे हुआ हो (Contract of tenancy) या क़ानून के अनुसार, जिम्मेदार हो, तो, यदि इसके विपरीत कोई मुआहिदा न हो, उक्त क़ाबिज को इस बात का अधिकार होगा, कि ऐसे काम के उचित खर्च को, उस किराये मे से काट ले जो उसको मालिक को देना हो, या किसी अन्य प्रकार, ऐसे मालिक से वसूल कर ले।

व्याख्या—

अनेक दफाओंके द्वारा, बोर्डका अधिकार दिया गया है कि किसी ऐसे कामके करानेके लिये जो वह किसी इमारत या आराजीके सम्बन्धमें जरूरी समझ, चाहे तो उसके मालिकको आज्ञा दे, या चाहे उसके काबिज को। उदाहरणके लिये देखिये दफा १८६। परन्तु वास्तवमें ऐसे कामोंमें खर्च करनेकी जिम्मेदारी मालिक ही की होना चाहिये। अतएव इस दफाके द्वारा स्पष्ट हुक्म दे दिया गया है कि क़ाबिज, ऐसे किसी कामका खर्च, मालिकके किराये आदिमेंसे काटके, या किसी अन्य प्रकार वसूल कर सकता है।

दफा २१२—दफा २११ व २६३ व २६४ व २६५ व २७८ के अनुसार किसी चीज़का बोर्ड द्वारा हटाये जानेका खर्चा वसूल किया जाना

१ जो खर्च बोर्ड दफा २६३ या दफा २६५ के अनुसार किसी चीजके हटाने मे करे, या उस दशा मे जबकि किसी लिखित नोटिसकी, जो दफा २११ या २६३ या २६४ या २७८ के अनुसार जारी किया गया हो, आज्ञाका पालन न किया जाय, तो जो खर्च बोर्ड दफा २०७ के अनुसार करे, वह उस चीजको बेचके वसूल किया जायगा, जो हटाई गई हो, और इस प्रकार बेचने से जो रक़म प्राप्त हो, वह यदि काफी न हो, तो बाकी रक़म उक्त चीज के मालिक से, उस विधिसे, वसूल की जा सकेगी, जो छठे प्रकरणमे बताई गई है।

२ यदि किसी दशामे, किसी चीजके हटानेका खर्चा उसके बेचे जाने से पूर्व, अदा कर दिया जाय, तो बोर्ड उस चीज को, उसके मालिकको लौटा देगा, 'यदि ऐसा मालिक उस चीज के बेचे जाने या अन्य प्रकार अलग किये जाने से पूर्व उसको मांगे, और यदि ऐसा मालिक सब अन्य खर्चा (   ) जो बोर्डने उसके

विषयमे किया हो, या जो बोर्डने उसके बेचने या अलग करने के इरादे के सम्बन्ध में किया हो, अदा करदे।

२ यदि मालिक उस चीजको न मांगे, तो वह चीज, हटाये जानेकी तारीखसे एक मासके उपरान्त, सुविधाके साथ जितने शीघ्र सम्भव हो, नीलाम के द्वारा बेचदी जायगी, या अन्य प्रकार अलग करदी जायगी, जैसा कि बोर्ड उचित समझे, चाहे उसके हटानेका खर्चा इस बीचमे दे दिया गया हो या नही। और नीलाम के द्वारा या अन्य प्रकार अलग किये जाने के द्वारा, जो रकम प्राप्त हो (यदि कोई रकम प्राप्त हो) उस नीलामका खर्चा या अन्य प्रकार अलग किये जानेका खर्चा, और यदि आवश्यक हो तो उस चीजके हटानेका खर्चा देने के पश्चात्, म्यूनिसिपलटीके कोषमे जमा करदी जायगी, और बोर्डकी मिलकियत हो जायगी।

दफा ३१२ एजेन्टों और ट्रस्टियोंके लिये बचत

१ जब कोई शख्स किसी शख्स या सभाके ट्रस्टी या एजेण्टकी हैसियतसे जायदाद् गैरमनकूला का किराया या लगान वसूल करने के कारण या किराया या लगान वसूल करने का अधिकार होने के कारण, इस ऐक्टके अनुसार, किसी ऐसी जिम्मेदारीके पूरा करने पर वाध्य हो, जो जिम्मेदारी कि इस ऐक्टके द्वारा उक्त जायदाद् के मालिक पर डाली गई हो, और जिसके पूरा करने के लिये रुपयेकी आवश्यकता हो, तो ऐसा शख्स उस जिम्मेदारी के पूरा करनेपर, सिवाय उस दशाके वाध्ये न होगा जब कि उसके हाथमे उस मतलबके लिये काफी रुपया मालिकका हो, या सिवाय उस दशाके कि उसके हाथमें काफी रुपया मालिकका होता यदि स्वयं उसने कोई अनुचित व्यवहार या कसूर न किया होता।

२ जब कोई एजेन्ट या ट्रस्टी, इस दफाके अनुसार, इस बातका दावा करे और साबित करदे कि उसको जिम्मेदारी से मुक्ति मिलनी चाहिये तो बोर्ड उसको यह नोटिस दे सकता है, कि वह उपरोक्त जिम्मेदारी के पूरा करने मे उस रुपये को खर्च करे, जो भविष्यमे, पहले ही पहल उसके हाथमे मालिकके लिये या मालिक के कामके लिये आये, और यदि ऐसा शख्स उक्त नोटिस की आज्ञा पालन न करे तो वह उस जिम्मेदारीके पूरा करनेका स्वयं जिम्मेदार समझा जायगा।

व्याख्या—

शब्द 'ट्रस्टी'का अर्थ है कोई ऐसा शख्स जिसने कोई ट्रस्ट (अमानत) अपने जिम्मे लिया हो।

किसी ऐसी जिम्मेदारीके पूरा करनेका भार जो इस ऐक्टके द्वारा किसी ट्रस्टी या एजेण्ट पर डाला जा सके, उसी दशामे होगा जब ऐसे ट्रस्टी या एजेण्टके पास मालिकका या ट्रस्टका रुपया हो। ऐसा रुपया न होने पर केवल एक दशामें उक्त जिम्मेदारीके पूरा करनेका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है अर्थात् जब ट्रस्टी या एजेण्ट कोई ऐसा अनुचित काम या कसूर करे- जिसके कारण रुपया उसके हाथसे निकल जाय। जैसे यदि कोई ट्रस्टी या एजेन्ट किसी ऐसे नोटिसकी सूचना पाके म्यूनिसिपल्टीको हानि पहुँचाने के लिये जान बूझकर कोई रुपया मालिकको लौटा दे तो ऐसा ट्रस्टी या एजेन्ट उस जिम्मेदारीके पूरा करनेका स्वयं जिम्मेदार हो जायगा और उसको अपना खर्चा करके उक्त जिम्मेदारीको पूरा करना होगा।

मुक़द्दमें चलाये जाना
(Prosecutions)

दफा ३१४ मुक़द्दमें चलानेका अधिकार

सिवाय उस दशा के कि इसके विरुद्ध कोई स्पष्ट आज्ञा दी गई हो, कोई अदालत उन अपराधों मे से किसी अपराध के विषय मे, जो इस ऐक्ट के अनुसार दण्डनीय हों (और जिनकी सूची शिड्यूल न० ८ मे केवल इस उद्देश्य से दी गई है कि उनका पता लगाने मे सुविधा हो), या उन अपराधोंमे से किसी अपराधके विषयमे जो किसी नियम या बाई-लॉ के अनुसार दण्डनीय हों, कोई मुकद्दमा न सुनेगी, जब तक कि बोर्ड द्वारा या किसी ऐसे शख्स के द्वारा जिसको बोर्ड ने इस विषय मे साधारण या विशेष आज्ञा (General or Special order) के द्वारा अधिकार दिया हो अर्जी न दी जाय, या जब तक कि बोर्ड द्वारा या ऐसे शख्स के द्वारा सूचना न मिले।

व्याख्या—

"साधारण और विशेष आज्ञा" में क्या भेद है ? साधारण आज्ञा (General order) के द्वारा बोर्ड अपने किसी अफसर या कर्मचारी को यह अधिकार दे सकता है कि वह अपनी राय से, म्यूनिसिपल्टी के कानून के विरुद्ध, सब प्रकार के अपराधों के लिये मुकद्दमा चला सकता है। इसके विपरीत "विशेष आज्ञा" (Special order) के द्वारा या तो किसी विशेष मामले के सम्बन्ध में मुकद्दमा चलाने का किसी अफसर आदि को अधिकार दिया जा सकता है, या यह अधिकार दिया जा सकता है कि किसी विशेष प्रकार के अपराधों के सम्बन्ध में, उक्त अफसर आदि, अपनी राय से मुकद्दमा चला सकता है।

"साधारण आज्ञा" की व्याख्या माननीय इलाहाबाद हाईकोर्टकी एक फुलबेंच ने, एम० जे० पोवल बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड मसूरी, 22 All I L R 123 F B, वाले मामले में की है। यह मामला उक्त हाईकोर्ट के सामने, म्यूनिसिपलटियों के ऐक्ट, न० १५ सन १८८३ के समय में पेश हुआ था। उक्त ऐक्ट की दफा ६९ (वर्तमान ऐक्टकी दफा ३१४ के समान थी) केवल इसमें शब्द "साधारण या विशेष आज्ञा" नहीं थे। उक्त मामले में फुलबेंच के सामने यह प्रश्न उपस्थित था कि कोई बोर्ड अपने किसी कर्मचारी को साधारण आज्ञा के द्वारा यह अधिकार दे सकता है कि नहीं कि ऐसा कर्मचारी अपनी राय और अपने निश्चय से उन सब अपराधों के विषय में जो म्यूनिसिपलटी के कानून के हुक्मों के विरुद्ध किये जाय मुकद्दमा चलाये। फुलबेंच ने तजवीज किया कि बोर्ड अपने किसी अफसर या कर्मचारी को ऐसा अधिकार दे सकता है और यह भी तजवीज किया कि ऐसा अधिकार दिये जाने पर केवल इतना ही नहीं कि ऐसा अफ़सर या कर्मचारी अदालत के सामने अर्जी पेश करने का जाब्ते का काम कर सके वरन उसको यह अधिकार भी प्राप्त हो जाता है कि वह इस बात को स्वयं निश्चय करे कि किसी विशेष मामले के सम्बन्ध में मुकद्दमा चलाया जाय या नहीं।

—इस दफा का आशय यह है कि म्यूनिसिपल्टी की ओर से जो मुकद्दमें चलाये जाय वह या तो स्वयं बोर्ड की आज्ञा से चलाये जायँ या किसी ऐसे अफसर की आज्ञा से जिसको बोर्ड ने इस विषय में अधिकार दिया हो क्योंकि मुकद्दमें चलाने का काम एक उत्तर दायित्व का काम है।

इस लिये जब कि एक शख्स पर यह अपराध लगाया गया कि उसने कोई साग या तरकारी

पानी के कारखाने के तालाब में फेंक के पानी को अशुद्ध किया, और उसके विरुद्ध पानी के कारखाने के इन्सपेक्टर ने अर्जी पेश करके मुकद्दमा चलाया, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि यद्यपि शहादत से अपराध का किया जाना साबित होता है, तथापि पानी के कारखाने के इन्सपेक्टर को बोर्ड की ओर से मुकद्दमा चलाने का अधिकार न होने के कारण, अपराधी बरी होना चाहिये, देखिये पुरुषोत्तम दास बनाम सरकार बहादुर 17 A L J 254=50 I C 494=20 Cr L J 318

इसी प्रकार जब कि एक म्यूनिसिपलटी के नजूल दरोगा ने एक शख्स पर इस विषय में अर्जी दी कि उसने अपना गाड़ी घोड़ा सड़क पर छोड़ दिया, तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि ऐसे अपराध के विषय में नजूल दरोगा को बोर्ड की ओर से मुकद्दमा चलाने का अधिकार प्राप्त न होने के कारण अपराधी बरी किया जाना चाहिये। देखिये नलिन कुमार मुकर्जी बनाम सरकार बहादुर, 11 A L J 721=20 I C 1003=14 Cr L J 523

इस सम्बन्ध में जगन बनाम सरकार बहादुर 19 A L J 942 वाला मामला भी देखिये जो दफा ३३३ की व्याख्या में दिया गया है।

—जो अर्जी या इस्तगासा म्यूनिसिपलटी के किसी अफसर की ओर से दिया जाय उस पर कोर्ट फीस नहीं लगती। देखिये कोर्ट फीस ऐक्ट नं० ७ सन् १८७० ई० की दफा १९ का क्लॉज १४ जिसमें यह आज्ञा दी गई है कि किसी ऐसी अर्जी पर कोर्टफीस माफ होगा जो किसी सार्वजनिक नौकर (मुलाजिम) की ओर से दी जाय।

म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट के द्वारा म्यूनिसिपलटी के सब अफसर और कर्मचारी सार्वजनिक नौकर माने गये हैं।

दफा ३१५ अपराधोंके सम्बन्धमें राजीनामा या फैसला कर लेनेका अधिकार

१ बोर्ड का चेयरमैन, या उन म्यूनिसिपलटियों में जहां एक्जिक्यूटिव अफसर हो, ऐसा एक्जिक्यूटिव अफसर चेयरमैन की साधारण या विशेष मंजूरी से, किसी मुकद्दमे के चलाने से पूर्व या, उसके चलाने के पश्चात, किसी ऐसे अपराध के विषय में जो इस ऐक्ट के अनुसार या किसी नियम या बाई-लॉ के अनुसार अपराध हो, राजीनामा या फैसला कर सकता है, सिवाय उन अपराधों के जो दफा २३७ की उपदफा (४) में, या दफा २४१ में या २४६ में, या २४७ में, या २८१ में या २८५ की उपदफा (१) में, या दफा २९५ में अंकित है, और सिवाय उन अपराधों के जो किसी ऐसे नियमों के विरुद्ध किये जाय जो नियम कि दफा २९६ के अनुसार उन विषयों में बनाये जाय जो विषय कि दफा २९ में अंकित हैं। परन्तु शर्त यह है कि किसी ऐसे अपराध के विषय में राजीनामा न किया जायगा, जो किसी ऐसे लिखित नोटिस की आज्ञा पालन न किये जाने के कारण उत्पन्न हुआ हो जो नोटिस कि बोर्ड ने या बोर्ड की ओर से दिया गया हो, जब तक कि उक्त नोटिस की आज्ञा पालन न करदी जाय, जहां तक कि उसकी आज्ञा का पालन करना सम्भव हो।

२ जब किसी अपराध के विषय में राजीनामा कर लिया जाय, तो अपराधी, यदि बंधन (हिरासत) में हो, मुक्त कर दिया जायगा, और उस अपराधके सम्बन्ध में जिसका

विषयमे इस प्रकार राजीनामा कर लिया गयाहो, अपराधी के विरुद्ध कोई आगे कार्रवाई नहीं की जायगी।

३ इस दफाके अनुसार जो रकमें राजीनामा करनेके विषयमें दी जायें वह म्यूनिसिपलटी के कोष मे जमा की जायँगी।

व्याख्या—

यह अपराध जिनके विषय में राजीनामा नहीं किया जा सकता नीचे लिखे अपराध हैं —

२३७-(४) किसी पशु को उसका मांस बेचने के लिये किसी ऐसे स्थान में मारना जो म्यूनिसिपल्टी ने नियत न किया हो।

२४२-उन पशुओं को जो दूध या मांसके लिये रखे जाय अनुचित खाद्य खिलाना।

२४६-व्यभिचार के लिये मारे मारे फिरना और दूसरों को साग्रह उसमें प्रवृत्ति कराना।

२४७-चकले इत्यादि रखना।

२८१-रोगियों का खाने पीने की वस्तुयें या औषधियां आदि बनाना या बेचना।

२८५-(५) मृत शरीर को किसी ऐसे स्थान में गाडना या जलाना जिसमें गाडने और जलाने की आज्ञा न हो।

२९५-बोर्ड द्वारा नियत किये हुये कर्मचारियों के कामों में बाधा डालना।

२९६-म्यूनिसिपलटी के मेम्बरों के निर्वाचन के सम्बन्ध में बनाये हुये नियमों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करना।

दफा ३१६ म्यूनिसिपलटीकी जायदादको हानिके लिये हर्जा।

यदि किसी ऐसे काम या उपेक्षा के कारण, या किसी ऐसे काम के न करने के कारण जिसके लिये कोई शख्स किसी ऐसे जुर्माने के दण्ड का भागी हुआ हो, जो दण्ड कि इस ऐक्ट के द्वारा या इस ऐक्ट केअनुसार नियत किया गया हो, बोर्ड की जायदाद को कुछ हानि पहुँची हो, तो वह शख्स जो उक्त दण्डका भागी हुआ हो, इस बात का जिम्मेदार होगा, कि उक्त हानि का हर्जा दे और उक्त जुर्माना भी अदा करे, और यदि जुर्माने की रकमके विषयमे झगड़ा हो तो जुर्माने की सख्या वह मजिस्ट्रेट निश्चय करेगा, जिसने उस शख्स को दण्ड दिया हो जो ऐसे दण्ड का भागी हुआ है, और उक्त हर्जा, यदि मांगे जाने पर अदा न किया जाय तो कुर्की के द्वारा वसूल किया जायगा, और ऐसा मजिस्ट्रेट उसके वसूल किये जाने के लिये वारट जारी करेगा।

व्याख्या—

इस दफा का अभिप्राय यह है कि यदि कोई अपराध इस ऐक्ट के किसी हुक्म के विरुद्ध किया जाय, तो अपराधी केवल उस दण्ड को पाकर, जो उक्त अपराध के लिये रखा गया हो, छूट न जायगा, वरन यदि उस अपराध के कारण म्यूनिसिपल्टी की जायदाद को कोई हानि भी पहुँची हो, तो अपराधी को उक्त हानि के लिये हर्जा भी देना होगा।

दफा २१७ अपराधोंके विषयमें और म्यूनिसिपलटीके अधिकारियोंको सहायता देनेके विषयमें पुलिसके अधिकार और कर्तव्य

पुलिस का प्रत्येक अफसर बोर्ड को किसी ऐसे अपराध की सूचना तुरन्त देगा जिसका उसको पता लगे, और जो इस ऐक्ट के विरुद्ध किया गया हो, या जो किसी ऐसे ऐक्ट के विरुद्ध किया गया हो जिसका उल्लेख दफा ११४ की उपदफा (१) के क्लॉज (बी) में किया गया है, या जो उक्त ऐक्टों में से किसी ऐक्टके अनुसार बनाये हुये किसी नियम के विरुद्ध किया गया हो, और उसका कर्तव्य होगा कि वह बोर्ड के सब मेम्बरों अफसरों और कर्मचारियो को, अपने जायज अधिकारों के बरतने में सहायता दे।

बोर्डके हुक्मोंकी अपील और बोर्डके विरुद्ध मुक़द्दमें

(Appeals from orders of Boards & suits against the Board)

दफा २१८ बोर्डके हुक्मकी अपील

१ जो शख्स कि किसी ऐसे हुक्म या हिदायतके कारण असतुष्ट हो (Aggrieved by) जो बोर्ड ने, उन अधिकारों के अनुसार, जो उसको दफा १८० की उपदफा (१) के या दफा १८६ या दफा २०५ की उपदफा (१) या २०८ या २११ या २२२ की उपदफा (६) या २४१ की उपदफा (२) या २४५ या २७८ या २८५ के द्वारा मिले हैं, दिया हो, या किसी ऐसे बाई-लॉके अनुसार दियाहो, जो बाई-लॉ दफा २९८ की मद (जी) के अनुसार बनाया गया हो, वह शख्स ऐसी हिदायत या हुक्म की तारीख से तीस दिन के भीतर, जिसमें वह अवधि जो उसको नकल मिलनेके लिये आवश्यक हो सम्मिलित न की जायगी, किसी ऐसे अफसर के सामने, जिसको प्रान्तीय सरकार ने ऐसी अपीलों के सुनने के लिये या उनमें से किसी के सुनने के लिये नियत किया हो, अपील कर सकता है, या यदि कोई ऐसा अफसर नियत न किया गया हो, तो जिला मजिस्ट्रेट के सामने अपीलकर सकता है।

परन्तु शर्त यह है कि यदि प्रान्तीय सरकार के द्वारा अपील सुनने के लिये कोई अफसर नियत न किया गयाहो, और जिला मजिस्ट्रेट स्वयं बोर्डका मेम्बर हो, तो अपील कमिश्नर के सामने की जायगी।

२ अपील सुनने वाला अधिकारी, यदि वह उचित समझे उस अवधि को बढ़ा सकता है, जो अपील करने के लिये उपदफा (१) के द्वारा मन्जूर की गई है।

३ कोई अपील ख़ारिज न की जायगी न कोई अपील पूरी मन्जूर की जायगी, न किसी अपील का कोई भाग मंजूर किया जायगा, जब तक कि पक्षकारों को वजह जाहिर करने का, या उज्रदारी करने का, उचित अवसर न दे दिया जाय।

व्याख्या—

जो हुक्म कि उपदफा (१) में गिनाई हुई दफाओं के अनुसार दिये जांय उनके विरुद्ध, दफा ३१४ के अनुसार अपील दायर की जा सकती है। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अपील करने

की जगह क्या किसी को यह अधिकार प्राप्त हो सकता है कि किसी हुक्म के विरुद्ध अदालत दीवानी में मुक़द्मा दायर करे। मनुआ वगैरा बनाम सरकार बहादुर 17 A L J 976=52 I. C 785=20 Cr L J 705, के मुक़द्मे में (जिसमें मामला यह था कि बोर्ड से, एक स्थान पर लकड़ी की टाल रखने के लिये लैसन्स मांगा गया था और बोर्ड ने ऐसा लैसन्स देने से इनकार कर दिया था) माननीय मिस्टर जस्टिस पिगट ने अपनी तजवीज में, इस प्रश्न के सम्बन्ध मे नीचे लिखी राय प्रकट की है —

"इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि म्यूनिसिपलटी के भूत पूर्व ऐक्ट के अनुसार तो इस विषय में दावा दायर किया जा सकता था कि म्यूनिसिपल बोर्ड के नाम हुक्म इम्तनाई जारी किया जाय कि वह मुद्दई को, किसी विशेष व्यापार या काम को किसी विशेष स्थान पर करने के जायज अधिकार को बरतने से न रोके। पर संयुक्त प्रान्त के म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट नं० २, सन १९१६ ई० (अर्थात् वर्तमान कानून) की दफा ३१८ और दफा ३२१ के द्वारा दीवानी की अदालतों का अधिकार सीमा बद्ध कर दिया गया है। मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि इन दफाओं के अनुसार, किसी ऐसे शख्सके लिये, जो ऐक्टकी दफा २९८की मद (जी) के अनुसार बनाये हुये बाई-लॉस से असतुष्ट हो, केवल एकही उपाय है कि वह उस ऊंचे पद के अधिकारी के सामने, जो दफा ३१८ में बताया गया है, अपील करे। किन्तु साथही साथ यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा मुकद्दमा दायर नहीं किया जा सकता कि किसी म्यूनिसिपल बोर्ड के नाम हुक्म इम्तनाई जारी करके उसको हुक्म दिया जाय कि वह मुद्दई को किसी निर्दिष्ट व्यापार को किसी निर्दिष्ट स्थान में करने के लिये लैसन्स दे।"

दफा ३१९ फैसलेके लिये हाईकोर्टको मामला भेजा जाना

१ यदि दफा ३१८ के अनुसार कोई अपील सुनते हुए, कोई प्रश्न किसी मनाही, हिदायत, नोटिस, या हुक्म के क़ानून के अनुसार होने या न होने के विषयमें उत्पन्नहो, जिसके विषयमें उस अफसरको जो अपील सुन रहा हो कोई उचित शङ्का हो तो ऐसा अफ़सर या तो अपनीही इच्छासे, या किसी ऐसे शख्सकी दरख्वास्त पर, जिसका मामले से सम्बन्ध हो, मुक़द्मेकी घटनाओंका हाल लिखके और वह विषय लिखके जिस पर कि उसको शङ्का हो, उक्त विषय पर अपनी रायके सहित, हाईकोर्ट को भेज सकता है।

२ जब कोई मामला उपदफा (१) के अनुसार हाईकोर्ट को फैसले के लिये भेजा जाय, तो उसके इस प्रकार भेजे जाने के उपरान्त जो कार्रवाइयां मुक़द्मे मे की जायगी वह यथा सम्भव उन नियमो के अनुसार होगी, जो हाईकोर्ट को फ़ैसले के लिये मामला भेजे जाने के सम्बन्ध मे जाबता दीवानी, सन् १९०८ ई० के पहलेशिड्यूल के आर्डर नं० ४६ मे दिये गये हैं, या किसी ऐसे नियमों के अनुसार की जायगी, जो उक्त जाबता दीवानी की दफा १२२ के अनुसार हाईकोर्ट ने बनाये हो।

नोट—जाबता दीवानी के आर्डर ४६ के लिये देखिये दफा २२ की उपदफा (२) का क्लॉज (ई) और उसकी व्याख्या।

दफा ३२० ख़र्चा

१ जो अदालत कि अपील फैसल करे उसको अधिकार होगा कि यदि वह उचित समझे, ख़र्चा दिये जाने का हुक्म दे।

२ इस दफा के अनुसार जो खर्चा बोर्ड को दिलाया जाय उसको बोर्ड उसी प्रकार वसूल करसकेगा, जैसेकि वह किसी कर की बाक़ी रक़महो जो अपीलाण्टपर चाहिये हो।

३ यदि बोर्ड कोई ऐसा खर्चा, जो किसी अपीलाण्टको इस दफाके अनुसार दिलाया जाय, उस तारीख से दस दिन के भीतर जिस तारीख पर कि ऐसा खर्चा देने का हुक्म बोर्ड के पास पहुँचे, न दे, तोवह अदालत जो खर्चा दिलाये, उस शख्स को आज्ञा दे सकती है जिसके पास म्युनिसिपलटी के कोष की बाक़ी रक़म हो, कि वह खर्च की रक़म को अदा करे।

दफा ३२१ अपील सुनने वाले अधिकारीके हुक्मका अंतिम होना

१ किसी ऐसे हुक्म या हिदायत पर, जिसका उल्लेख दफा ३१८ में किया गया है, किसी अन्य विधि से और किसी अन्य अधिकारी की ओर से, आक्षेप न किया जायगा, सिवाय उसके जिसका उक्त दफा में हुक्म है।

२ अपील सुनने वाले अधिकारी का हुक्म, जिसके द्वारा कोई ऐसा हुक्म या हिदायत बहाल रखी जाय, या रद्द की जाय, या उसमें परिवर्तन कियाजाय, अंतिम होगा।

परन्तु शर्त यह है कि, अपील सुनने वाले अधिकारी को अधिकार होगा, कि दरख्वास्त दिये जाने पर, और दूसरे फ़रीक़ को नोटिस देने के पश्चात्, किसी ऐसे हुक्म की नजरसानी (Review), जो उसने अपील में दिया हो एक ऐसे दूसरे हुक्म के द्वारा करे, जो उसके पहले हुक्म की तारीख से तीन मास के भीतर दिया जाय।

नोट—देखिये दफा ३१८ की व्याख्या।

दफ़ा ३२२ किसी किसी दशामें मुकद्दमें स्थगित कर दिये जाना

जब उस प्रकार के किसी हुक्म की जो दफा ३१८ में अंकित है, अपील की जा सकती हो और उसके विरुद्ध अपील कर दी गई हो, तो ऐसे हुक्म की आज्ञा पालन कराने के लिये सब कार्रवाइयाँ और ऐसे हुक्म के उल्लंघन के विषय में सब मुकद्दमे, अपील फैसल होने तक, अपील सुनने वाले अधिकारी के हुक्म से, स्थगित किये जा सकते हैं, और यदि अपील में उक्त हुक्म रद्द कर दिया जाय, तो उसका उल्लंघन कोई अपराध नहीं माना जायगा।

दफ़ा ३२३ अदालतके किसी किसी हुक्मोंकी अपील

दफ़ा २०१ के अनुसार दिये हुये जब्तीके प्रत्येक हुक्म की, और प्रत्येक ऐसे हुक्म की जो दफा २०२ या दफा २५८ के अनुसार दिया जाय, अपील उस अदालत में होगी, जिसका पद हुक्म देने वाली अदालत से उच्चतर हो, किन्तु अन्य किसी अदालत में उसकी अपील या निगरानी नहीं की जा सकेगी।

व्याख्या—

दफा २०१ में मौरूसी भंगियों (Customary Sweepers) के हक की जब्ती का हुक्म है। दफा २०२ में काश्तकार के इस हक की जब्ती का हुक्म है जिसके द्वारा वह मैला उठाने का स्वयं प्रबन्ध कर सकता है। दफा २५८ में ऐसी उत्पन्नशील वस्तुओं की जब्ती का हुक्म है जो

की जगह क्या किसी को यह अधिकार प्राप्त हो सकता है कि किसी हुक्म के विरुद्ध अदालत दीवानी में मुकद्दमा दायर करे। मनुआ वगैरा बनाम सरकार बहादुर 17 A L J 976=52 I C 785=20 Cr L J 705, के मुकद्दमे में (जिसमें मामला यह था कि बोर्ड से, एक स्थान पर लकड़ी की टाल रखने के लिये लैसन्स मांगा गया था और बोर्ड ने ऐसा लैसन्स देने से इनकार कर दिया था) माननीय मिस्टर जस्टिस पिगट ने अपनी तजवीज में, इस प्रश्न के सम्बन्ध में नीचे लिखी राय प्रकट की है —

"इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि म्यूनिसिपलटी के भूत पूर्व ऐक्ट के अनुसार तो इस विषय में दावा दायर किया जा सकता था कि म्यूनिसिपल बोर्ड के नाम हुक्म इम्तनाई जारी किया जाय कि वह मुद्दई को, किसी विशेष व्यापार या काम को किसी विशेष स्थान पर करने के जायज़ अधिकार को बरतने से न रोके। पर संयुक्त प्रान्त के म्यूनिसिपलटीज़ ऐक्ट नं० २, सन १९१६ ई० (अर्थात् वर्तमान कानून) की दफा ३१८ और दफा ३२१ के द्वारा दीवानी की अदालतों का अधिकार सीमा बद्ध कर दिया गया है। मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि इन दफाओं के अनुसार, किसी ऐसे शख्सके लिये, जो ऐक्टकी दफा २९८ की मद (जी) के अनुसार बनाये हुये बाई-लॉसे असतुष्ट हो, केवल एकही उपाय है कि वह उस ऊंचे पद के अधिकारी के सामने, जो दफा ३१८ में बताया गया है, अपील करे। किन्तु साथही साथ यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा मुकद्दमा दायर नहीं किया जा सकता कि किसी म्यूनिसिपल बोर्ड के नाम हुक्म इम्तनाई जारी करके उसको हुक्म दिया जाय कि वह मुद्दई को किसी निर्दिष्ट व्यापार को किसी निर्दिष्ट स्थान में करने के लिये लैसन्स दे।"

दफा ३१९ फैसलेके लिये हाईकोर्टको मामला भेजा जाना

१ यदि दफा ३१८ के अनुसार कोई अपील सुनते हुए, कोई प्रश्न किसी मनाही, हिदायत, नोटिस, या हुक्म के क़ानून के अनुसार होने या न होने के विषयमें उत्पन्नहो, जिसके विषयमें उस अफसरको जो अपील सुन रहा हो कोई उचित शङ्का हो तो ऐसा अफ़सर या तो अपनीही इच्छासे, या किसी ऐसे शख़्सकी दरख्वास्त पर, जिसका मामले से सम्बन्ध हो, मुकद्दमेकी घटनाओंका हाल लिखके और वह विषय लिखके जिस पर कि उसको शङ्का हो, उक्त विषय पर अपनी रायके सहित, हाईकोर्ट को भेज सकता है।

२ जब कोई मामला उपदफा (१) के अनुसार हाईकोर्ट को फैसले के लिये भेजा जाय, तो उसके इस प्रकार भेजे जाने के उपरान्त जो कार्रवाइयां मुकद्दमे में की जायगी वह यथा सम्भव उन नियमों के अनुसार होगी, जो हाईकोर्ट को फ़ैसले के लिये मामला भेजे जाने के सम्बन्ध में जाबता दीवानी, सन् १९०८ ई० के पहलेशिड्यूल के आर्डर नं० ४६ मे दिये गये हैं, या किसी ऐसे नियमों के अनुसार की जायगी, जो उक्त जाबता दीवानी की दफा १२२ के अनुसार हाईकोर्ट ने बनाये हों।

नोट—जाबता दीवानी के आर्डर ४६ के लिये देखिये दफा २३ की उपदफा (२) का क्लॉज (ई) और उसकी व्याख्या।

दफा ३२० ख़र्चा

१ जो अदालत कि अपील फैसल करे उसको अधिकार होगा कि यदि वह उचित समझे, ख़र्चा दिये जाने का हुक्म दे।

२ इस दफ़ा के अनुसार जो खर्चा बोर्ड को दिलाया जाय उसको बोर्ड उसी प्रकार वसूल करसकेगा, जैसेकि वह किसी कर की बाकी रकमहो जो अपीलाण्टपर चाहिये हो

३ यदि बोर्ड कोई ऐसा खर्चा, जो किसी अपीलाण्टको इस दफ़ाके अनुसार दिलाया जाय, उस तारीख़ से दस दिन के भीतर जिस तारीख़ पर कि ऐसा खर्चा देने का हुक्म बोर्ड के पास पहुँचे, न दे, तोवह अदालत जो खर्चा दिलाये, उस शख्स को आज्ञा दे सकती है जिसके पास म्यूनिसिपलटी के कोष की बाकी रकम हो, कि वह खर्चे की रकम को अदा करे।

दफा ३२१ अपील सुनने वाले अधिकारीके हुक्मका अंतिम होना

१ किसी ऐसे हुक्म या हिदायत पर, जिसका उल्लेख दफा ३१८ में किया गया है, किसी अन्य विधि से और किसी अन्य अधिकारी की ओर से, आक्षेप न किया जायगा, सिवाय उसके जिसका उक्त दफा में हुक्म है।

२ अपील सुनने वाले अधिकारी का हुक्म, जिसके द्वारा कोई ऐसा हुक्म या हिदायत बहाल रखी जाय, या रद् की जाय, या उसमें परिवर्तन कियाजाय, अंतिम होगा।

परन्तु शर्त यह है कि, अपील सुनने वाले अधिकारी को अधिकार होगा, कि दरख्वास्त दिये जाने पर, और दूसरे फ़रीक़ को नोटिस देने के पश्चात्, किसी ऐसे हुक्म की नजरसानी (Review), जो उसने अपील में दिया हो एक ऐसे दूसरे हुक्म के द्वारा करे, जो उसके पहले हुक्म की तारीख़ से तीन मास के भीतर दिया जाय।

नोट—देखिये दफा ३१८ की व्याख्या।

दफ़ा ३२२ किसी किसी दशामें मुकद्दमें स्थगित कर दिये जाना

जब उस प्रकार के किसी हुक्म की जो दफा ३१८ में अंकित है, अपील की जा सकती हो और उसके विरुद्ध अपील कर दी गई हो, तो ऐसे हुक्म की आज्ञा पालन कराने के लिये सब कार्रवाइयाँ और ऐसे हुक्म के उल्लंघन के विषय में सब मुक़द्दमे, अपील फैसल होने तक, अपील सुनने वाले अधिकारी के हुक्म से, स्थगित किये जा सकते हैं, और यदि अपील में उक्त हुक्म रद् कर दिया जाय, तो उसका उल्लंघन कोई अपराध नहीं माना जायगा।

दफ़ा ३२३ अदालतके किसी किसी हुक्मोंकी अपील

दफ़ा २०१ के अनुसार दिये हुये जब्तीके प्रत्येक हुक्म की, और प्रत्येक ऐसे हुक्म की जो दफ़ा २०२ या दफ़ा २५८ के अनुसार दिया जाय अपील उस अदालत में होगी, जिसका पद हुक्म देने वाली अदालत से उच्चतर हो, किन्तु अन्य किसी अदालत में उसकी अपील या निगरानी नहीं की जा सकेगी।

व्याख्या—

दफ़ा २०१ में मौरूसी भंगियों (Customary Sweepers) के हक़ की जब्ती का हुक्म है। दफ़ा २०२ में काश्तकार के [illegible] हक़ की जब्ती का हुक्म है जिसके द्वारा वह [illegible] का [illegible] है। दफ़ा २५८ में ऐसी [illegible] वस्तुओं की जब्ती का हुक्म है [illegible] व्यय प्रबन्ध कर सकता है।

की जगह क्या किसी को यह अधिकार प्राप्त हो सकता है कि किसी हुक्म के विरुद्ध अदालत दीवानी में मुकद्दमा दायर करे। मनुआ वगैरा बनाम सरकार बहादुर 17 A L J 976=52 I. C 785=20 Cr L J 705, के मुकद्दमे में (जिसमें मामला यह था कि बोर्ड से, एक स्थान पर लकड़ी की टाल रखने के लिये लैसन्स मांगा गया था और बोर्ड ने ऐसा लैसन्स देने से इनकार कर दिया था) माननीय मिस्टर जस्टिस पिगट ने अपनी तजवीज में, इस प्रश्न के सम्बन्ध में नीचे लिखी राय प्रकट की है —

'इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि म्यूनिसिपलटी के भूत पूर्व ऐक्ट के अनुसार तो इस विषय में दावा दायर किया जा सकता था कि म्यूनिसिपल बोर्ड के नाम हुक्म इम्तनाई जारी किया जाय कि वह मुद्दई को, किसी विशेष व्यापार या काम को किसी विशेष स्थान पर करने के जायज अधिकार को बरतने से न रोके। पर संयुक्त प्रान्त के म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट नं० २, सन १९१६ ई० (अर्थात् वर्तमान कानून) की दफा ३१८ और दफा ३२१ के द्वारा दीवानी की अदालतों का अधिकार सीमा बद्ध कर दिया गया है। मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि इन दफाओं के अनुसार, किसी ऐसे शख्सके लिये, जो ऐक्टकी दफा २९८ की मद (जी) के अनुसार बनाये हुये बाई-लॉस से असतुष्ट हो, केवल एकही उपाय है कि वह उस ऊंचे पद के अधिकारी के सामने, जो दफा ३१८ में बताया गया है, अपील करे। किन्तु साथही साथ यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा मुकद्दमा दायर नहीं किया जा सकता कि किसी म्यूनिसिपल बोर्ड के नाम हुक्म इम्तनाई जारी करके उसको हुक्म दिया जाय कि वह मुद्दई को किसी निर्दिष्ट व्यापार को किसी निर्दिष्ट स्थान में करने के लिये लैसन्स दे।"

दफा ३१९ फैसलेके लिये हाईकोर्टको मामला भेजा जाना

१ यदि दफा ३१८ के अनुसार कोई अपील सुनते हुए, कोई प्रश्न किसी मनाही, हिदायत, नोटिस, या हुक्म के क़ानून के अनुसार होने या न होने के विषयमें उत्पन्नहो, जिसके विषयमें उस अफसरको, जो अपील सुन रहा हो कोई उचित शङ्का हो तो ऐसा अफ़सर या तो अपनीही इच्छासे, या किसी ऐसे शख्सकी दरख्वास्त पर, जिसका मामले से सम्बन्ध हो, मुकद्दमेकी घटनाओंका हाल लिखके और वह विषय लिखके जिस पर कि उसको शङ्का हो, उक्त विषय पर अपनी रायके सहित, हाईकोर्ट को भेज सकता है।

२ जब कोई मामला उपदफ़ा (१) के अनुसार हाईकोर्ट को फैसले के लिये भेजा जाय, तो उसके इस प्रकार भेजे जाने के उपरान्त जो कार्रवाइयां मुकद्दमे में की जायगी वह यथा सम्भव उन नियमों के अनुसार होगी, जो हाईकोर्ट को फैसले के लिये मामला भेजे जाने के सम्बन्ध में जाबता दीवानी, सन् १९०८ ई० के पहलेशिड्यूल के आर्डर नं० ४६ में दिये गये हैं, या किसी ऐसे नियमों के अनुसार की जायगी, जो उक्त जाबता दीवानी की दफ़ा १२२ के अनुसार हाईकोर्ट ने बनाये हों।

नोट—जाबता दीवानी के आर्डर ४६ के लिये देखिये दफा २३ की उपदफ़ा (२) का क्लॉज (ई) और उसकी व्याख्या।

दफा ३२० ख़र्चा

१ जो अदालत कि अपील फैसल करे उसको अधिकार होगा कि यदि वह उचित समझे, ख़र्चा दिये जाने का हुक्म दे।

२ इस दफ़ा के अनुसार जो खर्चा बोर्ड को दिलाया जाय उसको बोर्ड उसी प्रकार वसूल करसकेगा, जैसेकि वह किसी कर की बाक़ी रक़महो जो अपीलाण्टपर चाहिये हो।

३ यदि बोर्ड कोई ऐसा खर्चा, जो किसी अपीलाण्टको इस दफ़ाके अनुसार दिलाया जाय, उस तारीख़ से दस दिन के भीतर जिस तारीख़ पर कि ऐसा खर्चा देने का हुक्म बोर्ड के पास पहुँचे, न दे, तोवह अदालत जो खर्चा दिलाये, उस शख्स को आज्ञा दे सकती है जिसके पास म्यूनिसिपलटी के कोष की बाक़ी रक़म हो, कि वह खर्च की रक़म को अदा करे।

दफ़ा ३२१ अपील सुनने वाले अधिकारीके हुक्मका अंतिम होना

१ किसी ऐसे हुक्म या हिदायत पर जिसका उल्लेख दफ़ा ३१८ में किया गया है, किसी अन्य विधि से और किसी अन्य अधिकारी की ओर से, आक्षेप न किया जायगा, सिवाय उसके जिसका उक्त दफ़ा में हुक्म है।

२ अपील सुनने वाले अधिकारी का हुक्म, जिसके द्वारा कोई ऐसा हुक्म या हिदायत बहाल रक्खा जाय, या रद की जाय, या उसमें परिवर्तन कियाजाय, अंतिम होगा।

परन्तु शर्त यह है कि, अपील सुनने वाले अधिकारी को अधिकार होगा, कि दरख्वास्त दिये जाने पर, और दूसरे फ़रीक़ को नोटिस देने के पश्चात्, किसी ऐसे हुक्म की नजरसानी (Review), जो उसने अपील में दिया हो एक ऐसे दूसरे हुक्म के द्वारा करे, जो उसके पहले हुक्म की तारीख़ से तीन मास के भीतर दिया जाय।

नोट—देखिये दफ़ा ३१८ की व्याख्या।

दफ़ा ३२२ किसी किसी दशामें मुक़दमे स्थगित कर दिये जाना

जब उस प्रकार के किसी हुक्म की जो दफ़ा ३१८ में अंकित है, अपील की जा सकती हो और उसके विरुद्ध अपील कर दी गई हो, तो ऐसे हुक्म की आज्ञा पालन कराने के लिये सब कार्रवाइयाँ और ऐसे हुक्म के उल्लंघन के विषय में सब मुक़दमे, अपील फ़ैसल होने तक, अपील सुनने वाले अधिकारी के हुक्म से, स्थगित किये जा सकते हैं, और यदि अपील में उक्त हुक्म रद कर दिया जाय, तो उसका उल्लंघन कोई अपराध नहीं माना जायगा।

दफ़ा ३२३ अदालतके किसी किसी हुक्मोंकी अपील

दफ़ा २०१ के अनुसार दिये हुये जब्तीके प्रत्येक हुक्म की, और प्रत्येक ऐसे हुक्म की जो दफ़ा २०२ या दफ़ा २५८ के अनुसार दिया जाय, अपील उस अदालत में होगी, जिसका पद हुक्म देने वाली अदालत से उच्चतर हो, किन्तु अन्य किसी अदालत में उसकी अपील या निगरानी नहीं की जा सकेगी।

व्याख्या—

दफ़ा २०१ में मौरूसी भंगियों (Customary Sweepers) के हक़ की जब्ती का हुक्म है। दफ़ा २०२ में कादनकार के इस हक़ की जब्ती का हुक्म है जिसके द्वारा वह मैला उठवाने का स्वयं प्रबन्ध कर सकता है। दफ़ा २५८ में ऐसी ज्वलनशील वस्तुओं की जब्ती का हुक्म है जो

इजाजत से अधिक मात्रा में पाई जाय। उपरोक्त सब हुक्मों के देने का अधिकार अदालत ही को दिया गया है।

दफा ३२४ उस मुआविज़ेकी संख्याका झगड़ा जो बोर्डको अदा करना हो

१ यदि कोई झगडा ऐसे मुआविजे की संख्या के विषय मे उत्पन्न हो जिसके अदा करने की इस ऐक्ट के अनुसार बोर्ड को आज्ञा दी गई हो, तो उसका फैसला उस विधि से किया जायगा जो दोनो फरीक परस्पर निश्चय कर ले, या, यदि दोनों फरीक इस प्रकार फैसला न कर सके, तो फैसला बोर्ड की या उस शख्स की दरख्वास्त पर, जो मुआविजा का दावा करता हो, कलक्टर करेगा।

२ मुआविजा दिलाने के सम्बन्ध मे कलक्टर का प्रत्येक फैसला इस बात के आधीन होगा, कि मुआविजा की दरख्वास्त करने वाले को यह अधिकार होगा, कि उस विधि के अनुसार, जो लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट सन १८९४ ई० (अर्थात् जबरन आराजी प्राप्त करने का कानून) की दफा १८ मे दी गई है, उसको जिला जज को फैसले के लिये भेजे जाने की दरख्वास्त करे।

३ उन दशाओं मे जिनमे आराजी के विषय मे मुआविजे का दावा हो, कलक्टर और जिला जज, जहा तक सम्भव हो उस जावते के अनुसार कार्रवाई करेंगे जो कि उक्त ऐक्ट मे मुआविजे के सम्बन्ध मे सार्वजनिक प्रयोजनो के लिये आराजी प्राप्त करने के लिये नियमित है।

व्याख्या—

यह दफा केवल उसी दशामें लागू होगी, जब कि मुवाविजेके विषयमें झगडा सीधा बोर्डसे हो और उस मुआविजे के अदा करने की आज्ञा, ऐक्ट के हुक्मों के अनुसार, बोर्ड को हो। इसलिए मुहम्मद गजनफ्फर उल्ला बनाम बाबूलाल 19 A. L. J. 521 वाले मामले में हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट की दफा ३२४ को किसी ऐसे मुकदमे से कोई वास्ता नहीं हो सकता जो कि किसी आराजी के पट्टेदारने म्यूनिसिपल बोर्ड के एक ठेकेदार के विरुद्ध दायर किया हो, जिस ठेकेदार ने कि आराजी पर इमारत बनाने की सामग्री जमा कर देने के द्वारा पट्टेदार को उक्त आराजी काम में नही लाने दी। हाईकोर्ट ने तजवीज में लिखा कि वह काम जिसके विषय में हर्जे का दावा किया गया था न तो म्यूनिसिपल बोर्ड ने किया था न बोर्ड के किसी मेम्बर, अफसर या कर्मचारी ने किया था। न उक्त काम कोई ऐसा काम था जिसके विषय में म्यूनिसिपलटियों के कानून में यह आज्ञा हो कि बोर्ड ऐसे काम का हर्जा अदा करे।

—लैण्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट न० १ सन् १८९४ ई० की दफा १८ इस प्रकार है —

"१ कोई ऐसा शख्स जिसको मामले से वास्ता हो और जिसने वह मुआविजे की रकम जो दिलाई गई हो स्वीकार न की हो, लिखित दरख्वास्त के द्वारा, कलक्टर से कह सकता है, कि मामला, कलक्टर के द्वारा अदालत के फैसले के लिये भेज दिया जाय, चाहे उक्त शख्स का उज्र आराजी के नाप के सम्बन्ध में हो या मुआविजे की संख्या के सम्बन्ध में हो, या इस सम्बन्ध में हो कि मुआविजा किसको दिया जाय, या चाहे उन [illegible] हो मुआविजे-के बांटे जाने के सम्बन्ध में उज्र हो।

२ दरख्वास्त में वह कारण लिखे जायँगे, जिनके आधार पर मुआविजे पर उज़् किया जाता हो। परन्तु शर्त यह है कि प्रत्येक ऐसी दरख्वास्त—

(ए) यदि दरख्वास्त देने वाला उस समय पर जब कि मुआविजे का हुक्म दिया गया था, स्वयं कलक्टर के सामने उपस्थित था, या उसकी ओर से कोई दूसरा शख्स उपस्थित था, तो कलक्टर के मुआविजा दिलाने के हुक्म से ६ सप्ताह के भीतर दरख्वास्त दी जाना चाहिये।

(बी) अन्य दफाओं में दफा १२ की उपदफा (२) के अनुसार कलक्टर द्वारा भेजे हुए नोटिस के मिलने से ६ सप्ताह के भीतर या कलक्टर के मुआविजा दिलाने के हुक्म से ६ मास के भीतर दी जायगी, अर्थात् इन दोनों में से जो अवधि पहले समाप्त हो।"

दफा ३२५ स्थानीय अधिकारियोंके झगड़ोंका फैसला

१ यदि कोई झगड़ा किसी म्युनिसिपल बोर्ड और किसी अन्य स्थानीय अधिकारी में किसी ऐसे मामले के विषय में उत्पन्न हो, जिस मामलेसे उन दोनों का साथ २ वास्ता हो, तो ऐसा झगडा प्रान्तीय सरकारके द्वारा फैसल कराया जायगा और उसका फैसला अन्तिम होगा।

२ प्रान्तीय सरकार, नियम के द्वारा, जो दफा २९६ के अनुसार बनाया जायगा, उन पारस्परिक व्यवहारों को निश्चय कर सकतीहै, जो बोर्डों तथा दूसरे स्थानीय अधिकारियों के बीच, किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में बरते जायंगे जिस मामले से उनको साथ २ वास्ता हो।

नोट—स्थानीय अधिकारी की व्याख्या के लिये देखिये दफा ११० की व्याख्या।

—यह दफा उन सब मामलों पर लागू है, जो किसी दो स्थानीय अधिकारियों के बीच उत्पन्न हों, चाहे कोई ज्वाइंट कमेटी दफा ११० के अनुसार बनाई गई हो या नहीं। यदि कोई ज्वाइंट कमेटी बनाई गई हो उसमें जो मेम्बर भिन्न भिन्न स्थानीय अधिकारियों के हों, उनमें जो झगड़ा उत्पन्न हो, उसके फैसले के लिये देखिये दफा ११० की उपदफा (४)।

दफा ३२६ बोर्डपर या उसके अफसरोंपर नालिशें

१ किसी बोर्ड पर, या बोर्ड के किसी मेम्बर, अफसर या कर्मचारी पर कोई नालिश किसी ऐसे काम के विषय में जो उक्त बोर्ड, या मेम्बर, या अफसर, या कर्मचारी ने, अपने पद के अधिकारों को बरतते हुये किया हो, (In official capacity) या जिस के विषय में यह कहा जाय कि वह पद के अधिकारों को बरतते हुये किया गया है, उस समय तक न की जायगी जब तक कि लिखित नोटिस (यदि नालिश बोर्ड पर करना हो) उसके दफतर में पहुँचा देने के पश्चात् दो मास व्यतीत न हो जाय, और यदि नालिश किसी मेम्बर, अफसर या कर्मचारी पर करना हो, तो जब तक लिखित नोटिस उसके हवाले कर दिये जाने से या उसके दफतर में, या निवासस्थान में, पहुँचा दिये जाने के पश्चात् दो मास व्यतीत न हो जाय, और जिस नोटिस में कि बिनाय मुखासमत (Cause of action) और यह कि किस प्रकारकी दादरसी चाही जाती

इजाजत से अधिक मात्रा में पाई जाय। उपरोक्त सब हुक्मों के देने का अधिकार अदालत ही को दिया गया है।

दफा ३२४ उस मुआविज़ेकी संख्याका झगड़ा जो बोर्डको अदा करना हो

१ यदि कोई झगडा ऐसे मुआविजे की संख्या के विषय मे उत्पन्न हो जिसके अदा करने की इस ऐक्ट के अनुसार बोर्ड को आज्ञा दी गई हो, तो उसका फैसला उस विधि से किया जायगा जो दोनो फरीक़ परस्पर निश्चय कर लें, या, यदि दोनों फरीक़ इस प्रकार फैसला न कर सके, तो फैसला बोर्ड की या उस शख्स की दरख्वास्त पर, जो मुआविजा का दावा करता हो, कलक्टर करेगा।

२ मुआविज़ा दिलाने के सम्बन्ध मे कलक्टर का प्रत्येक फैसला इस बात के आधीन होगा, कि मुआविजा की दरख्वास्त करने वाले को यह अधिकार होगा, कि उस विधि के अनुसार, जो लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट सन १८९४ ई० (अर्थात् जबरन आराजी प्राप्त करने का क़ानून) की दफा १८ मे दी गई है, उसको जिला जज को फैसले के लिये भेजे जाने की दरख्वास्त करे।

३ उन दशाओं मे जिनमे आराजी के विषय मे मुआविजे का दावा हो, कलक्टर और जिला जज, जहां तक सम्भव हो उस जाबते के अनुसार कार्रवाई करेंगे जो कि उक्त ऐक्ट मे मुआविजे के सम्बन्ध मे सार्वजनिक प्रयोजनो के लिये आराजी प्राप्त करने के लिये नियमित है।

व्याख्या—

यह दफा केवल उसी दशामें लागू होगी, जब कि मुवाविजेके विषयमें झगडा सीधा बोर्डसे हो और उस मुआविजे के अदा करने की आज्ञा, ऐक्ट के हुक्मों के अनुसार, बोर्ड को हो। इसलिए मुहम्मद राजनफ्फर बल्ला बनाम बाबूलाल 19 A. L. J. 521 वाले मामले में हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट की दफा ३२४ को किसी ऐसे मुकदमें से कोई वास्ता नहीं हो सकता जो कि किसी आराजी के पट्टेदारने म्यूनिसिपल बोर्ड के एक ठेकेदार के विरुद्ध दायर किया हो, जिस ठेकेदार ने कि आराजी पर इमारत बनाने की सामग्री जमा कर देने के द्वारा पट्टेदार को उक्त आराजी काम में नहीं लाने दी। हाईकोर्ट ने तजवीज में लिखा कि वह काम जिसके विषय में हर्जे का दावा किया गया था न तो म्युनिसिपल बोर्ड ने किया था न बोर्ड के किसी मेम्बर, अफसर या कर्मचारी ने किया था। न उक्त काम कोई ऐसा काम था जिसके विषय में म्यूनिसिपलटियों के कानून में यह आज्ञा हो कि बोर्ड ऐसे काम का हर्जा अदा करे।

—लैण्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट न० १ सन् १८९४ ई० की दफा १८ इस प्रकार है —

"१ कोई ऐसा शख्स जिसको मामले से वास्ता हो और जिसने वह मुआविजे की रकम जो दिलाई गई हो स्वीकार न की हो, लिखित दरख्वास्त के द्वारा, कलक्टर से कह सकता है, कि मामला, कलक्टर के द्वारा अदालत के फैसले के लिये भेज दिया जाय, चाहे उक्त शख्स का उज़्र आराजी के नाप के सम्बन्ध मे हो या मुआविजे की संख्या के सम्बन्ध में हो, या इस सम्बन्ध में हो कि मुआविजा किसको दिया जाय, या चाहे उन शख्सों का जिनका मामले से वास्ता हो मुआविजे के बांटे जाने के सम्बन्ध में उज़्र हो।

२ दरख्वास्त में वह कारण लिखे जायँगे, जिनके आधार पर मुआविजे पर उज्र किया जाता हो। परन्तु शर्त यह है कि प्रत्येक ऐसी दरख्वास्त—

(ए) यदि दरख्वास्त देने वाला उस समय पर जब कि मुआविजे का हुक्म दिया गया था, स्वयं कलक्टर के सामने उपस्थित था, या उसकी ओर से कोई दूसरा शख्स उपस्थित था, तो कलक्टर के मुआविजा दिलाने के हुक्म से ६ सप्ताह के भीतर दरख्वास्त दी जाना चाहिये।

(बी) अन्य दफाओं में दफा १२ की उपदफा (२) के अनुसार कलक्टर द्वारा भेजे हुए नोटिस के मिलने से ६ सप्ताह के भातर या कलक्टर के मुआविजा दिलाने के हुक्म से ६ मास के भीतर दी जायगी, अर्थात् इन दोनों में से जो अवधि पहले समाप्त हो।"

दफा ३२५ स्थानीय अधिकारियोंके झगड़ोंका फैसला

१ यदि कोई झगडा किसी म्यूनिसिपल बोर्ड और किसी अन्य स्थानीय अधिकारी मे किसी ऐसे मामले के विषय मे उत्पन्न हो, जिस मामलेसे उन दोनों का साथ २ वास्ता हो, तो ऐसा झगडा प्रान्तीय सरकारके द्वारा फैसल कराया जायगा और उसका फैसला अन्तिम होगा।

२ प्रान्तीय सरकार, नियम के द्वारा, जो दफा २९६ के अनुसार बनाया जायगा, उन पारस्परिक व्यवहारों को निश्चय कर सकतीहै, जो बोर्डों तथा दूसरे स्थानीय अधिकारियों के बीच, किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध मे बरते जायंगे जिस मामले से उनको साथ २ वास्ता हो।

नोट—स्थानीय अधिकारी की व्याख्या के लिये देखिये दफा ११० की व्याख्या।

—यह दफा उन सब मामलों पर लागू है, जो किसी दो स्थानीय अधिकारियों के बीच उत्पन्न हों, चाहे कोई ज्वाइंट कमेटी दफा ११० के अनुसार बनाई गई हो या नहीं। यदि कोई ज्वाइंट कमेटी बनाई गई हो उसमें जो मेम्बर भिन्न भिन्न स्थानीय अधिकारियों के हों, उनमें जो झगड़ा उत्पन्न हो, उसके फैसले के लिये देखिये दफा ११० की उपदफा (४)।

दफा ३२६ बोर्डपर या उसके अफसरोंपर नालिशें

१ किसी बोर्ड पर, या बोर्ड के किसी मेम्बर, अफसर या कर्मचारी पर कोई नालिश किसी ऐसे काम के विषय में जो उक्त बोर्ड, या मेम्बर, या अफसर, या कर्मचारी ने, अपने पद के अधिकारों को बरतते हुये किया हो, (In official capacity) या जिस के विषय में यह कहा जाय कि वह पद के अधिकारों को बरतते हुये किया गया है, उस समय तक न की जायगी जब तक कि लिखित नोटिस (यदि नालिश बोर्ड पर करना हो) उसके दफतर मे पहुँचा देने के पश्चात् दो मास व्यतीत न हो जाय, और यदि नालिश किसी मेम्बर, अफसर या कर्मचारी पर करना हो, तो जब तक लिखित नोटिस उसके हवाले कर दिये जाने से या उसके दफतर में, या निवासस्थान में, पहुँचा दिये जाने के पश्चात् दो मास व्यतीत न हो जांय, और जिस नोटिस में वि विनाए मुखासमत (Cause of action) और यह कि किस प्रकारकी दादरसी चाही जाती

है, और हर्जे की सख्या जो मागी जातीहै, और मुद्दईका नाम और निवास स्थान, प्रत्यक्ष रूप से लिखे जायगे, और अर्जी दावेमे यह बात लिखी जायगी कि ऐसा नोटिस दे दिया गया है, या पहुँचा दिया गया है।

२ यदि बोर्ड, या मेम्बर, या अफसर, या कर्मचारी ने, मुकद्दमा आरम्भ होने से पूर्व मुद्दई को काफी बदला दे दिया हो, तो मुद्दई उस रकम से अधिक जो देदी गई हो, कोई रकम वसूल न करेगा, और ऐसी रकम के दे दिये जाने के पश्चात, मुद्दाअलेह का जो खर्चा पडे वह भी अदा करेगा।

३ कोई ऐसा मुकद्दमा जिसका वर्णन उपदफा (१) मे है, सिवाय उस दशा के कि उक्त मुकद्दमा स्थावर जायदाद पर कब्जा लेने के लिये हो, या उसके सबन्ध मे इस्तिकरार हक के लिये हो, सिवाय इसके कि वह विनाय मुखासमत के उत्पन्न होने से ६ मास के भीतर आरम्भ कर दिया जाय, इसके पश्चात् आरम्भ न किया जायगा।

४ परन्तु शर्त यह है कि उपदफा (१) की किसी बात का यह अर्थ न लगाया जायगा कि वह किसी ऐसी नालिश पर लागू है जिसमें वह दादरसी (Rohet) जिसका दावा किया जाय, केवल ऐसे हुक्म इम्तनाई के लिये हो जिसका मतलब नोटिस के देनेसे, या मुकद्दमा या कार्रवाई के आरम्भ करने को मुलतवी करनेसे नष्ट हो जायगा।

व्याख्या—

दफा ३२६ का साराश यह है—

म्यूनिसिपल बोर्ड पर या बोर्ड के किसी अफसर आदि पर दावा करने से पूर्व दो मास का नोटिस दिया जाना चाहिये। ऐसे नोटिस में मामले का पूरा वृत्तान्त दिया जाना चाहिये। जिस दिन बिनाय मुखासमत उत्पन्न हो उससे ६ मास के भीतर दावा कर दिया जाना चाहिये। परन्तु यह ६ मास की अवधि उस दशा में लागू न होगी जब दावा किसी स्थावर जायदाद पर कब्जा लेने के लिये हो या स्थावर जायदाद के विषय में इस्तिकरार हकके लिये हो। परन्तु दो मास का नोटिस इन दशाओं में भी आवश्यक होगा। यदि दावा हुक्म इम्तनाई के लिये हो और दो मास के नोटिस देने का यह प्रभाव हो कि दावे का इतने समय के बाद किया जाना निरर्थक हो तो ऐसी दशा में दो मास के नोटिस की आवश्यकता न होगी।

—इस दफाके अनुसार नोटिस दिये जानेकी जो आज्ञा दी गई है यह केवल दीवानी के मामलों के लिये है उससे फौजदारी की अदालत की किसी कार्रवाई से कुछ सम्बन्ध नहीं है। इसलिये जब कुछ म्यूनिसिपल कर्मचारियों ने एक दारस के कुछ मवेशी पकड के बाड़े में दे दिये, और उक्त कर्मचारियों पर दफा २२, कैटिल ट्रेसपास ऐक्ट न० १ सन् १८७१ई० के अनुसार फौजदारी की अदालतने जुर्माना किया तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि दण्ड ठीक दिया गया और यह कि दो मासका नोटिस ऐसी दशा में आवश्यक नहीं है, न ऐसी फौजदारी की कार्रवाई से दफा ३२६ का कुछ सम्बन्ध है। देखिये सटोला वगैरा बनाम सरकार बहादुर 16 A. L. J. 149.

—नोटिस के दिये जाने का तात्पर्य यह है, कि यदि बोर्ड या बोर्ड का कोई मेम्बर, अफसर या कर्मचारी सार्वजनिक कामों में, कोई भूल चूक, कर जाय, या कानून की आज्ञा के विरुद्ध कोई काम करे, तो उनको इस बात का अवसर दिया जाय, कि वह उस हानि का बदला देकर, जो किसी को ऐसी भूल चूक आदि से पहुँची हो पब्लिक का रुपया मुकद्दमा लड़ने में व्यय न करायें। हाई-

कोर्ट ने तजवीज किया है कि नोटिस का दिया जाना प्रत्येक दशा में आवश्यक है। म्युनिसिपल्टी के अफसर आदि ने काम नेकनीयत से किया था, या बुरीनीयत से, इसका प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इसलिये जब कि म्युनिसिपल्टी के एक मेम्बर ने, जिसको सफाई के कामों की देख भाल करना सौंपा गया था, एक शख्स के विरुद्ध रिपोर्ट की कि उसके घर से मैला पानी सड़क पर बह रहा था, परन्तु उस शख्स के विरुद्ध अपराध साबित न हुआ, और उसने झूठा मुकद्दमा चलाने का दावा उक्त मेम्बर पर किया। तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि ऐसी दशा में भी दो मास का नोटिस दिया जाना जरूरी था। देखिये युगलकिशोर बनाम जुगलकिशोर 8 A L J 509=33 All I L R 540=10 I C 1

—जो दावा बोर्ड पर, या बोर्ड के किसी मेम्बर आदि पर इस दफा की उपदफा (१) के अनुसार किया जाय, वह बिनाय मुखासमत के उत्पन्न होने से ६ मास के भीतर, अर्थात् उस दिन के ६ मास के भीतर, जिस दिन कि कानून के अनुसार, दावा करने का हक प्राप्त हो जाय, कर दिया जाना चाहिये। ऐसे मुकद्दमों पर कानून मियाद (Limitation Act) के हुक्म लागू न होंगे।

माखनलाल बनाम म्युनिसिपल बोर्ड आगरा 18 A L J 180=54 I C 459 के मुकद्दमे में मामला यह था कि मुद्दई ने कुछ रुपया म्युनिसिपल्टी की हदों के बाहर भेजा और उसके लिये चुङ्गी की वापसी चाही। म्युनिसिपल्टी ने वापसी देने से मना कर दिया। मुद्दई ने वापसी के लिये दावा बिनाय मुखासमत उत्पन्न होने से ६ मास के उपरान्त किया। ६ मास की मियाद, जो उपदफा (२) के अनुसार दी गई है, उससे बचने के लिये, मुद्दई की ओर से यह बहस की गई, कि उपदफा (१) का केवल उन्हीं मुकद्दमों से सम्बन्ध है जिनमें किसी काम के लिये हरजा मांगा जाय। इसलिये उपदफा (२) में बताई हुई ६ मास की मियाद, ऐसे मुकद्दमे में, जिसमें हरजा नहीं वरन रुपये की वापसी मांगी जाती है, लागू नहीं हो सकती। इस बहस को हाईकोर्ट ने स्वीकार नहीं किया, और तजवीज किया कि समस्त ऐसे मुकद्दमे, जो किसी ऐसे काम के कारण दायर किये जाय, जो काम कि इस ऐक्ट के अनुसार किया गया हो, या जो इस ऐक्ट के हुक्मों की आड़ में (Under Colour of) किया गया हो, या जिसके विषय में यह कहा जाता हो (Purporting to be done) कि वह इस ऐक्ट के अनुसार किया गया था, उस विशेष मियाद के आधीन होंगे, जो दफा में बताई गई है, चाहे ऐसे मुकद्दमे हरजे के लिये हों या अन्य किसी बात के लिये। केवल स्थावर जायदाद की वापसी के लिये, या स्थावर जायदाद के विषय में इस्तिकरार हक्के, जो मुकद्दमे हों, उनपर यह विशेष मियाद लागू न होगी।

—परन्तु ऐसा कोई हक जैसे मरे हुये पशुओं के मृत शरीर भूमि पर से उठाने का, स्थावर जायदाद के सम्बन्ध का हक नहीं माना जा सकता है। इसलिये जब एक म्युनिसिपल्टी ने मुद्दाअलेह को पशुओं के मृत शरीर उठाने या जमा करने का ठेका या पट्टा दे दिया और उक्त ठेके या पट्टे से ६ मास व्यतीत हो जाने के उपरान्त मुद्दई ने इस्तिकरार हक का दावा किया कि उक्त हक मुझको प्राप्त है। तो हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि भूमि पर से पशुओं के मृत शरीर उठाने का हक, स्थावर जायदाद से सम्बन्ध रखने वाला कोई हक नहीं है, और दावा ६ मास के भीतर किया जाना चाहिये था। देखिये झुनवा वगैरा बनाम म्युनिसिपल बोर्ड धामपुर 21 A L J 101

—एक म्युनिसिपल्टी ने एक शख्स अबदुलवाहिद को, एक मेले के लिये कुछ झोंपड़े बनाने का ठेका दिया। जब ठेकेदार ने अपना बिल पेश किया तो म्युनिसिपल्टी के इन्जीनियर ने यह राय दी कि उसमें से कुछ रकम कम की जाना चाहिये। बोर्ड ने इस राय का समर्थन किया और ता० १५

अगस्त सन् १९१८ ई० को ठेकेदार के पास इस बातकी सूचना भेज दी गई। चार वर्ष के पश्चात् अबदुल वाहिद ने उस रकम का दावा किया। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि पूरा रुपया देने से बोर्ड ने इन्कार किया था वह एक ऐसा काम था जो उसने अपने पद की हैसियत से किया था अतएव उस रुपये का दावा, बोर्ड द्वारा मना करने से ६ मास के भीतर होना चाहिये था देखिये अबदुल वाहिद बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड इलाहाबाद, 21 A L J 161.

—केवल एक दशा है, जिसमे बिना दो मास का नोटिस दिये हुये, किसी म्यूनिसिपलबोर्ड पर, या उसके किसी अफसर, मेम्बर, कर्मचारी पर दावा किया जा सकता है, अर्थात् जब मुकद्दमें में ऐसे बोर्ड आदि के विरुद्ध हुक्म इम्तिनाई निकाले जाने की प्रार्थना की जाय, और दो मास तक मुकद्दमा दायर न कर सकने के कारण, मुकद्दमें का दायर किया जाना व्यर्थ और निष्फल हो जाने की सम्भावना हो। जैसे यदि कोई बोर्ड किसी मकान को गिरा देने का हुक्म दे, ऐसी दशा में यदि दो मास का नोटिस दिया जाय, तो इस बीच में मकान के गिरा दिये जाने के कारण, मुकद्दमा का दायर किया जाना व्यर्थ हो जायगा। — यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि ऐक्ट नं० १ सन् १९००ई० में ऐसा हुक्म नहीं था। अतएव उक्त ऐक्ट के अनुसार जो नजीरें इस विषय में हुई हों कि हुक्म इम्तनाई के दावे में भी दो मास का नोटिस दिया जाना चाहिये, वह वर्तमान ऐक्ट की दफा ३२६ की उपदफा (४) के हुक्म के सामने कोई असर नहीं रखतीं। जैसे देखिये ई० सी० एफ० ग्रीनवे बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड कानपुर, 1906 A W N 107=3 A L J 341.

—यह आवश्यक है कि मुकद्दमेंमें केवल हुक्म इम्तनाई की ही प्रार्थना की जाय। यदि ऐसी प्रार्थना के संग कोई अन्य प्रार्थना भी की गई हो, तो नोटिस का दिया जाना जरूरी है। म्यूनिसिपल बोर्ड बनारस बनाम गजाधर 41 All I L R 162=16 A L J. 793=47 I C 848, के मुकद्दमें में मामला यह था कि मुद्दई को म्यूनिसिपल बोर्ड ने एक चबूतरा दूर कर देने का हुक्म दिया। इस नोटिस पर मुद्दई ने मुकद्दमा दायर करने का नोटिस उक्त बोर्ड को ता० १४ जुलाई सन् १९१६ई० को दिया, किन्तु मुकद्दमा ता० ४ अगस्त सन् १९१६ई० को अर्थात् नोटिससे दो मास समाप्त होने से पूर्व ही, दायर कर दिया। मुद्दईने दो प्रकारकी प्रार्थनायें मुकद्दमेंमें की, अर्थात् (१) चबूतरे के विषय में इस्तिकरार/हक कर दिया जाय और (२) म्यूनिसिपलटी के नाम हुक्म इम्तनाई जारी किया जाय कि वह चबूतरे को न तोड़वाये।



प्रकरण ११

परिशिष्ट
(Supple mentary)



दफा ३२७ प्रान्तीय सरकार द्वारा अधिकारों का सौंपा जाना

प्रान्तीय सरकार विज्ञापन के द्वारा किसी कमिश्नर को, किसी विशेष म्यूनिसिपलटी के विषय मे, या एक से अधिक म्यूनिसिपलटियों के विषय मे, जो ऐसे कमिश्नर की कमिश्नरी के भीतर हो, कोई एक या एक से अधिक अधिकार, जो इस ऐक्टके द्वारा प्रान्तीय सरकार को दिये गये हो, सिवाय उन अधिकारों के जिनकी सूची शिड्यूल नं० ७ मे दी गई है सौंप सकती है।

दफा ३२८ याददाश्तकी किताबों और कूते हुये करोंकी सूचियोंकी जाच के लिये सुभीता कर दिया जाना

प्रत्येक ऐसा शख्स, जो कर अदा करता हो, और प्रत्येक निर्वाचक (Elector) उन शर्तों के आधीन, जो बाई-लॉ के द्वारा, जो इस विषय में बनाया गया हो, नियमित की गई हों, बोर्ड की याददाश्त की किताबे (Minute Books) और कूते हुये करों की सूचियो की, बिना किसी फीस के दिये हुये, जाच कर सकेगा।

नोट-बोर्ड को इस दफा के लिये बाई लॉ बनानेका अधिकार दफा २९८ की मद (जे) के अश (जी) के द्वारा दिया गया है।

दफा ३२९ नियमों रेग्युलेशन और बाई-लॉओंको प्रकाशित कर देनेके लिये हुक्म

ऐसी किताबे जिनमे प्रत्येक नियम और रेग्युलेशन और बाई-लॉ लिखा हो, म्यूनिसिपलटी के दफ्तर मे रखी जायगी, और काम काज के साधारण समय मे, प्रत्येक शख्स बिना किसी फीस के दिये हुये, उनकी जाच कर सकेगा, और वह उक्त दफ्तर मे, लोगों के हाथ, ऐसे उचित मूल्य पर बेची जाने के लिये रखी जायँगी, जो मूल्य कि बाई-लॉ मे जो इस विषय मे बनाया जाय अंकित कर दिया जायगा।

नोट-दफा २९८ की मद (जे) के अंश (जी) के अनुसार इस दफा के लिये बाई लॉ बनाये जा सकते हैं।

दफा ३३० म्यूनिसिपलटीके कागज़ोंके साबित करनेकी विधि

किसी ऐसी रसीद, या दरख्वास्त, या नक्शे (Plan), या नोटिस, या हुक्म, या रजिस्टरके इन्दराज, या किसी अन्य दस्तावेज के इन्दराज की नकल, जो किसी बोर्डके कब्जे मे हो, यदि ऐसी नकल की वह शख्स तस्दीक करे जो कानून के अनुसार उसका रखने वाला हो या कोई अन्य ऐसा शख्स तस्दीक करे जिसको बाई-लॉ के द्वारा इस

जायँ, या जो दस्तावेजें उसके सामने आयें, उनके विषय में उसको अधिकार होगा कि यदि उन पर काफी स्टाम्प न लगा हो, तो वह उनको जब्त कर ले। देखिये G. O No. 1537 XI 414 A तारीख़ २३ जून सन १८९७ ई०।

दस्तावेजोंकी नक़लोंकी फीस उसी दर से ली जाना चाहिये जो दफा २९८ की मद (जे) के अंश (बी) के द्वारा बनाये हुए बाई लॉओं में नियमित हों, उक्त दफा के अनुसार बनाये हुए नमूने के बाई-लॉ न० ५ में नकलों के लिये नीचे लिखी फ़ीसें बताई गई हैं —

१ याददाश्त की किताब (Minute book) या कूते हुये करों की सूची (Assessment list) के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज या रजिस्टर आदिका जाचके लिये दिया जाना–१) रुपया।

२ किसी दस्तावेज का पता लगाने या खोजने के लिये इंडेक्स रजिस्टर का ढूँढा जाना–प्रति वर्ष की खोज के लिये, १) रुपया।

३ (ए) किसी दस्तावेज, या दफ्तर के रजिस्टर आदि के नकल करने के लिये, या उसका कोई भाग नकल करने के लिये, फुलिस्केप के प्रत्येक पन्ने के लिये, जिसमें नब्बे शब्द होंगे या ऐसे पन्ने के किसी भाग के लिये।) आना। परन्तु ऐसी नकल के लिये कोई फीस ॥) आना से कम न ली जायगी।

(बी) यदि, अमल में खाने आदि लिखे हों (Tabalated form) तो उसके लिये उपरोक्त (ए) में बताई हुई फीस से दुगनी फीस ली जायगी।

४ किसी नक़ल पर गवाही करने के लिए ॥) आना।

५ पैदाइश या मौत की तस्दीक़ की हुई नक़ल, ।) आना।

६ किसी नकशे (Plan) की नकल–उसके नाप और विवरण के अनुसार, परन्तु कम से कम जो फीस ली जायगी वह १) रुपया होगी।

दफा ३३१ काग़ज़ोको पेश करनेके लिये म्यूनिसिपलटीके कर्मचारियोंको तलब करनेके विषयमें बंधेज

म्यूनिसिपलटी के किसी अफसर या कर्मचारी को, किसी ऐसी क़ानूनी कार्रवाई में, जिसमें बोर्ड फरीक़ न हो, यह आज्ञा न दी जायगी, कि वह कोई ऐसा रजिस्टर या कागज पेश करने के लिये लाये जिसका लेख, ऊपर लिखी हुई दफा के अनुसार तस्दीक़ की हुई नकल के द्वारा साबित किया जा सकता हो, न यह आज्ञा दी जायगी कि वह गवाह की तरह, उन मामलों और कार्रवाइयों को साबित करने के लिये उपस्थित हो, जो उसमें लिखे हो सिवाय उस दशा के कि अदालत ऐसा हुक्म किसी विशेष कारण से दे।

नोट—देखिये दफा ३३० की व्याख्या।

दफा ३३२ म्यूनिसिपलटीके कामों और रजिस्टरोंकी जांच करनेका मेम्बरोंका अधिकार

बोर्ड का प्रत्येक मेम्बर चेयरमैन की मजूरी पहले से प्राप्त करके किसी काम (तामीर) या संस्था की, जो पूर्णतः या अंशतः बोर्ड के खर्चसे बनी हो, या सलाह, जाती

विषय में अधिकार दिया गया हो, तो वह नकल उक्त इन्दराज या दस्तावेज इत्यादि के अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण (सुबूत बादी उलनजर Prima Facie Evidence) माना जायगा, और वह उन मामलो और कार्रवाइयो को, जो उसमें लिखी हों प्रत्येक ऐसी दशा मे, और उसी सीमा तक, शहादत मान कर स्वीकार की जायेगी (Admitted as evidence) जिस दशा मे और जिस सीमा तक वह असल इन्दराज या दस्तावेज इत्यादि, यदि वह पेश की जाती, उन मामलो या कार्रवाइयो के साबित करने के लिये शहादत मे स्वीकार की जाने के (Admissible) योग्य होती।

व्याख्या—

दफा ३३० तथा ३३१ का आशय यह है कि म्युनिसिपलटी के असल रजिस्टरों, कागजों आदि के तलब करने और अदालतों में दाखिल करने की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि यदि किसी सार्वजनिक दफ्तर के रजिस्टर आदि अदालत मे दाखिल कर दिये जायँ तो काम काज में बड़ा हर्ज होने की सम्भावना है। अतएव यह हुक्म रखदिया गया है कि तस्दीक़ की हुई नकल के पेश किये जाने पर यह मान लिया जायगा कि उसका असल कागज म्युनिसिपलटी के दफ्तर मे मौजूद है, और ऐसी नकल उसी प्रकार शहादत में ली जा सकेगी जैसे कि असल कागज लिया जा सकता, और उसका ठीक वैसा ही प्रभाव होगा जैसा कि असल कागज का होता।

—तस्दीक की हुई नकलों के दिये जाने के विषय में नीचे लिखी हिदायतें दी गई हैं —

(१) म्युनिसिपलटी के कागजों की नकलें, जिनके विषय में यह तस्दीक़ की गई हो कि "नकल असल के अनुसार है" ऐसे सरकारी स्टाम्प (अर्थात जिसपर सरकारी मुहर छपी होती है Impressed paper) पर, जनरल स्टाम्प ऐक्ट के शिड्यूल नं० १ की मद २२ के अनुसार (ऐक्ट नं० २ सन १८९९ ई० के शिड्यूल नं० १ की दफा २४), जिसका मूल्य साधारणतया आठ आना हो, होना चाहिये।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक फुलबेंच ने एक मामले में, जो स्टाम्प ऐक्ट नं० १ सन १८७९ ई० की दफा ४६ के अनुसार उसके पास फैसले के लिये भेजा गया था, यह तजवीज किया कि कोई हुक्म जो म्युनिसिपल बोर्ड किसी दरख्वास्त पर दे उसकी ऐसी नकल जिसकी कि म्युनिसिपल सेक्रेटरी ने तस्दीक की हो कि नकल असल के अनुसार है उक्त स्टाम्प ऐक्ट के पहले शिड्यूल की मद २२ के भीतर आती है और वह स्टाम्प पर होना चाहिये, और यह भी तजवीज किया कि बोर्ड का सेक्रेटरी, स्टाम्प ऐक्ट के पहले शिड्यूल की मद २२ के मतलब के लिये सार्वजनिक नौकर (Public Servant) है। देखिये 19 All I L R 293 F B

२ म्युनिसिपलटी के कागजों की नकलें सादे कागज पर निजी काम के लिये दी जा सकती हैं, परन्तु ऐसी दशा मे यह तस्दीक नहीं की जा सकती कि नकल असल के अनुसार है, और ऐसी नकलों को कोई अदालत या सार्वजनिक संस्था ट्रू कापी (नकल मुताबिक असल) नही मानेगी। देखिये, G O No 1458 XI 414 A ता० २ जून सन १८९८ ई० ऐक्ट नं० १ सन १८७९ ई० की दफा ३३ (जो स्टाम्प ऐक्ट नं० २ सन १८९९ के शिड्यूल नं० १ की मद २४ के समान थी) के अनुसार लेफ्टिनेण्ट गवर्नर ने यह निश्चय कर दिया है कि वह अफसर जिसकी सुपुर्दगी में म्युनिसिपल्टी का दफ्तर हो, स्टाम्प ऐक्ट की दफा ३३ के अर्थ के अनुसार, सार्वजनिक दफ्तर के चार्ज में माना जायगा, और इसलिये अपने काम काज को करते हुए जो दस्तावेजें उसके सामने पेश की

जायँ, या जो दस्तावेजें उसके सामने आयें, उनके विषय में उसको अधिकार होगा कि यदि उन पर काफी स्टाम्प न लगा हो, तो वह उनको जब्त कर ले। देखिये G. O No. 1537 XI 414 A तारीख २३ जून सन १८९७ ई०।

दस्तावेजोंकी नकलोंकी फीस उसी दर से ली जाना चाहिये जो दफा २९८ की मद (जे) के अश (जी) के द्वारा बनाये हुए बाई लॉजों में नियमित हों, उक्त दफा के अनुसार बनाये हुए नमूने के बाई-लॉ न० ५ में नकलों के लिये नीचे लिखी फ़ीसें बताई गई हैं —

१ याददाश्त की किताब (Minute book) या कूते हुये करों की सूची (Assessment list) के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज या रजिस्टर आदिका जाचके लिये दिया जाना—१) रुपया।

२ किसी दस्तावेज का पता लगाने या खोजने के लिये इंडेक्स रजिस्टर का ढूंढा जाना—प्रति-वर्ष की खोज के लिये, १) रुपया।

३ (ए) किसी दस्तावेज, या दफ्तर के रजिस्टर आदि के नकल करने के लिये, या उसका कोई भाग नकल करने के लिये, फुलिस्केप के प्रत्येक पन्ने के लिये, जिसमें नब्बे शब्द होंगे या ऐसे पन्ने के किसी भाग के लिये ।) आना। परन्तु ऐसी नकल के लिये कोई फ़ीस ॥) आना से कम न ली जायगी।

(बी) यदि असल में खाने आदि खिचे हों (Tabulated form) तो उनके लिये उपरोक्त (ए) में बताई हुई फीस से दुगनी फीस ली जायगी।

४ किसी नकल पर गवाही करने के लिए ॥) आना।

५ पैदाइश या मौत की तस्दीक़ की हुई नकल, ।) आना।

६ किसी नक्शे (Plan) की नकल—उसके नाप और विवरण के अनुसार, परन्तु कम से कम जो फीस ली जायगी वह १) रुपया होगी।

दफा ३३१ काग़ज़ोंको पेश करनेके लिये म्यूनिसिपलटीके कर्मचारियोंको तलब करनेके विषयमें बंधेज

म्यूनिसिपलटी के किसी अफसर या कर्मचारी को, किसी ऐसी कानूनी कार्रवाई मे, जिसमें बोर्ड फरीक न हो, यह आज्ञा न दी जायगी, कि वह कोई ऐसा रजिस्टर या कागज पेश करने के लिये लाये जिसका लेख, ऊपर लिखी हुई दफा के अनुसार तस्दीक की हुई नकल के द्वारा साबित किया जा सकता हो, न यह आज्ञा दी जायगी कि वह गवाह की तरह, उन मामलों और कार्रवाइयों को साबित करने के लिये उपस्थित हो, जो उसमे लिखे हो सिवाय उस दशा के कि अदालत ऐसा हुक्म किसी विशेष कारण से दे।

नोट—देखिये दफा ३३० की व्याख्या।

दफा ३३२ म्यूनिसिपलटीके कामों और रजिस्टरोंकी जांच करनेका मेम्बरोंका अधिकार

बोर्ड का प्रत्येक मेम्बर चेयरमैन की मजूरी पहले से प्राप्त करके, किसी काम (तामीर) या संस्था की, जो पूर्णत या अशत बोर्ड के खर्चसे बनी हो, या चलाई, जाती

हो, और किसी रजिस्टर, या किताब, या हिसाब, या अन्य कागज़ की जो बोर्ड का हो, या जो बोर्ड के क़ब्जे में हो, जांच कर सकता है।

दफ़ा ३३३ बोर्डके स्थापित होने तक ज़िला मजिस्ट्रेटका बोर्डके अधिकारों को बरतना

जब इस ऐक्ट के अनुसार कोई नई म्यूनिसिपलटी स्थापित की जाय, तो जिला मजिस्ट्रेट या अन्य अफसर, जिसको उक्त मजिस्ट्रेट इस अभिप्राय से नियुक्त करे, बोर्ड के स्थापित होने तक, बोर्ड के अधिकार, मेम्बरों का पहला निर्वाचन कराने के लिये, या अन्य प्रकार की प्रारम्भिक व्यवस्था करने के उद्देश्य से बरतेगा, या इस उद्देश्य से बरतेगा, कि आम तौर से, ऐसा प्रबन्ध हो जाय कि बोर्ड, स्थापित हो जाने पर, अपने कर्तव्यों को, बिना विलम्ब के हाथ मे ले सके।

व्याख्या—

इस दफा का यह उद्देश्य नहीं है कि बोर्ड के स्थापित होने और काम आरम्भ करने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट या कोई अन्य अफसर बोर्ड के सारे अधिकारों को बरतना आरम्भ कर दे। वरन अभिप्राय केवल इतना है कि बोर्ड के स्थापित करने के लिये जो मेम्बरों का निर्वाचन हो, उसके लिये प्रबन्ध किया जाय, और ऐसे सब प्रबन्ध कर दिये जाय जिनसे कि बोर्ड के स्थापित किये जाने में सहायता मिले, और जिनके द्वारा, स्थापित हो जाने पर, बोर्ड अपना काम तुरन्त आरम्भ करने के योग्य हो जाय।

इसलिये जब कि एक रकबा मुश्तहरा (Notified Area) म्यूनिसिपलटी बनाया जाने को था, और उक्त रकबा मुश्तहरा की कमेटी समाप्त हो चुकी थी परन्तु बोर्ड अभी स्थापित नहीं हुआ था। तहसीलदार ने एक शख्स पर मुक़द्दमा चलाये जाने की मंजूरी इस कारण दे दी कि उक्त शख्स ने रकबा मुश्तहरा की कमेटी के हुक्म के विरुद्ध एक भीत बनवा ली थी। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि यह हुक्म क़ानून के विरुद्ध था क्योंकि "यह बात स्पष्ट है कि किसी पर मुक़द्दमा चलाये जाने की आज्ञा देने से न तो पहले निर्वाचन के प्रारम्भिक प्रबन्ध में कोई सहायता मिल सकती है न उससे इस बात में किसी प्रकार की सहायता मिलती है कि बोर्ड अपने काम को बिना विलम्ब हाथ में ले सके।" देखिये जग्गन बनाम सरकार बहादुर, 19 A L J 942.

—जब किसी म्यूनिसिपलटी का बोर्ड दफा ३१ के क्लॉज (ई) के अनुसार अलग कर दिया जाता है (Superseded) और उसकी जगह नया बोर्ड स्थापित किया जाता है तो भी नये बोर्ड के मेम्बरों के निर्वाचन आदि का प्रबन्ध जिला मजिस्ट्रेट दफा ३३३ के अनुसार करता है।

दफा ३३४ कानूनोका रद किया जाना और बचतें

१ यह कानून जो शिड्यूल न०९मे अङ्कित है रद किये जाते है।

२ परन्तु शर्त यह है कि उक्त कानूनो के रद किये जाने का प्रभाव निम्नलिखित बातों पर न पड़ेगा।

(ए) किसी नियुक्ति या किसी रुपये या जायदाद को किसी विशेष मद के लिये अलग कर दिये जाने के जायज होने पर या किसी ऐसे कर या

महसूल के जायज होने पर जो किसी ऐसे क़ानून के अनुसार लगाया गया हो जो इस दफ़ा के द्वारा रद्द किया गया हो। या

(बी) किसी ऐसे अफ़सर के, जो इस ऐक्ट के प्रचलित होने से पूर्व नियुक्त किया गया हो, बदलाव की शर्तों पर या उसके पेन्शन के हक़ पर।

दफ़ा ३३५ इंडियन रेलवेज़ ऐक्ट सन्१८९०ई०के सम्बन्धमें बचत

इस ऐक्ट की किसी बातका प्रभाव इंडियन रेलवेज ऐक्ट सन् १८९० ई० (अर्थात् हिन्दुस्तान की रेलोंका क़ानून) पर या किसी नियम पर जो उक्त ऐक्टके अनुसार बनाये गये हों, न पड़ेगा।

दफ़ा ३३६ उन कामोंका जायज़ ठहराया जाना जो इस ऐक्टके आरम्भ होनेसे पूर्व किये गये हों

ऐसे सब कामों के विषय में, जो इस ऐक्ट के आरम्भ होने से पहले किये गये हों, और जो, यदि यहऐक्ट प्रचिलित होता तो क़ानून के अनुसार किये जा सकते, यह माना जायगा कि वह क़ानून के अनुसार किये गये थे।



प्रकरण १२

मुश्तहिरा रक़बे
(Notified Areas)



दफा ३३७ मुश्तहिरा रक़बोंका संगठन

१ प्रान्तीय सरकार, विज्ञापन के द्वारा, किसी ऐसे स्थानीय रकबे के विषय में,जो म्युनिसिपलटी न हो, या रकबा कस्बा (Town Area) न हो, या ऐसा ग्राम न हो जिसमे खेती होती हो, यह घोषित कर सकती है कि उन बातोंमें से कुछ, या सब बातों के प्रबन्धके लिये जो दफा ७ और दफा ८ मे वर्णित है इस प्रकार हुक्म कर देना उचित है, कि इस प्रकरण के हुक्म उक्त रकबे पर लागू कर दिये जांय।

२ जिस स्थानीय रकबे के विषय मे उपदफा (१) के अनुसार विज्ञापन दिया गया हो, वह इस ऐक्ट मे आगे रकबा मुश्तहिरा (घोषित क्षेत्र) कहलायेगा।

३ प्रान्तीय सरकार का निर्णय कि कोई स्थानीय रकबा इस दफा की उपदफा (१) के अर्थ के अनुसार कृषि-ग्राम नही है, अंतिम और अखण्डय होगा, और सरकारी गजटमे किसी ऐसे विज्ञापन का प्रकाशित हो जाना, जिसके अनुसार उक्त रकबे के रकबा मुश्तहिरा होने की घोषणा दी गई हो, उक्त निर्णयका अखड्य प्रमाणा होगा।

व्याख्या—

रकबा मुश्तहरा प्राय वह छोटे छोटे कस्बे बना दिये जाते हैं, जिनमें, जन सख्या के विचार से सफाई, रोशनी, इत्यादि का थोडा बहुत प्रबन्ध किया जाना आवश्यक समझा जाता है, परन्तु जो इतने बडे और जरूरी नहीं होते, और जिनमें न इतनी आमदनी हो सकती है कि उनमें म्यूनिसिपलटी स्थापित की जाय। म्यूनिसिपलटियों के भूत पूर्व ऐक्ट नं० १ सन् १९००ई० का हुक्म कि कोई ऐसा स्थानीय रकबा, जिसकी जन सख्या दसहजारसे अधिक हो वर्तमान ऐक्टमें नहीं रखा गया है। मुश्तहिरा रकबों के विषय में नियम, हुक्म, इत्यादि मुश्तहिरा रकबों की मैन्युअल में दिये गये हैं।

दफा ३३८ मुश्तहिरा रकबोंमें कानूनोंको प्रचलित करना और उनमें करोंका लगाना और उनकी कमेटियोंका संगठन

१ प्रान्तीय सरकार विज्ञापन के द्वारा—

(ए) ऐसे बधेजो और सशोधनों के आधीन, यदि कोई हों, जो वह उचित समझे, इस ऐक्ट की कोई दफा या किसी अन्य ऐक्ट की कोई दफा जो किसी म्यूनिसिपलटी पर लागू की जा सकती हो या ऐसी किसी दफा

के किसी भाग को या किसी नियम या रेग्युलेशन या बाई लॉ को जो प्रचलित हो या जो इस ऐक्ट के हुक्मों के अनुसार या किसी अन्य ऐक्ट के हुक्मों के अनुसार, किसी म्यूनिसिपलटी मे प्रचलित किये जा सकते हों, किसी रकबा मुस्तहिरा पर लागू कर सकती है।

(बी) किसी ऐसे सम्पूर्ण रकबे मे, या उसके किसी भाग मे, कोई ऐसा कर लगा सकती है, जो उस रकबे मे इस ऐक्ट के या किसी अन्य ऐक्ट के हुक्मों के अनुसार, उस दशा मे लगाया जा सकता, कि उक्त रकबा म्यूनिसिपलटी होता।

(सी) उन शख्सों की संख्या नियत कर सकती है, जिनकी एक कमेटी इस उद्देश्य से संगठित की जाय, कि वह किसी ऐसे कर को जो क्लॉज (बी), के अनुसार लगाया गया हो, कूते और वसूल करे, और ऐसे कर की आमदनीको उचित रूपसे खर्च करने का प्रबन्ध करे, और ठीक हिसाब बनाये और तैय्यार रखे, और आम तौरसे, किसी ऐसी दफा या नियमों या रेग्युलेशनो या बाई-लॉओं, जो क्लॉज (ए) के अनुसार लागू किये गये हों, या जो क्लॉज (ए) के अनुसार संशोधन करके लागू किये गये हों, की आज्ञाओं का पालन कराये।

२ जो कमेटी उपदफा (१) के क्लॉज (सी) के अनुसार नियत की जाय उसमें तीन या तीन से अधिक मेम्बर होंगे, जो यातो कमिश्नर के द्वारा नामजद कर दिये जायगे, या जिनका उस विधि से निर्वाचन किया जायगा, जो इस ऐक्ट के द्वारा या नियमो के द्वारा नियमित है, या जिनमे से कुछ नामजद किये जायगे और कुछ का निर्वाचन किया जायगा, जैसा कि प्रान्तीय सरकार साधारण या विशेष आज्ञा के द्वारा नियमित करदे।

३ जो कर किसी रकबा मुस्तहिरा मे इस दफा के अनुसार लगाया गया हो, उसकी आमदनी उस प्रकार खर्च की जा सकती है, जिस प्रकार कि ऐसे रकबे मुस्तहिरा का म्यूनिसिपल कोष खर्च किया जा सकता यदि उक्त रकबा मुस्तहिरा म्यूनिसिपलटी होता।

४ किसी ऐसे कानून के मतलबो के लिये, जो किसी रकबा मुस्तहिरा पर लागू किये जाय, वह कमेटी जो उक्त रकबे के लिये उपदफा (१) के क्लॉज (सी) के अनुसार नियत की गई हो, इस ऐक्ट के मतलब के लिये बोर्ड मानी जायगी, और उक्त रकबा एक म्यूनिसिपलटी माना जायगा।

व्याख्या—

विज्ञान No 72 M C XI-70 H ता० ६ जून सन १९१७ ई० (जिसका संशोधन विज्ञापन No 2127 XI-70 H तारीख २२ जून मा १९१७ ई० के द्वारा किया गया है) और विज्ञापन No 2755 IX-70 H ता० १ नवम्बर सन १९१८ ई०, और विज्ञापन No 2033 IX-70 H ता० ११ जून सन १९१० ई०, और विज्ञापन No 2214 XI-70 H ता० ६ जुलाई सन १९१० ई० के द्वारा इस ऐक्टकी कुछ दफायें और उनके अनुसार बनाये हुये नियम, आवश्यक संशोधनों के सहित, मुस्तहिरा रकबोंपर लागू कर दिये गये हैं (देखिये मुस्तहिरा रकबोंकी मैन्युअल)।

—उपदफा (१) के क्लॉज (ए) और क्लॉज (बी) में जो अधिकार प्रान्तीय सरकार को दिये गये हैं, वह कमिश्नरों को सौंप दिये गये हैं (देखिये विज्ञापन No. 4300 XI-70 H तारीख़ ३० नवम्बर सन१९१७ई०, और विज्ञापन No 2082 XI-70 H तारीख ११ जून सन् १९१७ई०।

दफ़ा २३९ जो रक़बे, रक़बा मुश्तहिरा न रहें उनके कोषका काममें लगाया जाना

जब कोई रकबा मुश्तहिरा दफ़ा २३७ के अनुसार दिये हुये किसी विज्ञापन के रद्द कर दिये जाने के कारण, रकबा मुश्तहिरा न रहे, तो उनमें दफ़ा २३८ के अनुसार लगाये हुये करोंकी बची हुई रकमें (अर्थात् जो खर्च न हुई हो) उक्त रकबे के निवासियों के लाभके लिये, उस प्रकार खर्चकी जायँगी जैसा कि प्रान्तीय सरकार उचित समझे।



शिड्यूल नं० १

बोर्डके-अधिकार और कर्तव्य

(The Powers and Functions of a Board)



[दफ़ा ५० (ई) (२), दफ़ा १११ (१), और दफ़ा ११२ (१) (ए)]

१	२	३
दफ़ा	अधिकार या कर्तव्य	कैफियत
३ (२) (सी)	इस बातके लिये दरख़्वास्त देना या राज़ी होना कि म्यूनिसिपलटी शहरठहरा दी जाय।	
८ (३)	किसी ख़र्चके विषयमें यह निश्चय कर देना कि म्यूनिसिपलटीके कोषसे उसका किया जाना उचित है।	
१३	किसी ऐसे पदके विषयमें, जो संयोगवश ख़ाली हो गया हो, यह आज्ञा देना कि वह आगामी साधारण निर्वाचन तक ख़ाली रहने दिया जाय।	
३७	किसी मेम्बरको कामके लिये बदलाव दिये जानेकी मंजूरी देना।	
४० (१) (ए)	मीटिंगोंमें अनुपस्थित रहनेके विषयमें किसी मेम्बरके जवाबको, सन्तोषप्रद होना स्वीकार करना।	
४३	चेयरमैनका निर्वाचन करना।	
५२	चेयरमैनको रिपोर्टें आदि देनेकी हिदायत करना।	
५४	वाईस चेयरमैनका निर्वाचन करना, या वाईसचेयरमैनका इस्तीफ़ा स्वीकार करना।	
५७	ऐक्जिक्यूटिव अफ़सर नियुक्त करना।	
५८	ऐक्जिक्यूटिव अफ़सरको डिस्मिस करना, या उसको दण्ड देना।	
५९	किसी शख़्सको ऐक्जिक्यूटिव अफ़सरकी जगह एवज़ी करनेको नियुक्त करना।	
६१	ऐक्जिक्यूटिव अफ़सर के हुक्मों की अपीलें लेना।	सौंपा जा सकता है।
६३	ऐक्जिक्यूटिव अफ़सरको नक़्शे इत्यादि देनेकी हिदायत करना।	
६६	सेक्रेटरी नियुक्त करना।	
६७	सेक्रेटरीको डिस्मिस करना, या दण्ड देना।	

१	२	३
दफ़ा	अधिकार या कर्तव्य	कैफियत
६८	हेल्थ अफ़सर या इंजिनियर, या पानीके कारखाने का इंजिनियर, या सुपरिण्टेण्डेण्ट नियुक्त करना।	
६९	दफ़ा ६८ के अनुसार नियुक्त किये हुये किसी अफ़सर को दण्ड देना या डिस्मिस करना।	
७० (ए)	किसी निर्दिष्ट कामके लिये अस्थाई कर्मचारियों को रखने की मनाही करना।	
७१	अन्य कर्मचारियोंकी संख्या और वेतन निश्चय करना।	
७२	किसी एक शख्स को दो, या दो से अधिक पदोंके कर्तव्यों के पालन करने केलिये नियुक्त करना।	
७४	५०) रुपये मासिक से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियोंको नियुक्त करना दण्ड देना, या डिस्मिस करना, या किसी ऐसी म्युनिसिपलटी मे जो शहर हो, ७५) रुपये मासिक से अधिक वेतन पाने वाले को, या किसी दूसरी कमसे कम रकमके वेतन पाने वालेको, जो दफ़ा २९७ (१)(यफ) के अनुसार रेग्युलेशन द्वारा बताई गई हो।	सौंपा जा सकता है।
७६ (२)(बी)	चेयरमैनके ऐसे हुक्मोंके विरुद्ध अपीलोको लेना, जिन हुक्मोंके द्वारा ऐसे कर्मचारियों को दण्ड दिया गयाहो, या वह डिस्मिस किये गये हों, जिनका मासिक वेतन १०) रुपये सेअधिक हो, परन्तु ५०) रुपये से अधिक न हो, या शहर मे १५) रुपये से अधिक हो, परन्तु ७५) रुपये से अधिक न हो, या जिनका मासिक वेतन ऐसी अन्य रकमोंके बीचमे हो जो दफ़ा २९७ (१) (यफ) के अनुसार रेग्युलेशन द्वारा बताई जायँ।	सौंपा जा सकता है।
७९ (२)	प्रावीडेण्ट फण्ड स्थापित करना।	
७९ (३) (४) और (५)	इनाम, या करुणाई एलाउन्स देना, या वार्षिक वजीफ़ा देना, या मोल ले देना।	
८१	किसी मेम्बर के विरुद्ध नालिश करना।	
८२(२)(यफ)	उस रकम को नियत करना जिस तक कोई मेम्बर, बोर्ड के हाथ वस्तुओं के कभी कभी बेचे जाने मे, वास्ता रख सकता है।	
९४ (६)	किसी रेजोल्यूशन मे संशोधन करना, या उसको रद कर देना।	

१	२	३
दफ़ा	अधिकार या कर्तव्य	कैफ़ियत
९६ (१)	ऐसे मुआहिदोंकी मंजूरी देना जिनके लिये बजटमें रकम न रखी गई हो या जिसका मूल्य या रकम उस दशामे जब कि मुआहिदा शहर का बोर्ड करे १०००) रुपयेसे अधिक हो, या किसी अन्य दशामें, २५०) रुपये से अधिक हो।	
९६ (२)	बोर्ड की किसी कमेटी, या अफसर, या कर्मचारीको, अन्य ठेको के मंजूर करने का अधिकार देना।	
९६ (३)	इञ्जिनियर को ठेकोंके मंजूर करनेका अधिकार देना।	
९७(२)(बी)	इञ्जिनियर को ठेकेनामे पर हस्ताक्षर करने का अधिकार देना।	सौंपा जा सकता है
९९	बजट की मंजूरी देना, और बजट में कम बढ़ करना या परिवर्तन करना।	
१०४ (१)	कमेटियोंके मेम्बरोंको नियुक्त करना और अलग करना।	
१०४ (२)	सलाह देने वाली कमेटिया स्थापित करना और उनके मेम्बर नियुक्त करना।	
१०५	बोर्ड के मेम्बरोंके अतिरिक्त अन्य शख्सों को कमेटियों मे नियुक्त करना।	
१०६	कमेटियों की खाली जगहों को भरना।	
१०७ (१)	किसी कमेटी का चेयरमैन नियुक्त करना।	
१०९	किसी कमेटी से नकशे इत्यादि मांगना।	
११०	ज्वाइण्ट कमेटिया नियुक्त करना और किसी ऐसी दस्तावेज मे, जिसके आधार पर कोई ज्वाइण्ट कमेटी नियुक्तकी गई हो, परिवर्तन करना, या उसको रद करना।	
११२	उन अधिकारोंको जो बोर्डको दिये गये हों, और उन कर्तव्योंको जो बोर्ड पर डाले गये हों, दूसरों को सौंपना।	
११५	म्यूनिसिपलटी के कोषका कोई भाग ब्याज आदि पर लगाना या जमा करना।	
११७	प्रान्तीय सरकारसे जबरन आराजी प्राप्त कर देने के लिये दरख्वास्त करना।	
११८	ऐसी जायदाद का प्रबन्ध या निगरानी हाथमें लेना, जो उसको सौंपी गई हो।	
११९	सार्वजनिक संस्थाओं के कोषों का प्रबन्ध और निगरानी करना, और उनके खर्च आदि की व्यवस्था करना, और उनको अमानत की तरह अपने कब्जे में रखना।	

१	२	३
दफ़ा	अधिकार या कर्तव्य	कैफ़ियत
१२४	किसी ऐसी जायदाद को, जो बोर्ड के अधिकार मे हो अलग (मुन्तकिल) करना।	
१२५	म्यूनिसिपलटीके कोषमेसे मुआविजा (बदलाव) देना।	
१२८से१३७ तक	किसी कर के सम्बन्ध मे कोई कार्रवाई करना।	
१४१	किसी कर की कूत (तशखीस) की सूची तैय्यार कराना और कूत की सूची बनाने के लिये किसी शख्स को नियत करना।	सौंपा जा सकता है
१४३ (३)	उज्रों को सुनना, और फ़ैसल करना, और उज्रोंके सुनने और फ़ैसल करनेके अधिकारको दूसरेको सौंपना।	सौंपा जा सकता है
१४७ (१)	कर की कूत की सूचीमे तरमीम करना।	
१५६	करो के विषय मे इकट्ठी रकम लेकर मामला कर लेने की इजाजत देना।	
१५७ (१) (२)	करों के अदा करने से माफी देना।	
१८७	आग बुझाने वालोंकी मडली स्थापित करना और कायम रखना।	
१८९	मोरियां बनवाना।	
१९०	म्यूनिसिपलटी की मोरियो मे परिवर्तन करना या उनको बन्द कर देना।	
१९६ (ए) और (बी)	आम नोटिस देकर घरसे मैला उठवाने का काम हाथ मे लेना, या पाखानों पेशाबखानों की सफ़ाई का काम हाथ मे लेना, और ऐसे काम को छोड देना।	
१९७ (२)	दफ़ा १९६ (ए) के अनुसार दिये हुये नोटिस से किसी मकानको बाहर निकाल दिये जाने की दरख्वास्त पर हुक्म देना।	सौंपा जा सकता है
२११	उस दशा मे जिसमे मुआविजा दिया जा सकता हो, किसी [illegible] हुये [illegible] हटा देने या उसमें [illegible] लिये [illegible] करना।	
२१७ (१) -(ए) २१९	[illegible]	

वर्तन

१	२	३
दफ़ा	अधिकार या कर्तव्य	कैफ़ियत
	या इमारत बनानेके लिये आराजियां निकालना, और ऐसे मतलबोंके लिये आराजी प्राप्त करनेके उपाय करना, और इस प्रकार प्राप्तकी हुई आराजीको बेचना या अलग करना।	
२२१	किसी सड़क या गली को सार्वजनिक सड़क या गली ठहराना।	
२२२ (१)से -(३) तक	किसी सड़क या गलीकी इमारतों की नियमित पंक्ति नियत करना।	
२२४	पानीका कारखाना बनाना और उसमें परिवर्तन करना।	
२३७ (१)	मांस बेचनेके लिये, पशुओंको वध करनेके लिये स्थान नियत करना।	
२३८	ऐसे पशुओंके वध करने के लिये स्थान नियत करना, जिनका मांस बेचा जानेको न हो, या जो धार्मिक प्रयोजन के लिये वधकिये जाय, और अन्य स्थानोंमें ऐसे पशुओंके वध करने की मनाही करना।	
२५० (१)	कुत्तोंके मुसका (मुखबँधनी) चढ़ानेका हुक्म देना।	
२५२ (शर्त)	इस बात का हुक्म देना कि यह दफ़ा उन गाड़ियों पर लागू न होगी जिनकी गति पदगामियों की साधारण गति से अधिक न हो।	
२५७ (१)	इस बातका हुक्म देना कि बिना बोर्डकी इजाजतके छत या बाहरी भीत ज्वलनशील,वस्तुओंकी न बनाई जाय।	
२५९	ज्वलन शील वस्तुओं आदि का ढेर लगाने या जमा करने की मनाही करना।	
२६९	तालाबों या ऐसे ही अन्य स्थानों से कष्टदायक बातों का दूर करने का हुक्म देना, जब कि ऐसे हटाये जाने के कारण बोर्ड को आराजी प्राप्त करना पड़े या देना पड़े।	
२७३(१)(बी) -और (सी)	हानि कारक पदार्थ और कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के लिए स्थान नियत करना और उनके हटाये जाने के लिये समय, विधि, और शर्तोंके विषयमें हिदायत जारी करना।	
२७५ (३)	पशुओं के मृत शरीरों केठिकाने लगाने के लिये फ़ीसें नियमित करना।	
२८२	किसी फ़सल की खेती, या किसी प्रकार की खाद या किसी प्रकार से सींचने की, जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो, मनाही करना।	

१	२	३
दफ़ा	अधिकार या कर्तव्य	कैफ़ियत
२८५	मरघट और क़बरिस्तान बनाना या उनको बंद करना, या उनके बनाने की आज्ञा देना, और निजी क़बरिस्तानों को आम नोटिस से अलग कर देना, और किसी ऐसे क़बरिस्तान या मरघट को काममें लानेकी इजाजत देना, जो म्यूनिसिपलटी के द्वारा नियत न किया गया हो।	
२८६	नहाने के और वस्त्रादि धोने के स्थान अलग नियत कर देना, और ऐसे स्थानों को काम मे लाने के लिये शर्तें नियमित करना, और अन्य स्थानो मे नहाने और वस्त्रादि धोने की मनाही करना।	
२९० (२)	म्यूनिसिपलटी के खर्च से पानी का कारखाना बनाने की या दफ़ा १९२ व २६७ व २६८ के अनुसार किसी काम के बनाने की मंजूरी देना।	
२९० (३)	पानी पहुँचाने के किसी काम, या पानीके निकास के किसी काम के कल, पुरज़ों इत्यादि मे, जो अधिकार बोर्ड का हो, उसको किसी इमारत या आराजी के मालिक को दे देना।	
२९७	रेग्युलेशन बनाना।	
२९८	बाई-लॉ बनाना।	
२९९	इस बात का हुक्म देना कि बाई लॉओंके उल्लंघन के लिये जुर्माने का दंड दिया जाय।	
आम	कोई अधिकार कर्तव्य या काम जिसके विषय में किसी नियमकी आज्ञा हो, कि उसको बोर्ड स्वयं रेजोल्युशन के द्वारा बरते, या पालन करे, या करे।	



शिड्यूल नं० २

ऐक्ज़िक्यूटिव अफसरके अधिकारोंकी सूची

[दफा ६० (१) (डी) और दफा ६१ (१) (ए)]

१	२	३
दफ़ा	अधिकारों और कर्तव्यो की क़िस्म	कैफ़ियत
७९ (१)	अफ़सरों और कर्मचारियोंको छुट्टी का ऐलाऊन्स देना।	
१४२	उस स्थान का आम नोटिस देना जहां किसी कर की कूती हुई रक़मों की सूची जांची जा सकती है।	
१४३ (१)	उस समयका आम नोटिस देना जो वार्षिक मूल्यों और करों की कूत पर विचार करने के लिये नियत किया जाय, और जायदाद के मालिकों या क़ाबिज़ों को नोटिस देना।	
१४३ (२)	वार्षिक मूल्यो और करकी कूती हुई रक़मों पर उज्र लेना।	
१४७ (२)	उन शख्सों को, जिनका किसी परिवर्तन से जो किसी कर की कूती हुई रक़मो की सूची मे किया जाने का हो, वास्ता हो, उस तारीख़ का नोटिस देना जिस पर परिवर्तन किया जायगा।	
१४८ (१)	ऐसी इमारत का नोटिस लेना, जो नई बनाई जाय, या फिर से बनाई जाय या बढ़ाई जाय।	
१५० (२)	किराया या लगान पर देने वाले शख्स से कर वसूल करने के अधिकार को बरतना।	
१५१ (१) और (२)	किसी इमारत या घर या आराजी के ख़ाली रहने की दशामें, और उससे किराया या लगानकी आमदनी न होने की दशा मे, कर माफ़ करना या लौटा देना।	
१५२ (१)	किसी इमारत या आराजी के फिर से बस जाने का नोटिस लेना।	
१५८	ऐसी सूचना मांगना जिसका प्रभाव किसीकी कर लगाये जानेकी जिम्मेदारी पर पड़े।	
	कर और अन्य चढ़ीहुई रक़मोंके लिये बिल पेश करना।	
१६६	मांग का कोई नोटिस तामील कराना।	
१६८	क़ुर्की का वारंट जारी करना।	
१६९	क़ुर्क किया हुआ माल बेचना।	
१७२ (१) -ध (२) १७२ (३)	वापसीकी दरख्वास्त लेना, और वापसी देना।	

१	२	३
दफा	अधिकारों और कर्तव्यों की किस्म	कैफियत
१७३	वारट जारी करनेके लिये मजिस्ट्रेटको दरख्वास्त देना।	
१७६	किसी रकमके लिये नालिश करना।	
१७८ (२)	किसी इमारत आदि के बनाने या फिरसे बनाने, या उसमें कोई भारी परिवर्तन करनेकी इच्छाका नोटिस लेना इत्यादि।	
१७९ (१)	यह निर्णय करना कि किस दशामे ऐसे नोटिसके विषयमे दी हुई सूचना संतोषप्रद है।	
१७९ (२)	नकशे और विवरण और अन्य सूचना देनेका हुक्म देना।	
१८६	नोटिसके द्वारा हिदायत देना कि किसी इमारतका बनाना, फिरसे बनाना, या उसमे परिवर्तन किया जाना, रोक दिया जाय, इत्यादि या यहकि किसी इमारतमें परिवर्तन किया जाय, या यह गिरा दी जाय।	किसी ऐसे हुक्मकी जिसके द्वारा किसी इमारतमें, या इमारतके भाग में, या कुएमें, परिवर्तन करनेकी या उसको तोड़ देनेकी हिदायत कीजाय अपील हो सक्ती है।
१९१ (१)	निजी मोरियोंका म्यूनिसिपलटीकी मोरियोंसे मेल करने की इजाजत देना, और उसके लिये शर्तें नियमित करना।	
१९१ (२)	किसी ऐसी मोरीके बन्द किये जाने आदिकी, जो किसी बाई-लॉ के हुक्मके विरुद्ध बनाई गईहो, या जो इजाजतकी शर्तोंके विरुद्ध बनाई गईहो, या जो बिना इजाजतके बनाई गईहो, आज्ञा देना।	अपील होसकती है।
१९२ (१)	किसी सार्वजनिक मोरीसे अन्य मोरीका मेल करनेकी आज्ञाका पालन कराना।	अपील हो सक्ती है
१९३	मोरियां बनवानेकी दरख्वास्ते लेना, उन पर उज्र मांगना, उनपर हुक्म देना, और उनके बनानेका खर्चा तथा मुआविजा वसूल करना।	उस हुक्मके विरुद्ध अपील हो सक्ती है जो उपदफा (३) के अनुसार दिया जाय।
१९४	मोरीका रास्ता बदल देनेकी इजाजत देना, और इस प्रकार रास्ता बदल जानेके लिये शर्तें नियमित करना।	अपील हो सक्ती है।
१९६ (सी) और (डी)	काबिजकी ... मैला उठवाने या ... या कूड़ा करकट, ... छोड़ देना।	
२०१ (१)		

१	२	३
दफ़ा	अधिकारों और कर्तव्यों की किस्म	कैफ़ियत
२०२ (१)	किसी कृषकके उचित ढंगसे मैला उठवानेका काम न करने पर मजिस्ट्रेट से शिकायत करना।	
२०३ (१)	किसी सड़क या गलीके बनानेके इरादेका नोटिस लेना।	
२०४	किसी प्रस्तावित कामको मुलतवी करना, या उसके विषयमें कोई आगे हाल मांगना।	
२०९	आगे निकलेहुये कामों (तामीरों) की इजाजत देना।	उस हुक्मके विरुद्ध अपील हो सक्ती है जिसके द्वारा इजाजत देनेसे मना कर दिया जाय।
२११का भाग	उस दशामें जब बोर्डको मुआविजा देनेकी जिम्मेदारी नहो, मकानों आदिके आगे निकलेहुये भागोंके हटानेके लिये नोटिस देना।	अपील हो सक्ती है
२१३	इमारतों आदिके बनाने और मरम्मत करनेकी इजाजत देना और तख्तोंसे आड़ वगैरा करनेके विषयमें हुक्म देना।	
२१४	झाड़ियों और पेड़ोंके छाटनेका हुक्म देना।	
२१५	जो रुकावट, गिरे हुये मकानों आदिके कारण उत्पन्न हो, उसका हटाना, और उसके हटानेका खर्चा वसूल करना और हटानेके लिये नोटिस जारी करना।	
२१६	वृष्टिके पानीके लिये हौज और नलोंका प्रबन्ध करनेके लिये हुक्म देना।	
२१७(१)(बी) और(सी)	किसी इमारत पर सड़क या गलीका नाम, या मकानका नम्बर लगाना, या मालिक या काबिजको नम्बर की तख्ती लगानेको हुक्म देना, और ऐसे नामों या नम्बरोंको बदलवाना, या बदलनेका हुक्म देना।	
२१८	इमारतोंमें लालटेनों और टेलीग्राफ़ (तार) और टेलीफ़ून के तारों आदिके लिये खम्भे और दीवारगीरियाँ लगाना।	
२२०	किसी सार्वजनिक सड़क या गली या स्थानके काममें लानेके लिये, या उसपर कब्जा करनेकी, इजाजत देना।	
२२३	सार्वजनिक सड़कों आदिकी मरम्मत के समय आड़ और रोशनीका प्रबन्ध करना।	
२२५ (१)	निजके कुओं आदिके साफ़ करनेका हुक्म देना।	

१	२	३
दफा	अधिकारों और कर्तव्यो की क़िस्म	कैफियत
१७३	वारट जारी करनेके लियेमजिस्ट्रेटको दरख्वास्त देना।	
१७६	किसी रकमके लिये नालिश करना।	
१७८ (१)	किसी इमारत आदि के बनाने या फिरसे बनाने, या उसमे कोई भारी परिवर्तन करनेकी इच्छाका नोटिस लेना इत्यादि ।	
१७९ (१)	यह निर्णय करना कि किस दशामें ऐसे नोटिसके विषयमे दी हुई सूचना सतोषप्रद है ।	
१७९ (२)	नकशे और विवरण और अन्य सूचना देनेका हुक्म देना।	
१८६	नोटिसके द्वारा हिदायत देना कि किसी इमारतका बनाना, फिरसे बनाना, या उसमे परिवर्तन किया जाना, रोक दिया जाय, इत्यादि या यहकि किसी इमारतमें, परिवर्तन किया जाय, या यह गिरा दी जाय।	किसी ऐसे हुक्मकी जिसके द्वारा किसी इमारतमें, या इमारतके भाग में, या कुएमें, परिवर्तन करनेकी या उसको तोड़ देनेकी हिदायत कीजाय अपील हो सकती है।
१९१ (१)	निजी मोरियोंका म्यूनिसिपलटीकी मोरियोंसे मेल करने की इजाजत देना, और उसके लिये शर्तें नियमित करना।	
१९१ (२)	किसी ऐसी मोरीके बन्द किये जाने आदिकी, जो किसी बाई-लॉ के हुक्मके विरुद्ध बनाई गईहो, या जो इजाजतकी शर्तोंके विरुद्ध बनाई गईहो, या जो बिना इजाजतके बनाई गईहो, आज्ञा देना।	अपील होसकती है।
१९२ (१)	किसी सार्वजनिक मोरीसे अन्य मोरीका मेल करनेकी आज्ञाका पालन कराना।	अपील हो सकती है
१९३	मोरियां बनवानेकी दरख्वास्ते लेना, उन पर उज्र मांगना उनपर हुक्म देना, और उनके बनानेका ख़र्चा तथा मुआविजा वसूल करना।	उस हुक्मके विरुद्ध अपील हो सकती है जो उपदफ़ा (३) के अनुसार दिया जाय ।
१९४	मोरीका रास्ता बदल देनेकी इजाजत देना, और इस प्रकार रास्ता बदल जानेके लिये शर्तें नियमित करना।	अपील हो सकती है।
१९६ (सी) और (डी)	किसी क़ाबिजकी राजीसे मकानसे मैला उठवाने या पाखाना, या अन्य हानिकारक पदार्थ, या कूडा करकट, हटवानेकी जिम्मेदारी लेना, और ऐसे कामको छोड़ देना।	
२०१ (१)	किसी मौरूसी भगीकी उपेक्षाकी मजिस्ट्रेटसे शिकायत करना।	

१	२	३
दफा	अधिकारो और कर्तव्यों की किस्म	कैफियत
२०२ (१)	किसी कृषकके उचित ढंगसे मैला उठवानेका काम न करने मर मजिस्ट्रेट से शिकायत करना ।	
२०३ (१)	किसी सड़क या गलीके बनानेके इरादेका नोटिस लेना।	
२०४	किसी प्रस्तावित कामको मुलतवी करना, या उसके विषयमे कोई आगे हाल मांगना ।	
२०९	आगे निकलेहुये कामों (तामीरों) की इजाज़त देना।	उस हुक्मके विरुद्ध अपील हो सकती है जिसके द्वारा इजाजत देनेसे मना कर दिया जाय ।
२११का भाग	उस दशामे जब बोर्डको मुआविजा देनेकी जिम्मेदारी नहो, मकानों आदिके आगे निकलेहुये भागोंके हटानेके लिये नोटिस देना ।	अपील हो सकती है
२१३	इमारतों आदिके बनाने और मरम्मत करनेकी इजाजत देना और तख्तोंसे आड़ वगैरा करनेके विषयमे हुक्म देना।	
२१४	झाड़ियों और पेड़ोंके छाटनेका हुक्म देना ।	
२१५	जो रुकावट, गिरे हुये मकानों आदिके कारण उत्पन्न हो, उसका हटाना, और उसके हटानेका खर्चा वसूल करना और हटानेके लिये नोटिस जारी करना।	
२१६	वृष्टिके पानीके लिये हौज और नलोंका प्रबन्ध करनेके लिये हुक्म देना ।	
२१७(१)(बी) -और(सी)	किसी इमारत पर सड़क या गलीका नाम, या मकानका नम्बर लगाना, या मालिक या काबिजको नम्बर की तख्ती लगानेको हुक्म देना, और ऐसे नामों या नम्बरोंको बदलवाना, या बदलनेका हुक्म देना ।	
२१८	इमारतोमे लालटेनों और टेलीग्राफ (तार) और टेलीफ़ून के तारों आदिके लिये खम्भे और दीवारगीरियाँ लगाना ।	
२२०	किसी सार्वजनिक सड़क या गली या स्थानके काममे लानेके लिये, या उसपर कब्जा करनेकी, इजाजत देना ।	
२२३	सार्वजनिक सड़कों आदिकी मरम्मत के समय आड़ और रोशनीका प्रबन्ध करना ।	
२२५ (१)	निजके कुओं आदिके साफ करनेका हुक्म देना ।	

१	२	३
दफ़ा	अधिकारोंऔर कर्तव्यों की क़िस्म	कैफ़ियत
२२५ (२)	किसी शख़्सको किसी निज के कुएं आदिको काममे लानेसे रोकनेका, या उसको बन्द करने, या उसमे आड़ लगानेका हुक्म देना।	अपील हो सकती है
२२७	पानी पहुँचानेके किसी कामके पाससे मोरियो, या पाख़ानो आदिके हटाने, या बन्द करदेने का हुक्म देना।	अपील हो सकती है
२२९	मुआहिदा करके पानी पहुँचाना या देना।	
२३०	जो पानी दिया जाय उसके लिये फ़ीस लेना।	
२३६	मोरियो आदिके ऊपरसे ऐसी इमारतोंका हटाना जिन के बनानेकी इजाजत न दी गईहो, या उनके सम्बन्धमे कोई अन्य कार्रवाई करना, या ऐसी इमारतों आदिके हटाये जानेके लिये, नोटिस जारी करना।	अपील हो सकती है
२४०	किसी अफ़सरको ऐसे मासको कृब्जेमे कर लेनेका अधिकार देना, जो म्यूनिसिपलटीकी हदोंके भीतर किसी बाई-लॉ के हुक्मके विपरीत लाया जाय, और ऐसे मासके ठिकाने लगाये जानेके विषयमे हुक्म देना।	
२४४ (१) —व (२)	ऐसी वस्तुओं को कृब्जेमे करना जो बेचे जानेके लिये बाहर रखी जांय और जो मनुष्यके काममे लाये जानेके अयोग्य हों, और ऐसी औषधियोंको कृब्जेमे लेना, जिनके विषयमे यह शंकाहो कि उनमे मेल किया गया है, या जो प्रभाव हीन होगई है और ऐसी औषधियोंको किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना।	
२४५ (१)	हानिकारक व्यापारोंके विषयमे नोटिस जारी करना।	अपील हो सकती है
२४९	किसी शख़्सको ऐसे कुत्तोंके मार डालने या बद करने का अधिकार देना जिनको बौरा (पागल) जानेकी, बीमारी आदि होने की शंका हो।	
२५० (२)	लोगोंको ऐसे कुत्तोके मार डालने या बन्द करनेका अधिकार देना जिनके मुसका (मुखबन्धनी) न चढी हो।	
२५६	पशुओं या गाड़ियोंके खड़ा करने के लिये सार्वजनिक आराजी काममे लानेकी इजाजत देना।	
२५७ (२)	किसी छत या दीवारको, यदि वह सहजसे जल उठने वालीहो, हटा देनेका हुक्म देना।	अपील हो सकती है
२५८	ज्वलन शील वस्तुओंके लिये तलाशी लेना, और वस्तुकी किसी ऐसी मात्राको कृब्जेमे लेना, जो अधिक हो जिसकी	

१	२	३
दफ़ा	अधिकारों और कर्तव्यों की किस्म	कैफ़ियत
२६०	खानमें से पत्थर निकालनेके विषयमें जब कि वह खतरनाक हो नोटिस जारी करना, और लकड़ीकी भीत या जगले इस अभिप्रायसे खड़े करना कि वह जोखों जिसका तुरन्त भय हो दूर हो जाय।	
२६१	खरञ्जा आदि खोदनेकी इजाजत देना, और वह खर्च वसूल करना जो इस प्रकार खोदने आदिके कारण बोर्ड को करना पड़े हों।	
२६३	नोटिसके द्वारा यह हुक्म देना कि जो इमारतें आदि खतरनाक या टूटी फूटी दशामें हों, गिरा दी जाय, या उनकी मरम्मत की जाय, या कुओं और तालाब आदिकी मरम्मतकी जाय और वह घेर दिये जाय, और जहां तुरन्त कोई जोखों हो तो तुरन्त कार्रवाई करना।	किसी तालाबके मरम्मत करने या घेरे दने के हुक्मके विरुद्ध अपील हो सक्ती है।
२६४	यह हुक्म देना कि खाली इमारत या आराजी, जिस के द्वारा सर्वसाधारण के लिये कष्ट उत्पन्न होता हो, सुरक्षित करदी जाय या घेर दी जाय।	
२६५	किसी सड़क या गलीमें थोड़े समयके लिये रुकावट करने केलिये लिखित आज्ञा देना, और किसी सड़क या गलीसे किसी रुकावटका हटाना और हटानेका खर्चा वसूल करना।	
२६६	खुले हुए स्थानोंसे मिट्टी आदि उठानेकी आज्ञा देना।	
२६७	निजी मोरियों और चहबच्चों और कूड़ाखानों, और पाखानों, आदि के बनाने और उनमें परिवर्तन करने और हटाने, और बन्द करने और साफ़ करने, और उनमें परदा लगाने का हुक्म देना।	ऐसे हुक्मके विरुद्ध अपील हो सक्ती है जिसके द्वारा किसी मालिक या काबिजको उपदफ़ा (१) के क्लॉज (ए) के अनुसार किसी पाखाना, या पेशाबखाना, या नल लगा हुआ पाखाना या मोरी या चहबच्चा, या कूड़ाखानेको, या गिलाज़त या मैले पानी या कूड़ा करकटके किसी अन्य पात्रको, बन्द करने या हटानेकी, या उपदफ़ा (१) के क्लॉज (बी) के अनुसार उसके तय्यार करनेकी आज्ञा दी गई हो।

१	२	३
दफ़ा	अधिकारों और कर्तव्यों की क़िस्म	कैफ़ियत
२६८	कारख़ानों आदि के लिये पाख़ानों और पेशाबख़ानों का प्रबन्ध करने और उनको साफ़ करने का हुक्म देना।	
२६९का भाग	कुओं और तालाबों आदिके साफ़ कराने या मरम्मत कराने, या ढक देने, या भर देने, या उनमे पानीका निकास कराने, का हुक्म देना।	अपील हो सक्ती है
२७०	मोरियों और पाख़ानोंकी जांच करना और ज़मीनको खुदवाना।	
२७१	गन्दी इमारतों या आराज़ियोंके साफ़ करनेका हुक्म देना।	
२७३(१)(ए)	हानिकारक पदार्थ, को थोड़े समय तक रखे जानेके लिये पात्रों और स्थानों का प्रबन्ध करना।	
२७५ (१)	पशुओं के मृत शरीरों के ठिकाने लगाने का प्रबन्ध करना।	
२७५ (३) —का भाग	इस प्रकार ठिकाने लगाने के लिये फ़ीस लगाना और वसूल करना।	
२७६	मैले पानीके बहाने आदि के लिये इजाजत देना और शर्तें लगाना।	
२७७	किसी इमारत में प्रवेश करके उसकी जांच करना, और यह आज्ञा देना कि कोई इमारत औषधियों से साफ़ की जाय, इत्यादि।	
२७८	ऐसी इमारतों के विषय में हुक्म जारी करना जो मनुष्य के रहनेके अयोग्य हों।	अपील हो सक्ती है
२८०	हैजा या शीतला के किसी रोगी को अस्पताल पहुँचाना, इत्यादि।	
२८३	किसी मालिक या क़ाबिजको हानिकारक बनस्पति के साफ़ करने का हुक्म देना।	
२८४ (२)	यह हुक्म देना कि ऐसे गड्ढे आदि जो बाई-लॉओं के हुक्म के विपरीत या किसी इजाजत के शर्तों के विपरीत बनाये गये हों भर दिये जांय, या उनमे पानीका निकास बना दिया जाय।	
२९१	आराज़ी का किराया या लगान वसूल करनेके लिये कलक्टर को दरख़्वास्त देना।	

१	२	३
दफ़ा	अधिकारों और कर्तव्यों की क़िस्म	कैफ़ियत
२९३	ऐसी स्थावर जायदाद को काम मे लाने या कब्जेमें रखने के विषय मे जो बोर्डके अधिकारमे हो या जो बोर्ड के प्रबन्ध में सौंपी गई हो, फ़ीस लगाना, और ऐसी फ़ीस को वसूल करना।	
२९४	लैसन्सों, और मंजूरियों, और इजाजतों के विषयमे फ़ीस लगाना।	
३०७	किसी काम को बनवाना और उसके बनाये जानेका ख़र्चा वसूल करना।	
३०८	किसी क़ाबिजको यह हुक्म देना कि वह ऐसे मालिक की जगह, जिस पर कोई रक़म चाहिये हो, किराया या लगान बोर्ड को दे, और किसी क़ाबिज को यह हुक्म देना, कि वह उस किराये या लगान के विषय में, जिसके देने का वह ज़िम्मेदार हो, कोई हाल बतलायें इत्यादि।	
३०९	किसी क़ाबिज की ओर से किसी काम का किया जाना मंजूर करना।	
३१२	हटाने का ख़र्चा, हटाई हुई वस्तु को नीलाम करके वसूल करना, या किसी शर्तों पर वस्तुयें मालिक को लौटा देना, या ऐसी वस्तुओं को नीलाम आदि के द्वारा बेचना जिनका मालिक उनको न मांगे।	
३१३ (२)	किसी ट्रस्टी या एजेन्ट को यह नोटिस देना, कि वह उस रुपये को जो मालिक के हिसाबमें वसूल हुआ हो, मालिक की ज़िम्मेदारियो के पूरा करने मे लगाये।	
३१४	अर्जी (इस्तगासा) देकर, और सूचना देकर, मुक़द्दमे चलाना, और अन्य शख़्सों को ऐसी अर्ज़ियां और सूचना देने का अधिकार देना।	
३१७	किसी पुलीस के अफ़सर के द्वारा दी हुई सूचना लेना।	

१	२	३
दफ़ा	अधिकारों और कर्तव्यों की क़िस्म	कैफ़ियत
१६८	कारख़ानों आदि के लिये पाख़ानों और पेशाबख़ानों का प्रबन्ध करने और उनको साफ़ करने का हुक्म देना।	
१६९का भाग	कुओं और तालाबों आदिके साफ़ कराने या मरम्मत कराने, या ढक देने, या भर देने; या उनमें पानीका निकास कराने, का हुक्म देना।	अपील हो सकती है
२७०	मोरियों और पाख़ानोंकी जांच करना और ज़मीनको खुदवाना।	
२७१	गन्दी इमारतों या आराज़ियोंके साफ़ करनेका हुक्म देना।	
२७२(१)(घ)	हानिकारक पदार्थ, जो थोड़े समय तक रखे जानेके लिये पात्रों और स्थानो का प्रबन्ध करना।	
२७५ (१)	पशुओं के मृत शरीरों के ठिकाने लगाने का प्रबन्ध करना।	
२७५ (२) —का भाग	इस प्रकार ठिकाने लगाने के लिये फ़ीस लगाना और वसूल करना।	
२७६	मैले पानीके बहाने आदि के लिये इजाजत देना और शर्तें लगाना।	
२७७	किसी इमारत में प्रवेश करके उसकी जांच करना, और यह आज्ञा देना कि कोई इमारत औषधियो से साफ़ की जाय, इत्यादि।	
२७८	ऐसी इमारतो के विषय में हुक्म जारी करना जो मनुष्य के रहनेके अयोग्य हों।	अपील हो सकती है
२८०	हैजा या शीतला के किसी रोगी को अस्पताल पहुँचाना, इत्यादि।	
२८३	किसी मालिक या क़ाबिजको हानिकारक वनस्पति के साफ़ करने का हुक्म देना।	
२८४ (१)	यह हुक्म देना कि ऐसे गड्ढे आदि जो बाई-लॉओं के हुक्म के विपरीत या किसी इजाजत के शर्तों के विपरीत बनाये गये हो भर दिये जांय, या उनमे पानीका निकास बना दिया जाय।	
२९१	आराजी का किराया या लगान वसूल करनेके लिये कलक्टर को दरख़्वास्त देना।	

ऐक्ट नं० २ सन् १९१४ ई०

१	२	३
दफ़ा	अधिकारों और कर्तव्यों की क़िस्म	कैफ़ियत
२९३	ऐसी स्थावर जायदाद को काम में लाने या क़ब्जेमें रखने के विषय मे जो बोर्डके अधिकारमे हो या जो बोर्ड के प्रबन्ध मे सौंपी गई हो, फ़ीस लगाना, और ऐसी फ़ीस को वसूल करना।	
२९४	लैसन्सों, और मंजूरियो, और इजाजतों के विषयमें फ़ीस लगाना।	
३०७	किसी काम को बनवाना और उसके बनाये जानेका ख़र्चा वसूल करना।	
३०८	किसी क़ाबिजको यह हुक्म देना कि वह ऐसे मालिक की जगह, जिस पर कोई रक़म चाहिये हो, किराया या लगान बोर्ड को दे, और किसी क़ाबिज को यह हुक्म देना, कि वह उस किराये या लगान के विषय में, जिसके देने का वह जिम्मेदार हो, कोई हाल बतलाये इत्यादि।	
३०९	किसी क़ाबिज की ओर से किसी काम का किया जाना मंजूर करना।	
३१२	हटाने का ख़र्चा, हटाई हुई वस्तु को नीलाम करके वसूल करना, या किसी शर्तों पर वस्तुयें मालिक को लौटा देना, या ऐसी वस्तुओं को नीलाम आदि के द्वारा बेचना जिनका मालिक उनको न मागे।	
३१३ (२)	किसी ट्रस्टी या एजेन्ट को यह नोटिस देना, कि वह उस रुपये को जो मालिक के हिसाबमें वसूल हुआ हो, मालिक की ज़िम्मेदारियो के पूरा करने में लगाये।	
३१५	अर्जी (इस्तगासा) देकर, और सूचना देकर, मुक़द्दमे चलाना, और अन्य शख़्सों को ऐसी आर्ज़ियां और सूचना देने का अधिकार देना।	
३१७	किसी पुलीस के अफ़सर के द्वारा दी हुई सूचना लेना।	

शिड्यूल नं० ३

टैक्स लगानेके प्रस्तावका नोटिस

[Notice of Proposal to impose Tax]

[दफ़ा १३१ की उपदफ़ा (३)]

इस लेख के द्वारा .... की म्यूनिसिपलटी के निवासियों को नोटिस (सूचना) दिया जाता है, कि म्यूनिसिपल बोर्ड, उस कर, महसूल टोल (प्रवेश कर) चुगी, या सेस (Cess) अर्थात्, अव्वाव (जैसी दशा हो) लगाना चाहता है, जो उन प्रस्तावो मे वर्णित है जो इसके साथ, है [उस टैक्स के बदले जो...... .... कहलाता है]।†

म्यूनिसिपलटीका कोई ऐसा निवासी, जो उन प्रस्तावों, या नियमोंपर, जो इसके साथ लगाये गये है, उज्र करे वह इस नोटिस, की तारीख से, दो सप्ताह के भीतर, अपने उज्र लिख के, म्यूनिसिपल बोर्ड को भेज सकता है।

† यह उस दशा में लिखा जायगा, जब कि टैक्स किसी ऐसे टैक्स के बदले लगाया जाय जो म्यूनिसिपलटी में पहले से लगा हो।

प्रस्ताव

(दफ़ा १३१ की उपदफ़ा (१) के अनुसार जो प्रस्ताव बोर्ड तैय्यार करे वह यहां लगा दिये जायगे)।

नियम

(दफ़ा १३१ की उपदफ़ा (२) के अनुसार जो नियम बोर्ड तैय्यार करे, वह यहां पर लगा दिये जायगे)।

शिड्यूल नं० ४
मॉगके नोटिसका फारम
(Form of Notice of Demand)

[दफा १६८]

बनाम

ए० बी० साकिन (निवासस्थान) ...

सूचित हो कि ... का म्यूनिसिपल बोर्ड रु० ... आ० पा०... ... से तलब करता है, जो कि ... ... पर चाहिये, और जो ... कि हिसाब में (यहां पर जायदाद, काम या पेशा हैसियत या चीज, जिसके विषय में रकम चाहिये हो, का वर्णन दिया जाय) ... के अनुसार, उस अवधि के लिए जो ... सन् १९... को आरम्भ हुई, और ... सन् १९ ... को समाप्त हुई, वसूल की जा सकती है, और सूचित हो, कि यदि इस नोटिस के मिलने से पन्द्रह दिन के भीतर उक्त रकम ... स्थान पर म्यूनिसिपलटीके दफ्तर में न दे दी जायगी, या न दिये जानेका ऐसा काफी कारण न दिखाया जायगा, जो बोर्ड के प्रति-संतोष प्रद हो, तो उक्त रकम और खर्चेके वसूल करने के लिये कुर्कीका वारट जारी किया जायगा।

तारीख ... ... सन१९ ...

(हस्ताक्षर)

... ... की म्यूनिसिपलटीके हुक्मसे जारी किया गया।

शिड्यूल नं० ५

वारंटका फारम

[दफा १६९ की उपदफा (१)]

(यहां उस अफ़सरका नाम लिखना चाहिये, जिसको वारन्टके तामील करनेका काम सौंपा गया हो)

चूकि ए० बी० साकिन ‥ ने रुपया‥आना‥पाई‥जो इस अवधिके विषयमें, जो ता०‥ मास‥ सन् १९‥को आरम्भ हुई, और ता०‥ मास सन् १९ ‥ को समाप्त हुई, उस जिम्मेदारी (यहां ज़िम्मेदारीका वृतान्त देना चाहिये) के विषयमे जो हाशियेपर अंकित है, और जो रक़म कि ‥‥के अनुसार ली जा सकती है, नहीं दी है, और न उक्त रक़म के न अदा करने के लिये कोई ऐसा कारण प्रकट किया हैं जो संतोषप्रद हो,

और चूकि उसपर उक्त रक़मके विषयमे मांगके नोटिसको तामील हुये १५ दिन व्यतीत हो चुके हैं,

इसलिये इस लेखके द्वारा तुमको आज्ञा दी जाती है कि, संयुक्त प्रान्तके म्यूनिसिपलटियोंका ऐक्ट, सन् १९१६ई०, के हुक्मोंके आधीन, उक्त ए० बी० का माल असवाब रुपया‥ आना‥पाई के मूल्यका कुर्क कर लो। उक्त रक़म वह है जो उससे नीचे लिखे हिसाबमे चाहिये है।

उक्त ज़िम्मेदारीके विषयमे	रुपया‥आना‥पाई
नोटिस की तामीलके विषयमे	रुपया आना पाई

और तुरन्त मेरे पास, इस वारन्टके सहित, उस मालका पूरा विवरण जो तुम इस वारन्ट के अनुसार कब्ज़ेमे लो, तस्दीक़ करके भेज दो।

तारीख़ ‥मास सन् १९‥ईसवी

(हस्ताक्षर)

चेयरमैन के या अन्य अफ़सर के

नोट—यदि वह शख्स जिसपर कि वक्त बाकी है; माल हटाये जाने से पूर्व पूरी रक़म दे दे तो वारन्ट की तामील करना आवश्यक न होगा।

शिड्यूल नं० ६

फारम उस माल असवाबकी सूचीका जो कुर्क किया जाय और नीलामके नोटिसका

Form of Inventary of Goods Distramed and Notice

[दफा १७१ की उपदफा (४)]

बनाम

ए० बी० साकिन'''' '

सूचित हो कि मैने आज यह माल असबाब जो इस नोटिस के नीचे लिखी हुई सूचीमें अंकित है, रुपया'' आना'' पाई'' की रकमके लिये, जो हाशियेपर अंकित की हुई जिम्मेदारी (यहां जिम्मेदारीका वृतान्त देना चाहिये) के विषयमे,उस अवधिके लिये चाहिये, जो तारीख़' मास'' सन् १९'' ई० को आरम्भ हुई, और तारीख़ मास'' सन् १९ ई०को समाप्त हुई, और ''रुपया आना 'पाईके लिये जो मागकेनोटिसके विषयमे चाहिये है, कब्जेमे कर लिया है, और सूचित हो कि यदि इस नोटिस के तामील होने की तारीख से पाच दिनके भीतर तक म्यूनिसिपलटीके दफ्तरमे, जो ''' मे है, उक्त रकम, उस खर्चेके सहित जो उसको वसूल करने मे पडे, न दे दोगे, तो उक्त माल और असबाब नीलाम कर दिया जायगा।

तारीख़ ''मास' सन् ई०

......

(हस्ताक्षर उस अफसर के जो वारन्टकी तामील करे)

सूची

(यहां माल और असबाबका जो कब्जेमे लिया जाय, विवरण दिया जाना चाहिये)

शिड्यूल नं० ७

[प्रान्तीय सरकारके अधिकार जो सौंपे नहीं जा सकते]

(दफ़ा ३२७)

१	२
दफ़ा	अधिकार या कर्तव्य
३ (१) (ए)	किसी स्थानीय रकबे को म्यूनिसिपलटी ठहरा देना ।
३ (१) (बी)	किसी म्यूनिसिपलटी को जिसकी जन सख्या एक लाख निवासियोंसे कमहो शहर ठहरा देना ।
३ (१) (सी)	किसी म्यूनिसिपलटी की हदोंको निर्णय और नियत करना ।
३ (१) (डी)	किसी रकबेको किसी म्यूनिसिपलटीमे सम्मिलित करना या किसी म्यूनिसिपलटीसे बाहर निकाल देना ।
३ (१) (ई)	पूर्वोक्त क्लॉज़ों मेसे, किसी क्लाजके अनुसार दियेहुये, किसी विज्ञापन को रद करना ।
८ (३)	यह निश्चय करना, या शहरकी म्यूनिसिपलटीमे ऐसे निश्चयकी मंजूरी देना कि किसी बातका खर्च म्यूनिसिपलटीके कोषसे दिया जाना उचित है ।
९ (१)	विज्ञापनके द्वारा किसी बोर्डके उन मेंबरोंकी सख्या नियत करना, जिनका निर्वाचन किया जा सकता है ।
१०	किसी म्यूनिसिपलटीके सम्बन्धमे यह निश्चय करना कि दफ़ा ९ उसपर लागू न होगी, और ऐसी दशामे उन मेम्बरोंकी संख्या नियमित करना, जो नामजद किये जायगे, तथा उनकी जिनका निर्वाचन किया जायगा ।
१२ (५)	यह बात निर्णय करना कि मुसलमानोंकी जन सख्या सब म्यूनिसिपलटियोंकी जन सख्या के जोड़ की कितनी प्रति सैकड़ा है ।
१६ (३)	इस उपदफ़ाके क्लॉज (ए) और (बी) के अनुसार लगाई हुई किसी अयोग्यताको हटा देना ।
३०	किसी निर्दिष्ट अवधिके लिये बोर्डको अलग कर देना ।
३१	उस अवधिमे, जिसके लिये बोर्ड अलग किया गयाहो, किसी एक शख्सको, या एकसे अधिक शख्सोंको, बोर्डके अधिकार बरतने और कर्तव्योंका पालन करनेके लिये, नियुक्त करना ।
३४ (२)	किसी शहरके विषयमे, जो हुक्म, इस दफ़ाके अनुसार, कमिश्नर या जिला मजिस्ट्रेटके द्वारा दिया गयाहो, उसको रद करना, या उसमें सशोधन करना ।

१	२
दफ़ा	अधिकार या कर्तव्य
३५ का भाग	किसी शहरकी दशामे, किसी कर्तव्यके पूरा किये जानेके लि कोई अवधि नियत करना, और यदि ऐसी नियतकी हुई अवधिके भी कर्तव्य पूरा न किया जाय, तो जिला मजिस्ट्रेटको उसको पूरा कर लिये नियत करना, और यह आज्ञा देना कि उसके पूरा किये जाने खर्चा बोर्ड देगा।
३८ (४)	यह तारीख अंकित करना, जिस पर बोर्डके मेम्बर अपने पद अलग होजायंगे।
४० (१)	किसी शहरके बोर्डके किसी मेम्बरको मेम्बरीसे हटाना।
४० (२)	उपदफ़ा (१) के क्लॉज (डी) (ई) और (यफ़) के अनुस दिये हुये किसी हुक्मके विरुद्ध अपील लेना, और ऐसे हुक्मको करना, और उस मेम्बर को जिसको ऐसा हुक्म दिया गया हो बहा करना।
४० (३)	किसी ऐसे मेम्बरको पदसे हटाना, जिसने अपने पद का ऐसा घो दुरुपयोग कियाहो कि उसका आगे मेम्बर रहना, जनताके हितके लि हानिकारक हो।
४१ (४)	किसी ऐसे मेम्बरके विषयमे जिसको प्रान्तीय सरकारने मेम्बरी हटा दिया हो यह निश्चय करना कि वह आगे निर्वाचित या नामज किये जानेके अयोग्य न होगा।
४३ (३)	यह बात निश्चय कर देना कि इस दफ़ाकी उपदफ़ायें (१) औ (२) किसी म्यूनिसिपलटी पर लागू न होंगी।
४४	किसी शहर के लिये उस दशा मे चेयरमैन नामजद करना ज कि बोर्ड चेयरमैन का निर्वाचन न करे।
४५	किसी शहरके चेयरमैन को लगातार दो अवधियों से अधिक वे लिये निर्वाचन किये जानेके विषयमे मजूरी देना।
४८	किसी चेयरमैनको पदसे अलग करना।
५७	किसी ऐक्जिक्यूटिव अफसरकी नियुक्ति, और वेतन और नियुक्त की शर्तोंकी मंजूरी देना।
५८ (३) व (४)	किसी ऐसी अपीलको लेना, जो ऐक्जिक्यूटिव अफसर दण्ड दिये जाने और डिस्मिस किये जानेके हुक्मके विरुद्धकरे, और ऐसे दण्ड या डिस्मिस किये जानेको मजूर करना, नामंजूर करना, या उसके हुक्मे परिवर्तन करना, और अपील के फैसले तक ऐक्जिक्यूटिव अफसर को पदसे अलग करना (मुत्तिअल)

१	२
दफ़ा	अधिकार या कर्तव्य
५ (१)	किसी शहरके बोर्डको ऐक्जिक्यूटिव अफसरको नियुक्त करनेका हुक्म देना या किसी शख्सको ऐक्जिक्यूटिव अफसर की जगह काम करनेके लिये नियुक्त करनेका हुक्म देना।
५ (३)	यदि बोर्ड नियुक्त न करे, तो किसी शख्सको ऐक्जिक्यूटिव अफसर नियुक्त करना, या ऐक्ज़िक्यूटिव अफसरकी जगह काम करनेको नियुक्त करना, और ऐसे नियुक्त किये हुये शख्सके वेतन प्रावीडेण्टफंड का चंदा, या पेन्शिन, और नौकरी की शर्तें, नियत करना।
९ (४) (५)	करुणार्द्र ऐलाउन्स दिये जाने की मंजूरी देना, या वार्षिक वजीफ़े दिये जाने, या मोल ले दिये जाने, की मंजूरी देना।
९ (२)	किसी निर्दिष्ट अफसरोंके सामने बजट पेश करनेकी आज्ञा देना।
०२	यह निश्चय करना कि किसी निर्दिष्ट बोर्डों के बजट मंजूरी के आधीन होंगे।
११०	ज्वाइंट कमेटियों के नियत किये जाने का हुक्म देना।
११५ (२)	किसी कोठीवाल की जमानत की संख्या निश्चय करना।
११६	किसी ऐसी जायदाद के विषय में कोई शर्त लगाना, जो साधारणता बोर्ड के अधिकार में रहती हो।
११७	लेन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अनुसार किसी बोर्ड के लिये आराज़ी प्राप्त करना।
१२२ (१)	विज्ञापन के द्वारा घोषणा देना कि किसी म्यूनिसिपल बोर्ड की जायदाद और ज़िम्मेदारियों का कितना भाग किसी दूसरे स्थानीय अधिकारी को उस दशा में दे दिया जायगा, जब म्यूनिसिपल बोर्ड की जायदाद और जिम्मेदारियों का कितना भाग किसी दूसरे स्थानीय अधिकारीको उस दशामें दे दिया जायगा, जब म्यूनिसिपलिटीके क्षेत्रफलका कोई भाग उक्त स्थानीय अधिकारीके अधिकारमें देदिया जाय।
१२२ (२)	विज्ञापन के द्वारा घोषणा देना कि किसी म्यूनिसिपल बोर्ड की जायदाद और जिम्मेदारियोंका कितना भाग भारत मंत्रीको उस दशा में दे दिया जायगा, जब कोई स्थानीय रकबा म्यूनिसिपलटी के बाहर निकाल दिया जाय, और वह तुरंत किसी दूसरे स्थानीय अधिकारी की निगरानी में न रख दिया जाय।
१२२ (४)	किसी ऐसी दशा में जो, उपदफा (१) और (२) से सम्बन्ध रखती हो यह निश्चय करना कि म्यूनिसिपलिटी के कोष या ज़िम्मेदारियों का कोई भाग अलग किया जाना अनुचित है।

१	२
दफ़ा	अधिकार या कर्तव्य
१२४ (२)	श्रीमान् भारत सम्राट् को बोर्ड के अधिकार की किसी जायदाद के दिये जाने की मजूरी देना ।
१२६	मेलों इत्यादि मे पुलिस के द्वारा रक्षा करने का प्रबन्ध करना और यह निश्चय करना कि खर्चेका कितना भाग बोर्डको देना होगा ।
१३३ (२)	ऐसे प्रस्तावों को, जो दफ़ा १२८ की उपदफ़ा (१) के क्लॉज (१) से क्लॉज (१२) तक के अनुसार कर लगाने के विषय मे किसी शहर की ओर से पेश किये गये हों, या ऐसे प्रस्तावों को जो दफ़ा १२८ की उपदफ़ा (१) के क्लॉज (१३) के अनुसार कर लगानेके विषयमे किसी बोर्डसे आयेहों मजूर करना या मजूर करनेसे मना करना, या और विचार करने के लिये उनको लौटा देना ।
१३५ (२)	ऐसे कर के लगाये जाने की, जिसको प्रान्तीय सरकारने मजूर किया हो, घोषणा देना ।
१३७ (१)	किसी बोर्ड को आज्ञा देना वह किसी ऐसे दोष को दूर करे जो किसी कर मे या उसके सम्बन्ध मे हो ।
१३७ (२)	कर को स्थगित करना, या उठा देना, या घटा देना ।
१५७ (३)	कर से माफी देना ।
१६० (१)	किसी अफ़सर को ऐसी अपीलें सुनने का अधिकार देना, जो कर के विरुद्ध की जाय ।
२७९ व २८०	फैलने वाले रोगों के विषय में विज्ञापन देना ।
२९६ का भाग	ऐसे नियमोंका बनाना जो शहरोंके अतिरिक्त अन्य म्यूनिसिपलिटियों पर लागू हों, सिवाय दफ़ा १५३ के क्लॉज (ए) और (बी) (सी) के अनुसार ।
३१८	ऐसी अपीलों के सुनने के लिये किसी अफसरको नियुक्त करना जो किसी बोर्ड के कुछ निश्चित हुक्मों के विरुद्ध की जाय ।
३२७	अधिकारों का सौंपना ।
३३७	किसी स्थानीय रकबे को रकबा मुस्तहिरा ठहराना ।
३३८ (१) (सी)	किसी रकबा मुस्तहिराकी कमेटीके लिये मेम्बरोंकी सख्या नियत करना ।
३३८ (२)	यह बात नियमित करना कि रकबा मुस्तहिरा के मेम्बर नामजद किये जायगे, या उनका निर्वाचन किया जायगा, या यह कि उनमें से कुछ नामजद किये जायगे और कुछका निर्वाचन किया जायगा ।
३३९	यह बात निर्णय करना कि उन रकबोंके कोष, जो मुस्तहिरा न रहे किस प्रकार लगाया जाय ।

सन् १९१२ ई० ऐक्ट ५ सं० २ द्वारा

शिड्यूल नं० ८

अपराधों की सूची

List of Offences.

[दफ़ा (३१४)]

१	२	३
दफ़ा	अपराध का वर्णन	जुर्माना जो किया जा सकता है
१४८ (२)	किसी नई या परिवर्तित इमारत की सूचना, कूते हुये करो की सूची मे लिखे जानेके लिए, न देना	५०) रुपये, या फ़र्क़की उस रक़मसे, जो ३ मासके लिए देना पड़े, दस गुना
१५२ (२)	ऐसी खाली इमारत के जो, कम टैक्स देती हो, फिर से बस जाने की सूचना न देना।	५०)रुपये, या उस रक़मका दस गुना जो बस जानेके समय से चढ़ गया हो
१५५	चुंगी देने से धोखा देकर बचना।	५०) रुपये, या चुंगीकी जिस रक़मके देनेसे बचा जाय, उसका दस गुना, अर्थात दोनोंमें जो रक़म बड़ी हो
१५८ (२)	करकी जिम्मेदारी प्रकट करनेका नक़शा ठीक न भरना।	१००) रुपये
१८५	क़ानून के विरुद्ध इमारत बनवाना, या उसमे परिवर्तन करना।	५००) रुपये
१९१ (२)	मोरीका मेल, क़ानूनके विरुद्ध बनाना और उसमे परिवर्तन करना।	५०) रुपये
२०१ (२)	मौरूसी भंगीकी उपेक्षा।	१०) रुपये
२०७	क़ानून के विरुद्ध सड़क या गली बनवाना।	५००) रुपये
२१०	सड़क या गली, अथवा मोरीके ऊपर इमारतका निकला हुआ भाग, बनाना जिसके बनाने का अधिकार न दिया गया हो।	२५०) रुपये,
२१३ (३)	उन पेड़ोंके काटने, तथा इमारत सम्बन्धी किसी कामको करने, जिनमें जोखों हो, की इजाज़त न लेना और उनके खतरोंको दूर करनेके उपाय न करना।	५०) रुपये, और प्रत्येक ऐसे दिनके लिये जिसमें दण्डके पश्चात्, अपराध जारी रखा जाय ५) रुपये
२१७ (२)	सड़कों के नामों और घरो के नम्बरों में अनुचित हस्तक्षेप करना।	२५) रुपये
२२३ (२)	सड़क की मरम्मत आदि होने के काल मे जो प्रबन्ध किये गये हों, उनमें हस्तक्षेप करना।	५०) रुपये

१	२	३
दफा	अपराध का वर्णन	जुर्माना जो किया जा सकता है
२३७ (४)	बिक्री के लिये पशुओ को ऐसे मकान आदि मे मारना जिसके विषय मे इस कामका लैसन्स न हो।	२०) रु० प्रति पशु
२४२	उन पशुओंको जो दूध आदिके लिये और खाये जाने के लिये रखे जांय, अनुचित खाद्य खिलाना।	५०) रुपये
२४५	किसी नोटिसकी आज्ञाका उल्लघन करना जिसके द्वारा किसी इमारत आदि मे कोई हानिकारक व्यापार किये जाने की मनाही की गई हो, या उसका कोई प्रबन्ध किया गया हो।	२००) रुपये, और प्रत्येक ऐसे दिनके लिये जिसमें, दण्ड दिये जानेके पश्चात् अपराध जारी रखा जाय, ४०) रुपये
२४६	दुराचार के उद्देश्य से मारे मारे फिरना और साग्रह दुराचार मे प्रवृत्ति कराना।	५०) रुपये
२४७ (२)	मजिस्ट्रेटके किसी ऐसे हुक्मकी आज्ञाका उल्लंघन करना, जिसके द्वारा किसी घर को चकले की तरह काम मे लाने की मनाही की गई हो।	२५) रुपये प्रति दिन
२४८	हठ के साथ भिक्षा मांगना।	२०) रुपये
२५२	सड़क के नियम की उपेक्षा।	१०) रुपये
२५३	बिना उचित रोशनी लगाये हुये, गाड़ियों को चलाना।	२०) रुपये
२५४	हाथी आदि को हटा के ऐसे अन्तर पर न ले जाना, जहा से कोई भय न हो।	२०) रुपये
२५५ (१)	सडक पर ढोरों को मारे २ फिरने देना या बांधना।	१०) रुपये
२५६	म्यूनिसिपलिटी की आराजी को (गाडी आदि) खडी करने के काम मे लाना, जिसका कि अधिकार न दिया गया हो।	२०) रुपये, और प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें दण्डके बाद अपराध जारी रखा जाय ५) रुपया
२५७ (३)	ज्वलनशील इमारतों को बिना आज्ञा के बनाना या खडा रहने देना।	२५) रुपये, और प्रत्येक ऐसे दिनके लिये जिसमें, दण्ड के पश्चात् अपराध जारी रखा जाय, १०) रुपये
२६१ (१)	बिना आज्ञाके दरवाजों आदिसे या म्यूनिसिपलटी की अन्य जायदादसे छेड़ छाड करना।	१००) रुपये
२६२	ऐसे आग्नेय अस्त्रों को छुड़ाना या आतिशबाजी छुड़ाना जिनसे भय हो, या खतरनाक खेल खेलना।	२०) रुपये
२६५	सड़कों या गलियामें रुकावट करना।	५०) रुपये

१	२	३
दफा	अपराध का वर्णन	जुर्माना जो किया जा सकता है
२६६	सार्वजनिक आराजीको बिना आज्ञा के खोदना।	५०) रुपये और यदि पहली बार सजा होनेपर अपराध जारी रखा जाय तो प्रत्येक दिनके लिये १०) रुपये।
२७२	मालिक या काबिजको किसी हानिकारक पदार्थ को न हटाना।	५०) रुपये और यदि पहली बार सजा होने पर अपराध जारी रखा जाय तो प्रत्येक दिनके लिये ५) रुपये।
२७४	मालिक या काबिजके द्वारा कूड़ा करकट, मैला आदि का अनुचित रूपसे ठिकाने लगाया जाना।	२०) रुपये
२७५ (२)	मरे हुये पशुओंको ठिकाने न लगाना।	१०) रुपये
२७६	मैले पानीको सड़कमें, या सड़क पर, या नाली मे, अनुचित रूपसे बहाना।	१०) रुपये
२७९	हैजा शीतला आदिकी सूचना न देना।	५०) रुपये
२८१	फैलने वाले रोगसे पीडित होनेकी दशामें, कुछ निर्दिष्ट कामोंका करना।	२०) रुपये
२८५ (५)	मृत शरीरोंको किसी ऐसे स्थानमे गाड़ना या जलाना, जो गाड़ने या जलानेके लिये नियत न की गई हो।	५०) रुपये
२९५	म्यूनिसिपलटी के कर्मचारियों के काममें विघ्न डालना।	५०) रुपये
२९९	किसी ऐसे नियम या बाई-लॉ के विरुद्ध काम करना जिसके उल्लघनके लिये दण्ड रखा गया हो।	कोई रकम जो नियमितहो और जो ५००) रुपयेसे अधिक न हो और यदि पहली बार अपराध साबित होने पर अपराध जारी रखा जाय तो प्रत्येक दिनके लिये ५) रुपये।
३०६	किसी ऐसे आम नोटिसका या ऐक्टके हुक्मका उल्लंघन करना जो सर्वसाधारण पर लागू हो।	५००) रुपये और यदि पहली बार सजा होने पर अपराध जारी रखा जाय तो प्रत्येक दिनके लिये ५) रुपये
३०७	किसी ऐसे नोटिसका उल्लंघन जो किसी व्यक्ति के नाम जारी किया जाय।	उक्त सजा
३१० (३)	काबिजका, मालिकको कोई ऐसा काम न करने देना जिसके करनेकी आज्ञा नोटिसके द्वारा दीगई हो।	प्रत्येक ऐसे दिनके लिये जिसमें काम न करने दिया जाय २५) रुपये

शिड्यूल नं० ९

क़ानून जो इस ऐक्ट के द्वारा रद किये गये

Repealed Enactments

[दफ़ा ३३४ (१)]

वर्ष	नं०	छोटा नाम या विषय
		(लेफ्टिनेन्ट गवर्नर और उनकी कौंसिलके द्वारा पास किये हुये क़ानून)
सन१८९१ई०	१	संयुक्त प्रान्तका पानी के कारख़ानेका ऐक्ट।
सन१८९२ई०	१	संयुक्त प्रान्तका ठहरने के मकानोंका ऐक्ट (Lodging House Act)
सन१८९४ई०	३	संयुक्त प्रान्त का गन्दा पानी तथा पानी के निकास का ऐक्ट (Sewerage & Drainage Act)
सन१८९५ई०	२	संयुक्त प्रान्तके पानी के कारख़ाने के ऐक्टमे संशोधन करने के लिये ऐक्ट
सन१९००ई०	१	संयुक्त प्रान्तका म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट
सन१९०१ई०	१	संयुक्त प्रान्तके पानी के कारख़ाने के ऐक्टमें संशोधन करने के लिये ऐक्ट
सन१९०१ई०	५	संयुक्त प्रान्तके म्युनिसिपटीज ऐक्टमे संशोधन करनें के लिये ऐक्ट।
सन१९०७ई०	१	संयुक्त प्रान्तके म्यूनिसिपलटीज ऐक्टमे संशोधन करने के लिये ऐक्ट।
सन१९०८ई०	१	संयुक्त प्रान्तके पानी के कारख़ाने के ऐक्टमे संशोधन करने के लिये ऐक्ट

(समाप्त)

सन १९२४ ई० की नयी नज़ीरें



ग्रन्थ छपते समय तक जितनी नयी नज़ीरें हाईकोर्टमें हुयीं सबका पूरा हवाला इस म्यूनिसिपल ऐक्टकी दफाओं के साथ विद्वान पाठकोंके जाननेके लिये आगे दिया गया है



सन १९२४ ई० की नयी नज़ीरें



म्यूनिसिपल्टीज़ ऐक्ट न० २ सन १९१६ ई० की दफ़ा २२.

(१) सूरज नारायण बनाम जगबहादुर I. L. R. 45 All, 687=74 I. C. 2.

संयुक्त प्रान्त के म्यूनिसिपल्टीज़ ऐक्ट की दफ़ा २० और २२ का अर्थ ऐसी सख़्ती के साथ नहीं लगाया जाना चाहिये कि जो अर्जियाँ स्वयं कलक्टर के सामने पेश न की जाय वह नाजायज़ ठहरा दी जाय। यदि किसी जिले में काम की यह रीति हो कि कलक्टर की अनुपस्थिति में कोई अन्य अफसर अर्जियाँ लिया करता हो, और अर्जियाँ लेकर कलक्टर के सामने पेश कर दिया करता हो, तो ऐसे अफसर को अर्जी दी जाना काफ़ी है। यह आवश्यक है कि अर्जी कलक्टरके पास मियाद के भीतर पहुंच जाय।

म्यूनिसिपल्टीज़ ऐक्ट न० २ सन १९१६ ई० की दफ़ा २३

(२) रामनाथ बनाम सरकार बहादुर 22 A. L. J. 497

एक निर्वाचन सम्बन्धी अर्जी सुनने पर कमिश्नर ने आज्ञा दी कि अर्जी देने वाले पर जाल-साज़ी का (Forgery) या जालसाजी करने के लिये प्रोत्साह दिलाने का मुक़द्दमा चलाया जाय, क्योंकि असली वोट देने वालों के बदले अन्य लोग पेश किये गये और असली वोट देने वालों के झूठे हस्ताक्षर किये गये, या झूठे अंगूठेके निशान लगवाये गये। इस हुक्म की हाईकोर्ट में निगरानी की गई, और अर्जी देने वाले की ओर से दो बहसें पेश की गईं अर्थात्—

(१) यह कि जिस अपराध के लिये मुक़द्दमा चलाया गया है वह एक निर्वाचन सम्बन्धी अपराध है, इसलिये ताजीरात हिन्द के प्रकरण ९ (ए) के अनुसार, मुक़द्दमा चलाये जाने की मंजूरी प्रान्तीय सरकार से प्राप्त करना चाहिये थी। ऐसी मंजूरी प्राप्त न किये जाने के कारण मुक़द्दमा क़ानून के विरुद्ध है।

(२) यह कि कमिश्नर ने इस मामले में अपने अधिकारों की सीमा के बाहर काम किया क्योंकि कमिश्नर न तो दीवानी ही की, न फौजदारी की, न माल की अदालत है, अतएव कमिश्नर ज़ाबता फौजदारी की न तो दफ़ा १९५ के भीतर आता है और न दफ़ा ४७६ के।

नोट—दफ़ा १९५ ज़ाबता फौजदारी की उपदफ़ा (सी) की यह आज्ञा है कि कोई अदालत उस अपराध का, जो ताजीरात हिन्द की दफ़ा ४६३ में वर्णित है, कोई मुक़द्दमा न सुनेगी जब कि ऐसा अपराध किसी अदालत की किसी कार्रवाई में, किसी पक्षकार ने, किसी ऐसे कागज़ के विषय में किया हो जो कि उक्त अदालत की पहले से कार्रवाई में पेश किया गया हो, या शहादत में दिया गया हो, सिवाय इसके कि उक्त अदालत के द्वारा इस्तगासा दिया गया हो। मंजूरी प्राप्त कर ली गई हो, या उक्त अदालत के द्वारा इस्तगासा दिया गया हो।

दफा ४७६ जावता फौजदारी की आज्ञा है कि जब किसी दीवानी, फौजदारी या माल की अदालत की राय में, किसी ऐसे अपराध के सम्बन्ध में, जो कि दफा १९५ में वर्णित है और जो कि उक्त अदालत के सामने ही किया गया हो, या जिसका पता किसी मुकद्मे की कार्रवाई करते हुये उक्त अदालतको चला हो, तफसील करनेकी आवश्यकता है, तो ऐसी अदालत, प्रारम्भिक तफसील के पश्चात्, मुकद्मे को तफसील के लिये या फैसल करने के लिये, सब से पास वाले अव्वल दर्जे के मजिस्ट्रेट के पास भेज दे ..।

उपरोक्त दोनों प्रश्नों को माननीय जज ने स्वीकार नहीं किया, तजवीज के आवश्यक भागों का साराश यह है —

"इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि यह कार्रवाई रोक दी जाना चाहिये। कारण यह बताया जाता है कि यदि कोई शख्स ताजीरात हिन्द के प्रकरण ९ (ए) के अनुसार कोई निर्वाचन सम्बन्धी अपराध करे, तो उसके साथ २ वह चाहे कोई अन्य अपराध भी करे, परन्तु उस पर बिना प्रान्तीय सरकार की आज्ञा के मुकद्मा नहीं चलाया जाना चाहिये। यह केवल एक भ्रम है जो तुरन्त झूठा ठहरा दिया जाना चाहिये। अर्जी देने वाले ने एक अनुपस्थित वोट देने वाला बन के झूठा वोट दिया है। ताजीरात हिन्द के प्रकरण ९ (ए) के अनुसार यह एक अपराध है, और कुछ उचित कारणों से कानून में आज्ञा दी गई है कि उक्त प्रकरण के अपराध का मुकद्मा चलाये जाने के लिये प्रान्तीय सरकार की मजूरी लेना चाहिये। परन्तु दूसरे के नाम से वोट देने के लिये यह भी करना पड़ता है कि वोट के कागज पर उस दूसरे शख्स के झूठे हस्ताक्षर करना होते हैं या झूठा निशान अगूठा लगाना पड़ता है। और ऐसे हस्ताक्षर करने वाला या अंगूठा लगाने वाला ताजीरात हिन्द की दफा ४६३ के अनुसार जालसाजी का अपराधी हो जाता है।. निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में इससे अधिक धोकेबाजी और कुछ नहीं हो सकती।. ऐसा काम एक अशिक्षित वोटर के लिये भी निन्दनीय है। परन्तु एक उम्मेदवार के लिये जिसके विषय में यह आशा की जा सकती है कि वह एक शिक्षित मनुष्य होगा, और जो जनता का प्रतिनिधि बनने का दावा करता है, यदि वह ऐसा काम करे तो उसको बड़ा अपराध समझना चाहिये और उसके लिये कठोरता से दण्ड दिया जाना चाहिये। ऐसे २ अपराध जैसे कि निर्वाचन सम्बन्धी आन्दोलन या तमाशों में कुछ अधिक रुपया लगा देना, या किसी वोटर पर अनुचित दबाव डालना, या किसी दूसरे उम्मेदवार का चरित्र बताने में उस सीमा से बढ़ जाना जहा तक कि कानून आज्ञा देता है, उनके विषय में मुकद्मा चलाने के लिये प्रान्तीय सरकार की आज्ञा की आवश्यकता होती है। दो पक्षों के वाद विवाद की गर्मागर्मी में ऐसी बातें प्राय हो जाया करती हैं। परन्तु ऐसे अपराधों में और उन अपराधों में जो देश के साधारण कानूनके विरुद्ध जुर्म हैं बड़ा अन्तर है। अतएव यदि निर्वाचन सम्बन्धी अपराधोंके संग कोई शख्स ऐसा कोई जुर्म जैसा कि ताजीरात हिन्द की दफा ४६३ में वर्णित है, भी करे तो ऐसे जुर्म का मुकद्मा चलाने के लिये मजूरी की आवश्यकता नहीं है।

दूसरे प्रश्न पर माननीय जज ने तजवीज में लिखा कि "इस प्रश्न पर कोई अन्तिम फैसला दिये बिना, हमारी राय ... ९१६ ... ऐक्टके हुक्मों के अनुसार, कमिश्नर किसी न किसी प्रकार ... में यह नहीं कहा गया है कि वह दीवानी की अदालत है। उसको ... कि वह दीवानी की अदालत के अधिकारों को बरते। परन्तु तीनों ... यह स्प... हो जाता है कि

निर्वाचन सम्बन्धी अदालत फौजदारी या माल की अदालत नहीं कही जा सकती वरन उसके लक्षण दीवानी की अदालत के हैं।

तीसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह मानके कि, इस प्रकार के निर्वाचन सम्बन्धी झगड़े का मुकदमा ताजीरात हिन्द के साधारण हुक्मों के अनुसार न चलाया जाना चाहिये, और यह मानके कि कमिश्नर को यह अधिकार न था कि वह लिखित इस्तगासा मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता, क्या हाईकोर्ट को यह अधिकार है कि निगरानी करके मामले में हस्तक्षेप करे ? ऐक्ट की दफा २३ के क्लॉज (३) की आज्ञा है कि निर्वाचन सम्बन्धी अदालत के फैसले के विरुद्ध न तो अपील की जायगी न निगरानी। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हाईकोर्ट को केवल इतनाही अधिकार है कि सलाह दे और उन कानूनी प्रश्नों का उत्तर दे जो उसके पास फैसले के लिये विशेष रूप से भेजे जाय। इसलिये जो हुक्म कि कमिश्नर ने रामनाथ पर मुकद्दमा चलाये जाने का दिया था वह अन्तिम था, उसकी निगरानी हाईकोर्ट में नहीं की जा सकती।

म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट न० २ सन १९१६ ई० की दफा ११६ (जी)

(३) मुहम्मद रजी खां बनाम मुहम्मद असगर खां 1922 I L R All 485

—संयुक्त प्रान्तके म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट के अनुसार, वह भूमि जिस पर सार्वजनिक सड़क होती है, म्यूनिसिपलटी के अधिकार में होती है। अतएव यदि कोई मदाखिलत बेजा उस पर की जाय तो उसके विषयमें शिकायत (अर्थात् इस्तगासा आदि) करनेका अधिकार केवल म्यूनिसिपल बोर्ड को हो सकता है, अन्य किसी को नहीं।

म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट न० २ सन १९१६ ई० की दफा २.

(४) म्यूनिसिपल बोर्ड बनारस बनाम रामकृष्णदास, *1922 A I R 386 (All Sec)*=70 I C 416

बनारस में एक छोटी सी गली थी जो एक ओर से बन्द थी। गली के नीचे एक मोरी थी। प्रश्न यह था कि यह गली सार्वजनिक है या कि रामकृष्ण दास की निजी जायदाद है म्यूनिसिपल्टी की ओर से यह बहस की जाती थी कि गली के नीचे बन्द मोरी होने के कारण गली को, ऐक्ट की दफ़ा २ के अर्थ के अनुसार, सार्वजनिक मानना चाहिये। परन्तु अदालत मातहत ने यह निश्चय किया था कि गली में सर्वसाधारण का रास्ता नहीं है और न हो सकता है क्योंकि गली में केवल रामकृष्ण दास के घर का दरवाजा है, अन्य किसी का नहीं। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि एक ऐसी गली, जिस पर से सर्वसाधारण रास्ता नहीं निकलते, केवल इस कारण सार्वजनिक नहीं कही जा सकती कि उसके नीचे एक बन्द मोरी है। यह बन्द मोरी मुसलमान बादशाहों के समय की पुरानी मोरियों में से एक है। शब्द सार्वजनिक गली में दोनों ओर की नालियां और मोरियां सम्मिलित होती हैं, किन्तु उसमें भूमि के नीचे की मोरियां सम्मिलित नहीं होतीं न हो सकती हैं। ऐसी बन्द

दफा ४७६ जाबता फौजदारी की आज्ञा है कि जब किसी दीवानी, फौजदारी या माल की अदालत की राय में, किसी ऐसे अपराध के सम्बन्ध में, जो कि दफा १९५ में वर्णित है और जो कि उक्त अदालत के सामने ही किया गया हो, या जिसका पता किसी मुकद्दमे की कार्रवाई करते हुये उक्त अदालतको चला हो, तफसील करनेकी आवश्यकता है तो ऐसी अदालत, प्रारम्भिक तफसील के पश्चात्, मुकद्दमे को तफसील के लिये या फैसल करने के लिये, सब से पास वाले अव्वल दर्जे के मजिस्ट्रेट के पास भेज दे ।

उपरोक्त दोनों बहसों को माननीय जज ने स्वीकार नहीं किया, तजवीज के आवश्यक भागों का सारांश यह है —

"इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि यह कार्रवाई रोक दी जाना चाहिये। कारण यह बताया जाता है कि यदि कोई शख्स ताजीरात हिन्द के प्रकरण ९ (ए) के अनुसार कोई निर्वाचन सम्बन्धी अपराध करे, तो उसके साथ २ वह चाहे कोई अन्य अपराध भी करे, परन्तु उस पर बिना प्रान्तीय सरकार की आज्ञा के मुकद्दमा नहीं चलाया जाना चाहिये। यह केवल एक भ्रम है जो तुरन्त झूठा ठहरा दिया जाना चाहिये। अर्जी देने वाले ने एक अनुपस्थित वोट देने वाला बन के झूठा वोट दिया है। ताजीरात हिन्द के प्रकरण ९ (ए) के अनुसार यह एक अपराध है, और कुछ उचित कारणों से कानून में आज्ञा दी गई है कि उक्त प्रकरण के अपराध का मुकद्दमा चलाये जाने के लिये प्रान्तीय सरकार की मंजूरी लेना चाहिये। परन्तु दूसरे के नाम से वोट देने के लिये यह भी करना पड़ता है कि वोट के कागज पर उस दूसरे शख्स के झूठे हस्ताक्षर करना होते हैं या झूठा निशान अंगूठा लगाना पड़ता है। और ऐसे हस्ताक्षर करने वाला या अंगूठा लगाने वाला ताजीरात हिन्द की दफा ४६३ के अनुसार जालसाजी का अपराधी हो जाता है। निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में इससे अधिक धोकेबाजी और कुछ नहीं हो सकती। ऐसा काम एक अशिक्षित वोटर के लिये भी निन्दनीय है। परन्तु एक उम्मेदवार के लिये जिसके विषय में यह आशा की जा सकती है कि वह एक शिक्षित मनुष्य होगा, और जो जनता का प्रतिनिधि बनने का दावा करता है, यदि वह ऐसा काम करे तो उसको बड़ा अपराध समझना चाहिये और उसके लिये कठोरता से दण्ड दिया जाना चाहिये। ऐसे २ अपराध जैसे कि निर्वाचन सम्बन्धी आन्दोलन या तमाशों में कुछ अधिक रुपया लगा देना, या किसी वोटर पर अनुचित दबाव डालना, या किसी दूसरे उम्मेदवार का चरित्र बताने में उस सीमा से बढ़ जाना जहां तक कि कानून आज्ञा देता है, उनके विषय में मुकद्दमा चलाने के लिये प्रान्तीय सरकार की आज्ञा की आवश्यकता होती है। दो पक्षों के वाद विवाद की गर्मागर्मी में ऐसी बातें प्राय हो जाया करती हैं। परन्तु ऐसे अपराधों में और उन अपराधों में जो देश के साधारण कानूनके विरुद्ध जुर्म हैं बड़ा अन्तर है। अतएव यदि निर्वाचन सम्बन्धी अपराधोंके संग कोई शख्स ऐसा कोई जुर्म जैसा कि ताजीरात हिन्द की दफा ४६३ में वर्णित है, भी करे तो ऐसे जुर्म का मुकद्दमा चलाने के लिये मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

दूसरे प्रश्न पर माननीय जज ने तजवीज में लिखा कि "इस प्रश्न पर कोई अन्तिम फैसला दिये बिना, हमारी राय में, सन् १९१६ ई० के म्यूनिसिपलटीज ऐक्टके हुक्मों के अनुसार, कमिश्नर किसी न किसी प्रकार की अदालत अवश्य है। उक्त ऐक्ट में यह नहीं कहा गया है कि वह दीवानी की अदालत है। उसको केवल यह अधिकार दिया गया है कि वह दीवानी की अदालत के अधिकारों को बरते। परन्तु तीनों प्रकार की अदालतों पर दृष्टि डालने से यह स्पष्टतः विदित हो जाता है कि

निर्वाचन सम्बन्धी अदालत फौजदारी या माल की अदालत नहीं कही जा सकती वरन उसके का
दीवानी की अदालत के हैं।

तीसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यह मानके कि, इस प्रकार के निर्वाचन सम्बन्धी झग
का मुक़द्दमा ताजीरात हिन्द के साधारण हुक्मों के अनुसार न चलाया जाना चाहिये, और यह मान
कि कमिश्नर को यह अधिकार न था कि वह लिखित इस्तगासा मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता, क
हाईकोर्ट को यह अधिकार है कि निगरानी करके मामले में हस्तक्षेप करे ? ऐक्ट की दफा २३ के खं
(३) की आज्ञा है कि निर्वाचन सम्बन्धी अदालत के फैसले के विरुद्ध न तो अपील की जायगी
निगरानी। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है-कि हाईकोर्ट को केवल इतनाही अधिकार है कि सल
दे और उन कानूनी प्रश्नों का उत्तर दे जो उसके पास फैसले के लिये विशेष रूप से भेजे जाय
इसलिये जो हुक्म कि कमिश्नर ने रामनाथ पर मुक़द्दमा चलाये जाने का दिया था यह अन्तिम
उसकी निगरानी हाईकोर्ट में नहीं की जा सकती।

म्यूनिसिपल्टीज़ ऐक्ट न० २ सन १९१६ ई० की दफा ११६ (जी)

(३) मुहम्मद रज़ी खां बनाम मुहम्मद असगर खां 1922 I. L. R. All 485

—संयुक्त प्रान्तके म्यूनिसिपल्टीज़ ऐक्ट के अनुसार, यह भूमि जिस पर सार्वजनिक सड़क हो
है, म्यूनिसिपल्टी के अधिकार में होती है। अतएव यदि कोई मदाखिलत बेजा उस पर की जाय
उसके विषयमें शिकायत (अर्थात् इस्तगासा आदि) करनेका अधिकार केवल म्यूनिसिपल बोर्ड को
सकता है, अन्य किसी को नहीं।

म्यूनिसिपल्टीज़ ऐक्ट न० २ सन १९१६ ई० की दफा २

(४) म्यूनिसिपल बोर्ड बनारस बनाम रामकृष्णदास, 1922 A. I. R. 386 (A Sec)=70 I. C. 416

बनारस में एक छोटी सी गली थी जो एक ओर से बन्द थी। गली के नीचे एक मोरी थी
प्रश्न यह था कि यह गली सार्वजनिक है या कि रामकृष्ण दास की निजी जायदाद है म्युनिसिपल
की ओर से यह बहस की जाती थी कि गली के नीचे बन्द मोरी होने के कारण गली को, ऐक्ट
दफा २ के अर्थ के अनुसार, सार्वजनिक मानना चाहिये। परन्तु अदालत मातहत ने यह निश्च
किया था कि गली में सर्वसाधारण का रास्ता नहीं है और न हो सकता है क्योंकि गली में केव
रामकृष्ण दास के घर का दरवाजा है, अन्य किसी का नहीं। हाईकोर्ट ने तजवीज़ किया कि एक ऐ
गली, जिस पर से सर्वसाधारण रास्ता नहीं निकलते, केवल इस कारण सार्वजनिक नहीं कही
सकती कि उसके नीचे एक बन्द मोरी है। यह बन्द मोरी मुसलमान बादशाहों के समय की पुरा
मोरियों में से एक है। शब्द सार्वजनिक गली में दोनों ओर की नालियां और मोरियां सम्मिलित
होती हैं, किन्तु उसमें भूमि के नीचे की मोरियां सम्मिलित नहीं होतीं न हो सकती हैं। ऐसी बन्द

मोरियां बनारस में बहुत हैं और उनमें से कुछ घरों के नीचे से होके भी जाती हैं। यदि केवल बन्द मोरियों के कारण कोई स्थान सार्वजनिक गली मान ली जाय, तो बनारस के अधिकांश घर सार्वजनिक गली हो जायगे।

म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट न० २ सन १९१६ ई० की दफा १२८ (१) (६)

(५) व्रजभूषण लाल बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड कन्नौज 22 A L J 599.

कन्नौज म्यूनिसिपल्टी ने विज्ञापनके द्वारा निश्चित किया था कि दफा १२२ (१) (९) के अनुसार कर उन लोगों पर लगाया जायगा जो "म्यूनिसिपल्टी के भीतर रहते हों, या कोई व्यापार करते हों, या किसी जायदादके मालिक हों।" मुकद्दमें में प्रश्न यह था कि व्यापार करने का क्या अर्थ है। क्या एक ऐसे शख्स के विषय में जो म्यूनिसिपलटी के बाहर रहता है, परन्तु जो म्यूनिसिपलटी के भीतर वेतन पर क्लर्क का काम करता है यह कहा जा सकता है कि वह म्यूनिसिपलटी के भीतर व्यापार करता है। हाईकोर्ट ने यह तजवीज करते हुये कि एक वेतन पाने वाले शख्सके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वह व्यापार करता है, लिखा कि शब्द "व्यापार करना" का एक निश्चित अर्थ है इन शब्दों के अन्तर्गत कोई ऐसा शख्स किसी प्रकार सम्मिलित नहीं माना जा सकता जो वेतन पाके मालिक की क्लर्की (मुहर्रिरी) का काम करता है। शब्द व्यापार का आशय ऐसे काम से है जिसमें कुछ बेचा जाय और मोल लिया जाय, या जिसमें रुपये का लेन देन किया जाय, या जिसमें कमसे कम कोई वस्तु बेचे जाने के अभिप्राय से बनाई जाय। दूसरे एक बात यह भी है कि शब्द व्यापार के साधारण अर्थ के अनुसार किसी शख्स के विषय में उसी दशा में यह बात कही जा सकती है कि वह व्यापार करता है जब कि वह अपने जातीय मुनाफे के लिये काम करता हो, न कि जब कि वह एक नियत वेतन पाया करता हो। इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि दफा १२८ के क्लॉज (२) में व्यापार, व्यवसाय, और काम में भेद किया गया है। उक्त क्लॉज में शब्द "काम" के अन्तर्गत वह सब नौकरियां रखी गई हैं जिनका बदलाव वेतन के द्वारा दिया जाता है।"

म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट न० २ सन १९१६ ई० की दफा १७८.

(६) मुहम्मद रजा बनाम सरकार बहादुर 65 I C 767=23 Cr L J 191

एक ऐसी इमारत के विषय में जिसकी दीवारें सड़क से ४० फुटके अन्तर पर हों, यह नहीं कहा जा सकता कि वह सडक के किनारे है या सडक से मिली हुई है। और केवल इस कारण कि हाते की दीवार सडक के किनारे पर होगी यह आवश्यक नहीं है कि बोर्ड को दफा १७८ के अनुसार उसके बनाये जाने का नोटिस दिया जाय।

म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट नं० २ सन १९१६ ई० की दफा १७८

(७) सरकार बहादुर बनाम बाबूराम 67 I C 828=25 O C 1

किसी इमारत की कुरसी ऊँची कर देना और दरवाजों या खिड़कियों की जगह या नाप या संख्या में परिवर्तन कर देना, इमारत में भारी परिवर्तन करना नहीं कहा जा सकता।

म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट नं० २ सन १९१६ ई० की दफा १७८

(८) निहाल मुहम्मद बनाम सरकार बहादुर 21 A L J 775=L R 4 A 226 (Cr)

निहाल मुहम्मद ने एक दीवार उस ऊंचाई से जिसकी कि मंजूरी दी गई थी, अधिक ऊंचाई की बनवा ली थी, और इस अपराध के लिये निहाल मुहम्मद पर जुर्माना किया गया था। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि—

१ दीवार इमारत का एक भाग होती है, इसलिये वह स्वयं इमारत कही जा सकती है। दीवार का बनाना एक भारी परिवर्तन (Material alteration) है। मेरी राय में दफा १७८ की उपदफा (३) में जो शब्द "इमारत में परिवर्तन" आये हैं उनमें इमारत का भाग भी सम्मिलित है। "इमारत का भाग" शब्दों की जो व्याख्या दफा २ (१४) में दी गई है उनसे विदित होता है कि उनका अर्थ क्या है। परन्तु उक्त व्याख्या में कोई बात ऐसी नहीं है कि उक्त शब्दों के अन्तर्गत बरामदे की, या सायबान की, या मकान या अन्य बड़ी इमारत की कोई दीवार न मानी जा सके। जिस हानि के बचाने की चेष्टा दफा १७८ के द्वारा की गई है वह हानि केवल एक दीवार के बनाने से भी हो सकता है यदि ऐसी दीवार उस ऊंचाई से जिसकी आज्ञा दी गई हो, अधिक ऊंचाई की बनाई जाय। यह बहस, कि दीवार इमारत का केवल एक भाग होती है और इसलिये दफा १७८ के हुक्म उस पर लागू नहीं हैं मानने योग्य नहीं है।

२ मकानों के नक्शों के सम्बन्ध में जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं (जैसे यह कि इजाजत का उल्लंघन किया गया है, या यह कि जो अधिकार कि किसी सार्वजनिक अधिकारी के द्वारा प्रदान किया गया है या जिसकी मंजूरी दी गई है, उससे बाहर काम बनवाया या किया गया है) उनका आशय केवल यह होता है कि सार्वजनिक अधिकारी का अधिकार सड़कों और इमारतों पर रहे (अर्थात् जिस तरह की इमारत आदि स्वास्थ्य आदि के विचार से उक्त अधिकारी उचित समझे वैसी ही बनाई जाय)। इसलिये जब कोई शख्स किसी आज्ञा का उल्लंघन करे तो उस पर जुर्माना किया जाना इतना आवश्यक नहीं होता जितनी कि यह बात आवश्यक होती है कि वह बाध्य किया जाय कि अपनी इमारत को उस नक्शे के अनुसार कर दे जिसकी कि मंजूरी दी गई है।

क़ानून में दण्ड दिये जाने के लिये हुक्म तो रक्खे ही जाना चाहिये, और दण्ड उन दशाओं में दिये भी जाना चाहिये जब कि कोई व्यक्ति अनुचित कार्रवाई के करने में आग्रह करे या जान बूझके हुक्म का उल्लंघन करे। परन्तु जो दण्ड कि इन विषयों में क़ानून में रखे गये हैं वह केवल इस उद्देश्य से रखे गये हैं कि अपराधी को भय न हो कि इस उद्देश्य से कि अपराधी को अपराध का बदला दिया जाय।

म्यूनिसिपल्टीज ऐक्ट न० २ सन १९१६ ई० की दफ़ा १७१.

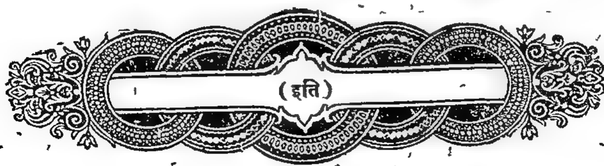
(९) मुहम्मद क़ासिम बनाम म्यूनिसिपल बोर्ड सहारनपूर 1923 All. I. R. 371 (All Sec)=75 I C 607.

मुहम्मद क़ासिम का एक हाता था जिसमें दूकानें थीं। बोर्ड ने उसको नोटिस दिया कि उक्त हाते को ईंट या ककर या पत्थर से पक्का करा दे जिससे कि हाते का पानी निकल जाया करे। इसके अनन्तर बोर्ड ने फिर मुहम्मद कासिम को दूसरा नोटिस दिया कि या तो हाते को वह पक्का करा दे या उसमें मिट्टी डलवा के उसको ऊचा करा दे जिससे कि गाडियों के आने जाने से हाते में कीचड न हो जाया करे। मुहम्मद क़ासिम ने मिट्टी डलवा के हाते को ऊंचा कराया, परन्तु बोर्ड ने उसको पसन्द नहीं किया। तब बोर्ड ने मुहम्मद क़ासिम पर फौजदारी का मुकद्दमा चलाया। इसके उपरान्त मुहम्मद क़ासिम ने फिर हाते को ठीक कराने की कोशिश की, परन्तु बोर्ड ने फिर उसको पसन्द नहीं किया। तब बोर्ड ने क़ासिम को अन्तिम नोटिस दिया। उसने नोटिस की आज्ञा पालन नहीं की। लगभग एक वर्ष के उपरान्त म्यूनिसिपल बोर्ड ने हाते में ईंटों का खरंजा बनवा दिया और खर्चे का बिल कासिम के पास भेजा। कासिम ने तब यह मुकद्दमा दायर किया। हाईकोर्ट ने तजवीज किया कि जब कि मुहम्मद कासिम ने बोर्ड के नोटिसों की आज्ञा पालन नहीं की थी, तो बोर्ड को इस बातका पूरा अधिकारथा कि वह स्वय हाते को ठीक कराके खर्चा क़ासिमसे वसूल कर लेता।

---

(१०) रामचन्द बनाम मौला बख़्श 21 A L J 882=L R 4 A 583.

—उस सारी जायदाद के लिये जो कि म्यूनिसिपल बोर्ड के अधिकार में होती है, बोर्ड जनता का प्रतिनिधि होता है। परन्तु यदि बोर्ड किसी जायदाद या हक की रक्षा न करे तो उससे जायदाद या हक़ पर कोई प्रभाव न पडेगा। सर्वसाधारण में से कोई व्यक्ति अपनी हक की रक्षा के लिये, ऐसी दशा में उस विधि से जो कि जाबता दीवानी में बताई गई है कारवाई कर सकते हैं।



संयुक्त प्रान्तीय

प्राथमिक शिक्षा का क़ानून

ऐक्ट नं० ७ सन १९१९ ई०



संयुक्त प्रान्तका प्राथमिक शिक्षाका क़ानून

ऐक्ट नं० ७ सन् १९१९ ई०

The U P Primary Education Act No 7 of 1919



सूची

दफा		पेज

संयुक्त प्रान्तीय

प्राथमिक शिक्षा का क़ानून

ऐक्ट नं० ७ सन १९१९ ई०

(संयुक्त प्रान्त आगरा और अवध के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर और उनकी काउन्सिल के द्वारा पास किया गया)

श्रीमान लेफ्टिनेन्ट गवर्नर सयुक्त प्रान्त आगरा और अवध ने ता० २ अप्रैल सन् १९१९ ई० को मजूरी दी, और श्रीमान गवर्नर जनरल ने ता० १८ मई सन १९१९ ई० को मजूरीदी, और गवर्नमेंट आव इंडिया ऐक्ट सन १९१५ ई० की दफा ८१ के अनुसार ता० ७ जून सन १९१९ ई० को प्रकाशित किया गया।

संयुक्त प्रान्तकी म्यूनिसिपलटियोंमें प्राथमिक शिक्षाकी वृद्धिके लिये कानून।

यह उचित जान पड़ता है कि सयुक्त प्रान्तकी म्यूनिसिपलटियों में प्राथमिक शिक्षा की वृद्धि का प्रवन्ध किया जाय, अतएव उपरोक्त उद्देश्य से, और म्यूनिसिपल बोर्डों को प्राथमिक शिक्षा प्रचलित करने का अधिकार देने के लिये, इस ऐक्ट के द्वारा निम्न लिखित आज्ञा दी जाती है —

२ उपदफा (१) के अनुसार जारी किया हुआ विज्ञापन, जहां कहीं प्रचलित हो, वहा प्रान्तीय सरकार, बोर्ड की दरख्वास्त पर, इस बात का विज्ञापन जारी कर सकती है, कि लडकियों के लिये भी प्राथमिक शिक्षा पूरी म्यूनिसिपल्टी में या उसके किसी भाग में अनिवार्य होगी।

३ उस विज्ञापनमें, जो इस दफा के अनुसार जारी किया जाय, वह तारीख जिससे, और वह रकबा या रकबे जिनमें, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी अंकित कर दिये जायँगे और ऐसे विज्ञापन का आम नोटिस उस विधि से दिया जायगा जो प्रधान ऐक्ट की दफा ३०४ में नियमितहै।

दफा ४ प्राथमिक शिक्षाका प्रबन्ध बोर्ड द्वारा किया जाना

दफा ३ के अनुसार कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जायगा जब तक कि—

(ए) बोर्ड ने एक ऐसे विशेष रैज़ोल्युशन के द्वारा, जो उन मेम्बरोंमे से कम, से कम दो तिहाई ने पास किया हो, जो मीटिंग में उपस्थित हों, और जो बोर्ड के मेम्बरोंकी सम्पूर्ण सख्याके कम से कम आधे मेम्बरों ने पास किया हो, यह निश्चय न कर लिया हो, कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाना चाहिये, और

(बी) प्रान्तीय सरकार को इस बात, का सन्तोष न हो, कि बोर्ड की हालत ऐसी है कि वह स्वीकृत प्राथमिक स्कूलों में ऐसी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उचित प्रबन्ध, बिना फीस लिये, कर सकताहै, और इस बात का सन्तोष न हो कि बोर्ड ऐसा करेगा।

नोट—क्लॉज (ए) का अभिप्राय यह है, कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जानेके लिये, जितने मेम्बर उस मीटिंगमें उपस्थित हों, जिसमें यह प्रश्न पेश हो, उनमें से कमसे कम दो तिहाई मेम्बरोंकी सहमति उसके अनिवार्य की जानेके लिये होना चाहिये। परन्तु यह भी आवश्यक है कि उक्त दो तिहाई मेम्बर बोर्डके कुल मेम्बरोंकी सख्या से आधे से कम न हों। जैसे यदि किसी बोर्डमें कुल १४ मेम्बर हों, और उनमेंसे ९ मेम्बर उक्त मीटिंगमें उपस्थित हों, और इन ९ में से ६ राय दें कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय, तो ऐसा रैज़ोल्यूशन व्यर्थ होगा, क्योंकि, यद्यपि ६ मेम्बर ९ के दो तिहाई हैं, किन्तु उनकी सख्या बोर्डके मेम्बरोंकी कुल सख्याके आधेसे कम है। परन्तु, उपरोक्त दशामें, यदि बोर्डमें कुलमें ११ मेम्बर होते तो उक्त रैज़ोल्यूशन पास समझा जा सकता है।

दफा ५ विज्ञापन जारी किये जानेके लिये दरख्वास्त

बोर्ड द्वारा, दफा ३ के अनुसार, दरख्वास्त उस विधिसे दी जाना चाहिये, जो प्रान्तीय सरकार नियमित करदे, और दरख्वास्त के सम्बन्ध में जिस सूचना के दिये जाने का हुक्म प्रान्तीय सरकार दे, वह बोर्ड को देना होगी।

दफा ६ स्कूल कमेटीका नियुक्त किया जाना

१ जब दफा ३ के अनुसार कोई विज्ञापन जारी किया गया हो, तो बोर्ड एक कमेटी

दफा १ छोटा नाम विस्तार और अर्थ

१ इस ऐक्टका नाम 'संयुक्त प्रान्तका प्राथमिक शिक्षाका कानून, सन् १९१९ ई०' होगा।

२ इसका विस्तार संयुक्तप्रान्त की सब म्यूनिसिपलटियों मे होगा।

३ अर्थ लगानेके लिये यह ऐक्ट संयुक्तप्रान्तके म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट सन् १९१६ई० का भाग और परिशिष्ट समझा जायगा (म्यूनिसिपलटीज़ ऐक्ट को आगे प्रधान ऐक्ट का नाम दिया जायगा)

दफा २ परिभाषा

-इस ऐक्टमे यदि विषय अथवा प्रसंगकी दृष्टिसे ऐसा अर्थ लगाना अनुचित या अयोग्य न हो तो—

१ प्राथमिक शिक्षा के किसी स्वीकृत (Recognised) स्कूल मे "जाना" (To-attend) का अर्थ है ऐसे स्कूल मे, शिक्षा के लिये वर्ष के उन दिनो मे, और ऐसे समय या समयों पर, और प्रति दिन उतने घंटो के लिये, शिक्षा पाने के लिये उपस्थित होना, जैसा कि बोर्ड नियमित अधिकारी (Prescribed Authority) की मंजूरीसे नियमित करदे।

२ "बालक" (Child) का अर्थ है कोई ऐसा बालक जिसकी अवस्था ६ वर्ष से कम न हो और ग्यारह वर्ष से अधिक न हो।

३ "माता पिता" (Parents) शब्दों मे शामिल समझा जायगा, कोई वली या कोई शख्स जिसके कब्जे मे बालक हो, या जिसकी सिपुर्दगी मे बालक हो।

४ "प्राथमिक शिक्षा" (Primary Education) का अर्थ है, पढ़ने, लिखने, और अंकगणित की ऐसी शिक्षा, जो प्रान्तीय सरकार द्वारा, उस समय मे, प्राथमिक स्... के लिये नियमित हो, और अन्य विषयों मे ऐसी शिक्षा (यदि कोई ऐसे अन्य ... जो बोर्ड नियमित अधिकारी की मंजूरी से देना निर्णय करे।

५ "स्वीकृत प्राथमिक स्कूल" (Recognized Primary School) है, कोई स्कूल, या किसी स्कूल का ऐसा विभाग, जिसमे प्राथमिक शिक्षा दी जो उस समय के लिये, नियमित अधिकारी के द्वारा, स्वीकार कर लिया

६ "स्कूल कमेटी" (School Committee) का अर्थ है, कोई कमेटी की दफा ६ के हुक्मों के अनुसार नियुक्त की गई हो।

दफा ३ विज्ञापनका जारी किया जाना, जिसके ... शिक्षा अनिवार्यकी जाय

१ बोर्ड की दरख्वास्त पर, प्रान्तीय सरकार विज्ञापन ... है, कि लडकों की प्राथमिक शिक्षा पूरी म्यूनिसिपलटी ... अनिवार्य होगी।

२ उपदफ़ा (१) के अनुसार जारी किया हुआ विज्ञापन, जहां कही प्रचलित है वहा प्रान्तीय सरकार, बोर्ड की दरख़्वास्त पर, इस बात का विज्ञापन जारी कर सकती है, कि लड़कियों के लिये भी प्राथमिक शिक्षा पूरी म्यूनिसिपल्टी मे या उसके किसी भाग मे अनिवार्य होगी।

३ उस विज्ञापनमे, जो इस दफ़ा के अनुसार जारी किया जाय, वह तारीख़ जिससे और वह रक़बा या रक़बे जिनमे, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी अंकित कर दिये जायँगे और ऐसे विज्ञापन का आम नोटिस उस विधि से दिया जायगा जो प्रधान ऐक्ट की दफ़ा ३०४ में नियमितहै।

दफ़ा ४ प्राथमिक शिक्षाका प्रबन्ध बोर्ड द्वारा किया जाना

दफ़ा ३ के अनुसार कोई विज्ञापन जारी नही किया जायगा जब तक कि—

(ए) बोर्ड ने एक ऐसे विशेष रेज़ोल्युशन के द्वारा, जो उन मेम्बरोंमे से कम, से कम दो तिहाई ने पास किया हो, जो मीटिंग मे उपस्थित हों, और जो बोर्ड के मेम्बरोंकी सम्पूर्ण संख्याके कम से कम आधे मेम्बरों ने पास किया हो, यह निश्चय न कर लिया हो, कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाना चाहिये, और

(बी) प्रान्तीय सरकार को इस बात, का सन्तोष न हो, कि बोर्ड की हालत ऐसी है कि वह स्वीकृत प्राथमिक स्कूलों मे ऐसी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उचित प्रबन्ध, बिना फ़ीस लिये, कर सकताहै, और इस बात का सन्तोष न हो कि बोर्ड ऐसा करेगा।

नोट—क्लॉज (ए) का अभिप्राय यह है, कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जानेके लिये, जितने मेम्बर उस मीटिंगमें उपस्थित हों, जिसमें यह प्रश्न पेश हो, उनमें से कमसे कम दो तिहाई मेम्बरोंकी सहमति उसके अनिवार्य की जानेके लिये होना चाहिये। परन्तु यह भी आवश्यक है कि उक्त दो तिहाई मेम्बर बोर्डके कुल मेम्बरोंकी संख्या से आधे से कम न हों। जैसे यदि किसी बोर्डमें कुल १४ मेम्बर हों, और उनमेंसे ९ मेम्बर उक्त मीटिंगमें उपस्थित हों, और इन ९ में से ६ राय दें कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय, तो ऐसा रेज़ोल्यूशन व्यर्थ होगा, क्योंकि, यद्यपि ६ मेम्बर ९ के दो तिहाई हैं, किन्तु उनकी संख्या बोर्डके मेम्बरोंकी कुल संख्याके आधेसे कम है। परन्तु, उपरोक्त दशामें, यदि बोर्डमें कुलमें ११ मेम्बर होते तो उक्त रेज़ोल्यूशन पास समझा जा सकता है।

दफ़ा ५ विज्ञापन जारी किये जानेके लिये दरख्वास्त

बोर्ड द्वारा, दफ़ा ३ के अनुसार, दरख्वास्त उस विधिसे दी जाना चाहिये, जो प्रान्तीय सरकार नियमित करदे, और दरख़्वास्त के सम्बन्ध मे जिस सूचना के दिये जाने का हुक्म प्रान्तीय सरकार दे, वह बोर्ड को देना होगी।

दफ़ा ६ स्कूल कमेटीका नियुक्त किया जाना

१ जब दफ़ा ३ के अनुसार कोई विज्ञापन जारी किया गया हो, तो बोर्ड एक कमेटी

दफा १ छोटा नाम विस्तार और अर्थ

१ इस ऐक्टका नाम 'संयुक्त प्रान्तका प्राथमिक शिक्षाका कानून, सन् १९१९ ई०' होगा।

२ इसका विस्तार संयुक्तप्रान्त की सब म्यूनिसिपलटियों में होगा।

३ अर्थ लगानेके लिये यह ऐक्ट संयुक्तप्रान्तके म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट सन् १९१६ ई० का भाग और परिशिष्ट समझा जायगा (म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट को आगे प्रधान ऐक्ट का नाम दिया जायगा)

दफा २ परिभाषा

-इस ऐक्टमे यदि विषय अथवा प्रसगकी दृष्टिसे ऐसा अर्थ लगाना अनुचित या अयोग्य न हो तो—

१ प्राथमिक शिक्षा के किसी स्वीकृत (Recognised) स्कूल मे "जाना" (To-attend) का अर्थ है ऐसे स्कूल मे, शिक्षा के लिये वर्ष के उन दिनों मे, और ऐसे समय या समयों पर, और प्रति दिन उतने घटों के लिये, शिक्षा पाने के लिये उपस्थित होना, जैसा कि बोर्ड नियमित अधिकारी (Prescribed Authority) की मंजूरीसे नियमित करदे।

२ "बालक" (Child) का अर्थ है कोई ऐसा बालक जिसकी अवस्था ६ वर्ष से कम न हो, और ग्यारह वर्ष से अधिक न हो।

३ "माता पिता" (Parents) शब्दो मे शामिल समझा जायगा, कोई वली या कोई शख्स जिसके कब्जे मे बालक हो, या जिसकी सिपुर्दगी मे बालक हो।

४ "प्राथमिक शिक्षा" (Primary Education) का अर्थ है, पढ़ने, लिखने, और अकगणित की ऐसी शिक्षा, जो प्रान्तीय सरकार द्वारा, उस समय मे, प्राथमिक स्कूलों के लिये नियमित हो, और अन्य विषयों मे ऐसी शिक्षा (यदि कोई ऐसे अन्य विषय हों) जो बोर्ड नियमित अधिकारी की मजूरी से देना निर्णय करे।

५ "स्वीकृत प्राथमिक स्कूल" (Recognized Primary School) का अर्थ है, कोई स्कूल, या किसी स्कूल का ऐसा विभाग, जिसमे प्राथमिक शिक्षा दी जाय, और जो उस समय के लिये, नियमित अधिकारी के द्वारा, स्वीकार कर लिया गया हो।

६ "स्कूल कमेटी" (School Committee) का अर्थ है, कोई कमेटी जो इस ऐक्ट की दफा ६ के हुक्मों के अनुसार नियुक्त की गई हो।

दफा ३ विज्ञापनका जारी किया जाना, जिसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा अनिवार्यकी जाय

१ बोर्ड की दरख्वास्त पर, प्रान्तीय सरकार विज्ञापन के द्वारा, घोषित कर सकती है, कि लड़कों की प्राथमिक शिक्षा पूरी म्यूनिसिपलटी मे या उसके किसी भाग में, अनिवार्य होगी।

पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, ऐसा हुक्म दे सकती है, जिसके द्वारा ऐसे बालक के माता या पिता को आज्ञा दी जाय कि किसी ऐसी तारीख से, जो हुक्म में अंकित कर दी गई हो, उक्त बालक को किसी स्वीकृत प्राथमिक स्कूल में भेजे।

दफ़ा १० बालकको स्कूल भेजनेके हुक्मका उल्लंघन करनेके लिये दण्ड

१ किसी ऐसे माता पिता को जिसके विरुद्ध कोई हुक्म दफ़ा ९ के अनुसार दिया गया हो, और जिसने बिना किसी उचित कारण के, दफ़ा ८ में दी हुई उचित कारण की व्याख्या के अर्थ के अनुसार, ऐसे हुक्म की आज्ञा पालन न की हो, किसी मजिस्ट्रेट के सामने अपराध साबित हो जाने पर जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या ५) रुपये से अधिक न होगी।

२ कोई माता पिता, जिसको उपदफ़ा (१) में दिये हुये अपराध की सज़ा मिल चुकी, और जो दफ़ा ९ के अनुसार दिये हुये हुक्मका उल्लघन जारी रखे, उसको और जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसमें, पहली बेर अपराधी ठहराये जाने के उपरान्त, यह साबित हो कि उसने हुक्म का उल्लघन करने में आग्रह किया है, १) रुपये तक हो सकती है।

दफा ११ किसी ऐसे बालकको नौकर रखनेके लिये दण्ड, जिसको प्राथमिक शिक्षाके स्कूलमें जाना आवश्यक हो

किसी ऐसे शख्स को, जो उन घंटों में, जो स्कूल में हाजिर रहने के लिये नियमित हों, अपने लिये या किसी दूसरे के लिये, किसी प्रकार की नौकरी या मजदूरी (Employment) के सम्बन्धमें, चाहे बदलाव (Remuneration) देकर, या बिना बदलाव के, किसी ऐसे बालक से काम लेगा, जिसके माता पिता को, इस ऐक्ट के अनुसार उक्त बालक को किसी स्वीकृत प्राथमिक स्कूल में भेजना जरूरी हो, मजिस्ट्रेट के सामने अपराध साबित हो जाने पर, जुर्माने का दंड दिया जायगा जिसकी संख्या २५) रुपये तक हो सकती है।

दफा १२ अपराधोंके सुननेका अधिकार

कोई अदालत, दफ़ा १० या दफ़ा ११के अनुसार कोई मुक़द्दमा न सुनेगी, सिवाय उस दशा के कि स्कूल कमेटी अर्ज़ी दे, या स्कूल कमेटी अपराध की सूचना दे, या कोई ऐसा शख्स अपराध की सूचना दे, जिसको स्कूल कमेटी ने, साधारण या विशेष हुक्म के द्वारा, इस विषय में अधिकार दिया हो।

दफा १३ फीस माफ की जाना

म्यूनिसिपलटी के किसी ऐसे स्कूल में, जो ऐसे रकबे के भीतर हो, जिसमें दफ़ा ३के अनुसार कोई विज्ञापन प्रचलित हो, किसी ऐसे बालककी प्राथमिक शिक्षाके सम्बन्ध में, जिस बालक पर कि उक्त विज्ञापन लागू हो, कोई फीस नहीं ली जायगी।

या एक से अधिक कमेटियां, इस ऐक्ट के अनुसार स्कूल कमेटी के अधिकारों को बरतने और कर्तव्यों को पालन करने के उद्देश्य से नियुक्त कर देगा।

२ इस ऐक्ट के हुक्मो के और प्रधान ऐक्ट के हुक्मों के आधीन, ऐसी स्कूल कमेटी का कर्तव्य होगा कि बालकों को स्कूल भेजे जाने और बालको के नौकर रखे जाने के सम्बन्ध मे इस ऐक्ट मे जो हुक्म हों, उनका पालन कराये।

दफा ७ माता पिताका कर्तव्य बालकोंको स्कूल भेजनेका

दफा ३ के अनुसार दिया हुआ कोई विज्ञापन जब किसी म्यूनिसिपलिटी मे या उसके किसी रकबे मे प्रचलित हो, तो प्रत्येक ऐसे बालक का माता पिता, जिस बालक पर कि ऐसा विज्ञापन लागू हो, उसको किसी 'स्वीकृत प्राथमिक स्कूल' मे पढ़ने को भेजेगा, यदि ऐसा बालक साधारणतया ऐसी म्यूनिसिपलिटी या रकबेमे रहता हो, और यदि स्कूल न भेजने के उस प्रकार के उचित कारणो मे से कोई कारण उपस्थित न हो, जैसे कि आगे बताये गये है।

दफा ८ स्कूल न भेजनेके 'उचितकारण' का अर्थ

दफा ७ के मतलब के लिये निम्नलिखित दशाओ मे से कोई दशा (बालक को स्कूल न भेजने का) उचित कारण' मानी जायगी,—

१ यह कि बालक के निवास स्थान से छोटे से छोटे रास्ते से १ मील के भीतर कोई स्वीकृत प्राथमिक स्कूल नही है।

२ यह कि बालक को स्कूल कमेटी ने धार्मिक कारणों से माफी दे दी है।

३ यह कि स्वीकृत प्राथमिक स्कूल के अतिरिक्त अन्य प्रकार बालक को प्राथमिक शिक्षा सतोषप्रद विधि से दी जाती है।

४ यह कि किसी ऐसे अधिकारी ने जिसको बोर्ड ने इस अभिप्राय से नियत किया हो, सार्टीफिकेट दे दिया है, कि बालकने प्राथमिक कोर्स (पढाई) समाप्त कर लिया है।

५ यह कि बोर्ड द्वारा, इस ऐक्ट के अनुसार, बनाये हुये रेग्युलेशनों के अनुसार बालक को कुछ समय के लिये स्कूल से गैरहाजिर रहने की आज्ञा देदी गई है।

६ यह कि बालक को किसी ऐसे डाक्टरी अफसर (Medical Officer), जिसको बोर्ड ने इस मतलब के लिये मजूर किया हो, यह सार्टीफिकेट दिया हो, कि वह किसी शारीरिक दोष या निर्बलता के कारण स्कूल जाने के अयोग्य है।

दफा ९ स्कूल कमेटी द्वारा बालकको स्कूल भेजनेका हुक्म जारी किया जाना

जब स्कूल कमेटी को इस बातका सतोष हो कि किसी ऐसे माता या पिता ने, जिसका दफा ७ के हुक्मो के अनुसार किसी बालक को किसी स्वीकृत प्राथमिक स्कूल मे भेजने का कर्तव्य हो, उसको ऐसे स्कूल मे नही भेजा है, तो स्कूल कमेटी उक्त माता या पिता को, उज्र करने का अवसर देने के पश्चात्, और ऐसी तहकीकात करने के

पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, ऐसा हुक्म दे सकती है, जिसके द्वारा ऐसे बालक के माता या पिता को आज्ञा दी जाय कि किसी ऐसी तारीख से, जो हुक्म में अंकित कर दी गई हो, उक्त बालक को किसी स्वीकृत प्राथमिक स्कूल मे भेजे।

दफ़ा १० बालकको स्कूल भेजनेके हुक्मका उल्लंघन करनेके लिये दण्ड

१ किसी ऐसे माता पिता को जिसके विरुद्ध कोई हुक्म दफा ९ के अनुसार दिया गया हो, और जिसने बिना किसी उचित कारण के, दफ़ा ८ में दी हुई उचित कारण की व्याख्या के अर्थ के अनुसार, ऐसे हुक्म की आज्ञा पालन न की हो, किसी मजिस्ट्रेट के सामने अपराध साबित हो जाने पर जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या ५) रुपये से अधिक न होगी।

२ कोई माता पिता, जिसको उपदफ़ा (१) में दिये हुये अपराध की सजा मिल चुके, और जो दफा ९ के अनुसार दिये हुये हुक्मका उल्लघन जारी रखे, उसको और जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी संख्या प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसमें, पहली बेर अपराधी ठहराये जाने के उपरान्त, यह साबित हो कि उसने हुक्म का उल्लघन करने में आग्रह किया है, १) रुपये तक हो सकती है।

दफा ११ किसी ऐसे बालकको नौकर रखनेके लिये दण्ड, जिसको प्राथमिक शिक्षाके स्कूलमें जाना आवश्यक हो

किसी ऐसे शख्स को, जो उन घटों मे, जो स्कूल मे हाजिर रहने के लिये नियमित हों, अपने लिये या किसी दूसरे के लिये, किसी प्रकार की नौकरी या मजदूरी (Employment) के सम्बन्धमें, चाहे बदलाव(Remuneration) देकर, या बिना बदलाव के, किसी ऐसे बालक से काम लेगा, जिसके माता पिता को, इस ऐक्ट के अनुसार उक्त बालक को किसी स्वीकृत प्राथमिक स्कूल मे भेजना जरूरी हो, मजिस्ट्रेट के सामने अपराध साबित हो जाने पर, जुर्माने का दड दिया जायगा जिसकी सख्या २५) रुपये तक हो सकती है।

दफा १२ अपराधोंके सुननेका अधिकार

कोई अदालत, दफ़ा १० या दफ़ा ११के अनुसार कोई मुकद्दमा न सुनेगी, सिवाय उस दशा के कि स्कूल कमेटी अर्जी दे, या स्कूल कमेटी अपराध की सूचना दे या कोई ऐसा शख्स अपराध की सूचना दे, जिसको स्कूल कमेटी ने, साधारण या विशेष हुक्म के द्वारा, इस विषय मे अधिकार दिया हो।

दफा १३ फ़ीस माफ की जाना

म्युनिसिपलटी के किसी ऐसे स्कूल में, जो ऐसे रकबे के भीतर हो जिसमें दफ़ा ३के अनुसार कोई विज्ञापन प्रचलितहो, किसी ऐसे बालककी प्राथमिक शिक्षाके सम्बन्ध मे, जिस बालक पर कि उक्त विज्ञापन लागू हो, कोई फीस नहीं ली जायगी।

दफा १४ जनताके किसी विशेष भाग या समुदायको माफी देनेका अधिकार

किसी ऐसी लिखित या जबानी दरख्वास्त (Representation) पर विचार करने के पश्चात्, जो दरख्वास्त कि इस विषय मे बोर्ड ने की हो, प्रान्तीय सरकार, विज्ञापन के द्वारा, जनता के किसी विशेष भाग या समुदाय को, इस ऐक्ट के हुक्मों से माफी दे सकती है।

दफा १५ इस ऐक्ट के मतलबोंके लिये कर लगाया जाना

१ किसी ऐसे स्थान मे, जिसमे दफा ३ के अनुसार दिया हुआ कोई विज्ञापन प्रचलित हो, बोर्ड कर लगा सकता है [जिसको आगे "शिक्षाकर" (Cess) का नाम दिया जायगा] जिसकी आय, केवल प्राथमिक शिक्षा के काम मे लगाई जायगी।

२ बोर्ड, उन करों मे से, जिनके लगाने का उसको, प्रधान ऐक्ट के द्वारा अधिकार दिया गया है किसी कर को चुनके शिक्षाकर बना सकता है, या इस मतलब के लिये किसी ऐसे कर को बढ़ा दे सकता है जो उक्त प्रधान ऐक्ट के अनुसार लगा हुआ हो, और इस उपरोक्त दशा मे, जो आमदनी कर के बढ़ा दिये जाने से प्राप्त हो, वह शिक्षा कर की आमदनी मानी जायगी।

३ कोई शिक्षा पर कर न लगाया जायगा, जब [illegible] द्वारा, जो उपस्थित मेम्बरो मे से, कम से कम, दो [illegible] हो, यह निश्चय न करे, कि ऐसे कर का लगाया [illegible]

दफा १६ जुर्मानोंका [illegible]

जुर्माने की सब रकमें, जो इस ऐक्ट के [illegible] वसूल हों, म्यूनिसिपलिटी के कोष मे जमा की [illegible]

दफा १७ कर्तव्योंके पूरा न किये [illegible]

जब प्रान्तीय सरकार की यह राय हो [illegible] इस ऐक्ट के अनुसार है, पूरे नहीं किये है, तो [illegible] करने का अवसर देने के पश्चात्, दफा ३ के [illegible] रद कर दे सकती है।

दफा १८ [illegible]

१ इस ऐक्ट [illegible] पश्चात् नियम बना [illegible]

२ विशेषत [illegible] परन्तु जो अधिकार इस [illegible] अधिकार पर नही पड़ेगा [illegible]

(ए) उन अधिकारियों को नियमित करने के लिये जो दफ़ा २ के क्लॉज (१) (४) और (५) में वर्णित है।

(बी) दफ़ा २ के क्लॉज (४) के अनुसार यह बात नियमित करने के लिये कि प्राथमिक स्कूलों मे किन विषयों की कहां से कहां तक शिक्षा दी जायगी।

(सी) दफ़ा ३ के अनुसार बोर्ड द्वारा दरख़्वास्त दिये जाने की विधि को नियमित करने के लिये, और उस विवरण को नियमित करने के लिये जो दरख़्वास्त मे दिया जाना चाहिये।

(डी) इस बात के, आम तौर से निर्णय करने के लिये कि निःशुल्क (बिना फ़ीसके) अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाका उचित प्रबन्ध क्या माना जाय।

(ई) म्यूनिसिपलटी के बालकों का एक रजिस्टर (सूची) तैय्यार करनेको, और प्रकाशित करने को बोर्ड को आज्ञा देने के लिये।

(एफ़) उन शर्तों को निश्चय करने के लिये जिन पर प्रान्तीय सरकार प्राथमिक शिक्षा देने के व्यय का कोई भाग अपने ऊपर लेगी।

दफा १९ बोर्डका अधिकार रेग्युलेशन बनाने का

किसी ऐसी म्यूनिसिपलिटी का बोर्ड जिसमे दफ़ा ३ के अनुसार दिया हुआ कोई विज्ञापन प्रचलित हो, नीचे लिखी बातें नियमित करने के लिये ऐसे रेग्युलेशन बना सकता है जो इस ऐक्ट की आज्ञाओं के प्रतिकूल न हो —

(ए) वह विधि जिसके अनुसार स्कूलकमेटी का सङ्गठन किया जायगा और, यह कि उनके मेम्बरों की सख्या क्या होगी, और उनके कर्तव्य अधिकार और जिम्मेदारियां क्या होंगी।

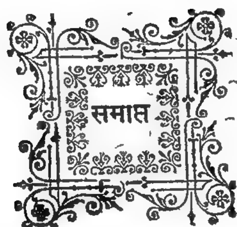
(बी) वह उपाय जो बालकों को स्कूल में हाजिर कराने के लिये स्कूल कमेटी कर सकेगी, और वह शर्तें जिनके अनुसार स्कूल से गैरहाजिर रहने की आज्ञा दी जा सकेगी।

(सी) जहा एक से अधिक स्कूल कमेटियां नियुक्त की गई हों तो प्रत्येक स्कूल कमेटी के अधिकारों की सीमा (Jurisdiction)

(डी) स्कूल कमेटी और किसी शिक्षा कमेटी (Education Committee) जो प्रधान ऐक्ट की दफ़ा १०४ के अनुसार नियुक्तकी जाय, के पारस्परिक सम्बन्ध निश्चय करने के लिये।

दफा २० अधिकारोंका सौंपा जाना

प्रान्तीय सरकार को, उन अधिकारों को, जो उसको इस ऐक्ट के अनुसार दिये गये है किसी को सौंप देने का अधिकार न होगा।


समाप्त

इण्डियन
एलेक्शन्स आफेन्सेज़ ऐण्ड इनक्वाइरीज़ ऐक्ट

ऐक्ट नं० ३९ सन १९२० ई०

(Indian Elections Offences and Enquiries Act No 39 of 1920)

"निर्वाचन सम्बन्धी अपराध"

ऐक्ट न० ३९, सन् १९२० ई० के द्वारा निर्वाचनों से सम्बन्ध रखने वाले कुछ विशेष अपराध और उनके लिये दण्ड नियत कर दिये गये हैं। यह ऐक्ट सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत पर लागू है। उसका आवश्यक भाग निर्वाचन के उम्मेदवारों, एजेण्टों और उम्मेदवारों के अनुयाइयों के लाभार्थ नीचे उद्धृत किया जाता है।

भाग (१)

ताज़ीरात हिन्द और ज़ाबता फौजदारी का संशोधन।

१ (१) ताजीरात हिन्द की दफ़ा २१ में, दसवें क्लॉज के आगे, निम्नलिखित क्लॉज बढ़ा दिया जायगा, अर्थात—

"(११) प्रत्येक शख़्स जो किसी ऐसे पदपर नियुक्त हो जिसके द्वारा उसको निर्वाचकों की कोई सूची तैयार करने का, प्रकाशित करने का, क़ायम रखने का, या दोहराने का, अधिकार हो, या कोई निर्वाचन कराने का, या निर्वाचन के किसी भाग के कराने का अधिकार हो।"

और दूसरे भावार्थ के आगे निम्नलिखित भावार्थ बढ़ा दिया जायगा, अर्थात—

"भावार्थ (२) 'शब्द निर्वाचनका' अर्थ है किसी व्यवस्थापक कौन्सिल, या म्यूनिसिपल अथवा अन्य सार्वजनिक अधिकारी के मेम्बर चुनने के लिये चुनाव (ऐसा अधिकारी चाहे जिस ढङ्ग का हो) जब कि किसी क़ानून के द्वारा, या क़ानून के अनुसार यह नियमित हो, कि ऐसे सार्वजनिक अधिकारी के मेम्बरों का चुनाव किया जायगा।"

२ उक्त कोड (अर्थात ताजीरात हिन्द) के प्रकरण ९ के आगे निम्नलिखित एक प्रकरण बढा दिया जायगा।

व्याख्या—

ताजीरात हिन्द की दफा २१ में "सार्वजनिक कर्मचारी" (Public Servant) की व्याख्या है। इस ऐक्ट के द्वारा उक्त दफा में एक क्लॉज और बढा के निर्वाचनों की सूची बनाने वाले तथा निर्वाचन के अन्य अफसर भी सार्वजनिक कर्मचारी ठहरा दिये गये हैं। अतएव जो जिम्मेदारिया सार्वजनिक कर्मचारियों की ताजीरात हिन्द में रखी गई हैं वह निर्वाचन के अफसरों की भी मानना चाहिये।

—सन १८६० ई० में, जब कि ताजीरात हिन्द की रचना की गई थी, कौंसिलें और स्थानीय स्वराज्य की सस्थायें स्थापित नहीं हुई थीं, और कोई चुनाव नहीं होते थे। इसलिये निर्वाचन सम्बन्धी कोई अपराध ताजीरात हिन्द में नहीं रखे गये थे। परन्तु अब कौंसिलों तथा स्थानीय अधिकारियों के मेम्बर चुनने का अधिकार जनता को प्रदान कर दिया गया है। अतएव ऐक्ट न० ३९ सन १९२० ई० के द्वारा निर्वाचन सम्बन्धी अपराध निश्चित करके, वे ताजीरात हिन्द में सम्मिलित कर दिये गये हैं।

ताज़ीरात हिन्द ऐक्ट नं० ४५ सन १८६० ई०

प्रकरण ९ (ए)

निर्वाचन सम्बन्धी अपराध

दफा २७१ (ए) इस प्रकरण के अभिप्रायों के लिये

(ए) शब्द "उम्मेदवार" (Candidate) का अर्थ है कोई शख्स जो किसी चुनाव मे उम्मेदवारीके लिये नामजद किया गयाहो। और उसमें शामिल होगा (जब कि कोई चुनाव होने वाला हो) कोई ऐसा शख्स, जो अपने को ऐसे चुनाव मे उम्मेदवार बताता हो।

(बी) "निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार" (Electoral right) का अर्थ है किसी शख्स का चुनाव के लिये खडे होने या न खडे होने का अधिकार, या अपनी उम्मेदवारी वापस ले लेने का अधिकार, या चुनाव मे राय देने या न देने का अधिकार।

व्याख्या—

उम्मेदवारी उसी समय से आरम्भ नहीं होती शख्स नामजद कर दिया जाय वरन इन अभिप्रायों के लिये ऐसे जो उम्मेदवारी के लिये इच्छा प्रकट करते हों।

—इन दफाओं को नम्बर १७१ (ए) १७१ (बी) इत्यादि इस कारण दिये गये हैं कि ताजीरात हिन्द में दफा १७१ के आगे इनको स्थान दिया गया है।

दफा १७१ (बी) रिशवत

१ जो कोई—

(१) किसी शख्सको कोई पारितोषिक, उसको या किसी अन्य शख्सको इस बातपर राजी करने के उद्देश्यसे देता है कि ऐसा शख्स कोई निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार बरते, या किसी शख्सको इस बातका इनाम देने के उद्देश्यसे देता है कि उसने ऐसा अधिकार बरता है। या

(२) अपने लिये या किसी अन्य शख्सके लिये कोई पारितोषिक ऐसा अधिकार बरतने के इनाममें लेता है, या किसी अन्य शख्सको ऐसा अधिकार बरतनेपर राजी कर देने के इनाम में, या राजी कर देनेकी कोशिश के इनाममें लेता है—

"रिशवत" (*Bribery*) का अपराध करता है।

परन्तु शर्त यह है कि सार्वजनिक कामोंमें अपनी पॉलिसीको घोषित करना, या किसी सार्वजनिक कामको करनेकी प्रतिज्ञा करना इस दफाके अनुसार अपराध नहीं होगा।

२ किसी ऐसे शख्सके विषयमें, जो कि कोई पारितोषिक पेश करता है, या देनेपर राजी होता है, या जो पारितोषिक प्राप्त कर देने को कहता है, या पारितोषिक प्राप्त कर देने की कोशिश करता है, यह माना जायगा कि उसने पारितोषिक दिया।

३ किसी ऐसे शख्सके विषयमें जो कि कोई पारितोषिक प्राप्त करता है, या जो लेने को राजी हो जाता है, या जो पारितोषिक प्राप्त करनेकी कोशिश करता है, यह माना जायगा कि उसने पारितोषिक लिया। और किसी ऐसे शख्सके विषयमें जो किसी ऐसे कामके करनेके लिये पारितोषिक लेता है जिस कामको कि उसका इरादा करनेका नहीं है, या जो किसी ऐसे कामके करने के इनाममें पारितोषिक लेता है जो काम कि उसने किया नहीं है, यह माना जायगा कि उसने पारितोषिक लिया।

व्याख्या—

जब तक यह दफा १७१ (बी) ताजीरात हिन्द में नहीं बढ़ाई गई थी, रिशवत का अपराध केवल सार्वजनिक कर्मचारियों के लिये रखा गया था।

क्लॉज (१) के अनुसार यह बात आवश्यक नहीं है कि रिशवत, अधिकार के बरते जाने से पहलेही दी जाय, वरन यदि रिशवत अधिकार के बरत चुकने पर किसी को दी जाय तो भी इस दफा का अपराध पूरा हो जाता है। और इस दफा के अपराध के लिये यह भी आवश्यक नहीं है कि रिशवत उसी शख्स को दी जाय जो अधिकार बरतेगा। यदि (ए), (बी) के मित्र (सी) को कुछ रुपया देता है कि (सी) अपने मित्र (बी) को राजी कर दे कि (बी) चुनाव में (ए) को राय दे, तो इस दफा का जुर्म पूरा हो जाता है।

क्लॉज (२) के अनुसार रिशवत देने वाले के अतिरिक्त, रिशवत लेने वाला भी अपराधी होता

है। किसी शख्स को राजी कर देने की कोशिश करना, और उस कोशिश के लिये पारितोषिक लेना अपराध हैं, चाहे ऐसी कोशिश असफल और निष्प्रभाव रहे।

परन्तु सार्वजनिक कामों में अपने उसूलों को घोषित करना, या किसी सार्वजनिक काम को कराने की प्रतिज्ञा करना रिशवत नहीं माने जाते, चाहे ऐसी घोषणा या प्रतिज्ञा के कारण उम्मेदवार को अधिक वोट मिल जाय। उदाहरणार्थ उम्मेदवार के द्वारा यह घोषणा की जाना कि "मैं शिक्षा की उन्नति कराना चाहता हूँ कि म्यूनिसिपल्टी के गरीब निवासियों के लड़के भी शिक्षित हो जायें, और उनको शिक्षा मुफ्त में मिले" रिशवत नहीं है। इसी प्रकार यह प्रतिज्ञा करना कि "अमुक टैक्स अनुचित है, मैं कोशिश करूगा कि वह रद हो जाय" रिशवत नहीं है।

उपदफा (२) और (३) के द्वारा यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि यह आवश्यक नहीं है कि रिशवत वस्तुत दे दी या ले ली जाय तबही इस दफा का अपराध पूरा हो। वरन रिशवत का पेश करना, या देने या लेने पर राजी होना इत्यादि स्वय अपराध हैं।

—इस दफा के साथ देखिये दफा १७१ (ई) भी।

दफा १७१ (सी) अनुचित दबाव

१ जो कोई किसी निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारका स्वतन्त्रताके साथ बरते जानेमे स्वेच्छासे हस्ताक्षेप करता है, या हस्ताक्षेप करनेकी कोशिश करता है, वह निर्वाचनमे "अनुचित दबाव" (Undue influence) का अपराध करता है।

२ उपदफा (१) का हुक्म सब दशाओंपर लागू होनेमें किसी प्रभावके विना-
किसी ऐसे शख्सके विषयमे जो,

(ए) किसी उम्मेदवारको या वोटरको, या किसी ऐसे शख्सको जिससे किसी उम्मेदवार या वोटरका वास्ता हो, किसी प्रकारकी हानि पहुँचानेकी धमकी देता। है या

(बी) किसी उम्मेदवार या वोटरको यह विश्वास दिलाता है या दिलाने की कोशिश करता है, कि वह (अर्थात उम्मेदवार या वोटर), दैवी कोप या पारलौकिक तिरस्कारका पात्र (Object of Divine displeasure or Spiritual censure) हो जायगा या कर दिया जायगा।

यह माना जायगा कि उसने ऐसे उम्मेदवार या वोटरके निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारका स्वतंत्रतासे बरते जानेमे, उपदफा (१) के आशयके अनुसार, हस्ताक्षेप किया।

३ सार्वजनिक कामोंमे अपनी पालिसीको घोषित करना या किसी सार्वजनिक काम को करनेकी प्रतिज्ञा करना या किसी कानूनी अधिकारको, बिना इस इरादे के कि किसी निर्वाचन सम्बन्धी अधिकारमे हस्ताक्षेप किया जाय, बरतना, इस दफाके अर्थके अनुसार हस्ताक्षेप करना नही माना जायगा।

व्याख्या—

"अनुचित दबाव" (Undue influence) की साधारण (आम) व्याख्या उपदफा (१) में दी गई है। किसी शख्स को कोई निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार स्वतन्त्रता से न बरतने देना या इस बात की कोशिश करना अपराध माना गया है। उपदफा (१) मे अनुचित दबाव

की कोई विशेष शकल नहीं बताई गई है, वरन अनुचित दबाव चाहे जिस प्रकार का हो वह उपदफा (१) के अनुसार अपराध होगा। इसके विरुद्ध उपदफा (२) में अनुचित दबाव की दो विशेष शकलों का वर्णन दिया गया है, अर्थात् (१) हानि पहुंचाने की धमकी देना और (२) दैवी कोप या पारलौकिक तिरस्कार की धमकी देना। स्पष्टतया इन दोनों शकलों को वर्णित करने का यह प्रभाव नहीं है कि "अनुचित दबाव" का अपराध इन्हीं दो शकलों पर सीमा बद्ध कर दिया गया है। उपदफा (२) के आरम्भ में यह बात स्पष्ट कर दी गई है।

दबाव प्रत्येक शख्स का थोड़े या बहुत मनुष्यों पर अवश्य हुआ करता है। जैसे जिमींदार का अपने कृषकों पर, ग्राहक का दुकानदार पर, साहूकार का कर्जदारों पर, वकील का मुवक्किलों पर कुछ न कुछ दबाव अवश्य होता है। ऐसे दबाव को नष्ट कर देना कानून के लिये सम्भव नहीं है, न कानून का यह आशय है कि ऐसे सब दबाव नष्ट हो जाय, इस दफा का अपराध उसी दशा में होता है जब ऐसे दबाव का अनुचित प्रयोग किया जाता है। और उपदफा (३) में यह बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि किसी कानूनी अधिकार को, बिना इस इरादे के बरतना, कि किसी निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार में हस्तक्षेप किया जाय, इस दफा के अर्थ के अनुसार कोई अपराध नहीं माना जा सकता। जैसे जिमींदार को कानून के द्वारा यह अधिकार है कि वह अपने काश्तकार (असामी) को बेदखल करा सके। अतएव किसी ऐसे जिमींदार के द्वारा, जो निर्वाचन में उम्मेदवार भी हो, अपने काश्तकार पर, जो वोटर भी हो, बेदखली का दावा दायर किया जाना स्वयं इस बात का प्रमाण नहीं है कि काश्तकार पर अनुचित दबाव डालने के लिये उक्त दावा किया गया है। हां यदि ऐसा दावा इस कारण किया गया हो कि उससे काश्तकार अपने निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार को स्वतन्त्रता के साथ न बरत सके, वरन दावे से भयभीत होकर जिमींदार को राय दे, तो इस दफा का अपराध पूरा हो जायगा।

—म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट नं० २, सन १९१६ ई० की दफा २८ (१) के द्वारा भी किसी वोटर पर अनुचित दबाव डालना एक 'दुर्व्यवहार" माना गया है। ऐसे अपराध के लिये तीन प्रकार के दण्ड उम्मेदवार के लिये रखे गये हैं अर्थात (१) ताजीरात हिन्द की दफा १७१ (एफ) के अनुसार एक साल की कैद या जुर्माना या दोनों किये जा सकते हैं (२) म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट की दफा २६ के अनुसार उसका निर्वाचन नाजायज ठहराया जा सकता है और दफा २७ के अनुसार वह पांच वर्ष तक के लिये चुनाव के लिये खड़ा होने के अयोग्य ठहरा दिया जा सकता है।

—इस दफा के साथ देखिये दफा १७१ (एफ) भी।

दफा १७१ (डी)

जो कोई किसी निर्वाचनमें वोटका परचा (Voting Paper) या वोट, किसी दूसरे शख्सके नामसे (ऐसा दूसरा शख्स चाहे जीवित हो या मर गया हो), या किसी बनावटी (Fictitious) नामसे मांगता है, या जो कोई ऐसे निर्वाचनमें एक बार वोट देके, अपने ही नामसे, उसी निर्वाचनमें, (फिरसे) वोटका परचा मांगता है, और जो कोई ऊपरोक्त किसी विधिसे किसी शख्सको वोट देनेको उत्साहित करता है, या किसी शख्ससे वोट दिलवाता है, या दिलवानेकी कोशिश करता है वह झूठा वेष धारण करनेका (Personation) अपराध करता है।

व्याख्या—

इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि यह अपराध वोट का परचा मांगने ही से पूरा हो जाता है, अर्थात यदि ऐसा शख्स पहचान लिया जाय और वोट का परचा वस्तुत उसको दिया न भी जाय, तो भी उक्त शख्स अपराधी माना जायगा। परन्तु यदि किसी शख्स के नाम या पते के चढाये जाने में कुछ गलती हो जाय, और ऐसा शख्स वोट का परचा मांगे और वोट दे तो वह अपराधी नहीं माना जा सकता। जैसे यदि "बाबूलाल" की जगह किसी का नाम "बाबूराम" लिख जाय, तो बाबूलाल परचा मांगने या वोट देने से अपराधी नहीं हो सकता।

—म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट की दफा २८ (३) के द्वारा भी यह अपराध एक "कुव्यवहार" माना गया है। ताजीरात हिन्द के अनुसार सजा होने के अतिरिक्त ऐसे अपराधी उम्मेदवार को म्यूनिसिपलटीज ऐक्ट की दफा २६ और २७ के अनुसार भी दण्ड दिया जा सकता है।

—इस दफा के साथ देखिये दफा १७१ (यफ) भी।

दफा १७१ (ई)

जो कोई 'रिशवत' का अपराध करेगा उसको कैदकी सजा दी जायगी, जो दोनों प्रकारमे से किसी प्रकारकी हो सकती है और जिसकी अवधि एक वर्ष तककी हो सकती है, या उसको जुर्माने का दण्ड दिया जायगा या दोनो प्रकार केदण्ड दिये जायगे।

परन्तु शर्त यह है कि खिलाने पिलाने के द्वारा जो रिशवत का अपराध किया जायगा, उसके लिये केवल जुर्माने का दण्ड दिया जायगा।

भावार्थ—"खिलाने पिलाने की रिशवत" (Treating) से अर्थ है वह रिशवत जिसमे पारितोषिक, भोजन, शराब आदि पीने की वस्तुओं, खातिर तवाजो, या खाद्य-पदार्थों का हो।

व्याख्या—

यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि पान तम्बाकू देना या हुक्का पिलाना आदि भी खिलाने पिलाने की रिशवत माने जायगे या नहीं, तथापि उम्मेदवारके लिये यही उचित है कि वोट देने वाले का किसी प्रकार से आदर सत्कार करने से दूर ही रहे। मिस्टर हैमण्ड लिखते हैं कि "भारत में, जहा कि आदर सत्कार करने की रीति परम्परा से चली आती है, उम्मेदवार को यह बात बड़ी लज्जा की जान पड़ती है कि वह एक ऐसे निर्वाचक को जो अपना वोट देने को दिन की धूप में दूर से आया है एक गिलास शर्बत भी नहीं पिला सकता" परन्तु योरुप की प्रजातन्त्र संस्थाओं को पूर्वी देशों में स्थापित करने में ऐसी छोटी २ कठिनाइयों का सामना करना ही पडेगा। योग्य ग्रन्थकर्ता आगे राय देते हैं कि "किसी शख्स को निर्वाचन के लिये उम्मेदवार होना उसको इस बात से वञ्चित नहीं कर देता कि वह साधारण रीति के अनुसार किसी का आदर सत्कार न करे, परन्तु कुछ समय तक के लिये उम्मेदवार को यह मनाही अवश्य होती है कि वह अपने महमानो की संख्या बहुत न बढायें और आदर सत्कार बहुत बढा चढा के न करे। यह बात कि किस दरजे के वोटरों का, और किस विधि से वह आदर सत्कार करता है (इस बात के निश्चय करने में कि रिशवत का अपराध हुआ या नहीं) विचारणीय होगी। उन लोगों को भोजन देना जो उम्मेदवार के निर्वाचन सम्बन्धी कामों

में सहायता देते हैं कोई बुराई नहीं हो सकती, परन्तु अधिक अच्छाई इसमें होगी कि उम्मेदवार अपने सब काम करने वालों को (चाहे वह वेतन पाते हों या अवैतानिक हों) अपने २ खाने पीने का व्यय उन्हीं को प्रबन्ध करने दें।" (The Indian Candidate & Returning Officer," by E L. Hammond I C S, C B E, at Pages 133, 134)

दफा १७१ (यफ)

जो कोई किसी निर्वाचन मे अनुचित दबाव का या झूठा वेष धारण करने का अपराध करता है उसको कैद की सजा दी जायगी, जो दोनों प्रकार मे से किसी प्रकार की हो सकती है और जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकती है, या उसको जुर्माने का दण्ड दिया जा सकता है, या दोनों प्रकार के दण्ड दिये जा सकते हैं।

दफा १७१ (जी)

किसी ऐसे शख्स को, जो किसी निर्वाचन के नतीजे पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से कोई बयान (Statement) किसी उम्मेदवार के निजी आचरण या चरित्र के विषय मे करता है या प्रकाशित करता है जिसको वह सच्चा बयान बताता है, परन्तु जो झूठ है, और जिसको वह झूठा जानता या झूठा समझता है, या जिसको वह सच्चा नहीं समझता, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा।

दफा १७१ (यच)

किसी ऐसे शख्स को जो किसी उम्मेदवारकी साधारण या विशेष आज्ञाके बिना किसी सार्वजनिक मीटिंग के जोडनेमे, या किसी विज्ञापन, सरक्यूलर या पुस्तक आदि के प्रकाशन मे, या किसी भी अन्य प्रकार से, ऐसे उम्मेदवार के चुनाव मे सहायता देने या निर्वाचित करा देने के उद्देश्य से कोई खर्च स्वय करता है, या उसके करने का दूसरे को अधिकार देता है, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा, जिसकी सख्या ५००) रुपये तक हो सकती है।

परन्तु शर्त यह है कि यदि कोई शख्स कोई ऐसा खर्च बिना आज्ञा के करे और उसकी संख्या दस रुपये से अधिक न हो, और खर्चा करने से दस दिन के भीतर वह उम्मेदवार की लिखित मजूरी प्राप्त करले, तो यह माना जायगा कि उक्त शख्स ने खर्च उम्मेदवार की आज्ञा से किया।

दफा १७१ (आई)

किसी ऐसे शख्सको जिसको कि किसी कानून के द्वारा जो उस समय प्रचलित हो, या किसी नियम के द्वारा जिसका कि वैसा ही प्रभाव हो जैसा कि कानून का होता है उस खर्चे का हिसाब रखने की आज्ञा दी गई हो जो कि किसी निर्वाचन मे, या निर्वाचन के सम्बन्ध में हुआ हो, और जो ऐसा हिसाब न रखे, जुर्माने का दण्ड दिया जायगा जिसकी सख्या ५००) रुपये तक हो सकती है।

नोट—म्युनिसिपलटी के निर्वाचन के खर्च का हिसाब रखने के लिये, नियमों के द्वारा आज्ञा नहीं दी गई है यह दफा व्यवस्थापक कौंसिलों के निर्वाचनों के लिये है।

३ (१) जाब्ता फौजदारी, सन १८९८ ई० की दफा १९६ मे शब्द "प्रकरण ६' के आगे शब्द "या प्रकरण ९ (ए)" बढ़ा दिये जायंगे।

व्याख्या—

इस संशोधन का प्रभाव यह है कि 'प्रकरण ९ (ए)' में वर्णित अपराधों का कोई मुकद्दमा कोई अदालत नहीं सुन सकती जब तक कि गवर्नर जनरल और उनकी कौंसिल या प्रान्तीय सरकार के हुक्म से या आज्ञा से, अथवा किसी ऐसे अफसर के हुक्म या आज्ञा से जिसको इस विषय में अधिकार दिया गया हो, इस्तगासा न दिया जाय।

—देखिये रामनाथ बनाम सरकार बहादुर का मुकद्दमा पेज ४४३ पर।

हिन्दी-लॉ-जरनल

मासिक पत्र

अगर आप क़ानून और नजीरों को पढते रहें तो अदालत के हजारों खर्चों से बचे, खुशामद करने और दौड़ धूप से बचें, सब-तरह के मुकद्मे घरही में समझ सके, दूसरों को कानूनी सलाह दे सकें, वकीलों की बडी बडी फीसें देने से बचें, रिश्वत, और अमला की तहरीरें देने से बचें, वृथा लडाने वालों के फन्दों से बचे, और ठीक तरह से अपने मुक़द्मों की क़ानूनी पैरवी कर सकें।

पत्र में है क्या ?

दीवानी, फौजदारी और मालकी अदालतों यानी, कलकत्ता, बम्बई, मदरास, इलाहाबाद पटना, लाहौर, रंगून हाईकोर्टों, लखनऊ, नागपुर जुडीशल कमिश्नरियों, रेव्युन्यू बोर्ड तथा विलायत के प्रिवी काउन्सिल की सरकारी बिलकुल नई चुनी हुई नजीरें छपती हैं। दिल्ली की प्रधान तथा सब प्रान्तीय काउन्सिलों में बनने वाले नये क़ानूनों की खबरें निकलती हैं। व्यापार, कारीगरी आदि की उपयोगी कानूनी बातें रहती हैं। मुक़द्मा लडने में अपार धन खर्च होता है पहले तो वकील साहब का मेहनताना नाक में दम कर देता है पीछे अदालत के अमला और चपरासी दलकी तहरीर, इनाम, नजराना, आफत में जान कर देता है पिण्ड छुटाना मुश्किल हो जाता है। इन्हीं तकलीफों के मिटाने के लिये यह कानून और नजीरों का 'पत्र' हिन्दी में निकाला गया है। आपको वकीलों से कानून और नजीरों की फायदेमन्द बातें नहीं मालूम होंगी। गावों के जिमींदारों, पटवारियों को नयी नजीरों से जानकारी जरूर रखना चाहिए, महाजनों और अदालत से सम्बन्ध रखने वालों को बहुत लाभ होगा। हमें देश भाइयों से यह कहना है कि क़ानून का ज्ञान सब लोग प्राप्त करो और वृथा लडाई, झगडे से बचो इससे रुपया बचेगा, परेशानी न होगी, आपसमें बैरभाव न बढेगा। अगर आपको क़ानून का कुछ भी ज्ञान रहेगा तो उससे फायदा उठा सकोगे, हाकिमों की जबर दस्ती तथा दबाव के कामों से बचाव होगा, बराबर लड सकने की ताकत होगी कोई अफसर सता [illegible] । कुछ दिनमें कानून के पंडित हो सकोगे। पुलिस के [illegible] 'हिन्दी—लॉ—जरनल' की नजीरों में कोई बात नहीं [illegible] की तरह [illegible] जिल्द बंध जाती है। अंग्रेजी [illegible]

होशियार रहना हमारे कामसे स्वार्थी वकील साहेबान बहुत नाराज़ लेकिन आप भाइयों का सच्चा हित चाहने वाले अनेक सज्जन वकील हमें प्रोत्साह दे रहे हैं तथा सहायता दे रहे हैं। एक अङ्क देखने से आप स्वयं हमारे कामक प्रशंसा करेंगे तथा अपने लिये लाभकारी समझेंगे।

कीमत

-अग्रिम वार्षिक मूल्य डाक खर्च सहित ९) रु० नमूने के १ अङ्क का मूल्य १) रु०। वी०पी० से मगाने में ।) रजिस्ट्री और मनीआर्डर खर्च अधिक देना पड़ेगा मगर पेशगी रुपया हमारे पास भेज देने में यह खर्च नहीं देना पड़ेगा। आप मनीआर्डर से रुपया भेज देवें ताकि ।) आपको ज्यादा न देना पड़े, नमूने का अङ्क बिना मूल्य नहीं भेजा जायगा। चिट्ठी साफ साफ अक्षरों में अपने पूरे पते के साथ लिखिये। अपना नाम स्थान, डाकखाना और जिला जरूर लिखें।

हिन्दी में कानूनका **(हिन्दू-लॉ)** सबसे बड़ा ग्रन्थ

हिन्दी-लॉ-जरनल

मासिक पत्र

अगर आप क़ानून और नजीरों को पढते रहें तो अदालत के हजारों खर्चों से बचे, खुशामद करने और दौड धूप से बचें, सब तरह के मुकद्मे घरही में समझ सके, दूसरों को कानूनी सलाह दे सके, वकीलों की बडी बडी फीसें देने से बचें, रिश्वत, और अमला की तहरीरें देने से बचें, वृथा लडाने वालों के फन्दों से बचें, और ठीक तरह से अपने मुक़द्दमों की क़ानूनी पैरवी कर सकें।

पत्र में है क्या ?

दीवानी, फौजदारी और मालकी अदालतों यानी, कलकत्ता, बम्बई, मदरास, इलाहाबाद पटना, लाहोर, रंगून हाईकोर्टों, लखनऊ, नागपुर जुडीशल कमिश्नरियों, रेव्युन्यू बोर्ड तथा विलायत के प्रिवी काउन्सिल की सरकारी बिल्कुल नई चुनी हुई नजीरें छपती हैं। दिल्ली की प्रधान तथा सब प्रान्तीय काउन्सिलों में बनने वाले नये क़ानूनों की खबरें निकलती हैं। व्यापार, कारीगरी आदि की उपयोगी क़ानूनी बातें रहती हैं। मुक़द्दमा लडने में अपार धन खर्च होता है पहले तो वकील साहब का मेहनताना नाक में दम कर देता है पीछे अदालत के अमला और चपरासी दलकी तहरीर, इनाम, नजराना, आफत में जान कर देता है पिण्ड छुटाना मुश्किल हो जाता है। उन्हीं तकलीफों के मिटाने के लिये यह कानून और नजीरों का 'पत्र' हिन्दी में निकाला गया है। आपको वकीलों से कानून और नजीरों की फायदेमन्द बातें नहीं मालूम होगी। गावों के जिमींदारों, पटवारियों को नयी नजीरों से जानकारी जरूर रखना चाहिए, महाजनों और अदालत से सम्बन्ध रखने वालो को बहुत लाभ होगा। हमें देश भाइयों से यह कहना है कि क़ानून का ज्ञान सब लोग प्राप्त करो और वृथा लडाई झगडे से बचो इससे रुपया बचेगा, परेशानी न होगी, आपसमें वैरभाव न बढेगा। अगर आपको कानून का कुछ भी ज्ञान रहेगा तो उससे फायदा उठा सकोगे, हाकिमों की जबर दस्ती तथा दबाव के कामो से बचाव होगा, बराबर लड सकने की ताकत होगी कोई अफसर सता नहीं सकेगा। कुछ दिनमें क़ानून के पंडित हो सकोगे। पुलिस के बे क़ायदा कामों से नहीं डरोगे 'हिन्दी-लॉ-जरनल' की नजीरों में कोई बात नहीं छूटती बिल्कुल अङ्गरेजी नजीरो की तरह मोनहली जिल्द बंध जाती है। अङ्गरेजी नजीरो का पूरा पता रहता है।

पंचायत ऐक्ट नं० ६ सन १९२०ई०

संयुक्त प्रान्तकी कुल देहातों (गावों) के लिये यह क़ानून बना है। हर एक गावमें पचायतें कायम होंगी और उन्हें दीवानी तथा फौजदारीके मुकदमोंके फैसल करनेका अधिकार होगा। हमने इस कानूनकी बडीही सरल और बडे विस्तारसे व्याख्याकी है। व्याख्यामें २५ दूसरे कानूनों की ८२ दफाओंका पूरा हवाला दिया है तथा ३२१ नजीरों का यथास्थान वर्णन किया है। दूसरे क़ानूनों और नजीरों का हवाला इसलिये दिया है कि गावोंके लोग और पचायत करने वाले पूरी तौरसे क़ानूनका मतलब समझ सकें और अपने मुकद्दमेकी योग्य पेरवीकर सकें एव पचोंका फैसला ठीक हो। हिन्दुस्तान के सब हाईकोर्टों ओर विलायत की भी नजीरेंदी हैं ताकि कानूनका पूरा ज्ञान प्राप्त हो। सूचिया पाच हैं। पहली दफावार सूची,दूसरी २५ दूसरे कानूनों के दफाओंके हवालेकी सूची, तीसरी ३२१ नजीरों की सूची, चौथी नजीरोंके सकेताक्षरों की सूची और पाचवीं हिन्दीके पारिभाषिक शब्दोंकी सूची है। पचायत जिस गावमें नही है वहापर पचायत किस तरह क़ायम करना चाहिये, पच और सरपच कैसे नियत किये जायगे, पचायत के रजिस्टर,सम्मन,आदि कैसे होना चाहिये इत्यादि क़ायदे (रूल्स) गवर्नमेण्ट गजट से लेकर छाप दिये गये हैं। व्याख्यामें कोई बात नहीं छूटी जिससें सदेह हो सके या दूसरे क़ानूनोंको कभी देखनेकी जरूरत पडे या किसी वकीलसे पूछना पडे। पचायत के अधिकार क्या हैं, कैसे मुकदमे फैसल होंगे,कौन मुकदमे नहीं फैसल होंगे, पचायत से मुकद्दमे कैसे उठा लिये जाय,फैसला कैसे मसूख हो, पक्षकार कैसे ढगसे पैरवी करें, पच या सरपच कैसे निकाले जायगे, इत्यादि सैकडों बातोंका पूरा वर्णन किया गया है। जिमीदार,पटवारी,मुदर्रिस तथा पचायत करने वालों को इस कानूनसे बडाही उपकार होगा। पढे लिखे गावके सज्जनोंको इसके द्वारा अधिकार हक़ और तरीके मालूम होजायगे। आकार रायल आठ पेजी,पेज सख्या १२० है, कागज सुफेद चिकने पर बम्बईके बढिया टाइप में अति सुन्दर छपाईकी गयी है मूल्य सिर्फ ॥) प्रति। डाक खर्च ।=) हमारे पास ६॥) रु० मनीआर्डर से भेज देनेपर १२ प्रतिया बिना खर्च आपके पास भेज दी जावेंगी।

बटवारे में किसका कितना हक है कैसी जायदाद बटेगी और कैसी नहीं। दान या वसीयत किस तरह की या लिखी जाय, कैसे मंसूख होगी, खो जाय या जवानी हो तो क्या करना चाहिये प्रोवेट कैसे लिया जाय। मौरूसी कर्जा कौन है, किसे देना चाहिये, ऐसे कर्जों से वारिस का हक़ कैसे बचेगा। कौन धन स्त्री धन है व वारिस कौन है, किस पर स्त्रियोंका पूरा हक है, बेटी, पत्नी, विधवा बहन, माता, दादी आदिको जायदाद कहापर किस हकसे मिलेगी, स्त्रिया कब जायदाद को वसीयत, दान, बिक्री या रेहन कर सकती हैं। भोजन-वस्त्र किनको कब कैसे और कितना मिलेगा। मन्दिर पाठशाला, धर्मशाला आदिमें जायदाद कैसे लगाई या मसूख कराई जाय, साधु, सन्यासी, महन्तों की गद्दी की जायदाद में उनके क्या हक और अधिकार है, चेला कब वारिस होगा, वे कैसे पदच्युत और नियत किए जाए, कौन कर सकता है, पुजारी कथा बाचने वाले, भक्त लोगो के हक व अधिकार उस देवस्थान में कैसे है। ट्रस्ट का कानून क्या है। किस मुक़दमे में कैसा सुबूत किसे देना चाहिये इत्यादि हजारो बातोंका पढनेसे पूर्ण ज्ञान होगा। ग्रन्थमें १७ प्रकरण और ८९४ दफाएँ तथा अनेक नकशे है। आर्ष वचनों के साथ वर्तमान कानून और नजीरेंदी गई हैं। ग्रन्थ की छपाई और जिल्द बदी बडीही उत्तमकी गई है। मूल्य १२) रु० डाक खर्च १=)

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट

पहिली फरवरी सन् १९२३ ई० से सयुक्त प्रान्तकी देहातो मे स्थानीय स्वराज्य द्वारा सुप्रबन्ध करने के लिये यह नया कानून जारी किया गया है। देहात के निवासियों पर नये नये टैक्स लगाने और देहाती रकबा मे हजारों तरहके नये इन्तजाम करने के अधिकार जिला बोर्ड को दिये गये हैं। इस कानून के द्वारा देहात के रहने वालों पर हजारो तरह के टैक्स लगाये जायगे और उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा एव आराम के साधनोंका इन्तजाम किया जायगा। देहात के निवासियों, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मेम्बरी के उम्मेदवारो, मेम्बरों तथा 'बोर्ड' के अफसरो मुलाजिमों और 'बोर्ड' से सम्बन्ध रखने वाल मनुष्यों आदि के लिये यह निहायत जरूरी कानून है। इसमें २०१ दफाए और कई एक शिड्यूल हैं तथा बहुत से दूसरे क़ानूनों की दफाओं के हवाले दिये गये हैं। हमने इस कानून को जनता के लाभ के लिये बडे परिश्रम और खर्च से सरल हिन्दी भाषामें अत्युत्तम छाप दिया है। जहा जहा पर दूसरे अङ्गरेजी क़ानूनोंकी दफाओंका हवाला है वहा पर उस कानूनकी वह दफा पूरी व्याख्यासे लिखदी है कठिन स्थलोंमें नोट देकर सरलकर दिया है। एक प्रतिका मूल्य २) रु० डाक खर्च।=) और उर्दू का मूल्य २) रु० डाक खर्च।=)

हिन्दी में छप रहे हैं:—

पूरी और विस्तृत व्याख्या तथा कुल नज़ीरों सहित:—

हिन्दी जानने वाले सज्जनों को कानून के ज्ञानसे पूरा लाभ उठानेके लिये समग्र अङ्गरेजी कानूनो का सरल हिन्दी भाषानुवाद करनेकी हमारी इच्छा है। यह काम अत्यन्त कठिन होने पर भी हम उद्योगकर रहे हैं। अङ्गरेजीमें कानून का प्रायः प्रत्येक ग्रन्थ उसकी व्याख्या और समग्र नजीरें मिलाकर बहुत बडा है हिन्दी मे इकदम उतना बडा गृन्थ छप जाना कठिन ही नहीं वरन हमारे लिये असाध्य है इस लिये प्रत्येक ऐसा ग्रन्थ कई भागों मे छापने का प्रयत्न किया है। अलग अलग भागों में गृन्थ खरीदने मे इकट्ठा रुपया नहीं देना पडेगा तथा प्रत्येक ऐसे खरीदार को चार आना ।) प्रति रुपया कमीशन दिया जायगा। २०) रुपया की पुस्तक १५) रु० में मिलेगी तिसपर भी थोडा थोडा दाम देना पडेगा तथा यह सुभीता होगा कि उन्हें उस कानून से जल्द लाभ पहुचने लगेगा और क्रम से ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करते जायगे। पूरे गृन्थ के छप जाने पर कदापि कमीशन आज तक किसी ग्राहक को नहीं दिया गया और न भविष्य मे दिया जायगा। नीचे लिखे कानूनोंके छपनेका प्रयत्न हमने किया है। मगर यह निश्चय नहीं कर सकते कि इनमेंसे कौन कानून पहले छपेगा और कौन पीछे। कारण यह है कि छापेखाने का यथेष्ट प्रबन्ध तो हो गया मगर हिन्दी के विद्वान वकीलो की कमी है दूसरे कानून का अनुवाद बहुत कठिन होता है फिर उस क़ानून की हर एक दफाकी विस्तृत व्याख्या लिखना एव हाल तककी समग्र नजीरों का ढूढना, जटिल विषयों की छानबीन और विचार करना बहुतही मुश्किल काम है। अब हिन्दी साहित्य प्रेमी कुछ वकीलों ने हमें सहायता देने का भार गृहण किया है इसलिये आशा है कि हम उपयोगी कानून हिन्दी में छाप कर आपकी सेवामे भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे।

आप एक चिट्ठी लिख कर अपना नाम हमारे रजिस्टर में लिखा दें कि जब किसी कानून के गृन्थ का कोई भाग छप कर तैय्यार हो तो आपको सूचित किया जाय अथवा वी० पी० से भेज दिया जाय। चिट्ठी लिखने से आपको सूचना दी जायगी और जब आप लिखेंगे तब ग्रन्थ भेजा जायगा। अपना पता साफसाफ लिखें।